

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,

मुंबई - 400 005.

टेलिफोन : (+91 22) 6655 3355 (+91 22) 6655 3405, 3410, 3404

फैक्स : (+91 22) 2218 0411 वेबसाइट : www.idbibank.in IDBI Bank Limited

Regd. Office: IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade,

Mumbai - 400 005.

TEL.: (+91 22) 6655 3355 (+91 22) 6655 3405, 3410, 3404

FAX : (+91 22) 2218 0411 Website : www.idbibank.in

June 25, 2025

The Manager (Listing)	The Manager (Listing)	
BSE Ltd.,	National Stock Exchange of India Ltd.,	
25 th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Exchange Plaza, 5th Floor,	
Dalal Street, Fort,	Plot No. C/1, G Block,	
Mumbai – 400 001	Bandra Kurla Complex, Bandra(E),	
	Mumbai – 400 051	

Dear Madam/Sir,

Annual Report for FY 2024-25

In terms of Regulations 34 and 53 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find attached the Annual Report including the Business Responsibility & Sustainability Report (BRSR) of IDBI Bank for the FY 2024-25 along with the Notice of the 21st AGM of the Bank.

Kindly acknowledge receipt and take the above on record.

Yours faithfully, For IDBI Bank Ltd.

Company Secretary

Enclosure: As above

प्रगति हेतु प्रतिबद्ध सतत संरक्षण के लिए समर्पित

COMMITTED TO PROGRESS DEDICATED TO SUSTAINABILITY





वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2024 - 2025



***** said Parag

आईडीबीआई बैंक ने सुगम ऋण भुगतान योजना पेश की 🛭

देहरादुन। आईडीबीआई बैंक ने एक विशेष योजना सुगम ऋण भुगतान योजना (सुगम) शुरू की है। इसके अंतर्गत 31 मार्च, 2021 तक 0.10 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक (पात्रता मानदंड के अधीन) व मुल बकाया राशि वाले उधारकर्ताओं को अपने कर्ज का एकम्शत भूगत आसान शर्तों के साथ करने का अवसर दिया जा रहा है, ताकि बैंक के है एनपीए की स्किवरी में तेजी आ सके। यह उन उधास्कर्ताओं के लिए अपने का निपटान करने का एक सुनहरा अवसर है, जो संकट से जुझ रहे 🖥 कानूनी उल्झनों में पड़ना नहीं चाहते। इस योजना का विवरण बेवसा उपलब्ध है।

and Cloud. Expenditure is likely to increase gradually to 8-9 per cent," Rakesh Sharma, managing director and chief executive officer of IDBI 14 Business Standard.

ms, IDBI Bank will IDBI Bank net zooms 31% to ₹1,908 crore

IDBI Bank recorded 31 per cent year-onyear (Y-o-Y) growth in net profit to 1,908.27 crore in the quarter ended December 31 (Q3FY25) from ₹1,458.18 crore aided by an increase in net interest income and drop in provisions.

The net interest income grew 23 per cent Y-0-Y to ₹4,228 crore from ₹3,435 crore in Q3FY24. While other income dropped by nearly 23 per cent Y-o-Y to ₹749,35 crore, the lender's total income recorded 14 per cent growth at

The net interest margin, a measure of banks' profitability, improved by 45 basis points (bps) to 5.17 per cent during

विषय-सूची

कॉरपोरेट विहंगावलोकन मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतक ii 31 मार्च 2025 को निदेशक मंडल iv 31 मार्च 2025 को मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशक अध्यक्ष का संदेश vi प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश xiv कुछ प्रमुख गतिविधियां xxii पुरस्कार एवं सम्मान XXX सांविधिक रिपोर्टें निदेशकों की रिपोर्ट 2 प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण 16 कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट **75** कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता 178 रिपोर्ट वित्तीय विवरण एकल वित्तीय विवरण 292 समेकित वित्तीय विवरण 460 समेकित पिलर ॥। प्रकटन 595

Contents

Report


CORPORATE OVERVIEW	
Key Performance Indicators	ii
Board of Directors as on March 31, 2025	iv
Chief Vigilance Officer and Executive Directors as on March 31, 2025	V
Message from the Chairman	vi
Message from the Managing Director & CEO	xiv
Some Major Events	xxii
Awards and Accolades	xxx
STATUTORY REPORTS	
Directors' Report	9
Management Discussion and Analysis	45
Corporate Governance Report	127
Business Responsibility & Sustainability	235

FINANCIAL STATEMENTS Standalone Financial Statements Consolidated Financial Statements 460 Consolidated Pillar III Disclosures 595





मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतक Key Performance Indicators


31 मार्च 2025 की स्थिति Position as on March 31, 2025




































31 मार्च 2025 को निदेशक मंडल Board of Directors as on March 31, 2025



श्री टी. एन. मनोहरन अध्यक्ष Shri T. N. Manoharan Chairman



श्री राकेश शर्मा प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri Rakesh Sharma Managing Director & CEO



श्री जयकुमार एस. पिल्लै उप प्रबंध निदेशक Shri Jayakumar S. Pillai Deputy Managing Director



श्री सुमित फक्का उप प्रबंध निदेशक Shri Sumit Phakka Deputy Managing Director



श्री मनोज सहाय Shri Manoj Sahay



श्री सुशील कुमार सिंह Shri Sushil Kumar Singh



श्री राज कुमार Shri Raj Kumar



श्री सत पाल भानू Shri Sat Pal Bhanoo



श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी Shri Bhuwanchandra B. Joshi



श्री समरेश परिदा Shri Samaresh Parida



श्री एन. जंबुनाथन Shri N. Jambunathan



श्री दीपक सिंघल Shri Deepak Singhal



श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर Shri Sanjay Gokuldas Kallapur



श्रीमती पी.वी. भारती Smt. P. V. Bharathi



श्री अजय प्रकाश साहनी Shri Ajay Prakash Sawhney

31 मार्च 2025 को मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशक Chief Vigilance Officer and Executive Directors as on March 31, 2025



श्रीमती आशा राजीव मुख्य सतर्कता अधिकारी Smt. Asha Rajiv

Chief Vigilance Officer



श्री नागराज गारला Shri Nagaraj Garla



श्रीमती बलजिंदर कौर मंडल Smt. Baljinder Kaur Mandal



श्री शलील आवले Shri Shalil Awale



श्री सुनित सरकार Shri Sunit Sarkar



श्री मुरली सौरीराजन Shri Murali Sourirajan



श्री ईश्वर पधान Shri Iswar Padhan



श्री त्रिलोक शर्मा Shri Trilok Sharma



डॉ. कुमार नील लोहित Dr. Kumar Neel Lohit



श्री बद्री श्रीनिवास राव Shri Badri Srinivasa Rao



श्री अनिरुद्ध बेहरा Shri Anirudha Behera



श्री उगेन टाशी Shri Ugen Tashi



श्री अजय रमेश लांडे Shri Ajay Ramesh Lande



श्रीमती स्मिता हरीश कुबेर Smt. Smita Harish Kuber



श्री संजय पनिकर Shri Sanjay Panicker



श्री जोसफ कुमार ए Shri Joseph Kumar A



अध्यक्ष का संदेश Message from the Chairman



गतिशील और विकासशील आर्थिक परिदृश्य के बीच, आपके बैंक ने अपने अस्तित्व के पिछले छह दशकों में जो महत्वपूर्ण प्रगति की है वह मुझे इसके भावी विकास के पथ पर चलते रहने के लिए आशा से भर देती है.

टी. एन. मनोहरन अध्यक्ष The significant strides made by your Bank in the last six decades of its existence, amidst a dynamic and evolving economic landscape, fills me with optimism about its future growth trajectory.

T. N. Manoharan Chairman

प्रिय शेयरधारको,

निदेशक मंडल की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 की बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है - बैंक की 60 वर्षों की यात्रा पूरी करनेवाला यह वर्ष एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है. बैंक की अब तक की यात्रा राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य के प्रति इसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें इसने देश के कोने-कोने में करोड़ों ग्राहकों की सेवा करके उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है तािक वे अपने सपनों को साकार कर सकें.

आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2024 में लम्बे समय से चल रहे भू-राजनीतिक तनावों और वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिर पूंजी प्रवाह की पृष्ठभूमि में वैश्विक आर्थिक विकास धीमा लेकिन स्थिर बना रहा. इस पृष्ठभूमि में, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में वैश्विक विकास की एक प्रमुख संवाहक बनी रही. समन्वित एवं सुसंगत नीतिगत प्रयास, घटता मुद्रास्फीति दबाव, मजबूत होती घरेलू खपत, निवेश मांग में सुधार और बुनियादी ढांचे पर अधिक सार्वजनिक व्यय जैसे कारकों ने बाहरी जोखिमों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया और स्थिर विकास के लिए एक अनुकूल समष्टि आर्थिक वातावरण सुनिश्चित किया.

आर्थिक गतिविधि की स्थिर गित को भारत में बैंकिंग क्षेत्र की बेहतर स्थिति से भी सहायता मिली. मुख्य रूप से विभिन्न सरकारी पहलकार्यों और विनियामक सुधारों के चलते बेहतर आस्ति

Dear Shareholders.

On behalf of the Board of Directors, I am pleased to present to you the Bank's Annual Report for FY 2024–25 – a milestone year that marked completion of 60 years of the Bank's journey. The Bank's journey so far reflects its enduring commitment to the objective of nation-building by serving millions of customers across the length and breadth of the country and financially empowering them to achieve their dreams.

Economic Scenario

The global economic growth remained modest but steady in the year 2024 in the backdrop of protracted geopolitical tensions and volatile capital flows across the global financial market. In this backdrop, the Indian economy remained a key driver of global growth as one of the fastest-growing major economies in the world. Factors such as concerted and consistent policy efforts, abating inflationary pressures, strengthening domestic consumption, pickup in investment demand and higher public expenditure on infrastructure effectively countered the external risks and ensured a conducive macroeconomic environment for stable growth.

The steady pace of economic activity was also aided by the improved health of the banking sector in India. Primarily driven by various Government initiatives and regulatory reforms, the banking sector has emerged stronger, more agile, and well-capitalised,



गुणवत्ता एवं लाभप्रदता के कारण बैंकिंग क्षेत्र अधिक मजबूत, अधिक मुस्तैद और अच्छी पूंजी स्थिति के रूप में उभरा है. इसके अतिरिक्त, बढ़ती डिजिटल पैठ ने बैंकिंग सेवाओं तक अधिक पहुंच में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिससे वित्तीय समावेशन को अभूतपूर्व गित मिली है. बैंकों और अर्थव्यवस्था के बीच सुदृढ़ पारस्परिक संबंध ने पाया कि बैंक बचत को एकत्रित कर और एमएसएमई, बुनियादी संरचना आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को सुगम बनाकर इस विकास की गित को समर्थन दे रहे हैं.

राष्ट्र निर्माण के 60 वर्षों का उत्सव

आपके बैंक की विरासत राष्ट्र निर्माण में गहराई से रची-बसी है, क्योंकि इसकी पूर्ववर्ती संस्था - भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) - औद्योगिक और बुनियादी संरचना के वित्तपोषण के क्षेत्र में शीर्ष विकास वित्तीय संस्था (डीएफआई) के रूप में अर्थव्यवस्था के औद्योगिकीकरण की एक प्रेरक शक्ति रही. अपने अस्तित्व के छह दशकों में, बैंक ने अपनी योजनाओं और सेवाओं के माध्यम से देशभर के लोगों और कारोबारों को अपना सहयोग देते हुए भारत की आर्थिक संरचना को आकार

with improved asset quality and profitability. Further, the increasing digital penetration has contributed significantly to greater accessibility to the banking services, fuelling financial inclusion in an unprecedented way. The strong reciprocal relationship between banks and the economy saw the banks supporting the growth momentum by channelising the savings and facilitating credit flow to key sectors such as MSMEs, infrastructure etc.

Celebrating 60 Years of Nation-Building

Your Bank's legacy is deeply rooted in nation-building as its predecessor entity – Industrial Development Bank of India (IDBI) - was a catalytic force in industrialisation of the economy as the apex Development Financial Institution (DFI) in the industrial and infrastructural financing space. In the six decades of its existence, the Bank has played a pivotal role in shaping India's economic landscape by supporting people and businesses across the country through its products and services. The changes in India's



एक मैत्रीपूर्ण सलाह जो आपका जीवन बदल दे

आईडीबीआई बैंक से आवास ऋण

देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. भारत की आर्थिक संरचनाओं में आए परिवर्तनों ने बैंक में भी परिवर्तन किये, जिससे यह एक विकास वित्तीय संस्था से एक संपूर्ण वाणिज्यिक बैंक में स्पांतरित हो गया. हालांकि, जो चीज नहीं बदली, वह है आपके बैंक की मूल भावना और ईमानदारी एवं समर्पण के साथ इस राष्ट्र की सेवा करने की इसकी प्रतिबद्धता. economic structures also led to change in the Bank as well, which saw it transform from a DFI to a full-fledged commercial bank. However, what has remained unchanged is your Bank's ethos and commitment to serve the people of this nation with integrity and dedication.

बैंक का अतीत इस बात का प्रमाण है कि यह बदलते परिचालन परिवेश के अनुरूप स्वयं को ढालने में सक्षम है. The Bank's past is a testament to its capability to evolve in tandem with the evolving operating environment.

बदलाव को अपनाते हुए, आपके बैंक ने स्वयं को रणनीतिक रूप से इस प्रकार स्थापित किया है कि यह गुणवत्तापूर्ण कारोबार पर आधारित मजबूत आधार, सशक्त जोखिम प्रबंधन ढांचे और सुदृढ़ अभिशासन एवं अनुपालन संस्कृति के द्वारा सतत विकास और हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन सुनिश्चित कर सके. Embracing adaptability, your Bank has positioned itself strategically to ensure a robust foundation based on quality business, stringent risk management framework and strong governance and compliance culture for sustained growth and stakeholder value creation over the long-term.

विकास एवं लाभप्रदता

Growth and Profitability

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बैंक का 60वां वर्ष, बैंक के इतिहास में मील का पत्थर, इसके कारोबारी प्रदर्शन के दृष्टिकोण से भी उल्लेखनीय रहा. आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹ 7,515 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक निवल लाभ दर्ज किया है, पिछले पाँच वर्षों में इसकी लाभप्रदता में निरंतर सुधार हुआ है. बैंक के कारोबार का आकार ₹ 5 लाख करोड़ के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर गया, जिसमें जमाराशियों और अग्रिम, दोनों में सतत वृद्धि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया. बैंक द्वारा कम लागत

I am happy to state that the Bank's 60th year, a milestone in the annals of the Bank, was remarkable even in terms of its business performance. Your Bank registered all-time high net profit of ₹ 7,515 crore in FY 2024-25, progressively improving upon its profitability in the last five years. The Bank's business size crossed the milestone of ₹ 5 lakh crore, fuelled by steady growth in both its deposits and advances. The Bank's focus on enhancing



वाले जमा आधार को बढ़ाने पर केंद्रित प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए, जिससे कासा (चालू खाता और बचत खाता) जमाराशियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई. बैंक की ऋण बही में अच्छी वृद्धि देखी गई, जिसमें विवेकपूर्ण अंडरराइटिंग दृष्टिकोण और विभिन्न खंडों में विविधीकरण, विशेष रूप से खुदरा और प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र पर बल का सहारा रहा. आपके बैंक ने ग्राहकों को निर्बाध और सुरक्षित अनुभव प्रदान करने के लिए अपनी डिजिटल सेवाओं को उन्नत करने में निवेश किया.

जहां आपका बैंक अपने व्यवसाय को बढ़ाता और अपने परिचालन का विस्तार करता रहा है, वहीं इसकी व्यावसायिक रणनीति एक मजबूत जोखिम प्रबंधन और सतर्क अनुपालन संस्कृति पर केंद्रित रही है.

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बैंक के निदेशक मंडल, प्रबंधन और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों से इसके परिचालन और वित्तीय कार्यनिष्पादन में महत्वपूर्ण और व्यापक सुधार हुआ है. इन उपलब्धियों का विवरण एमडी एवं सीईओ के संदेश के साथ-साथ इस वार्षिक रिपोर्ट के अन्य भागों में विस्तार से दिया गया है. मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत संतोष का अनुभव हो रहा है कि बैंक के इस मजबूत कार्य-निष्पादन को देखते हुए निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक ₹ 10 अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर पर ₹ 2.10 का लाभांश देने की अनुशंसा की है. यह अनुशंसा बैंक की आगामी वार्षिक महासभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है.

low-cost deposit base yielded positive results with a notable increase in the CASA (Current Account Savings Account) Deposits. The Bank's loan book registered healthy growth, supported by a prudent underwriting approach and diversification across segments, with emphasis on retail and priority sector lending. Your Bank invested in upscaling its digital offerings to deliver seamless and secure customer experience.

As your Bank continued to grow its business and to expand its operations, robust risk management and meticulous compliance culture remained at the core of its business strategy.

I am pleased to share that the collective efforts of the Bank's Board of Directors, management and employees have led to a significant and broad-based improvement in its operational and financial performance. These achievements are detailed in the message from the MD & CEO, as well as in the other sections of this Annual Report. It gives me great satisfaction to inform you that, in recognition of this strong performance, the Board of Directors has recommended a dividend of ₹2.10 per equity share of face value ₹10 each for the financial year ended March 31, 2025. This recommendation is subject to the approval of shareholders at the Bank's upcoming Annual General Meeting.

संधारणीयता के साथ प्रगति

बैंकिंग क्षेत्र तकनीकी नवाचार, ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं और संधारणीयता पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभृतपूर्व गति से विकसित हो रहा है. गतिशील और विकासशील आर्थिक परिदृश्य के बीच, आपके बैंक ने अपने अस्तित्व के पिछले छह दशकों में जो महत्वपूर्ण प्रगति की है वह मुझे इसके भावी विकास के पथ पर चलते रहने के लिए आशा से भर देती है. आगे बढ़ने के इस क्रम में, आपका बैंक अपने सभी हितधारकों के लिए मृल्य सुजन सुनिश्चित करने हेत् एक स्थिर और सतत कारोबार विकास एवं जोखिम सहनीयता पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा. नीति निर्माताओं और विनियामक/सांविधिक पाधिकरणों के सहयोग से. आपका बैंक जनसंख्या के अलग-अलग वर्गों की वित्तीय आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए योजनाएं और सेवाएं तैयार करने में निवेश करना जारी रखेगा और देश के समावेशी विकास में योगदान देगा. राष्ट्र निर्माण की समृद्ध परंपरा के साथ एक जिम्मेदार कॉरपोरेट संस्था होने के नाते. बैंक अपने दीर्घकालिक कारोबार के एक हिस्से के रूप में अपने परिचालनों में पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) संबंधी विचारों को शामिल करने का प्रयत्न करेगा.

Progress with Sustainability

The banking sector continues to evolve at an unprecedented pace, shaped by technological innovation, shifting customer expectations and focus on sustainability. The significant strides made by your Bank in the last six decades of its existence, amidst a dynamic and evolving economic landscape, fills me with optimism about its future growth trajectory. Moving forward, your Bank will continue to focus on stable and sustainable business growth and risk resilience to ensure value creation for all its stakeholders. Collaborating with the policymakers and regulatory/ statutory authorities, your Bank will continue to invest in designing products and services to cater to the financial needs of various segments of the population and contribute towards inclusive development of the country. Being a responsible corporate entity with a rich legacy of nation building, the Bank will strive to incorporate Environmental, Social and Governance (ESG)



Small or big, ensure safety with every transaction.

Download the **IDBI Bank Go Mobile+** App now.



जैसे-जैसे राष्ट्र उत्तरोत्तर और अधिक टिकाऊ जीवनशैली की ओर बढ़ रहा है. आपके बैंक के भावी विकास की राह इस विश्वास पर आधारित है कि बैंकिंग केवल लेन-देन का विषय ही नहीं है, बिल्क एक रूपांतरण का भी है. अपने प्रस्तावों और पहलकार्यों के माध्यम से, बैंक ऐसे मूल्य के सृजन का प्रयास करेगा जो तुलनपत्र से परे होगा, तािक जीवनस्तर को उन्नत, समाज के बड़े हिस्से को सशक्त, राष्ट्र की प्रगति में योगदान और इस दुनिया को रहने के लिए बेहतर जगह बनाने हेतु हमारे इस ग्रह की रक्षा करेगा.

आभार प्रदर्शन

आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल की ओर से, मैं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य सभी सांविधिक और विनियामक प्राधिकरणों के प्रति उनके दृढ़ समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जो बैंक को चुनौतियों का सामना करने और अपने रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए सहायक रहे हैं. मैं आपके बैंक के मूल्यवान शेयरधारकों और ग्राहकों के सतत संरक्षण एवं स्थायी विश्वास के लिए उनकी भी हार्दिक सराहना करता हूं, वे इसकी प्रगति की आधारशिला रहे हैं. मैं बोर्ड के अपने सम्मानित साधियों के प्रति उनके नेतृत्व के लिए आभार प्रकट करता हूं, जो बैंक की इस विकास यात्रा के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण रहे हैं. अंत में, मैं आईडीबीआई बैंक के शीर्ष प्रबंधन और प्रत्येक कर्मचारी के प्रयासों और अटूट प्रतिबद्धता के लिए अपनी सराहना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बैंक को अपने उद्देश्यों

considerations in its operations as part of its long-term business as the nation moves progressively towards a more sustainable way of life. Your Bank's future growth path is rooted in the belief that banking is not just about transactions, but about transformation. Through its offerings and initiatives, the Bank will endeavour to create value that transcends balance sheets so as to uplift lives, empower vast segments of the society, contribute to the nation's progress and protect the planet - to make this world a better place to live.

Expression of Gratitude

On behalf of the Board of Directors of IDBI Bank, I extend heartfelt gratitude to the Government of India, the Reserve Bank of India, and all other statutory and regulatory authorities for their steadfast support and guidance which has been instrumental in enabling the Bank to navigate challenges and pursue its strategic objectives. I would also like to express my sincere appreciation for the continued patronage and enduring faith of your Bank's valued shareholders and customers that has been the cornerstone of its progress. I place on record gratitude to my esteemed colleagues on the Board for their leadership that has been pivotal in guiding the Bank's growth journey. Last but not the least, I would like to convey my appreciation for the efforts and unwavering commitment of the Top Management and every employee of IDBI

को पूरा करने और गतिशील कारोबारी माहौल में नई ऊंचाइयों को छूने में सक्षम बनाया है.

Bank that have enabled the Bank to meet its objectives and scale new heights, in the dynamic business environment.

चूंकि आपका बैंक सतत विकास और दीर्घकालिक मूल्य सृजन के मार्ग पर अग्रसर है, मैं अपने सभी हितधारकों को अपना सहयोग जारी रखने और एक स्थायी एवं प्रशंसनीय विरासत बनाने के लिए सिक्रय रूप से हमारे साथ जुड़ने का अनुरोध करता हूं

As your Bank embarks on a path of sustainable growth and long-term value creation, I invite all our stakeholders to continue extending their support and actively engage with us for creating a lasting and laudable legacy.

शृभकामनाओं सहित,

टी. एन. मनोहरन

अध्यक्ष

With best wishes,

T. N. Manoharan

Chairman



Access happiness in no time.

Open your **Fixed Deposit** with **IDBI Bank.**



प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश Message from the Managing Director & CEO



मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक का कार्यनिष्पादन उल्लेखनीय रहा है, जो उत्कृष्टता के प्रति इसकी दृढ़ प्रतिबद्धता और सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजन के प्रति समर्पण को रेखांकित करता है.

राकेश शर्मा

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

I am pleased to state that the Bank's performance in FY 2024-25 has been remarkable, underscoring its steadfast commitment to excellence and dedication to creating value for all the stakeholders.

Rakesh Sharma

Managing Director & CEO

प्रिय शेयरधारको,

वित्तीय वर्ष 2024-25 की बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करना मेरे लिए बड़े गौरव की बात है, इसमें वर्ष के दौरान बैंक के परिचालन और वित्तीय कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें दी गई हैं. जहां आपके बैंक द्वारा हासिल उपलब्धियों और किये गये पहलकार्यों का ब्योरा वार्षिक रिपोर्ट के विभिन्न खंडों में विस्तार से दिया गया है, वहीं मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक का कार्यनिष्पादन उल्लेखनीय रहा है, जो उत्कृष्टता के प्रति इसकी अटूट प्रतिबद्धता और सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजन के प्रति दृढ़ समर्पण को रेखांकित करता है. अपने संदेश के माध्यम से, मैं वर्ष के दौरान बैंक के कार्यनिष्पादन का विहंगावलोकन प्रदान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संक्षेप में चर्चा करना चाहुँगा.

समष्टि आर्थिक विहंगावलोकन

वैश्विक अर्थव्यवस्था पिछले वर्षों में अभूतपूर्व झटकों की एक शृंखला से प्रभावित होने के बाद, विवादास्पद भू-राजनीतिक संबंधों से उत्पन्न उच्च जोखिम के बावजूद वर्ष 2024 में स्थिर हो गई. दुनिया भर की कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मौदिक नीति के सामान्यीकरण से भी इसमें काफी मदद मिली है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के स्थिर आर्थिक विकास ने उल्लेखनीय लचीलेपन का एक और वर्ष चिह्नित किया और देश की वैश्विक स्तर पर बढ़ती प्रसिद्धि को विश्वसनीयता प्रदान की क्योंकि यह वैश्विक विकास का एक प्रमुख संवाहक बना हुआ है. अर्थव्यवस्था में खपत और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीति निर्माताओं द्वारा वर्षों से किए गए ठोस प्रयासों ने आर्थिक गतिविधियों को गति देना जारी रखा, जिससे सभी क्षेत्रों में लगातार तेजी आई.

Dear Shareholders,

With great pride, I present to you the Bank's Annual Report for FY 2024-25 that highlights the Bank's operational and financial performance during the year. While the details of the achievements and initiatives taken by your Bank have been elaborated in various sections of the Annual Report, I am pleased to state that the Bank's performance in FY 2024-25 has been remarkable, underscoring its unwavering commitment to excellence and steadfast dedication to creating value for all the stakeholders. Through my message, I would like to briefly touch upon some significant highlights to provide a bird's-eye view of the Bank's performance during the year.

Macroeconomic Overview

The global economy, after being buffeted by a series of unprecedented shocks in the previous years, stabilised in 2024 despite elevated risks emanating from contentious geopolitical relations. This was also largely aided by the monetary policy normalisation in some of the major economies across the world. India's stable economic growth in FY 2024-25, marked yet another year of remarkable resilience and provides credence to the country's growing global prominence as it remains a key driver of global growth. Concerted efforts taken by the policymakers over the years to stimulate consumption and investment in the economy continued to drive the pace of economic activities, fuelling steady uptick across all sectors. Furthermore, the banking sector, with healthier



इसके अलावा, बेहतर तुलन पत्र और पर्याप्त पूंजी भंडार के साथ बैंकिंग क्षेत्र तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए अच्छी स्थिति में बना रहा है. घरेलू खपत और निवेश मांग में सुधार को रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव से भी बढ़ावा मिला, जिसके तहत फरवरी 2025 और अप्रैल 2025 में लगातार दो बार नीतिगत दरों में कटौती की गई, जिससे रेपो दर में कुल मिलाकर 50 आधार अंकों (बीपीएस) की कमी आई.

इस गतिशील और विकासशील समिष्ट आर्थिक परिवेश में कार्य करते हुए, बैंक ने एक सुनियोजित कारोबारी रणनीति पर काम करना जारी रखा, जिससे सकारात्मक और शानदार परिणाम प्राप्त हुए.

कारोबारी रणनीति

वर्ष के दौरान, आपके बैंक के रणनीतिक प्रयास लाभप्रदता बढ़ाने, स्थिर कारोबारी विकास को बढ़ावा देने और परिचालन दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित थे. अपने भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर, बैंक ने अपने ग्राहकों तक आसान पहुँच सुनिश्चित करना जारी रखा. इसके अलावा, आपके बैंक ने विविध ग्राहक वर्ग की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी मौजूदा पेशकशों में सुधार करना जारी रखा. अपनी खुदरा फ़ैंचाइजी

balance sheets and adequate capital reserves, continued to be well-positioned to support the aspirations of a rapidly-growing economy. The revival in the domestic consumption and investment demand was also spurred by the shift in the RBI's monetary policy stance, which saw two consecutive policy rate cuts in February 2025 and April 2025, leading to a cumulative reduction in the Repo Rate by 50 basis points (bps).

Operating in this dynamic and evolving macroeconomic environment, the Bank continued to adhere to a well-crafted business strategy that yielded positive and extraordinary results.

Business Strategy

During the year, your Bank's strategic endeavours were focused on enhancing profitability, fuelling stable business growth and enhancing operational efficiency. By leveraging its physical and digital infrastructure, the Bank continued to ensure easy access to the Bank's customers. Further, your Bank continued to revamp its existing offerings to cater to the financial needs of diverse customer segments. Emphasising on



अपने सच्चे कारोबार साथी के साथ सफलता को अनलॉक करें

> आईडीबीआई एमएसएमई ऋण, प्रगति में आपका साझेदार

बढ़ाने पर जोर देते हुए, बैंक ने देयता पक्ष में अपनी कम लागत वाली जमाराशियों, जैसे चालू खाता और बचत खाता (कासा) में वृद्धि को प्राथमिकता दी और अपने खुदरा आस्ति पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए रिटेल, कृषि और एमएसएमई (आरएएम) खंडों पर ध्यान केंद्रित किया. गुणवत्तापूर्ण आस्ति पोर्टफोलियो सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने गहन ऋण निगरानी, दबाव का जल्दी पता लगाने, उपचारात्मक उपायों और चूकों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा.

परिचालन लचीलेपन और सुदृढ़ वित्तीय स्थिति पर जोर देने के साथ, बैंक अपने कार्यबल में अनुपालन-संचालित संस्कृति को समाहित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.

यह विनियामक और सांविधिक मानदंडों के साथ संरेखण में मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और कॉरपोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के प्रति आपके बैंक की प्रतिबद्धता को बल प्रदान करता है.

बैंक द्वारा विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में किये गये कई रणनीतिक पहलकार्यों का विस्तृत विवरण वार्षिक रिपोर्ट के निदेशकों की रिपोर्ट और प्रबंधन विवेचना एवं विश्लेषण खंडों में दिया गया है. मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी उल्लेखनीय परिणाम दर्ज करना जारी रखा है, जिनमें से कुछ पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा.

वित्तीय एवं परिचालनगत विशेषताएं

वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक की यात्रा में कई मील के पत्थर साबित हुए, सबसे महत्वपूर्ण में से एक यह था कि इसका कुल कारोबार जमाराशियों और निवल अग्रिम दोनों में दोहरे अंकों की growing its retail franchise, the Bank prioritised growth in its low-cost deposits, viz. Current Account & Savings Account (CASA) on the liability side and focused on Retail, Agriculture, and MSME (RAM) segments to expand its retail asset portfolio. In order to ensure quality asset portfolio, the Bank continued to focus on close credit monitoring, early stress detection, remedial measures and reducing delinquencies.

With a strong emphasis on operational resilience and sound financial health, the Bank has been focusing on integrating a compliance-driven culture across its workforce.

This reinforces your Bank's commitment to robust risk management practices and corporate governance guidelines in alignment with the regulatory and statutory norms.

Several strategic initiatives taken by the Bank across various functional domains have been detailed in the Directors' Report and Management Discussion & Analysis sections of the Annual Report. I am immensely happy to state that the Bank continued to record laudable results in FY 2024-25, some of which I would like to highlight.


Financial and Operational Highlights

The Bank's journey in FY 2024-25 was marked by several milestones, one of the most significant being that its total business crossed the ₹ 5 lakh crore mark with double-digit growth in



वृद्धि के साथ ₹ 5 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया. बैंक का कुल कारोबार मार्च 2024 के अंत में ₹ 4.66 लाख करोड़ की तुलना में मार्च 2025 के अंत में बढ़कर ₹ 5.29 लाख करोड़ हो गया, जिसमें 13% की वृद्धि दर्ज हुई. आपके बैंक के जमा आधार में 12% की वृद्धि दर्ज हुई और यह मार्च 2024 के अंत में ₹ 2.78 लाख करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 के अंत में ₹3.10 लाख करोड़ हो गया. बैंक की कासा जमाराशियाँ भी मार्च 2024 के अंत में ₹ 1.40 लाख करोड़ से बढ़ कर मार्च 2025 के अंत में ₹ 1.44 लाख करोड़ हो गईं. मार्च 2024 के अंत में कासा अनुपात 50.43% की तुलना में मार्च 2025 के अंत में 46.56% था. आस्ति के मोर्चे पर, बैंक के निवल अग्रिम बढ़कर मार्च 2025 के अंत में ₹ 2.18 लाख करोड़ हो गये, जो मार्च 2024 के अंत में ₹ 1.89 लाख करोड़ से 16% अधिक हैं. सकल अग्रिम पोर्टफोलियो में कॉर्पेरिट से खुदरा की संरचना 31 मार्च 2025 को 30:70 पर स्थिर बनी रही. बैंक द्वारा अपनी आस्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए जारी प्रयासों के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2025 को इसकी सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात और निवल अनर्जक आस्ति (एनएनपीए) अनुपात में और कमी आई और यह क्रमशः 2.98% और 0.15% हो गई, जबकि

both deposits and net advances. The Bank's total business stood at ₹5.29 lakh crore as at end-March 2025, registering a growth of 13% from ₹4.66 lakh crore as at end-March 2024. Your Bank's deposit base registered a growth of 12% to ₹3.10 lakh crore as at end-March 2025 from ₹2.78 lakh crore as at end-March 2024. The Bank's CASA deposits also increased to ₹1.44 lakh crore as at end-March 2025 from ₹1.40 lakh crore as at end-March 2024. The CASA Ratio was 46.56% as at end-March 2025 as compared to 50.43% as at end-March 2024. On the asset front, the Bank's net advances were higher at ₹2.18 lakh crore as at end-March 2025, marking a growth of 16% over ₹1.89 lakh crore as at end-March 2024. The composition of corporate to retail in gross advances portfolio remained steady at 30:70 as on March 31, 2025. The Bank's ongoing efforts to improve its asset quality resulted in a further reduction in its Gross Non-Performing Asset (GNPA) Ratio and Net Non-Performing Asset (NNPA) Ratio to 2.98% and 0.15%, respectively, as on March 31, 2025 as against 4.53% and 0.34%, respectively as on March 31, 2024. The Bank's Provision



Give a golden start to Education



31 मार्च 2024 को यह क्रमश: 4.53% और 0.34% थी. बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए सिंहत) भी 31 मार्च 2024 के 99.09% से बढ़कर 31 मार्च 2025 को 99.48% हो गया.

बैंक की पूंजी स्थिति विनियामक अपेक्षाओं से काफी ऊपर बनी रही, 31 मार्च 2025 को जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) और टियर 1 पूंजी अनुपात क्रमशः 25.05% और 23.51% थे, जो 31 मार्च 2024 के क्रमशः 22.26% और 20.11% में और सुधार को दर्शाते हैं. गुणवत्तापूर्ण कारोबार में वृद्धि के संदर्भ में रणनीतिक पहलकार्यों और परिणामी प्रभाव ने बैंक को लाभप्रदता में निरंतर वृद्धि दर्ज करने में मदद की. आपके बैंक ने निवल लाभ में 33% की वृद्धि दर्ज की और यह वित्तीय वर्ष 2023-24 के ₹ 5.634 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹ 7,515 करोड़ हो गया. यह एक और महत्वपूर्ण विकास है क्योंकि आपके बैंक ने लगातार पांचवें वर्ष निवल लाभ दर्ज किया, पिछले सभी रिकॉर्ड को पार करते हुए, अब तक के उच्चतम निवल लाभ का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया. वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपके बैंक द्वारा प्रदर्शित कार्यनिष्पादन वास्तव में एक मील का पत्थर है, जो इसके भविष्य के कार्यनिष्पादन और विकास पथ को पेरित करेगा.

आगे की राह

आपके बैंक की आगे की राह इसकी सफलताओं के साथ-साथ उन चुनौतियों से तय होगी, जिनका सामना पिछले कुछ वर्षों में इसने किया है. आपका बैंक लगातार बदलते और चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल के प्रति मुस्तैद और अनुकूल होने के कारण बदलते समय के विरुद्ध मजबूती से खड़ा होने में सक्षम रहा है. भविष्य को देखते हुए, आपका बैंक अपनी अंतर्निहित शक्तियों के साथ-साथ पुनर्जीवित वित्तीय स्थिति पर भी काम करेगा, ताकि Coverage Ratio (including Technical Write-Offs) also further improved to 99.48% as on March 31, 2025 from 99.09 % as on March 31, 2024.

The Bank's capital position remained well above the regulatory requirements with the Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) and Tier 1 Capital Ratio at 25.05% and 23.51%, respectively, as on March 31, 2025, marking further improvement from 22.26% and 20.11%, respectively, as on March 31, 2024. The strategic initiatives and consequential impact in terms of growth in quality business helped the Bank to report sustained growth in profitability. Your Bank registered a 33% growth in its net profit to ₹7,515 crore for FY 2024-25 as compared to ₹5,634 crore for FY 2023-24. This marked yet another momentous development as your Bank recorded net profit for the fifth consecutive year, surpassing all past records, to establish a new all-time high net profit. The performance exhibited by your Bank in FY 2024-25 is indeed a milestone which should inspire its future performance and growth trajectory going forward.

The Way Forward

The road ahead for your Bank is shaped by its successes as well as the challenges which it has surmounted over the years. Your Bank has been able to stand strong against the changing times by the virtue of being agile and adaptable to the constantly changing and also challenging business environment. Looking ahead, your Bank will build on its inherent strengths as well as revitalised financial health to further



देश के अग्रणी बैंकों में से एक के रूप में अपनी स्थित को और सुदृढ़ किया जा सके. ग्राहक-केंद्रितता और नवाचार को प्राथमिकता देते हुए, आपका बैंक आपसी विश्वास के आधार पर जुड़ाव बढ़ाने और दीर्घकालिक संबंध स्थापित करने के लिए अपनी पेशकशों को लगातार बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा. कारोबारी मोर्चे पर, बैंक अपनी खुदरा फ्रेंचाइजी बढ़ाने पर जोर देना जारी रखेगा. बैंक अपनी शुल्क-आधारित आय को बढ़ाने के लिए अवसर तलाश कर अपने राजस्व स्रोतों में विविधता लाने की भी कोशिश करेगा. आपका बैंक अपने व्यवसाय को स्थिर और लाभदायक तरीके से बनाने के लिए सतर्क अनुपालन, सिक्रय जोखिम प्रबंधन और सुदृढ़ कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है.

आगे भी, बैंक की यात्रा अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य बढ़ाने वाले सबसे पसंदीदा और विश्वसनीय बैंक बनने की अपनी परिकल्पना पर केंद्रित रहेगी.

आभार

अतीत पर विचार करते हुए और भविष्य की ओर देखते हुए, मैं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा अन्य सभी सांविधिक एवं विनियामक प्राधिकरणों को समय-समय पर दिए गए बहुमूल्य समर्थन और सहयोग के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. मैं आपके बैंक के रणनीतिक उद्देश्यों में उनके पूर्ण समर्थन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं. मैं निदेशक मंडल और प्रबंधन टीम के प्रति अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन और हर समय दिए गए अट्ट समर्थन के लिए

strengthen its position as one of the leading banks in the country. Prioritising customercentricity and innovation, your Bank will continue to focus on continuous refinement of its offerings to drive engagement and build long-lasting relationships based on mutual trust. On the business front, the Bank will continue to place emphasis on growing its retail franchise. The Bank will also seek to diversify its revenue streams by exploring avenues to augment its fee-based income. Your Bank remains committed to preserving a culture of meticulous compliance, proactive risk management and sound corporate governance practices to build its business in a stable and profitable manner.

Going forward, the Bank's journey will continue to remain centred around its vision of being the most preferred and trusted bank enhancing value for all its stakeholders.

Acknowledgement

Reflecting on the past and looking towards the future, I extend my sincere gratitude to the Government of India, the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India and all other statutory & regulatory authorities for valuable support and co-operation time and again. I would like to express my heartfelt appreciation to the Life Insurance Corporation of India (LIC) for their pivotal support in your Bank's strategic objectives. I extend my sincere appreciation to the Board of Directors and the Management Team for their invaluable

अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. मैं अपने सभी कर्मचारियों की उनके समर्पण, कड़ी मेहनत और लचीलेपन के लिए तहे दिल से सराहना करता हूं, जो आपके बैंक के रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण रहे हैं. मैं शेयरधारकों, ग्राहकों और मूल्य श्रृंखला के भागीदारों के प्रति अपने विश्वास और योगदान, जिन्होंने अब तक आपके बैंक की यात्रा में सहायता की है, के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं.

अंत में, मैं बैंक के सभी सम्मानित हितधारकों को इसके भविष्य के सभी प्रयासों का समर्थन जारी रखने का अनुरोध करता हूँ. मुझे विश्वास है कि आपका बैंक आपकी दृढ़ भागीदारी और अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को छुएगा. आगे बढ़ते हुए, आइए हम बैंक के सभी हितधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ सकारात्मक प्रभाव की एक स्थायी विरासत बनाने की दिशा में काम करना जारी रखें.

शुभकामनाओं सहित,

राकेश शर्मा

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

guidance and unwavering support at all times. I wholeheartedly commend all our employees for their dedication, hard work, and resilience, which have been crucial in achieving your Bank's strategic goals. I would also like to express my heartfelt appreciation for the shareholders, the customers and the value chain partners for their trust and contributions that have aided your Bank's journey so far.

In conclusion, I extend an earnest invitation to all the esteemed stakeholders of the Bank to continue supporting all its future endeavours. I am confident that your Bank will touch new heights of excellence, fuelled by your steadfast partnership and unwavering commitment. Going forward, let us continue to work towards creating a lasting legacy of positive impact with fulfilled aspirations for all the stakeholders of the Bank.

With best wishes,

Rakesh Sharma

Managing Director & CEO



Owning is easy. Driving is fun.

Auto Loans from IDBI Bank.



कुछ प्रमुख गतिविधियां Some Major Events

विगत वर्ष की झलकियां Glimpses of the past year



श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश का चेक प्राप्त करते हुए माननीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण.

Hon'ble Finance Minister, Smt. Nirmala Sitharaman, receiving the dividend cheque for FY 2023-24 from Shri Rakesh Sharma, MD & CEO.

श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ; श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी और श्री सुमित फक्का, डीएमडी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ मोहंती और उसके अन्य अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश का चेक सौंपते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, along with Shri Jayakumar S. Pillai, DMD and Shri Sumit Phakka, DMD handing over the dividend cheque for FY 2023-24 to Shri Siddhartha Mohanty, Chairperson, LIC of India and its other officials.





श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, अम्बेडकर जयंती के अवसर पर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, paying homage to Dr. Babasaheb Ambedkar on the occasion of Ambedkar Jayanti.

श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' के अवसर पर सत्यिनष्ठा की शपथ दिलाते हुए, साथ में हैं श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री सुमित फक्का, डीएमडी और बैंक की सीवीओ श्रीमती आशा राजीव.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, administering the Integrity Pledge on the occasion of *Vigilance Awareness Week'* along with Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD and Smt. Asha Rajiv, CVO of the Bank.





श्री सुमित फक्का, डीएमडी हिंदी दिवस के अवसर पर आईडीबीआई बैंक के प्रधान कार्यालय, मुंबई में तिमाही हिंदी गृह पत्रिका 'विकास प्रभा' का विमोचन करते हुए.

Shri Sumit Phakka, DMD, releasing the quarterly in-house Hindi magazine 'Vikas Prabha' on the occasion of Hindi Diwas at IDBI Bank's Head Office, Mumbai.





श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री सुमित फक्का, डीएमडी, श्रीमती आशा राजीव. सीवीओ और अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों के साथ प्रधान कार्यालय में बैंक के हीरक जयंती समारोह में सम्मिलित होते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO along with Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD, Smt. Asha Rajiv, CVO and other senior executives participating in the Diamond Jubilee celebrations of the Bank at the Head Office.

आईसीबीएफ (आईडीबीआई बैंकिंग एवं वित्त उत्कृष्टता केंद्र, पूर्ववर्ती जेएनआईबीएफ) में बैंक के हीरक जयंती समारोह में सम्मिलित होते हुए निदेशक मंडल के सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण.

Members of the Board of Directors and other senior officials participating in the Diamond Jubilee celebrations of the Bank at ICBF (IDBI Centre for Excellence in Banking and Finance, erstwhile JNIBF).





श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटि 12एसएसएल (आईडीबीआई-आईआईटीएम सिक्योर सिस्टम्स लेबोरेटरी), साइबर सुरक्षा लेबोरेटरी का आईआईटीएम परिसर में उद्घाटन करते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO and Prof. V. Kamakoti, Director, IIT Madras inaugurating the 12SSL (IDBI-IITM Secure Systems Laboratory), a Cyber Security laboratory in the IITM campus.



भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए '#Plant4Mother' अभियान के तहत, श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, साथ में श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी और श्री सुमित फक्का, डीएमडी कॉरपोरेट सेंटर, मुंबई में वृक्षारोपण अभियान में सहभागिता करते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO along with Shri Jayakumar S. Pillai, DMD and Shri Sumit Phakka, DMD participating in the tree plantation drive at Corporate Centre, Mumbai, as part of the '#Plant4Mother' Campaign initiated by the Government of India.

श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 'आरोहण' - उत्कृष्टता की ओर मेरे कदम', पूरे बैंक में अपनेपन की भावना को सुदृढ़ करने, कार्य जीवन की संतुष्टि और कर्मचारी सहभागिता वाले एक प्रेरक कार्यक्रम में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO addressing employees in the presence of senior officials at 'Aarohan – My Steps towards Excellence', a motivational programme, reinforcing belongingness, work life fulfilment and employee engagement throughout the Bank.





केरल में आयोजित कारोबारी रणनीति बैंठक में निदेशक मंडल के सदस्य तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण.

Members of the Board of Directors along with other senior officials at a Business Strategy Meet in Kerala.





श्री राकेश शर्मा. एमडी एवं सीईओ. बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों की उपस्थिति में कोच्चि अंचल का उद्घाटन करते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, inaugurating Kochi Zone in the presence of senior executives of the Bank.

श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों की उपस्थिति में चेंबुर, मुंबई में आईटीडी कार्यालय का उद्घाटन करते हुए.

Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, inaugurating ITD Office at Chembur, Mumbai in the presence of senior executives of the Bank.





श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी के साथ बैंक के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई में आयोजित वैश्विक आर्थिक सम्मेलन में बैंक के मंडप का उद्घाटन करते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO along with Shri Jayakumar S. Pillai, DMD inaugurating the Bank's pavilion at the Global Economic Summit in the presence of other officials of the Bank at World Trade Center, Mumbai.



श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, निदेशक मंडल के सदस्य श्री एन. जंबुनाथन, श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर और श्री अजय प्रकाश साहनी के साथ आईडीबीआई बैंक के प्रधान कार्यालय, मुंबई में एडब्ल्यूएस (अमेजन वेब सर्विसेज) के सहयोग से आयोजित प्रदर्शनी 'आईडीबीआई फिनटेक फ्यूजन' का उद्घाटन करते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO along with members of the Board of Directors, Shri N. Jambunathan, Shri Sanjay Gokuldas Kallapur and Shri Ajay Prakash Sawhney inaugurating 'IDBI Fintech Fusion', an exhibition in collaboration with AWS (Amazon Web Services) at IDBI Bank Head Office, Mumbai.

भारतीय बैंक संघ के 20वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो एवं प्रशस्ति पत्र 2024 में विकसित भारत हेतु भविष्य के लिए तैयार बैंकिंग में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए आईडीबीआई बैंक को तीन पुरस्कार प्राप्त हुए. श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी ने बैंक की ओर से पुरस्कार प्राप्त किये.

IDBI Bank received three awards at the 20th Banking Technology Conference Expo & Citations 2024 by the Indian Banks' Association, celebrating innovation and excellence in future ready banking for Viksit Bharat. Shri Jayakumar S. Pillai, DMD received the awards on behalf of the Bank.





श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी और श्री सुमित फक्का, डीएमडी की उपस्थिति में डेटा सुरक्षा और अनुपालन उत्कृष्टता के प्रति समर्पण के लिए बैंक की ओर से पीसीआई डीएसएस 4.0.1 अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO receiving the PCI DSS 4.0.1 Compliance Certificate in the presence of Shri Jayakumar S. Pillai, DMD and Shri Sumit Phakka, DMD on behalf of the Bank for its dedication to data security and compliance excellence.





बैंक के कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रतिभा प्रतियोगिता 'प्रतिभा महोत्सव' के उदघाटन सत्र में एमडी एवं सीईओ श्री राकेश शर्मा, डीएमडी श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी श्री सुमित फक्का और अन्य अधिकारीगण.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO along with Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD and other officials at the inaugural session of 'Pratibha Mahotsav' a talent competition organized for employees of the Bank.

कर्मचारियों के लिए आयोजित बैंक स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 'आईडीबीआई नॉलेज कप 2025' के उद्घाटन समारोह में एमडी और सीईओ श्री राकेश शर्मा, डीएमडी श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी श्री सुमित फक्का और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO along with Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD and other senior officials at the inaugural ceremony of 'IDBI Knowledge Cup 2025' - a Bank Level Quiz Competition for employees.





श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी और श्री सुमित फक्का, डीएमडी मुंबई पुलिस जिमखाना ग्राउंड में आयोजित 'वरिष्ठ कार्यपालकों के क्रिकेट मैच' में बैंक के अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों के साथ.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Jayakumar S. Pillai, DMD and Shri Sumit Phakka, DMD at the 'Senior Executives Cricket Match' conducted at Mumbai Police Gymkhana Ground, along with other senior executives of the Bank.





आईडीबीआई बैंक, प्रधान कार्यालय, मुंबई में पुनर्निर्मित लॉबी और बोर्ड रूम की झलकियां, जो हमारे कार्यस्थल को आधुनिक बनाकर सर्जनात्मकता और विकास के साथ उत्कृष्टता को बढ़ा रही हैं.

Glimpses of the revamped Lobby and Board Room at IDBI Bank Head Office, Mumbai, modernizing our workspace, fostering creativity and growth and elevating excellence.



श्री राकेश शर्मा, एमडी एव सीईओ, श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री सुमित फक्का, डीएमडी, निदेशक मंडल और अन्य विरष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आईडीबीआई बैंक, प्रधान कार्यालय, मुंबई में बोर्ड रूम की पुनर्निर्मित आंतरिक साज-सज्जा का उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष, श्री टी. एन. मनोहरन.

Shri T. N. Manoharan, Chairman inaugurating the revamped interiors of the Board Room at IDBI Bank Head Office, Mumbai in the presence of Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD, Board of Directors and other senior officials.

श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री सुमित फक्का, डीएमडी और बैंक के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में आईडीबीआई बैंक, प्रधान कार्यालय, मुंबई में लॉबी की पुनर्निर्मित साज-सज्जा का उद्घाटन करते हुए एमडी एवं सीईओ, श्री राकेश शर्मा.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, inaugurating the revamped interiors of the Lobby at IDBI Bank Head Office, Mumbai in the presence of Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD and other officials of the Bank.





पुरस्कार एवं सम्मान Awards and Accolades

20वें आईबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन और प्रशस्ति पत्र 2024 में आईडीबीआई बैंक को 'सर्वश्रेष्ठ आईटी-जोखिम प्रबंधन' पुरस्कार और 'सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बिक्री, भुगतान एवं सहभागिता' तथा 'सर्वश्रेष्ठ फिनटेक और डीपीआई स्वीकरण' के लिए दो प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया गया.

IDBI Bank was conferred with the 'Best IT-Risk Management' Award and two citations for 'Best Digital Sales, Payments & Engagement' and 'Best Fintech and DPI Adoption' at the 20th IBA Banking Technology Conference & Citations 2024.

आईडीबीआई बैंक को डेटा सुरक्षा और अनुपालन उत्कृष्टता के प्रति इसके समर्पण को स्वीकार करते हुए 'पीसीआई डीएसएस 4.0.1 अनुपालन प्रमाणपत्र' से सम्मानित किया गया.

IDBI Bank was awarded the 'PCI DSS 4.0.1 Compliance Certificate', recognizing its dedication towards data security and compliance excellence.

आईडीबीआई बैंक को जे.पी. मॉर्गन द्वारा अमेरिकी डॉलर और यूरो समाशोधन दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेणी एमटी 103 स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) की उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए 'एलीट क्वालिटी रिकॉग्निशन' अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया.

IDBI Bank was bestowed with the *'Elite Quality Recognition'* Award 2024, for Outstanding Achievement of Best-in class MT103 Straight Through Processing (STP) for both US Dollar and EURO Clearing by J.P.Morgan.

बैंक की हिंदी तिमाही गृह-पित्रका 'विकास प्रभा', को प्रसिद्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था 'आशीर्वाद' की ओर से सर्वश्रेष्ठ गृह-पित्रका के लिए शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया. The Bank's in-house quarterly Hindi Magazine *Vikas Prabha'*, was awarded shield and citation for the Best In-House Magazine by *'Ashirwad'* - a renowned literary and cultural organization.



एसोचैम के 19वें वार्षिक सम्मेलन एवं पुरस्कार में बैंकिंग और वित्तीय ऋण देने वाली कंपनियों के बड़े और मध्यम आकार खंड में आईडीबीआई बैंक को 'सर्वश्रेष्ठ डिजिटल प्रदर्शन व नवाचार' और 'सर्वश्रेष्ठ ईएसजी पहलों' में उपविजेता घोषित किया गया. IDBI Bank was adjudged the Runner Up in 'Best Digital Performance & Innovations' and 'Best ESG Initiatives' in the Large & Mid-Sized Bank segment at the ASSOCHAM 19th Annual Summit & Awards-Banking & Financial Lending Companies.

आईडीबीआई बैंक को वाणिज्यिक खंड के तहत निजी बैंकों के लिए ट्रांसयूनियन सिबिल द्वारा 'सर्वश्रेष्ठ डेटा गुणवत्ता पुरस्कार' से सम्मानित किया गया.

IDBI Bank was conferred with the 'Best Data Quality Award' by Transunion CIBIL for Private Banks under the Commercial Segment.

एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर अपने विशिष्ट योगदान के लिए आईडीबीआई बैंक को एम1 एक्सचेंज द्वारा 'समाह' कार्यक्रम में 'बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक - हाईएस्ट थ्रूपुट' के लिए सम्मानित किया गया.

IDBI Bank was recognized as the 'Best Private Sector Bank – Highest Throughput' in the event 'SAMAAH' by M1 Xchange for its exceptional contribution to the TReDS platform, set up by RBI to empower MSMEs.

फाइनैंशियल ब्रांड द्वारा प्रकाशित 'सोशल मीडिया पावर 100' बैंकों में आईडीबीआई बैंक वैश्विक स्तर पर 4वें स्थान पर रहा. IDBI Bank was ranked 4th globally among Banks in the *'Social Media Power 100'* published by The Financial Brand.

निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report



निदेशकों की रिपोर्ट

आपके बैंक के निदेशक मंडल को 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के कारोबार और परिचालनों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्तता हो रही है.

वर्ष 2024 में सतत भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और समय-समय पर वित्तीय बाजार में अस्थिरता के बावजूद, वैश्विक आर्थिक गतिविधि लचीली बनी रही. पूर्ववर्ती वर्षों में बहु-दशकीय उच्च मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए मौद्रिक नीति के रुख को समन्वित ढंग से कसने के विपरीत. केंद्रीय बैंकों ने वर्ष 2023 और 2024 में अपनी नीति को सामान्य करना प्रारंभ किया. हालाँकि, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में राहत की गति अलग-अलग रही है, क्योंकि केंद्रीय बैंकों ने अपनी-अपनी उभरती हुई विकास-मुद्रास्फीति की गतिशीलता के अनुसार प्रतिक्रिया की. इस पृष्ठभूमि में, भारत लगातार चौथे वर्ष सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6.5% की वृद्धि दर्ज की. वार्षिक आधार पर कमी के बावजूद समग्र विकास अपेक्षाकृत सुदृढ़ बना रहा, जो भारत के समष्टि आर्थिक बुनियादी ढांचे की मजबूती को रेखांकित करता है. देश की लचीली और अंतर्निहित मजबती उसे अनिश्चित कारोबारी माहौल में भी विकास की अच्छी गति को बनाए रखने में समर्थ बनाती है, जो भविष्य में भी वैश्विक विकास के प्रमुख संवाहक के रूप में इसकी भूमिका को उजागर करती है. वर्ष के दौरान, समग्र घरेलू विकास को निवेश परिवेश में सुधार, घरेलू मांग में वृद्धि, बैंक ऋण वृद्धि में निरंतरता, क्षमता का उच्च उपयोग, बैंकों के स्दृढ़ तुलन-पत्र तथा बुनियादी संरचना व्यय पर सरकार के विशेष बल जैसे कारकों का समर्थन प्राप्त

अपने वैश्विक प्रतिरूपों के विपरीत, घरेलु वित्तीय बाजार, मजबृत समष्टि आर्थिक बुनियादी बातों और बैंकों के सुदृढ़ तुलन-पत्र के सहारे अपेक्षाकृत स्थिर और लचीले बने रहे. मजबूत लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता में सुधार तथा पर्याप्त पूंजी और चलनिधि बफर जैसे कारकों से बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता को बल मिला. इससे बैंकों को अर्थव्यवस्था में बढ़ती ऋण मांग को परा करने में मदद मिली. वर्ष के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) ने फरवरी 2025 में अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की कमी की. मुद्रास्फीति में गिरावट, मुद्रास्फीति का अनुकूल परिदृश्य और पूर्ववर्ती मौद्रिक नीतिगत उपायों के प्रभाव जैसे कारकों ने रिजर्व बैंक को लगातार 11 समीक्षाओं तक प्रमुख नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने के बाद उन्हें घटाने के लिए आवश्यक गुंजाइश प्रदान की. इसके बाद, रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2025 की अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की और कटौती की, जो लगातार दूसरी बार दरों में कटौती को दर्शाता है. आगे चलकर, नीतिगत दर में कटौती से उधारी की लागत में कमी आने की संभावना है, जो अन्य अनुकूल कारकों के साथ मिलकर ऋण और निवेश की मांग को बढाएगी. जिससे समग्र आर्थिक गतिविधियों की गति को समर्थन मिलेगा.

वित्तीय विशेषताएं

31 मार्च 2025 को आपके बैंक की कुल जमाराशियां और अग्रिम क्रमशः ₹3,10,294 करोड़ तथा ₹2,18,399 करोड़ हो गये. समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक के कारोबार की प्रमुख विशेषताएं नीचे तालिका में दी गई हैं:

प्रमुख वित्तीय विशेषताएं (₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2025 को
पूंजी	10,752	10,752
रिजर्व और अधिशेष	39,130	49,499
जमाराशियां	2,77,657	3,10,294
उधार राशियां	17,083	19,882
अन्य देयताएं और प्रावधान	18,956	21,234
कुल देयताएं	3,63,578	4,11,661
नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेष	13,991	21,294
बैंकों के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	11,942	23,122
निवेश	1,14,934	1,17,468
अग्रिम	1,88,621	2,18,399
अचल और अन्य आस्तियां	34,090	31,378
कुल आस्तियां	3,63,578	4,11,661
इस अवधि में	2023-24	2024-25
कुल आय	30,037	33,826
कुल व्यय (प्रावधानों को छोड़कर)	20,445	22,748
प्रावधान (कर को छोड़कर)	1,397	510
कर पूर्व लाभ/ (हानि)	8,195	10,568
कर के लिए प्रावधान	2,561	3,053
कर पश्चात् लाभ/ (हानि)	5,634	7,515

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपके बैंक की कुल आय ₹ 33,826 करोड़ रही, जिसमें ₹ 28,902 करोड़ की ब्याज आय और ₹ 4,924 करोड़ की अन्य आय शामिल है. ब्याज व्यय ₹ 14,276 करोड़ रहा और परिचालन व्यय ₹ 8,472 करोड़ रहा, कुल व्यय (प्रावधानों और आकिस्मिकताओं को छोड़कर) ₹ 22,748 करोड़ रहा.

अन्य आय और निवल ब्याज आय (एनआईआई) में वृद्धि तथा प्रावधानों (कर व्यय को छोड़कर) में कमी के कारण बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 7,515 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया.

जहां वर्ष के दौरान प्रति शेयर आय (ईपीएस) ₹ 6.99 रही, वहीं 31 मार्च 2025 को प्रति शेयर बही मूल्य ₹ 40.58 (अमूर्त आस्तियों और आस्थिगित कर आस्ति (डीटीए) को छोडकर) रहा.

निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के ₹ 10 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹ 2.1 के लाभांश की सिफारिश की है, जो वार्षिक महासभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है.

31 मार्च 2025 को समेकित वित्तीय विवरण में शामिल सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यम के कार्य-निष्पादन और वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट

	निवल आस्तियां अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर		लाभ या हानि में हिस्सा	
संस्था का नाम	समेकित निवल	राशि	समेकित लाभ या	राशि
	आस्तियों के % के रूप में	(₹ करोड़ में)	हानि के % के रूप में	(₹ करोड़ में)
मूल: आईडीबीआई बैंक लि.	97.52%	60,251	98.49%	7,515
सहायक संस्थाएं:				
भारतीय:				
1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि.	0.58%	361	0.31%	24
2. आईडीबीआई इंटेक लि.	0.20%	124	0.08%	6
3. आईडीबीआई असेट मैनजमेंट लि.	0.35%	219	0.11%	9
4. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि.	0.00%	2	0.01%	0.52
5. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि.	0.59%	364	0.74%	57
_विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हित	0.27%	165	0.34%	26
सहयोगी संस्थाएं (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)#				
भारतीय:				
1. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि.	 लागू नहीं	लागू नहीं	0.0001%	0.01
2. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	0.88%	67
3. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि.	लागू नहीं	लागू नहीं		
4. पॉॅंग्डिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन	लागूँ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
लि. (पीआईपीडीआईसीएल)				
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
संयुक्त उद्यम (इक्विटी विधि के अनुसार आनुपातिक समेकन/ निवेश के अनुसार)				
भारतीय:	—————————————————————————————————————	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	99.52%	61,486	100.29%	7,653
विलोपन	0.48%	300	-0.29%	-22
निवल कुल	100.00%	61,786	100.00%	7,631

नोटः उपर्युक्त सहायक संस्थाओं की कोई सहायक संस्था नहीं है.

वो सहयोगी संस्थाओं अर्थात पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. (25%) और पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (21.14%) से वित्तीय वर्ष 2025 के वित्तीय विवरण प्राप्त न होने के कारण समेकन में शामिल नहीं किया गया है और 2 सहयोगी संस्थाओं नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (26.10%) और बायोटेक कंसोटियम इंडिया लिमिटेड (27.93%) के मामले में वित्तीय विवरण क्रमशः दिसंबर 2024 और मार्च 2025 तक के लिए गए हैं, जिसका समेकित वित्तीय विवरणों पर उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है. सहयोगी संस्था पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामले में, बैंक को कंपनी से कोई वित्तीय विवरण और लेनदेन संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, अतः उपरोक्त जानकारी में समेकित नहीं की गई है. उक्त कंपनी में निवेश को अवलेखित कर एक रुपया कर दिया गया है.



निदेशकों की रिपोर्ट

आईडीबीआई बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धताएं, यदि कोई हों, जो वित्तीय वर्ष के अंत और बोर्ड को रिपोर्ट करने की तारीख के बीच हुई हों

बैंक के वित्तीय वर्ष के अंत अर्थात् 31 मार्च 2025 और निदेशकों की रिपोर्ट की तारीख के बीच बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धताएँ नहीं थीं.

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता से संबंधित विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में यह दर्शाया जाना चाहिए कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में क्या बैंक के पास समृचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) प्रणाली उपलब्ध है तथा ऐसे नियंत्रणों की परिचालनात्मक प्रभावशीलता कैसी है. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) में संदर्भित आईएफसी से आशय वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसीओ-एफआर) से है. बैंक का प्रबंधन बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आईएफसीओ-एफआर के लेखापरीक्षा के बारे में दिशानिर्देश नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए बनाए गए हैं. इन जिम्मेदारियों में समृचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्वयन व रखरखाव शामिल है, जो बैंक की नीतियों के अनुपालन, इसकी आस्तियों की स्रक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम व पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने सहित बैंक के कारोबार का सुव्यवस्थित व प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित थे. बैंक ने मौजूदा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन के लिए आईएफसीओ-एफआर ढांचा तैयार किया है और दस्तावेजीकरण, प्रमाणन, सभी कारोबारी वर्टिकलों/ विभागों के नियंत्रण की रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुपालन के वैधीकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में सभी महत्वपूर्ण संदर्भों में बैंक में नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पता लगाने के लिए एक परामर्शदाता को नियुक्त किया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक के आईएफसीओ-एफआर ढांचे के अनुसार सभी अंतर्निहित प्रक्रियाओं के परीक्षण और वैधीकरण के पश्चात् परामर्शदाता ने जून 2024, सितंबर 2024, दिसंबर 2024 और मार्च 2025) को समाप्त तिमाहियों का आंतरिक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तृत किया है.

प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों (अर्थात् विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में 25% या अधिक बदलाव) का विवरण तथा उन पर विस्तृत स्पष्टीकरण:

विवरण	2023-24	2024-25	टिप्पणियां
सकल एनपीए अनुपात	4.53%	2.98%	वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक के सकल एनपीए में ₹2,222 करोड़ की कमी आई और सकल अग्रिमों में ₹ 27,863 करोड़ की वृद्धि हुई है.
निवल एनपीए अनुपात	0.34%	0.15%	वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में निवल एनपीए में ₹ 307 करोड़ की कमी आई और निवल अग्रिमों में ₹ 29,778 करोड़ की वृद्धि हुई है.

पूंजी पर्याप्तता

बासेल III ढांचे के तहत रिजर्व बैंक के स्तंभ 1 दिशानिर्देशों के अनुपालन में, आपका बैंक मासिक आधार पर ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों के लिए विनियामक पूंजी आवश्यकता की गणना करता है. इसके अतिरिक्त, भारत में बैंकों को 2.50% पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) बनाए रखना अनिवार्य है. आपका बैंक मासिक आधार पर जोखिम (भारित) आस्तियों की तुलना पूंजी अनुपात (सीआरएआर) में घट-बढ़ पर भी कड़ी नजर रखता है. 31 मार्च 2025 को आपके बैंक का 'कुल पूंजी + सीसीबी' अनुपात 11.50% की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 25.05% था. इसी प्रकार, आपके बैंक का 'सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) + सीसीबी' अनुपात 8.00% की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 23.51% रहा. 31 मार्च 2025 को आपके बैंक का 'टियर 1 + सीसीबी' अनुपात 9.50% की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 23.51% रहा. 31 मार्च 2025 को आपके बैंक का लीवरेज अनुपात 3.50% की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा की तुलना में 9.59% रहा.

कारोबारी रणनीति

आपका बैंक लाभप्रदता बढ़ाने, अपने व्यवसाय में वृद्धि को बढ़ाने, अपने तुलन-पत्र को मजबूत करने, अच्छा पूंजी आधार बनाए रखने और अपनी पिरचालन दक्षता में सुधार करने के अपने रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने में लगा रहा. आपका बैंक अपने ग्राहकों की बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक आसान और सुविधाजनक एक्सैस सुनिश्चित करने के लिए अपनी एक्सैस का विस्तार करने हेतु अपने भौतिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठा रहा है. आपका बैंक अपने विविध ग्राहक आधार की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा बदलते कारोबारी परिदृश्य और विकसित होती उपभोक्ता ग्राथमिकताओं

के अनुरूप उन्नत विशेषताओं वाली जमा और ऋण योजनाएं प्रस्तृत कर रहा है. आपके बैंक ने अपने कम लागत वाले जमा आधार, अर्थात चालू खाता और बचत खाता (कासा) जमाओं को बढाने, विशेष रूप से व्यक्तिगत बचत खंड के अंतर्गत. जो कम अस्थिर है. पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा. खदरा सावधि जमाराशियों के साथ-साथ थोक जमाराशियों द्वारा कम लागत वाली जमा आधार को संपुरित किया गया है. लघु और विविधीकृत आस्ति पोर्टफोलियों के माध्यम से अपने व्यवसाय के विकास को आगे बढाने के अपने उद्देश्य के अनुपालन में, आपका बैंक खुदरा, कृषि और एमएसएमई (आरएएम) खंड को ऋण देकर अपने खुदरा आस्ति पोर्टफोलियो को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. इसके अलावा, आपका बैंक निधि और गैर-निधि एक्सपोजर के इष्टतम मिश्रण के साथ अपनी कॉरपोरेट ऋण बही का भी रणनीतिक रूप से विस्तार कर रहा है. इसके अतिरिक्त, बैंक ने कॉरपोरेट उधारकर्ताओं की ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक परियोजना मृल्यांकन कक्ष भी स्थापित किया है. जहां अपनी ऋण बहीं के विस्तार पर अधिक ध्यान दिया गया है, आपके बैंक ने दबाव की शीघ्र पहचान करने के लिए लगातार निगरानी करने पर विशेष जोर दिया है और अपनी आस्ति सुदृढता को बनाए रखने हेतू उपचारात्मक उपायों को लागृ किया है. इसके अलावा, आपके बैंक ने नए चूकों को नियंत्रित करने के साथ-साथ अपने आस्ति पोर्टफोलियो में चूक को कम करने के लिए वसूली और उन्नयन उपायों पर ध्यान केंद्रित करने का भी प्रयास किया है. अपनी आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आपके बैंक द्वारा किए गए ठोस प्रयासों से इसके लाभ में सुधार हुआ. आपके बैंक ने अपने ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण को आगे बढाने के प्रयास में अपने भौतिक शाखा नेटवर्क का विस्तार किया है और 24x7 बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी डिजिटल कार्यक्षमताओं को व्यापक आधार देकर निर्बाध बह्-चैनल अनुभव प्रदान करने का प्रयास किया है. इसके अलावा, आपके बैंक ने ग्राहक स्विधा को बढ़ाते हुए अपने कर्मचारी उत्पादकता में सुधार करने के लिए अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं और ग्राहक-सम्पर्क वाले इंटरफेस को भी डिजिटल बना दिया है. बदलते कारोबारी परिदृश्य और ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप, आपका बैंक समय-समय पर अपनी योजनाओं और सेवाओं की समीक्षा करते हुए उन्हें अपडेट करता है तथा प्रासंगिक बने रहने के लिए नई योजनाओं और सेवाओं की प्रस्तुति भी करता है. आपका बैंक अपनी लाभदायक वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. इस दिशा में, आपके बैंक ने संपूर्ण कार्यबल के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए संगठनात्मक स्तर पर एक मजबूत जोखिम और अनुपालन संस्कृति को विकसित करने का प्रयास किया है. आपका बैंक उच्चतम कॉरपोरेट अभिशासन मानकों, हितधारकों का विश्वास बनाए रखने तथा सबसे विश्वसनीय और पसंदीदा बैंक होने के लिए नैतिकता, पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढावा देने के प्रति प्रतिबद्ध है.

मुख्य कारोबारी पहल-कार्य

आपके बैंक ने अपने ग्राहकों की जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं और बैंकिंग समाधान प्रदान करके अपनी व्यावसायिक रणनीति के मूल में 'ग्राहक-केंद्रितता' को बनाए रखा. आपका बैंक पूरे भारत में अपने ग्राहकों से बेहतर ढंग से जुड़ने के लिए अपने स्केलेबल हाइब्रिड डिलीवरी मॉडल अर्थात 2.128 शाखाओं जिसमें निश्चित कारोबार प्रतिनिधि आउटलेट जिसे *आईडीबीआई समीप* के रूप में जाना जाता है. शामिल हैं और 3.120 एटीएम के भौतिक टचप्वाइंट तथा अपने डिजिटल चैनलों का लाभ उठा रहा है. आपके बैंक ने अपनी पहुंच बढाने की व्यावसायिक योजना के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 100 शाखाएं खोली गईं. आपका बैंक सर्वोत्तम डिजिटल अनुभव, प्रौद्योगिकी मानकों, प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों को अपनाकर अपने ग्राहकों को सुरक्षित, निर्बाध और सुविधाजनक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है. आपका बैंक डिजिटल चैनलों जैसे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, व्हाट्सअप बैंकिंग, यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल (भौतिक और डिजिटल, दोनों), इंटरनेट पेमेंट गेटवे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम), आदि की व्यापक श्रुखंला के जरिये चौबीस घंटे विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है. आपका बैंक, विभिन्न डिजिटल चैनलों के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ, डिजिटल चैनलों के जरिये लेनदेन करते समय सुरक्षित एवं संरक्षित बैंकिंग प्रथाओं के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता बढाने के लिए भी ठोस प्रयास कर रहा है ताकि उनके हितों और कड़ी मेहनत से अर्जित वित्तीय आस्तियों की सुरक्षा की जा सके.

आपका बैंक खुदरा-केंद्रित बैंक के रूप में अपनी इच्छित स्थिति के अनुरूप अपने खुदरा व्यापार पोर्टफोलियों को बढ़ा रहा है. बैंक अपने खुदरा और एनआरआई ग्राहक आधार के लिए जमा योजनाओं, ऋण योजनाओं और कार्ड योजनाओं से लेकर योजनाओं और सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करता है. आपका बैंक, ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाते हुए, अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए अपनी मौजूदा योजनाओं और प्रक्रियाओं को बेहतर बना रहा है. आपका बैंक अपने ग्राहकों को उनके जोखिम प्रोफाइल, वित्तीय लक्ष्यों और निवेश उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मूल्यवर्धित योजनाएं और सेवाएँ भी ऑफर करता है. अपने विविध ग्राहक आधार की जरुरतों को पूरा करने हेतु सभी पारंपरिक बैंकिंग योजनाएं और सेवाएं, नए और ग्राहक की जरुरत के अनुसार बैंकिंग एवं वित्तीय समाधानों की शृंखला की परिपूरक हैं. इसके अलावा, ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण के रूप में आपका बैंक ग्राहक ऑनबोर्डंग प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए वीडियो अकाउंट ओपनिंग (वीएओ) प्लेटफ़ॉर्म के अंतर्गत अपनी अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाने जैसे उपाय कर रहा है.

आपका बैंक अपने कृषि एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ग्राहक आधार को वित्तपोषण विकल्प प्रदान करके प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है. अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए, आपका बैंक अपने कॉरपोरेट कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/कारोबार सुलभकर्ता(बीएफ) नेटवर्क के माध्यम से वंचित और पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं दे रहा है. आपका बैंक समाज के कमजोर वर्गों को उचित और पारदर्शी तरीके से सस्ती कीमत पर वित्तीय योजनाओं और सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करके वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में भी सिक्रय रहा है. इसके अलावा, आपका बैंक विभिन्न बैंकिंग योजनाओं के बारे में लोगों के बीच जागरुकता फैलाने के लिए अनेक संपर्क कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिससे वित्तीय साक्षरता में वृद्धि हो रही है.



निदेशकों की रिपोर्ट

आपका बैंक अच्छी रेटिंग वाले कॉरपोरेट खातों के नए अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित करके अपनी कॉरपोरेट ऋण बही में एक संतुलित वृद्धि को लिक्षित कर रहा है. इसके अलावा, बैंक निधि-आधारित और गैर-निधि आधारित मंजूर सीमाओं के उपयोग को बढ़ाने और अन्य पक्ष की योजनाओं की प्रति-विक्रय (क्रॉस-सेलिंग) पर भी ध्यान केंद्रित कर ब्याज और शुल्क आय में वृद्धि को लक्ष्य बना रहा है.

आपका बैंक अपनी ऋण बही को बढ़ाने के साथ-साथ, चूकों को स्वीकार्य सीमा के भीतर रखने और अपनी अनर्जक आस्तियों (एनपीए), बट्टे खाते डाले गए और प्रावधानों को न्यूनतम करने के लिए निरंतर प्रयास द्वारा आस्ति गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को भी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. इस दिशा में, आपका बैंक नई तकनीकों को अपनाकर अपने ऋण निगरानी प्रणाली को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और नई गिरावट को कम करने के लिए पूर्व-निवारक उपाय कर रहा है. आपका बैंक अपनी दबावग्रस्त आस्तियों के साथ-साथ अपने एनपीए मामलों को अपग्रेड करने साथ ही समय पर समाधान लागू करने का प्रयास कर रहा है. आपका बैंक अपनी आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने और ऋण जोखिमों को कम करने के लिए अपनी वसूली प्रणाली को भी मजबत कर रहा है.

आपके बैंक के कारोबारी पहलकार्यों के साथ ही, अपनी परिचालन दक्षता में सुधार करने और अपनी कारोबारी क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय जैसे अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और उन्नत करना, तकनीकी नवाचार को अपनाना, प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाना, नवीनतम विश्लेषणात्मक उपकरणों से खुद को लैस करना, अन्य बातों के साथ-साथ प्रक्रिया में सुधार लाने का कार्य भी कर रहा है. इन पहलकार्यों से बैंक को अपने ग्राहकों को सुरक्षित, निर्बाध और सुविधाजनक बैंकिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने में मदद मिली है, जिससे ग्राहक अनुभव में सुधार हुआ है और निरंतर व्यावसायिक वृद्धि को बढ़ावा मिला है.

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किए गए पहलकार्यों का विस्तृत ब्योरा वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिया गया है.

बैंक के कारोबार पर कोविड -19 महामारी का प्रभाव

वैश्विक महामारी कोविड-19 वाइरस ने गत कुछ वर्षों में विश्वभर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है. कोविड-19 महामारी बैंक के परिचालन को और कितना प्रभावित करेगी, यह वर्तमान और भावी घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा. बैंक का प्रबंधन इस संबंध में घटनाक्रमों पर गहनता से निगरानी रख रहा है.

निदेशक मंडल

आपके बैंक के निदेशक मंडल का आधार व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) द्वारा जारी दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी (एलओडीआर) विनियम) और बैंक के संस्था अंतर्नियम के प्रावधानों द्वारा अभिशासित है. बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से और साथ ही विभिन्न बोर्ड-स्तरीय समितियों

के माध्यम से कार्य करता है, जिनका गठन बैंक के महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में संकेंद्रित अभिशासन प्रदान करने के लिए किया गया है. संस्था के अंतर्नियम के अनुसार निदेशक मंडल में तीन से कम और पंद्रह से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, जिनमें अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ), दो उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी), भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के दो नामिती निदेशक, भारत सरकार के दो नामिती निदेशक और आठ गैर-आवर्तनीय स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष तथा एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) शामिल हैं.

31 मार्च 2025 को बोर्ड में पंद्रह निदेशक यथा श्री टी. एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक और अंशकालिक अध्यक्ष; श्री राकेश शर्मा, एमडी और सीईओ, श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी और श्री सुमित फक्का, डीएमडी, पूर्ण कालिक निदेशकों के रूप में; श्री मनोज सहाय और श्री सुशील कुमार सिंह, भारत सरकार के नामिती निदेशक; और श्री सत पाल भानू एवं श्री राज कुमार, गैर-कार्यपालक निदेशकों के रूप में श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, श्री समरेश परिदा, श्री एन. जम्बुनाथन, श्री दीपक सिंघल, श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर और श्रीमती पी.वी. भारती और श्री अजय प्रकाश साहनी शामिल थे. 31 मार्च 2025 को बोर्ड में 15 (पंद्रह) निदेशकों की संख्या बैंक के संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 114 (ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती है.

शीर्ष समितियां

आपके बैंक के कारोबार और परिचालनों के विभिन्न कार्य क्षेत्रों की देख-रेख करने के लिए बोर्ड की कुल बारह समितियां हैं. बोर्ड की समितियों में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, सीएसआर एवं ईएसजी समिति, ग्राहक सेवा समिति, कार्यपालक समिति, मानव संसाधन संचालन समिति, सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, वसूली समीक्षा समिति, जोखिम प्रबंध समिति, धोखाधड़ी मामलों की निगरानी तथा उनका अनुवर्तन करने के लिए विशेष समिति, हितधारक संबंध समिति तथा इरादतन चूककर्ती समीक्षा समिति-1 शामिल हैं.

कॉरपोरेट अभिशासन

आपका बैंक कॉरपोरेट अभिशासन की सर्वोत्तम पद्धितयां अपनाने के लिए प्रितिबद्ध है. बैंक की यह मान्यता है कि प्रभावी कॉरपोरेट अभिशासन सिर्फ विनियामक अनुपालन की आवश्यकता मात्र नहीं है बिल्क हितधारकों के मूल्य में वृद्धि सहित उत्कृष्ट अभिशासन के लिए एक सुसाध्यकारक भी है. आपके बैंक की कॉरपोरेट अभिशासन पद्धितयों का विस्तृत विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के अंतर्गत एक अलग खंड के रूप में दिया गया है.

कारोबारी उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मई 2021 में भारत में सूचीबद्ध शीर्ष 1,000 संस्थाओं के लिए कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) की अनिवार्य रिपोर्टिंग शुरू की है. सेबी ने पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) प्रकटीकरणों की

गुणवत्ता और तुलनीयता को और बढ़ाने के लिए बीआरएसआर में चुनिंदा मैट्रिक्स पर आश्वासन को भी अनिवार्य कर दिया है. बीआरएसआर का उद्देश्य ईएसजी मापदंडों पर मात्रात्मक और मानकीकृत प्रकटीकरण करना है, ताकि कंपनियों, क्षेत्रों और समय के बीच तुलना की जा सके. तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक की बीआरएसआर को बैंक की वेबसाइट (https://www.idbibank.in/business-responsibility-and-sustainability-report.aspx) पर रखा गया है.

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अंतर्गत विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के अंतर्गत अपेक्षित कर्मचारियों के ब्योरे वाला विवरण अनुलग्नक में दिया गया है तथा यह इस रिपोर्ट का हिस्सा है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136(1) के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरण उपर्युक्त अनुलग्नक को छोड़कर सदस्यों को भेजे जा रहे हैं. अनुलग्नक निरीक्षण के लिए उपलब्ध है तथा अनुलग्नक की प्रति प्राप्त करने के इच्छुक कोई भी सदस्य बैंक के कंपनी सचिव को idbiequity@idbi.co.in पर लिख सकता है.

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिको समावेशन, विदेशी मुद्रा का अर्जन तथा व्यय

(क) ऊर्जा संरक्षण

बैंक ऊर्जा संरक्षण के लिए कई पहलकार्य कर रहा है. आपके बैंक के कई परिसरों में बिजली बचाने के लिए ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं. बैंक ने केबिन खाली रहने की स्थिति में लाइटों को स्वचालित रूप से बंद करने के लिए केबिनों में लाइटिंग सेंसर लगाए हैं. बैंक, जहां भी संभव हो, बिजली बचाने के लिए शाखाओं और कार्यालयों में दिन के उजाले के उपयोग को बढावा देता है. बैंक अपने कर्मचारियों को उपयोग में न होने पर फ़ोटोकॉपियर, टेलिविजन, प्रिंटर, श्रेडिंग मशीन आदि सहित सभी विद्युत उपकरणों को बंद करने के लिए जागरूक कर रहा है. बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों को एयर कंडीशनर (एसी) को 25°- 26° सेंटीग्रेड पर संचालित करने की भी सलाह दी गई है. इसके अतिरिक्त, बैंक के प्रधान कार्यालय, मुंबई में पैकेज एसी इकाइयों को ऊर्जा कुशल एसी इकाइयों से बदल दिया गया है. बैंक ने संभाव्यता के आधार पर अपनी कुछ नई खुली शाखाओं और अंचल कार्यालयों में इन्वर्टर प्रकार/वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (वीआरएफ) ऊर्जा कुशल एसी भी लगाए हैं. बैंक अंचल कार्यालयों और कुछ शाखाओं में स्वचालित पावर फैक्टर सुधार (एपीएफसी) पैनल के माध्यम से पावर फैक्टर (पीएफ) को यूनिटी के करीब बनाए रख रहा है. बैंक ने मुंबई के चेंबुर में अपने कॉरपोरेट पार्क कार्यालय और भुवनेश्वर अंचल कार्यालय में क्रमशः 30 किलोवाट-पीक

(केडब्ल्युपी) और 10 केडब्ल्युपी का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है. बैंक, हैदराबाद के बासरा में अपने स्टाफ क्वार्टर में 100 केडब्ल्युपी का सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगा रहा है. इसके अलावा, बैंक के प्रधान कार्यालय, मुंबई में 40 केडब्ल्युपी का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है. बैंक ने अखिल भारतीय स्तर पर बैंक के स्वामित्व वाली संपत्तियों में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए 18 स्थानों की पहचान की है. बैंक अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने पुराने फर्नीचर का नवीकरण और पुनः उपयोग कर रहा है. जल संरक्षण के लिए, बैंक तीन स्थानों अर्थात् मुंबई के अपने प्रधान कार्यालय, बेलापुर के कार्यालय और हैदराबाद में अपने प्रशिक्षण कॉलेज में सीवेज टीटमेंट प्लांट द्वारा उपचारित जल का उपयोग बागवानी और एयर कंडीशनिंग (एसी) कंडेन्सर के लिए कर रहा है. ऊर्जा हानि को कम करने के लिए बैंक समय-समय पर सभी विद्यत मरम्मत करने के लिए सक्रिय उपाय कर रहा है. इसके अलावा, हानि को कम करने के लिए एसी सिस्टम के लिए आवधिक रूप से निवारक रखरखाव भी किया जाता है. विद्युत स्थापना में हानि को कम करने के लिए, बेलापुर, नवी मुंबई में बैंक के कार्यालय में कैपेसिटर बैंकों को अपग्रेड किया गया है. बैंक द्वारा की गई इन सभी पहलों ने ऊर्जा संरक्षण में योगदान दिया है.

ख) प्रौद्योगिकी समावेशन

आपका बैंक ऐसे नवीनतम प्रौद्योगिकी आधारित नवोन्मेष का सिक्रय रूप से मूल्यांकन और समावेशन करता रहा है जिनमें उसके व्यवसायिक कार्यों को सशक्त बनाने, उसके ग्राहकों के अनुभव को समृद्ध करने और भविष्य के अवसरों एवं चुनौतियों के प्रति उसकी तैयारी को अनुकूलित करने की क्षमता हो.

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) को सफलतापूर्वक चालू किया है. यह उत्पाद कंटेनरीकृत प्लेटफ़ॉर्म पर विकसित किया गया है जो बैंक को मांग के अनुसार उत्पाद को बढाने की सुविधा प्रदान करता है. यह उत्पाद डिजिटल लेनदेनों की एंड-ट-एंड दृश्यता, पता लगाने की योग्यता और निगरानी के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का भी लाभ उठाता है. आपके बैंक ने क्लाउड अपनाने के लिए दो सार्वजनिक क्लाउड सेवा प्रदाताओं (सीएसपी) को भी शामिल किया है. ताकि वह सार्वजनिक क्लाउड की प्रबंधनीयता और मापनीयता के सुविधाओं का लाभ उठा सके. इसके अलावा, बैंक ने स्रक्षित और अतिरेक वास्तुकला के साथ उच्च सिस्टम क्षमताओं के माध्यम से व्यवसाय विकास को संभालने के लिए सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्क सहित बुनियादी ढांचे को ताजा करने का काम पूरा कर लिया है. आपके बैंक ने विस्तारित पहचान और प्रतिक्रिया (एक्सडीआर) और पहचान एवं पहुँच प्रबंधन समाधानों के कार्यान्वयन के माध्यम से अपनी साइबर सुरक्षा स्थिति को और मजबूत करने की कल्पना की है, जो अंतबिंदुओं, पहचान, नेटवर्क, क्लाउड और मोबाइल सहित कई सुरक्षा परतों में पहचान और प्रतिक्रिया क्षमताओं को एकीकृत और विस्तारित करता है. यह बैंक को अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों द्वारा अपने अनुप्रयोगों तक पहुँच को केंद्रीय रूप से नियंत्रित और जांच करने की क्षमता भी प्रदान करता है. इन समाधानों को कहीं से भी काम के लिए



निदेशकों की रिपोर्ट

सुरक्षित पहुंच का समर्थन करने के लिए जीरो ट्रस्ट नेटवर्क आर्किटेक्चर (जेडटीएनए) और वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस (वीडीआई) समाधानों द्वारा पूरक किया जाता है, जिसे बैंक ने इस वर्ष के दौरान लागू किया है. आपके बैंक ने कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) डेटाबेस के भीतर व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी (पीआईआई) के लिए पारदर्शी डेटा एन्क्रिप्शन (टीडीई) को भी लागू किया है, जो डेटा सुरक्षा को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाता है, विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है और एंक्रिप्शन प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है. आपका बैंक भुगतान कार्ड उद्योग डेटा सुरक्षा मानक (पीसीआई डीएसएस) का अनुपालक है, जो भुगतान डेटा सुरक्षा को और बढ़ाता है.

आपके बैंक ने विक्रेता जोखिम मूल्यांकन भी किया है, ताकि अपने विक्रेताओं से जुड़े जोखिमों के कारण बैंक पर पड़ने वाले अप्रत्यक्ष प्रभाव को कम करने/उसका सामना करने के लिए स्वयं को तैयार किया जा सके.

सूचना प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में की गई अन्य पहलों का विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंधन विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिया गया है.

ग) विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा अर्जित कुल विदेशी मुद्रा ₹ 850 करोड़ (डेरिवेटिव और विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेनों में विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह को छोड़कर) और परिचालन एवं पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के लिए कुल विदेशी मुद्रा व्यय ₹ 654 करोड़ रहा.

निदेशकों की जिम्मेदारी के संबंध में कथन

निदेशक मंडल एतद्द्वारा घोषणा और पुष्टि करता है किः

वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया
गया है, साथ ही अनुसरण न किये गये महत्वपूर्ण मामलों में उचित
स्पष्टीकरण दिया गया है;

व. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनका निरंतर प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं एवं अनुमान लगाए हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति और इसी अविध में बैंक के लाभ और हानि की सही एवं उचित तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए यथोचित तथा विवेकपूर्ण हैं;

- ग. निदेशकों ने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रख-रखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है:
- घ. निदेशकों ने चालू संस्था आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं.
- ड. निदेशकों ने बैंक द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं तथा ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं: और
- च. निदेशकों ने लागू सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं तथा ये प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं.

आभार

आपके बैंक का निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), अन्य सभी सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरणों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का उनके बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभारी है. बोर्ड विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं का भी उनके द्वारा दिये गये सहयोग और सहायता के लिए आभार मानता है. बोर्ड विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों/ संस्थाओं से मिले सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देता है. बोर्ड अपने सभी निष्ठावान शेयरधारकों और ग्राहकों का वर्ष के दौरान उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए हृदय से आभार प्रकट करता है और भविष्य में भी उनसे सतत् सहयोग की अपेक्षा करता है. बोर्ड अपने समस्त स्टाफ की निष्ठापूर्ण और समर्पित सेवाओं की सराहना करता है और बैंक के प्रति उनकी वचनबद्धता का अत्यधिक सम्मान करता है.

[सुमित फक्का] उप प्रबंध निदेशक [जयकुमार एस. पिल्लै] उप प्रबंध निदेशक [राकेश शर्मा] प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक: 29 मर्ड 2025

Directors' Report

Your Bank's Board of Directors are pleased to present the Report on the Bank's business and operations for the financial year ended March 31, 2025.

The global economic activity remained resilient in 2024, notwithstanding persistent geopolitical uncertainties and intermittent financial market volatility. As opposed to the synchronised tightening of monetary policy stance to counter multi-decadal high inflation in the preceding years, the central banks commenced their policy normalisation in 2023 and 2024. However, the pace of easing has been divergent across economies as central banks responded to their own evolving growth-inflation dynamics. Against this backdrop, India continued to be the fastest growing major economy for the fourth consecutive year and registered a growth of 6.5% in FY 2024-25. The overall growth, notwithstanding a deceleration on an annualised basis, remained relatively healthy, underscoring the robustness of India's macroeconomic fundamentals. The country's resilience and inherent strength that allows it to maintain healthy growth momentum even in uncertain business environment, highlights its role as a key driver of global growth even going forward. During the year, overall domestic growth was supported by factors such as revival in investment climate, improvement in domestic demand, sustained bank credit growth, higher capacity utilisation, healthy balance sheet of banks and Government's thrust on infrastructure spending.

The domestic financial market, as opposed to its global counterparts, remained relatively stable and resilient underpinned by strong macroeconomic fundamentals and healthy balance sheets of banks. Factors such as strong profitability, improving asset quality and adequate capital and liquidity buffers bolstered the soundness of the banking sector. This aided banks in catering to the expanding credit demand in the economy. During the year, the Reserve Bank of India (RBI) reduced the key policy rates by 25 basis points in its bi-monthly monetary policy review in February 2025. Factors such as declining inflation, a favourable inflation outlook and continued transmission of past monetary policy actions provided the RBI with necessary headroom to reduce the key policy rates after keeping it unchanged for 11 consecutive reviews. Following this, the RBI reduced the key policy rates by another 25 basis points in its bi-monthly monetary policy review in April 2025, marking 2nd consecutive rate cut. Going forward, the reduction in policy rate is expected to lower borrowing costs, which, along with other favourable factors, is likely to fuel credit and investment demand, thereby supporting the overall pace of economic activities.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

As on March 31, 2025, your Bank's Aggregate Deposits and Advances touched ₹ 3,10,294 crore and ₹ 2,18,399 crore, respectively. Your Bank's business highlights for the period under review are presented in the following table:

Key Financials

(₹ in crore)

		((11 61616)
	As on	As on
	March 31, 2024	March 31, 2025
Capital	10,752	10,752
Reserves & Surplus	39,130	49,499
Deposits	2,77,657	3,10,294
Borrowings	17,083	19,882
Other Liabilities & Provisions	18,956	21,234
Total Liabilities	3,63,578	4,11,661
Cash & Balances with RBI	13,991	21,294
Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	11,942	23,122
Investments	1,14,934	1,17,468
Advances	1,88,621	2,18,399
Fixed & Other Assets	34,090	31,378
Total Assets	3,63,578	4,11,661
For the period	2023-24	2024-25
Total Income	30,037	33,826
Total Expenses (other than provisions)	20,445	22,748
Provisions (other than tax)	1,397	510
Profit/ (Loss) Before Tax	8,195	10,568
Provision for Tax	2,561	3,053
Profit/ (Loss) After Tax	5,634	7,515



Directors' Report

During the year under review, your Bank's Total Income amounted to ₹ 33,826 crore, comprising Interest Income of ₹ 28,902 crore and Other Income of ₹ 4,924 crore. Interest Expenses stood at ₹ 14,276 crore and Operational Expenses at ₹ 8,472 crore, accounting for Total Expenditure (excluding provisions and contingencies) of ₹ 22,748 crore.

The increase in Other Income & Net Interest Income (NII) and reduction in provisions (excluding tax expenses) enabled the Bank to earn a Net Profit of ₹ 7,515 crore during FY 2024-25.

While the Earnings per Share (EPS) during the year was ₹ 6.99, the Book Value per Share (excluding intangible assets and Deferred Tax Asset (DTA) stood at ₹ 40.58 as on March 31, 2025.

The Board of Directors have recommended a dividend of ₹ 2.1 per Equity Share of face value of ₹ 10 each of the Bank for the financial year ended March 31, 2025, subject to approval of the shareholders at the Annual General Meeting.

REPORT ON THE PERFORMANCE AND FINANCIAL POSITION OF SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURE INCLUDED IN THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT AS ON MARCH 31, 2025

		Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		Share on profit or loss	
Nan	ne of the Entity	As % of consolidated net assets	Amount (₹ in crore)	As % of consolidated profit or loss	Amount (₹ in crore)
Pare	ent : IDBI Bank Ltd.	97.52%	60,251	98.49%	7,515
Sub	sidiaries				
Indi	an:				
1.	IDBI Capital Markets & Securities Ltd.	0.58%	361	0.31%	24
2.	IDBI Intech Ltd.	0.20%	124	0.08%	6
3.	IDBI Asset Management Ltd.	0.35%	219	0.11%	9
4.	IDBI MF Trustee Co. Ltd.	0.00%	2	0.01%	0.52
5.	IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.59%	364	0.74%	57
Fore	eign:	NA	NA	NA	NA
Min	ority Interest in all Subsidiaries	0.27%	165	0.34%	26
Ass	ociates (Investment as per the equity method)#				
Indi	an:				
1.	Biotech Consortium India Ltd.	NA	NA	0.0001%	0.01
2.	National Securities Depository Ltd.	NA	NA	0.88%	67
3.	North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	NA	NA	<u> </u>	-
4.	Pondicherry Industrial Promotion Development & Investment Corporation Ltd. (PIPDICL)	NA	NA	NA	NA
Fore	eign:	NA	NA	NA	NA
	nt Ventures (as per proportionate consolidation/invest- nt as per the equity method)				
Indi	an:	NA	NA	NA	NA
Fore	eign:	NA	NA	NA	NA
Tota	ıl	99.52%	61,486	100.29%	7,653
Elim	ination	0.48%	300	-0.29%	-22
Net	Total	100.00%	61,786	100.00%	7,631

Note: None of the above subsidiaries have any subsidiary

The Financials of two associates Viz., North Eastern Development Finance Corporation Limited (25%) and Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited (21.14%) are not considered for consolidation on account of non-receipt of Financial Statements for FY 2025 & in case of 2 associates National Securities Depository Limited (26.10%) and Biotech Consortium India Limited (27.93%) the financials has been taken up to December 2024 and March 2025 respectively, impact of which on the Consolidated Financial Statements is not material. In case of an associate Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited, the bank has not received any financial statements & transactions details from the compnay hence information not consolidated in above. The investment in the said company has been written down to Rupee One.

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING FINANCIAL POSITION OF IDBI BANK WHICH HAVE OCCURRED BETWEEN THE END OF FINANCIAL YEAR AND THE DATE OF BOARD REPORT

There were no material changes and commitments affecting the financial position of the Bank, which occurred between the end of the financial year, i.e. March 31, 2025 and the date of the Directors' Report.

THE DETAILS IN RESPECT OF ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS WITH REFERENCE TO THE FINANCIAL STATEMENTS

According to Section 143(3) (i) of the Companies Act 2013, the report of the Statutory Auditors should state whether the Bank has adequate Internal Financial Controls (IFCs) system in place and the operating effectiveness of such controls, in the context of the financial statements. The IFCs are as referred to in Section 143(3) (i) of the Companies Act, relating to Internal Financial Controls over Financial Reporting (IFCO-FR). The Bank's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of IFCO-FR issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of the Bank's business, including adherence to the Bank's policies, safeguarding of its assets, prevention and detection of frauds and errors, accuracy and completeness of the accounting records and timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949 and the guidelines issued by the RBI. The Bank has put in place an IFCO-FR Framework for evaluation of the existing internal financial controls system and appointed a consultant for validating the compliances with respect to the documentation, certification, reporting process of the controls across all business verticals/ departments and ascertaining the adequacy and effectiveness of the controls in the Bank in all material respects with respect to financial reporting. During FY 2024-25, after carrying out the testing and validation of all the underlying processes as per the Bank's IFCO-FR framework, the consultant has submitted the Internal Compliance Certificate for the quarters ended June 2024, September 2024, December 2024 and March 2025.

DETAILS OF SIGNIFICANT CHANGES (I.E. CHANGE OF 25% OR MORE AS COMPARED TO THE IMMEDIATE PREVIOUS FINANCIAL YEAR) IN KEY FINANCIAL RATIOS, ALONG WITH A DETAILED EXPLANATION THEREOF

Particulars	2023-24	2024-25	Comments
Gross NPA Ratio	4.53%	2.98%	The Bank's Gross NPA decreased by ₹ 2,222 crore and gross advances increased by ₹ 27,863 crore in FY 2024-25 over FY 2023-24
Net NPA Ratio	0.34%	0.15%	Net NPA decreased by ₹ 307 crore and net advances increased by ₹ 29,778 crore in FY 2024-25 over FY 2023-24

CAPITAL ADEQUACY

In adherence to the Pillar 1 guidelines of the RBI under Basel III framework, your Bank computes regulatory capital requirement for credit, market and operational risks on a monthly basis. In addition, banks in India are mandated to maintain the Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50%. Your Bank also keeps a close watch on the movement of Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR) at monthly periodicity. Your Bank's 'Total Capital + CCB' ratio was 25.05% as on March 31, 2025 against the regulatory requirement of 11.50%. Similarly, your Bank's 'Common Equity Tier 1 (CET1) + CCB' ratio was 23.51% as against the regulatory requirement of 8.00%. Your Bank's 'Tier 1 + CCB' ratio stood at 23.51% as on March 31, 2025 as against the regulatory requirement of 9.50%. Your Bank's Leverage Ratio as on March 31, 2025 was 9.59% against the minimum regulatory requirement of 3.50%.

BUSINESS STRATEGY

Your Bank continued to pursue its strategic objectives of enhancing profitability, augmenting its business growth, strengthening its balance sheet, maintaining healthy capital base and improving its operational efficiency. Your Bank has been leveraging its physical and digital infrastructure to expand its reach to ensure easy and convenient access to banking and financial services to its customers. Your Bank has been rolling out deposits and loan products with upgraded features to cater to the requirements of its diverse customer base and in alignment with changing business landscape and evolving consumer preferences. Your Bank continued to focus on augmenting its low-cost deposits base,



Directors' Report

viz. Current Account & Savings Account (CASA) deposits, especially under the personal savings segment, which is less volatile. The granular low-cost deposit base has also been supplemented by building retail term deposits as well as bulk deposits. In compliance with its objective of driving its business growth through granular and well-diversified asset portfolio, your Bank has been focusing on augmenting its retail asset portfolio by lending to Retail, Agriculture & MSME (RAM) segment. Furthermore, your Bank has also been strategically expanding its corporate loan book with an optimal mix of fund and non-fund exposures. Additionally, the Bank has also set up a Project Appraisal Cell for taking up appraisals of greenfield and brownfield projects of corporate borrowers. While there has been an increased focus on expanding its loan book, your Bank has also placed special emphasis on continuous monitoring for early identification of stress and deployed remedial measures to maintain its asset health. Furthermore, your Bank also strived to control fresh slippages as also focussed on recovery and upgradation measures to reduce delinquency in its asset portfolio. The concerted efforts undertaken by your Bank to maintain its asset quality aided in improving its bottom line. Your Bank, in an effort to further its customer-centric approach, strived to provide seamless multi-channel experience by continuing to expand its physical branch network and broad-base its digital functionalities to provide 24x7 banking services. Furthermore, your Bank also digitalised its internal processes and customer-facing interfaces to improve its employee productivity while enhancing customer convenience. In alignment with the changing business landscape and evolving customer requirements and preference, your Bank periodically reviews and updates its bouquet of products and services and also introduces new products and services offering to remain relevant. Your Bank remains committed to sustain its profitable growth momentum. Towards this end, your Bank endeavoured to instil a strong risk and compliance culture at the organisational level to inculcate adoption of best practices among the entire workforce. The Bank remains committed to the highest corporate governance standards, promoting ethics, transparency and fairness to maintain stakeholder trust and to be the most trusted and preferred bank.

KEY BUSINESS INITIATIVES

Your Bank continued to keep 'customer-centricity' at the core of its business strategy by offering products and banking solutions that are aligned with its customers' needs and requirements. Your Bank has been leveraging its scalable hybrid delivery model, viz. its physical touchpoints of 2.128 branches, including fixed Business Correspondent outlets also known as 'IDBI Sameep' and 3,120 ATMs and its digital channels to connect with its pan-India customers better. Your Bank, in alignment with its business plan of expanding its reach, opened 100 branches in FY 2024-25. Your Bank aims to provide a secure, seamless and convenient digital banking platform to its customers by deploying the best digital experience, technology standards, processes and procedures. Your Bank provides a wide range of services on a round-the-clock basis through a range of digital channels such as Mobile Banking, Internet Banking, WhatsApp Banking, Unified Payments Interface (UPI), Debit Cards, Credit Cards, Point of Sale (PoS) terminals (both physical and digital), Internet Payment Gateway, Automated Teller Machines (ATMs), etc. Your Bank, while promoting use of various digital channels, is also making concerted efforts to increase awareness among its customers regarding safe and secure banking practices while transacting through digital channels to safeguard their interests and hard-earned financial assets.

Your Bank has been augmenting its retail business portfolio in line with its intended positioning as a retail-centric bank. The Bank offers a wide-range of products and services ranging from deposit products, loan products and card products to its retail and NRI customer base. Your Bank, in tandem with the changing customer preferences, has been fine-tuning its existing products and processes to maintain its competitive edge. Your Bank also offers various value-added products and services to its customers, keeping in view their risk profile, financial goals and investment objectives. The entire gamut of traditional banking products and services is supplemented by a range of new and customised banking and financial solutions to cater to its diverse customer base. Furthermore, as a customer-first approach your Bank has been taking measures such as leveraging its state-of-the-art technology under the Video Account Opening (VAO) platform for digitising the customer onboarding journeys.

Your Bank has also been contributing significantly to priority sectors by providing funding options to its Agriculture and Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) customers. To extend its reach, your Bank has been extending banking services to the unserved and underserved areas through its Corporate Business Correspondent (BC)/ Business Facilitator (BF) network. Your Bank has also been proactive in furthering the objective of financial inclusion by ensuring access to financial products and services to the vulnerable sections of the society at an affordable cost in a fair and transparent manner. Furthermore, your Bank has been conducting various outreach programmes to spread awareness among people about various banking products, thereby enhancing financial literary.

Your Bank has been targeting a calibrated growth in its corporate loan book by focussing on fresh acquisition of well-rated corporate accounts. Furthermore, your Bank has been targeting growth in interest and fee-based income through focussed improvement in utilisation of fund-based and non-fund-based sanctioned limits and also cross-selling of third-party products.

Your Bank, while augmenting its loan book, is also committed to maintaining the highest standards of asset quality by continuously striving to keep delinquencies within acceptable limits and ensuring that its Non-Performing Assets (NPAs), write-offs, and provisions are minimised. Towards this end, your Bank has been focussing on enhancing its credit monitoring mechanisms by adopting new technologies and undertaking pre-emptive measures to ensure minimisation of fresh slippages. Your Bank has been endeavouring to upgrade as well as implement timely resolution for its stressed assets as well its NPA cases. Your Bank is also strengthening its collection mechanism to maintain its asset quality and mitigate credit risks.

Your Bank's business initiatives are supplemented by various measures such as strengthening and upgrading its IT infrastructure, adopting technological innovation, scaling up investment in technology, equipping itself with latest analytical tools, bringing about process improvement, among others, to improve its operational efficiency and enhance its business potential. These initiatives have aided the Bank in offering secure, seamless and convenient banking platform to its customers, thereby enhancing customer experience and fostering sustained business growth.

The detailed description of the Bank's initiatives undertaken during the year is outlined in the Management Discussion and Analysis section of the Annual Report.

IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON THE BANK'S BUSINESS

The COVID-19 virus, a global pandemic, affected the world's economy over the last couple of years. The extent to which COVID-19 pandemic will further impact the Bank's operations will depend on ongoing as well as future developments. The management of the Bank is closely monitoring the developments in this regard.

BOARD OF DIRECTORS

Your Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI), the Companies Act, 2013, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI (LODR) Regulations) and the Articles of Association of the Bank. The Board functions directly as well as through various Board-level committees constituted to provide focussed governance in the important functional areas of the Bank. As per the Articles of Association, the Board of Directors shall not be less than three and more than fifteen members consisting of a Chairman, a Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO), two Deputy Managing Directors (DMDs), two Nominee Directors of Life Insurance Corporation of India (LIC), two Nominee Directors of Government of India (Gol) and eight non-rotational Independent Directors (including the Chairman and one Woman Independent Director).

As on March 31, 2025, the Board comprised fifteen Directors, viz., Shri T. N. Manoharan, Independent Director and Part-Time Chairman, Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Jayakumar S. Pillai, DMD and Shri Sumit Phakka, DMD, as Whole Time Directors; Shri Manoj Sahay and Shri Sushil Kumar Singh, Government Nominee Directors and Shri Sat Pal Bhanoo and Shri Raj Kumar, LIC Nominee Directors, as Non-Executive Directors; Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal, Shri Sanjay Gokuldas Kallapur, Smt. P. V. Bharathi and Shri Ajay Prakash Sawhney as Independent Directors. The strength of 15 (fifteen) Directors on the Board as on March 31, 2025 meets the requirement provided under Article 114(a) of the Articles of Association of the Bank.

APEX COMMITTEES

The Board has a total of twelve committees to oversee various functional areas of your Bank's business and operations. The Board committees include Audit Committee of the Board, CSR & ESG Committee, Customer Service Committee, Executive Committee, HR Steering Committee, Information Technology Strategy Committee, Nomination & Remuneration Committee, Recovery Review Committee, Risk Management Committee, Special Committee of the Board for Monitoring & Follow-up of cases of Frauds, Stakeholders' Relationship Committee and Wilful Defaulters Review Committee-I.

CORPORATE GOVERNANCE

Your Bank is committed to adopting the best Corporate Governance practices. It believes that effective corporate governance is not just a requirement for regulatory compliance, but also a facilitator for excellence in governance including enhancement of stakeholders' value. The details of your Bank's corporate governance practices are given in this Annual Report as a separate section under the Corporate Governance Report.

BUSINESS RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY REPORT

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) introduced mandatory reporting of the Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) for top 1,000 listed entities in India in May 2021. The SEBI also mandated assurance on select metrics in the BRSR to further enhance the quality and comparability of Environment, Social and Governance (ESG) disclosures. The BRSR is intended towards having quantitative and standardised disclosures on ESG parameters to enable comparability across companies, sectors and time. Accordingly, the Bank's BRSR for FY 2024-25 has been hosted on the website of the Bank (https://www.idbibank.in/business-responsibility-and-sustainability-report.aspx).



Directors' Report

STATEMENT UNDER SECTION 134 OF THE COMPANIES ACT. 2013 READ WITH RULE 5 OF THE COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) **RULES, 2014**

The statement containing particulars of employees as required under Section 197(12) of the Companies Act, 2013 read with Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 is given in an Annexure and forms part of this report. In terms of Section 136(1) of the Companies Act, 2013, the Annual Report and the financial statements are being sent to the Members excluding the aforesaid Annexure. The Annexure is available for inspection and any member or shareholder interested in obtaining a copy of the Annexure may write to the Company Secretary of the Bank at idbiequity@idbi.co.in.

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

a) Conservation of Energy

The Bank has been undertaking several initiatives towards conservation of energy. Various premises of your Bank have been provided with energy efficient light fixtures to save power consumption. The Bank has installed lighting sensors in various cabins for automatic switching-off of the lights when the cabin is unoccupied. The Bank, wherever feasible, promotes use of day light in branches and offices to conserve electricity. The Bank is sensitising its employees to switch-off all electrical gadgets, including photocopier, televisions, printer, shredding machines, etc. when not in use. The Bank is also advising all its branches and offices to operate the Air Conditioners (ACs) at 25°- 26° centigrade. Furthermore, the package AC units have been replaced with energy efficient AC units at the Bank's Head Office in Mumbai. The Bank has also installed inverter type/ Variable Refrigerant Flow (VRF) energy efficient ACs in some of its newly opened branches and Zonal Offices, depending on feasibility. The Bank is also maintaining Power Factor (PF) close to unity through Automatic Power Factor Correction (APFC) panel in the Zonal Offices and some branches. The Bank has installed solar power plants of 30 kilowatt peak (kWp) and 10 kWp, respectively, at its Corporate Park office in Chembur, Mumbai and its Bhubaneshwar Zonal Office, respectively. The Bank is also commissioning a 100 Kwp solar power plant at its staff quarters in Basara, Hyderabad. Furthermore, a 40 Kwp solar power plant is being installed at the Bank's Head

Office, Mumbai, The Bank has identified 18 locations for installation of solar power plant in the Bank's owned properties on a pan-India basis. The Bank, in order to reduce its carbon emissions, has been refurbishing and reusing its old furniture. In order to conserve water, the Bank has been using water treated in the Sewage Treatment Plant at three locations, viz. its Head Office in Mumbai., office in Belapur and its training college in Hyderabad, for gardening and Air Conditioning (AC) condenser. The Bank has been taking proactive measures to carry out all electrical repairs in a timely manner to minimise energy loss. Further, preventive maintenance also is carried out periodically as per schedule for AC systems to minimise loss. In order to reduce losses in the electrical installations, capacitor banks have been upgraded at the Bank's office at Belapur, Navi Mumbai. All these initiatives undertaken by the Bank have contributed towards conservation of energy.

b) **Technology Absorption**

Your Bank has been proactively evaluating and adopting the latest technology-based innovations which have the potential to empower its business functions, to enrich its customer experience and to optimise its readiness towards opportunities and challenges of the future.

During the year, your Bank has successfully commissioned the Central Bank Digital Currency (CBDC). This product is developed on containerised platform which provides the Bank with the flexibility to scale the product on demand. The product also leverages the Blockchain technology for end-to-end visibility, traceability and monitoring of digital transactions. Your Bank has also on-boarded two public Cloud Service Providers (CSP) for cloud adoption, enabling it to leverage on the benefits of manageability and scalability of public cloud. Further, the Bank has completed infrastructure refresh, which includes servers, storages and network, to handle business growth through higher system capabilities with Secured and Redundant Architecture.

Your Bank has envisioned to further strengthen its cyber security posture by implementation of Extended Detection and Response (XDR) and Identity and Access Management solutions, which unify and extend detection and response capabilities across multiple security layers, including endpoints, identity, network, cloud and mobile. It also provides capability to the Bank to centrally control and calibrate the access to its applications by its internal and external stakeholders. These solutions are complemented by the Zero Trust Network Architecture (ZTNA) and Virtual Desktop Interface (VDI) solutions to support secured access for work from anywhere, which the Bank has implemented during the year. Your Bank has also implemented Transparent Data Encryption (TDE) for Personally Identifiable Information (PII) within the Core Banking System (CBS) database, which significantly enhances data security, ensures regulatory compliance and streamlines encryption management processes. Your Bank Data Centre has been compliant with Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), which further enhances the payment data security.

Your Bank has also carried out Vendor Risk Assessment, to understand and equip itself in order to mitigate/ respond to indirect impact on the Bank due to risks associated with its vendors.

Details of other initiatives taken in the Information Technology ecosphere are provided in the Management Discussion and Analysis section of this Annual Report.

c) Foreign Exchange Earnings and Outgo

During the year, the total foreign exchange earned by the Bank was ₹ 850 crore (excluding foreign currency cash flows in derivatives and foreign currency exchange transactions) and the total foreign exchange outgo was ₹ 654 crore towards the operating and capital expenditure requirements.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Board of Directors, hereby, declares and confirms that:

- In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as

- to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period;
- c. The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d. The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;
- e. The Directors had laid down internal financial controls to be followed by the Bank and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and
- f. The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

ACKNOWLEDGEMENTS

Your Bank's Board of Directors are sincerely grateful to the Government of India, Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), all other statutory/ regulatory authorities and Life Insurance Corporation of India (LIC) for their valuable co-operation and guidance. The Board also acknowledges, with gratitude, the co-operation and support received from various State Governments and other banks/ financial institutions. The Board thanks various multilateral institutions and international banks/ institutions for their support. The Board takes this opportunity to put on record its deep sense of gratitude to its loyal shareholders and customers for extending their support during the year and looks forward to their continued association in the years ahead. The Board appreciates the sincere and devoted services rendered by its entire staff and highly values their commitment towards the

[Sumit Phakka] Deputy Managing Director [Jayakumar S. Pillai] Deputy Managing Director [Rakesh Sharma] Managing Director & CEO

Place: Mumbai Date: May 29, 2025



कारोबारी परिवेश

सतत भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और वित्तीय बाजार में बीच-बीच में हुई अस्थिरता से उत्पन्न जोखिमों के बढ़ने के बावजूद वर्ष 2024 में वैश्विक आर्थिक गतिविधि काफी लचीली बनी रही. पिछले दो वर्षों में विश्वभर के केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई गई अत्यधिक समन्वित मौद्रिक नीति के कसने के चरण की तुलना में, वर्ष 2024 में विभिन्न देशों में मौद्रिक नीति के रुख में भिन्नता देखने को मिली, क्योंकि मुख्य मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज होने के बावजूद वह कई अर्थव्यवस्थाओं में लक्ष्य से ऊपर बनी रही. वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता देखी गई, जिसका कारण मौद्रिक नीति की दिशा को लेकर परिवर्तित होती धारणाओं तथा व्यापार-संबंधी अनिश्चितताओं की वजह से उत्पन्न जोखिम रहित भावना रही है.

घरेलू मोर्चे पर, भारतीय अर्थव्यवस्था ने मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करते हुए स्थिर आर्थिक विकास प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रगति की. घरेलू आर्थिक विकास को मुख्य रूप से निजी उपभोग और निवेश से समर्थन मिला. सुदृढ़ घरेलू मांग, क्षमता का उच्चतर उपयोग, निवेश मांग में सुधार, बैंक ऋण में निरंतर वृद्धि, बैंकों के सुदृढ़ तुलनपत्र और सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा व्यय पर दिए गए विशेष बल जैसे कारकों ने आर्थिक विकास की अच्छी गित में सहायता की है.

वैश्विक प्रतिपक्षों की तुलना में, घरेलू वित्तीय बाजार वर्ष के दौरान अपेक्षाकृत स्थिर और उत्साही बने रहे. वर्ष के दौरान मौद्रिक नीति रुख का प्रसारण ऋण और जमा दरों पर प्रभावी बना रहा. बैंक ऋण और जमाओं में अच्छी वृद्धि दर्ज हुई, जो वित्तीय सेवाओं में निरंतर उत्साह को दर्शाती है.

पिछले कुछ वर्षों में किये गये व्यापक नीतिगत और विनियामक पहलकार्यों के चलते बैंकों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनी रही. यह सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात में कमी और जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) में वृद्धि के आधार पर बैंकों की वित्तीय स्थिति और लाभप्रदता में निरंतर सुधार से स्पष्ट होता है. इसके परिणामस्वरूप, बैंक अर्थव्यवस्था में ऋण की मांग, विशेष रूप से खुदरा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) खंड और रणनीतिक रूप से अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से आने वाली मांग को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में रहे हैं, जिससे समग्र आर्थिक विकास की गित को बढावा मिला.

आगे, मजबूत उपभोग और निवेश मांग की पृष्ठभूमि में घरेलू आर्थिक गितिविधियों के लिए दृष्टिकोण सतर्कतापूर्वक आशावादी बना हुआ है. औद्योगिक क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में सुधार, निवेश गितविधियों की गित में तेजी, सामान्य से बेहतर मानसून का पूर्वानुमान, उच्च प्रयोज्य आय के बल पर ग्रामीण और शहरी मांग में तेजी आना, क्षमता का उच्च उपयोग, बैंकों और कॉरपोरेटों के सुदृढ़ तुलनपत्र तथा सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के खर्च पर निरंतर बल जैसे कारक निकट भविष्य में आर्थिक विकास के लिए अनुकूल संकेत दे रहे हैं. यद्यपि विभिन्न प्रतिकूल जोखिमें विकास की संभावना के लिए चुनौती प्रस्तुत करती हैं, फिर भी मजबूत घरेलू समिष्ट आर्थिक आधार और उत्तरदायी मौदिक एवं राजकोषीय नीतिगत प्रयासों से ऐसे बाहरी झटकों से घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है, जिससे उच्च विकास की सत्त अविध का मार्ग प्रशस्त होगा.

कारोबार समीक्षा

वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2024-25 के दौरान बैंक ने अपनी रणनीतिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाना जारी रखा, जिससे इसके कारोबारी विकास और लाभप्रदता में और सुधार हुआ. विभिन्न कारोबारी कार्य क्षेत्रों में बैंक द्वारा अपनाए गए व्यापक रणनीतिक उपायों और पहलकार्यों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के संबंधित खंडों में प्रस्तुत किया गया है.

आपका बैंक अपने देशव्यापी मौजूदा शाखा नेटवर्क का लाभ उठाकर, नए भौगोलिक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर और ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल पर निर्भर हो कर तथा अपनी डिजिटल उपस्थिति को और व्यापक बनाकर अपनी मौजूदगी को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है. आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में देशभर में 100 से अधिक नई शाखाएँ खोलीं तथा 24 स्थायी कारोबार प्रतिनिध (बीसी) आउटलेट (आईडीबीआई समीप) स्थापित किए. इसके साथ ही बैंक ने शाखा नेटवर्क में नया माइलस्टोन हासिल किया और मार्च 2025 के अंत में 2,128 शाखाएं हो गईं, जिसमें भारत में 509 महानगरीय शाखाएँ, 509 शहरी शाखाएँ, 651 अर्ध-शहरी शाखाएँ और 434 ग्रामीण शाखाएँ (जिसमें 267 वित्तीय समावेशन शाखाएँ शामिल हैं), गजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट), गांधीनगर में एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाई (आईबीयू) तथा 24 स्थायी बीसी आउटलेट (आईडीबीआई समीप) शामिल हैं. आपके बैंक के इस बढते शाखा नेटवर्क को मार्च 2025 के अंत में भारत में 3,120 एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग तथा व्हाटसएप बैंकिंग जैसी विविध डिजिटल बैंकिंग सेवाओं ने और सशक्त बनाया. आपके बैंक द्वारा प्रदान किए गए ये बह्-आयामी संपर्क बिंदू अपने ग्राहकों की बैंकिंग और निवेश संबंधी आवश्यकताओं को स्रक्षित, संरक्षित और स्विधाजनक ढंग से पूरा

अपने 'ग्राहक-प्रथम' दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए, आपके बैंक द्वारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के सभी ग्राहकों के लिए विविध प्रकार की जमा, ऋण एवं निवेश योजनाएं और सेवाएँ प्रदान की जाती हैं. निरंतर बदलती बाजार गितशीलता और विकसित होती उपभोक्ता की पसंद को समझते हुए, बैंक अपने मौजूदा योजनाएं एवं सेवाओं की समीक्षा और सुधार करने का प्रयास करता है, साथ ही बदलती बाजार गितशीलता के साथ प्रासंगिक बने रहने के लिए नए और ग्राहकानुकूल योजनाएं भी प्रस्तुत करता है. अग्रिमों के क्षेत्र में, बैंक ने खुदरा और प्राथमिकता क्षेत्र खंडों में अपने सूक्ष्म ऋण पोर्टफोलियो को सुदृढ़ किया है, साथ ही निधि और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर के संतुलित मिश्रण के साथ अच्छी रेटिंग वाली कॉरपोरेट ऋण बही को भी बढ़ाया है. आपका बैंक अपने अग्रिम पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए, सुदृढ़ ऋण पोर्टफोलियो बनाए रखने और अपने ऋण हामीदारी प्रक्रिया को सुदृढ़ कर एवं अपने ऋण खातों की गहन निगरानी कर अपनी ऋण जोखिम का प्रभावी प्रबंधन करने पर भी ध्यान केन्द्रित कर रहा है. आपका बैंक लगातार प्रयासरत है कि चूक की घटनाएँ स्वीकार्य सीमाओं के भीतर रहें और अपनी संग्रहण प्रणाली को

भी सुदृढ़ कर रहा है, जिससे आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके और ऋण जोखिम को न्यूनतम किया जा सके.

आपके बैंक ने सदैव यह माना है कि सुदृढ़ अनुपालन, कॉरपोरेट अभिशासन और जोखिम प्रबंधन की संस्कृति, सशक्त और स्थिर कारोबार संचालन की आधारशिला हैं. इस दिशा में, बैंक ने अपनी आंतरिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने हेतु अनेक उपाय किए हैं. इसके अतिरिक्त, बैंक अपने कार्यबल को अपने दैनंदिन परिचालनों में निर्धारित मानदंडों के पालन के महत्व के प्रति जागरूक करने और उन्हें शिक्षित करने की दिशा में कार्य कर रहा है.

आगे भी ग्राहक - केंद्रीयता आपके बैंक की कारोबारी रणनीति का केंद्रीय तत्व बनी रहेगी, जिससे ग्राहक अनुभव को समृद्ध किया जा सके और ग्राहक संबंधों को और अधिक गहरा किया जा सके. आपका बैंक नवोन्मेषी एवं ग्राहकानुकूल योजनाओं और सेवाओं की शुरुआत करता रहेगा तथा अपनी प्रक्रियाओं और सेवा देने को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी प्रगति को अपनाता रहेगा. बैंक अपने कार्यबल में अनुपालन और अभिशासन पर आधारित संस्कृति पर ध्यान केन्द्रित कर अपने व्यावसायिक परिचालनों को बढ़ाने और सुदृढ़ करने का काम जारी रखेगा. भविष्य में बैंक का मार्गदर्शन उन सभी हितधारकों के विश्वास को बनाए रखने की अनिवार्यता से प्रेरित रहेगा, जिन्होंने बैंक में अपना विश्वास जताया है, तािक सतत, स्थिर और लाभकारी व्यावसायिक वृद्धि सुनिश्चित की जा सके.

रिटेल बैंकिंग

रिटेल देयता योजनाएं

आपका बैंक जमा योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिन्हें समाज के सभी वर्गों के ग्राहकों की बैंकिंग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जैसे व्यक्तिगत ग्राहक (सामान्य नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, अति वरिष्ठ नागरिक, पेंशनभोगी, छात्र, अनिवासी भारतीय (एनआरआई)) और गैर-व्यक्तिगत ग्राहक (एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्म, कॉरपोरेट, सरकारी संस्थान, ट्रस्ट, संघ, समितियाँ, क्लब और अन्य बैंक, जिनमें सहकारी बैंक भी शामिल हैं).

आपके बैंक ने बदलती बाजार परिस्थितियों में ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी योजनाओं और प्रक्रियाओं में सुधार करने का प्रयास जारी रखा है.

आपके बैंक ने व्यक्तिगत बैंकिंग बचत खंड में '*आईडीबीआई एडवांटेज* सेविंग्स अकाउंट्स' ब्रांडिंग के अंतर्गत नई योजनाएं सफलतापूर्वक पेश की है.

आपके बैंक ने व्यक्तिगत जमाकर्ताओं की भागीदारी को धीरे-धीरे बढ़ाने पर फोकस करने हेतु 'उत्सव सावधि जमा' और 'चिरंजीवी अति वरिष्ठ नागरिक सावधि जमा' जैसी विशेष योजनाओं की शरुआत की है. वर्ष के दौरान ब्याज दरों में संशोधन का कार्य चयनित जमा अवधियों में सावधानीपूर्वक किया गया, तािक संभािवत लागत वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके और साथ ही बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखी जा सके.

आपके बैंक ने ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को डिजिटल रूप देने हेतु वीडियो खाता खोलने (वीएओ) संबंधी प्लेटफ़ॉर्म के अंतर्गत अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाना जारी रखा.

आपके बैंक ने अपने ग्राहक सहभागिता दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने के लिए डेटा एनालिटिक्स के व्यापक उपयोग और ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) साधनों को अपनाना जारी रखा, जिससे कारोबार में वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके.

आपके बैंक ने अपने भौतिक नेटवर्क का विस्तार करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 100 शाखाएँ खोली हैं और अपने जमा आधार का विस्तार करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म (कियोस्क) और भौतिक शाखाओं के संयोजन जैसी कम पूंजी और तेजी से स्केलेबल हाइब्रिड डिलीवरी मॉडल को अपनाया है.

एनआरआई सेवाएं

आपका बैंक विश्व भर में फैले भारतीय प्रवासियों की बैंकिंग और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनिवासी (बाह्य) (एनआरई) जमाराशियों/ अनिवासी साधारण (एनआरओ) जमाराशियों/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमाराशियों, पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के माध्यम से इक्विटी बाजार में निवेशों सिहत निवेश, विश्वव्यापी अंतर-बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्वीफ्ट) के माध्यम से प्रेषण एवं अन्य रीतियों और ऋणों के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की योजनाओं की व्यापक श्रंखला ऑफर करता है.

आपके बैंक ने अपने एनआरआई ग्राहकों के लिए ग्राहक अनुभव, सेवा सुपुर्दगी और बैंकिंग की सुविधा को बढ़ाने के लिए योजना और प्रक्रिया में सुधार करना जारी रखा

रिटेल आस्तियां

आपके बैंक ने खुदरा केन्द्रित बैंक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के अपने ध्येय के अनुरूप उत्तरोत्तर बड़े खुदरा कारोबारी पोर्टफोलियो को लक्ष्य बनाना जारी रखा है. बैंक ने भारत के हर घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए खुदरा आस्ति योजनाओं एवं सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला ऑफर करने का प्रयास किया है. बैंक द्वारा विभिन्न खुदरा आस्ति योजनाएं आफर की जाती हैं जिनमें अन्य योजनाओं के साथ आवास ऋण (एचएल), संपत्ति पर ऋण (एलएपी), ऑटो ऋण (एएल), वैयक्तिक ऋण (पीएल), शिक्षा ऋण (ईएल), सोलर रुफ-टॉप वित्त, प्रतिभूतियों पर ऋण (एलएएस) शामिल हैं. योजनाओं एवं प्रक्रियाओं की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है, जेन-जेड और अन्य उधारकर्ताओं के बढ़ते वर्ग की ग्राहक प्राथमिकताओं एवं अपेक्षाओं के साथ तालमेल रखने के लिए संशोधन, ग्राहकानुकूलन और नवोन्मेष किया जाता है.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आपका बैंक संरचित खुदरा ऋण खंड में एक प्रमुख संस्था बना रहा और आवास ऋण सिहत सभी प्रमुख योजना खंडों में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की. आपके बैंक ने न्यूनतम गिरावट के साथ एक सुदृढ़ संरचित खुदरा आस्ति पोर्टफोलियो बनाए रखा.



अपने ग्राहकों की विभिन्न और उभरती आवश्यकताओं को पुरा करने हेत्, आपका बैंक विभिन्न उपायों को अपनाता रहा है, जैसे अनुमोदित परियोजना वित्त के अंतर्गत आवास ऋण पर विशेष बल देना; हाल ही में शुरू की गई योजना के तहत त्वरित अधिग्रहण, जैसे स्वयं-नियोजित गैर-पेशेवरों (एसईएनपी) के लिए जीएसटी-आधारित आवास ऋण-जो त्वरित और सुलभ वित्तपोषण प्रदान करने हेतु एक मीयादी ऋण है; सरकार के ग्रीन एनर्जी मिशन के अनुरूप सोलर रूफटॉप वित्तपोषण: पूर्व-स्वामित्व वाली कारों के लिए ऑटो ऋण; डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण; तथा भारत और विदेश के चृनिंदा प्रमुख संस्थानों में अध्ययन हेत प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण-ये सभी प्रतिस्पर्धी शर्तों पर उपलब्ध कराए गए हैं. आपके बैंक ने समग्र ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के उद्देश्य से एक मजबृत और तीव्र टर्न-अराउंड टाइम (टीएटी) सुनिश्चित करने के लिए एक नई स्वचालित ऋण प्रसंस्करण प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है. आपका बैंक मैन्अल प्रक्रियाओं को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर अंतरित करने हेत् विभिन्न सुचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पहलों को निरंतर अपनाता रहा है. इसके अतिरिक्त, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को सहायता प्रदान करने हेत्, बैंक भारत सरकार की योजनाओं जैसे केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) के अंतर्गत शिक्षा ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं को सब्सिडी लाभ प्रदान करता रहा है और बंद की जा चुकी योजनाओं जैसे डॉ. अंबेडकर केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) और पढो परदेश योजना के अंतर्गत दावों का नवीकरण जारी रखे हुए है. इसके अलावा, आपका बैंक भारत सरकार की 'राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम योजना' के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को रियायती ब्याज दर पर वित्त भी प्रदान कर रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) की शुस्आत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेत् की गई है, के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करेगा.

क्रेडिट कार्ड

आपका बैंक विभिन्न नेटवर्क योजनाओं के तहत क्रेडिट कार्ड वेरिएंट ऑफर करता है. ये वेरिएंट विभिन्न ग्राहक खंडों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं. मौजूदा भुगतान योजना के तहत कवरेज है - रुपे योजना - विनिंग्स सेलेक्ट, वीजा - रॉयल सिग्नेचर, एस्पायर प्लैटिनम और इम्पेरियम प्लैटिनम और मास्टरकार्ड - यूफोरिया वर्ल्ड.

आपका बैंक रुपे योजना में एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड (एलआईसीसीएसएल) के साथ सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, अर्थात् एक्लैट और ल्यूमिन भी ऑफर करता है. डिजिटल फोकस को ध्यान में रखते हुए, आपके बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने की एंड-टू-एंड डिजिटल ऑन-बोर्डिंग भी शुरूकी है. आपके बैंक ने बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट सीमा के साथ पूर्व-अनुमोदित क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए संभावित मौजूदा ग्राहकों की भी पहचान की है.

बेहतर ग्राहक सेवा और उपयोग में सुगमता के लिए, क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग और गो मोबाइल+ ऐप में नए क्रेडिट कार्ड फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जैसे तत्काल बिल भुगतान, कार्ड प्रतिस्थापन अनुरोध, भुगतान इतिहास आदि. इसके अतिरिक्त, बिल भुगतान में बहुविधता प्रदान करने हेतु, भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) का एकीकरण सभी अन्य मोबाइल-आधारित ऐप्स के साथ किया गया है.

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र बैंकिंग

आपका बैंक रिजर्व बैंक के अधिदेश के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (पीएसएल) को उधार देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान कृषि और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) खंडों को वित्तीय सहायता देने पर ध्यान केन्द्रित किया. अपनी पहुँच को विस्तारित करने के उद्देश्य से, बैंक कॉरपोरेट कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ताओं (बीएफ) नेटवर्क के माध्यम से समाज के अब तक सेवित न किए गए और कम सेवित वर्गों को सेवाएँ प्रदान करता रहा है. वर्ष के दौरान, आपका बैंक 26 कॉरपोरेट बीसी /बीएफ़ सेवा प्रदाताओं के साथ जुड़ा हुआ था.

31 मार्च 2025 को आपके बैंक ने पीएसएल के सभी विनियामकीय लक्ष्यों, औसत आधार पर उप-लक्ष्य सहित, को प्राप्त कर लिया है.

भारत सरकार की योजनाओं एवं निर्देशों के अनुसार, आपका बैंक केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मिनर्भर निधि (पीएम एसवीए निधि), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), कृषि बुनियादी संरचना निधि (एआईएफ), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई), प्रधान मंत्री विश्वकर्मा (पीएम विश्वकर्मा), आदि के अंतर्गत ऋण प्रदान करता रहा है. आपका बैंक अनुसूचित जाति (अजा)/ अनुसूचित जनजाति (अजजा) सहित अल्पसंख्यक समुदायों एवं कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है.

पीएसएल के संबंध में वर्ष के दौरान की गई प्रमुख पहलों तथा कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

- आपके बैंक ने महाराष्ट्र राज्य में एमएसएमई कारोबार को गित प्रदान करने हेतु महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास निगम (एमएसएसआईडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये.
- आपके बैंक ने योजना के अंतर्गत कॉरपोरेटों के डीलरों को इन्वेंट्री फाइनेंस हेतु गठजोड़ व्यवस्था के लिए परिवहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसे विभिन्न उद्योगों में विभिन्न प्रतिष्ठित एंकर कॉरपोरेटों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये.
- आपके बैंक ने ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप 'आईडीबीआई मिहला सशिक्तकरण ऋण' नामक एक नई योजना शुरू की है, जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मिहलाओं के स्वामित्व वाले नैनो और लघु उद्यमों को सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में सहायता मिली

- आपके बैंक ने कार्यशील पूंजी आवश्यकता के लिए एमएसएमई विक्रेताओं की व्यापार प्राप्यराशियों के वित्तपोषण के लिए 'एमएसएमई (विक्रेता/वेंडर) टू एमएसएमई (क्रेता/एंकर) फैक्टरिंग ऑन ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म' नामक एक नई योजना भी शुरू की है.
- आपके बैंक ने गैर-संरचित खुदरा आस्तियों (एनएसआरए) और संरचित खुदरा आस्तियों (एसआरए) व्यवसाय जुटाने के लिए एलआईसीएचएफएल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं.

अन्य पक्ष योजनाएं तथा पूंजी बाजार योजनाएं

आपका बैंक अन्य पक्ष वितरण (टीपीडी) खंड के अंतर्गत अपने ग्राहकों को उनकी जोखिम प्रोफाइल, वित्तीय लक्ष्यों एवं निवेश उद्देश्यों के दृष्टिगत विभिन्न मुल्य संवर्धित योजनाएं व सेवाएं उपलब्ध करता है. आपके बैंक ने गुणवत्तापूर्ण बिक्री को बढावा देने और कारोबार को उत्पाद केंद्रित से ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण करने के लिए कई पहलों को कार्यान्वित किया है. रणनीति में बदलाव का उद्देश्य ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण को अनुपालनकारी कारोबारी प्रथाओं के साथ जोड़ना है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक के लिए शुल्क-आय का निरंतर एवं स्थायी स्रोत बना रहे. आपका बैंक भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड नामों, अर्थात जीवन बीमा क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एएफएलआई) और सामान्य एवं स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा खंड में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएसीएल), टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (टीएजीआईसी) और निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (निवा बूपा) के साथ भागीदार है. आपके बैंक ने म्यूचुअल फंड क्षेत्र में कई प्रसिद्ध आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के साथ म्यूचुअल फंड (एमएफ) योजनाओं के वितरण के लिए करार किया है. आपका बैंक अपने ग्राहकों को अन्य निवेश अवसरों के रूप में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और भारत सरकार (जीओआई) के बांड जैसे फ्लोटिंग रेट सेविंग बांड, सॉवरेन गोल्ड बांड और कैपिटल गेन्स बांड भी प्रदान करता है. पुंजी बाजार खंड के तहत, आपका बैंक 2-इन-1 खाता (बचत और डीमैट खाता), 3-इन-1 खाता (ऑनलाइन टेडिंग खाते से जडा बचत और डीमैट खाता), अवस्द्र राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए) और सिंडिकेट एएसबीए (एसएएसबीए) जैसी योजनाएं उपलब्ध कराता है.

तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल कारोबार की प्रथाओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, आपके बैंक ने अन्य पक्ष की योजनाओं के वितरण को डिजिटल बनाने के लिए विभिन्न पहलकार्य किये हैं. इन पहलकार्यों में गो मोबाइल+ एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन म्यूचूअल फंड निवेश मॉड्यूल की शुरुआत, डिजिटल माध्यम से एनपीस खाते व ई-नामांकन और डीमेट खातों में केवाईसी का अनिवार्य अद्यतन करना शामिल है. आपके बैंक ने अपने मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग चैनलों के माध्यम से डीमेट खाता खोलने की सुविधा दी है. डिजिटल चैनलों के गैर-उपयोगकर्ताओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए शाखा चैनल के माध्यम से सरलीकृत दस्तावेज के साथ तुरंत डीमेट खात खोलने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने दो पृष्ठ का एक संक्षिप्त डीमेट खाता खोलने का फॉर्म (एओएफ)अर्थात् दुरंतो डीमेट खाता भी ऑफर करता है.

एलआईसी के साथ तालमेल

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने जनवरी 2019 में आपके बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी अधिगृहीत की और पिछले छः वर्षों की अवधि में कारोबार के लिए महत्वपूर्ण तालमेल को बढाने के लिए कई पहलकार्यों की पहचान की गई और उन्हें सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया. आपके बैंक ने अपनी सर्वोत्तम श्रेणी की योजनाओं और सेवाओं के माध्यम से राजस्व तालमेल, लागत तालमेल और वित्तीय तालमेल के संदर्भ में तालमेल वाले क्षेत्रों में कारोबार बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से विशिष्ट कार्य बिंद्ओं की योजना बनाई, विशेष रूप से कम लागत वाली जमा बही, जैसे चालू खाता बही. आपके बैंक ने एलआईसी के कॉरपोरेट एजेंट के रूप में जुटाये गये व्यवसाय के लिए अपने टचप्वाइंट की प्रभावी और इष्टतम तैनाती के साथ बैंकाश्योरेंस चैनल में लगातार अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है. आपके बैंक ने अपनी शाखाओं और डिजिटल चैनलों के माध्यम से एलआईसी के विभिन्न कार्यालयों के संग्रहण और भुगतान संबंधी आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए लेन-देन बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके सुविधा बैंकिंग को प्रभावी ढंग से लागु किया है. इन तालमेलों ने दोनों संस्थाओं के संयुक्त मूल्य एवं कार्यनिष्पादन को स्थापित करने में सहायता की है. इसके अलावा, आपका बैंक खुदरा कारोबार और शुल्क आय को और बढ़ाने में समर्थ हो पाया.

वित्तीय समावेशन

आपका बैंक समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को किफायती लागत पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से वित्तीय योजनाओं और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में नीति-निर्माताओं के साथ भागीदारी करने में तत्पर रहा है. आपका बैंक प्रमुख तीन क्षेत्रों अर्थात् उपयुक्त वित्तीय योजनाएं ऑफर करने, प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने तथा वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने में हस्तक्षेप करते हुए वित्तीय सामवेशन के कार्य को सिक्रयतापूर्वक बढावा देता रहा है.

प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

आपका बैंक भारत सरकार के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम अर्थात प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अर्थात दुर्घटना बीमा कवर के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), जीवन बीमा कवर के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और वृद्धावस्था पेंशन के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में सिक्रय रूप से भाग ले रहा है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आपके बैंक ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत 2.00 लाख आवेदकों, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत 2.74 लाख आवेदकों और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत 5.55 लाख आवेदकों को नामांकित किया. बैंक ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत 2.67 लाख बचत बैंक खाते भी खोले हैं. बैंक ने जन-धन और जन-सुरक्षा योजनाओं के सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं.



कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ)

आपके बैंक ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पैठ बढ़ाने के प्रयास में कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) के अपने नेटवर्क का लाभ उठाया, जिससे देश भर में वित्तीय समावेशन अधिक मात्रा में हुआ और बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) व्यवसाय को बढ़ाना सुनिश्चित हुआ. आपके बैंक ने देशभर में विभिन्न स्थानों पर सभी बीसी के लिए गहन प्रशिक्षण सत्रों और कार्यशालाओं का आयोजन किया. इसके अलावा, आपके बैंक ने कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) को बैंकिंग लेनदेन करने हेतु प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों पर कार्य करने के लिए उनके तकनीकी कौशल को विकसित करने हेतु काम के दौरान प्रशिक्षण भी प्रदान किया.

बैंक ने वर्ष के दौरान 'आईडीबीआई समीप' (अत्याधुनिक विस्तारित ई-बैंकिंग प्वाइंट) के ब्रांड नाम के तहत बीसी प्रबंधित बैंकिंग आउटलेट चालू किए हैं. इस कम पूंजी वाले मॉडल का उद्देश्य बैंक को अपने नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने में सहायता करना है, जिससे इसकी ग्राहकों तक पहुंच और बढ़ सके.

वित्तीय साक्षरता

वित्तीय साक्षरता की पहचान प्रभावी वित्तीय समावेशन के लिए पूर्व आवश्यकता और साथ ही पीएमजेडीवाई के अभिन्न अंग के रूप में की गई है तािक लाभार्थी उनको उपलब्ध कराई गई वित्तीय सेवाओं का भरपूर उपयोग कर सकें. आपका बैंक विभिन्न बैंकिंग योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न 'रीच-आउट' कार्यक्रम आयोजित कर रहा है.

महाराष्ट्र के सतारा में स्थित आपके बैंक का ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आईडीबीआई आरएसईटीआई) ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), ग्रामीण कौशल प्रभाग, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप जिले के ग्रामीण युवाओं के लिए स्व-रोजगार प्रशिक्षण आयोजित करता है. आईडीबीआई आरएसईटीआई ने शुरू से अब तक 9,918 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया, 9,918 प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से 7,361 उम्मीदवार (अर्थात् 74.22%) स्व-उद्यमों की स्थापना करके स्थायी रूप से स्वरोजगार में लग गए हैं. आईडीबीआई आरएसईटीआई प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण के साथ-साथ सुविधाओं के उच्च मानकों को बनाए हुए है, इसलिए उन्हें वर्ष 2024 में ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार की ओर से 'एए' ग्रेडिंग से सम्मानित किया गया है, जो समग्र प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट है.

डिजिटल बैंकिंग

आपके बैंक का लक्ष्य सर्वोत्तम डिजिटल अनुभव, प्रौद्योगिकी मानकों, प्रक्रियाओं एवं क्रियाविधियों को तैनात करके अपने ग्राहकों को एक सुरक्षित, निर्बाध और सुविधाजनक बैंकिंग मंच प्रदान करना है जहां ग्राहक सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिक महत्व दिया जाता है.

आपके बैंक ने अपने डिजिटल बैंकिंग चैनलों के आराम, सुरक्षा, सुविधा और 24x7 उपलब्धता जैसे कारकों के कारण अपने डिजिटल लेनदेनों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है. आपके बैंक ने समग्र डिजिटल लेनदेनों में 28%, यूपीआई लेनदेनों में 33% और अपने मोबाइल बैंकिंग के सिक्रय ग्राहक आधार में 26% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी है.

आपके बैंक ने ग्राहकों के बेहतर अनुभव के लिए अपने गो मोबाइल+ एप्लीकेशन में कई नई सुविधाएं और कार्यात्मकताएं शुरू की हैं, जैसे बहुरंगी थीम, ग्राहक जुड़ाव समाधान का एकीकरण, फ्लाइट बुकिंग जैसी लाइफस्टाइल सुविधाएं आदि. आपके बैंक ने ग्राहकों की सहभागिता में सुधार लाने और निर्बाध भुगतान अनुभव सुनिश्चित करने के इरादे से अपनी यूपीआई प्रक्रिया को भी नया रूप दिया है.

आपका बैंक अपने नेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए ओम्नी चैनल अनुभव लेकर आया है, जिससे इसके समग्र प्लैटफॉर्म पर ग्राहकों को एक समान रूप से और सुगम अनुभव के साथ बेहतर सेवा प्रदान की जा सकेगी. आपके बैंक ने डेबिट कार्ड के विभिन्न प्रकार जैसे बिजनेस डेबिट कार्ड और सिलेक्ट डेबिट कार्ड भी लॉन्च किए हैं.

आपका बैंक डिजिटल ऋण वितरण के क्षेत्र में भी तीव्र प्रगति कर रहा है, जिससे एमएसएमई/कृषि ऋण सुविधाओं की मंजूरी तथा पुनरीक्षण/नवीनीकरण की डिजिटल यात्रा और सह-ऋण प्रक्रिया का संपूर्ण डिजिटलीकरण संभव हो सका है. आपका बैंक ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क (ओसीईएन) प्लेटफ़ॉर्म पर 'जेम सहाय' लॉन्च के लिए पायलट बैंकों में शामिल रहा है. इसके अतिरिक्त, आपका बैंक अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) प्लेटफ़ॉर्म पर भी सिक्रय हो गया है.

कॉरपोरेट बैंकिंग

आपके बैंक के कॉरपोरेट बैंकिंग खंड में बृहत कॉरपोरेट समूह (एलसीजी) और मध्यम कॉरपोरेट समूह (एमसीजी) शामिल हैं. एलसीजी अपने बड़े कॉरपोरेट ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करता है, जबिक एमसीजी मध्यम आकार के कॉरपोरेट की आवश्यकता को पुरा करता है.

प्लसीजी की सात अलग-अलग स्थानों पर कार्यालय हैं जो, ₹ 1,000 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले बड़े कॉरपोरेट ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है. प्मसीजी 24 शाखाओं और चार क्षेत्रों में परिचालन करता है और मध्यम आकार के कॉरपोरेट की आवश्यकताओं को पूरा करता है.

विनिर्माण और आधारभूत क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई कई नीतिगत पहलों से अर्थव्यवस्था में ऋण की मांग में तेजी आई है. आपका बैंक चयनात्मक, संतुलित और जोखिम-नियंत्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए इन क्षेत्रों में व्यवहार्य वित्तपोषण अवसरों की खोज कर रहा है.

आपका बैंक फार्मास्यूटिकल्स, विद्युत उत्पादन, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऑटो कंपोनेंट और सहायक उपकरण, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण, चीनी, रसायन, कपड़ा, मूल धातु, इस्पात, निर्माण, प्लास्टिक, दूरसंचार, सीमेंट, कागज और कागज उत्पाद, रबड़, धातु, पर्यटन, खनन, इंजीनियरिंग, विद्युत मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उपकरण, विद्युत, तेल और गैस, कृषि और संबद्ध गतिविधियां, परिवहन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और संबंधित गतिविधियां, आईटी सेवाएं और प्रौद्योगिकी, उर्वरक आदि सहित उद्योगों के विभिन्न स्पेक्ट्रम में निर्माताओं, व्यापारियों, सेवा क्षेत्र, विक्रेताओं को योजनाओं और सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करता है.

कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए आपके बैंक के योजना समूह में परियोजनाओं और गैर-परियोजनाओं दोनों के लिए सावधि ऋण, कार्यशील पूंजी (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों), निर्यातकों को पैकिंग ऋण और पोत-लदानोत्तर ऋण, बिल भुनाई, अंतर्दिवसीय सीमा आदि शामिल हैं. आपका बैंक अपने कॉरपोरेट ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए योजनाओं की पेशकश भी करता है जैसे कि अल्पावधि ऋण - गैर-प्रतिबद्ध लाइन, प्राप्य खरीद, बाहरी बेंचमार्क से जुड़ा सावधि ऋण, बाहरी बेंचमार्क से जुड़ा बिल भुनाई, आपाती साख पत्र के प्रति निधीयन आदि.

कॉरपोरेट बैंकिंग क्षेत्र के भीतर, आपका बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) पर भी उचित जोर देता है. आपके बैंक की कॉरपोरेट बैंकिंग टीमें अपने कॉरपोरेट ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त योजना एवं सेवाएँ विकसित करने और समाधान तैयार करने के लिए खुदरा बैंकिंग, लेन-देन बैंकिंग, ट्रेजरी आदि जैसे व्यवसाय संचालन के अन्य क्षेत्रों में दूसरी विशेष टीमों के साथ मिलकर काम करती हैं.

एक केंद्रित दृष्टिकोण रखने के इरादे से, कॉरपोरेट संबंध और नया कारोबारअधिग्रहण समूह (सीआरबीएजी) का गठन किया गया है तािक नए कारोबार को जुटाया जा सके, कॉरपोरेट्स की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और लेनदेन बैंकिंग कारोबार को भी बढ़ाया जा सके. नए कारोबार को जुटाने के लिए बैंक के प्रयास के एक हिस्से के रूप में, सीआरबीएजी सभी संभावित स्रोतों जैसे कॉरपोरेट्स, समकक्ष बैंक, रेटिंग एजेंसियां, वित्तीय संस्थान, निवेश बैंकिंग समुदाय, पीएसयू आदि तक पहुंचेगा. इसके अलावा, बैंक ने एक प्रोजेक्ट मूल्यांकन सेल (पीएसी) की भी स्थापना की है, जो विशिष्ट परियोजना/ टर्म लोन एक्सपोजर की जांच/ मूल्यांकन के लिए एक विशेष सेल है.

बैंक ने अपनी कॉरपोरेट क्रेडिट यात्रा और दस्तावेज संरक्षण के लिए डिजिटलीकरण की भी पहल की है, जो कार्यान्वयन के अधीन है.

अपनी समग्र व्यावसायिक रणनीति के अनुरूप, आपका बैंक अपनी कॉरपोरेट ऋण बही में एक संतुलित वृद्धि को लिक्षित कर रहा है ताकि अपने कम पूंजी मॉडल को जारी रखा जा सके और साथ-साथ अपने व्यवसाय पोर्टफोलियो मिश्रण को जोखिम मक्त किया जा सके. इस दिशा में. आपका बैंक अच्छी रेटिंग वाले कॉरपोरेट खातों के नए अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. इसके अलावा, बैंक मंजुर निधि-आधारित और गैर-निधि आधारित सीमाओं के उपयोग पर केंद्रित सुधार के माध्यम से ब्याज और शुल्क-आधारित आय में वृद्धि और प्रति-विक्रय (क्रॉस-सेल) को लक्षित कर रहा है. आपके बैंक ने खाता स्तर पर निष्पादन की निगरानी के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाकर अपने ऋण निगरानी तंत्र को उन्नत किया है. ताकि जहां दबाव की आशंका हो, वहां पूर्व-निवारक उपाय किए जा सकें तथा विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए) की निगरानी की जा सके. आपका बैंक नई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को न्युनतम करने के लिए स्लिपेज पर बारीकी से गहन नजर रख रहा है. बैंक अपने दबावग्रस्त आस्तियों और एनपीए मामलों में समय पर समाधान लागु करने के साथ-साथ अपग्रेड करने का भी प्रयास कर रहा है, जिससे मानक अग्रिम बही में वृद्धि के साथ-साथ प्रावधान, यदि कोई हो, के रिवर्सल का लाभ मिल रहा है.

ऋण निगरानी समूह

वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य में, मानक आस्ति पोर्टफोलियो का निरंतर, समय पर और प्रभावी प्रबंधन ऋण पोर्टफोलियो की समग्र गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने में सहायता करता है. इसलिए, संरचित ऋण समीक्षा तंत्र (एलआरएम), ऋण प्रबंधन मापदंडों (सीएपी) की निगरानी और कॉरपोरेट एवं खुदरा पोर्टफोलियो में दबाव की शुरुआत की निगरानी आपके बैंक के ऋण निगरानी समूह (सीएमजी) द्वारा की जाती है.

प्रारंभिक चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) एप्लीकेशन, जो ऋण निगरानी का एक महत्वपूर्ण साधन है, दिसंबर 2019 से परिचालन में है. यह प्रणाली आंतरिक और बाहरी स्रोतों से डेटा फीड का उपयोग कर दबाव और प्रारम्भिक कमजोरी का पता लगाने और नियमित आधार पर चेतावनी उत्पन्न करने में सक्षम है. सिस्टम की सीमा रेखा के भीतर सभी कॉरपोरेट और खुदरा खातों के संबंध में उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम के तहत जोखिम बकेटिंग की जाती है, जो उच्च जोखिम वाले खातों और विशेष उल्लेखित खाता (एसएमए) से पूर्व चरण में दबाव के आरंभिक लक्षण दशिन वाले खातों को पहचानने में बैंक की क्षमता में वृद्धि करता है. यह आपके बैंक को तत्काल, पूर्वक्रीत कार्रवाई करने और समय पर उपचारात्मक उपाय लागू करने में समर्थ बनाता है. ईडब्ल्यूएस एप्लिकेशन की आवधिक समीक्षा की जाती है और लगातार विकसित हो रही विनियामक अपेक्षाओं एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप नई विशेषताएं जोड़ी जा रही है.

आपका बैंक अपने आस्ति निगरानी टूल 'सजग' के माध्यम से ऋण प्रबंधन के विभिन्न मानदंडों के अनुपालन की निगरानी करता है जिससे ऋण संस्कृति में सुधार करने, ऋण पोर्टफोलियो में आरंभिक कमजोरियों की पहचान करने और गिरावट को रोकने में सहायता मिलती है. आपका बैंक निरंतर बदलते आर्थिक परिवेश और विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बदलती आवश्यकताओं के अनुसार अपने निगरानी उपकरण 'सजग'को सक्रिय रूप से अपडेट करता है.

आपका बैंक ऋण मंजूरी की प्रभावकारिता के संबंध में समय पर फीडबैक देने तथा नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की नियमित अनुवर्ती कार्रवाई, 'समय-पूर्व चेतावनी संकेतों की ट्रेकिंग और सीएपी के समय से अनुपालन के लिए संरचित ऋण समीक्षा तंत्र (एलआरएम) का उपयोग करता है. इन सभी पहलों के कारण खातों में आरंभिक दबावों को पहचानने एवं उनका प्रबंधन करने, सीएपी का अनुपालन करने और इसके द्वारा आपके बैंक की ऋण गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिली है.

खुदरा संग्रहण

एक सुव्यवस्थित और लाभदायक आस्ति पोर्टफोलियो किसी भी वित्तीय संस्थान की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आधारभूत तत्व हैं और आपका बैंक आस्ति गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंकिंग क्षेत्र में उभरते परिदृश्य को देखते हुए, जहां कम ब्याज मार्जिन और तीव्र प्रतिस्पर्धा बाजार को परिभाषित करती है, आपका बैंक आस्ति गुणवत्ता में किसी भी गिरावट को रोकने के लिए सक्रिय उपाय कर रहा है. आस्ति निष्पादन में गिरावट का लाभप्रदता, परिचालन स्थिरता और समग्र वित्तीय स्थिति पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है. इसलिए, आपका बैंक लगातार चूकों को स्वीकार्य सीमा के भीतर रखने का प्रयास करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनर्जक आस्तियां (एनपीए), बट्टे खाते में डाली गई राशि और प्रावधान न्यूनतम हो. आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने और ऋण जोखिमों को कम करने के लिए एक मजबूत और कुशल संग्रह तंत्र महत्वपूर्ण है.

अपनी संग्रहण रणनीति को मजबूत करने के लिए, आपके बैंक के पास एक समर्पित खुदरा संग्रहण विभाग है जो चूक को रोकने और खुदरा ऋण पोर्टफोलियों से प्राप्य राशि की समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए



जिम्मेदार है. यह खुदरा संग्रहण विभाग खातों को विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में परिवर्तित होने के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. संग्रहण प्रयास एसएमए और संभावित एवं पहली बार चिहिनत अनर्जक आस्तियों (एफटीएनपीए) पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ताकि एक मजबूत खुदरा आस्ति पोर्टफोलियो बनाए रखा जा सके. खुदरा संग्रहण के लिए बैंक का संरचित दृष्टिकोण समय पर हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है, जिससे वसूली दरों में सुधार होता है और अतिदेय ऋणों के कारण होने वाले वित्तीय बोझ में कमी आती है.

खदरा संग्रहण टीम बैंक के विभिन्न अंचलों और क्षेत्रों में तैनात संग्रहण अधिकारियों की एक टीम की सहायता से संग्रहण गतिविधियां संचालित करती है और इन्हें कॉल सेंटर, संग्रहण एजेंसियों, कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी)/ कारोबारी सुलभकर्ताओं (बीएफ़) और शाखा केन्द्रित योजनाओं के लिए शाखाओं / खुदरा आस्ति केंद्रों (आरएसी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है ताकि उच्चतर समाधान दर प्राप्त की जा सके.

संग्रहण तंत्र संबंधी क्षमताओं को बढाने के अपने प्रयासों को आगे बढाते हुए, बैंक ने संग्रहण-संबंधी गतिविधियों को स्वचालित कर दिया है. आपके बैंक के पास एक एकीकृत संग्रहण एवं वसूली मॉड्यूल (आईसीएनआरएम) है, जो बैंक को चिन्हित दबावग्रस्त खातों पर काम करने तथा संसाधनों (आंतरिक एवं बाह्य एजेंसियों) को प्रभावी ढंग से नियोजित करने में सहायता करता है. डिजिटलीकृत प्रक्रियाओं का उद्देश्य सुविधाजनक ऑनलाइन संग्रहण और चूककर्ता उधारकर्ताओं से प्राप्य राशि की वसूली के लिए एक मंच की सुविधा और संग्रहण गतिविधियों से संबंधित एक पूर्ण और निर्बाध प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)उपलब्ध कराना है.

खुदरा वस्ली

खुदरा अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से वसूली में तेजी लाने के लिए, बैंक ने वर्ष के दौरान पुराने एनपीए के निपटान के लिए एक गैर-विवेकाधीन और गैर-भेदभावपूर्ण विशेष एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना, अर्थात् सुगम ऋण भुगतान योजना (सुगम योजना) शुरु की. बैंक ने नए एनपीए के उन्नयन के लिए गहन अनुवर्ती कार्रवाई जारी रखी. बैंक की मौजूदा एनपीए प्रबंधन नीति के अनुसार कुछ मामलों का निपटारा सामान्य ओटीएस योजना/बातचीत के द्वारा समाधान (एनएस) के माध्यम से किया गया. बैंक ने वर्ष के दौरान सिविल न्यायालयों में वसुली हेत् मुकदमे दायर करने के लिए अभियान चलाए, ओटीएस/एनएस के लिए ग्रीष्मकालीन और मानसून अभियान चलाए, खुदरा एनपीए मामलों के लिए प्रभारित वाहनों की बिक्री के माध्यम से वसूली/समाधान में तेजी लाने के लिए दृष्टिबंधक वाहनों को वापस लेने का अभियान चलाया. इसी प्रकार, वसूली में तेजी लाने और लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए, बड़ी संख्या में छोटे-छोटे मामलों को शीघ्र समाधान हेत् राष्ट्रीय लोक अदालतों में भेजा गया.

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेएसी) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) और 13(4) के अंतर्गत, जहां भी लाग हो, उधारकर्ताओं को समय पर नोटिस जारी किए गए. वर्ष के दौरान, बैंक के कब्जे में ली गई संपत्तियों के लिए सात मेगा ई-नीलामी आयोजित की गईं.

विभिन्न वसुली कार्यों में तेजी लाने और वसुली प्रयासों की श्रृंखला के लिए एक मजबृत भंडार गृह बनाने के लिए, बैंक ने वर्ष के दौरान एक समर्पित मॉड्युल अर्थात एकीकृत संग्रहण और वसुली मॉड्युल (आईसीएनआरएम) की शुस्त्रात की है, ताकि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेहतर निगरानी और पर्यवेक्षी नियंत्रण के माध्यम से वसुली प्रयासों को मजबूत करने में सहायता मिल सके.

आस्ति गुणवत्ता

आपके बैंक ने नई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की रोकथाम करने और मौजुदा ह्रासित आस्तियों से अधिकतम वसुली पर अपना फोकस जारी रखा. मार्च 2025 के अंत में आपके बैंक की कुल आस्तियों में 97.02% अर्जक आस्तियां और 2.98% अनर्जक आस्तियां थीं. वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक की नई गिरावट इसके मानक अग्रिमों का 0.73% रही. वर्ष के दौरान हासित आस्तियों से वसुली और अनर्जक आस्तियों के अर्जक आस्तियों के रूप में अपग्रेड ₹ 3,021 करोड की रही. बैंक ने मौजुदा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए. विवेकपर्ण दृष्टिकोण के रूप में आपके बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 31 मार्च 2025 को 99.48% है.

आपके बैंक के पास खाता विशेष आधारित समाधान एवं वसुली रणनीतियां बनाने और कॉरपोरेट एनपीए पर गहन निगरानी के लिए संकेंद्रित और आक्रामक दृष्टिकोण अपनाने हेतु समर्पित वर्टिकल अर्थात् एनपीए प्रबंधन समृह (एनएमजी)है.

आपके बैंक ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी), 2016 के अंतर्गत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अधीन आने वाले मामलों के लिए केन्द्रीय डेस्क की स्थापना की है. यह समर्पित डेस्क विभिन्न टीमों के क्षेत्र से जुड़ी सीखों को आत्मसात करने तथा विभिन्न जटिलताओं का सामना करने के लिए उन्हें साझा करने में सक्रिय भूमिका निभाती रही है जिससे बैंक इन सीआईआरपी मामलों को सफलतापूर्वक संभालने में सक्षम हुआ है. 31 मार्च 2025 को कुल मिलाकर ₹ 36,235 करोड (अनर्जक आस्तियों/ तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाली गई (टीडब्ल्यूओ) आस्तियों सहित) के सकल मूलधन बकायों (जीपीओ) के साथ कुल 245 मामले दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी), 2016 के अधीन सीआईआरपी के अंतर्गत थे. आपका बैंक इनमें से कई मामलों को सीआईआरपी के तहत निपटाने में सफल रहा और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल ₹ 2,050 करोड की वसूली की गई. 245 मामलों की सूची में कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें से कुछ में अंशतः वसुली हुई है लेकिन पूरी राशि प्राप्त नहीं हुई.

आपके बैंक की एक 'एक बारगी निपटान (ओटीएस) प्रबंधन प्रणाली' है जो बैंक की वेबसाइट के माध्यम से ओटीएस आवेदनों की प्रस्तुति को सुविधाजनक बनाती है साथ ही वसुली की निगरानी करने सहित ओटीएस प्रस्ताव की प्रोसेसिंग को शुरू से अंत तक करने में सक्षम बनाती है. आपके बैंक ने एनपीए/टीडब्ल्युओ खातों (i) तीन वर्ष से अधिक अवधि की संदिग्ध आस्तियों (डीए-3), (ii) हानि आस्तियों (एलए) और (iii) टीडब्ल्युओ खातों को आईडीबीआई एकमुश्त निपटान योजना (आई-ओटीएस) (गैर-विवेकाधीन और गैर-भेदभावपूर्ण निपटान योजना) के अंतर्गत में निपटान के माध्यम से बकाया राशि की वसूली पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है. यह योजना बैंक के एनपीए प्रबंधन समूह द्वारा संचालित मामलों के लिए लागू थी, जिसमें उधारकर्ता का कुल जीपीओ ₹ 10 करोड़ तक था और व्यक्तिगत गारंटर (पीजी)/कॉरपोरेट गारंटर (सीजी) वाले बकाया के निपटान के लिए ₹ 10 करोड़ तक के जीपीओ वाले मामले शामिल हैं.

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने ₹ 2,134.55 करोड़ के जीपीओ वाले सात खातों (बट्टे खाते डाले गये (टीडब्ल्युओ) खातों) को ₹ 1,767.11 करोड़ (जिसमें ₹ 307.18 करोड़ की नकद वसूली और ₹ 1,459.93 करोड़ की प्रतिभूति रसीदें शामिल हैं) के प्रतिफल पर अनुमित प्राप्त संस्थाओं को अंतरित किया गया.

आपका बैंक वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेएसी) अधिनयम, 2002 के अधीन प्रवर्तन कार्रवाई सिहत लागू कानूनों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करता रहा है. इस संबंध में आपके बैंक ने बैंक को प्रभारित संपत्तियों की नीलामी के लिए भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के तत्वावधान में गठित बैंक आस्ति निलामी नेटवर्क (बैंकनेट) के साथ समझौता किया है. बैंक ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी)/ न्यायालयों के साथ भी निरंतर फॉलो-अप करता रहा है और डीआरटी संबंधी कार्य के लिए बैंक के एनएमजी, विधि एवं खुदरा वसूली विभागों से अधिकारियों की नोडल क्रॉस-फंक्शनल टीम की पहचान की गई तािक वसूली प्रमाणपत्र/ डिक्री प्राप्त करने और उन्हें निष्पादित करने में होने वाले विलंब को न्यूनतम किया जा सके.

आपके बैंक ने 31 मार्च 2025 को बैंक के कुल 370 मामलों का वर्गीकरण इरादतन चूककर्ताओं के रूप में किया है तथा ऐसे उधारकर्ताओं/ प्रवर्तकों/ निदेशकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू की है.

व्यापार वित्त

आपके बैंक के पास एक समर्पित व्यापार वित्त (टीएफ) विभाग है, जो अपने कॉरपोरेट तथा खुदरा ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर योजनाओं और सेवाओं की व्यापक श्रृंखला ऑफर करता है. सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली योजनाओं की श्रृंखला में आवक/ जावक विप्रेषण, साख-पत्र (एलसी), बैंक गारंटी (बीजी), आपाती साख पत्र (एसबीएलसी) आदि से लेकर जटिलतर घरेलू और सीमा पार व्यापार योजनाएं हैं जिनमें वस्तुओं और सेवाओं का आयात/निर्यात, लदान पूर्व और लदान पश्चात निर्यात वित्तपोषण, अल्पावधि व्यापार ऋण (क्रेता की साख पर उधार और आपूर्तिकर्ता की साख पर उधार), मर्चेंटिंग व्यापार, पूँजी खाता लेनदेन आदि शामिल हैं.

आपके बैंक के पास, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I (एडी श्रेणी- I) बैंक के रूप में 38 समर्पित टीएफ़ केंद्र हैं जो सभी प्रकार के विदेशी मुद्रा लेनदेनों को संभालने के लिए प्राधिकृत हैं. बैंक की व्यापार वित्त योजनाओं और सेवाओं को केन्द्रीकृत व्यापार प्रोसेसिंग केंद्रों (सीटीपीसी) के जिरए प्रोसेस किया जाता है जो तीन मुख्य मेट्रो केन्द्रों, अर्थात् मुंबई,चेन्नई और दिल्ली में हब-एंड-स्पोक मॉडेल के रूप में कार्य करते हैं. सीटीपीसी बैंक की सभी शाखाओं की जरूरतों को पूरा करता है तथा इस प्रकार मानकीकृत प्रसंस्करण, सक्षम संचार और तीव्रतम प्रतिवर्तन काल (टीएटी) की सुविधा प्रदान करता है.

आपका बैंक अपने कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म में निरंतर सुधार कर रहा है तथा साथ ही ग्राहक संबंधों को बढ़ाने के लिए डिजिटल व्यापार प्रोसेसिंग भी प्रदान करता है और व्यापार परिचालन प्रक्रिया के प्रत्येक कदम को बाधारहित और सुविधाजनक बनाता है. आपके बैंक ने लेनदेन संबंधी कार्यनिष्पादन को तीव्रतर, त्रृटिहीन और निर्बाध बनाने के लिए विभिन्न आईटी पहल कार्य शुरू किए हैं. उदाहरण के लिए, बैंक के पास एक इंटरनेट आधारित व्यापार वित्त प्लेटफॉर्म अर्थात् आईडीबीआई ई-ट्रेड है जो ग्राहकों को 24X7 आधार पर लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करता है. बैंक ने स्विफ्ट जीपीआई क्षमताओं का निर्माण किया है जो तत्काल आधार पर सीमा-पार भुगतान को ट्रैक करने में सहायता करता है और इस तरह से ग्राहकों के अनुभव को समृद्ध करता है. आपके बैंक ने स्विफ्ट इंडिया के साथ साझेदारी की है और एन्क्रिप्शन के साथ उन्नत कतार प्रबंधन के लिए मैसेज क्यू होस्ट एडाप्टर (एमक्यूएचए) लागू किया है जो घरेलु लेनदेन के लिए संदेश प्रवाह के आसपास मौजुदा सुरक्षा को मजबूत करता है. आपके बैंक का स्विफ्ट परिचालन एक केंद्रीकृत स्विफ्ट कक्ष (सीएससी) के माध्यम से किया जाता है, जो एक सुरक्षित आईटी प्लेटफॉर्म के तहत अत्यंत सावधानी और बहुस्तरीय सत्यापन प्रक्रियाओं सहित सुचारु और त्रुटिहीन परिचालन सुनिश्चित करता है. इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने विनियामक और सांविधिक मानदंडों सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पद्धित संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतू नीतियाँ, प्रक्रियाएँ, मानक परिचालन कार्यविधि (एसओपी), परिचालन मैनुअल, सुदृढ़ निगरानी तंत्र, आदि तैयार किये हैं.

आपके बैंक ने अपने खुदरा इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से रिजर्व बैंक की उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत ऑनलाइन विदेशी जावक विप्रेषण शुरू करने की सुविधा प्रदान की है. व्यक्तियों के पक्ष में एक निश्चित सीमा के अंतर्गत विदेशी आवक विप्रेषण के निष्पादन के लिए बैंक की अपनी एक केन्द्रीकृत प्रसंस्करण व्यवस्था है जिससे बैंक के ग्राहकों को तीव्रतर और तत्काल जमा की सुविधा मिलेगी. इसके अतिरिक्त, कुशल सेवा सुपुर्दगी के उपाय के रूप में, आपके बैंक का एक ऑनलाइन बैंक गारंटी (बीजी) पुष्टीकरण मॉड्यूल है जो इसके द्वारा जारी की गई बैंक गारंटियों के लाभार्थियों को गारंटी निर्गमन की ऑनलाइन पुष्टि प्राप्त करने में सक्षम बनाता है.

आपके बैंक की चौबीस घंटे धोखाधड़ी निगरानी स्विधा के साथ, उपयुक्त परिचालनगत और अनुपालन अलर्ट जारी करने की व्यवस्था है. आपके बैंक ने साइबर धोखाधड़ी जोखिम को कम करने और सीमा पार भुगतानों में धन-शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद वित्तपोषण का सामना (सीएफ़टी) करने संबंधी चिंताओं का समाधान निकालने के लिए भुगतान नियंत्रण प्रणाली और लेनदेन जांच प्रक्रियाओं के रूप में प्रभावी प्रणाली नियंत्रण तंत्र गठित किया है. अतिरिक्त नियंत्रण सुनिश्चित करने के क्रम में, आपके बैंक ने अनुपालन स्निश्चित करने के लिए विभिन्न सिस्टम सत्यापन लागू किए हैं. आपका बैंक धन-शोधन निवारक (एएमएल)/अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ आतंकवाद वित्तपोषण का सामना (सीएफ़टी) दिशानिर्देश, सुदृढ़ व्यापार आधारित धन शोधन (टीबीएमएल) रेड-फ्लैगिंग प्रक्रियाओं और अंतर्राष्ट्रीय भूगतानों के लिए यूएस/ईयु द्वारा प्रतिबंधों की जांच निष्ठापूर्वक करता है. आपका बैंक सिद्धांततः अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम ब्यूरो (आईएमबी) के जरिए मर्चेन्ट व्यापार में अंतरराष्ट्रीय कार्गों के संचलन का सत्यापन करता है. बैंक सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यवसाय सूचना रिपोर्टों के माध्यम से विदेशी पार्टियों की साख, प्रमुख कार्यकलापों, कारोबार स्तर और भूगतान शीघ्रता का सत्यापन करता है.



आपके बैंक की बिल वित्त नीति भारतीय स्पये (आईएनआर) और विदेशी मुद्रा (एफसीवाई) में किए गए व्यापार से उत्पन्न होने वाले सभी वास्तविक बिलों की खरीद, भूनाई, परक्रामण को कवर करती है. आपके बैंक ने पात्र निर्यात ऋण खातों को उधारकर्ता विशिष्ट व्यक्तिगत कवर के अंतर्गत, विशेषतः ईसीजीसी लिमिटेड से कवरेज पदान करने का पावधान किया है

आपके बैंक ने द्विपक्षीय संपर्क प्रबंध एप्लीकेशन (आरएमए) के जरिए विश्व भर में लगभग 614 बैंकों के साथ संपर्की बैंकिंग व्यवस्थाओं का बहुव्यापी नेटवर्क विकसित किया है जिसके फलस्वरूप वह विश्व भर में व्यापारिक और गैर-व्यापारिक सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है. बैंक ने विश्व भर में 11 मुद्राओं में सीधे धनराशि भेजने की नोस्ट्रो व्यवस्था एवं 120 मुद्राओं में धन प्रेषणों को संभालने के लिए प्रतिनिधि बैंकों के साथ व्यवस्था की है.

सरकारी कारोबार

आपका बैंक अपनी शाखाओं और 24x7 इंटरनेट बैंकिंग सुविधाओं के जरिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों की प्राप्ति और भुगतान संबंधी लेनदेनों को संभालने के लिए रिज़र्व बैंक के एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करता है. केन्द्र सरकार के करों के संग्रहण के अतिरिक्त, जिसमें सभी आयकर, सीमा शुल्क और माल एवं सेवा कर शामिल हैं, आपके बैंक को 14 राज्य सरकारों और दो संघ शासित प्रदेशों के लिए प्राप्तियां एकत्रित करने का भी अधिदेश प्राप्त है.

आपका बैंक महाराष्ट्र राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षित बैंक और राजकोष प्राप्तियों (ई-एसबीटीआर) और साधारण प्राप्तियों के माध्यम से स्टाम्प शुल्क भी एकत्र करता है. आपका बैंक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत मुद्रण विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक है. आपका बैंक भारत सरकार द्वारा छोटी बचत योजनाओं अर्थात् लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) और सुकन्या समृद्धि खाता योजना (एसएसए), महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023 (एमएसएससी) ऑफर करने के लिए प्राधिकृत है एवं आपका बैंक केंद्रीय सिविल, डिफेंस और रेलवे पेंशन के संवितरण के लिए भी प्राधिकृत है. आपके बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से संबंधित देयों की ऑनलाइन वसुली की व्यवस्था की है. वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने बैंक के गो मोबाइल + ऐप (एंडॉइड और आईओएस) के माध्यम से महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (एमएसएससी), 2023 के लिए खाता खोलने की सुविधा प्रदान की है.

नकदी प्रबंध सेवाएं

आपका बैंक अत्याधुनिक नकदी प्रबंधन सेवाएं (सीएमएस) प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कॉरपोरेट को उनके संग्रहण को इष्टतम करने, थोक भुगतानों को युक्तिसंगत बनाने और नकदी प्रवाह को इष्टतम करने में समर्थ बनाने हेत् डिजाइन की गई हैं. नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, आपके बैंक ने हाल ही में अपने सीएमएस सिस्टम को अपग्रेड किया है ताकि बाजार में उपलब्ध नवीनतम प्रगति का लाभ उठाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके ग्राहकों को अत्याध्निक प्रौद्योगिकी का लाभ मिले, जिससे उनकी नकदी प्रबंधन गतिविधियों की दक्षता और प्रभावशीलता में और वृद्धि हो. आपके बैंक ने कॉरपोरेट एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) सूट विकसित किया है, जहां अत्याधुनिक एपीआई बैंक और ग्राहक सर्वर के बीच सहज संचार की सुविधा प्रदान करते हैं. निर्बाध एकीकरण सुरक्षित डेटा अंतरण की गारंटी देता है, जिससे कॉरपोरेट सुचारू बैंकिंग अनुभव का आनंद

आपका बैंक चलनिधि प्रबंधन समाधान जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी वाले समाधान ऑफर करता है जिनमें कॉरपोरेट चलनिधि प्रबंधन समाधान (सी-एलएमएस). सरकारी चलनिधि प्रबंधन समाधान (जी-एलएमएस) और नवोन्मेषी सीएमएस योजनाएं जैसे राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच), वर्च्अल रेमिटर आइडेंटिफिकेशन कोड (वीआरआईसी), भारत बिल भूगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के जरिये उपयोगिता भूगतान, सीधी नामे स्विधाएं , फास्टैग आदि शामिल हैं. इसके अलावा, आपका बैंक भुगतान के लिए होस्ट-ट्-होस्ट प्रौद्योगिकी और ओपन एपीआई के माध्यम से ग्राहक प्रणालियों से निर्बाध एकीकृत कर ग्राहकोनुकूल ई-समाधान उपलब्ध कराता है.

आपका बैंक भारतीय रेलवे के ई-भाड़ा भृगतान प्रणाली में भाग लेने के लिए 12 अंचलों में अधिकृत है. आपके बैंक ने सीएमएस स्वीट के तहत नए युग की डिजिटल योजना शुरू की है जो एक एकीकृत संस्थागत संग्रहण योजना है जिससे बिजनेस-से-उपभोक्ता (बीट्रसी) खंड के संस्थान एकल प्रणाली का प्रयोग कर अपने ग्राहकों से सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से देयताओं का संग्रहण करते हैं. आपका बैंक इलेक्ट्रॉनिक-सावधि जमा सुविधा (राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की मार्जिन राशि अपेक्षाओं के लिए) प्रदान करता है, यह स्टॉक ब्रोकरों के लिए एक ऑनलाइन सुविधा है जो उन्हें एक्सचेंजों के पास अपनी प्रतिभृति और मार्जिन जमा को निर्बाध तरीके से रखने में सहायता करती है.

ट्रेजरी परिचालन

आपके बैंक ने विभिन्न बाजार खंडों जैसे मुद्रा बाजार, नियत आय, विदेशी मुद्रा-विनिमय, डेरिवेटिव और इक्विटी में ट्रेजरी परिचालनों को एकीकृत किया है. आपके बैंक के ट्रेजरी परिचालनों की तुलन पत्र प्रबंधन, चलनिधि प्रबंधन, आरक्षित नकदी आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखने, बाजार लिखतों में ट्रेडिंग एवं निवेश, फोरेक्स लेनदेन व डेरिवेटिव से संबंधित कार्यों में सक्रिय भूमिका होती है.

आपके बैंक की ट्रेजरी सीआरआर की विनियामक अपेक्षा के अनुपालन के लिए जिम्मेदार है. आपका बैंक वित्तीय वर्ष 2024-25 में सीआरआर, एसएलआर और चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) बनाए रखकर विनियामक अपेक्षा का अनुपालक रहा.

चलनिधि का सक्रियता से प्रबन्ध करने के लिए बैंक की ट्रेजरी अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करती है जैसे चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ), रिजर्व बैंक का खुले बाजार के परिचालन (ओएमओ) के साथ बाजार के अन्य साधन / प्लेटफॉर्म जैसे त्रिपक्षीय रेपो (टीआरईपीएस), क्लीयरक्रॉप रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (सीआरओएमएस) तथा मांग एवं सूचना पर देय धन. अधिशेष चलनिधि को जमा प्रमाणपत्र, चलनिधि म्यूच्अल फंड (जैसे विभिन्न अल्पाविध लिखतों में) और मांग, सूचना, मीयादी मुद्रा उधार, फॉरेक्स जमा नियोजन, आदि में नियोजन किया गया. आपका बैंक चलनिधि की अल्पकालिक आवश्यकता के मूल्यांकन के आधार पर सीडी जारी करके भी निधि जुटाता है.

आपके बैंक के निदेशक मंडल ने एक या अधिक चरणों में निजी नियोजन के आधार पर बुनियादी ढांचे और किफायती आवास के लिए गैर-परिवर्तनीय बांड जारी करके उपयुक्त समय पर ₹ 10,000 करोड़ तक की दीर्घकालिक रुपया संसाधन जुटाने को अनुमोदित किया है.

आपके बैंक की ट्रेजरी अपने ट्रेडिंग और निवेश पोर्टफोलियो के लिए सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक)/ राज्य विकास ऋण (एसडीएल) / ट्रेजरी बिल (टी-बिल) की नीलामी में सक्रिय रूप से भाग लेती रही है.

आपके बैंक ने वर्ष के दौरान खुले बाजार के परिचालनों (ओएमओ) और यूएसडी/आईएनआर स्वैप के माध्यम से चलनिधि प्रणाली में वृद्धि के लिए रिजर्व बैंक के उपायों में सिक्य रूप से भाग लिया है.

आपका बैंक प्राथमिक डीलर (पीडी) के रूप में जी-सेक बाजार में एक सक्रिय संस्था बना हुआ है. पीडी डेस्क यह सुनिश्चित करता है कि बैंक जी-सेक के लिए बोली प्रतिबद्धता एवं टर्नओवर अनुपात तथा टी-बिल नीलामी के लिए सफलता अनुपात आदि जैसी सभी विनियामक अपेक्षाओं को पुरा करता है.

आपका बैंक गिल्ट खाताधारकों (जीएएच) को संघटक सहायक सामान्य खाताबही (सीएसजीएल) सेवा भी प्रदान कराता है. इसके अतिरिक्त 'रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष' सुविधा के अंतर्गत खुदरा निवेशकों को द्वितीयक बाजार में चलनिधि प्रदान करने के लिए आपका बैंक बातचीत के जिरये लेनदेन प्रणाली-आदेश मिलान (एनडीएस-ओएमए) प्लेटफॉर्म (विषम लॉट व भाव के लिए अनुरोध खंड में) पर खुदरा निवेशकों को खरीद / बिक्री का भाव प्रदान कर बाजार निर्माण का कार्य भी करता है. आपका बैंक आईडीबीआई समृद्धि प्लेटॉफर्म के जिरये जी-सेक में खुदरा सुविधा प्रदान करता है, यह एक वेब आधारित ट्रेड पोर्टल है जिसमें खुदरा निवेशक जी-सेक का ऑनलाइन खरीद/बिक्री कर सकते हैं.

आपके बैंक की ट्रेजरी के पास एक सिक्रय फॉरेक्स इंटरबैंक और डेरिवेटिव डेस्क है. फॉरेक्स इंटरबैंक डेस्क ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी फॉरेक्स दरें उपलब्ध कराता है. अपने विदेशी मुद्रा व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए, आपके बैंक ने स्वचालित प्रणाली-संचालित व्यापार के माध्यम से भारत में बैंकों के साथ क्रॉस मुद्राओं में दो-तरफ़ा बाजार निर्माण/व्यापार की शुस्आत की है. इससे आपके बैंक के विदेशी मुद्रा कारोबार की मात्रा और लाभप्रदता बढ़ने की उम्मीद है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे विदेशी मुद्रा बाजार में आपके बैंक की उपस्थित बढ़ने की उम्मीद है. बैंक की डेरिवेटिव डेस्क ग्राहकों की हेजिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न ब्याज दर और विनिमय दर हेजिंग समाधान उपलब्ध कराता है.

बिक्री टीम बड़े, मध्यम और छोटे कॉरपोरेट खुदरा ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए बैंक के सभी संपर्क प्रबंधकों के साथ निकटता से काम करती है. टीम के सदस्य मुद्राओं, दरों में अपने एक्सपोजर का प्रभावी ढंग से प्रबंध करने के लिए समाधान प्रदान करने के लिए ग्राहकों के साथ सिक्रय रूप से बातचीत करते हैं और उन्हें ऋण लिखतों (जी-सेक, गैर-एसएलआर बांड, आदि) में निवेश समाधान के बारे में सलाह भी देते हैं. बिक्री टीम बैंक की अन्य योजनाओं को क्रॉस-सेल करने के लिए भी अपनी पहुंच का लाभ उठाती है. बैंक ने कविरंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और विदेशी मुद्रा लेनदेन की दक्षता में सुधार करने के लिए अपने प्रधान कार्यालय में एक केंद्रीकृत विदेशी मुद्रा डेस्क स्थापित किया है. बैंक का इक्विटी डेस्क अल्पकालिक और मध्यम अवधि के मूल्य हलचलों के माध्यम से ट्रेडिंग राजस्व अर्जित करने के लिए वित्तीय लिखतों में कारोबार करता है.

रिजर्व बैंक के वाणिज्यक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन के बारे में मास्टर निर्देश (निर्देश), 2023 के अनुसार आपके बैंक ने निवेश पोर्टफोलियो और डेरिवेटिव संविदाओं के वर्गीकरण, मूल्यांकन, आय पहचान, लेखांकन एवं प्रस्तुतीकरण को संशोधित कर दिया है और 01 अप्रैल 2024 से लागू कर दिया है.

सीमा-पार शाखाएं

आपके बैंक की गुजरात स्थित इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (गिफ्ट सिटी) में स्थित अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाई (आईबीयू) ने 6 मई 2016 से अपना परिचालन शुरू िकया. आईबीयू, गिफ्ट सिटी के कांदला विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) के अंतर्गत आती है और इसका कामकाज अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा जारी प्रावधानों/दिशानिर्देशों के अनुसार नियंत्रित होता है. अन्य योजनाओं के अलावा, बैंक का आईबीयू पात्र खुदरा एवं कॉरपोरेटों के ग्राहकों को आपाती साख-पत्र (एसबीएलसी), विदेशी मुद्रा ऋण के प्रति निधीयन और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) प्रदान करने पर भी फोकस करता है. आपके बैंक की गिफ्ट सिटी शाखा जमा सेवाएं (बचत/ चालू) आईबीयू मीयादी और व्यापार ऋण (क्रेता ऋण) प्रतिपूर्ति प्राधिकरण (आरए) वित्तपोषण भी ऑफर करती है.

ऋण रेटिंग

आपका बैंक अपनी घरेलू और विदेशी मुद्रा, दोनों उधाराशियों के लिए क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करता है. वित्तीय वर्ष 2024 -25 के दौरान रेटिंग कार्रवाई और 31 मार्च 2025 को रुपया संसाधनों के लिए वर्तमान रेटिंग निम्नानुसार हैं:

	स्प्रया उध	र के लिए रेटिंग		
रेटेड लिखत	क्रिसिल	इक्रा		केयर
रेटिंग संबंधी कार्रवाई	अगस्त 2024	अगस्त 2024	सितंबर 2024	सितंबर 2024
सावधि जमाराशियाँ	क्रिसिल एए+/स्टेबल ^		इंड एए/ स्टेबल ^^^	-
अल्पावधि उधार राशियां (जमा प्रमाणपत्र)	क्रिसिल ए1+	[इक्रा] ए1+	इंड ए1+	केयर ए1+
दीर्घावधि स्पया बांड (सीनियर एवं लोअर टियर II बांड)	क्रिसिल एए/स्टेबल [«]	[इक्रा] एए/ स्टेबल ^^@	इंड एए / स्टेबल ^^^#	-
टियर II बांड (बासेल III)	क्रिसिल एए / स्टेबल*	[इक्रा]एए/ स्टेबल ^^	इंड एए/ स्टेबल ^^^	केयर एए/ स्टेबल%

टिप्पणी :

- रेटिंग को क्रिसिल एए / स्टेबल से अपग्रेड करके क्रिसिल एए+/स्टेबल किया गया.
- ^^ रेटिंग को इक्रा एए-/ स्टेबल से अपग्रेड करके [इक्रा] एए/स्टेबल किया गया.
- ^^^ रेटिंग को इंड एए-/स्टेबल से अपग्रेड करके इंड एए/स्टेबल किया गया.
- & रेटिंग को क्रिसिल एए- / स्टेबल से अपग्रेड करके क्रिसिल एए/स्टेबल किया गया.
- % रेटिंग को केयर एए-/ स्टेबल से अपग्रेड कर केयर एए/स्टेबल किया गया.
- # केवल सीनियर टियर II बांड को रेटिंग दी गई है
- अतिरिक्त इंफ्रास्टक्चर बॉन्ड ₹ 7000 करोड के लिए जनवरी 2025 में रेटिंग प्राप्त की गई है.

विदेशी रेटिंग एजेंसियों यथा एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स (एसएंडपी) और फिच रेटिंग्स (फिच) द्वारा रेट किए गए मीडियम टर्म नोट (एमटीएन) बांड का पूरा भुगतान 30 नवंबर 2020 को कर दिया गया. इसलिए, बैंक ने एमटीएन बॉन्ड कार्यक्रम के तहत किए गए विभिन्न मामलों के लिए 21 मई 2021 को उनके साथ रेटिंग अनुबंध/करार समाप्त कर दिया था. तदनुसार, विदेशी मुद्रा उधार की रेटिंग वापस ले ली गई है.



जोखिम प्रबंधन

आपके बैंक की जोखिम प्रबंध रणनीति तीन बुनियादी बातों अर्थात् पहचान, मापन और प्रबंधन पर अनिवार्य रूप से ध्यान केंद्रित करती है. पहचान जहाँ बैंक को जोखिमों का आगे विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए समर्थ बनाती है वहीं मापन बैंक को जोखिम का प्रभावी रूप से प्रबंध करने में सक्षम बनाता है. इस रणनीतिक दृष्टिकोण ने बैंक को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाया है तथा इससे विश्वास पैदा हुआ है. उचित सीमाओं और प्रक्रियाओं को दर्शानेवाली एक सुपरिभाषित नीति की रूपरेखा बैंक को अपनी समग्र जोखिम क्षमता के भीतर जोखिमों का प्रबंधन करने में मदद करती है. कारोबार गतिशीलता के मृल तत्वों, बैंकिंग नवोन्मेष, उभरते जोखिम परिदृश्य और विनियामकीय परिवर्तनों को समझते हुए अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों में और अधिक सुधार को सुनिश्चित करने के लिए नीति का आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है. आपका बैंक सभी वर्टिकलों में जोखिम के प्रति जागरुकता फैलाकर, सेवा-प्रदायगी और लेन-देन बिंदुओं तक पहुंचकर तथा इसे निर्णय लेने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाकर अपनी जोखिम प्रबंध संस्कृति में लगातार सुधार का प्रयास करता है. जहां बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, वहीं दैनंदिन की गतिविधियों का संचालन जोखिम अभिशासन संरचना के आधार पर विभिन्न स्तरों पर किया जाता है. जोखिम प्रबंधन प्रणालियां और इसकी प्रक्रियाओं को विनियामकीय आवश्यकताओं के अनुसार लगातार अद्यतित किया जाता है. एक अधिक स्दृढ़ और तकनीकी रूप से उन्नत जोखिम प्रबंधन प्रणाली के लिए, आपके बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबंधन आर्किटेक्चर (आईआरएमए) लागू किया है जिसमें सॉफ्टवेयर समाधान, अर्थात् ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल (आरएएम), पूंजी मूल्यांकन मॉडल (सीएएम) और व्यापक परिचालनगत जोखिम मूल्यांकक (सीओआरई) शामिल है. आईआरएमए ऋण और परिचालनगत जोखिमों की पहचान और मापन में मदद करता है जिससे उपयुक्त जोखिम प्रबंधन रणनीतियां तैयार करने में मदद मिलती है. इसके अलावा बैंक में इसके आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम), निधि अंतरण मृल्य-निर्धारण (एफटीपी), लाभप्रदता प्रबंधन और चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए सुस्थापित वित्तीय विश्लेषण एप्लीकेशन भी है. इसके अलावा, आपके बैंक ने एक एकीकृत ट्रेजरी प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) लागु की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाजार जोखिम का मापन और निगरानी भी शामिल है.

जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं

बैंक सभी परिचालनों और पोर्टफोलियो में जोखिमों के मूल्यांकन और प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नीतियों और स्थापित प्रथाओं के संदर्भ में अपनी जोखिम समीक्षा प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करता है. बैंक के पास विभिन्न स्तरों पर जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को शामिल करने और लागू करने के लिए एक सुपरिभाषित नीति की रूपरेखा है जिन्हें वार्षिक रिपोर्ट के इस खंड में उल्लिखित उपायों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है.

बासेल मानदंडों का कार्यान्वयन

आपका बैंक बासेल-III ढांचे के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पिलर-I दिशानिर्देशों के अनुपालन में ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिमों के लिए विनियामक पूंजी अपेक्षाओं की मासिक आधार पर गणना करता है. इसके अलावा, भारत में बैंकों को 2.50% का पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) बनाए रखने के लिए अधिदेशित किया गया है. आपका बैंक मासिक आवधिकता पर जोखिम (भारित) आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) के घट-बढ़ पर भी निगरानी रखता है. 31 मार्च 2025 को आपके बैंक का 'कूल पूंजी + सीसीबी 'अनुपात 11.50 % की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 25.05 % रहा. इसी प्रकार. आपके बैंक का 'सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) + सीसीबी' अनुपात 8.00% की विनियामकीय अपेक्षा की तुलना में 23.51% रहा. 31 मार्च 2024 को आपके बैंक का *'टियर 1 + सीसीबी'* अनुपात 9.50% की विनियामकीय अपेक्षा की तुलना में 23.51% रहा. 31 मार्च 2025 को आपके बैंक का लीवरेज अनुपात 3.50% की न्यूनतम विनियामकीय अपेक्षा की तुलना में 9.59% रहा. आपके बैंक के पास बासेल III ढांचे के पिलर 2 मानदंडों के अनुरूप आंतरिक पूंजी पर्याप्तता अभिनिर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है. यह नीति बैंक को पिलर-I में शामिल नहीं किए गए या पूर्याप्त रूप से शामिल नहीं किए गए जोखिमों का आंतरिक रूप से आकलन करने और उनका परिमाण निर्धारित करने तथा साथ ही सामान्य एवं दबावग्रस्त स्थितियों में जोखिमों का प्रबंध करने और उन्हें कम करने के लिए उपयक्त रणनीतियां तैयार करने में समर्थ बनाती है. आपके बैंक ने रिजार्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक व्यापक दबाव परीक्षण की रूपरेखा कार्यान्वित की है. यह दबाव परीक्षण रूपरेखा आपके बैंक को असाधारण लेकिन संभाव्य घटनाक्रमों/परिदृश्य में अपने कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने और अप्रत्याशित आकस्मिकताओं का सामना करने के लिए उपयुक्त सिक्रय रणनीति बनाने में सक्षम बनाती है. दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क में परिदृश्य विश्लेषण, बहुघटकीय संवेदनशीलता विश्लेषण और प्रतिवर्ती दबाव परीक्षण को भी शामिल किया गया है. परिदृश्य विश्लेषण में बैंक की पूंजी और लाभप्रदता के संदर्भ में सकल एनपीए के और अधिक बढ़ने, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) और तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले (टीडबल्यूओ) खातों में गैर-निधि आधारित सुविधाओं के क्रिस्टलीकरण और गैर चलनिधि प्रतिभृतियों के प्रभाव का अध्ययन शामिल है. बैंक दबाव, जिससे पूर्वनिर्धारित न्युनतम स्तर तक ले जाने के लिए बैंक की पूंजी और लाभप्रदता पर प्रतिकृल प्रभाव पड सकता है के स्तर का पता लगाने के लिए प्रतिवर्ती दबाव परीक्षण की व्यवस्था का उपयोग करता है. आपके बैंक ने बासेल मानदंडों के अंतर्गत पिलर 3 की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटन नीति अपनाई है. तदनुसार, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर प्रकटनों को आपके बैंक की वेबसाइट पर रखा जाता है, जो उच्च स्तरीय पारदर्शिता प्रदर्शित करता है. आपके बैंक ने अपनी प्रतिष्ठा के संबंध में उत्पन्न जोखिमों और संबंधित परिणामों के साथ-साथ उन्हें नियंत्रित करने के उपायों के लिए जोखिमों का सिक्रय रूप से आकलन करने के लिए एक प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम आकलन और प्रबंध नीति भी बनाई है. आपके बैंक ने समृह स्तर पर समग्र जोखिम प्रोफाइल की निगरानी करने और उसे कम करने के लिए समृह जोखिम मूल्यांकन नीति भी लागू की है. आपका बैंक पूंजी प्रभार की गणना के लिए ऋण जोखिम के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है. आपका बैंक परिचालनगत जोखिम के लिए विनियामक पूंजी प्रभार की गणना हेत् मूलभूत सांकेतिक दृष्टिकोण (बीआईए) अपनाता है. आपका बैंक रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित परिचालन जोखिम पूंजी आवश्यकता के आकलन के लिए नए मानकीकृत दृष्टिकोण को लागू करने के लिए तैयार है. जोखिम संस्कृति को बढावा देने के लिए और प्रभावी नियंत्रण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कारोबार खंडों में प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) और जोखिम

व नियंत्रण स्व-आकलन (आरसीएसए) की व्यापक रूपरेखा लागू की गई है. आपका बैंक बाजार जोखिम के लिए विनियामक पूंजी अपेक्षाओं की गणना हेतु मानकीकृत अविध दृष्टिकोण (एसडीए) अपनाता है.

ऋण जोखिम

आपके बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली में इंटेलिजेंट क्रेडिट ओरिजिनेशन (आईसीओएन) प्रणाली शामिल है जो प्रस्तावों की क्रेडिट रेटिंग के लिए ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल और पूंजी पर्याप्तता निर्धारण के स्वचालन के लिए पूंजी मूल्यांकन मॉडल (सीएएम) है. बैंक की ऋण नीति की बदलते कारोबारी उद्देश्यों तथा आर्थिक परिदृश्य के अनरूप आवधिक समीक्षा की जाती है और कारोबारी वर्टिकलों के लिए मार्गदर्शी साधन तैयार किए जाते हैं. आपके बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित संरचना के अनुसार, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) अन्य कार्यों के साथ-साथ ऋण नीति की रणनीतियों का कार्यान्वयन सनिश्चित करती है और बैंक-व्यापी आधार पर ऋण जोखिम की निगरानी करती है. आईसीओएन प्रणाली/ स्कोर आधारित आंतरिक रेटिंग के अतिरिक्त, बैंक ने उच्च मृल्य वाले कॉरपोरेट और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को ऋणों के जोखिम वर्गीकरण के लिए मात्रात्मक जोखिम स्कोरिंग मैट्रिक्स (क्यूपएसएम) भी विकसित किया है. आपके बैंक ने कारोबारी उपयोगकर्ताओं के लिए उन्नत ऋण जोखिम मुल्यांकन एप्लिकेशन, अर्थात आईसीओएन विकसित किया है. अद्यतन आईसीओएन एप्लिकेशन तेज, लचीला और अत्याधृनिक तकनीक पर आधारित है. इसमें कई नई विशेषताएं हैं जो सुचारू और कुशल आंतरिक रेटिंग और ऋण संबंधी निर्णय लेने में मदद करेंगी. आपके बैंक के पास एक केंद्रीकृत मॉडल रिपोजिटरी सिस्टम (एमआरएस) है जो वर्टिकलों को दस्तावेजीकरण, समीक्षा, सत्यापन और करार के निष्पादन के संबंध में ई-प्लेटफॉर्म पर अपने संबंधित मॉडल की निगरानी करने में सक्षम बनाता है.

बाजार जोरिवम

आपके बैंक में कार्यों और कारोबार स्थितियों के संदर्भ में बाजार जोखिम प्रबंधन. बाजार जोखिम एवं डेरिवेटिव नीति तथा निवेश नीति में परिभाषित नीतिगत ढांचे के अनुरूप परिचालित होता है. सामान्यतः ये नीतियां जोखिमों व अपवादों के मापन, निगरानी, रिपोर्टिंग तथा बढ़त के लिए जोखिम वहन क्षमता के उपयुक्त स्तरों तथा कार्यान्वयन प्रणालियों की रूपरेखा प्रस्तृत करती है. इंटीग्रेटेड ट्रेजरी मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के कार्यान्वयन के साथ, आपके बैंक की बाजार जोखिम प्रबंधन प्रभावकारिता को और अधिक मजबृती मिली है. ट्रेजरी के मिड ऑफिस द्वारा सभी निर्धारित सीमाओं तथा प्रक्रियाओं की गहन निगरानी की जाती है जो ट्रेजरी के फ्रंट ऑफिस और ट्रेजरी बैक ऑफिस से अलग है. ट्रेडिंग पोजीशन की निगरानी पोर्टफोलियो के साथ-साथ डीलर स्तर पर सीमाओं के आधार पर की जाती है. एक मजबृत एनएसएलआर बॉण्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए आंतरिक स्तर पर विकसित आंतरिक रेटिंग आधारित मॉडल के माध्यम से गैर-सांविधिक चल निधि अनुपात (एनएसएलआर) बांडों का मूल्यांकन किया जाता है. बाजार जोखिम की निगरानी विभिन्न मेटिक्स और साधनों के माध्यम से की जाती है, जैसे स्थितियों की सीमाएं, अंतराल, आशोधित अवधि (एमडी), 01 का कीमत मूल्य (पीवी01), डे लाइट एक्सपोजर और नेट ओवरनाइट ओपन पोजिशन (एनओओपी). बैंक वैल्यू-एट-रिस्क (वीएआर) मेट्रिक्स और नियमित दबाव परीक्षण की मदद से भी जोखिम का आकलन करता है.

चलनिधि प्रबंधन

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति में किए गए उल्लेख के अनुसार सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंध ढाँचा है. बैंक की आस्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) व्यवसाय रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिम की निगरानी और प्रबंध करती है. चलनिधि विश्लेषण और प्रबंध सहित आस्ति-देयता प्रबंध (एएलएम) कार्यकलाप कार्यात्मक क्षेत्रों जैसे वित्त एवं लेखा, टेजरी फ्रंट कार्यालय, बजट एवं आयोजना, आदि के अंतर्गत आने वाले विभिन्न आस्ति देयता समिति (एल्को) सहयोग समूहों के बीच समन्वय से संपन्न किए जाते हैं. आस्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) के निर्देश तथा आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति संबंधित कारोबारी समूहों और वर्टिकलों द्वारा कार्यान्वित किये जाते हैं. विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार 1) जनवरी 2017 से बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना दैनिक आधार पर की जाती है. 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंक का औसत चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) 127.09% रहा. आपके बैंक ने रिजार्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप 1 अक्तूबर 2021 से निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) को लागू किया है. 31 मार्च 2025 को बैंक का निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) 120.63% था.

परिचालनगत जोखिम

बैंक के पास एक स्दृढ़ परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढांचा (ओआरएमएफ) है इसकी संगठनात्मक व्यवस्था में निदेशक मंडल, बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी), परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), जोखिम प्रबंधन विभाग में परिचालन जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) अनुभाग तथा विभिन्न कार्यों और विभागों के नोडल अधिकारी शामिल हैं. परिचालनगत जोखिम की परिचालन प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा निर्देशित है जिसका लक्ष्य बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े परिचालनगत जोखिमों की पहचान, निगरानी, आकलन तथा प्रबंधन करना है. आपके बैंक में विभिन्न व्यावसायिक कार्यकलापों और परिचालनों में अंतर्निहित जोखिमों को कम करने के लिए सशक्त आंतरिक प्रणालियाँ और प्रक्रियाएं हैं. यह मुख्य जोखिम संकेतकों (केआरआई) तथा जोखिम नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) अभ्यासों के जरिए परिचालनगत जोखिमों का प्रबंधन करता है और इस संबंध में हुई प्रगति से परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) को आवधिक रूप से अवगत कराता है. पूरे बैंक से परिचालनगत जोखिम हानि की घटनाओं को समेकित किया जाता है और मूल कारणों के विश्लेषण के साथ परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) को प्रस्तृत किया जाता है. आपका बैंक अर्जन और पूंजी पर दबावग्रस्त परिचालनगत जोखिम संबंधी हानियों के प्रभाव के अध्ययन के लिए तिमाही आधार पर दबाव परीक्षण कार्रवाई भी करता है. इसके साथ ही परिचालनगत जोखिम के लिए बोर्ड अनुमोदित जोखिम वहन सीमा में किसी उल्लंघन का मापन और रिपोर्टिंग



भी की जाती है. वर्तमान में, बैंक ने परिचालनगत जोखिम विनियामकीय पूंजी और जोखिम भारित आस्तियों की गणना के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाया है. साथ ही, बैंक बासेल III मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत परिचालन जोखिम विनियामक पूंजी गणना के लिए भी तैयार है. आपके बैंक ने सभी आंतरिक नीतियों, योजनाओं मैन्युअल और मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को एक ही स्थान पर डिजिटल रूप से होस्ट करने के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म तैयार किया है तािक समय पर अद्यतन किया जाये और कर्मचारियों के लिए सहज पहुंच सुनिश्चित हो.

कारोबार निरंतरता प्रबंधन

आपके बैंक के पास कारोबारी व्यवधानों को कम करने तथा जीवन के लिए जोखिम भरी घटनाओं का मुकाबला करने के लिए सुदृढ कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) प्रक्रियाएं हैं. आपके बैंक को कारोबार निरंतरता प्रबंधन के बैंक व्यापी कवरेज के लिए आईएसओ 22301:2019 प्रमाणन प्राप्त हुआ है. मानव जीवन की सुरक्षा और व्यवधान या आपदा के दौरान बैंकिंग सेवाओं में निरंतरता सनिश्चित करने के लिए, बैंक ने एक सपरिभाषित बीसीएम ढांचा तैयार किया है. सभी महत्वपूर्ण विभागों के लिए व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) दस्तावेजों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कारोबार में व्यवधान या आपदा की स्थिति में तौर-तरीकों और परिणामी पुनर्प्राप्ति रणनीतियों और योजनाओं को शामिल किया गया है. इसके अलावा आपदा के दौरान मानव जीवन की रक्षा करने और मुल्यवान आस्तियों के नुकसान को कम करने के लिए अपनी प्रमुख स्थापनाओं के लिए एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) भी लागू की गई है. विभिन्न व्यवधान परिदृश्यों के तहत इन योजनाओं के लचीलेपन का परीक्षण, बीसीपी परीक्षण अभ्यास, आपदा रिकवरी (डीआर) अभ्यास और महत्वपूर्ण आईटी अनुप्रयोगों के लिए समग्र डीआर अभ्यास के माध्यम से निरंतर आधार पर किया जाता है और बैंक के स्वामित्व वाले परिसर में मॉक इवैक्युएशन ड्रिल आयोजित किए जाते हैं.

सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम

आपके बैंक ने अपने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) जोखिम प्रबंधन तथा नियंत्रण को सशक्त करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं. आपके बैंक ने बैंक की प्रणालियों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नवी मुंबई स्थित अपने डेटा केंद्र (डीसी) और चेन्नई स्थित आपदा रिकवरी (डीआर) साइट पर एक अत्याधनिक सरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना की है. यह 24X7 कार्यरत रहने वाला सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) बैंक के ग्राहकों को सुरक्षित एवं संरक्षित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के बैंक के उद्देश्य को पूरा करने के अलावा साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए और बैंक की सूचना स्रक्षा नीति और साइबर स्रक्षा नीति का अनुपालन स्निश्चित करने के लिए एक कमांड केंद्र के रूप में कार्य करता है. इसके अलावा, एसओसी के माध्यम से आपका बैंक केंद्रीकृत रूप से सुरक्षा साधनों जैसे फायरवाल्स, राऊटर्स, इंट्रजन डिटेक्शन सिस्टम (आईडीएस) डिवाइस/ इंट्रजन प्रिवेंशन सिस्टम (ऑईपीएस) डिवाइस, विशेषाधिकारकृत पहचान प्रबंध (पीआईएम), एंटीवायरस, फिशिंग/ मालवेयर प्रयासों आदि की निगरानी करता है और सुधारात्मक उपाय करता है. आपका बैंक इंटरनेट से जुड़े एप्लीकेशनों अर्थात् फिनेकल ई-बैंकिंग एप्लीकेशन (एफ़ईबीए), मोबाइल बैंकिंग, मेल मैसेजिंग

आदि के लिए नियमित रूप से भेद्यता मूल्यांकन एवं प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) करता है.

आपके बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ियों के संबंध में रिजर्व बैंक की सिफ़ारिशों और बैंकों के लिए रिजर्व बैंक के साइबर सुरक्षा ढांचे को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है. आपके बैंक ने दिशानिर्देशों में अनुशंसित रूप में उपयुक्त संगठनात्मक ढांचा स्थापित किया है जिसमें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ), जो बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) को रिपोर्ट करते हैं, के नेतृत्व में एक अनन्य सूचना सुरक्षा समृह (आईएसजी) का गठन शामिल है.

आपके बैंक ने विशिष्ट सूचना सुरक्षा नीति (आईएसपी), साइबर सुरक्षा नीति (सीएसपी) और साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) लागू की है, जो साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का समाधान करने के लिए प्रबंधन के इरादे तथा दिशा को स्पष्ट करती है. आपका बैंक विभिन्न प्रकार के साइबर ड्रिल, टेबल टॉप अभ्यासों, फिशिंग सिमुलेशन अभ्यासों और अपने सूचना सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति की जांच करने और बनाए रखने के लिए उल्लंघन तैयारी (ब्रीच रेडिनेस) अभ्यास संचालित करता है और सहभागिता करता है.

सूचना सुरक्षा जागरूकता को बैंक के नए कर्मचारियों के लिए परिचय कार्यक्रम में एक अनिवार्य सत्र के रूप में शामिल किया गया है. बैंक के विरष्ठ प्रबंधन के सदस्यों ने बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) में आयोजित किए गए आईटी जोखिम कार्यक्रम में सहभागिता की. कर्मचारियों के लिए नियमित सूचना सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा, सुरक्षा भंग करने के प्रयासों को कम करने/ विफल करने के लिए मेल, एसएमएस, एटीएम और पोस्टरों के जिरए विभिन्न सूचना सुरक्षा सावधानियों के बारे में ग्राहकों को भी सूचित किया जाता है. बैंक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को 'साइबर जागरूकता दिवस' मनाता है. इसके अलावा, बैंक ने आउटसोर्स स्टाफ के लिए साइबर सुरक्षा संबंधी हाइजिन कार्यक्रम/मूल्यांकन भी आयोजित करता है.

आईटी की बुनियादी संरचना और प्रणाली को पैरामीटर और समाप्त बिंदु पॉइंट दोनों समाधानों सिंहत एक सशक्त सूचना सुरक्षा फ्रेमवर्क के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया है. आपके बैंक का डेटा सेंटर (डीसी), आपदा रिकवरी केंद्र (डीआर) तथा नजदीकी डीआर केंद्र (एनडीआर) नवीनतम आईएसओ 27001: 2022 सूचना सुरक्षा मानकों के साथ प्रमाणित हैं. आपके बैंक का नजदीकी डीआर महत्वपूर्ण लेनदेन प्रणालियों के लिए शून्य डेटा हानि सुनिश्चित करता है. बैंक की सूचना सुरक्षा संचालन सिमित (आईएसएससी) सूचना प्रणालियों में आईटी जोखिम को कम करने के लिए निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करती है तथा वलनरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग (वीएपीटी)/एप्लिकेशन सिक्युरिटी टेस्टिंग (एपसेक) प्रक्रिया के माध्यम से पहचानी गई टिप्पणियों की स्थिति पर दिशानिर्देश जारी करती है. साइबर सुरक्षा की दशा, विभिन्न सुरक्षा घटनाएं और नीतियां आवश्यक निर्देशों के लिए बोर्ड की आईटी रणनीति सिमित (आईटीएससीबी) के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं. नीतियों को आईटीएससीबी द्वारा अनुमोदन के लिए बोर्ड को अनुशंसित किया जाता है.

ग्राहक डेटा की सुरक्षा करने, बाह्य आक्रमणों को रोकने तथा आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाने के लिए अनेक सूचना सुरक्षा समाधानों जैसे विशेषाधिकार प्राप्त पहचान एक्सेस प्रबंधन, नेक्स्ट-जेनरेशन - फायरवाल समाधान, एंटीवायरस, हनीपॉट समाधान, पैच प्रबंधन समाधान, सिक्रय डायरेक्टरी, वेब/ मेल गेटवे, एंड पॉइंट एवं यूनिवर्सल सिरियल बस (यूएसबी) एनक्रिप्शन, डेटा लीकेज प्रिवेंशन (डीएलपी) सॉल्यूशन, एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट (एपीटी), नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी), वेब-एप्लिकेशन फायरवाल (डब्ल्यूएएफ), एक्सडीआर (एक्स्टेंडेड डिटेक्शन एंड रेस्पोंस) आदि कार्यान्वित किए गए हैं.

धोखाधडी जोखिम प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन कार्य पर नए मास्टर निर्देश जारी किए, जिसमें बैंकों को अपने समग्र जोखिम प्रबंधन कार्यों और विभागों के भीतर धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के संस्थागतकरण के लिए एक उपयुक्त संगठनात्मक संरचना स्थापित करने का निर्देश दिया गया. तदनुसार, आपके बैंक ने धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समूह (एफआरएमजी) के भीतर धोखाधड़ी निगरानी, जांच और उद्यम-व्यापी धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समाधान (ईएफआरएमएस) कार्यों को पुनर्गठित किया है.

धोखाधड़ी निगरानी एवं जांच टीम बैंक की आंतरिक नीति के अनुसार धोखाधड़ी की जांच और रिपोर्टिंग तथा धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किए गए उपचारात्मक कार्यों की निगरानी के लिए संपर्क बिंदु है. आपका बैंक समय-समय पर आवश्यक परामर्श/परिपत्र जारी करता है जिसका उद्देश्य आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ बनाना तथा आवश्यकता-आधारित सुधारात्मक उपाय लागू करना है. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन (एफआरएम) नीति में धोखाधड़ी का शीघ्र पता लगाने, रोकथाम, रिपोर्टिंग, निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं. बैंक ने धोखाधड़ी की शीघ्र रिपोर्टिंग और धोखाधड़ी की घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए समयसीमा पर विभिन्न आंतरिक परिपत्र जारी किए हैं, जिनमें रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी की समय पर रिपोर्टिंग के महत्व को दोहराया गया है.

ईएफआरएमएस टीम विभिन्न डिजिटल बैंकिंग प्लेटफार्मों और अनुप्रयोगों पर संदिग्ध लेनदेनों की जोखिम-आधारित निगरानी पर ध्यान केंद्रित करती है. धोखाधड़ी का पता लगाने और वास्तविक समय पर रोकथाम के लिए, बैंक उच्च प्रदर्शन वाले ईएफआरएमएस के भीतर पता लगाने के नियम और पूर्वानुमानात्मक विश्लेषणात्मक मॉडल लागू करता है. जोखिम आधारित संदिग्ध लेनदेन निगरानी गतिविधि, जो 24x7 आधार पर संचालित होती है, को बैंक के सभी डिजिटल चैनल लेनदेन को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने उभरते डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के तौर-तरीकों के आधार पर विभिन्न नियमों को प्रगतिशील रूप से लागू किया है. इसके अलावा, ग्राहकों को ईमेल के माध्यम से नवीनतम धोखाधड़ी कार्यप्रणाली और एहितयाती उपायों के बारे में जानकारी दी गई है तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी जागरुकता से संबंधित पोस्ट भी डाले जाते हैं. यह तंत्र अपके बैंक के ग्राहकों को सुरक्षित और अधिक संरक्षित वातावरण में लेनदेन करने एवं उनको डिजिटल भुगतान करने के लिए सशक्त बनाता है.

परोक्ष निगरानी प्रणाली

परोक्ष निगरानी प्रणाली (ओएमएस) फिनेकल में दिन-प्रतिदिन के कार्यों से उत्पन्न त्रुटियों और चूकों का पता लगाने का एक साधन है तथा निगरानी एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अर्लर्ट उत्पन्न करता है. ओएमएस नियम उन अपवादों की पहचान करते हैं जो बैंक को विनियामक, वित्तीय और परिचालन जोखिमों के प्रति अरक्षित कर सकते हैं. बदलते दिशानिर्देशों के अनुरूप ओएमएस अर्लर्ट को बंद करने के लिए मौजूदा नियमों और टर्नअराउंड समय (टीएटी) की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है.

जलवायु जोखिम प्रबंधन

बैंक ने जलवायु संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन करके जलवायु जोखिम प्रबंधन को अपने समग्र जोखिम प्रबंधन ढांचे में एकीकृत किया है. इस प्रक्रिया में एक्सपोजर की पहचान करना, संभावित प्रभावों का आकलन करना और अपने कारोबारी पोर्टफोलियो की निरंतर निगरानी करना शामिल है.

वर्ष के दौरान, बैंक ने जलवायु जोखिम से संबंधित विभिन्न पहलकार्य किये हैं. इसने कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंसियल्स (पीसीएएफ) साझेदारी के दिशानिर्देशों के आधार पर दिसंबर 2024 में अपने निधि-आधारित उद्योग पोर्टफोलियो एक्सपोजर के नमूने के लिए वित्तपोषित उत्सर्जन की गणना की है. इस अभ्यास से बैंक को नमूनाकृत क्षेत्र में जलवायु जोखिमों को समझने में सहायता मिली है.

बैंक ने अपनी बंधक आस्तियों के लिए भौतिक जोखिम मूल्यांकन किया है, जिससे उसकी आस्तियों पर जलवायु संबंधी घटनाओं के संभावित प्रभावों और कमजोरियों की समझ सुनिश्चित हो सके. इसके अतिरिक्त, बैंक जलवायु परिवर्तन से संबंधित नवीनतम घटनाक्रमों, जोखिम और शमन रणनीतियों के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए एक त्रैमासिक आंतरिक समाचार पत्र प्रसारित करता है.

बैंक अपनी जलवायु जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को निरंतर बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. यह विभिन्न हितधारकों के साथ गहन परामर्श करके पर्यावरण, सामाजिक एवं अभिशासन (ईएसजी) जोखिमों को अपने जोखिम प्रबंधन ढांचे (आरएमएफ) में एकीकृत करने की योजना बनाता है. यह एकीकरण सुनिश्चित करेगा कि ईएसजी जोखिमों का आकलन और प्रबंधन किया जाए, जिससे पारदर्शिता और लचीलापन बढेगा.

बैंक की ऋण नीति पर्यावरण के लिए हानिकारक उद्योगों यथा ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन/ उपभोग करने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध लगाती है, जबिक संधारणीय वित्तपोषण को प्रोत्साहित करती है. इसके अलावा, बैंक के पास हरित जमाओं और वित्तपोषण फ्रेमवर्क के बारे में बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति है.

बैंक सौर ऊर्जा, आवासीय सौर पैनल, संपीड़ित बायो गैस, वाणिज्यिक और यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों, जैसे विभिन्न क्षेत्रों को ऋण देकर नवीकरणीय ऊर्जा के वित्तपोषण को भी प्रोत्साहित करता है. बैंक की आंतरिक रेटिंग प्रणाली उधारकर्ता के ऋण जोखिम मूल्यांकन के एक हिस्से के रूप में पर्यावरणीय जोखिमों को भी एकीकृत करती है. बैंक की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण



प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति जलवायु जोखिम का अध्ययन महत्वपूर्ण जोखिमों के रूप में मानती है.

उभरते जोखिम

बैंक जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा खतरों, भू-राजनीतिक जोखिमों, वेंडर जोखिमों, विनियामक परिवर्तनों, तकनीकी व्यवधानों और निकट-अविध में अन्य चुनौतियों सिहत कई उभरते जोखिमों की पहचान करता है और उनसे निपटने हेत् सिक्रय कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है.

बैंक लचीलेपन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने, ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करने और वीयूसीए (अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता) क्षेत्र में विश्वास की रक्षा करने के लिए विभिन्न चैनलों को एकीकृत करता है. संभावित खतरों से बचने के लिए बैंक अपनी साइबर सुरक्षा स्थिति को निरंतर अद्युतन करता रहता है.

बैंक वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर सिक्रय रूप से नजर रखता है तथा अपने कारोबार पर उनके संभावित प्रभाव का आकलन करता है. इसके अतिरिक्त, बैंक प्रतिपक्ष बैंक और कंट्री एक्सपोजर के माध्यम से अपने भू-राजनीतिक जोखिमों की निगरानी करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि इन जोखिमों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया जाए. विविधीकृत पोर्टफोलियो बनाए रखने और रणनीतिक योजना में संलग्न होकर, बैंक का लक्ष्य भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रभावों को कम करना है.

प्रबंधन, नियंत्रण और प्रणालियां

मानव पूंजी: कर्मचारियों को सशक्त बनाना और कर्मचारी अनुभव में सुधार करना

आपका बैंक मानता है कि उसके कर्मचारी उसकी सफलता की नींव हैं. बैंक हमेशा एक सिक्रय और भिवष्य के लिए तैयार संगठनात्मक वातावरण के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहा है, जहां कर्मचारी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें और अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सकें, जिससे बैंक के रणनीतिक लक्ष्यों में योगवान मिल सके.

विभिन्न कारोबारी चुनौतियों का समाधान करते हुए, आपके बैंक ने रणनीति, संरचना, प्रणालियों और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण पुनर्गठन किया है. कर्मचारी अनुभव को बढ़ाने के प्रयास सदैव ऐसे सभी रणनीतिक हस्तक्षेपों के मूल में रहे हैं. जन-केंद्रित संस्कृति को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, आपके बैंक ने कर्मचारियों को सशक्त बनाने और उनके समग्र अनुभव को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है. हमेशा से ही ऐसी संस्कृति बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो बाजार उन्मुखीकरण और कर्मचारी कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखे. इस संबंध में किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं:

 भविष्य के लिए तैयार प्रतिभा अधिग्रहण: आपका बैंक विकास पथ पर अग्रसर है और युवा कार्यबल के साथ एक नए युग के निजी बैंक के रूप में स्वयं को रूपांतरित कर रहा है. बहुआयामी प्रतिभा अधिग्रहण रणनीति, बैंक के कैंपस कनेक्ट कार्यक्रम, प्रशिक्षित अधिकारी उपलब्ध कराने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग और सीधी भर्ती के माध्यम से युवा प्रतिभाओं को शामिल करने में सफल रही है. इसका उद्देश्य संगठनात्मक विकास के लिए आवश्यक कौशल सेट के साथ प्रतिभाओं को भर्ती करना है. वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने विभिन्न ग्रेडों में 2,755 व्यक्तियों की भर्ती की, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

ग्रेड	कुल
एक्जिक्यूटिव-बिक्री एवं परिचालन	1,337
ग्रेड ओ (कनिष्ठ सहायक प्रबंधक)	1,146
ग्रेड ए (सहायक प्रबंधक)	204
ग्रेड बी (प्रबंधक)	41
ग्रेड सी (सहायक महा प्रबंधक)	17
ग्रेड डी (उप महा प्रबंधक)	2
ग्रेड ई (महा प्रबंधक)	2
ग्रेड एफ़ (मुख्य महा प्रबंधक)*	2
उप प्रबंध निदेशक	1
लिपिक #	3
	2,755

^{*} मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी को छोड़कर.

अनुकंपा नियुक्ति

31 मार्च 2025 को आपके बैंक के पास कुल स्टाफ संख्या 19,731 थी, जो निम्नानुसार है:

श्रेणी	कुल*
अधिकारी	16,923
एक्जिक्यूटिव	2,164
लिपिक	312
अधीनस्थ	332
कुल	19,731

^{* -} इस गणना में संविदा पर कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं.

- प्रतिभा प्रबंधन: आपका बैंक मानव पूंजी के समग्र विकास में विश्वास करता है और निम्नलिखित उपायों के माध्यम से कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप किया है:
 - कार्यबल नियोजन इष्टतम कार्यबल दक्षताः आपके बैंक ने कार्यबल के इष्टतम उपयोग और परिचालन दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक रूप से कार्यबल नियोजन पर ध्यान केंद्रित किया है. आपके बैंक ने सभी कार्यों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए, कारोबारी की आवश्यकताओं के साथ स्टाफिंग को संरेखित करने के लिए डेटा-संचालित कार्यबल योजना को लागू किया है. आपके बैंक के पास कर्मचारियों के विकास को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक और सांविधिक आवश्यकताओं को सुगम बनाने के लिए एक मजबूत कार्यबल नियोजन तंत्र है. व्यापक और विविध परिचालनगत क्षेत्रों के एक्सपोजर के माध्यम से अधिकारियों की क्षमता और कौशल विकसित करने के लिए नियुक्तियाँ की जाती हैं. इसे क्षमता निर्माण ढांचे के माध्यम से भी सगम बनाया

जाता है, जो ज्ञान उन्नयन और मौजूदा कौशल सेट को बढ़ाने के माध्यम से विशिष्ट हस्तक्षेप के माध्यम से व्यक्तियों के कौशल को इष्टतम करने की परिकल्पना करता है. इसके अलावा, संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारियों सहित अधिकारियों के स्थानांतरण अधिकारियों के आवर्तन और स्थानांतरण नीति में दिए अनुसार निर्देशित होते हैं.

- कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली उत्कृष्टता और विकास को बढ़ावा देना: आपके बैंक ने एक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली, अर्थात् आईडीबीआई कार्यनिष्पादन आकलन और निरंतर मूल्यांकन प्रणाली (आई-पेस) स्थापित की है, जिसका उद्देश्य उच्च-प्रदर्शन, अनुपालन-केन्द्रित संस्कृति को बढ़ावा देना और कर्मचारी लक्ष्यों को संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित करना है. आई-पेस में समान भूमिकाओं के लिए एक जैसे भारांक और अधिकांश मापने योग्य केआरए के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली/डैशबोर्ड लिंकेज वाला मानकीकृत मुख्य परिणाम क्षेत्र (केआरए) शामिल है. आपके बैंक के पास कार्यनिष्पादन से जुड़ी परिवर्ती वेतन योजना है, जो कर्मचारियों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने हेतु प्रेरित करती है. आपका बैंक एक सुदृढ़ कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से योग्यता, निरंतर सुधार और कर्मचारी सशक्तिकरण की संस्कृति को बढावा देने के लिए प्रतिबद्ध है.
- व्यावसायिक विकास कैरियर में उन्नित और उत्कृष्टता को सक्षम बनाना: बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं अर्थात् खुदरा, कॉरपोरेट, व्यापार वित्त, ट्रेजरी, सरकारी व्यवसाय, आदि, बिक्री, परिचालन और सहायता कार्य में अवसर सर्वांगीण व्यावसायिक विकास के लिए पर्याप्त संभावनाएं प्रदान करते हैं. युवा कर्मचारी ज्ञानार्जन पर अधिक जोर दे रहे हैं और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं. आपके बैंक ने कैरियर में उन्नित के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान के साथ कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए व्यावसायिक विकास पहलों को प्राथमिकता दी है. कर्मचारियों द्वारा निरंतर ज्ञानार्जन की सुविधा के लिए, आपका बैंक प्रासंगिक क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों / प्रमाणन कार्यक्रमों के शुत्क की प्रतिपूर्ति भी कर रहा है.
- उत्तराधिकार नियोजन: आपके बैंक ने कारोबार निरंतरता और नेतृत्व प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालक निदेशक और मुख्य महाप्रबंधक के महत्वपूर्ण विरिष्ठ पदों पर उत्तराधिकार नियोजन के लिए एक नीति बनाई है. यह नीति विरिष्ठ पदों के लिए नेतृत्व प्रक्रिया के सृजन के लिए एक समग्र ढांचा उपलब्ध कराती है तािक जब चिन्हित महत्वपूर्ण पद खाली हो तो कारोबार स्थिरता सुनिश्चित हो सके.
- समग्र कल्याण पर ध्यान देना: आपके बैंक ने कर्मचारी कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है, यह मानते हुए कि सच्ची सफलता पेशेवर विकास, व्यक्तिगत संतुष्टि और एक सहायक कार्य

वातावरण के संतुलन से आती है. आपके बैंक ने कर्मचारी अनुभव को समृद्ध किया है जो उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने, अपने कार्यक्षेत्रों में अधिकाधिक ध्यान केंद्रित करने और अपने कार्य में संबद्धता, दक्षता और पूर्णता की भावना महसुस करने में मदद करता है.

- स्वास्थ्य और कल्याण: आपका बैंक अपने कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा, घरेलू उपचार पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति, व्यापक स्वास्थ्य जांच, प्रमुख केंद्रों पर बैंक चिकित्सा अधिकारी की सेवाएं आदि शामिल हैं. अपने कर्मचारियों के भावनात्मक कल्याण की देखभाल के लिए आपके बैंक ने कर्मचारी कल्याण और सहायक कार्यक्रम, 'आई-केयर' की शुरुआत की है जिसमें कर्मचारी और उनके आश्रितों प्रशिक्षित विशेषज्ञ सलाहकारों की सहायता प्राप्त कर सकते हैं. कर्मचारियों के बीच एक स्वस्थ जीवन शैली, कल्याण के लिए, आपके बैंक ने मुंबई में अपने प्रधान कार्यक्रम आयोजित किए हैं. आपके बैंक ने प्रमुख मैराथन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पंजीकरण शुल्क (एक बार) की प्रतिपूर्ति के लिए एक योजना भी शुरूकी है.
- ऋण एवं अग्रिम: आपका बैंक सुलभ ब्याज दरों और चुकौती की रियायती शर्तों पर ऋण और अग्रिम प्रदान करता है जो कर्मचारियों को अपने सपने साकार करने के लिए सपनों का घर/कार खरीदने में सक्षम बनाता है. कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी आवास ऋण की चुकौती को आगे बढ़ाने का विकल्प भी दिया जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी का पूरा जीवन-चक्र सुरक्षित रहे.
- कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति: आपके बैंक ने अपने सभी कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को कक्षा X/ XII की बोर्ड परीक्षाओं में अनुकरणीय शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत करने हेतु एक योजना - 'आई-शिक्षा' की शुरूआत की है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आपके बैंक ने अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले श्रेणी III एवं IV के कर्मचारियों के बच्चों के लिए डॉ. बी. आर. अम्बेडकर छात्रवृत्ति संवितरित की.
- अनुकंपा योजनाएं: यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारियों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, आपके बैंक ने परिवार के आश्चित सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति/अनुग्रह राशि का भुगतान और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएँ बनाई हैं. सभी कर्मचारियों को जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है और सभी बकाया स्टाफ ऋणों को बीमा योजनाओं के अंतर्गत कवर किया जाता है.



- विधिक एवं वित्तीय सहायता: आपके बैंक ने अपने निदेशकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को वित्तीय और विधिक सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना बनाई है और 'निदेशकों और अधिकारियों के लिए' देयता बीमा पॉलिसी भी ली है
- विविधता और समावेशन: आपके बैंक ने कार्यबल में विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे हैं. आपके बैंक ने संगठन के सभी स्तरों पर समान अवसर को बढ़ावा देते हुए समावेशी भर्ती प्रथाओं को लागू किया है. आपके बैंक ने दिव्यांगजन की भर्ती करना और आरक्षण पर लागू दिशानिर्देशों का पालन करना जारी रखा है. 31 मार्च 2025 को बैंक की कुल कार्यबल में अनुसूचित जाति (अजा) / अनुसूचित जनजाति (अजजा) / अन्य पिछडे वर्ग (अपिव) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आरूकव) का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार थाः

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछडे वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
अधिकारी	2,445	987	4,519	368
एक्जिक्यूटिव	350	126	789	307
लिपिक	41	17	38	0
अधीनस्थ	87	26	69	0
कुल	2,923	1,156	5,415	675

- औद्योगिक संबंध: आपके बैंक में वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध का वातावरण समान्यतः मैत्रीपूर्ण रहा है तथा अधिकांश समस्याओं का समाधान सौहार्दपूर्ण रूप से किया गया है. अधिकारियों/कर्मचारियों की शिकायतों को समझने और उनका समाधान करने के लिए प्रलक्षित संवाद स्थापित करने के अपने प्रयासों के तौर पर बैंक संघों और यूनियनों के साथ बैठकें करता है. संघ और यूनियन भी विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिक्रियाशील और सक्रिय रहे हैं.
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच)

बैंक ने अवांछनीय घटना के घटित होने पर पीड़ित महिला को तुरंत सहायता देने और तत्काल अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपने कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से प्रभावित महिला की शिकायत सीधे आंतरिक समिति के सदस्यों के पास दर्ज कराने के लिए ई-मेल-आधारित शिकायत प्रणाली कार्यान्वित की है.

• कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निदान) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन

> बैंक ने सुरक्षित और मैत्रीपूर्ण कार्य वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन की रोकथाम को

सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निदान) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में मिलने वाली शिकायतों के निपटान के लिए बारह आंतरिक समितियों का गठन किया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक को 12 (बारह) शिकायतें प्राप्त हुईं, जिस पर संबंधित आंतरिक समितियों द्वारा संज्ञान लिया गया. 31 मार्च 2025 को 4 शिकायतें प्रक्रियाधीन हैं.

• नैतिकता और अनुपालन: आपके बैंक ने पूरे बैंक में नैतिक और अनुपालन संस्कृति का प्रचार सुनिश्चित करने के लिए मुख्य नैतिकता अधिकारी/अंचल नैतिकता अधिकारियों की अवधारणा शुरू की है.

ज्ञानार्जन और कर्मचारी सहभागिता (एल एंड ईडी)

आईडीबीआई ज्ञानार्जन पारिस्थितिकी तंत्रः ज्ञानार्जन में निवेश से उत्कृष्टता लाएं :


ज्ञानार्जन और कर्मचारी सहभागिता एक सक्षम और आत्मविश्वासी टीम स्जन के पीछे प्रेरक शिक्त है, जो कारोबार और अनुपालन उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है. आपका बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है कि प्रत्येक कर्मचारी को उचित ज्ञानार्जन कार्यक्रमों में शामिल किया जाए, जो कर्मचारी विकास और सशक्तिकरण में निवेश करने के बैंक के दृष्टिकोण के साथ विचारपूर्वक संरेखित है. ये कार्यक्रम अंचलों और वर्टिकलों द्वारा पहचानी गई सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित हैं, जो कौशल वृद्धि के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हैं.

इस वर्ष ज्ञानार्जन में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया गया:

- प्रत्येक कार्यक्रम में अनुपालन, नियंत्रण एवं नैतिकता (सीसीई)
- भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के लिए ज्ञानार्जन को डिजिटल बनाना
- सहयोगात्मक ज्ञानार्जन के माध्यम से विशेषज्ञता को बढाना

ज्ञानार्जन - विकास और उत्कृष्टता का लक्ष्य:

आपका बैंक ज्ञानार्जन को ने केवल अनिवार्य कार्य के रूप में बल्कि ज्ञान और कौशल किमयों की पहचान करने और उन्हें अनुकूलित कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से जोड़ने के लिए एक रणनीतिक उपकरण के रूप में देखता है. यह परिकल्पना ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञानार्जन पहलों के संतुलित मिश्रण को सुनिश्चित करते हुए व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर केंद्रित है. वर्ष के दौरान ज्ञानार्जन के कार्यक्रमों में कर्मचारी कवरेज इस प्रकार है:



कुल 19,731 कर्मचारियों में से 19,307 ने वर्ष के दौरान ऑनलाइन/ ऑफलाइन ज्ञानार्जन कार्यक्रमों में सहभागिता की.

सभी कर्मचारी श्रेणियों में लक्षित और प्राप्त कार्य-दिवस:

ज्ञानार्जन और कर्मचारी सहभागिता (एल एंड ईडी) नीति के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में कर्मचारियों के विकास के लिए न्यूनतम कार्य -दिवस निर्धारित किए गए हैं. आपके बैंक ने न केवल इन लक्ष्यों को पूरा किया है, बल्कि इन लक्ष्यों से आगे भी बढ़ गया है (107%), जो निरंतर सीखने और क्षमता निर्माण के प्रति सुदृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

विभिन्न ज्ञानार्जन कार्यक्रमों की मैपिंग का डिजाडन:

कर्मचारियों की विशिष्ट भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों और विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए ज्ञानार्जन कार्यक्रमों को डिजाइन और मैप करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण अपनाया गया है. यह मैपिंग संगठनात्मक लक्ष्यों और व्यक्तिगत कैरियर प्रगति के साथ संरेखण सुनिश्चित करती है. कार्यक्रमों को कार्यात्मक, व्यवहारिक, विनियामक और नेतृत्व दक्षताओं के आधार पर वर्गीकृत कियाजाता है, जिससे प्रत्येककर्मचारी श्रेणी के लिए लिक्षित ज्ञानार्जन मध्यक्षेप सक्षम होता है:



व्यवहारिक कार्यक्रम

 आरोहण 3: उत्कृष्टता की ओर मेरे कदम
 आपका बैंक अपने कर्मचारियों को सशक्त और देश भर में एक सक्षम और आत्मविश्वासी कार्यबल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है

इस परिकल्पना का समर्थन करने के लिए, आरोहन - एक आंतरिक प्रेरक कार्यक्रम - ग्रेड डी तक के कर्मचारियों के लिए डिजाइन किया गया है. कार्यक्रम एक सुदृढ़ और प्रेरक संदेश देता है: 'सभी के पास अपना भाग्य खुद लिखने की शक्ति है'. आरोहण व्यावहारिक आत्म-सशक्तिकरण उपकरण पेश करता है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन, दोनों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने में मदद करना है.

सत्रों में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया:



आयोजित	शामिल	शामिल
कार्यक्रम	प्रतिभागी	% प्रतिभागी
710	15,913	95%

• प्रभावशाली नेतृत्व

भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई), अहमदाबाद के सहयोग से महाप्रबंधकों के लिए नेतृत्व कौशल बढ़ाने पर केंद्रित दो दिवसीय 'नेतृत्व विकास' कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में एक दिन का आंतरिक आरोहण कार्यक्रम और एक दिन ईडीआईआई द्वारा 'उद्यमी चिंतन' शामिल था. प्रधान कार्यालय, आईडीबीआई बैंकिंग एवं वित्त उत्कृष्टता केंद्र (आईसीबीएफ), हैदराबाद और दिल्ली में आयोजित कार्यक्रमों में कुल 205 महाप्रबंधकों (95%) ने भाग लिया.

प्रबंधन विकास कार्यक्रम

आईआईएम, कोलकाता में कार्यपालक निदेशकों और मुख्य महाप्रबंधकों के लिए एक प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम का केंद्र बिंदु उच्च प्रदर्शन वाली टीमों का प्रबंध करना, विरष्ठ नेतृत्वकर्ताओं के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों से लैस करना, पिरणाम प्राप्त करने और प्रभावी नेतृत्व करने पर था.



• अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए कल्याण कार्यक्रम

देश भर में अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए मानसिक और शारीरिक फिटनेस पर केंद्रित दो-दिवसीय प्रेरक कार्यक्रम आयोजित किया गया. कुल 27 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 457 कर्मचारी शामिल थे.

• सॉफ्ट स्किल्स अनुकूलित सत्र


अनुभवजन्य और परिस्थितिजन्य शिक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यक्रमों में अनन्य सत्र शामिल किए गए हैं, जिन्हें विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है. इन सत्रों का उद्देश्य वास्तिवक दुनिया के परिदृश्यों के माध्यम से प्रमुख अवधारणाओं की गहरी समझ और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग को बढ़ाना है.

•. क्षमता निर्माण

भूमिका-आधारित कार्यशालाएँ

आपके बैंक ने शाखा प्रमुखों, आस्ति अधिकारियों, सेवा एवं परिचालन प्रबंधकों, संपर्क प्रबंधकों, ग्राहक सेवा एक्जिक्यूटिव और टेलर सेवा एक्जिक्यूटिव सहित शाखाओं में विभिन्न पदों के लिए भूमिका-आधारित कार्यशालाएँ शुरूकी हैं. इन कार्यशालाओं में व्यापक तौर पर कार्य संबंधी और व्यवहार संबद्ध सत्रों को कवर करने के साथ ही अनुपालन, नियंत्रण और नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया. इसका उद्देश्य ज्ञान एवं कौशल संबंधी अंतर को खत्म करते हुए कर्मचारियों में आत्मविश्वास विकसित करना है तािक वे नई या मौजूदा भूमिकाओं का निर्वहन कर सकें. भूमिका-आधारित कार्यशालाओं की प्रगति इस प्रकार है:

भूमिका आधारित कार्यशालाएं शामिल किए गए प्रतिभागियों की स्थिति



एसओएम - सेवा एवं परिचालन प्रबंधक आरएम/आरओ - संपर्क प्रबंधक/ संपर्क अधिकारी सीएसई/टीएसई - ग्राहक सेवा एक्जिक्यूटिव / टेलर सेवा एक्जिक्यूटिव जेएएम - कनिष्ठ सहायक प्रबंधक

• ऑनलाइन कैप्पुल कार्यक्रम


आपके बैंक ने ऑनलाइन कैप्सूल कार्यक्रमों के माध्यम से विशेषीकृत क्षेत्रों में कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने के प्रयास शुरू किए हैं. ये कार्यक्रम कारोबारी समय के बाद 'कर्मचारियों के डेस्क' तक पहुँचकर संचालित किए जाते हैं. इसका लक्ष्य व्यक्तिगत कर्मचारियों के स्थान पर पूरी शाखा को लिक्षत करना है, चूंकि कार्यक्रम टीम्स मीटिंग के माध्यम से आयोज्ञित किए जाते हैं. इससे शाखा की अधिकतम भागीदारी हो पाती है.

इस वर्ष निम्नलिखित ऑनलाइन कैप्सूल कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं:

- दैनिक अनुशासन : अनुपालन, नियंत्रण और नैतिकता (सीसीई)
- एमएसएमई ज्ञानशाला
- कृषि ज्ञानशाला
- व्यापार वित्त-एक सरलीकृत मार्गदर्शिका
- केवाईसी उत्कृष्टता अभियान

इन कार्यक्रमों की स्थिति:

ऑनलाइन कैप्पूल कार्यक्रम



वर्टिकल कार्यकम

विभिन्न वर्टिकलों की विशिष्ट ज्ञानार्जन आवश्यकताओं के आधार पर, आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.

विशेषीकृत कौशल विकास के लिए, बाहरी कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों को नामित किया गया है और बाहरी विशेषज्ञों के सहायता से सहयोगी सत्र आयोजित किए गए हैं. इन पहलों ने विशेष रूप से प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों जैसे ट्रेजरी, क्रेडिट, व्यापार वित्त, लेखा परीक्षा, अनुपालन, परिचालन, आईटी और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है. कुल 58 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 1,534 अधिकारी शामिल हुए हैं. इसके अलावा, विभिन्न वर्टिकलों से 949 अधिकारियों को विभिन्न विशेषीकृत संस्थानों जैसे भारतीय प्रशासनिक स्टाफ महाविद्यालय (एएससीआई), स्टेट बैंक ग्रामीण विकास संस्थान (एसबीआईआरडी), कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), उन्नत वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केंद्र (कैफरल), क्रिसिल लिमिटेड, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) आदि में 105 कार्यक्रमों में नामांकित किया गया.

• सहयोगात्मक ज्ञानार्जन- क्लस्टर कार्यक्रम

आपके बैंक ने नजदीकी शाखा समूहों की सामूहिक चिंताओं पर आधारित अनुकूलित कार्यक्रम विकसित करके स्थान सुविधा कार्यक्रम नामक एक नए दृष्टिकोण पर काम किया है. ये कार्यक्रम दैनिक कार्यों में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करते हुए शाम को शाखा स्थानों पर सुविधा प्रदाताओं द्वारा संचालित किए जाते हैं.

• युवा प्रतिभा का पोषण

भावी नेतृत्वकर्ताओं का विकास करना आपके बैंक के लिए हमेशा से एक प्राथमिकता रही है. उनके ऑन-बोर्डिंग अनुभव को समृद्ध करने, दक्षताओं को बढ़ाने, उन्हें बैंक की कार्य संस्कृति, विकास के अवसरों, उनकी भूमिकाओं एवं अपेक्षाओं आदि से अवगत कराने हेतु टाई-अप कार्यक्रमों और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए सहायक प्रबंधकों, किनष्ठ सहायक प्रबंधकों और लेटरल भर्ती कार्मिकों, एक्जिक्यूटिव के लिए संस्थागत परिचय कार्यक्रमों की समीक्षा की गई है. वर्ष में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं:

आईसीबीएफ़, हैदराबाद और विभिन्न अंचलों के आईडीबीआई ज्ञानार्जन केंद्र में नए भर्ती लोगों के लिए परिचय कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बैंक के बारे में, कार्य संस्कृति, भूमिका, जिम्मेदारी, अनुपालन, नियंत्रण और नैतिकता जैसे विषयों को शामिल किया गया. कुल 136 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 3,030 प्रतिभागी शामिल हुए.

विशेषीकृत क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए प्रतिभा विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए. निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए:

> एलसीजी/एमसीजी अधिकारियों के लिए ऋण कौशल विकसित करने हेतु सघन ऋण प्रबंधन कार्यक्रम (आईसीएमपी); और

 नए भर्ती किए गए आईटी अधिकारियों के लिए सूचना प्रणाली और प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता कार्यक्रम (इन्फोस्टेप).

पहली बार बने शाखा प्रमुखों के लिए अनन्य कार्यक्रम - पहली बार बने शाखा प्रमुखों के लिए नेतृत्व विकास, समस्या समाधान और अंतर्वैयक्तिक प्रबंधन पर केंद्रित समर्पित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. कुल आठ कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 203 शाखा प्रमुख शामिल हए.

• जानार्जन का डिजिटलीकरण

ओजस (ई-लर्निंग)

आपके बैंक का उद्देश्य ज्ञानार्जन के डिजिटलीकरण, प्रतिभागियों को सुविधा प्रदान करने और समय एवं लागत की बचत करना है. कर्मचारियों को आसान पहुंच प्रदान करने के लिए विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवार्य कार्यक्रमों को ई-लर्निंग मॉड्यूल में विकसित किया गया है. इस दृष्टिकोण ने सभी कर्मचारियों द्वारा उच्च पूर्णता प्रतिशत के साथ अच्छे परिणाम दिए हैं. विनियामक अनुपालन मॉड्यूल में प्रतिभागियों का कवरेज 99.25% रहा है.

ओजस (ई-लर्निंग) मॉड्यूल को अद्यतन करना

कर्मचारियों को नवीनतम घटनाक्रमों, बैंक के दिशा-निर्देशों, योजनाओं और प्रक्रियाओं तक सुविधाजनक पहुँच प्रदान करने के क्रम में, आपके बैंक ने विषय विशेषज्ञों के सहयोग से ई-लर्निंग मॉड्यूल को अद्यतित करने के प्रयास किए हैं. इन मॉड्यूल्स को मोबाइल सहित ऑनलाइन माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.

माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से आभासी कार्यक्रम

आभासी कार्यक्रमों को आंतरिक रूप से और बाहरी संस्थानों के सहयोग से विचारपूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया. इन पहलों को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, जिससे प्रतिभागियों को मूल्यवान ज्ञानार्जन अनुभव मिले हैं.

• ऑनलाइन कैप्पूल कार्यक्रम

डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए, 'ऑनलाइन कैप्सूल कार्यक्रम' के तहत विशेषीकृत विषयों को शामिल किया गया है. इस पहल ने कर्मचारियों के बीच पहुँच और सहभागिता को काफी हद तक बढ़ाया है.



बोर्ड के सदस्यों और विरिष्ठ प्रबंधन के लिए उद्योग की वर्तमान प्रासंगिकता के अनुसार अनुकूलित विशेष कार्यक्रम

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपीप'23)
- उद्यम जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम
- एआई, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा पर कार्यक्रम

•. सेवानिवृत्ति कार्यक्रम

आगामी तिमाहियों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए एक विशेष त्रैमासिक कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसमें वित्तीय नियोजन, भावनात्मक तत्परता, जीवनशैली समायोजन और सेवानिवृत्ति के बाद के अवसरों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि एक सुचारू और सफल परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके.

• प्रभाव विश्लेषण - गृणात्मक सुधार सूचकांक (क्यूआईआई)

कर्मचारियों की समझ, ज्ञान वृद्धि और कार्यक्रम के पश्चात एक निश्चित अवधि के बाद कार्यस्थल पर उनके द्वारा सृजित मूल्य का आकलन करने के लिए भूमिका-आधारित कार्यशालाओं और ऑनलाइन कैप्सूल कार्यक्रमों के लिए व्यवस्थित तरीके से क्यूआईआई को मापा जा रहा है. क्यूआईआई निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर प्राप्त किया जाता है:

- क. **एंग्जिट टेस्ट असेसमेंट -** कार्यक्रम के बाद ज्ञान प्रतिधारण को मापता है.
- ख. **कर्मचारी प्रतिक्रिया -** कार्यक्रम और कार्यस्थल पर इसकी प्रयोज्यता के बारे में प्रतिभागी की धारणा को दर्शाता है.
- ग. रिपोर्टिंग प्राधिकरण से प्रतिक्रिया कर्मचारी में कार्यात्मक एवं व्यवहारिक सुधारों और परिवर्तनों का मूल्यांकन करने के लिए एक निर्धारित अवधि के बाद लिया जाता है.
- घ. समीक्षा प्राधिकरण से प्रतिक्रिया निरंतर प्रभाव और समग्र योगदान का आकलन करने के लिए एक अंतराल के बाद एकत्र किया जाता है.
- इ. कारोबार विकास कारोबार कार्यनिष्पादन में सुधार को मापने के लिए 'एमएसएमई ज्ञानशाला' और 'कृषि ज्ञानशाला' जैसे उत्पाद विशिष्ट कार्यक्रमों में मूल्यांकन किया जाता है.
- च. **परिचालन लंबित में कमी** परिचालन क्षेत्र लंबित में कमी के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है.

अन्य बैंकों/एनबीएफसी के लिए ज्ञानार्जन कार्यक्रम आयोजित करना

आपके बैंक ने आंतरिक और बाहरी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 1,228 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए अन्य बैंकों के लिए 40 ऑफ़लाइन/वर्चुअल लिन्ग प्रोग्राम आयोजित किए हैं. यह पहल अन्य संस्थानों के साथ संपर्क को मजबूत करती है और आपसी लाभ के लिए भविष्य में सहयोग की खोज में मदद करती है.

• कर्मचारी सहभागिता के लिए ज्ञानार्जन गतिविधियाँ

निरंतर सीखने की आदत डालने के लिए, आपके बैंक ने विभिन्न कर्मचारी सहभागिता गितविधियाँ शुरू की हैं जैसे लिर्निंग बुधवार - शाखाओं, क्षेत्रों, अंचलों और विर्विकलों में कर्मचारियों द्वारा टीम में ज्ञान को अद्यतन करने और नए कौशल सीखने के लिए एक समर्पित दिन, आईडीबीआई नॉलेज कप - एक बैंक-स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता - जिसमें क्षेत्रों और विर्विकल की टीमों ने पहले दौर में भाग लिया, विजेता टीमें दूसरे स्तर पर पहुँची. अंचल और विर्विकल विजेताओं के बीच अंतिम दौर आयोजित किया गया, अनुपालन पर रैपिड फायर - यह आईएलसी और आईसीबीएफ में सभी कार्यात्मक कार्यक्रमों के अंतिम दिन आयोजित किया गया. यह सहयोगात्मक शिक्षण दृष्टिकोण सकारात्मक परिणाम दे रहा है.

ई-प्रकाशनों के माध्यम से ज्ञान अद्यतन करना

बेंक की योजनाओं, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के बारे में ज्ञान अद्यतन करने और वर्तमान आर्थिक स्थितियों, वैश्विक अर्थव्यवस्था, विनियामक के दिशानिर्देशों आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, आपके बैंक ने आंतरिक ई-प्रकाशन विकसित और नियमित रूप से अद्यतन किए हैं और इंट्रानेट पर अपलोड किए हैं - 'क्यूबैंक' - ज्ञान अद्यतन के लिए प्रश्न बैंक और 'जोके+' अर्थव्यवस्था, विनियामक दिशानिर्देशों और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में जागरूकता के लिए तैयार किया गया है.

परिपत्रों, एसओपी, कार्यक्रम विवरण, पीपीटी, प्रेरक कॉलम आदि को शामिल करते हुए एक नया व्यापक एलएंडईडी वेबपेज विकसित किया गया है.

संकाय विकास कार्यक्रम

ज्ञानार्जन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, संकाय विकास आवश्यक है. इसे पहचानते हुए, आपके बैंक ने प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई), गुड़गांव द्वारा संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) और इन-हाउस व्यवहार विज्ञान पहल के लिए 'प्रशिक्षक को प्रशिक्षित करें' कार्यक्रम जैसी विभिन्न पहलों का आयोजन करके इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है. इन प्रयासों का उद्देश्य सुविधा प्रदाताओं के क्षमता स्तर को बढ़ाना तथा समग्र ज्ञानार्जन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है.

प्रशासन और बुनियादी संरचना प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने पूरे भारत में 76 नई शाखाएँ स्थापित की. आपके बैंक के बुनियादी संरचना प्रबंध विभाग (आईएमडी) ने विभिन्न अंचलों में लगभग 100 शाखाओं का स्थानांतरण और बड़ा नवीकरण पूरा कर लिया है. आईसीबीएफ, हैदराबाद में आईटी केंद्र, प्रशिक्षण हॉल और छात्रावास सुविधा सिंहत कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है. अनुपालन में सुधार के लिए, वर्ष के दौरान बैंक की खरीद मैनुअल तैयार की गई है. आपके बैंक ने अपने स्वामित्व वाली विभिन्न संपत्तियों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया. वर्ष के दौरान कोच्चि में एक नया अंचल कार्यालय स्थापित किया गया.

आंतरिक लेखापरीक्षा

आपके बैंक का एक समर्पित आंतिरक लेखापरीक्षा विभाग है जो आंतिरक नीतियों, प्रक्रियाओं और विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच करता है और साथ ही यह बैंक के भीतर आंतिरक नियंत्रणों, जोखिम प्रबंधन और अभिशासन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता के बारे में वस्तुनिष्ठ आश्वासन तथा सुधारों हेतु सुझाव भी देता है. लेखापरीक्षा कार्य के अंतर्गत जोखिम आधारित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण अपनाया गया है और लेखा परीक्षा कार्यकलापों बैंक के कारोबार एवं प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखाओं और गैर-शाखा खंडों में फैले सपोर्ट वर्टिकलों द्वारा की गई संपूर्ण गतिविधि शामिल हैं. जोखिम आधारित आंतिरक लेखापरीक्षा फ्रेमवर्क की आवधिक आधार पर समीक्षा एवं संशोधन किया जाता है तािक बदलते कारोबारी वातावरण के साथ संरेखित किया जा सके और एक सख्त अनुपालन संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जा सके. आंतिरक लेखापरीक्षा विभाग, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) के समग्र मार्गदर्शन तथा देख-रेख में कार्य करता है.

लेखा परीक्षा का कार्य (i) जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति; (ii) समवर्ती लेखापरीक्षा नीति; और (iii) सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा नीति द्वारा अभिशासित होता है. जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति के हिस्से के रूप में आपके बैंक का लेखापरीक्षा विभाग विभिन्न प्रकार के लेखापरीक्षा अर्थात् शाखा लेखापरीक्षा, अंचलों और क्षेत्रों की प्रबंधन लेखापरीक्षा, ऋण लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, विभागीय लेखापरीक्षा, व्यय लेखापरीक्षा आदि करता है. सामान्य लेखापरीक्षाओं के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा विभाग औचक लेखापरीक्षा, गतिशील लेखापरीक्षा, स्नैप लेखापरीक्षा, विषयगत लेखापरीक्षा आदि करता है ताकि आंतरिक नियंत्रण तंत्र की सशक्तता स्निश्चित की जा सके. शाखा लेखापरीक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने तथा प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक अंचल लेखापरीक्षा कार्यालय (जेडएओ) संरचना बनाई गई है. लेखापरीक्षा प्रक्रिया को एक वेब आधारित एप्लिकेशन- अर्थात लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली के जरिये संपन्न किया जाता है, जिसे लेखापरीक्षित इकाइयों के संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालनों की निगरानी हेतृ तत्काल आधार देखा जा सकता है. इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा विभाग (i) स्टाफ जवाबदेही नीति के अंतर्गत स्टाफ जवाबदेही (ii) लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट और (iii) वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी कार्य का भी प्रबंध करता है.

लेखापरीक्षा कार्य के लिए उपयुक्त रूप से योग्य और कुशल मानव संसाधन की तैनाती की गई है, जो जहां भी उचित समझा जाए, परिचालनगत, वित्तीय और विनियामक जोखिमों, आदि को कम करने के लिए सक्रिय रूप से प्रक्रियाओं और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने की सिफारिशें करता है और प्रबंधन को सुधारात्मक कार्रवाइयों के लिए समय पर प्रतिक्रिया देता है.

लॉना फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर)

सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) द्वारा लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) को अंतिम रूप देने में आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा बैंक की शाखाओं के साथ समन्वय स्थापित कर एससीए के साथ सुचना साझा करने में सहायता की जा रही है. एलएफएआर अवलोकनों को इनपुट करने तथा शाखाओं द्वारा इसके अनुपालन/आंकड़ों को प्रस्तृत करने तथा एससीए द्वारा उपयोग के लिए समेकित रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है. लेखापरीक्षा विभाग एलएफएआर में की गई टिप्पणियों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों/वर्टिकलों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है. एलएफएआर अवलोकनों के अनुपालन को अधिकतम करने के लिए अंचलों के साथ बैठकों सिंहत अंतर-वर्टिकल बैठकें आयोजित की गईं. साथ ही, लेखापरीक्षा विभाग नियमित रूप से डीलिंग ग्रप्स (डीजी) को एडवायजरी जारी करता है कि डीजी द्वारा निवारक नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत खामियों को दूर करने के लिए सक्रिय उपाय करें तथा विसंगतियों को समय पर दूर करने के लिए तैयार रहें, जो अन्यथा एलएफएआर टिप्पणियों का हिस्सा बन सकती हैं, इस प्रकार बैंक में सतत अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा दिया

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (इफको-एफआर)

आईएफसीओ-एफआर ढांचे के तहत जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स (आरसीएम) की समय-समय पर आंतिरक समीक्षा की जाती है और प्रक्रियाओं में बदलाव,यिद कोई हो,को बाह्य परामर्शदाताओं के मार्गदर्शन और कवरेज बढ़ाने के लिए सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) के सुझावों के साथ अद्यतन किया जाता है. बैंक द्वारा नियुक्त बाहरी सलाहकार विभिन्न जोखिम परिभाषित आंतिरक प्रक्रिया नियंत्रणों का स्वतंत्र परीक्षण करता है और विभिन्न स्थानों पर नमूने के आधार पर शाखाओं, आस्ति प्रसंस्करण केंद्र और व्यापार वित्त केंद्र का दौरा करके तिमाही आधार पर इसे मान्य करता है.

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, व्यवसाय प्रक्रिया स्वामियों के सहयोग से ढांचे के अंतर्गत नियंत्रणों के आवधिक मूल्यांकन और समीक्षा के पश्चात बाह्य सलाहकारों द्वारा स्वतंत्र सत्यापन की सुविधा प्रदान करता है. बाह्य सलाहकार द्वारा जोखिम नियंत्रण की प्रभावशीलता का स्वतंत्र मूल्यांकन यह आश्वासन प्रदान करता है कि (i) पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियाँ मौजूद हैं; तथा (ii) ऐसे नियंत्रणों का परिचालन प्रभावशील है. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग संबंधित



प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

कारोबारी कार्यों को संवेदनशील बनाने के लिए निरंतर अभ्यास करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी खुले मुद्दों को समय पर बंद करने के प्रयास में नियंत्रणों के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं.

सूचना प्रणाली (आईएस) की लेखापरीक्षा

सूचना प्रणाली (आईएस) की लेखापरीक्षा बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य का एक अभिन्न अंग है और प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं, इसके व्यावसायिक प्रभावों और प्रौद्योगिकियों से जुड़े जोखिमों की निरंतर आधार पर समीक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से बैंकिंग में सूचना प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर अपनाने के मद्देनजर, इन प्रणालियों की बार-बार समीक्षा करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सुचना प्रणालियों के लिए बुनियादी नियंत्रण और सुरक्षा प्रणालियाँ मौजूद हैं और संबंधित विभाग सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन कर रहे हैं. बैंक का सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा कार्य विभिन्न प्रकार के लेखापरीक्षाओं, जैसे आईटी प्रणाली/अनुप्रयोग, आईटी अवसंरचना, आईटी से संबंधित नीतियां/प्रक्रियाएं, शाखाएं और आउटसोर्स आईटी सेवा प्रदाताओं को शामिल करके बैंक की आईटी आस्तियों की अखंडता, गोपनीयता और उपलब्धता सनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. 'लेखा परीक्षा कार्य के स्वतंत्र आश्वासन' के बारे में रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए बैंक का आईएस लेखा परीक्षा प्रबंधन तथा विनियामक, दोनों को आश्वासन प्रदान करता है. आवधिक आधार पर गुणवत्ता आश्वासन समीक्षाओं के माध्यम से बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की प्रभावशीलता और दक्षता को मान्य किया जाता है, जो सशक्त अभिशासन कार्यप्रणालियों के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ करता है. उभरते खतरों और विनियामक अपेक्षाओं को परा करने के लिए बैंक ने अपनी व्यापक आईएस लेखा परीक्षा नीति को अद्यतित किया है.

उभरती प्रौद्योगिकियों, सूचना सुरक्षा की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देशों/सलाहों/परिपत्रों के बारे में आईएस लेखा परीक्षकों को अद्यतित करने के लिए आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आईएस लेखा परीक्षक तकनीकी और कारोबारी क्षेत्रों में नवीनतम विकास से अच्छी तरह वाकिफ है.

बैंक सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा से संबंधित अपनी अभिशासन कार्यप्रणालियों में निरंतर सुधार कर रहा है. आईएस लेखा परीक्षा द्वारा, नियमित लेखा परीक्षा, समीक्षा, मूल्यांकन और प्रतिक्रिया तंत्र के माध्यम से, बैंक में सुधार हेतु क्षेत्रों और अभिशासन ढांचे को सशक्त करने के अपनाए जाने वाले उपायों की पहचान करता है.

समवर्ती लेखापरीक्षा

समवर्ती लेखापरीक्षा (सीए) प्रणाली अनियमितताओं/चूकों का पता लगाने के लिए बैंक की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) का भाग है जो जोखिमों को नियंत्रित रखने में आंतरिक और विनियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघनों की रोकथाम करने और धोखाधड़ी वाले लेनदेनों को रोकने में सहायता करती है. सीए प्रणाली मूलतः एक नियंत्रण प्रक्रिया है जो मजबूत आंतरिक लेखांकन प्रणालियों की स्थापना और प्रभावी नियंत्रणों हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है. रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित समवर्ती

लेखा परीक्षा (सीए) नीति के अनुसार, जोखिम धारणा और संभाले गए व्यवसाय की मात्रा के आधार पर शाखाओं, विशेष/गैर-आरबीजी इकाइयाँ जैसे बड़े कॉरपोरेट समृह (एलसीजी), मध्य कॉरपोरेट समृह (एमसीजी), व्यापार वित्त केंद्र (टीएफ़सी), खुदरा आस्ति केंद्र (आरएसी), करेंसी चेस्ट, ट्रेजरी इत्यादि और सभी केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र जैसे क्रेडिट सॉल्युशंस सेंटर हब, केंद्रीकृत खाता खोलने वाले प्रभाग (आरपीय), इत्यादि की समवर्ती लेखा परीक्षा (सीए) की जाती है. बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीए नीति के अनुसार, सीए को बैंक की 70% जमा और 70% अग्रिमों को कवर करना आवश्यक है. तद्नुसार, वर्ष 2024-25 लेखापरीक्षा चक्र में समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत बैंक में 1,569 लेखापरीक्षित इकाइयों को शामिल किया गया है जिनमें 83.88% जमाराशियां और 83.24% अग्रिम शामिल हैं. गुणात्मक रिपोर्टों और समय पर प्रस्तुति के लिए समवर्ती लेखापरीक्षकों के कार्यनिष्पादन की निरंतर आधार पर अंचल लेखापरीक्षा कार्यालयों और बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा गहन निगरानी की जाती है. इसके अलावा. उच्च जोखिम या उससे ऊपर की श्रेणी में आने वाली ग्रामीण - वित्तीय समावेशन/ ग्रामीण शाखाओं तथा उन इकाइयों की, जहां जोखिम को कम करने के लिए सीए की अनुपलब्धता के कारण समवर्ती लेखा परीक्षक की नियक्ति नहीं की जा सकी. संबंधित अंचल लेखा परीक्षा कार्यालयों द्वारा तिमाही आधार पर तदर्थ लेखा परीक्षा भी की जाती है. समवर्ती लेखा परीक्षकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं. इसके अतिरिक्त पर्यवेक्षी नियंत्रण के रूप में. महाप्रबंधक(जीएम)/उप महाप्रबंधक(डीजीएम) जेडएओ द्वारा प्रत्येक तीन महीने में एक बार समवर्ती लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षित इकाई के साथ औपचारिक बैठक आयोजित की जाती है.

ऋण लेखापरीक्षा

ऋण पोर्टफोलियो में गुणवत्ता संबंधी सुधार सुनिश्चित करने के लिए आपके बैंक के पास चुनिंदा खातों की विस्तृत समीक्षा हेतु ऋण लेखापरीक्षा की एक प्रणाली है. ऋण लेखापरीक्षा में मूल्यांकन की पर्याप्तता, आंतरिक और विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन, दस्तावेजीकरण और प्रतिभूति सृजन की पर्याप्तता, खाते के संचालन की जांच आदि जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाता है. ऋण लेखापरीक्षा के लिए परिभाषित मानदंडों के आधार पर उधारकर्ता खातों को अभिनिधीरित किया जाता है अर्थात् (i) कार्यकलाप के आकार के आधार पर निर्दिष्ट सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक की मंजूरी सीमा वाले सभी नए, अधिग्रहण एवं ऋण वर्धन प्रस्ताव और सीमाओं के नवीकरण/नवीकरण-सह-वृद्धि के प्रस्ताव और कॉरपोरेट नवीनीकरण के ऐसे मामले जिनकी रेटिंग बीबीबी और उससे नीचे है; (ii) निवेश ग्रेड से नीचे (यदि समीक्षा अवधि के दौरान निवेश ग्रेड से नीचे हुई हो).

छानबीनपरक लेखापरीक्षा अथवा विशेष छानबीनपरक लेखापरीक्षा (आईए / एसआईए)

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा विभिन्न ट्रिगर्स के आधार पर विभिन्न शाखाओं/ खुदरा आस्ति केंद्रों (आरएसी) में कई विशेष छानबीनपरक लेखापरीक्षा/ छानबीनपरक लेखापरीक्षाएं (एसआईए/ आईए) की गईं. लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की गई छानबीन प्रणालीगत सुधारों, नीतियों में सुधारों, योजना दिशानिर्देशों, कार्य-प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, साथ ही नियंत्रणों को मजबूत करने तथा शाखाओं की बेहतर ढंग से समग्र निगरानी करने में सहायता करती हैं. एसआईए/आईए द्वारा दिये गये प्रारंभिक ट्रिगर से अंचलों को समय पर वस्ली/विधिक कार्रवाई करने में सहायता मिली और खातों को अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में जाने से रोका गया. इन एसआईए से प्राप्त महत्वपूर्ण अवलोकनों को आवश्यक निर्देशों हेतु एसआईए/आईए के लिए गठित कार्यपालक निदेशक (ईडी) स्तर की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है. उन पर किए गए सुधारात्मक उपायों को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) को रिपोर्ट किया जाता है. एसआईए/ आईए से प्राप्त चूक/ किमयों को शाखाओं और साथ ही नियंत्रक इकाईयों के साथ साझा किया जाता है तािक ऐसी चूक की पुनरावृत्ति से बचा जा सके और न केवल शाखा स्तर पर, बल्कि पर्यवेक्षीय स्तर पर अनुपालन प्रक्रिया को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके.

स्टाफ जवाबदेही

आपके बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्टाफ जवाबदेही (एसए) नीति के अंतर्गत स्टाफ जवाबदेही संबंधी मुद्दों की जांच के लिए एक समर्पित टीम है, जिसकी प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है और इसका उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर बैंक के व्यापक हितों की सुरक्षा करना है जहां बैंक के हितों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं का स्टाफ द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है और जिसके पिरणामस्वरूप बैंक को हानि हुई है. यह प्रक्रिया, संगठन को अपनी कार्य-प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार करने, प्रशिक्षण और परामर्श के माध्यम से किसी प्रकार के ज्ञान की कमी को दूर करने अथवा अन्य कार्रवाइयों द्वारा एक ऐसा वातावरण तैयार करने में जो दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं के बेहतर अनुपालन के अनुकूल हो, के द्वारा आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने में सहायता करती है.

सतर्कता तंत्र

आपके बैंक के प्रधान कार्यालय, मुंबई में एक सतर्कता विभाग (वीजीडी) परिचालनरत है जिसके विभागाध्यक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं. आपके बैंक ने अंचल स्तर पर बेहतर नियंत्रण रखने और सतर्कता गतिविधियों की निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपने सभी अंचल कार्यालयों (जेडओ) में भी सतर्कता टीमों का गठन किया है.

सीवीओ बैंक के सतर्कता मामलों से संबंधित सभी कार्यों को देखते हैं जिनके कार्यक्षेत्र/व्याप्ति में शामिल हैं (i) बैंक के कर्मचारियों द्वारा किए गए या संभवतः किए जाने वाले भ्रष्ट आचरण के बारे में सूचना का संग्रहण करना; (ii) सतर्कता मामलों का प्रसंस्करण, सतर्कता संकेतों एवं सत्यापन योग्य आरोपों संबंधी शिकायतों की जांच करना या जांच शुरू करवाना; (iii) छानबीन रिपोर्टों पर कार्रवाई करना जिसे आगे अनुशासनात्मक प्राधिकारी के विचारार्थ भेजना; (iv) जहां कहीं भी आवश्यकता हो मामलों को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को उनके विचारार्थ/ सलाह हेतु भेजना; (v) भ्रष्टाचार/कदाचार रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना: (vi) अन्य

कार्यकलापों के साथ विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय एवं संपर्क करना, शामिल है.

आपके बैंक के इंटरनेट पर सतर्कता विभाग का एक समर्पित वेबपेज है, जिस पर इसके कार्यों का विहंगावलोकन, सीवीसी के मानक नोटिस का प्रारूप उपलब्ध है जिसे बैंक की शाखाओं/कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाना निर्धारित है, सीवीसी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए महत्वपूर्ण परिपत्रों/ दिशानिर्देशों, सीवीसी के मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन (सीटीईओ), साथ ही आपके बैंक द्वारा और निवारक सतर्कता के लिए क्या करें और क्या न करें भी उपलब्ध हैं. सतर्कता विभाग द्वारा किए गए प्रयासों से आपके बैंक के अधिकारियों के बीच सतर्कता जागरूकता के स्तर को बढ़ाने में मदद मिली है.

सतर्कता कार्य में 'निवारक सतर्कता' और 'दंडात्मक सतर्कता' दोनों तत्त्व शामिल हैं. निवारक सतर्कता एक सतत प्रक्रिया है जिसमें मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का प्रयास किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि, निर्धारित प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है, विवेकाधिकार का कम उपयोग किया जाये और सतर्कता मामलों पर कर्मचारियों के साथ-साथ बैंक के हितधारकों को संवेदनशील बनाना/ में जागरूकता उत्पन्न करना सनिश्चित किया जाए.

आपके बैंक द्वारा अपनाए गए कुछ सतर्कता निवारक उपायों में विभिन्न शाखाओं में अनाचार, यदि कोई हो, का पता लगाने और स्थापित प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की जांच हेतु ऑनसाइट निगरानी/औचक सतर्कता दौरे (एसवीवी) तथा स्वतः संज्ञान आधार पर (स्टाफ/बाह्य तत्वों द्वारा किसी भी संदिग्ध अनुचित कार्यों की जानकारी प्राप्त होने पर) निरीक्षण करना शामिल है. इसके अतिरिक्त, सतर्कता विभाग एकबारगी निपटान (ओटीएस)/ पहली बार अनर्जक आस्ति (एफटीएनपीए) मामलों, बैंक अधिकारियों के आस्ति व देयताओं की विवरणियों (एआरएएल) और बैंक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच और प्रणालीगत सुधार के लिए पाई गई अनियमितताओं को रोकने के लिए सलाह जारी करना, जहां भी आवश्यक हो, सतर्कता संबंधी मामलों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना आदि शामिल हैं. आपके बैंक के पास सतर्कता मामलों से संबंधित शिकायतों की प्रभावी निगरानी और त्वरित निपटान के लिए सतर्कता शिकायत प्रबंधन मॉड्यूल (वीसीएमएम) है.

भ्रष्टाचार से निपटने के प्रयासों के हिस्से के रूप में और साथ ही सीवीसी के निदेशों के अनुसार सतर्कता विषयों पर जन जागरूकता को बढ़ाने एवं फैलाने के लिए, आपके बैंक ने 28 अक्तूबर 2024 से 03 नवंबर 2024 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) 2024 'सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि' विषय पर मनाया. इस अवसर पर, आपके बैंक ने अपने सभी कर्मचारियों के लाभ के लिए एक विशेष ई-पित्रका जारी की. बैंक ने अखिल भारतीय स्तर पर स्टाफ सदस्यों तथा उनके बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफ लाइन मोड पर विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे प्रश्नोत्तरी, निबंध-लेखन, कार्टून और कैरिकेचर चित्रकला, कॉइन-ए-कैप्शन, मेमोरी गेम, क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता आदि का भी आयोजन किया. इसके अतिरिक्त, वीएडब्ल्यू 2024 के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग के एक विरुठ अधिकारी ने आपके बैंक के प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों को संबोधित किया.



प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

वीएडब्ल्यू 2024 के एक हिस्से के रूप में, आपके बैंक के कर्मचारियों ने ऑनलाइन माध्यम से सत्यनिष्ठता की प्रतिज्ञा ली. भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई का समर्थन करने के लिए बैंक के ग्राहकों को उनके खाते के विवरण के साथ सत्यनिष्ठता की प्रतिज्ञा लेने के लिए भी एक लिंक भेजा गया. आपके बैंक के फील्ड अधिकारियों, ग्राहकों और सर्व साधारण के लाभ के लिए विभिन्न स्थानों पर संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया. आम जनता/नागरिकों के बीच जागरुकता के लिए, वीएडब्ल्यू 2024 के बैनर/पोस्टर आपके बैंक के अंचल कार्यालयों (जेडओ), क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ), शाखाओं और सार्वजनिक इंटरफेस वाले अन्य स्थानों पर प्रदर्शित किए गए. आपके बैंक ने विभिन्न स्थानों पर ग्राम सभाओं का आयोजन किया और जागरूकता अभियान भी चलाया.

सीवीसी के निर्देशों के अनुसार, वीएडब्ल्यू 2024 के बारे में जानकारी आपके बैंक की वेबसाइट के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके पेज/ हैंडल के माध्यम से प्रसारित की गई.

क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों को जागरूक बनाने और प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन के लिए बैंक के उपर्युक्त प्रयासों को सीवीसी द्वारा वीएडब्ल्यू 2024 में अपनी विशेष पत्रिका - 'विजआई वाणी' में मान्यता दी गई है.

विनियामक अनुपालन

आपका बैंक आंतरिक नियंत्रणों की संरचित प्रणाली और विभिन्न स्तरीय समीक्षा के जरिए भारत सरकार, रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभित एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा अन्य विनियामक/सांविधिक निकायों द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न सांविधिक एवं विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. बैंक का अनुपालन विभाग, प्रधान कार्यालय में स्थित है और कार्यपालक निदेशक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी इसके प्रमुख हैं जिन्हें मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) के रूप में नामित किया गया है, यह विभाग सभी सांविधिक और विनियामक दिशानिर्देशों के प्रसार और समावेशन का समन्वय करता है. आपके बैंक ने रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक अनुपालन नीति लागु की है जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए अनुपालन कार्य के संबंध में भूमिका और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है. बोर्ड को रिजर्व बैंक और अन्य विनियामकों/एजेंसियों से प्राप्त महत्वपूर्ण सूचनाओं/दिशानिर्देशों के संबंध में मासिक अंतराल पर अवगत कराया जाता है. आपका बैंक अनुमोदित अनुपालन परीक्षण योजना के अनुसार विनियामक अनुपालन के सत्यापन के लिए जोखिम आधारित परीक्षण भी करता है. आपके बैंक ने 'Cermo+ NXT'और Trackers' नामक उन्नत प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग को लागु करके अपने आंतरिक अनुपालन संस्कृति को सूक्ष्म स्तर पर मजबूत किया है, जो बैंक स्तर पर अनुपालन के स्तर के उचित डेटा प्रबंधन और निगरानी के साथ-साथ रिजर्व बैंक को अनुपालन प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. आपके बैंक ने बैंक में अनुपालन संस्कृति में सुधार के लिए विभिन्न अन्य उपाय भी किए हैं.

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम

आपके बैंक ने कार्य के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त होने वाले अनुरोधों का त्वरित उत्तर देने के लिए केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किए हैं. इसके अतिरिक्त, सभी शाखा प्रमुखों को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों को प्राप्त करने और उन्हें नामित सीपीआईओ के पास भेजने के लिए केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है. आपके बैंक ने असंतुष्ट आवेदकों की अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए मुख्य महा प्रबंधक स्तर के एक विरष्ठ अधिकारी को प्रथम अपील प्राधिकारी (एफएए) के रूप में नामित किया है. आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यपालक निदेशक स्तर के अधिकारी को पारदर्शिता अधिकारी नियुक्त किया गया है. बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर आरटीआई अधिनियम के लिए एक अलग लिंक उपलब्ध कराया गया है. आपके बैंक ने भारत सरकार के आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के साथ भी संबद्धता स्थापित की है जिसके अंतर्गत नागरिक पोर्टल (https://rtionline.gov.in) के जिरये आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांग सकते हैं और अपील दायर कर सकते हैं.

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

समीक्षाधीन अविध के दौरान आपके बैंक ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास किये हैं और भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम व नियमों के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन कर रहा है. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और अन्य निर्देशों के अनुपालन के लिए आपके बैंक के सभी वर्टिकलों, विभागों, अंचल कार्यालयों और शाखाओं द्वारा नियमित रूप से विशेष प्रयास किए गए.

बैंक ने ग्राहकों के साथ हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए कई पहल कार्य िकये हैं जैसे, हिंदी में एटीएम रसीद जारी करना, हिंदी में एसएमएस भेजना आदि. वर्ष के दौरान, बैंक की वेबसाइट पर बैंक की योजनाओं एवं योजनाओं के बारे में हिन्दी में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रयास किये गये. बैंक के मोबाइल एप्लिकेशन गो मोबाइल+ में हिंदी की सुविधा उपलब्ध कराई गई. ग्राहकों के लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के पोस्टर, बैनर तथा अन्य प्रचार सामग्री को हिंदी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रदर्शित किया गया. सरकार की सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं के प्रचार अभियानों में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया गया.

आपके बैंक ने हिंदी में कार्य को सुगम बनाने के लिए अपने इंट्रानेट पर द्विभाषी रूप में टेम्पलेट पत्र, फॉर्म, प्रारूप, वार्षिक रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञापन, शब्दकोश, नोटिंग और अन्य प्रासंगिक संदर्भ सामग्री अपलोड की है. स्टाफ सदस्यों द्वारा अपने दैनंदिन कार्यालयीन कार्य में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गईं और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. बैंक के प्रधान कार्यालय, मुंबई के विभिन्न विभागों/वर्टिकलों और अन्य कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को प्रगामी रूप से बढ़ावा देने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन की विभिन्न अपेक्षाओं और हिंदी यूनिकोड के प्रयोग के बारे में कर्मचारियों को परिचित करने के लिए आपके बैंक के सभी क्षेत्रों में राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित की गईं.

बैंक ने सितंबर 2024 में राजभाषा पखवाड़ा भी आयोजित किया. शाखाओं/विभागों में हिंदी के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए तिमाही बैठकें (ओएलआईसी) आयोजित की जाती हैं और तिमाही रिपोर्ट राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जाती हैं. हिंदी के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए शाखाओं/विभागों का निरीक्षण किया गया है. दैनिक कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के आपके बैंक के प्रयास को विभिन्न मंचों पर उचित मान्यता मिली तथा वर्ष के दौरान पुरस्कार भी प्रदान किए गए.

ग्राहक सेवा और शिकायत प्रबंधन

अपने सभी हितधारकों के लिए सर्वाधिक पसंदीदा और विश्वसनीय बैंक बनने के अपने ध्येय को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है जो उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के साथ ग्राहकों को खुश रखने पर केंद्रित है.

आपके बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र (सीसीसी) गुणवत्तापूर्ण ग्राहक अनुभव को बनाये रखते हुए शिकायतों के समय पर समाधान के लिए प्रतिबद्ध है. ग्राहकों की बदलती जरूरतों और पसंदों के प्रति उत्तरदायी होने के लिए, आपका बैंक वार्षिक आधार पर अपनी नीतियों अर्थात् ग्राहक सेवा नीति, शिकायत निवारण नीति और ग्राहक अधिकार नीति की समीक्षा करता है ताकि यह सनिश्चित किया जा सके कि ये नीतियां नवीनतम घटनाक्रमों के अनुरूप हैं और ग्राहकों को एक परिभाषित प्रणाली के अनुसार अपनी शिकायतों को हल करने के लिए सशक्त बनाती हैं. सभी चैनलों से प्राप्त शिकायतों पर इन्हीं नीतियों के अनुसार ही कार्रवाई करता है, जिसमें एक आंतरिक चेतावनी तंत्र वाला समय-आधारित इन-बिल्ट एस्केलेशन मैटिक्स भी शामिल है, जिसके तहत यदि शिकायत का समाधान एक पूर्व-परिभाषित टर्नअराउंड समय (टीएटी) के भीतर नहीं किया जाता है, तो उसे बेहतर शिकायत समाधान प्रबंधन के लिए अगले उच्च अधिकारी के पास प्रेषित कर दिया जाता है. आपके बैंक ने अपने 15 अंचल कार्यालयों में प्रत्येक में शिकायत निवारण अधिकारियों (जीआरओ) और प्रधान कार्यालय में एक प्रधान नोडल अधिकारी (पीएनओ) को पदनामित किया है. इसके अलावा, आंतरिक लोकपाल योजना 2018 और मास्टर निर्देश - भारतीय रिजर्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक लोकपाल) निर्देश, 2023 के अनुसार जिन शिकायतों को बैंक अस्वीकार/ आंशिक समाधान प्रदान करने का प्रस्ताव करता है, उन्हें ग्राहक को जवाब देने से पूर्व बैंक के आंतरिक लोकपाल (आईओ) के पास भेजा जाता है. आपके बैंक की एक मानकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) है, जो प्राप्त शिकायतों को दर्ज करने, निगरानी और उनका समय पर समाधान करने में सहायता करती है. विभिन्न ग्राहक संपर्क बिन्दुओं और विनियामकों से प्राप्त शिकायतों की प्रविष्टि इस सिस्टम में की जाती है और इसे ट्रैक करने के लिए एक लिंक के साथ एसएमएस के द्वारा पावती ग्राहक को भेजी जाती है. ग्राहक को बैंक की वेबसाइट/निकटतम शाखा/संपर्क केंद्र के माध्यम से पंजीकृत शिकायत की स्थिति का पता लगाने की सुविधा भी प्राप्त है. आपके बैंक ने ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति (एससीसीएस) एवं बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) जैसी वरिष्ठ स्तर की दो समितियां स्थापित की हैं, जो हर तिमाही आधार पर बैठकें आयोजित करती हैं. इन समितियों को बैंक के विभिन्न संपर्क बिन्दुओं द्वारा ग्राहकों को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है. ये समितियां ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों और प्रतिक्रिया का मूल्यांकन भी करती हैं तथा समाधान की दक्षता बढाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करती हैं तथा सेवा में सुधार के लिए प्रक्रिया में बदलाव भी करती हैं.

ग्राहकों के प्रश्नों के समाधान करने और विविध चैनलों से प्राप्त ग्राहक शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए आपके बैंक के पास 24*7 आधार पर सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई और हैदराबाद स्थित दो समर्पित ग्राहक संपर्क केंद्र है. बैंक के ग्राहकों की विविधता का सम्मान और स्वीकार करते हुए तथा उनकी बातचीत को व्यक्तिगत बनाने का प्रयास करते हुए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा ग्राहक संपर्क केंद्र 10 क्षेत्रीय भाषाओं में सेवाएं प्रदान करता है.

आपका बैंक वार्षिक आधार पर जमाकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करता है और निष्कर्षों का मूल्यांकन किया जाता है तथा प्राप्त जानकारियों को उत्पादों/ प्रक्रियाओं/प्रणालियों में सुधार के लिए शामिल किया जाता है. शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समिति (बीएलसीएससी) की बैठकें प्रत्येक माह की 15 तारीख को आयोजित की जाती हैं तािक ग्राहकों और शाखा के बीच संरचित संप्रेषण को प्रोत्साहित किया जा सके जिससे शाखा में सेवा स्तर में वृद्धि हो सके.

आपके बैंक ने विगत वित्तीय वर्ष में ग्राहक सेवा के क्षेत्र में विभिन्न पहलकार्य किए हैं. इसके अतिरिक्त, लागत को कम करते हुए प्रक्रिया दक्षताओं में स्वचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से आपका बैंक विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों का लाभ उठा रहा है. विभिन्न संपर्क बिंदुओं और चैनलों से प्राप्त सभी ग्राहक शिकायतों और विवादों को दर्ज करने और समाधान सुनिश्चित करने के लिए नई शिकायत प्रबंधन प्रणाली अर्थात् आई-टच सीआरएम शुरू की गई है.

कॉरपोरेट संवाद

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आपके बैंक के विज्ञापन का उद्देश्य बैंक की ब्रांड जागरुकता, उत्पाद और सेवा के प्रचार के माध्यम से ब्रांड रिकॉल को बढावा देना और बैंक के प्रमुख उत्पादों के लिए प्रतिफल का निर्माण करना था. वर्ष के दौरान चलाए गए अभियान, ब्रांड के साथ-साथ उत्पादों की विशिष्ट विशेषताओं पर प्रकाश डालने पर केंद्रित थे और मुख्य रूप से ओओएच (आउट ऑफ होम) माध्यम, प्रिंट माध्यम और डिजिटल प्लेटफ़ोर्मों के माध्यम से चलाए गए थे, जो टेलीविजन और सिनेमा स्क्रीन जैसे माध्यमों से उच्च प्रभाव के परक थे. आपके बैंक द्वारा जनसंपर्क (पीआर) के क्षेत्र में भी कई पहल कार्य किये गये. जिनका उद्देश्य समाचारों के सकारात्मक पहल को बनाए रखना और मीडिया में आपके बैंक की छवि को बढाने के साथ ही हितधारकों की अनुभूति को सुदृढ़ करना भी था. आपके बैंक को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में अपने पहल कार्यों के लिए कई सकारात्मक प्रतिसाद मिले. आपका बैंक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एक्स और यूट्यूब पर अपने आधिकारिक ब्रांड पेज/हैंडल के माध्यम से संप्रेषण करता है और अभिनव तरीकों से जुड़ाव गतिविधियों को जारी रखा. आपके बैंक ने विभिन्न सोशल मीडिया पर साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी जागरुकता आदि जैसे विषयों पर विभिन्न ग्राहक शिक्षण सीरीज की भी शुरुआत की.

सूचना प्रौद्योगिकी

आपके बैंक ने अपनी स्थिर और सतत् प्रगति जारी रखी है और नए ग्राहक खंडों का पता लगाने और अधिक नवीन योजनाएं विकसित करने के लिए फिनटेक के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण का विकल्प चुना है. आपके बैंक ने अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है और खुद को नवीनतम विश्लेषणात्मक उपकरणों और एपीआई प्रौद्योगिकी से सुसज्जित किया है, जो



प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

ग्राहक डेटा का विश्लेषण और सारांश बनाने, ग्राहक अनुभव को और बढ़ाने, परिचालन को सुव्यवस्थित करने और डिजिटल दुनिया की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देने में सक्षम है.

आपके बैंक ने नए डिजिटल भुगतान फीचर - 'यूपीआई सर्किल' शुरू किया है - जो ग्राहकों को अपने अपेक्षित सीमाओं के साथ यूपीआई खाते से लेनदेन करने के लिए किसी व्यक्ति को भुगतान (आंशिक या पूर्ण) सौंपने की सुविधा देता है. यह सेकंडरी यूजर को न्यूनतम हस्तक्षेप और पर्याप्त जोखिम न्यूनीकरण के साथ भुगतानकर्ता के खाते से लेनदेन करने में सक्षम बनाता है.

आपका बैंक एनपीसीआई सिक्योर एनएक्स्टी पर है - यह उन पहले कुछ बैंकों में से एक है जिन्होंने इसे लाइव किया है. ग्राहक अब रुपे कार्ड का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉम लेनदेन कर सकेंगे.

आपके बैंक ने केसीसी ऋणों की समीक्षा के लिए डिजिटल प्रक्रिया कार्यान्वित की है. यह प्रक्रिया प्रसंस्करण समय को कम करके और देरी को न्यूनतम करके केसीसी ऋण खातों की कुशलतापूर्वक समीक्षा करने पर केंद्रित है. उपयोग के मामले के लिए भूमि रिकॉर्ड प्राप्त करने हेतु एप्लीकेशन को आरबीआई इनोवेशन हब - यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (आरबीआईएच-यूएलआई) के साथ एकीकृत किया गया है. कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करने के लिए समीक्षा प्रक्रिया, मंजूरी पत्र और ऋण मूल्यांकन ज्ञापन (सीएएम) डिजिटल रूप से तैयार किए जाते हैं जिससे मैनुअल हस्तक्षेप कम होता है और किसानों को न्यूनतम समय में ऋण वितरण में वृद्धि होती है.

आपके बैंक ने बैंक के आई-एमएसएमई एक्सप्रेस उत्पाद के अंतर्गत एमएसएमई एक्सप्रेस जीएसटी-आधारित एमएसएमई कार्यशील पूंजी ऋण के माध्यम से अपनी डिजिटल प्रक्रिया को मजबूत किया है. पात्र आवेदकों को बैंक की वेबसाइट से डिजिटल प्रक्रिया द्वारा लॉगिन के माध्यम से सैद्धांतिक ऋण मंजूरी प्राप्त होगी. अनुमोदन के बाद, ऋण आवेदन को बैंक के मॉड्यूल के माध्यम से संसाधित किया जाएगा.

इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने सरकार द्वारा प्रायोजित योजना '*पीएम* विश्वकर्मा' के लिए संपूर्ण डिजिटल प्रक्रिया को लागू किया है. यह उद्यम मित्र पोर्टल के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों के लिए ऋण योजना है.

आपके बैंक ने अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) को सफलतापूर्वक लागू किया है. केंद्रीय बैंक द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में मुद्रा सार्वजिनक उपयोग के लिए सर्वत्र सुगम है. पारंपरिक नकदी के विपरीत, यह पूरी तरह से डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध है और इसका उपयोग व्यापारियों और व्यक्तियों के साथ दैनिक लेन-देन के लिए किया जा सकता है.

आपके बैंक ने प्रमुख क्लाउड सेवा प्रदाताओं (सीएसपी) जैसे अमेजन वेब सर्विसेज और गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पर समर्पित लैंडिंग जोन स्थापित करने के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा मशीन लिंग (एमएल) और क्लाउड अपनाने की दिशा में अपनी यात्रा शुरू की है और निर्णय दक्षता, स्केल और उन्नत ग्राहक सेवाएं हासिल करने के लिए जेन एआई अपनाने के लिए कारोबारी उपयोग के मामलों की पहचान की है.

आपके बैंक ने 'डीओटी (दूरसंचार विभाग) नेगेटिव मोबाइल रिपोर्ट को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है, जो आगे के अनुपालन के लिए बैंक डेटाबेस से जांच करने के बाद नियमित अंतराल पर डीओटी पोर्टल से निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को निकालने की प्रक्रिया है, जिससे बैंक की अनुपालन स्थिति में अधिक सुधार हुआ है और निष्क्रिय मोबाइल नंबरों के कारण जोखिम को समाप्त कर दिया है.

आपके बैंक ने एनपीसीआई-यूडीआईआर प्रणाली (एकीकृत विवाद और समस्या समाधान) का आईटच सीआरएम (ग्राहक संबंध प्रबंधन) के साथ वास्तिवक समय पर एकीकरण लागू किया है, इस फीचर ने अन्य बैंकों के एटीएम (जारीकर्ता लेनदेन) पर और उसके विपरीत बैंक के ग्राहकों के लेनदेनों के ऑनलाइन विवाद समाधान को सक्षम बनाया है.

आपके बैंक ने अपने डेटा गुणवत्ता मानकों, डिजिटल क्षमताओं और प्रौद्योगिकों को उन्नत करना जारी रखा है. अन्य बातों के अलावा, आपके बैंक द्वारा की गई विभिन्न पहलों और उपायों को भारतीय बैंक संघ (आईबीए), क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) जैसे उद्योग निकायों द्वारा पुरस्कृत किया गया है और मान्यता दी गई है.

आपके बैंक ने एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के प्रश्न, अनुरोध और शिकायत (क्यूआरसी) को भी उन्नत और एकीकृत किया है. केंद्रीकृत क्यूआरसी प्रणाली को आईटच सीआरएम प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है जो सभी ग्राहक चैनलों और संपर्क बिंदुओं को एकीकृत करता है जैसे शाखा, संपर्क केंद्र, ग्राहक सेवा, वेबसाइट, गो मोबाइल+ एप्लिकेशन और इंटरनेट बैंकिंग. ग्राहक उपरोक्त किसी भी चैनल से क्यूआरसी दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीकृत रूप से इसका पता लगा सकते हैं.

आपके बैंक ने सभी मौजूदा रिकवरी इकोसिस्टम (डीआरटी और डीएआरटी, एनसीएलटी, ओएल के लिए डार्टस) को एक साथ जोड़कर एक केंद्रीय हब बनाकर केंद्रीकृत ऋण समाधान और निगरानी प्रणाली (सीडीआरएमएस) पर निगरानी क्षमताओं को और बढ़ाया है तािक इरादतन/ असहयोगी उधारकर्ताओं से संबंधित विवरणों पर नजर रखी जा सके. इससे एनपीए/खुदरा वसूली प्रबंधन उपयोगकर्ता द्वारा मामलों की बेहतर निगरानी और नियंत्रण संभव हुआ है.

गोपनीयता नीति

आपके बैंक ने आईटी नीति एवं सूचना सुरक्षा पहलुओं - गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता को लागू किया है, तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहकों की एकत्रित जानकारी तक पहुँच केवल अधिकृत अधिकारियों या बैंक द्वारा अधिकृत एजेंसियों को ही दी जाये. अनिधकृत पहुंच या प्रकटीकरण को रोकने के लिए, आपके बैंक ने एकत्र की गई जानकारी के संरक्षण और सुरक्षा के लिए उपयुक्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएं कार्यान्वित की हैं. आपके बैंक ने डेटा गोपनीयता, पहुंच, स्वामित्व और सुरक्षा स्थापित करने के लिए डेटा अभिशासन नीति भी बनाई है. आपके बैंक ने ग्राहकों/ संभावित ग्राहकों द्वारा साझा की गई जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए गोपनीयता नीति भी कार्यान्वित की है. आपका बैंक नियमित आधार पर भेद्यता परीक्षण और ऐपसेक सहित उचित परीक्षण करता है, तािक सभी सिस्टम सुरक्षा खतरों और नए सुरक्षा वैक्टर से मुक्त रहें. गोपनीयता नीति बैंक के सूचना ग्रीद्योगिकी विभाग

(आईटीडी) और जोखिम विभाग की सूचना सुरक्षा समूह (आईएसजी) के दायरे में आती है. आईएसजी विभिन्न सुरक्षा समाधान/प्रक्रियाएं लागू करके और आईटीडी के साथ समन्वय में उचित नियंत्रण कार्यप्रणाली लागू करके सूचना सुरक्षा/डेटा गोपनीयता के पहलुओं का ध्यान रखता है. बैंक की सूचना सुरक्षा नीति के तहत, डेटा/सुरक्षा उल्लंघन की घटनाओं को घटना रिपोर्ट के रूप में रिपोर्ट किया जाता है और बैंक की नीतियां निर्धारित करती हैं कि सुरक्षा/गोपनीयता नीति के उल्लंघन की जांच बैंक की मौजूदा नीतियों के अनुसार की जाती है. आपका बैंक नियमित आधार पर सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा आयोजित करता है, जिसमें प्रत्येक एप्लिकेशन/इंफ्रास्ट्रक्चर की लेखापरीक्षा और संबंधित प्रक्रिया की भी जाँच की जाती है.

केंद्रोकृत परिचालन

आपके बैंक का एक समर्पित केंद्रीकृत परिचालन वर्टिकल है, जिसमें विभिन्न विभाग जैसे केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई (सीपीयू), क्षेत्रीय प्रोसेसिंग इकाई (आरपीयू), खुदरा आस्ति परिचालन (आरएओ), धनशोधन निवारण कक्ष (एएमएल), निक्षेपागार खाते परिचालन, घरेलू भुगतान और विप्रेषण सेवाएं, नकदी प्रबंध सेवाएं (सीएमएस) और सरकारी कारोबार समूह (जीबीजी) परिचालन, पूंजी बाजार परिचालन, इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग परिचालन, कार्ड निर्गम एवं प्रबंधन अनुभाग, डेटा क्लीन-अप एवं अनुपालन टीम (डीसीसीटी) एवं जीएसटी परिचालन शामिल हैं.

केंद्रीकृत परिचालनों ने ग्राहक को खुश करने के उपायों के भाग के रूप में विभिन्न पहल और प्रक्रिया स्वचालन किए हैं, जैसे बचत बैंक खाता, चालू खाता, सावधि जमा आदि का उसी दिन खाता खोलना, विविध अनुरोधों जैसे मोबाइल नंबर बदलना, पता, ईमेल आईडी अपडेट करना, केवाईसी अपडेट करना आदि पर तत्काल कार्रवाई करना, फॉर्म 15 एच/जी को तत्काल आधार पर अपडेट करना, सृजन के तुरंत बाद ग्राहकों के साथ सीकेवाईसी संख्या साझा करना, ग्राहकों को विशिष्ट ग्राहक पहचान संख्या (यूसीआईसी) के आबंटन का स्वचालन, खुदरा ऋण ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईएमआई सेवा हेतु चुकौती के तरीके को अपडेट करना, निर्धारित टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) के भीतर संपत्ति के दस्तावेजों को लौटाना आदि.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्रीकृत परिचालन बैंक की ग्राहक संबंधों में मूल्य वर्धन करने की अपनी प्रतिबद्धता पर खरा उतरने के लिए प्रोसेस स्वचालन के जिरये सहायता कर रहा है. इसके अलावा, केंद्रीकृत परिचालनों ने बैंक को ग्राहकों से सेवा अनुरोध के प्रसंस्करण के लिए टीएटी कम करके, विभिन्न कारोबारी इकाइयों को निर्बाध समर्थन सेवाएं सुनिश्चित करने में मदद की है जिससे परिचालन लागतों में कमी हो रही है.

शाखा परिचालन सहायता और नीति

आपका बैंक बैंकिंग परिचालनों, सेवाओं आदि के संबंध में अपने स्टाफ को अद्यतन जानकारी प्रदान करके उन्हें तैयार करने में अग्रणी है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि आपका बैंक अपने सभी हितधारकों को कुशल बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम है. तदनुसार, बैंक के सभी कर्मचारियों को शामिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 'आरोहण' आयोजित किया गया है.

आपके बैंक ने 'अनिधकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन (यूईबीटी)' की नीति और 'ग्राहक क्षतिपूर्ति नीति' सिहत विविध विनियामकों यथा- रिज़र्व बैंक, सेबी आदि के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए सशक्त नीतियां तैयार की हैं. ये दोनों नीतियां बैंक की वेबसाइट पर अपने ग्राहकों के लिए सुलभ संदर्भ हेत उपलब्ध कराई गई हैं.

ग्राहकों को बैंक के पास पड़ी अदावी जमाराशियों को ढूंढ़ने और दावा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, आपके बैंक ने रिजर्व बैंक के 'अदावी जमाराशियां - सूचना अभिगम गेटवे (यूडीजीएएम)' पोर्टल में स्वयं को सिक्रयता से पंजीकृत किया है और बैंक के पास पड़ी अदावी जमाराशियों का ब्योरा अपलोड किया है. इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने अदावी जमाराशियों के ग्राहकों की पहचान करने और उनका निपटान करने के लिए रिजर्व बैंक के '100 दिन 100 भुगतान' अभियान में सिक्रयता से सहभागिता की है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4,450 से अधिक मामलों (100 दिन 100 भुगतान के 867 मामले और 100 दिन 100 भुगतान के अलावा अन्य 3,583 मामले शामिल हैं) में दावों का निपटान किया है. साथ ही, आपका बैंक अदावी जमाराशियों की पहचान करने और ग्राहकों तक पहुँच बनाकर उनका पहले ही निपटान करने के लिए सिक्रय रूप से प्रयास कर रहा है तािक निधियों को जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता निधि (डीईए) में अंतरित करने से बचा जा सके.

आपके बैंक की पूरे देश में 25 करेंसी चेस्ट (सीसी) हैं. ये सीसी सभी लिंक शाखाओं से नकदी का प्रसंस्करण करती हैं और एटीएम एवं शाखाओं के माध्यम से वितरण हेतु स्वच्छ नोट प्रदान करती हैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आपके बैंक ने बैंक के 25 सीसी के माध्यम से पूरे देश में 806 सिक्का मेले और गंदे नोटों की अदला-बदली के लिए मेलों का आयोजन किया जिनमें लगभग ₹16.17 करोड़ मूल्य के सिक्कों को इसकी शाखाओं के माध्यम से आम जनता को वितरित किया गया.

आपके बैंक ने धोखाधड़ी जोखिम न्यूनीकरण एवं नियंत्रण, प्रभावी परिचालनगत नियंत्रण और दिवगंत दावा निपटान में स्वचालन, सुरक्षित जमा लॉकर किराया वसूली (सम्पूर्ण), आदि जैसी कुशल ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए कई प्रौद्योगिकीय पहलकार्य, प्रणालीगत जांच और प्रक्रियाओं में सुधार किये हैं. आपका बैंक खातों के निष्क्रिय होने से रोकने और बाद में खाते के फ्रीज होने से बचने के लिए परिचालन न होने के बारे में ग्राहकों को अलर्ट कर रहा है, लेनदेन संबंधी अलर्ट भेज रहा है, री-केवाईसी देय खातों के संबंध में ग्राहक को छह माह पहले से अद्यतन केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत के लिए सूचना भेज रहा है. आपके बैंक ने एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पत्रों आदि के माध्यम से संबंधित दस्तावेज /वर्तमान पते की पुष्टि करने के लिए सरलीकृत री-केवाईसी प्रक्रिया एवं प्रस्तुति अपनाई है.

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

आपके बैंक के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों की किमयों की पहचान करके और उनके बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता-आधारित योगदान कर उनके जीवन में महत्वूपर्ण, दृश्यमान और स्थायी बदलाव लाना है. आपका बैंक प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के साथ-साथ लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर बहुआयामी प्रभाव हासिल करना चाहता है.



पबंध विवेचना एवं विश्लेषण

आपके बैंक ने चाल वित्तीय वर्ष के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को काफी बढाया है जो स्वतंत्र रूप से तथा मान्यता प्राप्त संगठनों के सहयोग से एक सुविचारित दृष्टिकोण का निरूपण करता है. इस रणनीतिक वर्द्धन का उद्देश्य समाज के विशिष्ट वर्गी. विशेषकर जरूरतमंदों पर अधिक गहरा प्रभाव डालना है. शुरू की गई पहलों में जनजातीय समुदायों और वंचित समृहों के लिए आय-सुजन गतिविधियों को बढावा देने पर केंद्रित परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें विभिन्न राज्यों में महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष बल दिया गया है. इन परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि निधि की सुविधा प्रदान करके, आपका बैंक न केवल तात्कालिक आवश्यकताओं को परा कर रहा है, बल्कि संधारणीय विकास के लिए आधार भी तैयार कर रहा है

आर्थिक सशक्तीकरण के अतिरिक्त, आपके बैंक ने आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने की दिशा में पर्याप्त योगदान दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हाशिए पर रहने वाली आबादी की ऐसी देखभाल हो जिसके वे पात्र हैं. बच्चों, युवाओं और महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना इन प्रयासों की आधारशिला रही है, चूंकि यह गरीबी के चक्र को तोड़ने और भावी पीढियों को बढावा देने के लिए महत्वपर्ण है.

इसके अलावा, आपके बैंक की प्रतिबद्धता नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के संवर्धन और संस्थापना तक फैली हुई है, जो न केवल पर्यावरणीय संधारणीयता का समर्थन करती है, बल्कि उन समुदायों के जीवनस्तर को भी सुधारती है. उन्नत आजीविका अवसरों का सजन करके तथा व्यावसायिक एवं रोजगारपरक कौशल को उन्नत करके, आपका बैंक सावधानीपूर्वक नियोजित हस्तक्षेपों के माध्यम से गांवों के समग्र विकास में प्रमुख भूमिका निभा रहा है. इन बह्आयामी पहलों के माध्यम से आपका बैंक यह सुनिश्चित करते हुए कि विकास और प्रगति का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, न केवल अपनी कॉरपोरेट उत्तरदायित्वों को पूरा कर रहा है बल्कि सामाजिक उत्थान के व्यापक लक्ष्य में भी योगदान दे रहा है.

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लक्षित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों का समर्थन करने के लिए ₹103 करोड की मंजूरी दी है. इन हस्तक्षेपों को सावधानीपूर्वक चुना गया था और बोर्ड द्वारा अनुमोदित केन्द्रित क्षेत्रों के साथ संरेखित किया गया है, जिसमें शिक्षा - विशेष रूप से सतत आजीविका के लिए कौशल विकास, उद्यमिता विकास को शामिल करना, साथ ही वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन शामिल है. इसके अतिरिक्त, बैंक स्वास्थ्य सेवा को बढाने, जल प्रबंधन में सधार करने और ग्रामीण विकास को बढावा देने के लिए समर्पित है. ये प्रयास न केवल सामुदायिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण हैं बल्कि पर्यावरण, समाज और अभिशासन (ईएसजी) प्रतिफलों के साथ भी गहनता से प्रतिध्वनित होते हैं, जो संधारणीय और उत्तरदायी प्रथाओं के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पर्यावरण, समाज एवं अभिशासन (ईएसजी)

ईएसजी प्रकटन के बारे में बढते विनियामक फोकस, अधिक जागरूकता और हितधारकों की बदलती अपेक्षाओं के चलते भारत में पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) परिदृश्य तेजी से उभर रहा है, इसके कारण संगठनों के बीच अपने दैनिक निर्णय लेने और गतिविधियों में ईएसजी आयामों को शामिल करने का महत्व बढ़ रहा है. धारणीय और उत्तरदायी व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाने के महत्व को समझते हए. आपका बैंक भी अपने ईएसजी प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कई पहलकार्य कर रहा है.

बैंक की ईएसजी नीति को लागू राष्ट्रीय कानूनों/ विनियमों के अनुरूप डिजाइन किया गया है जो बैंक की कारोबारी गतिविधियों के निर्देशन के लिए व्यापक ढांचे के रूप में कार्य करती है और इसका उद्देश्य बैंक को अपनी गतिविधियों के माध्यम से ईएसजी-अनुपालक संस्था के रूप में स्थापित करना है.

मौजदा विनियामक मानदंडों के अनुपालन में, बैंक वित्तीय वर्ष 2022-23 से अपने वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में अपनी कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) भी प्रकाशित कर रहा है जिसमें भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी) में निहित नौ सिद्धांतों के बारे में अपने प्रदर्शन पर प्रकाश डाला जाता है. बैंक वार्षिक आधार पर पारदर्शी और आसानी से समझने योग्य ढंग में हितधारकों के एक व्यापक समृह के लिए ईएसजी डेटाबुक भी प्रकाशित करता है, जो ईएसजी से संबंधित पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है.

आपका बैंक वर्ष 2023 से वैश्विक एजेंसी अर्थात एसएंडपी ग्लोबल द्वारा आयोजित कॉरपोरेट संधारणीयता मृल्यांकन (सीएसए) में भी स्वेच्छा से भाग ले रहा है. हाल के वर्षों में बैंक द्वारा की गई विभिन्न पहलों ने इसके ईएसजी स्कोर में सुधार लाने में मदद की है, जो सीएसए 2022 में 19 (100 में से) से बढ़कर सीएसए 2023 में 28 (100 में से) और सीएसए 2024 में 42 (100 में से) हो गया है. ईएसजी संबंधित मामलों पर बढ़ते फोकस को देखते हुए, आपका बैंक अपने ईएसजी प्रदर्शन को बेहतर बनाने के साथ-साथ अपने विभिन्न कार्य क्षेत्रों में ईएसजी-केंद्रित संस्कृति को अपनाने के लिए सतत प्रतिबद्ध रहा है.

BUSINESS ENVIRONMENT

The global economic activity in 2024 remained fairly resilient notwithstanding heightened risks emanating from persistent geopolitical uncertainties and intermittent financial market volatility. As compared to a highly synchronised monetary policy tightening phase by the central banks globally in the preceding two years, the year 2024 exhibited divergence in monetary policy stance across countries as the headline inflation, albeit registering deceleration, remained above the target in many economies. The global financial markets witnessed volatility owing to risk-off sentiment over fluctuating perceptions on the monetary policy trajectory and trade-related uncertainty.

On the domestic front, the Indian economy made steady progress in achieving stable economic growth while ensuring price stability. The domestic economic growth was primarily supported by private consumption and investment. Factors such as healthy domestic demand, higher capacity utilisation, revival in investment demand, continued uptick in bank credit, healthy balance sheet of banks and the Government's thrust on infrastructure spending, aided in supporting a healthy pace of economic growth.

Domestic financial markets, as against its global counterparts, remained relatively stable and buoyant during the year. The transmission of monetary policy stance to lending and deposit rates remained effective during the year. Bank credit and deposits registered healthy growth, underscoring continued buoyancy in financial services.

The financial health of banks remained healthy owing to the wide-ranging policy and regulatory initiatives undertaken over the years. This is evidenced by the consistent improvement in the financial health and profitability of banks on the back of reduction in the Gross Non-Performing Assets (GNPA) Ratio and rise in the Capital-To-Risk Weighted Asset Ratio (CRAR). Consequently, banks have been well-placed to cater to the credit demand in the economy, especially from the retail and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) segment and other strategically significant sectors, thereby spurring the overall economic growth momentum.

Going forward, the outlook for domestic economic activity remains cautiously optimistic in the backdrop of strong consumption and investment demand. Factors such as improvement in industrial sector performance, pick-up in pace of investment activities, prediction of an above-normal monsoon, gathering pace in rural and urban demand on the strength of higher disposable incomes, high capacity utilisation, healthy balance sheets of banks and corporates and the Government's continued thrust on infrastructure spending, augurs well for the economic growth in the near-term. Although various downside risks pose a threat to the growth outlook, healthy domestic macroeconomic

fundamentals and responsive monetary and fiscal policy efforts are likely to bolster the domestic economy from such external shocks, paving the way for a sustained period of high growth.

BUSINESS REVIEW

In the financial year (FY) 2024-25, the Bank continued to pursue its strategic imperatives which aided it in further improving its business growth and profitability. The wide-ranging strategic measures and initiatives undertaken by the Bank in various functional areas are detailed under the respective segments in this section of the Annual Report.

Your Bank has been endeavouring to strengthen its presence by leveraging its existing pan-India branch network, expanding its presence in newer geographical locations and relying on the Business Correspondent (BC) run models in rural areas, while further broad-basing its digital presence. Your Bank opened over 100 new branches and 24 Fixed BC outlets (IDBI Sameep) pan-India in FY 2024-25. With this, the Bank's branch network touched a new milestone of 2.128 branches as at end-March 2025, which comprised 509 metro branches, 509 urban branches, 651 semi-urban branches and 434 rural branches (including 267 Financial Inclusion branches) in India, one International Financial Services Centre (IFSC) Banking Unit (IBU) at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT), Gandhinagar and 24 Fixed BC outlets (IDBI Sameep). The expanding branch network of your Bank was complemented by a network of 3,120 ATMs in India as at end-March 2025 and a wide-range of digital banking services, viz. internet banking, mobile banking and WhatsApp banking. The multiple touchpoints offered by your Bank seamlessly cater to its customers' banking and investment needs in a safe, secure and convenient manner.

Your Bank, being true to its customer-first approach, offers wide-ranging deposit, loan and investment products and services across various customer segments from all walks of life. Recognising the ever-changing market dynamics and evolving consumer preference, the Bank endeavours to review and revamp its existing products and services as also to introduce new and customised products to stay relevant with changing market dynamics. On the advances front, your Bank has been scaling up its granular loan portfolio, comprising retail and priority sector segments, while augmenting its well-rated corporate loan book with an optimal mix of fund and non-fund exposures. Your Bank, while growing its advances portfolio, has also been focussing on maintaining a healthy loan portfolio and managing its credit risk effectively by strengthening its credit underwriting process and close monitoring of its loan accounts. Your Bank has been continuously striving to keep delinquencies within acceptable limits and strengthening its collection mechanism to maintain asset quality and to mitigate credit risk.



Your Bank has always viewed strong compliance, corporate governance and risk management culture as the mainstay of robust and stable business operations. Towards this end, the Bank has undertaken a number of measures to strengthen its internal systems and processes. Further, the Bank has been working towards spreading awareness and educating its workforce about the importance of adherence to stipulated norms in their day-to-day operations.

Going forward, customer centricity will continue to be the central theme of your Bank's business strategy in order to enrich customer experience, thereby further deepening its customer relationships. Your Bank will continue to introduce innovative and customised products and services and to embrace technological advancements for improving its processes and services delivery. The Bank will continue to enhance and strengthen its business operations by focussing on compliance and governance oriented culture among its workforce. The Bank's way forward will continue to be guided by the imperative to uphold the trust of all the stakeholders who have placed their confidence in it, ensuring sustained, stable and profitable business growth.

RETAIL BANKING

Retail Liability Products

Your Bank offers an entire gamut of deposits products, specifically designed to cater to the banking requirements of its customers from all segments of the society, viz. individuals (including general citizens, senior citizens, super senior citizens, pensioners, students, Non-Resident Indians (NRIs)) and non-individuals (including proprietorships, partnership firms, corporates, Government Institutions, Trusts, Associations, Societies, Clubs and other banks, including Co-operative Banks).

Your Bank pursued its endeavour of fine-tuning its products and processes, in line with the changing customer requirements amidst evolving market dynamics.

Your Bank has successfully rolled out new products in its personal banking savings segment under the branding of 'IDBI Advantage Savings Accounts'.

Your Bank introduced special 'Utsav Fixed Deposits' and 'Chiranjeevi Super Senior Citizen Fixed Deposits' focussing on granular expansion to bolster the share of individual depositors. The interest rate revisions during the year have been calibrated across selected deposit buckets to mitigate any potential cost escalations while ensuring continued market competitiveness.

Your Bank continued to leverage its state-of-the-art technology under the Video Account Opening (VAO) platform for digitising the customer onboarding journeys.

Your Bank continued to augment its customer engagement approach by extensive usage of data analytics and adoption of Customer Relationship Management (CRM) tools, so as to foster enhanced business penetration.

Your Bank has opened 100 branches in FY 2024-25 to expand its physical network and has adopted a capital light and quickly scalable hybrid delivery model, viz. combination of digital platform (kiosks) and brick-and-mortar branches, to expand its deposit base.

NRI Services

Your Bank offers a wide array of products across the spectrum of Non-Resident (External) (NRE) Deposits/ Non-Resident Ordinary (NRO) Deposits/ Foreign Currency Non-Resident (FCNR) Deposits, investments including equity market investments through Portfolio Investment Scheme (PIS), remittances through Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) & other modes and loans to meet the banking and financial needs of the Indian diaspora across the globe.

Your Bank continued to undertake product as well as process improvements for augmenting customer experience, service delivery and convenience of banking for its NRI customers.

Retail Assets

Your Bank continues to target a progressively larger retail business portfolio in line with its intended positioning as a retail-centric Bank. The Bank has been endeavoring to offer a wide range of retail asset products and services in order to cater to the requirement of every Indian household. The Bank offers a bouquet of retail asset products including Housing Loan (HL), Loan Against Property (LAP), Auto Loan (AL), Personal Loan (PL), Education Loan (EL), Solar Roof-Top finance, Loan Against Securities (LAS) among other products. The products and processes are reviewed periodically. Modifications and customisations as also innovations to align with the customer preferences and expectation of the growing segment of Gen-Z and other borrowers are carried out

During FY 2024-25, your Bank continued to remain a prominent player in the structured retail loan segment, registering a double-digit growth in all major product segments, including housing loan. Your Bank continued to maintain a robust structured retail asset portfolio with minimal slippages.

To meet the divergent and emerging needs of its customers, your Bank has been undertaking various measures like thrust on Home Loans under Approved Project Finance, accelerated acquisition under recently launched variants like GST-based Home Loan for Self-Employed Non-Professional (SENP) - a term loan intended to provide quick and accessible financing,

46

Solar Roof Top Financing in line with the Government's Green Energy mission, Auto Loans for pre-owned cars, pre-approved personal loans through digital platforms and Education Loan under Prime Minister Vidya Lakshmi Scheme for studies in select premier institutions in India and abroad at competitive terms. Your Bank successfully implemented a New Automated Loan Processing System to ensure a robust and a faster Turn-Around Time (TAT) with a view to enhance the overall customer experience. Your Bank continues to take several Information Technology (IT) initiatives for moving manual processing to the digital platform. Additionally, in order to support students from the Economically Weaker Sections (EWSs) of the society, the Bank continues to extend subsidy benefit to education loan borrowers under the Government of India (GoI) schemes such as Central Sector Interest Subsidy Scheme (CSIS) and renewal claims under the discontinued schemes, viz. Dr. Ambedkar Central Sector Scheme of Interest Subsidy (CSIS) and Padho Pardesh Scheme. Furthermore, your Bank is also providing finances to differently-abled individuals under the Gol's National Divvangian Finance and Development Corporation Scheme at subsidised interest rate. Financial assistance will also be provided under the Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0 (PMAY-U 2.0) which has been launched to cater to the Economically Weaker Section (EWS), Low-Income Group (LIG) and Middle-Income Group (MIG) to fulfill their housing requirements.

Credit Cards

Your Bank offers Credit Card variants under different network schemes. These variants are tailored to cater to the needs of all its customer segments. The extant Payment Scheme Coverage is as follows, RuPay - Winnings Select, Visa - Royale Signature, Aspire Platinum & Imperium Platinum and Mastercard - Euphoria World.

Your Bank also offers co-branded Credit Cards with LIC Cards Services Ltd. (LICCSL) on RuPay Scheme, namely, Eclat and Lumine. In line with its focus on digitalisation, your Bank also launched end-to-end digital on-boarding of Credit Card issuance. Your Bank has also identified potential existing customers for offering pre-approved Credit Card with pre-sanctioned credit limit, without any additional documentation requirements.

For better customer servicing and ease of usage, new credit card features have been incorporated in Credit Card Net Banking & GO Mobile+ app such as real-time bill payments, card replacement request, payment history, etc. Further, to provide versatility in bill payments, the Bharat Bill Payment System (BBPS) has been integrated for all other mobile-based apps.

PRIORITY SECTOR BANKING

Your Bank has been contributing significantly to the Priority Sector Lending (PSL) as mandated by the RBI. As per the regulatory requirement, the Bank primarily focussed on financing to Agriculture and Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) segments during the year. To extend its reach, the Bank has continued to serve the unserved and underserved segments of the society through its Corporate Business Correspondent (BC)/ Business Facilitator (BF) network. During the year, your Bank was associated with 26 Corporate BC/BF service providers.

Your Bank has achieved all the regulatory target for PSL, including sub-target on average basis, as on March 31, 2025.

In terms of the Gol's schemes and directives, your Bank has been extending loans under various Central Government and State Government sponsored schemes, like Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), Stand-up India, Prime Minister Street Vendor Atmanirbhar Nidhi (PMSVANidhi), Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP), Agriculture Infrastructure Fund (AIF), Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Enterprises (PMFME), Pradhan Mantri Vishwakarma (PM Vishwakarma), etc. Your Bank has also committed itself towards lending to minority communities and weaker sections, including Scheduled Castes (SCs)/ Scheduled Tribes (STs).

The following are the major initiatives undertaken with regards to PSL as well as the performance highlights during the year:

- Your Bank executed Memorandum of Understanding (MoU) with Maharashtra State Small Industries Development Corporation (MSSIDC) for accelerating MSME business in the state of Maharashtra.
- Your Bank signed MoUs with various reputed anchor corporates in various industries such as transportation, consumer electronics etc. for tie-up arrangement for inventory finance to dealers of corporates under the product.
- Your Bank has introduced a new product called 'IDBI Mahila Sashaktikaran Rin', in line with the guidelines issued by the Ministry of Rural Development (MoRD) to facilitate women-owned nano and small enterprises, primarily in rural areas, thereby aiding in enhancing income of rural households.
- Your Bank has also launched a new product called 'MSME (Seller/ Vendor) to MSME (Buyer/ Anchor) Factoring on Trade Receivable Discounting System (TReDS) Platform' for financing of trade receivables of MSME vendors for working capital requirement.



 Your Bank has also signed an MoU with LICHFL Financial Service Ltd. for sourcing Non-Structured Retail Assets (NSRA) and Structured Retail Assets (SRA) business.

THIRD PARTY PRODUCTS AND CAPITAL MARKET PRODUCTS

The Third-Party Distribution (TPD) segment of your Bank offers various value-added products and services to its customers, keeping in view their risk profiles, financial goals and investment objectives. Your Bank has taken a number of initiatives to foster value sales and shift of business focus from product-centric to customer-centric approach. The shift in the strategy is to ensure customer-first approach clubbed with compliant business practices resulting into continuous and sustained source of fee income for the Bank. Your Bank has partnered with India's most trusted brand names, i.e., Life Insurance Corporation of India (LIC) and Ageas Federal Life Insurance Company Ltd. (AFLI) in life insurance segment, besides New India Assurance Co. Ltd. (NIACL), TATA AIG General Insurance Co. Ltd. (TAGIC), and Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd. (Niva Bupa), in general and standalone health insurance segment. Your Bank has entered into Mutual Fund (MF) schemes distribution agreements with multiple renowned Asset Management Companies (AMCs) in the mutual fund space. Your Bank also offers National Pension System (NPS) and Government of India (Gol) Bonds such as Floating Rate Savings Bonds, Sovereign Gold Bonds & Capital Gains Bonds as other investment opportunities to its customers. Under Capital Market segment, your Bank offers products such as 2-in-1 Account (Savings and Demat account), 3-in-1 Account (Savings and Demat account linked to Online Trading account), Application Supported by Blocked Amount (ASBA) and Syndicate ASBA (SASBA).

To keep pace with the rapidly evolving digital business practices, your Bank has undertaken various initiatives for digitalising its third-party product distribution journey. These initiatives include introduction of online mutual fund investment module, digital on-boarding in NPS account through GO Mobile+ application and e-nomination and mandatory KYC updation in Demat accounts through digital mode. Your Bank has enabled Demat account opening through its mobile and internet banking channels. Your Bank has also been offering an abridged two-page Demat Account Opening Form (AOF), viz. Duranto Demat Account, to extend the reach of its Demat accounts to non-users of digital channels, by enabling instant Demat account opening with simplified documentation through the branch channel.

SYNERGIES WITH LIC

The Life Insurance Corporation of India (LIC) had acquired majority stake in your Bank in January 2019 and over a span of six years, numerous initiatives have been identified and implemented successfully to leverage significant business synergies. Your Bank has strategically planned specific action points in order to garner business in synergy areas in-terms of revenue synergies, cost synergies and financial synergies through its best-in-class products and services, especially by leveraging low-cost deposit book, viz. current account book. Your Bank has consistently maintained its top position in the Bancassurance channel with effective and optimal deployment of its touch-points to source business as Corporate Agent of the LIC. Your Bank has effectively implemented convenience banking by extending transaction banking services to meet collection as well as payments-related requirements of various offices of the LIC through its branch and digital channels. These synergies have supported in establishing combined value and performance for both the entities. Furthermore, your Bank was able to further augment its retail business and fee-based income.

FINANCIAL INCLUSION

Your Bank has been proactive in partnering with the policymakers to further the objective of financial inclusion by ensuring access to financial products and services needed by vulnerable sections of the society at affordable cost and in a fair and transparent manner. Your Bank has been actively promoting the agenda of financial inclusion with interventions in three key areas, viz. offering appropriate financial products, making intensive use of technology and enhancing financial literacy.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and Social Security Schemes

Your Bank has been proactively participating in the Gol's financial inclusion programme viz. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and in the social security schemes of the Government, viz. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) for accident insurance cover, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) for life insurance cover and Atal Pension Yojana (APY) for old-age pension. During FY 2024-25, your Bank enrolled 2.00 lakh applicants under Atal Pension Yojana (APY), 2.74 lakh applicants under Pradhan Mantra Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and 5.55 lakh applicants under Pradhan Mantri Surkasha Bima Yojana (PMSBY). The Bank has also opened 2.67 lakh saving bank account under PMJDY. The Bank has achieved all targets for the Jan Dhan and Jan Suraksha Yojanas.

Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs)

Your Bank has been leveraging its network of Business Correspondents (BCs) in an effort to increase penetration of banking services in rural and semi-urban locations, thereby ensuring greater financial inclusion across the country and increasing Priority Sector Lending (PSL) business of the Bank. Your Bank conducted extensive training sessions and workshops for all BCs at various locations across the country. Besides this, your Bank has also been providing on-the-job training to the BCs to develop their technical skill to operate on technology platform for conducting banking transactions.

The Bank has operationalised BC managed banking outlets during the year under the brand name of 'IDBI Sameep' (state-of-the-art Modern Extended E-banking Point). This capital light model is intended to aid the Bank in expanding its network in an expeditious manner, thereby further enhancing its customer reach.

Financial Literacy

Financial literacy has been identified as a pre-requisite for effective financial inclusion and is an integral part of the PMJDY in order to let the beneficiaries make best use of the financial services being made available to them. Your Bank is conducting various 'reach-out' programmes to spread awareness among people about various banking products.

Your Bank's Rural Self Employment Training Institute (IDBI RSETI) located at Satara, Maharashtra, conducts self-employment training aligned to National Skill Qualification Framework (NSQF) for the rural youth of the district as instructed by Ministry of Rural Development (MoRD), Rural Skill Division, Gol. IDBI RSETI has trained 9,918 candidates since inception. Out of the 9,918 trained candidates, 7,361 candidates (i.e. 74.22%) have been reported as settled by establishing self-enterprises. IDBI RSETI has been maintaining high standards of training as well as facilities for the participants, for which it was awarded with 'AA' grading, which is outstanding for overall performance from MoRD, Gol in 2024.

DIGITAL BANKING

Your Bank aims to provide a secure, seamless and convenient banking platform to its customers by deploying the best digital experience, technology standards, processes and procedures, wherein customer convenience and security is accorded primary importance.

Your Bank has registered significant growth in its digital transactions owing to factors such as comfort, safety, convenience and 24x7 availability of its digital banking

channels. Your Bank has seen a significant growth of 28% in its overall digital transactions, 33% growth in its UPI transactions and 26% growth in its mobile banking active customer base.

Your Bank has introduced many new features and functionalities in its GO Mobile+ application for enhanced customer experience like multi-coloured theme, integration of Customer Engagement Solution, lifestyle features like flight booking, etc. Your Bank has also revamped its UPI journey with an intention to improve customer engagement and ensure seamless payment experience.

Your Bank has introduced omnichannel experience for its Net Banking customers, which is expected to enhance the user experience of its customers through uniform look and feel of its overall platform. Your Bank has also launched variants for Debit Card like Business Debit Card and Select Debit Card.

Your Bank has also taken rapid strides in the Digital Lending realm to enable Digital Journey of Sanction and Review/Renewal of MSME/Agri Credit Facilities and end-to-end digitisation of co-lending journey. Your Bank was amongst the pilot banks for the GeM Sahay launch on the Open Credit Enablement Network (OCEN) platform. Further, your Bank is also now live on the Central Bank Digital Currency (CBDC) platform.

CORPORATE BANKING

The corporate banking segment of your Bank comprises Large Corporate Group (LCG) and Mid Corporate Group (MCG). The LCG caters to the requirement of its large corporate clients, while the MCG caters to the requirement of mid-sized corporates.

The LCG, with offices in seven different locations, caters to the requirement of its large corporate clients with turnover of above ₹ 1,000 crore. The MCG operates from 24 branches and four regions at different locations and caters to the requirement of mid-sized corporates.

Several policy initiatives taken by GoI to spur investment in manufacturing and infrastructure sectors has boosted credit demand in the economy. Your Bank has been exploring viable financing opportunities in these sectors while adopting a selective, calibrated and risk contained approach.

Your Bank provides a gamut of products and services to manufacturers, traders, service sector, vendors across the spectrum of industries covering Pharmaceuticals, Power Generation, Non-Banking Financial Companies, Fast Moving Consumer Goods, Auto Components & Ancillaries, Automobiles, Food Processing, Sugar, Chemicals, Textiles, Basic Metals, Steel, Construction, Plastics, Telecom, Cement,



Paper & Paper Products, Rubber, Metals, Tourism, Mining, Engineering, Electrical Machinery, Electronics & Electrical Equipment, Power, Oil & Gas, Agriculture & Allied Activities, Transport, Computer Software & related activities, IT Services & Technology, Fertilisers, etc.

Your Bank's product basket for corporate clients includes term loans for both projects and non-projects, working capital (both fund-based and non-fund based), packing credit and post-shipment credit to exporters, bill discounting, intraday limits, etc. Your Bank also offers products to cater to the needs of its corporate clients such as Short-term Loan – Non-Committed Line, Receivable Buyout, Term Loan linked to External Benchmark, Bill Discounting linked to External Benchmark, Funding against Standby Letter of Credit, etc.

Within the realm of corporate banking, your Bank also places due emphasis on Priority Sector Lending (PSL). The corporate banking teams of your Bank work closely with other specialised teams in other areas of business operations such as Retail Banking, Transaction Banking, Treasury, etc. in order to develop suitable products and services and devise solutions to fulfil specific needs of its corporate clients.

With an intent to have a focussed approach, Corporate Relationships and New Business Acquisition Group (CRBAG) has been formed to source new business, catering to the requirements of corporates and also to augment the transaction banking business. As a part of the Bank's endeavour to source new business, CRBAG shall reach out to all the potential sources, viz. corporates, peer banks, rating agencies, financial institutions, Investment banking community, Public Sector Units (PSUs) etc. Further, the Bank also initiated for a Project Appraisal Cell (PAC), a specialised cell for vetting/ appraising specific Project/ Term loan exposures.

The Bank has also initiated for digitisation of its corporate credit journey and document keeping, which is under implementation.

In alignment with its overall business strategy, your Bank has been targeting a calibrated growth in its corporate loan book in order to continue with its capital-light model while simultaneously de-risking its business portfolio mix. Towards this end, your Bank has been focussing on fresh acquisition of well-rated corporate accounts. Furthermore, the Bank has been targeting growth in interest and fee-based income through focussed improvement in utilisation of sanctioned fund-based and non-fund based limits and cross-sell. Your Bank has enhanced its credit monitoring mechanisms by adopting new technologies to monitor account level performance to take pre-emptive measures where stress is anticipated and to monitor the Special Mentioned Accounts (SMAs). Your Bank is closely monitoring the slippages to ensure minimisation of the fresh Non-Performing Assets (NPAs). The Bank has also been endeavouring to upgrade as well as implement timely resolution in its stressed assets and NPA cases, thereby benefiting from reversal of provision, if any, along with augmentation of standard advances book.

Credit Monitoring Group

In the present banking scenario, persistent, timely and effective management of standard assets portfolio aids in preserving and improving the overall quality of loan portfolio. Therefore, structured Loan Review Mechanism (LRM), monitoring Credit Administration Parameters (CAP) & monitoring of onset of stress in Corporate & Retail portfolio is undertaken by the Credit Monitoring Group (CMG) of your Bank.

The Early Warning Signal (EWS) Application, which is an important tool in credit monitoring, has been operational since December 2019. The tool has the ability to detect stress and incipient weakness by using data feeds from internal and external sources and generating alerts on regular basis. Risk bucketing under High, Medium and Low risk is carried out in respect of all corporate and retail accounts within the system's threshold limit, which augments the capability of your Bank to identify high-risk accounts and accounts showing early signs of stress in pre-Special Mentioned Account (SMA) stage. This enables your Bank to undertake prompt, pre-emptive actions and timely measures. A periodic review of the EWS Application is undertaken and new features are being added, in line with continuously evolving regulatory requirement and best practices.

Through the asset monitoring tool 'SAJAG', your Bank monitors the compliances of various credit administration parameters which helps to improve credit culture, identification of incipient weaknesses in the loan portfolio and to prevent slippages. Your Bank proactively updates its monitoring tool 'SAJAG' as per the updated needs warranted by the ever-changing economic environment and regulatory guidelines.

Your Bank uses structured Loan Review Mechanism (LRM) to provide timely feedback on the effectiveness of the credit sanction and regular follow-up is undertaken to ensure compliance with policy guidelines, tracking of early warning signals and timely compliance with the CAP. All these initiatives have helped in identifying and managing the incipient stress of the accounts, compliance with the CAP and thereby, improving the credit quality of your Bank.

Retail Collections

A well-maintained and profitable asset portfolio is fundamental to the long-term sustainability of any financial institution and your Bank is committed to maintaining the highest standards of asset quality. Given the evolving banking landscape where lower interest margins and intense competition define the market, your Bank is taking proactive measures to prevent any

deterioration in asset quality. Slippages in asset performance is likely to have a cascading impact on profitability, operational stability, and overall financial health. Therefore, your Bank continuously strives to keep delinquencies within acceptable limits, ensuring that Non-Performing Assets (NPAs), write-offs, and provisions are minimised. A strong and efficient collection mechanism is crucial to maintaining asset quality and mitigating credit risks.

To strengthen its collection strategy, your Bank has a dedicated Retail Collection Department responsible for preventing slippages and ensuring timely recovery of dues from retail loan portfolio. This Retail Collection Department plays a pivotal role in minimising the risk of accounts transitioning into Special Mention Accounts (SMAs) and Non-Performing Assets (NPAs). The collection efforts focus on SMAs and probable and marked First-Time Non-Performing Assets (FTNPA) to maintain a robust retail asset portfolio. The Bank's structured approach to retail collections enables timely intervention, thereby improving recovery rates and reducing the financial burden caused by overdue loans.

The Retail Collection team drives the collection activities with the help of a team of Collection Officers posted at different Zones and Regions of the Bank, supported by the Bank's Call Centre, Collection Agencies, Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs) and also Branches/ Retail Asset Centres (RACs) for branch-centric products to achieve higher resolution rate.

In furtherance of its endeavours of enhancing the abilities relating to collection mechanism, the Bank has automated the collection-related activities. Your Bank has an Integrated Collection and Recovery Module (ICnRM) which is assisting the Bank to work on the identified stressed accounts and deploy resources (in-house as well as external agencies) effectively. The digitised processes are aimed at facilitating a platform for convenient online collection and recovery of dues from delinquent borrowers and also providing a complete and seamless Management Information System (MIS) relating to collection activities.

Retail Recovery

In order to expedite recovery from retail Non-Performing Assets (NPAs), the Bank launched a non-discretionary and non-discriminatory special One Time Settlement (OTS) Scheme, viz. SUGAM Rinn Bhugtan Yojana (SUGAM Scheme), for settlement of old NPAs during the year. The Bank continued to undertake rigorous follow-up for upgradation of fresh NPAs. Certain cases were settled through normal OTS Scheme/Negotiated Settlement (NS) as per the Bank's extant NPA Management Policy. The Bank launched campaigns for filling of recovery suits in Civil Courts, Summer Spree and Monsoon Spree Campaigns for OTS/NS, Drive Back Campaign to

augment repossession of hypothecated vehicles to expedite recovery/ resolution through sale of vehicles charged to Retail NPA cases etc. during the year. Similarly, to expedite recovery and to avoid lengthy legal process, a large number of small-ticket cases were referred to the National Lok Adalats for an early resolution.

Notices under section 13 (2) and 13 (4) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 were issued in a timely manner to the borrowers, wherever applicable. During the year, seven mega e-auctions of the properties taken under the Bank's possession were conducted.

In order to speed up various recovery actions and also to create a robust repository for the chain of recovery efforts, the Bank has launched a dedicated module, viz. Integrated Collection and Recovery Module (ICnRM), during the year to aid in strengthening the recovery efforts through better monitoring and supervisory control on this digital platform.

ASSET QUALITY

Your Bank continued to focus its efforts towards containment of fresh Non-Performing Assets (NPAs) and maximising recovery from the existing impaired assets. As at end-March 2025, 97.02% of your Bank's Total Assets were Performing Assets, whereas 2.98% were NPAs. The Bank's fresh slippages were at 0.73% of its Standard Advances in FY 2024-25. During the year, the Bank's recovery from impaired assets and upgrade of NPAs to Performing Assets amounted to ₹ 3,021 crore. The Bank made adequate provisions in conformity with the extant regulatory guidelines. As a prudent approach, your Bank had Provision Coverage Ratio (PCR) of 99.48% as on March 31, 2025.

Your Bank has a dedicated vertical, viz. NPA Management Group (NMG), for driving focussed and aggressive approach towards resolution and recovery with account specific strategies and close monitoring of corporate NPAs.

Your Bank has also set up a centralised desk for cases going through the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under Insolvency Bankruptcy Code (IBC) 2016. This dedicated desk has been playing a proactive role in providing an overall view by aiding internalisation of learning from the field and dissemination across teams for navigating through the complexities, thereby enabling the Bank to successfully handle the CIRP cases. As at March 31, 2025, a total of 245 cases with an aggregate Gross Principal Outstanding (GPO) of ₹ 36,235 crore (including NPAs/ Technically Written-Off (TWO) Assets) were undergoing CIRP within the ambit of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016. Your Bank was able to resolve many cases under CIRP and recovered a sum of ₹ 2,050 crore from these cases during FY 2024-25. There are a few cases in the list of 245 cases, in which simultaneously recovery has also happened in parts but not fully received.



Your Bank has a 'One Time Settlement (OTS) Management System' which facilitates submission of an OTS application through its website and also enables end-to-end processing of an OTS proposal, including tracking of recovery. Your Bank continued to focus on recovery of dues through settlement in NPA/ TWO accounts under (i) Doubtful Assets for more than three years (DA-3), (ii) Loss Assets (LAs) and (iii) TWO accounts under IDBI One Time Settlement scheme (I-OTS) (a non-discretionary and non-discriminatory settlement scheme). This scheme was applicable for cases being handled by the Bank's NPA Management Group with the borrower's aggregate GPO up to ₹ 10 crore and settlement of dues with Personal Guarantor (PG)/ Corporate Guarantors (CG) in cases with GPO up to ₹ 10 crore.

During the year, your Bank also transferred seven accounts (Technically Written Off (TWO) accounts) with the GPO amounting to ₹ 2,134.55 crore for a consideration of ₹ 1,767.11 crore (which consists of cash recovery of ₹ 307.18 crore and Security Receipts of ₹ 1,459.93 crore) to the Permitted Entities.

Your Bank has been pursuing legal action under the applicable laws including enforcement actions under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002. In this connection your Bank has tied up with Bank Asset Auction Network (BAANKNET), formed under the aegis of Department of Financial Services (DFS), GoI, for auction of properties charged to the Bank. The Bank has also been following up with Debt Recovery Tribunals (DRTs)/ courts on a continuous basis and has identified nodal cross-functional team of officers from the Bank's NMG, Legal and Retail Recovery departments for work relating to the DRTs so as to minimise the delays in obtaining recovery certificates/decrees and execution thereof.

As on March 31, 2025, your Bank classified 370 cases as willful defaulters with punitive actions initiated against such borrowers/ promoters/ directors.

TRADE FINANCE

Your Bank has a dedicated Trade Finance (TF) department, which offers a wide range of products and services to its corporate and retail customers at competitive pricing. The offerings range from the most commonly used products such as Inward/ Outward Remittances, Letters of Credit (LCs), Bank Guarantees (BGs), Standby Letters of Credit (SBLCs), etc. to more complex domestic and cross-border trade products involving import/ export of goods & services, pre-shipment & post-shipment export finance, short-term trade credits (buyer's credit and supplier's credit), merchanting trade, capital account transactions, etc.

Your Bank, as an Authorised Dealer Category – I (AD Category – I) bank has 38 dedicated TF centres, which are authorised to handle all types of foreign exchange transactions. The Bank's Trade Finance products and services are processed through Centralised Trade Processing Centres (CTPCs), which operate on a hub-and-spoke model at three major metro centres, viz. Mumbai, Chennai and Delhi. The CTPCs cater to the needs of all branches of the Bank and thus, facilitate standardised processing, efficient communication and faster turnaround time (TAT).

Your Bank has been constantly improving its core banking platform as also has been offering digitised trade processing to increase customer engagements and make every step of the trade operation process seamless and convenient. Your Bank has undertaken various IT initiatives to make the transaction executions faster, error-free and seamless. For instance, the Bank has an internet-based Trade Finance platform. viz. IDBI eTRADE, which offers flexibility to the customers to transact on a 24x7 basis. The Bank has built SWIFT GPI capabilities, which help in real-time tracking of cross-border payments, thereby enhancing customer experience. Your Bank has partnered with SWIFT India and implemented Message Queue Host Adaptor (MQHA) for advanced queue management with encryption that strengthens existing security around the message flow for domestic transactions. The SWIFT operations of your Bank are carried out through a Centralised SWIFT Cell (CSC) with utmost due diligence and multiple validation processes under a secured IT platform to ensure smooth and flawless operations. Further, your Bank has laid down policies, processes, Standard Operating Procedures (SoPs), operating manuals, robust monitoring mechanisms, etc. in compliance with regulatory and statutory norms as well as international trade practice guidelines.

Your Bank, through its retail internet banking portal, has enabled online initiation of foreign outward remittances under the Liberalised Remittances Scheme (LRS) of the RBI. The Bank has a centralised processing setup for execution of foreign inward remittances up to a certain threshold limit favouring individuals that would enable faster and immediate credit to its customers. Further, as a measure of efficient service delivery, your Bank has an online Bank Guarantee (BG) Confirmation Module, which enables beneficiaries of the BGs issued by it to obtain online confirmation of issuance of guarantees.

Your Bank has put in place appropriate operational and compliance alerts enabled with round-the-clock fraud monitoring. Your Bank, in its endeavour to mitigate cyber fraud risks and also to build effective control mechanism to address Anti-Money Laundering (AML)/ Combating of Financing of Terrorism (CFT) concerns in cross-border payments, has instituted effective system control mechanisms in the form of Payment Controls System & Transaction Screening processes.

In order to ensure additional control, your Bank has put in place various system validations to ensure compliance. Your Bank diligently follows Anti-Money Laundering (AML)/ Know Your Customer (KYC)/ Combating of Financing of Terrorism (CFT) guidelines, robust Trade-Based Money Laundering (TBML) red-flagging procedures and the US/ EU sanctions screening for international payments. Your Bank, as a matter of principle, verifies international cargo movement in merchanting trade through the International Maritime Bureau (IMB). The Bank verifies credentials, core activities, scale of business and payment velocity of overseas parties through Business Information Reports offered by reputed agencies in order to safeguard the interests of all its stakeholders.

Your Bank's bill finance policy covers purchase, discount, negotiation of all genuine bills arising out of trade in Indian Rupee (INR) and Foreign Currency (FCY). Your Bank has stipulated coverage of eligible export credit accounts under borrower specific individual cover, preferably from ECGC Ltd.

Your Bank has developed a widespread network of correspondent banking arrangements with around 614 banks across the globe through bilateral Relationship Management Application (RMA) and consequently is able to render trade and non-trade services across the world. The Bank has Nostro arrangement for remitting funds in 11 currencies directly and also handles remittances in 120 currencies across the globe through correspondent bank arrangement.

GOVERNMENT BUSINESS

Your Bank is authorised for collecting receipt and payment transactions of the Central and State Governments as an agency bank to the RBI through its branches and 24x7 internet banking facility. In addition to collection of the Central Government taxes, which includes all Income Taxes, Customs Duty and Goods & Services Tax, your Bank also has the mandate to collect receipts for 14 State Governments and two Union Territories.

Your Bank also collects stamp duty in the state of Maharashtra through electronic Secured Bank and Treasury Receipt (e-SBTR) and Simple Receipt. Your Bank is an accredited bank to the Department of Printing under the Ministry of Housing and Urban Affairs. Your Bank is authorised by the Government of India to offer Small Savings Schemes, viz. Public Provident Fund (PPF), Senior Citizens' Savings Scheme (SCSS), Sukanya Samriddhi Account Scheme (SSA), Mahila Samman Savings Certificate, 2023 (MSSC) and it is also authorised to disburse Central Civil, Defence and Railway Pension. Your Bank has enabled online collection of dues for Employees' Provident Fund Organisation (EPFO)

and Employees' State Insurance Corporation (ESIC). During the year, your Bank has enabled account opening for Mahila Samman Savings Certificate (MSSC), 2023 through the Bank's GO Mobile+ App. (Android and iOS).

CASH MANAGEMENT SERVICES

Your Bank is committed to delivering cutting-edge Cash Management Services (CMS) designed to empower corporates in optimising their collections, streamlining bulk payments and optimising cash flow. In line with its commitment towards innovation, your Bank has recently upgraded its CMS system to leverage the latest advancements available in the market to ensure that its clients get the benefit from state-of-the-art technology, further enhancing the efficiency and effectiveness of their cash management activities. Your Bank has developed Corporate Application Programming Interface (API) suite, where advanced APIs facilitate effortless communication between the Bank and the clients' servers. The seamless integration guarantees a secure data transfer, allowing corporates to enjoy a smooth banking experience.

Your Bank offers advanced technology solutions like Liquidity Management Solutions such as Corporate Liquidity Management Solution (C-LMS), Government Liquidity Management Solution (G-LMS) and innovative CMS products such as National Automated Clearing House (NACH), Virtual Remitter Identification Code (VRIC), Utility Payments through Bharat Bill Payment System (BBPS), Direct Debit, FASTag etc. Additionally, your Bank provides customised e-solutions seamlessly integrated with client systems through Host-to-Host technology and open APIs for payments.

Your Bank is privileged to be authorised for participation in Indian Railways e-freight payment system across 12 Zones. Your Bank has launched new-age digital product under the CMS suite, which is a unified institutional collection product that enables institutions in Business-to-Consumer (B2C) segment to collect dues from their customers through all possible online and offline modes using one single system. Your Bank also provides e-FD facility (for margin money requirements of National Stock Exchange), which is an online facility for stock brokers, to allow them to place their security and margin deposits with exchange in a seamless manner.

TREASURY OPERATIONS

Your Bank has integrated its treasury operations in various market segments like Money Market, Fixed Income, Foreign Exchange, Derivatives and Equities. Your Bank's Treasury operations involve active role in balance sheet management,



liquidity management, maintaining Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR), trading and investments in market instruments, forex transactions and derivatives.

Your Bank's Treasury is responsible for adherence to regulatory requirement of CRR. Your Bank was compliant with the regulatory requirement by maintaining CRR, SLR and Liquidity Coverage Ratio (LCR) in FY 2024-25.

To actively manage liquidity, the Bank's Treasury uses various instruments such as Liquidity Adjustment Facility (LAF), Marginal Standing Facility (MSF) and Open Market Operation (OMO) of the RBI as well as other market instruments/platforms such as Triparty Repo (TREPS), Clearcorp Repo Order Matching System (CROMS) and Call and Notice Money. The surplus liquidity was deployed in various short-term instruments like Certificates of Deposits, Liquid Mutual Funds and lending in Call, Notice, Term Money, Forex Depo placements, etc. Your Bank also mobilises funds through CD issuances based on assessment of short-term requirement of liquidity.

Your Bank's Board of Directors have approved raising of long-term rupee resources to the extent of ₹ 10,000 crore at an opportune time through issuance of Non-Convertible Bonds for Infrastructure and Affordable Housing on private placement basis in one or multiple tranches.

Your Bank's Treasury has been actively participating in auction of Government Securities (G-Sec)/ State Development Loans (SDL)/ Treasury Bills (T-Bills) for its trading and investment portfolio.

Your Bank has actively participated in the RBI's measures for augmenting system liquidity by way of Open Market Operations (OMOs) and USD/ INR Swaps during the year.

Your Bank continues to be an active player in G-Sec market as a Primary Dealer (PD). The PD desk ensures that the Bank meets all the regulatory requirements like bidding commitment and turnover ratio for G-sec and success ratio for T-bill auctions, etc.

Your Bank also provides Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) service to Gilt Account Holders (GAHs). Further, in order to provide liquidity in the secondary market for retail investors under the 'RBI Retail Direct' facility, your Bank also undertakes market making by providing buy/sell quotes to the retail investors on the Negotiated Dealing System- Order Matching (NDS-OM) platform (odd-lot and Request for Quotes segment). Your Bank provides retailing of G-Sec through IDBI Samriddhi platform, which is a web

traded portal wherein retail investors can buy/ sell G-Sec online.

Your Bank's Treasury has active forex interbank and derivatives desk. The forex interbank desk provides competitive forex rates to the clients. In order to further enhance its forex business, your Bank has introduced Two-Way Market Making/ Trading in Cross Currencies with banks in India through automatic system-driven trading. This is expected to increase volume and profitability of your Bank's forex business. More importantly, it is expected to increase your Bank's market presence in forex market. The Bank's Derivatives desk provides various interest rates and exchange rate hedging solutions to client to meet their hedging requirements.

The sales team works closely with all the relationship managers of the Bank to cater to the large, medium and small corporate retail clients. The team members proactively interact with the clients to provide solutions for them to effectively manage their exposures in currencies, rates and also advise them with investment solution in Debt instruments (G-Sec, Non-SLR Bonds, etc.). The sales team also leverages its reach to cross-sell other products of the Bank. The Bank has set up centralised forex desk at its Head Office to streamline covering process and improve efficiency of forex transactions. The Bank's Equity Desk trades in financial instrument to earn trading revenues through short term and medium-term price movements.

In accordance with the RBI Master Direction on Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial banks (Directions), 2023, your Bank has revised the classification, valuation, income recognition, accounting and presentation of investment portfolio and derivative contracts, and the same has been implemented from April 01, 2024.

CROSS-BORDER BRANCH

Your Bank's International Banking Unit (IBU) at the Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) commenced its operations on May 6, 2016. The IBU comes under the Kandla Special Economic Zone (SEZ) of GIFT City and its functioning is regulated by the provisions/ guidelines issued by International Financial Services Centres Authority (IFSCA). Besides other products, the Bank's IBU also focusses on funding against Standby Letter of Credit (SBLC), Foreign Currency Loan and External Commercial Borrowings (ECBs) for eligible Retail and Corporates customers. Your Bank's GIFT City Branch also offers deposit services (Savings/Current/IBU Term Deposit) and Trade Credits (Buyer's Credit/Reimbursement Authorisation (RA) financing).

CREDIT RATING

Your Bank obtains credit ratings for both its domestic and foreign currency borrowings. The rating action during FY 2024-25 along with current ratings for the Rupee resources as on March 31, 2025 are as follows:

Ratings for Rupee Borrowings					
Rated Instruments	CRISIL	ICRA	India Rating	CARE	
Rating action in	August 2024	August 2024	September 2024	September 2024	
Fixed Deposit	CRISIL AA+/ Stable [^]	[ICRA] AA / Stable^^	IND AA/ Stable^^^	=	
Short Term Borrowings (Certificate of Deposit)	CRISIL A1+	[ICRA] A1+	IND A1+	CARE A1+	
Long Term Rupee Bond (Senior and Lower Tier II Bonds)	CRISIL AA/ Stable ^{&}	[ICRA] AA/ Stable^^@	IND AA/ Stable^^^#	=	
Tier II Bonds (Basel III)	CRISIL AA / Stable ^{&}	[ICRA] AA/ Stable^^	IND AA/ Stable^^^	CARE AA/ Stable%	

Note:

- ^ Rating upgraded to CRISIL AA+/Stable from CRISIL AA/Stable
- ^^ Rating upgraded to [ICRA] AA/Stable from ICRA AA-/Stable
- ^^^ Rating upgraded to IND AA/Stable from IND AA-/Stable
- Rating upgraded to CRISIL AA/Stable from CRISIL AA-/Stable
- % Rating upgraded to CARE AA/ Stable from CARE AA-/ Stable
- # Only Senior Tier II bonds has been rated
- Rating obtained for additional Infrastructure Bond ₹ 7,000 crore in January 2025

The Medium Term Note (MTN) Bonds rated by foreign rating agencies, viz. S&P Global Ratings (S&P) and Fitch Ratings (Fitch), were fully repaid on November 30, 2020. Hence, the Bank had terminated the rating engagements/ agreement with them on May 21, 2021, for various issues made under the MTN Bond Programme. Accordingly, rating for Foreign Currency Borrowings stands withdrawn.

RISK MANAGEMENT

Risk management strategy of your Bank essentially focusses on the fundamental tripod, viz. identification, measurement and management. While identification enables the Bank to further analyse and assess the risks, measurement empowers the Bank to manage risks effectively. This strategic approach allows the Bank to attain improved decision-making and derive confidence therefrom. A well-defined policy framework outlining appropriate limits and processes enables the Bank to manage risks within its overall risk appetite. Periodic policy updates ensure further refinement in its risk management practices by capturing the essence of business dynamics, banking innovations, emerging risk scenarios and regulatory changes. Your Bank constantly endeavours to improve its risk management culture by spreading risk awareness across all its verticals, reaching to the service-delivery and transaction points and making it integral to decision-making process. While the Risk Management Committee (RMC) of the Board is responsible for overall risk management, the day-to-day activities are conducted at various levels based on the risk governance structure. The risk management systems and processes are continuously upgraded in conformity with the regulatory requirements. For a more robust and technologically advanced risk management system, your Bank has implemented Integrated Risk Management Architecture (IRMA) comprising software solutions. viz. Credit Risk Assessment Module (RAM). Capital Assessment Model (CAM) and Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE). The IRMA helps to identify and measure credit and operational risks which in turn facilitates formulation of suitable risk management strategies. Further, the Bank has a well-established Financial Analytical Application for its Asset Liability Management (ALM), Fund Transfer Pricing (FTP), Profitability Management and Liquidity Risk Management. Further, your Bank has implemented an Integrated Treasury Management System (ITMS) which, inter-alia, includes measurement and monitoring of market risk.

Risk Management Processes

The Bank documents its risk review processes in terms of various policies and established practices to ensure transparency, accountability and consistency in evaluating and managing risks across all operations and portfolios. The Bank has a well-defined policy framework to incorporate and implement risk management processes at various levels which are demonstrated through measures outlined in this section of the Annual Report.

Implementation of Basel Norms

In adherence to the Pillar 1 guidelines of the RBI under Basel III framework, your Bank computes regulatory capital requirement for credit, market and operational risks on a monthly basis. In addition, banks in India are mandated to maintain the Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50%. Your Bank also keeps a close watch on the movement of Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR) at monthly periodicity. Your Bank's 'Total Capital + CCB' ratio was 25.05% as on March 31, 2025 against the regulatory requirement of 11.50%. Similarly, your Bank's 'Common Equity Tier 1 (CET1) + CCB' ratio was 23.51% as against the regulatory requirement of 8.00%. Your Bank's 'Tier 1 + CCB' ratio stood at 23.51% as on March 31, 2024 as against the regulatory requirement of 9.50%. Your Bank's Leverage Ratio as on March 31, 2025 was 9.59% against the minimum regulatory requirement of 3.50%. Your Bank has a Board-approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) in line with the Pillar 2 norms of the Basel III framework. This policy enables your Bank to internally assess and quantify those risks which are not covered or not adequately covered under Pillar 1 as well as to develop appropriate strategies to manage and mitigate risks under normal and stressed conditions. Your Bank has also put in place a comprehensive stress testing framework



in line with the RBI guidelines. The stress testing framework enables your Bank to assess its performance under exceptional but plausible events/ scenario and facilitates in framing appropriate proactive strategies to meet unforeseen contingencies. The stress testing framework also includes scenario analysis, multifactor sensitivity analysis and reverse stress testing. Scenario analysis covers a study on impact of further increase in Gross NPAs, crystallisation of non-fund facilities in Non-Performing Assets (NPAs) & Technically Written-Off (TWO) accounts and impact of illiquid securities on capital and profitability of the Bank. The Bank uses the mechanism of reverse stress testing to ascertain the level of stress which may adversely impact the capital and profitability of the Bank to take it to a pre-determined floor level. Your Bank has adopted a Disclosure Policy in accordance with the Pillar 3 requirements under the Basel norms. Accordingly, disclosures as at the end of each quarter are hosted on your Bank's website, thereby exhibiting high degree of transparency. Your Bank has also laid down a Reputational Risk Assessment and Management Policy to proactively assess the risks posed to its reputation and the related consequences, along with the measures to contain them. Your Bank has also put in place Group Risk Assessment Policy to monitor and minimise the overall risk profile at the group level. Your Bank follows the Standardised Approach under Credit Risk for computation of capital charge. Your Bank follows Basic Indicator Approach (BIA) to compute regulatory capital charge for Operational Risk. Your Bank is in readiness to implement new standardised approach for assessment of operational risk capital requirement as proposed by the RBI. A comprehensive set of Key Risk Indicators (KRIs) and Risk & Control Self-Assessment (RCSA) framework was rolled out across different business segments for augmenting risk culture and ensuring effective control mechanism. For Market Risk, your Bank follows Standardised Duration Approach (SDA) to compute regulatory capital requirements.

Credit Risk

The Credit Risk Management system in your Bank includes the Intelligent Credit Origination (ICON) System which is a Credit Risk Assessment Module for credit rating of proposals and Capital Assessment Model (CAM) for automation of capital adequacy assessment. The Bank's Credit Policy is reviewed periodically in line with changing business objectives, economic environment and forms the guiding tool for the business verticals. As per your Bank's Board-approved structure, the Credit Risk Management Committee (CRMC), inter alia, ensures implementation of Credit Policy strategies and monitors credit risk on bank-wide basis. In addition to ICON System/ score-based internal rating, the Bank has also developed Quantified Risk Scoring Matrix (QASM) for risk-categorisation of high-value Corporate and Micro, Small

& Medium Enterprise (MSME) loans. Your Bank has rolled out the upgraded credit risk assessment application, viz. ICON, for business users. The updated ICON application is agile, flexible and is based on cutting-edge technology. It has various new features which will help in smooth and efficient internal rating and credit decision making. Your Bank has a centralised Model Repository System (MRS) enables the verticals to monitor their respective models on an e-platform in respect of documentation, review, validation and agreement execution.

Market Risk

The Market Risk Management in your Bank, in terms of functions and business positions, operates in line with the policy framework defined in the Market Risk & Derivative Policy and the Investment Policy. These policies, in general, outline the appropriate levels of risk appetite and implementation mechanisms for measurement, monitoring, reporting and escalation of risks and exceptions. With the implementation of Integrated Treasury Management System (ITMS), the market risk management efficacy of your Bank has been further strengthened. All the prescribed limits and procedures are monitored closely by the Treasury Mid-Office, which is independent of the Treasury Front-Office and the Treasury Back-Office. Trading positions are monitored against limits at portfolio as well as at dealer level. Assessment of Non-Statutory Liquidity Ratio (NSLR) Bonds is carried out through in-house developed internal rating-based model in order to create a robust NSLR Bond portfolio. Market risk is monitored through various metrics and tools, viz. limits on positions, gaps, Modified Duration (MD), Price Value of 01 (PV01), Day Light Exposure and Net Overnight Open Position (NOOP). The Bank also assesses risk with the help of Value-at-Risk (VaR) metrics and regular stress testing.

Liquidity Management

The Bank has a well-organised liquidity risk management structure as enumerated in the Board-approved Asset Liability Management (ALM) Policy. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors and manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. The Asset Liability Management (ALM) activities including liquidity analysis and management are conducted through co-ordination amongst various Asset Liability Management Committee (ALCO) support groups in the functional areas such as Finance & Accounts, Treasury Front-Office, Budget & Planning, etc. The directives of Asset Liability Management Committee (ALCO) and Asset Liability Management (ALM) policy are implemented by the business groups and verticals concerned. As per the regulatory guidelines, the Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the Bank is computed on a daily basis with effect from January 1, 2017. The average Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the Bank remained at 127.09% for the quarter ended March 31, 2025. Your Bank implemented the Net Stable Funding Ratio (NSFR) from October 1, 2021, in line with the RBI directives. The Bank's Net Stable Funding Ratio (NSFR) as on March 31, 2025 was 120.63%.

Operational Risk

The Bank has a robust Operational Risk Management Framework (ORMF) which includes an organisational set-up comprising the Board of Directors, Risk Management Committee (RMC) of the Board, Operational Risk Management Committee (ORMC), Operational Risk Management (ORM) section in the Risk Management Department and nodal officers from various functions and departments. The operating procedures for operational risk are guided by the Board-approved Operational Risk Management Policy which aims at identifying, monitoring, measuring and managing operational risks associated with banking activities. Your Bank has robust internal systems and procedures for mitigation of inherent risks spread across various business activities and operations. It manages the operational risks through Key Risk Indicators (KRIs) and Risk Control Self-Assessment (RCSA) exercises and periodically updates these outcomes to the Operational Risk Management Committee (ORMC) and the Risk Management Committee (RMC) of the Board. Operational risk loss events from across the Bank are collated and presented to the Operational Risk Management Committee (ORMC) along with the root cause analysis. Your Bank also conducts stress testing exercises on a quarterly basis in order to study the impact of stressed operational risk losses on its earnings and capital. This is aided by measurement and reporting of any breach in the Board-approved Risk Appetite limits for operational risk. At present, the Bank has adopted the Basic Indicator Approach (BIA) for computation of Operational Risk Regulatory Capital and Risk Weighted Assets. At the same time, the Bank is also ready with Operational Risk Regulatory Capital Computation under Basel III Standardised approach. Your Bank has created a centralised platform for digital hosting of all internal policies, products, manuals and Standard Operating Procedures (SOPs) at one place in order to ensure timely updation and easy access to the employees.

Business Continuity Management

Your Bank has robust Business Continuity Management (BCM) processes to mitigate business disruptions and life-threatening events. Your Bank has been awarded ISO 22301:2019 certification for its Bank-wide coverage of Business Continuity Management. In order to safeguard human life & to ensure continuity in banking services during disruption or disaster, the Bank has put in place a well-defined BCM framework. The Business Continuity Plan (BCP) documents for all the important departments, inter alia, incorporate the modalities, in an event of business disruption or disaster and consequent recovery strategies and plans. Besides, a comprehensive Disaster Management Plan (DMP)

is deployed for its major establishments to safeguard human lives and minimise damage to valuable assets during disaster. The resilience of these plans under different disruption scenarios are tested on an on-going basis through BCP testing exercises, Disaster Recovery (DR) drills and holistic DR Drills for critical IT applications and mock evacuation drills are conducted at the Bank's owned premises.

Information Technology Risk

Your Bank has taken a series of steps to improve its Information Technology (IT) risk management and control. Your Bank has set up a state-of-the-art Security Operation Centre (SOC) at its Data Centre (DC) at Navi Mumbai and at Disaster Recovery (DR) site at Chennai to ensure sustained availability of the Bank's systems. The 24x7 Security Operation Centre (SOC) is a Command Centre for countering cyber threats and ensuring compliance with the Bank's Information Security Policy and Cyber Security Policy besides fulfilling the Bank's objective of providing safe and secure banking to its customers. Further, through the SOC, your Bank centrally monitors security devices like firewalls, routers, Intrusion Detection System (IDS) devices/ Intrusion Prevention System (IPS) devices, Privileged Identity Management (PIM), antivirus, phishing/ malware attempts and takes corrective actions. Your Bank regularly conducts Vulnerability Assessment & Penetration Testing (VAPT) of applications facing Internet, viz. Finacle E-Banking Application (FEBA), Mobile Banking, Mail Messaging, etc.

Your Bank has successfully implemented the RBI's recommendations pertaining to Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds and the RBI's Cyber Security Framework for banks. Your Bank has put in place an appropriate organisational framework, as recommended in the guidelines, which includes an exclusive Information Security Group (ISG) headed by the Chief Information Security Officer (CISO) who reports to the Chief Risk Officer (CRO) of the Bank.

Your Bank has put in place distinct Information Security Policy (ISP), Cyber Security Policy (CSP) and Cyber Crisis Management Plan (CCMP), which articulate management intent and direction for addressing cyber security risks. Your Bank conducts and participates in various types of cyber drills, table-top exercises, phishing simulation exercises and breach readiness exercises to check and maintain the health of its information security set-up.

Information Security Awareness has been included as a mandatory session in the Induction Programme for new recruits of the Bank. The members of the senior management of the Bank attended IT Risk programme at Institute for Development & Research in Banking Technology (IDRBT). Apart from conducting regular information security awareness



programmes for the employees, various information security precautions are also communicated to customers through mailers, SMSes, ATMs and posters, to minimise/ thwart the attempts of any security breach. The Bank observes the 'Cyber Jagrookta (Awareness) Diwas' on the first Wednesday of every month in line with the Gol guidelines. Moreover, the Bank also extends cyber security related hygiene programme/ assessments for outsourced staff.

The IT infrastructure and systems have been implemented within a robust information security framework including solutions on both perimeter and end-points. Your Bank's Data Centre (DC), Disaster Recovery (DR) Centre as well as Near DR (NDR) Centre are certified with the latest ISO 27001:2022 information security standards. Your Bank's Near DR ensures zero data loss for critical transaction systems. The Information Security Steering Committee (ISSC) of the Bank provides directions and guidance for mitigating IT risk in the information systems and provides direction on the status of observations identified through Vulnerability Assessment & Penetration Testing (VAPT)/ Application Security Testing (AppSec) process. The cyber security posture, various security incidents and the policies are placed before the IT Strategy Committee of the Board (ITSCB) for necessary directions. The policies are reviewed and recommended by ITSCB to the Board for approval.

Several information security solutions have been implemented like Privileged Identity Access Management, Next-Generation-Firewall Solution, Antivirus, Honeypot Solution, Patch Management Solution, Active Directory, Web/ Mail Gateways, Endpoint and Universal Serial Bus (USB) encryption, Data Leakage Prevention (DLP) solution, Advanced Persistent Threat (APT), Network Access Control (NAC), Web Application Firewall (WAF), XDR (Extended Detection & Response), etc. to protect customer data, prevent external attacks as well as to strengthen internal controls.

Fraud Risk Management

During FY 2024-25, the RBI issued new Master Directions on Fraud Risk Management function in Commercial Banks, stipulating banks to set up an appropriate organisational structure for institutionalisation of Fraud Risk Management within their overall risk management functions and departments. Accordingly, your Bank has re-organised the Fraud Monitoring, Examination and Enterprise-wide Fraud Risk Management Solution (EFRMS) functions under an umbrella named as Fraud Risk Management Group (FRMG).

The Fraud Monitoring & Examination team is the nodal point for examination and reporting of frauds as per the Bank's internal policy and monitoring of the remedial actions taken to prevent re-occurrence of frauds. Your Bank issues

necessary advisories/ circulars from time-to-time aimed at strengthening of internal control and putting in place need-based remedial measures. The Fraud Risk Management (FRM) Policy contains guidelines for early detection, prevention, reporting, monitoring and follow-up of frauds. The Bank has issued various internal circulars on prompt reporting of frauds and timelines for reporting of fraud incidents, reiterating the importance of timely reporting of frauds to the RBI.

The EFRMS team focusses on risk-based monitoring of suspicious transactions across various digital banking platforms and applications. In order to achieve fraud detection and real-time prevention, the Bank deploys detection rules and predictive analytical models within the high performance EFRMS. The risk-based suspicious transaction monitoring activity, which operates on 24x7 basis, has been extended to cover all digital channel transactions of the Bank. During FY 2024-25, the Bank has progressively implemented various rules based on emerging digital payment fraud modus operandi. Further, customers are being made aware about latest fraud modus operandi and precautionary measures through emails and fraud awareness related posts on social media platforms. These initiatives empower customers of your Bank to transact and make their digital payments in a safer and more secure environment.

Offsite Monitoring System

The Offsite Monitoring System (OMS) is a tool to detect errors and omissions arising out of day-to-day operations in Finacle and generate alert for monitoring and undertaking necessary corrective action. The OMS rules identify exceptions that may expose the Bank to regulatory, financial and operational risks. Existing rules and Turnaround Time (TAT) for closure of OMS alerts are reviewed on an annual basis in line with changing quidelines.

Climate Risk Management

The Bank has integrated climate risk management into its overall risk management framework by evaluating climate-related risks. This process involves identifying exposures, assessing potential impacts and continuously monitoring its business portfolio.

During the year, the Bank has undertaken various climate risk-related initiatives. It has computed financed emissions for a sample of its fund-based industry portfolio exposure as of December 2024, based on Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) guidelines. This exercise has helped the Bank to understand the climate risks in the sampled exposure.

The Bank has done physical risks assessment for its mortgage assets, ensuring an understanding of the potential impacts and vulnerabilities of climate-related events on its assets. Additionally, the Bank circulates a quarterly internal

newsletter to raise awareness among employees about the latest developments, risks, and mitigation strategies relating to climate change.

The Bank is committed to continuously enhancing its climate risk management practices. It plans to integrate Environmental, Social & Governance (ESG) risks into its Risk Management Framework (RMF) in close consultation with various stakeholders. This integration will ensure that ESG risks are assessed and managed, further enhancing transparency and resilience.

The Bank's Credit Policy imposes restrictions on industries that are harmful to the environment, such as those producing or consuming ozone-depleting substances, while promoting sustainable financing. Additionally, the Bank has a Board-approved policy on Green Deposits and a Financing Framework.

The Bank actively supports financing for renewable energy projects through its lending to various sectors, including solar energy, residential solar panels, compressed bio-gas, and commercial and passenger electric vehicles. Environmental risks are also integrated into the Bank's internal rating system as part of the credit risk assessment for borrowers. The Bank's Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy recognises climate risk as a significant risk to be studied.

Emerging Risk

Your Bank recognises several emerging risks, including climate change, cybersecurity threats, geopolitical risks, vendor risks, regulatory changes, technological disruptions and other near-term challenges, and is committed to taking proactive measures to address them.

The Bank integrates various channels to demonstrate its commitment to resilience, ensuring customer security and safeguarding trust in a VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) world. The Bank continuously updates its cyber security posture to protect against potential threats.

The Bank actively monitors global geopolitical developments and assesses their potential impact on its business. Additionally, the Bank monitors its geopolitical risks through counterparty bank and country exposures, ensuring that these risks are carefully managed. By maintaining a diversified portfolio and engaging in strategic planning, the Bank aims to mitigate the effects of geopolitical risks.

MANAGEMENT, CONTROLS AND SYSTEMS

Human Capital: Empowering Employees & Improving Employee Experience

Your Bank believes that its employees are the foundation of its success. The Bank has always been committed to building an agile and future-ready organisational environment where

employees can excel and realise their aspirations, thereby contributing to the Bank's strategic goals.

While addressing various business challenges, your Bank has undertaken a significant re-alignment of strategy, structure, systems and technology. Efforts to enhance employee experience has always been at the core of all strategic interventions. In line with its commitment to fostering a people–centric culture, your Bank has implemented various initiatives to empower employees and enhance their overall experience. There has always been a strong focus on creating a culture that balances market orientation with employee well-being. Few of the measures undertaken in this regard are as follows:

Future-ready Talent Acquisition: Your Bank is on the growth trajectory and has been transforming itself as a new-age private sector bank with a young workforce. A multi-pronged talent acquisition strategy has been successful in onboarding young talent through the Bank's Campus Connect programme, collaborations with educational institutes to provide trained officers and direct recruitment. The focus is on recruiting talent with the necessary skill sets for organisational growth. During the year, your Bank recruited 2,755 individuals in various grades as given below:

Grade	Total
Executive- Sales & Operations	1,337
Grade O (Junior Assistant Manager)	1,146
Grade A (Assistant Manager)	204
Grade B (Manager)	41
Grade C (Assistant General Manager)	17
Grade D (Deputy General Manager)	2
Grade E (General Manager)	2
Grade F (Chief General Manager)*	2
Deputy Managing Director	1
Clerical#	3
Total	2,755

^{*} Excludes Chief Customer Service Officer.

As on March 31, 2025, your Bank had total staff strength of 19,731 as follows:

Class	Total*
Officers	16,923
Executives	2,164
Clerical	312
Subordinate	332
Total	19,731

^{* -} The count includes employees on contract

Talent Management: Your Bank believes in holistic development of human capital and has deployed strategic interventions to provide all-round development of employees through the following measures:

^{# -} Compassionate Appointments



- Manpower deployment Optimising workforce efficiency: Your Bank has strategically focussed on manpower deployment to ensure optimal workforce utilisation and operational efficiency. Your Bank has implemented datadriven workforce planning to align staffing with business needs, enhancing productivity across all the functions. Your Bank has a robust manpower deployment mechanism for facilitating organisational and statutory requirements while keeping in view employees' growth. Placements are done to develop competencies and skills of officers through exposure to wider and diverse operational areas. This is also facilitated through the capacity building framework which envisages optimising skills of individuals through specific intervention by way of knowledge upgradation and enhancing existing skill sets. Further, movement of officers including officers holding sensitive positions is guided by the framework provided in Officers' Rotation and Transfer Policy.
- Performance Management System Driving Excellence and Growth: Your Bank has put in place a performance appraisal system, i.e. IDBI Performance Assessment & Continuous Evaluation System (i-PACE), with the objective to foster a high-performance, complianceoriented culture and to align employee goals with organisational objectives. i-PACE includes standardised Key Result Areas (KRAs) for similar roles with uniform weightage and direct system/ dashboard linkages for most of the measurable KRAs. Your Bank has a performance-linked variable pay plan, motivating employees to strive for excellence. Your Bank remains committed to fostering a culture of meritocracy, continuous improvement and employee empowerment through a robust Performance Management System.
- Professional Growth Enabling Career Advancement and Excellence: Opportunities in varied aspects of banking, viz. Retail, Corporate, Trade Finance, Treasury, Government Business, etc., sales, operations and support functions provide ample scope to have a rounded professional growth. Younger employees are placing more emphasis on learning and competitive landscapes are continually changing. Your Bank has prioritised professional growth initiatives to empower employees with the skills and knowledge needed for career advancement. To facilitate continuous learning by employees,

- your Bank has also been reimbursing fees of courses/ certification programmes in relevant areas
- Succession Planning: Your Bank has put in place a Policy for Succession Planning at critical senior positions of Executive Director and Chief General Manager to ensure business continuity and a leadership pipeline. The policy provides a holistic framework for creating leadership pipeline for senior positions to ensure business steadiness when identified critical positions are vacated.
- Looking at Holistic Well-being: Your Bank has embraced a holistic approach to employee well-being, recognising that true success comes from a balance of professional growth, personal fulfillment and a supportive work environment. Your Bank has curated an employee experience that helps them perform better, have a sharper focus at their jobs and feel a sense of belonging, accomplishment and fulfillment in their work.
 - Health and Well-being: Your Bank provides medical facilities for employees and their dependents which include hospitalisation cover, reimbursement of domiciliary treatment. comprehensive health check-ups, services of the Bank's Medical Officers at major centres, etc. To take care of employees' emotional well-being, your Bank has an employee well-being and assistance programme, namely 'i-Care', wherein support of trained professional counsellors can be availed by employees and their dependents. To encourage a healthy lifestyle, well-being among employees, your Bank has conducted annual sports, cultural events at its Head Office in Mumbai and Zonal Offices. Your Bank has also introduced a Scheme for reimbursement of registration fee (one-time) for participation in major marathon events.
 - Loans & Advances: Your Bank extends loans and advances at a soft rate of interest and concessional terms of repayment which enables employees to fulfill their dreams of owning their dream home/ car. The employees are also given an option to carry forward repayment of home loans beyond the age of retirement, which ensures that the entire life-cycle of the employee is sheltered.
 - Scholarship for wards of employees: Your Bank has introduced a Scheme 'i-Shiksha' to reward meritorious wards of all its employees for exemplary academic performance in Class X/ XII Board examinations. During FY 2024-25, your

Bank disbursed Dr. B. R. Ambedkar Scholarship to the children of Class III & IV employees from the Scheduled Castes (SCs)/ Scheduled Tribes (STs) category.

- Compassionate Schemes: To ensure that bereaved family members of employees who die in harness do not face financial difficulties, your Bank has put in place schemes to provide compassionate appointment to dependent family members/ payment of ex-gratia amount and financial support. Life insurance cover is provided to all employees and all outstanding staff loans are covered under insurance schemes.
- Legal & Financial Assistance: Your Bank has put in place a Scheme for Extending Financial and Legal Assistance to its Directors/ Officers/ Employees and a Directors' and Officers' Liability Insurance Policy.
- Diversity and Inclusion: Your Bank has continued its efforts in promoting diversity and inclusion in the workforce. Your Bank has implemented inclusive hiring practices, promoting equal opportunity across all levels of the organisation. Your Bank continues to recruit persons with disabilities and applicable guidelines on reservation are followed. As on March 31, 2025, the representation of Scheduled Castes (SCs)/ Scheduled Tribes (STs)/ Other Backward Classes (OBCs)/ Economically Weaker Sections (EWSs) in the Bank's total manpower was as follows:

CLASS	SC	ST	OBC	EWS
Officers	2,445	987	4,519	368
Executives	350	126	789	307
Clerical	41	17	38	0
Subordinate	87	26	69	0
Total	2,923	1,156	5,415	675

• Industrial Relations: The industrial relations climate in your Bank has generally been cordial, during the year, with most of the issues having been resolved amicably. The Bank has been holding meetings with the Associations and Unions in its endeavor to have constructive dialogue for understanding and addressing grievances of officers/ employees. The Associations and Unions have also been responsive and proactive while addressing various issues.

Prevention of Sexual Harassment at Workplace (POSH)

With the aim of providing quick assistance and immediate support to the aggrieved women on account of occurrence of an untoward incident, an

e-mail-based grievance mechanism has been put in place by the Bank to enable them to lodge complaints of sexual harassment faced by them at their workplace, directly to the members of Internal Committees.

Disclosures under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

With the objective of creating a safe and friendly work environment and ensuring prevention of sexual harassment at workplace, the Bank, in line with the requirements of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, has set up twelve Internal Committees to redress the complaints received regarding sexual harassment of women at workplace. During FY 2024-25, the Bank received 12 (twelve) complaints which were attended by the respective Internal Committees. As on March 31, 2025, four complaints are under process.

• Ethics and Compliance: Your Bank has introduced the concept of Chief Ethics Officer/ Zonal Ethics Officers to ensure promulgation of an ethical and compliant culture throughout the Bank.

Learning and Employee Engagement (L&ED)

IDBI Learning Ecosystem: Invest in learning and make a difference

Learning and Employee Engagement is the driving force behind building a competent and confident team, essential for achieving business and compliance excellence. Your Bank remains committed to ensuring that every employee is included in appropriate learning programmes, thoughtfully aligned with the Bank's vision of investing in employee development and empowerment. These programmes are customised to meet learning needs identified by the Zones and Verticals, ensuring a strategic approach to skill enhancement.


The Year in Learning focussed on:

- Compliance, Control & Ethics (CCE) in every programme
- Digitising Learning for a future-ready workforce
- Maximising expertise through Collaborative Learning

Learning - Aiming for Growth and Excellence:

Your Bank views learning not as a mandatory assignment, but as a strategic tool to identify knowledge and skill gaps and bridge them through customised programmes and workshops. The approach is centred on individual learning needs, ensuring they are addressed through a well-balanced mix of online and offline learning initiatives. The employee coverage in learning programmes during the year is as follows:






Out of total 19,731 employees, 19,307 attended online/offline learning programmes during the year.

Man-Days Targeted and Achieved Across Employee Categories:

As per the Learning & Employee Engagement (L&ED) policy, a minimum number of man-days has been defined for the development of employees across various categories. Your Bank has not only met but exceeded these targets (107%), reflecting a strong commitment to continuous learning and capacity building.

Designing the Mapping of Various Learning Programmes:

A structured approach has been adopted to design and map learning programmes to the specific roles, responsibilities and development needs of employees. This mapping ensures alignment with organisational goals and individual career progression. Programmes are categorised based on functional, behavioural, regulatory and leadership competencies, enabling targeted learning interventions for each employee category:



Behavioural Programmes

Aarohan3: My Steps towards Excellence

Your Bank is committed to empower its employees and building a competent and confident workforce across country.

To support this vision, Aarohan - an in-house motivational programme - has been designed for employees up to Grade D. The programme carries a strong and inspiring message: 'Everyone has the power to write their own destiny'.

Aarohan introduces practical self-empowerment tools aimed at helping individuals strive for excellence in both their personal and professional lives.

The sessions covered the following key areas:



Programme Conducted	Participants Covered	% Participants Covered	
710	15,913	95%	

Impact Leadership

two-day 'Leadership Development' organised General programme was for Managers in collaboration with the Entrepreneurship Development Institute of India (EDII), Ahmedabad, with a focus on enhancing leadership skills. The programme comprised one-day in-house Aarohan programme and one-day on 'Entrepreneurial Thinking' by EDII. A total of 205 General Managers (95%) participated in the programmes held at the Head Office, IDBI Centre for Excellence in Banking and Finance (ICBF), Hyderabad and in Delhi.

Management Development Programme

A Management Development Programme was conducted for **Executive Directors and Chief General Managers** at IIM, Kolkata. The programme focussed on managing high-performance teams, equipping senior leaders with strategies to foster collaboration, drive results and lead with impact.

Wellness Programme for Subordinate Staff

A two-day motivational programme focusing on mental and physical fitness was conducted for subordinate staff across the country. A total number of 27 programmes were conducted covering 457 employees.


Soft Skills Customised Sessions

Exclusive sessions have been integrated into the programmes to facilitate experiential and situational learning, customised to specific requirements. These sessions aim to deepen understanding and enhance practical application of key concepts through real-world scenarios.

Capacity Building

Role-Based Workshops

Your Bank has initiated Role-Based workshops for various positions in the branches, including branch heads, asset officers, service and operations managers, relationship managers, customer service executives and teller service executives. These workshops, comprehensively covered functional and behavioural sessions while emphasising compliance, control and ethical practices. The aim is to bridge knowledge and skill gaps and develop confidence in employees as they take on new or existing roles. The progress of Role-Based Workshops is as follows:



SOM – Service & Operation Manager RM/RO – Relationship Manager / Relationship Officer CSE/TSE – Customer Service Executive / Teller Service Executive JAM – Junior Assistant Manager


Online Capsule Programmes

Your Bank has initiated efforts to hand hold the employees in specialised areas through Online Capsule Programmes. These programmes are conducted after business hours, reaching 'Employees at their Desks'. The aim is to cover the full branch in place of individual employees, as the programmes are conducted through Teams meeting. This facilitates maximum branch participation.

The following Online Capsule Programmes have been conducted this year:

- Daily Discipline: Compliance, Control & Ethics (CCE)
- MSME Gyanshala
- Agri Gyanshala
- Trade Finance A Simplified Guide
- KYC Excellence Drive

Status of these programmes:



Vertical Programmes

Based on the specific learning requirements of various verticals, both in-house and external training programmes have been organised.

For specialised skill development, officers have been nominated for external programmes and collaborative sessions have been conducted with the support of external experts. These initiatives have particularly focussed on key functional areas such as Treasury, Credit, Trade Finance, Audit, Compliance, Operations, IT and other critical domains.

A total number of 58 programmes have been conducted covering 1,534 officers. Also 949



officers from various verticals have been nominated in 105 programmes to various specialised institutes, viz. Administrative Staff College of India (ASCI), State Bank Institute of Rural Development (SBIRD), College of Agricultural Banking (CAB), Centre For Advanced Financial Research And Learning (CAFRAL), CRISIL Ltd., Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI), Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI), etc.

• Collaborative Learning - Cluster Programmes

Your Bank has worked on a new approach of location convenience programme, by developing customised programme based on the collective concerns of a nearby branch clusters. These programmes are conducted in the evenings at branch locations by the facilitators ensuring minimal disruptions to daily operations.

Nurturing Young Talent

Developing future leaders has always been a priority for your Bank. To enhance their onboarding experience, competencies, familiarising them with the Bank's work culture, growth opportunities, their roles & expectations etc., institutional tie up programmes and induction programmes for assistant managers, junior assistant managers and lateral recruits, executives have been reviewed to maintain a competitive edge. The following programmes have been conducted in the year:

Induction programme for new joinees conducted at ICBF, Hyderabad and IDBI Learning Centres at various Zones covering topics such as, About the Bank, work culture, role, responsibility, compliance, control and ethics aspects. A total number of 136 programmes have been conducted covering 3,030 participants.

Talent Development Programme were organised for developing expertise in specialised areas. The following programmes were conducted:

- Intensive Credit Management Programme (ICMP) for developing credit skills among LCG/ MCG officers; and
- Information Systems & Technology Excellence Programme (INFOSTEP) for newly recruited IT officers.

Exclusive programme for First Time Branch Heads - Dedicated programmes focused on leadership development, problem-solving and interpersonal management have been conducted for first time

branch heads. A total number of eight programmes were conducted covering 203 branch heads.

Digitisation of Learning

OJAS (e-learning)

Your Bank aims for the digitisation of learning, providing convenience to the participants and saving time and cost. Mandatory programmes as per the regulatory guidelines have been developed into e-learning modules to provide easy access to employees. This approach has yielded good results with a higher completion percentage by all the employees. Participants' coverage in regulatory compliance module has been 99.25%.

Updation of OJAS (e-learning) Modules

To facilitate convenient access to the latest developments, Bank guidelines, products and processes to the employees, your Bank has undertaken efforts to update e-learning modules with support of subject matter experts. These modules are accessible online including on mobile.

Virtual Programmes through Microsoft Teams

Virtual programmes were thoughtfully designed and conducted both internally and in collaboration with external institutes. These initiatives have been well-received, providing participants with valuable learning experiences.

Online Capsule Programmes

To promote digitisation, specialised topics have been covered under 'Online Capsule Programmes'. This initiative has significantly enhanced accessibility and engagement among employees.

Exclusive programmes customised to current industry relevance for Board Members and Senior Management

- Digital Personal Data Protection Act (DPDPA'23)
- Enterprise Risk Management Programme
- Programme on AI, Blockchain and Cyber Security

Retirement Programme

An exclusive quarterly programme is designed for employees scheduled to retire in the upcoming

quarters, focusing on financial planning, emotional readiness, lifestyle adjustments and exploring post-retirement opportunities to ensure a smooth and fulfilling transition.

Impact Analysis – Qualitative Improvement Index (QII)

QII is being measured in a systematic manner for Rolebased workshops and Online Capsule programmes to assess employees' understanding, knowledge enhancement and the value they create at the workplace after a certain period post-programme. The QII is derived based on the following parameters:

- Exit Test Assessment Measures knowledge retention post-programme.
- b. **Employee Feedback** Captures the participant's perception about the programme and its applicability at the workplace.
- c. Feedback from Reporting Authority Taken after a defined period to evaluate functional and behavioural improvements and changes in the employee.
- Feedback from Reviewing Authority -Collected after a gap to assess sustained impact and overall contribution.
- e. **Business Growth** Evaluated in product specific programmes such as 'MSME Gyanshala' and 'Agri Gyanshala', to measure improvements in business performance.
- f. Reduction in Operational Pendency Assessed based on reduction in operational area pendency.

Organising Learning Programmes for other Banks/ NBFCs

Your Bank has conducted 40 offline/ virtual learning programmes for other banks covering 1,228 participants in various areas, leveraging internal and external expertise. This initiative strengthens connect with other institutes and helps exploring future collaborations for mutual benefit.

Learning Activities for Employee Engagement

To inculcate a habit of continuous learning, your Bank has launched various employee engagement activities such as <u>Learning Wednesday – a dedicated day</u> for updating knowledge and learning new skills in a team by the employees at branches, Regions, Zones and verticals, <u>IDBI Knowledge Cup</u> – a Bank-level quiz competition – wherein teams of Regions and verticals have participated in the first round, winning teams reach the second level and final round conducted

among Zone and vertical winners, **Rapid Fire on Compliance** – it was conducted on the last day of all functional programmes in ILCs and ICBF. This collaborative learning approach is yielding positive outcomes.

Knowledge updation through e-Publications

For knowledge updation on your Bank's products, processes and guidelines and enhancing awareness of current economic conditions, the world economy, regulator's guidelines etc., your Bank has developed and regularly updated internal e-publications and uploaded on Intranet – <u>'QBank'</u> – Question Bank for knowledge updation and <u>'GK+'</u> is prepared for awareness about the economy, regulator guidelines and the world around us.

A new comprehensive <u>L&ED webpage</u> is developed incorporating circulars, SOPs, programme details, PPTs, motivational columns etc.

Faculty Development Programme

To ensure the effectiveness of learning programmes, faculty development is essential. Recognising this, your Bank has made significant investments in this area by organising various initiatives such as the Faculty Development Programme (FDP) by Management Development Institute (MDI) Gurgaon and the 'Train the Trainer' programme for the in-house Behavioural Science initiative. These efforts aim to enhance the competency levels of facilitators and strengthen the overall learning ecosystem.

ADMINISTRATION AND INFRASTRUCTURE MANAGEMENT

During FY 2024-25, the Bank set up 76 new branches pan-India basis. The Infrastructure Management Department (IMD) of your Bank has completed relocation and major renovation of about 100 branches in various Zones. Construction of office buildings comprising IT centre, training halls and hostel facility have been initiated at ICBF, Hyderabad. For improving compliance, the Bank's procurement manual has been prepared during the year. Your Bank undertook implementation of solar power plants in various owned properties. A new Zonal office at Kochi was set up during the year.

INTERNAL AUDIT

Your Bank has a dedicated Internal Audit Department, which evaluates the adherence to internal policies, procedures and regulatory guidelines as also provides objective assurance on the effectiveness of internal controls, risk management and governance processes within the Bank and suggests



improvements. The Audit function has adopted the Risk Based Audit approach and audit activities covering the entire spectrum of the Bank's business and support verticals spread across Head Office, Zonal Offices, Regional Offices, branches and non-branch segments. The Risk Based Internal Audit framework is reviewed and revised periodically to align it with the changing business environment and also promote a strict compliance culture. The Internal Audit Department functions under the overall guidance and supervision of the Audit Committee of the Board (ACB).

The Audit function is governed by (i) Risk Based Internal Audit Policy; (ii) Concurrent Audit Policy; and (iii) Information Systems Audit Policy. As part of the Risk Based Internal Audit Programme, the Audit Department of your Bank conducts various audits, viz. Branch Audit, Management Audit of Zones and Regions, Credit Audit, Information Systems Audit, Concurrent Audit, Departmental Audit, Expenditure Audit, etc. In addition to the normal audits, the Audit Department also undertakes Surprise Audit, Dynamic Audit, Snap Audit, Thematic Audit, etc. to ensure robustness of the internal control mechanism. A Zonal Audit Office (ZAO) structure has been created in order to ensure focussed attention on branch audits and for effective follow-up. The audit process is undertaken through a web-based application, viz. the Audit Management System, which can be accessed by respective officers of auditee units on real-time basis for monitoring of compliances. In addition, the Audit Department also manages the functions of: (i) Staff Accountability under Staff Accountability Policy, (ii) Long Form Audit Report and (iii) Internal Financial Controls over Financial Report.

The Audit function has deployed suitably qualified and skilled manpower, which proactively recommends improvements in processes and service quality to mitigate operational, financial and regulatory risks, etc., wherever deemed fit and provides timely feedback to the Management for corrective actions.

Long Form Audit Report (LFAR)

Finalisation of Long Form Audit Report (LFAR) by the Statutory Central Auditors (SCAs) is being facilitated by the Internal Audit Department by co-ordinating with the branches of the Bank for compiling and sharing information to the SCAs. An online system has been developed for inputting of LFAR observations and submission of its compliance/ data by the branches and generation of consolidated reports for use by the SCAs. The Audit Department undertakes followup with the concerned departments/ verticals to ensure timely compliance for the observations made in LFAR. Inter-Vertical meetings, including meetings with Zones, are held for maximising compliance with LFAR observations. Also, Audit Department regularly issues advisories to the Dealing Groups (DG) to set proactive measures by the DGs within preventive control system in bridging gaps and to be in preparedness to timely address anomalies, which otherwise may form a part of LFAR observations, thus fostering an on-going compliance culture in the Bank.

Internal Financial Control over Financial Reporting (IFCO-FR)

The Risk Control Matrices (RCMs) under IFCO-FR framework are periodically reviewed internally and updated with change in processes, if any, under guidance of external consultants and with suggestions of Statutory Central Auditors (SCAs) to enhance the coverage. The External Consultant appointed by the Bank conducts independent testing of various risk defined internal process controls and validates the same on quarterly basis by visiting branches, asset processing centre and Trade Finance Centre on sample at different locations.

Internal Audit Department facilitates independent validation by external consultants after periodical assessment and review of controls under the framework in association with business process owners. The independent evaluation of effectiveness of Risk Control by the external consultant provides assurance that (i) adequate internal financial control systems are in place; and (ii) the operating effectiveness of such controls. Internal Audit Department carries out an on-going exercise to sensitise the concerned business functions to ensure that adequate measures are taken for the RCMs in an effort to close all the open issues in time.

Information Systems (IS) Audit

Information Systems (IS) Audit is an integral part of the Bank's Internal Audit function and plays an important role to review all aspects of technology, its business impacts and risks associated with the technologies on an on-going basis. In view of large-scale adoption of Information Technology in all sectors particularly in banking, it is essential to review these systems frequently to ensure that basic controls and security systems are in place for all information systems and the concerned departments are following best practices. The Bank's Information Systems (IS) Audit function plays a pivotal role in ensuring the integrity, confidentiality, and availability of the Bank's IT Assets by encompassing various types of audits, viz. IT Systems/ Applications, IT Infrastructure, IT related policies/ processes, branches and outsourced IT service providers. Adhering to the RBI's guidelines on 'Independent Assurance of the Audit function', the Bank's IS Audit provides assurance to both, the Management and the Regulators. Through periodic quality assurance reviews, the effectiveness and efficiency of the Bank's Internal Audit function is validated, reinforcing commitment to robust governance practices. The Bank has updated its comprehensive IS Audit Policy to address evolving threats and regulatory requirements.

Internal and external training programmes are regularly conducted to update IS Auditors about the emerging technologies, Information Security best practices and the

RBI's Master Directions/ advisories/ circulars to ensure that IS Audit is well versed with the latest developments in the technological and business areas.

The Bank is undertaking continuous improvement in its governance practices relating to information systems audit. IS Audit through regular audits, reviews, assessments and feedback mechanisms, identifies areas for improvement and measures to be implemented strengthen the governance framework in the Bank.

Concurrent Audit

The Concurrent Audit (CA) system is a part of the Bank's Early-Warning System to detect irregularities/ lapses, which helps in checking violations of the internal and regulatory guidelines in controlling risks and in preventing fraudulent transactions. The CA system is essentially a control process which is integral to the establishment of sound internal accounting systems and effective controls. In compliance with the RBI guidelines, as per the Board-approved Concurrent Audit (CA) Policy of the Bank, the Concurrent Audit (CA) is carried out in the branches based on risk perception and volume of business handled, Specialised/ Non-RBG units such as Large Corporate Groups (LCGs), Mid Corporate Groups (MCGs), Trade Finance Centres (TFCs), Retail Asset Centres (RACs), Currency Chests, Treasury etc. and all Centralised Processing Centres like Credit Solutions Centre Hubs, Centralised account opening divisions (RPUs), etc. As per the Board-approved CA Policy of the Bank, the CA is required to cover 70% of deposits and 70% of advances of the Bank. Accordingly, the Bank has covered 1,569 auditee units under Concurrent Audit during the 2024-25 audit cycle, with coverage of 83.88% of deposits and 83.24% of advances. The Concurrent Auditors' performance is closely monitored by the Zonal Audit Offices and the Bank's Head Office on a continuous basis for qualitative reports and timely submission. Further, ad-hoc audit is also conducted by concerned Zonal Audit Offices on quarterly basis for the Rural - Financial Inclusion/ Rural branches rated as high risk or above and at units where Concurrent Auditor could not be appointed due to non-availability of CA at these locations to mitigate the risk. Regular meetings are being conducted with the concurrent auditors. Further as a supervisory control, a formal meeting by General Manager (GM)/ Deputy General Manager (DGM) ZAO is conducted with the Concurrent Auditors and Auditee Unit once in every three months.

Credit Audit

Your Bank has a system of Credit Audit for detailed review of selected accounts to ensure improvement in quality of credit portfolio. Credit Audit covers important aspects like adequacy of appraisal, compliance with internal and regulatory guidelines, adequacy of documentation and security creation, examining conduct of account, etc. The borrower

accounts for credit audit are identified on the basis of defined criteria: (i) all new, takeover and enhancement proposals and proposals for renewal/ renewal-cum-enhancement of limits and corporate renewal cases which are rated BBB & below, with sanction limits equal to or above a cut-off depending upon the size of activity; (ii) Below Investment Grade (if migrated from Investment Grade during the review period).

Investigative Audits or Special Investigative Audits (IAs/ SIAs)

Special Investigative Audits/ Investigative (SIAs/IAs) were carried out by the Audit Department at various branches/ Retail Asset Centers (RACs) based on various triggers. Investigations carried out by the Audit Department play a vital role in bringing about systemic improvements, improvements in policies, product guidelines, processes and procedures, helping in strengthening the controls and drawing attention to better overall monitoring of the branches. Early trigger provided by SIAs/ IAs have helped the Zones to initiate timely recovery/ legal actions and to arrest slippage of accounts into Non-Performing Assets (NPAs). Significant observations emerging out of these SIAs are being presented to an Executive Director (ED) level Committee for SIA /IA for necessary directions. Corrective steps taken thereon are being reported to the Audit Committee of the Board (ACB). Lapses/ gaps emerging out of SIAs/ IAs are shared with branches as well as with the controlling units in order to avoid recurrence of such lapses with a focus on strengthening the compliance culture not only at branch level but also at Supervisory level.

Staff Accountability

Your Bank has a dedicated team for examining staff accountability issues under Board-approved. Accountability (SA) Policy, which is reviewed every year and aims at safeguarding the larger interests of the Bank by identifying the areas where the rules and procedures designed to protect the interests of the Bank are not being followed by the staff, which has resulted in a loss to the bank. This exercise helps the organisation to take necessary corrective steps by way of improvement in systems and procedures, strengthening any knowledge gaps by way of training and mentoring, or by any other action to create an environment which could be conducive for better compliance of the guidelines and processes.

VIGILANCE MECHANISM

Your Bank has a Vigilance Department (VgD), headed by a Chief Vigilance Officer (CVO), at its Head Office in Mumbai. Your Bank has also set up Vigilance teams at all its Zonal Offices (ZOs) in order to achieve better control and to ensure monitoring of vigilance activities at the zonal level.



The CVO oversees all functions relating to the vigilance matters in the Bank, with a wide scope/ coverage, including (i) collecting intelligence about corrupt practices committed or likely to be committed by the employees of the Bank; (ii) processing of vigilance cases, investigating or initiating investigations into complaints with vigilance overtones and verifiable allegations; (iii) processing of Investigation Reports for further consideration of the Disciplinary Authority; (iv) referring the matters, wherever necessary, to the Central Vigilance Commission (CVC) for their consideration/ advice; (v) taking measures to prevent commission of malpractices/ misconducts; (vi) co-ordinating and liasioning with various law enforcement agencies, among other activities.

Your Bank's Intranet has a dedicated webpage of the Vigilance Department, which provides an overview of its functions, format of Standard Notice of the CVC which is stipulated to be displayed at the Bank's branches/ offices, important circulars/ guidelines issued from time-to-time by the CVC, Chief Technical Examiner's Organisation (CTEO) of CVC, as also by your Bank and Do's and Dont's of Preventive Vigilance. The efforts made by the Vigilance Department have helped in enhancing the level of vigilance awareness amongst your Bank's officers.

The vigilance function comprises elements of both 'Preventive Vigilance' and 'Punitive Vigilance'. Preventive Vigilance is a continuous process, which strives to review the existing guidelines to ensure that set systems and procedures are being followed, to reduce use of discretion and to ensure sensitisation of / to create awareness amongst the employees as well as the stakeholders of the Bank on vigilance matters.

Some of the preventive vigilance measures adopted by your Bank include undertaking of Onsite Monitoring/ Surprise Vigilance Visits (SVVs) and inspections on suo moto basis (on receiving source information of any suspected wrong-doing by staff/ outside elements) of various branches to detect malpractices, if any, and gauge adherence of laid down systems and procedures. Apart from this, Vigilance Department undertakes scrutiny of One Time Settlement (OTS)/ First Time Non-Performing Assets (FTNPAs), Annual Return of Assets & Liabilities (ARAL) of the officers of the Bank, Audit Reports of the Bank and issuance of advisories to curb irregularities found for systemic improvements, wherever necessary, and imparts training to employees on vigilance matters, etc. Your Bank is having a Vigilance Complaints Management Module (VCMM) for effective monitoring and quicker disposal of complaints relating to the vigilance matters.

As a part of efforts to combat corruption and also to enhance and to spread public awareness on vigilance matters in line with the directives of the CVC, your Bank observed Vigilance Awareness Week (VAW) 2024 from October 28, 2024, to November 03, 2024, with the theme as 'सत्यिनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि (Culture of Integrity for Nation's Prosperity)'. On the occasion, your Bank released a special e-journal for the benefit of all its employees. The Bank also conducted various competitions on online and offline modes like quiz, essay writing, cartoon and caricature drawing, coin-a-caption, memory games, crossword competition, etc. for staff members and their children on pan-India basis. Further, during the VAW 2024, a senior official from Central Vigilance Commission addressed the employees at the Head Office of your Bank.

As a part of VAW 2024, your Bank's employees took the integrity pledge through online mode. A link for taking integrity pledge was also sent to the Bank's customers along with their account statements to support the fight against corruption. Seminars and workshops were organised at various locations for the benefit of your Bank's field functionaries, customers and general public. For the awareness among general public/citizens, the VAW 2024 banners, posters were displayed at prominent locations at your Bank's Zonal Offices (ZOs), Regional Offices (ROs), branches and also at other places with public interface. Your Bank also organised Gram Sabhas and awareness campaign at various locations.

In accordance with directives of the CVC, information regarding VAW-2024 was disseminated through your Bank's website as well as its page/ handle on social media platforms.

The above mentioned efforts of the Bank for sensitising the employees by way of capacity building programmes and for identification and implementation of systemic improvement measures were recognised by CVC in its special issue magazine on VAW 2024- 'VIGEYE VANI'.

REGULATORY COMPLIANCE

Your Bank ensures compliance of various statutory and regulatory guidelines laid down by the Gol, the RBI, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) and other regulatory/ statutory bodies through a structured system of internal controls and tiered reviews. The Compliance Department located at your Bank's Head Office, which is headed by a senior official in the rank of an Executive Director designated as Chief Compliance Officer (CCO), coordinates dissemination and internalisation of all the statutory and regulatory guidelines. Your Bank has put in place an extensive Board-approved Compliance Policy as per the RBI guidelines and reviews it annually. The role and responsibility with regard to the compliance function is clearly defined for all employees in your Bank. The Board is apprised at monthly intervals about important communications/ guidelines received from the RBI and other regulators/ agencies. Your Bank also carries out risk-based testing for validation of regulatory compliance as per the approved compliance testing plan. Your Bank has strengthened its internal compliance culture at granular level by implementing advanced technology application called 'Cermo+ NXT' and 'Trackers', which enables proper data management and monitoring of level of compliances at bank-level as also submission of compliances to the RBI. Your Bank has also undertaken various other measures to improve compliance culture in the Bank.

RIGHT TO INFORMATION (RTI) ACT

Your Bank has designated Central Public Information Officers (CPIOs) for responding promptly to requests for information pertaining to various functional areas. In addition, all Branch Heads have been designated as Central Assistant Public Information Officers (CAPIOs) to receive and forward applications under the Right to Information (RTI) Act to CPIOs. Your Bank has designated a senior officer in the rank of Chief General Manager as First Appellate Authority (FAA) for dealing with appeals of aggrieved applicants. A Transparency Officer, in the rank of Executive Director, has been designated for effective implementation of provisions of Section 4 of the RTI Act. A separate link for the RTI Act has been provided on the Bank's website (www.idbibank.in). Your Bank has also aligned with the Government of India's RTI online portal, whereby citizens can seek the information and raise appeals under RTI Act through the portal (https://rtionline.gov.in).

PROGRESSIVE USE OF HINDI

During the period under review, your Bank made concerted efforts to increase usage of Official Language - Hindi and implementing the various provisions of Official Language Act and Rules of the Gol. All the verticals, departments, Zonal Offices and branches of your Bank made special efforts on regular basis to achieve the targets prescribed in the Annual Programme and other directives issued by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Gol.

The Bank has taken several initiatives for the progressive use of Hindi in customer communications, viz. issuing ATM receipt in Hindi, sending SMS in Hindi, etc. During the year, necessary efforts were taken to provide in-depth information about the Bank's products and schemes in Hindi on the Bank's website. The Bank's mobile application, GO Mobile+, is enabled with the facility of Hindi. Various types of posters, banners and other publicity material were displayed in Hindi as well as in regional languages for the benefit of customers. Hindi and regional languages were used in advertising campaigns for various Government social security schemes.

Your Bank uploaded template letters, forms, formats, annual reports, press release, advertisements, dictionaries, notings

and other relevant reference materials in bilingual form on its Intranet to facilitate working in Hindi. Various incentive schemes were implemented and many competitions were organised to encourage staff members to use Hindi in their day-to-day official work. In order to progressively increase the usage of Hindi in different departments/ verticals at the Bank's Head Office, Mumbai as well as in other offices, Rajbhasha workshops were organised in all its regions to familiarise the employees with the various requirements of Official Language implementation and use of Hindi Unicode.

The Bank also organised Rajbhasha fortnight in September 2024. Quarterly meetings (OLIC) were conducted to monitor the progress of implementation of Hindi in the branches/ departments and quarterly reports were forwarded to the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Gol. Inspection of branches/ departments was done to ensure implementation of Hindi.

Your Bank's endeavour to promote use of Hindi in the day-to-day official work received due recognition at various forums and was also conferred with awards during the year.

CUSTOMER SERVICE AND COMPLAINTS MANAGEMENT

Your Bank, in adhering to the spirit of its mission of being the most preferred and trusted bank for all its stakeholders, has adopted a customer-centric approach focussing on delighting customers with excellent service.

The Customer Care Centre (CCC) of your Bank reflects its commitment to timely resolution of complaints while upholding quality customer experience. In order to be responsive to changing customer needs and preferences, your Bank annually reviews its policies, viz. Customer Care Policy, Grievance Redressal Policy and Customer Rights Policy, in order to ensure that the policies are in sync with the latest developments as also empower the customers to resolve their grievances as per a defined system. Complaints received from all channels are handled in consonance with these policies which also include a time-based inbuilt escalation matrix with an internal alert mechanism wherein if the complaint is not resolved within the pre-defined Turn-Around Time (TAT), the same is escalated to the next level of authority towards a better complaint resolution management. Your Bank has designated Grievance Redressal Officers (GROs) at each of its 15 Zonal Offices and a Principal Nodal Officer (PNO) at the Head Office. Further, in line with the Internal Ombudsman Scheme 2018 and Master Direction - Reserve Bank of India (Internal Ombudsman for Regulated Entities) Directions, 2023, the complaints, which the Bank proposes to reject/ provide partial resolution, are



referred to the Internal Ombudsman (IO) of the Bank prior to responding to the customer. Your Bank has in place a Standardised Public Grievance Redressal System (SPGRS) which facilitates recording, monitoring and timely resolution of complaints received. The complaints received from various customer touch-points and regulators are recorded in the system and a communication is sent to the customer through an SMS acknowledging the complaint along with a link to track the same. The customer also has the flexibility of tracking the status of the registered complaint through the Bank's website/ nearest branch/ Contact Centre. Your Bank has established two senior level customer service committees, i.e. Standing Committee on Customer Service (SCCS) and Customer Service Committee of the Board (CSCB), both of which are convened on a quarterly basis. These Committees are entrusted with the task of assessment of quality of customer service rendered by the various touch points of the Bank. The Committees also evaluate complaints & feedback received from customers as well as provide necessary directions to increase efficiency of resolution and also changes in process for service improvement.

Your Bank has two dedicated Customer Contact Centres, located at CBD Belapur, Navi Mumbai and Hyderabad, to address customer queries on a 24x7 basis and swiftly redress customer grievances received from multiple channels. Respecting and acknowledging diversity of the Bank's customers and striving to personalise their interactions, apart from Hindi and English, the Customer Contact Centre offers services in 10 regional languages.

Your Bank conducts a depositor satisfaction survey on an annual basis and findings are evaluated and the insights derived are incorporated to improve products/ processes/ systems. Meetings of the Branch Level Customer Service committee (BLCSC) are conducted on 15th of every month in order to encourage a structured communication between the customers and the branch, thereby enhancing the service levels at branch.

Your Bank has taken various initiatives in the area of customer service in the last financial year. In addition, your Bank has been leveraging various digital platforms with a view to increasing automation in improving process efficiencies while reducing costs. A new complaint management system, viz. i-Touch CRM, has been launched to ensure that all customer complaints and disputes received across various touchpoints and channels are recorded and resolved.

CORPORATE COMMUNICATIONS

During FY 2024-25, the objective of your Bank's advertising was to promote brand recall and build consideration for the Bank's flagship products through promotion of brand awareness, product and service promotion. The campaigns

undertaken during the year, focussed on highlighting the brand as well as distinguishing features of the products and were carried out primarily through OOH (Out of Home) medium, print medium and digital platforms, complemented with measured bursts through mediums like television and cinema screens. Several initiatives were undertaken by your Bank in the Public Relations (PR) domain aimed at maintaining positive tonality of news and enhancing your Bank's profile in the media, while simultaneously striving to reinforce stakeholder perception. Your Bank found numerous positive mentions of its initiatives in print, electronic and digital media. Your Bank communicates through its official brand pages/ handles on Facebook, Instagram, LinkedIn, X and YouTube and continued to undertake engagement activities in innovative ways. Your Bank also undertook various customer educational series across social media on topics like cyber security, fraud awareness, etc.

INFORMATION TECHNOLOGY

Your Bank has continued its steady and continuous progress and opted for a collaborative approach with FinTechs to explore new customer segments and develop more innovative products. Your Bank has strengthened its digital infrastructure and equipped itself with latest analytical tools and API technology, capable of analysing and summarising customer data, further enhancing customer experience, streamlining operations and driving innovation to meet the evolving needs of the digital world.

Your Bank has launched new digital payment feature – 'UPI Circle' - which facilitates customers to delegate payments (partial or full) to transact from their UPI account to an individual with required limits. It enables a secondary user to perform transactions from the payer's account with minimum intervention and with adequate risk mitigations.

Your Bank is on NPCI Secure NXT - among the first few banks who has made this live. Customers will now be able to perform international E-com transaction using RuPay cards.

Your Bank has implemented digital journey for review of KCC loans. The process focuses on reviewing KCC loan accounts efficiently by reducing processing time and minimising delays. Application is integrated with RBI Innovation Hub – Unified Lending Interface (RBiH-ULI) to fetch land records for the use case. Review process, sanction letters and Credit Analysis Memorandums (CAMs) are generated digitally to streamline the workflow, hence reducing manual intervention and enhancing credit delivery to farmers in minimum time.

Your Bank has strengthened its digital journey through MSME express GST-based MSME working capital loans under the Bank's i-MSME Express product. Eligible applicants will receive in-principle loan sanction through digital journey login from the Bank's website. After approval, the loan application will be processed via the Bank's module.

Further, your Bank has implemented end-to-end digital journey for the Government Sponsored Scheme 'PM Vishwakarma'. This is a loan scheme for artisans and craftspeople sourced through Udyam Mitra portal.

Your Bank has successfully rolled out Central Bank Digital Currency (CBDC) on a pan-India basis. The currency in electronic format, issued by Central Bank is universally accessible for public use. Unlike traditional cash, it exists solely in digital form and can be used for everyday transactions with merchants and individuals.

Your Bank has embarked on its journey towards Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) and Cloud adoption with setting up dedicated landing zone on major Cloud Service Provider (CSPs), for instance, Amazon Web Services and Google Cloud Platform and identified business use cases for Gen AI adoption to achieve decision efficiency, scale and enhanced customer services.

Your Bank has successfully implemented 'DoT (Department of Telecom) Negative Mobile Report' the process of extraction of deactivated Mobile Numbers from DoT Portal at regular intervals after scrubbing with the Bank database for further compliance, which has further enhanced the Bank's compliance posture and eliminated risk on account of deactivated mobile numbers.

Your Bank has implemented real-time integration of NPCI-UDIR system (Unified Dispute and Issue Resolution) with iTouch CRM (Customer Relationship Management), this feature has enabled online dispute resolution of the Bank customers' transactions on other banks' ATM (Issuers transactions) and vice versa.

Your Bank has continued to elevate its data quality standards, digital capabilities and technology. Various initiatives and measures undertaken by your Bank has been awarded and recognised by industry bodies like Indian Banks Association (IBA), Credit Information Companies (CICs), among others.

Your Bank has also upgraded and integrated the Customers' Query, Request and Complaints (QRC) through Unified Complaint Management System. The centralised QRC system has been built on iTouch CRM platform which integrates all customer channels and touch points e.g. Branch, Contact Centre, Customer Care, website, GO Mobile+ application and Internet Banking. The customers can raise QRC from any of the above channels and track it centrally.

Your Bank has further enhanced the Monitoring Capabilities on Centralised Debt Resolution and Monitoring System (CDRMS) by creating a central hub linking all the existing Recovery Ecosystems (DARTS for DRT& DART, NCLT, OL) together for tracking details relating to Wilful / Non-cooperative borrowers. This has enabled better monitoring and control of cases by NPA/ Retail Recovery management user.

Privacy Policy

Your Bank has put in place IT Policy & Information Security aspects - confidentiality, integrity and availability, to ensure access to collected information of the customers is granted only to the authorised officials or agencies authorised by the Bank. In order to prevent unauthorised access or disclosure, your Bank has put in place suitable systems and procedures to safeguard and secure the information collected. Your Bank has also formulated Data Governance policy to establish Data Privacy, Accessibility, Ownership, and Security. Your Bank has also put in place Privacy Policy to safeguard the information shared by the customers/ prospective customers. Your Bank conducts proper testing, including Vulnerability test and AppSec on a regular basis, for upkeep of all the systems against security threats and new security vectors. The Privacy Policy falls under the purview of the Bank's Information Technology Department (ITD) and the Information Security Group (ISG) of Risk Department. ISG takes care of information security / data privacy aspects by implementing various security solutions/ processes and putting in place proper control mechanism in coordination with ITD. Under the Bank's Information Security Policy, data/ security breach incidents are reported as incident report and the Bank's policies stipulate that the breach of the security/ privacy policy is investigated in accordance with the Bank's extant policies. Your Bank conducts regular Information Systems (IS) Audit, which entails audit of each application/infrastructure and associated process also being checked.

CENTRALISED OPERATIONS

Your Bank has a dedicated Centralised Operations Vertical comprising various departments like Central Processing Unit (CPU), Regional Processing Unit (RPU), Retail Asset Operations (RAO), Anti Money Laundering Cell (AML), Depository Accounts Operations, Domestic Payments and Remittance services, Cash Management services (CMS), Government Business Group (GBG), Capital Market Operations, Internet & Mobile Banking operations, Card Issuance & Management section, Data Clean up and Compliance Team (DCCT) & GST Operations.

The centralised operations has taken various initiatives and process automation as part of customer delight measures, viz. same day account opening of savings banks account, current account, term deposits, etc., real time processing of miscellaneous requests such as mobile number change, address, email ID updation, KYC updation etc., updation of Form 15 H/G on real-time basis, sharing CKYC number with customers immediately after generation, automation of allotment of Unique Customer Identification Number (UCIC) to customers, updation of repayment mode for servicing EMI electronically for retail loan customers, returning of property documents within stipulated Turn Around Time (TAT), etc.



During FY 2024-25, through further process automation, the centralised operations is facilitating the Bank to stay true to its commitment of adding value to customers relationship. Further the centralised operations helped the Bank in improving operational efficiency by reducing the TAT for processing of service request from customers, ensuring uninterrupted support services to various business units and thereby reducing operational costs.

BRANCH OPERATIONS SUPPORT AND POLICY

Your Bank is at the forefront in equipping its staff by keeping them updated regarding banking operations, services, etc., in order to ensure that your Bank is able to provide efficient banking services to all its stakeholders. Accordingly, an exclusive training programme 'Aarohan' has been conducted during FY 2024-25 covering all staff of the Bank.

Your Bank has put in place robust policies in compliance with the guidelines of various regulators, viz. the RBI, the SEBI etc., including Policy on Unauthorised Electronic Banking Transactions (UEBT) and Customer Compensation Policy. Both these policies are made available on the Bank's web-site for ready reference of its customers.

In order to facilitate the customers to search and claim unclaimed deposits with the Bank, your Bank has actively registered itself in the 'Unclaimed Deposits - Gateway to Access information (UDGAM)' portal of the RBI and uploaded the details of the Unclaimed Deposits lying with the Bank. Further, your Bank has actively participated in the RBI's '100 days 100 pays' campaign for identifying and settling unclaimed deposits to the customers and has settled the claims in more than 4,450 cases (comprising 867 cases on 100 Days 100 Pays and 3,583 cases in other than 100 Days 100 Pays) in FY 2024-25. Simultaneously, your Bank is proactively making efforts to identify and to reach out the customers to settle the unclaimed deposits upfront to avoid transfer of funds to the Depositor Education and Awareness (DEA) Fund.

Your Bank has 25 Currency Chests (CCs) across the country. These CCs process cash from all linked branches and provide clean notes for dispensing through ATMs and branches. During the FY 2024-25, your Bank conducted 806 Coin Melas and Soil Note Exchange Melas across the country through 25 CCs of the Bank where coins worth around ₹ 16.17 crore were distributed to the public through its branches.

Your Bank has taken many technological initiatives, systemic checks and process improvisations towards achieving fraud risk mitigation & control, effective operational controls and efficient customer service like, automation in deceased claim settlement, Safe Deposit Locker rent recovery (end-to-end), etc. Your Bank is alerting the customers about non-operations in the accounts to prevent accounts slipping to inoperative status and subsequent freeze of the account, sending transactional alerts, sending six months advance intimation to the customer in respect of the Re-KYC due accounts for submission of the latest KYC documents. Your Bank has provided simplified Re-KYC process and submission of the related document/ confirmation of present address through SMS, Internet Banking, Mobile Banking, through letters etc.,

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Your Bank's CSR objective is to make material, visible and lasting difference to the lives of under-privileged sections of the society by identifying gaps and extending need-based contribution for their betterment. Your Bank seeks to achieve multidimensional impact through direct interventions as well as acting as a catalyst for socio-economic progress of the beneficiaries.

Your Bank has significantly intensified its commitment to Corporate Social Responsibility (CSR) during the current financial year, demonstrating a calibrated approach both independently and in collaboration with accredited organisations. This strategic enhancement aims to create a more profound impact on specific segments of society, particularly those in need. The initiatives undertaken encompass a wide array of projects focussed on fostering income-generating activities for tribal communities and underprivileged groups, with a special emphasis on empowering women across various states. By facilitating long-term funding for these projects, your Bank is not only addressing immediate needs but also laying the groundwork for sustainable development.

In addition to economic empowerment, your Bank has made substantial contributions towards improving access to essential health services, ensuring that marginalised populations receive the care they deserve. The promotion of education for children, youth, and women remains a cornerstone of these efforts, as it is vital for breaking the cycle of poverty and fostering future generations.

Moreover, your Bank's commitment extends to the promotion and installation of renewable energy systems, which not only supports environmental sustainability but also enhances the quality of life for the communities. By creating enhanced livelihood opportunities and advancing vocational and employable skills, your Bank is playing a pivotal role in the holistic development of villages through carefully planned interventions. Through these multifaceted initiatives, your Bank is not only fulfilling its corporate responsibilities but also contributing to the broader goal of societal upliftment, ensuring that the benefits of growth and development reach those who need it most.

During FY 2024-25, your Bank has sanctioned ₹ 103 crore to support targeted Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives. These interventions were carefully selected and are aligned with the Board-approved focus areas, which include Education—specifically in Skill Development for Sustainable Livelihoods, encompassing entrepreneurship development, as well as Financial Literacy and Financial Inclusion. Additionally, the Bank is dedicated to enhancing Healthcare, improving water management, and fostering Rural Development. These efforts are not only pivotal for community upliftment but also resonate deeply with Environmental, Social, and Governance (ESG) considerations, reflecting the Bank's commitment to sustainable and responsible practices.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE (ESG)

The Environmental, Social, and Governance (ESG) landscape in India is evolving rapidly with increasing regulatory focus on ESG disclosures, higher awareness and changing expectations among stakeholders. This has led to growing importance among organisations to incorporate ESG dimensions in their day-to-day decision-making and activities. Recognising the importance of adopting sustainable and

responsible business practices, your Bank has also been taking several initiatives to improve its ESG performance.

The Bank's ESG Policy, which acts as the overarching framework for guiding the business activities of the Bank, has been designed in consonance with the applicable national laws/ regulations and is aimed at positioning the Bank as an ESG-compliant entity through its activities.

In compliance with the extant regulatory norms, the Bank has also been publishing its Business Responsibility & Sustainability Report (BRSR) since FY 2022-23 as part of its Annual Report for highlighting its performance against the nine principles enshrined in the National Guidelines on Responsible Business Conduct (NGRBC) developed by the Ministry of Corporate Affairs, Gol. The Bank also publishes an ESG Databook on an annual basis which provides granular information on ESG-related aspects to a wider group of stakeholders in a transparent and easily comprehensible manner.

Your Bank has also been voluntarily participating in the Corporate Sustainability Assessment (CSA) conducted by the global agency, viz. S&P Global, since 2023. Various initiatives taken by the Bank in the recent years have enabled an improvement in its ESG Score from 19 (out of 100) in CSA 2022 to 28 (out of 100) in CSA 2023 and 42 (out of 100) in CSA 2024. In view of the growing focus around ESG-related matters, your Bank continues to remain committed towards improving its ESG performance as also imbibing an ESG-centric culture across its various functional areas



चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी

सनदी लेखांकार 15/17, राघवजी बी बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, राघवजी रोड, गोवालिया टैंक, ऑफ केम्प्स कॉर्नर, मुंबई 400036 एलएलपी पंजीकरण संख्या एएसी-8909

सूरी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार यूनिट नंबर 2ए 1, गॅंडेचा ओन्क्लेव. खेरानी रोड, साकीनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400072

भारतीय प्रतिभृति औु विनिमय बोर्ड (सूचीबृद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अध्याय IV के कतिपय प्रावधानों के अनुसार कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

सदस्यगण,

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,

आईडीबीआई टावर, कफ परेड, मुंबई - 400 005

परिचय

हम मेसर्स चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी, सनदी लेखाकार, (फर्म पं.सं. - 101872W / W100045) तथा मेसर्स सूरी एंड कंपनी सनदी लेखाकार, (फर्म पं.सं. - 004283S), आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (जिसे इसमें आगे 'बैंक' कहा गया है), जिसका पंजीकृत कार्यालय आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्युटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400005 में स्थित है, के संयुक्त सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय् बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन् अपेक्षाएं) विनियम, 2015 समय-समय् पर यथा संशोधित (सूचीबद्धता विनियम) के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (आई) तथा अनुसूची V के पैरा सी और डी में निर्दिष्टानुसार कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का बैंक द्वारा अनुपालन के लिए यह प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं.

प्रबंधन की जिम्मेटारी

सूचीबद्धता विनियमों में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है. इस जिम्मेदारी में सूचीबद्धता विनियमों में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने, कार्यान्वयन और अनुरक्षण भी शामिल है.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

- हमारी जिम्मेदारी कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित है. यह 3. न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति है.
- हमने बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं के अनुपालन पर समृचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा रखे गये बहीखातों तथा अन्य संबंधित अभिलेखों और 4. दस्तावेजों की जांच की है.
- हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन के प्रमाणन पर मार्गदर्शी नोट, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत 5. विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानक जो कि इस प्रमाणपत्र के उद्देश्य के लिए लागू है तथा आईसीएआई द्वारा जारी रिपोर्टी पर मार्गदर्शी नोट अथवा विशेष उद्देश्यों हेतु प्रमाणपत्र जिनुके द्वारा यह अपेक्षित है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता की नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं, के अनुसार बैंक के संबंधित अभिलेखों की जांच
- हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी)1, लेखापरीक्षा करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तथा ऐतिहासिक वित्तीय सुचना की समीक्षाओं और अन्य आश्वासन व संबद्ध सेवा वचनबद्धताओं के लिए लागू प्रासैंगिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है.

निष्कर्ष

संबंधित अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा प्रदान किये गये अभ्यावेदन के अनुसार, हम प्रमाणित करते 7. हैं कि बैंक ने सचीबद्धता विनियमों के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (आई) तथा अनुसची V के पैरा सी और डी में निर्दिष्टानुसार यथा प्रयोज्य 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है.

उपयोग पर प्रतिबंध

- यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता के बारे में और न ही बैंक के कार्यों को संचालित करने की प्रबंधन की कार्यकुशलता अथवा प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है.
- यह प्रमाणपत्र कॉरपोरेट अभिशासन के संबंधित विनियमों के अनुपालन के संदर्भ में सचीबद्धता विनिमयों के तहत अपने दायित्वों के अनुपालन करने के एकमात्र उद्देश्य से बैंक 9 के सदस्यों को संबोधित और उपलब्ध कराया गया है तथा इसका प्रयोग किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए. तदनुसार, हम बिना किसी हमारी पूर्व लिखित सहमति के किसी अन्य उद्देश्य के लिए अथवा किसी अन्य पक्ष को दिखाये जाने पर अथवा किसी अन्य को उपलब्ध हो जाने पर कोई देयता अथवा सावधानी संबंधी कर्तेच्य का दायित्व स्वीकार या मान्य नहीं करते हैं. इस प्रमाणपत्र की तारीख के बाद होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों के लिए इस प्रमाणपत्र को अपडेट करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है.

कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी

सनदी लेखाकार

(फर्म पं.सं. - 101872W / W100045)

राकेश जैन

सदस्यता सं. 042364

यूडीआईएनः 25042364BMOIRD9422

स्थान: मंबई दिनांक : 5 जून 2025 कृते सूरी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार (फर्म पं.सं. - 004283S)

नटराजन वी.

सदस्यता सं. 223118

युडीआईएन: 25223118BMJLG3792

स्थान: मंबई दिनांक: 05 जून 2025

अभिशासन संहिता पर बैंक के दर्शन का संक्षिप्त विवरण

बैंक अपने परिचालनों में कॉरपोरेट अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. इसकी नीतियां व पद्धतियां न सिर्फ सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, बल्कि अपने स्टेकधारकों के सर्वोत्तम हित में काम करने की इसकी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करती हैं. अभिशासन के उच्च मानकों को बनाये रखने का दायित्व बैंक के निदेशक मंडल तथा बोर्ड की विभिन्न समितियों का है जिन्हें विधिक एवं विनियामक प्रावधानों तथा बैंकिंग परंपराओं के ढांचे के भीतर आवश्यक प्रकटीकरण करने सहित उत्कृष्ट कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के अधिकार प्राप्त हैं.

इस दिशा में बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके निदेशक मंडल का गठन निर्धारित मानदंडों के अनुसार होता रहे, निर्धारित अंतराल पर इसकी नियमित बैठकें हों, यह प्रभावी नेतृत्व प्रदान करे, प्रबंधन पर नियंत्रण रखे, कार्यपालकों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखे तथा समुचित प्रकटीकरण करे. इसके अतिरिक्त, बैंक के अन्य नीतिगत निर्देशों में रणनीतिक नियंत्रण ढांचे की स्थापना और इसकी प्रभावशीलता की निरंतर समीक्षा तथा नीति निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए स्पष्ट दस्तावेजीकृत तथा पारदर्शी प्रबंध प्रक्रियाओं की स्थापना और निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण तथा रिपोर्ट करना है. बैंक बोर्ड को निर्बाध रूप से सभी संबद्ध सुचनाएं तथा संसाधन उपलब्ध कराता है जिससे वे अपनी भृमिका को प्रभावशाली ढंग से निभा सके.

निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल का आधार व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) द्वारा जारी दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013, बैंक के संस्था अन्तर्नियमों के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (एलओडीआर विनियमों) में यथावर्णित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं से अधिशासित होता है. बैंक का बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से और महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए गठित बोर्ड की विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है.

i. विचारार्थ विषय

- शेयरधारकों से उनके शेयरों पर अपूदत्त धनराशि के संबंध में मांग करना:
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 के तहत प्रतिभृतियों की वापसी खरीद को प्राधिकृत करना;
- भारत में या भारत से बाहर डिबेंचरों सहित प्रतिभृतियों को जारी करना;
- धन उधार लेना:
- बैंक की निधियों का निवेश करना;
- बैंक के वित्तीय विवरणों और बोर्ड की रिपोर्ट अनुमोदित करना;
- बैंक के कारोबार में विविधता लाना;
- समामेलन, विलयन या पुनर्निर्माण को अनुमोदित करना;
- किसी कंपनी का अधिग्रहण करना या किसी अन्य कंपनी में नियंत्रक या पर्याप्त हिस्सेदारी हासिल करना:
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) को नियुक्त करना या हटाना;
- आंतरिक लेखा-परीक्षकों और सिचवीय लेखा-परीक्षकों को नियुक्त करना;
- राजनीतिक अंशदान करना:
- निदेशकों के हित और शेयरधारिता के प्रकटन को नोट करना:
- बैंक द्वारा धारित निवेशों (व्यापार वाले निवेशों के अलावा) का क्रय-विक्रय करना, जिसमें निवेशित कंपनी की चुकता शेयर पूंजी और निर्बंध रिजर्व का पांच प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा शामिल है;
- तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों या वित्तीय परिणामों, जो भी हों, को अनुमोदित करना;
- गैर-अनुपालन के मामलों में सुधार करने के लिए बैंक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट और उठाये गये कदमों के साथ बैंक पर लागू सभी कानूनों से संबंधित अनुपालन रिपोर्टों की आविधक समीक्षा करना;



- निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तैयार करना:
- बैंक के लिए जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करना, कार्यान्वयन करना और निगरानी सुनिश्चित करना;
- स्वतंत्र निदेशकों सहित गैर कार्यापालक निदेशकों को देय सभी शुल्क या मुआवजे की सिफारिश करना;
- स्वतंत्र निदेशकों, सभी अन्य निदेशकों, बोर्ड की समितियों और संपूर्ण बोर्ड के कार्य-निष्पादन का मृल्यांकन करना;
- कॉरपोरेट रणनीति, कार्रवाई की प्रमुख योजनाओं, नीतियों, वार्षिक बजट और कारोबार योजना की समीक्षा और मार्गदर्शन करना, कार्य-निष्पादन के उद्देश्य तय करना, कार्यान्वयन और कॉरपोरेट कार्य-निष्पादन की निगरानी करना, और बड़े पूंजीगत व्यय, अधिग्रहण और विनिवेशों की देखरेख करना:
- बैंक की अभिशासन पद्धतियों की प्रभावशीलता की निगरानी और उसमें आवश्यकतान्सार परिवर्तन करना;
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) का चयन, मुआवजा, निगरानी, और जब आवश्यक हो, उनका प्रतिस्थापन और उत्तराधिकार योजना की देखरेख करना:
- बैंक और इसके शेयरधारकों के दीर्घकालिक हितों के साथ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) और निदेशकों के पारिश्रमिक को सुमेलित करना;
- निदेशक मंडल में विचार, अनुभव, ज्ञान, परिप्रेक्ष्य और लैंगिक विविधता के साथ बोर्ड के लिए पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करना;
- कॉरपोरेट आस्तियों के दुख्योग और संबद्ध पक्ष के लेनदेनों के गलत उपयोग सिंहत प्रबंधन, निदेशक मंडल के सदस्यों और शेयरधारकों के हितों के संभावित टकरावों की निगरानी और प्रबंध करना;
- स्वतंत्र लेखा-परीक्षा सिहत बैंक की लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की सत्यिनिष्ठा सुनिश्चित करना और नियंत्रण की उचित प्रणाली, मुख्य रूप से जोखिम प्रबंधन, वित्तीय और पिरचालनगत नियंत्रण प्रणाली है तथा कानून और प्रासंगिक मानकों के अनुपालन की उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करना;
- प्रकटन और संचार प्रक्रिया की देखरेख करना;
- निदेशक मंडल की मूल्यांकन संरचना की निगरानी और समीक्षा करना;
- बैंक को रणनीतिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, प्रबंधन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना और बैंक एवं इसके शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह होना
- कॉरपोरेट संस्कृति और मूल्य निर्धारित करना जिसके अनुसार बैंक के सभी कार्यपालकों को आचरण करना होगा;
- पूर्ण जानकारी के आधार पर, सब्दावना से, समृचित सावधानी और देखभाल के साथ बैंक और इसके शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना;
- निदेशक मंडल के सदस्यों को अद्यतित जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतू निदेशकों के नियमित प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना;
- सभी शेयरधारकों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना;
- उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखना और बैंक के स्टेकधारकों के हितों का ध्यान रखना:
- बैंक के कॉरपोरेट मामलों के बारे में वस्त्निष्ठ स्वतंत्र निर्णय का निष्पादन करना;
- जहां हितों के टकराव की संभावना हो, वहां निदेशक मंडल को कार्य करने के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाने हेतु पर्याप्त गैर-कार्यपालक सदस्यों को नामित करने पर विचार करना;
- रणनीति, रणनीतिक पहल (जैसे अधिग्रहण), जोखिम क्षमता, एक्सपोजर और बैंक के ध्यान देने वाले मुख्य क्षेत्रों जैसी अंतर्निहित धारणाओं की चुनौती से कार्यपालक प्रबंधन की सहायता करना;
- निदेशक मंडल की समितियों के अधिदेश, संरचना और कार्य प्रक्रियाओं को परिभाषित और प्रकट करना:
- निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में और निदेशक मंडल की सिमितियों के एक सदस्य के रूप में स्वतंत्र निदेशकों को अपनी भूमिका का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए सुविधा प्रदान करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. 31 मार्च 2025 को निदेशक मंडल की संरचना (नियुक्ति की तारीख, शैक्षणिक योग्यता एवं कौशल/ विशेषज्ञता सहित) -

निदेशक का नाम	नियुक्ति की तारीख	कार्यपालक/ गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र/ गैर-स्वतंत्र निदेशक	शैक्षणिक योग्यता	विशेषज्ञता
		- स्वतंः	त्र निदेशक व अंशकारि	नक अध्यक्ष	
श्री टी.एन. मनोहरन	24 फरवरी 2022	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	आईसीएआई के फैलो सदस्य और इंग्लैंड एवं वेल्स के	लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र, बैंकिंग, विधि, जोखिम, लघु उद्योग, वित्त, मानव संसाधन, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन और कॉरपोरेट अभिशासन
		प्रबंध निदे	शक और मुख्य कार्यप	ालक अधिकारी	
श्री राकेश शर्मा	10 अक्तूबर 2018	कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बी.कॉम, अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और सीएआईआईबी	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैकिंग, अर्थशास्त्र, लघु उद्योग, जोखिम, मानव संसाधन, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन और कॉरपोरेट अभिशासन
			उप प्रबंध निदेशक	<u> </u>	
श्री जयकुमार एस. पिल्लै	12 जून 2023	कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	विदेश व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएफ़टी), आईसीए, लंदन से	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैकिंग, अर्थशास्त्र, वित्त, लघु उद्योग, मानव संसाधन, जोखिम, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन और कॉरपोरेट अभिशासन
श्री सुमित फक्का	15 जुलाई 2024	कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बी.कॉम, एमबीए (वित्त), और सीएआईआईबी	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, वित्त, लघु उद्योग, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन और कॉरपोरेट अभिशासन
			नामिती निदेशक		
श्री राज कुमार (एलआईसी)	19 मई 2022	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बी.एससी.	मानव संसाधन, मार्केटिंग, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री सत पाल भानू (एलआईसी)	10 फरवरी 2025	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बी.ए. (इतिहास) (ऑनर्स)	मानव संसाधन, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री मनोज सहाय (भारत सरकार)	28 अप्रैल 2022	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बीई (सिविल इंजीनियरिंग)	लेखाशास्त्र एवं वित्त, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन



निदेशक का नाम	नियुक्ति की तारीख	कार्यपालक/ गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र/ गैर-स्वतंत्र निदेशक	शैक्षणिक योग्यता	विशेषज्ञता
श्री सुशील कुमार सिंह (भारत सरकार)	28 अप्रैल 2022	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बी.ए. और एम.ए (दर्शनशास्र)	लेखाशास्त्र एवं वित्त, मानव संसाधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
		-	स्वतंत्र निदेशक		
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी	9 अक्तूबर 2017	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	बी. कॉम एवं सीएआईआईबी	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री समरेश परिदा	19 मई 2018	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और एमबीए	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, व्यवसाय प्रबंधन, रणनीतिक आयोजना, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री एन. जंबुनाथन	19 मई 2018	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	सांख्यिकी में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी और प्रबंधन में डिप्लोमा	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान एवं निपटान, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री दीपक सिंघल	28 फरवरी 2019	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	बी.ए. एमबीए, सीएआईआईबी, पीजीडीआरएम	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, मानव संसाधन, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री संजय जी. कल्लापुर	5 मार्च 2019	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	बी.कॉम, एम.एम.एस., व्यवसाय अर्थशास्त्र में पी.एच.डी. और एफसीएमए	लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र, वित्त, जोखिम, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्रीमती पी. वी. भारती	14 जनवरी 2021	गैर-कार्यपालक	महिला स्वतंत्र	बी. एससी., एम.ए (अर्थशास्त्र), बी. एड., सीएआईआईबी, बैंकिंग एवं वित्त में एकीकृत पाठ्यक्रम (एनआईबीएम)	
श्री अजय प्रकाश साहनी	28 अगस्त 2023	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	मैकेनिकल इंजीनियर्स संस्थान, लंदन से स्नातक (बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के समकक्ष)	मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान एवं निपटान, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन

³¹ मार्च 2025 को बोर्ड में 15 (पंद्रह) निदेशकों की संख्या बैंक के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 114(ए) के अंतर्गत प्रदान की गई अपेक्षाओं को पूरा

बोर्ड की राय में स्वतंत्र निदेशक सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं.

iii. निदेशकों के बीच परस्पर संबंध

- (i) बैंक के बोर्ड में किसी भी निदेशक का किसी अन्य निदेशक से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है.
- (ii) रिजर्व बैंक द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल के लिए विनिर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा के अनुसार किसी भी पूर्णकालिक निदेशक और गैर-कार्यपालक निदेशक (स्वतंत्र निदेशकों सिंहत) की आयु क्रमशः सत्तर वर्ष और पचहत्तर वर्ष नहीं हुई है.
- (iii) बैंक के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक हैं और वे अनुच्छेद 116(1)(i) के निबंधनों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित 'रिलेटिव' शब्द की परिभाषा के अनुसार बैंक के एमडी एवं सीईओ से संबंधित नहीं हैं.

iv. बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम

बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम कुल संख्या का एक तिहाई अथवा तीन (3) निदेशक, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा बशर्ते कि इनमें कम से कम एक निदेशक भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का नामिती हो और बैठक में उपस्थित निदेशकों में कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक हों.

v. बोर्ड की बैठकों की बारंबारता

बोर्ड की बैठक आम तौर पर एक वर्ष में कम से कम छह बार और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी तथा बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए.

vi. बोर्ड की संपन्न बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अविध (01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) के दौरान निदेशक मंडल की कुल 13 बैठकें 4 मई 2024, 24 मई 2024, 30 मई 2024, 28 जून 2024, 22 जुलाई 2024, 28 अगस्त 2024, 27 सितंबर 2024, 25 अक्तूबर 2024, 30 नवंबर 2024, 31 दिसंबर 2024, 20 जनवरी 2025, 21 फरवरी 2025 और 26 मार्च 2025 को संपन्न हुईं. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर सूचित किए अनुसार व्यक्तिगत रूप से और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित की गईं तथा बैंक के प्रत्येक निदेशक की बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति, गत वार्षिक महासभा (एजीएम) में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में उनकी निदेशकता और सिमितियों में सदस्यता का ब्योरा नीचे **तालिका 1** में दिया गया है.

तालिका 1 : निदेशकों की बोर्ड की बैठकों और पिछली वार्षिक महा सभा में उपस्थिति, उनकी निदेशकता और समितियों में सदस्यता

निदेशक का नाम	अपने कार्यकाल में आयोजित बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित/ उपस्थित)	23 जुलाई 2024 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियां) में निदेशकता	अन्य कंपनियों में सदस्यता/ अध्यक्षता (केवल एसीबी एवं एसआरसी)	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक हैं और निदेशकता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
		अंशकालिक अध्यक्ष	एवं स्वतंत्र निदेशक		
श्री टी.एन. मनोहरन (डीआईएन: 01186248)	(13/13)	उपस्थित	01	01	स्वतंत्र निदेशकः 1. महिन्द्रा एंड महिन्द्रा ति. 2. नेशनल बैंक फॉर फाइनैसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट



निदेशक का नाम	अपने कार्यकाल में आयोजित बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित/ उपस्थित)	23 जुलाई 2024 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियां) में निदेशकता	अन्य कंपनियों में सदस्यता/ अध्यक्षता (केवल एसीबी एवं एसआरसी)	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक हैं और निदेशकता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
		पूर्णकालिक	त निदेशक		
श्री राकेश शर्मा (डीआईएनः 06846594)	(13/13)	उपस्थित	02	शून्य	शून्य
श्री जयकुमार एस पिल्लै (डीआईएनः 10041362)	(13/13)	उपस्थित	01	शून्य	शून्य
श्री सुमित फक्का (डीआईएन: 08259618) [15-07-2024 से]	(09/09)	उपस्थित	01	शून्य	शून्य
		गैर-कार्यपाल	क निदेशक		
श्री मुकेश कुमार गुप्ता (डीआईएन-06638754) [09-02-2025 तक]	(11/11)	उपस्थित	-	-	-
श्री राज कुमार (डीआईएन-06627311)	(13/13)	उपस्थित	01	शून्य	1. चाइस इंटरनेशनल लि स्वतंत्र निदेशक
श्री सत पाल भानू (डीआईएन-10482731) [10-02-2025 से]	(02/02)	लागू नहीं	01	शून्य	 भारतीय जीवन बीमा निगम - प्रबंध निदेशक; महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि नामिती निदेशक
श्री मनोज सहाय (डीआईएन-08711612)	(13/07)	अनुपस्थित	02	शून्य	शून्य
श्री सुशील कुमार सिंह (डीआईएन-09584577)	(13/08)	अनुपस्थित	01	शून्य	शून्य

निदेशक का नाम ————————————————————————————————————	अपने कार्यकाल में आयोजित बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित/ उपस्थित)	23 जुलाई 2024 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियां) में निदेशकता	अन्य कंपनियों में सदस्यता/ अध्यक्षता (केवल एसीबी एवं एसआरसी)	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक हैं और निदेशकता की श्रेणी
		स्वतंत्र नि			
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी (डीआईएन - 06713850)	(13/13)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री समरेश परिदा (डीआईएन - 01853823)	(13/13)	उपस्थित	02	03	 शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड - निदेशक
श्री एन. जंबुनाथन (डीआईएन - 05126421)	(13/12)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री दीपक सिंघल (डीआईएन - 08375146)	(13/13)	उपस्थित	01	शून्य	 एराया लाइफस्पेसेज लि स्वतंत्र निदेशक
श्री संजय जी. कल्लापुर (डीआईएन - 08377808)	(13/13)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्रीमती पी.वी. भारती (डीआईएन:06519925)	(13/13)	उपस्थित	03	03	 पीटीसी इंडिया फ़ाइनानिसयल सर्विसेस लि स्वतंत्र निदेशक
श्री अजय प्रकाश साहनी (डीआईएन:03359323)	(13/13)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य

बैंक के किसी भी गैर-कार्यपालक निदेशक के पास बैंक द्वारा जारी शेयर या संपरिवर्तनीय लिखत नहीं है.



बोर्ड की ममितियां

31 मार्च 2025 को बोर्ड ने 12 समितियों (जिसमें वर्ष के दौरान भंग की गई एक समिति शामिल नहीं है) का गठन किया है. जिनके नाम हैं:

- बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
- स्टेकधारक संबंध समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
- वसूली समीक्षा समिति
- इरादतन चुककर्ता समीक्षा समिति-1 (पूर्व में इरादतन चुककर्ता समीक्षा समिति)

- कार्यपालक समिति
- धोखाधड़ी मामलों की निगरानी तथा उनका अनुवर्तन करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति (पूर्व में धोखाधडी निगरानी
- सीएसआर एवं ईएसजी समिति
- सुचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति
- मानव संसाधन संचालन समिति
- असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति (28 अक्तूबर 2024 से भंग)

अ. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

विचारार्थ विषय i.

- संवेदनशील क्षेत्रों अर्थात् (क) पूंजी बाजार, और (ख) रियल इस्टेट के एक्सपोजर की समीक्षा करना;
- अपने ग्राहक को जानिए/ धन शोधन निवारण (केवाईसी / एएमएल) दिशा-निर्देश-
 - केवाईसी नीति और प्रक्रिया की अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करना;
 - एएमएल और केंद्रीय केवाईसी के संबंध में प्रमुख पहलों और बैंक की तैयारियों की समीक्षा करना;
- हाउसकीपिंग की समीक्षा विशेषकर लंबे समय से बकाया प्रविष्टियों उचंत/ विविध/ देय अथवा प्रदत्त डाफ्ट/ मार्गस्थ निधियाँ/ समाशोधन/ सहायक सामान्य खाताबही (एसजीएल)/ संघटक सहायक सामान्य खाताबही (सीएसजीएल) खातों में शेष और समाधान तथा नोस्टो खातों की समीक्षा करना:
- वार्षिक लेखा-परीक्षा योजना और इसकी उपलब्धियों की स्थिति की समीक्षा करना;
- निम्नलिखित लेखा-परीक्षाओं के महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा निष्कर्षीं/ आंतरिक नियंत्रण में किमयों सहित उनके अनुपालन की समीक्षा करना - (i) लांग फॉर्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) (ii) संगामी लेखा-परीक्षा (iii) आंतरिक निरीक्षण (iv) डाटा सेंटर और अन्य विभागों की सूचना प्रणाली की लेखा-परीक्षा (v) ट्रेजरी एवं डेरिवेटिव (vi) नियंत्रक कार्यालयों/ प्रधान कार्यालय में प्रबंधन लेखा-परीक्षा (vii) सेवा शाखाओं की लेखा-परीक्षा (viii) करेंसी चेस्ट (ix) विदेशी मुद्रा विनिमय में संव्यवहार करने के लिए प्राधिकृत शाखाओं की विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) लेखा-परीक्षा आदि;
- एसीबी/ बोर्ड/ रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करना;
- विदेश स्थित शाखाओं के संबंध में मेजबान देशों में विनियामकों की विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट करना;
- प्रबंधन चर्चा, वित्तीय स्थिति का विश्लेषण, सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण की किमयों के बारे में जारी प्रबंधन पत्रों/ पत्रों सहित तिमाही के वित्तीय परिणामों की समीक्षा करना:
- विवेकाधिकार शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किए गए उल्लंघन संबंधी जानकारी की समीक्षा करना:
- उधारकर्ता कंपनियों में उनकी प्रदत्त पूंजी के 30% से अधिक की इक्विटी शेयर धारिता के संबंध में जानकारी रिपोर्ट करना;
- ₹ 1 करोड और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधडी के मामलों की समीक्षा करना;
- संबद्ध पक्षों के साथ लेन-देनों और संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए पूर्वानुमोदन और संबद्ध पक्ष लेन-देनों में उत्तरवर्ती संशोधन, यदि कोई हो, की समीक्षा करना:
- (क) जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा नीति. (ख) संगामी लेखा-परीक्षा नीति और (ग) आईएस लेखा-परीक्षा नीति की समीक्षा करना:

- बैंक के लेखों में अधिक पारदर्शिता लाने और लेखांकन मानकों की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक की लेखांकन नीतियों/ प्रणालियों की समीक्षा करना और वर्ष के दौरान किसी भी परिवर्तन और उसके प्रभाव की समीक्षा करना तथा इस आशय की पुष्टि करना कि लेखांकन नीतियां, लेखांकन मानकों और रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में हैं;
- आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफ की संख्या तथा विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज और आंतरिक लेखा-परीक्षा की बारंबारता सहित आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना:
- बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा करना:
- बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की समीक्षा करना:
- सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति, लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता, कार्य निष्पादन, देशी और विदेशी परिचालनों दोनों के लिए लेखा-परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना:
- बोर्ड को अनुमोदन हेतु प्रस्तुति से पूर्व एलओडीआर विनियम की अनुसूची II के भाग सी के बिन्दु ए (4) में दर्शाई गयी (क) से (छ) की मदों के विशेष संदर्भ में बैंक के वार्षिक लेखों/ वित्तीय विवरणों और इन पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना;
- सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा दी गई किसी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों को किए जाने वाले भुगतान का अनुमोदन करना:
- लेखा-परीक्षा शुरू होने से पूर्व उसके स्वरूप और कार्य-क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखा-परीक्षकों के साथ चर्चा करना तथा किसी चिंताजनक विषय का पता लगाने के लिए लेखा-परीक्षा के उपरांत विचार-विमर्श करना:
- विभिन्न कानूनों और संविधियों के तहत बैंक पर लगाए गए दंडों/ दंडात्मक कार्रवाई और सुधारात्मक उपायों के लिए की गयी कार्रवाइयों की समीक्षा करना:
- आंतरिक/ बाह्य लेखा-परीक्षकों द्वारा पता लगाई गई राजस्व रिसाव की रिपोर्ट और उसकी वसूली की स्थिति कमतर राजस्व के कारण और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए उठाये गये कदमों की समीक्षा करना:
- ऑफर दस्तावेजों और निधियों के सार्वजनिक निर्गम (सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित) के जिरये जुटाई गई निधियों के अंतिम उपयोग और साथ ही साथ, (i) विनियमावली 32(1) के अनुसार निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सिहत विचलन(नों) के तिमाही विवरण और (ii) एलओडीआर विनियम के विनियम 32(7) के अनुसार ऑफर दस्तावेज में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य के लिए उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण रिपोर्ट करना;
- जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न होने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में बड़ी चूकों के कारणों की समीक्षा करना:
- असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए विशेष निवेशों सहित वित्तीय विवरणियों की समीक्षा करना;
- पहली बार हुई अनर्जक आस्तियों (एफ़टीएनपीए) की समीक्षा करना;
- र 1 करोड़ और उससे अधिक के नकारे गए चेकों की समीक्षा करना;
- संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली की वार्षिक समीक्षा का आयोजन करना;
- आउटसोर्स वेंडरों की लेखा-परीक्षा की वार्षिक समीक्षा का आयोजन करना:
- सतर्कता तंत्र की कार्य प्रणाली की समीक्षा करना:
- मुख्य अनुपालन अधिकारी के बदलाव, यदि कोई हो, को नोट करना;
- उम्मीदवार को योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन करना;
- मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक/ प्रमुख-आंतरिक लेखापरीक्षा की नियुक्ति, हटाने और पारिश्रमिक शर्तों की समीक्षा करना;
- सचीबद्ध संस्था के उपक्रमों या आस्तियों का मुल्यांकन देखना, जहां कहीं भी आवश्यक हो:
- बैंक के लेखों को प्रभावित करने वाले रिज़र्व बैंक के परिपत्रों की समीक्षा करना:
- सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की वार्षिक समीक्षा करना;
- बैंक द्वारा सहायक संस्था में ₹ 100 करोड़ से अधिक या सहायक संस्था के आस्ति आकार के 10%, मौजूदा ऋण/ अग्रिम/ निवेश सिहत,
 जो भी कम हो, में/ से निवेश की ऋण और/ या अग्रिमों के उपयोग की समीक्षा करना;
- बैंक और इसके शेयरधारकों पर विलय, विलगाव, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार और टिप्पणी करना:



- स्टाफ जवाबदेही जांच की समीक्षा करना:
- ऋण/ प्रतिभृति दस्तावेजों के स्वत्व विलेखों और समृचित सावधानी कार्रवाई की वास्तविकता को सत्यापित करना;
- कंपनी अधिनियम, 2013, एलओडीआर विनियम, आदि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किए गए अनुपालन पर सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना:
- सेंट्रल डिपॉजटरी सर्विसेस लि. (सीडीएसएल), नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) और संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टी की निरीक्षण रिपोर्टी में की गई टिप्पणियों का अनुपालन करना;
- खोजी लेखा परीक्षा (आईए)/ विशेष खोजी लेखा परीक्षा (एसआईए) के निष्कर्षों की समीक्षा करना;
- रेटिंग एजेंसियों के साथ चर्चा करना:
- प्रबंधन की उपस्थिति के बिना प्रमुख-आंतरिक लेखा परीक्षा और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) के साथ चर्चा करना;
- जोखिम रेटिंग प्रवसन और लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता की समीक्षा करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. एसीबी की संरचना

31 मार्च 2025 को एसीबी में पांच सदस्य शामिल थे, जिनमें से चार सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे अर्थात् अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक श्री समरेश परिदा और सदस्यों के रूप में श्री मनोज सहाय, भारत सरकार के नामिती निदेशक, श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक, श्रीमती पी.वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक और श्री अजय प्रकाश साहनी, स्वतंत्र निदेशक.

iii. एसीबी बैठकों के लिए कोरम:

एसीबी बैठकों के लिए कोरम में एसीबी के तीन सदस्य होंगे, इनमें से कम से कम दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे. एसीबी बैठक की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो बोर्ड की किसी अन्य समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे.

iv. एसीबी बैठकों की बारंबारता

एसीबी की वर्ष में कम से कम चार बैठकें होंगी और एसीबी की लगातार दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिन से अधिक का अंतराल नहीं होगा.

v. एसीबी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) के दौरान एसीबी की 12 बैठकें 4 मई 2024; 29 मई 2024; 27 जून 2024; 22 जुलाई 2024; 27 अगस्त 2024; 27 सितंबर 2024; 25 अक्तूबर 2024; 29 नवंबर 2024; 30 दिसंबर 2024; 20 जनवरी 2025; 20 फरवरी 2025; और 25 मार्च 2025 को संपन्न हुई.

आ. कार्यपालक समिति (ईसी)

i. विचारार्थ विषय

- ₹ 400 करोड़ से अधिक के एकल उधारकर्ता और ₹ 800 करोड़ से अधिक के समूह उधारकर्ता एक्सपोजर वाले उच्च मूल्य के ऋण प्रस्तावों को मंजूरी देना;
- कार्यपालक समिति (ईसी) द्वारा मंजूर की गई निबंधनों और शर्तों में संशोधन करना;
- ऋण सिमितियों के कार्यवृत्त को रिकॉर्ड पर लेना;
- बातचीत से तय/ एकबारीय निपटान (ओटीएस) के प्रस्तावों को मंजूर करना;
- अन्य बैंकों के निदेशक (अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सिहत) को ₹ 5 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर वाले प्रस्तावों और अन्य कोई फर्म जिसमें अन्य बैंकों के कोई निदेशक साझेदार या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों और कोई कंपनी जिसमें अन्य बैंकों के कोई निदेशक पर्याप्त हित रखते हों या निदेशक या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों के ₹ 25 लाख और अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी देना.
- निम्नलिखित को ₹ 5 करोड से अधिक के एक्सपोजर वाले प्रस्तावों के संबंध में मंजुरी देनाः
 - बैंक के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशकों के कोई संबंधी:
 - अन्य बैंकों के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशकों के कोई संबंधी;
 - कोई फर्म जिसमें ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार उनके कोई संबंधी साझेदार या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों; और
 - कोई कंपनी जिसमें ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार उनके कोई संबंधी पर्याप्त हित रखते हों या निदेशक या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों;

- प्रतिभूतीकरण पोर्टफोलियो की मंजूरियों को रिपोर्ट करना;
- कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित मामलों के संबंध में प्रतिभृति सुजन की स्थिति की समीक्षा और रिपोर्ट करना;
- देय और प्राप्य राशियों को निवेश लिखत(तों) में परिवर्तन के प्रस्तावों का अनुमोदन करना:
- र 5 करोड से अधिक बकाया वाले खातों के लिए इरादतन चुककर्ता की प्रारंभिक जांच करना: और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. ईसी की संरचना

31 मार्च 2025 को ईसी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से तीन सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और सदस्यों के रूप में श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री सुमित फक्का, डीएमडी, श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री एन. जंबनाथन, स्वतंत्र निदेशक और श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक.

iii. ईसी बैठकों के लिए कोरम

ईसी की बैठकों के लिए कोरम कुल संख्या का एक-तिहाई या ईसी के दो सदस्य, जो भी अधिक हो, होगी.

iv. र्डसी बैठकों की बारंबारता

ईसी की बैठक वर्ष में कम से कम चार बैठकों के साथ आवश्यकताओं के अनुसार होगी.

v. ईसी की बैठकें

समीक्षाधीन अविध (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) के दौरान कार्यपालक सिमित की कुल 23 बैठकें हुईं जो 15 अप्रैल 2024; 30 अप्रैल 2024; 15 मई 2024; 31 मई 2024; 18 जून 2024; 29 जून 2024; 16 जुलाई 2024; 05 अगस्त 2024; 27 अगस्त 2024; 17 सितंबर 2024; 25 सितंबर 2024; 14 अक्तूबर 2024; 28 अक्तूबर 2024; 12 नवंबर 2024; 29 नवंबर 2024; 16 दिसंबर 2024; 30 दिसंबर 2024; 21 जनवरी 2025; 29 जनवरी 2025; 11 फरवरी 2025; 04 मार्च 2025; 17 मार्च 2025 और 25 मार्च 2025 को संपन्न हुईं.

इ. स्टेकधारक संबंध समिति (एसआरसी)

i. विचारार्थ विषय

स्टेकधारक संबंध समिति (एसआरसी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 तथा एलओडीआर विनियम की अनुसूची II के भाग डी के साथ पठित विनियम 20 के अंतर्गत उपबंधित विचारार्थ विषयों के अनुसार कार्य करती है.

एसआरसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- शेयरों के अंतरण / हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए / डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, महा सभा आदि से संबंधित शिकायतों सहित शेयरधारकों, बांडधारकों और अन्य प्रतिभृतिधारकों की शिकायतों का समाधान करना;
- अपनी प्रत्येक बैठक में बैंक की इक्विटी सर्विसिंग और बांड सर्विसिंग रिपोर्टों पर विचार करना और समीक्षा करना तथा उपर्युक्त अधिदेश को हासिल करने के लिए, जहां आवश्यक समझा जाए, निम्नलिखित के संबंध में निर्देश जारी करना;
 - इक्विटी सर्विसिंग संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा करना:
 - फ्लेक्सीबॉण्डों की सर्विसिंग संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा करना:
 - शेयर पुँजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के समाधान की रिपोर्टिंग की समीक्षा करना;
 - शेयरधारकों द्वारा वोटिंग अधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना;
 - रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा दी गई विभिन्न सेवाओं के संदर्भ में बैंक द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना:
 - अदावी लाभांश की मात्रा को कम करने और बैंक के शेयरधारकों को लाभांश वारंट /वार्षिक रिपोर्ट/ सांविधिक नोटिस की समय पर प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहल कार्यों की समीक्षा करना; और
 - प्रभार सृजन, ब्याज/मूलधन के भुगतान, प्रतिभूति कवर के रखरखाव और किसी अन्य नियम से संबंधित डिबेंचर धारकों की शिकायतों का समाधान करना.
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.



एसआरसी की संरचना ii.

31 मार्च 2025 को एसआरसी में चार सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् समिति के अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक श्री संजय जी. कल्लाप्र और सदस्यों के रूप में श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री सुमित फक्का, डीएमडी और श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक.

श्रीमती ज्योति बीजू नायर, बैंक की कंपनी सचिव एलओडीआर विनियम के अंतर्गत अनुपालन अधिकारी के रूप में भी कार्य करती हैं.

एसआरसी बैठकों के लिए कोरम iii.

एसआरसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा एसआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगी.

एसआरसी बैठकों की बारंबारता iv.

एसआरसी की बैठकें वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी.

एसआरसी की बैठकें

समीक्षाधीन अविध (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) के दौरान एसआरसी की चार बैठकें दिनांक 15 मई 2024, 28 अगस्त 2024, 12 नवंबर 2024 और 11 फरवरी 2025 को संपन्न हुईं.

अनुरोध/ शिकायतों की संख्या (इक्विटी एवं बांड)

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त शेयरधारकों/ बांडधारकों की शिकायतों की संख्या	9,844
जिन शिकायतों का समाधान शेयरधारकों/ बांडधारकों की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया गया उनकी संख्या	
लंबित शिकायतों की संख्या	

धोखाधड़ी मामलों की निगरानी तथा उनका अनुवर्तन करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ़)

विचारार्थ विषय i.

धोखाधड़ी मामलों की निगरानी तथा उनका अनुवर्तन करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) *[पूर्व में धोखाधड़ी निगरानी समिति*] का गठन बैंक में धोखाधडी जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए किया गया है. समिति मुल कारण विश्लेषण सहित धोखाधडी के मामलों की समीक्षा और निगरानी करेगी और आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने तथा धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए उपाय सुझाएगी.

एससीबीएमएफ़ की व्यापक भूमिका एवं उसके उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

- निम्नलिखित को कवर करते हुए बैंक में धोखाधड़ी मामलों की समीक्षा और निगरानी करनाः
 - (क) सभी अस्तियों और देयताओं से संबंधित धोखाधडियां:
 - (ख) सभी साइबर और डिजिटल भुगतान से संबंधित धोखाधड़ियां; और
 - (ग) चोरी, सेंधमारी, डकैती, लूट;
- धोखाधडी के निष्क्रिय मामलों की पून: जांच और रिपोर्टिंग की समीक्षा करना;
- आरएफए वर्गीकरण की तारीख से 180 दिनों से अधिक समय तक मौजूद रेड फ्लैग्ड खातों (आरएफए) की समीक्षा और निगरानी करना;
- कानुनी प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए), अर्थात पुलिस/सीबीआई आदि के पास शिकायत दर्ज करने की स्थिति की समीक्षा करना;
- धोखाधड़ी के मूल कारण का विश्लेषण और क्षतिपूर्ति नियंत्रण की समीक्षा करना;
- प्रणाली सुधारों की समीक्षा करना;
- धोखाधडी के मामलों को बंद करने की स्थिति की समीक्षा और निगरानी करना;

- बैंक में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन की समग्र प्रभावशीलता की समीक्षा करना और आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने के लिए उपाय सुझाना;
- धोखाधडी का पता लगाने/वर्गीकरण में देरी की समीक्षा करना :
- स्टाफ की जवाबदेही की जांच/निष्कर्ष में देरी की समीक्षा करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. एससीबीएमएफ़ की संरचना

31 मार्च 2025 को एससीबीएमएफ़ में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से तीन सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक और सदस्यों के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री जयकुमार एस.पिल्लै, डीएमडी, श्री सुमित फक्का, डीएमडी, श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक और श्री अजय प्रकाश साहनी, स्वतंत्र निदेशक.

iii. एससीबीएमएफ़ बैठकों के लिए कोरम

एससीबीएमएफ़ बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई अथवा एससीबीएमएफ के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा.

iv. एससीबीएमएफ़ बैठकों की बारंबारता

एससीबीएमएफ की बैठकें मासिक आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. एफ़एमसी/एससीबीएमएफ़ की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) के दौरान एफएमसी/एससीबीएमएफ़ की 12 बैठकें दिनांक 30 अप्रैल 2024; 29 मई 2024; 27 जून 2024; 22 जुलाई 2024; 27 अगस्त 2024; 27 सितंबर 2024; 25 अक्तूबर 2024; 29 नवंबर 2024; 30 दिसंबर 2024; 20 जनवरी 2025; 20 फरवरी 2025; और 25 मार्च 2025 को संपन्न हुईं.

उ. जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी)

i. विचारार्थ विषय

बैंक के कारोबार से जुड़े विभिन्न जोखिमों का आकलन करने, उनमें कमी लाने, आस्ति देयता असंतुलन से जुड़े मुद्दों का समाधान करने और साथ ही जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) का गठन किया गया है.

आरएमसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- चलनिधि जोखिम और अन्य जोखिमों के साथ चलनिधि जोखिम की संभावित पारस्परिक क्रिया सहित बैंक के समक्ष आई सभी जोखिमों का मूल्यांकन करना;
- नकदी प्रवाह के अनुमानों की रिपोर्टिंग और चलिनिध जोखिम, प्रयुक्त धारणाओं का मापन करना;
- बोर्ड को नीतियों यथा ऋण नीति, वसूली नीति, जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति देयता नीति, परिचालनगत जोखिम तथा कारोबार निरंतरता प्रबंधन (ओआर एवं बीसीएम) नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति, बाजार जोखिम तथा डेरिवेटिव नीति, देशी जोखिम प्रबंधन नीति एवं देश की जोखिम सीमाएं, निवेश नीति, प्रकटन नीति, प्रतिष्ठा जोखिम मूल्यांकन एवं प्रबंधन नीति, समृह जोखिम एवं प्रबंधन नीति आदि की सिफ़ारिश करना;
- परिचालनगत जोखिम एवं कारोबार निरंतरता प्रबंधन पर प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना:
- टेडिंग पोर्टफोलियो की बाजार जोखिम रिपोर्ट की समीक्षा करना:
- दबाव परीक्षण के परिणामों की समीक्षा करना:
- चलिनिध और ब्याज दर जोखिम परिदृश्य का विश्लेषण करना:
- जोखिम प्रबंधन विभाग में, मॉडल सत्यापन आंतिरक रेटिंग के माइग्रेशन और चूक विश्लेषण के अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा करना:
- आस्ति देयता प्रबंधन की समीक्षा करना:
- ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, एएलसीओ, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), एलआरएमसी, प्रणाली उत्पाद अनुमोदन एवं समीक्षा समिति (स्पार्क) I एवं II के कार्यवृत्त को रिपोर्ट करना;



- प्रतिपक्षकार बैंक सीमाओं एवं घरेल एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के लिए सीमाओं के आबंटन पर नीति की समीक्षा करना;
- ऋण एक्सपोजर मानदंडों के अनुपालन की समीक्षा करना:
- पारिश्रमिक और जोखिम के बीच प्रभावी सुयोजन को प्राप्त करने के उद्देश्य से नामांकन और पारिश्रमिक समिति के साथ समन्वय में कार्य करनाः
- विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - विशेषकर सुचीबद्ध संस्था द्वारा वित्तीय, परिचालनगत, क्षेत्र संबंधी, धारणीयता (विशेष रूप से ईएसजी संबंधी जोखिम), सुचना, साइबर सरक्षा जोखिमों अथवा समिति द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य जोखिम सहित सामना की गई आंतरिक और बाह्य जोखिमों की पहचान के लिए रूप रेखा तैयार करना.
 - पहचान किए गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय करना ; और
 - कारोबार निरंतरता योजना.
- यह सुनिश्चित करना कि बैंक के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियाँ मौजूद हैं.
- जोखिम प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता के मूल्यांकन सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेख करना.
- जोखिम प्रबंधन नीति की आवधिक आधार पर दो वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा करना, जिसमें बदलते उद्योग की गतिशीलता और विकसित जटिलता पर विचार करना शामिल है:
- प्रारंभिक चेतावनी संकेत और आरएफए के लिए ढांचे की प्रभावशीलता की निगरानी करना:
- ऋण स्विधाओं/ऋण खातों और अन्य बैंकिंग लेनदेनों की निगरानी के लिए पहचाने गए ईडब्ल्यूएस संकेतकों का अनुमोदन करना;
- ईडब्ल्यूएस अलर्ट/ट्रिगर, बैंक द्वारा शुरू की गई सुधारात्मक कार्रवाई आदि सहित आरएफए की स्थिति की समीक्षा करना;;
- निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफ़ारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और विषयवस्तु के बारे में सूचित करना;
- मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति, हटाने और पारिश्रमिक की शर्तों, यदि कोई हो, की समीक्षा करना;
- समकक्ष बैंक की समीक्षा करना:
- आईसीएएपी की मध्यावधि समीक्षा करना:
- प्रतिपक्ष बैंक एक्सपोजर सीमाओं और देश जोखिम एक्सपोजर सीमाओं की तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा करना:
- आंतरिक और बाह्य रेटिंग के बीच विचलन का विश्लेषण करना:
- साइबर सुरक्षा के संबंध में जोखिम प्रबंधन योजना की समीक्षा करना और उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी जोखिम को कम करने के उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
- प्रबंधन की उपस्थिति के बिना मुख्य जोखिम अधिकारी के साथ चर्चा करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

आरएमसी की संरचना ii.

31 मार्च 2025 को आरएमसी में सात सदस्य शामिल थे, जिनमें से चार सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्रीमती पी.वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक और सदस्यों के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री सुमित फक्का, डीएमडी, श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक, श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक और श्री टी.एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक.

आरएमसी बैठकों के लिए कोरम iii.

आरएमसी की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों में से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे. जिनमें से कम से कम एक सदस्य के पास जोखिम प्रबंधन में पेशेवर विशेषज्ञता/ योग्यता होनी चाहिए. आरएमसी की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो बोर्ड या किसी अन्य समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे.

आरएमसी बैठकों की बारंबारता

आरएमसी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

88

v. आरएमसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) के दौरान आरएमसी की चार बैठकें दिनांक 12 जून 2024; 13 सितंबर 2024; 16 दिसंबर 2024 और 12 मार्च 2025 को संपन्न हुईं.

ऊ. सीएसआर एवं ईएसजी समिति

i. विचारार्थ विषय

- कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति तैयार करना और बोर्ड को उसकी सिफारिश करना जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में बैंक द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाएगी;
- उपर्युक्त खंड में दिए गए कार्यकलापों पर होने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना;
- सीएसआर बजट के उपयोग की समीक्षा करना:
- बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की समय-समय पर निगरानी करना:
- चालू सीएसआर परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करना;
- पर्यावरण, सामाजिक एवं अभिशासन से संबंधित बैंक की सभी गतिविधियों की देखरेख करना और ईएसजी नीति की समीक्षा करना:
- बोर्ड को कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) की सिफारिश करना: और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. सीएसआर एवं ईएसजी समिति की संरचना

31 मार्च 2025 को सीएसआर एवं ईएसजी सिमिति में पांच सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और सदस्यों के रूप में श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री सुमित फक्का, डीएमडी, श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी. वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक.

iii. सीएसआर एवं ईएसजी समिति की बैठकों के लिए कोरम

सीएसआर एवं ईएसजी समिति की बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई अथवा दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा.

iv. सीएसआर एवं ईएसजी समिति की बैठकों की बारंबारता

सीएसआर एवं ईएसजी समिति की बैठकें छमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. सीएसआर एवं ईएसजी समिति की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) के दौरान सीएसआरसी की चार बैठकें दिनांक 29 मई 2024; 29 नवंबर 2024; 11 फरवरी 2025 और 25 मार्च 2025 को संपन्न हुईं.

ए. ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)

i. विचारार्थ विषय

बैंक में ग्राहक संरक्षण तथा सेवा की अभिशासन संरचना को मजबूत बनाने और साथ ही बैंक द्वारा प्रदान की गई ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियां बनाने और उनके आंतरिक अनुपालन का आकलन करने के लिए ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) का गठन किया गया है.

सीएससी की व्यापक भूमिका तथा उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- रिटेल बैंकिंग खंड में ग्राहक की शिकायतों को देखना तथा ग्राहकों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करना;
- व्यापक जमा नीति तैयार करना:



- जमाकर्ता की मृत्यू होने पर उनके खाते के परिचालन जैसे मृद्दों का समाधान करना;
- जमाकर्ता की संतष्टि के वार्षिक सर्वेक्षण के संचालन की जांच करना:
- ग्राहक सेवाओं की त्रैवार्षिक लेखा परीक्षा आयोजित करना;
- भारत के विभिन्न राज्यों के आंतरिक लोकपाल द्वारा समाधान की जा चुकी शिकायतों / परिवेदनाओं के संबंध में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाना;
- आंतरिक लोकपाल द्वारा दिए गए सभी फैसलों पर ध्यान देना;
- तीन माह से अधिक समय तक कार्यीन्वत नहीं किए गए सभी फैसलों की कारणों सहित समीक्षा करना;
- बैंक में ग्राहक सुरक्षा एवं सेवा के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना;
- परिवेदना निवारण नीति की समीक्षा करना:
- प्रदान की गई ग्राहक सेवा की ग्णवत्ता को प्रभावित करने वाले किन्हीं अन्य मुद्दों की जांच करना;
- आंतरिक लोकपाल के कार्यकलापों की समीक्षा करना: और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

सीएससी की संरचना ii.

31 मार्च 2025 को सीएससी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और सदस्यों के रूप में श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री सुमित फक्का, डीएमडी, श्री राज कुमार, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक और श्री अजय प्रकाश साहनी, स्वतंत्र निदेशक, श्री श्रीकांत मोहपात्रा, आंतरिक लोकपाल स्थायी आमंत्रिती हैं.

सीएससी बैठकों के लिए कोरम iii.

सीएससी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा सीएससी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा.

सीएससी बैठकों की बारंबारता

सीएससी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

सीएससी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) के दौरान सीएससी की चार बैठकें दिनांक 29 मई 2024; 28 अगस्त 2024; 30 नवंबर 2024 और 11 फरवरी 2025 को संपन्न हुईं.

सूचना प्रौद्योगिको रणनीति समिति (आईटीएससी)

विचारार्थ विषय i.

बैंक में प्रभावी प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी) का गठन किया गया है. इसका उद्देश्य ग्राहकों को विभिन्न आईटी समर्थकारी सेवाएं प्रदान करना, दृष्टिकोण को सुसंगत बनाने में मदद करना, नए आईटी उत्पाद लांच करने में सहायता देना एवं तत्संबंधी सेवाएं प्रदान करना और साइबर सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं तथा साइबर सुरक्षा नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करना है. सिमिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधड़ी के बारे में रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक ने एक प्रभावी आईटी रणनीतिक योजना प्रक्रिया लागू की है;
- आईटी रणनीति की तैयारी में मार्गदर्शन करना और यह सुनिश्चित करना कि आईटी रणनीति अपने व्यवसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बैंक की समग्र रणनीति के साथ संरेखित हो:
- स्वयं को संतुष्ट करना कि आईटी अभिशासन और सूचना सुरक्षा अभिशासन संरचना जवाबदेही को बढ़ावा देती है, प्रभावी और कुशल है, इसमें पर्याप्त कुशल संसाधन, सुपरिभाषित उद्देश्य और संगठन में प्रत्येक स्तर के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियाँ हैं.
- यह सुनिश्चित करना कि बैंक ने आईटी और साइबर सुरक्षा जोखिमों के आकलन और प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं बनाई हैं;

- यह सुनिश्चित करना कि आईटी कार्य (आईटी सुरक्षा सिहत) के लिए बजटीय आबंटन, साइबर सुरक्षा बैंक की आईटी परिपक्वता, डिजिटल गहराई, खतरे के माहौल और उद्योग मानकों के अनुरूप हैं और बताए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं; और
- बैंक की कारोबार निरंतरता योजना और आपदा से उबरने के प्रबंधन की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की कम से कम वार्षिक आधार पर

आईटीएससी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- बोर्ड को प्रस्तावित आईटी बजट की संस्तृति करना;
- आईटी बजट के उपयोग की समीक्षा करना:
- आंतरिक अथवा बाहर से खरीदे गए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर/ हार्डवेयर के विकास, अधिप्राप्ति और परिचालनों की समीक्षा करना और प्रौद्योगिकी के चयन के लिए निविदाएँ आमंत्रित करने अथवा अन्य क्रिया विधिओं के लिए प्रक्रियाएँ तैयार करना:
- प्रणालियों और प्रक्रियाओं के निष्पादन, कार्यान्वयन और परिचालन की निगरानी करना.
- प्रौद्योगिकी के जरिए शाखाओं के एकीकरण और बैंक के लिए एमआईएस के विकास की देखरेख करना:
- प्रौद्योगिकी आर्किटेक्चर की अद्यतन स्थिति और की गईं प्रमुख आईटी पहलों की समीक्षा करना;
- सूचना/साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं की समीक्षा करना;
- सूचना स्रक्षा नीति की समीक्षा करना;
- आईटी नीति की समीक्षा करना:
- बैंक के साइबर सुरक्षा जोखिमों/व्यवस्थाओं/तैयारियों की समीक्षा करना;
- साइबर स्रक्षा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
- साइबर सुरक्षा नीतियों की निगरानी करना;
- सूचना सुरक्षा समिति की गतिविधियों की समीक्षा करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. आईटीएससी की संरचना

31 मार्च 2025 को आईटीएससी में सात सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक और सदस्यों के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री सुमित फक्का, डीएमडी, श्री मनोज सहाय, सरकार के नामिती निदेशक, श्री राज कुमार, एलआईसी के नामिती निदेशक और श्री अजय प्रकाश साहनी, स्वतंत्र निदेशक.

iii. आईटीएससी बैठकों के लिए कोरम

आईटीएससी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा आईटीएससी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हों, होगा.

iv. आईटीएससी बैठकों की बारंबारता

आईटीएससी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. आईटीएससी की बैठकें

समीक्षाधीन अविध (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) के दौरान आईटीएससी की चार बैठकें 12 जून 2024; 13 सितंबर 2024; 16 दिसंबर 2024 और 4 मार्च 2025 को आयोजित की गईं.



ओ. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

विचारार्थ विषय i.

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार है:

- निदेशक के लिए अर्हताएं, सकारात्मक गुण और स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों को पारिश्रमिक से संबंधित नीति की निदेशक मंडल को अनुशंसा करना;
- बोर्ड, उसकी सिमितियों और वैयक्तिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के प्रभावी मुल्यांकन के लिए, या तो बोर्ड द्वारा, एनआरसी द्वारा अथवा स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा ढंग को निर्दिष्ट करना और उनके कार्यान्वयन एवं अनपालन की समीक्षा करना.
- स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए बोर्ड में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करना और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक भृमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करना. स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति के पास इस तरह के विवरण में पहचानी गई क्षमताएं होंगी. उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, एनआरसी निम्नलिखित तरीके अपना सकती है:
 - यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करें:
 - विविधता को ध्यान में रखते हुए, व्यापक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर विचार करें; तथा
 - उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धताओं पर विचार करें.
- स्वतंत्र निदेशकों तथा निदेशक मंडल के कार्य-निष्पादन के मुल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;
- निदेशक मंडल की विविधता के बारे में नीति तैयार करना:
- ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, और निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना;
- अर्हता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यिनिष्ठा, 'उपयुक्त और उचित' मानदंड, सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता (यदि लागू हो) तथा स्वतंत्र निदेशक सहित निदेशकों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड में निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति/ नियुक्ति को जारी रखने की उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया पर कार्य करना तथा उससे संबंधित मानदंड तैयार करना:
- निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, आदि के लिए पारिश्रमिक/ क्षतिपूर्ति नीति बनाना;
- बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन को भूगतान किए जाने वाले सभी पारिश्रमिकों, चाहे वे किसी भी रूप में हों, की सिफारिश करना;
- पारिश्रमिक और जोखिम के बीच प्रभावी सुयोजन प्राप्त करने के संबंध में जोखिम प्रबंधन समिति के साथ समन्वय में कार्य करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

एनआरसी की संरचना ii.

31 मार्च 2025 को एनआरसी में छह सदस्य शामिल थे, सभी सदस्य गैर-कार्यपालक निदेशक हैं, जिसमें पांच स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक और सदस्यों के रूप में श्री सुशील कुमार सिंह, सरकार के नामिती निदेशक, श्री भूवनचंद्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक, श्री टी. एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी. वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक.

एनआरसी बैठकों के लिए कोरम iii.

एनआरसी बैठकों के लिए कोरम तीन सदस्यों का होगा जिनमें से एनआरसी की बैठकों में भाग लेने वाले कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे और एक आरएमसी का सदस्य होगा. एनआरसी के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे जो बोर्ड की अध्यक्षता नहीं करेंगे.

iv. एनआरसी बैठकों की बारंबारता:

वर्ष में कम से कम एक बार एनआरसी की बैठक आयोजित की जाएगी.

v. एनआरसी की बैठकें

समीक्षाधीन अविध (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) के दौरान एनआरसी की छह बैठकें 30 मई 2024; 22 जुलाई 2024; 27 अगस्त 2024; 28 अगस्त 2024 (स्थिगित बैठक); 27 सितंबर 2024; 30 नवम्बर 2024; और 21 फरवरी 2025 को संपन्न हुई.

vi. स्वतंत्र निदेशकों के लिए कार्य-निष्पादन मुल्यांकन मानदंड

स्वतंत्र निदेशकों सिहत सभी निदेशकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन एनआरसी द्वारा अनुमोदित तैयार की गई प्रश्नावली के आधार पर किया जाता है जिसमें बोर्ड में उपस्थिति, बैठक के दौरान भागीदारी, निदेशकों के योगदान का स्तर, ज्ञान की गुणवत्ता और विषय की समझ, पारदर्शिता का स्तर आदि कॉरपोरेट अभिशासन के मानदंड शामिल हैं. मूल्यांकन के बारे में अपनी राय बनाने के लिए प्रश्नावली पहले ही निदेशकों को विचार करने के लिए परिचालित कर दी जाती है. स्वतंत्र निदेशकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन जिस निदेशक का मूल्यांकन किया जा रहा है, उन्हें छोड़कर पूरे निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है, मूल्यांकन में उपर्युक्त मानदंडों पर निदेशकों का कार्य-निष्पादन और स्वतंत्र मानदंडों को पूरा करना शामिल है. इसके अलावा मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है.

औ. मानव संसाधन संचालन समिति (एचआरएससी)

i. विचारार्थ विषय

मानव संसाधन संबंधी मामलों को देखने और मानव संसाधन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने हेतु मानव संसाधन संचालन समिति (एचआरएससी) का गठन किया गया है.

एचआरएससी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- भर्ती और प्रशिक्षण से संबंधित नीतियां बनाना:
- कार्य-निष्पादन प्रबंधन, क्षतिपूर्ति और कैरियर विकास पहलों की समीक्षा करना:
- प्रबंधन योजना, विकास और उत्तराधिकार योजना पर विचार करना:
- एचआर रणनीति को कारोबार रणनीति व योजना के अनुकूल बनाना;
- कार्मिक की नियुक्ति, मानवशक्ति मूल्यांकन, पदोन्नित आदि सहित विभिन्न अन्य एचआर मामलों पर विचार और अनुमोदन प्रदान करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. एचआरएससी की संरचना

31 मार्च 2025 को एचआरएससी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और सदस्यों के रूप में श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री सुमित फक्का, डीएमडी; श्री सुशील कुमार सिंह, सरकार के नामिती निदेशक, श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक और श्री टी. एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक.

iii. एचआरएससी की बैठकों के लिए कोरम

एचआरएससी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा एचआरएससी के दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

iv. एचआरएससी बैठकों की बारंबारता

एचआरएससी की बैठक आवश्यकता के अनुसार आयोजित की जाएगी.

v. एचआरएससी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) के दौरान एचआरएससी की छह बैठकें 29 मई 2024; 27 अगस्त 2024; 25 सितंबर 2024; 25 अक्तूबर 2024; 29 नवंबर 2024 और 21 फरवरी 2025 को आयोजित की गईं.



अं. वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी)

i. विचारार्थ विषय

भारत सरकार के निर्देशों/ बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए), दबावग्रस्त खातों, बट्टे खाते डाले गए मामलों, सरकारी परिसमापक (ओएल) मामलों, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) मामलों आदि से वसूली की समीक्षा करने के लिए और वसूली की प्रगति पर निगरानी रखने तथा अन्य संबंधित प्रयोजनों के लिए वसुली समीक्षा समिति (आरआरसी) का गठन किया गया है.

आरआरसी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- पहली बार हुए एनपीए (एफ़टीएनपीए) और एनपीए की समीक्षा करना;
- शीर्ष 100 एनपीए एवं तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गये (टीडबल्यूओ) खातों की समीक्षा करना;
- वाद दायर किए गए मामलों की समीक्षा करना:
- सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा करना.
- दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी),2016 के तहत संदर्भित मामलों की समीक्षा करना;
- सरकारी परिसमापक (ओएल) के पास पड़ी राशि की समीक्षा करना:
- विशेष उल्लेख वाले खातों (एसएमए) की समीक्षा करना;
- निपटान के माध्यम से वसूली की समीक्षा करना;
- दबावग्रस्त ऋण एक्सपोजर के अंतरण के अवलोकन की समीक्षा करना:
- बैंक द्वारा आयोजित बाहरी एजेंसियों की वार्षिक कार्यीनष्पादन की समीक्षा करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. आरआरसी की संरचना

31 मार्च 2025 को आरआरसी में छह सदस्य शामिल थे, जिसमें से दो स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और सदस्यों के रूप में श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी; श्री सुमित फक्का, डीएमडी; श्री राज कुमार, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी. वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक.

iii. आरआरसी बैठकों के लिए कोरम

आरआरसी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा आरआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

iv. आरआरसी बैठकों की बारंबारता

आरआरसी की बैठक वर्ष में कम से कम चार बैंठकों के साथ आवश्यकतानुसार हो.

v. आरआरसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) के दौरान आरआरसी की चार बैठकें 28 जून 2024; 25 सितंबर 2024; 31 दिसंबर 2024 और 26 मार्च 2025 को आयोजित की गईं.

अः इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति-1 (डब्ल्यूडीआरसी-1)

i. विचारार्थ विषय

इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति-1 (डब्ल्यूडीआरसी-1) [पूर्व में इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति] की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- इरादतन चूककर्ता पहचान सिमिति-1 (डब्ल्यूडीआईसी-1) द्वारा प्रस्तावित मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई करना;
- डब्ल्यूडीआईसी-I और/या व्यक्तिगत सुनवाई के प्रस्ताव के आधार पर व्यक्तियों/संस्थाओं की इरादतन चूक या अन्यथा की घोषणा पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना;
- डब्ल्यूडीआईसी-I द्वारा अनुशंसित मामलों में पहले से ही इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित नामों को वापस लेने पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित देना;
- किसी भी व्यक्ति/संस्था को इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित करने से पहले डब्ल्यूडीआरसी-I से इरादतन चूककर्ता कार्यवाही को बंद करने के प्रस्ताव की जांच करना और उसे अनुमोदित करना, जिसे पहले डब्ल्यूडीआईसी-I द्वारा संदर्भित किया गया था;
- इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति -II (डबल्यूडीआरसी II) की कार्यवाही को सूचनार्थ रिपोर्ट करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. डब्ल्यूडीआरसी-1 की संरचना

डब्ल्यूडीआरसी-1 का गठन एमडी एवं सीईओ तथा दो स्वतंत्र निदेशकों को शामिल कर किया गया था. 31 मार्च 2025 को इस समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और सदस्यों के रूप में श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी. वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

iii. डब्ल्युडीआरसी-1 की बैठकों के लिए कोरम

डब्ल्यूडीआरसी-1 बैठकों के लिए सभी सदस्यों की उपस्थिति कोरम को पूरा करेगी.

iv. डब्ल्यूडीआरसी-1 बैठकों की बारंबारता

बैंक की डबल्यूडीआईसी-1 द्वारा जब भी किसी उधारकर्ता को '*इरादतन चूककर्ता'* के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया जाता है तो डब्ल्यूडीआरसी-1 के लिए बैठक आयोजित करना और समीक्षा करना आवश्यक होता है.

v. डब्ल्यूडीआरसी-1 की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) के दौरान डब्ल्यूडीआरसी-1 की दो बैठकें 27 जून 2024 और 25 सितंबर 2024 को आयोजित की गईं.

अअ. असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति (एनसीबीआरसी)

इरादतन चूककर्ता और बड़े चूककर्ता के उपचार' के बारे में 30 जुलाई 2024 के रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देशों के अनुसार, असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा सिमित को 28 अक्टूबर 2024 से भंग कर दिया गया.

i. एनसीबीआरसी की संरचना

एनसीबीआरसी का गठन एमडी एवं सीईओ तथा दो स्वतंत्र निदेशकों को शामिल कर किया गया था. एनसीबीआरसी में अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और सदस्यों के रूप में श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक और श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

ii. एनसीबीआरसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2024 से 28 अक्तूबर 2024) के दौरान एनसीबीआरसी की एक बैठक 2 अगस्त 2024 को आयोजित की गई.

वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक की समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण तालिका 2 में दिया गया है.



स्वतंत्र निदेशकों की बैठक (आईडीएम)

i. विचारार्थ विषय

स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, एलओडीआर विनियम के विनियम 25 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों के लिए सचिवीय मानक-1 का अनुपालन करेंगे.

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक की व्यापक भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार है:

- गैर-स्वतंत्र निदेशकों और समग्र रूप से बोर्ड के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करना:
- कार्यपालक निदेशकों तथा गैर-कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए बैंक के अध्यक्ष के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करना;
- बैंक के प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का मूल्यांकन करना जो बोर्ड के कर्तव्यों के प्रभावी और तर्कसंगत कार्य-निष्पादन के लिए आवश्यक हैं: और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. आईडीएम की संरचना

31 मार्च 2025 को बैंक के बोर्ड में आठ स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, श्री समरेश परिदा, श्री एन. जंबुनाथन, श्री दीपक सिंघल, श्री संजय जी. कल्लापुर, श्रीमती पी. वी. भारती, श्री टी. एन. मनोहरन और श्री अजय प्रकाश साहनी. स्वतंत्र निदेशक प्रत्येक बैठक में अपने में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं.

iii. आईडीएम के लिए कोरम

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसार सभी स्वतंत्र निदेशक, स्वतंत्र निदेशकों की बैठकों में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे.

iv. आईडीएम की बैठकों की बारंबारता

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जानी चाहिए.

v. स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की चार बैठकें 28 जून 2024; 27 सितंबर 2024; 31 दिसंबर 2024: और 26 मार्च 2025 को आयोजित की गईं.

तालिका 2: वित्तीय वर्ष 2024-25 में समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थित

क्र . सं.	निदेशकों के नाम	एसं	ोबी	ई	सी	एस3	गरसी	एससीर्ब	ोएमएफ़	आरा	एमसी		पआर एसजी	सीए	ससी	आईटी।	रससीबी	एनअ	गरसी	एचआ	रएससी	आरउ	भारसी	डबल्यूड	डीआरसी-1	एनसी	बीआरसी
		आ	उ	आ	3	आ	3	आ	उ	आ	उ	आ	3	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	3	आ	उ	आ	उ
1.	श्री टी. एन. मनोहरन (डीआईएन:01186248)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0
2.	श्री राकेश शर्मा (डीआईएन :06846594)	0	0	23	23	0	0	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	6	6	4	4	2	2	1	1
3.	श्री जयकुमार एस. पिल्लै (डीआईएन :10041362)	0	0	23	23	4	4	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	6	6	4	4	0	0	0	0
4.	श्री सुमित फक्का (डीआईएन :08259618) (15-07-24 से)	0	0	17	16	3	2	9	9	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	5	5	3	3	0	0	0	0
5.	श्री मुकेश कुमार गुप्ता (डीआईएन :06638754) (09-02-25 तक)	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0
6.	श्री राज कुमार (डीआईएन :06627311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0

क्र . सं.	निदेशकों के नाम	υŧ	ोबी	ई	सी	एस३	भारसी	एससीर्ब	ोएमएफ़	आर	एमसी		पआर एसजी	सीए	ससी	आईटी।	र्ससीबी	एनअ	गरसी	एचआ	रएससी	आर३	भारसी	डबल्यूड	डीआरसी-I	एनसी	बीआरसी
		आ	उ	आ	3	आ	3	आ	उ	आ	3	आ	3	आ	उ	आ	उ	आ	3	आ	उ	आ	3	आ	उ	आ	उ
7.	श्री मनोज सहाय (डीआईएन :08711612)	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	श्री सुशील कुमार सिंह (डीआईएन :09584577)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	6	2	0	0	0	0	0	0
9.	श्री भुवनचंद्र बी. जोशी (डीआईएन :06713850)	0	0	23	23	0	0	12	12	0	0	0	0	4	4	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	श्री समरेश परिदा (डीआईएन :01853823)	12	12	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	2	0	0
11.	श्री एन. जंबुनाथन (डीआईएन :05126421)	0	0	23	23	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	श्री दीपक सिंघल (डीआईएन :08375146)	0	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	0	0	0	0	1	1
13.	श्री संजय जी. कल्लापुर (डीआईएन :08377808)	12	12	0	0	4	4	12	12	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
14.	श्रीमती पी.वी. भारती (डीआईएन :06519925)	12	12	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	0	0	0	0	6	6	0	0	4	4	2	2	0	0
15.	श्री अजय प्रकाश साहनी (डीआईएन : 03359323)	12	12	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(आ - आयोजित/ उ - उपस्थित)

31 मार्च 2025 को निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता के निर्घारण की मैट्रिक्स और ऐसे कौशल रखने वाले निदेशकों के नाम नीचे तालिका में दिए गए हैं:

	लेखा शास्त्र	कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था	बैंकिंग	सहयोग	अर्थ शास्त्र	वित्त	বিঘি	लघु उद्योग	मानव संसाधन	जोखिम	सूचना प्रौद्यो गिकी	भुगतान और निपटान	व्यापार प्रबंधन	प्रशासन	कॉरपोरेट अभिशासन
श्री टी. एन. मनोहरन	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
श्री राकेश शर्मा	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓
श्री जयकुमार एस. पिल्लै	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓
श्री सुमित फक्का	✓	✓	✓			✓		✓					✓	✓	✓
श्री राज कुमार									✓				✓	✓	✓
श्री सत पाल भानू									✓				✓	✓	✓
श्री मनोज सहाय	✓					✓								✓	✓
श्री सुशील कुमार सिंह	✓					✓			✓					✓	✓
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी		✓	✓					✓						✓	✓
श्री समरेश परिदा	✓	✓				✓					✓		✓	✓	✓
श्री एन. जंबुनाथन		✓	✓					✓			✓	✓		✓	✓
श्री दीपक सिंघल		✓	✓						✓				✓	✓	✓
श्री संजय जी. कल्लापुर	✓				✓	✓				✓				✓	✓
श्रीमती पी. वी. भारती		✓	✓		✓			✓		✓				✓	✓
श्री अजय प्रकाश साहनी									✓		✓	✓		✓	✓



वार्षिक विवरणी

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(ए) और धारा 92(3) के अनुसरण में बैंक की वार्षिक विवरणी इसकी वेबसाइट पर रखी जाती है.

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा का विवरण

बैंक के स्वतंत्र निदेशक श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी, श्री समरेश परिदा, श्री एन.जंबुनाथन, श्री दीपक सिंघल, श्री संजय जी. कल्लापुर, श्रीमती पी. वी. भारती, श्री टी. एन. मनोहरन और श्री अजय प्रकाश साहनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसार 1 अप्रैल 2025 को यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और एलओडीआर विनियमों के विनियम 16 (1) (बी) एवं 17(10) तथा बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 10ए और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों में उल्लिखित स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और वे किसी भी ऐसी परिस्थिति या स्थिति से अवगत नहीं हैं जो मौजूद है या यथोचित रूप से प्रत्याशित है, जो वस्तुनिष्ठ स्वतंत्र निर्णय के साथ और किसी भी बाहरी प्रभाव के बिना उनके कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता को हासित करती हैं या प्रभावित कर सकती हैं. वार्षिक प्रकटीकरण के साथ निदेशकों ने यह भी पुष्टि की कि स्वतंत्र निदेशकों के डाटाबैंक में पंजीकरण एवं नवीकरण और ऑनलाइन प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण/ छूट दिये जाने के संबंध में उन्होंने कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) के पांचवें संशोधन नियम, 2019 के नियम 6 के उप नियम 1 और 2 के प्रावधानों का अनुपालन किया है. उक्त को निदेशक मंडल द्वारा 28 अप्रैल 2025 को नोट किया गया और इसकी सत्यता का सही आकलन करने के बाद इस पर बोर्ड की राय थी कि स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं. इसके अलावा, बोर्ड की राय में स्वतंत्र निदेशक सभी प्रयोज्य विधियों तथा बैंक की नीतियों के अधीन अपेक्षित आवश्यक निष्ठा, अनुभव, विशेषज्ञता और प्रवीणता रखते हैं.

निदेशकों की नियुक्ति , मूल्यांकन एवं उत्तराधिकार नीति और क्षतिपूर्ति नीति

बैंक की निदेशकों की नियुक्ति , मूल्यांकन और उत्तराधिकार नीति साथ ही क्षतिपूर्ति नीति इसकी वेबसाइट (www.idbibank.in) पर https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx लिंक पर उपलब्ध है.

कंपनी की लाभांश वितरण नीति

लाभांश वितरण के बारे में बैंक की नीति इसकी वेबसाइट (www.idbibank.in) पर https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx लिंक पर उपलब्ध है.

सचिवीय मानकों का अनुपालन

बैंक ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित सचिवीय मानकों यथा एसएस-1 (बोर्ड की बैठकों के बारे में सचिवीय मानक) और एसएस-2 (महासभाओं के बारे में सचिवीय मानक) को अपनाया है. बैंक ने अपनी बोर्ड, समिति और महासभाओं का आयोजन इन मानकों के अनुसार आयोजित तथा इनका अनुपालन करते हुए किया है.

आंतरिक लेखापरीक्षक

बैंक का अपना एक आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग है जो आंतरिक लेखा-परीक्षा का कार्य करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के अनुसार श्री बद्री श्रीनिवास राव, कार्यपालक निदेशक, आईडीबीआई बैंक को आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख के रूप में नामित किया गया है. जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) के बारे में रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने एक सुदृढ आंतरिक लेखा परीक्षा नीति भी अपनाई है.

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के अंतर्गत शुरू की गई कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के बारे में प्रकटीकरण

बैंकिंग कंपनियों पर ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं.

लेखापरीक्षकों अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में किए गए प्रत्येक विशिष्टता, रिजर्वेशन अथवा प्रतिकूल अभ्युक्ति अथवा डिसक्लेमर पर बोर्ड की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एफ) के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में से किसी में भी कोई ऐसी विशिष्टता, दुराव (रिजर्वेशन) अथवा प्रतिकूल अभ्युक्ति अथवा डिसक्लेमर नहीं है जिस पर बोर्ड की टिप्पणियों की आवश्यकता हो. इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अनुसार, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट की जाने वाली घटनाओं के अलावा, धोखाधडी की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों का विवरण

उप-धारा (1) को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधान, सामान्य कारोबार के दौरान बैंकिंग कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऋण, दी गई गारंटी अथवा प्रदान की गई प्रतिभूति पर लागू नहीं होते हैं. बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के लागू प्रावधानों के अनुसार, बैंक द्वारा किए गए निवेश का ब्योरा वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 में प्रकट किया जाता है.

निर्धारित फॉर्म में संबद्ध पक्षकारों के साथ संविदाओं अथवा करारों का विवरण

कंपनी (लेखा) विनियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अनुसार संबद्ध पक्षकारों के साथ संविदा अथवा करार, यदि कोई हो, का विवरण निर्धारित फॉर्म एओसी-2 में दिया गया है जो रिपोर्ट के **अनुबंध-अ** के रूप में संलग्न किया गया है.

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर रिपोर्ट

बैंक की सीएसआर नीति की रूपरेखा इसकी वेबसाइट (www.idbibank.in)) पर https://www.idbibank.in/corporate-social-responsibility. aspx लिंक पर उपलब्ध है. बैंक द्वारा किए गए सीएसआर कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट **अनुबंध-आ** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है.

जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक एक विस्तृत एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली का पालन करता है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अद्यतन किया जाता है. बोर्ड की एक समर्पित जोखिम प्रबंधन सिमित बैंक के जोखिम मामले एवं जोखिम-संबद्ध पहलुओं की नियमित रूप से व्यापक समीक्षा करती है. बैंक का निदेशक मंडल भी आवधिक रूप से जोखिम मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा अनुसरण की जा रही न्यूनीकरण प्रक्रियाओं के साथ-साथ बैंक की पृंजी अपेक्षाओं की समीक्षा करता है.

बोर्ड, इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके की सूचना का विवरण

कंपनी (लेखा) विनियमावली, 2014 के नियम 8(4) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (पी) के अनुसार उपर्युक्त विषय पर ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

- (i) स्वतंत्र निदेशकों ने 26 मार्च 2025 को संपन्न अपनी बैठक में सभी गैर-स्वतंत्र निदेशकों, बोर्ड के अध्यक्ष साथ ही संपूर्ण बोर्ड के कार्य-निष्पादन का मृत्यांकन किया.
- (ii) बोर्ड ने 26 मार्च 2025 को संपन्न अपनी बैठक में बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों सिहत सभी निदेशकों के कार्य निष्पादन, स्वयं के कार्य-निष्पादन तथा साथ ही बोर्ड की सिमितियों के कार्यनिष्पादन का भी मूल्यांकन किया. सभी वैयिक्तक निदेशकों का मूल्यांकन संपूर्ण बोर्ड द्वारा किया गया, जिसमें कॉरपोरेट अभिशासन मानदंडों के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशकों के मूल्यांकन के संबंध में (क) बैठकों में उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा और (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 और एलओडीआर विनियम में विनिर्दिष्ट स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करना तथा उनकी प्रबंधन से स्वतंत्रता के आधार पर मूल्यांकन भी शामिल है. बोर्ड द्वारा मृल्यांकन किए जा रहे ऐसे संबंधित निदेशक ने अपने मृल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान बैठक में भाग नहीं लिया.

स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड द्वारा वार्षिक मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ वैयक्तिक निदेशकों, बोर्ड की सिमितियों और बोर्ड के संबंध में खाली मूल्यांकन शीटें ईमेल के माध्यम से वैयक्तिक निदेशकों को अग्रिम रूप में प्रेषित की गईं तािक वे पहले से ही अपना अभिमत बना सकें और संबंधित बैठकों में मूल्यांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में सहायता मिल सके. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक के अध्यक्ष और बोर्ड के अध्यक्ष (बोर्ड द्वारा प्राधिकृत) ने मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के पश्चात् क्रमश: स्वतंत्र निदेशकगण और बोर्ड की ओर से मूल्यांकन शीटों पर हस्ताक्षर किए. एमडी और सीईओ को बोर्ड के अध्यक्ष के मूल्यांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया था.



कारोबार के स्वरूप में परिवर्तन, यदि कोई हो

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने बैंकिंग के कारोबार को जारी रखा और इसके कारोबार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ.

निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन

निदेशक का नाम	पदनाम	परिवर्तन का स्वरूप	दिनांक
श्री सुमित फक्का	उप प्रबंध निदेशक	नियुक्ति	15-07-2024
श्री मुकेश कुमार गुप्ता	एलआईसी नामिती निदेशक	सेवा समाप्ति	09-02-2025
श्री सत पाल भानू	एलआईसी नामिती निदेशक	नियुक्ति	10-02-2025
श्री राकेश शर्मा	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	पुनःनियुक्ति	19-03-2025
श्री टी. एन. मनोहरन	अंश-कालिक अध्यक्ष	पुनःनियुक्ति	09-05-2025
श्री राज कुमार	एलआईसी नामिती निदेशक	सेवा समाप्ति	18-05-2025
श्री आर. दोरइस्वामी	एलआईसी नामिती निदेशक		19-05-2025

वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों का विवरण

वरिष्ठ प्रबंधन में मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक से एक स्तर नीचे के कार्मिक शामिल होंगे और इसमें विशेष रूप से कार्यात्मक प्रमुख और कंपनी सचिव एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी शामिल होंगे. 31 मार्च 2025 को बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक निम्नानुसार हैं:

		=
1	श्री नागराज गारला	कार्यपालक निदेशक - प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र समूह (पीएसजी) (कृषि एवं एमएसई), वित्तीय समावेशन, ऋण प्रसंस्करण केंद्र
2	श्रीमती बलजिंदर कौर मंडल	कार्यपालक निदेशक - केंद्रीकृत परिचालन, नकदी प्रबंधन सेवाएं (सीएमएस) एवं सरकारी कारोबार समूह (जीबीजी) परिचालन. करेंसी चेस्ट, शाखा परिचालन सहायता एवं नीति विभाग (बीओएसपीडी)
3	श्री शलील मुकुंद आवले	कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी
4	श्री सुनित सरकार	कार्यपालक निदेशक - ऋण निगरानी समूह [(सीएमजी (खुदरा पीएसजी एवं कॉरपोरेट)], खुदरा वसूली एवं संग्रहण
5	श्री मुरली सौरीराजन	कार्यपालक निदेशक - विधि
6	श्री ईश्वर पधान	कार्यपालक निदेशक एवं प्रमुख - ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस
7	श्री त्रिलोक शर्मा	कार्यपालक निदेशक - खुदरा देयताएं, अन्य पक्ष वितरण (टीपीडी), क्रेडिट कार्ड एवं शाखा बैंकिंग
8	डॉ. कुमार नील लोहित	कार्यपालक निदेशक - खुदरा आस्तियां

9	श्री बद्री श्रीनिवास राव	कार्यपालक निदेशक - लेखा-परीक्षा एवं आंतरिक लेखा परीक्षक
10	श्री अनिरुद्ध बेहरा	कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी
11	श्री उगेन टाशी	कार्यपालक निदेशक - मानव संसाधन (एचआर), ज्ञानार्जन एवं कर्मचारी सहभागिता विभाग (एल एवं ईडी)
12	श्री अजय रमेश लांडे	कार्यपालक निदेशक एवं प्रमुख - सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं डिजिटल बैंकिंग विभाग (डीबीडी)
13	श्रीमती स्मिता हरीश कुबेर	कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
14	श्री संजय पनिकर	कार्यपालक निदेशक - बृहद कॉरपोरेट समूह (एलसीजी), अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई (आईबीयू) - गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) एवं सहायक सेवाएँ - कॉरपोरेट बैंकिंग, [अतिरिक्त प्रभार : कॉरपोरेट रणनीति एवं आयोजना विभाग (सीएसपीडी), बजट एवं योजना, प्रशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन विभाग (आईएमडी)]
15	श्री जोसफ कुमार ए	कार्यपालक निदेशक - एनपीए प्रबंधन समूह
16	श्रीमती ज्योति बिजू नायर	कंपनी सचिव

वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों में परिवर्तन

नाम	पदनाम	परिवर्तन का स्वरूप	दिनांक
श्री संजय पनिकर	कार्यपालक निदेशक - सीएसपीडी, बजट एवं योजना, प्रशासन एवं आईएमडी	नियुक्ति	06-05-2024
श्री अरुण कुमार बंसल	कार्यपालक निदेशक एवं प्रमुख - ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस	इस्तीफा	25-06-2024
श्री जोसफ कुमार ए	कार्यपालक निदेशक - मिड कॉरपोरेट समूह (एमसीजी), व्यापार वित्त, सीएमएस एवं जीबीजी (बिक्री)	नियुक्ति	01-07-2024
श्री शैलेंद्र गोविंद नाडकर्णी	कार्यपालक निदेशक - बृहद कॉरपोरेट समूह (एलसीजी), अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई (आईबीयू) - गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) एवं सहायक सेवाएँ - कॉरपोरेट बैंकिंग	सेवा समाप्ति	31-12-2024
श्री बीजू जॉर्ज	—————————————————————————————————————	नियुक्ति	01-04-2025
श्री एस. शन्मुगसुंदरम	कार्यपालक निदेशक - सीएसपीडी, बजट एवं योजना, प्रशासन एवं एफआईएमडी	नियुक्ति	01-04-2025
श्री दिनेश सिंह रावत	कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति	01-04-2025



निदेशकों को पारिश्रमिक

आईडीबीआई बैंक के 21 जनवरी 2019 से निजी क्षेत्र का बैंक बन जाने से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के अनुसार एमडी एवं सीईओ तथा डीएमडी के पारिश्रमिक एवं परिलब्धियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित की जाती हैं. एमडी एवं सीईओ और डीएमडी के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों के बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध/ लेनदेन नहीं रहे हैं.

वित्तीय वर्ष 2024-25 में एमडी एवं सीईओ तथा डीएमडी के पारिश्रमिक के घटक (वार्षिक)				
विवरण	श्री राकेश शर्मा (एमडी एवं सीईओ)	श्री जयकुमार एस. पिल्लै (डीएमडी)	श्री सुमित फक्का^ (डीएमडी)	
			[राशि स्पए में]	
वेतन	1,53,60,000	84,48,000	79,42,800	
भविष्य निधि	15,36,000	8,44,800	7,94,280	
ग्रेच्युटी	6,40,000	3,52,000	3,30,950	
छुट्टी किराया रियायत/ भत्ता	5,00,000	3,50,000	3,50,000	
मनोरंजन व्यय	3,63,530	2,58,840	2,58,670	
परिलब्धियां *	25,84,572	12,85,172	12,85,172	

[^] श्री सुमित फक्का को 15-07-2024 से आईडीबीआई बैंक लि. के डीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया और आनुपातिक भुगताना किया गया.

कार्यकाल

श्री राकेश शर्मा - श्री राकेश शर्मा को 19 मार्च 2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 19 मार्च 2022 से तीन वर्ष की अवधि के लिए एमडी और सीईओ के रूप में पनः नियुक्त किया गया था. श्री राकेश शर्मा को रिजर्व बैंक के दिनांक 22 जनवरी 2025 के अनुमोदन के अनुसार 19 मार्च 2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पनः नियुक्त किया गया. 08 मई 2025 को पोस्टल बैलेट द्वारा शेयरधारक से अनुमोदन प्राप्त किया गया था.

श्री जयकुमार एस. पिल्लै - श्री जयकुमार एस. पिल्लै को बोर्ड द्वारा 19 मई 2023 के रिजर्व बैंक के पत्र के अनुसार 22 मई 2023 को पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए डीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया था. श्री जयकुमार एस. पिल्लै ने 12 जून 2023 को कार्यभार ग्रहण किया. 13 जुलाई 2023 को संपन्न 19 वीं वार्षिक महासभा में शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त किया

श्री सुमित फक्का - श्री सुमित फक्का को बोर्ड द्वारा 31 मई 2024 के रिजर्व बैंक के पत्र के अनुसार 01 जुन 2024 को पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए डीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया था. श्री फक्का ने 15 जुलाई 2024 को कार्यभार ग्रहण किया. 23 जुलाई 2024 को संपन्न 20 वीं वार्षिक महासभा में शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त किया गया था.

गैर-कार्यपालक निदेशकों को भूगतान करने के लिए मानदंड:

सरकार के नामिती निदेशकों को छोडकर सभी गैर-कार्यपालक निदेशकों को केवल बैठक शुल्क का भगतान किया जाता है. बोर्ड की बैठकों के लिए प्रति बैठक ₹ 1,00,000/- और बोर्ड की सभी समितियों की बैठकों के लिए ₹ 60,000/- प्रति बैठक की दर से बैठक शुल्क था. एमडी एवं सीईओ तथा डीएमडी को पारिश्रमिक और गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा बैंक द्वारा निदेशकों को उनकी यात्रा, ठहरने तथा परिवहन पर हुए खर्च को छोडकर अन्य कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया.

^{*} परिलब्धियों में मुफ्त आवास और अन्य परिलब्धियों का प्रावधान शामिल है.

⁻ वित्तीय वर्ष 2024-25 के डबल्यूटीडी के लिए परिवर्ती वेतन (नकद और ईएसओपी के बदले नकद) उक्त अवधि में उनके कार्य- निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर दिया जाएगा.

⁻ वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोई ईएसओपी नहीं दिया गया.

वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वतंत्र निदेशकों सहित गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क की कुल राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

गैर-कार्यपालक निदेशक का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदत्त बैठक शुल्क (₹)
श्री टी. एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक एवं अंशकालिक अध्यक्ष	25,00,000
श्री मुकेश कुमार गुप्ता, एलआईसी नामिती निदेशक (09-02-2025 तक)	23,00,000
श्री राज कुमार, एलआईसी नामिती निदेशक	20,20,000
श्री सत पाल भानू (10-02-2025 से) [बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान एलआईसी को तब तक दिया	2,00,000
जाएगा जब तक वे एलआईसी की सेवा में हैं]	
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक	42,40,000
श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक	31,00,000
श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक	36,60,000
श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक	37,00,000
श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक	35,20,000
श्रीमती पी. वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक	34,60,000
श्री अजय प्रकाश साहनी , स्वतंत्र निदेशक	34,60,000

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के अंतर्गत प्रकटन

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और बोर्ड द्वारा अनुशंसा के बाद बैंककारी विनियमन अधिनयम, 1949 की धारा 35बी के अंतर्गत एमडी एवं सीईओ तथा डीएमडी की नियुक्ति और पारिश्रमिक को रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाता है. बोर्ड के अन्य निदेशकों को गैर कार्यपालक निदेशकों को भुगतान मानदंड वाले अनुच्छेद में वर्णित बैठकों में उपस्थिति के लिए बैठक शुल्क के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं मिलता है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) अर्थात् मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव सिहत बैंक के अन्य कर्मचारियों को बैंक के समान ग्रेड के अधिकारियों के लिए लागू पारिश्रमिक मिलता है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों सिहत कर्मचारियों के वेतनमान में आवधिक संशोधन बैंक के कार्यनिष्पादन सिहत कई कारकों पर निर्भर करता है.

रिजर्व बैंक के 4 नवंबर 2019 के परिपत्र के अनुसार, परिवर्ती वेतन बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी), महत्वपूर्ण जोखिम उठाने वालों और नियंत्रणकर्ता स्टाफ पर लागू होगा. डब्ल्यूटीडी को देय पारिश्रमिक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एमडी एवं सीईओ और डीएमडी हेतु पारिश्रमिक के घटक वाले पैराग्राफ में उल्लिखित है. क्षितपूर्ति के सभी पहलुओं को कवर करने वाली एक क्षितपूर्ति नीति अर्थात नियत वेतन एवं परिलिब्धयां, परिवर्ती वेतन (नकद और शेयरों से जुड़े), अधिवर्षिता/ सेवानिवृत्ति लाभ (भविष्य निधि, पेंशन/ राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) और ग्रेच्युटी) आदि को बैंक के महत्वपूर्ण जोखिम उठाने वालों, नियंत्रणकर्ता स्टाफ और अन्य कर्मचारियों के लिए रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों में परिवर्ती वेतन को आस्थिगित करने का अधिदेश है, जिसे बैंक की क्षितिपूर्ति नीति में शामिल किया गया है. सभी पात्र कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए परिवर्ती वेतन का भुगतान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कार्यीनष्यादन मूल्यांकन के पूरा होने के बाद क्षितपूर्ति नीति के अनुसार किया गया था.

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) की शर्तों के अनुसार विवरण नीचे दिया गया है:

बैंक के रोल पर नियमित कर्मचारियों की संख्या:

कंपनी के कर्मचारियों के माध्यिका पारिश्रमिक की तुलना में प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का अनुपात;

19,731 (इनमें से 2,176 कर्मचारी संविदा के आधार पर थे)

कार्यपालक निदेशक का नाम	सभी कर्मचारियों की माध्यका से पारिश्रमिक का अनुपात
श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ	17.74
श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी	7.10
श्री सुमित फक्का, डीएमडी*	4.22
* 15 जुलाई 2024 से डीएमडी के रूप में नि	युक्त किया गया.



वित्तीय वर्ष में प्रत्येक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कंपनी सचिव या प्रबंधक के पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि, यदि कोई हो:

पदनाम	प्रतिशत वृद्धि
एमडी एवं सीईओ	46.18
डीएमडी *	-18.11
सीएफओ	20.17
सीएस	31.13

^{*} श्री समित फक्का को 15 जुलाई 2024 से डीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया था और पिछले वर्ष में दो डीएमडी की बजाय तीन डीएमडी के वेतन की गणना की गई.

वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के माध्यिका पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि;

पिछले वित्तीय वर्ष में प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारियों के वेतन में पहले से हुई औसत प्रतिशतक वृद्धि तथा प्रबंधकीय पारिश्रमिक में प्रतिशतक वृद्धि के साथ इसकी तुलना एवं इसका औचित्य तथा प्रबंधकीय पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए असाधारण परिस्थितियां यदि कोई हों का उल्लेख

अभिपृष्टि कि पारिश्रमिक बैंक की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक के गैर-प्रबंधकीय कार्मिकों के औसत पारिश्रमिक में 13.49% की वृद्धि हुई और बैंक के प्रबंधकीय कार्मिकों के औसत पारिश्रमिक में 13.98% की वृद्धि हुई.

हाँ

महासभा की बैठकें

बैंक की पिछली तीन वार्षिक महासभाओं (एजीएम) का आयोजन निम्नानुसार हुआ है:

आईडीबीआई बैंक लि. की वार्षिक महासभाओं का विवरण

पिछली	तीन	वार्षिक	महासभाओं	के
आयोज	न का र	स्थान अं	ौर समय	

- 22 जुलाई 2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विज्अल 1) साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की गई (बैंक की 18वीं वार्षिक महासभा).
- 13 जुलाई 2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे केवल वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों 2) (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की गई (बैंक की 19 वीं वार्षिक महासभा).
- 23 जुलाई 2024 को पूर्वाहन 11:00 बजे केवल वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विज्अल साधनों 3) (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की गई (बैंक की 20वीं वार्षिक महासभा).

क्या पिछली तीन वार्षिक महासभाओं में विशेष संकल्प पारित किए गए थे.

18वीं वार्षिक महासभा में

बैंक की 22 जुलाई 2022 को संपन्न 18वीं वार्षिक महासभा में बैंक को ₹ 5000 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक पूंजी जुटाने और इस संबंध में विशिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 62(1)(सी) और अन्य लाग प्रावधानों के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विशेष संकल्प पारित किया गया था.

19वीं वार्षिक महासभा में

13 जुलाई 2023 को सम्पन्न बैंक की 19 वीं वार्षिक महासभा में आईडीबीआई बैंक के अंतर्नियमों में परिवर्तन के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विशेष संकल्प पारित किया गया था.

20वीं वार्षिक महासभा में

बैंक की 23 जुलाई 2024 को संपन्न 20वीं वार्षिक महासभा में श्रीमती पी.वी. भारती को 14 जनवरी 2025 से चार वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनःनियुक्त करने के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विशेष संकल्प पारित किया गया था.

क्या गत वर्ष डाक मतपत्र के जरिए कोई विशेष संकल्प पारित किया गया था - मतदान पैटर्न का ब्योरा दें व्यक्ति, जिसने डाक मतदान का कार्य	
संचालित किया	
क्या कोई विशेष संकल्प डाक मतदान के माध्यम से पारित करने का प्रस्ताव है.	डाक मतदान के माध्यम से कोई विशेष संकल्प का पारित करने का प्रस्ताव नहीं है.
डाक मतदान की प्रक्रिया	लागू नहीं

सूचना के साधन

बैंक के कामकाज पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन अपेक्षित बोर्ड की रिपोर्ट और वार्षिक लेखे शामिल हैं, उपलब्ध कराने के अलावा बैंक अपने शेयरधारकों की जानकारी के लिए नियमित रूप से तिमाही परिणाम प्रकाशित करता है. इन्हें राष्ट्रव्यापी प्रसार वाले एक अंग्रेजी समाचार पत्र अर्थात् फाइनेंशियल एक्सप्रेस में और मराठी भाषा के समाचार पत्र अर्थात् लोकसत्ता में प्रकाशित किया जाता है और ये विज्ञापन शेयर बाजार को सूचित किए जाते हैं. उपर्युक्त जानकारी अधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के साथ बैंक की वेबसाइट (https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures. aspx) पर भी उपलब्ध कराई जाती है.

आम शेयरधारकों के लिए सूचना

		आम शेयरधारकों के लिए सूचना			
i.	एजीएम की तारीख, समय और स्थान	मंगलवार, 22 जुलाई 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से			
ii.	वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025			
iii.	एलओडीआर विनियम के विनियम 44 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार ई-वोटिंग अवधि.	ई-वोटिंग अवधि गुरुवार, 17 जुलाई 2025 को पूर्वाहन 9.00 बजे (भारतीय मानक समय के अनुसार) से प्रारंभ होगी और सोमवार, 21 जुलाई 2025 को सायं 5.00 बजे (भारतीय मानक समय के अनुसार) समाप्त होगी.			
iv.	रिकॉर्ड तारीख	मंगलवार, 15 जुलाई 2025			
v.	लाभांश भुगतान की तारीख	21वीं वार्षिक महासभा में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के पश्चात 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा.			
vi.	लेखा बहियों के बंद रहने की तारीख	16 जुलाई 2025 से 22 जुलाई 2025 तक (दोनों दिनों सिहत)			
vii.	स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता और वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क के भुगतान की पुष्टि	 बीएसई लि. (बीएसई) पताः 25वीं मंजिल, फिरोज जीजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) पताः एक्सचेंज प्लाजा, 5वी मंजील, प्लाट नं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051. घरेलू बाजार में जारी किए गए बांडों में निजी तौर पर नियोजित बांड शामिल हैं और ये बीएसई/एनएसई पर सूचीबद्ध हैं. लागू सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान कर दिया गया है. 			



viii.	रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट	केफिन टेक्नोलॉजिस लि. यूनिट : आईडीबीआई इक्विटी, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-3 फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकराम	,		
		सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारे र	रेंड्डी		
ix.	शेयर अंतरण प्रणाली	तेलंगाना - 500 032 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 40(1) अनुसार, भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों का अंतरण 1 अप्रैल 2019 से बंद कर दिया गया तदनुसार, बैंक के शेयर जो डीमैट (अमूर्त) रूप में रखे गए हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम के माध्यम स्वतंत्र रूप से अंतरणीय हैं. 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा प्राप्त सस्पेन्स एस्क्रो डीमैट खाते शेयरों का दावा करने / डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने / डिलीशन / ट्रांसमिशन / ट्रांसपोजिश दावा अनुरोधों को शेयर अंतरण सिमित (जिसमें कार्यपालक निदेशक / मुख्य महाप्रबंधक शामि हैं) नामक एक आंतरिक सिमित द्वारा अनुमोदित कर दिया गया और सेबी के मौजूदा परिचार दिशानिर्देशों के अनुसार संसाधित किया गया.			
x. वित्तीय कैलेंडर		1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तिमाही परिणाम अनुमोदित किए गए:			
				की बैठक	
		30 जून 2024	22 जुलाई 20)24	
		30 सितंबर 2024	25 अक्तूबर	2024	
		31 दिसंबर 2024	20 जनवरी 2	025	
		31 मार्च 2025	28 अप्रैल 20	25	
xi.	शेयरों का अमूर्तीकरण एवं चलनिधि	बैंक के शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज 31 मार्च 2025 को अमूर्त और ध	=-		
			शेयरों की संख्या	निर्गमित कुल पूंजी का %	
		एनएसडीएल में अमूर्त रूप से रखे गए	5656456706	52.61	
		सीडीएसएल में अमूर्त रूप से रखे गए	5090077903	47.34	
		भौतिक	5867566	0.05	
		कुल	10752402175	100.00%	

xii.	ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता	बैंक द्वारा जारी और 31 मार्च 2025 को बैंक की बही में बकाया अप्रतिभूत दीर्घकालिक रुपया बांड/ डिबेंचर बीएसई और एनएसई के ऋण खंड में सूचीबद्ध हैं.
xiii	डिबेंचर न्यासी	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड,
		पताः एसबीआई, चौथी मंजिल, मिस्त्री भवन, 122 दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई- 400 020.
		टेलीफोन नंबर: 022-43025572
		न्यासी के प्रमुख अधिकारी का ईमेल आईडी
		corporate@sbicaptrustee.com
xiv.	बकाया ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें (जीडीआर)/ अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें (एडीआर)/ वारंट अथवा परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख तथा इक्विटी पर संभावित प्रभाव	आईडीबीआई बैंक ने जीडीआर/एडीआर/ वारंट आदि जारी नहीं किए हैं.
XV.	संयंत्र का स्थान	लागू नहीं.
		तथापि, बैंक की शाखाओं के स्थानों के बारे में जानकारी इसकी वेबसाइट
		(<u>www.idbibank.in</u>) पर उपलब्ध है.
xvi.	पत्राचार के लिए पता	आईडीबीआई बैंक लि.
		सीआईएन - L65190MH2004GOI148838
		पता: इक्विटी कक्ष- बोर्ड विभाग, आईडीबीआई बैंक लि., 22वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005
		फोन: 022-66553147/ 3062/ 3336/ 2806
		ई-मेल idbiequity@idbi.co.in
		वेबसाइट: www.idbibank.in
		रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
		केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड (इकाई आईडीबीआई इक्विटी)
		पता : सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना - 500 032
		टोल फ्री नंबर: 1800 309 4001
		वेबसाइट: www.kfintech.com
		ईमेल einward.ris@kfintech.com
xvii.	बैंक द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग की सूची	क्रेडिट रेटिंग का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंधन विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिया गया है.
xviii.	शेयरधारिता का वितरण	नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार



तालिका i : 31 मार्च 2025 को वितरण अनुसूची

क्रं.	श्रेणी		शेयरधारकों की कुल शेयरधारकों	शेयरों की संख्या	कुल इक्विटी	
सं	से	तक	संख्या	का प्रतिशत		शेयरों का प्रतिशत
1	1	5000	726266	98.69	179414828	1.67
2	5001	10000	5094	0.69	38195556	0.36
3	10001	20000	2328	0.32	33362318	0.31
4	20001	30000	751	0.10	18895693	0.18
5	30001	40000	369	0.05	13028793	0.12
6	40001	50000	263	0.04	12273067	0.11
7	50001	100000	467	0.06	33777851	0.31
8	100001 एवं उससे अधिक		374	0.05	10423454069	96.94
	योग		735912	100.00	10752402175	100.00

	۲	1 1	_	
31	मार्च 2025	का शयर	धारिता क	ा स्वरूप

शेयरधारकों की श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
भारतीय जीवन बीमा निगम (प्रबंधन नियंत्रण के साथ प्रवर्तक)	5294102939	49.24
भारत सरकार (बिना प्रबंधन नियंत्रण के साथ सह-प्रवर्तक)	4889871903	45.48
कर्मचारी	648827	0.01
जनता	413761294	3.85
हिन्दू अविभाजित परिवार	17917060	0.16
कॉरपोरेट निकाय	43809414	0.40
संस्थाएं		
अ) बैंक	951178	0.01
आ) विदेशी संस्थागत निवेशक	100	0.00
इ) वित्तीय संस्थाएं /बीमा कंपनियां	13901610	0.13
ई) म्यूचुअल फंड	4665494	0.04
उ) एनबीएफसी	6582	0.00
ক্ত) वैकल्पिक निवेश निधि	514	0.00
सोसायटी	24800	0.00
न्यास	1712315	0.02
निदेशक, केएमपी एवं उनके रिश्तेदार	4400	0.00
अनिवासी भारतीय	13129462	0.12
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	49363518	0.46
आईईपीएफ	8484231	0.08
एनएसडीएल (अंतरणाधीन)	46534	0.00
कुल योग	10752402175	100.00

अन्य प्रकटन-

i. कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अंतर्गत शामिल जमाराशियों से संबंधित विवरण और जमाराशियों का विवरण जो अधिनियम के अध्याय V की अपेक्षाओं के अनुपालन में नहीं हैं

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73(1) के परंतुक के अनुसार, इस उप-धारा का कुछ भी बैंकिंग कंपनी पर लागू नहीं होगा और इसलिए, ऊपर दिए गए विवरण के प्रकटीकरण की आवश्यकता आईडीबीआई बैंक पर लागु नहीं होती है.

ii. विनियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित किए गए उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण जो चालू संस्था की स्थिति और कंपनी के भविष्य में संचालन को प्रभावित करते हैं

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विनियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया जो चालू संस्था की स्थिति और आईडीबीआई बैंक के भविष्य में संचालन को प्रभावित कर सकते हैं.

iii. उन कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान इसकी सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां बनी या नहीं रहीं

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां नहीं बनाई गई हैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई भी सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां समाप्त नहीं हुई हैं, तथापि, बैंक ने बैंक की सहयोगी कंपनी पांडिचेरी औद्योगिक संवर्धन विकास और निवेश निगम लिमिटेड (पीआईपीडीआईसी) में ₹ 100 प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाली 21.14% शेयर धारिता की अपनी पूरी 8,54,000 हिस्सेदारी पांडिचेरी सरकार को बेच दी है, इस प्रकार यह 13 मई 2025 से बैंक की सहयोगी कंपनी नहीं रह गई है.

इसके अलावा, एनएसडीएल - बैंक की एक सहयोगी संस्था के मामले में, जिसमें बैंक के पास ₹ 2 प्रत्येक के 52,200,000 इक्विटी शेयर कुल मिलाकर 26.10% है, बैंक ने 25 सितंबर 2023 को एक स्वैच्छिक वचन दिया है कि (क) 3 अक्तूबर 2023 से 22,220,000 एनएसडीएल शेयरों ("आधिक्य शेयरों") के संबंध में मतदान अधिकारों का प्रयोग एनएसडीएल में बैंक की हिस्सेदारी वास्तिवक रूप से घटकर 15% से कम होने तक नहीं करेगा; और (ख) सेबी (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018 के विनियम 20 के साथ पिठत विनियम 21 के अनुपालन में, आधिक्य शेयरों के संबंध में कॉरपोरेट कार्यों से होने वाले अन्य लाभों को स्थिगत रखेगा.

iv. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

स्वतंत्र निदेशकों को नियमित रूप से बैंक के व्यवसाय, उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों तथा विनियामक वातावरण में परिवर्तन के अनुसार बैंक में अनुपालन आवश्यकताओं से परिचित कराया जा रहा है. इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित/प्रतिनियुक्त किया गया.

इस संबंध में विस्तृत स्थिति बैंक की वेबसाइट (<u>www.idbibank.in</u>) पर निम्नलिखित लिंक के तहत प्रदान की गई है: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx

v. सतर्कता तंत्र की स्थापना

सांविधक/विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन में बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित सतर्कता तंत्र नीति है. सतर्कता तंत्र पर रिपोर्ट नियमित आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया. सतर्कता तंत्र की स्थापना का विवरण देने वाली सतर्कता तंत्र नीति का प्रकटन बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट (www.idbibank.in) पर निम्नलिखित लिंक के तहत किया गया है: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx

vi. महत्वपूर्ण सहायक संस्थाओं के निर्धारण हेतु नीति

एलओडीआर विनियमों के विनियम 46 की अपेक्षा के अनुसार, महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर निम्नलिखित लिंक के तहत उपलब्ध है: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx

vii. संबद्ध पक्ष से लेनदेन करने की नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों और एलओडीआर विनियमों के विनियम 23 के अनुसार, बैंक ने संबद्ध पक्ष से लेनदेन करने के लिए एक नीति तैयार की है. संबद्ध पक्ष से लेनदेन संबद्ध नीति बैंक की वेबसाइट (<u>www.idbibank.in</u>) पर निम्नलिखित लिंक के तहत उपलब्ध है: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx



viii. वास्तव में महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष लेनदेन के बारे में प्रकटीकरण जिनका व्यापक स्तर पर सूचीबद्ध संस्था के हितों के साथ कोई संभावित टकराव हो

एलओडीआर विनियम की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के संबंध में यह पृष्टि की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने वास्तव में महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष से ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जिससे बैंक के हितों के साथ कोई संभावित टकराव हो सकता हो.

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत जानकारी

यौन उत्पीडन के खिलाफ बैंक की एक नीति है और उत्पीडन या भेदभाव की शिकायतों से निपटने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया है. उक्त नीति कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनरूप है. बैंक ने उक्त अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, वर्ष के दौरान शिकायतों की संख्या से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:

अ	वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत की गई शिकायतों की संख्या	12
आ	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	08
इ	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	04

पण्य मुल्य जोखिम या विदेशी विनिमय जोखिम और पण्य हेजिंग गतिविधियों का प्रकटन X.

बैंक पण्य मुल्य जोखिम या विदेशी विनिमय जोखिम और पण्य हेजिंग गतिविधियों, यदि कोई हों, के संबंध में विनियामकों द्वारा निर्धारित प्रासंगिक दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है.

लेखांकन व्यवहार का प्रकटीकरण

एलओडीआर विनियम की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार यह पुष्टि की जाती है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में निर्धारित लेखा मानकों से अलग कोई व्यवहार नहीं किया गया है, और इसलिए, इस संबंध में प्रबंधन की ओर से किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा नहीं है.

प्रकटीकरण, कि क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकार्ड का रखरखाव कंपनी द्वारा आवश्यक है और तदनुसार ऐसे खाते और रिकार्ड बनाए और रखे जाते हैं

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एक बैंकिंग कंपनी होने के नाते इस पर लागत रिकार्ड के रखरखाव के प्रावधान लाग नहीं होते हैं.

xiii. प्रकटन

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजारों से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर लगाए गए गैर-अनुपालन, दंंड, कटु आलोचना का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2024-25	-	रिजर्व बैंक ने 21 मार्च 2025 के पत्र के माध्यम से जून 2016 से जनवरी 2023 की अविध के दौरान प्राप्त 363 आवक प्रेषणों से संबंधित विदेशी मुद्रा लेनदेन को संसाधित करने और अनुमित देने में समुचित सावधानी के गैर-अनुपालन के लिए फेमा, 1999 की धारा 11(3) के तहत बैंक पर ₹ 36.30 लाख का जुर्माना लगाया;
	-	रिजर्व बैंक ने 2 मई 2025 के पत्र के माध्यम से ₹ 3 लाख तक की मंजूर सीमा वाले केसीसी खातों में कृषकों के लिए लागू ऋण दर से अधिक ब्याज वसूल करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का उपयोग कर बैंक पर ₹ 31.80 लाख का जुर्माना लगाया.
वित्तीय वर्ष 2023-24	शून्य	

वित्तीय वर्ष 2022-23

रिजर्व बैंक ने 8 अप्रैल 2022 के पत्र के माध्यम से वाणिज्यक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों (एफआई) द्वारा धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग; प्रायोजक बैंकों और कॉरपोरेट ग्राहक के रूप में एससीबी/यूसीबी के बीच भुगतान परितंत्र के नियंत्रण को सुदृढ़ करने और बैंकों में साइबर सुरक्षा ढ़ांचे के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों में निहित शिक्तयों का उपयोग कर बैंक पर कुल ₹ 90 लाख का जुर्माना लगाया.

- ख) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने अधिमानी आबंटन या अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के माध्यम से कोई फंड नहीं जुटाया है. पूर्व में जुटाई गई निधियों की धनराशि का पूरी तरह से बैंक की पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने और सामान्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है.
- ग) मेसर्स पारिख एंड एसोसिएट्स के कंपनी सचिव श्री मोहम्मद पिल्लिकंडलु (सीपी सं. 14603) से दिनांक 28 अप्रैल 2025 का इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है कि बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/एमसीए अथवा इस प्रकार के किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने अथवा बने रहने के लिए विवर्जित अथवा अयोग्य नहीं उहराया गया है. यह प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है.
- घ) बैंक ने वार्षिक रिपोर्ट में वे सभी प्रकटन किए हैं जो एलओडीआर विनियम की अनुसूची V (वार्षिक रिपोर्ट) के कॉरपोरेट अभिशासन खंड के उप-पैरा (2) से (10) के अनुसार अपेक्षित थे.
- ङ) बैंक ने एलओडीआर विनियम के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (बी) से (आई) में निर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन अपेक्षाओं का अनुपालन किया है.
- च) बैंक ने एलओडीआर विनियम की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 में दी गई सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित प्रारूपों में कॉरपोरेट अभिशासन पर त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहा है.
- छ) ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है जहां बोर्ड ने बोर्ड की किसी भी सिमिति की ऐसी किसी सिफ़ारिश को स्वीकार नहीं किया हो जो अनिवार्य रूप से आवश्यक हो, अतः इस संबंध में किसी प्रकटन की अपेक्षा नहीं है.
- ज) एलओडीआर विनियम की अनुसूची V के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों को सभी सेवाओं के लिए प्रदत्त कुल शुल्क की राशि ₹ 262.50 लाख (प्रमाणीकरण और अन्य लेखापरीक्षा संबंधित सेवाओं सिंहत) रही और अधिकतम फुटकर खर्च ₹ 25.20 लाख रहा.
- झ) **सहायक कंपनियां**: 31 मार्च 2025 को बैंक की 5 सहायक संस्थाएं थीं, यथा- आईडीबीआई इंटेक लि., आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि., आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि., आईडीबीआई एमएफ़ ट्रस्टी कं. लि. और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. बैंक के निदेशक मंडल के किसी स्वतंत्र निदेशक को उसकी किसी सहायक संस्था के बोर्ड में शामिल करने की अपेक्षा नहीं है क्योंकि इन सहायक संस्थाओं में से कोई भी संस्था एलओडीआर विनियम के विनियम 16 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है. एलओडीआर विनियम के विनियम 24 की अपेक्षाओं के अनुपालन में बैंक की लेखा परीक्षा समिति गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से उनके द्वारा किए गए निवेशों की समीक्षा करती है. गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त नियमित रूप से बैंक के बोर्ड की बैठकों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं.
- व) दस्तावेजों का रखरखाव और प्रतिधारण नीति: एलओडीआर विनियम के विनियम 9 के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने बोर्ड-अनुमोदित दस्तावेजों का रखरखाव और प्रतिधारण नीति कार्यान्वित की है.
- ट) **अभिलेखीय नीति**: एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 30(8) के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने बोर्ड-अनुमोदित अभिलेखीय नीति कार्यान्वित की है.
- ठ) सूचीबद्ध संस्थाओं को बाध्य करने वाले कुछ प्रकार के करारों का प्रकटन : ऐसे कोई करार नहीं हैं जिनके लिए एलओडीआर विनियमों की अनुसूची III के भाग ए के पैराग्राफ ए के खंड 5ए के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता हो.



डीमैट उचंत खाता/ अदावी उचंत खाता के संबंध में प्रकटन

एलओडीआर विनियम की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार बैंक अदावी उचंत खाते में पड़े इक्विटी शेयरों के संदर्भ में निम्न ब्योरा रिपोर्ट करता है:

सेबी (एलओडीआर) के विनियम 39(4) के अनुपालन में डीमैट उचंत खाते में अंतरित शेयर:

क्रम सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
(क)	1 अप्रैल 2024 को उचंत खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया पड़े शेयर	4	800
(ख)	1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के दौरान उचंत खाते से शेयरों का अंतरण करवाने के लिए बैंक से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	0	0
(ग)	उन शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के दौरान उचंत खाते से शेयर अंतरित किए गए	0	0
(ঘ)	उन शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 एवं 125 के अनुपालन में आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए गए	0	0
(퍟)	31 मार्च 2025 को उचंत खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया पड़े शेयर	4	800
(च)	इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरोधित रहेगा जब करते.	तक इन शेयरों के वैध स्व	ामी शेयरों का दावा नहीं

दिनांक 25 जनवरी 2022 के सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 के अनुपालन में उचंत एस्क्रो डीमैट खाते में अंतरित शेयर (ऐसे मामले जिनमें पुष्टिकरण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है):

क्रम सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
(क)		16	3,851
(碅)	उन शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के दौरान उचंत एस्क्रो डीमैट खाते में अंतरित किए गए	10	2,400
(刊)	1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के दौरान उचंत एस्क्रो डीमैट खाते से शेयरों का अंतरण करवाने के लिए बैंक से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	16	3,691
(घ)	उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के दौरान सस्पेंस एस्क्रो डीमैट खाते से शेयर अंतरित किए गए	16	3,691
(इ.)	31 मार्च 2025 को सस्पेंस एस्क्रो डीमैट खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया पड़े शेयर	10	2,560
(च)	इन शेयरों के वैध स्वामी वोट करने और लाभांश प्राप्त करने के	हकदार हैं.	

ह) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के संबंध में प्रकटन

(क) वर्ष के दौरान आईईपीएफ में किए गए अंतरण/अंतरणों का विवरण:

विवरण	शेयर/बांड/डिबेंचर	राशि
	0	0
अधिमानी शेयरों की मोचन राशि	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए उपचित ब्याज के साथ परिपक्व जमाओं की राशि	लागू नहीं	लागू नहीं
उपचित ब्याज के साथ परिपक्व डिबेंचरों की राशि	0	0
किसी भी प्रतिभूति के आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन राशि तथा धन वापसी के लिए उपचित ब्याज सहित देय राशि	0	0
बोनस शेयर के जारी होने, विलय और समामेलन से उत्पन्न होने वाले आंशिक शेयरों की बिक्री राशि	0	0
	अधिमानी शेयरों की मोचन राशि बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए उपचित ब्याज के साथ परिपक्व जमाओं की राशि उपचित ब्याज के साथ परिपक्व डिबेंचरों की राशि किसी भी प्रतिभूति के आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन राशि तथा धन वापसी के लिए उपचित ब्याज सहित देय राशि बोनस शेयर के जारी होने, विलय और समामेलन से उत्पन्न होने वाले	अधिमानी शेयरों की मोचन राशि लागू नहीं बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए उपचित ब्याज के साथ लागू नहीं परिपक्व जमाओं की राशि उपचित ब्याज के साथ परिपक्व डिबेंचरों की राशि 0 किसी भी प्रतिभूति के आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन राशि तथा धन वापसी के लिए उपचित ब्याज सहित देय राशि बोनस शेयर के जारी होने, विलय और समामेलन से उत्पन्न होने वाले 0

(ख) आईईपीएफ को पहले ही अंतरित शेयरों से उत्पन्न परिणामी लाभ का विवरण - शून्य

(ग) अप्रदत्त / अदावी लाभांश की वर्ष-वार राशि जो इस वर्ष तक अप्रदत्त खाते में पड़ी है तथा तद्नुरूपी शेयर जो आईईपीएफ में अंतरित किए जाने हैं व ऐसे अंतरण के लिए नियत तारीखों का विवरण:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	अप्रदत्त लाभांश (₹)	शेयरों की संख्या	आईईपीएफ़ में अंतरित करने के लिए नियत तारीख
1	2022-2023	56,61,406.00	58,21,022	17/08/2030
2	2023-2024	106,48,385.50	74,53,627	27/08/2031

(घ) अप्रदत्त / अदावी ब्याज की वर्ष-वार राशि जो इस वर्ष तक अप्रदत्त खाते में पड़ी है तथा तद्नुरूपी बॉन्ड जो आईईपीएफ में अंतरित किए जाने हैं व ऐसे अंतरण के लिए नियत तारीखों का विवरण:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	अप्रदत्त ब्याज (₹)	शेयरों की संख्या	आईईपीएफ़ में अंतरित करने के लिए नियत तारीख
1	2021-22	3,76,097	04	27/12/2028
2	2022-23	43,76,000*	04	26/12/2029
*₹43			00/- शामिल है.	

(ड.) आईईपीएफ को कंपनी द्वारा दिये गए दान की राशि, यदि कोई हो - शून्य

(च) वर्ष के दौरान आईईपीएफ को अंतरित ऐसी अन्य राशि, यदि कोई हो

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और वापसी) नियमावली, 2016 के नियम 6(12) के अनुपालन में, बैंक ने आईईपीएफ प्राधिकरण के पास रखे शेयरों पर टीडीएस को छोड़कर ₹ 1,23,46,863/- का लाभांश जमा किया और बाद में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के पास फॉर्म आईईपीएफ-1 (पूर्ववर्ती फॉर्म आईईपीएफ-7) प्रस्तुत किया है.



विनियम 27 की विवेकपूर्ण अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति

बैंक पर लागू, एलओडीआर विनियम की अनुसूची Π के भाग ई में दी गई विवेकपूर्ण अपेक्षाओं के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विवेकपूर्ण अपेक्षाएं	स्थिति
1.	एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के व्यय पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने के लिए पात्र होगा और उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दी जाएगी.	बैंक के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 116(1)(i) के अनुसार श्री टी. एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक को बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है. बैंक ने आईडीबीआई टॉवर, कफ परेड, मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय में अध्यक्ष के कार्यालय की व्यवस्था की है. श्री टी. एन. मनोहरन को बोर्ड और समिति की बैठकों में उपस्थिति के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है.
2.	शेयरधारकों के प्रत्येक परिवार को पिछले छः महीनों के दौरान उल्लेखनीय कार्यक्रमों के सार सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा भेजी जाए.	तिमाही और अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों को बोर्ड के अनुमोदन के तुरंत बाद शेयरधारकों और अन्य स्टेकधारकों की जानकारी के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है और स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेजा जाता है. महत्वपूर्ण घटनाक्रमों सहित परिणामों के मुख्य अंशों की प्रेस विज्ञप्ति भी स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी जाती है और वेबसाइट पर अपलोड की जाती है.
3.	कंपनी असंशोधित लेखा परीक्षा अभिमत वाले वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो.	बैंक के वित्तीय विवरण असंशोधित लेखा परीक्षा राय के साथ हैं और बैंक असंशोधित लेखा परीक्षा राय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाता रहता है.
4.	कंपनी, अध्यक्ष तथा एमडी एवं सीईओ के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को इस प्रकार से नियुक्त करे कि अध्यक्ष - (क) गैर-कार्यपालक निदेशक हो; और (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित 'रिलेटिव' शब्द की परिभाषा के अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी से संबंधित न हों.	बैंक में अंशकालिक अध्यक्ष और एमडी एवं सीईओ के लिए अलग- अलग पद है. अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक हैं और बैंक के एमडी एवं सीईओ के संबंधी नहीं हैं.
5.	आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा सिमति को रिपोर्ट करे.	आंतरिक लेखा परीक्षक बैंक के डीएमडी को रिपोर्ट करते हैं एवं निर्धारित रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक तिमाही में एसीबी के साथ आमने-सामने बैठक करते हैं.

आचार एवं नैतिकता सदाचार संहिता

बैंक के निदेशक मंडल ने अपने निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार एवं नैतिकता संहिता को अपनाया है. एलओडीआर विनियम की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 की अपेक्षाओं के अनुपालन में बैंक के बोर्ड के सदस्यों और विरष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की अभिपुष्टि के बारे में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा घोषणा

एलओडीआर विनियम की अनुसूची **V** के साथ पठित विनियम 34 के प्रावधानों के अनुसरण में, सभी संबंधितों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आईडीबीआई बैंक लि. के बोर्ड के सभी सदस्यों और विरष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की अभिपृष्टि की है.

राकेश शर्मा (डीआईएन - 06846594) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ दिनांक: 28 अप्रैल 2025

सीईओ/ सीएफ़ओ का प्रमाणन

एलओडीआर विनियम के विनियम 17(8) के अनुसार वित्तीय विवरणों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में एमडी एवं सीईओ और सीएफओ से प्रमाणन प्राप्त किया गया है और उसे बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है.



अनुबंध-अ

एओसी -2

(अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में उल्लिखित संबद्ध पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा तृतीय परंतुक के अंतर्गत किए गए कुछ स्वतंत्र संव्यवहारों सहित की गई संविदाओं/ व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म

स्वतंत्र आधार पर न की गई संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा संव्यवहारों का विवरण

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप		संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार की अवधि	संविदा अथवा व्यवस्था या संव्यवहार के मूल्य सहित, की प्रमुख शर्तें, यदि कोई हो	इस प्रकार की संविदा अथवा व्यवस्था अथवा संव्यवहार करने का औचित्य	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो	धारा 188 के प्रथम परंतुक की अपेक्षा अनुसार महासभा में विशेष संकल्प पारित होने की तारीख
-------------	--	--	---	---	---	-------------------------------------	---	---

शृन्य

स्वतंत्र आधार पर की गई महत्वपूर्ण संविदाओं अथवा व्यवस्था अथवा संव्यवहारों का विवरण ii.

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार का स्वरूप	संव्यवहार की अवधि	संविदा अथवा व्यवस्था या संव्यवहार के मूल्य सहित, की प्रमुख शर्ते, यदि कोई हो	की तारीख (खों),	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो :
-------------	--	--	-------------------	---	-----------------	---

शून्य

राकेश शर्मा (डीआईएन - 06846594) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

दिनांक: 19 मई 2025

अनुबंध-आ

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. बैंक की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:

बैंक की सीएसआर नीति का उद्देश्य समाज के अल्पसुविधा - प्राप्त वर्गों में व्याप्त विभेदों की पहचान करना और उनकी बेहतरी के लिए जरूरत-आधारित योगदान करते हुए उनके लिए मूर्त, दृश्य तथा स्थायी बदलाव लाना है. सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पहल को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ा जाएगा. बैंक प्रत्यक्ष दखल तथा हिताधिकारियों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए यह हासिल करना चाहता है.

बैंक की सीएसआर नीति, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में दखल करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है.

2. सीएसआर समिति की संरचनाः

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/ निदेशकता का स्वरूप	वर्ष के दौरान सीएसआर की आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री राकेश शर्मा	एमडी एवं सीईओ - समिति अध्यक्ष	04	04
2.	श्री जयकुमार एस. पिल्लै	उप प्रबंध निदेशक	04	04
3.	श्री सुमित फक्का 15 जुलाई 2024 से	उप प्रबंध निदेशक	03	03
4.	श्री समरेश परिदा	स्वतंत्र निदेशक	04	04
5.	श्रीमती पी.वी. भारती	स्वतंत्र निदेशक	04	04

 वह वेबलिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर सिमित की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटन किया गया है:

सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों का वेब लिंक है- https://www.idbibank.in/corporate-social-responsibility.aspx

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव के मूल्यांकन के वेबलिंक के साथ कार्यपालक सार प्रदान करें, यदि लागू हो

लागू नहीं.

5. (क) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ:

बैंक के विगत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹ 5,148.33 करोड़ का औसत निवल लाभ (सीएसआर उद्देश्य के लिए) था.

(ख) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत ₹ 102.97 करोड़ था. तथापि, बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के सीएसआर बजट को ₹ 103 करोड़ का अनुमोदन दिया था.

- (মৃ) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला अधिशेष शुन्य
- (घ) वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो शुन्य
- (ङ) **वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख)+(ग)-(घ)] ₹** 103 करोड़.



- (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजनाओं एवं चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य, दोनों पर) : 6. ₹ 76.20 करोड.
 - (ख) प्रशासनिक उपरि में खर्च की गई राशि: शृन्य..
 - (ग) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो : लागू नहीं.
 - (घ) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कूल राशि [(क)+(ख)+(ग)] ₹ 76.20 करोड़.
 - (ङ) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि: वित्तीय वर्ष 2024-25 में सीएसआर खर्च ₹ 70.13 करोड है और चालु योजनाओं के लिए ₹ 32.87 करोड़ की राशि मंजुर की गई है, लेकिन संवितरण नहीं किया गया है. तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अव्ययित राशि शुन्य है.

		অ	व्ययित राशि (₹ करोड़ [ः]	 में)	
वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि.		धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूर्ट VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि को अंतरित राशि.*		
(₹ करोड़ में)	राशि (₹ करोड में)	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
70.13	32.87	29.04.2025	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित ₹ 7.61 करोड़ की गैर-मंजूर राशि 26 सितंबर 2024 को स्वीकार्य निधियों में अंतरित की गई थी.

(च) समायोजन के लिए आधिक्य राशि, यदि कोई हो :

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	103
(ii)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि	70.13
(iii)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई आधिक्य राशि [(ii)-(i)]	लागू नहीं
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न आधिक्य, यदि कोई हो	शून्य
(v)	उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	लागू नहीं

पिछले तीन वित्तीय वर्षों की अव्ययित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण : 7.

1 क्रम सं.	2 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (र्षो)	3 धारा 135 की उपधारा 6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ करोड़ में)	4 धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (₹ करोड़ में)	5 वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	6 धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो		7 उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि. (₹ करोड़ में)	8 कमी, यदि कोई हो
					राशि (₹ करोड़ में)	अतंरण की तारीख		
1.	वित्तीय वर्ष 2021-22	शून्य	शून्य	0.18	शून्य	लागू नहीं	शून्य	-
2.	वित्तीय वर्ष 2022-23	शून्य	शून्य	1.44	शून्य	लागू नहीं	शून्य	-
3.	वित्तीय वर्ष 2023-24	शून्य	शून्य	39.24	7.61#	26.09.2024	25.62	-

मंजूर बजट ₹ 74.09 करोड़ - व्यय की गई राशि - ₹ 39.24 करोड़ - व्यय की जाने वाली शेष राशि ₹ 25.62 करोड़ - वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-2023 में क्रमशः व्यय की गई राशि, अर्थात् (₹ 0.18 करोड़ + ₹ 1.44 करोड़) = ₹ 7.61 करोड़.

8. क्या वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत आस्तियां सृजित या अधिगृहीत की गई हैं: नहीं

यदि हां, सृजित/अधिगृहीत की गई पूंजीगत आस्तियों की संख्या दर्ज करें : लागू नहीं

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से सृजित या अधिगृहीत की गई ऐसी आस्ति(यों) का विवरण प्रस्तुत करें:

ж म सं.	संपत्ति या आस्ति (यों) का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या आस्ति(यों) का पिन कोड	मृजन की तारीख	खर्च की गई सीएसआर राशि	पंजीकृत स्वामी व विवरण	की संस्था/ प्राधिका	री/ लाभार्थी का
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(सभी फील्ड राजस्व रिकॉर्ड में दिये गए अनुसार ही दर्ज किए जाए, फ्लैट संख्या, मकान संख्या, नगरपालिका कार्यालय/ नगर निगम/ ग्राम पंचायत विनिर्दिष्ट किया जाए तथा साथ ही अचल संपत्ति का क्षेत्रफल और उसकी सीमाओं का विवरण दें)

9. यदि कंपनी, धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो कारण(णों) निर्दिष्ट करें - वित्तीय वर्ष 2024-25 में सीएसआर पर र 70.13 करोड़ व्यय किया गया है और चालू परियोजनाओं के लिए र 32.87 करोड़ की अवितरित राशि को 'वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अव्ययित सीएसआर खाते' में अंतरित कर दिया गया है. अतः वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अव्ययित राशि शून्य है.

राकेश शर्मा (डीआईएन - 06846594) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सीएसआर समिति के अध्यक्ष दिनांक: 29 मई 2025



फॉर्म सं. एमआर - 3 सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में]

प्रति.

सदस्यगण. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्युटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात् 'बैंक' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉरपोरेट प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है. सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई है जिससे हमें कॉरपोरेट संचालनों/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन करने और उन पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्राप्त हुआ है.

बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, दाखिल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों का हमारे द्वारा सत्यापन करने, सचिवीय लेखापरीक्षा करने के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की सीमा तक, प्रबंधन द्वारा हमें दी गई व्याख्या और स्पष्टीकरणों तथा प्रस्तृत निरुपणों के आधार पर और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा मंजूर रियायतों पर विचार कर हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में बैंक ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का सामान्यतः अनुपालन किया है और यह कि बैंक ने इसमें इसके पश्चात् की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, वर्णित रीति से और उसके अध्यधीन उपयुक्त बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन प्रणाली लागू की है.

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई और अनुरक्षित बहियों, कागजातों, कार्यवत्त बहियों, दाखिल किए गए फॉर्मीं एवं विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम:
- प्रतिभृति संविदा (विनियमन) अधिनियम,1956 ("एससीआरए") तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;
- (iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके अधीन तैयार की गई विनियमावली तथा उप-विधियों;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक इसके अधीन बनाए गए नियम तथा विनियमन (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
- भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन विनिर्दिष्ट निम्नलिखित विनियमों तथा दिशानिर्देशों के लागू होने तक और समय-समय पर यथा संशोधितः
 - भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर) विनियमावली, 2011; क)
 - भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियमावली, 2015; ख)
 - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2018 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नही); 刊)
 - भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और उद्यम इक्विटी) विनियमावली, 2021 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ਬ) बैंक पर लागू नहीं);

- ड.) भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभृतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियमावली, 2021;
- च) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक के साथ संव्यवहार के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियमावली, 1993 (लेखा परीक्षा अविध के दौरान बैंक पर लागृ नहीं);
- छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियमावली, 2021 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं):
- ज) भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभृतियों की वापसी-खरीद) विनियमावली, 2018 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं);
- झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अन्य विनियम जो बैंक पर लागू होते हैं:
 - 1. भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के लिए बैंकर) विनियमावली, 1994
 - 2. सेबी (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियमावली, 2018
- vi. बैंक पर विशेष रूप से लागू अन्य कानून अर्थातः
 - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भारतीय रिजार्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियम, अधिसूचनाएं, परिपत्र एवं मार्गदर्शन;
 - भारतीय रिजार्व बैंक (रिजार्व बैंक) अधिनियम, 1934;
 - वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित का प्रवर्तन (सरफेएसी) अधिनियम, 2002;
 - धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 एवं धन-शोधन निवारण (रिकॉर्ड प्रबंधन आदि), विनियमावली, 2005;
 - भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007;
 - परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

- (i) निदेशक मंडल (एसएस-1) और महा सभा (एसएस-2) की बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक.
- (ii) बैंक द्वारा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए सूचीबद्धता करार, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली. 2015 के साथ पठित.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने सामान्यतः ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है.

हम रिपोर्ट करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फेमा, 1999 की धारा 11(3) के अंतर्गत बैंक पर ₹ 36.30 लाख का दंड लगाया गया.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

बैंक के निदेशक मंडल का कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ विधिवत गठन किया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे.

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों के आयोजन के संबंध में पर्याप्त समय पहले सूचना दी गई और कार्य-सूची एवं कार्य-सूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे गए, जहां बैठक अत्यावश्यक कारोबार को निपटाने के लिए अल्प सूचना पर आयोजित की गई थी, को छोड़कर. बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर और जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है.

कार्यवृत्त के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल की बैठकों में निर्णय अपेक्षित बह्मत से लिए गए.



हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बैंक के आकार और परिचालन के अनुरूप बैंक पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि में वर्ष के दौरान निम्नलिखित घटनाएं घटित हुईं जिनका ऊपर उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में बैंक के कार्यों पर प्रमुख प्रभाव पड़ाः

1) आईडीबीआई ओम्नी बॉण्डों का परिपक्वता/ क्रय विकल्प पर निम्नानुसार मोचन किया गयाः

क्रम सं.	श्रेणी	आईएसआईएन	आबंटन तिथि	परिपक्वता तिथि	क्रय विकल्प तिथि	राशि रुपये करोड़ में	कूपन
1	वरिष्ठ (इंफ्रास्ट्रक्चर)	INE008A08U76	12.09.2014	12.09.2024		1000	9.270%
2	वरिष्ठ (इंफ्रास्ट्रक्चर)	INE008A08U92	21.01.2015	21.05.2025		3000	8.725%
3	बासेल III टियर II	INE008A08V59	03.02.2020	03.02.2030	03.02.2025	745	9.500%

कृते पारिख एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

मोहम्मद पिल्लिकंडलु

साझेदार

एफ़सीएस नं.: 10619 सीपी नं.: 14603

यूडीआईएन: F010619G000213470 पीआर नं.: 6556/2025

• (

स्थानः मुंबई

दिनांकः 28.04.2025

इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांकित पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो अनुबंध 'अ' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है.

अनुबंध-'अ'

प्रति, सदस्यगण आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए.

- 1. सिचवीय अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है. हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सिचवीय अभिलेखों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है.
- 2. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखापरीक्षा पद्धितयों और प्रक्रिया का पालन किया है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य दर्शाए गए हैं, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था. हमारा मानना है कि हमने जो प्रक्रिया और पद्धितयाँ अपनाई हैं, वे हमारे अभिमत हेतु उचित आधार प्रदान करती हैं.
- 3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और खाता बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है.
- 4. जहां कहीं आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किया है.
- 5. कॉरपोरेट और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है. हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी.
- 6. सिचवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के कार्यों के संचालन में उनकी दक्षता अथवा प्रभावकारिता का आश्वासन देती है.

कृते पारिख एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

मोहम्मद पिल्लिकंडलु

साझेदार

एफ़सीएस नं.: 10619 । सीपी नं.: 14603

यूडीआईएन: F010619G000213470

पीआर नं.: 6556/2025

स्थानः मुंबई

दिनांक: 28.04.2025



निदेशकों की गैर-अपात्रता संबंधी प्रमाण पत्र

[भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची V के पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसरण में]

प्रति. सदस्यगण. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्युटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005.

सीआईएन: L65190MH2004GOI148838 वाले आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्युटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005 (इसके बाद इसमें 'बैंक' कहा गया) है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरों, अभिलेखों, फॉर्मीं, विवरणियों और प्रकटन की हमने जांच की है, जो बैंक द्वारा मेरे/हमारे समक्ष भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 की अनुसूची V पैरा सी उप खंड (10)(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार यह प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं.

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा सत्यापन (www.mca.gov.in) (पोर्टल पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सिंहत) के अनुसार, जो आवश्यक समझा गया और बैंक एवं इसके अधिकारियों द्वारा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम एतद्द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नीचे दिये गये बैंक के बोर्ड का कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति या बने रहने से विवर्जित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है.

क्र. सं.	निदेशक का नाम	डोआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तारीख*
1.	श्री राकेश शर्मा	06846594	
2.	श्री दीपक सिंघल	08375146	28 फ़रवरी 2019
3.	श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर	08377808	05 मार्च 2019
4.	श्रीमती पी.वी. भारती	06519925	14 जनवरी 2021
5.	श्री राज कुमार	06627311	19 मई 2022
6.	श्री सुशील कुमार सिंह	09584577	28 अप्रैल 2022
7.	श्री भुवनचन्द्र बालकृष्ण जोशी	06713850	09 अक्टूबर 2017
8.	श्री समरेश परिदा	01853823	19 मई 2018
9.	श्री जंबुनाथन नारायणन	05126421	19 मई 2018
10.	श्री तोटला नारायणसामी मनोहरन	01186248	24 फ़रवरी 2022
11.	श्री मनोज सहाय	08711612	28 अप्रैल 2022
12.	श्री सत पाल भानू	10482731	10 फ़रवरी 2025
13.	श्री सुमित फक्का	08259618	15 जुलाई 2024
14.	श्री अजय प्रकाश साहनी	03359323	28 अगस्त 2023
15.	श्री जयकुमार सुब्रमोनिया पिल्लै	10041362	12 जून 2023

^{*} नियुक्ति की तारीख एमसीए पोर्टल के अनुसार है.

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारी जिम्मेदारी हमारे सत्यापन के आधार पर इनके बारे में राय व्यक्त करना है. यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के कार्यों के संचालन में उनकी दक्षता अथवा प्रभावकारिता का आश्वासन देता है.

कृते पारिख एंड एसोसिएट्स

कार्यरत कंपनी सचिव ह/-

मोहम्मद पिल्लिकंडल्

साझेदार

एफसीएस नंबर: 10619 सीपी नं. : 14603 यूडीआईएन: F010619G000213305

पीआर नं.: 6556/2025 मुंबई, 28 अप्रैल 2025



Chokshi & Chokshi LLP

Chartered Accountants 15/17, Raghavji B Bldg, Ground Floor, Raghavji Road, Gowalia Tank, Off Kemps Corner, Mumbai 400036 LLP Registration No. AAC-8909 Suri & Co.
Chartered Accountants
Unit No. 2A 1,
Gundecha Onclave,
Kherani Road, Sakinaka,
Andheri (East), Mumbai - 400072

INDEPENDENT AUDITOR'S CERTIFICATE ON COMPLIANCE WITH THE CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE AS PER CERTAIN PROVISIONS OF CHAPTER IV OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

To,

The Members.

IDBI Bank Limited

IDBI Tower, Cuffe Parade,

Mumbai - 400005

Introduction

1. We, M/s Chokshi & Chokshi LLP, Chartered Accountants (FRN 101872W/W100045) and M/s Suri & Co., Chartered Accountants (FRN 004283S) the Joint Statutory Central Auditors of IDBI BANK LIMITED (hereinafter referred to as "the Bank"), having its registered office at IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400005, are issuing this certificate for the Bank's compliance with the conditions of Corporate Governance as stipulated in regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of regulation 46(2) and para C and D of Schedule V of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations") from time-to-time.

Management's Responsibility

 The compliance of conditions of Corporate Governance as stipulated under the Listing Regulations is the responsibility of the Management. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control and procedures to ensure compliance with the conditions of the Corporate Governance stipulated in the Listing Regulations.

Auditor's Responsibility

- 3. Our responsibility is limited to examining the procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring compliance with the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.
- 4. We have examined the books of accounts and other relevant records and documents maintained by the Bank for the purpose of providing reasonable assurance on compliance with Corporate Governance requirements.
- 5. We have carried out an examination of the relevant records of the Bank in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the ICAI), the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, in so far as it is applicable for the purpose of this certificate and as per the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes issued by the ICAI which requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.
- 6. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standards on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audit and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

Conclusion

7. Based on our examination of the relevant records and according to the information and explanations given to us and the representations provided by the Management, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of regulation 46(2) and para C and D of Schedule V of the Listing Regulations during the year ended March 31, 2025, as applicable.

Restriction on Use

- 8. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.
- 9. This certificate is addressed to and provided to the members of the Bank solely for the purpose of enabling it to comply with its obligations under the Listing Regulations with reference to compliance with the relevant regulations of Corporate Governance and should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care or for any other purpose or to any other party to whom it is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing. We have no responsibility to update this certificate for events and circumstances occurring after the date of this certificate.

For and on behalf of

For Chokshi & Chokshi LLP

Chartered Accountants (FRN - 101872W / W100045)

Rakesh Jain

Partner

Membership No. 042364 UDIN: 25042364BMOIRD9422

Place: Mumbai Date: 5th June 2025 For Suri & Co.

Chartered Accountants (FRN – 004283S)

Natarajan V.

Partner

Membership No. 223118 UDIN: 25223118BMJLG3792

Place: Mumbai Date: 5th June 2025

Brief Statement on the Bank's Philosophy on Code of Governance

The Bank is committed to upholding the highest standards of corporate governance in its operations. Its policies and practices are not only in line with the statutory requirements, but also reflect its commitment to operate in the best interest of its stakeholders. The responsibility for maintaining high governance standards lies with the Bank's Board of Directors and various Board Committees, which are empowered to monitor implementation of the best corporate governance practices, including making of necessary disclosures within the framework of legal and regulatory provisions and banking conventions.

In this direction, the Bank is committed to ensure that its Board of Directors continues to be constituted according to the prescribed norms, meets regularly according to the prescribed frequency, provides effective leadership, exercises control over the management, monitors executive performance and makes appropriate disclosures. Besides, the other policy directives of the Bank are to establish a strategic control framework and continuously review its efficacy as well as to set up clearly documented and transparent management processes to develop, implement and review policies, take decisions, monitor, control and report. The Bank provides free access of relevant information and resources to the Board, enabling it to carry out its role effectively.

BOARD OF DIRECTORS

The Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI), the Companies Act, 2013, the Articles of Association of the Bank and the requirements of Corporate Governance, as envisaged in the Securities & Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations). The Bank's Board functions directly as well as through various Board Committees constituted to provide focussed governance in important functional areas.

i. Terms of Reference

- To make calls on shareholders in respect of money unpaid on their shares;
- To authorise buy-back of securities under Section 68 of the Companies Act, 2013;
- To issue securities, including debentures, whether in or outside India;
- To borrow monies;
- To invest the funds of the Bank;
- To approve financial statements and the Board's report of the Bank;
- To diversify the business of the Bank;
- To approve amalgamation, merger or reconstruction;
- To take over a company or acquire a controlling or substantial stake in another company;
- To appoint or remove Key Managerial Personnel (KMP);
- To appoint Internal Auditors and Secretarial Auditors;
- To make political contributions;
- To take note of the disclosures of Directors' interest and shareholding;
- To buy and sell investments held by the Bank (other than trade investments), constituting five percent or more of the paid up share capital and free reserves of the investee company;
- To approve quarterly, half-yearly and annual financial statements or financial results, as the case may be;
- To periodically review compliance reports pertaining to all laws applicable to the Bank, prepared by the Bank as well as steps taken by the Bank to rectify instances of non-compliances;
- To lay down a code of conduct for all the members of the Board of Directors and the senior management of the Bank;



- To ensure framing of, implementation of and monitoring of the risk management plan for the Bank;
- To recommend all fees or compensation payable to Non-Executive Directors, including Independent Directors;
- To undertake performance evaluation of the Independent Directors, all the other Directors, the Committees of the Board and the Board of Directors as a whole;
- To review and guide corporate strategy, major plans of action, policies, annual budgets and business plans, to set performance objectives, to monitor implementation and corporate performance, and to oversee major capital expenditures, acquisitions and divestments;
- To monitor the effectiveness of the Bank's governance practices and making changes as needed;
- To select, compensate, monitor and, when necessary, replace the Key Managerial Personnel (KMP) and oversee succession planning;
- To align remuneration of Key Managerial Personnel (KMP) and Directors with the longer term interests of the Bank and its shareholders:
- To ensure a transparent nomination process to the Board to achieve diversity of thought, experience, knowledge, perspective and gender in the Board of Directors;
- To monitor and manage potential conflicts of interest of management, members of the Board of Directors and shareholders, including misuse of corporate assets and abuse in related party transactions;
- To ensure the integrity of the Bank's accounting and financial reporting systems, including the independent audit and that appropriate systems of control are in place, in particular, systems for risk management, financial and operational control, and compliance with the law and relevant standards;
- To oversee the process of disclosure and communications;
- To monitor and review the Board of Directors' evaluation framework;
- To provide strategic guidance to the Bank, to ensure effective monitoring of the management and to be accountable to the Bank and its shareholders;
- To set a corporate culture and the values by which the executives throughout the Bank shall behave;
- To act on a fully informed basis, in good faith, with due diligence and care, and in the best interests of the Bank and its shareholders;
- To encourage continual Directors' training to ensure that the members of the Board of Directors are kept up-to-date;
- To treat all the shareholders fairly;
- To maintain high ethical standards and take into account the interests of the stakeholders of the Bank;
- To exercise objective independent judgment on the corporate affairs of the Bank;
- To consider assigning a sufficient number of non-executive members of the Board of Directors capable of exercising independent judgment to tasks where there is a potential for conflict of interest;
- To be able to step back to assist executive management by challenging the assumptions underlying strategy, strategic initiatives (such as acquisitions), risk appetite, exposures and the key areas of the Bank's focus;
- To define and disclose the mandate, composition and working procedures of the committees of the Board of Directors;
- To facilitate the Independent Directors to perform their role effectively as members of the Board of Directors and also as members of Committees of the Board of Directors; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

128

ii. Composition (including Date of Appointment, Educational Qualifications and Skills/ Expertise) of the Board of Directors as on March 31, 2025 -

Name of the Director	Date of Appoint- ment	Executive/ Non-Executive Director	Independent/ Non- Independent Director	Educational Qualification	Expertise
		Independe	nt Director & Part-	time Chairman	
Shri T. N. Manoharan	February 24, 2022	Non-Executive	Independent	B.Com, M.Com, Law Graduate, Fellow member of the ICAI and IFRS Certificate level online learning and assessment programme of The Institute of Chartered Accountants in England and Wales	Administration and
	-	Managing D	irector and Chief E	Executive Officer	
Shri Rakesh Sharma	October 10, 2018	Executive	Non-Independent	B.Com, Post Graduate in Economics and CAIIB	Accountancy, Agriculture & Rural Economy, Banking, Economics, Small Scale Industry, Risk, Human Resource, Business Management, Administration and Corporate Governance
		De	puty Managing Di	rectors	
Shri Jayakumar S. Pillai	June 12, 2023	Executive	Non-Independent	B.F.Sc., MBA (Finance), Post Graduate Diploma in Foreign Trade (PGDFT), Diploma in Governance, Risk & Compliance (GRC) from ICA, London and CAIIB	Accountancy, Agriculture & Rural Economy, Banking, Economics, Finance, Small-Scale Industry, Human Resource, Risk, Business Management, Administration and Corporate Governance
Shri Sumit Phakka	July 15, 2024	Executive	Non-Independent	B.Com, MBA (Finance), CAIIB	Accountancy, Agriculture and Rural Economy, Banking, Finance, Small-Scale Industry, Business Management, Administration and Corporate Governance
			Nominee Directo	ors	
Shri Raj Kumar (LIC)	May 19, 2022	Non-Executive	Non-Independent	B.Sc.	Human Resource, Marketing, Business Management, Administration and Corporate Governance
Shri Sat Pal Bhanoo (LIC)	February 10, 2025	Non-Executive	Non-Independent	B.A. (History) (Honors)	Human Resource, Business Management, Administration and Corporate Governance
Shri Manoj Sahay (Gol)	April 28, 2022	Non-Executive	Non-Independent	BE (Civil Engineering)	Accountancy & Finance, Administration and Corporate Governance



Name	Data		- Indonesia Indo	Edwarfamil	E
Name of the Director	Date of Appoint- ment	Executive/ Non-Executive Director	Independent/ Non- Independent Director	Educational Qualification	Expertise
Shri Sushil Kumar Singh (Gol)	April 28, 2022	Non-Executive	Non-Independent	B.A. and M.A. (Philosophy)	Accountancy & Finance, Human Resource, Administration and Corporate Governance
			Independent Direc	etors	
Shri Bhuwanchandra B. Joshi	October 9, 2017	Non-Executive	Independent	B.Com and CAIIB	Agriculture & Rural Economy, Banking, Small Scale Industry, Administration and Corporate Governance
Shri Samaresh Parida	May 19, 2018	Non-Executive	Independent	Chartered Accountant, Cost Accountant and MBA	Accountancy, Agriculture & Rural Economy, Finance, Information Technology, Business Management, Strategic Planning, Administration and Corporate Governance
Shri N. Jambunathan	May 19, 2018	Non-Executive	Independent	Post Graduate in Statistics, CAIIB and Diploma in Management	Agriculture & Rural Economy, Banking, Small Scale Industry, Information Technology, Payment & Settlement, Administration and Corporate Governance
Shri Deepak Singhal	February 28, 2019	Non-Executive	Independent	B.A., MBA, CAIIB and PGDRM	Agriculture & Rural Economy, Banking, Human Resource, Business Management, Administration and Corporate Governance
Shri Sanjay G. Kallapur	March 5, 2019	Non-Executive	Independent	B.Com, M.M.S, Ph.D. in Business Economics and FCMA	Accountancy, Economics, Finance, Risk, Administration and Corporate Governance
Smt. P. V. Bharathi	January 14, 2021	Non-Executive	Woman Independent	B.Sc., M.A. (Economics), B.Ed., CAIIB and Integrated Course in Banking & Finance (NIBM)	Agriculture & Rural Economy, Banking, Small Scale Industry, Risk, Economics, Administration and Corporate Governance
Shri Ajay Prakash Sawhney	August 28, 2023	Non-Executive	Independent	Graduate of Institute of Mechanical Engineers, London (Equivalent of B.E. Mechanical Engineering)	Human Resources, Information Technology, Payment & Settlement, Administration and Corporate Governance

The strength of 15 (fifteen) Directors on the Board as on March 31, 2025 meets the requirement provided under Article 114(a) of the Articles of Association of the Bank.

In the opinion of the Board, the Independent Directors fulfill the conditions specified in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and are independent of the management.

iii. Relationship between Directors inter-se

- (i) None of the Directors on the Bank's Board are related in any manner, directly or indirectly, to any other Director.
- (ii) None of the Whole-Time Directors and Non-Executive Directors (including Independent Directors) of the Bank have attained the age of seventy years and seventy-five years, respectively, as prescribed by the RBI as the upper age limit for Directors on the Boards of private sector banks.
- (iii) Chairperson of the Bank is an Independent Director and he is not related to the MD & CEO of the Bank as per the definition of the term 'relative' defined under the Companies Act, 2013, in terms of Article 116(1)(i).

iv. Quorum for the Board Meetings

The quorum for the Board Meetings shall be one-third of the total strength or three (3) Directors, whichever is higher, subject to at least one Director being a nominee of the Life Insurance Corporation of India (LIC) and at least half of the Directors attending the meeting being Independent Directors.

v. Frequency of the Board Meetings

Meetings of the Board shall ordinarily be held at least six times in a year and at least once in every quarter and not more than one hundred and twenty days shall intervene between two consecutive Board meetings.

vi. Number of the Board Meetings held

During the period under review (April 1, 2024 to March 31, 2025), 13 meetings of the Board of Directors were held on May 4, 2024; May 24, 2024; May 30, 2024; June 28, 2024; July 22, 2024; August 28, 2024; September 27, 2024; October 25, 2024; November 30, 2024; December 31, 2024; January 20, 2025; February 21, 2025 and March 26, 2025. The meetings were held in person and through video conferencing as provided by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Securities & Exchange Board of India (SEBI) from time-to-time and the details regarding attendance at the Board meetings, attendance in the last Annual General Meeting (AGM), Directorships in other companies and memberships of committees in respect of each Director of the Bank, are given below in **Table 1**.

Table 1: Directors' Attendance at the Board Meetings and the last AGM, their Directorships and Committee Memberships

Name of the Director	Attendance at the Bank's Board Meetings held during tenure (Held/ Attended)	Attendance at the last AGM held on July 23, 2024	Directorships in other companies (other public companies)	Memberships/ Chairmanships in other Companies (only ACB & SRC)	Names of other listed entities where the person is a Director and the category of Directorship
1	2	3	4	5	6
	PART-TIM	E CHAIRMAN & II	NDEPENDENT DIF	RECTOR	
Shri T. N. Manoharan (DIN: 01186248)	(13/13)	Present	01	01	Independent Director: 1. Mahindra & Mahindra Ltd. 2. National Bank for Financing Infrastructure and Development



Name of the Director	Attendance at the Bank's Board Meetings held during tenure (Held/ Attended)	Attendance at the last AGM held on July 23, 2024	Directorships in other companies (other public companies)	Memberships/ Chairmanships in other Companies (only ACB & SRC)	Names of other listed entities where the person is a Director and the category of Directorship
1	2	3	4	5	6
		WHOLE-TIME	DIRECTORS		
Shri Rakesh Sharma (DIN: 06846594)	(13/13)	Present	02	Nil	Nil
Shri Jayakumar S. Pillai (DIN: 10041362)	(13/13)	Present	01	Nil	Nil
Shri Sumit Phakka (DIN: 08259618) [w.e.f. 15-07-2024]	(09/09)	Present	01	Nil	Nil
		NON-EXECUTIV	E DIRECTORS		
Shri Mukesh Kumar Gupta (DIN:06638754) [upto 09-02-2025]	(11/11)	Present	-	-	-
Shri Raj Kumar (DIN:06627311)	(13/13)	Present	01	Nil	Choice International Ltd. Independent Director
Shri Sat Pal Bhanoo (DIN: 10482731) [w.e.f. 10-02-2025]	(02/02)	NA	01	Nil	Life Insurance Corporation of India- Managing Director; Mahindra & Mahindra Ltd. Nominee Director
Shri Manoj Sahay (DIN:08711612)	(13/07)	Not Present	02	Nil	Nil
Shri Sushil Kumar Singh (DIN:09584577)	(13/08)	Not Present	01	Nil	Nil
		INDEPENDENT	DIRECTORS		
Shri Bhuwanchandra B. Joshi (DIN:06713850)	(13/13)	Present	Nil	Nil	Nil

Name of the Director	Attendance at the Bank's Board Meetings held during tenure (Held/ Attended)	Attendance at the last AGM held on July 23, 2024	Directorships in other companies (other public companies)	Memberships/ Chairmanships in other Companies (only ACB & SRC)	Names of other listed entities where the person is a Director and the category of Directorship
1	2	3	4	5	6
Shri Samaresh Parida (DIN:01853823)	(13/13)	Present	02	03	Shaily Engineering Plastics Ltd Director
Shri N. Jambunathan (DIN:05126421)	(13/12)	Present	Nil	Nil	Nil
Shri Deepak Singhal (DIN:08375146)	(13/13)	Present	01	Nil	Eraaya Lifespaces Ltd. Independent Director
Shri Sanjay G. Kallapur (DIN:08377808)	(13/13)	Present	Nil	Nil	Nil
Smt. P. V. Bharathi (DIN:06519925)	(13/13)	Present	03	03	PTC India Financial Services Ltd. Independent Director;
Shri Ajay Prakash Sawhney (DIN:03359323)	(13/13)	Present	Nil	Nil	Nil

None of the Non-Executive Directors of the Bank hold shares or convertible instruments issued by the Bank.

Committees of Board

The Board has constituted 12 Committees (which exclude one committee that was dissolved duing the year) as on March 31, 2025, namely:

- Audit Committee of the Board
- Stakeholders' Relationship Committee
- Risk Management Committee
- Customer Service Committee
- Nomination & Remuneration Committee
- Recovery Review Committee
- Wilful Defaulters Review Committee I (Formerly Wilful Defaulters Review Committee)

- Executive Committee
- Special Committee of the Board for Monitoring & Follow-up of cases of Frauds (Formerly Frauds Monitoring Committee)
- CSR & ESG Committee
- Information Technology Strategy Committee
- HR Steering Committee
 - Non-Cooperative Borrowers' Review Committee (dissolved w.e.f. October 28, 2024)



AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD (ACB)

Terms of Reference

- To review exposure to sensitive sectors, i.e., (a) Capital Market; and (b) Real Estate;
- Know Your Customer/ Anti-Money Laundering (KYC/ AML) Guidelines
 - i. review of compliance status of KYC policy and procedure;
 - ii. review of major initiatives and the Bank's preparedness in respect of AML and Central KYC;
- To review housekeeping particularly balancing and reconciliation of long outstanding entries Suspense/ Sundries/ Drafts Payable or Paid/ Funds in Transit/ Clearing/ Subsidiary General Ledger (SGL)/ Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) accounts and review of Nostro accounts:
- To review the Annual Audit Plan and status of achievement thereof:
- To review significant audit findings/ internal control weakness of the following audits along with the compliance thereof - (i) Long Form Audit Report (LFAR), (ii) Concurrent Audit, (iii) Internal Inspection, (iv) Information System Audit of Data Centre and other Departments, (v) Treasury & Derivatives, (vi) Management Audit at the controlling offices/ the Head Office, (vii) Audit of the service branches, (viii) the Currency Chests, (ix) Foreign Exchange Management Act (FEMA) Audit of the branches authorised to deal in foreign exchange,
- To review the compliance report on the directives issued by the ACB/ the Board/ the RBI;
- To report on the compliance of the regulatory requirements of the regulators in the host countries in respect of the overseas branches:
- To review financial results for the quarter including management discussion, analysis of financial condition, management letters/ letters of internal control weaknesses issued by the Statutory Auditors;
- To review information on violations by various functionaries in the exercise of discretionary powers;
- To report information in respect of equity shareholdings in borrower companies more than 30% of their paid-up capital;
- To review fraud cases involving an amount of ₹ 1 crore & above;
- To review transactions with related parties and prior approval to related party transactions and subsequent modifications, if any, in related party transactions;
- To review (a) Risk Based Internal Audit Policy, (b) Concurrent Audit Policy and (c) IS Audit Policy;
- To review accounting policies/ systems of the Bank with a view to ensuring greater transparency in its accounts and adequacy of accounting standards, to review any change during the year and their impact, and a confirmation that accounting policies are in compliance with accounting standards and the RBI auidelines:
- To review the adequacy of the internal audit function, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit:
- To review the Bank's Internal Financial Controls;
- To review the Bank's Risk Management Systems;
- To appoint Statutory Auditors, to review and to monitor the auditor's independence, performance, effectiveness of audit process both for domestic and overseas operations;
- To review annual accounts/ financial statements of the Bank and the Auditor's Report thereon before submission to the Board for approval with particular reference to items (a) to (g) as indicated in Point A(4) of Part C of Schedule II of the LODR regulations;

134

- To approve payment to Statutory Auditors for any other services rendered by the Statutory Auditors;
- To discuss with the Statutory Auditors before the audit commences about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern;
- To review penalties imposed/ penal action taken against the Bank under various laws and statutes and action taken for corrective measures:
- To review report on revenue leakage detected by Internal/ External Auditors and status of recovery thereof
 reasons for undercharges and steps taken to prevent revenue leakage;
- To report on end-use of funds raised through offer documents and public issue funds (certified by the Statutory Auditors) as well as (i) quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency in terms of Regulations 32(1) and (ii) annual statement of funds utilised for purposes other than those stated in the offer document in terms of Regulation 32(7) of the LODR Regulations;
- To review the reasons for substantial defaults in payment to the depositors, the debenture holders, the shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and the creditors;
- To review financial statements including particular investments made by the Unlisted Subsidiaries;
- To review First Time Non-Performing Assets (FTNPAs);
- To review dishonour of cheques amounting to ₹ 1 crore & above;
- To conduct annual review of the Concurrent Audit System;
- To conduct annual review of Outsourced Vendors' Audit;
- To review the functioning of Vigil Mechanism;
- To take note of change, if any, in the Chief Compliance Officer;
- To approve appointment of Chief Financial Officer after assessing the qualifications, experience and background, etc. of the candidate;
- To review the appointment, removal and terms of remuneration of the Chief Internal Auditor/ Head-Internal Audit;
- To oversee valuation of undertakings or assets of the listed entity wherever it is necessary;
- To review RBI circulars having impact on the Bank's accounts;
- To review annually the compliance of the provisions of the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- To review the utilisation of loans and/ or advances from/ investment by the Bank in the subsidiary exceeding
 ₹ 100 crore or 10% of the asset size of the subsidiary, whichever is lower including existing loans/ advances/ investments:
- To consider and comment on the rationale, the cost-benefit and the impact of the schemes involving merger, demerger, amalgamation etc., of the Bank and its shareholders;
- To review the staff accountability examination;
- To verify genuineness of title deeds & due diligence of loan/ security documents;
- To review the Secretarial Auditor's Report on Compliances made by the Bank during the financial year under the Companies Act, 2013, LODR Regulations, etc.;
- To comply with the observations made in inspection reports of the Central Depository Services Ltd. (CDSL),
 National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Concurrent Audit Reports;
- To review findings of Investigative Audits (IAs)/ Special Investigative Audits (SIAs);
- To discuss with the rating agencies;
- To discuss with the Head Internal Audit and the Chief Compliance Officer (CCO) without the presence of the Management;



- To review Risk Rating Migration and the efficacy of Audit System; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the ACB

As on March 31, 2025, the ACB comprised five members, out of whom four members were Independent Directors, viz. Shri Samaresh Parida, Independent Director as Chairman and Shri Manoj Sahay, GOI Nominee Director, Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director, Smt. P. V. Bharathi, Independent Director and Shri Ajay Prakash Sawhney, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the ACB Meetings

The quorum for the ACB meetings shall be three members of the ACB out of which at least two-third shall be Independent Directors. The ACB meeting shall be chaired by an Independent Director who shall not chair any other Committee of the Board.

iv. Frequency of the ACB Meetings

The ACB shall meet at least four times in a year and not more than one hundred and twenty days shall intervene between two consecutive ACB meetings.

v. Meetings of the ACB

During the period under review (April 1, 2024 to March 31, 2025), 12 meetings of the ACB were held on May 4, 2024; May 29, 2024; June 27, 2024; July 22, 2024; August 27, 2024; September 27, 2024; October 25, 2024; November 29, 2024; December 30, 2024; January 20, 2025; February 20, 2025 and March 25, 2025.

B. EXECUTIVE COMMITTEE (EC)

i. Terms of Reference

- To sanction high value credit proposals with single borrower exposure of more than ₹ 400 crore & group borrower exposure of ₹ 800 crore;
- To modify terms and conditions of sanctions made by the Executive Committee (EC);
- To take on record the minutes of the Credit Committees:
- To sanction proposals for Negotiated/ One-Time Settlements (OTS);
- To sanction proposals with exposure of more than ₹ 5 crore to Directors (including the Chairman/ Managing Director) of other banks and of ₹ 25 lakhs and more to any firm in which any of the Directors of other banks is interested as a partner or guarantor and any company in which any of the Directors of other banks holds substantial interest or is interested as a Director or as a guarantor;
- To sanction proposals with exposure of more than ₹ 5 crore to:
 - Any relative of the Chairman/ Managing Directors or other Directors of the Bank;
 - Any relative of the Chairman/ Managing Director or other directors of other banks;
 - Any firm in which any of the relatives as mentioned above is interested as a partner or guarantor; and
 - Any company in which any of the relatives as mentioned above hold substantial interest or are interested as a Director or as a guarantor.
- To report sanctions of securitisation portfolios;
- To review and report status of security creation in respect of the EC approved cases;
- To approve proposals for conversion of dues and receivables into investment instrument(s);
- To conduct preliminary screening of wilful defaulter for the accounts with outstanding more than ₹ 5 crore;
 and

 To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the EC

As on March 31, 2025, the EC comprised six members of which three members were Independent Directors, viz. Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman and Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Director, Shri N. Jambunathan, Independent Director and Shri Deepak Singhal, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the EC Meetings

The quorum for the EC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the EC, whichever is higher.

iv. Frequency of the EC Meetings

The EC shall meet as per the need with at least four meetings in a year.

v. Meetings of the EC

During the period under review (April 1, 2024 to March 31, 2025), 23 meetings of the EC were held on April 15, 2024; April 30, 2024; May 15, 2024; May 31, 2024; June 18, 2024; June 29, 2024; July 16, 2024; August 05, 2024; August 27, 2024; September 17, 2024; September 25, 2024; October 14, 2024; October 28, 2024; November 12, 2024; November 29, 2024; December 16, 2024; December 30, 2024; January 21, 2025; January 29, 2025; February 11, 2025; March 04, 2025; March 17, 2025 and March 25, 2025.

C. STAKEHOLDERS' RELATIONSHIP COMMITTEE (SRC)

i. Terms of Reference

The Stakeholders' Relationship Committee (SRC) functions as per the terms of reference provided under Section 178 of the Companies Act, 2013 and Regulation 20 read with Part D of Schedule II of the LODR Regulations.

The broader roles and responsibilities of the SRC are as under:

- To resolve the grievances of the shareholders, the bondholders and other security holders, including complaints relating to transfer/ transmission of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividends, issue of new/ duplicate certificates, general meetings, etc.;
- To consider and review the equity servicing as well as the bonds servicing reports of the Bank in each of its
 meetings and give directions, wherever deemed necessary, towards achieving the mandate as given above,
 as follows:
 - Review the report on equity servicing;
 - Review the report on servicing of flexibonds;
 - Review the reporting of reconciliation of Share Capital Audit Report;
 - Review the measures taken for effective exercise of voting rights by the shareholders;
 - Review the adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent;
 - Review various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/ Annual Reports/ statutory notices by the shareholders of the Bank; and
 - To resolve grievances of debenture holders relating to creation of charge, payment of interest/principal, maintenance of security cover and any other covenant.
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.



ii. Composition of the SRC

As on March 31, 2025, the SRC comprised four members out of whom two were Independent Directors, viz. Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director as Chairman and Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD and Shri N. Jambunathan, Independent Director, as members.

Smt. Jyothi Biju Nair, the Company Secretary of the Bank, also acts as the Compliance Officer under the LODR Regulations.

iii. Quorum for the SRC Meetings

The quorum for the SRC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the SRC, whichever is higher.

iv. Frequency of the SRC Meetings

The SRC meetings shall be held at least once in a financial year.

v. Meetings of the SRC

During the period under review (April 1, 2024 to March 31, 2025), four meetings of the SRC were held on May 15, 2024; August 28, 2024; November 12, 2024 and February 11, 2025.

vi. Number of Requests/ Complaints (Equity & Bonds)

Number of shareholder/ bondholder complaints received in FY 2024-25	9,844
Number of complaints not solved to the satisfaction of shareholders/ bondholders	Nil
Number of pending complaints	Nil

D. SPECIAL COMMITTEE OF THE BOARD FOR MONITORING AND FOLLOW-UP OF CASES OF FRAUDS (SCBMF)

i. Terms of Reference

The Special Committee of the Board for Monitoring and follow-up of cases of Frauds (SCBMF) [formerly Frauds Monitoring Committee] has been constituted to oversee the effectiveness of the fraud risk management in the Bank. The Committee shall review and monitor cases of frauds, including root cause analysis, and suggest mitigating measures for strengthening the internal controls, risk management framework and minimising the incidence of frauds.

The broader roles and responsibilities of the SCBMF are as under:

- To review and monitor frauds in the Bank covering the following:
 - (a) All Assets and Liability frauds;
 - (b) All Cyber & Digital Payment frauds; and
 - (c) Thefts, Burglary, Dacoity, Robbery;
- To review deactivated cases on fraud re-examination & reporting;
- To review and monitor Red Flagged Accounts (RFA) standing beyond 180 days from the date of RFA classification;
- To review status on filing of complaints with Legal Enforcement Agencies (LEAs), viz., Police/ CBI etc.;
- To review root cause analysis of frauds and compensatory controls;
- To review system corrections;
- To review and monitor status of closure of frauds;
- To review overall effectiveness of the fraud risk management in the Bank and suggest mitigating measures for strengthening internal controls, risk management framework;

- To review delay in detection/ classification of frauds;
- To review delay in examination/ conclusion of staff accountability; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the SCBMF

As on March 31, 2025, the SCBMF comprised six members out of whom three members were Independent Directors, viz. Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Director as Chairman and Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD, Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director and Shri Ajay Prakash Sawhney, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the SCBMF Meetings

The quorum for the SCBMF meetings shall be one-third of the total strength or two members of the SCBMF, whichever is higher.

iv. Frequency of the SCBMF Meetings

The SCBMF meetings shall be held on a monthly basis.

v. Meetings of the FMC/ SCBMF

During the period under review (April 1, 2024 to March 31, 2025), 12 meetings of the FMC/ SCBMF were held on April 30, 2024; May 29, 2024; June 27, 2024; July 22, 2024; August 27, 2024; September 27, 2024; October 25, 2024; November 29, 2024; December 30, 2024; January 20, 2025; February 20, 2025 and March 25, 2025.

E. RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC)

i. Terms of Reference

The Risk Management Committee (RMC) has been constituted to assess various risks associated with the Bank's business, their mitigation, address the issues relating to asset liability mismatch and also monitor and review the Risk Management Plan.

The broader roles and responsibilities of the RMC are as under:

- To evaluate the overall risks faced by the Bank, including liquidity risk and the potential interaction of liquidity risk with other risks;
- To report projections of the cash flows and measure liquidity risk, assumptions used;
- To recommend policies, viz. Credit Policy, Recovery Policy, Risk Management Policy, Asset Liability Policy,
 Operational Risk and Business Continuity Management (OR & BCM) Policy, Internal Capital Adequacy
 Assessment Process (ICAAP) Policy, Market Risk & Derivative Policy, Country Risk Management Policy
 & Country Risk Limits, Investment Policy, Disclosure Policy, Reputation Risk Assessment & Management
 Policy, Group Risk and Management Policy, etc. to the Board;
- To review the progress report on Operational Risk & Business Continuity Management;
- To review the market risk report of the trading portfolio;
- To review the results of stress test;
- To conduct liquidity and interest rate risk scenario analysis;
- To review the activities undertaken in the Risk Management Department, Model Validation migration and default analysis of Internal Ratings;
- To review asset liability management;
- To report minutes of Credit Risk Management Committee, ALCO, Operational Risk Management Committee (ORMC), LRMC, Systems Product Approval & Review Committee (SPARC) I & II;



- To review policy on counterparty bank limits and allocation of limits for domestic and international banks;
- To review compliance of norms on credit exposure:
- To work in co-ordination with the Nomination & Remuneration Committee in order to achieve effective alignment between remuneration and risks;
- To formulate a detailed risk management policy which shall include:
 - A framework for identification of internal and external risks specifically faced by the listed entity, in particular including financial, operational, sectoral, sustainability (particularly, ESG-related risks), information, cyber security risks or any other risk as may be determined by the Committee;
 - Measures for risk mitigation including systems and processes for internal control of identified risks; and
 - Business Continuity Plan.
- To ensure that appropriate methodology, processes and systems are in place to monitor and evaluate risks associated with the business of the Bank:
- To monitor and oversee implementation of the Risk Management Policy, including evaluating the adequacy
 of risk management systems;
- To periodically review the Risk Management Policy, at least once in two years, including by considering the changing industry dynamics and evolving complexity;
- To oversee the effectiveness of the framework for early warning signal and RFA;
- To approve the EWS indicators identified for monitoring credit facilities/ loan accounts and other banking transactions;
- To review the status of RFA including the EWS alerts/ trigger, remedial actions initiated by the Bank, etc.;
- To keep the Board of Directors informed about the nature and content of its discussions, recommendations and actions to be taken;
- To review the appointment, removal and terms of remuneration, if any, of the Chief Risk Officer;
- To conduct peer bank review;
- To conduct Mid-Term Review of ICAAP;
- To review Quarterly Report of the counterparty Bank Exposure Limits and Country Risk Exposure Limits;
- To analyse divergence between internal and external ratings;
- To review the risk management plan with respect to cyber security and monitor the implementation of the measures to mitigate any risk arising therefrom;
- To hold discussion with the Chief Risk Officer without the presence of the Management; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the RMC

As on March 31, 2025, the RMC comprised seven members of whom four members were Independent Directors, viz. Smt. P. V. Bharathi, Independent Director as Chairperson and Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD, Shri Samaresh Parida, Independent Director, Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director and Shri. T. N. Manoharan, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the RMC Meetings

At least half of the members attending the RMC meeting shall be Independent Directors of which at least one member shall have professional expertise/ qualification in risk management. The RMC shall be chaired by an Independent Director who shall not chair the Board or any other Committee.

iv. Frequency of the RMC Meetings

The RMC meetings shall be held on quarterly basis.

v. Meetings of the RMC

During the period under review (April 1, 2024 to March 31, 2025), four meetings of the RMC were held on June 12, 2024; September 13, 2024; December 16, 2024 and March 12, 2025.

F. CSR & ESG COMMITTEE

i. Terms of Reference

- To formulate and recommend Corporate Social Responsibility (CSR) Policy which shall indicate the activities
 to be undertaken by the Bank in areas or subject, specified in Schedule VII of the Companies Act, 2013 to
 the Board:
- To recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities referred to in above clause;
- To review the utilisation of CSR Budget;
- To monitor the CSR Policy of the Bank from time-to-time;
- To review the status of the ongoing CSR projects;
- To oversee all activities of the Bank relating to Environment, Social and Governance (ESG) and review the ESG Policy;
- To recommend the Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) to the Board; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the CSR & ESG Committee

As on March 31, 2025, the CSR & ESG Committee comprised five members of whom two are Independent Directors, viz. Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman and Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD, Shri Samaresh Parida, Independent Director and Smt. P. V. Bharathi, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the CSR & ESG Committee Meetings

The quorum for the CSR & ESG Committee meetings shall be one-third of the total strength or two members, whichever is higher.

iv. Frequency of the CSR & ESG Committee Meetings

The CSR & ESG Committee meetings shall be held on half-yearly basis.

v. Meetings of the CSR & ESG Committee

During the period under review (April 1, 2024 to March 31, 2025), four meetings of the CSRC were held on May 29, 2024; November 29, 2024; February 11, 2025 and March 25, 2025.

G. CUSTOMER SERVICE COMMITTEE (CSC)

i. Terms of Reference

The Customer Service Committee (CSC) has been constituted to formulate policies and assess the compliance thereof internally with a view to strengthening the governance structure for customer protection and service in the Bank and also to bring about on-going improvements in the quality of customer service provided by the Bank.

The broader roles and responsibilities of the CSC are as under:

To look into the customer grievances and effectively service customers in the retail banking segment;



- To formulate a Comprehensive Deposit Policy;
- To address issues such as the treatment of death of a depositor for operations of his/ her account;
- To examine conduct of annual survey of depositor satisfaction;
- To conduct triennial audit of customer services;
- To play a more proactive role with regard to the complaints/ grievances resolved by the Internal Ombudsman of various states in India;
- To take note of all the awards given by the Internal Ombudsman;
- To review all the awards remaining unimplemented for more than three months with the reasons thereof;
- To review the measures taken for customer protection and service in the Bank;
- To review the Grievance Redressal Policy;
- To examine any other issues having a bearing on the quality of customer service rendered;
- To review the activities of Internal Ombudsman; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the CSC

As on March 31, 2025, the CSC comprised six members of whom two were Independent Directors, viz. Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman and Shri Javakumar S, Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD, Shri Raj Kumar, LIC Nominee Director, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Director and Shri Ajay Prakash Sawhney, Independent Director, as members. Shri Shreekanta Mohapatra, Internal Ombudsman, is a permanent invitee.

iii. Quorum for the CSC Meetings

The quorum for the CSC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the CSC, whichever is higher.

Frequency of the CSC Meetings iv.

The CSC meetings shall be held on quarterly basis.

Meetings of the CSC

During the period under review (April 1, 2024 to March 31, 2025), four meetings of CSC were held on May 29, 2024; August 28, 2024; November 30, 2024 and February 11, 2025.

INFORMATION TECHNLOGY STRATEGY COMMITTEE (ITSC)

i. Terms of Reference

The Information Technology Strategy Committee (ITSC) has been constituted to put in place an effective technology platform in the Bank. The objectives are to render various IT-enabled services to customers, to help in streamlining the approach, to assist in launching new IT products and to provide related services and to monitor the implementation of Cyber Security Management Plans & Cyber Security Policies. The roles and responsibilities of the Committee are in line with the RBI guidelines on information security, electronic banking, technology risk management and cyber frauds and include the following:

- To ensure that the Bank has put an effective IT strategic planning process in place;
- To guide in preparation of IT Strategy and ensure that the IT strategy aligns with the overall strategy of the Bank towards accomplishment of its business objectives;

- To satisfy itself that the IT Governance and Information Security Governance structure fosters accountability, is effective and efficient, has adequate skilled resources, well-defined objectives and unambiguous responsibilities for each level in the organisation;
- To ensure that the Bank has put in place processes for assessing and managing IT and cyber security risks;
- To ensure that the budgetary allocations for the IT function (including for IT security), cyber security are commensurate with the Bank's IT maturity, digital depth, threat environment and industry standards and are utilised in a manner intended for meeting the stated objectives; and
- To review, at least on annual basis, the adequacy and effectiveness of the Business Continuity Planning and Disaster Recovery Management of the Bank.

The broader roles and responsibilities of the ITSC are as under:

- To recommend proposed IT budget to the Board;
- To review IT budget utilisation;
- To review development, procurement and operations of various software/ hardware either in-house or purchased from outside and to formulate procedures for inviting tenders or other process for selection of technology;
- To oversee the execution, implementation and operations of systems and procedures;
- To oversee integration of branches through technology and development of MIS for the Bank;
- To review update of technology architecture and major IT initiatives undertaken;
- To review information/ cyber security incidents;
- To review Information Security Policy;
- To review IT Policy;
- To review cyber security risks/ arrangements/ preparedness of the Bank;
- To monitor the implementation of Cyber Security Management Plans;
- To monitor Cyber Security Policies;
- To review the activities of the Information Security Committee; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the ITSC

As on March 31, 2025, the ITSC comprised seven members of which two members are Independent Directors, viz. Shri N. Jambunathan, Independent Director as Chairman and Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD, Shri Manoj Sahay, Government Nominee Director, Shri Raj Kumar, LIC Nominee Director and Shri Ajay Prakash Sawhney, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the ITSC Meetings

The quorum for the ITSC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the ITSC, whichever is higher.

iv. Frequency of the ITSC Meetings

The ITSC meetings shall be held on quarterly basis.

v. Meetings of the ITSC

During the period under review (April 1, 2024 to March 31, 2025), four meetings of the ITSC were held on June 12, 2024; September 13, 2024; December 16, 2024 and March 4, 2025.



I. **NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE (NRC)**

i. Terms of Reference

The broader roles and responsibilities of the Nomination & Remuneration Committee (NRC) are as under:

- To formulate the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a Director and recommend to the Board of Directors a policy relating to the remuneration of the Directors, Key Managerial Personnel and other employees;
- To specify the manner for effective evaluation of performance of the Board, its Committees and individual Directors to be carried out either by the Board by the NRC or by an independent external agency and review its implementation and compliance;
- To evaluate the balance of skills, knowledge and experience on the Board for every appointment of an Independent Director and on the basis of such evaluation, prepare a description of the role and capabilities required of an Independent Director. The person recommended to the Board for appointment as an Independent Director shall have the capabilities identified in such description. For the purpose of identifying suitable candidates, the NRC may:
 - Use the services of an external agencies, if required;
 - Consider candidates from a wide range of backgrounds, having due regard to diversity; and
 - Consider the time commitments of the candidates.
- To formulate criteria for evaluation of performance of Independent Directors and the Board of Directors;
- To devise a policy on diversity of the Board of Directors:
- To identify persons who are qualified to become directors and who may be appointed in the senior management in accordance with the criteria laid down and recommend to the Board of Directors their appointment and removal;
- To undertake a process of due diligence to determine the suitability of any person for appointment/continuing to hold appointment as a Director on the Board, based upon qualification, expertise, track record, integrity, 'fit and proper' criteria, positive attributes and independence (if applicable) and on the basis of the report of performance evaluation of directors, including Independent Directors and formulate the criteria relating thereto:
- To formulate Remuneration/ Compensation Policy for the Directors, the KMPs, etc.;
- To recommend to the Board, all remuneration, in whatever form, payable to the senior management:
- To work in co-ordination with the Risk Management Committee in order to achieve effective alignment between remuneration and risks; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the NRC

As on March 31, 2025, the NRC comprised six members all of whom are Non-Executive Directors including five Independent Directors, viz. Shri Deepak Singhal, Independent Director as Chairman and Shri Sushil Kumar Singh, Government Nominee Director, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Director, Shri N. Jambunathan, Independent Director, Shri T. N. Manoharan, Independent Director and Smt. P. V. Bharathi, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the NRC Meetings

The quorum for the NRC meetings shall be three members of which at least half the members attending the NRC meetings shall be Independent Directors and one shall be a member of the RMC. The Chairperson of the NRC shall be an Independent Director who shall not chair the Board.

iv. Frequency of the NRC Meetings

The NRC shall meet at least once in a financial year.

v. Meetings of the NRC

During the period under review (April 1, 2024 to March 31, 2025), six meetings of NRC were held on May 30, 2024; July 22, 2024; August 27, 2024; August 28, 2024 (Adjourned meeting); September 27, 2024; November 30, 2024 and February 21, 2025.

vi. Performance Evaluation Criteria for Independent Directors

The performance evaluation of all the Directors, including Independent Directors, is done on the basis of the questionnaires prepared as approved by the NRC, which covers the Corporate Governance parameters such as Board attendance, participation during the meeting, the level of Directors' contribution, the quality of knowledge and familiarity with the subject, the level of transparency, etc. The questionnaire is circulated in advance to the Directors to consider and form their opinion about the evaluations. The performance evaluation of Independent Directors is being done by the entire Board of Directors, excluding the Director being evaluated. The evaluation includes performance of the Directors on above parameters and fulfillment of the independence criteria. Further, on the basis of results of evaluation, extension of the term of an Independent Director is considered.

J. HR STEERING COMMITTEE (HRSC)

i. Terms of Reference

The HR Steering Committee (HRSC) has been constituted to deal with the matters relating to human resources and to discuss critical issues in HR.

The broader roles and responsibilities of the HRSC are as under:

- To make policies pertaining to recruitment and training;
- To review the performance management, compensation and career development initiatives;
- To consider management planning, development and succession planning;
- To align the HR strategy to the business strategy and plan;
- To consider and approve various other HR matters, including appointment of personnel, manpower assessment, promotions etc.; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the HRSC

As on March 31, 2025, the HRSC comprised six members, out of whom two members are Independent Directors, viz. Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman and Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD; Shri Sushil Kumar Singh, Government Nominee Director, Shri Deepak Singhal, Independent Director and Shri T. N. Manoharan, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the HRSC Meetings

The quorum for the HRSC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the HRSC, whichever is higher.

iv. Frequency of the HRSC Meetings

The HRSC shall meet as per the need.

v. Meetings of the HRSC

During the period under review (April 1, 2024 to March 31, 2025), six meetings of the HRSC were held on May 29, 2024; August 27, 2024; September 25, 2024; October 25, 2024; November 29, 2024 and February 21, 2025.



K. RECOVERY REVIEW COMMITTEE (RRC)

i. Terms of Reference

According to the Government of India directives/ the Board's recommendation, the Recovery Review Committee (RRC) has been constituted for reviewing recovery from Non-Performing Assets (NPAs), Stressed Accounts, Written-off cases, Official Liquidator (OL) cases, Debt Recovery Tribunal (DRT) cases, etc. and to monitor the progress of recovery and so on.

The broader roles and responsibilities of the RRC are as under:

- To review First Time NPAs (FTNPAs) and NPAs;
- To review top 100 NPAs & Technically Written-off (TWO) accounts;
- To review Suit Filed Cases;
- To review action under SARFAESI Act-Status Report;
- To review cases referred under Insolvency & Bankruptcy Code (IBC), 2016;
- To review amount lying with Official Liquidator (OL);
- To review Special Mention Accounts (SMA);
- To review recovery through settlements;
- To review overview of transfer of stressed loan exposures;
- To review the annual performance of external agencies conducted by the Bank; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the RRC

As on March 31, 2025, the RRC comprised six members, out of whom two members are Independent Directors, viz. Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman and Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD, Shri Raj Kumar, LIC Nominee Director, Shri Samaresh Parida, Independent Director and Smt. P. V. Bharathi, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the RRC Meetings

The quorum for the RRC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the RRC, whichever is higher.

iv. Frequency of the RRC Meetings

The RRC shall meet as per the need with at least four meetings in a year.

v. Meetings of the RRC

During the period under review (April 1, 2024 to March 31, 2025), four meetings of the RRC were held on June 28, 2024; September 25, 2024; December 31, 2024 and March 26, 2025.

L. WILFUL DEFAULTERS REVIEW COMMITTEE-I (WDRC-I)

i. Terms of Reference

- i. The broader roles and responsibilities of the Wilful Defaulters Review Committee-I (WDRC-I) [formerly Wilful Defaulters Review Committee] are:
 - To conduct personal hearing in the cases proposed by the Wilful Defaulters Identification Committee
 — I (WDIC- I);

- To take a view and approve the declaration of wilful default or otherwise of the persons/ entities based on the proposal of WDIC-I and/ or personal hearing;
- To take a view and approve withdrawal of names already declared as Wilful Defaulters in the cases as recommended by the WDIC-I;
- To examine and approve the proposal of discontinuation of wilful default proceedings from WDRC-I, which were earlier referred by the WDIC-I and before declaring any person/ entity as Wilful Defaulter;
- To report the proceedings of Wilful Defaulters Review Committee-II (WDRC II) for information; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the WDRC-I

The WDRC-I was constituted consisting of MD & CEO and two Independent Directors. As on March 31, 2025, the WDRC-I comprised Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman and Shri Samaresh Parida,Independent Director and Smt. P. V. Bharathi, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the WDRC-I Meetings

The presence of all members shall form the quorum for the WDRC-I meetings.

iv. Frequency of the WDRC-I Meetings

The WDRC-I is required to meet and review as and when the decision to classify a borrower as 'Wilful Defaulter' is taken by WDIC-I of the Bank.

v. Meetings of the WDRC-I

During the period under review (April 1, 2024 to March 31, 2025), two meetings of the WDRC-I were held on June 27, 2024 and September 25, 2024.

M. NON-COOPERATIVE BORROWERS' REVIEW COMMITTEE (NCBRC)

Pursuant to the RBI's Master Directions on 'Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters' dated July 30, 2024, Non Cooperative Borrowers' Review Committee was dissolved with effect from October 28, 2024.

i. Composition of the NCBRC

The NCBRC was constituted comprising MD & CEO and two Independent Directors. The NCBRC comprised Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman and Shri Deepak Singhal, Independent Director and Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director, as members.

ii. Meetings of the NCBRC

During the period (April 1, 2024 to October 28, 2024), one meeting of the NCBRC were held on August 2, 2024.

Details of attendance of Directors for the Committee Meetings of the Bank for the FY 2024-25 are given at Table 2.



INDEPENDENT DIRECTORS' MEETING (IDM)

i. Terms of Reference

The Independent Directors' shall comply with the provisions of Companies Act, 2013 read with Schedule IV of the Companies Act, 2013, Regulation 25 of the LODR Regulations and Secretarial Standards-1 on Meetings of the Board of Directors issued by the Institute of Company Secretaries of India.

The broader roles and responsibilities of the Independent Directors' Meeting are:

- To review the performance of Non-Independent Directors and the Board as a whole;
- To review the performance of the Chairperson of the Bank, taking into account the views of Executive Directors and Non-Executive Directors;
- To assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the Bank's management and the Board which is necessary for the Board to effectively and reasonably perform their duties; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the IDM

As on March 31, 2025, there were eight Independent Directors on the Board of the Bank, viz. Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal, Shri Sanjay G. Kallapur, Smt. P. V. Bharathi, Shri T. N. Manoharan and Shri Ajay Prakash Sawhney. The Independent Directors elect one of themselves as the Chairperson at every meeting.

iii. Quorum for the IDM

As per Schedule IV of the Companies Act, 2013, all Independent Directors shall strive to be present at the Independent Directors' meetings.

iv. Frequency of the IDM

Independent Directors' meetings should be held at least once in a financial year.

v. Meetings of Independent Directors

During the period under review (April 1, 2024 to March 31, 2025), four meetings of Independent Directors were held on June 28, 2024; September 27, 2024, December 31, 2024 and March 26, 2025.

Table 2: Attendance of Directors at Committee Meetings for the FY 2024-25

SN	Names of Directors	A	СВ	Е	С	SF	RC	SCE	BMF	RI	ИC	CSR	& ESG	CS	SC	ITS	CB	NI	RC	HB	RSC	RI	RC	WD	RC-I	NCI	BRC
		Н	Α	Н	Α	Н	Α	Н	Α	Н	Α	Н	Α	Н	Α	Н	Α	Н	Α	Н	Α	Н	Α	Н	Α	Н	Α
1.	Shri T. N. Manoharan (DIN:01186248)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0
2.	Shri Rakesh Sharma (DIN:06846594)	0	0	23	23	0	0	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	6	6	4	4	2	2	1	1
3.	Shri Jayakumar S. Pillai (DIN:10041362)	0	0	23	23	4	4	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	6	6	4	4	0	0	0	0
4.	Shri Sumit Phakka (DIN:08259618) (w.e.f. 15-07-24)	0	0	17	16	3	2	9	9	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	5	5	3	3	0	0	0	0
5.	Shri Mukesh Kumar Gupta (DIN:06638754) (upto 09-02-25)	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0
6.	Shri Raj Kumar (DIN:06627311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
7.	Shri Manoj Sahay (DIN:08711612)	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SN	Names of Directors	A	CB	Е	С	SF	RC	SCE	BMF	RI	ИC	CSR	& ESG	C	SC	ITS	СВ	NI	RC	HB	RSC	RI	RC	WD	RC-I	NC	BRC
		Н	Α	Н	Α	Н	Α	Н	Α	Н	Α	Н	Α	Н	Α	Н	Α	Н	Α	Н	Α	Н	Α	Н	Α	Н	Α
8.	Shri Sushil Kumar Singh (DIN:09584577)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	6	2	0	0	0	0	0	0
9.	Shri Bhuwanchandra B. Joshi (DIN:06713850)	0	0	23	23	0	0	12	12	0	0	0	0	4	4	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Shri Samaresh Parida (DIN:01853823)	12	12	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	2	0	0
11.	Shri N. Jambunathan (DIN:05126421)	0	0	23	23	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Shri Deepak Singhal (DIN:08375146)	0	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	0	0	0	0	1	1
13.	Shri Sanjay G. Kallapur (DIN:08377808)	12	12	0	0	4	4	12	12	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
14.	Smt. P. V. Bharathi (DIN:06519925)	12	12	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	0	0	0	0	6	6	0	0	4	4	2	2	0	0
15.	Shri Ajay Prakash Sawhney (DIN: 03359323)	12	12	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(H= Held/A=Attended)

MATRIX SETTING OUT SKILLS/ EXPERTISE/ COMPETENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS AS ON MARCH 31, 2025 AND NAMES OF THE DIRECTORS WHO POSSESS SUCH SKILL ARE MENTIONED IN THE TABLE BELOW:

	Accoun- tancy	Agricul- ture and Rural Economy	Banking	Co- operation	Economics	Finance	Law	Small- scale industry	HR	Risk	IT	Payment and Settle- ment	Business Manage- ment	Admini- stration	Corporate governance
Shri T. N. Manoharan	√		√		√	√	√	√	√	√			√	√	√
Shri Rakesh Sharma	√	√	√		√			√	√	√			√	√	√
Shri Jayakumar S. Pillai	√	√	√		√	√		√	√	√			√	√	√
Shri Sumit Phakka	√	√	√			√		√					√	√	√
Shri Raj Kumar									√				√	√	√
Shri Sat Pal Bhanoo									√				√	√	√
Shri Manoj Sahay	√					√								√	√
Shri Sushil Kumar Singh	√					√			√					√	√
Shri Bhuwanchandra B. Joshi		√	√					√						V	√
Shri Samaresh Parida	√	√				√					√		√	√	√
Shri N. Jambunathan		√	√					√			√	√		√	√
Shri Deepak Singhal		√	√						√				√	√	√
Shri Sanjay G. Kallapur	√				√	√				√				√	√
Smt. P. V. Bharathi		√	√		√			√		√				√	√
Shri Ajay Prakash Sawhney									√		√	√		√	√



ANNUAL RETURN

Pursuant to Section 134(3)(a) and Section 92(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Annual Return of the Bank is disclosed on its website https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx

STATEMENT ON DECLARATION GIVEN BY INDEPENDENT DIRECTORS

In terms of Section 149(7) of the Companies Act, 2013, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal, Shri Sanjay G. Kallapur, Smt. P. V. Bharathi, Shri T. N. Manoharan and Shri Ajay Prakash Sawhney, Independent Directors of the Bank have given declaration on April 01, 2025, that they meet the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013, Regulations 16(1)(b) & 17(10) of the LODR Regulations, Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and Circulars issued by the RBI from time-to-time and that they are not aware of any circumstance or situation, which exist or may be reasonably anticipated that could impair or impact their ability to discharge their duties with an objective independent judgment and without any external influence. The Directors, along with the annual disclosures, also provided a confirmation stating that they have complied with the provisions of Sub-rule 1 and 2 of Rule 6 of the Companies (Appointment & Qualification of Directors) Fifth Amendment Rules, 2019 regarding registration and renewal in the Independent Directors Databank and passed/ exempted from the online proficiency test thereof. The same was noted by the Board of Directors on April 28, 2025 and after undertaking due assessment of the veracity of the same, the Board was of the opinion that the Independent Directors fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the Management. Further, in the opinion of the Board, the Independent Directors possess the requisite integrity, experience, expertise and proficiency required under all applicable laws and the policies of the Bank.

DIRECTORS' APPOINTMENT, EVALUATION & SUCCESSION POLICY **COMPENSATION POLICY**

Directors' Appointment, Evaluation and Succession Policy as well as the Compensation Policy of the Bank is available on its website (www.idbibank.in) under the link https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx

COMPANY'S DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

The Bank's Policy on Dividend Distribution is available on its website (www.idbibank.in) under the link https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx

COMPLIANCE WITH SECRETARIAL STANDARDS

The Bank has adopted the Secretarial Standards namely SS-1 (Secretarial Standard on Board Meetings) and SS-2 (Secretarial Standards on General Meetings) issued by The Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and notified under the Companies Act, 2013. The Bank has conducted its Board, Committee and General Meetings in accordance with these standards and is in compliance with the same.

INTERNAL AUDITOR

The Bank has an in-house Internal Audit Department which carries out the internal audit functions. Shri Badri Srinivasa Rao, Executive Director, IDBI Bank Ltd., was designated as Head-Internal Audit in terms of Section 138 of the Companies Act, 2013. In line with the RBI's guidelines on Risk Based Internal Audit (RBIA), the Bank has also adopted a robust Internal Audit Policy.

DISCLOSURE ON CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS INITIATED **UNDER THE INSOLVENCY & BANKRUPTCY CODE, 2016 (IBC)**

These provisions are not applicable for banking companies.

BOARD'S COMMENTS ON EVERY QUALIFICATION, RESERVATION OR ADVERSE REMARK OR DISCLAIMER MADE BY THE AUDITORS OR SECRETARIAL AUDITORS IN THEIR REPORT

There are no qualifications, reservation or adverse remarks or disclaimers either in the Statutory Auditors' Report or in the Secretarial Auditors' Report which require the Board's comments thereon in terms of Section 134(3)(f) of the Companies Act, 2013.

Further, pursuant to Section 143(12) of the Companies Act, 2013, the Statutory Auditors of the Bank have not reported any instances of frauds other than those which are reportable to the Central Government.

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

The provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013, except sub-section (1), do not apply to a loan made, guarantee given or security provided by a banking company in the ordinary course of business. The particulars of investments made by the Bank are disclosed in Schedule 8 of the financial statements as per the applicable provisions of the Banking Regulation Act, 1949.

PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES IN THE PRESCRIBED FORM

In terms of Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the particulars of contracts or arrangements, if any, with Related Parties are in the prescribed Form AOC -2 which is annexed to the report as **Annexure-A**.

REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY

The CSR Policy framework of the Bank is available on its website (www.idbibank.in) under the link https://www.idbibank.in/corporate-social-responsibility.aspx The Annual Report on the CSR activities undertaken by the Bank is annexed to the Report as **Annexure-B**.

RISK MANAGEMENT POLICY

The Bank follows a detailed and comprehensive risk management system which is constantly updated based on the RBI's regulatory guidelines issued in this regard from time-to-time. A dedicated Risk Management Committee of the Board regularly reviews comprehensively the risk matters and risk-related aspects of the Bank. The Board of Directors of the Bank also periodically review the risk assessment and minimisation procedures followed in the Bank as well as the capital requirements of the Bank.

STATEMENT INDICATING THE MANNER OF FORMAL ANNUAL EVALUATION OF BOARD, ITS COMMITTEES AND INDIVIDUAL DIRECTORS

In terms of Section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(4) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the details on the captioned matter are furnished herein below:

- (i) Independent Directors' at their meeting held on March 26, 2025 evaluated the performance of all Non-Independent Directors, the Chairman of the Board as well as the performance of the Board as a whole.
- (ii) The Board, at its meeting held on March 26, 2025, evaluated the performance of all the Directors on the Board including the Independent Directors, its own performance as well as the performance of Committees of the Board. The evaluation of all the Individual Directors was done by the entire Board, which apart from Corporate Governance parameters, also included evaluation of Independent Directors on (a) review of their performance in meetings and (b) fulfillment of the independence criteria as specified in the Companies Act, 2013 and LODR Regulations and their independence from the Management. The Director concerned being evaluated by the Board did not participate in the meeting during the process of his/ her own evaluation.



For the purpose of the annual evaluation by Independent Directors and the Board, blank evaluation sheets in respect of individual Directors, Board Committees and the Board were circulated in advance to individual Directors through e-mails to enable the Directors to form their opinion in advance and help finalise the evaluation process at the respective meetings. The Chairman of Independent Directors' meeting and Chairman of the Board (authorised by the Board), signed the evaluation sheets on behalf of Independent Directors' and the Board respectively after finalisation of the evaluation. The MD & CEO was authorised to sign the evaluation sheet of Chairman of the Board.

CHANGE IN THE NATURE OF BUSINESS, IF ANY

During the period under review, the Bank continued to carry on the business of banking and there was no change in the nature of its business.

CHANGE IN DIRECTORS/ KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Name of Director	Designation	Nature of Change	Date
Shri Sumit Phakka	Deputy Managing Director	Appointment	15-07-2024
Shri Mukesh Kumar Gupta	LIC Nominee Director	Cessation	09-02-2025
Shri Sat Pal Bhanoo	LIC Nominee Director	Appointment	10-02-2025
Shri Rakesh Sharma	Managing Director & CEO	Re-appointment	19-03-2025
Shri T. N. Manoharan	Part-Time Chairman	Re-appointment	09-05-2025
Shri Raj Kumar	LIC Nominee Director	Cessation	18-05-2025
Shri R. Doraiswamy	LIC Nominee Director	Appointment	19-05-2025

PARTICULARS OF SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL

Senior Management shall comprise personnel one level below the Chief Executive Officer or Managing Director or Whole Time Director and shall specifically include the functional heads and the Company Secretary and the Chief Financial Officer. Senior Management Personnel of the Bank as on March 31, 2025 are:

1	Shri Nagaraj Garla	Executive Director - Priority Sector Group (PSG) (Agriculture & MSE), Financial Inclusion, Credit Processing Centre
2	Smt. Baljinder Kaur Mandal	Executive Director – Centralised Operations, Cash Management Services (CMS) & Government Business Group (GBG) Operations, Currency Chest, Branch Operations Support & Policy Department (BOSPD)
3	Shri Shalil Mukund Awale	Executive Director & Chief Compliance Officer
4	Shri Sunit Sarkar	Executive Director - Credit Monitoring Group [(CMG (Retail PSG & Corporate)], Retail Recovery & Collections
5	Shri Murali Sourirajan	Executive Director – Legal
6	Shri Iswar Padhan	Executive Director & Head – Treasury Front Office
7	Shri Trilok Sharma	Executive Director – Retail Liabilities, Third Party Distribution (TPD), Credit Card & Branch Banking

8	Dr. Kumar Neel Lohit	Executive Director – Retail Assets
9	Shri Badri Srinivasa Rao	Executive Director – Audit & Internal Auditor
10	Shri Anirudha Behera	Executive Director & Chief Risk Officer
11	Shri Ugen Tashi	Executive Director – Human Resource (HR), Learning & Employee Engagement Department (L & ED)
12	Shri Ajay Ramesh Lande	Executive Director & Head - Information Technology (IT) & Digital Banking Department (DBD)
13	Smt. Smita Harish Kuber	Executive Director & Chief Financial Officer
14	Shri Sanjay Panicker	Executive Director – Large Corporate Group (LCG), International Banking Unit (IBU) - Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) & Support Services - Corporate Banking, [Additional Charge: Corporate Strategy & Planning Department (CSPD), Budget & Planning, Administration & Infrastructure Management Department (IMD)]
15	Shri Joseph Kumar A	Executive Director – NPA Management Group
16	Smt. Jyothi Biju Nair	Company Secretary

CHANGE IN SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL

Name	Designation	Nature of Change	Date
Shri Sanjay Panicker	Executive Director- CSPD, Budget & Planning, Admin & IMD	Appointment	06-05-2024
Shri Arun Kumar Bansal	Executive Director & Head - Treasury Front Office	Resignation	25-06-2024
Shri Joseph Kumar A	Executive Director – Mid Corporate Group (MCG), Trade Finance, CMS & GBG (Sales)	Appointment	01-07-2024
Shri Shailendra Govind Nadkarni	Executive Director – Large Corporate Group (LCG), International Banking Unit (IBU) - Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) & Support Services - Corporate Banking	Cessation	31-12-2024
Shri Biju George	Executive Director- MCG &, Transaction Banking Group.	Appointment	01-04-2025
Shri S. Shanmugasundaram	Executive Director- CSPD, Budget & Planning, Admin & FIMD	Appointment	01-04-2025
Shri Dinesh Singh Rawat	Executive Director	Appointment	01-04-2025



REMUNERATION OF DIRECTORS

IDBI Bank, being a Private Sector Bank with effect from January 21, 2019, the remuneration and perquisites of the MD & CEO and DMDs is approved by the RBI as per Section 35B of the Banking Regulation Act, 1949. The details of remuneration as approved by the RBI in case of MD & CEO and DMDs is given in the table below. There have been no pecuniary relationships/transactions of Non-Executive Directors vis-à-vis the Bank during the period under review.

Elements of Remuneration of MD	Elements of Remuneration of MD & CEO and DMDs for FY 2024-25 (Annual)							
Particulars	Shri Rakesh Sharma (MD & CEO)	Shri Jayakumar S. Pillai (DMD)	Shri Sumit Phakka [^] (DMD)					
			[Amount in ₹]					
Salary	1,53,60,000	84,48,000	79,42,800					
Provident Fund	15,36,000	8,44,800	7,94,280					
Gratuity	6,40,000	3,52,000	3,30,950					
Leave Fare Concession / Allowance	5,00,000	3,50,000	3,50,000					
Entertainment Expenses	3,63,530	2,58,840	2,58,670					
Perquisites*	25,84,572	12,85,172	12,85,172					

[^] Shri Sumit Phakka was appointed as DMD of IDBI Bank Ltd. w.e.f. 15-07-2024 and paid pro-rata.

Tenure

Shri Rakesh Sharma – Shri Rakesh Sharma was appointed as MD & CEO of the Bank for a period of three years with effect from March 19, 2019 and subsequently reappointed as MD & CEO for a period of three years with effect from March 19, 2022. Shri Rakesh Sharma was further re-appointed for a period of three years w.e.f. March 19, 2025 as per RBI approval dated January 22, 2025. The shareholder's approval was obtained by postal ballot on May 08, 2025.

Shri Jayakumar S. Pillai - Shri Jayakumar S. Pillai was appointed as DMD by the Board on May 22, 2023 for a period of three years with effect from the date of taking over the charge of the post as per RBI letter dated May 19, 2023. Shri Jayakumar S. Pillai took charge on June 12, 2023. The shareholder's approval was obtained at 19th AGM held on July 13, 2023.

Shri Sumit Phakka - Shri Sumit Phakka was appointed as DMD by the Board on June 01, 2024 for a period of three years with effect from the date of taking over the charge of the post as per RBI letter dated May 31, 2024. Shri Phakka took charge on July 15, 2024. The shareholder's approval was obtained at 20th AGM held on July 23, 2024.

Criteria for making payments to Non-Executive Directors:

All the Non-Executive Directors, except the Government Nominee Directors, are only paid sitting fees. The rate of sitting fees for Board was ₹ 1,00,000/- per meeting and ₹ 60,000/- per meeting for all Board Committee meetings. Apart from the remuneration to MD & CEO and DMDs and the sitting fees to the Non-Executive Directors, no other remuneration was paid to the Directors, except the expenditure upon their travel, stay and transport incurred by the Bank.

^{*} Perquisite value includes provision of free accommodation & other perquisites.

⁻ The Variable Pay (cash and cash-in-lieu of ESOPs) of the WTDs for FY 2024-25 will be on the basis of their performance assessment for the period.

⁻ No ESOPs were granted in the FY 2024-25.

Aggregate amount of sitting fees paid to Non-Executive Directors including Independent Directors for FY 2024-25 is as detailed below:

Name of the Non-Executive Director	Sitting fees paid for FY 2024-25 (₹)
Shri T. N. Manoharan, Independent Director & part-time Chairman	25,00,000
Shri Mukesh Kumar Gupta, LIC Nominee Director (upto 09-02-2025)	23,00,000
Shri Raj Kumar, LIC Nominee Director	20,20,000
Shri Sat Pal Bhanoo (w.e.f. 10-02-2025) [Sitting fees for attending meetings shall be paid to LIC till he is serving in the LIC]	2,00,000
Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Director	42,40,000
Shri Samaresh Parida, Independent Director	31,00,000
Shri N. Jambunathan, Independent Director	36,60,000
Shri Deepak Singhal, Independent Director	37,00,000
Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director	35,20,000
Smt. P. V. Bharathi, Independent Director	34,60,000
Shri Ajay Prakash Sawhney, Independent Director	34,60,000

DISCLOSURE UNDER RULE 5 OF THE COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014

The appointment and remuneration of the MD & CEO and the DMDs is approved by the RBI under Section 35B of the Banking Regulation Act, 1949 after the same is recommended by the Nomination & Remuneration Committee and the Board. Other Directors on the Board do not get any remuneration except the sitting fees for attending meetings as mentioned in the paragraph on criteria for making payments to Non-Executive Directors. The other employees of the Bank, including the Key Managerial Personnel (KMPs), i.e., Chief Financial Officer and the Company Secretary, get remuneration as applicable to the officials in the similar grades of the Bank. Periodical revision in the pay scales of employees, including the KMPs, does have relationship with many factors, including the Bank's performance.

As per the RBI Circular dated November 4, 2019, variable pay shall be applicable to Whole-time Directors (WTDs), Material Risk Takers and Control Function staff of the Bank. The remuneration payable to WTDs is as mentioned in the paragraph Elements of Remuneration of MD & CEO and DMDs for FY 2024-25. A Compensation Policy covering all aspects of compensation, viz. Fixed Pay & Perquisites, Variable Pay (Cash & Shares linked), Superannuation/ Retirement Benefits (Provident Fund, Pension/ National Pension Scheme (NPS) & Gratuity) etc., has been formulated taking into account the RBI Guidelines for Material Risk Takers, Control Function Staff and other employees of the Bank. The RBI guidelines mandate deferral of Variable Pay, which has been incorporated in the Compensation Policy of the Bank. Variable pay for FY 2023-24 was paid to all eligible employees after the compeletion of performance appraisal for FY 2023-24 as per the Compensation Policy.

The details in terms of Section 197(12) of the Companies Act, 2013, read with Rule 5(1) of the Companies (Appointment & Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, are as follows:

The number of regular employees on the rolls of the Bank;

19,731 (out of which 2,176 employees were on contract basis)

The ratio of the remuneration of each Director to the median remuneration of the employees of the company;

Name of the Executive Director	Ratio of remuneration to the median of all employees				
Shri Rakesh Sharma, MD & CEO	17.74				
Shri Jayakumar S. Pillai, DMD	7.10				
Shri Sumit Phakka, DMD*	4.22				
* Appointed as DMD with effect from July 15, 2024					



The percentage increase in remuneration of each Director, Chief Financial Officer, Chief Executive Officer, Company Secretary or Manager, if any, in the financial year;

Designation	Percentage Increase
MD & CEO	46.18
DMDs*	-18.11
CFO	20.17
CS	31.13

^{*} Shri Sumit Phakka was appointed as DMD with effect from July 15, 2024 and since last year salary of three DMDs were considered for calculation as against two DMDs.

The percentage increase in the median remuneration of employees in the financial year:

13.70%

Average percentile increase already made in the salaries of employees other than the managerial personnel in the last financial year and its comparison with the percentile increase in the managerial remuneration and justification thereof and point out if there are any exceptional circumstances for increase in the managerial remuneration:

Average remuneration increase for non-managerial personnel of the Bank during FY 2024-25 was 13.49% and the average remuneration increase for the managerial personnel of the Bank was 13.98%.

Affirmation that the remuneration is as per the remuneration policy of the Bank.

Yes

GENERAL BODY MEETINGS

A. The last three Annual General Meetings (AGMs) of the Bank were held as under:

Details of Annual General Meetings of IDBI Bank Ltd.

Location and time of the last three AGMs.

- 1) July 22, 2022 held exclusively through video conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) at 11:00 a.m. (18th AGM of the Bank)
- 2) July 13, 2023 held exclusively through video conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) at 11:00 a.m. (19th AGM of the Bank)
- 3) July 23, 2024 held exclusively through video conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) at 11:00 a.m. (20th AGM of the Bank)

Whether Special Resolutions were passed in previous three AGMs

In 18th AGM

Special resolution for taking shareholders' approval u/s 42, 62(1)(c) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital aggregating to not more than ₹ 5,000 crore (inclusive of premium amount) and empowering the Board to take specific decision in this regard was passed at the 18th AGM of the Bank held on July 22, 2022.

➤ In 19th AGM

Special Resolution for taking shareholders' approval for Alteration of Articles of IDBI Bank was passed at the 19th AGM of the Bank held on July 13, 2023.

In 20th AGM

Special Resolution for taking shareholders' approval for Re-appointment of Smt. P.V. Bharathi as Independent Director for a second term of four years w.e.f. January 14, 2025 was passed at the 20th AGM of the Bank held on July 23, 2024.

Whether any special resolution was passed last year through postal ballot – details of voting pattern	No
Person who conducted the postal ballot exercise	Not Applicable
Whether any special resolution is proposed to be conducted through postal ballot	No special resolution is proposed to be conducted through postal ballot.
Procedure for Postal Ballot	Not Applicable

MEANS OF COMMUNICATION

Apart from providing the detailed Annual Report on the Bank's working, consisting of the Board's Report as required under Section 134 of the Companies Act, 2013 and the Annual Accounts, the Bank regularly brings out its quarterly results for information of its shareholders. These are published in one English language newspaper, viz. the Financial Express, having nationwide circulation and in Marathi language newspaper, viz. Loksatta, and these advertisements are intimated to the stock exchanges. The aforesaid information is also displayed on the Bank's website (https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx) along with the official press release.

GENERAL SHAREHOLDERS' INFORMATION

	GENERA	AL SHAREHOLDERS' INFORMATION		
i.	Date, time and venue of AGM	Tuesday, July 22, 2025, 11:00 a.m., through video conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM).		
ii.	Financial Year	April 1, 2024 to March 31, 2025		
iii.	E-voting period in terms of Regulation 44 of LODR Regulations and section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014	E-voting period commences on and from Thursday, July 17, 2025 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Monday, July 21, 2025 at 5.00 p.m. (IST).		
iv.	Record Date	Tuesday, July 15, 2025		
V.	Dividend Payment Date	Will be paid within 30 days post approval by shareholders at the 21st AGM		
vi.	Book closure date	July 16, 2025 to July 22, 2025 (both days inclusive)		
vii.	Listing on Stock Exchanges and	1. BSE Ltd. (BSE)		
	confirmation of payment of Annual listing fee	Address: 25 th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001		
		2. National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)		
		Address: Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C / 1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051.		
		The bonds issued in the domestic market comprised privately placed bonds and are listed on the BSE/ NSE.		
		Listing fees as applicable have been paid.		



viii.	Registrar and Share Transfer Agents	KFin Technologies Ltd. Unit: IDBI Equity, Selenium Tower B, Plot 3: Financial District, Nanakra Serilingampally, Hyderaba Telangana - 500 032	amguda,	di,	
ix.	Share Transfer system	In terms of Regulation Requirements) Regulation mode has been disconting shares which are held in death the depository systems.	ns, 2015, the nued w.e.f. A	e transfer of s April 01, 2019	securities held in physical. Accordingly, the Bank'
		Requests for claiming of soft duplicate share certificate by the Bank during the finan internal committee call Directors/ Chief General Noperational guidelines.	cates/ deletic ancial year ei led Share Tra	on/ transmission nded March 3 ansfer Commit	on/ transposition receive 1, 2025 were approved b tee (comprising Executiv
X.	Financial Calendar	April 1, 2024 to March 3 Quarterly Results were ap			
		Results as on		Board Meeting	
		June 30, 2024		July 22, 2024	
		September 30, 2024		October 25,	2024
		December 31, 2024		January 20, 2025	
		March 31, 2025		April 28, 202	25
xi.	Dematerialisation of Shares & Liquidity	The Bank's shares can dematerialised form only.	be compulso	orily traded in	the stock exchanges i
		The number of shares held 31, 2025 is as under:	ld in demate	rialised and ph	nysical mode as on Marc
			No. of	shares	% of total Capital issued
		Held in dematerialised form in NSDL	Ę	5656456706	52.61
		Held in dematerialised form in CDSL	Ę	5090077903	47.34
		Physical		5867566	0.05

Total

10752402175

100.00%

xii.	Listing of Debt Securities	Unsecured Long-term Rupee Bonds/ Debentures issued by the Bank and outstanding in the books of the Bank as on March 31, 2025, are listed on the debt segment of the BSE and the NSE.
xiii	Debenture Trustee	SBICAP Trustee Company Ltd.,
		Address: SBI 4^{th} Floor, Mistry Bhavan, 122 Dinshaw Vachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020
		Telephone number : 022-43025572
		E-mail ID of the Principal officer of the Trustee- corporate@sbicaptrustee.com
xiv.	Outstanding Global Depository Receipts (GDRs)/ American Depository Receipts (ADRs)/ warrants or convertible instruments, conversion date and likely impact on equity	IDBI Bank has not issued GDRs/ ADRs/ Warrants, etc.
XV.	Plant Locations	Not applicable. However, the information about the locations of the Bank's branches is available
		on its website (<u>www.idbibank.in</u>).
xvi.	Address for Correspondence	IDBI Bank Ltd.
		CIN - L65190MH2004G0I148838
		Address: Equity Cell - Board Department, IDBI Bank Ltd., 22 nd floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005
		Phone: 022-66553147/ 3062/ 3336/ 2806
		E-mail: idbiequity@idbi.co.in
		Website: www.idbibank.in
		Registrar & Transfer Agents KFin Technologies Ltd. (Unit IDBI Equity)
		Address: Selenium Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda,
		Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi, Telangana - 500 032
		Toll Free Number: 1800 309 4001
		Website: www.kfintech.com
		E-mail: einward.ris@kfintech.com
xvii.	List of Credit Rating obtained by the Bank	The Credit Rating details are provided in the Management Discussion & Analysis section of the Annual Report
xviii.	Distribution of shareholding	As per details mentioned below



Table i: Distribution Schedule as at March 31, 2025

Sr.	Category		No. of	No. of % to total	No. of shares	% to total
No.	From	То	shareholders	shareholders		Equity Shares
1	1	5000	726266	98.69	179414828	1.67
2	5001	10000	5094	0.69	38195556	0.36
3	10001	20000	2328	0.32	33362318	0.31
4	20001	30000	751	0.10	18895693	0.18
5	30001	40000	369	0.05	13028793	0.12
6	40001	50000	263	0.04	12273067	0.11
7	50001	100000	467	0.06	33777851	0.31
8	100001 & above		374	0.05	10423454069	96.94
	To	otal	735912	100.00	10752402175	100.00

Shareholding Pattern as on March 31, 2025

Category of Shareholders	No. of Shares Held	% to Total
Life Insurance Corporation of India (Promoter with Management control)	5294102939	49.24
Government of India (co-promoter without Management control)	4889871903	45.48
Employees	648827	0.01
Public	413761294	3.85
Hindu Undivided Family	17917060	0.16
Bodies Corporate	43809414	0.40
Institutions		
A) Banks	951178	0.01
B) Foreign Institutional Investors	100	0.00
C) Financial Institutions/Insurance Companies	13901610	0.13
D) Mutual Funds	4665494	0.04
E) NBFC	6582	0.00
F) Alternative Investment Fund	514	0.00
Societies	24800	0.00
Trusts	1712315	0.02
Directors, KMPs & Relatives	4400	0.00
NRI's	13129462	0.12
Foreign Portfolio Investors	49363518	0.46
IEPF	8484231	0.08
NSDL (transit)	46534	0.00
GRAND TOTAL	10752402175	100.00

OTHER DISCLOSURES-

i. DETAILS RELATING TO DEPOSITS COVERED UNDER CHAPTER V OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND DETAILS OF DEPOSITS WHICH ARE NOT IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF CHAPTER V OF THE ACT

In terms of proviso to Section 73(1) of the Companies Act, 2013, nothing in this sub-section shall apply to banking company and hence, the requirement of disclosure of captioned details is not applicable to IDBI Bank.

ii. DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE

There were no significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals during FY 2024-25 which could impact the going concern status and IDBI Bank's operations in future.

iii. THE NAMES OF COMPANIES WHICH HAVE BECOME OR CEASED TO BE ITS SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES OR ASSOCIATE COMPANIES DURING THE YEAR

No subsidiaries, Joint Ventures or Associate Companies have been formed during the FY 2024-25. No Subsidiaries, Joint Ventures or Associate Companies have ceased to be the same during the FY 2024-25; however, the Bank has sold its entire holding of 8,54,000 shares having face value of ₹ 100/- per share constituting 21.14% shareholding in Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd. (PIPDIC), an associate company of the Bank to Government of Pondicherry and thus ceased to be an associate of the the Bank with effect from May 13, 2025.

Further, in case of NSDL- an associate of the bank, where the Bank holds 52,200,000 of ₹ 2 each equity shares aggregating to 26.10%, the Bank has given a voluntary undertaking dated September 25, 2023 to (a) not exercise voting rights with respect to the 22,220,000 NSDL Shares ("Excess Shares") with effect from October 3, 2023 till the actual reduction of the shareholding of the Bank in NSDL to less than 15%; and (b) keep in abeyance other benefits accruing out of corporate actions with respect to the Excess Shares, in compliance to Regulation 21 read with Regulation 20 of SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 2018.

iv. FAMILIARISATION PROGRAMME FOR INDEPENDENT DIRECTORS

The Independent Directors are being regularly familiarised with the business of the Bank, their duties & responsibilities and the compliance requirements in the Bank as per the changes in the regulatory environment. Further, the Independent Directors were nominated for/ deputed to various training programmes during FY 2024-25.

The detailed status in this regard is provided on the Bank's website (www.idbibank.in) under the following link: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx

v. ESTABLISHMENT OF VIGIL MECHANISM

The Bank has a Board-approved Vigil Mechanism Policy in compliance with the statutory/ regulatory requirements. The report on Vigil Mechanism is submitted to the Board on a regular basis. During FY 2024-25, no personnel were denied access to the Audit Committee. The Policy on Vigil Mechanism giving details of establishment of Vigil Mechanism has been disclosed by the Bank on its website (www.idbibank.in) under the following link: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx

vi. POLICY FOR DETERMINING MATERIAL SUBSIDIARIES

In terms of the requirement of Regulation 46 of the LODR Regulations, the policy for determining material subsidiaries is available on the Bank's website (www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx

vii. POLICY ON DEALING WITH RELATED PARTY TRANSACTIONSS

In terms of the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013 and Regulation 23 of the LODR Regulations, the Bank has formulated a policy on dealing with Related Party Transactions. The Policy on Related Party Transactions is available on the Bank's website (www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx



viii. DISCLOSURE ON MATERIALLY SIGNIFICANT RELATED PARTY TRANSACTIONS THAT MAY HAVE POTENTIAL CONFLICT WITH THE INTEREST OF LISTED ENTITY AT LARGE

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is confirmed that, during FY 2024-25, the Bank has not undertaken any materially significant related party transaction that may have potential conflict with the interest of the Bank.

ix. INFORMATION UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION & REDRESSAL) ACT, 2013

The Bank has a policy against sexual harassment and a formal process for dealing with complaints of harassment or discrimination. The said policy is in line with the requirements of the Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013. The Bank has complied with provisions relating to the constitution of Internal Complaints Committee under the said Act. Pursuant to the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the details pertaining to number of complaints during the year has been provided below:

Α	Number of complaints filed during the financial year	12
В	Number of complaints disposed of during the year	08
С	Number of complaints pending as at end of the financial year	04

x. DISCLOSURE OF COMMODITY PRICE RISKS OR FOREIGN EXCHANGE RISK AND COMMODITY HEDGING ACTIVITIES

The Bank is in compliance with the relevant provisions in respect of commodity price risks or foreign exchange risk and commodity hedging activities as per the guidelines, if any, prescribed by regulators.

xi. DISCLOSURE OF ACCOUNTING TREATMENT

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is confirmed that, in preparation of financial statements, no treatment different from that prescribed in an Accounting Standard has been followed and hence, no explanation from the Management is required to be given in this regard.

XII. DISCLOSURE, AS TO WHETHER MAINTENANCE OF COST RECORDS AS SPECIFIED BY THE CENTRAL GOVERNMENT UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 148 OF THE COMPANIES ACT, 2013, IS REQUIRED BY THE COMPANY AND ACCORDINGLY SUCH ACCOUNTS AND RECORDS ARE MADE AND MAINTAINED

IDBI Bank Ltd., being a banking company, provisions of maintenance of cost records is not applicable to it.

xiii. DISLOSURES

a) Details of non-compliances, penalties, strictures imposed on the Bank by the stock exchanges or the SEBI or any statutory authority, on any matter related to capital markets, during the last three years are:

FY 2024-25	- RBI, vide letter dated March 21, 2025, imposed a penalty of ₹ 36.30 lakh on the Bank under Section 11(3) of FEMA, 1999 for Non-Compliance in carrying out Due Diligence in processing and allowing foreign exchange transaction involving 363 inward remittances received during the period June 2016 to January 2023;
	- RBI, vide letter dated May 02, 2025, imposed a penalty of ₹ 31.80 lakh on the Bank in exercise of powers vested in the RBI under Section 47A(1)(c) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949 for charging interest in excess of applicable lending rate to farmers in KCC having sanctioned limits upto ₹ 3 lakh.
FY 2023-24	Nil

FY 2022-23	RBI vide their letter dated April 8, 2022 imposed an aggregate penalty of ₹ 90 lakh on the Bank, in exercise of powers vested in it under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949 for non-compliance with the directions issued by the RBI on Frauds-classification and reporting by commercial banks and select Financial Institutions (Fls); Strengthening the Controls of Payment
	Ecosystem between Sponsor Banks and SCBs/ UCBs as a Corporate Customer and Cyber Security Framework in Banks.

- b) During FY 2024-25, the Bank has not raised any funds through preferential allotment or through Qualified Institutions Placement (QIP). The proceeds from previous funds raised, have been fully utilised for augmenting the capital adequacy of the Bank and for general business purposes.
- c) A certificate dated April 28, 2025 has been obtained from Shri Mohammad Pillikandlu (CP No. 14603) of M/s. Parikh & Associates, Company Secretaries that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the SEBI/ the MCA or any such statutory authority is annexed to this Report.
- d) The Bank has made all the disclosures in the Annual Report that were required in terms of sub-paras (2) to (10) of the Corporate Governance section of Schedule V (Annual Report) of the LODR Regulations.
- e) The Bank has complied with the Corporate Governance requirements specified in Regulations 17 to 27 and Clauses (b) to (i) of Sub-regulation (2) of Regulation 46 of the LODR Regulations.
- f) The Bank has complied with all the mandatory requirements given under Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations and has been submitting quarterly/ half-yearly/ annual compliance report on Corporate Governance in the prescribed formats to the Stock Exchanges within the prescribed timelines.
- g) There has been no instance where the Board had not accepted any recommendation of any Committee of the Board which is mandatorily required and hence, no disclosure in this regard is required.
- h) In terms of Schedule V of the LODR Regulations, the total fees for all services paid by the Bank to the Statutory Auditors during FY 2024-25 was ₹ 262.50 lakh (including Certification and other audit related services) and out of pocket expenses was capped at ₹ 25.20 lakh.
- Subsidiary Companies: As on March 31, 2025, the Bank had five subsidiaries, viz. IDBI Intech Ltd., IDBI Capital Markets & Securities Ltd., IDBI Asset Management Ltd., IDBI MF Trustee Co. Ltd. and IDBI Trusteeship Services Ltd. No Independent Director on the Board of the Bank is required to be inducted on the Board of its subsidiaries as none of the subsidiaries are material subsidiary companies as defined under Regulation 16 of the LODR Regulations. In compliance of the requirements of Regulation 24 of the LODR Regulations, the Bank's Audit Committee reviews the financial statements, in particular, the investments made by the unlisted subsidiary companies. The minutes of the Board meetings of unlisted subsidiary companies are regularly placed at the Bank's Board meetings.
- j) **Document Handling and Retention Policy:** In terms of Regulation 9 of LODR Regulations, the Bank has in place a Board-approved Document Handling and Retention Policy.
- k) **Archival Policy:** The Bank has in place a Board-approved archival policy in terms of Regulation 30(8) of the LODR Regulations, 2015.
- Disclosure of certain types of agreements binding listed entities: There are no agreements that require disclosure under clause 5A of paragraph A of Part A of Schedule III of the LODR Regulations.



m) Disclosures with respect to demat suspense account/ unclaimed suspense account

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, the Bank reports the following details in respect of equity shares lying in the unclaimed suspense account:

Shares transferred to Demat Suspense Account in compliance with Regulation 39(4) of SEBI (LODR):

Sr. No.	Particulars	No. of Shareholders	No. of Shares
(a)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Account as on April 01, 2024	4	800
(b)	Number of shareholders who approached the Bank for transfer of shares from the Suspense Account during April 01, 2024 to March 31, 2025	0	0
(c)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Suspense Account during April 01, 2024 to March 31, 2025	0	0
(d)	Number of shareholders whose shares were transferred to IEPF Authority in compliance of section 124 & 125 of the Companies Act, 2013.	0	0
(e)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Account as on March 31, 2025	4	800
(f)	The voting rights on these shares shall remain froze claims the shares.	en till the rightful own	er of such shares

Shares transferred to Suspense Escrow Demat Account in compliance of SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/ ii. MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated 25th January 2022 (Cases wherein validity of Letter of Confirmation expired):

Sr. No.	Particulars	No. of Shareholders	No. of Shares
(a)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Escrow Demat Account as on April 01, 2024	16	3,851
(b)	Number of shareholders whose shares were transferred to Suspense Escrow Demat Account during April 01, 2024 to March 31, 2025	10	2,400
(c)	Number of shareholders who approached the Bank for transfer of shares from the Suspense Escrow Demat Account during April 01, 2024 to March 31, 2025	16	3,691
(d)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Suspense Escrow Demat Account during April 01, 2024 to March 31, 2025	16	3,691
(e)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Escrow Demat Account as on March 31, 2025	10	2,560
(f)	The rightful owner of such shares are entitled to ve	ote and to receive di	vidend.

- n) Disclosures in respect of Investor Education and Protection Fund (IEPF)
 - (a) Details of the transfer/s to the IEPF made during the year:

Sr. No.	Description	Shares/Bonds/ Debentures	Amount
(i)	Amount of unclaimed/ unpaid dividend and the corresponding shares	0	0
(ii)	Redemption amount of preference shares	NA	NA
(iii)	Amount of matured deposits, for companies other than banking companies, along with interest accrued thereon	NA NA	NA
(iv)	Amount of matured debentures along with interest accrued thereon	0	0
(v)	Application money received for allotment of any securities and due for refund along with interest accrued	0	0
(vi)	Sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation	0	0

- (b) Details of the resultant benefits arising out of shares already transferred to the IEPF- NIL
- (c) Year-wise amount of unpaid/ unclaimed dividend lying in the unpaid account upto the Year and the corresponding shares, which are liable to be transferred to the IEPF, and the due dates for such transfer:

SI. No.	Financial Year	Unpaid dividend (₹)	No. of shares	Due Date for transfer to IEPF
1	2022-2023	56,61,406.00	58,21,022	17/08/2030
2	2023-2024	106,48,385.50	74,53,627	27/08/2031

(d) Year-wise amount of unpaid/ unclaimed interest lying in the unpaid account upto the Year and the corresponding bonds, which are liable to be transferred to the IEPF, and the due dates for such transfer:

SI. No.	Financial Year	Unpaid interest (₹)	No. of shares	Due Date for transfer to IEPF
1	2021-22	3,76,097	04	27/12/2028
2	2022-23	43,76,000*	04	26/12/2029

^{* ₹ 43,76,000/-} includes Principal Amount ₹ 40,00,000/- and Interest Amount ₹ 3,76,000/-

(e) The amount of donation, if any, given by the company to the IEPF - NIL

(f) Such other amounts transferred to the IEPF, if any, during the year

In compliance to rule 6(12) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, Bank has credited dividend amounting to ₹ 1,23,46,863/- excluding TDS on account of shares held with IEPF Authority and subsequently filed Form IEPF-1 (erstwhile Form IEPF-7) with Ministry of Corporate Affairs



STATUS OF COMPLIANCE OF DISCRETIONARY REQUIREMENTS OF REGULATION 27

The status of discretionary requirements given under Part E of Schedule II of the LODR Regulations, applicable to the Bank, is as follows:

Sr. No.	Discretionary Requirements	Status
1.	A Non-Executive Chairperson may be entitled to maintain a Chairperson's Office at the Company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his/ her duties	In terms of Article 116(1) (i) of the Articles of Association of the Bank, Shri T. N. Manoharan, Independent Director has been appointed as the Part-time Chairman of the Bank. The Bank has provided for a Chairman's office at its Head Office located at IDBI Tower, Cuffe Parade, Mumbai. Sitting fees is paid to Shri T. N. Manoharan for attending the Board and Committee Meetings.
2.	A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in the last six months may be sent to each household of shareholders	Quarterly and half-yearly financial results are published in the newspapers as well as disseminated to the Stock Exchanges immediately after the Board approval for information of shareholders and other stakeholders. Press release of highlights of results including significant developments is also disclosed to the Stock Exchanges and uploaded on the website.
3.	Company may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion	The Bank's financial statements are with unmodified Audit opinion and Bank continues to adopt best practices to ensure regime of unmodified audit opinion.
4.	The Company may appoint separate persons to the post of Chairman and MD & CEO such that the Chairperson shall – (a) be a Non-Executive Director; and	The Bank has separate positions for Part-time Chairman and a MD & CEO. The Chairperson is an Independent Director and not related to the MD & CEO of the Bank.
	(b) not be related to the Managing Director or the Chief Executive Officer as per the definition of the term "relative" defined under the Companies Act, 2013.	
5.	The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.	Internal Auditor reports to the DMD of the Bank and has a one-to-one meeting with the ACB every quarter as per the prescribed RBI guidelines.

CODE OF CONDUCT AND ETHICS

The Bank's Board of Directors has adopted a Code of Conduct and Ethics for its Directors, Officers and Employees. In compliance with the requirement of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, a declaration signed by the Managing Director & CEO about the affirmation of compliance with the Code of Conduct by the Board members and Senior Management Personnel of the Bank is given below:

DECLARATION BY MD & CEO

Pursuant to the provisions of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is hereby declared for the information of all concerned that all the Board Members and Senior Management Personnel of IDBI Bank Ltd. have affirmed compliance with the Code of Conduct for Directors, Officers and Employees of IDBI Bank Ltd. for the FY 2024-25.

Rakesh Sharma (DIN-06846594) Managing Director & CEO Dated: April 28, 2025

CEO/ CFO CERTIFICATION

In terms of Regulation 17(8) of the LODR Regulations, the certification by MD & CEO and CFO on the financial statements and internal controls relating to financial reporting has been obtained and submitted to the Board.



Annexure-A

AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/ arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arm's length transactions under third proviso thereto

i. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis

SI. No.	Name of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts/ arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	Date of approval by the Board	Amount paid as advances, if any:	Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188
------------	---	--	--	---	---	-------------------------------------	----------------------------------	---

NIL

ii. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis

SI. No.	Name of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts / arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transaction including the value, if any:	Date(s) of approval by the Board, if any:	Amount paid as advances, if any:
------------	---	---	---	---	---	----------------------------------

NIL

Rakesh Sharma (DIN-06846594) MD & CEO Dated: May 19, 2025

Annexure-B

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES FOR FY 2024-25

1. Brief outline on CSR Policy of the Bank:

The Bank's CSR objective is to make material, visible and lasting difference to the lives of underprivileged sections of the society by identifying gaps and extending need-based contribution for their betterment. The initiatives shall be aligned with the national priorities towards achieving sustainable development goals. The Bank seeks to achieve this through direct intervention as well as acting as a catalyst for socio-economic progress of the beneficiaries.

The Bank's CSR policy, *inter alia*, provides the platform for undertaking interventions in areas as specified under Schedule VII of the Companies Act 2013.

2. Composition of CSR Committee:

Sr. No	Name of Director	Designation/ Nature of Directorship	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meetings of CSR Committee attended during the year	
1.	Shri Rakesh Sharma	MD & CEO – Chairman of the Committee	04	04	
2.	Shri Jayakumar S. Pillai	Dy. Managing Director	04	04	
3.	Shri Sumit Phakka w.e.f. July 15, 2024	Dy. Managing Director	03	03	
4.	Shri Samaresh Parida	Independent Director	04	04	
5.	Smt. P. V. Bharathi	Independent Director	04	04	

3. Provide the web-link(s) where Composition of CSR Committee, CSR Policy and CSR Projects approved by the board are disclosed on the website of the company.

The web-link to the CSR policy and projects or programs is https://www.idbibank.in/corporate-social-responsibility.aspx

4. Provide the executive summary along with web-link(s) of Impact Assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8, if applicable

Not Applicable.

5. (a) Average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135 –

The average net profit of the Bank (for CSR purpose) was ₹ 5,148.33 crore for last three financial years, i.e. FY 2021-22, FY 2022-23 and FY 2023-24.

(b) Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135 -

In terms of Section 135 (5) of the Companies Act, 2013, two percent average net profit of the Bank was ₹ 102.97 crore for financial year 2024-25. However, the Board had approved ₹ 103 crore as CSR budget of the Bank for financial year 2024-25.

- (c) Surplus arising out of the CSR Projects or programmes or activities of the previous financial years Nil.
- (d) Amount required to be set-off for the financial year, if any Nil.
- (e) Total CSR obligation for the financial year [(b)+(c)-(d)] ₹ 103 crore.



- 6. (a) Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project) - ₹ 76.20 crore
 - Amount spent in Administrative Overheads Nil. (b)
 - (c) Amount spent on Impact Assessment, if applicable - Not Applicable.
 - Total amount spent for the Financial Year [(a)+(b)+(c)] ₹ 76.20 crore. (d)
 - CSR amount spent or unspent for the Financial Year: CSR spent for FY 2024-25 is ₹ 70.13 crore and amount of ₹ 32.87 crore has been sanctioned but not disbursed related to ongoing projects. Accordingly, unspent amount for FY 2024-25 is Nil.

	Amount Unspent (in ₹ crore)						
Total Amount Spent for the Financial Year.	Unspent CSR	transferred to Account as per of section 135.	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135.*				
(in ₹ crore)	Amount (in ₹ crore)	Date of transfer	Name of the Fund	Amount (in ₹ crore)	Date of transfer		
70.13	32.87	29.04.2025	NA	Nil	NA		

^{*} Unsanctioned amount of ₹ 7.61 crore pertaining to FY 2023-24 was transferred to admissible funds on September 26, 2024

Excess amount for set-off, if any: (f)

SI. No.	Particular	Amount (in ₹ crore)
(1)	(2)	(3)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135	103
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	70.13
(iii)	Excess amount spent for the Financial Year [(ii)-(i)]	Not applicable
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous Financial Years, if any	Nil
(v)	Amount available for set off in succeeding Financial Years [(iii)-(iv)]	Not applicable

7. Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years:

1	2	3	4	5		6	7	8
SI. No.	Preceding Financial Year(s)	Amount transferred to Unspent CSR Account under subsection (6) of section 135 (in ₹ Crore)	Balance Amount in Unspent CSR Account under subsection (6) of section 135 (in ₹ Crore)	Amount Spent in the Financial Year (in ₹ Crore)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to subsection (5) of section 135, if any		Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years (in ₹ Crore)	Deficiency, if any
					Amount (in ₹ crore)	Date of Transfer		
1.	FY 2021-22	Nil	Nil	0.18	Nil	NA	Nil	-
2.	FY 2022-23	Nil	Nil	1.44	Nil	NA	Nil	-
3.	FY 2023-24	Nil	Nil	39.24	7.61#	26.09.2024	25.62	-

[#] Budget sanctioned ₹ 74.09 crore - Amount Spent ₹ 39.24 crore - Balance amount to be spent ₹ 25.62 crore - Amount spent in FY 2021-22 and 2022-23 respectively i.e. (₹ 0.18 crore + ₹ 1.44 crore) = ₹ 7.61 crore.

8. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year: No

If yes, enter the number of Capital assets created/ acquired: NA

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year:

SI. No.	Short particulars of the property or asset (s) [including complete address and location of the property]	Pin code of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent	Details of ent the registered	-	/ beneficiary of
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

(All the fields should be captured as appearing in the revenue record, flat no, house no, Municipal Office/Municipal Corporation/ Gram panchayat are to be specified and also the area of the immovable property as well as boundaries)

9. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per subsection (5) of section 135 – The CSR spent for FY 2024-25 is ₹ 70.13 crore and undisbursed amount of ₹ 32.87 crore towards ongoing projects has been transferred to 'Unspent CSR Account for FY 2024-25'. Hence, the unspent amount for FY 2024-25 is Nil.

Rakesh Sharma (DIN: 06846594) MD & CEO Chairman of CSR Committee May 29, 2025



FORM NO. MR-3 SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

(Pursuant to Section 204 (1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014)

To, The Members, IDBI Bank Limited IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by IDBI Bank Limited (hereinafter called 'the Bank'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank, to the extent the information provided by the Bank, its officers, agents and authorised representatives during the conduct of secretarial audit, the explanations and clarifications given to us and the representations made by the Management, and considering the relaxations granted by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2025, generally complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records made available to us and maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2025 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder;
- (ii) The Securities Contract (Regulation) Act, 1956 ('SCRA") and the rules made thereunder;
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings (Not applicable to the Bank during the audit period)
- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'), to the extent applicable and as amended from time to time:
 - a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018; (Not applicable to the Bank during the audit period)
 - d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021; (Not applicable to the Bank during the audit period)
 - e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;

- f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; (Not applicable to the Bank during the audit period)
- g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021; (Not applicable to the Bank during the audit period)
- h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; (Not applicable to the Bank during the audit period)
- i) Other regulations of the Securities and Exchange Board of India as are applicable to the Bank:
 - 1. The Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994
 - 2. The SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 2018;
- (vi) Other laws applicable specifically to the Bank namely:
 - The Banking Regulation Act, 1949 and Rules, Notifications, Circulars and Guidance issued by the Reserve Bank
 of India from time to time;
 - The Reserve Bank of India (RBI) Act, 1934;
 - Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002;
 - The Prevention of Money-Laundering Act (PMLA), 2002 and The Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records, etc.) Rules, 2005;
 - The Payment and Settlement Systems Act, 2007;
 - The Negotiable Instruments Act, 1881

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India with respect to meetings of the Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2).
- (ii) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited read with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

During the period under review, the Bank has generally complied with the provisions of the Act, rules, regulations, guidelines, standards, etc. mentioned above.

We report that a penalty of ₹ 36.30 lakh was levied on the Bank by the Reserve Bank of India under Section 11(3) of FEMA, 1999.

We further report that:

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice was given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, except where meeting was held at a short notice to transact urgent business and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

As per the minutes, decisions at the meetings of the Board of Directors of the Bank were carried out with requisite majority.



We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period the following events occurred during the year which have a major bearing on the Bank's affairs in pursuance of the laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc. referred to above:

IDBI OMNI Bonds redeemed on maturity/call option as under: 1)

Sr. No.	Category	ISIN	Allotment Date	Maturity Date	Call Option Date	Amount in Rs. Crore	Coupon
1	Senior (Infrastructure)	INE008A08U76	12.09.2014	12.09.2024		1000	9.270%
2	Senior (Infrastructure)	INE008A08U92	21.01.2015	21.05.2025		3000	8.725%
3	Basel III Tier II	INE008A08V59	03.02.2020	03.02.2030	03.02.2025	745	9.500%

For Parikh & Associates Company Secretaries

Mohammad Pillikandlu

Partner

FCS No.: 10619 | C P No.: 14603 UDIN: F010619G000213470

PR No.: 6556/2025

Place: Mumbai Date: 28.04.2025

This Report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.

Annexure - A

To, The Members IDBI Bank Limited IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005

Our report of even date is to be read along with this letter.

- 1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
- 2. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the process and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
- 3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.
- 4. Where ever required, we have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events, etc.
- 5. The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedure on test basis.
- 6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Parikh & Associates Company Secretaries

Mohammad Pillikandlu

Partner

FCS No.: 10619 | C P No.: 14603 UDIN: F010619G000213470

PR No.: 6556/2025

Place: Mumbai Date: 28.04.2025



CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To, The Members IDBI BANK LIMITED IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400005.

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of IDBI Bank Limited having CIN L65190MH2004GOI148838 and having registered office at IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400005 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before me/us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on March 31, 2025 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Sr. No.	Name of Director	DIN	Date of Appointment in Company*
1.	Rakesh Sharma	06846594	October 10, 2018
2.	Deepak Singhal	08375146	February 28, 2019
3.	Sanjay Gokuldas Kallapur	08377808	March 05, 2019
4.	P V Bharathi	06519925	January 14, 2021
5.	Raj Kumar	06627311	May 19, 2022
6.	Sushil Kumar Singh	09584577	April 28, 2022
7.	Bhuwanchandra Balkrishna Joshi	06713850	October 09, 2017
8.	Samaresh Parida	01853823	May 19, 2018
9.	Jambunathan Narayanan	05126421	May 19, 2018
10.	Thothala Narayanasamy Manoharan	01186248	February 24, 2022
11.	Manoj Sahay	08711612	April 28, 2022
12.	Sat Pal Bhanoo	10482731	February 10, 2025
13.	Sumit Phakka	08259618	July 15,2024
14.	Ajay Prakash Sawhney	03359323	August 28, 2023
15.	Jayakumar Subramonia Pillai	10041362	June 12, 2023

^{*}the date of appointment is as per the MCA Portal.

Ensuring the eligibility for the appointment/ continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Parikh & Associates Practising Company Secretaries

Mohammad Pillikandlu

Partner

SD/-

FCS No: 10619 CP No: 14603 UDIN: F010619G000213305

PR No.: 6556/2025 Mumbai, April 28, 2025



कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कथन

प्रिय हितधारको.

आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल और प्रबंधन टीम की ओर से, मुझे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक की कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है. यह रिपोर्ट, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी उत्तरदायी कारोबार संचालन हेतु राष्ट्रीय दिशानिर्देशों (एनजीआरबीसी) के अनूरूप, हमारे परिचालनों और दीर्घकालिक रणनीति के हर स्तर में पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) सिद्धांतों को एकीकृत करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

ईएसजी के विभिन्न मापदंडों पर रिपोर्टिंग की विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालक होते हुए, आपके बैंक का बीआरएसआर एक स्थिरता-केंद्रित संगठन के रूप में इसकी चल रही प्रगति को भी उजागर करती है. पारदर्शिता और विनियामक अनुपालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए, हमने बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों अर्थात चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सुरी एंड कंपनी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बीआरएसआर कोर प्रकटन के बारे में स्वतंत्र आश्वासन देने के लिए नियक्त किया है. उनका स्वतंत्र आश्वासन कथन इस वार्षिक रिपोर्ट के बीआरएसआर खंड में शामिल किया गया है जो हमारी स्थिरता रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता को अधिक बढ़ाता है. इसके अलावा, अपने हितधारकों को ईएसजी के विभिन्न मापदंडों पर बैंक के कार्यीनष्पादन के बारे में अधिक विस्तृत और आसानी से समझने योग्य जानकारी प्रदान करने के लिए, हम वार्षिक आधार पर एक ईएसजी डेटाबुक भी प्रकाशित करते हैं. यह डेटाबुक बैंक की प्रमुख ईएसजी मेटिक्स और पहल कार्यों के बारे में पारदर्शी और आसानी से समझने वाले ढंग से विस्तृत और बारीक स्तर की जानकारी प्रदान करती है जो पारदर्शी और जवाबदेही के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है.

बैंक 2023 से एसएंडपी ग्लोबल द्वारा आयोजित कॉरपोरेट संधारणीयता आकलन (सीएसए) में स्वैच्छिक रूप से भाग ले रहा है. यह भागीदारी अंतरराष्ट्रीय ईएसजी मानकों के साथ तालमेल बिठाने के हमारे सिक्रय दृष्टिकोण और पारदर्शी बाहरी मुल्यांकन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है. हमें सीएसए में अपने ईएसजी स्कोर में उल्लेखनीय और लगातार सुधार की रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है, जो हमारे ईएसजी प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए हमारे समर्पित प्रयासों को दर्शाता है

आईडीबीआई बैंक में हम मानते हैं कि वित्तीय क्षेत्र में मजबृत ईएसजी प्रदर्शन आंतरिक परिचालन से परे संपूर्ण मुल्य शृंखला तक विस्तारित होना चाहिए. आने वाले वर्षों में, हम अपने वित्तपोषण निर्णयों, आपूर्तिकर्ता संबंधों और साझेदार जुड़ावों में ईएसजी मापदंडों का आकलन और एकीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. ईएसजी मानदंडों को अपनी मुल्य शृंखला में शामिल करके, हमारा उद्देश्य जिम्मेदार उधार को बढावा देना, स्थायी व्यावसायिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और दीर्घकालिक जोखिमों को कम करना है. यह दृष्टिकोण हितधारकों की अपेक्षाओं और विनियामक अनुपालन के साथ संरेखित करते हुए सतत विकास के उत्प्रेरक के रूप में हमारी भूमिका को मजबूत करता है.

ईएसजी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के सम्मान में, अक्टूबर 2024 में आईडीबीआई बैंक को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (एसोचैम) द्वारा बडे और मध्यम आकार के बैंकों की '*सर्वश्रेष्ठ ईएसजी पहल*' श्रेणी में '*उपविजेता*' घोषित किया गया था. यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हमारे परिचालनों में ईएसजी सिद्धांतों को एकीकृत करने और हमारे स्थिरता प्रयासों के सकारात्मक प्रभाव में की गई प्रगति का प्रमाण है. यह हमें अपनी प्रतिबद्धता को और मजबृत करने तथा अपनी संधारणीय यात्रा को जारी रखने के लिए प्रेरित करता है.

भविष्य की ओर देखते हुए, आईडीबीआई बैंक अपने ईएसजी प्रदर्शन को लगातार बेहतर बनाने और अपने दीर्घकालिक रणनीतिक उद्देश्यों में स्थिरता को और एकीकृत करने के अपने संकल्प में दृढ़ है. हमारा मानना है कि ईएसजी सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने सभी हितधारकों के लिए एक अधिक लचीला, जिम्मेदार और मूल्यवान संस्थान बना सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य में एक संधारणीय योगदान देगा. हम सभी विनियामक एवं सांविधिक प्राधिकारियों, अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों और अन्य सभी हितधारकों को इस महत्वपूर्ण यात्रा में उनके निरंतर सहयोग के लिए, विशेष रूप से निदेशक मंडल को उनके दृढ़ समर्थन और बैंक को चलाने में अमुल्य मार्गदर्शन के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं. मैं अपने सभी समर्पित कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत और लगन के लिए अपनी विशेष प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूँ, जो क्षमता को अनलॉक करने और अच्छा प्रदर्शन देने में महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक रहे हैं.

मेरा दृढ विश्वास है कि हितधारकों की सम्मिलित और प्रभावी भागीदारी के साथ, बैंक अपने विकास और स्थिरता की खोज में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होगा.

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ,

राकेश शर्मा एमडी और सीईओ

भाग क: सामान्य प्रकटन

सूचीबद्ध संस्था का ब्योरा:

क्रम ·	विवरण	ब्योरा
संख्या.		
1.	सूचीबद्ध संस्था की कॉरपोरेट पहचान	L65190MH2004GOI148838
	संख्या (सीआईएन)	
2.	सूचीबद्ध संस्था का नाम	आईडीबीआई बैंक लि.
3.	निगमन का वर्ष	27 सितंबर 2004
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता	आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005
5.	कॉरपोरेट पता	आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005
6.	ई मेल:	idbiequity@idbi.co.in
7.	टेलीफोन	+91-22-66553355
8.	वेबसाइट	www.idbibank.in
9.	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्ट की जा रही है	वित्तीय वर्ष 2024-25
10.	स्टॉक एक्सचेंज(जों) का नाम जहां शेयरों	बीएसई लि. एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.
	को सूचीबद्ध किया गया है	
11.	चुकता पूंजी (भारतीय रुपया)	₹ 1,07,52,40,21,750
	संपर्क अधिकारी का नाम	श्री मनीष पाल, महाप्रबंधक
12.	टेलीफोन	+91-22-66553355
	ई मेल पताः	brsr@idbi.co.in
13.	रिपोर्टिंग सीमा	एकल
14.	आश्वासन प्रदाता का नाम	चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सूरी एंड कं. (बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक)
15.	प्राप्त आश्वासन का प्रकार	बीआरएसआर कोर प्रकटन के लिए उचित आश्वासन

Ⅱ. योजनाएं और सेवाएं

16. कारोबारी गतिविधियों का ब्योरा

क्रम संख्या.	प्रमुख गतिविधि का वर्णन	कारोबारी गतिविधि का विवरण	संस्था का टर्न ओवर प्रतिशत
1.	वित्तीय और बीमा सेवा	केंद्रीय, वाणिज्यिक और बचत बैंकों द्वारा बैंकिंग गतिविधियां	100%

17. संस्था द्वारा बेची गई योजनाएं / सेवाएं

क्रम संख्या.	प्रमुख गतिविधि का वर्णन	एनआईसी कोड	कुल टर्न ओवर में योगदान का प्रतिशत
1.	वाणिज्यिक बैंकों, बचत बैंकों, डाक बचत बैंक और डिस्काउंट गृहों की मौद्रिक मध्यस्थता		100%



कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

III. परिचालनः

18. जहां पर संस्था के संयंत्र और /या परिचालन / कार्यालय स्थित हैं, उन स्थानों की संख्या :

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	लागू नहीं	शाखाएं - 2,127*	शाखाएं - 2,127*
		कार्यालय - 256	कार्यालय - 256
अंतर्राष्ट्रीय #	लागू नहीं	शाखा - 1	शाखा - 1

^{* -} इसमें 24 आईडीबीआई समीप (निश्चित कारोबारी प्रतिनिधि) बैंकिंग आउटलेट शामिल हैं.

19. संस्था द्वारा सेवित बाजार:

क. स्थानों की संख्या:

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	35*
अंर्तराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	1#

^{* -} केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं.

ख. संस्था के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान कितना है?

लागू नहीं

ग. ग्राहकों के प्रकारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी

आईडीबीआई बैंक लि., एक सार्वभौमिक बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है, जो पूरे भारत में व्यक्तियों, किसानों, सूक्ष्म और लघु व्यवसायों और मझौले एवं बड़ी कंपनियों सिंहत विविध ग्राहक खंडों को सेवाएं प्रदान करता है. बैंक वित्तीय और निवेश उत्पादों जैसे बचत और चालू खाते, सावध जमा, खुदरा ऋण (आवास, ऑटो, व्यक्तिगत और शिक्षा) के साथ-साथ व्यवसायों के लिए ऋण और गैर-ऋण सुविधाओं का एक व्यापक पोर्टफोलियो प्रदान करता है. इनमें निधि-आधारित और गैर-निधि-आधारित उत्पाद, व्यापार वित्त, ट्रेजरी और पूंजी बाजार सेवाएं, नकद प्रबंधन समाधान और कर संग्रह सेवाएँ शामिल हैं. शाखाओं और कार्यालयों के एक मजबूत राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के साथ, बैंक वित्तीय पहुँच और समावेशन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप समग्र बैंकिंग समाधान प्रदान करके, बैंक एक विश्वसनीय वित्तीय भागीदार के रूप में सेवा करना जारी रखता है, जिससे ग्राहक अपनी आर्थिक आकांक्षाओं को साकार कर सकें. बैंक द्वारा ऑफर किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण अनुभाग में दिया गया है.

IV. कर्मचारी:

20. वित्तीय वर्ष के अंत का विवरण:

क. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांग सहित):

	विवरण		पुरुष		महिला			
क्रम सं.		कुल (ए)	संख्या (बी)	प्रतिशत (बी/ए)	संख्या (सी)	प्रतिशत (सी / ए)		
<u>कर्मचारी</u>								
1.	स्थायी कर्मचारी (ए)	16,911	11,123	65.77%	5,788	34.23%		
2.	स्थायी कर्मचारियों से इतर (बी)	2,176	1,210	55.61%	966	44.39%		
3.	कुल कर्मचारी (ए+बी)	19,087	12,333	64.61%	6,754	35.39%		

^{# -} बैंक की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाई (आईबीयू) गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी), गांधीनगर, गुजरात में स्थित है.

^{# -} इसमें बैंक की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाई (आईबीयू) शामिल है, जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी), गांधीनगर, गुजरात में स्थित है.

			पुरुष		महिला			
क्रम सं.	विवरण	कुल (ए)	संख्या (बी)	प्रतिशत (बी / ए)	संख्या (सी)	प्रतिशत (सी / ए)		
कामगार								
4.	स्थायी कामगार (सी)	644	487	75.62%	157	24.38%		
5.	स्थायी कामगारों से इतर (डी)	0	0	-	0	-		
6.	कुल कामगार (सी + डी)	644	487	75.62%	157	24.38%		

दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

			पुरुष		महिला					
क्रम सं.	विवरण	कुल (ए)	संख्या (बी)	प्रतिशत (बी / ए)	संख्या (सी)	प्रतिशत (सी / ए)				
	कर्मचारी									
1	स्थायी कर्मचारी (ई)	528	392	74.24%	136	25.76%				
2	स्थायी कर्मचारियों से इतर (एफ)	346	248	71.68%	98	28.32%				
3	कुल कर्मचारी (ई + एफ)	874	640	73.23%	234	26.77%				
		•	कामगार							
4	स्थायी कामगार (जी)	10	8	80.00%	2	20.00%				
5	स्थायी कामगारों से इतर (एच)	0	0	-	0	-				
6	कुल दिव्यांग कर्मचारी	10	8	80.00%	2	20.00%				
	(जी + एच)									

21. 31 मार्च 2025 को महिलाओं की सहभागिता / समावेश / प्रतिनिधित्व:

	कुल (ए)	महिलाओं की संख्या (बी)	महिलाओं का प्रतिशत (बी/ए)
निदेशक मंडल	15*	1	6.67%
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	5#	2	40.00%

^{* -} बैंक के निदेशक मंडल के तीन सदस्य, अर्थात् प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) और वो उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) भी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के अंतर्गत शामिल हैं.

22. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की टर्नओवर दर:

	वित्तीय वर्ष 2024-25*			वित्तीय वर्ष 2023-24*			वित्तीय वर्ष 2022-23*		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	5.63%	5.63%	5.63%	6.51%	6.63%	6.55%	4.82%	4.59%	4.74%
स्थायी कामगार	0.55%	0.00%	0.42%	1.10%	2.08%	1.33%	13.51%	8.63%	12.47%

टिप्पणीः # वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टर्नओवर दर की गणना (वित्तीय वर्ष में संस्था से रोजगार छोड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या X 100)/ श्रेणी में नियोजित व्यक्तियों

^{# -} मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक में एमडी एवं सीईओ, दो डीएमडी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और कंपनी सचिव शामिल हैं.

^{* -} टर्नओवर दर की गणना छोड़ने वालों की संख्या/(अवधि की शुरुआत में कर्मचारियों की संख्या (अर्थात् 1 अप्रैल) + वित्तीय वर्ष के दौरान नए कार्यग्रहण करने वालों की संख्या) के रूप में की गई है. इस तर्क का उपयोग रिजर्व बैंक सहित डेटा प्रस्तुत करने के लिए समान रूप से प्रयुक्त किया जाता है.



V. धारक / सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यमों सहित):

23. (क) धारक / सहायक/ सहयोगी कंपनियां/ संयुक्त उद्यमों के नाम

क्रम सं.	धारक / सहायक / सहयोगी कंपनियां / संयुक्त उद्यमों के नाम	यह दर्शायें कि क्या कंपनी धारक/ सहायक/ सहयोगी कंपनी/ संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का%	कॉलम 'क' में दर्शायी गयी संस्था सूचीबद्ध संस्था की कारोबारी उत्तरदायित्व की पहलों में भाग लेती है? (हाँ / नहीं)
1	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि.	सहायक	66.67%	नहीं
2	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लि.	सहायक	100.00%	नहीं
3	आईडीबीआई इंटेक लि	सहायक	100.00%	नहीं
4	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि.	सहायक	54.70%	नहीं
5	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि.	सहायक	100.00%	नहीं
6	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि.	सहयोगी	26.10%	नहीं
7	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि.	सहयोगी	25.00%	नहीं
8	बायोटेक कॉन्सोर्शियम इंडिया लि.	सहयोगी	27.93%	नहीं
9	पॉन्डिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि.	सहयोगी	21.14%	नहीं

VI सीएसआर का ब्योरा

24.

क.	क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है?	हाँ
	टर्नओवर (भारतीय रुपया में)	₹ 33,826.02 करोड़
ग.	निवल मालियत (भारतीय रुपया में)	₹ 43,638.53 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटन संबंधी अनुपालन

25. उत्तरदायी कारोबारी आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अंतर्गत किसी भी सिद्धांत (1 से 9 सिद्धांत) के बारे में शिकायत/ परिवाद:

हितधारक समूह	मौजूद शिकायत	वि	वर्ष 2024	-25	वित्तीय वर्ष 2023-24			
जिससे शिकायत प्राप्त हुई है		शिकायतों की संख्या			शिकायतों की संख्या			
પ્રાપ્ત હુંફ ફ	(हाँ / नहीं) (यदि हाँ तो शिकायत निवारण नीति का वेबलिंक प्रदान करें)	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	
समुदाय	ยี้, (https://www. idbibank.in/pdf/ CSR-Policy.pdf)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	

हितधारक समूह	मौजूद शिकायत	वि	ात्तीय वर्ष 2024	-25	वि	ात्तीय वर्ष 2023	3-24
जिससे शिकायत	निवारण तंत्र	शिकायतों	की संख्या		शिकायतों	की संख्या	
प्राप्त हुई है	(हाँ / नहीं) (यदि हाँ तो शिकायत निवारण नीति का वेबलिंक प्रदान करें)	वर्ष के दौरान दर्ज की गई			वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
शेयरधारक	हाँ, (https://www. idbibank. in/idbi-bank- officials-for- shareholder- grievances.aspx)	2,153	0	लागू नहीं	1,644	0	लागू नहीं
निवेशक (शेयर धारकों से इतर)	हाँ, (https://www. idbibank.in/flexi- bond.aspx)	-	-	'ग्राहक' शीर्ष के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया है जिसमें फ़्लेक्सी बॉन्ड संबंधी शिकायतें भी शामिल हैं	-	-	'ग्राहक' शीर्ष के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया है जिसमें फ़्लेक्सी बॉन्ड संबंधी शिकायतें भी शामिल हैं
कर्मचारी और कामगार #	हां, बैंक ने अपने इंट्रानेट पर कर्मचारी शिकायत निवारण के लिए एक ऑनलाइन तंत्र 'आई- हृदयों' शुरू किया है.	48	4	लागू नहीं	42	23	लागू नहीं
ग्राहक	हां, (https://www. idbibank. in/banking- complaints-I. aspx)	49,508	154	फ्लेक्सीबॉन्ड शिकायतों सहित सभी स्रोतों से प्राप्त शिकायतें.	59,714	282	फ्लेक्सीबॉन्ड शिकायतों सहित सभी स्रोतों से प्राप्त शिकायतें.
मूल्य शृंखला भागीदार	हां, (https://www. idbibank.in/ vigilance- mechanism- notice.aspx)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं



हितधारक समूह	मौजूद शिकायत	वि	वत्तीय वर्ष 2024	-25	वि	ात्तीय वर्ष 2023	3-24
•	निवारण तंत्र (हाँ / नहीं)	शिकायतों	की संख्या		शिकायतों	को संख्या	
प्राप्त हुई है	(यदि हाँ तो शिकायत निवारण नीति का वेबलिंक प्रदान करें)	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	हां, बैंक उन शिकायतों पर कार्रवाई करता है, जिनमें सतर्कता का दृष्टिकोण दिखाई देता है और शिकायत निपटान तंत्र के लिए सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार भ्रष्टाचार या अन्य प्रकार के कदाचार की जानकारी के साथ प्रक्रियात्मक और परिचालन संबंधी मुद्दे (https://www.idbibank.in/vigilance-mechanism-notice.aspx) प्रदर्शित होते हैं. बैंक के पास एक व्हिसल ब्लोअर तंत्र भी है, जो इसके इंट्रानेट पर उपलब्ध है, तािक इसके कर्मचारी अपने विचारों को रख सकें और आंतरिक कर्मचारियों द्वारा अपनाई गई गलत प्रथाओं के बारे में प्रबंधन को सचेत कर सकें.	128	26	शिकायतों की संख्या में सीवीसी शिकायत निवारण तंत्र के तहत प्राप्त 117 शिकायतें शामिल हैं, जिनमें से 26 वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित थीं और बैंक के व्हिसल ब्लोअर तंत्र के तहत प्राप्त 11* शिकायतें शामिल हैं, जिनमें से कोई भी वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित नहीं थी.	77	7	शिकायतों की संख्या में सीवीसी शिकायत निवारण तंत्र के तहत प्राप्त 69 शिकायतें शामिल हैं, जिनमें से 7, वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित थीं और बैंक के व्हिसल ब्लोअर तंत्र के तहत प्राप्त 8 शिकायतें शामिल हैं, जिनमें से कोई भी वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित नहीं थीं.

टिप्पणी:

^{# -} कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पोश) के तहत शिकायतें शामिल हैं.

^{* -} वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक के इंट्रानेट पर समर्पित ईमेल सुविधा के माध्यम से बैंक के कर्मचारियों से 12 व्हिसल ब्लोअर शिकायतें प्राप्त हुईं. जिनमें से एक विशेष अधिकारी के खिलाफ एक ही शिकायत दो बार प्राप्त हुई. इसलिए, वर्ष के लिए वास्तविक गिनती 11 मानी गई है.

26. संस्था के महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारोबारी आचरण मुद्दों का विहंगावलोकन

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	यह दर्शाएं जोखिम है या अवसर	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	
1	ग्राहक निजता और डेटा सुरक्षा	जोखिम	जोखिम: बैंकिंग सेवाओं के तीव्र डिजिटलीकरण को देखते हुए, साइबर खतरों को रोकने और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए ग्राहक डेटा की सुरक्षा महत्वपूर्ण है.	 बैंक ने सूचना सुरक्षा नीति और साइबर सुरक्षा नीति सिहत मजबूत आईटी जोखिम अभिशासन ढांचे को लागू किया है, तथा साइबर सुरक्षा जोखिमों से निपटने के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजना लागू की है. बैंक ने एक 24x7 सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) स्थापित किया है जो फायरवॉल, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली (आईडीएस) डिवाइस/घुसपैठ रोकथाम प्रणाली (आईपीएस) विवायर खतरों को संभालता है. बैंक द्वारा डिजिटल अनुप्रयोगों का नियमित भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) किया जाता है. बैंक के डेटा सेंटर (डीसी), डिजास्टर रिकवरी (डीआर) और निकट डीआर सुविधाएं आईएसओ 27001:2013 प्रमाणित हैं, जो कड़े सूचना सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करते हैं. 	नकारात्मक जोखिम: डेटा उल्लंघन बैंक के लिए जोखिम पैदा करता है क्योंकि इससे हितधारकों का विश्वास खत्म हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप संभावित राजस्व हानि और विनियामक दंड हो सकता है.
2.	ग्राहक संतुष्टि	जोखिम और अवसर	जोखिम: खराब ग्राहक सेवा से ग्राहक पलायन बढ़ सकता है और प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है. अवसर: ग्राहक संतुष्टि का उच्च स्तर वफादारी, बार-बार व्यापार और मजबूत बाजार उपस्थिति को बढ़ावा देता है.	 बैंक के पास 24x7 ग्राहक सेवा केंद्र (सीसीसी), बहु-स्थान संपर्क केंद्र और ग्राहकों की चिंताओं को समय पर निपटाने के लिए पिरभाषित एस्केलेशन मैट्रिक्स है. 15 अंचल कार्यालयों में से प्रत्येक में शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) नियुक्त किए गए हैं, जबिक प्रधान कार्यालय में एक प्रमुख नोडल अधिकारी (पीएनओ) है. बैंक ने शिकायतों के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए एक आंतरिक लोकपाल (आईओ) भी नियुक्त किया है. बैंक की दो उच्च स्तरीय समितियां अर्थात ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति (एससीसीएस) और बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी), सेवा की गुणवत्ता और जवाबदेही की निगरानी करती हैं. 	ग्राहकों के परिणामस्वरूप कारोबार की हानि और ब्रांड इक्विटी कमजोर हो सकती है.



क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	यह दर्शाएं जोखिम है या अवसर	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव)
3	जोखिम प्रबंधन	जोखिम और अवसर	जोखिम: अप्रभावी जोखिम प्रबंधन से वित्तीय अस्थिरता, परिचालन अक्षमता, विनियामक गैर-अनुपालन और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है. अवसर: एक मजबूत जोखिम ढांचा व्यवसायिक लचीलापन और दीर्घकालिक मूल्य सृजन को सक्षम बनाता है.	प्रक्रियाओं के साथ एक संरचित जोखिम ढांचा है, जिसे नए खतरों और उभरते विनियमों को प्रतिबिंबित करने के लिए समय-समय पर अद्यतन किया जाता है. • बैंक के बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति	 नकारात्मक जोखिम: जोखिम प्रबंधन में खामियों के परिणामस्वरूप नुकसान, जुर्माना और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है. सकारात्मक अवसर: सक्रिय जोखिम नियंत्रण परिचालन दक्षता और दीर्घकालिक लाभप्रदता को बढ़ाता है.
4	डिजिटाइजेशन	अवसर	• अवसर: डिजिटल परिवर्तन परिचालन दक्षता को बढ़ाता है, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाता है, नवाचार को बढ़ावा देता है, डेटा सुरक्षा को मजबूत करता है और अनुपालन में सुधार करता है.	-	• सकारात्मक अवसर: प्रौद्योगिकी तीव्र सेवा वितरण, डेटा-संचालित निर्णय, स्वचालित प्रक्रियाएं और नए ग्राहक खंडों तक पहुंच को सक्षम बनाती है, जिससे निरंतर राजस्व वृद्धि को समर्थन मिलता है.
5	अनुपालन	जोखिम और अवसर	जोखिम: अनुपालन न करने पर कानूनी जोखिम, दंड और प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है. अवसर: मजबूत अनुपालन प्रणालियां ईमानदारी और हितधारकों के विश्वास को सुदृढ़ बनाती हैं.	दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की देखरेख में आंतरिक	नकारात्मक जोखिमः अनुपालन में चूक के कारण दंड और प्रतिष्ठा जोखिम से वित्तीय नुकसान हो सकता है. सकारात्मक अवसरः प्रभावी अनुपालन जोखिम न्यूनीकरण में सहायता करता है, ब्रांड छिव को मजबूत करता है और हितधारक विश्वास को बढ़ाता है.
6	ग्राहक जागरकता	अवसर	• अवसर: ग्राहकों को शिक्षित करने से पारदर्शिता बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है और सहभागिता गहरी होती है.	-	• सकारात्मक अवसर: जागरूक ग्राहक वफ़ादारी बढ़ाते हैं, सेवा संबंधी समस्याओं को कम करते हैं, क्रॉस- सेल की संभावना को खोलते हैं, और कारोबार विस्तार में सहायता करते हैं.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	यह दर्शाएं जोखिम है या अवसर	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	
7	कारोबारी नैतिकता और अभिशासन	जोखिम और अवसर	जोखिम: कमजोर अभिशासन से धोखाधड़ी, खराब अनुपालन को बढ़ावा मिल सकता है तथा विश्वास कम हो सकता है. अवसर: नैतिक आचरण प्रतिष्ठा और हितधारक संबंधों को मजबूत करता है.	 बैंक का बोर्ड और विभिन्न बोर्ड स्तरीय सिमितियां कॉरपोरेट अभिशासन मानदंडों और पारदर्शिता का पालन सुनिश्चित करती हैं. बैंक मुख्य/अंचलीय नैतिक अधिकारियों द्वारा समर्थित आचार संहिता और नैतिक नीति के माध्यम से नैतिक आचरण को कायम रखता है. बैंक की पर्यावरण, सामाजिक एवं अभिशासन (ईएसजी) नीति ईमानदारी और उत्तरदायी व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देती है. 	नकारात्मक जोखिम: अनैतिक कार्यों से वित्तीय हानि, दंड और प्रतिष्ठा में गिरावट हो सकती है. सकारात्मक अवसर: एक मजबूत नैतिक आधार विश्वास को बढ़ाता है, अनुपालन लागत को कम करता है, और सतत विकास को बढ़ावा देता है.
8	प्रतिस्पर्धी व्यवहार	जोखिम और अवसर	 जोखिम: प्रतिस्पर्धात्मकता का अभाव सेवा नवाचार और दक्षता में बाधा उत्पन्न कर सकता है. अवसर: प्रतिस्पर्धी रणनीतियाँ बाजार प्रासंगिकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं. 	 बैंक नियमित समीक्षा और नवाचार के माध्यम से अपने उत्पाद और सेवा मॉडल को बाजार के रुझान के अनुरूप बनाता है. बैंक ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी प्रगति का लाभ उठाता है, जिससे ग्राहकों का उच्चतर प्रतिधारण और अधिग्रहण होता है. 	 नकारात्मक जोखिम: सीमित नवाचार बाजार हिस्सेदारी और लाभप्रदता को सीमित कर सकता है. सकारात्मक अवसर: कुशल पेशकश और बेहतर सेवा ग्राहक अधिग्रहण और वित्तीय विकास को बढ़ावा दे सकती हैं.
9	रोजगार प्रथाएं	अवसर	• अवसर: एक कुशल कार्यबल ग्राहक संतुष्टि, परिचालन शक्ति और रणनीतिक विभेदीकरण को बढ़ावा देता है.	-	• सकारात्मक अवसर: एक प्रतिबद्ध और सक्षम कार्यबल ग्राहकों में उच्च विश्वास, परिचालन उत्कृष्टता और सतत कारोबारी प्रदर्शन को बढ़ावा देता है.
10	कर्मचारी कल्याण	जोखिम और अवसर	 जोखिमः कर्मचारी कल्याण को प्राथिमकता न देने से सहभागिता कम हो सकती है, कर्मचारियों के छोड़ने की संख्या बढ़ सकती है, तथा सेवा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. अवसरः कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने से उत्पादकता, मनोबल और नियोक्ता ब्रांडिंग में सुधार होता है. 	गैर-वित्तीय लाभों का मिश्रण प्रदान करती हैं.	स्वास्थ्य प्रथाओं के कारण कर्मचारियों का पलायन, उत्पादन में कमी, तथा नियुक्ति/प्रशिक्षण लागत में वृद्धि हो



भाग ख: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

	प्रकटीकरण संबंधी प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
	नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1.	क. क्या आपकी संस्था की नीति / नीतियों में एनजीआरबीसी के हर सिद्धांत और इसके मूलभूत तत्वों को शामिल किया गया है? (हाँ / नहीं)		हाँ	हॉं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ख. क्या यह नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? (हाँ / नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ग. इन नीतियों का वेबलिंक, यदि उपलब्ध हों	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	9, 18, 19, 20, 22	2, 16, 17, 21, 23, 24, 25	16, 23, 26	23, 27, 28	7, 29	4, 7	7, 36	19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38
2.	क्या संस्था ने अपनी नीतियों को क्रियाविधियों में परिवर्तित किया है ? (हाँ / नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	क्या सूचीबद्ध नीतियाँ आपकी मूल्य शृंखला भागीदारों पर भी लागू होती हैं (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	आपकी संस्था द्वारा अपनाये गये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड / प्रमाणपत्र / लेबल्स / मानकों (जैसे, फॉरेस्ट स्टूअड्शिंप काउंसिल, फेयर ट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायन्स, ट्रस्टी) मानक (जैसे एस ए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) का नाम और अपने हर सिद्धांत के साथ उन्हें जोड़ लिया है.	प्रतिभूति औ द्वारा निर्धारि है.	र विनिमय बे	ार्ड (सेबी) तथ	ग्र किसी	अन्य र	पांविधिक	5 प्राधिव	ज्रण / रि	वेनियामक
5.	संस्था द्वारा सुपरिभाषित समय सीमा के साथ स्थापित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य, और लक्ष्य, यदि कोई हों	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
6.	संस्था का विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्य और लक्ष्यों को लेकर कार्यनिष्पादन तथा यदि इनमें से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है तो उसके कारण.		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अभिशासन, नेतृत्व और निरीक्षण									
7.	कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदे प्रकाश डाला गया हो: कृपया वार्षिक रिपोर्ट के बीआर दिये गए कथन को देखें.									
8.	कारोबारी उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण.	श्री राकेश श	ार्मा, प्रबंध निवे	रशक एवं मुख्य	ा कार्यपा	लिक अ	धिकारी			

9.	क्या संस्था में बोर्ड / निदेशक की ऐसी कोई निर्दिष्ट समिति है जो संधारणीयता से संबंधित मुद्दों के बारे में निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो विवरण दें.	और ईएस् निभाती है और वित्ती अभिशास संबंधित प्र) नीति पर गजी समिति :. सीएसअ ग्य वर्ष 20: न खंड में गबंधन सम्मि को सुनिश्चि	आधारित न के पास ार एवं ईप 24-25 में दिया गया ति जिसमें त करने अं	है. ईएसजें है, जो बैंक एसजी समि आयोजित है. परिच वरिष्ठ नेते ौर बैंक के	ते से संबद्ध के ईएसर पित की सं । इसकी बैत । लन स्तर तृत्व शामि संधारणीय	र मामलों वं जी दृष्टि के रचना का प्र उकों का ब्य पर, सीए लि है - ईप् ाता एजेंडे	ो निगरानी ो आगे बढ़ वेवरण इर ोरा वार्षिक सआर ईए सजी प्राथ	बोर्ड की स ाने में अह के विचार रिपोर्ट के सजी और मिकताओं	गिएसआर म भूमिका गर्थ विषय कॉरपोरेट प्रचार से के प्रभावी
10. 7	कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का ब्योरा	पी1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी9
	र्शाएं कि क्या निदेशक / बोर्ड की समिति / अन्य कि कोई - कृपया निर्दिष्ट करें).	प्री समिति	द्वारा सम	ोक्षा की	गयी थी ३	और आवृ	त्ति (वार्षि	क / छ:म	ाही / त्रैम	ासिक /
उपर्युत कार्रव	क्त नीतियों के संबंध में कार्यनिष्पादन और अनुवर्ती वाई	प्राधिकारि के अंतर्गन् आवश्यव व्यावसारि जा सके.	यों के निवे त निष्पादन जतानुसार न यक आवश	रिशानुसार 1 का वार्षिव प्रंशोधन य यकताओं	अपनी नीर्वि क आधार I संवर्द्धन ि और संधा	तेयों की ि पर समय- केया जात रणीयता	बंधों के उ नेयमित स् समय पर है, ताकि उद्देश्यों के	ामीक्षा कर मूल्यांकन बदलती वि साथ संरेर	ता है. प्रत किया जात नियामक खण सुनिधि	येक नीति ता है तथा अपेक्षाओं, धेत किया
	ांतों से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन किसी भी गैर-अनुपालन में सुधार	बैंक संबद्ध का अनुपा		त∕विनिया ग	नक प्राधिक	ारियों द्वार	। अधिसूचि	त सभी ल	ागू कानूनों/	(विनियमों
			10141 6.							
11.	क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों का स्वतंत्र रूप से आकलन / मूल्यांकन करवाया है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएं.	पी1 नहीं	पो 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी9
11.	नीतियों का स्वतंत्र रूप से आकलन / मूल्यांकन करवाया है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो एजेंसी का	पी1 नहीं	पी 2							पी9
11.	नीतियों का स्वतंत्र रूप से आकलन / मूल्यांकन करवाया है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएं. यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर ''नहीं'' है, अर्थात्	पी1 नहीं	पी 2							पी9
11. 12. प्रश्न संस्था महत्व	नीतियों का स्वतंत्र रूप से आकलन / मूल्यांकन करवाया है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएं. यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर ''नहीं'' है, अर्थात्	पी1 नहीं नीति में स् पी1	पी 2 भी सिद्ध पी 2	ांत शामित	ल नहीं है,	कारणों	का उल्ले	ख किया	जाए :	
11. 12. प्रश्न संस्था महत्व संस्था पर ने (हाँ/	नीतियों का स्वतंत्र रूप से आकलन / मूल्यांकन करवाया है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएं. यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर ''नहीं'' है, अर्थात् इन सिद्धांतों को अपने कारोबार की दृष्टि से प्रपूर्ण नहीं मानती है (हाँ /नहीं) एसी स्थिति में नहीं है कि जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों ग़ीतियाँ बना सके और उनको कार्यान्वित कर सके	पी1 नहीं नीति में स् पी1	पी 2 भी सिद्ध पी 2	ांत शामित	ल नहीं है,	कारणों	का उल्ले	ख किया	जाए :	
11. 12. प्रश्न संस्था पर ने (हाँ/ संस्था तकने	नीतियों का स्वतंत्र रूप से आकलन / मूल्यांकन करवाया है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएं. यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर ''नहीं'' है, अर्थात् वा इन सिद्धांतों को अपने कारोबार की दृष्टि से पूर्ण नहीं मानती है (हाँ /नहीं) वा ऐसी स्थिति में नहीं है कि जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों वितियाँ बना सके और उनको कार्यान्वित कर सके नहीं) वो के पास कार्य के लिए वित्तीय अथवा/ मानवीय एवं	पी1 नहीं नीति में स् पी1	पी 2 भी सिद्ध पी 2	ांत शामित	ल नहीं है,	कारणों	का उल्ले	ख किया	जाए :	



नीतियों की सुची:

- ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता (https://www.idbibank.in/commitment-code.aspx) 1.
- सामान्य आचार संहिता और नैतिकता (https://www.idbibank.in/idbi-bank-general-code-of-conduct-ethics.aspx#:~:text=Conduct%20 2.
- इनसाइडर टेडिंग की रोकथाम के लिए आईडीबीआई बैंक की आचार संहिता (https://www.idbibank.in/pdf/investor/Prevention of Insider 3. Trading.pdf)
- आईडीबीआई बैंक की अनुपालन नीति (सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है) 4.
- गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए क्षतिपूर्ति नीति (https://www.idbibank.in/pdf/Compensation_Policy.pdf) 5.
- बैंक की पारिश्रमिक नीति (https://www.idbibank.in/pdf/Remuneration-Policy-of-the-Bank.PDF) 6.
- ईएसजी नीति (https://www.idbibank.in/pdf/ESG-Policy.pdf) 7.
- एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति (सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है) 8.
- धोखाधडी जोखिम प्रबंधन नीति (सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है) 9.
- रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार विरोधी नीति (https://www.idbibank.in/pdf/Anti-Bribery-Anti-Corruption-Policy.pdf) 10.
- अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) नीति (सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है) 11.
- घटना संबंधी सूचना की महत्ता के निर्धारण और प्रकटीकरण की नीति (https://www.idbibank.in/pdf/Policy-for-Determination-of-12. Materiality-Disclosure-of-Events.pdf)
- संबद्ध पार्टी लेनदेन (आरपीटी) नीति (https://www.idbibank.in/pdf/Policy-on-Related-Party-Transactions.pdf) 13.
- आईसीएएपी नीति के तहत दबाव परीक्षण (https://www.idbibank.in/pdf/basel/Final-Pillar-III-Disclosures_Sep-24.pdf) 14.
- सर्तर्कता तंत्र (https://www.idbibank.in/vigilance-mechanism.aspx) 15.
- सतर्कता तंत्र पर नीति (https://www.idbibank.in/pdf/Policy-on-Vigil-Mechanism-.pdf) 16.
- अधिकारी सेवा, आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम (सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है) 17.
- आईटी नीति (सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है) 18.
- सूचना सुरक्षा नीति/ साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट प्रबंधन योजना (https://www.idbibank.in/information-security.aspx) 19.
- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति (https://www.idbibank.in/pdf/basel/Final-Pillar-III-Disclosures_Sep-24.pdf) 20.
- सुरक्षा नीति (सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है) 21.
- गोपनीयता नीति (https://www.idbibank.in/idbi-bank-policies.aspx) 22.
- समान अवसर नीति (https://www.idbibank.in/pdf/Equal-Opportunity-Policy-Employees.pdf) 23.
- ज्ञानार्जन एवं कर्मचारी सहभागिता नीति (सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है) 24.
- 25. i-HRIDAYO पोर्टल (सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है)
- बोर्ड विविधता नीति (https://www.idbibank.in/pdf/IDBI-Bank-Board-Diversity-Policy.pdf) 26.
- मानवाधिकार नीति (https://www.idbibank.in/pdf/Human-Rights-Policy.pdf) 27.
- पोश अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न निवारण समितियां (https://www.idbibank.in/pdf/Sexual-Harassment-Redressal-28. Policy.pdf)

- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) नीति (https://www.idbibank.in/pdf/basel/Pillar-III-Disclosures-March-25.pdf) 29.
- 30. ग्राहक मुआवजा नीति (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Compensation-Policy-Upload.pdf)
- बकाया राशि के संग्रहण और प्रतिभृति के पुनर्ग्रहण पर नीति (https://www.idbibank.in/pdf/policy/collection_of_dues_policy.pdf) 31.
- ऋण देने के लिए उचित आचरण संहिता (https://www.idbibank.in/pdf/policy/FairPracticecodeforLending.pdf) 32.
- उचित व्यवहार संहिता- माइक्रोफाइनेंस ऋण (https://www.idbibank.in/pdf/micro-loan-fpc.pdf) 33.
- ग्राहक सेवा नीति (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Customer_Care_Policy.pdf) 34.
- ग्राहक अधिकार नीति (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Customer_Rights_Policy.pdf) 35.
- कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति (https://www.idbibank.in/pdf/CSR-Policy.pdf)
- शिकायत निवारण नीति (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Grievance_Redressal_Policy.pdf) 37.
- अनिधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन पर नीति (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Unauthorised-Electronic-Banking-38. Transactions-Policy.pdf)

भाग ग: सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन प्रकटन

सिद्धांत 1: कारोबारों को स्वयं को ईमानदारी के साथ और ऐसी पद्धति से संचालित और अभिशाषित करना चाहिए जो नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह युक्त हो.

आवश्यक संकेतक

वित्तीय वर्ष के दौरान एनजीआरबीसी के किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता द्वारा कवरेज का प्रतिशत:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत कवर किए गए विषय / सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल संबंधित श्रेणियों के व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक मंडल *	6	• निदेशक संस्थान (आईओडी), भारत द्वारा आयोजित निदेशक मंडल के लिए जोखिम प्रबंधन और अनुपालन	86.67%#
		• डेलॉइट द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपीए)	
		 भारतीय कॉरपोरेट मामले संस्थान (आईआईसीए) द्वारा गंगटोक में निदेशक प्रमाणन मास्टर क्लास; 	
		 उन्नत नेतृत्व कार्यक्रम (सीएएलपी) सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग (सीएएफआरएएल) द्वारा मैकडोनो स्कूल ऑफ बिजनेस, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन डीसी, यूएसए के सहयोग से 	
		आईओडी द्वारा निदेशक मंडल और कार्यपालक निदेशकों के लिए एआई, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा	
		स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन सेमिनार (एसआईबीओएस) 2024 बीजिंग	



खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत कवर किए गए विषय / सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल संबंधित श्रेणियों के व्यक्तियों का प्रतिशत
मख्य प्रबंधकीय कार्मिक *	35	 सीएएफआरएएल (उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र) उन्नत नेतृत्व कार्यक्रम एसआईबीओएस कार्यक्रम (स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संचालन संगोष्ठी) निदेशक मंडल और कार्यपालक निदेशकों के लिए एआई, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा पर कार्यक्रम निदेशक मंडल के लिए जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम विरुष्ठ प्रबंधन के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम पर कार्यक्रम उद्यमी चिंतन कार्यक्रम आरोहन 3 बैंक के ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल अर्थात् 'ओजस' में केवाईसी और एएमएल पर ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा आयोजित प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवं का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में कंपनी सचिवं का 52वां राष्ट्रीय सम्मेलन मारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) पर वेबिनार बीआरएसआर विनियामक परिदृश्य और हितधारक जुड़ाव पर वेबिनार सचिवीय लेखापरीक्षा की बारीकियों पर वेबिनार 	100.00%
निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को छोड़ कर अन्य कर्मचारी	2,490	 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत विषयों/सिद्धांतों को कवर किया गया था, जिसमें अन्य के साथ-साथ, आरोहण 3.0, भूमिका-आधारित कार्यशालाएं, ऑनलाइन कैप्सूल कार्यक्रम, परिचय कार्यक्रम, वर्टिकल कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम, कार्यशालाएं आदि शामिल थे. ओजस ई-लिर्निंग मॉड्यूल अर्थात साइबर सुरक्षा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का रोकथाम, ग्राहक सेवा, क्रेडिट जोखिम, धोखाधड़ी का रोकथाम, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मॉडल के माध्यम से वित्तीय समावेशन, केवाईसी और एएमएल, निवारक सतर्कता, व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन, ईएसजी और बीआरएसआर का परिचय, आईडीबीआई परिचालन जोखिम प्रबंधन, आदि 	98.31%
कामगार	43	 कल्याण कार्यक्रम और मानविधिकार जागरुकता, पदोन्नित-पूर्व प्रशिक्षण, न्यायनिर्णयन विनिमय सुविधा, बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताएं आदि का पता लगाना, फिशिंग ईमेल का पता लगाने और उनसे निपटने पर जागरुकता प्रशिक्षण, सहायक केयरटेकर के लिए कार्यशाला, ओजस ई-लिर्निंग मॉड्यूल आदि 	84.16%

^{* -} निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की कुल संख्या में एमडी एवं सीईओ और डीएमडी शामिल हैं और इसे 31 मार्च 2025 तक माना गया है.

^{# -} इसमें श्री मुकेश कुमार गुप्ता द्वारा लिया गया प्रशिक्षण भी शामिल है, जो 9 फरवरी 2025 से निदेशक नहीं रहे.

2. वित्तीय वर्ष के दौरान विनियामकों / कानून प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों के द्वारा की गई कार्रवाई (संस्था द्वारा या निदेशकों/ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा) में लगाया गया जुर्माना / दंड / सजा / फैसला / चक्रवृद्धि शुल्क / निपटान राशि के भुगतान का निम्निलिखित प्रारूप में विवरण. (टिप्पणी: सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट, महत्व के आधार पर और जिसका संस्था की वेबसाइट पर प्रकटीकरण किया गया हो, के अनुसार प्रकटन किया जायेगा):

			मौद्रिक		
प्रकार	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक / प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्था का नाम	राशि (भारतीय रुपया में)	मामले का संक्षिप्त सार	क्या कोई अपील दर्ज की गई है ? (हाँ / नहीं)
दंड / जुर्माना	सिद्धांत 1	भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक)	₹41,34,350/-	 गंदे नोट स्वीकृति/कमी के लिए वित्तीय वर्ष 25 की पहली तिमाही के दौरान आरबीआई द्वारा लगाया गया जुर्माना (2 मामले): ₹ 15,000/- रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 25 की पहली तिमाही के दौरान करेंसी चेस्ट से संबंधित (i) गंदे नोट (ii) नकदी की कमी (iii) जाली नोट (iv) लेखा परीक्षा में कमी आदि के कारण लगाया गया जुर्माना (11 मामले): ₹ 7,300/- गंदे नोट स्वीकृति/कमी के लिए रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के दौरान लगाया गया जुर्माना (1 मामला): ₹10,000/- रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के दौरान करेंसी चेस्ट से संबंधित (i) गंदे नोट (ii) नकदी की कमी (iii) जाली नोट (iv) लेखापरीक्षा में कमी आदि के कारण लगाया गया जुर्माना (37 मामले): ₹ 73,550/- वित्तीय वर्ष 25 की तीसरी तिमाही के दौरान गंदे नोट स्वीकार करने/कमी के लिए रिजर्व बैंक द्वारा लगाया गया जुर्माना (1 मामला): ₹ 10,000/- रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 25 की तीसरी तिमाही के दौरान करेंसी चेस्ट से संबंधित (i) गंदे नोट (ii) नकदी की कमी (iii) जाली नोट (iv) लेखा परीक्षा में कमी आदि के कारण लगाया गया जुर्माना (1 मामला): ₹ 10,000/- रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 25 की तीसरी तिमाही के दौरान करेंसी चेस्ट से संबंधित (i) गंदे नोट (ii) नकदी की कमी (iii) जाली नोट (iv) लेखा परीक्षा में कमी आदि के कारण लगाया गया जुर्माना (19 मामले): ₹ 49,200/- 	नहीं नहीं



			मौद्रिक		
प्रकार	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक / प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्था का नाम	राशि (भारतीय रुपया में)	मामले का संक्षिप्त सार	क्या कोई अपील दर्ज की गई है ? (हाँ / नहीं)
	सिद्धांत 1	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)	₹ 55,000/-	 गुप्त निरीक्षण के दौरान गंदे नोट स्वीकार करने/कमी के लिए वित्तीय वर्ष 25 की चौथी तिमाही के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा लगाया गया जुर्माना, यिद एटीएम में एक महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहती है तो प्रति एटीएम ₹ 10,000/- का जुर्माना, अपने ग्राहकों में से एक द्वारा प्राप्त विदेशी आवक धन-प्रेषण के निष्पादन को संभालने में फेमा, 1999 के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन (22 मामले): ₹ 38,60,000/- वित्तीय वर्ष 25 की चौथी तिमाही के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्ट से संबंधित (i) गंदे नोटों (ii) नकदी की कमी (iii) जाली नोटों के कारण लगाया गया जुर्माना (24 अवसरों): ₹ 1,09,300/- बैंक के एटीएम नेटवर्क की तकनीकी गिरावट की सीमा का उल्लंघन (1 मामला): ₹ 15,000/- एईपीएस भुगतान प्रणाली का टीडी अनुपालन (तकनीकी गिरावट) (2 अवसरों): ₹ 40,000/- 	
निपटान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
चक्रवृद्धि शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
			गैर मौद्रिक	-	
प्रकार	एनजीआरबीसी	विनि्यामक / प्रवर्तन	राशि (भारतीय	मामले का संक्षिप्त सार	क्या कोई
	सिद्धांत	एजेंसी/ न्यायिक संस्था का नाम	रुपया में)		अपील दर्ज की गई है? (हाँ / नहीं)
कारावास	सिद्धांत लागू नहीं लागू नहीं		रुपया म) लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	अपाल दज का गई है? (हाँ / नहीं) लागू नहीं लागू नहीं

उपर्युक्त प्रश्न 2 में प्रकट की गयी जानकारी में से उन मामलों के ब्योरे जिनके मामले में अपील / संशोधन दर्ज किया गया है जहां मौद्रिक अथवा गैर- मौद्रिक कार्रवाई करने की अपील की गयी है. 3.

लागू नहीं

- 4. क्या संस्था की कोई भ्रष्टाचार निरोधक अथवा रिश्वतखोरी निरोधक नीति है? यदि हाँ, तो उसका संक्षिप्त ब्योरा दें और यदि उपलब्ध हो, तो इस नीति से संबंधित वेबलिंक उपलब्ध कराएं.
 - हां, बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति है जो ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिक अभिशासन के साथ कारोबार करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है. यह नीति रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के प्रति बैंक के शून्य-सिहष्णुता दृष्टिकोण को दर्शाती है. यह नीति बैंक के इंट्रानेट पर कर्मचारियों के लिए सुलभ है. सार्वजनिक संदर्भ के लिए, नीति को बैंक की वेबसाइट (https://www.idbibank.in/pdf/Anti-Bribery-Anti-Corruption-Policy.pdf) पर भी दर्शाया गया है.
- 5. निदेशकों/ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों/ कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रिश्वत खोरी/ भ्रष्टाचार के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
निदेशक	शून्य	शून्य
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी)	शून्य	शून्य
कर्मचारी	शून्य	शून्य
कामगार	श्र्न्य	शून्य

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का ब्योरा:

	वित्तीय वर्ष	2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24		
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी	
निदेशकों के हितों के टकराव के मामलों के	शून्य	-	शून्य	-	
संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या					
केएमपी के हितों के टकराव के मामलों के संबंध	शून्य	-	शून्य	_	
में प्राप्त शिकायतों की संख्या	•				

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों में विनियामकों / कानून प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों द्वारा लगाये गये दंड / जुर्माने/ की गयी कार्रवाई से संबंधित मामलों पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो या की जा रही हो तो उसका विवरण प्रस्तुत करें.

लागु नहीं

8. निम्नलिखित प्रारूप में देनदारी लेखों के दिनों की संख्या ((देनदारी लेखे X 365)/ खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत):

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
देनदारी लेखों के दिनों की संख्या*	32	38

टिप्पणी: * कारोबारी मॉडल को देखते हुए बैंक की देनवारी लेखों से संबन्धित कोई प्रत्यक्ष देयता नहीं है. बैंक की देयताओं को ''अन्य देयताएं'' शीर्षक के अंतर्गत समूहित किया गया है और उस पर खातों के स्वामियों द्वारा निगरानी रखी जाती है. देनवारी लेखों के दिनों की संख्या की गणना के लिए अनुसूची 16 के हिस्सा बनने वाले वेंडरों के भुगतान को विभाजक के रूप में लिया जाता है.

9. कारोबार में खुलापन:

निम्नलिखित प्रारूप में ट्रेडिंग हाउस, व्यापारियों और संबद्ध पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम एवं निवेश सहित खरीद और बिक्री का संकेंद्रण का विवरण प्रदान करें:

मापदंड		मात्रक	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
खरीद संकेंद्रण	क.	कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में ट्रेडिंग हाउस से खरीद	नाते बैंक पर खरीद और बिक्री के के पास जमाकर्ताओं और उधारक	मापदंड लागू नहीं होते हैं. बैंक र्ताओं का व्यापक आधार है, जो
	ख.	ट्रेडिंग हाउस की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है.	इसकी नीतियों के अनुसार संग्रहित हाउस/व्यापारियों के साथ कोई ले	न किये जाते है. बैंक का ट्रेडिंग न-देन नहीं है.
	ग.	ट्रेडिंग हाउस से कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 ट्रेडिंग हाउस से खरीदारी.	संबद्ध पक्षों के साथ सभी लेन-देन किए जाते हैं. वार्षिक रिपोर्ट में संव खातों के संबंध में जमा, अग्रिम, प संकेन्द्रण प्रकट किया गया है.	बंधित चार श्रेणियों के शीर्ष 20



		मात्रक	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
बिक्री संकेंद्रण	क ख. ग.	कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में व्यापारियों/ वितरकों को बिक्री. व्यापारियों/वितरकों की संख्या जिन्हें बिक्री की जाती है. व्यापारियों/ वितरकों के कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 व्यापारियों/वितरकों को बिक्री.	नाते बैंक पर खरीद और बिक्री वें के पास जमाकर्ताओं और उधारव इसकी नीतियों के अनुसार संग्रहि हाउस/व्यापारियों के साथ कोई ले संबद्ध पक्षों के साथ सभी लेन-देन जाते हैं. वार्षिक रिपोर्ट में संबंधित	करने वाली बैंकिंग कंपनी होने के के मापदंड लागू नहीं होते हैं. बैंक कर्ताओं का व्यापक आधार है, जो इत किये जाते है. बैंक का ट्रेडिंग न-देन नहीं है. स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर किए चार श्रेणियों के शीर्ष 20 खातों के र और एनपीए का संकेन्द्रण प्रकट
में आरपीटी का हिस्सा	क.	खरीद (संबद्ध पक्षों से खरीद/ कुल खरीद).	-	-
	ख.	बिक्री (संबद्ध पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री).	-	-
	ਸ਼.	ऋण एवं अग्रिम (संबद्ध पक्षों को दिये गये ऋण एवं अग्रिम/कुल ऋण एवं अग्रिम)#	0.42%	0.28%
	ਬ.	निवेश (संबद्ध पक्षों में निवेश/ किया गया कुल निवेश)##	0.28%	0.26%

टिप्पणी:

- संबद्ध पक्ष को प्रदत्त ऋण/बैंक के सकल अग्रिम ## - संबद्ध पक्ष में निवेश / बैंक के कुल सकल निवेश

नेतृत्व संकेतक

1. मूल्य शृंखला के साझेदारों के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी एनजीआरबीसी सिद्धांत पर चलाये गये जागरूकता कार्यक्रम :

आयोजित किये गये प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और इसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम में शामिल मूल्य शृंखला में व्यक्तियों का प्रतिशत
01		बैंक ने प्रधान कार्यालय, मुंबई में कार्यरत मूल्य शृंखला साझेदारों के कर्मचारियों के लिए उक्त विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है.

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों के हितों के टकराव को टालने के लिए /प्रबंधन के लिए कोई प्रक्रिया मौजूद है? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो उक्त का विवरण प्रस्तुत करें.

हां, बैंक ने बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव के प्रबंध और निवारण के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाएं बनायी हैं. निदेशकों पर लागू निर्दिष्ट मार्गदर्शन सिहत हितों के टकराव को दूर करने के लिए बैंक की सामान्य आचार संहिता और नैतिकता, बैंक की वेबसाइट (https://www.idbibank.in/idbibank-general-code-of-conduct-ethics.aspx) पर उपलब्ध है. बैंक के अभिशासन ढांचे के एक भाग के रूप में, बोर्ड के सदस्यों को बाहरी संस्थाओं में अपने हितों में किसी भी बदलाव को बोर्ड को तुरंत प्रकट करना आवश्यक है. यह प्रकटन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में होने वाली बोर्ड की पहली बैठक के दौरान किया जाता है और उसके बाद जब कभी बदलाव होते हैं. ऐसे मामलों में जहां निदेशक का किसी कार्यसूची मद में निहित स्वार्थ हो, तो उन्हें पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अभिशासन प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए विचार-विमर्श और निर्णय लेने से स्वयं को अलग रखना आवश्यक है.

सिद्धांत 2:- कारोबार को इस प्रकार वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हों.

आवश्यक संकेतक:

संस्था द्वारा कल आर एंड डी तथा पंजीगत व्यय निवेशों के लिए योजना एवं प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभावों को सधारने के लिए विशिष्ट तकनीकों में क्रमश: आर एंड डी और पूंजीगत व्यय (केपेक्स) निवेशों का प्रतिशत.

प्रकार	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	सामाजिक एवं पर्यावरणीय पहलुओं में सुधार का विवरण	
अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पूंजीगत व्यय (केपेक्स)	वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में सं	वालन की प्रकृति को देखते हुए य	ह लागू नहीं है.	

क. क्या संस्था के पास संधारणीय सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हाँ/नहीं) 2.

यदि ''हाँ'', तो कितने प्रतिशत निविष्टियां संधारणीय रूप से प्राप्त की गई?

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपनी नई खुली शाखाओं और कुछ अन्य कार्यालय भवनों/आवासीय फ्लैटों के लिए ग्रीन बिल्डिंग उत्पाद जैसे ग्रीन प्लाईवड. एलईडी लाइट आदि की खरींद की है. बैंक ईएसजी मापदंडों के तहत अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अपने वेंडर/सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर काम करने का प्रयास करेगा. ताकि उन्हें अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग, राष्ट्रीय और स्थानीय श्रम कानुनों का पालन और बाल, जबरन या तस्करी आदि से लाया गया श्रम सहित मानव अधिकार जैसे उपाय करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. जहां तक संभव हो. बैंक ऐसे आपर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता देता है जो ईएमएस/आईएसओ 14001 प्रमाणित हों. बैंक ईएसजी अनपालक आपुर्तिकर्ताओं पर अधिक आश्रित रहनें के लिए प्रतिबद्ध है. वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए बैंक द्वारा जारी कुछ प्रस्ताव के लिए अनुरोध (ऑरएफपी) में ईएसजी से संबंधित खंड शामिल किए गए हैं.

- जीवनकाल की समाप्ति पर अपने उत्पादों को पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुन: प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें:(क) प्लास्टिक (पैकिंग सामग्री सहित) (ख) ई-वेस्ट (ग) हानिकारक कचरा और (घ) अन्य कचरा लागु नहीं
- क्या संस्था की गतिविधियों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागु है ?(हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो क्या कचरा उठाने की योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तृत की गई विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व(ईपीआर) के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो उक्त के समाधान के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करें.

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतकः

- क्या संस्था ने अपने किसी भी उत्पाद के लिए (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी किसी भी सेवाओं के लिए (सेवा उद्योग के लिए) उसका जीवन चक्र परिदृश्य / मुल्यांकन (एलसीए) किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में उसका ब्योरा प्रस्तृत करें.
- यदि आपके उत्पाद/सेवा से कोई महत्वपर्ण सामाजिक अथवा पर्यावरणीय चिंताएं और/या उत्पादन या निपटान से जोखिम उत्पन्न हो रही 2. हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिदृश्य / मुल्यांकन (एलसीए) में या अन्य किसी माध्यम के जरिये पहचाना गया है, तो उसका संक्षेप में वर्णन करें और उसे घटाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं. यह बताएं.

उत्पादन में (विनिर्माण उद्योग के लिए) अथवा सेवा प्रदान करने के लिए (सेवा उद्योग के लिए) उपयोग में लाई गई कुल सामग्री (मुल्य के रूप में) में से पुनर्चक्रण की गई या दोबारा उपयोग में लाई गई सामग्री का प्रतिशत.

निम्नलिखित प्रारूप में जीवन समाप्त होने वाले उत्पाद तथा पैकेजिंग सामग्री के दोबारा प्रयोग में लाई गई, पूनर्चक्रण की गई और सुरक्षित रूप से नष्ट की गयी सामग्री की मात्रा (मेटिक टन में):

प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए दोबारा दावा किये गये उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री(बेचे गये उत्पादों के प्रतिशत के रूप में). 5. लागू नहीं



सिद्धांत 3: कारोबारों को उनकी मूल्य शृंखलाओं के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए.

आवश्यक संकेतक

1. क) कर्मचारियों की भलाई के लिए किए गए उपायों का ब्योरा:

	इसके अंतर्गत शामिल कर्मचारियों का प्रतिशत										
श्रेणी		स्वास्थ्य	। बीमा*	दुर्घटन	ा बीमा	प्रसूती	लाभ	पितृत्व	ा लाभ	पालना घर	सुविधाएं
Auli	कुल (ए)	संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी /ए)	संख्या (डी)	% (डो / ए)	संख्या (ई)	% (ई / ए)	संख्या (एफ)	% (एफ /ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	11,123	11,123	100.00%	11,123	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	11,123	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	5,788	5,788	100.00%	5,788	100.00%	5,788	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	16,911	16,911	100.00%	16,911	100.00%	5,788	34.23%	11,123	65.77%	लागू नहीं	लागू नहीं
				Ţ	थायी कर्मचा	रेयों से इतर					
पुरुष	1,210	1,203	99.42%	1,210	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	966	964	99.79%	966	100.00%	966	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	2,176	2,167	99.59%	2,176	100.00%	966	44.39%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

^{*} स्थायी कर्मचारी बैंक की इन-हाउस स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आते हैं. प्रवेश स्तर के अधिकारी फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा नीति के अंतर्गत आते हैं.

ख) कामगारों की भलाई के लिए किए गए उपायों का ब्योरा:

		स्वास्थ्य	। बीमा*	दुर्घटन	ा बीमा	प्रसूती	ा लाभ	पितृत्व	ा लाभ	पालना घर	. सुविधाएं
श्रेणी	कुल (ए)	संख्या (बी)	% (बो / ए)	संख्या (सी)	% (सी /ए)	संख्या (डी)	% (डो / ए)	संख्या (ई)	% (ई / ए)	संख्या (एफ)	% (एफ /ए)
	स्थायी कर्मचारी										
पुरुष	487	487	100.00%	487	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	487	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	157	157	100.00%	157	100.00%	157	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	644	644	100.00%	644	100.00%	157	24.38%	487	75.62%	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्थायी कर्मचारियों से इतर										
पुरुष	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
महिला	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
कुल	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

^{*} स्थायी कर्मचारी बैंक की इन-हाउस स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आते हैं. प्रवेश स्तर के अधिकारी फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा नीति के अंतर्गत आते हैं.

निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और स्थायी से इतर) की भलाई के उपायों पर व्यय करना

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
कंपनी के कुल राजस्व के % के रूप में भलाई उपायों पर व्यय की गई लागत.	0.32%	0.80%

चालु वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के सेवानिवृत्ति लाभों का ब्योराः

		वि	त्तीय वर्ष 2024-2	5	वित्तीय वर्ष 2023-24			
क्रम सं.	लाभ	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के प्रतिशत के रूप में शामिल किए गए कामगारों की संख्या	कटौती कर प्राधिकरण के पास जमा करा दी गई (हाँ / नहीं / लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या		कटौती कर प्राधिकरण के पास जमा करा दी गई (हाँ / नहीं / लागू नहीं)	
1.	भविष्य निधि	2.45%	11.49%	हाँ	2.82%	13.04%	हाँ	
2.	ग्रेच्युटी	100%	100%	हाँ	100%	100%	हाँ	
3.	ईएसआई	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं	
4.	अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें (पेंशन एवं एनपीएस)*	97.55%	88.51%	हाँ	97.18%	86.96%	हाँ	

टिप्पणीः * - खोले न गए स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्राण) वाले कर्मचारियों को छोड़कर.

3. कार्य स्थलों तक पहुँच

क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार संस्था के परिसर / कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुगम्य है? यदि नहीं, तो क्या संस्था इस संबंध में कोई उपाय कर रही है.

बैंक अपने परिसर/कार्यालयों को सभी के लिए सुगम्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. 31 मार्च 2025 को 2,104 शाखाओं (24 आईडीबीआई समीप बैंकिंग आउटलेट को छोड़कर) में से 1,044 शाखाओं में रैंप की सुविधा थी. 294 शाखाओं में रैंप्प सुविधा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन शाखाओं का प्रवेश द्वार जमीन के समानांतर है या लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है. 766 शाखाएं ऊपरी मंजिल पर स्थित हैं, इसलिए इन शाखाओं में रैम्प की सुविधा उपलब्ध कराना व्यवहार्य नहीं है.

4. क्या संस्था के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति मौजूद है ? यदि हाँ, तो नीति का वेबलिंक उपलब्ध कराएं.

हाँ, बैंक की समान अवसर नीति है जो सार्वजनिक रूप से (https://www.idbibank.in/pdf/Equal-Opportunity-Policy-Employees. pdf) उपलब्ध है. बैंक का यह प्रयास है कि कार्यस्थल पर समान अवसर सृजित करके और विविधता, एवं समावेशन को ध्यान में रखते हुए तथा उसका सम्मान करते हुए अनुकूल और सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण बनाए रखा जाए. बैंक अपने सभी कर्मचारियों और सभी योग्य आवेदकों को उनकी वंश, जाति, धर्म, रंग, वंशज, वैवाहिक स्थिति, लिंग, आयु, राष्ट्रीयता, अक्षमता आदि पर ध्यान दिए बिना समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है.



वित्तीय वर्ष 2024-25 में पैतृक छुट्टी लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की काम पर वापसी एवं काम पर बने रहने की दर.

<u></u>	स्थायी का	र्चारी	स्थायी कामगार		
लिंग 	काम पर लौटने की दर*	बने रहने की दर#	काम पर लौटने की दर*	बने रहने की दर#	
पुरुष	100%	91%	100%	100%	
महिला	85%	91%	100%	100%	
कुल	94%	91%	100%	100%	

टिप्पणीः * - काम पर वापसी दर के लिए, उन अधिकारियों पर विचार किया गया है जिन्होंने पितृत्व/मातृत्व छुट्टी ली है जो वित्तीय वर्ष 2024-25 (31 मार्च 2025 तक) के दौरान समाप्त हो गया है और जो 31 मार्च 2025 को सेवा में हैं.

क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने का कोई तंत्र मौजूद है? यदि हाँ, तो उस तंत्र का ब्योरा संक्षिप्त में दें.

श्रेणी	हाँ /नहीं	संक्षिप्त में तंत्र का ब्योरा		
स्थायी कामगार	हाँ	हाँ, कर्मचारियों / कामगारों को अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए बैंक के पास		
स्थायी कामगारों से इतर	हाँ	ऑनलाइन पोर्टल अर्थात आई हृदयो है, जो बैंक के इंट्रानेट पर मौजूद है. बैंक ने		
स्थायी कर्मचारी	हाँ	शिकायतों का निवारण करने को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से अपनी विधि नीतियों, क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं में अपीलीय तंत्र को ही अंतर्भूत कर लिया है		
स्थायी कर्मचारियों से इतर	हाँ	न नाराया, ाक्रम्यापायया जार श्राक्रम्याजा न जयाशाय रात्र का हा अरानूरा कर राय्या है.		

सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संघ (घों) अथवा यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता: 7.

	f	वेत्तीय वर्ष 2024- 25		f	वित्तीय वर्ष 2023- 24			
श्रेणी	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारियों/ कामगारों (ए)*	संबंधित श्रेणी में उन कर्मचारियों/ कामगारों की कुल संख्या जो संघ (घों) अथवा यूनियन के सदस्य हैं (बी)#	प्रतिशत (बी/ए)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारियों/ कामगारों (सी)	संबंधित श्रेणी में उन कर्मचारियों/ कामगारों की कुल संख्या जो संघ (घों) अथवा यूनियनों के सदस्य हैं (डी)	प्रतिशत (डी/सी)		
		स्थ	ायी कर्मचारी					
पुरुष	12,333	7,708	62.50%	12,008	7,597	63.27%		
महिला	6,754	3,260	48.27%	6,283 [@]	3,089	49.16%		
 कुल	19,087	10,968	57.46%	18,291	10,686	58.42%		
स्थायी कामगार								
पुरुष	487	457	93.84%	553	553	100.00%		
महिला	157	127	80.89%	168	135	80.36%		
कुल	644	584	90.68%	721	688	95.42%		

^{* -} डेटा में संविदा पर कर्मचारी शामिल हैं.

^{# -} बने रहने की दर के लिए उन अधिकारियों पर विचार किया गया है जिन्होंने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 को समाप्त पितृत्व/मातृत्व छुट्टी ली है, 12 महीने के बाद बने रहे हैं और 31 मार्च 2025 को सेवा में हैं.

^{# -} हालांकि, किसी भी यूनियन/संघ को मान्यता प्राप्त यूनियन का दर्जा नहीं दिया गया है, उपर्युक्त बैंक में संचालित प्रमुख यूनियनों /संघों की अस्थायी संभावित स्थिति दर्शाता है. @सलाहकार को बाहर रखने के कारण कर्मचारियों की संख्या 6,284 से संशोधित कर 6,283 कर दी गई.

8. कर्मचारियों और कामगारों को दिए गये प्रशिक्षण का विवरण:

		वि	तीय वर्ष 2024-	25		वित्तीय वर्ष 2023-24				
श्रेणी		स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उ	कौशल उन्नयन पर		स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
	कुल (ए)	संख्या (बी)	प्रतिशत (बी/ए)	संख्या (सी)	प्रतिशत (सी/ए)	कुल (डी)	संख्या (ई)	प्रतिशत (ई/डी)	संख्या (ई)	प्रतिशत (एफ/डी)
कर्मचारी										
पुरुष	12,333	11,617	94.19%	12,155	98.56%	12,008	9,907	82.50%	11,775	98.06%
महिला	6,754	6,221	92.11%	6,609	97.85%	6,283*	4,881	77.69%	6,119	97.39%
कुल	19,087	17,838	93.46%	18,764	98.31%	18,291	14,788	80.85%	17,894	97.83%
					कामगा	τ				
पुरुष	487	394	80.90%	397	81.52%	553	501	90.60%	507	91.68%
महिला	157	145	92.36%	145	92.36%	168	154	91.67%	161	95.83%
कुल	644	539	83.70%	542	84.16%	721	655	90.85%	668	92.65%

9. कर्मचारियों और कामगारों के कार्य निष्पादन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण:

2-2	f	वेत्तीय वर्ष 2024-2	5	वित्तीय वर्ष 2023-24		
श्रेणी	कुल(ए)#	संख्या (बी)@	प्रतिशत (बी/ए)	कुल (सी)#	संख्या (डी)®	प्रतिशत (डी/सी)
			कर्मचारी			
पुरुष	11,147	10,764	96.56%	10,938	10,311	94.27%
महिला	5,802	5,208	89.76%	5,409	4,827	89.24%
कुल	16,949	15,972	94.24%	16,347	15,138	92.60%
			कामगार			
पुरुष	525	524	99.81%	634	611	96.37%
महिला	165	165	100.00%	192	188	97.92%
कुल	690	689	99.86%	826	799	96.73%

टिप्पणी:

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली :

क) क्या संस्था द्वारा कोई व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ /नहीं) ऐसी प्रणाली का कवरेज क्या है? हां, बैंक के पास एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मौजूद है. बैंक ने अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी, सुविधापूर्ण कुर्सियां और अपने कार्यालयों एवं शाखाओं में सुरक्षा गार्ड तैनात किये हैं. इसके अलावा, बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालयों और प्रशिक्षण कॉलेज में बैंक चिकित्सक अधिकारियों (बीएमओ) नियुक्त किये हैं.

^{# -} कुल कर्मचारियों में वित्तीय वर्ष के अंत में जीवित कर्मचारी प्लस सेवानिवृत्त /स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत कर्मचारी शामिल हैं जिनका मूल्यांकन वित्तीय वर्ष के लिए किया गया है.

^{@ -} कुल कर्मचारियों / कामगारों जिनका वित्तीय वर्ष में कार्य निष्पादन मूल्यांकन किया गया है.



ख)	संस्था द्वारा कार्य-संबंधी जोखिमों की
	पहचान करने तथा नियमित एवं गैर-नियमित
	आधार पर जोखिमों का आकलन करने के
	लिए कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं?

बैंक समय-समय पर अपने कार्यबल के लिए अग्नि मॉक ड्रिल का आयोजन करता है. बैंक अपने सभी उपकरणों का निवारक रखरखाव भी करता है. बैंक की नीति के अनुसार आपदा और व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन (आई-डीएबी) में सभी विवरण आईटी सिस्टम में अद्यतन किए जाते हैं.

ग) क्या आपके पास कामगारों द्वारा काम से संबंधित खतरों को रिपोर्ट करने तथा उन्हें स्वयं को वहाँ से हटाने की प्रणाली मौजूद है. (हाँ /नहीं) हाँ, बैंक अपने प्रधान कार्यालय में घटना/खतरा, यदि कोई हो, को रिकॉर्ड करने/रिपोर्ट करने के लिए लॉगबुक, इलेक्ट्रिकल शॉक रजिस्टर आदि रखता है. इसके अलावा, कामगारों को खतरों से बचाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) उपलब्ध हैं.

घ) क्या संस्था के कर्मचारियों/ कामगारों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य जांच सेवाओं तक पहुँच उपलब्ध है? (हाँ / नहीं) हाँ, सभी कर्मचारी और उनके आश्रित बैंक की चिकित्सा योजना के अंतर्गत आते हैं. इसके प्रधान कार्यालय में मानसिक स्वास्थ्य, लिवर फंक्शन टेस्ट, नेत्र परीक्षण, हृदय स्वास्थ्य आदि सहित स्वास्थ्य जांच की गई. इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्वास्थ्य जागरुकता कार्यक्रम जैसे- कैंसर, महिला स्वास्थ्य, आहार और पोषण आदि का भी आयोजन किया गया था.

11. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं का निम्नलिखित प्रारूप में विवरण :

सुरक्षा से संबंधित घटना/संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
लॉस्ट टाइम इंज्युरी फ्रीक्वेंसी रेट	कर्मचारी	वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2023	
(एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति घंटे के काम के दौरान)	कामगार	कामगार ऐसा नहीं था जिसे कार्य स सामना करना पड़ा हो.	बिधी चोट/ अस्वास्थ्यता/ मृत्यु का
काम-काज से जुड़ी दर्ज करने योग्य कुल चोट	कर्मचारी		
	कामगार		
मृतकों की संख्या	कर्मचारी		
	कामगार		
कार्य से जुड़ी चोट के भारी परिणाम अथवा	कर्मचारी		
अस्वस्थता (मृतकों को छोड़कर)	कामगार		

12. संस्था द्वारा सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल को सुनिश्चित करने के लिए किये गये उपायों का वर्णन करें

आईडीबीआई बैंक सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने का प्रयास करता है जिसके लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- मृंबई स्थित प्रधान कार्यालय तथा अपने सभी अंचल कार्यालयों में सभी कर्मचारियों के लिए आवधिक रूप से अग्निशमन की कवायद का प्रशिक्षण;
- सभी कार्यालय परिसरों में अग्निशमन सहायता उपकरण, आग लगने पर खतरे की घंटी, और अग्नि शमन उपकरण का प्रावधान: और
- मुंबई में स्थित इसके प्रधान कार्यालय, कुछ अंचल कार्यालयों और कुछ स्टाफ क्वार्टरों में बैंक चिकित्सा अधिकारी(बीएमओ) की उपलब्धता और एंबुलेंस के साथ टाई-अप.

13. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2023-24		
विषय	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में अनिर्णीत	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में अनिर्णीत	टिप्पणी
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
कामकाज की स्थितियां	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं

14. वर्ष का मुल्यांकनः

विषय	आपके उन संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था द्वारा अथवा सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा अथवा किसी अन्य पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं	बैंक के प्रधान कार्यालय में लिफ्ट निरीक्षक द्वारा नियमित निरीक्षण, प्राधिकृत एजेंसी द्वारा अग्नि स्थापना,
कामकाज की स्थितियाँ	निर्माता द्वारा सील बंद पानी का परीक्षण और अधिकृत एजेंसी से डीजी प्रदूषण का परीक्षण किया गया. बैंक
	की शाखाओं और कार्यालयों का निरीक्षण इसके अधिकारियों द्वारा आंतरिक रूप से किया जाता है.

15. सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं तथा कामकाजी स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण जोखिमों / मुद्दों का विवरण प्रदान करें.

बैंक के पास सुरक्षित और स्वस्थ कामकाज की स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए निवारक रखरखाव कार्यक्रम, एसओपी, क्या करें, क्या न करें आदि मौजूद हैं.

नेतृत्व के संकेतक

- क्या संस्था (क) किसी कर्मचारी (हाँ/नहीं) (ख) किसी कामगार (हाँ/नहीं) की मृत्यु होने की स्थिति में कोई जीवन बीमा अथवा कोई क्षितिपूर्ति पैकेज प्रदान करती है ?
 - हाँ, बैंक अपने कर्मचारियों और कामगारों को जीवन बीमा सुरक्षा और क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करता है.
- 2. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य शृंखला के भागीदारों द्वारा सांविधिक देयताओं की कटौती की गई तथा उस राशि को जमा किये जाने के बारे में किये गये उपायों के बारे में बताएं.
 - बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि उसके मूल्य शृंखला के भागीदार भविष्य निधि (पीएफ़), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), ग्रेच्युटी, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) आदि जैसी सांविधिक कटौतियां करें और उनको जमा भी करायें. इसके अतिरिक्त विक्रेता इस आशय का अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं. बैंक ने अपने कुछेक प्रस्ताव अनुरोध (आरएफ़पी) में सांविधिक विनियामक भुगतान करने का एक खंड भी शामिल किया है.
- 3. उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या प्रदान करें जिन्हें काम से संबंधित अत्यधिक गंभीर चोट / बीमारी / मृत्यु हुई है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्र. 11 में रिपोर्ट किया गया है), जिनका पुनर्वसन किया गया है और उन्हें यथायोग्य रोजगार उपलब्ध कराया गया है अथवा जिनके परिवार के सदस्यों को यथायोग्य रोजगार उपलब्ध कराया गया है :

श्रेणी	प्रभावित कर्मचारियों / कामगारों की कुल संख्या		उन कर्मचारियों /कामगारों की कुल संख्या, जिनका पुनर्वसन किया गया है और जिन्हें यथायोग्य रोजगार उपलब्ध कराया गया है या परिवार के सदस्यों को यथायोग्य रोजगार उपलब्ध कराया गया है			
	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24		
कर्मचारी	लागू नहीं, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में बैंक का कोई भी कर्मचारी/कामगार ऐसा नहीं था जिसको कार्य-संबंधी					
कामगार	गंभीर चोट/अस्वस्थता/मृत्यु क	गंभीर चोट/अस्वस्थता/मृत्यु का सामना करना पड़ा हो.				

4. क्या संस्था सेवानिवृति अथवा रोजगार समाप्त होने के बाद निरंतर नियोजन योग्यता और करियर समाप्ति के प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम संचालित करती है? (हां/ नहीं).

हां, बैंक अपने सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन करता है जो उनके आगे के जीवन के लिए योजना बनाने में सहायता करती हैं. ये कार्यशालाएं इस उद्देश्य से चलायी जाती हैं कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद होने वाले शारीरिक तथा मानसिक बदलावों के लिए तैयार हो सके. हैदराबाद में बैंक के प्रशिक्षण संस्थान यानी आईडीबीआई बैंकिंग एवं वित्त उत्कृष्टता केंद्र (आईसीबीएफ) में तीन दिवसीय पाठ्यक्रम में ये कार्यशालाएं चलायी जाती हैं:

- स्वस्थ बुढ़ापा और शारीरिक बदलावों का प्रबंधन
- सेवानिवृत्ति के बाद समग्र जीवन के लिए तंदुरुस्त रहने का व्यक्तिगत लक्ष्य
- आहार और जीवन शैली का अभ्यास



- सर्वांगीण सुख के लिए योग और ध्यान धारणा के मार्ग को अपनाना
- जीवन और जीविका का तत्वज्ञान (आध्यात्मिक पहलू)
- दूसरा कैरियर, उत्पादक बुढ़ापा और सोशल नेटवर्किंग
- सफलतापूर्वक बदलाव के लिए मानसिक कवायद
- कर संबंधी पहलुओं सहित वित्त और निवेशों का प्रबंधन
- वसीयत बनाने का महत्व और नामांकन के नियम
- अधिवर्षिता के लाभ

मुल्य शृंखला के भागीदारों के मुल्यांकन का ब्योरा: 5.

	मूल्य शृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये कारोबार के मूल्य द्वारा) जिनका
	मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं	बैंक अपने मूल्य शृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं तथा कार्य स्थल स्थितियों के मूल्यांकन के लिए
	प्रणालियां स्थापित करने की प्रक्रिया में है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बैंक ने 57 मूल्य शृंखला भागीदारों से सुरक्षित
कार्य स्थल की स्थितियाँ	कार्य स्थल स्थितियों को बनाए रखने और लागू कानूनों द्वारा परिभाषित स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के अनुपालन के
याम (जरा या ((जारामा	संबंध में स्व-घोषणाएँ एकत्र कीं.

स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के मुल्यांकन तथा मुल्य शृंखला भागीदारों की कार्य स्थितियों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/ मुद्दों को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.

मुल्य शृंखला भागीदारों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं तथा कार्य स्थल की स्थितियों के मुल्यांकन के दौरान कोई विशिष्ट जोखिम/मुद्दे नहीं देखे

सिद्धांत 4: कारोबारों को अपने सभी स्टेकधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

संस्था के प्रमुख स्टेकधारक समुहों का पता लगाने के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया का वर्णन करें:

पारदर्शिता और समावेशी अभिशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, आईडीबीआई बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक संरचित हितधारक जुडाव और भौतिकता मुल्यांकन (एसईएमए) का प्रयोग किया. एसईएमए का आयोजन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि बैंक की संधारणीयता पहल हितधारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप हो और पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) के महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की जा सके.

एसईएमए के उद्देश्य

- हितधारकों की प्राथमिकताओं और चिंताओं की व्यापक समझ विकसित करना;
- हितधारकों और बैंक के लिए प्रासंगिक प्रमुख ईएसजी विषयों की पहचान करना और उन्हें प्राथमिकता देना;
- भौतिकता अंतर्दृष्टि के आधार पर कार्रवाई योग्य संधारणीयता उद्देश्यों को परिभाषित करना: तथा
- हितधारकों द्वारा सुचित संधारणीयता योजना और रिपोर्टिंग के माध्यम से जवाबदेही और विश्वास को मजबूत करना.

एसईएमए की प्रक्रिया का अवलोकन

- **हितधारक पहचान**: बैंक ने प्रमुख हितधारक समृहों की पहचान की जिनमें उनके प्रभाव, असर, जिम्मेदारी और बैंक के परिचालन के साथ अन्योन्याश्रितता के स्तर के आधार पर निवेशक, कर्मचारी, ग्राहक, समुदाय और विक्रेता शामिल हैं.
- **सहभागिता और परामर्श**: बैंक के ईएसजी कार्यनिष्पादन पर हितधारकों की चिंताओं, अपेक्षाओं और विचारों पर अंतर्दृष्टि एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण, साक्षात्कार, फोकस समृह और हितधारक संवाद जैसी विभिन्न सहभागिता विधियों का उपयोग किया गया.
- भौतिकता विश्लेषण: हितधारकों और बैंक के कारोबारी संदर्भ के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक ईएसजी विषयों की पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता देने के लिए प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया गया. उसके बाद बैंक द्वारा इन भौतिक विषयों की समीक्षा की गई और उन्हें वैध किया गया.

• **उद्देश्य निर्धारण**: 200 से अधिक हितधारकों की प्रतिक्रियाओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, बैंक ने एक भौतिकता मैट्रिक्स स्थापित किया है जो ईएसजी जोखिमों और अवसरों की पहचान करता है.

मुख्य परिणाम

- **हितधारकों की गहन सहभागिता:** इस प्रक्रिया से सार्थक और सतत् संवाद संभव हुआ, रिश्ते मजबूत हुए और विश्वास बढ़ा.
- **सूचित निर्णय लेना:** हितधारक प्रतिक्रिया से महत्वपूर्ण ईएसजी मुद्दों और कारोबारी जोखिमों की बेहतर समझ संभव हुई.
- लक्षित संधारणीयता लक्ष्यः बैंक हितधारकों की अंतर्दृष्टि को स्पष्ट, प्रासंगिक संधारणीयता उद्देश्यों और लक्ष्यों को बदलने का प्रयास करेगा.
- रणनीतिक संरेखण: निष्कर्षों को बैंक की व्यापक संधारणीयता रणनीति में शामिल किया गया है ताकि उच्च-प्रभाव वाली पहलों को प्राथमिकता दी जा सके.
- 2. उन स्टेक धारक समूहों की सूची जिन्हें आपकी संस्था के लिए प्रमुख स्टेकघारक के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है और प्रत्येक स्टेक धारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति:

क्र. सं	स्टेक धारक समूह	क्या उसे कमजोर और सीमांत समूह के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है (हाँ /नहीं)	संप्रेषण के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पर्चे, विज्ञापनों, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	जुड़ाव की आवृति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ तिमाही/ अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	ऐसे जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताओं सहित ऐसी जुड़ाव का उद्देश्य और उनका दायरा
1.	ग्राहक	नहीं	ईमेल, एसएमएस, वेबसाइट, नोटिस बोर्ड, कॉल सेंटर, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया, व्यक्तिगत और आभासी बैठकें	जारी	उत्पाद और सेवा अपडेटशिकायत निवारणप्रतिक्रिया
2.	समुदाय	नहीं	ईमेल, फ़ोन कॉल, व्यक्तिगत और आभासी बैठकें	आवश्यकता आधारित	समुदाय प्रतिक्रियाशिकायत संकल्पसुधार क्षेत्रों की पहचान करना
3.	कर्मचारी	नहीं	इंट्रानेट, ईमेल, टाउन हॉल, सर्वेक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिकायत चैनल	नियमित	 नीति और दिशानिर्देशों का प्रसार प्रतिक्रिया कार्यनिष्पादन प्रबंधन कौशल उन्नयन शिकायत निवारण
4.	निवेशक	नहीं	ईमेल, वेबसाइट, एजीएम, निवेशक संबंध चैनल	आवश्यकता आधारित	रणनीति अपडेटवित्तीय कार्यीनष्पादन प्रकटननिवेशक शिकायतें
5.	विक्रेता और आपूर्तिकर्ता	नहीं	ईमेल, वेबसाइट, व्यक्तिगत एवं आभासी बैठकें	आवधिक	सम्यक तत्परताकार्यनिष्पादन समीक्षाअनुपालन निगरानी



नेतृत्व के संकेतक

 स्टेकधारकों और बोर्ड के बीच आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें अथवा यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को ऐसे परामर्शों से प्राप्त प्रतिक्रिया कैसे प्रदान की जाती है.

बैंक ने पारदर्शिता और समावेशी प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक हितधारक प्रतिबद्धता और भौतिकता मूल्यांकन (एसईएमए) प्रक्रिया शुरूकी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसकी संधारणीयता पहल इसके हितधारकों की जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुरूप हैं. एसईएमए प्रक्रिया में कई प्रमुख चरण शामिल हैं, अर्थात्:

- **हितधारकों की पहचान**: बैंक ने निवेशकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, समुदायों और विक्रेताओं सिहत अपने प्रमुख हितधारकों की पहचान उनके प्रभाव, असर, जिम्मेदारी और बैंक के साथ अन्योन्याश्रितता के आधार पर की है.
- जुड़ाव और परामर्श: बैंक इन हितधारकों के साथ सर्वेक्षण, साक्षात्कार, फोकस समूह और हितधारक संवाद जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से जुड़ा हुआ है तािक बैंक के संधारणीय प्रदर्शन और प्रथाओं के संबंध में उनके दृष्टिकोण, चिंताओं और अपेक्षाओं को समझा जा सके.
- भौतिकता विश्लेषण: भौतिकता विश्लेषण के माध्यम से, बैंक ने सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) मुद्दों की पहचान की जो उसके कारोबार और हितधारकों के लिए प्रासंगिक हैं. इस विश्लेषण से बैंक को अपने संधारणीय प्रयासों को प्राथमिकता देने और उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिली जो उसके हितधारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और जिनके कारोबार पर सबसे अधिक संभावित प्रभाव पड़ता है. इसे अंतिम रूप देने से पहले बैंक द्वारा प्रमुख विषयों की समीक्षा की गई.
- उद्देश्य निर्धारण: अपने विविध हितधारक समूहों से 200 से अधिक उत्तर दाताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया से बैंक को महत्वपूर्ण भौतिक मुद्दों और संबंधित चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में सहायता मिली है.

एसईएमए प्रक्रिया ने अपने हितधारकों के साथ सार्थक संवाद और सहयोग की सुविधा प्रदान की जिससे मजबूत रिश्ते और विश्वास को बढ़ावा मिला. एसईएमए प्रक्रिया के प्रमुख एवं प्रासंगिक विवरण, इसके उद्देश्य और परिणाम बीआरएसआर में संक्षेप में दिए गए हैं.

क्या पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों की पहचान करने और प्रबंधन के लिए स्टेकधारक परामर्श की सहायता ली जाती है?
 (हाँ/ नहीं) यदि हाँ, तो इस बात का ब्योरा प्रस्तुत करें िक किस प्रकार स्टेकधारकों से इन विषयों पर प्राप्त जानकारी को संस्था की नीतियों एवं गतिविधियों में किस प्रकार शामिल किया गया.

बैंक की पर्यावरणीय और सामाजिक प्राथमिकताओं की पहचान करने और उन्हें प्रबंधित करने में हितधारक परामर्श ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. भौतिकता मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से, बैंक उन प्रमुख ईएसजी मुद्दों को निर्धारित करने में सक्षम रहा है जो इसके हितधारकों और कारोबार संचालन दोनों के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं. इस अंतर्दृष्टि ने बैंक के स्थिरता केन्द्रित क्षेत्रों को आकार देने और इसकी सहभागिता रणनीति को मजबूत करने में मदद की है. हितधारक पहचान प्रक्रिया गतिशील रही है और बैंक के कारोबारी माहौल और हितधारक अपेक्षाओं में बदलावों को प्रतिबिंबित करने के लिए आवधिक समीक्षा की जाती है, जिससे निरंतर प्रासंगिकता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है.

3. कमजोर /सीमांत स्टेकधारक समूहों के मुद्दों का निवारण करने के लिए नियोजित और कार्रवाई करने की घटनाओं के विवरण प्रदान करें.

बैंक अपने उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से, विभिन्न खंडों के अपने ग्राहकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करता है. बैंक अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजित करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है. इसके अलावा, बैंक अपने वित्तीय समावेशन और सीएसआर पहलों के माध्यम से वंचित वर्ग के जीवन में बदलाव लाने पर विशेष बल देता है.

बैंक ने ग्राहकों, कर्मचारियों, निवेशकों और सीएसआर लाभार्थियों सहित अपने प्रमुख हितधारकों की शिकायतों और चिंताओं के निवारण के लिए तंत्र स्थापित किए हैं. इनका समाधान संरचित शिकायत निवारण नीतियों और समर्पित चैनलों के माध्यम से किया जाता है. मूल्य शृंखला भागीदारों और अन्य हाशिए के समूहों के लिए, चिंताओं को मामला-दर- मामला आधार पर संभाला जाता है तािक जिम्मेदार और समावेशी प्रथाओं के लिए बैंक की प्रतिबद्धता के अनुरूप समय पर और उचित समाधान सुनिश्चित किया जा सके.

सिद्धांत 5: कारोबारों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और कामगारों को संस्था के मानवाधिकारों के मुद्दों और नीति(यों) पर दिये गए प्रशिक्षण का विवरण:

	ि	वत्तीय वर्ष 2024-2	5	वित्तीय वर्ष 2023-24			
श्रेणी	कुल (ए)	कवर किए गए कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (बी)	प्रतिशत (बी /ए)	कुल (सी)	कवर किए गए कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (डी)	प्रतिशत (डी /सी)	
कर्मचारी							
स्थायी	16,911	16,447	97.26%	16,326	15,747	96.45%	
स्थायी से इतर	2,176	1,955	89.84%	1,965*	1,614	82.14%	
कुल	19,087	18,402	96.41%	18,291	17,361	94.92%	
		a	ज्ञामगार				
स्थायी	644	537	83.39%	721	664	92.09%	
स्थायी से इतर	0	0	-	0	0	-	
कुल	644	537	83.39%	721	664	92.09%	

^{* -} टिप्पणीः परामर्शदाता को शामिल न करने के कारण कर्मचारियों की संख्या संशोधित की गई.

निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और कामगारों को अदा की गयी न्यूनतम मजदूरी का ब्योरा :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25				वित्तीय वर्ष 2023-24					
	कुल (ए)	न्यूनतम म समत्	जिंदूरी के नुल्य	न्यूनतम म अधि	गजदूरी से वेक	कुल (डी)	न्यूनतम म समत्	• .	न्यूनतम म अधि	
		संख्या (बी)	प्रतिशत (बी/ए)	संख्या (सी)	प्रतिशत (सी/ए)		संख्या (ई)	प्रतिशत (ई/डी)	संख्या (एफ)	प्रतिशत (एफ़/डी)
				स्थ	गयी कर्मचारी	<u> </u>				
पुरुष	11,123	0	-	11,123	100.00%	10,920	0	-	10,920	100.00%
महिला	5,788	0	-	5,788	100.00%	5,406	0	-	5,406	100.00%
				स्थायी	कर्मचारियों से	इतर				
पुरुष	1,210	0	-	1,210	100.00%	1,088	0	-	1,088	100.00%
महिला	966	0	-	966	100.00%	877*	0	-	877*	100.00%
				स्थ	गयी कामगार					
पुरुष	487	0	-	487	100.00%	553	0	-	553	100.00%
महिला	157	0	-	157	100.00%	168	0	-	168	100.00%
स्थायी कामगारों से इतर										
पुरुष	0	0	-	0	-	0	0	-	0	
महिला	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-

टिप्पणीः * - परामर्शदाता को शामिल न करने के कारण कर्मचारियों की संख्या 878 से संशोधित कर 877 की गई.



निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/ वेतन/ मजदूरी का ब्योराः 3.

माध्यिका पारिश्रमिक/ मजदुरी:

		पुरुष	महिला		
श्रेणी	संख्या	संबंधित श्रेणी के माध्यिका पारिश्रमिक वेतन / मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी के माध्यिका पारिश्रमिक वेतन / मजदूरी	
निदेशक मंडल (बीओडी)	9#	₹ 34,60,000.00/-	1@	₹ 34,60,000.00/-	
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	3\$	₹ 1,23,13,678.13/-	2	₹ 54,13,780.81/-	
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को छोड़ कर अन्य कर्मचारी	13,532	₹ 20,35,197.03/-	7,435	₹ 16,69,380.97/-	
कामगार	319	₹ 10,10,319.59/-	38	₹ 10,96,532.04/-	

टिप्पणी:

संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को दी जाने वाली सकल मजदूरी निम्नलिखित प्रारूप में:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं	30.82%	30.50%
को भुगतान की गई सकल मजदूरी		

क्या आपका कोई ऐसा केंद्र बिंदु (व्यक्ति/सिमिति) है जो कारोबार द्वारा उत्पन्न अथवा के योगदान द्वारा मानवाधिकारों के प्रभावों या मुद्दों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार है? (हां /नहीं)

हां, बैंक ने मानवाधिकार नीति बनायी है, जो कर्मचारियों सहित सभी स्टेकधारकों पर लागू होती है. नीति में व्यापक रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

- कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा,
- (ii) कार्यबल विविधता.
- (ii) बाल श्रम और जबरन श्रम का निषेध,
- (iv) उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल,
- (v) मानव गरिमा,
- (vi) न्यूनतम मजदूरी और लाभ,
- (vii) कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया और शिकायतें, तथा
- (viii) कारोबार में नैतिक आचरण.

बैंक के पास लागू आचरण नियमों/नीतियों में सक्षम प्रावधान हैं जो ऐसे मुद्दों का समाधान प्रदान करते हैं.

^{* -} माध्यिका पारिश्रमिक की गणना के लिए विचार किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या में मार्च 2025 के अंत में वेतन प्राप्त करने के लिए पात्र सभी कर्मचारी और पूर्व कर्मचारी (जो सेवानिवृत्ति/ इस्तीफा/ मृत्यु/ सेवा से हटाए जाने के कारण बैंक छोड़ चुके हैं) शामिल हैं, जिन्हें वर्ष के दौरान वेतन भूगतान किया गया था.

^{# -} निदेशक मंडल के विवरण में एमडी एवं सीईओ और दो डीएमडी के विवरण शामिल नहीं है क्योंकि उनका विवरण प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक में शामिल किया गया है. इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है लेकिन बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है और बैठक शुल्क का विवरण प्रदान किया गया है. भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों को बैठक शुक्क प्राप्त नहीं होता है और इसलिए उन्हें बाहर रखा गया है. निदेशकों की कुल संख्या में श्री मुकेश कुमार गृप्ता शामिल हैं जो 9 फरवरी 2025 से निदेशक नहीं हैं. गणना में 10 फरवरी 2025 से श्री सत पाल भानू द्वारा बैठकों में उपस्थित होने के लिए एलआईसी को भुगतान किया गया बैठक शुल्क शामिल नहीं है.

^{@ -} माध्यिका की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि निदेशक मंडल में एक महिला प्रतिनिधि है.

^{\$} - श्री सुमित फक्का, डीएमडी 15 जुलाई 2024 से बैंक में नियुक्त किए गए थे.

5. मानवाधिकारों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें.

बैंक उस मूल्यवान भूमिका को स्वीकार करता है जो बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मानवाधिकारों के दीर्घकालिक संरक्षण में कारोबार निभा सकते हैं. इन मूलभूत सिद्धांतों के प्रति बैंक का समर्थन बैंक की नीतियों और उसके स्टेकधारकों के प्रति निभाये गये कार्यों में परिलक्षित होता है. बैंक ने कर्मचारी द्वारा शिकायतें दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल अर्थात आई-हृदयो चालू किया है, भेदभाव और उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए शिकायत निवारण समिति गठित की है. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पोश अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है. बैंक ने मानवाधिकार नीति भी लागू की है जो कर्मचारियों सहित सभी स्टेकधारकों पर भी लागू होती है.

कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गयी शिकायतों की संख्या :

-		वित्तीय वर्ष 2024	4-25	वित्तीय वर्ष 2023-24		
	वर्ष के दौरान दर्ज की गयी	वर्ष के अंत में लंबित	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गयी	वर्ष के अंत में लंबित	टिप्पणी
		समाधान			समाधान	
यौन उत्पीड़न	12	4	_	9	3	_
कार्यस्थल पर भेद भाव	4	1	-	8	1	-
बाल श्रमिक	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
जबरन श्रम / अनिछुक	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
श्रम						
मजदूरी	1	शून्य	-	1	1	
मानवाधिकारों से	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
संबंधित अन्य मामले						

टिप्पणी: कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन निवारण से संबन्धित शिकायतों में आई-हृदयो प्रणाली और जीआरसी के माध्यम से प्राप्त शिकायतें शामिल हैं.

7. निम्नलिखित प्रारूप में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत दर्ज की गई शिकायतें:

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच)के तहत रिपोर्ट की गई कुल शिकायतें	12	9
महिला कर्मचारी/कामगारों के प्रतिशत के रूप में पीओएसएच शिकायतें	0.18%	0.14%
पीओएसएच संबंधी शिकायतों को सही पाया गया	2	0

8. भेदभाव और उत्पीड़न मामलों में शिकायतकर्ताओं को प्रतिकूल परिणामों से बचाने के लिए तंत्र.

बैंक ने व्हिसल ब्लोअर नीति बनाई है, जो कार्यस्थल पर देखे गये अनैतिक आचरण, कदाचार, गलत कामों आदि का अत्यधिक गोपनीय तरीके से एक पोर्टल जिसे केवल नामित अधिकारी ही देख सकते हैं, के माध्यम से प्रकटन करने के लिए सभी कर्मचारियों को एक ढांचा उपलब्ध कराती है और इसके लिए उन्हें शिक्तयां भी प्रदान करती हैं. व्हिसल ब्लोअर ऐसे मुद्दों/शिकायतों को ई-मेल के माध्यम से बैंक को भेज सकते हैं. व्हिसल ब्लोअर द्वारा भेजे गए मेल को केवल एक प्राधिकृत व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है. नामित अधिकारी प्राप्त शिकायत/मुद्दों को अत्यंत गोपनीय बनाये रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि मुद्दे के सभी विवरण और व्हिसल ब्लोअर की पहचान को गोपनीय रखा जाए. व्हिसल ब्लोअर भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोपों की शिकायत या प्रकटन हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से भी संपर्क कर सकता है. बैंक द्वारा पीओएसएच दिशानिर्देश भी कार्यान्वित किए गए है. बैंक की मानवाधिकार नीति मानवाधिकारों की रक्षा करने और काम के माहौल को उत्पीड़न मुक्त बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है.

9. क्या मानवाधिकार की अपेक्षाएं आपके कारोबारी करारों और संविदाओं का हिस्सा होती हैं? (हाँ/नहीं)

हां, विक्रेताओं के साथ बैंक के कारोबारी करार और संविदाएं दूसरे पक्ष को समय-समय पर जारी किए गए श्रम और औद्योगिक मामलों सिहत सभी कानूनों, नियमों, विनियमों और उनके अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं का पालन करने के लिए निर्धारित करते हैं. सांविधिक एजेंसियों और बैंक द्वारा लागू सभी सुरक्षा उपाय तथा श्रम और औद्योगिक कानून संविदा के निष्पादन में लागू होंगे और अन्य पक्ष इन कानूनों का पालन करेगा. अन्य पक्ष कार्मिक, कार्य और सुविधाओं की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक या उचित उपाय करेगा और सभी उचित सुरक्षा नियमों और निर्देशों का पालन करेगा. इसी तरह, उधारकर्ता के साथ ऋण करारों में बैंक यह पुष्टि चाहता है कि जिसमें बिना किसी सीमा के, भविष निधि या श्रम बकाया जैसे कोई बकाया दावा या देनदारियाँ नहीं हैं जो इस प्रकार मानविधिकारों की रक्षा करता है.



10. वर्ष में मुल्यांकनः

	आपके प्लांट और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था द्वारा अथवा सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा अथवा किसी अन्य पक्ष द्वारा)
बाल श्रमिक	100.00%
जबरन /अनैच्छिक श्रमिक	100.00%
यौन उत्पीड़न	100.00%
कार्य स्थल पर भेद भाव	100.00%
मजदूरी	100.00%
अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें	लागू नहीं

उपर्युक्त प्रश्न 9 के मुल्यांकन से उत्पन्न हुई महत्वपूर्ण जोखिमों/ मृद्दों का समाधान करने के लिए की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्रवाडयों के विवरण प्रदान करें.

मूल्यांकन से कोई जोखिम/मुद्दा उत्पन्न नहीं हुआ.

नेतत्व के संकेतक

मानवाधिकार संबंधी शिकायतों/ मुद्दों के निपटाने के परिणामस्वरूप संशोधित की जा रही/ लागू की गयी कारोबारी प्रक्रिया का ब्योरा.

बैंक ने ऐसी कोई घटना दर्ज नहीं ही है जिसमें मौजूदा प्रक्रियाओं में संशोधन की आवश्यकता हो. हालांकि मानवाधिकारों संबंधी शिकायतों या मुद्दों का कोई मामला दर्ज नहीं है, लेकिन बैंक मानवाधिकार सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित उल्लंघन को रोकने के लिए नियमित आधार पर अपनी नीतियों और कारोबारी प्रक्रियाओं की लगातार समीक्षा और निगरानी करता है.

किसी भी मानवाधिकार के मामले में सम्यक तत्परता का दायरा और व्याप्ति संबंधी विवरण दें. 2.

बैंक ने किसी भी मानवाधिकार के मामले में सम्यक तत्परता अभी तक आयोजित नहीं की है.

क्या संस्था का परिसर/ कार्यालय दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार दिव्यांग आगंतुकों के लिए पहुँच 3.

बैंक अपने परिसर/कार्यालयों को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक ने अपने परिसर में जहां भी तकनीकी रूप से संभव हो, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार दिव्यांग आगंतुकों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक भौतिक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था की है. 31 मार्च 2025 को बैंक की 2,104 शाखाएं थीं जिनमें से (24 आईडीबीआई समीप बैंकिंग आउटलेट को छोडकर) 1,044 शाखाओं में रैंप की सुविधा है. 294 शाखाओं में रैंप सुविधा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन शाखाओं का प्रवेश द्वार सडक के समानांतर है या लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है. 766 शाखाएं ऊपरी मंजिल पर स्थित हैं और इसलिए इन शाखाओं में रैंप की स्विधा प्रदान करना संभव नहीं है.

मुल्य शृंखला भागीदारों के मुल्यांकन का ब्योरा :

	मूल्य शृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये कारोबार के मूल्य के रूप में) जिनका मूल्यांकन किया गया है:
बाल श्रमिक	
जबरन / अनैच्छिक श्रमिक	बैंक अपने मूल्य शृंखला भागीदारों के लिए इन पहलुओं का मूल्यांकन करने की प्रणाली स्थापित
यौन उत्पीड़न	करने की प्रक्रिया में है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बैंक ने इन पहलुओं के अनुपालन के बारे में 57
कार्यस्थल पर भेदभाव	मूल्य शृंखला भागीदारों से स्व-घोषणाएँ एकत्र की हैं
मजदूरी	

उपर्युक्त प्रश्न 4 के मुल्यांकन से उत्पन्न हुई महत्वपूर्ण जोखिमों/ चिंताओं का समाधान करने के लिए की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.

मृल्यांकन के दौरान कोई महत्वपूर्ण जोखिम/चिताएं नहीं पाई गई.

210

सिद्धांत 6: कारोबारों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा तथा बहाल करने का प्रयास करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

निम्नलिखित प्रारूप में ऊर्जा की कुल खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा की तीव्रता का ब्योरा:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25*	वित्तीय वर्ष 2023-24^
नवीकरणीय स्रोतों से		
बिजली की कुल खपत (ए) (जीजे)	लागू नहीं	लागू नहीं
ईंधन की कुल खपत (बी) (जीजे)	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी) (जीजे)	लागू नहीं	लागू नहीं
नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की कुल खपत (ए +बी +सी) (जीजे)	लागू नहीं	लागू नहीं
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		-
बिजली की कुल खपत (डी) (जीजे)	2,86,034.83	69,547.60
ईंधन की कुल खपत (ई) (जीजे)	24,539.11	3,873.57
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (एफ़) (जीजे)	0	0
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की कुल खपत (डी+ई+एफ़) (जीजे)	3,10,573.94	73,421.16
ऊर्जा की कुल खपत (ए +बी +सी +डी+ई+एफ़) (जीजे)	3,10,573.94	73,421.16
प्रत्येक ₹ (करोड़) के कारोबार के प्रति ऊर्जा की तीव्रता	9.18	2.44
(ऊर्जा की कुल खपत/ परिचालनों से राजस्व रुपयों में)		
(प्रत्येक भारतीय रुपया करोड़ में जीजे)		
क्रय शक्ति समता के लिए समायोजित प्रत्येक ₹ के कारोबार के प्रति ऊर्जा की	18.97	5.42
तीव्रता (पीपीपी)		
(ऊर्जा की कुल खपत/ परिचालनों से राजस्व को पीपीपी के लिए समायोजित) (प्रत्येक		
मिलियन यूप्सडी में जीजे)		
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में ऊर्जा की तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/पूर्णकालिक	10.01	-
समतुल्य (एफटीई)		
ऊर्जा की तीव्रता (वैकल्पिक) - पूर्णकालिक कर्मचारी	-	4.31

कृपया उल्लेख करें कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/ मूल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं). यदि ''हां '' तो बाहरी एजेंसी का नाम बतायें.

हां, चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सूरी एंड कंपनी, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों, ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के बीआरएसआर प्रमुख प्रकटीकरण का उचित आश्वासन दिया है.

टिप्पणीः *-वित्तीय वर्ष 2024-25 के ऊर्जा डेटा वित्तीय वर्ष 2023-24 के साथ तुलनीय नहीं हैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक ने अपनी सभी 2,128 शाखाओं और 256 कार्यालयों की ऊर्जा की खपत को शामिल किया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के ऊर्जा डेटा में निम्निलखित 18 स्थानों में वास्तिवक खपत से प्राप्त डेटा शामिल है, अर्थात् बैंक का प्रधान कार्यालयं, बेलापुर में इसका कार्यालयं, आईसीबीएफ़, हैदराबाद और 15 अंचल कार्यालयों तथा 2,128 शाखाओं और 238 कार्यालयों के लिए अनुमानित डेटा सेबी द्वारा अधिसूचित व्यय-आधारित प्रणाली के आधार पर गणना की गई. व्यय-आधारित पद्धित का उपयोग करके बिजली से ऊर्जा की गणना करने के लिए सीईए द्वारा प्रकाशित नवीनतम 2024 टैरिफ़ को प्रयुक्त किया गया है. डीजल और पेट्रोल से ऊर्जा की गणना के लिए पर्यावरण, खाद्य एवं ग्रामीण मामलों के विभाग (डीईएफआरए) के अनुसार निवल कैलोरी मान (एनसीवी) और घनत्व को अपनाया गया है. आरतीय रूपये में तीव्रता की गणना के लिए परिचालन से प्राप्त राजस्व ब्याज आय और भूमि, भवन और अन्य आस्तियों (निवल) की बिक्री पर लाभ/(हानि) को छोड़कर अन्य आय का योग है, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में उल्लेख किया गया है. आईएमएफ (विश्व आर्थिक परिदृष्ट्य (अप्रैल 2025) - निहित पीपीपी रूपांतरण दर) द्वारा प्रकाशित 20.66/यूएसडी के रूपांतरण कारक का उपयोग तीव्रता-समायोजित क्रय शक्ति समता (पीपीपी) की गणना के लिए किया गया है. सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई) पर आधारित भौतिक उत्पादन के संदर्भ में तीव्रता का प्रकटन किया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, बैंक ने प्रति पूर्णकालिक कर्मचारी तीव्रता को वैकल्पिक के स्था में प्रवहात के स्था में तीव्रता का किल्प मान्य था और भारतीय रुपया टर्नओवर द्वारा तीव्रता को भौतिक आउटपुट के संदर्भ में तीव्रता के रुपले के स्था में वर्ष 2023-24 के लिया गया था.

^ - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, 17 स्थानों अर्थात् बैंक का प्रधान कार्यालय, बेलापुर में इसका कार्यालय, आईसीबीएफ, हैदराबाद और 14 अंचल कार्यालयों के लिए ऊर्जा की खपत पर विचार किया गया. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2,004 शाखाओं और 208 कार्यालयों के लिए ऊर्जा डेटा की रिपोर्ट नहीं की गई है.



क्या संस्था के पास भारत सरकार के कार्यनिष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/ सुविधाएं हैं? (हां/ नहीं) यदि हां, तो प्रकट करें कि क्या पीएटी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है. यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गयी सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, की जानकारी प्रदान करें. लागू नहीं.

निम्नलिखित प्रारूप में जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का ब्योरा प्रस्तत करें:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25*	वित्तीय वर्ष 2023-24^
(i) भूपृष्ठीय जल	0	0
(ii) भूजल	0	0
(iii) अन्य पक्ष जल	3,33,091.94	1,08,029.14
(iv) समुद्री जल/ अलवणीकृत जल	0	0
(v) अन्य (वर्षा जल संग्रहण)	0	0
जल निकासी की कुल मात्रा (किलो लीटर्स में) (i + ii + iii + iv + v)	3,33,091.94	1,08,029.14
जल की खपत की कुल मात्रा (किलो लीटर्स में)	3,33,091.94	1,08,029.14
प्रति ₹ टर्नओवर के प्रति जल की तीव्रता (जल की खपत/ परिचालनों से राजस्व)	9.85	3.60
(किलो लीटर्स प्रति करोड़ भारतीय ₹)		
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति ₹ टर्नओवर के प्रति जल	20.34	7.97
की तीव्रता		
(जल की कुल खपत/ पीपीपी के लिए समायोजित परिचालनों से राजस्व) (प्रति मिलियन		
यूएसडी में जीजे)		
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल की तीव्रता (कुल जल खपत/पूर्णकालिक	10.74	-
समतुल्य (एफटीई)		
जल को तीव्रता (वैकल्पिक) - पूर्णकालिक कर्मचारी	-	6.34

कृपया उल्लेख करें कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/ मुल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं). यदि ''हां '' तो बाहरी एजेंसी का नाम बतायें.

हां, चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सूरी एंड कंपनी, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों, ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के बीआरएसआर प्रमुख प्रकटीकरण का उचित आश्वासन दिया है.

टिप्पणी:*- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जल की खपत का डेटा वित्तीय वर्ष 2023-24 के डेटा से तुलनीय नहीं है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक ने अपनी सभी 2,128 शाखाओं और 256 कार्यालयों की जल खपत को शामिल किया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, अन्य पक्ष के पानी में 18 स्थानों अर्थात बैंक का प्रधान कार्यालय, बेलापुर में इसका कार्यालय, आईसीबीएफ, हैदराबाद और 15 अंचल कार्यालय के लिए बोतलबंद / पैकेज्ड पानी और 7 स्थानों अर्थात बैंक का प्रधान कार्यालय, बेलापुर में इसका कार्यालय, आईसीबीएफ, हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु कोच्चि और चंडीगढ़ में अंचल कार्यालय के लिए स्थानीय निकायों द्वारा आपुर्ति किया गया घरेलु पानी शामिल है. अन्य 11 स्थानों के लिए, जहां घरेलु जल खपत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जल खपत का अनुमान सुत्र (कर्मचारियों, कामगारों और संविदा कर्मचारियों के लिए 20 लीटर प्रति कर्मचारी x कार्य दिवस) के आधार पर लगाया गया है. अन्य स्थानों अर्थात 2,128 शाखाओं और 238 कार्यालयों के लिए, जहां पानी के बिल उपलब्ध नहीं हैं. सेबी द्वारा अधिसचित पद्धति के आधार पर निम्नलिखित सुत्र (कर्मचारियों, कामगारों और संविदा कर्मचारियों के लिए 45 लीटर x कार्य दिवस) के आधार पर पानी की खपत का अनुमान लगाया गया है. कर्मचारियों और कामगारों के मामले में कार्य दिवसों की संख्या उनकी वास्तविक उपस्थिति के आधार पर निर्धारित की गई है. संविदा कर्मचारियों के मामले में. जहां वास्तविक उपस्थिति उपलब्ध नहीं है. कार्य दिवसों की संख्या की गणना वर्ष के 365 दिनों में से राज्यवार छट्टियों को छोड़कर की गई है. जल अनुमान में मार्केटिंग सेवाओं के लिए नियोजित संविदा कर्मचारी शामिल नहीं हैं. भारतीय रुपये में तीव्रता की गणना के लिए परिचालन से प्राप्त राजस्व ब्याज आय और भूमि. भवन और अन्य आस्तियों (निवल) की बिक्री पर लाभ/(हानि) को छोड़कर अन्य आय का योग है. जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में उल्लेख किया गया है. आईएमएफ (विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2025) - निहित पीपीपी रूपांतरण दर) द्वारा प्रकाशित 20.66/यूएसडी के रूपांतरण कारक का उपयोग तीव्रता-समायोजित क्रय शक्ति समता (पीपीपी) की गणना के लिए किया गया है. सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई) पर आधारित भौतिक उत्पादन के संदर्भ में तीव्रता का प्रकटन किया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए. बैंक ने प्रति पूर्णकालिक कर्मचारी तीव्रता को वैकल्पिक के रूप में प्रकट किया था और भारतीय स्पया टर्नओवर द्वारा तीव्रता को भौतिक आउटपुट के संदर्भ में तीव्रता के रूप में वर्गीकृत किया गया था.

^ - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 17 स्थानों के जल की खपत पर विचार किया गया अर्थात बैंक का प्रधान कार्यालय, बेलापुर में इसके कार्यालय, आईसीबीएफ, हैदराबाद और 14 अंचल कार्यालय. अन्य पक्ष के जल में स्थानीय निकायों द्वारा जल की आपूर्ति की गई और 6 स्थानों के लिए बोतलबंद/ पैकेज्ड जल शामिल था, अर्थात् बैंक का प्रधान कार्यालय, बेलापुर में इसके कार्यालय, आईसीबीएफ, हैदराबाद और 3 अंचल कार्यालय और 11 कार्यालयों के लिए अनुमानित डेटा जिनके जल के बिल उपलब्ध नहीं थे निम्नलिखित सूत्र (45 लीटर x 31 मार्च, 2024 को कर्मचारियों की संख्या x 360 दिन) के आधार पर की गई. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,004 शाखाओं और 208 कार्यालयों के ऊर्जा डेटा रिपोर्ट नहीं किये गये.

212

4. जल छोड़ने से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24					
गंतव्य से जल छोड़ने और उपचार का स्तर (किलो लीटर्स में)								
(i) भूपृष्ठीय जल में	एम³	बैंक ने मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय में, बेलापुर में इसके						
- कोई उपचार नहीं	एम³	कार्यालय और आईसीबीएफ,	~					
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	एम³		ग है. उपचार किये गए जल को					
(ii) भूजल में	एम³	प्रधान कार्यालय तथा बेलापुर						
- कोई उपचार नहीं	एम³	में दोबारा प्रयोग में लाया जा						
- उपचार के साथ- कृपया प्रबंध का स्तर निर्दिष्ट करें	एम³	को आईसीबीएफ में बागवानी						
(iii) समुद्री जल में	एम³	जाता है. ये उपाय जल संरक्ष करते हैं तथा संधारणीय परिच						
- कोई उपचार नहीं	एम³	करत ह तथा संधारणाय पारच	लिना म यागदान दत ह.*					
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	एम³							
(iv) अन्य पक्ष को भेजा गया	एम³							
- कोई उपचार नहीं	एम³							
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	एम³							
(v) अन्य	एम³							
– कोई उपचार नहीं	एम³							
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	एम³							
जल को कुल निकासी (किलो लीटर्स में)	एम³							

कृपया उल्लेख करें कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/ मूल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं). यदि ''हां '' तो बाहरी एजेंसी का नाम बतायें.

हां, चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सूरी एंड कंपनी, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों, ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के बीआरएसआर प्रमुख प्रकटीकरण का उचित आश्वासन दिया है

टिप्पणी:*- जिन स्थानों पर एसटीपी उपलब्ध है, वहां ताजे पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए उपचारित पानी का पुनः उपयोग किया जाता है. बैंक के प्रधान कार्यालय के अलावा अन्य कार्यालयों/शाखाओं में प्रवाह मीटर की अनुपलब्धता के कारण जल निर्वहन को मापा नहीं जाता है और इस संबंध में डेटा नहीं रखे जा रहे हैं. इसके अलावा, चूंकि जल निर्वहन का अनुमान लगाने के लिए कोई मानकीकृत दिशानिर्देश नहीं हैं, इसलिए बैंक जल निर्वहन का अनुमान लगाने में असमर्थ है. अपशिष्ट जल को संबंधित स्थानों पर नगरपालिका के सीवरों के माध्यम से छोड़ा जाता है

5. क्या संस्था ने शून्य तरल निर्वहन के लिए कोई तंत्र लागू किया है ? यदि हां, तो इसकी व्याप्ति और कार्यान्वयन का विवरण दें.

बैंक ने मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय में, बेलापुर में इसके कार्यालय और आईसीबीएफ, हैदराबाद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किया है. उपचार किये गए जल को प्रधान कार्यालय तथा बेलापुर कार्यालय में वातानुकूलन संयंत्र में दोबारा प्रयोग में लाया जाता है. उपचार किये गए जल को आईसीबीएफ में बागवानी उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है. ये उपाय जल संरक्षण को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं तथा संधारणीय परिचालनों में योगदान देते हैं.

क्रपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
एनओएक्स	mg/m3	लागू नहीं	2,856.88
एसओएक्स 	mg/m3	लागू नहीं	1.18
कणिका तत्व (पीएम)	mg/m3	लागू नहीं	150.36
अनवरत जैविक प्रदूषक (पीओपी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
हानिकारक हवा प्रदूषक (एचएपी)	mg/m3	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें	पीपीएम	लागू नहीं	लागू नहीं



कृपया ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2024-25*	वित्तीय वर्ष 2023-24^
क्षेत्र 1 का कुल उत्सर्जन (जीएचजी का CO2, CH4, N20, HFCs, PFCs, SF6, NF3 का अलग-अलग विवरण, यदि उपलब्ध हो).	tCO2e	2,360.87	285.97
क्षेत्र 2 का कुल उत्सर्जन (जीएचजी का CO2, CH4, N20, HFCs, PFCs, SF6, NF3 का अलग-अलग विवरण, यदि उपलब्ध हो).	tCO2e	57,763.14	13,832.24
क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 का कुल उत्सर्जन	tCO2e	60,124.01	14,118.21
प्रति रुपया टर्नओवर के हिसाब से क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 का कुल उत्सर्जन (क्षेत्र 1 और 2 का कुल जीएचजी उत्सर्जन / परिचालनों से राजस्व)	tCO2e/ INR crore	1.78	0.47
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया टर्नओवर के हिसाब से क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 का कुल उत्सर्जन (क्षेत्र 1 और 2 का कुल जीएचजी उत्सर्जन / पीपीपी के लिए समायोजित परिचालनों से राजस्व)	tCO2e/ million USD	3.67	1.04
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में कुल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 के कुल उत्सर्जन की तीव्रता (कुल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 जीएचजी उत्सर्जन/पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई)	-	1.94	-
क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 के कुल उत्सर्जन की तीव्रता (वैकल्पिक) पूर्णकालिक कर्मचारी	-	-	0.83

कृपया उल्लेख करें कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/ मुल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं). यदि ''हां '' तो बाहरी एजेंसी का नाम बतायें.

हां, चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सुरी एंड कंपनी, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों, ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के बीआरएसआर प्रमुख प्रकटीकरण का उचित आश्वासन दिया है.

टिप्पणी: *- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीएचर्जी उत्सर्जन डेटा वित्तीय वर्ष 2023-24 के डेटा से तलनीय नहीं है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक ने अपनी सभी 2,128 शाखाओं और 256 कार्यालयों की ऊर्जा खपत को शामिल किया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीएचर्जी उत्सर्जन -क्षेत्र 1 में सभी स्थानों (स्वामित्व वाले वाहन और डीजल जनरेटर) पर खरीदे गए ईंधन से उत्सर्जन और बैंक के प्रधान कार्यालय में अग्निशामक यंत्रों से होने वाला उत्सर्जन शामिल है. इसकी 2,128 शाखाओं और 255 कार्यालयों में अग्निशामक यंत्रों से होने वाले धुम्र उत्सर्जन को शामिल नहीं किया जाता है. इसकी सभी 2,128 शाखाओं और 256 कार्यालयों के लिए एयर कंडीशनरों से होने वाले धुम्र उत्सर्जन को शामिल नहीं किया गया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीएचजी उत्सर्जन - क्षेत्र 2 में इसकी 2,128 शाखाओं और 256 कार्यालयों में बिजली की खरीदी से होने वाले उत्सर्जन शामिल हैं. डीजल और पेट्रोल के लिए उत्सर्जन कारक उद्योग मानकों पर सेबी परिपत्र के अनुसार अपनाए गए हैं. खरीदी गई बिजली के लिए उत्सर्जन कारक को सीईए द्वारा दिसंबर 2024 में प्रकाशित भारतीय विद्यूत क्षेत्र के लिए CO2 बेसलाइन डेटाबेस से लिया गया है. भार तीय रूपये में तीव्रता की गणना के लिए परिचालन से राजस्व ब्याज आय और भृमि. भवन और अन्य आस्तियों (निवल) की बिक्री पर लाभ/(हानि) को छोड़कर अन्य आय का योग है, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में उल्लेख किया गया है. आईएमएफ (विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2025) - निहित पीपीपी रूपांतरण दर) द्वारा प्रकाशित 20.66/युपसडी के रूपांतरण कारक का उपयोग तीव्रता-समायोजित क्रय शक्ति समता (पीपीपी) की गणना के लिए किया गया है, सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई)पर आधारित भौतिक उत्पादन के संदर्भ में तीव्रता का प्रकटन किया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, बैंक ने प्रति पूर्णकालिक कर्मचारी तीव्रता को वैकल्पिक के रूप में प्रकट किया था और भारतीय रूपया टर्नओवर द्वारा तीव्रता को भौतिक आउटपुट के संदर्भ में तीव्रता के रूप में वर्गीकृत

^ - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 17 स्थानों अर्थात् बैंक का प्रधान कार्यालय, बेलापुर में इसका कार्यालय, आईसीबीएफ, हैदराबाद और 14 अंचल कार्यालय के लिए ऊर्जा खपत पर विचार किया गया. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,004 शाखाओं और 208 कार्यालयों के ऊर्जा डेटा की रिपोर्ट नहीं किये गये. वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्सर्जन कारक को जलवाय परिवर्तन पर अंतर्सरकारी पैनल (आईपीसीसी) से लिया गया था.

क्या संस्था के पास ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है ? यदि ''हाँ'', तो विवरण दें. 8.

हाँ. बैंक ने ऊर्जा की खपत को घटाने के लिए पहल कार्य और जागस्कता अभियान चलाया है. अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए बैंक ने निम्नलिखित उपाय किये हैं:

- प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम उपयोग करना और बिजली की लाइटों का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाता है.
- शाखाओं और कार्यालयों में पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था के स्थान पर एलईही प्रकाश से प्रतिस्थापन करना.
- सेंटल एसी/ डक्ट एसी/ स्प्लिट एवं विंडो एसी के माध्यम से एसी कमरे का तापमान 25°C पर बनाये रखना.

- जब उपयोग में ना हो तब केबिन्स और बैक ऑफिस की सभी लाइट बंद करना.
- डेस्कटॉप/ पीसी 30 मिनिट से अधिक तक उपयोग में न होने पर उसे बंद करना.
- टेलीविजन, फोटोकॉपियर, श्रेडर मशीन और अन्य व्यावसायिक स्वचालित उपकरणों को उपयोग में न होने पर बंद करना.
- सभी उपकरणों का वार्षिक रखरखाव अनुबंधों का समय पर नवीकरण करना.
- हैदराबाद के बासरा क्वार्टरों में 100 केडबल्यूपी का सौर संयंत्र चालू किया गया है. चेंबूर कॉरपोरेट पार्क और भुवनेश्वर अंचल कार्यालय में क्रमशः 30 केडबल्यूपी और 10 केडबल्यूपी का सौर संयंत्र स्थापित किया गया है. आईसीबीएफ़ परिसर में सौर पैनलों द्वारा संचालित जल संयंत्र स्थापित किए गए हैं.
- बोर्ड की बैठकों के ज्ञापनों के आवागमन का डिजिटलीकरण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ए४ शीट की बचत हुई और वर्ष 2023-24 के लिए 4.27 tCO2e कार्बन उत्सर्जन से बचा जा सका.
- क्रेडिट कार्ड विवरण के डिजिटलीकरण से वर्ष 2023-24 में 4.66 tCO2e कार्बन उत्सर्जन से बचने में मदद मिली.
- भारतीय हरित भवन परिषद (आईजीबीसी) के हरित प्रमाणन के साथ आईसीबीएफ में नए परिसर की विकास परियोजना पर कार्य चल रहा है
 और दिसंबर 2026 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है.
- इसके अलावा, बैंक की ऋण नीति संधारणीय वित्तपोषण को प्रोत्साहित करती है, जिससे जीएचजी कटौती में सकारात्मक योगदान मिलता है.
 अपनी वित्तीय गतिविधियों पर पर्यावरणीय प्रभाव को समझने और प्रबंध करने के लिए बैंक ने बैंक के एक नमूना पोर्टफोलियों के लिए वित्तपोषित उत्सर्जन की गणना की, जिससे इसके ऋण और निवेश पोर्टफोलियों के एक हिस्से से जुड़े कार्बन फुटप्रिंट का स्पष्ट छायाचित्र मिलता है.
- जलवायु जोखिमों के बारे में जागरूकता फैलाने और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए, बैंक ने त्रैमासिक जलवायु जोखिम समाचार पत्र के दो संस्करण प्रकाशित किए हैं. इन समाचार पत्रों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के महत्व और इसके प्रभाव को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में हितधारकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से लेख और जानकारी शामिल है.

9. संस्था द्वारा कचरा प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25*	वित्तीय वर्ष 2023-24^
	में)	
प्लास्टिक कचरा (ए)	4.30	4.99
इलेक्ट्रॉनिक कचरा (बी)	38.22	21.88
जैव-चिकित्सीय कचरा (सी)	0	0
निर्माण और विनष्टीकरण का कचरा(डी)	69.00	2.61
बैटरी कचरा (ई)	90.62	0
रेडियो एक्टिव कचरा (एफ)	0	0
अन्य हानिकारक कचरा,यदि कोई हो, कृपया निर्दिष्ट करें (जी)	0	0
उत्पन्न हुआ अन्य गैर हानिकारक कचरा (एच)यदि कोई हो तो, कृपया निर्दिष्ट करें.	206.57	125.37
(संरचना के अनुसार अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री के अनुसार ब्योरा)		
कुल (ए +बी +सी +डी +ई +एफ +जी +एच)	408.71	154.85
प्रति रुपया टर्नओवर पर कचरा तीव्रता (उत्पन्न कुल कचरा/परिचालन से राजस्व)	0.01	0.01
(मैट्रिक टन प्रति मिलियन भारतीय रुपया)		
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति ₹ टर्नओवर पर कचरे की	0.02	0.01
तीव्रता		
(उत्पन्न कुल कचरा/पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व) (मैट्रिक टन प्रति		
मिलियन भारतीय रुपया)		
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में कचरे की तीव्रता (उत्पन्न कुल कचरा/ पूर्णकालिक	0.01	-
समतुल्य (एफटीई))		
कचरा तीव्रता (वैकल्पिक) - पूर्णकालिक कर्मचारी	-	0.01



कचरे की श्रेणी:	प्लास्टिक कचरा (ए)	
(i) पुनर्चक्रण	-	=
(ii) पुनःउपयोग	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	-	
कुल	-	-
उत्पन्न हुए कचरे, पुनर्पाप्ति पद्धति के स्वरूप द्वारा प्राप्त कुल क	चरा (मेट्रिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हेतु	
कचरे की श्रेणी:	प्लास्टिक कचरा (ए)	
(i) जलाना	-	-
(ii) जमीन में भर देना	-	_
(iii) नष्ट करने के अन्य परिचालन	4.30	4.99
कुल	4.30	4.99
उत्पन्न हुए कचरे, पुनर्प्राप्ति पद्धति के स्वरूप द्वारा प्राप्त कुल क		
कचरे की श्रेण	ी: ई- कचरा (बी)	
(i) पुनर्चक्रण	38.22	21.88
(ii) पुनःउपयोग	-	
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	-	-
कुल	38.22	21.88
उत्पन्न हुए कचरे, निपटान पद्धति के स्वरूप द्वारा नष्ट किया गर	या कुल कचरा (मेट्रिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हेतु	
कचरे की श्रेण	ी: ई- कचरा (बी)	
(i) जलाना	-	_
(ii) जमीन में भर देना	-	_
(iii) नष्ट करने के अन्य परिचालन	-	_
कुल	-	_
उत्पन्न हुए कचरे, पुनर्प्राप्ति पद्धति के स्वरूप द्वारा प्राप्त कुल क	चरा (मेटिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हेत	
	` ^ ' ' '3	
	णि एवं विध्वंस कचरा (डी)	
कचरे की श्रेणी: निम	णि एवं विध्वंस कचरा (डी) 	
कचरे की श्रेणी: निम (i) पुनर्चक्रण	णि एवं विध्वंस कचरा (डी) - -	<u>-</u>
कचरे की श्रेणी: निम (i) पुनर्चक्रण (ii) पुनःउपयोग	णि एवं विध्वंस कचरा (डी) - - -	- - -
कचरे की श्रेणी: निम (i) पुनर्चक्रण (ii) पुनःउपयोग (iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	णि एवं विध्वंस कचरा (डी)	- - -
कचरे की श्रेणी: निम (i) पुनर्चक्रण (ii) पुनः उपयोग (iii) अन्य पुनर्प्रीप्ति परिचालन कुल	- - - -	- - -
कचरे की श्रेणी: निम (i) पुनर्चक्रण (ii) पुनः उपयोग (iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन कुल उत्पन्न हुए कचरे, निपटान पद्धति के स्वरूप द्वारा नष्ट किया गर	- - - - या कुल कचरा (मेट्रिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हेतु	- - -
कचरे की श्रेणी: निम (i) पुनर्चक्रण (ii) पुनःउपयोग (iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन कुल उत्पन्न हुए कचरे, निपटान पद्धति के स्वरूप द्वारा नष्ट किया गर कचरे की श्रेणी: निर्माण	- - - -	- - -
कचरे की श्रेणी: निम (i) पुनर्चक्रण (ii) पुनः उपयोग (iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन कुल उत्पन्न हुए कचरे, निपटान पद्धति के स्वरूप द्वारा नष्ट किया गर कचरे की श्रेणी: निर्माण	- - - - या कुल कचरा (मेट्रिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हेतु	- - -
कचरे की श्रेणी: निम (i) पुनर्चक्रण (ii) पुनःउपयोग (iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन कुल उत्पन्न हुए कचरे, निपटान पद्धति के स्वरूप द्वारा नष्ट किया गर कचरे की श्रेणी: निर्माण	- - - - या कुल कचरा (मेट्रिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हेतु	

Corporate Overview

	ा (मेट्रिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हेतु	
कचरे की श्रेणी:	बैटरी कचरा (ई)	
(i) पुनर्चक्रण	90.62	-
(ii) पुनःउपयोग	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	-	-
कुल	90.62	-
उत्पन्न हुए कचरे, निपटान पद्धति के स्वरूप द्वारा नष्ट किया गया	कुल कचरा (मेट्रिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हे	तु
कचरे की श्रेणी:		
(i) जलाना	-	-
(ii) जमीन में भर देना	-	-
(iii) नष्ट करने के अन्य परिचालन	-	-
कुल	-	-
उत्पन्न हुए कचरे, पुनर्प्राप्ति पद्धति के स्वरूप द्वारा प्राप्त कुल कचर	ा (मेट्रिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हेतु	
——————————————————————————————————————		
कचर का श्रणाः अन्य गर-हा।	नेकारक उत्पन्न कचरा (एच)	
(i) पुनर्चक्रण	नेकारक उत्पन्न कचरा (एच)	-
	नेकारक उत्पन्न कचरा (एच) - -	-
(i) पुनर्चक्रण	नेकारक उत्पन्न कचरा (एच) - - -	- - -
(i) पुनर्चक्रण (ii) पुनःउपयोग	नेकारक उत्पन्न कचरा (एच) - - - -	- - -
(i) पुनर्चक्रण (ii) पुनःउपयोग (iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	- - -	- - - -
(i) पुनर्वक्रण (ii) पुनः उपयोग (iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन कुल	- - - - कुल कचरा (मेट्रिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हे	- - - -
(i) पुनर्चक्रण (ii) पुनःउपयोग (iii) अन्य पुनप्रीप्ति परिचालन कुल उत्पन्न हुए कचरे, निपटान पद्धित के स्वरूप द्वारा नष्ट किया गया	- - - - कुल कचरा (मेट्रिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हे	- - - বু
(i) पुनर्चक्रण (ii) पुनःउपयोग (iii) अन्य पुनप्रीप्ति परिचालन कुल उत्पन्न हुए कचरे, निपटान पद्धित के स्वरूप द्वारा नष्ट किया गया कचरे की श्रेणी: अन्य गैर-हा	- - - - कुल कचरा (मेट्रिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हे	- - - तु
(i) पुनर्चक्रण (ii) पुनः उपयोग (iii) अन्य पुनर्प्रीप्ति परिचालन कुल उत्पन्न हुए कचरे, निपटान पद्धित के स्वरूप द्वारा नष्ट किया गया व कचरे की श्रेणी: अन्य गैर-हार्	- - - - कुल कचरा (मेट्रिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हे	- - - - - 125.37

क्रपया उल्लेख करें कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/ मूल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं). यदि ''हां '' तो बाहरी एजेंसी का नाम बतायें.

हां, चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सूरी एंड कंपनी, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों, ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के बीआरएसआर प्रमुख प्रकटीकरण का उचित आश्वासन दिया है.

टिप्पणीः *- वित्तीय वर्ष 2024-25 के अपशिष्ट से संबन्धित डेटा वित्तीय वर्ष 2023-24 के साथ तुलनीय नहीं है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, अपशिष्ट डेटा को निम्नलिखित 5 स्थानों अर्थात् बैंक का प्रधान कार्यालय, बेलापुर में इसका कार्यालय, अहमदाबाद,भोपाल और नागपुर अंचल कार्यालयों के लिए विचार किया गया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ई-अपशिष्ट और बैटरी अपशिष्ट डेटा 2,128 शाखाओं और 256 कार्यालयों के लिए रिपोर्ट किए गए हैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय के निर्माण और नष्ट अपशिष्ट का डेटा रिपोर्ट किया गया है. भारतीय रूपये में तीव्रता की गणना के लिए परिचालन से राजस्व ब्याज आय और भिम, भवन और अन्य आस्तियों (निवल) की बिक्री पर लाभ/ (हानि) को छोड़कर अन्य आय का योग है, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में उल्लेख किया गया है. आईएमएफ (विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2025) - निहित पीपीपी रूपांतरण <u>दर</u>) द्वारा प्रकाशित 20.66/यूप्सडी के रूपांतरण कारक का उपयोग तीव्रता-समायोजित क्रय शक्ति समता (पीपीपी) की गणना के लिए किया गया है, सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्णकालिक समतुल्य (एफटोई)पर आधारित भौतिक उत्पादन के संदर्भ में तीव्रता का प्रकटन किया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए. बैंक ने प्रति पूर्णकालिक कर्मचारी तीव्रता को वैकल्पिक के रूप में प्रकट किया था और भारतीय रूपया टर्नओवर द्वारा तीव्रता को भौतिक आउटपूट के संदर्भ में तीव्रता के रूप में वर्गीकृत किया गया था.

^ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 3 स्थानों - बैंक के प्रधान कार्यालय, बेलापुर स्थित कार्यालय और आईडीबीआई प्रशिक्षण कॉलेज - के अपशिष्ट डेटा पर विचार किया गया था.



10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनायी गयी कचरा प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें. अपने उत्पादों एवं प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी की रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंध के लिए अपनायी गई प्रथाओं का वर्णन करें.

चूंकि बैंक वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में परिचालन करता है, इसलिए ई-कचरा सबसे अधिक उत्पन्न होने वाले खतरनाक कचरे में से एक है. बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन नीति बनायी है जिसमें सभी कार्यालयों और शाखाओं को शामिल किया गया है. बैंक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा निर्धारित निपटान दिशा-निर्देशों का पालन करता है, जिसमें यह सुनिश्चित करता है कि सारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न होने के 180 दिनों के भीतर निपटान कर दिया जाये. सभी ई-कचरे का निपटान केवल पंजीकृत/ अधिकृत रिसाइकिलर्स को ही किया जाता है. बैंक ने उत्पन्न और निपटाए गए ई-कचरे पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली भी शुरू की है.

11. यदि संस्था के परिचालन/ कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अथवा उसके आस पास स्थित हैं, (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जीवमंडल भंडार, झीलों, जैव विविधता हॉटस्पॉट,वन,तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/ मंजूरी आवश्यक है, कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करें.

वित्तीय सेवा प्रदाता होने के नाते बैंक पर यह प्रश्न लागू नहीं होता है. तथापि, बैंक संधारणीय तरीके से काम करने का प्रयास करता है और प्रासंगिक पर्यावरण कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. बैंक की ऋण नीति संधारणीय वित्तपोषण को प्रोत्साहित करते हुए पर्यावरण के लिए हानिकारक उद्योगों जैसे कि ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन/ उपभोग करने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध निर्धारित करती है. इसके अलावा, बैंक की ऋण नीति संधारणीय वित्तपोषण को प्रोत्साहित करती है.

- 12. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा किए गए परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन का विवरणः लागू नहीं
- 13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरणीय कानून/ विनियमों/ दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियम (हाँ/ नहीं) यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण निम्निखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

हां, संस्था भारत में लागू पर्यावरणीय कानूनों/ विनियमों/ दिशानिर्देशों का अनुपालक है, जैसे कि जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु, (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियम.

क्रम संख्या	उस कानून/ विनियम/ दिशानिर्देश का उल्लेख करें जिसका अनुपालन नहीं किया गया था	गैर अनुपालन का ब्योरा प्रस्तुत करें	विनियामक एजेंसियों जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा अदालतों द्वारा लगाया गया दंड/ जुर्माना/ की गई कार्रवाई आदि	की गई सुधारात्मक कार्रवाई,यदि कोई हो
----------------	--	--	--	---

शून्य

नेतृत्व संकेतक

'जल संकट' वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलो लीटर में):

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक स्विधा/ संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

- i. क्षेत्र का नाम
- ii. परिचालन की प्रकृति
- iii. निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निर्वहन :

मापदंड	इकाई	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
स्रोत द्वारा जल निकास	ो (किलो लीटर में)		
_(i) भू-पृष्ठ जल	एम³	-	-
(ii) भू-जल	एम³	-	-
(iii) अन्य पक्ष जल	एम³	-	-
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	एम³	-	-
(v) अन्य	एम³	-	-

मापदंड	इकाई	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	एम³	-	-
जल के खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	एम³	-	-
प्रति रुपया टर्नओवर के लिए जल की तीव्रता (खपत किया गया जल/	राजस्व का प्रति	-	-
टर्नओवर)	करोड़ रुपये		
	किलो लीटर		
जल को तीव्रता (वैकल्पिक) - संस्था अपनी संबंधित मेट्रिक चुन सकती है		-	-
गंतव्य द्वारा जल निर्वहन और उपच	र का स्तर (किल	ोलीटर में)	
(i) भू-पृष्ठ जल में	एम³		
- कोई उपचार नहीं	एम³	-	-
- उपचार के साथ – कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें	एम³	-	-
(ii) भू-जल में	एम³		
- कोई उपचार नहीं	एम³	-	-
- उपचार के साथ – कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें	एम³	-	-
(iii) समुद्री जल में	एम³		
- कोई उपचार नहीं	एम³	-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें	एम³	-	-
(iv) अन्य-पक्षों को भेजा गया	एम³		
- कोई उपचार नहीं	एम³	-	-
- उपचार के साथ – कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें	एम³	-	-
_(v) अन्य	एम³		
- कोई उपचार नहीं	एम³	-	-
- उपचार के साथ – कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें	एम³	-	-
छोड़ा गया कुल जल			
(किलोलीटर में)			

कृपया कुल क्षेत्र 3 उत्सर्जन एवं उसकी तीव्रता का ब्योरा निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें : 2.

मापदंड	इकाई	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
कुल क्षेत्र 3 का उत्सर्जन	tCO2e	1,573.92	उपलब्ध नहीं
जीएचजी का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में अलग			
अलग आंकड़ें प्रस्तुत करें, यदि उपलब्ध है)			
प्रति रुपया कारोबार पर कुल क्षेत्र 3 उत्सर्जन तीव्रता (कुल क्षेत्र 3	tCO2e/	0.05	उपलब्ध नहीं
उत्सर्जन/ परिचालन से राजस्व) (tCo2e प्रति करोड़ भारतीय रुपये में)	भारतीय		
	रुपया		
			0.
कुल क्षेत्र 3 की उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - भौतिक उत्पादन के संदर्भ		0.05	उपलब्ध नहीं
में (कुल क्षेत्र 3 उत्सर्जन/पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई)	एफटीई		

टिप्पणीः * - वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, क्षेत्र 3 उत्सर्जन की गणना व्यय के आधार पर व्यावसायिक यात्रा श्रेणी (केवल हवाई यात्रा शामिल) के लिए की गई है. भारतीय रुपये में तीव्रता की गणना के लिए परिचालन से राजस्व ब्याज आय और भूमि, भवन और अन्य आस्तियों (निवल) की बिक्री के लाभ। (हानि) को छोड़कर अन्य आय का योग है, जैसा कि एकल वित्तीय विवरण में उल्लेख किया गया है.



उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में रिपोर्ट की गई पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में. ऐसे क्षेत्रों में रोकथाम और 3. उपचारात्मक गतिविधियों के साथ-साथ जैव-विविधता पर संस्था के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का ब्योरा प्रदान करें.

वित्तीय सेवा प्रदाता होने के नाते यह प्रश्न बैंक पर लागू नहीं होता है. तथापि, बैंक संधारणीय तरीके से काम करने का प्रयास करता है और प्रासंगिक पर्यावरण काननों और विनियमों का अनुपालन सनिश्चित करता है. बैंक की ऋण नीति संधारणीय वित्तपोषण को प्रोत्साहित करते हुए पर्यावरण के लिए हानिकारक उद्योगों जैसे कि ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन/उपभोग करने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध निर्धारित करती है. इसके जलावा, बैंक की ऋण नीति संधारणीय वित्तपोषण को प्रोत्साहित करती है.

यदि संस्था ने संसाधनों की दक्षता में सुधार लाने, अथवा उत्सर्जन/ प्रवाह निर्वहन/ उत्पन्न कचरे के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल अथवा किसी अभिनव प्रोद्यौगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया उसके साथ-साथ ऐसी पहलों के परिणाम का ब्योरा प्रदान करें:

बैंक ने ऊर्जा कुशलता को बढ़ावा देने और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कई पहल कार्य किये हैं. कई परिसरों में ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था लगाई गई है. साथ ही केबिनों में प्रकाश सेंसर भी लगाए गए हैं जो खाली होने पर स्वचालित रूप से लाइट बंद कर देते हैं. कुत्रिम प्रकाश व्यवस्था पर निर्भरता कम करने के लिए जहाँ भी संभव हो, कार्यालयों और शाखाओं में प्राकृतिक प्रकाश के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है. कर्मचारियों को नियमित रूप से फोटोकॉपियर, टेलीविजन, प्रिंटर और श्रेडर सहित अप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करने के लिए जागरूक किया

बैंक ने 25°-26°C पर एसी परिचालन को मानकीकृत किया है और मंबई के प्रधान कार्यालय में पारंपरिक पैकेज एसी को ऊर्जा-कशल मॉडल से बदल दिया है. इनवर्टर/ वैरिएबल रेफ़िजरेंट फ्लो (वीआरएफ़) ऊर्जा-कृशल एसी भी चयनित नई शाखाओं और अंचल कार्यालयों में लगाए गए हैं. बैंक अंचल कार्यालयों और प्रमुख शाखाओं में स्वचालित बिजली कारक सुधार (एपीएफ़सी) पैनलों का उपयोग करके पावर फैक्टर को युनिटी के करीब बनाए रखकर उच्च ऊर्जा कुशलता सुनिश्चित करता है.

ऊर्जा नवीकरण अभिनियोजन में, कॉरपोरेट पार्क कार्यालय (चेंब्रूर, मुंबई) और भुवनेश्वर अंचल कार्यालय में क्रमशः 30 किलोवाट पीक (केडब्ल्यूपी) और 10 केडबल्यूपी के सौर ऊर्जा प्लांट कार्यरत हैं. हैदराबाद के बासरा में अधिकारियों के क्वार्टर में 100 केडबल्यूपी का सौर प्लांट चाल किया जा रहा है, जबिक मुंबई के प्रधान कार्यालय में 40 केडबल्युपी युनिट स्थापित की जा रही है. बैंक ने भविष्य में सौर ऊर्जा स्थापना के लिए पुरे भारत में 18 स्वामित्व वाली संपत्तियों को भी उद्दिष्ट किया है.

पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को और कम करने के लिए, बैंक पुराने फर्नीचर को नया रूप देकर उसका पुनः उपयोग कर रहा है. एसटीपी से प्राप्त रिसाइकल जल का उपयोग बागवानी और एसी कंडेनसर के परिचालन में किया जाता है. बिजली की मरम्मत का काम तुरंत किया जाता है साथ ही एसी सिस्टम का निवारक रखरखाव नियमित रूप से किया जाता है. ऊर्जा हानि को कम करने के लिए बेलापूर कार्यालय में कैपेसिटर बैंकों को अपग्रेड किया गया है. ये निरंतर प्रयास ऊर्जा संरक्षण और परिचालन संधारणीयता के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

- क्या संस्था के पास कारोबार निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों में ब्योरा दें/ वेबलिंक प्रदान करें. 5.
 - मानव जीवन की सुरक्षा और विघटन/आपदा के दौरान बैंकिंग सेवाओं में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने एक सुनियोजित कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) ढांचा तैयार किया है. सभी महत्वपूर्ण विभागों के लिए कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) दस्तावेजों में, अन्य बातों के साथ-साथ, व्यवसाय विघटन/आपदा की स्थिति में तौर-तरीके और उसके परिणामी पुनर्प्राप्ति रणनीतियाँ और योजनाएँ शामिल हैं. इसके अलावा, आपदा के दौरान मानव जीवन की सुरक्षा और मूल्यवान आस्तियों को कम से कम नुकसान पहुँचाने के लिए इसके प्रमुख प्रतिष्ठानों के लिए एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) लागू की गई है. विभिन्न व्यवधान परिदृश्यों के तहत इन योजनाओं की तन्यकता का परीक्षण बीसीपी परीक्षण अभ्यासों, डीआर अभ्यासों और महत्वपूर्ण आईटी अनुप्रयोगों के लिए समग्र डीआर अभ्यासों के माध्यम से निरंतर आधार पर किया जाता है और बैंक के स्वामित्व वाले परिसर में मॉक निकासी अभ्यास आयोजित किए जाते हैं. बैंक की व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) आईएसओ 22301:2019 अनुपालक है. अधिक जानकारी के लिए देखें: (https://www.idbibank.in/pdf/basel/BCM-Disclosure.pdf)
- संस्था की मुल्य शृंखला से पर्यावरण पर पड़ने वाले किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभावों को प्रकट करें. इस संबंध में इन परिणामों को घटाने अथवा अनुकुलन हेतु संस्था ने क्या उपाय किये हैं.
 - वर्तमान में, बैंक की मृत्य शृंखला के भागीदारों की ओर से उत्पन्न किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की सूचना प्राप्त नहीं हुई है.
- मुल्य शृंखला के भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये व्यवसाय के मुल्य द्वारा) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए 7. मुल्यांकन किया गया.

बैंक अपने मूल्य शृंखला भागीदारों द्वारा पर्यावरण अपेक्षाओं के अनुपालन के मूल्यांकन हेतु प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक के 57 मूल्य शृंखला साझेदारों से पर्यावरण अपेक्षाओं के अनुपालन की पुष्टि करते हुए स्व-घोषणाएँ एकत्र की गईं.

सिद्धांत 7: कारोबार जो सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न हो तो उन्हें ऐसा करते समय जिम्मेदार और पारदर्शी तरीका अपनाना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. (क) व्यापार और उद्योग मंडलों/ संघों के साथ संबद्धता की संख्या

बैंक अनेक व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों से संबद्ध है.

(ख) संस्था जिन उद्योग मंडलों/ संघों के साथ संबद्ध/ सदस्य है, ऐसे 10 प्रमुख उद्योग मंडलों/ संघों (ऐसी निकाय के कुल सदस्यों की संख्या के आधार पर निर्धारित) की सूची.

क्रम सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों/ संघों के नाम #	व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों का विस्तार (राज्य/राष्ट्रीय)
1.	भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल(एसोचेम)	राष्ट्रीय
2.	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	राष्ट्रीय
3.	भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ (फिक्की)	राष्ट्रीय
4.	फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल)	राष्ट्रीय
5.	भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा)	राष्ट्रीय
6.	भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई)	राष्ट्रीय
7.	भारतीय विदेशी मुद्रा संघ (एफएआई)	राष्ट्रीय
8.	भारतीय बैंक संघ (आईबीए)	राष्ट्रीय
9.	भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ़)	राष्ट्रीय
10.	भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई)	राष्ट्रीय

^{# -} नामों की सूची सांकेतिक है परिपूर्ण नहीं.

2. विनियामक प्राधिकारियों से प्राप्त प्रतिकूल आदेशों के आधार पर संस्था के गैर-प्रतिस्पर्धा आचरण से संबंधित मुद्दों के बारे में की गयी अथवा की जा रही कार्रवाई की जानकारी प्रदान करें.

प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त सार	की गयी सुधारात्मक कार्रवाई
शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति की स्थिति का विवरण:

क्रम सं.	समर्थित सार्वजनिक नीति	ऐसे समर्थन के लिए अपनाया गया तरीका	क्या इसकी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है?	बोर्ड द्वारा की गयी समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
			(हाँ / नहीं)	अर्घवार्षिक/त्रैमासिक/	
				अन्य-कृपया निर्दिष्ट करें)	

बैंक सरकारों, नीति निर्माताओं, विनियामकों, उद्योग निकायों, व्यापार संघों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा में भाग लेकर जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ सार्वजनिक समर्थन में संलग्न है.



सिद्धांत 8: कारोबारों को समावेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास को बढावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

चालु वित्तीय वर्ष में, लागु कानुनों के आधार पर, संस्था द्वारा शुरू की गयी परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव के मुल्यांकन (एसआईए) 1.

कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8(3) के अनुसार, ₹ 1 करोड या उससे अधिक के परिव्यय वाली सीएसआर परियोजनाएं शुरूकरने वाली कंपनियों को प्रभाव मुल्यांकन करना आवश्यक है, बशर्ते परियोजनाएं मुल्यांकन से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो गई

चृंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक द्वारा निधिक सीएसआर परियोजनाएं जिनमें ₹ 1 करोड और उससे अधिक का आबंटन शामिल है, ने निर्धारित एक वर्ष की अवधि पुरी नहीं की है इसलिए इन परियोजनाओं के प्रभाव का मुल्यांकन लागू विनियमों के अनुपालन में बाद के वित्तीय वर्षों में किया जाएगा.

- अपनी संस्था द्वारा पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एवं आर) के लिए चलाई जा रही परियोजना (ओं) से संबंधित जानकारी प्रदान करें: लागु नहीं
- समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उन शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र का वर्णन करें. 3.

बैंक यह सनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उसके सीएसआर पहलों का लाभ सभी लक्षित खंडों में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वितरित किया जाए. कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्राप्त किसी भी शिकायत की विधिवत रिपोर्ट बैंक को दी जानी चाहिए. सीएसआर कार्य की देखरेख करने वाले महाप्रबंधक ऐसी शिकायतों की समीक्षा करने और संबोधित करने के लिए जिम्मेदार होंगे. इसके अलावा. शिकायतों और की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट सीएसआर. ईएसजी और प्रचार से संबंधित प्रबंधन समिति को प्रस्तुत की जाएगी. निवारण प्रक्रिया बैंक की सीएसआर नीति में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुरूप की

स्थानीय या लघु स्तरीय आपूर्तिकर्ताओं से जुटाई गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मुल्य के हिसाब से कुल इनपुट की तुलना में इनपुट): 4.

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
एमएसएमई/ छोटे उत्पादकों से प्रत्यक्ष तौर पर जुटाए गए	बैंक खरीद के लिए लागू	दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित निविदा
भारत के भीतर सीधे तौर पर	प्रक्रिया का उपयोग करत	। है. बैंक स्थानीय विक्रेताओं से स्टेशनरी
	जैसी उपभोग्य सामग्रियों	की खरीद करता है जो प्राथमिक सामग्रियों में
	से एक है. बैंक विशेष रू	प से एमएसएमई और स्थानीय विक्रेताओं से
	प्राप्त इनपुट सामग्रियों वे	ह प्रतिशत का पता लगाने और गणना करने के
	लिए सिस्टम और प्रक्रिय	ाओं को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया में है.

छोटे शहरों में रोजगार सजन: निम्नलिखित स्थानों पर नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/ अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मचारियों या कामगारों सहित) को कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में भुगतान की गई मजदूरी प्रकट करें:

स्थान *	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
ग्रामीण	6.14%	6.75%
अर्ध शहरी	13.65%	14.75%
शहरी	22.60%	23.12%
महानगर	57.61%	55.38%

टिप्पणीः स्थान को रिजर्व बैंक की वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार ग्रामीण/अर्ध-शहरी/शहरी/महानगरीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

नेतत्व संकेतक

सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन में पाए गए नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए की गई कार्रवाईयों का ब्योरा दें. (संदर्भ: ऊपर दर्शाये गए आवश्यक संकेतकों का प्रश्न सं 1):

लागू नहीं

सरकारी निकायों द्वारा अभिनिर्धारित निर्दिष्ट महत्वाकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा प्रारंभ की गयी सीएसआर परियोजना के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

कॉरपोरेट विहंगावलोकन

Corporate Overview

क्रम सं.	राज्य	महत्वाकांक्षी जिला	खर्च की गयी राशि भारतीय रुपयों में
1	आंध्रप्रदेश	विशाखापटनम	70,00,000.00/-
2	बिहार	मुजफ्फरपुर	50,00,000.00/-
3	भारखं ड	रांची	19,50,000.00/-
4	केरल	वायनाड	1,15,40,800.00/-
5	मध्यप्रदेश	छतरपुर	2,90,06,725.00/-
6	मध्यप्रदेश	सिंगरौली	3,44,864.00/-
7	ओडिशा	रायगड़ा	29,67,300.00/-
8	ओडिशा	मालकानगिरी	29,67,300.00/-
9	राजस्थान	बाराँ	24,00,000.00/-
	कुल		6,31,76,989.00/-

क) क्या आपके पास अधिमानी खरीद नीति मौजूद है जहां आप उपेक्षित/ कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी को 3. प्राथमिकता देते हैं? (हां/ नहीं)

हाँ. बैंक भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसएमई/ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. में (एनएसआईसी) पंजीकृत वेंडर को बयाना जमा राशि (ईएमडी) जमा करने से छूट देने पर विचार कर रहा है.

किन उपेक्षित /कमजोर समृहों से आप खरीद करते हैं ? ख)

बैंक इस संबंध में डेटा नहीं रखता है. हालाँकि, बैंक एमएसएमई पंजीकृत विक्रेताओं से सेवाएँ / सामान खरीदता है.

यह कुल खरीद (मूल्य के हिसाब से) का कितना प्रतिशत है? ग)

बैंक इस संबंध में डेटा नहीं रखता है.

आपकी संस्था द्वारा पारंपरिक ज्ञान के आधार पर (चालू वित्तीय वर्ष में) अपनी स्वामित्व वाली या अधिगृहीत बौद्धिक संपदा से प्राप्त और 4. साझा किए गए लाभों का विवरण.

क्रम	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित	स्वामित्व वाली/ अधिगृहीत	साझा किये गये लाभ	साझा लाभों की गणना का			
सं.	बौद्धिक संपदा	(हाँ/ नहीं)	(हाँ/ नहीं)	आधार			
	—————————————————————————————————————						

बौद्धिक संपदा संबंधी विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है.

लागू नहीं



सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का ब्योरा.

क्रम. संख्या	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजना का विवरण	सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों की कुल संख्या	कमजोर और उपेक्षित समूहों से सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों की संख्या	कमजोर और उपेक्षित समूहों से सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का प्रतिशत
1	आपदा प्रबंधन	600	600	100%
2	হািপ্লা	63,911	33,943	53%
3	पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना	20,310	17,062	84%
4	लैंगिक समानता और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण	62	52	84%
5	स्वास्थ्य देखभाल	34,82,554	24,81,346	71%
6	इनक्यूबेटर/ अनुसंधान एवं विकास	6	6	100%
7	आजीविका संवर्धन	2,104	2,104	100%
8	सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय	2,750	125	5%
9	संस्कृति और कला को बढ़ावा देना		मापने योग्य नहीं	
10	खेलों को बढ़ावा देना	832	832	100%
	कुल	35,73,129	25,36,070	71%

सिद्धांत 9: कारोबारों को अपने ग्राहकों के साथ जुड़ना चाहिए और उनका जिम्मेदार तरीके से सम्मान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

उपभोक्ता से शिकायतें और उनसे फीड बैक प्राप्त करने के लिए तथा उनका उत्तर देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें.

बैंक एक केंद्रीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करता है ताकि ग्राहक शिकायतों को कुशलतापूर्वक पंजीकृत, सौंपना और एक निश्चित समय के भीतर उनका समाधान किया जा सके. सभी शिकायतें, चाहे वे किसी भी माध्यम से प्राप्त हुई हों, इस प्रणाली में दर्ज की जाती हैं. इसमें त्वरित समाधान की सुविधा के लिए एक अंतर्निहित वृद्धि ढांचा शामिल है. यह प्रणाली प्रत्येक पंजीकृत शिकायत का एक विस्तृत लॉग भी रखती है, जो शिकायत के समाधान या अस्वीकार होने तक सभी घटनाओं पर नज़र रखती है.

उन सभी उत्पादों/ सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में, उत्पादों और/ सेवाओं का टर्नओवर, जिनकी निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रदान की गई है:

प्रकार	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से जुड़े पर्यावरणीय और	लागू नहीं
सामाजिक मापदंड	
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	बैंक लगातार ग्राह्कों को जागरूक करने के लिए पहल करता है जिसका उद्देश्य सुरक्षित बैंकिंग आदतों को बढ़ावा देना और ग्राह्कों को साइबर अपराध एवं धोखाधड़ी की रोकथाम के बारे में शिक्षित करना है. इस अभियान में एसएमएस, ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक की आधिकारिक वेबसाइट, एटीएम, गो मोबाइल+, इंटरनेट बैंकिंग, इन-ब्रांच इंटरैक्शन और क्षेत्रीय ग्राहक जुड़ाव कार्यक्रमों सिहत कई संचार एलेटफार्मों का लाभ उठाया जाता है. बैंक ग्राहकों को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित होने वाले प्रमुख सुरक्षा दिशा-निर्देश सिहत कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) बिन्दुओं पर आधार सक्षम भुगतान सेवा जैसी सेवाओं का उपयोग करने के बारे में भी शिक्षित करता है. सुरक्षित लेनदेन प्रथाओं के बारे में संदेश नियमित रूप से ईमेल और एसएमएस के माध्यम से प्रबलित किए जाते हैं और उन्हें आशय पत्र और ऋण करार जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में शामिल किया जाता है.
री-साइक्लिंग और/ अथवा सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

3. उपभोक्ता शिकायतों की संख्या :

	वित्तीय व	वर्ष 2024-25		वित्तीय व	र्ष 2023-24	
_	प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियाँ	प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियाँ
डेटा गोपनीयता	4	शून्य	-	4	शून्य	-
विज्ञापन	1	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
साइबर सुरक्षा	4,505	14	अन्धिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों (यूईबीटी) से संबंधित शिकायतें	4,231	शून्य	अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों (यूईबीटी) से संबंधित शिकायतें
आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी	766	2	डिलिवरेबल्स अर्थात एटीएम कार्ड, आर्ड-नेट पिन की हार्ड कॉपी, ऋण दस्तावेज, आदि की प्राप्ति न होने से संबंधित शिकायतें	518	10	डिलिवरेबल्स अर्थात एटीएम कार्ड, आई-नेट पिन की हार्ड कॉपी, ऋण दस्तावेज, आदि की प्राप्ति न होने से संबंधित शिकायतें
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
अनुचित व्यापार प्रथाएं	2	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
अन्य- उपभोक्ता की शिकायतें	44,230	138	उपर्युक्त श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी शिकायतें	54,961	272	उपर्युक्त को छोड़कर सभी शिकायतें

4. सुरक्षा संबंधी मृद्दों के कारण उत्पाद को वापस लेने की घटनाओं का ब्योरा

लागु नहीं

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता से संबंधित जोखिम के लिए कोई ढांचा/ नीति मौजूद है? (हाँ/ नहीं).यदि उपलब्ध है, तो कृपया नीति का वेबलिंक उपलब्ध कराएं.

हां, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा नीतियां लागू की है जो साइबर खतरों को कम करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करती है. ये नीतियां अनिधकृत पहुंच से सुरक्षा सुनिश्चित करती है, सूचना की गोपनीयता और अखंडता की रक्षा करती है, और वैध उपयोगकर्ताओं के लिए आईटी संसाधनों की समय पर उपलब्धता की गारंटी देती है. सूचना सुरक्षा नीति (आईएसपी) और साइबर सुरक्षा नीति (सीएसपी) दोनों को बैंक के इंट्रानेट पर प्रकाशित किया जाता है, कर्मचारियों और हितधारकों को सूचित किया जाता है और समय-समय पर या महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर समीक्षा की जाती है.

ग्राहक डेटा और खाते की जानकारी को और अधिक सुरक्षित रखने के लिए, बैंक ने कई सुरक्षा उपाय किए हैं. यह अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट सूचना सुरक्षा दिशानिर्देश और क्या करें और क्या न करें भी प्रदान करता है, जो ग्राहकों को उनकी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रखने के बारे में व्यावहारिक सुझाव देता है. ये संसाधन निम्नलिखित लिंक (https://www.idbibank.in/dos-donts-banking.aspx) और (https://www.idbibank.in/information-security.aspx) के अंतर्गत उपलब्ध है.

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी; साइबर सुरक्षा, ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पादों को वापस लेने के उदाहरणों की पुनरावृत्ति से संबंधित मुद्दों पर की गयी या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई और उत्पादों / सेवाओं की सुरक्षा पर विनियामक प्राधिकरणों द्वारा दंड लगाने / की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.

विज्ञापन के संबंध में किसी विनियामक/ सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है या की जा रही है. इसके अलावा, बैंक को साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता से संबंधित ऐसी किसी भी घटना का सामना नहीं करना पड़ा है. ऐसी कोई भी घटना होने पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी. आईटी से संबंधित सभी प्रमुख घटनाओं और आईटी सुरक्षा से संबंधित घटनाओं की सूचना बोर्ड की सचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससीबी) को दी जाती है.



- डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:
 - (क) डेटा उल्लंघन के मामलों की संख्या:

(ख) ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत.

लागु नहीं

(ग) डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो.

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

चैनल/ प्लैटफॉर्म्स जहां पर संस्था की योजनाओं और सेवाओं तक पहुंचा जा सकता है (यदि उपलब्ध है, तो वेबलिंक प्रदान करें).

बैंक की योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है. बैंक की योजनाओं और सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर भी बैंक के पोस्ट उपलब्ध है, मुख्यतः

- फेसबुक (https://www.facebook.com/IDBIBank/)
- एक्स (https://x.com/idbi_bank)
- इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/idbibankofficial/)
- लिंक्ड इन (https://in.linkedin.com/company/idbi-bank)
- यूट्यूब (https://www.youtube.com/IDBIBANK
- योजनाओं और/ अथवा सेवाओं का सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से उपयोग करने के लिए ग्राहकों को जानकारी प्रदान करने और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम.

बैंक नियमित रूप से ग्राहक जागरुकता अभियान चलाता है जिसका उद्देश्य सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढावा देना और साइबर अपराध तथा धोखाधडी की रोकथाम के लिए जागरुकता को बढ़ाना है. ये पहल एसएमएस/ ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक के वेबसाइट, एटीएम, गो मोबाइल+, इंटरनेट बैंकिंग, शाखा बैठकें और क्षेत्रीय ग्राहक बैठकें समेत विभिन्न संचार चैनलों का उपयोग करती हैं. इसके अतिरिक्त, शैक्षिक प्रयास बीसी बिंदुओं पर आधार समर्थित भुगतान सेवा जैसी सेवाओं के उपयोग को कवर करते हैं, साथ ही सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए नोटिस बोर्ड पर क्या करें और क्या न करें प्रकाशित करते हैं. सुरक्षित लेन-देन के तरीकों पर शैक्षिक सामग्री को ईमेल और एसएमएस जैसे नियमित संचार के माध्यम से प्रबलित किया जाता है और आशय पत्र तथा ऋण करार जैसे प्रमुख दस्तावेजों में एकीकृत किया जाता है.

इसके अलावा, ग्राहकों को शिक्षित करने और उन्हें जिम्मेदारी से सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, बैंक ने समय-समय पर भेजे जाने वाले ऋण विवरण में ऋण खाते के अतिरिक्त विशिष्ट विवरण को शामिल करना शुरू कर दिया है जिसमें ऋण की प्रचलित ब्याज दर और अविशिष्ट अविध शामिल है. इसके अलावा, बेंचमार्क दरों में उर्ध्वगामी संशोधन के कारण ब्याज दर में किसी भी बढोतरी के परिदृश्य में, ग्राहकों को उपलब्ध विकल्पों के बारे में विधिवत सूचित किया जाता है ताकि वे मौजूदा ईएमआई को जारी रखने के लिए आंशिक भुगतान करने या ऋण चुकाने के लिए मौजूदा अविध या अवधि को यथासंभव सीमा तक ईएमआई बढाने या निश्चित ब्याज दर पर स्विच करने का विकल्प चून सकें. ग्राहकों के ऋण की शर्तों को प्रभावित करने वाली ब्याज दरों या सेवा प्रभार अनुसूची आदि में कोई भी संशोधन बैंक की वेबसाइट पर विधिवत होस्ट किया जाता है.

आवश्यक सेवाओं में कोई बाधा उत्पन्न होने पर/ अनिरन्तरता की कोई जोखिम उत्पन्न होने पर ग्राहकों को जानकारी देने के लिए उपलब्ध 3. तंत्र.

ग्राहकों को ईमेल, बैंक की वेबसाइट पर नोटिस, मोबाइल एप्लिकेशन बैनर, एसएमएस अलर्ट, कॉल आदि के माध्यम से सचित किया जाता है. बैंक के पास अपनी सभी प्रक्रियाओं और स्थानों के लिए एक सुनियोजित व्यवसाय निरंतरता योजना है. किसी भी स्थान पर कोई खराबी आने की गंभीर स्थिति में ग्राहकों को निकटतम स्थानों पर निर्देशित किया जाता है और उनके लेनदेन को यथोचित रूप से पूरा किया जाता है.

4. क्या संस्था अनिवार्य स्थानीय कानूनों के अनुसार उत्पादों के बारे में जानकारी का अधिक और बढ़-चढ़ कर प्रदर्शन करती है?(हां/ नहीं/ लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षिप्त में विवरण प्रदान करें. क्या आपकी संस्था ने अपने प्रमुख योजनाओं/ सेवाओं, या संस्था के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या संपूर्ण संस्था के बारे में ग्राहक संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां/ नहीं)

बैंक के योजनाओं और सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी इसकी आधिकारिक वेबसाइट (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है और विभिन्न ग्राहक संपर्क बिंदुओं पर प्रदर्शित की जाती है. संपर्क बिंदुओं पर पूछताछ करके आगे की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है. इसके अतिरिक्त, योजनाओं और सेवाओं से संबंधित कोई भी अपडेट बैंक के ईमेल, एसएमएस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा किया जाता है. बैंक, विनियामक मानदंडों के अनुपालन में यह भी सुनिश्चित करता है कि बैंक की शाखाओं में विभिन्न सूचनाओं को प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएं, जिनमें उपलब्ध सेवाओं, सेवा प्रभार, ब्याज दरों और शिकायत निवारण तंत्र आदि का विवरण प्रदर्शित हो. इसके अलावा, बैंक ग्राहकों को सूचित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनबोर्डिंग के समय लागू प्रभार, ब्याज दरों, निबंधन एवं शर्तें जैसी विस्तृत जानकारी सरल और आसानी से समझने योग्य भाषा में साझा करता है.

रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, बैंक ग्राहक संतुष्टि (सी-सैट) सर्वेक्षण आयोजित करता है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, बाह्य एजेंसी के साथ साझेदारी में फरवरी और मार्च 2025 के बीच सर्वेक्षण आयोजित किया गया था. सर्वेक्षण में कंप्यूटर-सहायक टेलीफोन साक्षात्कार (सीएटीआई) का उपयोग किया गया जिसमें बैंक के 15 अंचलों के 3,200 जवाब देयताओं को शामिल किया गया. इस पद्धित में सेवा की गुणवत्ता, संपर्क बिंदुओं, योजनओं और प्रक्रियाओं पर प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें नेट प्रमोटर स्कोर (एनपीएस) समग्र ग्राहक संतुष्टि को मापने के लिए मख्य मेटिक के रूप में था.



आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक') में निर्धारित संधारणीयता सुचना पर स्वतंत्र व्यवसायी की उचित आश्वासन रिपोर्ट, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का निदेशक मंडल

हमने दिनांक 5 नवंबर 2024 के नियक्ति पत्र के द्वारा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ("बैंक") के लिए नीचे सुचीबद्ध सहमत संधारणीयता सचना ("निर्धारित संधारणीयता सूचना" या "बीआरएसआर कोर संकेतक") के संबंध में नीचे पैराग्राफ 4 में बताए गए मानदंडों के अनुसार एक उचित आश्वासन देने का कार्य किया है. यह संधारणीयता सचना 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट ("बीआरएसआर" या "रिपोर्ट") में शामिल है, जिसे प्रबंधन द्वारा दिनांक 10 मई 2021 के सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी-2/ पी/सीआईआर/2021/562, दिनांक 11 जुलाई 2023 के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120 और दिनांक 20 दिसंबर 2024 के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/177 के अनुसार तैयार किया गया है, यह कार्य एश्योरेंस प्रैक्टिशनर्स की एक टीम द्वारा किया गया था.

आश्वासन का दायरा

- हमारे उचित आश्वासन के दायरे में हमारी रिपोर्ट के **अनुलग्नक अ** में सुचीबद्ध निर्धारित संधारणीयता सुचना (''आईएसआई'') शामिल है. रिपोर्ट की 2. रिपोर्टिंग सीमा खंड अ के प्रश्न 13 में बताई गई है: बीआरएसआर का सामान्य प्रकटीकरण, अपवादों, जहां लागू हो, को बीआरएसआर के संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत नोट के रूप में प्रकट किया गया है.
- हमारा उचित आश्वासन कार्य केवल 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष की जानकारी के संबंध में था और हमने पहले की अवधि या बीआरएसआर में शामिल किसी भी अन्य तत्व के संबंध में कोई प्रक्रिया नहीं की है और इसलिए, उस पर कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं,

रिपोर्टिंग मानदंड

- निर्धारित संधारणीयता जानकारी तैयार करने के लिए बैंक द्वारा प्रयुक्त रिपोर्टिंग मानदंड का सारांश नीचे दिया गया है: 4.
 - भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं (सेबी एलओडीआर), 2015 के विनियम 34(2) क. (एफ) यथा संशोधित:
 - सेबी परिपत्र दिनांक 10 मई 2021 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी-2/पी/सीआईआर/2021/562, दिनांक 11 जुलाई 2023 के सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120 और दिनांक 20 दिसंबर 2024 के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/177 के अनुसार सुचीबद्ध संस्थाओं के लिए कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्टिंग आवश्यकताएं
 - सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर प्रास्प के लिए मार्गदर्शी नोट.

प्रबंधन की जिम्मेदारी

- बैंक प्रबंधन रिपोर्ट की रिपोर्टिंग सीमा सहित संधारणीयता सूचना तैयार करने के लिए उपयुक्त मानदंडों का चयन या स्थापना करने, संधारणीयता सूचना पर रिपोर्टिंग से संबंधित लागू कानूनों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए, प्रमुख पहलुओं की पहचान, हितधारकों के साथ जुड़ाव, विषयवस्त, मानदंडों के अनुसार संधारणीयता सुचना की तैयारी और प्रस्तृति के लिए जिम्मेदार है.
- इस जिम्मेदारी में बीआरएसआर की तैयारी और संधारणीयता सूचना के मापन से संबंधित आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो धोखाधडी या त्रृटि के कारण होने वाली किसी भी प्रकार के तात्विक मिथ्याकथन से मुक्त है.

अंतर्निहित सीमाएँ

गैर-वित्तीय जानकारी का मुल्यांकन और माप करने के लिए स्थापित अभ्यास के एक महत्वपूर्ण निकाय की अनुपस्थिति अलग-अलग, लेकिन स्वीकार्य, उपायों और माप तकनीकों की अनुमित देती है और संस्थाओं के बीच तुलना को प्रभावित कर सकती है.

हमारी स्वतंत्रता और गुणवत्ता नियंत्रण

- हमने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी है और पुष्टि करते हैं कि हमने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (''आईसीएआई'') और सेबी के पिरपत्र दिनांक 10 मई 2021 के सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी-2/पी/सीआईआर/2021/562, दिनांक 11 जुलाई 2023 के सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120 और दिनांक 20 दिसंबर 2024 के सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/177 द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं और उसके स्पष्टीकरणों को पूरा करते हैं और इस आश्वासन कार्य को करने के लिए आवश्यक योग्यता और अनभव रखते हैं.
- 9. हम गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, ''ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा और समीक्षा करने वाली फर्मों और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा अनुबंधों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण लागू करते हैं'', और तदनुसार नैतिक आवश्यकताओं, पेशेवर मानकों और लागू कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में प्रलेखित नीतियों और प्रक्रियाओं सहित गुणवत्ता नियंत्रण की एक व्यापक प्रणाली बनाए रखते हैं.

हमारी जिम्मेदारी

- 10. हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अनुलग्नक-अ में सूचीबद्ध निर्धारित संधारणीयता जानकारी पर एक उचित आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त करें.
- 11. हमने अपना कार्य इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड (''एसआरएसबी'') द्वारा जारी संधारणीयता आश्वासन कार्य मानक (एसएसएई) 3000, "संधारणीयता जानकारी पर आश्वासन कार्य'' और आश्वासन कार्य मानक (एसएई) 3410 ग्रीनहाउस गैस विवरणों पर आश्वासन कार्य (सामृहिक रूप से "मानक") दोनों के अनुसार किया है.
- 12. इन मानकों के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी कार्य योजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि हमें इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो जाए कि क्या अनुलग्नक अ में सूचीबद्ध और रिपोर्ट में शामिल निर्धारित संधारणीयता जानकारी, सभी तात्विक मामलों में, ऊपर पैराग्राफ 4 के तहत बताए गए रिपोर्टिंग मानदंडों के अनुसार तैयार की गई है.
- 13. मानकों के अनुरूप उचित आश्वासन कार्य के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा संपूर्ण कार्य के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं.
- 14. एक उचित आश्वासन कार्य में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण निर्धारित संधारणीयता जानकारी के तात्विक मिथ्यावर्णन के जोखिमों का आकलन करना, परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार मूल्यांकित जोखिमों का जवाब देना शामिल है.
- 15. हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाएं हमारे पेशेवर निर्णय पर आधारित थीं और इसमें पूछताछ, निष्पादित प्रक्रियाओं का अवलोकन, दस्तावेजों का निरीक्षण, परिमाणीकरण विधियों और रिपोर्टिंग नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन, विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं और अंतर्निहित रिकॉर्ड के साथ सहमित या सामंजस्य स्थापित करना शामिल था.
- 16. उपर्युक्त सूचीबद्ध प्रक्रियाओं के निष्पादन में, कार्य की परिस्थितियों को देखते हुए, हमः
 - क. निर्धारित संधारणीयता जानकारी और संबन्धित प्रकटनों की समझ प्राप्त की ;
 - ख. बैंक के प्रबंधन और रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी वाले बैंक के संबंधित विभागों से पूछताछ की गई.
 - ग. नमूने के आधार पर अंतर्निहित अभिलेखों के साथ निर्धारित संधारणीयता जानकारी को सहमत या समन्वित कर संधारणीयता जानकारी को एकत्रित करने के लिए बैंक की प्रक्रिया का परीक्षण किया गया.
 - घ. निर्धारित संधारणीयता संकेतकों के नमूने के आधार पर मूल परीक्षण किया गया ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि डेटा को रिकॉर्ड अंतर्निहित दस्तावेजों के साथ संकलित और रिपोर्ट कर उचित रूप से मापा गया था. इसमें रिकॉर्ड का मूल्यांकन करना और नमूना डेटा की पुनर्गणना सहित परीक्षण करना शामिल था.
 - ङ. कितपय निर्धारित संधारणीयता जानकारी की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रियाओं, नियंत्रणों की समझ प्राप्त की, जिसके लिए वास्तविक डेटा पर विचार किया गया था अर्थात रिपोर्टिंग सीमा के अंतर्गत प्रधान कार्यालय और अन्य स्थान और सभी 15 अंचल कार्यालयों, बेलापुर में अपने कार्यालय, हैदराबाद में प्रशिक्षण कॉलेज और मुंबई में प्रधान कार्यालय के समेकन का परीक्षण किया ताकि रिपोर्ट किए जा रहे डेटा की पूर्णता सुनिश्चित की जा सके. इसमें प्रबंधन प्रणालियों और नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण शामिल नहीं था.
 - च. ऐतिहासिक डेटा में प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित की गईं तथा तदनुसार चालू वर्ष में रिपोर्ट किए गए डेटा की तर्कसंगतता का पता लगाया गया.



- छ. निर्धारित संधारणीयता जानकारी की तैयारी में प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों और निर्णयों की तर्कसंगतता और उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया. इसके अतिरिक्त, 20 दिसंबर 2024 के सेबी परिपन्न सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/177 के अनुपालन में कुछ संकेतकों के लिए 2128 शाखाओं और 256 कार्यालयों के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली की उपयुक्तता का भी सत्यापन किया गया
- ज. बैंक के प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किए.

हमारा मानना है कि हमने जो साक्ष्य प्राप्त किए हैं वह हमारे उचित आश्वासन निष्कर्ष के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

अपवर्जन-

- 17. हमारे आश्वासन के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं और इसलिए हम इस पर कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं:
 - "आश्वासन के दायरे" में उल्लिखित के अलावा बैंक के परिचालन.
 - निर्धारित संधारणीयता जानकारी के अलावा बीआरएसआर और डेटा/जानकारी (गुणात्मक या मात्रात्मक) के पहलू.
 - बीआरएसआर रिपोर्ट के नेतृत्व संकेतक खंड, या किसी अन्य स्वैच्छिक ईएसजी प्रकटीकरण के तहत किए गए प्रकटन;
 - संस्था की वार्षिक रिपोर्ट, एकीकृत रिपोर्ट, कॉर्पोरेट वेबसाइट, या अन्य सार्वजिनक फाइलिंग में शामिल डेटा या कथन, जब तक िक बीआरएसआर प्रमुख आवश्यक संकेतकों के तहत स्पष्ट रूप से संदर्भित न हों;
 - निर्धारित रिपोर्टिंग अविध अर्थात 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 से बाहर का डेटा और जानकारी.
 - बैंक द्वारा प्रदान किए गए विवरण जो अभिमत, विश्वास, आकांक्षा, अपेक्षा, उद्देश्य अथवा भविष्य के इरादों की अभिव्यक्ति का वर्णन करते हैं.
- 18. हमारा निष्कर्ष इस कार्य के दायरे में स्पष्ट रूप से परिभाषित विषय-वस्तु और समयाविध से परे किसी अन्य डेटा या जानकारी से संबंधित नहीं है, या उस आश्वासन प्रदान नहीं करता है.

अन्य जानकारी

- 19. अन्य जानकारी के लिए बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है. अन्य जानकारी में बीआरएसआर और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, निर्धारित संधारणीयता जानकारी और उस पर 18 जून 2025 की हमारी स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट के अलावा.
- 20. निर्धारित संधारणीयता जानकारी पर हमारा निष्कर्ष अन्य जानकारी को कवर नहीं करता है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं.
- 21. निर्धारित संधारणीयता जानकारी के बारे में हमारे आश्वासन के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी निर्धारित संधारणीयता जानकारी से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होती है.
- 22. यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है. इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है.

विशेष ध्यान वाले मुद्दे:

- 23. बैंक प्रधान कार्यालय, 2128 शाखाओं (एक अंतर्राष्ट्रिय शाखा सिहत), ज्ञानार्जन केन्द्रों सिहत अन्य 256 कार्यालयों से परिचालन करता है. निम्न उल्लिखित आवश्यक संकेतकों के लिए, जैसे:
 - क. ऊर्जा खपत से संबंधित आवश्यक संकेतक का सिद्धांत 6, प्रश्न 1
 - ख. जल खपत से संबंधित आवश्यक संकेतक का सिद्धांत 6, प्रश्न 3
 - ग. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित आवश्यक संकेतक का सिद्धांत 6, प्रश्न 7 (क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन) बैंक ने सेबी द्वारा अधिसूचित कार्यप्रणाली के आधार पर 2128 शाखाओं और 256 कार्यालयों के लिए सूचना पर विचार किया है, जिसका विवरण संबंधित प्रकटनों के तहत दिया गया है.

- घ. अपशिष्ट प्रबंधन-सूखे और गीले अपशिष्ट के संबंध में, से संबंधित आवश्यक संकेतक का सिद्धांत 6, प्रश्न 9 केवल 5 स्थानों अर्थात बैंक का प्रधान कार्यालय, बेलापुर में इसके कार्यालय, अहमदाबाद, भोपाल और नागपुर में अंचल कार्यालय के लिए जानकारी प्रदान की गई है. 2128 शाखाओं, 251 कार्यालयों (12 अंचल कार्यालयों सिहत) की जानकारी पर इस संकेतक के लिए विचार नहीं किया गया है.
- 24. जैसा कि बीआरएसआर के अनुभाग ग के 'सिद्धांत 6: ''कारोबारों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसे बचाने तथा संरक्षित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए'' की टिप्पणियों में उल्लिखित है आवश्यक संकेतक 4 ''जल निर्वहन से संबंधित विवरण'', बैंक ने निर्दिष्ट किया है कि बैंक के प्रधान कार्यालय के अलावा अन्य कार्यालयों/शाखाओं में प्रवाह मीटर की अनुपलब्धता के कारण जल निर्वहन को मापा नहीं जाता है और इसके अतिरिक्त, चूंकि जल निर्वहन का अनुमान लगाने के लिए कोई मानकीकृत दिशानिर्देश नहीं हैं, इसलिए बैंक जल निर्वहन का अनुमान लगाने में असमर्थ है.
- 25. जैसा कि बीआरएसआर के अनुभाग ग के सिद्धांत 8: ''कारोबारों को समवेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए'' आवश्यक संकेतक 4 ''आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य में कुल इनपुट में इनपुट) और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(सी)(IV) की टिप्पणियों में उल्लिखित है, बैंक एमएसएमई अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की पूरी सूची की पहचान करने और प्रकटन के उद्देश्य से संबंधित जानकारी को समेकित करने की प्रक्रिया में है.

हालाँकि, जैसा कि बीआरएसआर रिपोर्ट के खंड ग के प्रासंगिक सिद्धांतों में बताया गया है, बैंक के कारोबार के पैमाने को देखते हुए शेष राशि/अनुपात महत्वपूर्ण नहीं हैं.

पैरा 21 से 23 में वर्णित मामलों में हमारा आश्वासन संशोधित नहीं है.

उचित आश्रासन निष्कर्ष

26. हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, हमारा यह मत है कि **अनुबंध-अ** में उल्लिखित निर्धारित संधारणीयता जानकारी, सभी तात्विक पहलुओं में, ऊपर पैराग्राफ 4 में उल्लिखित रिपोर्टिंग मानदंडों के अनुसार उचित रूप से प्रस्तृत की गई है.

उपयोग पर प्रतिबंध:

- 27. इस रिपोर्ट के संबंध में हमारे दायित्व पूरी तरह से अलग हैं, तथा हमारी जिम्मेदारी और देयता किसी भी तरह से बैंक के लेखा परीक्षक के रूप में या अन्यथा हमारी किसी भी अन्य भूमिका से नहीं बदलती है. इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं और न ही इस रिपोर्ट के विषय में सेवाओं के संबंध में कही या कार्य के दौरान की गई या उसके संबंध में कोई बात, बैंक के लेखा परीक्षक के रूप में हमारी क्षमता में सावधानी बरतने के किसी कर्तव्य को आगे बढ़ाएगी.
- 28. बैंक के अनुरोध पर, हमारी उचित आश्वासन रिपोर्ट बनाई गई है और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल को संबोधित की गई है जो केवल बैंक को बैंक के संधारणीय प्रदर्शन और गतिविधियों की रिपोर्टिंग में सहायता के लिए है. तद्नुसार, हम बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य के प्रति कोई देयता स्वीकार नहीं करते हैं. हमारी उचित आश्वासन रिपोर्ट किसी अन्य उद्देश्य या हमारे रिपोर्ट के संबोधितों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग नहीं की जानी चाहिए. हम हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी अन्य उद्देश्य या किसी अन्य पक्ष को दिखाए गए हमारे प्रदेयों या इसके उनके हाथों में आने के संदर्भ में किसी भी प्रकार की सावधानी के कर्तव्य या देयता न तो स्वीकार करते है और न ही मानते हैं.

कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफ़आरएन -101872W/100045

हार्दिक यमपट

साझेदार

सदस्यता सं. 194467

यूडीआईएन : 25194467BMLLDZ9614

स्थानः मुंबई

दिनांक: 18 जून 2025

कृते सूरी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफ़आरएन - 004283S

नटराजन वी

साझेदार

सदस्यता सं. 223118

यूडीआईएन:25223118BMJLGO4468

स्थानः मुंबई

दिनांक: 18 जून 2025



आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक') में निर्घारित संधारणीयता सूचना पर स्वतंत्र व्यवसायी की उचित आश्वासन रिपोर्ट, कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट का अनुबंध अ

सिद्धांत	बीआरएसआर संकेतक	आश्वासन का प्रकार
सिद्धांत 6 : कार	ोबारों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा तथा बहाल करने का प्रयास करना	चाहिए
	विशेषता 1: ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) फुटप्रिंट	
पी6 क्यू7	प्रश्न 7ः ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) का विवरण और इसकी तीव्रताः	उचित आश्वासन. रिपोर्ट
	कुल स्कोप 1 उत्सर्जन	का पैराग्राफ 23, भी देखें
	कुल स्कोप 2 उत्सर्जन	
	प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता	
	क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता	
	भौतिक आउटपुट/किसी अन्य प्रासंगिक मेट्रिक के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता	
	विशोषता 2: जल फुटप्रिंट	
पी6 क्यू3	जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटनों का विवरण:	उचित आश्वासन. रिपोर्ट
	स्रोत से जल निकासी (किलोलीटर में)	का पैराग्राफ 23, भी देखें
	जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	
	जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	
	प्रति करोड़ रुपए के टर्नओवर में जल तीव्रता (कुल जल खपत/ परिचालन से राजस्व)	
	क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के कारोबार पर जल तीव्रता	
	भौतिक आउटपुट/किसी अन्य प्रासंगिक मेट्रिक के संदर्भ में जल की तीव्रता	
पी6 क्यू4	जल निर्वहन से संबंधित विवरण :	उचित आश्वासन. रिपोर्ट
	गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)	का पैराग्राफ 24, भी देखें
	कुल छोड़ा गया जल (किलोलीटर में)	
	विशेषता 3: ऊर्जा फुटप्रिंट	
पी6 क्यू1	कुल ऊर्जा खपत (जूल अथवा गुणकों में) और ऊर्जा का तीव्रता विवरणः	उचित आश्वासन. रिपोर्ट
	नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा	का पैराग्राफ 23, भी देखें
	गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा	
	प्रति करोड़ रुपए के टर्नओवर पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/ परिचालन से राजस्व)	
	क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर ऊर्जा तीव्रता	
	भौतिक आउटपुट/किसी अन्य प्रासंगिक मेट्रिक के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता	

सिद्धांत	बीआरएसआर संकेतक	आश्वासन का प्रकार
	विशेषता 4: चक्रीयता को अपनाना - संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण	
पी6 क्यू9	संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें:	उचित आश्वासन. रिपोर्ट
	कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मेट्रिक टन में)	का पैराग्राफ 23, भी देखें
	प्रति करोड़ रुपए के टर्नओवर पर अपशिष्ट तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/परिचालन से राजस्व)	
	क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के कारोबार पर अपशिष्ट तीव्रता	
	भौतिक उत्पादन/किसी अन्य प्रासंगिक मेट्रिक के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता	
	उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य रिकवरी परिचालनों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मेट्रिक टन में)	
	उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मेट्रिक टन में)	
	विशेषता 5: कर्मचारी भलाई और सुरक्षा को बढ़ाना	
पी3 क्यू1 (सी)	कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी और अस्थायी सिंहत) की भलाई हेतु उपायों पर व्ययः कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में भलाई उपायों पर व्यय	उचित आश्वासन
पी3 क्यू11	कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:	
	खोया समय क्षति आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति घंटे कार्य)	
	कुल रिकॉर्ड योग्य कार्य-संबंधी चोटें	
	मृतकों की संख्या	
	उच्च परिणाम वाली कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	
सिद्धांत 5: कारोब	ारों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए	
	विशेषता 6: व्यवसाय में लैंगिक विविधता को सक्षम बनाना	
पी5 क्यू3 (बी)	संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को दी गई सकल मजदूरी	उचित आश्वासन
पी5 क्यू7	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दर्ज शिकायतें	उचित आश्वासन
	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश) के अंतर्गत दर्ज कुल शिकायतें	
	महिला कर्मचारियों/कामगारों का प्रतिशत के रूप में पॉश शिकायतें	
	पॉश शिकायतें सही पाई गईं	
सिद्धांत 8: कारोब	गरों को समावेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए	
	विशेषता 7: समावेशी विकास को सक्षम बनाना	
पी8 क्यू4	आपूर्तिकर्ताओं द्वारा स्रोत इन्पुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इन्पुट में इन्पुट) : क. एमएसएमई/लघु उत्पादकों से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त ख. भारत के भीतर से प्रत्यक्ष रूप से	उचित आश्वासन. रिपोर्ट का पैराग्राफ 25 भी देखें
पी8 क्यू5	छोटे शहरों में रोजगार सृजन - छोटे शहरों में कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी / अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मचारियों या कामगारों सिहत) को भुगतान की गई मजदूरी, कुल मजदूरी लागत के % के रूप में बताएं.	उचित आश्वासन



सिद्धांत	बीआरएसआर संकेतक	आश्वासन का प्रकार
सिद्धांत 9: कारो	बारों को अपने ग्राहकों के साथ जुड़ना चाहिए और उनका जिम्मेदार तरीके से सम्मान करना चाहिए	í
	विशोषता 8: ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पक्षता	
पी9 क्यू7	डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: क. डेटा उल्लंघनों के मामलों की संख्या ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से संबंधित डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत ग. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो	उचित आश्वासन
सिद्धांत 1: कारो	बार को नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से सत्यनिष्ठा के साथ संचालित और नियंत्रित करन	ा चाहिए.
	विशेषता 9: कारोबार में खुलापन	
पी1 क्यू8	देय खातों के दिनों की संख्या (देय खाते *365) / खरीदी गई वस्तुओं/ सेवाओं की लागत)	उचित आश्वासन
पी1 क्यू9	संबद्ध पक्षों से ऋण और अग्रिम एवं निवेश के साथ-साथ ट्रेडिंग घरानों, डीलरों, और संबद्ध पक्षों से खरीद और बिक्री संकेन्द्रण का विवरण :	उचित आश्वासन
	खरीद संकेन्द्रण	
	बिक्री संकेन्द्रण	
	निम्न में आरपीटी का हिस्सा	
	क. खरीद (संबद्ध पक्षों के साथ खरीद / कुल खरीद)	
	ख. बिक्री (संबद्ध पक्षों को बिक्री / कुल बिक्री)	
	ग. ऋण एवं अग्रिम (संबद्ध पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम / कुल ऋण एवं अग्रिम)	
	घ. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश / कुल किया गया निवेश)	

कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफ़आरएन -101872W/100045

हार्दिक यमपट

साझेदार

सदस्यता सं. 194467

यूडीआईएन : 25194467BMLLDZ9614

स्थानः मुंबई

दिनांकः 18 जून 202**5**

कृते सूरी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफ़आरएन - 004283S

नटराजन वी

साझेदार

सदस्यता सं. 223118

यूडीआईएन:25223118BMJLGO4468

स्थानः मुंबई

दिनांकः 18 जून 2025

Statement by Managing Director & Chief Executive Officer

Dear Stakeholders.

On behalf of the Board of Directors and the Management Team of IDBI Bank, I am pleased to present the Bank's Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) for FY 2024-25. This report, demonstrates our commitment to integrating Environmental, Social and Governance (ESG) principles into every layer of our operations and long-term strategy, in line with the National Guidelines on Responsible Business Conduct (NGRBC) issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

While being compliant with the regulatory requirements of reporting on various ESG parameters, your Bank's BRSR also highlights its ongoing progress as a sustainability-focussed organisation. To uphold our commitment to transparency and regulatory compliance, we have engaged the Bank's statutory auditors, viz. Chokshi & Chokshi LLP and Suri & Co., to carry out an independent reasonable assurance of the BRSR Core disclosures for FY 2024-25. Their independent assurance statement is included in the BRSR section of this Annual Report and adds further credibility to our sustainability reporting. Furthermore, to provide our stakeholders with more granular and easily comprehensible information on the Bank's performance on various ESG parameters, we also publish an ESG Databook on an annual basis. This Databook offers detailed and granular-level insights into the Bank's key ESG metrics and initiatives in a transparent and easily comprehensible manner, reinforcing our commitment to transparency and accountability.

The Bank has been voluntarily participating in the Corporate Sustainability Assessment (CSA) conducted by S&P Global since 2023. This engagement underscores our proactive approach to aligning with international ESG standards and our commitment to transparent external evaluation. We are pleased to report a significant and consistent improvement in our ESG score in the CSA, indicating our dedicated efforts in improving our ESG performance.

At IDBI Bank, we recognise that strong ESG performance in the financial sector must extend beyond internal operations to the entire value chain. In the upcoming years, we are committed to assessing and integrating ESG parameters across our financing decisions, supplier relationships, and partner engagements. By embedding ESG criteria into our value chain, we aim to promote responsible lending, to encourage sustainable business practices and to mitigate long-term risks. This approach reinforces our role as a catalyst for sustainable growth while aligning with stakeholder expectations and regulatory compliance.

As a recognition for our commitment to ESG, in October 2024, IDBI Bank was declared 'Runner-Up' in the 'Best ESG Initiatives' category for Large and Mid-Sized Banks by the Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM). This prestigious award is a testament to the progress we have made in integrating ESG principles into our operations and the positive impact of our sustainability efforts. It motivates us to further strengthen our commitment and to continue on our sustainability journey.

Looking ahead, IDBI Bank remains steadfast in its resolve to continuously improve its ESG performance and further integrate sustainability into its long-term strategic objectives. We believe that by embracing ESG principles, we can create a more resilient, responsible, and valuable institution for all our stakeholders, contributing to a sustainable future for generations to come. We extend our sincere gratitude to all the regulatory and statutory authorities, our shareholders, customers, employees, and all other stakeholders for their continued support in this important journey, especially to the Board of Directors for their steadfast support and invaluable guidance, in steering the Bank. I also would like to express my special appreciation to all our dedicated employees for their hard and diligent work, which has been one of the key aspects in unlocking the potential and delivering the good performance.

I firmly believe that with involved and effective participation of the stakeholders, the Bank shall march towards excellence in its growth and sustainability quest.

With best wishes,

Rakesh Sharma Managing Director & CEO



Section A: General Disclosures

Details of the listed entity:

S. No.	Particulars	Details
1.	Corporate Identity Number (CIN) of the Entity	L65190MH2004GOI148838
2.	Name of the Listed Entity	IDBI Bank Ltd.
3.	Year of Incorporation	September 27, 2004
4.	Registered Office Address	IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400005
5.	Corporate Address	IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400005
6.	E-mail	idbiequity@idbi.co.in
7.	Telephone	+91-22-66553355
8.	Website	www.idbibank.in
9.	Financial Year for which report is being done	FY 2024-25
10.	Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed	BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd.
11.	Paid-up Capital (INR)	₹ 1,07,52,40,21,750
	Name of the Contact Person	Shri Manish Pal, General Manager
12.	Telephone	+91-22-66553355
	Email address	brsr@idbi.co.in
13.	Reporting Boundary	Standalone
14.	Name of assurance provider	Chokshi & Chokshi LLP and Suri & Co. (Statutory Auditors of the Bank)
15.	Type of assurance obtained	Reasonable assurance for the BRSR Core disclosures

II. **Products and Services:**

16. Details of business activities:

S.	Description of Main Activity	Description of Business	Percentage Turnover of the
No.		Activity	Entity
1.	Financial and Insurance Service	Banking activities by central, commercial and saving banks	100%

17. Products/ Services sold by the entity:

S. No.	Description of Main Activity	NIC Code	Percentage of Total Turnover contributed
1.	Monetary intermediation of commercial banks, saving banks, postal savings bank and discount houses	64191	100%

III. Operations:

18. Number of locations where plants and/ or operations/ offices of the entity are situated:

Location	Number of Plants	Number of Offices	Total
National	NA	Branches - 2,127* Offices - 256	Branches - 2,127* Offices - 256
International#	NA	Branch - 1	Branch - 1

^{* -} Include 24 IDBI Sameep (Fixed Business Correspondent) Banking Outlets.

19. Markets Served by the Entity:

a. Number of Locations:

Location	Number
National (No. of States)	35*
International (No. of Countries)	1#

^{* -} Includes Union Territories.

b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

Not Applicable

c. A brief on types of customers

IDBI Bank Ltd., a universal bank with its Head Office in Mumbai, caters to diverse customer segments across India, including individuals, farmers, micro and small businesses, and medium and large corporates. The Bank provides an extensive portfolio of financial and investment products such as savings and current accounts, fixed deposits, retail loans (home, auto, personal, and education), as well as a suite of credit and non-credit facilities for businesses. These include fund-based and non-fund-based products, trade finance, treasury and capital market services, cash management solutions, and tax collection services. With a robust nationwide network of branches and offices, the Bank plays a key role in enhancing financial access and inclusion. By offering holistic banking solutions tailored to varied needs, the Bank continues to serve as a trusted financial partner, enabling customers to realise their economic aspirations. The products and services offered by the Bank is detailed in the Management Discussion & Analysis section of the Annual Report.

IV. Employees

20. Details as at the end of Financial Year:

a. Employees and Workers (including differently abled):

Sr.			M	Male		Female	
No.	Particulars	Total (A)	Number (B)	Percentage (B/A)	Number (C)	Percentage (C/A)	
	Employees						
1.	Permanent Employees (A)	16,911	11,123	65.77%	5,788	34.23%	
2.	Other than Permanent Employees (B)	2,176	1,210	55.61%	966	44.39%	
3.	Total Employees (A+B)	19,087	12,333	64.61%	6,754	35.39%	

^{# -} The Bank's International Financial Services Centre (IFSC) Banking Unit (IBU) located at Gujarat International Finance Tec - City (GIFT City), Gandhinagar, Gujarat.

^{# -} Includes the Bank's International Financial Services Centre (IFSC) Banking Unit (IBU) located at Gujarat International Finance Tec - City (GIFT City), Gandhinagar, Gujarat.



C.,	Particulars		М	ale	Female		
Sr. No.		Total (A)	Number (B)	Percentage (B/A)	Number (C)	Percentage (C/A)	
	Workers						
4.	Permanent Workers (C)	644	487	75.62%	157	24.38%	
5.	Other than Permanent Workers (D)	0	0	-	0	-	
6.	Total Workers (C+D)	644	487	75.62%	157	24.38%	

b. Differently abled employees and workers

Sr.			М	ale	Fer	nale
No.	Particulars	Total (A)	Number (B)	Percentage (B/A)	Number (C)	Percentage (C/A)
		Е	mployees			_
1.	Permanent Employees (E)	528	392	74.24%	136	25.76%
2.	Other than Permanent Employees (F)	346	248	71.68%	98	28.32%
3.	Total Employees (E+F)	874	640	73.23%	234	26.77%
		1	Workers			
4.	Permanent Workers (G)	10	8	80.00%	2	20.00%
5.	Other than Permanent Workers (H)	0	0	-	0	-
6.	Total Differently Abled Employees (G+H)	10	8	80.00%	2	20.00%

21. Participation/ Inclusion/ Representation of women as on March 31, 2025

	Total (A)	Number of Females (B)	Percentage of Females (B/A)
Board of Directors	15*	1	6.67%
Key Management Personnel	5#	2	40.00%

^{* -} Three members of the Board of Directors of the Bank, viz. Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) and two Deputy Managing Directors (DMDs) are also included under Key Management Personnel.

22. Turnover rate for permanent employees and workers:

	F	Y 2024-25	*	F	Y 2023-24	! *	F	Y 2022-23	3#
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Permanent Employees	5.63%	5.63%	5.63%	6.51%	6.63%	6.55%	4.82%	4.59%	4.74%
Permanent Workers	0.55%	0.00%	0.42%	1.10%	2.08%	1.33%	13.51%	8.63%	12.47%

Note: # - For FY 2022-23, turnover rate has been calculated as (No. of persons who have left the employment of the entity in the FY x 100) / Average no. of persons employed in the category.

^{+ -} Key Management Personnel includes MD & CEO, two DMDs, Chief Financial Officer (CFO) and Company Secretary.

^{* -} Turnover Rate is calculated as No. of Exits/ (Count of employees at the beginning of the period (i.e. April 1) + New joinees during the financial year). This logic is used uniformly for submission of data including to the RBI.

V. Holding, Subsidiary and Associate Companies (including joint ventures):

23. (a) Names of holding/ subsidiary/ associate companies/ joint ventures

S. No.	Name of the holding/ subsidiary/ associate companies/ joint ventures	Indicate whether it is a holding/ Subsidiary/ Associate/ or Joint Venture	Percentage of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No)
1	IDBI Asset Management Ltd.	Subsidiary	66.67%	No
2	IDBI Capital Markets & Securities Ltd.	Subsidiary	100.00%	No
3	IDBI Intech Ltd.	Subsidiary	100.00%	No
4	IDBI Trusteeship Services Ltd.	Subsidiary	54.70%	No
5	IDBI MF Trustee Company Ltd.	Subsidiary	100.00%	No
6	National Securities Depository Ltd.	Associates	26.10%	No
7	North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	Associates	25.00%	No
8	Biotech Consortium India Ltd.	Associates	27.93%	No
9	Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd.	Associates	21.14%	No

VI. CSR Details:

24.

a.	Whether CSR is applicable as per Section 135 of Companies Act, 2013	Yes
b.	Turnover (in INR)	₹ 33,826.02 crore
C.	Net Worth (in INR)	₹ 43,638.53 crore

VII. Transparency and Disclosures Compliances:

25. Complaints/ Grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct:

Stakeholder	Grievance		FY 2024-25			FY 2023-24	
group from whom	Redressal Mechanism in	Number of complaints			Number of		
complaint is received	Place (Yes/ No) (If Yes, then provide weblink for grievance redress policy)	Filed during the year	Pending resolution at close of the year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at close of the year	Remarks
Communities	Yes, (https://www. idbibank.in/pdf/CSR- Policy.pdf)	Nil	Nil	NA	Nil	Nil	NA



Stakeholder	Grievance		FY 2024-25			FY 2023-24	
group from whom	Redressal Mechanism in	Number of	complaints		Number of	complaints	
complaint is received	Place (Yes/ No) (If Yes, then provide weblink for grievance redress policy)	Filed during the year	Pending resolution at close of the year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at close of the year	Remarks
Shareholders	Yes. (https://www. idbibank. in/idbi-bank-officials- for-shareholder- grievances.aspx)	2,153	0	NA	1,644	0	NA
Investors (other than shareholders)	Yes. (https://www. idbibank.in/flexi- bond.aspx)	-	-	Reported under the head 'Customers' which includes Flexibond complaints	-	-	Reported under the head 'Customers' which includes Flexibond complaints
Employees and Workers#	Yes, The Bank has put in place an online portal for employee grievance redressal, viz. i-Hridayo, on its Intranet	48	4	NA	42	23	NA
Customers	Yes (https://www.idbibank.in/banking-complaints-l.aspx)	49,508	154	Complaints received from all channels including Flexibonds complaints	59,714	282	Complaints received from all channels including Flexibonds complaints
Value Chain partners	Yes, (https://www. idbibank.in/vigilance- mechanism-notice. aspx)	Nil	Nil	NA	Nil	Nil	NA

Stakeholder	Grievance		FY 2024-25			FY 2023-24	
group from	Redressal Mechanism in	Number of	complaints		Number of	complaints	
-	Place (Yes/ No) (If Yes, then provide weblink for grievance redress policy)	Filed during the year	Pending resolution at close of the year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at close of the year	Remarks
Others (please specify)	Yes, The Bank processes complaints that appear to have a vigilance angle and exhibit procedural and operational issues with information on corruption or other kind of malpractice as per CVC guidelines for complaint handling mechanism (https://www.idbibank.in/vigilancemechanism-notice.aspx). The Bank also has a Whistle Blower Mechanism which is available on its Intranet for its employees to raise concerns and alert the management for wrong practices followed by internal staff.	128	26	Number of complaints includes 117 complaints received under the CVC Grievance Redressal Mechanism, out of which 26 were pending for resolution at the end of the year and 11* complaints received under the Whistleblower Mechanism of the Bank, none of which were pending for resolution at the end of the year.	77	7	Number of complaints includes 69 complaints received under the CVC Grievance Redressal Mechanism, out of which 7 were pending for resolution at the end of the year and 8 complaints received under the Whistleblower Mechanism of the Bank, none of which were pending for resolution at the end of the year.

Note:

^{# -} Includes complaints under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH).

^{* -} During FY 2024-25, 12 whistleblower complaints were received from the employees of the Bank through the dedicated email facility on the Bank's Intranet. Out of which, same complaint against one particular officer was received twice. Hence, the actual count is taken as 11 for the year.



26. Overview of the entity's material responsible business conduct issues

S. No.	Material Issue Identified	Indicate whether Risk or Opportunity	Rationale for identifying the risk/opportunity	In case of Risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
1	Customer privacy and data security	Risk	Risk: Considering the rapid digitalisation of the banking services, safeguarding customer data is vital to prevent cyber threats and to protect personal information.	The Bank has implemented robust IT risk governance framework, including Information Security Policy and Cyber Security Policy, and a Cyber Crisis Management Plan to address cyber security risks. The Bank has set up a 24x7 Security Operations Centre (SOC) which oversees security infrastructure like firewalls, Intrusion Detection System (IDS) devices/ Intrusion Prevention System (IPS) devices, antivirus and handles phishing/malware threats to counter cyber threats. Regular Vulnerability Assessment & Penetration Testing (VAPT) of the digital applications is carried out by the Bank. The Bank's Data Centre (DC), Disaster Recovery (DR), and Near DR facilities are ISO 27001:2013 certified, ensuring stringent information security standards.	Negative Risk: Data breaches pose a risk for the Bank as it can lead to loss of stakeholder trust, resulting in potential revenue loss and regulatory penalties.
2.	Customer satisfaction	Risk and Opportunity	Risk: Poor customer service may increase customer attrition and reduce competitiveness. Opportunity: Higher customer satisfaction levels promote loyalty, repeat business and a stronger market presence.	Care Centre (CCC), multi-location Contact Centres and defined escalation matrix to handle customer concerns in a timely manner.	Negative Risk: Dissatisfied customers may result in loss of business and weakened brand equity. Positive Opportunity: Satisfied customers tend to be more loyal, increasing cross-sell opportunities and improving overall profitability.

S. No.	Material Issue Identified	Indicate whether Risk or Opportunity	Rationale for identifying the risk/opportunity	In case of Risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
3	Risk Management	Risk and Opportunity	Risk: Ineffective risk management can lead to financial instability, operational inefficiencies, regulatory non-compliance, and reputational damage. Opportunity: A strong risk framework enables business resilience and long-term value creation.	The Bank has a structured risk framework with defined limits and procedures, updated periodically to reflect new threats and evolving regulations. The Bank's Risk Management Committee (RMC) of the Board is responsible for overall risk management. The day-to-day activities are conducted at various levels based on the risk governance structure. Integrated Risk Management Architecture (IRMA) is in place using technology-driven tools such as Credit Risk Assessment Module (RAM), Capital Assessment Model (CAM) and Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE) for comprehensive risk evaluation.	Negative Risk: Gaps in risk management could result in losses, fines, and reputational damage. Positive Opportunity: Proactive risk control enhances operational efficiency and long-term profitability.
4	Digitisation	Opportunity	Opportunity: Digital transformation boosts operational efficiency, enhances customer experience, drives innovation, strengthens data security, and improves compliance.	-	Positive Opportunity: Technology enables faster service delivery, data-driven decisions, automated processes, and access to new customer segments, thus supporting sustained revenue growth.
5	Compliance	Risk and Opportunity	Risk: Non-compliance can result in legal exposure, penalties, and reputational loss. Opportunity: Strong compliance systems reinforce integrity and stakeholder confidence.	The Bank has put in place a structured system of internal controls and tiered reviews, overseen by a Chief Compliance Officer (CCO) to ensure compliance to various statutory and regulatory guidelines. The Bank also carries out risk-based testing for validation of regulatory compliance. The Bank uses advanced tools like Cermo+ NXT and Trackers to enable proper data management, to monitor level of compliances at bank-level and submission of compliances.	Negative Risk: Penalties and reputational risks from compliance lapses may lead to financial setbacks. Positive Opportunity: Effective compliance supports risk mitigation, strengthens brand image and boosts stakeholder trust.
6	Customer awareness	Opportunity	Opportunity: Educating customers enhances transparency, builds trust and deepens engagement.	-	Positive Opportunity: Informed customers drive loyalty, reduce service issues, open cross-sell potential, and support business expansion.



S. No.	Material Issue Identified	Indicate whether Risk or Opportunity	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of Risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
7	Business Ethics and Governance	Risk and Opportunity	Risk: Weak governance can trigger frauds, poor compliance, and erode trust. Opportunity: Ethical conduct strengthens reputation and stakeholder relations.	The Bank's Board and various Board-level Committees ensure adherence to corporate governance norms and transparency. The Bank upholds ethical conduct through a Code of Conduct and Ethics Policy, supported by Chief/Zonal Ethics Officers. The Bank's Environment, Social & Governance (ESG) Policy promotes integrity and responsible business practices.	Negative Risk: Unethical practices may cause financial losses, penalties, and reputational decline. Positive Opportunity: A strong ethical foundation enhances trust, reduces compliance costs, and promotes sustainable growth.
8	Competitive behaviour	Risk and Opportunity	Risk: Lack of competitiveness may hinder service innovation and efficiency. Opportunity: Competitive strategies boost market relevance and innovation.	The Bank aligns its product offerings and service models to market trends through regular review and innovation. The Bank leverages technological advancements to enhance customer experience, leading to higher customer retention and acquisition.	Negative Risk: Limited innovation may restrict market share and profitability. Positive Opportunity: Agile offerings and improved service can drive customer acquisition and financial growth.
9	Employment practices	Opportunity	Opportunity: A skilled workforce drives customer satisfaction, operational strength, and strategic differentiation.	-	Positive Opportunity: An engaged and capable workforce fosters higher customer trust, operational excellence, and sustained business performance.
10	Employee wellbeing	Risk and Opportunity	Risk: Failing to prioritise employee welfare may reduce engagement, increase attrition, and hurt service quality. Opportunity: Focussing on well-being improves productivity, morale, and employer branding.	The Bank's people-centric policies offer a mix of financial and non-financial benefits. The Bank ensures employee development and engagement initiatives to support holistic professional growth.	Negative Risk: Poor wellbeing practices can lead to employee attrition, reduced output, and increased hiring/ training costs. Positive Opportunity: A healthy work culture attracts top talent, enhances service delivery, and supports business growth.

Section B: Management and Process Disclosures

	Disclosure Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
	Policy and Management Processes									
1.	Whether your entity's policy/ policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/ No)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	b. Has the policy been approved by the Board? (Yes/ No)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	c. Weblink of the Policies, if available	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	9, 18, 19, 20, 22	2, 16, 17, 21, 23, 24, 25	16, 23, 26	23, 27, 28	7, 29	4, 7	7, 36	19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38
2.	Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes/ No)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
3.	Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/ No)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
										1
·-	Name of the national and international codes/ certifications/ labels/ standards (e.g., Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustee) standards (e.g., SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.	by Ministr Securities laws/ regu	ry of Corp & Exchar	orate Affairs nge Board c	(MCA of India	A), Res a (SEB	serve II) and	Bank all ot	of Ind her ap	ia (RBI) oplicable
4. 5.	codes/ certifications/ labels/ standards (e.g., Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustee) standards (e.g., SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped	by Ministr Securities laws/ regu	ry of Corp & Exchar	orate Affairs nge Board c	(MCA of India	A), Res a (SEB	serve II) and	Bank all ot	of Ind her ap	ia (RBI), plicable
5.	codes/ certifications/ labels/ standards (e.g., Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustee) standards (e.g., SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle. Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if	by Ministr Securities laws/ regu No	ry of Corp & Exchar ulations stip	orate Affairs age Board c bulated by a	(MCA) India	A), Res	serve II) and tutory	Bank all otl author	of Ind her ap ity/ re	ia (RBI), oplicable gulator.
	codes/ certifications/ labels/ standards (e.g., Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustee) standards (e.g., SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle. Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any. Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are	by Ministr Securities laws/ regu No	y of Corp & Exchar ulations stip	orate Affairs age Board of bulated by a	(MCA)	A), Resauce (SEB) er stat	serve II) and tutory No	Bank all otl author	of Indiher apity/re	ia (RBI), pplicable gulator. No
5.	codes/ certifications/ labels/ standards (e.g., Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustee) standards (e.g., SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle. Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any. Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met.	by Ministr Securities laws/ regundant No	y of Corp & Exchar ulations stip No NA	No NA NA	No NA	No NA	NO NA	Bank all oth author No NA	of Indher aprity/ resident No	ia (RBI), pplicable gulator. No NA



9.	of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes/ No). If yes, provide details.	Social & Governance (ESG) Policy. Oversight of ESG-related matters								
10.	Details of Review of NGRBCs by the Company:	P1	P2	Р3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
	cate whether review was undertaken by Dire nually/ Half yearly/ Quarterly/ Any other – ple			e of the	Board/	Any oth	er Com	mittee a	and Fre	quency
Performance against above policies and follow- up action			e provisi evant ap ed perio de as r	ons outl proving dically of ecessar	lined in e authorit n an ann	each pol ies. Per ual basis sure alig	icy docu formanc and rev Inment	ument or e under isions or with evo	r as dire r each p r enhand Iving re	coolicy is cements gulatory
relev	npliance with statutory requirements of vancetotheprinciples, and rectification of any compliances				with all egulatory			regulat	ions no	tified by
11.	Has the entity carried out independent assessment/evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No). If yes, provide name of the agency.	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
12.	If answer to question (1) above is "No" i.e.,	not all I	Principle	es are c	overed	by a po	licy, rea	sons to	be stat	:ed:
	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
	The entity does not consider the principles material to its business (Yes/No)	Not ap	plicable							
The entity is not at a stage where it is in a position to formulate and implement the policies on specified principles (Yes/No)										
	The entity does not have the financial or/ human and technical resources available for the task (Yes/No)									
	It is planned to be done in the next financial year (Yes/No)									
	Any other reason (please specify)									

List of policies:

- Code of Bank's Commitment to Customers (https://www.idbibank.in/commitment-code.aspx)
- 2. General Code of Conduct and Ethics (https://www.idbibank.in/idbi-bank-general-code-of-conduct-ethics.aspx#:~:text=Conduct%20of%20Staff,-To%20uphold%20the&text=a%20sense%20of%20fair%20play,objective%20of%20IDBI%20Bank%20Ltd.)
- IDBI Bank's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading (https://www.idbibank.in/pdf/investor/Prevention-of-Insider-Trading.pdf)
- 4. IDBI Bank's Compliance Policy (not available in public domain)
- 5. Compensation Policy for Non-Executive Directors (https://www.idbibank.in/pdf/Compensation Policy.pdf)
- 6. Remuneration Policy of the Bank (https://www.idbibank.in/pdf/Remuneration-Policy-of-the-Bank.PDF)
- 7. ESG Policy (https://www.idbibank.in/pdf/ESG-Policy.pdf)
- 8. Integrated Risk Management Policy (not available in public domain)
- 9. Fraud Risk Management Policy (not available in public domain)
- 10. Anti-Bribery & Anti-Corruption Policy (https://www.idbibank.in/pdf/Anti-Bribery-Anti-Corruption-Policy.pdf)
- 11. Know Your Customer (KYC) Policy (not available in public domain)
- 12. Policy for Determination of Materiality and Disclosure of Events Information (https://www.idbibank.in/pdf/Policy-for-Determination-of-Materiality-Disclosure-of-Events.pdf)
- 13. Related Party Transaction (RPT) Policy (https://www.idbibank.in/pdf/Policy-on-Related-Party-Transactions.pdf)
- 14. Stress Testing under ICAAP policy (https://www.idbibank.in/pdf/basel/Final-Pillar-III-Disclosures Sep-24.pdf)
- 15. Vigilance Mechanism (https://www.idbibank.in/vigilance-mechanism.aspx)
- 16. Policy on Vigil Mechanism (https://www.idbibank.in/pdf/Policy-on-Vigil-Mechanism-.pdf)
- 17. Officers Service, Conduct, Discipline & Appeals Rules (not available in public domain)
- 18. IT Policy (not available in public domain)
- 19. Information security policy/ Cyber Security Policy & Cyber Crisis Management Plan (https://www.idbibank.in/information-security.aspx)
- 20. Operational Risk Management Policy (https://www.idbibank.in/pdf/basel/Final-Pillar-III-Disclosures Sep-24.pdf)
- 21. Security Policy (not available in public domain)
- 22. Privacy Policy (https://www.idbibank.in/idbi-bank-policies.aspx)
- 23. Equal Opportunity Policy (https://www.idbibank.in/pdf/Equal-Opportunity-Policy-Employees.pdf)
- 24. Learning & Employee Engagement Policy (not available in public domain)
- 25. i-HRIDAYO Portal (not available in public domain)
- 26. Board Diversity Policy (https://www.idbibank.in/pdf/IDBI-Bank-Board-Diversity-Policy.pdf)
- 27. Human Rights Policy (https://www.idbibank.in/pdf/Human-Rights-Policy.pdf)
- 28. Sexual Harassment Redressal Committees under POSH Act, 2013 (https://www.idbibank.in/pdf/Sexual-Harassment-Redressal-Policy.pdf)



- 29. Business Continuity Management (BCM) Policy (https://www.idbibank.in/pdf/basel/Pillar-III-Disclosures-March-25.pdf)
- Customer Compensation Policy (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Compensation-Policy-Upload.pdf) 30.
- 31. Policy on Collection of dues and Repossession of security (https://www.idbibank.in/pdf/policy/collection of dues policy.pdf)
- Fair Practices Code for Lending (https://www.idbibank.in/pdf/policy/FairPracticecodeforLending.pdf) 32.
- 33. Fair Practice Code-Microfinance Loans (https://www.idbibank.in/pdf/micro-loan-fpc.pdf)
- Customer Care Policy (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Customer_Care_Policy.pdf) 34.
- 35. Customer Rights Policy (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Customer Rights Policy.pdf)
- Corporate Social Responsibility (CSR) Policy (https://www.idbibank.in/pdf/CSR-Policy.pdf) 36.
- 37. Grievance Redressal Policy (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Grievance_Redressal_Policy.pdf)
- Policy on Unauthorised Electronic Banking Transactions (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Unauthorised-Electronic-38. Banking-Transactions-Policy.pdf)

Section C: Principle-Wise Performance Disclosure

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent, and Accountable

Essential Indicators

1. Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the NGRBC Principles during the financial year:

Segment	Total number of training and awareness programmes held		Topics/principles covered under the training and its impact	Percentage of persons in respective category covered by the awareness programmes
Board of Directors*	6	•	Risk Management and Compliance for Board of Directors organised by Institute of Directors (IOD), India	86.67%#
		•	Digital Personal Data Protection Act (DPDPA) by Deloitte	
		•	Director's Certification Master Class at Gangtok by Indian Institute of Corporate Affairs (IICA)	
		•	Advanced Leadership Programme (CALP) in collaboration with McDonough School of Business, Georgetown University, Washington DC, USA by Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL)	
		•	Al, Blockchain, and Cyber Security for Board of Directors & Executive Directors by IOD	
		•	SWIFT International Banking Operations Seminar (SIBoS) 2024 Bejing	

Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics/principles covered under the training and its impact	Percentage of persons in respective category covered by the awareness programmes
Key Management Personnel*	35	 CAFRAL (Centre for Advanced Financial Research and Learning) Advanced Leadership Programme SIBOS Programme (SWIFT International Banking Operations Seminar) Programme on AI, Blockchain, and Cyber Security for Board of Directors & Executive Directors Risk Management Programme for Board of Directors Customised training programme for Senior Management Programme on Digital Personal Data Protection Act Entrepreneurial Thinking Programme Aarohan 3 Online training module on KYC and AML in the Bank's online training portal, viz. OJAS 25th National Conference of Practicing Company Secretaries organised by Institute of Company Secretaries of India (ICSI) 52nd National Convention of Company Secretaries at Mumbai Webinar on Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) Webinar on BRSR Regulatory Landscape and Stakeholder Engagement Webinar on Nuances of Secretarial Audit 	100.00%
Employees other than BODs & KMPs	2,490	 The topics/ Principles covered under various training programmes included, inter alia, Aarohan 3.0, Rolebased workshops, Online Capsule programmes, Induction Programmes, Vertical programmes, Other programmes, Workshops etc. OJAS e-learning modules, viz. Cyber Security, Prevention of Sexual Harassment at Workplace, Customer Service, Credit Risk, Fraud Prevention, Financial Inclusion through Business Correspondent Model, KYC and AML, Preventive Vigilance, Business Continuity Management, Introduction to ESG and BRSR, IDBI Operational Risk Management, etc. 	98.31%
Workers	43	 Wellness Programme & Human Rights Awareness, Pre-Promotion Training, Adjudication Exchange Facility, Security Features Detection of Bank Notes etc., Awareness Training on Detecting and Dealing with Phishing Emails, Workshop for Assistant Caretakers, OJAS e-learning modules, etc. 	84.16%

^{* -} The total count of Board of Directors and Key Managerial Personnel includes MD & CEO and DMDs and has been considered as on March 31, 2025.

^{# -} Includes training attended by Shri Mukesh Kumar Gupta who ceased to be Director w.e.f. February 09, 2025.



2. Details of fines/ penalties/ punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors/ KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, in the financial year, in the following format. (Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):

Monetary							
Туре	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Amount (In INR)	Brief of the case	Has an appeal been preferred? (Yes/ No)		
Penalty/ Fine	Principle 1	Reserve Bank of India (RBI)	₹41,34,350/-	 Penalties levied by RBI during Q1 FY25 for Soiled Note Acceptance/ Deficiency (2 instances): ₹ 15,000/- Penalties levied by RBI during Q1 FY25 pertaining to currency chests on account of (i) Soiled Notes (ii) Shortage of cash (iii) Counterfeit Notes (iv) Audit deficiency etc. (11 instances): ₹ 7,300/- Penalties levied by RBI during Q2 FY25 for Soiled Note Acceptance/ Deficiency (1 instance): ₹ 10,000/- Penalties levied by RBI during Q2 FY25 pertaining to currency chests on account of (i) Soiled Notes (ii) Shortage of cash (iii) Counterfeit Notes (iv) Audit deficiency etc. (37 instances): ₹ 73,550/- Penalties levied by RBI during Q3 FY25 for Soiled Note Acceptance/ Deficiency (1 instance): ₹ 10,000/- Penalties levied by RBI during Q3 FY25 pertaining to currency chests on account of (i) Soiled Notes (ii) Shortage of cash (iii) Counterfeit Notes (iv) Audit deficiency etc. (19 instances): ₹ 49,200/- 	No		

			Monetary		
Туре	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Amount (In INR)	Brief of the case	Has an appeal been preferred? (Yes/ No)
	Principle 1	National Payments Corporation of India (NPCI)	₹ 55,000/-	 Penalties levied by RBI during Q4 FY25 for Soiled Note Acceptance/ Deficiency during Incognito Visit, Penalty of ₹10,000/-per ATM if an ATM is cash out for more than 10 hours in a month, Contravention of certain provisions of FEMA, 1999, by handling execution of foreign inward remittances received by one of its clients (22 instances): ₹38,60,000/- Penalties levied by RBI during Q4 FY25 pertaining to currency chests on account of (i) Soiled Notes (ii) Shortage of cash (iii) Counterfeit Notes (24 instances): ₹1,09,300/- Breaching the limits of Technical Declines of ATM network of the Bank (1 instance): ₹15,000/- TD Compliance (Technical decline) of AePS payment system (2 instances): ₹40,000/- 	
Settlement	NA	NA	NA	NA	NA
Compounding Fee	NA	NA	NA	NA	NA
		No	on-Monetary		
Туре	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Amount (in INR)	Brief of Case	Has an appeal been preferred? (Yes/ No)
Imprisonment	NA	NA	NA	NA	NA
Punishment	NA	NA	NA	NA	NA

Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal/ Revision preferred in cases where 3. monetary or non-monetary action has been appealed.

Not applicable



4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a weblink to the policy.

Yes, the Bank has a Board-approved Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy, which outlines its commitment to conducting business with integrity, transparency, and ethical governance. The Policy reflects the Bank's zero-tolerance approach towards bribery and corruption. The Policy is accessible to employees on the Bank's intranet. For public reference, the Policy is also disclosed on the Bank's website (https://www.idbibank.in/pdf/Anti-Bribery-Anti-Corruption-Policy.pdf).

5. Number of Directors/ KMPs/ employees/ workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:

	FY 2024-25	FY 2023-24
Directors	Nil	Nil
KMPs	Nil	Nil
Employees	Nil	Nil
Workers	Nil	Nil

6. Details of complaints with regard to conflict of interest:

	FY 2024-25		FY 2023-24	
	Number	Remark	Number	Remark
Number of complaints received in	Nil	-	Nil	-
relation to issues of Conflict of Interest				
of the Directors				
Number of complaints received in	Nil	-	Nil	-
relation to issues of Conflict of Interest				
of KMPs				

- 7. Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines/ penalties/ action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.
- 8. Number of days of accounts payables ((Accounts payable X 365)/ Cost of goods/ services procured) in the following format:

Category	FY 2024-25	FY 2023-24
Number of days of accounts payables*	32	38

Note: * - Considering the business model, the Bank does not have liabilities directly related to accounts payable. The Bank's liabilities are grouped under head "other liabilities" and the same is monitored by the accounts owners. For the computation of number of days of accounts payable, the payments made to the vendors forming a part of the Schedule 16 has been taken as the denominator.

9. Openness of Business:

> Provide details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties alongwith loans and advances & investments, with related parties, in the following format:

Parameter	Metrics	FY 2024-25 FY 2023-24			
Concentration of Purchases	 a. Purchases from trading houses as percentage of total purchases b. Number of trading houses where purchases are made from 	Purchase and Sales parameters are not applicable to Bank being a banking company engaged in providing banking and financial services. The Bank has wide base of depositors and borrowers which are sourced as per its policies. The Bank has no transactions with trading houses/ dealers.			
	c. Purchases from top 10 trading houses as percentage of total purchases from trading houses	arm's length. Concentration exposures and NPAs in respective four category	elated parties are done at on of deposits, advances, espect of Top 20 accounts ories are disclosed in the		

252

Parameter		Metrics	FY 2024-25	FY 2023-24		
Concentration of Sales	a.	Sales to dealers/ distributors as percentage of total sales	Bank being a banking company engaged in probanking and financial services. The Bank has			
	b.	Number of dealers/ distributors to whom sales are made	trading houses/ dealers. All the transactions with related parties are d arm's length. Concentration of deposits, advected exposures and NPAs in respect of Top 20 acceptable.			
	C.	Sales to top 10 dealers/ distributors as percentage of total sales to dealers/ distributors				
Share of RPTs in	a.	Purchases (Purchases with related parties/Total Purchases)	-	-		
	b.	Sales (Sales to related parties/Total Sales)	-	-		
& advanc related par		Loans & advances (Loans & advances given to related parties/Total loans & advances)#	0.42%	0.28%		
	d.	Investments (Investments in related parties/Total Investments made)##	0.28%	0.26%		

Note:

Leadership Indicators

1. Awareness programmes conducted for value chain partners on any of the NGRBC Principles during the financial year:

Total number of training and awareness programmes held	Topics/ principles covered under the training and its impact	Percentage of persons in value chain covered by the awareness programmes
01	management, compliance, preventive	The Bank has conducted training programme on the said topics for the staff of value chain partners working at Head Office, Mumbai.

2. Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interest involving members of the Board? (Yes/ No) If Yes, provide details of the same.

Yes, the Bank has put in place appropriate systems and mechanisms to manage and address conflicts of interest involving members of the Board. The Bank's General Code of Conduct and Ethics, which is available on the Bank's official website (https://www.idbibank.in/idbi-bank-general-code-of-conduct-ethics.aspx), outlines provisions relating to conflict of interest, including specific guidance applicable to Directors. As a part of the Bank's governance structure, all members of the Board are required to disclose any changes in their interests in external entities. Such disclosures are mandatorily made during the first Board meeting of every financial year and as and when changes take place thereafter. In cases where a Director has a vested interest in any agenda item, they are required to recuse themselves from deliberations and decision-making to ensure transparency and uphold the integrity of the governance process.

^{# -} Loans given to Related party/ Gross Advances of Bank

^{## -} Investments in Related party/ Total Gross Investments of Bank



Principle 2: Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

Essential Indicators

 Percentage of R&D and Capital Expenditure (CAPEX) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively.

Туре	FY 2024-25	FY 2023-24	Details of improvement in social and environmental aspects		
Research & Development (R&D)					
Capital Expenditure (CAPEX)	Not applicable given the nature of operations as a financial service provider.				

2. a. Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing? (Yes/ No).

Yes

b If "Yes", what percentage of inputs were sourced sustainably?

The Bank has procured green building products such as green plywood, LED lights, etc., for its newly opened branches and few other office buildings/ residential flats in FY 2024-25. The Bank shall endeavour to work closely with its vendors/ service providers to improve its performance under ESG-related parameters by encouraging them to undertake measures in the areas of waste management, use of renewable resource, adherence to national and local labour laws and protection of human rights including child, forced or trafficked labour, etc. The Bank prefers supplier who are EMS/ ISO 14001 certified wherever feasible. The Bank is committed to continue to rely more on ESG compliant suppliers. ESG-related clauses have been included in some of the Request for Proposals (RFPs) floated by the Bank for procurement of goods or services.

3. Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste.

Not applicable

4. Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes/ No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.

Not applicable

Leadership Indicators

1. Has the entity conducted Life Cycle Perspective/ Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)? If yes, provide details in the following format?

Not applicable

If there are any significant social or environmental concerns and/ or risks arising from production or disposal
of your products/ services, as identified in the Life Cycle Perspective/ Assessments (LCA) or through any other
means, briefly describe the same alongwith action taken to mitigate the same.

Not applicable

3. Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).

Not applicable

- 4. Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed, as per the following format:
 - Not applicable
- Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category.
 Not applicable

Principle 3: Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains

Essential Indicators

1. a. Details of measures for the well-being of Employees:

				Per	rcentage of	employee	s covered b	ру			
Category		Health In	surance*	Accident	Insurance	Maternity	y Benefits Paternity Be		Benefits	Benefits Day Care Facilities	
Category	Total (A)	Number (B)	% (B/A)	Number (C)	% (C/A)	Number (D)	% (D/A)	Number (E)	% (E/A)	Number (F)	% (F/A)
	Permanent Employees										
Male	11,123	11,123	100.00%	11,123	100.00%	NA	NA	11,123	100.00%	NA	NA
Female	5,788	5,788	100.00%	5,788	100.00%	5,788	100.00%	NA	NA	NA	NA
Total	16,911	16,911	100.00%	16,911	100.00%	5,788	34.23%	11,123	65.77%	NA	NA
				Other t	han Perma	nent Emplo	yees				
Male	1,210	1,203	99.42%	1,210	100.00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Female	966	964	99.79%	966	100.00%	966	100.00%	NA	NA	NA	NA
Total	2,176	2,167	99.59%	2,176	100.00%	966	44.39%	NA	NA	NA	NA

^{*} Permanent employees are covered under the Bank's in-house Medical Scheme. Entry level Officers are covered under Floater Health Insurance Policy.

b. Details of measures for the well-being of Workers:

Category	Total (A)	Health In	surance*	Accident	Insurance	Maternity	Benefits	Paternity	Benefits	Day Care	Facilities
		Number (B)	% (B/A)	Number (C)	% (C/A)	Number (D)	% (D/A)	Number (E)	% (E/A)	Number (F)	% (F/A)
					Permanent	Workers					
Male	487	487	100.00%	487	100.00%	NA	NA	487	100.00%	NA	NA
Female	157	157	100.00%	157	100.00%	157	100.00%	NA	NA	NA	NA
Total	644	644	100.00%	644	100.00%	157	24.38%	487	75.62%	NA	NA
				Other	than Perm	anent Worl	cers				
Male	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Female	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

^{*} Permanent employees are covered under the Bank's in-house Medical Scheme. Entry level Officers are covered under Floater Health Insurance Policy.



 Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent) in the following format:

Category	FY 2024-25	FY 2023-24
Cost incurred on well-being measures as a percentage of total revenue of	0.32%	0.80%
the company		

2. Details of retirement benefits, for Current FY and Previous Financial Year:

			FY 2024-25		FY 2023-24			
Sr.	Benefits	No. of employees covered as a percentage of total employees	No. of workers covered as a percentage of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	No. of employees covered as a percentage of total employees	No. of workers covered as a percentage of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	
1.	PF	2.45%	11.49%	Y	2.82%	13.04%	Υ	
2.	Gratuity	100%	100%	Y	100%	100%	Υ	
3.	ESI	0	0	NA	0	0	NA	
4.	Others – please specify (Pension & NPS)*	97.55%	88.51%	Y	97.18%	86.96%	Y	

Note: - * Except employees with unopened Permanent Retirement Account Number (PRAN)

3. Accessibility of Workplaces

Are the premises/ offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

The Bank is committed to making its premises/ offices accessible to all. Out of the 2,104 branches (excluding 24 IDBI Sameep Banking Outlets) as of March 31, 2025, 1,044 branches had ramp facilities. 294 branches did not require ramp facility as entrance of these branches are parallel to the ground or lift facility is available. 766 branches are located on upper ground and hence it is not feasible to provide ramp facilities in these branches.

4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a weblink to the policy.

Yes, the Bank has in place an Equal Opportunity Policy which is publicly disclosed on the website (https://www.idbibank.in/pdf/Equal-Opportunity-Policy-Employees.pdf). The Bank endeavours to maintain a conducive and harmonious work environment by creating equal opportunity at workplace by recognising and valuing diversity and inclusion. The Bank strives to provide equal opportunities to all its employees and all qualified applicants for employment without regard to their race, caste, religion, colour, ancestry, marital status, sex, age, nationality, disability, etc.

256

5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave in FY 2024-2025.

Gender	Permanent E	mployees	Permanent Workers		
	Return to Work Rate*	Retention Rate#	Return to Work Rate*	Retention Rate#	
Male	100%	91%	100%	100%	
Female	85%	91%	100%	100%	
Total	94%	91%	100%	100%	

Note: * - For Return to Work rate, officers who have availed paternity/ maternity leave which ended during FY 2024-25 (till March 31, 2025) and are in service as on March 31, 2025 have been considered.

6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and workers? If yes, give details of the mechanism in brief.

Category	Yes/ No	Details of the mechanism in brief			
Permanent Workers	Yes	Yes, the Bank has an online portal, viz. i-Hridayo, hosted on its			
Other than Permanent Workers	Yes	Intranet for employees/ workers to report their grievances. T			
Permanent Employees	Yes	Bank also has put in place in-built appellate mechanisms in various policies, procedures and processes to facilitate grievance redressal.			
Other than Permanent Employees	Yes	p. 000000 to 1000000 g. 10100 1000 1000			

7. Membership of employees and workers in association(s) or Unions recognised by the listed entity:

		FY 2024-25			FY 2023-24	
Category workers in respective category (A)* workers in respective category, ware part of association		employees/ workers in respective category, who are	Percentage (B/A)	Total employees/ workers in respective category (C)	No. of employees/ workers in respective category, who are part of association (s) or Union (D)	Percentage (D/C)
		Perma	nent Employe	es		
- Male	12,333	7,708	62.50%	12,008	7,597	63.27%
- Female	6,754	3,260	48.27%	6,283 [@]	3,089	49.16%
Total	19,087	10,968	57.46%	18,291	10,686	58.42%
		Perm	anent Worker	S		
- Male	487	457	93.84%	553	553	100.00%
- Female	157	127	80.89%	168	135	80.36%
Total	644	584	90.68%	721	688	95.42%

^{* -} Data includes Employees on Contract.

^{# -} For Retention Rate, officers availed paternity/ maternity leave which ended during 01-Apr-2023 till 31-Mar-2024 and retained after 12 months and in service as on March 31, 2025 are considered.

^{# -} Though recognised union status has not been given to any of the unions/ associations, the above is the tentative membership position of major unions/ associations operating in the Bank.

^{@ -} Employee Count revised from 6,284 to 6,283 on account of exclusion of consultant.



Details of training given to employees and workers: 8.

			FY 2024-25				FY 2023-24				
Category			and safety	afety On Skill upgradation			On Health and safety measures		On Skill upgradation		
	Total (A)	Number (B)	Percentage (B/A)	Number (C)	Number (C/A)	Total (D)	Number (E)	Percentage (E/D)	Number (E)	Percentage (F/D)	
	Employees										
Male	12,333	11,617	94.19%	12,155	98.56%	12,008	9,907	82.50%	11,775	98.06%	
Female	6,754	6,221	92.11%	6,609	97.85%	6,283*	4,881	77.69%	6,119	97.39%	
Total	19,087	17,838	93.46%	18,764	98.31%	18,291	14,788	80.85%	17,894	97.83%	
					Worker	s				_	
Male	487	394	80.90%	397	81.52%	553	501	90.60%	507	91.68%	
Female	157	145	92.36%	145	92.36%	168	154	91.67%	161	95.83%	
Total	644	539	83.70%	542	84.16%	721	655	90.85%	668	92.65%	

9. Details of performance and career development reviews of employees and workers:

		FY 2024-25			FY 2023-24	
Category	Total (A)#	Number (B) [@]	Percentage (B/A)	Total (C)#	Number (D) [@]	Percentage (D/C)
			Employees			
Male	11,147	10,764	96.56%	10,938	10,311	94.27%
Female	5,802	5,208	89.76%	5,409	4,827	89.24%
Total	16,949	15,972	94.24%	16,347	15,138	92.60%
			Workers			
Male	525	524	99.81%	634	611	96.37%
Female	165	165	100.00%	192	188	97.92%
Total	690	689	99.86%	826	799	96.73%

Note:

10. Health and safety management system:

a. Whether an o	occupational health	Yes, the Bank has an occupational health and safety management
and safety mana	agement system has	system in place. The Bank has put in place fire safety, CCTV, ergonomic
been implemer	nted by the entity?	chairs and posted security guards at its offices and branches. In
(Yes/No) What	is the coverage of	addition, the Bank has appointed Bank Medical Officers (BMOs) at its
such system?		Head Office, Zonal Offices and training college.

^{# -} Total Employees includes live employees as on end of FY plus Retired/Voluntary Retirement Scheme /Deceased employees for whom performance assessment is done for the FY.

^{@ -} Total Employees/Workers for whom performance assessment is done for the FY.

b.	What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?	The Bank periodically organises fire mock drill for its workforce. The Bank also undertakes preventive maintenance of all its equipment. As per the Bank's Policy all the details are updated in IT system for Disaster and Business Continuity Management (I-DAB).
C.	Whether you have processes for workers to report the work-related hazards and to remove themselves from such risks. (Yes/ No)	Yes, the Bank maintains logbooks, electrical shock register, etc., at its Head Office for recording/ reporting the incidents/ hazards, if any. Further, Standard Operating Procedures (SOPs) are available to protect workers from hazards.
d.	Do the employees/ workers of the entity have access to non-occupational medical and healthcare services? (Yes/ No)	Yes, all employees and their dependents are covered under the Bank's Medical Scheme. Health check-ups including mental well-being, liver function test, eye testing, cardiovascular health, etc., were conducted at its Head Office. Further, various health awareness programmes on cancer, women's health, diet, and nutrition, etc., were also conducted.

11. Details of safety related incidents, in the following format:

Safety Incidents/ Number	Category	FY 2024-25	FY 2023-24			
Lost Time Injury Frequency Rate	Employees	In FY 2024-25 and FY 2023-24, there were no				
(LTIFR) (per one million-person hours worked)	Workers	employees/ workers of the Bank who suffered consequence work-related injury/ ill-health/ fata				
Total recordable work-related injuries	Employees					
	Workers					
Number of fatalities	Employees					
	Workers					
High consequence work-related injury	Employees					
or ill-health (excluding fatalities)	Workers					

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy workplace.

IDBI Bank strives to ensure a safe and healthy work environment for all employees, for which the following measures have been taken:

- Periodic fire drill training for all employees at its Head Office in Mumbai and all its Zonal Offices;
- Provision of fire aid kit, fire alarm, and fire extinguishers at all office premises; and.
- Availability of Bank Medical Officers (BMOs) and tie-up with ambulances at its Head Office, some Zonal Offices and few staff quarters in Mumbai.

13. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

		FY 2024-25		FY 2023-24			
Торіс	Filed during the year	Pending resolution at the end of year		Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remark	
Health and safety practices	Nil	Nil	NA	Nil	Nil	NA	
Working Conditions	Nil	Nil	NA	Nil	Nil	NA	



14. Assessments for the year:

Торіс	Percentage of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)			
Health and Safety Practices	Routine inspection by lift inspector, fire installation by authorised agency, packaged			
Working Conditions	water testing by manufacturer and DG pollution from authorised agency was undertaken at the Bank's Head Office. The Bank's branches and offices are inspected by officers internally.			

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks/ concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.

The Bank has preventive maintenance schedules, SOPs, Do's & Don'ts, etc. in place to ensure safe and healthy working conditions.

Leadership Indicators

 Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of (A) Employees (Y/ N) (B) Workers (Y/ N).

Yes, the Bank provides life insurance cover and compensatory packages to its employees and workers.

2. Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.

The Bank endeavours to ensure that its value chain partners deduct and deposit statutory dues like Provident Fund (PF), Employees State Insurance (ESI), Gratuity, Goods & Services Tax (GST), etc. Further, the vendor submits compliance certificate to this effect. The Bank has also incorporated a clause on making statutory regulatory payments in some of its Requests for Proposal (RFP).

3. Provide the number of employees/ workers having suffered high consequence work related injury/ ill-health/ fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:

Total no. of affected employees/ wo		employees/ workers	No. of employees/ workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment				
	FY 2024-25	FY 2023-24	FY 2024-25	FY 2023-24			
Employees	Not applicable considering there were no employees/ workers of the Bank who suffered high						
Workers	consequence work-related injury/ ill-health/ fatalities in FY 2023-24 and FY 2024-25.						

4. Does the entity provide transition assistance programmes to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? (Yes/ No).

Yes, the Bank conducts various workshops for their retiring employees which helps them plan their life ahead. The workshops are conducted to prepare/ assist the employees in planning/ addressing the changes that take place physically and psychologically. The following workshops are conducted during the aforesaid programme over a course of three days at the Bank's training institute in Hyderabad, viz. IDBI Centre for Excellence in Banking and Finance (ICBF):

- Healthy Ageing and Managing the Physical Transition
- Wellness as an achievable personal goal for holistic life after retirement
- Diet and Lifestyle Practices

- Yoga and Meditation as a Way of Life for all-round happiness
- Philosophy of Life & Living (Spiritual Aspects)
- Second Careers, Productive Ageing and Social Networking
- Psychological Exercises for Successful Transition
- Managing Finances and Investments including Tax Aspects
- Importance of Will Making and Laws of Nomination
- Superannuation Benefits
- 5. Details on assessment of value chain partners:

	Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that					
	were assessed					
Health and Safety	The Bank is in the process of putting in place systems for assessing its value chain partners					
Practices	on health and safety practices and working conditions. In FY 2024-25, the Bank collected					
Working Conditions	self-declarations from 57 value chain partners in respect of compliance with maintaining safe working conditions and adherence to health and safety practices as defined by applicable laws.					

6. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks/ concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.

No significant risks/ concerns were observed during the assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.

Principle 4: Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

Essential Indicators

1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity:

As part of its commitment to transparency and inclusive governance, IDBI Bank undertook a structured Stakeholder Engagement and Materiality Assessment (SEMA) exercise in FY 2022–23. The SEMA was conducted to ensure that the Bank's sustainability initiatives are aligned with stakeholder expectations and to identify material Environmental, Social, and Governance (ESG) issues.

Objectives of the SEMA

- To develop a comprehensive understanding of stakeholder priorities and concerns;
- To identify and prioritise key ESG topics relevant to stakeholders and the Bank;
- To define actionable sustainability objectives based on materiality insights; and
- To strengthen accountability and trust through stakeholder-informed sustainability planning and reporting.

SEMA Process Overview

- Stakeholder Identification: The Bank identified key stakeholder groups, including investors, employees, customers, communities, and vendors, based on their level of influence, impact, responsibility, and interdependency with the Bank's operations.
- Engagement and Consultation: A variety of engagement methods such as surveys, interviews, focus groups, and stakeholder dialogues were employed to gather insights on stakeholder concerns, expectations, and views on the Bank's ESG performance.
- Materiality Analysis: The responses were analysed to identify and prioritise the ESG topics most relevant to stakeholders and the Bank's business context. These material topics were then reviewed and validated by the Bank.



• **Objective Setting:** Drawing on feedback from over 200 stakeholder responses, the Bank has established a materiality matrix that identifies ESG risks and opportunities.

Key Outcomes

- Deeper Stakeholder Engagement: The process facilitated meaningful and sustained dialogue, reinforcing relationships and enhancing trust.
- Informed Decision-Making: Stakeholder feedback enabled a sharper understanding of critical ESG issues and business risks.
- Targeted Sustainability Goals: The Bank will endeavour to translate stakeholder insights into clear, relevant sustainability objectives and targets.
- **Strategic Alignment:** The findings have been embedded into the Bank's broader sustainability strategy to ensure prioritisation of high-impact initiatives.
- List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group:

S. No.	Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalised Group (Yes/ No)	Channels of communication (Email, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisements, Community Meetings, Notice Board, Website), Other	Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/ Quarterly/ others – please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
1.	Customers	No	Email, SMS, Website, Notice Boards, Call Centre, Mobile App, Social Media, In-person and Virtual Meetings	Ongoing	Product and service updatesGrievance redressalFeedback
2.	Community	No	Email, Phone Calls, In-person & Virtual Meetings	Need-based	Community feedbackGrievance resolutionIdentifying improvement areas
3.	Employees	No	Intranet, Email, Townhalls, Surveys, Training Programmes, Grievance Channel	Regular	 Policy and guidelines dissemination Feedback Performance management Upskilling Grievance redressal
4.	Investors	No	Email, Website, AGMs, Investor Relations Channels	Need-based	Strategy updates Financial performance Disclosures Investor grievances
5.	Vendors and Suppliers	No	Email, Website, In-person & Virtual Meetings	Periodic	Due diligencePerformance reviewCompliance monitoring

Leadership Indicators

1. Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental, and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.

The Bank, in alignment with its commitment towards transparency and inclusive practices, undertook a Stakeholder Engagement and Materiality Assessment (SEMA) process in FY 2022-23 to ensure that its sustainability initiatives are aligned with the needs and expectations of its stakeholders. The SEMA process involved several key steps, namely:

- Identification of Stakeholders: The Bank identified its key stakeholders, including investors, employees, customers, communities and vendors, based on their influence, impact, responsibility and interdependency with the Bank.
- Engagement and Consultation: The Bank engaged with these stakeholders through various channels such as surveys, interviews, focus groups and stakeholder dialogues to understand their perspectives, concerns and expectations regarding the Bank's sustainability performance and practices.
- Materiality Analysis: Through a materiality analysis, the Bank identified the most significant Environmental, Social
 and Governance (ESG) issues that are relevant to its business and stakeholders. This analysis aided the Bank
 in prioritising its sustainability efforts and focus on the issues that matter most to its stakeholders and have the
 greatest potential impact on its business. The key material topics were then reviewed by the Bank before its
 finalisation.
- **Objective Setting:** The feedback received from over 200 respondents from the diverse stakeholder groups has aided the Bank in identifying key material issues and related challenges and opportunities.

The SEMA process facilitated meaningful dialogue and collaboration with its stakeholders, fostering stronger relationships and trust. The key and relevant details of the SEMA process, its objective and outcomes are summarised in the BRSR.

 Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes/ No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.

Stakeholder consultations have played a critical role in identifying and managing the Bank's environmental and social priorities. Through the materiality assessment process, the Bank has been able to determine key ESG issues that are most relevant to both its stakeholders and business operations. This insight has helped shape the Bank's sustainability focus areas and deepen its engagement strategy. The stakeholder identification process remains dynamic and is periodically reviewed to reflect changes in the Bank's business environment and stakeholder expectations, thereby ensuring continued relevance and responsiveness.

 Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/ marginalised stakeholder groups.

The Bank, through its products and services, strives to improve the quality of life of its customers across various segments. The Bank has been undertaking concerted efforts to create value for all its stakeholders. Further, the Bank places special emphasis on making a difference in the lives of the underserved segment through its financial inclusion and CSR initiatives.

The Bank has established mechanisms to address the grievances and concerns of its key stakeholders, including customers, employees, investors, and CSR beneficiaries. These are addressed through structured grievance redressal policies and dedicated channels. For value chain partners and other marginalised groups, concerns are handled on a case-to-case basis, with a view to ensuring timely and appropriate resolution in alignment with the Bank's commitment to responsible and inclusive practices.



Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

Essential Indicators

1. Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity, in the following format:

	FY 2024-25			FY 2023-24			
Category	Total (A)	No. of employees/ workers covered (B)	Percentage (B/A)	Total (C)	No. of employees/ workers covered (D)	Percentage (D/C)	
Employees							
Permanent	16,911	16,447	97.26%	16,326	15,747	96.45%	
Other than permanent	2,176	1,955	89.84%	1,965*	1,614	82.14%	
Total	19,087	18,402	96.41%	18,291	17,361	94.92%	
		W	/orkers				
Permanent	644	537	83.39%	721	664	92.09%	
Other than permanent	0	0	-	0	0	-	
Total	644	537	83.39%	721	664	92.09%	

^{* -} Employee count revised on account of exclusion of consultant

2. Details of minimum wages paid to employees and workers in the following format:

Category	FY 2024-25							FY 2023-24	ļ	_		
	Total (A)	Equal to Wa		More than Minimum To Wage				Total (D)	Equal to Minimum Wage		More than Minimum Wage	
		Number (B)	% (B/A)	Number (C)	% (C/A)		Number (E)	% (E/D)	Number (F)	% (F/D)		
Permanent Employees												
- Male	11,123	0	-	11,123	100.00%	10,920	0	-	10,920	100.00%		
- Female	5,788	0	-	5,788	100.00%	5,406	0	-	5,406	100.00%		
			C	Other than F	ermanent l	Employees				_		
- Male	1,210	0	-	1,210	100.00%	1,088	0	-	1,088	100.00%		
- Female	966	0	-	966	100.00%	877*	0	-	877*	100.00%		
				Perm	anent Work	ers						
- Male	487	0	-	487	100.00%	553	0	-	553	100.00%		
- Female	157	0	-	157	100.00%	168	0	-	168	100.00%		
Other than Permanent Workers												
- Male	0	0	-	0	-	0	0	-	0	_		
- Female	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-		

Note: * -Employee Count revised from 878 to 877 on account of exclusion of consultant.

- 3. Details of remuneration/ salary/ wages, in the following format:
 - a. Median remuneration/ wages:

		Male	Female		
Category	Number	Median remuneration/ salary/ wages of respective category	Number	Median remuneration/ salary/ wages of respective category	
Board of Directors (BoD)	9#	₹ 34,60,000.00/-	1@	₹ 34,60,000.00/-	
Key Managerial Personnel	3\$	₹ 1,23,13,678.13/-	2	₹ 54,13,780.81/-	
Employees other than BoD and KMP	13,532	₹ 20,35,197.03/-	7,435	₹ 16,69,380.97/-	
Workers	319	₹ 10,10,313.59/-	38	₹ 10,96,532.04/-	

Note:

b. Gross wages paid to females as percentage of total wages paid by the entity, in the following format:

Category	FY 2024-25	FY 2023-24
Gross wages paid to females as percentage of total wages	30.82%	30.50%

4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes/ No)

Yes, the Bank has put in place a Human Rights Policy, which is applicable to all identified stakeholders, including employees. The Policy broadly covers:

- (i) Health and Safety at Workplace,
- (ii) Workforce Diversity,
- (ii) Prohibition of Child Labour & Forced Labour,
- (iv) Harassment-free Workplace,
- (v) Human Dignity,
- (vi) Minimum wages and benefits,
- (vii) Employee Feedback and Grievances, and
- (viii) Ethical Business Conduct.

The Bank has provisions in the applicable conduct rules/ policies which addresses such issues.

^{* -} The total number of employees considered for computing the median remuneration includes all employees eligible to receive salary as at end-March 2025 and past employees (who have left the Bank due to retirement/ resignation/ death/ removal from service) to whom salary payments were made during the year.

^{# -} The details of Board of Directors do not include the details of MD & CEO and two DMDs as their details have been included in Key Managerial Personnel. Further, the Board of Directors are not paid remuneration but sitting fees and details of sitting fees are provided. The Government of India Nominee Directors are not in receipt of sitting fees and hence, excluded. The total number of Directors includes Shri Mukesh Kumar Gupta who ceasesd to be Director w.e.f. February 09, 2025. The calculation does not include siting fees paid to LIC on behalf of meetings attended by Shri Sat Pal Bhanoo w.e.f. February 10, 2025.

^{@ -} Median cannot be calculated as there is only one women representative in the Board of Directors.

^{\$ -} Shri Sumit Phakka, DMD was appointed in the Bank w.e.f. July 15, 2024.



5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues.

The Bank recognises the valuable role that businesses can play in the long-term protection of human rights for a better future. The Bank supports these fundamental principles which is reflected in its policies and actions towards its stakeholders. The Bank has established an online portal, viz. i-HRIDAYO, for submission of employee grievances and has put in place a Grievance Redressal Committee to examine grievances relating to discrimination and harassment. Mechanism for redressal of sexual harassment complaints received has been implemented in line with provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act). The Bank has also instituted a Human Rights Policy, which is applicable to all stakeholders, including its employees.

6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	FY 2024-25			FY 2023-24		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remark	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remark
Sexual Harassment	12	4	-	9	3	-
Discrimination at workplace	4	1	-	8	1	-
Child Labour	Nil	Nil	-	Nil	Nil	-
Forced Labour/ Involuntary Labour	Nil	Nil	-	Nil	Nil	-
Wages	1	Nil	-	1	1	-
Other human rights related issues	Nil	Nil	-	Nil	Nil	-

Note: Includes complaints on Prevention on Sexual Harassment at Workplace, complaints received through i-HRIDAYO system and those escalated to GRC.

Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, in the following format:

	FY 2024-25	FY 2023-24
Total Complaints reported under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH)	12	9
Complaints on POSH as a percentage of female employees/ workers	0.18%	0.14%
Complaints on POSH upheld	2	0

8. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.

The Bank has put in place Whistle Blower Policy, which provides a framework and empowers all the employees to disclose unethical conduct, malpractices, wrongdoings etc. noticed at the workplace in a very confidential manner through a portal exclusively accessed by the Designated Officials. The whistle blowers may send such concerns/complaints to the Bank through a separate email. Only an authorised person can receive or access the email sent by the whistle blower. The Designated Official maintains utmost secrecy of the complaint/concern received and ensures the details of the concern and the identity of the whistle blower is kept confidential. The whistle blower can also approach

the Central Vigilance Commission (CVC) for complaints or for disclosure on any allegation of corruption or misuse of office. The POSH guidelines have also been implemented by the Bank. The Bank's Human Rights Policy outlines its commitment to protecting the human rights and maintaining a work environment free of harassment.

9. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/ No)

Yes. The Bank's business agreements and contracts with vendors stipulate that the other party shall comply with the provision of all laws including labour and industrial laws, rules, regulations and notifications issued thereunder from time-to-time. All safety measures and labour and industrial laws enforced by statutory agencies and the Bank shall be applicable in the performance of the contract and the other party shall abide by these laws. The other party shall take all necessary or proper measures to protect the personnel, work and facilities and shall observe all reasonable safety rules and instructions. Similarly, in loan agreements with the borrower, the Bank seeks a confirmation that the borrower does not have any claims or liabilities including, without limitations, provident fund or labour dues which protects such human rights.

10. Assessments for the year:

	Percentage of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child Labour	100.00%
Forced/ Involuntary Labour	100.00%
Sexual harassment	100.00%
Discrimination at workplace	100.00%
Wages	100.00%
Others – please specify	NA

11. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks/ concerns arising from the assessments at Question 9 above.

No risks/ concerns observed arising from the assessments.

Leadership Indicators

1. Details of a business process being modified/ introduced as a result of addressing human rights grievances or complaints.

The Bank has not recorded any instances that required modifications to its existing processes. While there have been no reported human rights grievances or complaints, the Bank consistently reviews and monitors its policies and business processes on a regular basis to ensure adherence to human rights principles and prevent any potential violations.

2. Details of the scope and coverage of any human rights due diligence conducted.

The Bank has not conducted any human rights due diligence.

3. Is the premise/ office of the entity accessible to differently abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?

The Bank is committed to rendering its premises/ offices accessible to all. The Bank has put in place necessary physical infrastructure in its premises, wherever technically feasible, to ensure accessibility for differently abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. As of March 31, 2025, the Bank had 2,104 branches (excluding 24 IDBI Sameep Banking Outlets) of which 1,044 branches have ramp facilities. 294 branches did not require ramp facility as entrance of these branches is parallel to the ground or lift facility is available. 766 branches are located on upper ground and hence it is not feasible to provide ramp facilities in these branches.



Details on assessment of value chain partners:

	Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Child Labour Forced/ Involuntary Labour Sexual harassment Discrimination at workplace	The Bank is in the process of putting in place systems for assessing its value chain partners in these aspects. In FY 2024-25, the Bank collected self-declarations from 57 value chain partners regarding their compliance
Wages	to these aspects.

Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks/ concerns arising from the assessments at Question 4 above.

No significant risks/ concerns were identified during the assessment.

Principle 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment

Essential Indicators

1. Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity, in the following format:

FY 2024-25*	FY 2023-24 [^]
Not Applicable	Not Applicable
2,86,034.83	69,547.60
24,539.11	3,873.57
0	0
3,10,573.94	73,421.16
3,10,573.94	73,421.16
9.18	2.44
18.97	5.42
10.01	-
-	4.31
	Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable 12,86,034.83 24,539.11 0 3,10,573.94 3,10,573.94 9.18

Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Yes/No). If "Yes", name the external agency.

Yes, Chokshi & Chokshi LLP and Suri & Co., the Bank's statutory auditor, have undertaken reasonable assurance of the Bank's BRSR Core Disclosures for FY 2024-25.

Note: *- The energy data for FY 2024-25 is not comparable to that of FY 2023-24. For FY 2024-25, the Bank has considered energy consumption of all its 2,128 branches and 256 offices. The energy data for FY 2024-25 includes data derived by actual consumption in the following 18 locations, viz. the Bank's Head Office, its office in Belapur, ICBF, Hyderabad, and 15 Zonal Offices, and estimated data for 2,128 branches and 238 offices calculated on the basis of spend-based method notified by SEBI. The latest 2024 tariff published by CEA has been adopted to calculate energy from electricity using a spent-based method. The Net Calorific Value (NCV) and density as per Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA) has been adopted to calculate energy from diesel and petrol. Revenue from operations for computation of intensity in INR is sum of interest income and other income excluding profit/(loss) on sale of land, buildings and other assets (net) as disclosed in the standalone financial statements. The conversion factor of 20.66/USD, published by the IMF (World Economic Outlook (April 2025) - Implied PPP conversion rate), has been used to calculate intensity-adjusted Purchasing Power Parity (PPP). In accordance with the SEBI guidelines, the Bank has disclosed the intensity in terms of physical output to be based on Full Time Equivalent (FTE) for FY 2024-25. For FY 2023-24, the Bank had disclosed the intensity per Full Time Employee as optional and classified intensity by INR turnover as intensity in terms of physical output.

^ - For FY 2023-24, the energy consumption was considered for 17 locations, viz. the Bank's Head Office, its office in Belapur, ICBF, Hyderabad, and 14 Zonal Offices. The energy data for 2,004 branches and 208 offices were not reported for FY 2023-24.

 Does the entity have any sites/ facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/ N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any.

Not applicable.

3. Provide details of the following disclosures related to water, in the following format:

Parameter		FY 2024-25*	FY 2023-24 [^]
(i) Surface water		0	0
(ii) Groundwater		0	0
(iii) Third party water		3,33,091.94	1,08,029.14
(iv) Seawater/ desalinated water		0	0
(v) Others (Rainwater storage)		0	0
Total volume of Water Withdrawal (in kilolitres	s) (i + ii + iii + iv + v)	3,33,091.94	1,08,029.14
Total volume of Water Consumption (in kilolitre	es)	3,33,091.94	1,08,029.14
Water Intensity per rupee of turnover (Water or operations) (kl per crore INR)	onsumed/ Revenue from	9.85	3.60
Water Intensity per rupee of turnover adjuster Parity (PPP) (Total water consumption/ Revenue for PPP) (GJ per million USD)	_	20.34	7.97
Water Intensity in terms of physical output (to Full time Equivalent (FTE))	tal water consumption/	10.74	-
Water Intensity (optional) - Full Time Employe	ee	-	6.34

Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Yes/No). If "Yes", name the external agency.

Yes, Chokshi & Chokshi LLP and Suri & Co., the Bank's statutory auditor, have undertaken reasonable assurance of the Bank's BRSR Core Disclosures for FY 2024-25.

Note: *- The water consumption data for FY 2024-25 is not comparable to that of FY 2023-24. For FY 2024-25, the Bank has considered water consumption of all its 2,128 branches and 256 offices. For FY 2024-25, third party water includes bottled/ packaged water for 18 locations, viz. the Bank's Head Office, its office in Belapur, ICBF, Hyderabad and 15 Zonal Offices and domestic water supplied by local bodies for 7 locations, viz. the Bank's Head Office, its office in Belapur, ICBF, Hyderabad, Zonal Offices at New Delhi, Bengaluru, Kochi and Chandigarh. For the other 11 locations where the domestic water consumption data is not available, the water consumption has been been estimated on the basis of the formula (20 litres x working days for employees, workers and contractual staff). For the other locations, viz. 2,128 branches and 238 offices where water bills are not available, water consumption has been estimated on the basis of the following formula (45 litres x working days for employees, workers and contractual staff) on the basis of method notified by SEBI. In case of employee and workers, the number of working days has been arrived based on their actual attendance. In case of contractual staff where actual attendance is not available, the number of working days has been calculated by excluding state-wise holidays from 365 days in a year. The water estimation does not include contractual staff employed for marketing services. Revenue from operations for computation of intensity in INR is sum of interest income and other income excluding profit/(loss) on sale of land, buildings and other assets (net) as disclosed in the standalone financial statements. The conversion factor of 20.66/USD, published by the IMF (World Economic Outlook (April 2025) - Implied PPP conversion rate), has been used to calculate intensity-adjusted Purchasing Power Parity (PPP). In accordance with the SEBI quidelines, the Bank has disclosed the intensity in terms of physical output to be based on Full Time Equivalent (FTE) for FY 2024-25. For FY 2023-24, the Bank had disclosed the intensity per Full Time Employee as optional and classified intensity by INR turnover as intensity in terms of physical output.

^ - For FY 2023-24, the water consumption was considered for 17 locations, viz. the Bank's Head Office, its office in Belapur, ICBF, Hyderabad, and 14 Zonal Offices. The third party water included water supplied by local bodies and bottled/ packaged water for 6 locations, viz. the Bank's Head Office, its office in Belapur, ICBF, Hyderabad and 3 Zonal Offices and estimated data for 11 offices for which water bills were not available on the basis of the following formula (45 litres X No. of Employees as on March 31, 2024 X 360 days). The water data for 2,004 branches and 208 offices were not reported for FY 2023-24.



4. Provide the following details related to water discharged:

Para	nmeter	Unit	FY 2024-25	FY 2023-24
	Water discharge by destination	n and level	of treatment (in kilolitres	5)
(i)	Into Surface water	m³	The Bank has installed S	Sewage Treatment Plant
	- No treatment	m^3	(STP) at its Head Office	e in Mumbai, its office
	- With treatment- please specify level of	m^3	in Belapur and ICBF, H	Hyderabad. The treated
	treatment		water is reused in the A	Air Conditioning Plant at
(ii)	To Groundwater	m^3		the office in Belapur. The
	- No treatment	m^3		for gardening purpose
	- With treatment- please specify level of	m³		asures aid in promoting
	treatment			nd contribute towards
(iii)	To Seawater	m³	sustainable operations.*	•
	- No treatment	m^3		
	- With treatment- please specify level of	m ³		
	treatment			
(iv)	Sent to Third Parties	m³		
	- No treatment	m³		
	- With treatment- please specify level of	m^3		
	treatment			
(v)	Others	m^3		
	- No treatment	m^3		
	- With treatment- please specify level of	m^3		
	treatment			
Tota	l water discharged (in kilolitres)	m ³		

Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Yes/No). If "Yes", name the external agency.

Yes, Chokshi & Chokshi LLP and Suri & Co., the Bank's statutory auditor, have undertaken reasonable assurance of the Bank's BRSR Core Disclosures for FY 2024-25.

Note: *- In locations where an STP is available, the treated water is reused to minimise the need for fresh water. Water discharge is not measured in the Bank's offices/ branches other than the Bank's Head Office due to non-availability of flow meters and data is not being maintained in this regard. Further, since there are no standardised guidelines for estimating water discharge, the Bank is unable to estimate the water discharge. Waste water is discharged through the municipal sewers at the respective locations.

5. Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.

The Bank has installed Sewage Treatment Plant (STP) at its Head Office in Mumbai, its office in Belapur and ICBF, Hyderabad. The treated water is reused in the Air Conditioning Plant at the Head Office and at the office in Belapur. The treated water is used for gardening purpose in the ICBF. These measures aid in promoting water conservation and contribute towards sustainable operations.

6. Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity, in the following format:

Parameter	Unit	FY 2024-25	FY 2023-24
NOx	mg/m3	NA	2,856.88
SOx	mg/m3	NA	1.18
Particulate Matter (PM)	mg/m3	NA	150.36
Persistent organic pollutant (POP)	NA	NA	NA
Volatile organic compounds (VOC)	NA	NA	NA
Hazardous air pollutant (HAP)	mg/m3	NA	NA
Others- please specify	PPM	NA	NA

7. Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity, in the following format:

Parameter	Unit	FY 2024-25*	FY 2023-24^
Total Scope 1 emissions (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)	tCO2e	2,360.87	285.97
Total Scope 2 emissions (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)	tCO2e	57,763.14	13,832.24
Total Scope 1 and Scope 2 Emissions	tCO2e	60,124.01	14,118.21
Total Scope 1 and Scope 2 Emissions Intensity per rupee of turnover (Total Scope 1 and Scope 2 GHG Emissions/Revenue from operations)	tCO2e/ INR crore	1.78	0.47
Total Scope 1 and Scope 2 Emissions Intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Scope 1 and Scope 2 GHG Emissions/ Revenue from operations adjusted for PPP)	tCO2e/ million USD	3.67	1.04
Total Scope 1 and Scope 2 Emissions Intensity in terms of physical output (Total Scope 1 and Scope 2 GHG Emissions/ Full time Equivalent (FTE))	-	1.94	-
Total Scope 1 and Scope 2 Emissions Intensity (optional) – Full Time Employee	-	-	0.83

Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Yes/No). If "Yes", name the external agency.

Yes, Chokshi & Chokshi LLP and Suri & Co., the Bank's statutory auditor, have undertaken reasonable assurance of the Bank's BRSR Core Disclosures for FY 2024-25.

Note: *- The GHG emission data for FY 2024-25 is not comparable to that of FY 2023-24. For FY 2024-25, the Bank has considered energy consumption of all its 2,128 branches and 256 offices. The GHG emission – Scope 1 for FY 2024-25 includes emissions from fuel purchased in all locations (owned vehicles and Diesel Generators) and fugitive emission from fire extinguishers in the Bank's Head Office. Fugitive emissions from fire extinguishers are not considered from its 2,128 branches and 255 offices. Fugitive emissions from air conditioners have not been included for all its 2,128 branches and 256 offices. The GHG emission – Scope 2 for FY 2024-25 includes emissions from purchased electricity across its 2,128 branches and 256 offices. The emission factors for Diesel and Petrol are adopted from SEBI circular on Industry Standards. The emission factor for purchased electricity is adopted from the CO2 Baseline Database for the Indian Power Sector published by CEA – December 2024. Revenue from operations for computation of intensity in INR the CO2 Baseline Database for the Indian Power Sector published by CEA – December 2024. Revenue from operations for computation of intensity in INH is sum of interest income and other income excluding profit/(loss) on sale of land, buildings and other assets (net) as disclosed in the standalone financial statements. The conversion factor of 20.66/USD, published by the IMF (World Economic Outlook (April 2025) - Implied PPP conversion rate), has been used to calculate intensity-adjusted Purchasing Power Parity (PPP). In accordance with the SEBI guidelines, the Bank has disclosed the intensity in terms of physical output to be based on Full Time Equivalent (FTE) for FY 2024-25. For FY 2023-24, the Bank had disclosed the intensity per Full Time Employee as optional and classified intensity by INR turnover as intensity in terms of physical output.

^ - For FY 2023-24, the GHG emissions was considered for 17 locations, viz. the Bank's Head Office, its office in Belapur, ICBF, Hyderabad, and 14 Zonal Offices. The emissions data for 2,004 branches and 208 offices were not reported for FY 2023-24. The emission factor in FY 2023-24 was adopted from Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If Yes, then provide details.

Yes, the Bank has taken initiatives and implemented awareness campaigns to reduce energy consumption. The following measures have been taken up by the Bank for reducing its carbon footprint:

- Maximising use of natural light and using electrical lighting only when necessary.
- Replacing conventional lighting fixtures with LED lighting fixtures across branches and offices.
- Maintaining AC room temperature 25°C through Central AC/ Duct AC/ Split & Window AC.
- Switching off the lights in cabin and back-office area when not in use.
- Switching off the Desktop/PC when not in use for more than 30 mins.
- Turning off television, photocopier, shredder machine and other business automation equipment when not in use.
- Timely renewal of Annual Maintenance Contracts for all equipments.
- In Hyderabad Basera quarters, 100 kWp solar plant has been commissioned. 30 kWp and 10 kWp solar plant has been installed in Chembur Corporate Park and Bhubaneswar Zonal Office respectively. Water powered by solar panels have been installed in ICBF premises.
- Digitisation of the movement of memorandums for Board meetings, which resulted in saving of A4 sheets and avoiding 4.27 tCO2e of carbon emission for CY 2023-24.
- Digitisation of credit card statement helped in avoiding 4.66 tCO2e of carbon emission for CY 2023-24.
- New premises development project at ICBF with Indian Green Building Council (IGBC) green certification is underway and is expected to be completed by December 2026.
- Further, the Bank's lending policy encourages sustainable financing, thereby contributing positively in GHG reduction. To understand and manage the environmental impact of its financial activities, the Bank computed the financed emissions for a sample portfolio of the bank, providing a clearer picture of the carbon footprint associated with a part of its lending and investment portfolios.



To spread awareness and provide relevant information on climate risks, the Bank has published two editions of a quarterly climate risk newsletter. These newsletters feature articles and information aimed at educating stakeholders about the importance of addressing climate change and the steps being taken to mitigate its impact.

9. Provide details related to waste management by the entity, in the following format:

Parameter	FY 2024-25*	FY 2023-24^
Total Waste Generated (in Metric Tor	nnes)	
Plastic Waste (A)	4.30	4.99
E-Waste (B)	38.22	21.88
Bio-medical Waste (C)	0	0
Construction and Demolition Waste (D)	69.00	2.61
Battery Waste (E)	90.62	0
Radioactive Waste (F)	0	0
Other Hazardous waste. Please specify, if any. (G)	0	0
Other Non-hazardous waste generated (H). <i>Please specify, if any.</i> (Break-up by composition i.e. by materials relevant to the sector)	206.57	125.37
Total (A+B + C + D + E + F + G+ H)	408.71	154.85
Waste Intensity per rupee of turnover (Total waste generated/ Revenue from operations) (MT per crore INR)	0.01	0.01
Waste Intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total waste generated/ Revenue from operations adjusted for PPP) (MT per million USD)	0.02	0.01
Waste Intensity in terms of physical output (total waste generated/ Full time Equivalent (FTE))	0.01	-
Waste Intensity (optional) – Full Time Employee	-	0.01
For each category of waste generated, total waste recovered by nature	e of recovery method ((in metric tonnes)
Category of waste: Plastic waste	(A)	
(i) Recycled	-	-
(ii) Re-used	-	-
(iii) Other recovery operations	-	-
Total	-	-
For each category of waste generated, total waste disposed by nature	e of disposal method (in metric tonnes)
Category of waste: Plastic waste	(A)	
(i) Incineration	-	-
(ii) Landfilling	-	-
(iii) Other disposal operations	4.30	4.99
Total	4.30	4.99
For each category of waste generated, total waste recovered by nature	e of recovery method ((in metric tonnes)
Category of waste: E-waste (B)		
(i) Recycled	38.22	21.88
(ii) Re-used	-	-
(iii) Other recovery operations	-	
Total	38.22	21.88

	Category of waste: E-waste (I	3)	
(i)	Incineration	-	
(ii)	Landfilling	-	
(iii)	Other disposal operations	-	
Tota	al	-	-
For	each category of waste generated, total waste recovered by natu	ire of recovery metho	d (in metric tonnes)
	Category of waste: Construction and demo	lition waste (D)	
(i)	Recycled	-	-
(ii)	Re-used	-	-
(iii)	Other recovery operations	-	
Tota	al	-	-
For	each category of waste generated, total waste disposed by natu	re of disposal metho	d (in metric tonnes)
	Category of waste: Construction and demo	lition waste (D)	
(i)	Incineration	-	-
(ii)	Landfilling	-	-
(iii)	Other recovery operations	69.00	2.61
Tota	al	69.00	2.61
For	each category of waste generated, total waste recovered by natu	re of recovery metho	d (in metric tonnes)
	Category of waste: Battery wast	e (E)	
(i)	Recycled	90.62	-
(ii)	Re-used	-	-
(iii)	Other recovery operations	-	-
Tota	al	90.62	-
For	each category of waste generated, total waste disposed by natu	re of disposal metho	d (in metric tonnes)
	Category of waste: Battery wast	e (E)	
(i)	Incineration	-	-
(ii)	Landfilling	-	-
(iii)	Other disposal operations	-	-
Tota	al	-	-
For	each category of waste generated, total waste recovered by natu	re of recovery metho	d (in metric tonnes)
	Category of waste: Other Non-hazardous wa	ste generated(H)	
(i)	Recycled	-	-
(ii)	Re-used	-	
(iii)	Other recovery operations	-	-
	al		



For	For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)					
	Category of waste: Other Non-hazardous waste generated (H)					
(i)	n) Incineration -					
(ii)	Landfilling	-	-			
(iii)	Other disposal operations	206.57	125.37			
Tota		206.57	125.37			

Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Yes/No). If "Yes", name the external agency.

Yes. Chokshi & Chokshi LLP and Suri & Co., the Bank's statutory auditor, have undertaken reasonable assurance of the Bank's BRSR Core Disclosures for FY 2024-25.

Note: *- The waste data for FY 2024-25 is not comparable to that of FY 2023-24. For FY 2024-25, the waste data has been considered for the following 5 locations, viz. the Bank's Head Office, its office in Belapur, Zonal Offices at Ahmedabad, Bhopal and Nagpur. The data for e-waste and battery waste for FY 2024-25 has been reported for 2,128 branches and 256 offices. The data for construction and demolition waste for FY 2024-25 has been reported for the Bank's Head Office. Revenue from operations for computation of intensity in INR is sum of interest income and other income excluding profit/(loss) on sale of land, buildings and other assets (net) as disclosed in the standalone financial statements. The conversion factor of 20.66/USD, published by the IMF (World Economic Outlook (April 2025) - Implied PPP conversion rate), has been used to calculate intensity-adjusted Purchasing Power Parity (PPP). In accordance with the SEBI guidelines, the Bank has disclosed the intensity in terms of physical output to be based on Full Time Equivalent (FTE) for FY 2024-25. For FY 2023-24, the Bank had disclosed the intensity per Full Time Employee as optional and classified intensity by INR turnover as intensity in terms of physical output.

^ For FY 2023-24, waste data was considered for 3 locations - the Bank's Head Office, its office in Belapur and ICBF, Hyderabad.

Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

Since the Bank operates as a financial service provider, e-waste is one of the critical hazardous waste generated. The Bank has developed e-waste management policy, which covers all the offices and branches. The Bank follows the disposal guidelines laid down by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEFCC) wherein it ensures that all the e-waste is disposed of within 180 days of its generation. All the e-waste is disposed of only to the registered/ authorised recyclers. The Bank has also put in place system for tracking of the e-waste generated and disposed.

If the entity has operations/ offices in/ around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals/ clearances are required, please specify details in the following format:

This question is not applicable to the Bank being a financial service provider. However, the Bank endeavours to operate in a sustainable manner and ensures compliance with relevant environmental laws and regulations. The Bank's Credit Policy stipulates restrictions on environmentally detrimental industries such as those producing/ consuming ozone depleting substances while encouraging sustainable financing. Furthermore, the Bank's lending policy encourages sustainable financing.

12. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year:

Not applicable

Is the entity compliant with the applicable environmental laws/ regulations/ guidelines in India such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment protection Act and rules thereunder (Y/ N). If not, provide details of all such non-compliances, in the following format:

Yes, the entity is compliant with the applicable environmental laws/ regulations/ guidelines in India, such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act and Environment Protection Act and rules thereunder.

S.	Specify the law/	Provide details	Any fines/ penalties/	Corrective action taken, if
No.	regulation/ guidelines	of	action taken by regulatory	any
	which was not complied	non-compliance	agencies such as pollution	
	with		control boards or by courts	

Nil

Leadership Indicators

1. Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kilolitres):

For each facility/ plant located in areas of water stress, provide the following information:

- i. Name of area
- ii. Nature of operations
- iii. Water withdrawal, consumption, and discharge in the following format:

Para	ameter	Unit	FY 2024-25	FY 2023-24
	Water withdrawal	by source (in k	ilolitres)	
(i)	Surface Water	m3	-	-
(ii	Ground Water	m3	-	-
(iii)	Third Party Water	m3	-	-
(iv)	Seawater/ Desalinated Water	m3	-	-
(v)	Others	m3	-	-
Tota	I volume of water withdrawal (in kilolitres)	m3	-	-
Tota	I volume of water consumption (in kilolitres)	m3	-	-
	er intensity per rupee of turnover er consumed/ Turnover)	KL per crore INR of revenue	-	-
	er intensity (optional) - the relevant metric may elected by the entity		-	-
	Water discharge by destination		reatment (in kilolitres	5)
(i)	Into Surface water	m3		
	- No treatment	m3	-	-
	- With treatment- please specify level of treatment	m3	-	-
(ii)	Into Groundwater	m3		
	- No treatment	m3	-	-
	- With treatment- please specify level of treatment	m3	-	-
(iii)	Into Seawater	m3		
	- No treatment	m3	-	-
	 With treatment – please specify level of treatment 	m3	-	-
(iv)	Sent to third-parties	m3		
	- No treatment	m3	-	-
	- With treatment- please specify level of treatment	m3	-	-
(v)	Others	m3		
	- No treatment	m3		-
	- With treatment- please specify level of treatment	m3	-	-
	l water discharged ilolitres- KI)			



2. Please provide details of total Scope 3 emissions and its intensity in the following format:

Parameter	Unit	FY 2024-25°	FY 2023-24
Total Scope 3 Emissions (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)	tCO2e	1,573.92	Not Available
Total Scope 3 Emission Intensity per rupee of turnover (Total Scope 3 emissions/ Revenue from operations) (tCO2e per crore INR)	tCO2e/ INR	0.05	Not Available
Total Scope 3 emission intensity (optional) – in terms of physical output (Total Scope 3 emissions/ Full time Equivalent (FTE))	tCO2e/ FTE	0.05	Not Available

Note: * - For FY 2024-25, Scope 3 emissions are calculated for business travel category (only Air travel included) on spend basis. Revenue from operations for computation of intensity in INR is sum of interest income and other income excluding profit/(loss) on sale of land, buildings and other assets (net) as disclosed in the standalone financial statements.

 With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 10 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas alongwith prevention and remediation activities.

This question is not applicable to the Bank being a financial service provider. However, the Bank endeavours to operate in a sustainable manner and ensures compliance with relevant environmental laws and regulations. The Bank's Credit Policy stipulates restrictions on environmentally detrimental industries such as those producing/ consuming ozone depleting substances while encouraging sustainable financing. Furthermore, the Bank's lending policy encourages sustainable financing.

4. If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions/ effluent discharge/ waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives:

The Bank has undertaken a series of initiatives to promote energy efficiency and reduce environmental impact. Energy-efficient lighting systems have been installed at several premises, along with lighting sensors in cabins that automatically switch off lights when unoccupied. Use of natural daylight is encouraged in offices and branches wherever possible to reduce dependency on artificial lighting. Employees are regularly sensitised to switch off unused electronic devices including photocopiers, televisions, printers, and shredders.

The Bank has standardised AC operations at 25°-26°C and has replaced conventional Package ACs with energy-efficient models at the Head Office, Mumbai. Inverter/ Variable Refrigerant Flow (VRF) energy-efficient ACs have also been installed in selected new branches and Zonal Offices. The Bank ensures high energy efficiency by maintaining Power Factor near unity using Automatic Power Factor Correction (APFC) panels in Zonal Offices and major branches.

In renewable energy deployment, solar power plants of 30 kilowatts peak (kWp) and 10 kWp are functional at the Corporate Park office (Chembur, Mumbai) and Bhubaneshwar Zonal Office, respectively. A 100 kWp solar plant is being commissioned at officers' quarters in Basara, Hyderabad, while a 40 kWp unit is being installed at the Head Office, Mumbai. The Bank has also earmarked 18 owned properties across India for future solar installations.

To further reduce environmental impact, the Bank is refurbishing and reusing old furniture. Recycled water from STPs is used in gardening and for AC condenser operations. Electrical repairs are promptly addressed, with preventive maintenance of AC systems carried out regularly. Capacitor banks have been upgraded at the Belapur Office to minimise energy losses. These sustained efforts reflect the Bank's commitment to energy conservation and operational sustainability.

5. Does the entity have a business continuity and disaster management plan? Give details in 100 words/ web link.

In order to safeguard human life & to ensure continuity in banking services during disruption/ disaster the Bank has put in place a well-defined Business Continuity Management (BCM) framework. The Business Continuity Plan (BCP) documents for all the important departments, inter alia, incorporate the modalities, in an event of business disruption/

disaster and consequent recovery strategies & plans. Besides, a comprehensive Disaster Management Plan (DMP) is deployed for its major establishments to safeguard human lives and minimise damage to valuable assets during disaster. The resilience of these plans under different disruption scenarios are tested on an on-going basis through BCP testing exercises, DR drills & Holistic DR Drills for critical IT applications and mock evacuation drills are conducted at Bank's owned premises. The Bank's Business Continuity Management System (BCMS) is ISO 22301:2019 compliant. For more details refer to: (https://www.idbibank.in/pdf/basel/BCM-Disclosure.pdf).

6. Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard?

At present, no significant impact has been reported arising from value chain partners of the Bank.

7. Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impact.

The Bank is in the process of putting in place systems for assessing its value chain partners for compliance with environmental requirements. During FY 2024-25, self-declarations were collected from 57 value chain partners of the Bank affirming their compliance with environmental requirements.

Principle 7: Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent

Essential Indicators

1. (a) Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations.

The Bank is affiliated to numerous trade and industry chambers/ associations.

(b) List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of/ affiliated to.

S. No.	Name of the trade and industry chambers/ associations#	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/ National)
1.	Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)	National
2.	Confederation of Indian Industry (CII)	National
3.	Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI)	National
4.	Financial Benchmarks India Pvt Ltd (FBIL)	National
5.	Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India (FIMMDA)	National
6.	Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI)	National
7.	Forex Association of India (FAI)	National
8.	Indian Banks Association (IBA)	National
9	Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)	National
10.	Primary Dealers' Association of India (PDAI)	National

^{# -} The list of names is indicative and not exhaustive.

2. Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anti-competitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.

Name of authority	Brief of the Case	Corrective action taken	
Nil	NA	NA	



Leadership Indicators

1. Details of public policy positions advocated by the entity:

S.	Public policy	Method resort for	Whether the	Frequency of review by	Web Link, if
No.	advocated	such advocacy	information is	board (Annually/ Half	available
			available in public	yearly/ Quarterly/Other-	
			domain? (Yes/ No)	please specify	

The Bank engages in public advocacy responsibly and ethically by participating in discussions with governments, policymakers, regulators, industry bodies, trade associations, and other stakeholders.

Principle 8: Businesses should promote inclusive growth and equitable development

Essential Indicators

 Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.

As per Rule 8(3) of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, companies undertaking CSR projects with an outlay of ₹ 1 crore or more are required to conduct an impact assessment, provided the projects have been completed at least one year prior to the assessment.

Since the CSR projects funded by the Bank during FY 2024–25, which involve allocations of ₹ 1 crore and above, have not completed the stipulated one-year period, the impact assessments for these projects shall be undertaken in the subsequent financial years in compliance with the applicable regulations.

2. Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity

Not Applicable

3. Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.

The Bank is committed to ensuring that the benefits of its CSR initiatives are delivered in a fair and transparent manner across all target segments. Any grievances or complaints received by the implementing agencies are to be duly reported to the Bank. The General Manager overseeing the CSR function shall be responsible for reviewing and addressing such grievances. Furthermore, a report on the grievances and the actions taken shall be submitted to the Management Committee on CSR, ESG and Publicity. The redressal process shall be undertaken in alignment with the procedures outlined in the Bank's CSR Policy.

4. Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from local or small-scale suppliers:

			FY 2024-25	FY 2023-24
Directly	sourced	from	The Bank uses a prescribed tendering	process for procurement in line with the
MSMEs/ S	Small produc	ers	applicable guidelines. The Bank sources	consumables such as stationery, which is
Directly fro	Directly from within India one of the primary input materials, from local vendors. The Bank is in the process			ocal vendors. The Bank is in the process of
•			formalising the systems and processes to	capture and compute the percentage of
			input materials specifically obtained from M	ISME and local vendors.

5. Job creation in smaller towns – Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent/ on contract basis) in the following locations, as percentage of total wage cost

Location*	FY 2024-25	FY 2023-24
Rural	6.14%	6.75%
Semi-Urban	13.65%	14.75%
Urban	22.60%	23.12%
Metropolitan	57.61%	55.38%

Note: * - Location has been categorised as rural/ semi-urban/ urban/ metropolitan as per RBI Classification System.

Leadership Indicators

1. Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above):

Not Applicable

2. Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by government bodies:

S. No.	State	Aspirational District	Amount Spent (in INR)
1	Andhra Pradesh	Visakhapatnam	70,00,000.00/-
2	Bihar	Muzaffarpur	50,00,000.00/-
3	Jharkhand	Ranchi	19,50,000.00/-
4	Kerala	Wayanad	1,15,40,800.00/-
5	Madhya Pradesh	Chhatarpur	2,90,06,725.00/-
6	Madhya Pradesh	Singrauli	3,44,864.00/-
7	Odisha	Rayagada	29,67,300.00/-
8	Odisha	Malkangiri	29,67,300.00/-
9	Rajasthan	Baran	24,00,000.00/-
	Total		6,31,76,989.00/-

3. (a) Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalised/ vulnerable groups? (Yes/ No)

Yes. Bank is considering MSME/ National Small Industries Corporation Ltd. (NSIC) registered vendor exemptions from depositing Earnest Money Deposit (EMD) as per extant guidelines issued by Government of India from time-to-time.

(b) From which marginalised/ vulnerable groups do you procure?

The Bank does not maintain data in this regard. However, the Bank procures services/ goods from MSME registered vendors.

(c) What percentage of total procurement (by value) does it constitute?

The Bank does not maintain data in this regard.

4. Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge.

S. No.	Intellectual Property based on traditional knowledge	Owned/ Acquired (Yes/No)	Benefit Shared (Yes/ No)	Basis of Calculating Benefit Share	
Not applicable					

5. Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved.

Not applicable



6. Details of beneficiaries of CSR Projects.

Sr. No.	Description of Corporate Social Responsibility (CSR) Project	Total No. of Beneficiaries of CSR Projects	No. of Beneficiaries of CSR Projects from Vulnerable and Marginalised groups	%age of Beneficiaries of CSR Projects from Vulnerable and Marginalised groups
1	Disaster Management	600	600	100%
2	Education	63,911	33,943	53%
3	Ensuring Environmental Sustainability	20,310	17,062	84%
4	Gender Equality and Socio-economic Empowerment	62	52	84%
5	Healthcare	34,82,554	24,81,346	71%
6	Incubators/ Research and Development	6	6	100%
7	Livelihood Enhancement	2,104	2,104	100%
8	Measure for the benefit of armed forces veterans, war widows & their dependents	2,750	125	5%
9	Promoting Culture and Arts		Non-Measurable	
10	Promoting Sports	832	832	100%
	Total	35,73,129	25,36,070	71%

Principle 9: Business should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

Essential Indicators

1. Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.

The Bank employs a Centralised Complaint Management System to efficiently register, assign, and resolve customer grievances within a set turnaround time. All complaints, regardless of the channel through which they are received, are entered into this system. It includes a built-in escalation matrix to facilitate quick resolution. The system also maintains a detailed log of every registered grievance, tracking all events until the complaint is resolved or rejected.

2. Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/ service that carry information about:

Туре	As a percentage to total turnover
Environment and Social parameters relevant to product	Not applicable
Safe and responsible usage	The Bank consistently undertakes customer awareness initiatives focused on promoting secure banking habits and educating customers on cybercrime and fraud prevention. These campaigns leverage multiple communication platforms, including SMS, email, social media, the Bank's official website, ATMs, Go Mobile+, Internet Banking, in-branch interactions, and regional customer engagement events. The Bank also educates customers on using services like the Aadhaar Enabled Payment Service at Business Correspondent (BC) points, with key safety guidelines displayed on notice boards. Messages on secure transaction practices are regularly reinforced through emails and SMS and are embedded within critical documents such as Letters of Intent and loan agreements.
Recycling and/ or safe disposal	Not applicable

3. Number of consumer complaints

	FY 20)24-25		FY 20)23-24	
	Received	Pending at end of year	Remarks	rks Received Pending at end of year		Remarks
Data Privacy	4	Nil	-	4	Nil	-
Advertising	1	Nil	-	Nil	Nil	-
Cyber-security	4,505	14	Complaints relating to Unauthorised Electronic Banking Transactions (UEBT)	4,231	Nil	Complaints relating to Unauthorised Electronic Banking Transactions (UEBT)
Delivery of essential services	766	2	Complaints relating to non-receipt of deliverables, viz. ATM Cards, hard copy of i-net Pin, loan documents, etc.	518	10	Complaints relating to non-receipt of deliverables, viz. ATM Cards, hard copy of i-net Pin, loan documents, etc.
Restrictive Trade Practices	Nil	Nil	-	Nil	Nil	-
Unfair Trade Practices	2	Nil	-	Nil	Nil	-
Others – Consumer Complaints	44,230	138	All complaints except for the categories mentioned above	54,961	272	All complaints except above

4. Details of instances of product recalls on account of safety issues

Not Applicable

5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/ No) If available, provide a web-link of the policy.

Yes, the Bank has in place Board-approved Information Security and Cyber Security policies that outline a structured approach to mitigating cyber threats. These policies ensure protection against unauthorised access, safeguard the confidentiality and integrity of information, and guarantee the timely availability of IT resources for legitimate users. Both the Information Security Policy (ISP) and Cyber Security Policy (CSP) are published on the Bank's Intranet, communicated to employees and stakeholders, and reviewed periodically or when significant changes occur.

To further safeguard customer data and account information, the Bank has undertaken multiple security measures. It also provides clear Information Security guidelines and Do's and Don'ts on its website, offering practical tips to customers on how to keep their personal and financial information secure. These resources are accessible under the following links (https://www.idbibank.in/dos-donts-banking.aspx) and (https://www.idbibank.in/information-security.aspx).

6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty/ action taken by regulatory authorities on safety of products/ services.

With respect to advertising, no corrective actions have been taken or are underway by any regulatory/ statutory authority. Further, the Bank has not encountered any such incident relating to cyber security and data privacy of customers. Corrective actions shall be initiated as and when any such incidents happen as per laid down guidelines. All major IT incidences and IT security incidences are reported to the Information Technology Strategy Committee of the Board (ITSCB).

- 7. Provide the following information relating to data breaches:
 - (a) Number of instances of data breaches:
 - (b) Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers. Not applicable
 - (c) Impact, if any, of the data breaches.

 Not applicable



Leadership Indicators

 Channels/ platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).

Information regarding the Bank's products and services are available on the Bank's website (www.idbibank.in). Posts on the Bank's products and services are also available on the Bank's social media platforms, namely:

- Facebook (https://www.facebook.com/IDBIBank/)
- X (https://x.com/idbi_bank)
- Instagram (https://www.instagram.com/idbibankofficial/)
- LinkedIn (https://in.linkedin.com/company/idbi-bank)
- YouTube (https://www.youtube.com/IDBIBANK
- 2. Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/ or services

The Bank regularly conducts customer awareness campaigns aimed at promoting safe banking practices and raising awareness about cyber-crime and fraud prevention. These initiatives utilise various communication channels, including SMS/ Email, social media, the Bank's website, ATMs, Go Mobile+, Internet Banking, branch meetings and regional customer meets. Additionally, educational efforts cover the use of services like Aadhaar Enabled Payment Service at the BC points, with Do's and Don'ts published on notice boards to promote safe banking practices. Educational content on safe transaction methods is reinforced through regular communications such as emails and SMSes and integrated into key documents like Letters of Intent and loan agreements.

Further, to educate customers and to enable them to avail the services responsibly, the Bank has commenced incorporating additional specific details of the loan account in the statement of loan sent periodically which includes prevailing interest rate of loan and residual tenure. Further, in the scenario of any hike in interest rate due to upward revision in benchmark rates, customers are duly informed on the options available so that they may choose to make part payment to continue with existing EMI or increase the EMI to repay the loan within the existing tenor or increase the tenor to the extent possible or switchover to fixed rate of interest. Any revision in interest rates or service charges schedule, etc. affecting terms of loan of customers are duly hosted on the Bank's website.

3. Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/ discontinuation of essential services.

The customers are informed by way of emails, notices on the Bank's website, mobile applications banners, SMS alerts, calls, etc. The Bank has a well-defined Business Continuity Plan for all its processes and locations. In extreme situations for any location facing downtime, the customers are directed to the nearest locations and their transactions are attended appropriately.

4. Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? (Yes/ No/ Not Applicable)? If yes, provide details in brief. Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products/ services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole? (Yes/ No).

Detailed information about the Bank's products and services is hosted on its official website (www.idbibank.in) and displayed at various customer touchpoints. Further details can also be sought upon enquiry at the touchpoints. Additionally, any updates relating to products and services are shared through the Bank's emailers, SMSes, social media platforms. The Bank, in compliance with regulatory norms, also ensures that various notices are prominently displayed in the Bank's branches displaying details such as services available, service charges, interest rates, and grievance redressal mechanisms, etc. Further, the Bank shares detailed information such as applicable charges, interest rates, terms and conditions in a simple and easily comprehensible language at the time of onboarding to facilitate the customers to take informed decisions.

In adherence to RBI guidelines, the Bank conducts customer satisfaction (C-SAT) surveys. For FY 2024-25, the survey was held between February and March 2025, in partnership with an external agency. The survey used Computer-Assisted Telephone Interviewing (CATI), involving 3,200 respondents across 15 Zones of the Bank. This methodology focused on evaluating service quality, feedback on touchpoints, products, and processes, with the Net Promoter Score (NPS) as the key metric for measuring overall customer satisfaction.

INDEPENDENT PRACTITIONER'S REASONABLE ASSURANCE REPORT ON THE IDENTIFIED SUSTAINABILITY INFORMATION IN IDBI BANK LTD. (THE 'BANK') BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT FOR THE PERIOD FROM APRIL 1, 2024 TO MARCH 31, 2025

TO THE BOARD OF DIRECTORS OF IDBI BANK LTD...

We have undertaken to perform a reasonable assurance engagement, for IDBI Bank Ltd. ("the Bank") vide our appointment dated 5th November 2024 in respect of the agreed Sustainability Information listed below (the "Identified Sustainability Information" or "BRSR Core Indicators") in accordance with the criteria stated in paragraph 4 below. This Sustainability Information is included in the Business Responsibility and Sustainability Report (the "BRSR" or the "Report") in the Annual Report of the Bank for the year ended March 31, 2025, prepared by the management in accordance with the SEBI circulars SEBI/HO/CFD/CMD-2/P/CIR/2021/562 dated May 10, 2021, SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 and SEBI Circular SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2024/177 dated December 20, 2024. This Engagement was conducted by a team of Assurance Practitioners.

SCOPE OF ASSURANCE

- 2. Our scope of reasonable assurance consists of the Identified Sustainability Information ("ISI") listed in **Annexure A** to our report. The reporting boundary of the Report is as disclosed in Question 13 of Section A: General Disclosure of the BRSR with exceptions disclosed by way of note under respective questions of the BRSR, where applicable.
- 3. Our reasonable assurance engagement was with respect to the year ended March 31, 2025 information only and we have not performed any procedures with respect to earlier periods or any other elements included in the BRSR and, therefore, do not express any conclusion thereon.

REPORTING CRITERIA

- 4. The Reporting Criteria used by the Bank to prepare the Identified Sustainability Information is summarized below:
 - a. Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Listing Obligations and Disclosure Requirements (SEBI LODR), 2015 as amended;
 - b. Business Responsibility and Sustainability Reporting Requirements for listed entities as per SEBI circulars SEBI/HO/CFD/CMD-2/P/CIR/2021/562 dated May 10, 2021, SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2024/177 dated December 20, 2024.
 - c. Guidance notes for BRSR format issued by SEBI.

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY

- 5. The Bank's management is responsible for selecting or establishing suitable criteria for preparing the Sustainability Information including the reporting boundary of the Report, taking into account applicable laws and regulations, related to reporting on the Sustainability Information, identification of key aspects, engagement with stakeholders, content, preparation and presentation of the Sustainability Information in accordance with the Criteria.
- 6. This responsibility includes design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the BRSR and the measurement of Sustainability Information, which is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

INHERENT LIMITATIONS

7. The absence of a significant body of established practice on which to draw, to evaluate and measure non-financial information allows for different, but acceptable, measures and measurement techniques and can affect comparability between entities.



OUR INDEPENDENCE AND QUALITY CONTROL

- 8. We have maintained our independence and confirm that we have met the requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and SEBI circulars SEBI/HO/CFD/CMD-2/P/CIR/2021/562 dated May 10, 2021, SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2024/177 dated December 20, 2024, and its clarifications thereto and have the required competencies and experience to conduct this assurance engagement.
- 9. We apply Standards on Quality Control (SQC) 1, "Quality Control for Firms that Perform Audit and Review of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements", and accordingly maintain a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards, and applicable legal and regulatory requirements.

OUR RESPONSIBILITY

- 10. Our responsibility is to express a reasonable assurance conclusion on the Identified Sustainability Information listed in **Annexure A** based on the procedures we have performed and evidence we have obtained.
- 11. We conducted our engagement in accordance with the Standard on Sustainability Assurance Engagements (SSAE) 3000, "Assurance Engagements on Sustainability Information" and Standard on Assurance Engagements (SAE) 3410 Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements (together the "Standards"), both issued by the Sustainability Reporting Standards Board (the "SRSB") of the Institute of Chartered Accountants of India.
- 12. These standards requires that we plan and perform our engagement to obtain reasonable assurance about whether the Identified Sustainability Information listed in **Annexure A** and included in the Report are prepared, in all material respects, in accordance with the Reporting Criteria stated under paragraph 4 above.
- 13. As part of reasonable assurance engagement in accordance with Standards, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the engagement.
- 14. A reasonable assurance engagement involves assessing the risks of material misstatement of the Identified Sustainability Information whether due to fraud or error, responding to the assessed risks as necessary in the circumstances.
- 15. The procedures we performed were based on our professional judgment and included inquiries, observation of processes performed, inspection of documents, evaluating the appropriateness of quantification methods and reporting policies, analytical procedures and agreeing or reconciling with underlying records.
- 16. Given the circumstances of the engagement, in performing the procedures listed above, we:
 - a. Obtained an understanding of the Identified Sustainability Information and related disclosures;
 - b. Made enquiries of the Bank's Management and concerned departments of the Bank with the responsibility for preparation of the Report.
 - c. Tested the Bank's process for collating the sustainability information through agreeing or reconciling the identified Sustainability Information with the underlying records on a sample basis.
 - d. Performed substantive testing on a sample basis of the identified sustainability indicators, to verify that data had been appropriately measured with the underlying documents recorded, collated and reported. This included assessing records and performing testing, including recalculation of sample data.
 - e. Obtained an understanding of the processes, controls for recording and reporting on the certain Identified Sustainability Information for which actual data was considered i.e. Head Office and other locations under the reporting boundary and tested the consolidation of all the 15 Zonal Offices, its office in Belapur, Training College in Hyderabad and the Head Office in Mumbai to ensure the completeness of data being reported. This did not include testing of the design and operating effectiveness of the management systems and controls.
 - f. Performed analytical procedures to analyse trends in the historical data and accordingly ascertain the reasonableness of the data reported in the current year.

- g. Evaluated the reasonableness and appropriateness of significant estimates and judgements made by the management in preparation of the Identified Sustainability Information. Additionally, also verified the appropriateness of methodology adopted for the 2128 branches and 256 offices for certain indicators in compliance with SEBI Circular SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2024/177 dated December 20, 2024.
- h. Obtained representations from the Bank's management.

We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our reasonable assurance conclusion.

EXCLUSIONS

- 17. Our assurance scope excludes the following and therefore we do not express a conclusion on the same:
 - Operations of the Bank other than those mentioned in the "Scope of Assurance"
 - Aspects of the BRSR and the data/information (qualitative or quantitative) other than the Identified Sustainability Information.
 - Disclosures made under the Leadership Indicators section of the BRSR report, or any other voluntary ESG disclosures;
 - Data or statements included in the entity's annual report, integrated report, corporate website, or other public filings, unless expressly referenced under the BRSR Core Essential Indicators;
 - Data and information outside the defined reporting period i.e., April 1, 2024, till March 31, 2025.
 - The statements that describe expression of opinion, belief, aspiration, expectation, aim, or future intentions
 provided by the Bank.
- 18. Our conclusion does not relate to, or provide assurance on, any other data or information beyond the subject matter and time period explicitly defined within the scope of this engagement.

OTHER INFORMATION

- 19. The Bank's Management is responsible for the Other Information. The Other Information comprises the Information included within the BRSR and the Annual Report, other than Identified Sustainability Information and our Independent assurance report dated 18th June 2025 thereon.
- 20. Our Conclusion on the Identified Sustainability Information does not cover the Other Information and we do not express any form of assurance thereon.
- 21. In connection with our assurance engagement of the Identified Sustainability Information, our responsibility is to read the Other Information and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Identified Sustainability Information or otherwise appears to be materially misstated.
- 22. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

EMPHASIS OF MATTER

- 23. The Bank operates from its Head Office, 2128 Branches (including one international Branch), Other 256 Offices including learning centers. For the below mentioned essential indicators, viz.:
 - a. Principle 6, Question 1 of Essential Indicator relating to Energy Consumption
 - b. Principle 6, Question 3 of Essential Indicator relating to Water Consumption
 - c. Principle 6, Question 7 of Essential Indicator relating to greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions)

Bank has considered Information for 2128 branches and 256 offices based on methodology as notified by SEBI, which is detailed under respective disclosures.



- d. Principle 6, Question 9 of Essential Indicator relating to waste management - with respect to dry and wet waste, information is provided only for 5 locations, viz. the Bank's Head Office, its office in Belapur, Zonal Offices at Ahmedabad, Bhopal and Nagpur. The information for 2128 branches, 251 offices (including 12 zonal offices) have not been considered for this indicator.
- As described in Notes to BRSR Section C "Principle 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment" - Essential Indicator 4 "Details related to water discharged" the Bank has specified that water discharge is not measured in the Bank's offices/ branches other than the bank's Head Office due to non-availability of flow meters in place and further, since there are no standardised guidelines for estimating water discharge, the Bank is unable to estimate the water discharge.
- As described in Notes to BRSR Section C "Principle 8: Businesses should promote inclusive growth and equitable development" - Essential Indicator 4 "Percentage of Input material (input to total inputs by value) sourced from suppliers" and Schedule 18(C)(IV) of the Audited Financial Statements for the year ended March 31, 2025, the Bank is in the process of identifying complete list of Suppliers registered under MSME Act, 2006 and also compiling relevant information for purpose of disclosures.

However, as disclosed in relevant principles of Section C of the BRSR report, the balances/ ratios are not material considering the scale of business of the Bank.

Our assurance is not modified to the extent of matters stated in Para 21 to 23.

REASONABLE ASSURANCE CONCLUSION

Based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained, we are of the opinion that the Identified Sustainability information as mentioned in Annexure A is fairly presented, in all material respects, in accordance with the Reporting Criteria stated under paragraph 4 above.

RESTRICTION ON USE

- Our obligations in respect of this report are entirely separate from, and our responsibility and liability is in no way changed by, any other role we may have (or may have had) as auditors of the Bank or otherwise. Nothing in this report, nor anything said or done in the course of or in connection with the services that are the subject of this report, will extend any duty of care we may have in our capacity as auditors of the Bank.
- Our Reasonable Assurance report has been prepared and addressed to the Board of Directors of IDBI Bank Limited at the request of the Bank solely, to assist the Bank in reporting on Bank's sustainability performance and activities. Accordingly, we accept no liability to anyone, other than the Bank. Our Reasonable Assurance report should not be used for any other purpose or by any person other than the addresses of our report. We neither accept nor assume any duty of care or liability for any other purpose or to any other party to whom our Deliverables are shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For Chokshi & Chokshi LLP

Chartered Accountants FRN - 101872W / W100045

Hardik Yampat

Partner

Membership No. 194467 UDIN: 25194467BMLLDZ9614

Place: Mumbai Date: 18th June 2025 For Suri & Co.

Chartered Accountants FRN 004283S

Natarajan V

Partner

Membership No. 223118 UDIN: 25223118BMJLGO4468

Place: Mumbai Date: 18th June 2025

ANNEXURE A TO THE INDEPENDENT PRACTITIONER'S REASONABLE ASSURANCE REPORT ON THE IDENTIFIED SUSTAINABILITY INFORMATION IN IDBI BANK LTD (THE 'BANK') BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT

Principle	BRSR Indicator	Type of Assurance				
Principle 6: Bu	Principle 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment					
	Attribute 1: Green-house gas (GHG) footprint					
P6 Q7	Question 7: Details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) its intensity:	Reasonable Assurance. Also,				
	Total Scope 1 emissions	refer Paragraph 23, of the Report				
	Total Scope 2 emissions					
	Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee crore of turnover					
	Total Scope I and Scope 2 emission intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)					
	Attribute 2: Water footprint					
P6 Q3	Details of the following disclosures related to water:	Reasonable				
	Water withdrawal by source (in kilolitres)	Assurance. Also, refer Paragraph 23,				
	Total volume of water withdrawal (in kilolitres)	of the Report				
	Total volume of water consumption (in kilolitres)					
	Water intensity per rupee crore of turnover (Total water consumption/ Revenue from operations)					
	Water intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)					
	Water intensity in terms of physical output/ any other relevant metric					
P6 Q4	Details related to water discharged:	Reasonable				
	Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)	Assurance. Also, refer Paragraph 24,				
	Total water discharged (in kilolitres)	of the Report				



Principle	BRSR Indicator	Type of Assurance
	Attribute 3: Energy footprint	
P6 Q1	Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity:	Reasonable Assurance. Also, refer Paragraph 23, of the Report
	Total energy consumed from renewable sources	
	Total energy consumed from non-renewable sources	
	Energy intensity per rupee crore of turnover (Total energy consumed / Revenue from operations)	
	Energy intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
	Energy intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
Α	ttribute 4: Embracing circularity - details related to waste management by the	entity
P6 Q9	Provide details related to waste management by the entity:	Reasonable Assurance. Also, refer Paragraph 23, of the Report.
	Total Waste generated (in metric tonnes)	
	Waste intensity per rupee crore of turnover (Total waste generated/Revenue from operations)	
	Waste intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
	Waste intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
	For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)	
	For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)	
	Attribute 5: Enhancing Employee Wellbeing and Safety	
P3 Q1 (C)	Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent): Cost incurred on well-being measures as a % of total revenue of the company	Reasonable Assurance
P3 Q 11	Details of safety related incidents for Employees and Workers	
	Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked)	
	Total recordable work-related injuries	
	No. of fatalities	
	High consequence work-related injury or ill-health excluding fatalities)	

Principle	BRSR Indicator	Type of Assurance	
Principle 5: Bu	sinesses should respect and promote human rights		
Attribute 6: Enabling Gender Diversity in Business			
P5 Q3 (b)	Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity	Reasonable Assurance	
P5 Q7	Complaints led under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:	Reasonable Assurance	
	Total Complaints reported under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH)		
	Complaints on POSH as a % of female employees /workers		
	Complaints on POSH upheld		
Principle 8: Bu	sinesses should promote inclusive growth and equitable development		
	Attribute 7: Enabling Inclusive Development		
P8 Q4	Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers: a. Directly sourced from MSMEs/ small producers b. Directly from within India	Reasonable Assurance. Also, Refer Paragraph 25 of the Report	
P8 Q5	Job creation in smaller towns — Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent / on contract basis) in smaller towns, as % of total wage cost	Reasonable Assurance	
Principle 9: Bu	isinesses should engage with and provide value to their consumers in a respo	onsible manner	
	Attribute 8: Fairness in Engaging with Customers and Suppliers		
P9 Q7	Provide the following information relating to data breaches: a. Number of instances of data breaches	Reasonable Assurance	
	b. Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers		
	c. Impact, if any, of the data breaches		



Business Responsibility & Sustainability Report

Principle	BRSR Indicator		Type of Assurance
	sinesses should conduct and Accountable	nd govern themselves with Integrity, and In a mai	nner that is Ethical,
	Attri	bute 9: Open-ness of business	
P1 Q8	Number of days of account services procured)	s payable (Accounts payable *365) / Cost of goods/	Reasonable Assurance
P1 Q9	·	ourchases and sales with trading houses, dealers, and and advances & investments, with related parties	Reasonable Assurance
	Concentration of Purchases		
	Concentration of Sales		
	Share of RPTs in		
	a. Purchases (Purchases	s with related parties / Total Purchases)	
	b. Sales (Sales to related	I parties / Total Sales)	
	c. Loans & advances (Lo & advances)	pans & advances given to related parties / Total loans	
	d. Investments (Investme	ents In related parties / Total Investments made)	

For Chokshi & Chokshi LLP

Chartered Accountants FRN - 101872W / W100045

Hardik Yampat

Partner

Membership No. 194467 UDIN: 25194467BMLLDZ9614

Place: Mumbai Date: 18th June 2025

For Suri & Co.

Chartered Accountants FRN 004283S

Natarajan V

Partner

Membership No. 223118 UDIN: 25223118BMJLGO4468

Place: Mumbai Date: 18th June 2025

एकल वित्तीय विवरण Standalone Financial Statements



आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक') के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिनमें 31 मार्च 2025 का तुलन पत्र, इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते और नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं (इसमें इसके बाद ''एकल वित्तीय विवरणों'' के रूप में संदर्भित किया गया).

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त एकल वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश. बैंकिंग कंपनियों से यथा अपेक्षित, की वांछित जानकारी प्रदान करते हैं और कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2021 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133, लागू होने की सीमा तक यथा संशोधित, के अंतर्गत लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2025 को बैंक के कार्यों की स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के उसके लाभ तथा इसके नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं.

अभिमत हेत आधार

हमने अपनी एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के बारे में मानकों (एसए) के अनुरूप की है. उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के 'एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेत् लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व' भाग में वर्णित हैं. हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता साथ ही अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुरूप अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि एकल वित्तीय विवरणों के बारे में हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह पर्याप्त और उपयुक्त है.

लेखापरीक्षा के मुख्य मामले

लेखापरीक्षा के मुख्य मामले (केएएम) वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में चालू वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे. इन मामलों का एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं. हमने नीचे वर्णित मामलों को लेखापरीक्षा के मुख्य मामलों के रूप में अपनी रिपोर्ट में संपेषित करने का निश्चय किया है:

To the Members of

IDBI Bank Limited

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

We have audited the standalone financial statements of IDBI Bank Limited ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2025, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the standalone financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "Standalone Financial Statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 as well as the Companies Act, 2013 (the 'Act') and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time, in the manner so required for banking companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act, read with Companies (Accounting Standards) Rules, 2021 as amended to the extent applicable, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2025, and its profit, and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the Standalone Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing ('SAs') specified under Section 143 (10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the

'Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements' section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI') together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act, and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us, is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the standalone financial statements.

Key Audit Matters

Key audit matters (KAM) are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

लेखापरीक्षा के मुख्य मामले

हमारी लेखापरीक्षा में केएएम का समाधान कैसे किया गया

आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण और मापन

कपया एकल वित्तीय विवरणों का नोट 18(बी)(8) का संदर्भ लें. बैंक ने 31 मार्च 2025 को ₹ 5982 करोड की निवल आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण किया है, जो वर्ष के दौरान ₹ 2978 करोड़ के निवल रिवर्सल के बाद है. आस्थिगित कर की मान्यता में इन आस्तियों की वसुली की संभावना के बारे में निर्णय शामिल है, विशेष रूप से क्या भविष्य की अवधि में पर्याप्त कर योग्य लाभ होगा जो इन आस्तियों की निर्धारण का समर्थन करेगा. इन आस्थगित कर आस्तियों को वसुली योग्य या अन्यथा मानने में शामिल निर्णय की डिग्री को देखते हुए, हम इसे एक मुख्य लेखापरीक्षा मामला मानते हैं.

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में बैंक पर लागू कर कानूनों और प्रासंगिक विनियमों की समझ हासिल करना शामिल था. हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं:

- एएस 22 आय पर कर के लिए लेखांकन के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण और मापन के लिए अपनाई गई नीतियों का मुल्यांकन;
- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त पूर्वानुमानों और अन्य मापदंडों के आधार पर लाभों की उपलब्धता की संभावना का मूल्यांकन किया गया, जिसमें से बैंक संदर्भित पूर्वानुमान के अनुसार भविष्य में इस आस्थिगित कर आस्ति का उपयोग कर पायेगा, जैसा निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति ने नोट किया.
- लागू कर दरों के संदर्भ में आस्थिगित कर आस्ति का निर्धारण करने में अपनाई गई पद्धित का मूल्यांकन किया गया तथा अंकगणितीय परिशुद्धता का परीक्षण किया गया.

अग्रिमों से आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा विनियामक मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण

कृपया अनुसूची 9 का संदर्भ लें, इसे एकल वित्तीय विवरणों की प्रासंगिक टिप्पणियों तथा अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में घट-बढ़ के संबंध में आस्ति गुणवत्ता और संबंधित प्रावधानों के साथ पढ़ें.

जैसा कि अग्रिमों से संबंधित आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों और रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों, अधिसूचनाओं और निदेशों के तहत आवश्यक, जिन पर हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के अंतर्गत अग्रिमों से संबंधित आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के बारे में आंतरिक नियंत्रणों और समुचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण शामिल था. विशेषकर:

अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में रिजर्व बैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के पालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया; Key Audit Matters

How KAM was addressed in our audit

Recognition and Measurement of Deferred Tax Asset

Please refer to Note 18(B)(8) of the Standalone Financial Statements. The Bank has recognised a net deferred tax asset of Rs.5,982 Crores as of March 31st, 2025, after a net reversal of Rs.2,978 Crores during the year. The recognition of deferred tax involves judgement regarding the likelihood of realisation of these assets, particularly whether there will be sufficient taxable profits in future periods that will support the recognition of these assets. Given the degree of judgement involved in considering these deferred tax assets as recoverable or otherwise, we consider this to be a Key Audit Matter.

Our audit procedures involved gaining an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. Our audit procedures included:

- Evaluation of policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income;
- Assessment of probability the Ωf the availability Ωf profits based on assumptions and other parameters used by the Management against which the Bank will be able to use this deferred tax asset in the future, with reference to forecast as noted by the Audit Committee of the Board of Directors.
- Assessed the method for determining the Deferred Tax Asset with reference to applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy.

Income Recognition and Asset Classification of Advances (IRAC) and provisioning as per regulatory norms

Please Refer to Schedule 9, read with relevant Notes to the Standalone Financial Statements, and Asset Quality in respect of movement of Non-Performing Assets (NPAs) and related provisions.

As required under prudential norms issued by the Reserve Bank of India (RBI) in respect of asset classification and provisioning pertaining to advances, and relevant circulars, notifications and directions issued by the RBI

Our audit approach included testing the design and operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in respect of asset classification and provisioning pertaining to advances. In particular:

Evaluated the Bank's internal control system in adhering to the relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances;



बैंक द्वारा 31 मार्च 2025 तक सामृहिक रूप से विचार गया था. बैंक अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक अग्रिमों (एनपीए) में वर्गीकृत करता है, जिसमें मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानि श्रेणियां शामिल हैं और उचित प्रावधान करता है. अग्रिमों का वर्गीकरण, प्रावधान और बट्टे खाते में डालना एक मुख्य लेखापरीक्षा मामला है क्योंकि बैंक के पास विभिन्न क्षेत्रों, उत्पादों, उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उधारकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण ऋण जोखिम एक्सपोजर है. अग्रिमों की वसूली, लेन-देनों की प्रकृति और उन पर प्रावधानों का अनुमान लगाने और बट्टे खाते में डाले जाने वाले खातों की पहचान करने में जटिलता, अनिश्चितता और निर्णय का उच्च स्तर शामिल है. बैंक विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कारकों को लाग करता है.

लेन-देनों की प्रकृति, विनियामक आवश्यकताओं, मौजुदा कारोबारी माहौल, उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति का आकलन करने में शामिल अनुमान/ निर्णय के साथ-साथ प्रतिभृतियों के मुल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, हमने इसे मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है.

- आस्ति वर्गीकरण (मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानि), उनके बीते- देय दिनों(डीपीडी) की स्थिति (एनपीए के गैर-वित्तीय मापदंडों पर विचार, कार्यशील पंजी ऋणों में क्रेडिट की पर्याप्तता, पुनर्गठन दिशानिर्देश, विनियामक पैकेज और समाधान ढांचा) और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान के संबंध में उनके डिजाइन और कार्यान्वयन के साथ-साथ प्रासंगिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए प्रयुक्त प्रमुख आईटी प्रणालियों/ एप्लिकेशन का परीक्षण किया
- रिकॉर्ड की गई राशियों की वैधता, ऋण दस्तावेजीकरण, खातों के विवरण की जांच. हास के संकेतक, अनर्जक आस्तियों के लिए हास प्रावधान और लागृ रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों के संदर्भ में अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण. आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के अनुपालन के लिए अग्रिमों की जांच की गई:
- मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाता विवरणों और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा की गई.
- शाखाओं/ कार्यालयों दौरा किया दस्तावेजीकरण और अन्य रिकार्डों की जांच भी की.

which were collectively considered by the Bank till March 31, 2025, the Bank classifies advances performing and non-performing advances (NPA), which consists of Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss categories and makes appropriate provisions.

The Classification, Provisioning and Write off of Advances, is a Key Audit Matter as the Bank has significant credit risk exposure to a large number of borrowers across various sectors, products, industries and geographies. There is a high degree of complexity, uncertainty and judament in recoverability involved of advances, the nature of transactions and estimation of provisions thereon and identification of accounts to be written off. The Bank applies both quantitative as well as qualitative factors prescribed by the regulations.

Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment. estimation judgment involved in assessing financial condition of borrowers as well as valuation of securities, we have determined this as Key Audit Matter.

- Tested key IT systems/ applications and their design and implementation well as operational effectiveness of relevant controls. in relation to asset classification (standard, standard, doubtful and loss) with reference to days-past-due (DPD) status (including consideration of nonfinancial parameters of NPA, sufficiency of credits in working capital restructuring loans. guidelines. the Regulatory Package and Resolution framework) provisioning pertaining to advances;
- Test checked advances to examine the validity of the recorded amounts, documentation. examined the statement of accounts, indicators impairment, impairment provision for non-performing assets, and compliance with income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances in terms applicable guidelines;
- Reviewed account statements and other related information of the borrowers selected based on quantitative and qualitative factors.
- We have also carried out visits to branches / offices and examination of documentation and other records.

- चयनित अनर्जक अग्रिमों के लिए, हमने प्रबंधन के पूर्वानुमान और वसूली योग्य नकदी प्रवाह, उधारकर्ता के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, अंतर्निहित प्रतिभूति और संपार्श्विक का मूल्यांकन, चूक पर वसूली योग्य राशियों के अनुमान और पुनर्भुगतान के अन्य स्रोतों के इनपुट का आकलन किया;
- रिजर्व बैंक विनियमों के अनुपालन के लिए अग्रिमों पर प्रावधान करने के लिए बैंक की प्रक्रियाओं और प्रावधान के लिए आंतरिक रूप से निर्धारित नीतियों का परीक्षण किया:
- स्वचालित ई-एनपीए प्रणाली को देखा और लेखापरीक्षा जगत पर विचार करते हुए चयनित नमूनों के लिए मुख्य कार्य का परीक्षण किया.
- आईआरएसी मानदंडों और विनियामक पैकेज के संदर्भ में सामूहिक प्रावधानों की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंडों को मान्य किया गया:
- रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार 31 मार्च 2025 को धोखाधड़ी वाले खातों के लिए किये गये प्रावधान का परीक्षण किया:
- हमारी मूलभूत लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के भाग के रूप में, खुदरा और कॉरपोरेट पोर्टफोलियो के नमूने के लिए प्रावधानों की गणना पुनः की गई, ताकि इसकी सटीकता का निर्धारण किया जा सके; (मानक पोर्टफोलियो के लिए सामूहिक और अनर्जक पोर्टफोलियो के लिए मामला विशिष्ट).

- For the selected nonperforming advances, we assessed Management's forecast and inputs of recoverable cash flows borrower's financial audited statements, valuation of underlying security and collaterals, estimation of recoverable amounts on default and other sources of repayment;
- Tested the Bank's processes for making provision on advances for compliance with RBI regulations and internally laid down policies for provisioning;
- Undertaken the walkthrough for the automated E-NPA system and tested the core functionality for selected samples considering the audit universe.
- Validated the parameters used to calculate collective provisions with reference to IRAC norms and the Regulatory Package;
- Tested provision created for fraud accounts as at March 31, 2025 as per the RBI circular;
- Re-performed the calculation of provisions, for a sample of retail and corporate portfolios, as part of our substantive audit procedures, to determine the accuracy of the same; (Collective for standard portfolio and case specific for non performing portfolio).



- बैंक के प्रबंधन के साथ उन क्षेत्रों पर चर्चा की गई जहां ऋण जोखिम की आशंका है और प्रबंधन द्वारा चिन्हित दबावग्रस्त क्षेत्रों से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए उताए गए कदमों पर चर्चा की गर्ड
- रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन किया

सूचना प्रौद्योगिको (आईटी) प्रणालियां और वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण

बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग, आईआरएसी और टेजरी समाधानों तथा अन्य सहायक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर अत्यधिक निर्भर हैं. आईटी नियंत्रण माहौल में कमी होने पर वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग रिकार्डों के अत्यधिक रूप से गलत होने का जोखिम बना रहता है. अतः आईटी नियंत्रणों से यह सनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि एप्लिकेशन डेटा को अपेक्षित रूप से संसाधित करें और परिवर्तन उचित तरीके से किए जाएं. बैंक के आईटी नियंत्रण ढांचे में स्वचालित, अर्ध-स्वचालित और मैनअल नियंत्रण शामिल हैं, जिन्हें पहचाने गए जोखिमों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है. आईटी नियंत्रणों को एंटिटी लेवल कंट्रोल्स (ईएलसी), आईटी जनरल कंटोल्स (आईटीजीसी) और आईटी एप्लीकेशन कंटोल्स (आईटीएसी) में वर्णित किया गया है. इस तरह के नियंत्रण गलत आउटपुट डेटा के जोखिम को कम करने में योगदान देते हैं.

हमने आईटी नियंत्रण ढांचे को एक मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है क्योंकि बैंक का व्यवसाय प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है. आईटी वातावरण जटिल है और आईटी नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर सीधा इस मामले के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

आईटी सामान्य नियंत्रण (आईटीजीसी). एप्लिकेशन नियंत्रण (आईटीएसी) और आईटी आश्रित मैनुअल नियंत्रण के परीक्षण के लिए:

- हमने बैंक की आईटी प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई, डिजाइन किया और वांछित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं अपनाई और नमना जांच की.
 - बैंक में कार्यान्वित आईटी एप्लिकेशनों के परिदृश्य की व्यापक समझ प्राप्त की. इसके बाद प्रक्रिया की समझ, उससे एप्लिकेशनों की मैपिंग और मानव-प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी से उत्पन्न वित्तीय जोखिमों को समझा गया.
- मुख्य आईटी परीक्षण प्रक्रियाओं में पूर्णता, वैधता, पहचान/ प्रमाणीकरण, प्राधिकरण, अखंडता और जवाबदेही जैसे विभिन्न मापदंड शामिल हैं. एप्लिकेशनों से स्वचालित नियंत्रणों के परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना था कि क्या नियंत्रण अनधिकृत लेनदेनों

- Discussed with the management of the Bank on sectors where there is perceived credit risk and the steps taken by management to mitigate the risks pertaining to identified stress sectors
- Assessed the adequacy of disclosures against the RBI Guidelines

Information Technology (IT) Systems and Controls over financial reporting

Bank's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on Core Banking, IRAC, Treasury Solutions and other supporting software and hardware controls. There exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting records being materially misstated. Hence the IT controls are required to ensure that applications process data as expected and that changes are made in an appropriate manner. The Bank's IT control framework includes automated, semiautomated and manual controls designed to address identified risks. IT controls are stated in Entity Level Controls (ELC), IT General Controls (ITGC) and IT Application Controls (ITAC). Such controls contribute to risk mitigation of erroneous output

We have identified IT Controls Framework as a Key Audit Matter as the Bank's business is highly dependent on technology. The IT environment is complex and the design and operating effectiveness of IT controls have a direct impact on its financial reporting process. controls provide assurance on the integrity and completeness

Our Audit procedures with respect to this matter included:

For testing the IT general controls (ITGC), application controls (ITAC) and IT dependent manual controls.

- We have planned, designed and carried out the desired audit procedures and sample checks, taking consideration the IT systems of the Bank.
- Obtained a comprehensive understanding of IT applications landscape implemented at the Bank. It was followed by process understanding, mapping of applications same the understanding financial risks posed by peopleprocess and technology.
- The key IT Testing procedures includes various parameters such as Completeness, Validity, Identification/ Authentication, Authorization, Integrity and Accountability. Focus of testing automated controls from applications was whether

प्रभाव पड़ता है. इस तरह के नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टें तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न आईटी एप्लिकेशनों के माध्यम से संसाधित डेटा की अखंडता और पूर्णता का आश्वासन पदान करते हैं. को रोकते हैं या उनका पता लगाते हैं और लेनदेनों की पूर्णता, सटीकता, प्राधिकरण और वैधता सहित वित्तीय उद्देश्यों का समर्थन करते हैं.

- आईटीजीसी परीक्षण में, नमना आधार पर. हमने उपयोगकर्ता पहंच प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन और आईटी परिचालन नियंत्रण के अन्य पहलुओं जैसे नियंत्रण क्षेत्रों की समीक्षा की. इसमें सिस्टम में एक्सेस हेत् अनुरोध की समीक्षा करना और प्राधिकत होने का परीक्षण शामिल है. हमने नमना आधार पर लेखापरीक्षा की जांच को रिकॉर्ड करने की प्रणाली की भी समीक्षा की तथा महत्वपर्ण एप्लिकेशनों के लिए लेखापरीक्षा जांच प्रणाली पर बैंक द्वारा प्राप्त रिपोर्टों की भी समीक्षा की.
- आईटीएसी के लिए, हमने सिस्टम गणनाओं की सटीकता का आकलन करने हेतु नमूना आधार पर सिस्टम कार्यक्षमता के अनुपालन का परीक्षण किया.
- उपरोक्त के अलावा, पूछताछ, दस्तावेजीकरण / रिकॉर्ड / रिपोर्टों की समीक्षा जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके कुछ स्वचालित नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता, जिन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग पर मुख्य आंतरिक प्रणाली नियंत्रण माना जाता था का परीक्षण किया गया.
- इसके अतिरिक्त, हमने बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा की गई आईएस लेखापरीक्षा पर भी भरोसा किया है.

of data processed through various IT applications which are used for the preparation of financial reports.

- controls prevent or detect unauthorized transactions and support financial objectives including completeness, accuracy, authorization and validity of transactions.
- In ITGC testing, on sample basis. reviewed control areas such as User Access Management, Change Management, and other aspect of IT operational controls. This includes testing that request for access to systems were reviewed and authorised. We have also reviewed system of recording the audit trials on a sample basis and also reviewed the reports obtained by the bank on the Audit trial system for critical applications.
- For ITAC, we carried out on sample basis, compliance tests of system functionality in order to assess the accuracy of system calculations.
- In addition to the above, the design and operating effectiveness of certain automated controls, that were considered as key internal system controls over financial reporting were tested. Using various techniques such as inquiry, review of documentation / record / reports
- In addition, we have also relied on IS audit conducted by internal audit department of the Bank.



निवेश पोर्टफोलियों के लिए रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों में संक्रमण

कृपया निवेशों से संबंधित रिजर्व बैंक के नए परिपत्र में संक्रमण से संबंधित प्रासंगिक नोट 18(ए)(3)(जी) के साथ पठित अनुसुची 8 देखें.

बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों, बांड, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश किया है. 01 अप्रैल 2024 से बैंक ने निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों को अपनाया है और तदनुसार अपने निवेश पोर्टफोलियो को पुनः वर्गीकृत किया है.

निवेशों का मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधान महत्वपूर्ण कार्य हैं.

डेरिवेटिव का मूल्यांकन बाहरी इनपुट वाले मॉडल के माध्यम से किया जाता है. बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में मुख्य रूप से ऐसे लेनदेन शामिल हैं जो उसके ग्राहकों की ओर से निष्पादित किए जाते हैं (और दुतरफा कवर किए जाते हैं) और बैंक की ब्याज दर और विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए किए गए लेनदेन शामिल हैं.

बैंक ने अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को भी उचित मूल्य पदानुक्रम के आधार पर स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत किया है.

हमने निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए रिजर्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों में संक्रमण और डेरिवेटिव को मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है, क्योंकि इनमें अत्यधिक जटिलता और निर्णय शामिल हैं. हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में रिजर्व बैंक के नए परिपत्र में संक्रमण के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को समझना शामिल था.

- हमने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित बैंक के आंतरिक नोट की समीक्षा की है जिसमें रिजर्व बैंक के नए परिपत्र में संक्रमण के लिए दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है:
- रिजर्व बैंक के नए परिपत्र में संक्रमण हेतु बैंक द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को समझने के लिए प्रबंधन के साथ पूछताछ की:
- प्रतिभृतियों की प्रत्येक श्रेणी के वर्गीकरण हेतु विचार किए गए औचित्य की समीक्षा की;
 - निवेशों से संबंधित मूल्यांकन, एनपीआई की पहचान, प्रावधान/ मूल्यहास के संबंध में रिजर्व बैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और समझा गया;
- प्रासंगिक दस्तावेज / रिकॉर्ड / रिपोर्टों की समीक्षा की:
- रिजर्व बैंक के नए पिरपत्र में संक्रमण के संबंध में बोर्ड और इसकी समिति की बैठकों के कार्यवृत्त का अवलोकन किया;
- रिजर्व बैंक के प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन की समीक्षा की;
 - बैंक की लेखांकन नीति की समीक्षा की;
 - 31 मार्च 2025 को बैंक के निवेशों के मूल्यांकन का स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया;

Transition to Revised RBI Guidelines for Investment Portfolio

Please refer to Schedule 8 read with relevant Note 18(A)(3)(g) relating to transition to new RBI Circular related to Investments.

The Bank has made investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts, and other approved securities. With effect from April 01, 2024, the Bank has adopted the revised guidelines issued by RBI for classification, valuation and operation of investment portfolio and accordingly, re-classified its investment portfolio.

Valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments are critical functions.

Derivatives are valued through models with external inputs. The derivatives portfolio of the Bank primarily includes transactions which are executed on behalf of its clients (and are covered on a back-to-back basis) and transactions to hedge the Bank's interest rate and foreign currency risk.

The Bank has also classified its derivatives portfolio based on the fair value hierarchy as Level 1. Level 2 and Level 3.

We have identified the transition to the revised RBI Guidelines for Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio and derivatives as the Key Audit Matter considering its high degree of complexity and judgements involved.

Our audit procedure involved gaining an understanding of the approach adopted by the Bank for transition to the new RBI Circular.

- We have reviewed the internal note of the Bank, duly approved by the Board, describing the approach for transition to the new RBI Circular;
- Carried out inquiry with the management to understand the approach adopted by the Bank for transition to the new RBI Circular;
- Reviewed the rationale considered for classification of each category of the securities;
- Evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with the relevant RBI guidelines regarding valuation, identification of NPIs, provisioning / depreciation related to investments;
- Review of relevant document / records / reports;
- Perused minutes of the Board and its Committee meetings regarding transition to the new RBI Circular;
- Reviewed compliance with the relevant RBI Circulars;
- Reviewed the Accounting Policy of the Bank;
- Independently verified valuation of investments of the Bank as on March 31, 2025;

- बैंक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन पद्धतियों की तर्कसंगतता को समझने के लिए डेरिवेटिव के मूल्यांकन के लिए विचार किए गए मूल्य की नमूना-जांच के आधार पर समीक्षा की:
- रिजर्व बैंक के नए पिरपत्र में संक्रमण के लिए वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता का आकलन किया.

एकल वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने के लिए बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल उत्तरदायी है. अन्य जानकारी में प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण, कारोबारी उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में निदेशकों की रिपोर्ट, कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है. अन्य जानकारी इस लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की आशा है.

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी तरह का आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं.

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमें उपलब्ध कराए जाने पर ऊपर निर्दिष्ट अन्य जानकारी का अध्ययन करें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों से अथवा लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त की गई सूचना से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से मिथ्यावर्णन प्रतीत होती है.

जब हम अन्य जानकारी का अध्ययन करते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई तात्विक मिथ्यावर्णन है, तो हमारे लिए उस तथ्य को अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को उसकी सचना देना आवश्यक है.

एकल वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन एवं अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (लेखा मानक) नियम 2021, यथा संशोधित, जहां तक वे बैंकों पर लागू होते हैं, और बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा बैंक पर लागू, भारतीय रिजर्व बैंक ('रिजर्व बैंक') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के तहत, लेखांकन मानकों में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यीनष्पादन एवं नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं. इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों के अनुरक्षण के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों और रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखना, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत

- Reviewed, on testcheck basis, price considered for valuation of derivatives to understand reasonableness of the valuation methodologies used by the Bank;
- Assessed the appropriateness of the related disclosures in the financial statements for transition to the new RBI Circular.

Information other than the standalone financial statements and Auditor's Report thereon

The Bank's management and Board of Directors are responsible for preparation of Other Information. The other information comprises the Management Discussion and Analysis, Business Responsibility and Sustainability Report, Directors' Report forming part of the Annual Report, Corporate Governance Report but does not include the Standalone Financial Statements, Consolidated Financial Statements and our auditor's report thereon. The other information is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the Other Information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

The Bank's management and Board of Directors are responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Act with respect to the preparation and presentation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Accounting Standards specified under Section 133 of the Act read with Companies (Accounting Standards) Rules, 2021 as amended, in so far as they apply to banks, provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India ('RBI') from time to time, as applicable to the Bank. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act and the RBI Guidelines, for safeguarding of the assets of the Bank and for



निर्णय लेना और पूर्वानुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उन्हें बनाए रखना, जो सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करने वाली धोखाधड़ी या गलती के कारण होने वाले तथ्यात्मक मिथ्या कथन से मुक्त एकल वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तृत करने से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित हैं, भी

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन और निदेशक मंडल कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की क्षमता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन की कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह है जब तक कि निदेशक मंडल का इरादा बैंक का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो या ऐसा न करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो.

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है.

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रृटि के कारण कोई महत्वपूर्ण मिथ्या कथन न हो और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी हो जिसमें हमारी राय शामिल हो. उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एसए के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में पहले से मौजूद महत्वपूर्ण मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए. धोखाधड़ी या त्रृटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर हो सकता है और इसे महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब इनकी अकेले या समग्र रूप से इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को उचित रूप प्रभावित करने की संभावना हो सकती हो.

एसए के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं. हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- एकल वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन, चाहे वह धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए हों, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करना और उन पर कार्रवाई करना तथा हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो पर्याप्त और उचित हों. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, कपट, जानबूझ कर छोड़ी गई त्रुटियां, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है.
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना जो उन परिस्थितियों के लिए उचित हो. अधिनियम की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था मौजूद है तथा क्या इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है.
- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन एवं निदेशक मंडलों द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों का औचित्य एवं एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों का मृल्यांकन करना.

preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, the Management and Board of Directors are responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable. matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone **Financial Statements**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an Auditor's Report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the bank has adequate internal financial controls with reference to standalone financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures in the standalone financial statements made by the Management and Board of Directors.

- बैंक के प्रबंधन और निदेशक मंडल के लेखांकन के कार्यशील संस्था के रूप में उपयोग करने के उपयुक्तता पर अपना निष्कर्ष देना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इस बात का पता लगाना कि क्या उन घटनाओं या पिरिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चतता मौजूद है जो कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की क्षमता पर सार्थक संदेह व्यक्त कर सकती हो. यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चतता विद्यमान है तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों में इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं है तो हमें अपने अभिमत को संशोधित करना होगा. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर आधारित हैं. तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने न रहने का कारण बन सकती हैं.
- प्रकटन सिंहत एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का मूल्यांकन करना तथा क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं का निरूपण इस ढंग से करते हैं कि वे निष्पक्ष प्रस्तुति कर सकें

हम बैंक में अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे, उसकी अवधि और लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण किमयों सिहत लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में अवगत कराते हैं.

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को वक्तव्य भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और साथ ही सभी संबंधों और उन मामलों जो हमारी स्वतंत्रता को उचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं, और जहां भी लागू हो वहां उनसे संबंधित सावधानियों की भी जानकारी देते हैं.

अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को सूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो चालू वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे और जो इसलिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं. हम उन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन द्वारा इस मामले के सार्वजनिक प्रकटन के लिए या तो रोका न जाए या फिर अत्यंत विरल परिस्थितियों में जब हम यह निर्णय लें कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा संप्रेषण करने से लोक हित पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ने की आशंका है.

अन्य मामले

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पूर्ववर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी 4 मई 2024 की रिपोर्ट में अपरिवर्तित राय व्यक्त की गई थी. उपरोक्त रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के उद्देश्य से हमने इस पर भरोसा किया है.

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है.

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

 तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 यथा संशोधित, इसके तहत जारी, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अनुसार तैयार किए गए हैं.

- Conclude on the appropriateness of the Management and Board of Director's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our Auditor's Report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our Auditor's Report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current year and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

The Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2024, have been audited by the predecessor auditors, whose report dated May 4, 2024 had expressed an unmodified opinion. The above report has been furnished to us by the management and has been relied upon by us for the purpose of our audit of the Standalone Financial Statements.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on other legal and regulatory requirements

The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and Section 133 of the Act and read with Companies (Accounting Standard) Rules, 2021, as amended, issued thereunder.



- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) की 2) अपेक्षानसार हम रिपोर्ट करते हैं किः
 - हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगे एवं प्राप्त किए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे तथा उन्हें संतोषजनक पाया है.
 - बैंक के जो लेन-देन हमारे ध्यान में आए हैं. वे बैंक की अधिकार सीमा के भीतर हैं: और
 - बैंक की वित्तीय लेखा प्रणाली केंद्रीकृत हैं और इसलिए वित्तीय 刊) विवरण तैयार करने के उद्देश्य से लेखांकन विवरणियाँ शाखाओं द्वारा प्रस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है. हमने लेखा-परीक्षा केंद्रीय रूप से की है क्योंकि हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी अपेक्षित रिकॉर्ड और डेटा केंद्रीय रूप से उपलब्ध हैं. इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमने रिजर्व बैंक के मौजूदा परिपत्र के अनुपालन में हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए ऐसी शाखाओं में रखे गए अभिलेखों की जांच करने के लिए 37 घरेलू शाखाओं और गांधीनगर शाखा (विदेश) में स्थित गिफ्ट सिटी आईबीय का दौरा किया है, जिनमें बैंक के सकल अग्रिमों का 36% निहित है.
- अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं किः 3.
 - हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगे एवं प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे:
 - (ख) हमारी राय में बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है:
 - (ग) इस रिपोर्ट में शामिल किए गए एकल तुलन पत्र, एकल लाभ और हानि खाते एवं एकल नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं;
 - हमारी राय में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 यथासंशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं:
 - (ङ) 31 मार्च 2025 को निदेशकों से प्राप्त और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए लिखित अभ्यावेदन के आधार पर. किसी भी निदेशक को 31 मार्च 2025 को अधिनियम की धारा 164(2) के निबंधनों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है:
 - बैंक के एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावकारिता के संबंध में 'अनुबंध ए' में अलग से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें.

- As required by sub-section (3) of Section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:
 - we have sought and obtained all the information and (a) explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory;
 - (b) the transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - The financial accounting systems of the Bank are (c) centralized and therefore, accounting returns for the purpose of preparing financial statements are not required to be submitted by the branches. Our audit has been carried out centrally as the necessary records and data required for the purpose of our audit are centrally made available. Further, during the course of our audit, we have visited 37 domestic branches and a GIFT City IBU, Gandhinagar branch (Overseas) which, in aggregate, comprise of 36% of the gross advances of the Bank, to examine the records maintained at such branches for the purpose of our audit, in compliance with the extant RBI Circular.
- As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
 - in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books;
 - the Standalone Balance Sheet, the Standalone Profit and Loss Account, and the Standalone Cash Flow statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
 - in our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Companies (Accounting Standard) Rules, 2021, as amended, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;
 - on the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2025 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2025 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act; and
 - with respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements of the Bank and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in 'Annexure A'.

- 4) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 यथा संशोधित, के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार:
 - (क) बैंक ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च 2025 को लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है. एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 12 के साथ पठित टिप्पणी 18(बी) (12) (सी) देखें:
 - (ख) बैंक ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घाविध संविदाओं में महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों, यदि हों, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान किया है - एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 18(बी)(12)(बी) देखें:
 - (ग) 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को अंतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है.
 - (घ) (i) प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखों पर टिप्पणियों में प्रकट किए गए विवरण (टिप्पणी सं. 18(सी)(VII) देखें) के अलावा, बैंक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं), विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सिहत कोई भी धनराशि अग्रिम या निवेश (या तो उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से) इस समझ के साथ नहीं ली गई है, जो लिखित अथवा अन्यथा रूप से दर्ज किया गया है कि मध्यस्थ, बैंक द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थीयों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभृति आदि प्रदान करेगा.
 - (ii) प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखों पर टिप्पणियों में प्रकट किए गए विवरण (टिप्पणी सं. 18(सी)(VII) देखें) के अलावा, बैंक द्वारा विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियां") सिंहत किसी भी व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं) से कोई निधि इस समझ के साथ प्राप्त नहीं की है, जो लिखित अथवा अन्यथा रूप से दर्ज किया गया है कि बैंक, फंडिंग पार्टी (''अंतिम लाभार्थी'') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति, आदि प्रदान करेगा.
 - (iii) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उपर्युक्त उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्या कथन है.

- With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to the best of our knowledge and belief and according to the information and explanations given to us:
 - (a) the Bank has disclosed the impact of pending litigations as at March 31, 2025 on its financial position in its standalone financial statements - Refer Note No. 18(B) (12)(C) read with Note 12 to the standalone financial statements;
 - (b) the Bank has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts - Refer Note No. 18(B) (12)(B) to the standalone financial statements;
 - (c) there has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank during the year ended March 31, 2025.
 - (d) The management of the Bank has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to accounts (Refer Note No. 18(C)(VII)), no funds have been advanced or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Bank to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Bank ('Ultimate Beneficiaries') or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
 - (ii) The management of the Bank has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to accounts (Refer Note No. 18(C)(VII)) no funds have been received by the Bank from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, the Bank shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ('Ultimate Beneficiaries') or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and
 - (iii) Based on such audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) above contain any material misstatement.



- जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 18(बी)(7)(बी) में उल्लिखित है:
 - वर्ष के दौरान बैंक द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में
 - बैंक ने वर्ष के दौरान कोई अंतरिम लाभांश घोषित नहीं किया
 - बैंक के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जो आगामी वार्षिक महासभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है. प्रस्तावित लाभांश की राशि, यथा लागू अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है.
- (च) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच शामिल है, बैंक ने अपनी खाता बीहियों को रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, जिसमें, जैसा लाग हो, लेखा परीक्षा टेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सविधा है और संबंधित सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए यह पूरे वर्ष संचालित होता है. इसके अलावा, हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमें लेखा परीक्षा टेल विशेषता के साथ छेडछाड का कोई मामला नहीं मिला. इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार बैंक द्वारा लेखा परीक्षा टेल को संरक्षित किया गया है.
- अधिनियम की धारा 197(16) के तहत लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल 5) किए जाने वाले मामले के संबंध में; बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत परिभाषित एक बैंकिंग कंपनी है. तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 197 के तहत निर्धारित आवश्यकताएं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी(2ए) के आधार पर लागु नहीं होती हैं.

कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी For Chokshi & Chokshi LLP सनदी लेखाकार/Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 101872W / W100045)

राकेश जैन Rakesh Jain साझेदार/Partner स. सं./M.No. 042364 यूडीआईएन/ UDIN: 25042364BM0IQW8080

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai

दिनांक: 28 अप्रैल 2025 / Date: April 28, 2025

- As stated in Note 18(B)(7)(B) to the Standalone Financial Statements:
 - During the year, the final dividend declared and paid by the Bank is in compliance with section 123 of the Act.
 - The Bank has not declared any interim dividend during the year.
 - The Board of Directors of the Bank have proposed final dividend for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The amount of dividend proposed is in accordance with section 123 of the Act, as applicable.
- Based on our examination which included test checks, the Bank has used accounting software for maintaining its books of account which, as applicable, have a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the respective software. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of audit trail feature being tampered with. Additionally, the audit trail has been preserved by the Bank as per the statutory requirements for record retention.
- With respect to the matter to be included in the Auditors' Report under section 197(16) of the Act; the Bank is a banking company as defined under Banking Regulation Act, 1949. Accordingly, the requirements prescribed under Section 197 of the Companies Act, 2013 (the 'Act') do not apply by virtue of Section 35B(2A) of the Banking Regulation Act, 1949.

कृते सूरी एंड कंपनी For Suri & Co. सनदी लेखाकार/Chartered Accountants

फर्म पंजीयन संख्या/(FRN - 004283S)

नटराजन वी. Natarajan V. साझेदार/Partner स. सं./M.No. 223118 यूडीआईएन/ UDIN: 25223118BMJLEA1719 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की सम दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध 'ए'

(31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों को एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम तिथि की रिपोर्ट में 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 3(एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन उपरोक्त एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2025 के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (''बैंक'') के एकल वित्तीय विवरणों के संयोजन में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट' ('मार्गदर्शी नोट') में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा एकल वित्तीय विवरणों के लिए स्थापित मानदंड के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. इन जिम्मेदारियों में बैंक की नीतियों के अनुपालन सिहत इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समयबद्ध रूप से तैयार करना शामिल है

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपने लेखा परीक्षा के आधार पर एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय अभिव्यक्त करने की है. हमने आईसीएआई द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन नोट और लेखापरीक्षण के मानकों ('मानकों') के अनुसार अपना लेखा परीक्षा किया और अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित, एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक माना गया. उन मानकों और मार्गदर्शी नोट से यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और निष्पादित करें कि इस आशय के लिए समुचित आश्वासन मिल सके कि क्या एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए हैं और यह भी कि क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किए गए हैं.

Annexure A to the Independent Auditor's Report of even date on the standalone financial statements of IDBI Bank Limited for the year ended March 31, 2025

(Referred to in paragraph 3(f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' in the Independent Auditor's Report of even date to the members of IDBI Bank Limited on the standalone financial statements for the year ended March 31, 2025)

Report on the Internal Financial Controls with reference to the aforesaid standalone financial statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls with reference to standalone financial statements of IDBI Bank Limited ("the Bank") as of March 31, 2025 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management and Board of Directors are responsible for establishing and maintaining internal financial controls with reference to standalone financial statements criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('the Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('the ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ("the Act").

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls with reference to standalone financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing ('the Standards'), issued by the ICAI and deemed to be, prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls with reference to standalone financial statements. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to standalone financial statements were established and maintained and whether such controls operated effectively in all material respects.



हमारी लेखापरीक्षा में एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालनीय प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेत् अपनाई गई प्रक्रियाएँ शामिल हैं. एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करना, ऐसी जोखिमों का आकलन करना जहां तात्विक कमी विद्यमान है, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और परिचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मृल्यांकन शामिल है. चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं जिनमें एकल वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक मिथ्या कथन की जोखिमों का आकलन शामिल है.

हमें विश्वास है कि बैंक के एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

बैंक के एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य प्रयोजनों के लिए एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई गई है. एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो -

- (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो यथोचित ब्योरे, परिशृद्धता और बैंक की आस्तियों के संव्यवहारों और निपटानों को उचित रूप से दर्शाते हैं:
- इस आशय के लिए यथोचित आश्वासन देते हैं कि संव्यहार सामान्य रूप से (2) स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमत अपेक्षा के साथ दर्ज किए जाते हैं और यह कि बैंक की प्राप्तियाँ और व्यय बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं: और
- (3) बैंक की आस्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम या समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन देते हैं जिनका एकल वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था.

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें नियंत्रणों के टकराव अथवा असंगत प्रबंधन से नियंत्रणों के अधिव्यापन की संभावना शामिल है, के कारण त्रृटि अथवा धोखाधडी की वजह से तात्विक मिथ्या कथन की घटना हो सकती है और उनका पता न लगाया जा सके. साथ ही, भावी अवधियों के लिए एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to standalone financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to standalone financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to standalone financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls with reference to standalone financial statements.

Meaning of Internal Financial Controls with Reference to Standalone Financial Statements

A Bank's internal financial controls with reference to standalone financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of standalone financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial control with reference to standalone financial statements includes those policies and procedures that

- 1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank;
- provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of standalone financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and
- 3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the standalone financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with Reference to Standalone Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to standalone financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to standalone financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to standalone financial statement

वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में आने वाली गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं.

अभिमत

हमारी राय में बैंक में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि से एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा स्थापित एकल वित्तीय विवरणों के मानदंड के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2025 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे.

कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी For Chokshi & Chokshi LLP

सनदी लेखाकार/Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 101872W / W100045)

राकेश जैन Rakesh Jain साझेदार/Partner स. सं./M.No. 042364

यूडीआईएन/ UDIN: 25042364BM0IQW8080

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai

दिनांक : 28 अप्रैल 2025 / Date : April 28, 2025

may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Bank has maintained, in all material respects, an adequate internal financial controls with reference to standalone financial statements and such internal financial controls were operating effectively as at March 31, 2025, based on the internal control with reference to standalone financial statements criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

कृते सूरी एंड कंपनी

For Suri & Co. सनदी लेखाकार/Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/(FRN – 004283S)

नटराजन वी. Natarajan V. साझेदार/Partner स. सं./M.No. 223118

यूडीआईएन/ UDIN: 25223118BMJLEA1719



एकटा तुलान-पत्र 31 मार्च 2025 को Standalone Balance Sheet as at March 31, 2025

			(₹ '000 में / ₹ in '000)
	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
पूंजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	10752 40 22	10752 40 22
रिजर्व और अधिशेष / Reserves and surplus	2	49498 61 46	39129 46 35
जमाराशियां / Deposits	3	310293 55 17	277657 22 34
उधार राशियां / Borrowings	4	19882 27 95	17082 69 58
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	5	21234 46 69	18956 38 32
कुल / TOTAL		411661 31 49	363578 16 81
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	21294 15 38	13990 95 92
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	23122 03 50	11941 92 60
	8	117467 53 44	114934 24 44
अग्रिम / Advances	9	218399 15 56	188620 61 44
अचल आस्तियां / Fixed assets	10	12181 14 09	9519 91 55
अन्य आस्तियां / Other assets	11	19197 29 52	24570 50 86
कुल / TOTAL		411661 31 49	363578 16 81
आकस्मिक देयताएं / Contingent liabilities	12	322995 72 43	197028 69 66
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		12757 55 78	12363 89 59
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां एकल तुलन पत्र के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Standalone Balance Sheet			

(सुमित फक्का)

(Sumit Phakka)

उप प्रबंध निदेशक

Dy. Managing Director

डीआईएन/DIN: 10041362 डीआईएन/DIN: 08259618 डीआईएन/DIN: 01853823

(समरेश परिदा)

निदेशक

Director

(Samaresh Parida)

(स्मिता कुबेर)

(Smita Kuber)

मुख्य वित्तीय अधिकारी कंपनी सचिव

Chief Financial Officer Company Secretary

(ज्योति नायर)

(Jyothi Nair)

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer डीआईएन/DIN: 06846594

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी

For Chokshi & Chokshi LLP सनदी लेखाकार/Chartered Accountants

फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 101872W/W100045 फर्म पंजीयन संख्या /FRN-004283S

कृते सूरी एंड कंपनी For Suri & Co

(जयकुमार एस. पिल्लै)

(Jayakumar S. Pillai))

Dy. Managing Director

उप प्रबंध निदेशक

सनदी लेखाकार/Chartered Accountants

राकेश जैन नटराजन वी Rakesh Jain Natarajan V साझेदार/Partner साझेदार/Partner स. सं./ M.No. 042364 स. सं./M.No. 223118

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai

दिनांक : 28 अप्रैल 2025 / Date : April 28, 2025

एकत लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए Standalone Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2025

(₹'(000 /	₹	,000
------	-------	---	------

				(₹ '000 / ₹ '000)
		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024
ı	आय / INCOME			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	28902 03 35	26426 13 40
	अन्य आय / Other Income	14	4923 98 77	3610 90 70
	कुल / TOTAL		33826 02 12	30037 04 10
II	व्यय / EXPENDITURE			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	14275 57 26	12239 69 49
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	8471 84 57	8205 29 62
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies		3563 42 58	3957 95 61
	कुल / TOTAL		26310 84 41	24402 94 72
Ш	लाभ/ हानि / PROFIT / LOSS			
	वर्ष का निवल लाभ/(हानि) / Net Profit / (Loss) for the Year		7515 17 71	5634 09 38
	आगे लाया गया लाभ/(हानि) / Profit/(Loss) brought forward		7148 27 26	4191 26 82
	कुल / TOTAL		14663 44 97	9825 36 20
IV	विनियोजन / APPROPRIATIONS			
	सांविधिक रिजर्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		1878 79 43	1408 52 35
	पूंजीगत रिजर्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		119 81 63	41 33 02
	गत वर्ष से संबंधित लाभांश इस वर्ष में प्रदत्त Dividend pertaining to previous year paid during the year		1612 86 03	1075 24 02
	निवेश घट-बढ़ रिजर्व (आईएफआर) में अंतरण Transfer to Investment Fluctuation Reserve (IFR)		-	151 99 55
	शेष राशि तुलनपत्र में ले जाई गई / Balance carried over to balance sheet		11051 97 88	7148 27 26
	कुल / TOTAL		14663 44 97	9825 36 20



एकल लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए Standalone Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2025

(₹ '∩∩∩ / ₹ '∩∩∩)

(ज्योति नायर)

(Jyothi Nair)

(स्मिता कुबेर)

(Smita Kuber)

मुख्य वित्तीय अधिकारी कंपनी सचिव

Chief Financial Officer Company Secretary

(समरेश परिदा)

निदेशक

Director

(Samaresh Parida)

		(₹ '000 / ₹ '000)	
	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024
प्रति शेयर अर्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) Earnings per share (₹) (Face Value ₹ 10 per share)	18(B)(7A)		
मूल / Basic		6.99	5.24
न्यूनीकृत / Diluted		6.99	5.24
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां एकल लाभ-हानि लेखे के अभिन्न अंग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Standalone Profit and Loss Account			

(सुमित फक्का)

(Sumit Phakka)

उप प्रबंध निदेशक

Dy. Managing Director

डीआईएन/DIN: 10041362 डीआईएन/DIN: 08259618 डीआईएन/DIN: 01853823

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer डीआईएन/DIN: 06846594

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी For Chokshi & Chokshi LLP

सनदी लेखाकार/Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 101872W/W100045 फर्म पंजीयन संख्या /FRN-004283S

कृते सुरी एंड कंपनी For Suri & Co

(जयकमार एस. पिल्लै)

Dy. Managing Director

(Jayakumar S. Pillai))

उप प्रबंध निदेशक

सनदी लेखाकार/Chartered Accountants

राकेश जैन नटराजन वी Rakesh Jain Nataraian V साझेदार/Partner साझेदार/Partner स. सं./ M.No. 042364 स. सं./M.No. 223118

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai

दिनांक : 28 अप्रैल 2025 / Date : April 28, 2025

अनुसूची 1 - पूंजी/ SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
प्रत्येक ₹ 10 के 2100 00 00 000 इक्विटी शेयर 2100 00 00 000 Equity Shares of ₹ 10 each	21000 00 00	21000 00 00
	21000 00 00	21000 00 00
निर्गमित, अभिदत्त और चुकता पूंजी / Issued, Subscribed & Paid up Capital		
प्रत्येक ₹ 10 के 1075 24 02 175 (1075 24 02 175) पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर (अनुसूची 18 नोट सी I देखें) 1075 24 02 175 (1075 24 02 175) Equity Shares of ₹ 10 each fully paid up (Refer Schedule 18 Note C I)	10752 40 22	10752 40 22
कुल / TOTAL	10752 40 22	10752 40 22

अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

			(₹ '000 म / ₹ in '000)
		यथा 31 मार्च 2025 को	यथा 31 मार्च 2024 को
		As at	As at
		March 31, 2025	March 31, 2024
I .	सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	5744 22 78	4335 70 43
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	1878 79 43	1408 52 35
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		7623 02 21	5744 22 78
II	विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिज़र्व/ Foreign Currency Translation Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	18 21 88	13 68 77
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	5 27 27	4 53 11
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		23 49 15	18 21 88
Ш	पूंजीगत रिज़र्व / Capital Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	3228 03 23	3186 70 21
	वर्ष के दौरान परिवर्धन# / Additions during the year#	119 83 51	41 33 02
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		3347 86 74	3228 03 23
IV	पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	7933 45 36	8200 97 55
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	2854 62 37	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	सामान्य रिजर्व में अंतरण / Transfer to General Reserve	276 43 99	267 52 19
_		10511 63 74	7933 45 36



(₹ '೧೧೧ में / ₹ in '000)

				(₹ '000 में / ₹ in '000)
			यथा 31 मार्च 2025 को	यथा 31 मार्च 2024 को
			As at March 31, 2025	As at
V	-	प्रोमियम / Share Premium	March 31, 2025	March 31, 2024
_			5323 56 46	5323 56 46
		क शेष / Opening balance	3323 30 40	3323 30 40
		दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के	दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
			5323 56 46	5323 56 46
VI	राजस	व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserve		
	(क)/ (a) सामान्य रिज़र्व / General Reserve		
		प्रारंभिक शेष / Opening balance	7268 35 17	7000 82 98
		वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	1072 47 37	-
		पुनर्मूल्यन रिजर्व से अंतरित / Transferred from Revaluation Reserve	276 43 99	267 52 19
		लाभ-हानि लेखे से अंतरित / Transferred from Profit & Loss Account	-	-
		वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
			8617 26 53	7268 35 17
	(ख) (b)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
		प्रारंभिक शेष / Opening balance	6 35 04	6 35 04
		वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
		वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
			6 35 04	6 35 04
	(ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिजार्व		
	(c)	Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
		प्रारंभिक शेष / Opening balance	1566 00 00	1566 00 00
		वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
		वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
			1566 00 00	1566 00 00
	(घ)	निवेश घट-बढ़ रिज़र्व		
	(d)	Investment Fluctuation Reserve	892 99 17	740 99 62
		प्रारंभिक शेष / Opening balance	092 99 17	
		वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	151 99 55
		वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year		- 200 00 17
		2_2	892 99 17	892 99 17
	(ङ) (e)	एएफएस रिजर्व AFS Reserve		
	(e)	प्रारंभिक शेष / Opening balance		
		त्रारानक राप / Opening balance वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	534 44 54	
		वर्ष के पौरान पौरवधन / Additions during the year वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	
		पप पर पाराच परतारापा / Deductions during the year	534 44 54	
VII	त्याध	हानि लेखे में शेष / Balance in Profit and Loss account	11051 97 88	7148 27 26
			49498 61 46	39129 46 35
		(I से VII) / TOTAL (I to VII)	49498 61 46	39129 46

टिप्पणीः # इसमें एएफ़एस के अंतर्गत नामित इक्विटी लिखतों की बिक्री से ₹ 1 88 हजार का लाभ शामिल है Note: # includes gain of ₹ 1 88 Thousand on sale of equity instruments designated under AFS

अनुसूची 3 - जमाराशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
अ / A			
I.	मांग जमाराशियां / Demand Deposits	-	
	(i) बैंकों से / From banks	13176 48 20	11774 13 82
	(ii) अन्य से / From others	48931 02 72	37239 48 87
		62107 50 92	49013 62 69
II.	बचत बैंक जमाराशियां / Savings Bank Deposits	82371 63 72	91013 24 14
III.	सावधि जमाराशियां / Term Deposits	-	
	(i) बैंकों से / From banks	9303 01 18	7619 31 63
	(ii) अन्य से / From others	156511 39 35	130011 03 88
		165814 40 53	137630 35 51
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	310293 55 17	277657 22 34
आ / B			
	(i) भारत में स्थित शाखाओं में जमाराशियां / Deposits of branches in India	310127 99 83	277655 43 26
	(ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं में जमाराशियां		
	Deposits of branches outside India	165 55 34	1 79 08
	कुल / TOTAL	310293 55 17	277657 22 34

टिप्पणीः जिन जमाराशियों पर धारणाधिकार अंकित किया गया है उनकी राशि ₹ 23485 01 45 हजार है (पिछले वर्ष ₹ 20823 94 73 हजार) Note: The amount of Deposits against which lien is marked is ₹ 23485 01 45 Thousand (Previous Year ₹ 20823 94 73 Thousand)

अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
l.	भारत	में उधार राशियां / Borrowings in India		
	(i)	भारतीय रिजर्व बैंक / Reserve Bank of India	-	2400 00 00
	(ii)	अन्य बैंक / Other banks	382 30 00	376 30 00
	(iii)	टियर 1 (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत) Tier I (Innovative Perpetual Debt Instrument)	-	-
	(iv)	अपर टियर II बांड / Upper Tier II bonds	-	-
	(v)	अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टियर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	302 00 00	302 00 00
	(vi)	बासेल III ओम्नी टियर 2 बांड / Basel III Omni Tier 2 Bond	1900 00 00	2645 00 00
	(vii)	अन्य / Others	9527 30 97	9920 01 23
	कुल	(I)/TOTAL(I)	12111 60 97	15643 31 23
II.	भारत	के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India	7770 66 98	1439 38 35
	कुल	(I तथा II) / TOTAL (I and II)	19882 27 95	17082 69 58

टिप्पणीः ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां - ₹ 8522 30 97 हजार (पिछले वर्ष ₹ 7315 01 23 हजार)

Note: Secured borrowings included in I and II above- ₹8522 30 97 Thousand (Previous Year ₹7315 01 23 Thousand)



अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			(* 666 17 * 111 666)
		यथा 31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
Bills	Payable	1896 86 55	2634 82 96
लिय र	समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	-
	Interest accrued	385 53 73	754 68 38
ग्रधान	सहित) / Others (Including Provision)		
	आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान ntial provisions against standard assets	7562 70 87	4816 55 64
	ग्रिम भुगतान nce payments received	672 21 03	723 34 51
	भांश और लाभांश कर nd and dividend tax payable	-	-
	लेनदार y Creditors	103 78 59	122 72 54
	ा कर/टीडीएस/अन्य कर e tax/TDS/Other taxes payable	167 72 24	227 96 65
	जमाराशियां y Deposits	14 92 73	14 65 53
	रिवेटिव देयताएं Derivative Liabilities	1496 02 33	387 70 05
	विधान provisions	5358 42 28	6017 31 14
विध iscel	llaneous	3576 26 34	3256 60 92
IV) / TOTAL (I to IV)	21234 46 69	18956 38 32

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

		यथा 31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
l.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	1389 92 53	1772 58 42
II.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India	1000 32 30	1772 30 42
	(क/a) चालू खातों में / in Current Accounts	12468 22 85	11898 37 50
	(ख/b) अन्य खातों में / in Other Accounts	7436 00 00	320 00 00
	कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	21294 15 38	13990 95 92

अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

				(₹ '000 H / ₹ In '000)
			यथा 31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
I	भार	त में / In India		
	(i)	बैंकों के पास शेष / Balance with banks		
		(क) चालू खातों में (a) in Current Accounts	152 17 05	184 07 91
		(ख) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	6624 31 25	3503 01 00
	(ii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice		
		(क) बैंकों के पास (a) with banks	14512 08 01	7919 93 88
		(ख) अन्य संस्थाओं के पास (b) with other Institutions	-	-
		कुल (i और ii) / Total (i and ii)	21288 56 31	11607 02 79
П	भार	त के बाहर / Outside India		
	(i)	चालू खातों में / in Current Accounts	1401 39 57	234 05 31
	(ii)	अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	393 84 32	41 70 25
	(iii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice	38 23 30	59 14 25
		कुल (i, ii और iii) / Total (i , ii and iii)	1833 47 19	334 89 81
		कुल योग (I तथा II) / GRAND TOTAL (I and II)	23122 03 50	11941 92 60



अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

			यथा 31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
I	भारत	ा में निम्न में निवेश / Investments in India in		
	(i)	सरकारी प्रतिभृतियां® / Government Securities®	99217 71 06	98287 39 33
	(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभृतियां / Other approved securities	-	-
	(iii)	शेयर / Shares	1504 48 97	323 53 65
	(iv)	डिबेंचर एवं बॉण्ड / Debentures and Bonds	3703 71 74	5771 09 86
	(v)	सहायक संस्थाएं और/या संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and/or joint ventures	307 53 82	264 85 21
	(vi)	अन्य (सीपी, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी, वीसीएफ, सीडी) Others (CPs, Units in MFs, SRs, PTCs, VCFs, CDs)	12046 17 19	9872 47 00
		कुल / TOTAL	116779 62 78	114519 35 05
П	भारत	ा के बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in		
	(i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	687 45 50	414 89 39
	(ii)	सहायक संस्थाएं और/या संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and/or joint ventures	-	-
	(iii)	अन्य निवेश (शेयर) / Other investments (Shares)	45 16	-
		कुल / TOTAL	687 90 66	414 89 39
		कुल जोड़ (I और II) / GRAND TOTAL (I and II)	117467 53 44	114934 24 44
Ш	भारत	ा में निवेश / Investments in India		
	निवेश	ों का सकल मूल्य / Gross value of investments	122177 49 34	119817 38 36
	घटाएं	ः कुल प्रावधान/मूल्यहास / Less: Aggregate provision / depreciation	5397 86 56	5298 03 31
	निवत	न निवेश / Net investments	116779 62 78	114519 35 05
IV	भारत	ा से बाहर निवेश / Investments Outside India		
	निवेश	ों का सकल मूल्य / Gross value of investments	687 90 66	414 89 39
	घटाएं	ः कुल प्रावधान/मूल्यहास / Less:Aggregate provision / depreciation	-	-
		र निवेश / Net investments	687 90 66	414 89 39

[®] इसमें गैर-एसएलआर एचटीएम प्रतिभृतियों के रूप में वर्गीकृत ₹ 12438 00 00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 12438 00 00 हजार) की भारत सरकार की विशेष प्रतिभृतियां

[®] Includes Special GOI Securities of ₹ 12438 00 00 Thousand (Previous Year ₹ 12438 00 00 Thousand) classified as Non-SLR-HTM Securities.

अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES

		यथा 31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
A / R			
(i)	खरीदे और भुनाए गये बिल Bills purchased and discounted	12326 91 52	8898 33 96
(ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	44466 36 84	37839 94 61
(iii)	मीयादी ऋण® / Term loans®	161605 87 20	141882 32 87
	कुल / TOTAL	218399 15 56	188620 61 44
ЯТ/В			
(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत® / Secured by tangible assets®	170606 29 85	155621 08 89
(ii)	बैंक/ सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित®®® Covered by Bank / Government guarantees®®®	12088 71 39	8706 23 27
(iii)	अप्रतिभूत / Unsecured	35704 14 32	24293 29 28
	कुल / TOTAL	218399 15 56	188620 61 44
5/C			
भारत	त में अग्रिम / Advances in India		
(i)	प्राथमिकता क्षेत्र / Priority sector	63904 86 79	63537 23 65
(ii)	सरकारी क्षेत्र / Public sector	7997 28 00	6190 70 06
(iii)	बैंक / Banks	187 01 94	1307 34 82
(iv)	अन्य / Others	132882 10 27	108080 97 83
	कुल / TOTAL	204971 27 00	179116 26 36
। भारत	त के बाहर अग्रिम / Advances Outside India		
(i)	बैंकों से देय / Due from banks	-	-
(ii)	अन्य से देय / Due from others:	-	-
(ক) (a)	खरीदे तथा भुनाये गए बिल Bills purchased and discounted	-	-
(평) (b)	समूहित ऋण Syndicated loans	-	
(ロ)	अन्य Others	13427 88 56	9504 35 08
	कुल / TOTAL	13427 88 56	9504 35 08
	कुल योग (सी I और सी II) / GRAND TOTAL (C I and C II)	218399 15 56	188620 61 44

^{® ₹ 6251 00 00} हजार (पिछले वर्ष : ₹ 6000 00 00 हजार) के अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (निवल) शामिल हैं.

Includes Inter Bank Participatory Certificate (Net) ₹6251 00 00 Thousand (Previous Year: ₹6000 00 00 Thousand)

^{@@} बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं.

Includes advances against book debts

^{@@@} बैंकों द्वारा जारी साख पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं.

^{@@@} Includes advances against letter of credit issued by banks.



अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

	कुल योग (I से IV) / GRAND TOTAL (I to IV)	12181 14 09	9519 91 55
	कुल / TOTAL	78 37 27	106 75 94
IV	चालू पूंजीगत कार्य / Capital Work-in-Progress	78 37 27	106 75 94
	कुल / TOTAL	-	-
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing assets	1 76 52	1 76 52
	आज की तारीख तक मूल्यहास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	गत वर्ष 31 मार्च को लागत पर At cost as on 31st March of the preceeding year	601 81 79	601 81 79
Ш	पट्टे पर दी गईं आस्तियां / Assets given on Lease		
	कुल / TOTAL	719 53 21	708 57 58
	आज की तारीख तक मूल्यहास / Depreciation to date	2229 35 97	2128 06 18
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	135 97 29	64 32 59
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	248 22 71	371 63 97
	गत वर्ष 31 मार्च को लागत पर At cost as on 31st March of the preceeding year	2836 63 76	2529 32 38
П	अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्स्चर सहित) Other fixed assets (including Furniture & Fixtures)		
	कुल / TOTAL	11383 23 61	8704 58 03
	आज की तारीख तक मूल्यहास / Depreciation to date	40 32 71	597 74 30
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	10 10
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्मूल्यन / Revaluation made during the year	2003 71 93	
	At cost as on 31st March of the preceeding year वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	117 52 06	336 12 81
	गत वर्ष 31 मार्च को लागत पर	9302 32 33	8966 29 62
I	परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी आ.2 देखें) Premises (Refer Schedule 18 Note B.2)		
		यथा 31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

			(* 000 17 * 111 000)
		यथा 31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	-
II	उपचित ब्याज / Interest accrued	3303 17 84	3061 67 74
III	अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर की कटौती (निवल) Tax paid in advance /tax deducted at source (net)	913 90 26	2808 09 95
IV	स्टेशनरी एवं स्टांप / Stationery and stamps	48 14	1 18 04
V	दावों की तुष्टि में अधिगृहीत गैर-बैंकिंग आस्तियां (लागत पर) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims (at cost)	710 53 75	736 90 93
VI	अन्य / Others		
	(क)आस्थिगित कर आस्ति (निवल)(a)Deferred Tax Asset (net)	5981 66 20	8959 66 48
	(ख) आबंटन के लिए लंबित शेयर/बॉण्ड (b) Shares / Bonds Pending allotment	118 89 88	-
	(ग) विविध जमाराशियां व अग्रिम (c) Sundry deposit and advances	682 19 25	649 77 75
	(घ) प्राप्य दावे (d) Claims receivable	275 04 89	213 79 24
	(ङ) अन्य व्युत्पन्न आस्ति (e) Other Derivative Asset	1691 57 88	356 06 50
	(च) विविध* (f) Miscellaneous*	5519 81 43	7783 34 23
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	19197 29 52	24570 50 86

^{*} प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जमा ₹ 3547 90 06 हजार (पिछले वर्ष ₹ 5916 86 69 हजार) में निवेश शामिल है.

^{*} Includes Investment in Priority sector deposit ₹3547 90 06 Thousand (Previous Year ₹5916 86 69 Thousand)



अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं / SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	(
		यथा 31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
Ι	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया		
	Claims against the Bank not acknowledged as debts	230 51 03	243 85 04
II	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	74 83	74 83
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	214461 75 35	70750 33 56
IV	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) - भारत में (a) - in India	47953 21 90	43349 40 02
	(ख) - भारत से बाहर (b) - outside India	567 45 72	445 42 50
V	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	16861 25 45	15778 19 98
VI	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable		
	(क) ब्याज दर और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप के संबंध में देयता (a) Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps	40362 80 72	61482 77 48
	(ख) अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता (b) Liability in respect of other Derivative contracts	1372 29 48	3105 84 63
	(ग) विवादित कर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के कारण (c) On account of disputed taxes, Interest tax, penalty and interest demands	417 23 67	836 97 07
	(घ) अन्य		
	(d) Others	768 44 28	1035 14 55
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	322995 72 43	197028 69 66

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024
I	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा / Interest/discount on advances/bills	19226 45 90	17970 67 21
II	निवेशों से आय / Income on investments	8254 88 11	7737 60 95
III	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	415 37 95	339 85 28
IV	अन्य / Others	1005 31 39	377 99 96
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	28902 03 35	26426 13 40

अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	2069 91 93	1945 62 45
II	निवेशों की बिक्री से लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of investments (net)	900 08 76	707 58 13
III	निवेशों के पूनर्मूल्यन से लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (net)	(87 23 71)	11 26 99
IV	भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	(2 31 20)	(71 49)
V	विनिमय लेनदेनों / डेरिवेटिव से लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	493 23 95	353 64 28
VI	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend income from subsidiary companies and / or joint ventures in India	20 23 35	17 91 29
VII	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	1444 09 12	508 24 94
VIII	विविध आय / Miscellaneous Income	85 96 57	67 34 11
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	4923 98 77	3610 90 70

अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज / SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	12750 71 94	10601 31 69
II	भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज / Interest on RBI / inter bank borrowings	497 79 90	764 21 85
III	अन्य / Others	1027 05 42	874 15 95
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	14275 57 26	12239 69 49



अनुसूची 16 - परिचालन व्यय / SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024
ı	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान / Payments to and provisions for employees	4049 68 75	4233 96 10
II	किराया, कर और बिजली / Rent, taxes and lighting	559 79 39	535 15 45
III	प्रिटिंग और स्टेशनरी / Printing and stationery	42 39 18	43 53 00
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	58 25 43	46 93 97
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास / Depreciation on bank's property	531 47 68	536 41 74
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Director's fees, allowances and expenses	3 40 36	2 97 44
VII	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय / Auditor's fees and expenses	3 69 70	2 93 67
VIII	विधि प्रभार / Law charges	33 76 36	31 21 82
IX	डाक खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	140 85 34	126 22 42
Χ	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	120 33 25	125 75 77
XI	बीमा / Insurance	336 75 28	302 76 22
XII	अन्य व्ययः / Other Expenditure:		
	(क) बैंकिंग व्यय (a) Banking expenses	239 65 36	204 05 05
	(ख) कार्ड एवं एटीएम व्यय (b) Card & ATM expenses	354 29 63	333 40 58
	(ग) परामर्श व्यय (c) Consultancy expenses	11 10 90	14 37 25
	(घ) बट्टे खाते डाले गये मामलों से वसूली व्यय (d) Expenses for recovery of write off cases	9 84 97	9 43 27
	(ङ) आउटसोर्सिंग व्यय (e) Outsourcing expenses	789 12 99	705 49 62
	(च) आईटी व्यय (f) IT expenses	247 24 77	194 33 92
	(छ) स्टाफ प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय (g) Staff training & other expenses	21 55 12	20 48 38

		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024
(ज)	यात्रा एवं वाहन प्रभार		
(h)	Travelling and conveyance charges	41 61 98	36 43 19
(朝)	ट्रेजरी व्यय		
(i)	Treasury expenses	6 66 62	5 06 33
(죄)	उधारी के लिए फीस और अन्य व्यय		
(j)	Fee and other expenses for borrowing	12 15 37	-
(당)	अन्य व्यय		
(k)	Others	858 16 14	694 34 43
कुल।	(I से XII) / TOTAL (I to XII)	8471 84 57	8205 29 62



अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

बैंक के वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां अर्थात् विशिष्ट लेखांकन नीतियां और इन सिद्धांतों को लागू करने के तरीके निम्नानसार हैं.

Following are the significant accounting policies i.e., the specific accounting policies and methods of applying these principles in the preparation and presentation of the financial statements of the Bank.

1. पृष्ठभूमि / Background:

मुंबई, भारत में निगमित आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('आईडीबीआई बैंक' या 'बैंक') एक बैंकिंग कंपनी है जो खुदरा बैंकिंग, थोक बैंकिंग और ट्रेजरी परिचालनों सिहत कई प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है. बैंक, बैंककारी विनयमन अधिनयम, 1949 और कंपनी अधिनयम, 2013 द्वारा अधिशासित होता है. बैंक की अपतटीय बैंकिंग इकाई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफ़एससी), गिफ्ट सिटी, भारत में स्थित है. बैंक विविध वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली एक संस्था है जो पूरे भारत में कॉरपोरेट और खुदरा ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है. बैंक 2,128 बैंकिंग आउटलेटों (2,104 भौतिक शाखाओं और 24 फिक्सड बीसी बैंकिंग आउटलेटों), 3,120 एटीएम और 58 ई-लाउंज के अपने नेटवर्क के माध्यम से पूरे भारत में अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है.

IDBI Bank Limited ('IDBI Bank' or 'the Bank'), incorporated in Mumbai, India is a banking company engaged in providing a range of banking and financial services including retail banking, wholesale banking and treasury operations. The Bank is governed by the Banking Regulation Act, 1949 and the Companies Act, 2013. The Bank has Offshore Banking Unit at International Financial Service Centre (IFSC), GIFT City, India. The Bank is a diversified financial services entity offering a wide range of banking and financial services to corporate and retail customers throughout India. The Bank provides a wide array of services to its customers across India through its network of 2128 Banking Outlets (2104 Brick – and- Morter branches and 24 Fixed BC Banking Outlets) 3,120 ATMs and 58 e-lounges.

2. तैयार करने का आधार / Basis of Preparation:

वित्तीय विवरण बैंक्कारी विनियमन अधिनयम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के मामले में भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और स्पष्टीकरणों, कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 और कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2021 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों (एएस), जो बैंकों पर लागू होते हैं, और अधिनियम के प्रावधानों एवं भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्यतया प्रचलित पद्धितयों के अनुरूप हैं. बैंक लेखांकन की उपचय विधि और परम्परागत लागत पद्धित, जहां अन्यथा उल्लिखित किया गया है को छोड़कर, का अनुसरण करता है.

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines and clarifications issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time, the Accounting Standards (AS) notified under Section 133 of Companies Act, 2013 ('Act') read with the companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021, in so far as they apply to banks, provisions of the Act and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Bank follows the accrual method of accounting and historical cost convention, except where otherwise stated.

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां, जहां अन्यथा उल्लिखित किया गया है को छोड़कर, पिछले वर्ष अपनाई गई नीतियों के अनुरूप है.

The accounting policies adopted in the preparation of financial statements are consistent with those followed in the previous year except as otherwise stated.

3. अनुमानों का उपयोग / Use of Estimates

वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान व धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान और धारणाएं तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण हैं. तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में किसी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that may affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

4. राजस्व निर्धारण / Revenue Recognition

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा तक किया जाता है कि बैंक को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा राजस्व का विश्वसनीय रूप से आकलन किया जा सकता है. Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Bank and the revenue can be reliably measured.

- (i) ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, सिवाय अनर्जक आस्तियों के मामले में जहां इसे रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद हिसाब में लिया जाता है.
 - Interest income is recognized on accrual basis except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization as per the prudential norms of the RBI.
- (ii) नियम के उल्लंघन पर दंडस्वरूप प्रभार इसकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है. Penal charges for covenant breach are recognized upon certainty of its realization.
- (iii) साख पत्र (एलसी) /बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/ बैंक गारंटी की अवधि के दौरान आय के रूप में उपचित होता है. Commissions on Letter of Credit (LC)/ Bank Guarantee (BG) are accrued as income over the period of LC/ BG.
- (iv) शुल्क और कमीशन आय तब आय के रूप में निर्धारित किए जाते हैं जब देय हो और वसूली का यथोचित अधिकार सिद्ध हो जाता है और इसे विश्वसनीय रूप से आंका जा सके. जब महत्वपूर्ण कार्य / माईलस्टोन पूरा हो जाता है तब समूहन/ व्यवस्थापक शुल्क को आय के रूप में लिया जाता है.

 Fees and commission income is recognized as income when due and reasonable right of recovery is established and can be reliably measured. Syndication / Arranger fee is recognized as income when a significant act / milestone is completed.
- बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अविध में निर्धारित किया जाता है.
 Income on discounted instruments is recognized over the tenure of the instrument on a constant yield basis.
- (vi) सूचीबद्ध इक्विटी निवेशों के मामले में लाभांश प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर उसे उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है. असूचीबद्ध इक्विटी निवेशों के मामले में (रणनीतिक पोर्टफोलियो के अंतर्गत धारित निवेशों सिहत) लाभांश को प्राप्ति आधार पर हिसाब में लिया जाता है. In case of listed equity investments, Dividend is booked on accrual basis when the right to receive is established. In case of

unlisted equity investments (including investments held under Strategic portfolio), dividend is booked on receipt basis.

(vii) गैर-निष्पादित अग्रिम (एनपीए)/तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए (टीडब्लूओ) खातों के मामले में वसूली का विनियोजन निम्नलिखित तरीके से किया जाता है:

The appropriation of recoveries in case of Non-Performing Advances (NPA)/ Technically Written-off (TWO) accounts is done in the following manner:

- क) एनसीएलटी/ विवाचन या कानूनी कार्यवाही के अधीन उधारकर्ताओं के संदर्भ में वसूली एनसीएलटी/ विवाचक/ न्यायालय द्वारा दिए गए संबद्ध आदेश और विशिष्ट मामले या मामलों के समह के संबंध में सांविधिक/विनियामक निर्देशों. यदि कोई हो, के अनसार विनियोजित किया जाता है.
- a) In respect of borrowers under NCLT/Arbitration or Legal Proceedings, the recovery is apportioned in terms of relevant order of NCLT/ Arbitrator/ Court of Law and in accordance with statutory /regulatory directives if any issued in respect of a specific case or group of cases.
- ख) उन मामलों में जहां वसूली के कारण ऋण खातों के बंद होने (गारंटीकर्ताओं/ अन्य पक्षकारों, यदि कोई हो, सिहत उधारदाता/ उधारकर्ता का संबंध विच्छेद होने) [एक मुश्त निपटान/ बातचीत के रूप में निपटान/ दबावग्रस्त ऋण एक्सपोजर के अंतरण/ आईबीसी के माध्यम से वसूली (समाधान मोड/ समापन मोड के अधीन), लेकिन वसूली के लिए आगे कोई विधिक उपाय उपलब्ध न हो या वसूली के अन्य कोई माध्यम के जिरये प्रस्तावित न हो] की स्थिति में निम्नलिखित रूप में विनियोजित किया जाएगा:
- b) In cases where recovery is leading to final closure (severance of lender /borrower relationship including with guarantors/ third parties, if any) of loan accounts [by way of One time settlement /Negotiated settlement /transfer of Stressed Loan Exposure/Recovery through IBC (under resolution mode/liquidation mode) but no further legal recourse is available or proposed through any other mode of recovery] shall be appropriated as mentioned below:
 - (i) मूलधन Principal
 - (ii) अदत्त व्यय/ पहले ही उपगत/ प्रदत्त किए गये व्यय. Unpaid Expenses/Expenses already incurred /paid.
 - (iii) ब्याज/ दंडस्वरूप ब्याज (31 मार्च 2024 तक पहले ही नामे किया गया है लेकिन वसूल नहीं हुआ). Interest /penal Interest (already debited upto March 31, 2024, but not recovered).
 - (iv) दंडस्वरूप प्रभार और उस पर जीएसटी Penal Charges and GST thereon.



- (v) प्रभार (शुत्क/ बकाया बीजी कमीशन) और उस पर जीएसटी Charges (Fees/BG commission outstanding) and GST thereon.
- ग) जहां वसूली के कारण खाता अंतिम रूप से बंद न हो, ऐसी स्थिति में विनियोजन संविदात्मक शर्तों के अनुसार किया जाएगा. जहां बैंक और उधारकर्ता के बीच एनपीए में वसुलियों के विनियोजन हेतु स्पष्ट करार न हो वहाँ विनियोजन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगाः
- c) In cases where recovery not resulting in final closure of accounts, it shall be appropriated as per contractual terms. In absence of any clear agreement between bank and borrower for the purpose of appropriation of recoveries in NPAs, the same would be appropriated as mentioned below:
 - (i) अदत्त व्यय/ पहले ही उपगत/ प्रदत्त किए गये व्यय. Unpaid Expenses/Expenses already incurred /paid.
 - (ii) ब्याज/ दंडस्वरूप ब्याज (31 मार्च 2024 तक पहले ही नामे किया गया है लेकिन वसूल नहीं हुआ). Interest /penal Interest (already debited upto March 31, 2024, but not recovered).
 - (iii) दंडस्वरूप प्रभार और उस पर जीएसटी Penal Charges and GST thereon.
 - (iv) प्रभार (शुल्क/ बकाया बीजी कमीशन) और उस पर जीएसटी Charges (Fees/BG commission outstanding) and GST thereon.
 - (v) मूलधन Principal
- घ) बट्टे खाते में डाले गए ऋणों से वसूल की गई संपूर्ण राशियों को लाभ एवं हानि विवरण में आय के रूप में दर्शाया जाता है.
- d) Entire amounts recovered against debts written off are recognized as income in the Statement of Profit & Loss.
- ङ) एनपीए के लिए प्रावधान को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.
- e) Provisions for NPA are recognized as an expense in the Statement of Profit & Loss.
- च) ऋणों की बिक्री पर लाभ/हानि को रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार दर्शाया जाता है.
- f) Gain/loss on sell down the loans is recognised in line with the extant RBI Guidelines.

5. अग्रिम और प्रावधान / Advances and Provisions

- (i) अग्निमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. अग्निमों को अनर्जक अग्निमों के लिये किए गए विशिष्ट प्रावधानों, ब्याज उचंत, जारी अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र, प्रत्यक्ष समनुदेशन और पुनः भुनाये गये बिलों को घटाकर दिखाया जाता है. विदेशी शाखाओं के संदर्भ में, ऋण एवं अग्निमों का वर्गीकरण तथा अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार, जो ज्यादा विवेकपुर्ण हो, के आधार पर किया जाता है.
 - Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by the RBI. Advances are stated net of specific provisions towards non-performing advances, interest suspense, inter-bank participation certificate issued, direct assignment and bill rediscounted. In respect of foreign branches, the classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per norms of the RBI, whichever is more prudent
- (ii) नकदी प्रवाह के प्रत्यक्ष समनुदेशन के जरिये अंतरित आस्तियों को उनकी बिक्री होने (सही बिक्री के मानदंड को पूरा करने) और बैंक को प्रतिफल प्राप्त होने पर तुलनपत्र से हटा दिया जाता है.
 - Assets transferred through direct assignments of cash flows are de-recognised in the Balance Sheet when they are sold (true sale criteria being fully met with) and consideration is received by the Bank.
- (iii) अग्रिम जिनके लिए मूर्त प्रतिभूति (बही ऋण सहित) निर्धारित की गई हो, का वर्गीकरण 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में किया जाता है. जहां ऐसी प्रतिभूति निर्धारित न की गई हो, ऐसे अग्रिमों का वर्गीकरण 'अप्रतिभूत' के रूप में किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभृति को मूर्त नहीं माना जाता है.
 - Advances wherein a tangible security (including book debts) is stipulated are classified as 'Secured by Tangible Assets'. Where such security is not stipulated, advances are classified as 'Unsecured'. Any Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc. are not considered as Tangible.
- (iv) बैंक उस खाते को पुनर्संरचित खाता मानता है जहां उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों से संबंधित आर्थिक या विधिक कारणों से उधारकर्ता को ऐसी रियायतें प्रदान करता है जिन पर बैंक अन्यथा विचार नहीं करता. पुनर्संरचना में सामान्य रूप से अग्रिमों/ प्रतिभूतियों की शर्तों में आशोधन शामिल हैं, जिसमें सामान्यतः अन्य के साथ-साथ चुकौती अवधि/ प्रतिदेय राशि/ किस्तों की राशि/ ब्याज दर (प्रतिस्पर्धात्मक कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से) में परिवर्तन शामिल होता है. पुनर्संरचना पैकेज के अनुमोदन और कार्यान्वयन पर ही बैंक द्वारा पुनर्संरचित खातों को इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

The Bank considers a restructured account as one where the Bank, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants to the borrower concessions that the Bank would not otherwise consider. Restructuring would normally involve modification of terms of the advance / securities, which would generally include, among others, alteration of repayment period / repayable amount / the amount of instalments / rate of interest (due to reasons other than competitive reasons). Restructured accounts are classified as such by the Bank only upon approval and implementation of the restructuring package.

- बैंक ऐसे मामलों के लिए रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान करता है जिनके लिए रिजर्व बैंक द्वारा निधिरित समय सीमा के भीतर चूक की तारीख से व्यवहार्य समाधान योजना लागू नहीं की गई है. रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार रिवर्सल करने की शर्तों को पूरा करने पर ऐसे अतिरिक्त पावधानों का प्रतिलेखन किया जाता है
 - The Bank makes additional provisions as per RBI guidelines for the cases where viable resolution plan has not been implemented within timelines prescribed by RBI, from the date of default. These additional provisions are written back on satisfying the conditions for reversal as per RBI guidelines.
- एनपीए के लिए प्रावधान प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया जाता है जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक प्रावधानों से अधिक है.
 Provisions are made for NPAs as per the rates determined by the management which are higher than the minimum regulatory provisions stipulated by the RBI.
- (vii) विशिष्ट मामलों/ परिस्थितियों में प्रबंधन द्वारा एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान किये जाते हैं.

 Additional provisions on NPAs are made by the management in specific cases/circumstances.
- (viii) ऋण एक्सपोजर के लिए प्रावधान सहित मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किये जाते हैं जिनकी गणना ब्याज दर और विदेशी मुद्रा विनिमय डेरिवेटिव संविदाओं को वर्तमान बाजार मूल्यों पर अंकित करने के अनुसार की जाती है. सामान्य प्रावधान में विशिष्ट उधारकर्ता को बैंक के निधिक एक्सपोजर के अनुपात में विशिष्ट उधारकर्ता को सामान्यतया अनुमत उधार सीमा (एनपीएलएल) से अधिक बैंकिंग प्रणाली के वृद्धिशील एक्सपोजर के प्रावधान शामिल है. ये प्रावधान तुलन-पत्र की अनुसूची 5 के ''अन्य देयताएँ एवं प्रावधान अन्य'' शीर्षक के अंतर्गत दर्शाए जाते हैं और निवल एनपीए के आकलन के लिए इन पर विचार नहीं किया जाता है
 - General provisions are also made for standard assets, including provision for credit exposures computed as per the current marked to market values of interest rate and foreign exchange derivative contracts. The General provision also includes provision for incremental exposure of the banking system to a specified borrower beyond Normally Permitted Lending Limit (NPLL) in proportion to the Bank's funded exposure to a specified borrower. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions Others" and are not considered for arriving at the Net NPAs.
- (iX) बैंक अभिनिर्धारित दबावग्रस्त क्षेत्रों की मानक अस्तियों पर विनियामक न्यूनतम प्रावधान के अलावा जोखिम निर्धारण के आधार पर दबावग्रस्त क्षेत्रों के लिए अधिक दरों से अतिरिक्त प्रावधान भी करता है.
 - Bank is also making additional provisions on stressed sectors based on risk assessment at rates higher than the regulatory minimum provision on standard assets of identified stressed sectors.
- (x) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे और कोविड-19 से संबद्ध दबाव के लिए समाधान ढांचे के संबंध में रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार बैंक ने पात्र उधारकर्ताओं के लिए समाधान योजनाएं लागू की हैं. आस्ति वर्गीकरण और उन पर आवश्यक प्रावधानीकरण रिजर्व बैंक के उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है.
 - In accordance with the RBI guidelines on the prudential framework for resolution of stressed assets and the resolution frameworks for COVID-19 related stress and its Board approved policy, the Bank has implemented resolution plans for eligible borrowers. The asset classification and necessary provisioning thereon has been carried out in accordance with the said RBI guidelines.
- (xi) असहयोगी और इरादतन चूककर्ताओं के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के संबंध में बैंक रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार त्वरित गित से प्रावधान करता है. धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किये गये ऋणों को हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और प्रतिभूति के मूल्य पर विचार किये बिना तत्काल पूर्ण प्रावधान किया जाता है.
 - In respect of borrowers classified as non-cooperative and wilful defaulters, the Bank makes accelerated provisions as per the extant RBI guidelines. Loans reported as fraud are classified as loss assets, and fully provided immediately without considering the value of security.
- (xii) रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपचित एवं देय ब्याज को यदि ऋण (अर्थात् निधिक ब्याज मीयादी ऋण) में परिवर्तित किया जाता है तो ऐसी आय को रिवर्स किया जाता है और नकद आधार पर दर्शाया जाता है.
 - As per requirement of RBI guideline, any interest accrued and due if converted into a loan (i.e. Funded Interest Term Loan), then such income is reversed and recognized on cash basis.

कंट्री एक्सपोजर के लिए प्रावधान / Provision for Country Exposure:

(xiii) आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार धारित विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, वैयक्तिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कंट्री एक्सपोजर (स्वदेश के अलावा) के लिए भी प्रावधान किए जाते हैं. देशों को सात जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत जाता है अर्थात - महत्वहीन, निम्न, मध्यम, उच्च, अति उच्च, प्रतिबंधित एवं ऑफ क्रेडिट



और रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. यदि प्रत्येक देश के संबंध में बैंक का निवल निधिक एक्सपोजर कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे कंट्री एक्सपोजर पर कोई प्रावधान नहीं किया जाता है. यह प्रावधान तुलन-पत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है.

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual direct as well as indirect country exposures (other than the home country). Countries are categorized into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit and provisioning is made as per the extant RBI guidelines. If the net funded exposure of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of its total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others"

अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर / Unhedged Foreign Currency Exposure

(xiv) रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक तिमाही आधार पर अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएचएफ़सीई) वाली संस्थाओं के लिए वृद्धिशील पूंजी एवं प्रावधान रख रहा है. बैंक ने अपने उधारकर्ताओं के लिए विदेशी मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन हेतु प्रक्रिया निर्धारित की है जिसे बैंक की ऋण नीति के अंतर्गत शामिल किया जाता है.

The Bank is holding incremental capital and provisions for entities with un-hedged foreign currency exposure (UHFCE), in line with the RBI guidelines, on quarterly basis. Bank has a laid down process for managing foreign currency induced credit risk for its borrowers which is covered in Bank's Credit Policy.

6. निवेश / Investments

रिजर्व बैंक के संशोधित मास्टर निर्देश 2023 के संक्रमण काल के समय बैंक ने उपर्युक्त मास्टर निर्देशों के अध्याय XIV में बताये अनुसार संक्रमण एवं निरसन प्रावधानों का अनुसरण किया था. इसके अलावा, 31 मार्च 2024 को अर्जक निवेशों (पीआई) के मूल्यहास के लिए प्रावधान में शेष को राजस्व/सामान्य रिजर्व में रिवर्स किया था. तथापि, एनपीआई के लिए प्रावधानों को आईआरसीएपी मानदंडों के अनुसार रखा गया था.

At the time of transition to revised RBI Master Direction 2023, the Bank had followed Transition and Repeal Provisions as provided in Chapter XIV of the said Master Directions. Further, the balance in provision for depreciation for Performing Investments (PI), as at March 31, 2024, was reversed into the Revenue/ General Reserve. However, provisions for NPI was maintained as per IRCAP norms

अ. वर्गीकरण

A. Classification

12 सितम्बर 2023 को जारी वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन से संबंधित रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश 2023 के अनुसार बैंक के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है

In terms of RBI's Master Direction 2023 on Classification, Valuation and Operations of Investment Portfolio of Commercial Banks issued on September 12, 2023, the entire investment portfolio of the Bank is classified as

- (i) परिपक्वता तक धारित, Held To Maturity,
- (ii) बिक्री के लिए उपलब्ध तथा Available For Sale and
- (iii) लाभ एवं हानि के जरिये उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) ट्रेडिंग के लिए धारित (एफवीटीपीएल-एचएफटी) एवं एफवीटीपीएल गैर एचएफटी सहित. एफवीटीपीएलसी-एचएफटी श्रेणी के अलावा बैंक का अन्य एफवीटीपीएल पोर्टफोलियो को एफवीटीपीएल गैर एचएफटी के रूप में निर्धारित किया जाता है.

Fair Value through Profit & Loss (FVTPL) [including Held For Trading (FVTPL-HFT) & FVTPL Non HFT. FVTPL portfolio of the Bank other than FVTPL-HFT category is designated as FVTPL Non-HFT.

(iv) सहायक, सहयोगी संस्था और संयुक्त उद्यम (एसजेए) Subsidiary, Associates and Joint Venture (SJA)

प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को तुलनपत्र में अनुसूची-8 निवेशों के अंतर्गत निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है: Investments under each category is presented in the Balance Sheet under Schedule 8-Investments:

- (i) सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities
- (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities

- (iii) शेयर Shares
- (iv) डिबेंचर तथा बांड Debentures & Bonds
- (v) सहायक संस्थाएं और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and / or Joint Ventures
- (vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें, उद्यम पूंजी निधियां, पास थ्रू प्रमाणपत्र)
 Others (Commercial Paper, Certificate of Deposits, Mutual Fund Units, Security Receipts, Venture capital funds, Pass through Certificate).

आ. वर्गीकरण का आधार

B. Basis of Classification

परिपक्वता तक धारित (एचटोएम)* Held till Maturity (HTM)*

- (क) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जायेगाः
- (a) Securities that fulfil the following conditions shall be classified under HTM:
 - (i) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित किए जाने के उद्देश्य से किये गये निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है: और
 - Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'; and
 - (ii) प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं जिनमें निर्दिष्ट तारीखों को मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज ('एसपीपीआई मानदंड') का ही भुगतान किया जाता है.
 - The contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal outstanding ('SPPI criterion') on specified dates.
- (ख) निम्नलिखित प्रतिभूतियों को जिस भी इरादे से अधिगृहीत किया गया है उसके बावजूद वे एसपीपीआई मानदंड को पूरा नहीं करती हैं तो वे एचटीएम या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किये जाने की पात्र नहीं होंगी:
- (b) Notwithstanding the intent with which the following securities are acquired, they are not meeting the SPPI criteria and therefore shall not be eligible for classification either as HTM or AFS:
 - (i) अनिवार्यतः ऐच्छिक या आकस्मिक रूप से परिवर्तनीय विशेषताओं वाले लिखत. Instruments with compulsorily, optionally or contingently convertible features.
 - (ii) संविदात्मक हानि अवशोषकता विशेषताओं वाले लिखत जैसे बासेल-III पूंजी विनियमनों के अंतर्गत अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 योग्यता वाले लिखत.
 - Instruments with contractual loss absorbency features such as those qualifying for Additional Tier 1 and Tier 2 under Basel III Capital Regulations.
 - iii) ऐसे लिखत जिनके कूपन ब्याज के स्वरूप वाले नहीं हैं. मूलधन एवं ब्याज ('एसपीपीआई') मानदंड के एकमात्र भुगतान के अंतर्गत पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए ब्याज में विशिष्ट समयाविध के दौरान बकाया मूलधन राशि से संबद्ध ऋण जोखिम के लिए धन के समय मूल्य के प्रतिफल और अन्य मूलभूत उधार जोखिमें एवं लागत, साथ ही लाभ माजिन शामिल है.
 - Instruments whose coupons are not in the nature of Interest. For the purposes of determining eligibility under the solely payments of principal and interest ('SPPI') criteria, interest consists of consideration for the time value of money, for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs, as well as a profit margin.
 - (iv) अधिमानी शेयर (ऐसे अधिमानी शेयरों के अलावा जो मोचनीय हैं, गैर-विवेकाधिकार लाभांश मिलता है, परिपक्वता पर प्रतिफल निर्गमकर्ता के लिए उधार की बाजार दर के नजदीक है और लाभांश के आस्थिगित भुगतान पर क्षतिपूर्ति प्रदान करता है) और इक्विटी शेयर (ऐसे इक्विटी लिखतों के अलावा जो ट्रेडिंग के उद्देश्य के लिए धारित नहीं हैं).
 - Preference shares (other than a preference share which is redeemable, carries a non-discretionary dividend, with a yield to maturity close to the market rate of borrowing for that issuer and provides for compensation on deferred payment of dividend) and Equity shares (other than the equity instruments that is not held with the objective of trading).



- (ग) इिक्वटी ट्रांच के अलावा प्रतिभूतिकृत नोटों में निवेश पर एसपीपीआई मानदंड पूरा करने के लिए विचार किया जायेगा यदि ऐसा ट्रांच जिसमें निवेश निम्नलिखित शर्तों को परा करता है:
- (c) Investments in the securitization notes, other than the equity tranche, shall be considered to meet the SPPI criteria if the tranche in which the investment is made meets all the following conditions:
 - (i) वर्गीकरण के लिए मूल्यांकन किये जा रहे ट्रांच (वित्तीय लिखतों के अंतर्निहित पूल को देखे बिना) की संविदात्मक शर्तें ऐसी नकदी प्रवाह को उत्पन्न करती हैं जिसमें केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज का भुगतान हो.
 - The contractual terms of the tranche being assessed for classification (without looking through to the underlying pool of financial instruments) give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
 - (ii) वित्तीय लिखतों का अंतर्निहित पूल एसपीपीआई मानदंड को पूरा करता है. The underlying pool of financial instruments meet the SPPI criteria.
 - (iii) ट्रांच की ऋण जोखिम आस्तियों के मिश्रित अंतर्निहित पूल की ऋण जोखिम के बराबर या कम है.
 The credit risk of the tranche is equal to or lower than the credit risk of the combined underlying pool of assets.
 - * अन्य शर्तें 12 सितम्बर 2023 के रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अनुसार.
 - *Other stipulation as per RBI Master Direction dated September 12, 2023.

बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) Available for Sale (AFS)

- (क) निम्नलिखित शर्तें पूरी करने वाली प्रतिभूतियां एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत की जायेंगीः
- (a) Securities that meet the following conditions shall be classified under AFS:
 - (i) प्रतिभूति ऐसे उद्देश्य के साथ अधिगृहीत की गई है जो संविदात्मक नकदी प्रवाहों को एकत्रित करने और बिक्री प्रतिभूतियों, दोनों को पूरा करती है; और
 - The security is acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities; and
 - (ii) प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें 'एसपीपीआई मापदंड' को पूरा करती हैं अर्थात् प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें ऐसी नकदी प्रवाह को उत्पन्न करती हैं जिसमें निर्दिष्ट तारीखों को केवल मुलधन और बकाया मुलधन पर ब्याज का भृगतान हो.
 - The contractual terms of the security meet the 'SPPI criterion' i.e. the contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal outstanding on specified dates.

बशर्ते प्रारंभिक निर्धारण पर बैंक ऐसे इक्विटी लिखत को वर्गीकृत करने के लिए अविकल्पी चयन करे जिसे एएफएस के अंतर्गत ट्रेडिंग (अर्थात् 12 सितम्बर 2023 के रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश में सूचीबद्ध उद्देश्यों में से किसी के लिए भी धारित नहीं) के उद्देश्य के लिए धारित न किया हो. Provided that on initial recognition, a bank may make an irrevocable selection to classify an equity instrument that is not held with the objective of trading (i.e., not held for any of the purposes listed in RBI Master Direction dated September 12, 2023) under AFS.

- (ख) एएफएस प्रतिभूतियों में अन्य के अलावा आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) के उद्देश्य के लिए धारित ऐसी ऋण प्रतिभूतियां शामिल हैं जो एसपीपीआई मानदंड को पुरा करती हैं जिसमें बैंक का इरादा परिपक्वता तक धारित या परिपक्वता से पहले बिक्री के संबंध में लचीला है.
- (b) AFS securities shall inter-alia include debt securities held for asset liability management (ALM) purposes that meet the SPPI criterion where the bank's intent is flexible with respect to holding to maturity or selling before maturity.

लाभ एवं हानि के जरिये उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) Fair Value through Profit & Loss (FVTPL)

- a) जो प्रतिभूतियां एचटीएम या एएफएस में शामिल होने के योग्य नहीं हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा. इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - Securities that do not qualify for inclusion in HTM or AFS shall be classified under FVTPL. These shall inter-alia include:
 - (i) (क) सहायक, सहयोगी संस्थाओं या संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों और (ख) ऐसे इक्विटी शेयर जिनके प्रारंभिक निर्धारण पर एएफएस के रूप में वर्गीकृत करने का अविकल्पी चयन का उपयोग किया गया है, को छोड़कर इक्विटी शेयर
 - Equity shares, other than (a) equity shares of subsidiaries, associates or joint ventures and (b) equity shares where, at initial recognition, the irrevocable option to classify at AFS has been exercised.

- (ii) म्यूच्युल फंडों, वैकल्पिक निवेश फंडों, स्थावर संपदा निवेश न्यासों, बुनियादी संरचना निवेश न्यासों, आदि में निवेश. Investments in Mutual Funds, Alternative Investment Funds, Real Estate Investment Trusts, Infrastructure Investment Trusts, etc.
- (iii) ऐसे प्रतिभृतिकृत नोटों में निवेश जो प्रतिभृतिकरण लेनदेन के इक्विटी ट्रांच का निरूपण करते हैं. अधिमानी एवं अन्य गौण ट्रांचों में निवेश को एसपीपीआई मानदंड के संबंध में उनके अनुपालन की समीक्षा करने की जरूरत होगी.

 Investment in securitisation notes which represent the equity tranche of a securitisation transaction. Investments in senior and other subordinate tranches shall need to be reviewed for their compliance with SPPI criterion.
- (iv) बांड, डिबेंचर आदि जिनका भुगतान ब्याज दर बेंचमार्क की बजाय विशिष्ट सूचकांक जैसे इक्विटी सूचकांक में घट-बढ़ से जुड़ा होता है.

 Bonds, debentures, etc. where the payment is linked to the movement in a particular index such as an equity index rather than an interest rate benchmark.
- (v) उपर्युक्त आ (ख) में वर्णित प्रतिभूतियां, उपर्युक्त खंड में वर्णित इक्विटी अपवाद के अधीन. Securities referred to in Point B (b) above, subject to the exception for equity referred to in the same Clause.

ट्रेंडिंग के लिए धारित (एचएफटी) Held for Trading (HFT)

बैंक ने एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी के नाम से अलग उप-श्रेणी बनाई है. ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी), जो लाभ एवं हानि के जरिये उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) की उप-श्रेणी हैं, में ऐसे सभी लिखत शामिल होंगे जो 12 सितम्बर 2023 के रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अनुसार एचएफटी के विशेष विवरणों को पुरा करते हैं.

Bank has created a separate sub-category called HFT within FVTPL. Held for Trading (HFT), which is a sub-category of Fair Value through Profit and Loss (FVTPL) shall consist of all instruments that meet the specifications for HFT as per RBI Master Direction dated September 12, 2023.

सहायक, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों (एसजेए) में निवेश Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures (SJA)

सहायक, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेशों को एक विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है. ऐसे निवेश अन्य निवेश श्रेणियों (अर्थात एचटीएम. एएफएस और एफवीटीपीएल) से अलग होते हैं.

All investments in subsidiaries, associates and joint ventures are held in a distinct category for such investments separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL).

इ. अधिग्रहण लागत

C. Acquisition Cost

निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारण करने में:

In determining the acquisition cost of an investment:

- क) द्वितीयक बाजार से इक्विटी लिखतों के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प शुल्क और अन्य करों को अधिग्रहण लागत में शामिल किया जाता है जबिक ट्रेजरी निवेशों सिहत अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है
- a) Brokerage, commission, stamp duty, and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.
- ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त ब्याज / प्राप्त ब्याज को अधिग्रहण लागत/ बिक्री में से घटाया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है
- b) Broken period interest paid/ received is excluded from the cost of acquisition/ sale and treated as interest expense/ income.
- ग) एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल के अंतर्गत ऋण प्रतिभीतियों के अधिग्रहण पर किसी बट्टे या प्रीमियम जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करते हैं, को लिखत की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है.
- c) Any discount or premium on the acquisition of debt securities under HTM, AFS & FVTPL which pass SPPI criterion is amortised over the remaining life of the instrument.
- घ) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.
- d) Cost is determined on the weighted average cost method.



र्ड. प्रारंभिक निर्धारण

D. Initial Recognition

सभी निवेशों का प्रारंभिक निर्धारण उचित मूल्य पर आंका जाता है. जब तक तथ्य और परिस्थितियां सुझाव नहीं देती कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से काफी भिन्न है, यह माना जाता है कि अधिग्रहण लागत उचित मुल्य है. जिन स्थितियों में अनुमान की जांच की जाती है, उसमें शामिल हैं:

All investments are measured at fair value on initial recognition. Unless fact and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, it is presumed that the acquisition cost is the fair value. Situations where the presumption is tested include:

- क) लेनदेन संबद्ध पक्षकारों (एनडीएस-ओएम पर किये गये लेनदेनों को छोडकर) के बीच किये गये हैं.
- a) The transaction is between related parties (excluding transactions carried out on NDS-OM).
- ख) लेनदेन दबाव के अंतर्गत किया जा रहा है जिसमें एक पक्षकार को लेनदेन का मूल्य स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया है.
- b) The transaction is taking place under duress where one party is forced to accept the price in the transaction.
- ग) लेनदेन प्रतिभृति की श्रेणी के मुल बाजार के बाहर किया गया है.
- c) The transaction is done outside the principal market for that class of securities.
- घ) अन्य स्थितियां जहां पर्यवेक्षक की राय में, तथ्य और परिस्थितियां अनुमान की जांच को न्यायसंगत ठहराती हैं.
- d) Other situations, where in the opinion of the supervisor, facts and circumstances warrant testing of the presumption.

नीलामी (विकास सिंहत) के जिरये अधिगृहीत सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में, रिजर्व बैंक द्वारा संचालित (एनडीएस-ओएम पर किये गये लेनदेनों को छोड़कर) स्विच परिचालन और खुला बाजार परिचालन (ओएमओ), में जिस मूल्य पर प्रतिभूति आबंटित की जाती है, उसे प्रारंभिक निर्धारण के उद्देश्य के लिए उचित मुल्य समझा जाता है.

In respect of government securities acquired through auction (including devolvement), switch operations and open market operations (OMO) conducted (Excludes transactions on NDS-OM.) by the RBI, the price at which the security is allotted is considered as the fair value for initial recognition purposes.

जहां प्रतिभूतियां उद्धृत की जाती हैं या बाजार अवलोकनीय इनपुट (जैसे प्रतिफल वक्र, ऋण स्प्रैड, आदि) के आधार पर उचित मूल्य निर्धारित किया जा सकता है, उसे किसी भी दिन 1 के लाभ/हानि को अनुसूची 14: 'अन्य आय', 'निवेशों के पुनर्मल्यन पर लाभ' या 'निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि', जैसी भी स्थिति हो, के उप-शीर्षक के भीतर लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है.

Where the securities are quoted or the fair value can be determined based on market observable inputs (such as yield curve, credit spread, etc.) any Day 1 gain/ loss is recognised in the Profit and Loss Account, under Schedule 14: 'Other Income' within the sub-head 'Profit on revaluation of investments' or 'Loss on revaluation of investments', as the case may be.

- क) लेवल 3 के निवेशों से उत्पन्न किसी दिन 1 की हानि को तत्काल दर्शाया जाता है.
- a) Any Day 1 loss arising from Level 3 investments recognised immediately.
- ख) लेवल 3 के निवेशों से उत्पन्न किसी दिन 1 के लाभ को स्थिगित कर दिया जाता है. ऋण लिखतों के मामले में दिन 1 के लाभ को परिपक्वता की तारीख (या शाश्वत लिखतों के लिए सबसे पहली परिपक्वता पूर्व मोचन की तारीख) पर सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित कर दिया जाता है, जबिक अनुद्धृत इक्विटी लिखतों के लाभ को तब तक देयता के रूप में अलग रखा जायेगा जब तक प्रतिभृति सूचीबद्ध या अमान्य न हो जाये.
- b) Any Day 1 gains arising from Level 3 investments is deferred. In the case of debt instruments, the Day 1 gain is amortized on a straight-line basis up to the maturity date (or earliest call date for perpetual instruments), while for unquoted equity instruments, the gain shall be set aside as a liability until the security is listed or de-recognised.

उ. परवर्ती आकलन

E. Subsequent Measurement

- (i) एचटीएम के लिए धारित प्रतिभूतियों को उनके लागत पर दिखाया जाता है और प्रारंभिक निर्धारण के बाद बाजार मूल्य पर अंकित करने (एमटीएम) के अधीन नहीं होती हैं. एचटीएम के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर किसी बट्टे/ प्रीमियम को लिखत की शेष बची अवधि में परिशोधित किया जाता है. Securities held in HTM are carried at cost and not subjected to be marked to market (MTM) after initial recognition. Any discount / premium on the securities under HTM are amortised over the remaining life of the instrument.
- (ii) एएफएस के अंतर्गत धारित सभी अर्जक ट्रेजरी निवेशों का दैनिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है निवल मूल्यवृद्धि या मूल्यहास को लाभ-हानि खाते के जिरये रूट किये बिना सीधे एएफएस रिजर्व में जमा या नामे किया जाता है. एएफएस में गैर-ट्रेजरी गैर एसएलआर प्रतिभूतियों का मासिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि या मूल्यहास को सीधे एएफएस रिजर्व में जमा या नामे किया जाता है. एएफएस श्रेणी में ऋण लिखतों की बिक्री या परिपक्वता पर एएफएस रिजर्व में उस प्रतिभूति के संचित लाभ/हानि को एएफएस रिजर्व में अंतरित कर दिया जाता है और लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है. तथािप, एक बारगी अविकल्पी चयन का उपयोग कर एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत इक्विटी निवेशों के मामले में बिक्री पर लाभ को लाभ-हानि खाते के जरिये रूट किये बिना सीधे पुंजी रिजर्व में जमा कर दिया जाता है. एएफएस रिजर्व को सामान्य इक्विटी टियर

(सीईटी) 1 पूंजी माना जाता है. एएफएस रिजर्व में अंतरित अप्राप्त लेवल 3 लाभ के वितरण जैसे कि लाभांश एवं सामान्य इक्टी टियर (सीईटी) 1 पंजी पर विचार नहीं किया जाता है.

All performing treasury investments held under AFS is valued on daily basis, the net appreciation or depreciation is directly credited or debited to AFS reserve without routing through the Profit & Loss Account. Non-Treasury - Non-SLR securities in AFS are valued on monthly basis and the net appreciation or depreciation is directly credited or debited to AFS reserve. Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/ loss for that security in the AFS-Reserve is transferred from the AFS Reserve and recognized in the Profit and Loss Account. However, in case of Equity investments classified under AFS using one-time irrevocable selection, the profit on sale are directly credited to Capital Reserve account without routing the same through P & L Account. AFS Reserve is reckoned Common Equity Tier (CET) 1 Capital. The unrealised Level 3 gains transferred to AFS Reserve are not considered for any distribution such as dividend & Common Equity Tier (CET) 1 Capital.

- (iii) एफवीटीपीएल में धारित प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे मूल्यांकन से हुए निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ-हानि खाते में जमा या नामे किया जाता है. खरीद से अधिक बिक्री की स्थित सहित एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी उप श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत ऐसी प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और बाजार मूल्य पर आंकने के कारण हुए लाभ/हानि को एचएफटी पोर्टफोलियों को बाजार मूल्य पर आंकने से संबद्ध दिशानिर्देशों के अनसार लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है.
 - The securities held in FVTPL are fair valued and the net gain or loss arising on such valuation is directly credited or debited to the Profit and Loss Account. Securities classified under the HFT sub-category within FVTPL, including the short position, are valued on a daily basis and account for the resultant mark to market gain/losses in to Profit & Loss account as per the relevant guidelines for marking to market of the HFT portfolio.
- (iv) एफवीटीपीएल (गैर-एचएफटी) के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का एमटीएम मूल्यांकन मासिक आधार पर किया जाता है और निवल एमटीएम लाभ/ हानि को लाभ-हानि खाते में जमा/नामे किया जाता है.
 - MTM Valuation of Investments classified under FVTPL (Non-HFT) are valued on monthly basis and net MTM gain /loss is credited/debited in Profit & Loss accounts.
- (v) ऐसे निवेशों जिन्हें 'अनर्जक निवेशों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, के संबंध में प्रावधान को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों में हुई वृद्धि से समायोजित नहीं किया जाता है और मूल्यह्रास या आईआरएसी प्रावधान, जो भी अधिक हो, का प्रावधान किया जाता है.
 - In respect of investments which are classified as 'Non-Performing' investments, the provision is not set off against the appreciation in respect of other performing securities and Provision maintained for Depreciation or IRAC Provision whichever is higher.
- (vi) सहायक, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेशों (ऋण एवं इक्विटी सहित) को अधिग्रहण लागत पर दर्शाया जाता है. ऋण प्रतिभूतियों (जो एसपीपीआई मानदंड को पुरा करती हैं) के अधिग्रहण पर बट्टे और प्रीमियम को लिखतों की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है.
 - All investments (including debt and equity) in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held at acquisition cost. Any discount and premium on the acquisition of the debt securities (that meet SPPI criterion) are amortised over the remaining life of the instruments.

ऐसे मामलों में जहां संस्था में पहले ही निवेश किया हुआ है, जो सहायक, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम नहीं है और बाद में निवेशित संस्था सहायक, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम बन जाती है तो ऐसी संस्था के सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनने की तारीख से संशोधित रखाव मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:

In cases where there is already an investment in an entity which is not a subsidiary, associate or joint venture, and subsequently the investee entity becomes a subsidiary, associates or joint venture, the revised carrying value as at the date of such entity becoming a subsidiary, associate or joint venture are determined as under:

- क) जहां निवेश एचटीएम के अंतर्गत रखा हुआ था, रखाव मूल्य में से स्थायी अनर्जकता को घटाकर संशोधित रखाव मूल्य माना जाता है.
- a) Where an investment was held under HTM, the carrying value less any permanent impairment is considered as revised carrying value.
- ख) जहां निवेश एएफएस के अंतर्गत रखा हुआ था, एएफएस रिजर्व में पूर्व में दर्शाये गये संचयी लाभ और हानियों को रिवर्स किया जाता है और संशोधित रखाव मुल्य निर्धारित करने के लिए निवेश के मुल्य में स्थायी कमी के साथ निवेश के रखाव मुल्य को समायोजित किया जाता है.
- b) Where an investment was held under AFS, the cumulative gains and losses previously recognised in AFS Reserve are reversed and adjusted to the carrying value of the investment along with any permanent diminution in the value of the investment to arrive at the revised carrying value.
- ग) जहां निवेश एफवीटीपीएल के अंतर्गत रखा हुआ था, निवेशित संस्था के सहायक, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम बनने की तारीख को उचित मृत्य को रखाव मृत्य के रूप में लिया जाता है.
- c) Where an investment was held under FVTPL, the fair value as on the date of the investee becoming subsidiary, associate or joint venture is taken as the carrying value.



- जब निवेशित संस्था सहायक, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम नहीं रहती है तो निवेशों को संबंधित श्रेणियों में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है: When an investee ceases to be a subsidiary, associate or joint venture, the investments are classified to the respective categories as under:
 - जहां निवेश को एचटीएम में पुनः वर्गीकृत किया जाता है, वहां रखाव मुल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसके कारण कोई लेखांकन समायोजन नहीं किया जाता है.
 - Where the investment is reclassified into HTM, there shall be no change in the carrying value and consequently no a) accounting adjustment is made.
 - जहां निवेश को एएफएस या एफवीटीपीएल में पुनः वर्गीकृत किया जाता है, वहां ऐसे पुनःवर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य को संशोधित रखाव मल्य माना जाता है. संशोधित और पूर्ववर्ती रखाव मल्य के बीच अंतर को क्रमशः एएफएस और एफविटीपीएल में पनः वर्गीकरण के मामलें में क्रमशः एएफएस रिजर्व और लाभ-हानि खाते में अंतरित कर दिया जाता है.
 - Where the investment is reclassified into AFS or FVTPL, the fair value on the date of such reclassification is b) considered as the revised carrying value. The difference between the revised and previous carrying value is transferred to AFS-Reserve and Profit and Loss Account in case of reclassification into AFS and FVTPL respectively.
- सहायक, सहयोगी संस्था या संयक्त उद्यम के पुनःवर्गीकरण / निवेश की बिक्री से हुए लाभ /हानि को पहले लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है और उसके बाद लाभ-हानि खाते से पूँजी रिजर्व खाते में (कर एवं सांविधिक रिजर्व में अंतरण को घटाकर) विनियोजित किया जाता है. Any gain / profit arising on the reclassification / sale of an investment in a subsidiary, associate or joint venture is first recognised in the Profit and Loss account and then appropriated below the line (net of taxes and transfer to statutory

मल्यांकन कार्य-प्रणाली ऊ.

Valuation Methodologies

- मुल्यांकन के सिद्धांत Valuation Principles
 - बट्टाकृत लिखत होने के नाते ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक दस्तावेजों और जमा प्रमाणपत्रों का मृल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है.
 - Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost.
 - ट्रेड/ उद्भृत इक्विटी निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध ट्रेड/ भाव-सूची से लिया जाता है. ख)

reserves) from the Profit and Loss Account to the Capital Reserve Account.

- b) In respect of traded/ quoted equity investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the recognised stock exchanges.
- **ग)** उद्धृत सरकारी प्रतिभृतियों का मुल्यांकन बाजार मुल्यों पर तथा अनुद्धृत / ट्रेड न की गई सरकारी प्रतिभृतियों का मुल्यांकन एफआईएमएमडीए/ फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित मुल्यों के आधार पर किया जाता है.
- Quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted/non-traded government securities are c) valued at prices declared by FIMMDA/ Financial Benchmark India Pvt Ltd (FBIL).
- कॉरपोरेट वर्टिकल द्वारा अधिगृहीत सभी मौजूदा एलसीबी/जेडसीबी (जहां उधारकर्ता ऋण शोधन निधि बनाने में असफल रहा है) का मृल्यांकन ਬ) रिजर्व बैंक के संबंधित मास्टर निर्देश के अनुसार ₹ 1 पर किया जाता है.
- Valuation of all existing LCB/ZCB (where the borrower fails to build up the sinking fund) acquired by Corporate vertical is carried out at Re.1 as per the relevant RBI Master Direction.
- अश्रेणीकृत बांड के मार्क-अप के मुल्यांकन के लिए मार्क-अप समान परिपक्वता वाले श्रेणीकृत डिबेंचरों या बांडों पर लागु मार्क-अप से कम ङ) नहीं होता है ताकि बैंक द्वारा वहन ऋण जोखिम को प्रदर्शित किया जा सके.
- For valuing the unrated bonds mark-up not less than the mark-up applicable to rated debentures or bonds of e) equivalent maturity applied so as to reflect the credit risk borne by the Bank.
- अनुद्धत इक्विटी शेयर अर्थात् ऐसे इक्विटी शेयर जिनकी वर्तमान क्वोटेशन उपलब्ध नहीं हैं या जिनके भाव एक्स्चेंज पर उपलब्ध न हो, उनका मुल्यांकन अलग-अलग मृल्य (पुनर्मुल्यन रिजर्व, यदि कोई हो, पर विचार किये बिना), जो कंपनी के नवीनतम तुलन पत्र से प्राप्त होगा, के आधार पर किया जाता है. नेवीनतम तुलन-पत्र के बनाने की तारीख से मूल्यांकन की तारीख 18 महीने से पहले की नहीं होनी चाहिए. यदि नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र उपलब्ध न हो तो शेयरों का मुल्यांकन रिजर्व बैंक के संबंधित मास्टर निर्देश के अनुसार एक रुपया प्रति कंपनी पर किया जाएगा.
- f) The unquoted equity shares i.e., equity shares for which current quotations are not available or where the shares are not quoted on the exchanges, are valued at break-up value (without considering 'revaluation reserves', if any) which is to be ascertained from the company's latest audited balance sheet. The date as on which the latest

balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months. In case the latest audited balance sheet is not available, the shares are valued at Re.1 per company, as per the relevant RBI master direction.

- छ) अनुद्भृत एमएफ़ यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक योजना के संदर्भ में एमएफ़ द्वारा हाल में घोषित किए गए पुनर्खरीद मूल्य के आधार पर किया जाता है. ऐसी निधियां जो लॉक-इन अविध के साथ हों या कोई अन्य फ़ंड जिसका पुनर्खरीद मूल्य/बाजार भाव उपलब्ध न हो, ऐसी यूनिटों का मूल्यांकन योजना के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर किया जाता है. यदि एनएवी उपलब्ध नहीं हो तो इनका मूल्यांकन लॉक-इन अविध की समाप्ति तक लागत के आधार पर किया जाता है.
- g) Investment in un-quoted MF units are valued on the basis of the latest re-purchase price declared by the MF in respect of each scheme. In case of funds with a lock-in period or any other fund, where repurchase price/ market quote is not available, units are valued at Net Asset Value (NAV) of the scheme. If NAV is not available, these are valued at cost, till the end of the lock-in period.
- ज) नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे कीमत-लागत अंतर व प्रयुक्त वाईटीएम दरें एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों के अनुसार होती हैं.
- h) Unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by FBIL.
- झ) एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी/अन्य प्रतिभूतियों में बैंक के निवेश को ऐसे लिखतों के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मुल्य (एनएवी) की गणना कर आवधिक आधार पर मुल्यांकन किया जाता है.
- i) Investments by the Bank in SRs / PTCs / other securities issued by ARCs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.
 - बशर्ते कि बैंक द्वारा एआरसी को अंतरित दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी में बैंक निवेश करता है तो बैंक निवेश तब तक सतत आधार पर बहियों में दिखाता है जब तक उपर्युक्त एनएवी के आधार पर एसआर का शोधन मूल्य और अंतरण के समय अंतरित दबावग्रस्त ऋण की एनबीवी में जो कम हो पर अंतरण या वसुली तक दर्शाता है.
 - Provided that when the Bank invests in the SRs/PTCs issued by ARCs in respect of the stressed loans transferred by it to the ARC, the Bank carries the investment in their books on an ongoing basis, until its transfer or realization, at lower of the redemption value of SRs arrived based on the NAV as above, and the NBV of the transferred stressed loan at the time of transfer.
- ञ) यदि अंतरणकर्ता द्वारा अंतरित ऋणों के बदले जारी एसआर में अंतरणकर्ता द्वारा निवेश अंतरित आस्ति के बदले जारी सभी एसआर के 10 प्रतिशत से अधिक है तब एसआर का मूल्यांकन निम्नलिखित में से कम पर विचार किया जाता है:
- j) If the investment by the transferor in SRs issued against loans transferred by it is more than 10 percent of all SRs issued against the transferred asset, then the valuation of the SRs is considered as the lower of the following:
 - i) खंड (i) के अनुसार निकाला गया मूल्य और Value arrived at in terms of clause (i); and
 - ii) यदि ऋण अंतरणकर्ता की बहियों में जारी रहते हैं तो लागू किल्पत प्रावधान दर से एसआर का अंकित मूल्य घटाया गया.
 Face value of the SRs reduced by the notional provisioning rate applicable if the loans had continued on the books of the transferor.
- ट) उद्भृत अधिमानी शेयरों को बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्भृत / ट्रेड न किये जाने वाले अधिमानी शेयरों को रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मृल्य से अनिधक परिपक्वता आधार पर उपयुक्त प्रतिफल के आधार पर मृल्यांकित किया जाता है.
- k) Quoted Preference shares are valued at market rates and unquoted/non-traded preference shares are valued at appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per the RBI guidelines.
- ठ) अनुद्धृत उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ)/वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेश का वर्गीकरण रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एफवीटीपीएल गैर-एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत बैंक के विवेक पर किया जाता है और वीसीएफ द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई एनएवी पर मूल्यांकन किया जाता है. वर्ष में कम से कम एक बार, इन यूनिटों का मूल्यांकन वीसीएफ़ के हाल के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, यदि उपलब्ध हो, के आधार पर या रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 1 प्रति वीसीएफ़ की दर से किया जाता है.
- I) Investments in unquoted Venture Capital Fund (VCF)/Alternate Investments Funds (AIFs) are categorised, at the discretion of the Bank, under FVTPL Non-HFT category in accordance with the RBI guidelines and valued at NAV shown by the VCF in its financial statements. At least once a year, the units are valued based on the latest audited financials of the VCF if available or at ₹ 1 per VCF as per the RBI guidelines.



- ड) पीटीसी निवेश वर्तमान में केवल एचटीएम श्रेणी में धारित किए जाते हैं तथा लागत पर दर्शाये जाते हैं.
- m) PTC investments are presently held only under HTM category and are carried at Cost.
- (ii) नये ढांचे में परिवर्तन (1 अप्रैल 2024) के बाद बैंकों को निदेशक मंडल की अनुमित के बिना निवेशों की श्रेणियों (अर्थात् एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) के बीच पुनःवर्गीकरण की अनुमित नहीं है. इसके अलावा, ऐसे वर्गीकरण के लिए पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस), रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन भी अपेक्षित है.

After transition (April 01, 2024) to new framework, banks are not allowed to reclassify investments between categories (viz. HTM, AFS and FVTPL) without the approval of Board of Directors. Further, such reclassification also requires the prior approval of the Department of Supervision (DoS), RBI.

उत्तरवर्ती पुनः वर्गीकरण के लिए बैंक को दिनांक 12 सितम्बर 2023 के वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देशों), 2023 के बारे में रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अध्याय VI में निर्दिष्ट पुनःवर्गीकरण लेखांकन का पालन करना होगा.

For subsequent reclassification, Bank shall follow reclassification accounting stipulated under Chapter VI of RBI Master Direction on Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 dated September 12, 2023.

अनर्जक निवेश

Non-Performing Investments

अनर्जक निवेशों की पहचान की जाती है तथा उन पर रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है. ऐसे अनर्जक निवेश के मूल्यहास/ प्रावधान को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों की मूल्यवृद्धि से समायोजित नहीं किया जाता है. जब तक अनर्जक निवेशों पर ब्याज/आय प्राप्त नहीं होती तब तक लाभ-हानि खाते में दर्शाया नहीं जाता है.

Non-performing investments are identified and depreciation provisions are made thereon based on the RBI guidelines. The depreciation / provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest / income on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss Account until it is received.

अधिविक्रय / Short Sale

रिजवं बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में अधिविक्रय करता है. अधिविक्रय स्थितियों को एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकत किया जाता है.

The Bank undertakes short sale transaction in Central Government dated securities in accordance with the RBI guidelines. The short positions are categorized under HFT category.

ए. रेपो एवं रिवर्स रेपो लेन-देन

G. Repo and reverse repo transactions

रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (चलनिधि समायोजन सुविधा ('एलएएफ') व सीमांत आपाती सुविधा ('एमएसएफ') के तहत रिजर्व बैंक से किए गए लेन-देनों सिहत) में रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमशः उधार लेने व उधार देने वाले लेन-देनों के रूप में दर्शाए जाते हैं. रेपो लेन-देनों पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है

In accordance with the RBI guidelines, repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (including transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with the RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

7. डेरिवेटिव लेन-देन / Derivative Transactions

डेरिवेटिव लेन-देनों में वायदा संविदाएँ, स्वैप और विकल्प शामिल है जिनका प्रकटन आकस्मिक देयताओं के रूप में किया जाता है. वायदा, स्वैप और विकल्पों को ट्रेडिंग या हेज लेन-देन, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

Derivative transactions comprise of forward contracts, swaps and options which are disclosed as contingent liabilities. The forwards, swaps and options are categorized as trading or hedge transactions, as the case may be.

बैंक विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के बारे में लेखांकन मानक 11 के सिद्धांत का अनुसरण करता है.

Bank follows the principle of Accounting Standard 11 on The Effects of Change in Foreign Exchange Rates.

बैंक भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी डेरेवेटिव संविदाओं के लिए लेखांकन के बारे में निर्देशन नोट (2021 में संशोधित), उक्त निर्देशन नोट के अनुच्छेद 63 को छोड़कर, की अपेक्षाओं का भी अनुपालन करता है. बैंक 12 सितम्बर 2023 के वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के बारे में रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश, 2023 के पैरा 39 के अनुसार अपनी डेरेवेटिव आस्ति एवं देयताओं को क्रमशः अनुसची 11: 'अन्य आस्तियां' और अनुसूची 5: 'अन्य देयताएं' के अंतर्गत अलग मद के रूप में दर्शाता है. बैंक उक्त निर्देशन नोट की हेज लेखांकन अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए अपने निवेशों के रखाव मूल्य में समायोजन करता है.

Bank also complies with the requirements of the Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts (revised 2021) issued by the Institute of Chartered Accountants of India except for paragraph 63 of the said Guidance Note. Bank presents its derivative asset and liabilities as separate line items under Schedule 11: 'Other Assets' and Schedule 5: 'Other Liabilities' respectively in accordance with para 39 of the RBI Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 dated September 12, 2023. Bank makes adjustments to the carrying value of its investments in compliance with the hedge accounting requirements of the said Guidance Note.

'हेज' के रूप में नामित लेन-देनों में: / In Transactions designated as 'Hedge':

बैंक का 31 मार्च 2025 का कोई सक्रिय हेज लेनदेन नहीं है. Bank has no active Hedge trade as on March 31, 2025.

'टेडिंग' के रूप में नामित लेन-देनों में:

In Transactions designated as 'Trading':

- क) 'ट्रेडिंग' के रूप में नामित बकाया डेरिवेटिव लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ-हानि खाते में शामिल किया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि खाते में अंतरित कर दिया जाता है.
- a) Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.
- ख) एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ) खंडों में ट्रेडिंग के रूप में नामित डेरिवेटिव लेन-देनों में मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शन्स और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है और नकदी निपटान टी+1 आधार पर किया जाता है. इन लेन-देनों से हुए लाभ/हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित की गई माह के अंत में निपटान की तारीख को लाभ- हानि खाते में अंतरित किया जाता है.
- b) Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit and Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.
- ग) ''ट्रेडिंग'' के रूप में नामित रुपया डेरिवेटिव पर आय को वसली आधार पर लाभ-हानि खाते में दिखाया जाता है.
- c) Income on Rupee Derivatives designated as "Trading" is recognised in the Profit and Loss Account on realisation basis.
- घ) डेरिवेटिव संविदाओं के अंतर्गत किसी भी प्राप्यराशि, जो 90 दिन से अधिक के लिए अतिदेय रहती है, को लाभ-हानि खाते के जरिये 'उचंत खाता क्रिस्टलीकृत प्राप्यराशियां' में रिवर्स किया जाता है.
- d) Any receivable under derivative contracts, which remain overdue for more than 90 days, are reversed through Profit and Loss Account to "Suspense Account Crystallised Receivables".

8. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार का प्रमाण-पत्र / Priority Sector Lending Certificates

बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी) के क्रय या विक्रय के लेन-देन करता है. बिक्री लेन-देन के मामले में, बैंक रिजर्व बैंक के ट्रेडिंग प्लैटफ़ार्म पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार दायित्वों को पूरा करने की बिक्री करता है और खरीद लेनदेन के मामले में, बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार दायित्वों को पूरा करने का क्रय करता है. जोखिम या ऋण आस्तियों का कोई अंतरण नहीं होता है. पीएसएलसी की बिक्री से प्राप्त शुल्क को विविध आय के रूप में दर्शाया जाता है और पीएसएलसी की खरीद के लिए अदा किए गए शुल्क को अन्य व्यय के रूप में लाभ-हानि खाते में रिकॉर्ड किया जाता है. इनको प्रमाण पत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है.

The Bank enters into transactions for the sale or purchase of Priority Sector Lending Certificates (PSLCs). In the case of a sale transaction, the Bank sells the fulfilment of priority sector obligation and in the case of a purchase transaction the Bank buys the fulfilment of priority sector obligation through the RBI trading platform. There is no transfer of risks or loan assets. The fee received for the sale of PSLCs is recorded as miscellaneous income and the fee paid for purchase of the PSLCs is recorded as other expenditure in Profit and Loss Account. These are amortised over the period of the Certificate.

9. अचल आस्तियां और मूल्यहास (संपत्ति संयंत्र और उपकरण) Fixed Assets and Depreciation (Property Plant and Equipment)

(i) अचल आस्तियों, परिसर को छोड़कर, को संचित मूल्यहास घटाकर लागत पर दिखाया जाता है. परिसर का पुनर्मूल्यांकन बैंक की नीति तथा रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और उसे संचित मूल्यहास घटाकर पुनर्मूल्यित राशि पर दिखाया जाता है.

Fixed assets other than Premises are stated at cost less accumulated depreciation. Premises are revalued in accordance with the Bank's policy and the RBI guidelines and the same are stated at revalued amount less accumulated depreciation.



- (ii) पट्टेधृत परिसरों में सुधार में किए गए व्यय को पट्टे की बची हुई प्राथमिक अवधि के दौरान विलोपित किया जाता है. Improvements to lease hold premises are depreciated over the remaining primary period of lease.
- (iii) आस्ति की लागत में क्रय लागत और उपयोग में लाने से पूर्व आस्ति पर उपगत सभी व्यय शामिल होते हैं. उपयोग में लाये जाने पर आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पुंजीकृत किया जाता है जब वह ऐसी आस्तियों से भावी लाभ या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है.
 - Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets which have been put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- (iv) पुनर्मूल्यन पर मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को पुनर्मूल्यन रिजर्व में जमा किया जाता है.

 The appreciation on revaluation, if any, is credited to Revaluation Reserve.
- (v) अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यहास की गणना लागत या पुनर्मूल्यित आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यित राशि पर सीधी रेखा पद्धित द्वारा की जाती है
 - Depreciation in respect of fixed assets is calculated on Straight Line Method with reference to cost or revalued amounts, in case of assets revalued.
- पुनर्मूल्यत आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यहास को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यन रिजर्व से सामान्य रिजर्व में अंतरित किया जाता है.
 In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from revaluation reserve to general reserve in the balance sheet.
- (vii) ₹ 5,000/- से कम लागत की अलग-अलग अचल आस्तियों को पहले पूंजीकृत किया जाता है और फिर उनके परिवर्धन के वर्ष में ही पूर्णतः मूल्यहासित किया जाता है क्योंकि बैंक इन तमाम वर्षों में आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं करता है.
 - Fixed assets individually costing less than ₹ 5,000/- are first capitalized and then fully depreciated in the year of addition as the bank do not expect economic benefit over the period of years.
- (viii) मूर्त आस्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के अंतर्गत निर्धारित रूप में आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के दौरान विनिधानित किया जाता है. उपयोगी जीवनकाल तथा अविशष्ट मूल्य की आविधक रूप से समीक्षा की जाती है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार, किसी अचल आस्ति को अर्जित करते समय उस अचल आस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यहास की ऊंची दर लगायी जाती है.
 - Depreciation on tangible assets is allocated over useful life of the asset as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. The useful lives and residual values are reviewed periodically. If the management estimate of the useful life of an asset at the time of acquisition of the asset or of remaining useful life on subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on the management's estimate of useful life / remaining useful life.
- (ix) वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यहास आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अविध के लिए प्रदान किया जाता है.

 Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets are actually held.
- (x) अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है: The useful lives of Fixed assets are as follows:

आस्ति Asset	उपयोगी जीवनकाल (वर्षों में) Useful Life (in Years)
स्वामित्व वाले परिसर / Owned Premises	60
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture and fixtures	10
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी / Electrical installation and machinery	10
मोटर वाहन / Motor vehicles	8
कंप्यूटर / Computers	3
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	8
वी-सैट उपकरण / VSAT equipment	6
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer durables with employees	
क) फर्नीचर एवं फिक्सचर	10
a) Furniture and fixtures	
ख) पर्सनल कंप्यूटर	3
b) Personal Computers	

- (xi) पट्टाधृत भूमि को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है. पट्टेधृत सुधार को उसी आस्ति श्रेणी में पूंजी में परिणित तथा पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है.
 - Leasehold land is amortized over the period of lease. Leasehold improvements are capitalized in the same asset category and amortized over period of lease.
- (xii) ₹ 2.50 लाख से अधिक राशि वाले प्रत्येक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत किया जाता है और 6 वर्ष से अनिधक अविध में इसके उपयोगी जीवनकाल में मृत्यहासित किया जाता है.
 - Computer Software individually costing more than ₹ 2.50 lacs is capitalized and depreciated over its useful life, not exceeding 6 years.

10. प्रतिभूतीकरण लेन-देन:

Securitisation Transactions:

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतिकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं(एसपीवी) को बिक्री होती है, जो इसके बदले निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत आस्तियों वाले संविदात्मक अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णत: अमान्य कर दिया जाता है. बैंक, बिक्री के समय ही होने वाली हानि को तुरंत हिसाब में लेता है और बिक्री के परिणामस्वरूप हुए लाभ/ प्रीमियम को उस एसपीवी द्वारा, जिसे आस्तियां बेची गई हैं, जारी की जाने वाली अथवा जारी की गई प्रतिभृतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.

Securitization of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognized when the control over the contractual rights in the securitized assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortized over the life of the securities issued/ to be issued by the SPV to which the assets are sold.

11. प्रतिभूतीकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री: Sale of financial assets to Securitization Companies/ Reconstruction Companies:

प्रतिभूतीकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्संरचना कंपनियों (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्राप्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के मोचन मूल्य और वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है.

Sale of financial assets to Securitization Companies (SCs) / Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset.

आस्तियों की बिक्री, जिसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है तथा तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाला गया है, के मामलों में प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की गणना बैंक की निवेश बही में एक रुपये मान कर की जाती है.

In case of sale of assets which are fully provided and Technically Written off, the Security Receipts (SRs) are reckoned at Rupee one in the investment book of the Bank.

जब एक दबावग्रस्त ऋण एआरसी को अंतरण के समय निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम मूल्य पर अंतरित किया जाता है तो बैंक कमी की राशि को लाभ-हानि खाते में उस वर्ष में नामे करता है जिसमें अंतरण किया जाता है. जब अंतरण एनबीवी से कम मूल्य पर किया जाता है तो बैंक को दबावग्रस्त ऋण के अंतरण में कमी को पूरा करने के लिए प्रतिचक्रीय या अस्थिर प्रावधानों का उपयोग करने की अनुमति है.

When the stressed loan is transferred to ARC at a price below the Net Book Value (NBV) at the time of transfer, the bank debits the shortfall to the profit and loss account for the year in which the transfer has taken place. Bank is permitted to use countercyclical or floating provisions for meeting any shortfall on transfer of stressed loan when the transfer is at a price below the NBV.

जब एक दबावग्रस्त ऋण एआरसी को अंतरण के समय निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य पर अंतरित किया जाता है तो बैंक अंतरण पर आधिक्य प्रावधान को लाभ-हानि खाते में उस वर्ष में रिवर्स करता है जिसमें राशियां प्राप्त होती हैं और ऐसा तब किया जाता है जब प्रारंभिक प्रतिफल और/या मोचन या प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/पास थ्रू प्रमाणपत्रों (पीटीसी)/एआरसी द्वारा जारी अन्य प्रतिभूतियों के रूप में प्राप्त नकदी का योग अंतरण के समय एनबीवी से अधिक हो. इसके अलावा, ऐसा रिवर्सल उस सीमा तक सीमित रहता है जितना अंतरण के समय प्राप्त नकदी ऋण की एनबीवी से अधिक है.

When the stressed loan is transferred to an ARC for a value higher than the NBV at the time of transfer, Bank reverses the excess provision on transfer to the profit and loss account in the year in which the amounts are received and only when the sum of cash received by way of initial consideration and / or redemption or transfer of Security Receipts (SR) / Pass Through Certificates (PTCs)/ other securities issued by ARCs is higher than the NBV of the loan at the time of transfer. Further, such reversal is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the loan at the time of transfer.



आस्ति पनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के अलावा अन्य अंतरिती को वित्तीय आस्तियों की बिक्री Sale of financial assets to transferee other than Asset Reconstruction Companies (ARCs)

संपूर्ण अंतरण प्रतिफल ऋण अंतरण के समय ही प्राप्त किया जायेगा और ऋण को बैंक की बही से संपूर्ण अंतरण प्रतिफल प्राप्त होने पर ही हटाया जा सकता है. The entire transfer consideration will be received not later than at the time of transfer of loans, and the loan can be taken out of the books of the Bank only on receipt of the entire transfer consideration.

यदि एआरसी के अलावा अन्य किसी अंतरिती को ऋण का अंतरण, अंतरण के समय एनबीवी से कम मृल्य पर किया जाता है तो कमी को लाभ-हानि खाते में उस वर्ष नामें किया जाता है जिस वर्ष अंतरण किया जाता है.

In case of loan transfer to transferee(s) other than ARCs is at a price below the net NBV at the time of transfer, the shortfall is debited to the profit and loss account of the year in which transfer has taken place.

यदि अंतरण प्रतिफल अंतरण के समय एनबीवी से अधिक है तो अधिक्य प्रावधान को रिवर्स किया जाये.

If the transfer consideration is for a value higher than the NBV at the time of transfer, the excess provisions may be reversed.

12. विदेशी मुद्रा लेन-देन:

Foreign Currency Transactions:

- विदेशी मद्रा लेन-देनों को आरंभिक अभिनिर्धारण पर लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक विदेशी मद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.
 - Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.
- ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं की गई हैं, की शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में (ii) परिशोधित किया जाता है. अन्य वायदा विनिमय संविदाओं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है.
 - Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortized as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognized.
- ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं हैं, का फेडाई की बंद दरों पर पुनर्मुल्यन किया जाता है. अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं (iii) का मल्य निर्धारण फेडाई द्वारा विर्निदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. परिणामी लाभ/हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है.
 - Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are valued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profits/ losses are recognized in the Profit and Loss Account.
- वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख (iv) पर लाभ और हानि विवरण में दिखाया जाता है.
 - Profits/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, are recognized in the statement of profit & loss on the date of termination.
- बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों (v) एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की बंद दरों पर की जाती है.
 - Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts are calculated at the contracted rates of exchange and those in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.
- विदेशी शाखा के परिचालनों को 'गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. मौद्रिक और गैर-मौद्रिक, गैर-एकीकृत विदेशी परिचालनों की दोनों विदेशी मुद्रा आस्तियों और देनदारियों को तुलन-पत्र की तारीख को फेडाई द्वारा अधिसुचित बंद विनिमय दरों पर रूपांतरित किया जाता है. आय और व्यय मदों को त्रैमासिक औसत दरों पर रूपान्तरित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप विनिमय अंतरों से उत्पन्न लाभ/ हानि को गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के निपटान तक विदेशी मुद्रा रूपांतर खाते में संचित किया जाता है.
 - Operations of foreign branch are classified as 'Non-Integral Foreign Operations'. Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the Balance Sheet date, Income and Expenditure items are translated at quarterly average rates and the resulting profit / loss arising from exchange differences are accumulated in the Foreign Currency Translation Account until disposal of the non-integral foreign operations.

13. कर्मचारी लाभ: Employee Benefits:

(i) पेंशन / Pension

परिभाषित लाभ योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों के समूह को देय पेंशन के संबंध में, बैंक अपने द्वारा स्थापित और न्यासी बोर्ड द्वारा प्रशासित पेंशन फंड ट्रस्ट को वेतन का 10% अंशदान देता है. बैंक प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर पेंशन देयता के एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता की कमी के लिए अतिरिक्त राशि का अंशदान देता है, जिसकी गणना जनसांख्यिकी, वेतन वृद्धि, नौकरी छोड़ने की दर, मृत्यु दर और छूट दर के बारे में कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है. प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके देयता/ परिभाषित लाभ निर्धारित किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में उस अवधि में दिखाया जाता है जिसमें वे होते हैं.

In respect of Pension payable to the group of employees who are eligible for Pension under Defined Benefit Scheme, Bank contributes 10% of pay to Pension Fund Trust set up by the Bank and administered by the Board of Trustees. Bank further contributes for an additional amount towards the liability shortfall, based on an independent Actuarial valuation of Pension liability at each Balance Sheet date which is calculated based on certain assumptions about demographics, salary increase, attrition rate, mortality rate and discounting rate. The liability / defined benefit is determined using the Projected Unit Credit Method. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

(ii) नई पेंशन योजना (एनपीएस) / New Pension Scheme (NPS)

नई पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल किए गए कर्मचारियों के संबंध में, बैंक परिभाषित योगदान योजना में कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते का 14% परिभाषित योजना में योगदान देता है, जिसे पेंशन फंड कंपनियों द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किया जाता है. बैंक का इसके अंशदान के अलावा कोई दायित्व नहीं है और इस तरह के योगदान को वर्ष में किया गया खर्च माना जाता है.

In respect of the employees covered under New Pension Scheme (NPS), Bank contributes 14% of the Pay plus Dearness Allowance of employees to the defined scheme, a defined contribution plan, which is managed and administered by Pension Fund companies. Bank has no liability other than its contribution and recognizes such contribution as an expense in the year of incurrence.

(iii) क्षतिपूरक अनुपस्थितियां / Compensated Absences

बैंक के कर्मचारी विभिन्न क्षतिपूरक अनुपस्थितियों के हकदार हैं. कर्मचारी अप्रयुक्त उपार्जित क्षतिपूरक अनुपस्थित के एक हिस्से को आगे ले जा सकते है और इसका उपयोग भविष्य की अविध में कर सकते है या निर्दिष्ट दिनों तक कुछ प्रकार के अप्रयुक्त उपार्जित क्षतिपूरक अनुपस्थिति के लिए सेवानिवृत्ति या सेवा की समाप्ति पर नकद प्राप्त कर सकते है. एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा तुलन-पत्र की तारीख को किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर बैंक क्षतिपूरक अनुपस्थिति के लिए देयता उपार्जित करता है, जिसमें जनसांख्यिकी, समयपूर्व सेवानिवृत्ति, वेतन वृद्धि, ब्याज दर और छुट्टी का उपयोग करना शामिल है. बैंक के दायित्व के निवल वर्तमान मूल्य का निर्धारण तुलन-पत्र की तारीख को प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके किया जाता है. बीमांकिक लाभों/ हानियों को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है. जिस वर्ष वे उत्पन्न होते हैं.

The employees of the Bank are entitled to various compensated absences. The employees can carry forward a portion of the unutilized accrued compensated absence and utilize it in future periods or receive cash compensation at retirement or termination of employment for certain types of unutilized accrued compensated absence upto specified number of days. The Bank accrues the liability for compensated absences based on the actuarial valuation as at the Balance Sheet date conducted by an independent actuary which includes assumptions about demographics, early retirement, salary increases, interest rates and leave utilization. The net present value of the Banks' obligation is determined using the Projected Unit Credit Method as at the Balance Sheet date. Actuarial gains / losses are recognized in the Profit and Loss Account in the year in which they arise.

(iv) स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना (वीएचएस) / Voluntary Health Scheme (VHS)

बैंक की एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना (वीएचएस) है जो कर्मचारियों की विभिन्न ग्रेड के लिए निर्धारित सीमा (घरेलू और अस्पताल में भर्ती) के अनुसार कर्मचारियों और उनके पित या पत्नी और आश्रित बच्चों (जैसा लागू हो) की, सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करती है. यह योजना वैकित्पक थी और सदस्यता के लिए बंद कर दी गई है. इसके अलावा, बैंक तुलन पत्र की तारीख को इस योजना के लिए एक स्वतंत्र बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर कमी राशि के लिए एक अतिरिक्त राशि के लिए अंशदान देता है, जिसकी गणना अवधि में फंड के वास्तविक उपयोग और उन लोगों के लिए शेष सीमा के आधार पर की जाती है जिन्होंने सदस्यता ली है.

The Bank has a Voluntary Health Scheme (VHS) which caters to the post-retirement medical needs of the employees and their spouse & dependent children (as applicable) as per the limits (domiciliary and hospitalization) set for various Grades of employees. This scheme was optional and has been closed for subscription. Further, Bank contributes for an additional amount towards the shortfall amount based on an independent actuarial valuation for this scheme as on Balance Sheet date which is calculated based on the actual utilization of the fund for the period and the balance limits for those who have subscribed to the scheme.



(v) ग्रेच्युटी / Gratuity

उपदान के रूप में बैंक का एक दायित्व है जो एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जिसमें सभी पात्र कर्मचारियों को इस्तीफा, सेवानिवृत्ति, रोजगार के दौरान मृत्यु या रोजगार की समाप्ति पर दिया जाता है. बैंक आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड न्यास में अंशदान देता है, जिसे न्यासियों द्वारा प्रशासित किया जाता है. जिन कर्मचारियों ने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है लेकिन 10 साल से कम हो, उन्हें ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है. ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए ग्रेच्युटी अधिनियम के नियमों के अलावा बैंक के पास ग्रेच्युटी नियम, 2004 का एक अलग सेट है. ग्रेच्युटी नियम, 2004 उन कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिन्होंने 10 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है और उनके लिए ग्रेच्युटी की गणना के लिए एक अलग पद्धित है. ऐसे कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की गणना ग्रेच्युटी अधिनियम और ग्रेच्युटी नियम दोनों के अनुसार की जाती है और जो भी कर्मचारी के लिए फायदेमंद हो, उसका भुगतान किया जाता है

The bank has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering all eligible employees on resignation, retirement, death while in employment or on termination of employment. The Bank makes contributions to IDBI Bank Employees' Gratuity Fund Trust, administered by the Trustees. The employees who have completed 5 years of service but less than 10 years, Gratuity is paid as per Gratuity Act. Bank has a separate set of Gratuity Rules, 2004 apart from the rules as per Gratuity Act for payment of Gratuity. The Gratuity Rules, 2004 are applicable to those employees who have completed 10 years of service period and has a separate methodology for calculation of Gratuity. For such employees gratuity is calculated as per both Gratuity Act and Gratuity Rules and are paid the amount whichever is beneficial to employee.

बैंक त्रैमासिक आधार पर ग्रेच्युटी देयता के एक स्वतंत्र बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर देयता में कमी के लिए अंशदान देता है, जिसकी गणना जनसांख्यिकी, वेतन वृद्धि, नौकरी छोड़ने की दर, मृत्यु दर और छूट दर के बारे में कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है. प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके देयता/ परिभाषित लाभ निर्धारित किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है जिसमें वे होते हैं.

Bank contributes towards the liability shortfall, based on an independent Actuarial Valuation of Gratuity liability on a quarterly basis which is calculated based on certain assumptions about demographics, salary increase, attrition rate, mortality rate and discounting rate. The liability / defined benefit is determined using the Projected Unit Credit Method. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

(vi) भविष्य निधि / Provident Fund

बैंक एक अलग न्यास (आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट) को वेतन का 10 प्रतिशत अदा करता है जो निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है. वर्ष में निधि में अंशदान को खर्च माना जाता है और लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. बैंक का दायित्व ऐसा नियत अंशदान करना और सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिलाभ दर (ईपीएफओ दरों) सुनिश्चित करना है. ईपीएफओ की प्रतिलाभ दर की तुलना में निधि की आस्तियों में कमी, यदि कोई हो, जो स्वतंत्र बीमांकक के मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती है, तो उसकी पूर्ति बैंक द्वारा की जाती है और उसे लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

The Bank pays 10% of Pay to a separate trust (IDBI Bank Employees Provident Fund Trust), which invests the funds in permitted securities. The contributions to the fund for the year are recognized as expense and are charged to the Profit and Loss Account. The obligation of the Bank is to make such fixed contributions and to ensure a minimum rate of return to the members as specified by the Government of India (EPFO rates). Shortfall in the fund assets to match EPFO rate of return, if any, determined based on the independent actuarial valuation, is made good by the bank and charged to the Profit and Loss Account.

(vii) अन्य दीर्घकालिक लाभ / Other Long Term Benefits

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में छुट्टी किराया रियायत (एलएफसी) और दीर्घकालिक प्रोत्साहन योजनाएं जैसे ईएसओपी के बदले नकदी शामिल हैं. बैंक की देयता उपचित होती है और रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग कर बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है. बीमांकक पूर्वानुमानों में परिवर्तन के प्रभाव के कारण बीमांकिक लाभ या हानि, यदि कोई हो, को उनके उत्पन्न होने की अवधि में लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है.

Other long term employee benefits include Leave Fare Concession (LFC) and long term incentive plans like cash in-lieu of ESOPs. The Bank's liability is accrued and provided for on the basis of an actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method at the end of the reporting period. Actuarial gains or losses, if any, due to the effects of changes in actuarial assumptions are accounted for in the Profit and Loss Account, as the case may be, in the period in which they arise.

14. खंड रिपोर्टिंग / Segment Reporting

बैंक तीन खंडों अर्थात कॉरपोरेट/होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और ट्रेजरी सेवाओं में परिचालन करता है. इन खंडों का निर्धारण रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा योजनाओं व सेवाओं की प्रकृति और जोखिम रूपरेखा, लिक्षत ग्राहक प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद खंड रिपोर्टिंग के बारे में लेखा मानक-17 के आधार पर किया गया है.

The Bank operates in three segments corporate/wholesale banking, retail banking and treasury operations. These segments have been identified in line with extant RBI guidelines and AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

खंड राजस्व, परिणामों, आस्तियों एवं देयताओं में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक खंड हेतु पहचानने योग्य राशियां और आबंटित राशि शामिल है. जो आस्तियां एवं देयताएं ज्ञात खंडों में आबंटित नहीं की जा सकती हैं, उन्हें अनाबंटित आस्तियों व देयताओं के रूप में समृहित किया गया है.

Segment revenue, results, assets, and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities

15. आयकर / Income Tax

- (i) कर व्यय में वर्तमान एवं आस्थिगित कर शामिल है.

 Tax expense comprises of current and deferred tax.
 - वर्तमान कर आयकर की वह निर्धारित राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 तथा आय संगणना एवं प्रकटन मानक (आईसीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार परिकलित अवधि के लिए करयोग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसली योग्य) है.
 - Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).
- (ii) चालू वर्ष और हानियों को आगे ले जाने के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय अंतरालों के प्रभाव पर विचार कर आस्थगित कर निर्धारित किया जाता है, इसके लिए तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग किया जाता है. समय अंतरालों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक हिसाब में लिया जाता है जितनी उनकी भविष्य में वसली की उचित निश्चितता हो.
 - Deferred tax are recognized considering the impact of timing differences between the accounting income and taxable income for the current year and carry forward of losses, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.
- (iii) अनवशोषित मूल्यहास/ कर हानियों के मामले में आस्थिगित कर आस्तियां तभी हिसाब में ली जाती हैं जब यह आभासी रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थिगित कर आस्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसुल की जा सकती हैं.
 - Deferred tax assets in case of unabsorbed depreciation/ tax losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.
- (iv) आस्थिगित कर आस्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को की जाती है और उचित / आभाषी रूप से वसूल होने वाली राशि को समुचित रूप से समायोजित किया जाता है
 - Deferred tax assets are reviewed at each Balance Sheet date and appropriately adjusted to reflect the amount that is reasonably/virtually certain to be realized.

16. पट्टे / Leases

- (i) पट्टे/ किराए के आधार पर ली गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय/ निरसनीय है. The properties taken on lease/ rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank.
- (ii) बैंक के द्वारा किए गए पट्टे करार सहमत अविध के लिए होते हैं जिनमें पट्टा अविध के दौरान आपसी सहमित का नोटिस देकर समाप्त करने का विकल्प होता है.
 - The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed notice in writing.
- (iii) परिचालन पट्टे के लिए अदा किये गये पट्टे किराये को उसी वर्ष के लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है जिससे यह संबंधित है.

 Lease rent paid for operating leases are recognised as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates.
- (iv) परिचालन पट्टे के संबंध में प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत जैसे विधिक लागत, दलाली लागत, आदि को तत्काल व्यय के रूप में लाभ-हानि खाते में दिखाया जाता है
 - Initial direct costs in respect of operating leases such as legal costs, brokerage costs, etc. are recognized as expense immediately in the Profit and Loss Account

17. प्रति शेयर अर्जन / Earnings Per Share

- (i) बैंक लेखामानक 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर उपार्जन की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना कर पश्चात् निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.
 - The Bank reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.



(ii) प्रित शेयर न्यूनीकृत उपार्जन उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाती है जो उस अवधि के दौरान प्रितभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या इक्विटी शेयरों में परिवर्तन करने पर हो सकता है. प्रित शेयर न्यूनीकृत उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या, जहां परिणाम न्यूनीकृत विरोधी हों के सिवाय, से भाग देकर की जाती है. Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted to equity shares during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year except where the results are anti-dilutive.

18. आस्तियों का ह्रासित होना / Impairment of Assets

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन इस बात का संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि वसूली योग्य नहीं रही तो अचल आस्तियों के ह्रासित होने की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता का आकलन अनुमानित वर्तमान वसूली योग्य मूल्य और उपयोग में मूल्य की आस्ति की रखाव राशि से तुलना द्वारा किया जाता है. यदि ऐसी आस्तियां ह्रासित मानी गई हों तो उस ह्रास को उस आस्ति की रखाव लागत से उसके अनुमानित वर्तमान वसूली योग्य मूल्य या उपयोग में मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है. दावों के निपटान से प्राप्त गैर-बैंकिंग आस्तियों के ह्रास की समीक्षा केवल तब की जाती है जब ह्रास के संकेत स्पष्ट दिखें.

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use. Non-banking assets acquired in settlement of claims are reviewed for impairment only when the indications of impairment are evident.

19. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

- (i) लेखा मानक 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के मामले में प्रावधानों को तभी हिसाब में लिया जाता है जब बैंक यह मानता है कि पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनी है और इस बात की संभावना हो कि उक्त देयता के निपटान के लिए आर्थिक लाभों को साकार करने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके लिए दायित्व का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.
 - In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.
- (ii) प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता है और उनका निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.
 - Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at each balance sheet date.
- (iii) किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह आभाषी रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.
 - Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.
- (iv) आकस्मिक आस्तियों को न तो हिसाब में लिया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed.
- (v) आकस्मिक देयता का प्रकटन निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है:

A disclosure of contingent liability is made when there is:

- जब संभाव्य दायित्व हो जिसके संबंध में संसाधनों का बहिर्वाह होने की संभावना बहुत कम न हो, या
 a possible obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is not remote; or
- किसी विगत घटना से वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हो रहा है जिसे माना नहीं गया है क्योंकि इस बात की संभाव्यता नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत होगी या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता.
 - a present obligation arising from a past event which is not recognized as it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made.

• जब कोई संभाव्य दायित्व या वर्तमान दायित्व हो जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, तो कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है

When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

(vi) जहां यह संभावना हो कि विवादित करों के संबंध में वर्तमान दायित्व मौजूद है तो प्रावधान किया जाता है. जहां यह संभावना नहीं है कि वर्तमान दायित्व मौजूद है, बैंक तब तक आकस्मिक देयता का प्रकटन करता है जब तक गत कर निर्धारण के संबंध में अभिमत/विभिन्न न्यायिक निर्णयों, मामले की योग्यता/तथ्यों, लागू कर कानूनों के प्रावधानों और अन्य संबद्ध न्यायिक निर्णयों के आधार पर संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है.

Where it is probable that a present obligation exists in respect of disputed taxes, a provision is made. Where it is not probable that such a present obligation exists, the bank discloses a contingent liability, unless the possibility of an outflow of resources is remote, based on opinions/ various judicial decisions in respect of past assessment, merits/facts of the case, the provisions of applicable Tax Laws and other relevant judicial decisions, where in no provision or disclosure is made.

(vii) दुर्वह संविदाओं के लिए प्रावधान तब किये जाते हैं जब संविदा से बैंक को होने वाले संभावित लाभ संविदा के अंतर्गत भावी दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागतों से कमतर हों. प्रावधान का आकलन संविदा को समाप्त करने पर संभावित लागत और संविदा को जारी करने की संभावित निवल लागत के वर्तमान मूल्य में से कमतर पर किया जाता है. प्रावधान का निर्धारण करने से पहले बैंक उस संविदा से संबद्ध आस्तियों की किसी हासित हानि की पहचान करता है.

Provisions for onerous contracts are recognised when the expected benefits to be derived by the Bank from a contract are lower than the unavoidable costs of meeting the future obligations under the contract. The provision is measured at the present value of the lower of the expected cost of terminating the contract and the expected net cost of continuing with the contract. Before a provision is established, the Bank recognises any impairment loss on the assets associated with that contract.

20. लाभांश का लेखांकन / Accounting for Dividend

लेखांकन मानक (एएस) 4 ''तुलनपत्र की तारीख के बाद होने वाली आकस्मिकताएं एवं घटनाएं'' के अनुसार, बैंक प्रस्तावित लाभांश या तुलनपत्र की तारीख के बाद घोषित लाभांश को चालू वर्ष के तुलनपत्र में लाभ-हानि खाते से विनियोजन के जिरये देयता के रूप में नहीं दिखाता है. इसे लेखों पर टिप्पणियों में प्रकटित किया जाता है. इसे शेयरधारकों के अनुमोदन वाले वर्ष में दिखाया जाता है. तथापि, पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के लिए पूंजी निधियों के निर्धारण में प्रस्तावित लाभांश को बैंक हिसाब में लेता है.

In terms of Accounting Standard (AS) 4 "Contingencies and Events occurring after the Balance sheet date" the Bank does not account for proposed dividend or Dividend declared after balance sheet date as a liability through appropriation from profit and loss account in current year balance sheet. This is disclosed in the notes to accounts. The same is recognized in the year of approval of shareholders. However, the Bank reckons proposed dividend in determining capital funds in computing the capital adequacy ratio

21. नकदो एवं नकदो समतुल्य / Cash & Cash equivalents

नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, रिज़र्व बैंक के पास शेष, अन्य बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल है. Cash and cash equivalents include cash in hand, balances with RBI, balances with other banks and money at call and short notice.

22. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व / Corporate Social Responsibility

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए किए गए व्यय को लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है.

Expenditure towards corporate social responsibility, in accordance with Companies Act, 2013, is recognised in the Profit and Loss Account.



अनुसूची 18 - लेखा टिप्पणियां **SCHEDULE 18 - NOTES TO ACCOUNTS**

- अ. रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रकटन
- **DISCLOSURES REQUIRED AS PER RBI GUIDELINES**
 - विनियामक पूंजी / Regulatory Capital
 - विनियामक पुंजी की संरचना
 - Composition of Regulatory Capital

बैंक के जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात ('पूंजी पर्याप्तता अनुपात') की गणना बासेल III पूंजी विनियम (बासेल III) के बारे में रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है. बासेल III के अंतर्गत बैंक के पुंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना नीचे दी गई है:

The Bank's capital to risk-weighted assets ratio ('Capital Adequacy Ratio') is calculated in accordance with the RBI guidelines on Basel III capital regulations ('Basel III'). The Bank's capital adequacy ratio computed under Basel III is given below:

क्रम. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	45,492	35,504
(ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी / Additional Tier 1 capital	-	-
(iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii) / Tier 1 capital (i + ii)	45,492	35,504
(iv)	टियर 2 पूंजी / Tier 2 capital	2,978	3,793
(v)	कुल पूंजी (टियर 1+ टियर 2) / Total capital (Tier 1+Tier 2)	48,470	39,297
(vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए) Total Risk Weighted Assets (RWAs)	1,93,485	176,531
(vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	23.51%	20.11%
(viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी) Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	23.51%	20.11%
(ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी) Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	1.54%	2.15%
(x)	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी (सीआरएआर) अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	25.05%	22.26%

(**₹** करोड़) / (**₹** Crore)

क्रम. सं. Sr.No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
(xi)	लिवरेज अनुपात / Leverage Ratio	9.59%	8.53%
(xii)	निम्नलिखित की शेयर धारिता का प्रतिशत Percentage of the shareholding of		
	क) भारत सरकार a) Government of India	45.48%	45.48%
	ख) राज्य सरकार b) State Government	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
	ग) प्रायोजक बैंक c) Sponsor Bank	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
(xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि Amount of paid-up equity capital raised during the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि Amount of Tier 2 capital raised during the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil

रिजर्व बैंक ने दिनांक 1 मार्च 2016 के परिपन्न सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015/16 के द्वारा सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना के उद्देश्य के लिए पुनर्मूल्यांकन रिजर्व/ विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व/डीटीए पर विचार करने हेतु बैंकों को विवेकाधिकार दिया है. बैंक ने उपर्युक्त गणना में विकल्प का प्रयोग किया है.

RBI vide circular no DBR.No.BP.BC.83/21.06.201/2015/16 dated March 01, 2016 has given discretion to Banks to consider Revaluation Reserve/ Foreign Currency Translation Reserve/ DTA for the purpose of computation of Capital Adequacy as CET-1 capital ratio. The Bank has exercised the option in the above computation.

रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के लिए निवल लाभ को सीईटी-1 पूंजी माना गया है. इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए सीईटी-1 पूंजी में वृद्धि हुई.

Net Profit for the current financial year is considered in CET-1 capital in accordance with extant RBI guidelines. This had resulted in increase in CET-1 capital for period ending March 31, 2025.

ख) आरक्षित निधियों में कमी

b) Draw Down from Reserves

बैंक ने 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों में कोई कमी नहीं की है. The Bank has not undertaken any drawdown from reserves during the year ended March 31, 2025 and March 31, 2024.

ग) संचित हानियों का समंजन

c) Set-off of Accumulated Losses

वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने किसी भी संचित हानियों का समंजन नहीं किया है. During financial year 2024-25 and financial year 2023-24 Bank has not set off any accumulated losses.



2. आस्ति देयता प्रबंधन

Asset Liability Management

- अ) 31 मार्च 2025 को आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप
- a) Maturity Pattern of Certain Items of Assets and Liabilities as on March 31, 2025

											(₹ करोड़) / (₹ Crore)
विवरण	1 दिन	2 से 7	8 से 14	15 से 30	31 दिन	2 माह से	3 माह से	6 माह से	1 वर्ष से	3 वर्ष से	5 वर्ष से	कुल
Particulars	Day 1	दिन	दिन	दिन	व 2 माह	अधिक	अधिक	अधिक व	अधिक व	अधिक	अधिक	Total
		2 to 7	8 to 14	15 to 30	तक	व 3 माह	व 6 माह	1 वर्ष तक	3 वर्ष तक	व 5 वर्ष	Over 5	
		days	days	days	31 days	तक	तक	Over 6	Over 1	तक	years	
					& upto 2	Over 2	Over 3	months	year &	Over 3		
					months	months	months	& upto 1	upto 3	years &		
						& upto 3		year	years	upto 5		
						months	months			years		
जमाराशियां# / Deposits #	3,555	8,623	4,362	5,974	11,525	9,859	15,263	54,320	1,63,419	14,785	18,607	3,10,294
अग्रिम# / Advances #	608	2,022	2,012	5,978	7,758	11,613	11,293	16,626	64,376	15,533	80,581	2,18,399
निवेश / Investments	23,537	23,529	2,144	4,382	2,583	2,838	4,974	12,473	26,128	4,186	10,693	1,17,468
उधार राशियां#/Borrowings #	-	699	5	842	1,521	996	1,660	6,362	7,792	5	-	19,882
विदेशी मुद्रा आस्तियां ® Foreign Currency assets ®	1,497	10,733	2,400	20,767	13,663	12,900	41,785	26,309	8,016	3,290	4,523	1,45,884
विदेशी मुद्रा देयताएं ^{\$} Foreign Currency Liabilities ^{\$}	37	8,910	3,544	18,413	16,540	4,790	20,938	28,683	4,886	386	19,233	1,26,359

[#] इनमें विदेशी मुद्रा शेष राशियां शामिल हैं.

31 मार्च 2024 को आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप

Maturity Pattern of Certain Items of Assets and Liabilities as on March 31, 2024

											(₹ करोड़)	/ (₹ Crore)
विवरण	1 दिन	2 से 7	8 से 14	15 से 30	31 दिन	2 माह से	3 माह से	6 माह से	1 वर्ष से	3 वर्ष से	5 वर्ष से	कुल
Particulars	Day 1	दिन	दिन	दिन	व 2 माह	अधिक व	अधिक व	अधिक व	अधिक व	अधिक व	अधिक	Total
		2 to 7	8 to 14	15 to 30	तक	3 माह तक	6 माह तक	1 वर्ष तक	3 वर्ष तक	5 वर्ष तक	Over 5	
		days	days	days	31 days	Over 2	Over 3	Over 6	Over 1	Over 3	years	
					& upto 2	months	months	months	year &	years &		
					months	& upto 3	& upto 6	& upto 1	upto 3	upto 5		
						months	months	year	years	years		
जमाराशियां* / Deposits *	972	6,284	3,096	6,541	6,434	7,924	15,429	40,687	1,57,478	15,369	17,443	2,77,657
अग्रिम# / Advances #	492	1,084	1,867	3,277	6,194	7,931	11,518	17,952	53,705	14,717	69,884	1,88,621
निवेश / Investments	23,873	23,184	1,186	2,880	4,805	3,050	4,770	12,400	23,919	3,987	10,880	1,14,934
उधार राशियां# / Borrowings #	-	556	125	305	359	611	1,354	9,001	4,767	2	3	17,083
विदेशी मुद्रा आस्तियां ® Foreign Currency assets ®	241	17,914	1,169	5,895	8,637	8,360	2,515	10,408	2,263	2,698	7,365	67,465
विदेशी मुद्रा देयताएं ^{\$} Foreign Currency Liabilities ^{\$}	6	19,328	1,782	8,713	11,553	12,518	1,326	6,981	1,589	494	20,053	84,343

[#] Includes foreign currency balances.

[@] इनमें विदेशी मुद्रा-रुपया क्रय-विक्रय आस्तियां और विदेशी मुद्रा अग्रिम शामिल हैं.

[@] Includes foreign currency- Rupee buy-sell assets and foreign currency advances.

^{\$} इनमें विदेशी मुद्रा-रुपया विक्रय- क्रय स्वैप देयताएं और विदेशी मुद्रा जमाराशियां तथा उधार शामिल हैं.

^{\$} Includes foreign currency-Rupee sell –buy swap liabilities and foreign currency deposits and borrowings.

इनमें विदेशी मुद्रा शेष राशियां शामिल हैं.

- # Includes foreign currency balances.
- @ इनमें विदेशी मुद्रा-रुपया क्रय-विक्रय आस्तियां और विदेशी मुद्रा अग्रिम शामिल हैं.
- @ Includes foreign currency- Rupee buy-sell assets and foreign currency advances.
- \$ इनमें विदेशी मुद्रा-रुपया विक्रय-क्रय स्वैप देयताएं और विदेशी मुद्रा जमाराशियां तथा उधार शामिल हैं.
- \$ Includes foreign currency-Rupee sell -buy swap liabilities and foreign currency deposits and borrowings.

नोटः चालू वर्ष एवं पिछले वर्ष दोनों के लिए एएलएम गणना के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आस्तियों और देयताओं का वर्गीकरण रिजर्व बैंक को प्रस्तुत विवरणियों के संकलन के लिए बैंक द्वारा उपयोग किये गये अनुमानों और मान्यताओं पर ही आधारित है.

Note: Classification of Assets & Liabilities under the different heads of ALM computation for both current year & previous year is based on same estimates and assumptions as used by the bank for the compiling the returns submitted to the RBI.

- ख) वलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)
- b) Liquidity Coverage Ratio (LCR)
 - (i) वित्तीय वर्ष 2024-25 की सभी चार तिमाहियों को शामिल करते हुए एलसीआर (मात्रात्मक प्रकटन) LCR covering all the four quarters (Quantitative disclosure) for FY 2024-25

		मार्च 2(समाप्त Quarter March	ended	दिसंबर 2 समाप्त Quartei Decemb	तिमाही r ended		तिमाही r ended	जून 20 समाप्त Quarter June	तिमाही rended
क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
1	कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए)- अनुबंध - I Total High Quality Liquid Assets (HQLA)-Annexure-I		87,363		85,384		81,751		83,824
	नकदो बहिर्वाह Cash Outflows								
2	खुदरा जमाराशियां और छोटे कारोबारी ग्राहकों से जमा राशियां, जिनमें से: Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	1,44,543	14,032	1,41,809	13,935	1,43,543	13,923	1,41,226	13,694
	(i) स्थिर जमाराशियां Stable deposits	8,436	422	8,637	438	8,618	431	8,577	429
	(ii) कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	1,36,106	13,611	1,33,171	13,497	1,34,925	13,493	1,32,649	13,265



		मार्च 2(समाप्त Quarter March	ended	दिसंबर 2 समाप्त Quartei Decemb	तिमाही ended	सितंबर 2 समाप्त Quartei Septeml	तिमाही	जून 2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended June 2024	
क्र.सं. Sr. No.		कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
3	अप्रतिभूति थोक निधीयन, जिनमें सेः Unsecured wholesale funding, of which:	1,07,038	66,454	1,04,459	64,352	99,376	59,792	99,852	59,354
	(i) परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Operational deposits (all counterparties)	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ii) गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Non-operational deposits (all counterparties)	1,03,284	62,701	1,02,175	62,068	97,756	58,172	98,370	57,872
	(iii) अप्रतिभूत ऋण Unsecured debt	3,753	3,753	2,284	2,284	1,620	1,620	1,482	1,482
4	प्रतिभूत थोक निधीयन Secured wholesale funding		0.39		-		-		-
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से Additional requirements, of which	63,813	7,848	63,076	7,701	63,099	7,699	59,099	7,014
	(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिवांह Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	547	547	917	917	1,064	1,064	1,025	1,025
	(ii) ऋण उत्पादों पर निधीयन हानि से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to loss of funding on debt products	-	-	-	-	-	-	-	-
	(iii) क्रेडिट और चलनिधि सुविधा Credit and liquidity facility	63,266	7,301	62,159	6,785	62,034	6,635	58,073	5,988

								((4)	(19) / (C CIOIE)
		मार्च 2(समाप्त Quarter March	ended	दिसंबर 2 समाप्त Quartei Decemb	तिमाही ended	समाप्त	2024 को तिमाही r ended per 2024	जून 20 समाप्त Quartei June	तिमाही r ended
क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व Other contractual funding obligations	5,616	5,616	5,713	5,713	6,842	6,842	5,240	5,240
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व Other contingent funding obligations	1,21,857	3,661	1,14,749	3,499	1,15,076	3,457	1,15,675	3,475
8	कुल नकदी बहिर्वाह Total Cash Outflows		97,612		95,200		91,714		88,776
	नकदी अंतर्वाह Cash Inflows								
9	प्रतिभूत ऋण (अर्थात् रिवर्स रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	223	0.26	763	-	1,192	-	503	-
10	पूर्णतः अर्जक एक्सपोजरों से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	8,766	4,383	7,744	3,902	7,826	3,913	7,809	3,905
11	अन्य नकदी अंतर्वाह Other cash inflows	24,788	24,488	24,039	23,743	22,839	22,539	17,898	17,598
12	कुल नकदी अंतर्वाह Total Cash Inflows	33,777	28,871	32,546	27,646	31,857	26,452	26,210	21,502
			कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value
13	कुल एचक्यूएलए Total HQLA		87,363		85,384		81,751		83,824
14	कुल निवल नकदी बहिर्वाह Total Net Cash Outflows		68,740		67,554		65,262		67,274



(₹ करोड़) / (₹ Crore)

		मार्च 2025 को समाप्त तिमाही Quarter ended March 2025		समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही Quarter ended Quarter ended		तिमाही r ended		तिमाही r ended	जून 2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended June 2024	
क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%) Liquidity Coverage Ratio (%)		127.09%		126.39%		125.27%		124.60%	

नोटः दिनांक 09 जून 2014 के रिजर्व बैंक के परिपत्र संदर्भः आरबीआई/2013-14/635 डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.120/21.04.098/2013-14 के अनुसार, औसत भारित और गैर भारित राशियों की गणना कार्य दिवसों के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक दैनिक सामान्य औसत लेते हुए की जाती है.

Note: In accordance with RBI circular Ref: RBI/2013-14/635 DBOD.BP.BC.No.120 /21.04.098/2013-14 dated June 09, 2014, the average weighted and un-weighted amounts are calculated taking daily simple average from 1st April to 31st March for working days.

वित्तीय वर्ष 2023-24 की सभी चार तिमाहियों को शामिल करते हुए एलसीआर (मात्रात्मक प्रकटन) LCR covering all the four quarters (Quantitative disclosure) for FY2023-24

								(* 17419)7 (* 01010)		
		मार्च 20)24 को	दिसंबर 2	2023 को	सितंबर 2	2023 को	जून 20	23 को	
		समाप्त	तिमाही	समाप्त	तिमाही	समाप्त तिमाही		समाप्त तिमाही		
		Quarter	ended	Quarte	r ended	Quarte	ended	Quarter	ended	
		March	2024	December 2023		Septeml	per 2023	June 2023		
क्र.सं.	विवरण	कुल गैर	कुल	कुल गैर	कुल	कुल गैर	कुल	कुल गैर	कुल	
Sr.	Particulars	भारित मुल्य	भारित मुल्य	भारित मुल्य	भारित मुल्य	भारित मुल्य	भारित मुल्य	भारित मुल्य	भारित मूल्य	
No.		(औसत)	(औसत)	(औसत)	(औसत)	(औसत)	(औसत)	(औसत)	(औसत)	
		Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
		Unweighted	Weighted	Unweighted	Weighted	Unweighted	Weighted	Unweighted	Weighted	
		Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value	
		(Average)	(Average)	(Average)	(Average)	(Average)	(Average)	(Average)	(Average)	
1	कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि		80,307		80,652		75,234		68,542	
	आस्तियां (एचक्यूएलए)									
	Total High Quality Liquid									
	Assets (HQLA)									
	नकदी बहिर्वाह									
	Cash Outflows									
2	खुदरा जमाराशियां और छोटे	1,28,241	12,398	1,28,615	12,434	1,29,081	12,482	1,27,406	12,317	
	कारोबारी ग्राहकों से जमा राशियां,	, -,	,	, -,-	, -	, -,	, -	, , ,	,-	
	जिनमें से:									
	Retail deposits and deposits from small business									
	customers, of which:									
	(i) स्थिर जमाराशियां	8,509	425	8,559	428	8,526	426	8,469	423	
	Stable deposits	0,000	420	0,000	720	0,020	420	0,400	420	
	(ii) कम स्थिर जमाराशियां	1,19,732	11,973	1,20,056	12,006	1,20,555	12,056	1,18,937	11,894	
	Less stable deposits	1,10,702	11,010	1,20,000	12,000	1,20,000	12,000	1,10,001	11,001	
3	अप्रतिभृत थोक निधीयन, जिनमें से:	1,03,499	61,982	79,938	47,465	57,890	35,822	57,153	35,017	
	Unsecured wholesale funding,	, ,	,	,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	,	3-,	
	of which:									

								(₹ क	रोड़) / (₹ Crore)
		मार्च 20)24 को	दिसंबर 2	2023 को	सितंबर 2	2023 को	जून 20	23 को
		समाप्त	तिमाही	समाप्त	तिमाही	समाप्त	तिमाही		तिमाही
		Quarter			r ended	Quarte			r ended
		March	2024		per 2023	Septeml	per 2023		2023
क्र.सं.	विवरण	कुल गैर	कुल						
Sr.	Particulars	भारित मूल्य	भारित मूल्य						
No.		(औसत)	(औसत)	(औसत)	(औसत)	(औसत)	(औसत)	(औसत)	(औसत)
		Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
		Unweighted Value	Weighted Value	Unweighted Value	Weighted Value	Unweighted Value	Weighted Value	Unweighted Value	Weighted Value
		(Average)	(Average)	(Average)	(Average)	(Average)	(Average)	(Average)	(Average)
	(i) परिचालनगत जमाराशियां	0	0		0		0	0	0
	(सभी प्रतिपक्षकार)								
	Operational deposits (all								
	counterparties)								
	(ii) गैर-परिचालनगत जमाराशियां	1,01,947	60,430	79,118	46,645	57,070	35,002	56,333	34,197
	(सभी प्रतिपक्षकार)								
	Non-operational deposits								
	(all counterparties)	1,552	1,552	820	820	820	820	820	820
	(iii) अप्रतिभूत ऋण	1,552	1,002	020	020	020	020	020	020
4	Unsecured debt प्रतिभृत थोक निधीयन		0		0		0		0
•	Secured wholesale funding		O		O		O		0
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से	50,953	6,098	54,256	6,698	56,506	7,639	52,512	7,403
	Additional requirements, of								
	which								
	(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य	1,028	1,028	1,018	1,018	1,116	1,116	1,028	1,028
	संपार्श्विक आवश्यकताओं से								
	संबंधित बहिर्वाह								
	Outflows related to								
	derivative exposures and other collateral								
	requirements								
	(ii) ऋण उत्पादों पर निधीयन हानि	0	0	0	0	0	0	0	0
	से संबंधित बहिर्वाह								
	Outflows related to loss of								
	funding on debt products								
	(iii) क्रेडिट और चलनिधि	49,925	5,070	53,238	5,680	55,390	6,523	51,484	6,375
	Credit and liquidity	4.000	4 000	4 770	4 770	0.005	0.005	1.005	1.005
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	1,939	1,939	1,773	1,773	2,025	2,025	1,965	1,965
	Other contractual funding obligations								
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	1,11,511	3,345	1,09,500	3,284	1,08,495	3,255	1,01,101	3,033
	Other contingent funding								
	obligations								
8	कुल नकदी बहिर्वाह		85,762		71,654		61,223		59,735
	Total Cash Outflows								
	नकदी अंतर्वाह Cash Inflows								
9	प्रतिभूत ऋण	276	0	230	0	51	0	208	0
	Secured lending								
10	पूर्णतः अर्जक एक्सपोजरों से	8,911	4,455	8,719	4,360	8,630	4,315	9,169	4,585
	अंतर्वाह								
	Inflows from fully performing exposures								



(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	(र कर								राड़) / (₹ Crore)
		मार्च 20)24 को	दिसंबर 2	2023 को	सितंबर 2	2023 को	जून 20	23 को
		समाप्त	तिमाही	समाप्त	तिमाही	समाप्त	तिमाही	समाप्त	तिमाही
		Quarte		Quarte		Quarte			r ended
		March	2024	Decemb	per 2023	Septeml	per 2023	June	2023
क्र.सं.	विवरण	कुल गैर	कुल						
Sr.	Particulars	भारित मूल्य	भारित मूल्य						
No.		(औसत)	(औसत)	(औसत)	(औसत)	(औसत)	(औसत)	(औसत)	(औसत)
		Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
		Unweighted	Weighted	Unweighted	Weighted	Unweighted	Weighted	Unweighted	Weighted
		Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value
		(Average)	(Average)	(Average)	(Average)	(Average)	(Average)	(Average)	(Average)
11	अन्य नकदी अंतर्वाह Other cash inflows	14,595	14,295	9,089	8,788	7,716	7,416	7,994	7,849
12	कुल नकदी अंतर्वाह Total Cash Inflows	23,782	18,750	18,038	13,148	16,397	11,731	17,371	12,434
			कुल समायोजित		कुल समायोजित		कुल समायोजित		कुल समायोजित
			मूल्य		मूल्य		मूल्य		मूल्य
			Total		Total		Total		Total
			Adjusted Value		Adjusted Value		Adjusted Value		Adjusted Value
13	कुल एचक्यूएलए Total HQLA		80,307		80,652		75,234		68,542
14	कुल निवल नकदी बहिर्वाह Total Net Cash Outflows		67,012		58,506		49,492		47,301
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%) Liquidity Coverage Ratio (%)		119.84%		137.85%		152.01%		144.90%

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के आस-पास गुणात्मक प्रकटन (ii) Qualitative disclosure around Liquidity Coverage Ratio (LCR)

- बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति(बीसीबीएस) ने अधिक लचीले बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैश्विक पुंजी और तरलता विनियमन क. को मजबूत करने के लिए प्रमुख सुधारों में से एक के रूप में तरलता कवरेज अनुपात(एलसीआर) की शरूआत की है.
- The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) has introduced Liquidity Coverage Ratio (LCR) as one of the a. key reforms to strengthen global capital and liquidity regulations with the objective of promoting a more resilient banking sector.
- चलनिधि कवरेज अनुपात संभावित चलनिधि विघटनों के प्रति बैंक की अल्पाविध आघात-सहनीयता को यह सुनिश्चित करते हुए बढ़ावा देता है कि 30 दिनों तक बनी रहने वाली विकट दबावग्रत स्थितियों का सामना करने के लिए उनके पास पर्याप्त उच्च गणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्युएलए) हैं. चलनिधि कवरेज अनुपात मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त मात्रा में भारमुक्त उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि अस्तियां बनाए रखे जिसे पर्यवेक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट अत्यधिक गंभीर चलनिधि दबाव वाली स्थिति में 30 कैलेंडर दिवस की समयावधि हेत् अपनी चलनिधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में रूपांतरित किया जा सके.
- The LCR promotes short-term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have b. sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisors.

चलनिधि कवरेज अनुपात की परिभाषा Definition of LCR:

उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) का स्टॉक /Stock of high quality liquid assets (HQLAs)

- > = 100%

- अगले 30 कैलेंडर दिनों में कुल निवल नकदी बहिर्वाह /Total net cash outflows over the next 30 calendar days
- ग. चलनिध कवरेज अनुपात की अपेक्षाएं 01 जनवरी 2015 से बैंकों पर बाध्यकारी हैं. एलसीआर को 100% की दर से बनाए रखा जाना है. c. The LCR requirement is binding on banks with effect from January 1, 2015. LCR is to be maintained at 100%.

उच्च गुणवत्तावाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) High Quality Liquid Assets (HQLA):

इस मानक के तहत बैंकों के लिए निर्धारित दबावग्रस्त परिदृश्य के अंतर्गत 30 दिन की अवधि में कुल निवल नकदी बहिर्वाह को शामिल करने के लिए भार-रिहत एचक्यूएलए का स्टॉक रखना अनिवार्य है. एचक्यूएलए के रूप में पात्र होने के उद्देश्य से दबाव काल के दौरान आस्तियां बाजार में नकदी सुलभ होनी चाहिए और अधिकांश मामलों में केंद्रीय बैंक के पिरचालनों में उपयोग के लिए पात्र होनी चाहिए. बैंक की एचक्यूएलए में मुख्यतः अनिवार्य अपेक्षाओं से अधिक एसएलआर निवेश, सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत उधार (एनडीटीएल का 2%) के माध्यम से उपलब्ध चलनिधि, चलनिधि कवरेज अनुपात (एनडीटीएल का 16%) के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत अन्य प्रतिभित्तयां शामिल हैं.

Under the standard, banks must hold a Stock of unencumbered HQLA to cover the total net cash outflows over 30-day period under the prescribed stress scenario. In order to qualify as HQLA, assets should be liquid in markets during times of stress and, in most cases, be eligible for use in central bank operations. The HQLA of the Bank mainly comprise of SLR investments over and above mandatory requirement, liquidity available by way of borrowing under Marginal Standing Facility (2% of NDTL), Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (16% of NDTL) & other securities as may be permitted by Reserve Bank of India from time to time.

कुल निवल नकदी बहिर्वाह Total net cash outflows:

कुल प्रत्याशित नकदी बहिर्वाह की गणना विभिन्न श्रेणियों की बकाया शेष राशियों या देयता के प्रकारों तथा तुलन-पत्र बाह्य वचनबद्धताओं में उन दरों से गुणा करके की जाती है, जिन पर उनके बढ़ने या घटने की आशा है. कुल प्रत्याशित नकदी अंतर्वाहों की गणना संविदागत प्राप्य राशियों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया शेष में उन दरों से गणा करके की जाती है. जिन पर उनके प्रवाहित होने की आशा है.

Total expected cash out flows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories or types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down. Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow.

चलनिधि प्रबंधन

Liquidity Management:

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुसंगठित चलिनिध जोखिम प्रबंधन संरचना है जो एएलएम नीति में वर्णित है. बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन सिमित (एल्को) कारोबारी रणनीति के अनुरूप चलिनिध और ब्याज दर जोखिम की निगरानी एवं प्रबंधन करती है. चलिनिध विश्लेषण एवं प्रबंधन सिहत एएलएम कार्यकलाप का संचालन आस्ति देयता प्रबंधन, ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस, बजट एवं आयोजना आदि के कार्यात्मक क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न एल्को सहायता समूहों के बीच समन्वय के माध्यम से किया जाता है. कारोबारी समूहों एवं वर्टिकलों द्वारा एल्को दिशा-निर्देशों तथा एएलएम कार्रवाइयों का कार्यान्वयन किया जाता है.

The Bank has well organized liquidity risk management structure as enumerated in ALM Policy which is approved by the Board. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors & manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. ALM activity including liquidity analysis & management is conducted through coordination between various ALCO support groups residing in the functional areas of Asset Liability Management, Treasury Front Office, Budget and Planning etc. ALCO directives and ALM actions are implemented by the business groups and verticals.

मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंक ने पात्र हेयरकट को ध्यान में रखते हुए ₹ 87,363 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 80,307 करोड़) का औसत एचक्यूएलए बनाए रखा. एचक्यूएलए मुख्य रूप से लेवल-1 आस्तियों द्वारा संचालित होता है और इसमें मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियां और टी-बिल शामिल हैं, जो 31 मार्च 2025 को एचक्यूएलए का 90% से अधिक हिस्सा थीं. बैंक के पास निधियों के विविध स्रोत हैं, जिनमें मुख्य रूप से जमा राशि शामिल है, जिसमें शीर्ष 20 जमाकर्ताओं ने 31 मार्च 2025 को कुल जमा राशि का 12.06% (पिछले वर्ष कुल जमा राशि का 10.06%) योगदान दिया है.



The Bank during the quarter ended March 2025, maintained average HQLA of ₹ 87,363 crore (Previous Year ₹ 80,307 crore) after factoring eligible haircuts. HQLA is mainly driven by Level 1 Assets and comprises mainly of Government securities and T-bills which constitute more than 90% of HQLA as on 31st March 2025. The Bank has well diversified source of funds, which mainly comprise of deposits, with top 20 depositors contributing 12.06% of total deposits (Previous Year 10.06% of total deposits) as on 31st March 2025.

31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए औसत एलसीआर 127.09% (पिछले वर्ष 119.84%) था, जो मौजूदा निर्धारित न्यनतम आवश्यकता 100% से अधिक है.

The average LCR for the quarter ended March 31, 2025 was at 127.09% (Previous Year 119.84%), which is above the present prescribed minimum requirement of 100%.

- निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) / Net Stable Funding Ratio (NSFR) c)
- वित्तीय वर्ष 2024-25 का एनएसएफ़आर मात्रात्मक प्रकटन / NSFR Quantitative disclosure for FY 2024-25 (i)

	विवरण	अ Un	भारित मुल्य			
	Particulars	कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	<6 माह <6 Months	6 माह से < 1वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	Weighted value
	एएसएफ़ मद / ASF Item					
1	पूंजी: (2+3) / Capital: (2+3)	53,537	0	0	0	53,537
2	विनियामक पूंजी / Regulatory capital	53,537	0	0	0	53,537
3	अन्य पूंजी लिखत / Other capital instruments	0	0	0	0	0
4	खुदरा जमाराशियां तथा छोटे व्यावसायिक ग्राहकों से जमाराशियां: (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	79,371	24,525	50,120	251	1,39,282
5	स्थिर जमाराशियां / Stable deposits	6,625	907	816	0	7,930
6	कम स्थिर जमाराशियां / Less stable deposits	72,746	23,619	49,304	251	1,31,352
7	थोक निधीयनः (8+9) / Wholesale funding: (8+9)	36,424	23,103	57,211	1,461	59,830
8	परिचालनगत जमाराशियां / Operational deposits	0	0	0	0	0
9	अन्य थोक निधीयन / Other wholesale funding	36,424	23,103	57,211	1,461	59,830
10	अन्य देयताएं: (11+12) / Other liabilities: (11+12)	78,045	0	0	7,797	7,797
11	एनएसएफ़आर व्युत्पन्न देयताएं / NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other liabilities and equity not included in the above categories	76,526	0	0	7,797	7,797
13	कुल एएसएफ़ (1+4+7+10) / Total ASF (1+4+7+10)					2,60,446
आरए	प्राएफ मद / RSF Item					
14	कुल एनएसएफ़आर उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					4,246

						(र कराड़) / (र Crore)
	विवर्ण	ঞ Un	भारित मूल्य			
	Particulars	कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	< 6 माह <6 Months	6 माह से < 1वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1 yr	Weighted value
15	परिचालन के उद्देश्य से अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशियाँ Deposits held at other financial institutions for operational purposes	1,553.57	0.00	0.00	0.00	777
16	अर्जक ऋण व प्रतिभूतियांः (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	0	79,340	17,009	1,75,290	1,74,355
17	लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0	11,862	0	0	1,186
18	गैर-लेवल 1 एचक्यूप्लए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थाओं को अप्रतिभूत अर्जक ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0	22,611	2,315	12,577	17,126
19	गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को ऋण, जिनमें से: Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	0	33,651	13,725	75,154	85,667
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0	27,782	13,502	17,103	31,759
21	अर्जक आवासीय बंधक, जिनमें: Performing residential mortgages, of which:	0	1,248	969	69,507	50,048
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0	1,068	870	50,706	33,928
23	प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में अर्हक नहीं हैं Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0	9,967	0	18,053	20,328
24	अन्य आस्तियां : (25 से 29 की पंक्तियों का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	24,568	1,951	104	6,971	31,409
25	स्वर्ण सहित भौतिक क्रय-विक्रय वाली वस्तुएं Physical traded commodities, including gold	0	0	0	0	0
26	डेरिवेटिव संविदाओं के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां और सीसीपी की डिफ़ॉल्ट निधियों में योगदान Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	0	0	0	4,391	3,732
27	एनएसएफ़आर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets	0	1,731	0	0	209



(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	विवर्ण	3 Ur	भारित मूल्य			
	Particulars	कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	< 6 माह <6 Months	6 माह से < 1वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	Weighted value
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	0	76	0	0	76
29	अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other assets not included in the above categories	24,568	144	104	2,580	27,392
30	तुलन-पत्र से इतर मदें Off-balance sheet items	0	0	0	1,26,653	5,105
31	कुल आरएसएफ़ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30)	26,118	1,86,627	17,113	3,08,913	2,15,896
32	निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%) Net Stable Funding Ratio (%)					120.63%

नोट : चालू वर्ष और पिछले वर्ष, दोनों के लिए एनएसएफ़आर गणना के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आस्तियों और देयताओं का वर्गीकरण रिजर्व बैंक को प्रस्तुत विवरणियों के संकलन के लिए बैंक द्वारा उपयोग किये गये अनुमानों और मान्यताओं पर ही आधारित है.

Note: Classification of Assets & Liabilities under the different heads of NSFR computation for both current year and previous year is based on same estimates and assumptions as used by the bank for the compiling the returns submitted to the RBI.

वित्तीय वर्ष 2023-24 का एनएसएफ़आर गुणात्मक प्रकटन: / NSFR Quantitative disclosure for FY 2023-24

		Ü				
	विवरण Particulars	कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	<6 माह <6 Months	6 माह से < 1वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1 yr	भारित मूल्य Weighted value
	एएसएफ़ मद / ASF Item					
1	पूंजीः (2+3) / Capital: (2+3)	0	0	0	47,298	47,298
2	विनियामक पूंजी / Regulatory capital	0	0	0	46,996	46,996
3	अन्य पूंजी लिखत / Other capital instruments	0	0	0	302	302
4	खुदरा जमाराशियां तथा छोटे व्यावसायिक ग्राहकों से जमाराशियां (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	78,112	22,612	47,520	375	1,34,220
5	स्थिर जमाराशियां / Stable deposits	6,751	811	956	12	8,104
6	कम स्थिर जमाराशियां / Less stable deposits	71,361	21,801	46,564	363	1,26,116
7	थोक निधीयन: (8+9) / Wholesale funding: (8+9)	40,562	27,357	35,655	1,947	53,734
8	परिचालनगत जमाराशियां / Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधीयन / Other wholesale funding	40,562	27,357	35,655	1,947	53,734
10	अन्य देयताएं: (11+12) / Other liabilities: (11+12)	59,320	0	0	2,570	2,570
11	एनएसएफ़आर डेरिवेटिव देयताएं / NSFR derivative liabilities		0	0	0	

						(₹ कराड़) / (₹ Crore)
	-	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारित मूल्य Unweighted value by residual maturity				
	विवरण Particulars	कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	<6 माह <6 Months	6 माह से < 1वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1 yr	भारित मूल्य Weighted value
12	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other liabilities and equity not included in the above categories	58,879	0	0	2,570	2,570
13	कुल एएसएफ़ (1+4+7+10) / Total ASF (1+4+7+10)					2,37,822
आरए	सएफ़ मद / RSF Item					
14	कुल एनएसएफ़आर उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)	0.00	95,026	0.00	0.00	4,052
15	परिचालन के उद्देश्य से अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशियाँ Deposits held at other financial institutions for operational purposes	418	0	0	0	209
16	अर्जक ऋण व प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	0	59,550	19,193	1,52,307	1,53,685
17	लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0	2,499	0	0	250
18	गैर-लेवल 1 एचक्यूपलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थाओं को अप्रतिभूत अर्जक ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0	17,524	1,863	17,236	20,796
19	गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण, जिनमें से: Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	0	23,698	15,023	57,478	67,000
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0	19,758	14,787	8,137	22,562
21	अर्जक आवासीय बंधक, जिनमें: Performing residential mortgages, of which:	0	1,198	1,013	60,807	43,408
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0	1,035	899	46,917	31,462
23	प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एक्क्यूएलए के रूप में अहतीं नहीं हैं Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0	14,631	1,294	16,786	22,231



(₹ करोड़) / (₹ Crore)

						(C 47(19) / (C OIOIE)
	6	Ü				
	विवरण Particulars	कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	<6 माह <6 Months	6 माह से < 1वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	भारित मूल्य Weighted value
24	अन्य आस्तियां : (25 से 29 की पंक्तियों का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	29,650	606	121	6,482	35,956
25	स्वर्ण सहित भौतिक क्रय-विक्रय वाली वस्तुएं Physical traded commodities, including gold	0	0	0	0	0
26	डेरिवेटिव संविदाओं के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां और सीसीपी की डिफ़ॉल्ट निधियों में योगदान Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	0	0	0	3,279	2,787
27	एनएसएफ़आर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets	0	411	0	0	0
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	0	22	0	0	22
29	अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other assets not included in the above categories	29,650	173	121	3,203	33,147
30	तुलन-पत्र से इतर मदें Off-balance sheet items	0	0	0	1,69,480	6,172
31	कुल आरएसएफ़ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30)	30,068	1,55,182	19,314	3,28,269	2,00,074
32	निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%) Net Stable Funding Ratio (%)					118.87%

(ii) निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) के आस-पास गुणात्मक प्रकटन :

Qualitative disclosure around Net Stable Funding Ratio (NSFR)

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने वैश्विक पूंजी और तरलता विनियमन को मजबूत करने के लिए प्रमुख सुधारों में से एक के रूप में निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य अधिक लचीले बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना है.

The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) has introduced Net Stable Funding Ratio (NSFR) as one of the key reforms to strengthen global capital and liquidity regulations with the objective of promoting a more resilient banking sector.

एनएसएफआर बैंकों को अपनी गतिविधियों को निरंतर आधार पर वित्तपोषण के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ वित्त पोषित करने की आवश्यकता के द्वारा लंबी अविध के क्षितिज पर लचीलेपन को बढ़ावा देता है. एक स्थायी वित्तपोषण संरचना का उद्देश्य बैंक के नियमित वित्तपोषण के स्रोतों में व्यवधान के कारण बैंक की तरलता की स्थिति के क्षरण की संभावना को कम करना है जिससे इसकी विफलता का जोखिम बढ़ जाएगा और संभावित रूप से व्यापक प्रणालीगत दबाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. एनएसएफआर अल्पकालिक थोक वित्त पोषण पर अधिक निर्भरता को सीमित करता है, सभी ऑन- और ऑफ-बैलेंस शीट मदों में फंडिंग जोखिम के बेहतर मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है, और निधियन स्थिरता को बढ़ावा देता है.

The NSFR promotes resilience over a longer-term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. A sustainable funding structure is intended to reduce the probability of erosion of a bank's liquidity position due to disruptions in a bank's regular sources of funding that would increase the risk of its failure and potentially lead to broader systemic stress. The NSFR limits over reliance on short-term wholesale funding, encourages better assessment of funding risk across all on- and off- balance sheet items, and promotes funding stability.

एनएसएफआर की परिभाषा: / Definition of NSFR:

उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ) / Available Stable Funding (ASF)

एनएसएफआर / NSFR =

आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ) / Required Stable Funding (RSF)

उपर्युक्त अनुपात निरंतर आधार पर कम से कम 100% के बराबर होना चाहिए और एनएसएफआर अनुपात बैंकों पर 1 अक्तूबर 2021 से आबद्धकारी है. The above ratio should be equal to at least 100% on an ongoing basis and the NSFR ratio is binding on banks w. e. f October 1, 2021.

उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ़) / Available Stable Funding (ASF)

एएसएफ की राशि को किसी संस्थान के फंडिंग स्रोतों की सापेक्ष स्थिरता की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है, जिसमें इसकी देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता और विभिन्न प्रकार के फंडिंग प्रदाताओं की अपनी फंडिंग वापस लेने की प्रवृत्ति में अंतर शामिल है. एएसएफ की राशि की गणना पहले किसी संस्थान की पूंजी और देयताओं के रखाव मूल्य को रिजर्व बैंक के परिपत्र में उल्लिखित पांच श्रेणियों में से एक को निर्दिष्ट करके की जाती है. प्रत्येक श्रेणी को दी गई राशि को तब एएसएफ़ फ़ैक्टर से गुणा किया जाता है और कुल एएसएफ़ भारित राशियों का योग है. रखाव मूल्य उस राशि का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर किसी भी विनियामक कटौती, फ़िल्टर या अन्य समायोजन को लागु करने से पहले देयता या इक्विटी लिखत दर्ज किया जाता है.

The amount of ASF is measured, based on the broad characteristics of the relative stability of an institution's funding sources, including the contractual maturity of its liabilities and the differences in the propensity of different types of funding providers to withdraw their funding. The amount of ASF is calculated by first assigning the carrying value of an institution's capital and liabilities to one of five categories as mentioned in RBI circular. The amount assigned to each category is then multiplied by an ASF factor, and the total ASF is the sum of the weighted amounts. Carrying value represents the amount at which a liability or equity instrument is recorded before the application of any regulatory deductions, filters or other adjustments.

आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ़) / Required Stable Funding (RSF)

आवश्यक स्थिर निधियन की राशि को किसी संस्थान की आस्तियों और ओबीएस एक्सपोजर की तरलता जोखिम प्रोफाइल की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है. आवश्यक स्थिर निधीयन की राशि की गणना पहले किसी संस्था की आस्तियों के रखाव मूल्य को रिजर्व बैंक के परिपत्र में सूचीबद्ध श्रेणियों को निर्दिष्ट कर के की जाती है. प्रत्येक श्रेणी को दी गई राशि को उसके संबद्ध आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ) कारक से गुणा किया जाता है, और कुल आरएसएफ ओबीएस गतिविधि (या संभावित तरलता एक्सपोजर) की मात्रा में जोड़ी गई भारित राशि का योग होता है, जिसे इसके संबंधित आरएसएफ कारक से गुणा करके निकाला जाता है.

The amount of required stable funding is measured based on the broad characteristics of the liquidity risk profile of an institution's assets and OBS exposures. The amount of required stable funding is calculated by first assigning the carrying value of an institution's assets to the categories listed in RBI circular. The amount assigned to each category is then multiplied by its associated required stable funding (RSF) factor, and the total RSF is the sum of the weighted amounts added to the amount of OBS activity (or potential liquidity exposure) multiplied by its associated RSF factor.

चलनिधि प्रबंधन / Liquidity Management

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंधन संरचना है जो एएलएम नीति में वर्णित है. बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) कारोबारी रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी एवं प्रबंधन करती है. चलनिधि विश्लेषण एवं प्रबंधन सहित एएलएम कार्यकलाप का संचालन तुलन पत्र प्रबंधन, ट्रेजरी फंट ऑफिस, बजट एवं आयोजना आदि के कार्यात्मक क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न एल्को सहायता समूहों के बीच समन्वय के माध्यम से किया जाता है. कारोबारी समूहों एवं वर्टिकलों द्वारा एल्को दिशा-निर्देशों तथा एएलएम कार्रवाइयों का कार्यान्वयन किया जाता है

The Bank has well organized liquidity risk management structure as enumerated in ALM Policy which is approved by the Board. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors & manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. ALM activity including liquidity analysis & management is conducted through coordination between various ALCO support groups residing in the functional areas of Balance Sheet Management, Treasury Front Office, Budget and Planning etc. ALCO directives and ALM actions are implemented by the business groups and verticals.



बैंक ने 31 मार्च 2025 को ₹ 2,60,446 करोड (पिछले वर्ष ₹ 2,37,822 करोड) के उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ) और ₹2,15,896 करोड (पिछले वर्ष ₹ 2.00.074 करोड़) के आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ) को बनाए रखा, उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ) मख्य रूप से कल विनियामक पंजी और खदरा ग्राहकों. छोटे व्यवसाय ग्राहक, गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहक और सार्वजनिक उपक्रम से एक वर्ष से अधिक परिपक्वता के साथ की गई जमाराशियों द्वारा संचालित होती है. आवश्यक स्थिर निधियन (आरएसएफ) मुख्य रूप से एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली भार-रहित सरकारी प्रतिभृतियों और आस्तियों द्वारा संचालित होती है. हेयर-कट के बाद एचक्युएलए (उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां) भारित आरएसएफ के 1.97% थी. एचक्युएलए को बाजार में आसानी से बेचा जा सकता है या अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग की जा सकती हैं.

Bank maintained Available Stable Funding (ASF) of ₹2,60,446 crore (Previous Year ₹2,37,822 crore) and Required Stable Funding (RSF) of ₹ 2.15,896 crore (Previous Year ₹ 2.00,074 crore)as on 31st March 2025. Available Stable Funding (ASF) is mainly driven by total regulatory capital and deposits with maturity over one year from retail customers, small business customers, non-financial corporate customers and PSUs. Required Stable Funding (RSF) is mainly driven by unencumbered government securities and assets with maturity over one year. HQLAs (High Quality Liquid Assets) after applying hair-cut constitute 1.97 % of weighted RSF. HQLAs can be easily sold in the market or can be used as collateral for sourcing additional funds.

31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही में बैंक का एनएसएफ़आर विनियामक सीमा 100% की तलना में 120.63 % (पिछले वर्ष 118.87 %) रहा है.

The NSFR of the Bank for Quarter ending March 31, 2025 is at 120.63 % (Previous Year 118.87%) as against the regulatory limit of 100%.

निवेश / Investments

- 31 मार्च 2025 को निवेश पोर्टफोलियो की संरचना क)
- Composition of Investment Portfolio as at March 31, 2025 a)

				3,63						6.3	(₹ करो	ड़) / (₹ Crore)
				भारत में निवेश					भारत के बाह			कुल निवेश
			_	estments in					vestments ou			Total
	सरकारी	अन्य	शेयर	डिबेंचर	सहायक	अन्य	भारत में	सरकारी	सहायक		भारत के	Investments
	प्रतिभूतियां #	अनुमोदित	Shares	और बांड	और/या	Others	कुल निवेश		और/या	Others	बाहर कुल	
6	Government	प्रतिभूतियां		Debentures	संयुक्त उद्यम		Total	(स्थानीय	संयुक्त उद्यम		निवेश	
विवरण	Securities#	Other		and Bonds	Subsidiaries		investments	प्राधिकारणों	Subsidiaries		Total	
Particulars		Approved			and /or Joint		in India	सहित)	and /or Joint		investments	
		Securities			Ventures			Government	Ventures		outside	
								Securities			India	
								(Including				
								local				
								authorities				
परिपक्वता तक धारि	त (एचटीएम)	/ Held to	Maturity	(HTM)								
सकल / Gross	74,107	-	-	2,568	-	3,016	79,691	-	-	-	-	79,691
घटाएं: प्रावधान	-	-	-	28	-	-	28	-	-	-	-	28
Less: Provision												
निवल / NET	74,107	-	-	2,540	-	3,016	79,663	-	-	-	-	79,663
बिक्री के लिए												
उपलब्ध (एएफएस)												
Available for Sale (AFS)												
सकल / Gross	23,620	_	631	170	_	_	24,421	687	0 *	_	688	25,109
घटाएं: प्रावधान		-	4	-	_	_	4	-	_	_	-	4
Less: Provision			·									•
निवल / Net	23,620	-	627	170	-	-	24,416	687	0	-	688	25,104
लाभ एवं हानि के												
जरिये उचित मूल्य												
गैर-एचएफटी												
(एफएनएचएफटी)												
Fair Value through												
Profit and Loss												
Non-HFT (FNHFT)												

(₹ करोड) / (₹ Crore)

				7.2.7	_					-6-2-	,	ड़) / (₹ Crore)
			Inv	भारत में निवेश restments in				Inv	भारत के बाह vestments ou		dia	कुल निवेश Total
	सरकारी	अन्य	inv शेयर	restments in डिबेंचर	india सहायक	अन्य	भारत में	सरकारी	vestments ou सहायक	iside ind अन्य	_{भारत} के	Investments
	प्रतिभूतियां #	अन्य अनुमोदित	शबर Shares	ाडबचर और बांड	सहायक और/या	अन्य Others	भारत म कुल निवेश	प्रतिभूतियां	सहायक और/या	અન્ય Others	बाहर कुल	ilivestillellts
	Government	प्रतिभूतियां		Debentures	संयुक्त उद्यम		Total	(स्थानीय	संयुक्त उद्यम		निवेश	
विवरण	Securities#	Other		and Bonds	Subsidiaries		investments	प्राधिकारणों	Subsidiaries		Total	
Particulars		Approved			and /or Joint		in India	सहित)	and /or Joint		investments	
		Securities			Ventures			Government	Ventures		outside	
								Securities			India	
								(Including				
								local				
								authorities				
सकल / Gross	-	-	605	866	-	4,291	5,762	-	0	-	-	5,762
घटाएं : प्रावधान	-	-	210	862	-	4,291	5,363	-	-	-	-	5,363
Less: Provision												
निवल / Net	-	-	395	4	-	-	399	-	-	-	-	399
लाभ एवं हानि												
के जरिये उचित												
मूल्य एचएफटी												
ू (एफएचएफटी)												
Fair Value through												
Profit and Loss												
HFT (FHFT)												
सकल:Gross	1,491	-	448	990	-	9,030	11,959	-	-	-	-	11,960
घटाएं : प्रावधान Less: Provision	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	3
निवल / Net	1,491	_	445	990	_	9,030	11,956	_	_	_	_	11,956
सहायक, संयुक्त	1,431	_	440	990	_	3,000	11,930		_	_	-	11,330
उद्यम और सहयोगी												
(एसजेए)												
Subsidiaries,												
Joint Ventures												
and Associates												
(SJA)												
सकल : Gross	-	-	37	-	308	-	344	-	-	-	-	344
घटाएं : प्रावधान	_	_	0		_	_	0		_	_	_	0
Less: Provision		_	U		_	_	U		_			0
निवल / Net	-	-	37	-	308	-	344	-	-	-	-	344
कुल निवेश Total Investments	99,218	-	1,721	4,594	308	16,337	1,22,177	687	0	-	688	1,22,865
घटाएं प्रावधान Less: Provision	-	-	217	890	-	4,291	5,398	-	-	-	-	5,398
निवल / Net	99,218	-	1,504	3,704	308	12,046	1,16,780	687	0	-	688	1,17,468

[#] एचटीएम श्रेणी के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में ₹12438 करोड़ के भारत सरकार द्वारा जारी पुनर्पृंजीकरण बांड शामिल हैं.

नोटः श्रेणी/वर्गीकरण के बीच दशमलव को निवेश के कुल आंकड़ों में पूर्णांक किया गया है.

Note: Decimal between the category/classifications are rounded off in total investment figures.

[#] Government Securities under HTM category includes recapitalisation bonds issued by GOI of ₹12438 Crore.

[ै] विदेशी निवेश के अंतर्गत अन्य में दिखाये गये प्रभ् बैंक (पूर्ववर्ती नेपाल विकास बैंक) में ₹.0.45 करोड़ का निवेश और कुल निवेश में पूर्णांक किया गया है.

^{*} Investment of ₹ 0.45 crore of Prabhu Bank (erstwhile Nepal Development Bank) shows as other under Overseas Investment and rounded off in total investment.



31 मार्च 2024 को निवेश पोर्टफोलियो की संरचना Composition of Investment Portfolio as at March 31, 2024

			Inv	भारत में निवेश vestments in				In	भारत के बाह vestments ou		dia	कुल निवेश Total
विवरण Particulars	सरकारी प्रतिभूतियां # Government Securities#	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारणों सहित) Government Securities (Including local authorities	सहायक और/या	अन्य Others	भारत के बाहर कुल निवेश Total invest6. ments outside India	Investments
परिपक्वता तक धारित	T / Held to M	aturity										
सकल / Gross	72,935		2	2,472	174	-	75,583	-	-	-	-	75,583
घटाएं: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई) ^{##} Less: Provision for Non-performing investments (NPI) ^{##}	673		-	-	-	-	673	-	-	-	-	673
निवल / NET	72,262		2	2,472	174	-	74,910	-	-	-	-	74,910
बिक्री के लिए उपलब्ध Available for Sale	Γ											
सकल / Gross	24,381		540	4,794	134	9,164	39,013	415	-	-	415	39,428
घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	-		218	1,495	43	2,870	4,626	-	-	-	-	4,626
निवल / Net	24,381		322	3,299	91	6,294	34,387	415	-	-	415	34,802
ट्रेडिंग के लिए धारित Held for Trading												
सकल / Gross	1,644		-	-	-	3,578	5,222	-	-	-	-	5,222
घटाएं : मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for Depreciation and NPI	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल / Net	1,644		-	-	-	3,578	5,222	-	-	-	-	5,222

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

			Inv	भारत में निवेश vestments in				Inv	भारत के बाह vestments ou		dia	कुल निवेश Total
विवर्ण Particulars	सरकारी प्रतिभूतियां # Government Securities#	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures	Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India		सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and /or Joint Ventures	अन्य Others	भारत के बाहर कुल निवेश Total invest6. ments outside India	Investments
कुल निवेश Total Investments	98,960		542	7,266	308	12,742	1,19,818	415	-	-	415	1,20,233
घटाएं: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for Non Preforming Investments	673		-	-	-	-	673	-	-	-	-	673
घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	-		218	1,495	43	2,870	4,626	-	-	-	-	4,626
निवल / Net	98,287		324	5,771	265	9,872	1,14,519	415	-	-	415	1,14,934

[#] एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत सरकारी प्रतिभृतियों में ₹673 करोड़ का एसएएसएफ निवेश और ₹12,438 करोड़ के भारत सरकार द्वारा पुनर्पृजीकरण बांड शामिल है.

ख) मुल्यहास के लिए प्रावधानों और निवेश उतार-चढाव रिज़र्व में घट-बढ

b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

क्रम	विवर	ण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
संख्या	Parti	culars	March 31, 2025	March 31, 2024
Sr.				
No.				
i	निवेश	ों के मूल्यहास के लिए धारित प्रावधान में घट-बढ़		
	Move	ement of provision held towards depreciation on stments		
	क	प्रारंभिक शेष	5,298	5,126
	Α	Opening Balance		
	ख	जोड़ें : वर्षे के दौरान किया गया प्रावधान	1,531	799
	В	Add: Provision made during the year		
	ग	Add: Provision made during the year घटाएं : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डालना/ अतिरिक्त प्रावधानों को	1,431	627
		पुनरांकित करना		
	С	Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year		

[#] Government Securities under HTM category includes SASF investment of ₹ 673 crore & recapitalisation bonds issued by GOI of ₹ 12,438 crore

^{##} एचटीएम सरकारी प्रतिभृतियों के तहत एनपीआई प्रावधान एसएएसएफ के लिए₹673 करोड़ के प्रावधान को दर्शाता है जिसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है.

^{##} NPI provision under HTM Govt. securities represents provision of ₹ 673 crore for SASF been fully provided



क्रम	विव	ाण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
संख्या	Parl	ticulars	March 31, 2025	March 31, 2024
Sr.				
No.			5,398	5,298
	घ -	अंतिम शोष	5,596	5,296
	D	Closing balance		
ii	निवेः	श उतार-चढ़ाव रिज़र्व में घट-बढ़		
		rement of Investment Fluctuation Reserve		
	क	प्रारंभिक शेष	893	741
	Α	Opening balance		
	ख	जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरित राशि	-	152
	В	Add: Amount transferred during the year		
	ग	घटाएं: गिरावट	-	-
	С	Less: Drawdown		
	घ	अंतिम शेष	893	893
	D	Closing balance		
iii	प्रतिष् Clos	कएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के शत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष (निवल) sing balance in IFR as a percentage of closing balance nvestments in AFS and HFT/Current category (Net)	2.38%	2.23%

संबंधित रिपोर्टिंग अवधि के अंत की स्थितियों की तुलना करके प्रावधान में घट-बढ़ वार्षिक आधार पर तैयार किया जाता है.

Movement of provision is prepared on annual basis by comparing the positions as at the respective reporting period end.

नोटः रिजर्व बैंक के 12 सितंबर 2023 के 'वाणिज्यक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियों के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023' पर मास्टर निर्देश के अनुसार, ऐसी राशि की निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) सृजित करने के लिए सूचित किया है, जो वर्ष के वौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या वर्ष के लिए निवल लाभ में से अनिवार्य विनियोजन घटाकर, में से कम हो, उससे कम नहीं होनी चाहिए, जब तक कि आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियों की कम से कम 2 प्रतिशत न हो जाए.

Note: As per RBI vide its Master Direction dated September 12, 2023 on 'Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023' advised to create Investments Fluctuation Reserve (IFR) with an amount which is not less than lower of net profit on sale of investments during the year or net profit for the year less mandatory appropriations until the amount of IFR is at least 2 percent of the AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, on a continuing basis.

ग) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम्च) श्रेणी से / को विक्रय व अंतरण

Sales and transfers to/from Held to Maturity (HTM) category

12 सितंबर 2023 के रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 के अनुसार, एचटीएम से बेचे गए निवेशों का रखाव मूल्य एचटीएम पोर्टफोलियो के प्रारंभिक रखाव मूल्य के 5% से अधिक नहीं होगा. इस सीमा से अधिक किसी भी बिक्री के लिए पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस), रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी.

As per RBI Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 dated September 12, 2023, the carrying value of investments sold out of HTM shall not exceed 5% of the opening carrying value of the HTM portfolio. Any sale beyond this threshold shall require prior approval from DoS, RBI.

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी से बिक्री का मूल्य वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के रखाव मूल्य के 5% से अधिक नहीं हुआ है.

During the year ended March 31, 2025 the value of sales from HTM category has not exceeded 5% of the carrying value of the investments held in HTM category at the beginning of the year.

उपरोक्त सीमा के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को पांच प्रतिशत की नियामक सीमा से बाहर रखा गया है:

For the purpose of above limit following are excluded from the regulatory limit of five per cent:

- क. रिजर्व बैंक के तरलता प्रबंधन परिचालनों जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ) सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जीएसएपी) के तहत रिजर्व बैंक को बिक्री.
- a. Sales to the RBI under liquidity management operations of RBI such as the Open Market Operations (OMO) Government Securities Acquisition Programme (GSAP).
- ख. भारत सरकार द्वारा बैंकों से वापसी खरीद या स्विच परिचालन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद.
- b. Repurchase of Government Securities by Government of India from banks under buyback or switch operations.
- ग. संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वापसी खरीद या स्विच परिचालन के तहत राज्य विकास ऋणों की पनर्खरीद.
- c. Repurchase of State Development Loans by respective state governments under buyback or switch operations.
- घ. जारीकर्ता द्वारा गैर-एसएलआर प्रतिभृतियों की पुनर्खरीद, वापसी खरीद या कॉल विकल्प का प्रयोग.
- d. Repurchase, buyback or exercise of call option of non-SLR securities by the issuer.
- ङ. क्रेडिट रेटिंग में गिरावट या प्रतिपक्ष द्वारा चुक के बाद गैर-एसएलआर प्रतिभृतियों की बिक्री.
- e. Sale of non-SLR securities following a downgrade in credit ratings or default by the counterparty.
- च. वित्तीय संकट का सामना कर रहे उधारकर्ता के लिए दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान 2.0 हेतु विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत समाधान योजना के भाग के रूप में प्रतिभृतियों की बिक्री.
- f. Sale of securities as part of a resolution plan under the Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets 2.0 for a borrower facing financial distress.
- छ. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों की अतिरिक्त बिक्री.
- g. Additional sale of securities explicitly permitted by the Reserve Bank of India.

घ) गैर- एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

d) Non- SLR Investment Portfolio

(i) अनर्जक गैर- एसएलआर निवेश / Non-performing Non-SLR investments

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24
प्रारंभिक शेष / Opening balance	2474	1,321
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year since 1st April	208	1,484
उपर्युक्त वर्ष के दौरान कमी @ Reductions during the above year @	464	331
अंतिम शोष / Closing balance	2218	2,474
धारित कुल प्रावधान" / Total provisions held"	2218	2,474

[®] इसमें ₹ 64 करोड़ (पिछले वर्ष - ₹ 86 करोड़) का निवेश मोचन/ बिक्री/ बट्टे खाते में डालना/ निपटान/ वापसी खरीद, ₹ 303 करोड़ का उन्नयन (पिछले वर्ष - ₹ 94 करोड़), ₹ 97 करोड़ (पिछले वर्ष - शून्य) के निवेश का अन्य आस्तियों में अंतरण, एनसीडी का एसआर में रूपांतरण - शून्य (पिछले वर्ष -₹ 151 करोड़) शामिल है.

प्रावधान में घट-बढ़ संबंधित रिपोर्टिंग अविधयों की स्थिति की तुलना करके वार्षिक आधार पर तैयार किया जाता है. Movement of provision is prepared on annual basis by comparing the positions as on respective reporting periods.

[®] Includes Investment Redemption/ Sale/ Write-off/ Settlement/Buyback of ₹ 64 crore (previous year – ₹ 86 crore), Up-gradation of ₹ 303 crore (previous year – ₹ 94 crore), movement of Investment to other assets of ₹ 97 crore (previous year - Nil), Conversion of NCD to SR- Nil (previous year – ₹ 151 crore.)

[#] वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है (पिछले वर्ष ₹356/-)

[#] There is no special provision for FY 2024-25 (Previous Year ₹ 356/-)



गैर-एसएलआर निवेशों की निर्गमकर्ता संरचना / Issuer composition of Non-SLR investments

6	उद्यम Subsidiaries / JV अन्य [®] / Others [®]	20,415	16,884	3,016	503	2,748	1,430	15,017	14,433	7,290	4,031
5	Private corporates सहायक कंपनियां / संयुक्त	308	308	308	290	0	-	308	308	308	308
4	बैंक / Banks निजी कॉरपोरेट	4,615	6,477	3,791	6,010	1,181	1,788	1,615	1,624	1,234	1,606
3	वित्तीय संस्थाएं / Fls	9,909	739 9,945	486 496	69 284	0 4		486 13	19	486 0	19
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSUs	228	29	2	2	138	-	228	29	228	29
(1) 31 मार	(1) (2) 31 मार्च को / As at March 31,		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
क्रम सं. Sr. No.	निर्गमकर्ता Issuer	Amount मात्रा प्रति Extent of private Ex placement inve		'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा " Extent of below investment grade' securities "		ंबिना- रेटिंग' वाली प्रतिभूतियों की मात्रा ^{\$} Extent of 'unrated' securities ^{\$}		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unlisted' securities			

^{\$} इक्विटयों में निवेश को बिना रेटिंग वाली प्रतिभृतियां माना जाता है.

^{\$} Investment in Equities are treated as unrated securities

[®]अन्य में पीटीसी, एसआर, भारत सरकार के पुनर्पूंजीकरण बांड और विदेशी∕गिफ्ट सिटी निवेश शामिल हैं (पिछले वर्ष 2024 में ₹ 673 करोड़ का एसएएसएफ शामिल था). वित्तीय वर्ष 2023-24 में पीएसयू श्रेणी₹12,438 करोड़ के अंतर्गत दिखाए गए भारत सरकार के पूनर्पुंजीकरण बांड (गैर-एसएलआर विशेष सरकारी प्रतिभूतियां) को रिजर्व बैंक के प्रकटीकरण के मानक प्रारूप के अनुसार पुनः वर्णित किया गया है और "6.अन्य" श्रेणी के अंतर्गत दिखाया गया है.

[®]Others include PTC, SR, GOI Recapitalisation Bonds and overseas/GIFT City investment (Previous year 2024 included SASF of ₹ 673 crore). GOI Recapitalisation Bonds (Non- SLR special Govt. Securities) shown under PSU category ₹12,438 crore in FY 2023-24 have been restated and shown under "6.0thers" category in terms of RBI's standard format of disclosure. .

[#] निवेश ग्रेड से नीचे की प्रतिभृतियों में एनपीआई निवेश भी शामिल हैं.

[#] Below investment grade securities also includes NPI investments.

- रेपो लेन-देन
- Repo Transactions

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण / Disclosure for the year ended March 31, 2025

								(₹ करोड़)	/ (₹ Crore
		रेपो प्रकटीकर	ण वित्तीय वष	f 2025				राशि व	
		Repo Disclosure	e Financial	Year 2025				Amount	In Crore
		वर्ष के दौर	ान न्यूनतम	वर्ष के दौरान	। अधिकतम	वर्ष के दौर	ान दैनिक	31 मार्च 2	025 को
		बका	91	बक	ाया	औसत व	बकाया	बक	ाया
		Minin	num	Maxir	num	Daily A	verage	Outstand	ing as on
		Outstandii	ng During	Outstandii	ng During	Outstandi	ng During	Mai	rch
		The Y	<u>'ear®</u>	The `	Year	The '	Year	31, 2	025
रेपोर	के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां								
Sec	urities sold under Repo								
		अंकित	बाजार	अंकित	बाजार	अंकित	बाजार	अंकित	बाजा-
		_मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	_मूल्य	मूल्य	_मूल्य	मूल
		Face	Market	Face	Market	Face	Market	Face	Marke
	2 6 6 :	Value 380	Value 386	Value 4284	Value 4438	Value 1657	Value	Value	Value
l.	सरकारी प्रतिभूतियां	300	300	4204	4430	1007	1685	शून्य / Nil	शून्य / N
	Government Securities	200	005	200	207	2			
II.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	200	205	200	207	2	2	शून्य / Nil	शून्य / N
	Corporate Debt Securities								
III.	कोई अन्य प्रतिभूतियां	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / N
	Any Other Securities								
	र्प रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूति								
Sec	urities purchased under Revers	e Repo							
l.	सरकारी प्रतिभूतियां	5	5	8891	8877	354	350	शून्य / Nil	शून्य / N
	Government Securities								
II.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	23	22	108	108	3	3	शून्य / Nil	शून्य / N
	Corporate Debt Securities							·	
III.	कोई अन्य प्रतिभूतियां	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / N
	Any Other Securities						·	·	
टोअ	ारईपीएस रेपो लेनदेन								
	PS REPO TRANSACTION								
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
	के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां								
J.	urities sold under Repo सरकारी प्रतिभूतियां	100	97	11336	11402	1964	1,957	σι π / Niil	शून्य / N
1.	<u> </u>	100	01	11000	11102	1001	1,001	शून्य / Nil	शून्य / ۱۷
	Government Securities	TOTAL / N.II	TOTAL / NIII	TOTAL / NIII	TOTAL / N.P.	TOTAL / N.P.	TOTAL / NUI	TOTAL / N.P.I	
II.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / N
	Corporate Debt Securities								
III.	कोई अन्य प्रतिभूतियां	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / N
	Any Other Securities								
रिवस	र्प रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूति	यां							
Sec	urities purchased under Reverse	е							
Rep	00	054	050	10100	44077	101	4.47	40400	4407
I.	सरकारी प्रतिभूतियां	254	253	12168	11977	461	447	12168	1197
	Government Securities								
II.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / N
	Corporate Debt Securities								
III.	कोई अन्य प्रतिभूतियां	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / N
	Any Other Securities								

[®] ''वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि'' के निर्धारण के उद्देश्य के लिए ''शून्य'' शेष राशि को शामिल नहीं किया गया है. [®] For the purpose of determination of "minimum outstanding amounts during the year","zero" balances have been excluded.



31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण / Disclosure for the year ended March 31, 2024

	रेपो प्रकटीकरण वित्तीय वर्ष 20	24 / Repo Disclosure	Financial Year 2024		राशि करोड़ में Amount In Crore
विव Part	ण ticulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया [©] Minimum Outstanding During The Year [®]	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum Outstanding During The Year	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया Daily Average Outstanding During The Year	31 मार्च 2024 को बकाया Outstanding as on March 31, 2024
	के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) urities sold under Repo (Face Value)				
l.	सरकारी प्रतिभूतियां	2,421	8,015	2,957	2,421
	Government Securities				
II.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	50	100	0.40	शून्य / Ni
	Corporate Debt Securities				
III.	कोई अन्य प्रतिभूतियां	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Ni
	Any Other Securities				
	र्ग रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
(अं	केत मूल्य)				
	urities purchased under Reverse Repo ee Value)				
l.	सरकारी प्रतिभूतियां	5	739	46	शून्य / N
	Government Securities				
II.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	75	161	7	शून्य / N
	Corporate Debt Securities				
III.	कोई अन्य प्रतिभूतियां	Nil	Nil	Nil	शून्य / N
	Any Other Securities				
	ारईपीएस रेपो लेनदेन PS REPO TRANSACTION				
	के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) urities sold under Repo (Face Value)				
l.	सरकारी प्रतिभूतियां	285	17618	4588	शून्य / N
	Government Securities				~
II.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां		 शून्य / Nil	 शून्य / Nil	शून्य / N
	Corporate Debt Securities			٠,	Δ.
III.	कोई अन्य प्रतिभूतियां				शून्य / N
	Any Other Securities	-		-	-
रिवर	र्व रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां (अंकित म्	[ल्य)			
	urities purchased under Reverse Repo (Fac				
١.	सरकारी प्रतिभूतियां	495	4200	70	2500
	Government Securities				
II.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / N
	Corporate Debt Securities				
III.	कोई अन्य प्रतिभूतियां	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / N
	Any Other Securities	ŭ.	υ.	υ.	α.

[®] ''वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि'' के निर्धारण के उद्देश्य के लिए ''शून्य'' शेष राशि को शामिल नहीं किया गया है. [®] For the purpose of determination of "minimum outstanding amounts during the year" "zero" balances have been excluded.

च) सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन

f) Government Security Lending (GSL) transactions

बैंक ने चालू वर्ष और गत वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के उधार संबंधी कोई लेनदेन नहीं किया है. Bank has no transaction in Government Securities Lending during the current year & previous year.

छ) संक्रमण एवं निरसन प्रावधान:

Transition and Repeal Provisions:

1 अप्रैल 2024 से बैंक ने 12 सितंबर 2023 को जारी रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश, निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के संबंध में ('रिजर्व बैंक निवेश निर्देश 2023') में विस्तृत रूप से उल्लिखित संशोधित ढांचे को अपनाया है. तदनुसार, जैसािक उपर्युक्त ढांचे के संक्रमण प्रावधानों के तहत निर्धारित किया गया है, बैंक ने 31 मार्च 2024 को निवेश पर मूल्यहास के लिए रखे गए प्रावधानों का प्रतिवर्तन सहित सामान्य रिजर्व में ₹ 1072.47 करोड़ (कर घटाकर) और 1 अप्रैल 2024 को एएफएस रिजर्व में ₹ 401.36 करोड़ का समायोजन किया है.

With effect from April 1, 2024, the Bank has adopted the revised framework as detailed in RBI Master Direction on Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio issued on September 12, 2023 ('RBI Investment Directions 2023). Accordingly, as prescribed under the transition provisions of the aforesaid framework, the Bank has accounted for adjustment of ₹ 1072.47 crores (net of taxes) in General Reserve including reversal of provision held for depreciation on the investment as at March 31, 2024 and of ₹ 401.36 crores in AFS Reserve as at April 1, 2024.

4. आस्ति गुणवत्ता / Asset Quality

- क) 31 मार्च 2025 को अग्रिमों का वर्गीकरण और धारित प्रावधान
- a) Classification of advances and provisions held as on March 31, 2025

				•	., .
मानक Standard					
कुल मानक अग्निम (अ) Total Standard Advances (A)	अव-मानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम (आ) Total Non- Performing Advances (B)	कुल (अ+आ) Total (A+B)
1,87,977	2,053	2,680	4,184	8,917	1,96,894
				1,923	
				4,145	
2,18,062	632	2,155	3,908	6,695	2,24,757
				826	
				2,195	
				939	
	Standard कुल मानक अग्रिम (अ) Total Standard Advances (A)	Standard कुल मानक अग्रिम (अ) Total Standard Advances (A) 1,87,977 2,053	Standard कुल मानक अग्रिम (अ) Total Standard Advances (A) 1,87,977 2,053 Non-per संदिग्ध Doubtful	Standard कुल मानक अग्रिम (अ) Total Standard Advances (A) 1,87,977 2,053 Non-performing संदिग्ध Биь standard Doubtful 1,87,977 2,053 2,680 4,184	Standard Non-performing कुल मानक अग्निम (अ) Total Standard Advances (A) अव-मानक Sub- standard संदिग्ध Doubtful हानि Loss Total Non- Performing Advances (B) 1,87,977 2,053 2,680 4,184 8,917 2,18,062 632 2,155 3,908 6,695 826 2,195



					(६ फर	is)/(< Crore)
	मानक		अन			
	Standard		Non-per	forming		
विवरण Particulars	कुल मानक अग्रिम (अ) Total Standard Advances (A)	अव-मानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम (आ) Total Non- Performing Advances (B)	कुल (अ+आ) Total (A+B)
iv) उपर्युक्त (iii) को छोड़कर बट्टे खाते में डाले गए					185	
Write-offs other than those under (iii) above						
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)^ Provisions (excluding Floating Provisions)^						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held	4,817	1,441	2,648	4,184	8,273	13,090
जोड़ें:वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year					1,689	
घटाएं: रिवर्स किये गये आधिक्य प्रावधान/ बट्टे खाते डाले गये ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					3,604	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष Closing balance of provisions held	7,563	335	2,115	3,908	6,358	13,921
निवल एनपीए / Net NPAs						
प्रारंभिक शेष Opening Balance		612	32	0	644	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन Add: Fresh additions during the year					693	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					1,000	
अंतिम शेष / Closing Balance		297	40	0	337	337
अस्थायी प्रावधान Floating Provisions						
प्रारंभिक शेष Opening Balance						
जोड़ें: वर्ष के दौरान किये गये अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year						
घटाएं: वर्ष के दौरान कम की गई राशि Less: Amount drawn down during the year						
अस्थिर प्रावधानों का अंतिम शेष Closing balance of floating provisions						
तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए और उनसे की गई वसूली Technical write-offs and the recoveries made thereon						

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

					(, , ,	19) / ((01010)
	मानक Standard					
विवरण Particulars	कुल मानक अग्रिम (अ) Total Standard Advances (A)	अव-मानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम (आ) Total Non- Performing Advances (B)	कुल (अ+आ) Total (A+B)
तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						61,897
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						939
घटाएं: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले गए खातों में हुई वसूली Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						4,610@
अंतिम शेष Closing balance						58,226
a CC a i (C) (a = 1						

^{@ -} विनिमय अंतर (निवल) / @ - Exchange differences (net)

नोट: 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने आईआरएसी मानदंडों से अधिक का अतिरिक्त प्रावधान किया है.

Note: During financial year ended March 31, 2025, Bank has made additional provision of over and above the IRAC norms.

31 मार्च 2024 को अग्रिमों का वर्गीकरण और धारित प्रावधान

Classification of advances and provisions held as on March 31, 2024

	मानक Standard					
विवरण Particulars	कुल मानक अग्रिम (अ) Total Standard Advances (A)	अव-मानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम (आ) Total Non- Performing Advances (B)	কুল (अ+आ) Total (A+B)
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए Gross Standard Advances & NPA						
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1,61,073	1,006	2,989	6,974	10,969	1,72,042
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन Add: Additions during the year					3,559	

[े] रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों में परिवर्तन के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2024-25 के निवल एनपीए की गणना में एनपीवी के लिए प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है.

[^] Pursuant to change in extant RBI guidelines, provision for NPV is excluded for the purpose of computation of Net NPA for FY2024-25



						(₹ कर	ोड़) / (₹ Crore)
		मानक Standard		अन Non nor			
	विवरण Particulars	कुल मानक अग्रिम (अ) Total Standard Advances (A)	अव-मानक Sub- standard	Non-per संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम (आ) Total Non- Performing Advances (B)	কুল (अ+आ) Total (A+B)
	वर्ष के दौरान कमी eductions during the year					5,611	
अंतिम शे	ष / Closing Balance	1,87,977	2,053	2,680	4,184	8,917	1,96,894
	ग्पीए में कमी के कारण: ons in Gross NPAs due to:						
,	उन्नयन Jp-gradation					1,510	
F	वसूलियां (अपग्रेड खातों से हुई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					1,117	
1	तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले ाए Fechnical/ Prudential Write-offs					2,758	
\	उपर्युक्त (iii) को छोड़कर बट्टे खाते में डाले गए Write-offs other than those under (iii) above					227	
	(अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)^ ons (excluding Floating Provisions)^						
	वधानों का प्रारंभिक शेष g balance of provisions held	4,977	333	2,168	6,974	9,475	14,452
	के दौरान किए गए नए प्रावधान esh provisions made during the year					4,064	
गये ऋण	रवर्स किये गये आधिक्य प्रावधान/ बट्टे खाते डाले xcess provision reversed/ Write-off loans					5,266	
	वधानों का अंतिम शेष balance of provisions held	4,817	1,441	2,648	4,184	8,273	13,090
निवल ए	नपीए / Net NPAs						
प्रारंभिक Opening	होष g Balance		674	821	0	1,495	
•	िक दौरान नए परिवर्धन esh additions during the year					1,060	
	र्ष के दौरान कमी eductions during the year					1,911	
अंतिम शे	ষ / Closing Balance		612	32	0	644	644

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

				(र कर	.lड़) / (₹ Crore)
मानक अनर्जक Standard Non-performing					
कुल मानक अग्रिम (अ) Total Standard Advances (A)	अव-मानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम (आ) Total Non- Performing Advances (B)	कुल (अ+आ) Total (A+B)
					शून्य / Nil
					शून्य / Nil
					शून्य / Nil
					शून्य / Nil
					61,737
					2,758
					2,958 [®]
					शून्य / Nil
	Standard कुल मानक अग्रिम (अ) Total Standard Advances	Standard कुल मानक अग्रिम (अ) Total Standard Advances	Standard Non-per कुल मानक अग्रिम (अ) Total Sub- Standard Advances Sub- standard	Standard Non-performing कुल मानक अग्रिम (अ) Total Standard Advances Non-performing संदिग्ध हानि Doubtful Loss	मानक अनर्जक Non-performing कुल मानक अग्रिम (अ) अव-मानक Sub-Standard Advances पंदिग्ध हानि Total Non-Performing Advances

[®] विनिमय अंतर (निवल)

Note: During financial year ended March 31, 2024, Bank has made additional provision of over and above the IRAC norms.

[@] Exchange differences (net)

[^] रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों में परिवर्तन के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2023-24 के निवल एनपीए की गणना में एनपीवी के लिए प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है.

[^] Pursuant to change in extant RBI guidelines, provision for NPV is excluded for the purpose of computation of Net NPA for FY2023-24

नोट: 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने आईआरएसी मानदंडों से अधिक का अतिरिक्त प्रावधान किया है.



अनुपात Ratios	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25	
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए / Gross NPA to Gross Advances	2.98%	4.53%
निवल अग्निमों की तुलना में निवल एनपीए / Net NPA to Net Advances	0.15%	0.34%
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडब्ल्युओ को शामिल कर) Provision Coverage Ratio (including TWO)	99.48%	99.09%

क्षेत्र-वार अग्रिम और सकल एनपीए

Sector-wise Advances and Gross NPAs b)

क्र.सं SI. No		क्षेत्र [@] Sector [®]	As	31 मार्च 2025 को at March 31, 20	25		024	
		विवर् ण Particulars	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
अ A		मकता प्राप्त क्षेत्र rity Sector						
	1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture and allied activities	23,820	1,741	7.31%	22,265	1,812	8.14%
		कृषि और वानिकी Agriculture and Forestry	18,864	1,601	8.49%	19,473	1,675	8.60%
	2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में उधार के लिए पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	6,861	299	4.35%	5,955	325	5.45%
		विनिर्माण / Manufacturing	4,871	251	5.16%	4,434	285	6.42%
		निर्माण / Construction	1,856	41	2.19%	1,364	38	2.81%
	3	सेवाएं / Services	20,189	517	2.56%	20,609	880	4.27%
		थोक और खुदरा व्यापार Wholesale and Retail Trade	9,683	391	4.04%	9,210	606	6.58%
		वित्तीय मध्यस्थता Financial Intermediation	951	0	0.01%	6,462	0	0.00%
	4	वैयक्तिक ऋण / Personal loans	15,715	267	1.70%	17,716	267	1.51%
		उप-कुल (अ) / Sub-total (A)	66,585	2,824	4.24%	66,545	3,283	4.93%

क्र.सं SI. No	क्षेत्र [@] Sector [®]		31 मार्च 2025 को s at March 31, 20			31 मार्च 2024 को s at March 31, 20	
	विवरण Particulars	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
	र-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र on Priority Sector						
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture and allied activities	282	0	0.00%	271	0	0.00%
	कृषि और वानिकी Agriculture and Forestry	257	0	0.00%	215	0	0.00%
2	उद्योग क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector	48,578	695	1.43%	41,145	2,234	5.43%
	विनिर्माण / Manufacturing	19,547	93	0.47%	14,705	1,740	11.84%
	बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति Electricity, Gas And Water Supply	4,876	136	2.78%	4,944	147	2.97%
	खनन और उत्खनन Mining and Quarrying	5,071	0	0%	6,071	0	0%
3	सेवाएं / Services	13,800	539	3.91%	9,299	549	5.90%
	वित्तीय मध्यस्थता Financial Intermediation	4,193	338	8.07%	2,910	330	11.34%
	थोक और खुदरा व्यापार Wholesale and Retail Trade	4,425	61	1.37%	2,248	84	3.72%
	परिवहन, भंडारण एवं संचार Transport Storage & Communication	2,811	76	2.72%	2,418	76	3.15%
4	वैयक्तिक ऋण Personal Ioans	95,512	2,637	2.76%	79,633	2,850	3.58%
	उप-कुल (आ) / Sub-total (B)	1,58,172	3,871	2.45%	130,349	5,633	4.32%
	कुल (अ+आ) / TOTAL (A+B)	2,24,757	6,695	2.98%	1,96,894	8,917	4.53%

[@] उप-क्षेत्र जहां बकाया अग्रिम उस क्षेत्र के बकाया कुल अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक हैं, उन्हें अलग से प्रकट किया जाता है.

[@] Sub-sectors where the outstanding advances exceed 10% of the outstanding total advances to that sector is disclosed separately..

नोटः 28 दिसंबर 2023 के विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, प्राथमिकता क्षेत्र के उद्देश्य के लिए उधारकर्ताओं को एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी)/उद्यम आधार प्रमाणपत्र (यूएसी) आवश्यक है. बैंक ने सभी पात्र उधारकर्ताओं से यूआरसी प्राप्त कर लिया है और काफी अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) के लिए यूएसी निकालने में सक्षम रहे हैं. प्राथमिकता क्षेत्र के तहत एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत शेष उधारकर्ताओं (आईएमई) के लिए यूएसी प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं.

Note: In terms of regulatory guidelines dated December 28, 2023, Udyam Registration certificate (URC)/Udyam Aadhar Certificate(UAC) is required for classification of borrowers as MSMEs for the purpose of priority sector. The bank has obtained the URC for all eligible borrowers and has been able to generate UAC for considerable Informal Micro Enterprises (IMEs). Efforts are in progress to obtain UAC for remaining borrowers (IMEs) classified as MSMEs under priority sector



समद्रपारीय आस्तियां, एनपीए और राजस्व

Overseas Assets, NPAs and Revenue c)

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवर्ण Particulars	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024
कुल आस्तियां / Total Assets	14,573	10,053
कुल एनपीए (निवल) / Total NPAs (Net)	शून्य / NIL	35
कुल राजस्व / Total Revenue	795	1,669

<u>नोट:</u> दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (डीआईएफसी) शाखा को बंद करने के लिए बोर्ड की मंजूरी और दुबई वित्तीय सेवा प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस वापसी की मंजूरी के अनुसार, डीआईएफसी प्राधिकरण ने 22 दिसंबर 2023 को इसका पंजीकरण रद्दे करने की मंजूरी दे दी और तदनुसार डीआईएफसी शाखा को 22 दिसंबर 2023 से बंद कर दिया गया है.

Note: Pursuant to Board approval for closure of the Dubai International Financial Centre (DIFC) Branch and license withdrawal approval granted by Dubai Financial Services Authority, DIFC authority granted it's de-registration approval on December 22, 2023 and accordingly DIFC Branch has ceased to exist w.e.f. December 22, 2023.

समाधान योजना और पुनर्संरचना का विवरण ई)

Particulars of resolution plan and restructuring

रिजर्व बैंक के दिनांक 07 जुन 2019 के परिपत्र सं. आरबीआई/2018-2019/203 डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 के अनुसार 'दवाबग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेक पूर्ण ढांचा' के बारे में प्रकटन.

Disclosure as per RBI Circular on 'Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets' Circular No: RBI/2018-2019/203DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 07, 2019, .

31 मार्च 2025 को / As at March 31, 2025:

क्र. सं. Sr. No.	आरपी कार्यान्वयन की स्थिति Status of RP Implementation	मामले Cases	बकाया शेष (एफबी+एनएफबी) O/S Balance (FB+NFB)	कुल धारित प्रावधान Total Provision Held	विलंबित कार्यान्वयन हेतु प्रावधान (यदि कोई हो) Provision for Delayed Implementation (if any)
1	कार्यान्वित Implemented	19	5,086	4,207	229
2	गैर-कार्यान्वित Non implemented	36	17,087	17,077	210
	कुल / Total	55	22,173	21,284	438

31 मार्च 2024 को / As at March 31, 2024:

(₹ करोड) / (₹ Crore) आरपी कार्यान्वयन की स्थिति मामले बकाया शेष कल धारित प्रावधान विलंबित 姷. Status of RP Total Provision सं. Cases (एफबी+एनएफबी) कार्यान्वयन हेत Implementation Held Sr. O/S Balance प्रावधान No. (FB+NFB) (यदि कोई हो) Provision for Delayed Implementation (if any) 6,325 3,835 22 499 कार्यान्वित Implemented 2 36 18,811 18,578 305 गैर-कार्यान्वित Non implemented 58 25,136 22.413 804 कुल / Total

गूंजी बाजार एक्सपोजर स्थिति पर विनियामकीय सीमा/ पाबंदी से छूट प्राप्त ऋण का इक्टिी में संपरिवर्तन के कारण इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण.

Acquisitions of Equity Shares due to conversion from Debt to Equity exempted from Regulatory Ceilings/Restrictions on Capital Market Exposure Position

	पुनर्संरचना के अधीन Under Restructuring	
31 मार्च 2025 को पुनर्संरचित खाते Restructured Accounts as on March 31, 2025	उधारकर्ताओं की संख्या [#] Number of Borrowers [#]	25
	बकाया राशि (₹ करोड़) [*] Amount Outstanding (₹ crore) [*]	581
31 मार्च 2024 को पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या Number of Borrowers	28
Restructured Accounts as on March 31, 2024	बकाया राशि (₹ करोड़) Amount Outstanding (₹ crore)	49

^{# 3} कंपनियों अर्थात् एस्टर इग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, एस्टर ग्राइवेट लिमिटेड और एएमडब्ल्यू मोटर्स लिमिटेड में संपूर्ण इक्विटी शेयर धारिता की बिक्री के कारण उधारकर्ताओं की संख्या कम हो गई है

- उ) रिज़र्व बैंक के 18 अप्रैल 2017 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.63 / 21.04.018 / 2016-17, रिज़र्व बैंक के 01 अप्रैल 2019 के परिपत्र सं. आरबीआई/ 2018-19 / 157 /डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.32 / 21.04.018/2018-19 और रिज़र्व बैंक के 11 अक्तूबर 2022 के परिपत्र आरबीआई/2022-23/130/डीओआर.एसीसी.आरईसी संख्या. 74/21.04.018/2022-23 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण तथा एनपीए के लिए प्रावधान में विचलन.
- e) Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs as per RBI Circular DBR.BP.BC.No.63/21.04.018/ 2016-17 dated April 18, 2017, RBI Circular No: RBI/2018-19/157 DBR.BP.BC.No.32/21.04.018/2018-19 dated April 01, 2019 & RBI/2022-23/130 DOR.ACC.REC.No.74/21.04.018/2022-23 dated October 11, 2022

[#]No. of borrowers have been reduced due to sale of entire equity shareholding in 3 companies i.e, "Aster Drugs and Pharmaceuticals Ltd, Aster Private Limited and AMW Motors Limited".

^{*} रिजर्व बैंक के मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेशों), 2023 के अनुसार 1 अप्रैल 2024 से उचित बाजार मुल्य पर निवेश के अंतरण के बाद बकाया राशि में वृद्धि हुई है.

^{*}Outstanding amount has increased subsequent to transition of investments at fair market value w.e.f. April 1, 2024 as per RBI Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023



रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, जहां कहीं भी अतिरिक्त प्रावधान आकलित/ अतिरिक्त सकल एनपीए रिजर्व बैंक द्वारा अभिनिर्धारित किए जाते हैं, जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक हों, बैंकों को अपने वित्तीय विवरणों के लेखा नोटों में, रिजर्व बैंक के वार्षिक पर्यवेक्षकीय प्रक्रिया के कारण आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन को प्रकट करना जरूरी होता है.

In terms of the RBI guidelines, banks are required to disclose the divergence in asset classification and provisioning consequent to RBI's annual supervisory process in their notes to accounts to the financial statements, wherever the additional provisioning assessed/ additional gross NPAs identified by RBI exceeds the threshold specified by RBI.

वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अभिनिर्धारित विचलन रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों में वर्णित रिपोर्टिंग मानदंड को परा नहीं करते.

Divergence identified during FY 2024-25 and FY 2023-24 did not meet the reporting criteria stipulated in extant RBI guidelines.

क) ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटन

f) Disclosure of Transfer of loan exposures

- i) ऐसे ऋणों के संबंध में जिसमें चूक नहीं हुई है, और जिनको अंतरित या अधिगृहीत किया गया है शून्य In respect of loans not in default that are transferred or acquired - Nil
- (ii) अंतरित या अधिगृहीत दबावग्रस्त ऋण के मामले में, प्रकटन निम्नानुसार है: In the case of stressed loans transferred or acquired, the disclosure is as follows:
 - (अ) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अंतरित/ अधिगृहीत एसएमए का विवरण (पिछले वर्ष: शुन्य)
 - (a) Details of SMA transferred/ acquired during FY 2024-25- Nil (Previous year: Nil)
 - (ख) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अंतरित एनपीए/टीडब्ल्युओ का विवरणः
 - (b) (Details of NPAs/TWO transferred during FY 2024-25

			(₹ करोड़) / (₹ Crore)
विवरण Particulars	एआरसी को To ARCs	अनुमत अंतरीतियों को To permitted transferees	अन्य अंतरीतियों को To other transferees
खातों की सं. / No. of accounts	7	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अंतरित ऋणों की कुल मूलधन बकाया राशि Aggregate principal outstanding of loans transferred	2,135	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
सकल प्रतिफल Aggregate consideration	1,767	शून्य / Nil	शून्य / Nil
पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संदर्भ में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल (प्रतिभूति रसीदों से मोचन) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years (Redemption from Security Receipts)	65.23*	शून्य / Nil	शून्य / Nil

^{*} प्रतिभृति रसीदों से मोचन - ₹ 62.14 करोड़, अपसाइड शेयरिंग - ₹ 2.87 करोड़, एसआर मोचन पर ब्याज ₹ 0.22 करोड़ आदि

^{*} Redemptions from Security Receipts – ₹ 62.14 crore, upside sharing - ₹ 2.87 crore, interest on SR redemptions of ₹ 0.22 crore etc.

नोट: बैंक ने दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में ₹ 317.05* करोड़ का प्रावधान रिवर्स कर दिया है. Note: Bank has reversed provision of ₹ 317.05* crore to profit and loss account on account of sale of stressed loans.

* ₹ 10.50 करोड़ (अंतरण प्रतिफल) वेस्ट कोस्ट फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड को अंतरित कर दिया गया था, लेकिन प्रावधान को 2024-25 की पहली तिमाही में रिवर्स किया गया.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अंतरित एनपीए/ टीडब्ल्यू का विवरण/ Details of NPAs/ TWO transferred during FY 2023-24

			, ., .
विवरण Particulars	एआरसी को To ARCs	अनुमत अंतरीतियों को To permitted transferees	अन्य अंतरीतियों को To other transferees
खातों की संख्या / No. of accounts	#13	1	शून्य / Nil
अंतरित ऋणों की कुल मूल बकाया राशि Aggregate principal outstanding of loans transferred	#1,974	138	शून्य / Nil
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
सकल प्रतिफल Aggregate consideration	599	86 ^{##}	शून्य / Nil
पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संदर्भ में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल (प्रतिभृति रसीदों से मोचन) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years (Redemption from Security Receipts)	90	शून्य / Nil	शून्य / Nil

[#]इसमें ₹171 करोड़ के एक्सपोजर वाला 1 अनर्जक निवेश खाता (एनपीआई) शामिल है, जिसे ₹43 करोड़ के प्रतिफल में अंतरित किया गया है. [₹6 करोड़ का नकद और ₹37 करोड़ की प्रतिभूति रसीद] और 2 खातों को एनसीएलटी, कोलकाता में सीआईआरपी प्रक्रिया के तहत ₹182 करोड़ (₹38 करोड़ नकद और ₹23 करोड़ की प्रतिभूति रसीद और ₹ 121 करोड़ के ओसीडी और प्रति ₹10 के 3140 शेयर) के प्रतिफल में हल किया गया.

^{* ₹ 10.50} crore (Transfer consideration) pertains to West Coast Frozen Foods Pvt. Ltd which was transferred to ASREC (India) Ltd in Q4 of FY 2023-24, but reversal of provisioning done in Q1 2024-25.

[#] Includes 1 Non-Performing Investment a/c (NPI) having exposure of ₹171 crore, transferred for consideration of ₹ 43 crore. [Cash ₹ 6 crore and Security Receipts ₹ 37 crore] and 2 accounts were resolved under CIRP Process in NCLT, Kolkata for a consideration of ₹ 182 crore (Cash ₹ 38 crore and Security receipts ₹ 23 crore and OCD of ₹ 121 crore and 3140 shares of ₹ 10 each)

^{##} अंतरिती द्वारा लंबित ब्याज भगतान के लिए प्रदत्त ₹1करोड शामिल है.

^{##} Includes ₹ 1 crore paid by transferee for delayed interest payment.

नोट: बैंक ने दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में ₹263 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹231 करोड़) का आधिक्य प्रावधान रिवर्स किया है. Note: Bank has reversed excess provisions of ₹ 263 crore (Previous Year ₹ 231 crore) to the profit and loss account on account of sale of stressed loans.



वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अधिगृहीत ऋणों का विवरण / Details of loans acquired during the year FY 2024-25:

		(₹ करोड़) / (₹ Crore)
विवरण Particulars	आवास वित्त कंपनियों (एचएफ़सी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी से From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	एआरसी से From ARCs
अधिगृहीत ऋणों की कुल मूलधन बकाया राशि Aggregate principal outstanding of loans acquired	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल प्रतिफल प्रदत्त Aggregate consideration paid	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अधिगृहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of loans acquired	शून्य / Nil	शून्य / Nil

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अधिगृहीत ऋणों का विवरण / Details of loans acquired during the year FY 2023-24:

		(र कराड़) / (र Crore)	
विवरण Particulars	आवास वित्त कंपनियों (एचएफ़सी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी से From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	एआरसी से From ARCs	
अधिगृहीत ऋणों की कुल मूलधन बकाया राशि Aggregate principal outstanding of loans acquired	शून्य / Nil	शून्य / Nil	
कुल प्रतिफल प्रदत्त Aggregate consideration paid	शून्य / Nil	शून्य / Nil	
अधिगृहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of loans acquired	शून्य / Nil	शून्य / Nil	

31 मार्च 2025 को बैंक द्वारा धारित प्रतिभृति रसीदों (एसआर) को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समुनुदेशित वसूली रेटिंग की विभिन्न

The distribution of the Security Receipts (SRs) held by bank across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on March 31, 2025:

वसूली रेटिंग बैंड	बही लागत
Recovery Rating Band	Book Cost
	(₹ करोड़) / (₹ Crore)
आरआर1+ / RR1+	10
आरआर1 / RR1	1,516
आरआर2 / RR2	161

वसूली रेटिंग बैंड	बही लागत
Recovery Rating Band	Book Cost
	(₹ करोड़) / (₹ Crore)
आरआर3 / RR3	3
आरआर4 / RR4	0
आरआर5 / RR5	5
रेटिंग नहीं / Unrated	1,121
रेटिंग नहीं^ / Unrated^	1,457
कुल / Total	4,273

^ इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर में किया गया निवेश शामिल है. एआरसी आस्तियों के अधिग्रहण की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर एक अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से एसआर की प्रारंभिक रेटिंग प्राप्त करेगी

^ Includes Investment made during Q3 & Q4 of FY2024-25 in SRs that are guaranteed by Government of India. The ARC shall obtain initial rating of SRs from an approved credit rating agency within a period of six months from the date of acquisition of assets by it.

पोर्टफोलियो स्तर पर, बैंक ने ₹ 898.04 करोड़ का बाजार मूल्य पर हानि दर्ज किया है. बैंक ने 31 मार्च 2025 को ₹ 4,273.39 करोड़ के एसआर निवेश पर 100% प्रावधान बनाए रखा:

At portfolio level, the Bank has marked-to-market loss of ₹ 898.04 crore. Bank maintained 100% provision on SRs Investment of ₹ 4.273.39 crore as on March 31, 2025.

भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 मार्च 2025 के अपने परिपत्र के जरिए सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) के मानदंडों को संशोधित किया है और बैंकों को अंतरण के वर्ष में लाभ और हानि खाते में किसी भी आधिक्य प्रावधान को रिवर्स करने की अनुमित दी है, यदि कोई ऋण निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य के लिए एआरसी को अंतरित किया जाता है, और एकमात्र प्रतिफल केवल नकद और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर शामिल है. ऐसे लिखतों के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके ऐसे एसआर का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा.

The Reserve Bank of India, vide its circular dated March 29, 2025 revised norms for Government guaranteed Security Receipts (SRs) and has permitted banks to reverse any excess provision to the Profit and Loss Account in the year of transfer, if a loan is transferred to an ARC for a value higher than the net book value (NBV), and the sole consideration comprises only of cash and SRs guaranteed by the Government of India. Such SRs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.

31 मार्च 2025 को बैंक के पास ₹ 3,134.34 करोड़ की सरकारी गारंटीकृत एसआर थी, जिनके लिए पूरा प्रावधान कर रखा है. बैंक विवेकपूर्ण आधार पर ऐसे एसआर के लिए प्रावधान रखना जारी रखता है, जिसे भारत सरकार द्वारा वसूली की वास्तविक प्राप्ति या दावों की स्वीकृति, यदि कोई हो, पर रिवर्स किया जाएगा.

As on March 31, 2025, the Bank held Government guaranteed SRs amounting to ₹ 3,134.34 crore, which are fully provided. The Bank, on a prudent basis, continues to hold provision against such SRs which will be reversed on actual receipt of recoveries or approval of claims, if any, by the Government of India.

भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर के उचित मूल्यांकन के कारण अप्राप्त लाभ को लाभ और हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है.

The unrealised gain on account of fair valuation of SRs guaranteed by the Government of India is not recognised in Profit and Loss Account.

31 मार्च 2024 को बैंक द्वारा धारित प्रतिभूति रसीदों (एसआर) को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समुनुदेशित वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में वितरण :



The distribution of the Security Receipts (SRs) held by bank across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on March 31, 2024:

वसूली रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	बही लागत Book Cost (₹ करोड़) / (₹ Crore)
—————————————————————————————————————	0
आरआर1 / RR1	1,425
आरआर2 / RR2	3
आरआर3 / RR3	40
आरआर4 / RR4	5
आरआर5 / RR5	59
रेटिंग लागू नहीं # / Rating not applicable#	1,323
कुल / Total	2,855

[#] रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 8 वर्ष के बाद रेटिंग लागू नहीं है.

वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधडी के मामले और किए गए प्रावधान ए)

Fraud Reported and Provision made during the Year

(₹ करोड) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024
रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी मामलों की संख्या / Number of Frauds reported	[#] 586	#628
धोखाधड़ी में शामिल राशि / Amount involved in fraud	*#6136	#33
ऐसी धोखाधड़ियों के लिए की गई प्रावधान की राशि Amount of provision made for such frauds	@136	@ 28
वर्ष के अंत में 'अन्य रिजर्व' से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year	श्रून्य / Nil	शून्य / Nil

वित्तीय वर्ष 2025 में कुल ₹ 0.21 करोड़ के 3 गैर-रिपोर्टिंग वसूलीकर्ता बैंक (एनआरसीबी) मामले शामिल हैं और वित्तीय वर्ष 2024 में कुल ₹ 0.15 करोड़ के 4 गैर-रिपोर्टिंग वसुलीकर्ता बैंक (एनआरसीबी) संबंधी मामले शामिल हैं.

नोटः वर्ष 01.04.2024 से 31.03.2025 के दौरान, रिजर्व बैंक द्वारा ₹1010.03 करोड की राशि के 2 धोखाधडी के मामलों को निष्क्रिय किया गया. उपरोक्त डेटा में उल्लिखित 2 खाते शामिल नहीं हैं.

Note: During the year 01.04.2024 to 31.03.2025, 2 Fraud cases reported were deactivated by RBI amounting ₹ 1010.03 crore. Above data is excluding of mentioned 2 accounts.

[#] As per RBI guideline post 8 years Rating is not applicable.

[#] Includes 3 Non-Reporting Collecting Bank (NRCB) cases aggregating ₹ 0.21 crore for the FY 2025 and Includes 4 Non-Reporting Collecting Bank (NRCB) cases aggregating ₹ 0.15 crore for the FY 2024.

[@] प्रावधान की राशि वसली को घटाकर है.

[@] Amount of provision is net of recovery.

^{* 01.04.2024} से 31.03.2025 के दौरान कुल 586 धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए, जिनमें 92 आस्ति धोखाधड़ी के मामले₹6117.07 करोड़ के थे (प्रावधान ₹127.63 करोड़, वसूली ₹5.26 करोड़ और बट्टे खाते में डाली गई राशि ₹5984.18 करोड़) और 494 देयता धोखाधड़ी के मामले ₹18.52 करोड़ के थे (प्रावधान ₹ 8.51 करोड़ के लिए किया गया).

During 01.04.2024 to 31.03.2025, total 586 Fraud cases were reported wherein, 92 Asset Fraud cases amounting to ₹ 6117.07 crore (Provision is ₹ 127.63 crore, recovery is ₹ 5.26 crore and Write-off amount is ₹ 5984.18 crore) and 494 Liability Fraud cases amounting to ₹ 18.52 crore (Provision done for ₹ 8.51 crore).

ए) कोविड-19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के अंतर्गत प्रकटन

h) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19- related stress

''कोविड-19 संबंधी दबाव के लिए समाधान ढांचे'' के बारे में रिजर्व बैंक के दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र सं. आरबीआई/2020-21/16डीओआर.सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 के अनुसार प्रकटन.

Disclosure as per RBI circular No. RBI/2020-21/16 DOR. No. BP. BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 under "Resolution Framework for COVID-19 related stress"

ओ) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रकटन

(i) Disclosure for FY 2024-25

31 मार्च 2025 को समाप्त छमाही के लिए प्रकटन: / Disclosure for Half Year ended March 31, 2025:

- इसमें उधारकर्ता की अन्य सुविधाएं जिनकी पुनर्संरचना नहीं की गई है, शामिल नहीं हैं.
 This excludes the other facilities to the borrower which have not been restructured.
- मानक खातों की निधि आधारित बकाया राशि इंगित करता है.
 Represents fund based outstanding balances of standard accounts.
- उधारकर्ता के ऋण खाते में क्रेडिट इंगित करता है.
 Represents credits to the loan account of the borrower.



30 सितंबर 2024 को समाप्त छमाही के लिए प्रकटन: / Disclosure for Half Year ended September 30, 2024:

(₹ करोड) / (₹ Crore) (ई) / (D) (A) / (K) (到) / (B) (**इ**) / (C) (3) / (E) (अ) में से ऋण (अ) में से वर्ष (अ) में से समाधान योजना को समाधान योजना को उधारकर्ता का प्रकार Type of Borrower लागु करने के बाद की कुल राशि छमाही के दौरान लागु करने के बाद के दौरान बट्टे मानक के रूप में जो छमाही के खाते डाली गर्ड मानक के रूप में उधारकर्ता द्वारा वर्गीकत खातों के दौरान एनपीए राशि भगतान की गर्ड वर्गीकत खातों के प्रति प्रति एक्स्पोजर - 31 हो गर्ड Of (A) amount राशि³ एक्स्पोजर - 30 सितंबर written off मार्च 2024 को समाप्त Of (A) Of (A) amount 2024, को समाप्त इस during the aggregate paid by the पिछली छमाही की वर्ष की छमाही की year amount of borrower स्थिति 1, 2 स्थिति 1, 2 Debt that during the Exposure to Exposure to slipped in to half year3 accounts classified accounts classified NPA during as Standard as Standard the half year consequent to consequent to implementation of implementation resolution plan of resolution plan Position as at the - Position as at the end of this end of the previous half year ended half year ended March 31, 20241, 2 September 30, 20241, 2 व्यक्तिगत ऋण 82 2,002 296 1,741 Personal Loans कॉरपोरेट व्यक्ति 136 87 108 Corporate persons इनमें से. एमएसएमई 289 9 64 233 Of which, MSMEs अन्य / Others 17 3 16 11 2,155 85 399 1.860 कुल / Total

^{1.} इसमें उधारकर्ता की अन्य सुविधाएं जिनकी पुनर्संरचना नहीं की गई है, शामिल नहीं हैं.
This excludes the other facilities to the borrower which have not been restructured.

^{2.} मानक खातों की निधि आधारित बकाया राशि इंगित करता है. Represents fund based outstanding balances of standard accounts.

^{3.} उधारकर्ता के ऋण खाते में क्रेडिट इंगित करता है. Represents credits to the loan account of the borrower.

(ii) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रकटन / Disclosure for FY 2023-24

31 मार्च 2024 को समाप्त छमाही के लिए प्रकटनः / Disclosure for Half Year ended March 31, 2024:

कुल / Total	2,507	149		347	2,155
अन्य / Others	24	4		4	17
इनमें से, एमएसएमई Of which, MSMEs	323	5	-	50	289
कॉरपोरेट व्यक्ति Corporate persons	155	-	-	18	136
व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	2,328	145	-	325	2,002
उधारकर्ता का प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति एक्स्पोजर - 30 सितंबर 2023 को समाप्त पिछली छमाही की स्थिति ^{1,2} Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half year ended September 30, 2023 ^{1,2}	(अ) में से ऋण की कुल राशि जो छमाही के दौरान एनपीए हो गई Of (A) aggregate amount of Debt that slipped in to NPA during the half year	(अ) में से छमाही के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि Of (A) amount written off during the half year	(अ) में से छमाही के दौरान उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि ³ Of (A) amount paid by the borrower during the half year ³	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति एक्स्पोजर - 31 मार्च 2024, को समाप्त इस वर्ष की छमाही की स्थिति ^{1,2} Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half year ended March 31, 2024 ^{1,2}
	(A) \ (E)	(आ) / (B)	(宴) / (C)	(ई) / (D)	(₹ कराड़) / (₹ Crore) (उ) / (E)
	•			•	(₹ करोड़) / (₹ Crore

इसमें उधारकर्ता की अन्य सुविधाएं जिनकी पुनर्संरचना नहीं की गई है, शामिल नहीं है.
 This excludes the other facilities to the borrower which have not been restructured.

^{2.} मानक खातों की निधि आधारित बकाया राशि इंगित करता है. Represents fund based outstanding balances of standard accounts.

^{3.} उधारकर्ता के ऋण खाते में क्रेडिट इंगित करता है. Represents credits to the loan account of the borrower.



30 सितंबर 2023 को समाप्त छमाही के लिए प्रकटन : / Disclosure for Half Year ended September 30, 2023:

giet / Iotal				292	2,507
कुल / Total	2,637	94		292	2,507
Of which, MSMEs अन्य / Others				11	24
इनमें से, एमएसएमई	340	5	-	49	323
Corporate persons					
कॉरपोरेट व्यक्ति	161		-	8	155
Personal Loans	2,100	0.		2.0	2,020
व्यक्तिगत ऋण	March 31, 2023 ^{1, 2#} 2,436	87		273	September 30, 2023 ^{1,2} 2,328
	as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half year ended	the half year			as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half year ended
	वर्गीकृत खातों के प्रति एक्स्पोजर - 31 मार्च 2023 को समाप्त पिछली छमाही की स्थिति ^{1, 24} Exposure to accounts classified	दौरान एनपीए हो गई Of (A) aggregate amount of Debt that slipped in to NPA during	राशि Of (A) amount written off during the year	भुगतान की गई राशि ³ Of (A) amount paid by the borrower during the half year ³	वर्गीकृत खातों के प्रति एक्स्पोजर - 30 सितंबर 2023, को समाप्त इस वर्ष की छ्माही की स्थिति ^{1,2} Exposure to accounts classified
Type of Borrower	लागू करने के बाद मानक के रूप में	की कुल राशि जो छमाही के	के दौरान बट्टे खाते डाली गई	छमाही के दौरान उधारकर्ता द्वारा	लागू करने के बाद मानक के रूप में
उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना को	(अ) में से ऋण	(अ) में से वर्ष	(अ) में से	समाधान योजना को
	(3T) / (A)	(3II) / (B)	(宴) / (C)	(ई) / (D)	(₹) / (E)
	(3I) / (A)	(3II) / (B)	(₹) / (C)	(ई) / (D)	(र कराड़) / (र

- इसमें उधारकर्ता की अन्य सुविधाएं जिनकी पुनर्संरचना नहीं की गई है, शामिल नहीं है. 1. This excludes the other facilities to the borrower which have not been restructured.
- 2. मानक खातों की निधि आधारित बकाया राशि इंगित करता है Represents fund based outstanding balances of standard accounts.
- उधारकर्ता के ऋण खाते में क्रेडिट इंगित करता है. Represents credits to the loan account of the borrower.

एक्सपोजर / Exposures 5.

- (अ) स्थावर संपदा क्षेत्र को एक्सपोजर
- **Exposure to Real Estate Sector**

		श्रेणी	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
		Category	March 31, 2025	March 31, 2024
1.	प्रत्यक्ष	एक्सपोजर / Direct exposure	85,323	77,197
	(क)	आवासीय बंधक -	84,714	76,805
	(a)	Residential Mortgages –		
		आवासीय संपत्ति, जो उधारकर्ता के कब्जे में हैं/होगी या किराये पर दी गई है, पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत ऋण	84,714	76,805
		Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented		
		उपर्युक्त में से ऐसे व्यक्तिगत आवास ऋण जो प्राथमिकता प्राप्त	14,148	16,067
		क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत शामिल किए जाने के पात्र हैं.		
		Of above individual having housing loans eligible for inclusion in priority sector advances		
	(碅)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र -	610	392
	(b)	Commercial Real Estate –	100	400
		वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण	100	133
		Lending secured by mortgages on commercial real estates		
		उपर्युक्त में से गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं	96	65
		Of above non-fund based (NFB) limits		
	(刊)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य	0	0
		प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर -		
	(c)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS)		
		and other securitised exposures – क. आवासीय,	0	0
		*	· ·	O
		a. Residential, ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र	0	0
				Ü
2.	गान्ना	b. Commercial Real Estate क्ष एक्सपोजर / Indirect Exposure	6,695	6,463
۷.		ज एक्सपाजर 7 mairect Exposure आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी)	6,689	6,456
	को निधि	धं आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	0,000	0,400
		based and non-fund based exposures on National ng Bank (NHB) and Housing Finance Companies		
	उपर्युक्	त में से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों	14	6
	(एचएफसी) पर गैर-निधि आधारित एक्सपोजर			
		ne above Non-fund based exposures on National ng Bank (NHB) and Housing Finance Companies		
		ग न्य-अप्रत्यक्ष एक्सपोजर / Any other - Indirect Exposure	6	7
		Total	92,018	83,660



(ख) पूंजी बाजार में एक्स्पोजर

(b) Exposure to Capital Market

	विवरण Particulars	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ऐसे इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में सीधे निवेश, जिनकी मूल निधि को केवल कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं किया जाता है; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	975	896
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिंबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर या बेजमानती आधार पर अग्रिम; Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	200	246
(iii)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जिनमें शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है; Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	-	-
(iv)	अन्य किसी उद्देश्य के लिए अग्रिम, जो शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हैं अर्थात् जिनमें शेयरों/ परिवर्तनीय बांडों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा अन्य प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरा कवर नहीं करती है; Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	-	-
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गार्रिटयां; Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	927	813

	विवरण Particulars	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर अथवा अप्रतिभूत आधार पर कॉरपोरेट को मंजूर ऋण; Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoters contribution to the equity of new companies in anticipation of rising resources;	-	-
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/ निर्गम पर कंपनियों को पूरक ऋण; Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	-	-
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा की गई हामीदारी वचनबद्धताएं; Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures of units of equity oriented mutual fund;	-	-
(ix)	स्टॉक ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण; Financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
(x)	उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत, दोनों) में सभी एक्सपोजर. All Exposures to venture capital funds (both registered and unregistered)	21	25
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर Total Exposure to Capital Market	2123	1980



(ग) जोखिम श्रेणी-वार देश में एक्सपोजर

Risk Category Wise Country Exposure

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

				(१ कराड़) / (१ Crore)
जोखिम श्रेणी	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2024 को
Risk Category	एक्सपोजर (निवल)	धारित प्रावधान	एक्सपोजर (निवल)	धारित प्रावधान
	Exposure (net)	Provision held	Exposure (net)	Provision held
	as at	as at	as at	as at
	March 31, 2025	March 31, 2025	March 31, 2024	March 31, 2024
नगण्य / Insignificant	2,840	-	1,624	
निम्न जोखिम / Low Risk	829	-	405	
मध्यम निम्न जोखिम/	119	-	446	-
Moderately Low Risk				
मध्यम जोखिम	-	-		
Moderate Risk				
मध्यम उच्च जोखिम	-	-	-	-
Moderately High Risk				
उच्च जोखिम / High Risk	-	-	-	-
अति उच्च जोखिम	-	-	-	
Very High Risk				
कुल / Total	3,788	-	2,475	-

³¹ मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को बैंक का किसी भी देश को निवल निधि आधारित एक्सपोजर बैंक की कुल आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है. Bank's net fund based exposure to any of the countries is not more than 1% of total assets of the bank as on March 31, 2025 and as on March 31, 2024.

(घ) अप्रतिभृत अग्रिम

Unsecured Advances

(₹ करोड) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total unsecured advances of the bank	35,704	24,293
उपर्युक्त में से, अग्रिमों की राशियां जिनके लिए अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गई हैं Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	-	-
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य Estimated value of such intangible securities	-	-

(ङ) फैक्टरिंग एक्सपोजर

Factoring Exposures:

31 मार्च 2025 को व्यापार प्राप्य भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) बकाया ₹ 2606 करोड (पिछले वर्ष ₹ 2,079 करोड़). Trade Receivable Discounting System (TReDS) outstanding of ₹ 2606 crore as at March 31, 2025 (previous year of ₹ 2,079 crore).

(च) अंत:-समूह एक्सपोजर

(f) Intra-Group Exposures

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024
(क) (a)	अंतः-समूह एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of intra-group exposures	1,319	907
(ख) (b)	शीर्ष 20 अंत:-समूह एक्सपोजर की कुल राशि® Total amount of top-20 intra-group exposures®	1,319	907
(c) (扣)	उधारकर्ताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर की तुलना में अंतः-समूह एक्सपोजर का प्रतिशत ^{@@} Percentage of intra-group exposures to total exposure of the Bank on borrowers/ customers ^{®®}	0.32%	0.24%
(घ) (d)	अंतः-समूह एक्सपोजर में सीमा उल्लंघन का वर्णन और इस पर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	शून्य / Nil	शून्य / Nil

- @ आईडीबीआई बैंक की कुल 09 समूह संस्थाएं हैं जिनमें बैंक की इक्विटी शेयर धारिता 20% से अधिक है.
- @ Total Group entities of IDBI Bank are 09 where Bank is holding more than 20% equity shareholding.
- @@ बैंक का कुल प्रतिबद्ध एक्सपोजर ₹ 4,14,002 करोड़ है (पिछले वर्ष: ₹ 3,72,004 करोड़).
- @@ Total committed exposure of Bank is ₹ 4,14,002 crore (Previous Year: ₹ 3,72,004 crore).

(छ) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

(g) Unhedged Foreign Currency Exposure

बैंक, जैसा कि इसकी ऋण नीति में वर्णित है, अपने उधारकर्ताओं के अरिक्षत विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की निगरानी करता है तथा अपने ग्राहकों को विनिमय दर में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से होने वाली हानि को कम करने के उद्देश्य से उनके विदेशी मुद्रा को रिक्षत करने के लिए सूचित करता है. बैंक अपने ग्राहकों से अरिक्षत विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में आविधक आधार पर सूचना प्राप्त करता है और इसे आंतरिक रूप से विकसित प्रणाली में रखता है तथा विनिमय दर में घट-बढ़ से होने वाले संभावित हानि की गणना के लिए कार्य-प्रणाली का अनुसरण करता है. इस एक्सपोजर के प्रति 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधन ₹ 10 करोड़ से बढ़कर ₹ 40 करोड़ हो गया है जबिक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधन ₹ 30 करोड़ था. इसके जोखिम के प्रति धारित पूंजी 31 मार्च 2025 को ₹ 29 करोड़ (31 मार्च 2024 को ₹ 52 करोड़) थी.

The Bank, as detailed in its Credit Policy, monitors the Unhedged Foreign Currency Exposure of its borrower and pursues its clients to hedge their forex exposure to minimize the losses due to adverse exchange rate fluctuation. Bank obtains information on Un-hedged Foreign Currency Exposure from its customers on a periodic basis and maintains the same in an internally developed system and follows the methodology for computation of likely loss on account of exchange rate movement. The provisioning for the year ending March 31, 2025 towards this exposure has increased by ₹ 10 crore to ₹ 40 crores as compared to ₹ 30 crores provisioning for year ending March 31, 2024. The capital held towards the risk stood at ₹ 29 crore as on March 31, 2025 (₹ 52 crore as on March 31, 2024).



जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

(क) जमाराशियों का संकेंद्र**ण**

Concentration of Deposits

(₹ करोड) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	37,435	27,936
Total Deposits of the twenty largest depositors बैंक की कृल जमाराशियां	3,10,294	2,77,657
Total Deposits of the Bank		
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total	12.06%	10.06%
Deposits of the Bank		

(ख) अग्रिमों का संकेंद्रण

Concentration of Advances

(₹ करोड) / (₹ Crore)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
Particulars	March 31, 2025	March 31, 2024
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	54,159	48,097
Total Advances to twenty largest borrowers		
कुल अग्रिम	3,90,354	3,50,059
Total Advances		
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत	13.87%	13.74%
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total		
Advances of the Bank		

नोटः कुल अग्रिमों की गणना क्रेडिट एक्पोजर अर्थात् डेरिवेटिव एक्सपोजर, जहां लागू हो, सहित निधिक और गैर-निधिक सीमाओं के आधार पर की गई है. एक्सपोजर गणना के लिए स्वीकृत सीमाएं या बकाया, जो भी अधिक है, को हिंसाब में लिया जाता है. तथापि, पूरी तरह से आहरित मीयादी ऋणों के मामले में, जहां स्वीकृत सीमा के किसी भी भाग को पुनः आहरण की कोई गुंजाइश न हो, बैंक ने बकाया राशि को क्रेडिट एक्सपोजर माना है. Note: Total Advances has been computed on the basis of credit exposure i.e. funded and non-funded limits including

derivative exposures wherever applicable. The sanctioned limits or outstanding, whichever is higher, has been reckoned for exposure computation. However, in the case of fully drawn term loans, where there is no scope for re-drawal of any portion of the sanctioned limit, bank has reckoned the outstanding as the credit exposure.

(ग) एक्सपोजर का संकेंद्रण

Concentration of Exposures

(₹ करोड) / (₹ Crore)

		(* 1, (13)), (* 01010)
विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
Particulars	March 31, 2025	March 31, 2024
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	56,408	51,643
Total Exposure of twenty largest borrowers/customers		
कुल एक्सपोजर	4,14,002	3,72,004
Total Exposure		
उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/	13.63%	13.88%
ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत		
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/ customers to		
Total Exposure of the Bank on borrowers/ customers		

नोटः दिनांक 01 जलाई 2015 को जारी एक्सपोजर मानदंडों पर रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों पर आधारित एक्सपोजर मानदंडों पर मास्टर परिपन्न. Note: Based on RBI guidelines on exposure norms dated July 01, 2015 Master Circular on Exposure norms.

(घ) एनपीए का संकेंद्रण

(d) Concentration of NPAs

		(₹ करोड़) / (₹ Crore)_
विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
Particulars	March 31, 2025	March 31, 2024
बीस शीर्ष एनपीए खातों को कुल एक्सपोजर*	1,427	2,735
Total Exposure to top twenty NPA accounts#		
कुल सकल एनपीए की तुलना में बीस सबसे बड़े एनपीए को एक्सपोजर का प्रतिशत	21.31%	30.67%
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to		
total Gross NPAs.		

[#] कुल एक्सपोजर में केवल निधि आधारित बकाया राशि शामिल है .

6. डेरिवेटिव / Derivatives

- (क) वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप
- (a) Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

क्र. सं.	विवरण Particulars	31 मार्च 2 As at Marc	2025 को sh 31, 2025	31 मार्च	2024 को ch 31, 2024
Sr. No.		हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps	हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps
(i)	स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन [®] The notional principal of swap agreements [®]	शून्य / Nil	40,363	शून्य / Nil	61,230
(ii)	करारों के अंतर्गत यदि काउंटर पार्टी अपने दायित्व के निर्वहन में असफल होती हैं तो उसके कारण होनेवाली हानियां Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	शून्य / Nil	113	शून्य / Nil	114
(iii)	स्वैप निष्पादित करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति Collateral required by the Bank upon entering into swaps	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(iv)	स्वैप से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	शून्य / Nil	नीचे (i) देखें Refer (i) Below	शून्य / Nil	नीचे (i) देखें Refer (i) Below
(v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य The fair value of the swap book	शून्य / Nil	(1)	शून्य / Nil	(1)

[@] इसमें विदेशी शाखा के आंकड़े भी शामिल हैं

[#] Total Exposure includes fund based outstanding amount only.

[@] The figures include overseas branch also.

⁽i) 31 मार्च 2025 को 5 शीर्ष कॉरपोरेट ग्राहकों के ऋण जोखिम का संकेन्द्रण (बैंक का वर्तमान ऋण एक्सपोजर) बैंक के कॉरपोरेट ग्राहकों से कुल वर्तमान ऋण एक्सपोजर ₹ 8 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 12 करोड़) का 100% है.

Concentration of credit risk (Current exposure to the Bank) to top 5 corporate clients as at March 31, 2025 is at 100% of the total current exposure ₹ 8 crore (previous year ₹ 12 crore) from Corporate Clients to the Bank.



31 मार्च 2025 को स्वैप का स्वरूप और इसकी शर्तें निम्नानुसार हैं: The nature and terms of the Swaps on March 31, 2025 are set out below:

स्वरूप Nature	संख्या Nos.	आनुमानिक मूलधन (₹ करोड़) Notional Principal (₹ Crore)	बेंचमार्क Benchmark	য়ার্ন Terms
ट्रेडिंग Trading	421	20,393	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	445	19,970	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	मिफोर MIFOR	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	मिफोर MIFOR	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	एसआईआरएस SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Pay v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	एसआईआरएस SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Pay v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	सीआईआरएस CIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Pay v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	सीआईआरएस CIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Pay v/s Fixed Receivable

31 मार्च 2024 को स्वैप का स्वरूप और इसकी शर्तें निम्नानुसार हैं:

The nature and terms of the Swaps as on March 31, 2024 are set out below:

स्वरूप Nature	संख्या Nos.	आनुमानिक	बेंचमार्क Benchmark	্ হার্ন Terms
		मूलधन (₹ करोड़) Notional Principal (₹ Crore)	Donominank	
ट्रेडिंग Trading	479	30,680	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	610	30,550	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	मिफोर MIFOR	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	मिफोर MIFOR	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	एसआईआरएस SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Pay v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	एसआईआरएस SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Pay v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	सीआईआरएस CIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Pay v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	सीआईआरएस CIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Pay v/s Fixed Receivable

(iv) पीवी01 के संदर्भ में ओआईएस पोर्टफोलियो की निवल खुली स्थिति ₹ 0.0009 करोड़ (नियत प्राप्त) (पिछले वर्ष ₹ 0.05 करोड़ से नकारात्मक थी) से नकारात्मक है, जिसका आशय है कि रुपया ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप (आईएनआर ओआईएस) वक्र में एक आधार बिन्दु वृद्धि के लिए ₹ 0.0009 करोड़ का संभावित नुकसान है. बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम सीमाओं के संदर्भ में सभी खुली स्थितियों की दैनिक आधार पर निगरानी और प्रबंधन किया जाता है.

Net open position of OIS portfolio in terms of PV01 is at negative ₹ 0.0009 crore (receive fixed) (Previous Year was at negative ₹ 0.05 crore) implying a potential loss of ₹ 0.0009 crore for one basis point increase in the Rupee Overnight Indexed Swap (INR OIS) curve. All the open positions are monitored and managed on a daily basis in terms of risk limits approved by the Board.

(ख) एक्सचेंज में क्रय-विक्रय वाले ब्याज दर डेरिवेटिव

(b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

				(₹ करोड़) / (₹ Crore)		
क्र. सं.	विवर	्ण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024		
Sr. No.	Part	iculars	March 31, 2025	March 31, 2024		
(i)		h दौरान एक्सचेंज में ट्रेड किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव की आ onal principal amount of exchange traded interest ra		during the year		
	क) a)	मुद्रा फ्यूचर Currency Futures	85,311	70,491		
	ख) b)	ब्याज दर फ्यूचर Interest Rate Future	910	364		
	可) c)	विकल्प Options	शून्य / Nil	शून्य / Ni		
(ii)		चिंज में ट्रेड किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया आनुमान् onal principal amount of exchange traded interest ra		I		
	क) a)	मुद्रा फ्यूचर Currency Futures	1,295	3,106		
	ख) b)	ब्याज दर फ्यूचर Interest Rate Future	शून्य / Nil	शून्य / Nii		
	可) c)	विकल्प Options	शून्य / Nil	शून्य / Ni		
(iii)	एक्सचेंज में ट्रेड किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया आनुमानिक मूलधन राशि और ''उच्च प्रभावी'' नहीं Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"					
	क)	· ·				
	a)	मुद्रा फ्यूचर Currency Futures	शून्य / Nil	शून्य / Nil		
	a) 碅) b)	9	शून्य / Nil शून्य/ Nil			
	<u>ख</u>)	Currency Futures ब्याज दर फ्यूचर		शून्य / Nil		
(iv)	ख) b) ग) c) एक्स	Currency Futures ब्याज दर फ्यूचर Interest Rate Future विकल्प	शून्य/ Nil शून्य / Nil र्केट मूल्य और ''उच्च प्रभावी''	शून्य / Nii शून्य / Nii नहीं		
(iv)	ख) b) ग) c) एक्स	Currency Futures ब्याज दर फ्यूचर Interest Rate Future विकल्प Options चिंज में ट्रेड किये गये ब्याज डेरिवेटिव का बकाया मार्क-टू-मार्	शून्य/ Nil शून्य / Nil र्केट मूल्य और ''उच्च प्रभावी''	शून्य / Nii शून्य / Nii नहीं		
(iv)	ख) b) ग) c) एक्स Marl	Currency Futures ब्याज दर फ्यूचर Interest Rate Future विकल्प Options चिंज में ट्रेड किये गये ब्याज डेरिवेटिव का बकाया मार्क-टू-मार् k-to market value of exchange traded interest deriva	शून्य/ Nil शून्य / Nil र्केट मूल्य और ''उच्च प्रभावी'' atives outstanding and not	शून्य / Nii शून्य / Nii नहीं "highly effective"		



- (ग) डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन
- (c) Disclosures on risk exposure in derivatives
 - गुणात्मक प्रकटन / Qualitative disclosures (i)
 - डेरेवेटिव टेडिंग में जोखिम के प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन (क)
 - (a) The structure and organization for management of risk in derivatives trading

बैंक हेजिंग के साथ ही टेडिंग उद्देश्यों के लिए डेरेवेटिव का इस्तेमाल करता है. ऐसे डेरिवेटिव के इस्तेमाल से विभिन्न जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन संबंधी जोखिम, विधिक जोखिम आदि बढ जाते हैं. बैंक के पास इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक सव्यवस्थित ढांचा है जिसमें जोखिम नीति, जोखिम प्रबंधन संगठन, जोखिम आकलन और निगरानी प्रक्रिया, सीमा संरचना तथा प्रणालीगत बुनियादी संरचना शामिल हैं. बैंक में एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग है जिसके प्रमुख मुख्य जोखिम अधिकारी हैं.

The Bank uses derivatives for Hedging as well as for Trading purposes. The use of such derivatives gives rise to various risks like credit risk, market risk, operational risk, legal risk etc. The Bank has a well-defined structure to manage these risks, consisting of risk policy, risk management organization, risk measurement and monitoring process, limit structure and system infrastructure. The Bank has an independent Risk Management Department, headed by Chief Risk Officer.

- जोखिम आकलन, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम निगरानी प्रणाली का कार्यक्षेत्र और स्वरूप
- The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems b)

जोखिम प्रबंधन समृह, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट नीतियों, प्रक्रियाओं, मानदंडों और सीमाओं तथा लाग विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन संबंधी जोखिम आदि के आकलन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए कार्यात्मक रूप से जिम्मेदार है. जोखिम का प्रबंध संबंधित समितियों (जैसे-ऋण जोखिम प्रबंध समिति, परिचालन जोखिम प्रबंध समिति और आस्ति देयता प्रबंध समिति। के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत किया जाता है और इसकी रिपोर्टिंग बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति और बोर्ड को नियमित रूप से की जाती है

The Risk Management Group is functionally responsible for measurement, monitoring and reporting of risks like credit risk, market risk, operational risk etc. in accordance with the policies, processes, parameters and limits defined by the Board as well as the applicable regulatory guidelines. Risk is managed under the overall supervision of respective committees (viz. Credit Risk Management Committee, Operational Risk Management Committee and Asset Liability Management Committee) with periodic reporting to Risk Management Committee of the Board as well as to the Board.

- हेजिंग/शमन की निरंतर प्रभावशीलता की निगरानी के लिए हेजिंग और /या जोखिम को कम करने और रणनीतियों और प्रक्रियाओं के लिए नीतियाँ.
- Policies for hedging and / or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing (c) effectiveness of hedges / mitigants

ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन तथा विधिक जोखिम पर नियंत्रण करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही अर्थों में डेरिवेटिव लेन-देनों में जोखिम एक्सपोजर का आकलन/मृल्यांकन किया जाता है. डेरिवेटिव लेन-देन करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहक/दूसरे पक्ष को ऋण समतृल्य जोखिम (एलईआर) के अर्थ में आकलित ऋण जोखिम एक्सपोजर, अनुमोदित सीमा के भीतर है तथा ग्राहक/दूसरे पक्ष को लेन-देन की आवश्यक समझ है. बाजार जोखिम एक्सपोजर का आकलन और प्रबंध स्थितियों, समय-सीमा अथवा अवधि, बाजार दरों के प्रति संवेदनशीलता, अंतराल, ग्रीक्स, हानि-रोध आदि उपायों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. भौतिक रूप से निपटाए गए विदेशी मुद्रा अनुबंधों का भृगतान बनाम भृगतान (पीवीपी) के आधार पर निपटान किया जाता है ताकि विफल ट्रेडों के परिणामस्वरूप होने वाले मूल जोखिम को कम किया जा सके. जहां भी लागू हो, बैंक क्लोज-आउट नेटिंग समझौतों, मार्जिन के आदान-प्रदान, सांपार्श्विक आदि के प्रभावी उपयोग से प्रतिस्थापन लागत जोखिम को कम करता है. पर्याप्त प्रणालीगत बुनियादी संरचना और नियंत्रण प्रणाली को व्यवस्थित रखकर परिचालनगत जोखिमों का समाधान किया जाता है. आवश्यक विधिक करारों के निष्पादन और दस्तावेजीकरण के जरिये विधिक जोखिमों का ध्यान रखा जाता है.

Risk exposures in derivatives transactions are measured/ assessed, in both quantitative and qualitative terms, to capture credit risk, market risk and operational & legal risk. Prior to the execution of derivative transaction, it is ensured that credit risk exposure to the client/counterparty, measured in terms of Loan Equivalent Risk (LER), is within the approved limit and the client/counterparty has the necessary understanding of the transaction. Market risk exposure is measured and managed in terms of positions, duration or tenor, sensitivities to market rates, gaps, greeks, stop loss etc. Physically-settled foreign exchange contracts are settled on payment versus payment (PvP) basis so as to mitigate principal risk resulting from failed trades. The Bank mitigates replacement cost risk by effective use of close-out netting agreements, exchange of margin, collaterals etc, wherever applicable. Operational risks are addressed by having adequate system infrastructure and control mechanism in place. Legal risks are taken care of by execution of necessary legal agreements and documentation.

- (घ) हेज और नॉन-हेज लेनदेन, आय की पहचान, प्रीमियम और छूट, बकाया संविदाओं का मूल्यांकन, प्रावधान, संपार्श्विक और ऋण जोखिम न्युनीकरण संबंधी रिकार्डिंग के लिए लेखांकन नीति.
- (d) Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation

डेरिवेटिव के लिए लेखांकन नीति रिजार्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसके विवरण अनुसूची सं.17 ''बैंक की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों '' में दिये गए हैं.

The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, the details of which are contained in Schedule No.17 "Significant Accounting Policies of the Bank".

(ii) मात्रात्मक प्रकटन / Quantitative disclosures

		31 मार्च	f 2025	31 मार्च	2024
क्रम		March 3		March 3	
सं. Sr. No	विवरण Particulars	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amt.)				
	क) हेजिंग के लिए a) For hedging	शून्य / Nil	शून्य / Nil	6	शून्य / Nil
	ख) ट्रेडिंग के लिए b) For trading	77	40,363	248	61,230
(ii)	मार्क्ड-टू-मार्केट पोजीशन (1) Marked to Market Positions (1)				
	क) आस्ति (+) a) Asset(+)	0.00003	113	55	114
	ख) देयता (-) b) Liability (-)	(0.00006)	(113)	(53)	(115)
(iii)	ऋण एक्सपोजर (2) Credit Exposure (2)				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर a) On hedging derivatives [@]	शून्य / Nil	शून्य / Nil	2	शून्य / Nil
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर b) On trading derivatives	2	401	58	610



क्रम		31 मार्च March 3		31 मार्च March 3	
सं. Sr. No	विवर्ण Particulars	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) [#] Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01) [#]				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर a) on hedging derivatives	शून्य / Nil	शून्य / Nil	0.02	शून्य / Nil
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर b) on trading derivatives	शून्य / Nil	0.09	शून्य / Nil	5
(v)	वर्ष के दौरान पाये गये 100*पीवी01 के अधिकतम एवं न्यूनतम* Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year*				
	क) हेजिंग पर a) on hedging				
	- अधिकतम / Maximum	0.02	शून्य / Nil	0.06	शून्य / Nil
	- न्यूनतम / Minimum	0.001	शून्य / Nil	0.02	शून्य / Nil
	ख) ट्रेडिंग पर b) on trading				
	- अधिकतम / Maximum	शून्य / Nil	7	शून्य / Nil	10
	- न्यूनतम / Minimum	शून्य / Nil	0.09	शून्य / Nil	0.06

[®] चुंकि लेनदेन आस्ति-देयता पोर्टफोलियो में ब्याज दर और मुद्रा जोखिमों से बचाव व्यवस्था के लिए किए जाते हैं, अतः बैंक अधिकतम और न्युनतम 100*पीवी01 की गणना प्रत्येक माह के अंत में स्थिति के अनुसार करता है.

- # दी गई राशियाँ निवल आधार पर हैं, मुद्रा विकल्पों को छोड़कर
- # Amounts given are on a net basis, excluding currency options
- डेरिवेटिव की काल्पनिक मृल राशि तुलन-पत्र की तिथि पर बकाया लेनदेन की मात्रा को दर्शाती है और जोखिम वाली राशियों का प्रतिनिधित्व
 - The notional principal amounts of derivatives reflect the volume of transactions outstanding as at the Balance Sheet date and do not represent the amounts at risk.
- इस प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए; मुद्रा डेरिवेटिव में खरीदे और बेचे गए मुद्रा विकल्प तथा क्रॉस करेंसी स्वैप शामिल हैं; ब्याज दर डेरिवेटिव में ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार शामिल हैं.
- For the purpose of this disclosure; currency derivatives include currency options purchased and sold and cross currency swaps; interest rate derivatives include interest rate swaps, forward rate agreements.

[®]Since the transaction are undertaken to hedge the interest rate and currency risks in the asset-liability portfolio, the bank is calculating the maximum and minimum of 100*PV01 on the positions as at the end of every month.

- बैंक ने प्रत्येक दिन के अंत में शेष राशि के आधार पर वर्ष के लिए पीवी01 की अधिकतम और न्यूनतम गणना की है, जबिक हेज बुक के लिए पीवी01 की अधिकतम और न्युनतम गणना प्रत्येक माह के अंत में शेष राशि के आधार पर की गई है.
- The Bank has computed the maximum and minimum of PV01 for the year based on the balances as at the end of each day while maximum and minimum of PV01 for Hedge book is computed on the balances as at the end of every month.
- डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में, बैंक रिजर्व बैंक द्वारा 11 अगस्त 2022 को जारी "योग्य वित्तीय संविदओं की द्विपक्षीय नेटिंग विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन" और उसके बाद किसी भी संबंधित संशोधनों के आधार पर वर्तमान एक्सपोजर पद्धित के तहत एक्सपोजर की गणना करता है. तथापि, उपरोक्त तालिका में बिंदु संख्या (iii) में उिल्लिखित उत्पाद-वार डेरिवेटिव एक्सपोजर की गणना करने के उद्देश्य से, बैंक ने द्विपक्षीय नेटिंग के प्रभाव के बिना वर्तमान एक्सपोजर पद्धित ('सीईएम') का उपयोग करके एक्सपोजर की गणना की है.
- In respect of derivative contracts, the Bank computes the exposure under the Current Exposure Method based on the guidelines issued by RBI on "Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Amendments to Prudential Guidelines" dated August 11, 2022 and any related amendments thereafter. However, for the purpose of calculating product-wise derivative exposure as mentioned in point number (iii) in table above, bank has calculated exposure using Current Exposure Method ('CEM') without the impact of Bilateral Netting.
- (घ) ऋण चूक स्वैप
- (d) Credit Default Swaps

चालु वित्तीय वर्ष 2024-25 और पिछले वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने कोई सीडीएस लेनदेन नहीं किया है.

During the current financial year 2024-25 and the previous year 2023-24, the Bank did not enter into any CDS transactions.

- (ङ) बैंक ने अपनी डेरिवेटिव आस्ति एवं देयताओं को रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश- (निर्देशों), वाणिज्यक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो को वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 के अनुसार क्रमशःअनुसूची 11: 'अन्य आस्तियां' और अनुसूची 5: 'अन्य देयताएं' के अंतर्गत अलग-अलग मद के रूप में प्रस्तुत किया है, अन्य आस्तियों, अन्य देयताओं और खंड रिपोर्टिंग में पिछली अवधि के आंकडें को पुनर्समूहित या पुनर्वर्गीकृत किया गया है, तािक उन्हें उपर्युक्त परिपत्र के अनुपालन की सीमा तक वर्तमान अवधि के साथ तुलनीय बनाया जा सके. इस पुनर्समूहन के कारण, अन्य अस्तियां, अन्य देयताएं, खंड आस्तियां और देयताएं पिछले वर्ष के तुलना में 31मार्च 2024 को ₹ 388 करोड़ बढ़ गई हैं.
- (e) Bank has presented its derivative asset and liabilities as separate line items under Schedule 11: 'Other Assets' and Schedule 5: 'Other Liabilities' respectively in accordance with RBI Master Direction (Directions), Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023, Previous period's figure in Other Assets, Other Liabilities and Segment Reporting have been regrouped/reclassified, to make them comparable with current period to the extent of compliance of above mentioned circular. Due to this regrouping, Other Assets, other Liabilities, Segement assets & liabilities have increased by ₹ 388 crores as on March 31, 2024 than reported in last year.

8. प्रतिभूतीकरण / Securitisation

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2025 को As on	31 मार्च 2024 को As on
		March 31, 2025	March 31, 2024
1.	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के लिए आस्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहाँ केवल बकाया प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी की रिपोर्टिंग की जाये)/ No of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	शून्य/ Nil	शून्य / Nil
2.	एसपीई की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	शून्य/ Nil	शून्य / Nil
3.	तुलन पत्र की तारीख को एमआरआर के अनुपालन के संबंध में प्रवर्तक द्वारा धारित कुल एक्सपोजर राशि Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	शून्य/ Nil	शून्य / Nil



	विवरण Particu	lars	31 मार्च 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च 2024 को As on March 31, 2024
		नुलन पत्र से इतर एक्सपोजर Off-balance sheet exposures प्रथम हानि / First loss अन्य / Others	-	-
		नुलन पत्र संबंधी एक्सपोजर On-balance sheet exposures प्रथम हानि / First loss अन्य / Others	-	-
4.		ार से इतर प्रतिभूति लेनदेनों में एक्सपोजर राशि of exposures to securitisation transactions other २८	शून्य / Nil	शून्य / Nil
		Exposure to own securitisations प्रथम हानि / First loss अन्य / Others	-	-
		Exposure to own securitisations • प्रथम हानि / First loss • अन्य / Others	-	-
5.	के कारण Sale co	कत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतीकरण बिक्री पर लाभ/हानि nsideration received for the securitised assets and s on sale on account of securitisation	शून्य / Nil	शून्य / Nil

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च 2024 को As on March 31, 2024
6.	चलनिधि सहायता, प्रतिभूतीकरण के बाद आस्ति सर्विसिंग आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्रारूप और मात्रा (बकाया मूल्य) Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
7.	प्रदान की गई सुविधा का कार्यनिष्पादन. कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से प्रदान करें अर्थात् ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि. प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें. Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	(क) भुगतान की गई राशि (a) Amount paid	-	
	(ख) प्राप्त चुकौती (b) Repayment received	-	-
	(ম) बकाया राशि (c) Outstanding amount	-	-
8.	अतीत में देखे गए पोर्टफोलियो की औसत चूक दर. कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग - अलग विवरण प्रदान करें. Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
9.	उसी अंतर्निहित आस्ति पर दिये गए अतिरिक्त/टॉप-अप ऋण की राशि और संख्या. कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग - अलग विवरण प्रदान करें Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
10.	निवेशकों की शिकायतें / Investor complaints (क) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और; (a) Directly/Indirectly received and; (ख) बकाया शिकायतें (b) Complaints outstanding	शून्य / Nil	शून्य / Nil



प्रायोजित तुलन-पत्र बाह्य एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना है) Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting

31 मार्च 2025 March 31, 2025		31 मार्च 2024 March 31, 2024		
देशी / Domestic	विदेशी / Overseas	देशी / Domestic	विदेशी / Overseas	
शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	

10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि में अंतरण (डीईए निधि)

Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	विवरण Particulars	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024
i)	डीईए निधि में अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	483	403
ii)	जोड़े : वर्ष के दौरान डीईए निधि में अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEA Fund during the year	99	131
iii)	घटाएँ : वावों के लिए डीईए निधि से प्रतिपूर्ति की राशि Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	(21)	(51)
iv)	डीईए निधि में अंतरित अंतिम शेष राशि Closing Balance of amounts transferred to DEA Fund	561	483

11. शिकायतों का प्रकटन / Disclosure of Complaints

- ग्राहकों से और बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों (ओबीओ) से बैंक को प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी:
- Summary information on complaints received by the Bank from customers and from the Offices of Banking Ombudsman (OBOs)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024
	नपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें nts received by the Bank from its customers		
1	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	282	1,114
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	49,508	59,714
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या Number of complaints disposed during the year	49,636	60,546
(3.1 जिनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या Of which, number of complaints rejected by the bank	1,099	556

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	154	282
	बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें ble complaints received by the Bank from OBOs		
5	ओबीओ* से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या Number of maintainable complaints received by the Bank from OBOs*	2,595\$	2,904#
5.	1 5 में से, ओबीओ द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by OBOs	2,184	2255
5.	2 5 में से, सुलह/मध्यस्थता/ ओबीओ द्वारा दी गई सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved through conciliation/ mediation/ advisories issued by OBOs	223	623
5.	3 5 में से, बैंक के खिलाफ ओबीओ द्वारा अधिनिर्णय पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या/ Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by OBOs against the bank	0	0
6	निर्धारित समय के भीतर कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या (अपील वाले मामलों के अलावा)/ Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

नोट : उपर्युक्त सारांश में आयकर, सीबीआई और सतर्कता विभाग से प्राप्त शिकायतें शामिल नहीं हैं. इसके अलावा, ग्राहक सेवा के बारे में रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार, अगले कार्य दिवस के भीतर समाधान की गई शिकायतों को उपर्युक्त सारांश में शामिल नहीं किया गया है. बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने के संबंध में 27 जनवरी 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार डेटा को सरेखित किया गया है.

Note: The above summary does not include complaints from Income Tax, CBI, and Vigilance. Further, as per RBI master circular on Customer Service, complaints resolved within the next working day are excluded from the above summary. The data has been aligned according to the circular issued by Reserve Bank of India on January 27, 2021 regarding Strengthening of Grievance Redress Mechanism in Banks.

- * आंकडों में बैंक को ओबीओ से प्राप्त सभी शिकायतें शामिल हैं
- * Data includes all complaints received by the Bank from OBOs
- ै वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान प्राप्त 2595 शिकायतों में से 188 शिकायतों पर ओबीओ से निर्णय प्राप्त होना बाकी है.
- § Out of the 2595 complaints received during FY 2025, in 188 complaints decision is yet to be received from OBOs.
- # वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान प्राप्त 2904 शिकायतों में से, वित्तीय वर्ष 2025 में 26 शिकायतों का निर्णय प्राप्त हुआ. जिनमें से 20 शिकायतों का समाधान ओबीओ द्वारा बैंक के पक्ष में किया गया और 6 शिकायतों का समाधान सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से किया गया.
- # Out of 2904 complaints received during FY 2024, decision for 26 complaints was received in FY 2025. Of which, 20 complaints were resolved in favor of the bank by OBOs and 6 complaints were resolved through conciliation/ mediation/ advisories..



ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार:

Top five grounds of complaints received by the Bank from customers

शिकायतों के आधार (अर्थात् शिकायतें जिससे संबंधित थीं) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि / कमी % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	5 में से, 30 दिनों से अधिक दिनों तक लंबित रहीं शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending
			year		beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
	विनीय वर्ष २)24-25 / FY 202	4-25		
एटीएम/डेबिट कार्ड ATM/Debit Cards	123	14,596	(51.67)	57	0
खाता खोलना / खातों के परिचालन में कठिनाई Account opening /difficulty in operation of accounts	71	13,677	29.08	29	0
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/mobile/Electronic Banking	58	7,302	8.55	19	0
ऋण और अग्रिम Loans and advances	14	3,342	70.60	22	0
बिना किसी पूर्व-सूचना के शुल्क लगाना / अत्यधिक शुल्क / फोरक्लोजर शुल्क Levy of charges without prior notice/ excessive charges/foreclosure charges	2	510	26.55	8	0
अन्य Others	14	10,081	2.55	19	0
कुल / Total	282	49,508	(17)	154	0
	वित्तीय वर्ष 20)23-24 / FY 202	23-24		
एटीएम/डेबिट कार्ड ATM/Debit Cards	962	30,199	(16)	123	0
खाता खोलना / खातों के परिचालन में कठिनाई Account opening /difficulty in operation of accounts	85	10,596	48	71	0
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/mobile/Electronic Banking	38	6,727	3	58	0
ऋण और अग्रिम Loans and advances	21	1,959	(12)	14	0
बिना किसी पूर्व-सूचना के शुल्क लगाना / अत्यधिक शुल्क/फोरक्लोजर शुल्क Levy of charges without prior notice/ excessive charges/foreclosure charges	1	403	49	2	0
अन्य Others	7	9,830	(24)	14	0
कुल / Total	1,114	59,714	(8)	282	0

12. लगाए गए दंड का प्रकटन

Disclosure on Penalties imposed

- (i) वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निम्नलिखित दंड लगाए गए: During the year following penalties were imposed by Reserve Bank of India:
- (क) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
- (a) Banking Regulation Act, 1949

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2 समाप्त वर्ष For the ye March 3	र्व के लिए ear ended		
Sr. No.	Particulars	घटनाओं की संख्या Number of Instances	राशि Amount	घटनाओं की संख्या Number of Instances	राशि Amount
1	चेक संग्रहण प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए दंड Penalty for non-compliance of guidelines on cheque collection process.	-	-		
2	गुप्त दौरों के दौरान एटीएम आउट ऑफ कैश घटनाओं और सिक्कों एवं कम वर्गमूल्य के नोटों तथा कटे-फटे नोटों को बदलने संबंधी दिशानिर्देशों के गैर अनुपालन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा लगाया गया दंड. फेमा के अंतर्गत उल्लंघन. Penalty imposed by RBI for ATM out of cash instances and non-compliance of guidelines on exchange of coins and small denomination notes and mutilated notes during incognito visits. Contravention under FEMA	26	0.3895	11	0.0110
3	करेंसी चेस्टो द्वारा रिजर्व बैंक को किए गए विप्रेषणों के मामलों में रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्ट पर लगाए गए दंड Penalties imposed by RBI on currency chest in cases of remittances, made by currency chests to RBI	91	0.0239	98	0.0502
4	अन्य कारणों के लिए दंड, जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया Penalties for other reasons not mentioned above	-	-	1	0.0063
	कुल दंड का भुगतान Total Penalties Paid	117	0.4134	110	0.0675



- भगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007: शन्य
- (b) Payment and Settlement System Acts, 2007: Nil
- सरकारी प्रतिभृति अधिनियम, 2006 (एसजीएल के बाउंसिंग के लिए) : शुन्य (ग)
- Government Securities Act, 2006 (for bouncing of SGL): Nil (c)
- (घ) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटन: शुन्य
- Disclosure on Penalties imposed by Reserve Bank of India (any other): Nil (d)
- वर्ष के दौरान निम्नलिखित दंड लगाए गए (रिज़र्व बैंक के अलावा) (ii)

During the year following penalties were imposed (other than RBI)

(₹ करोड) / (₹ Crore)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2 समाप्त वर्ष For the ye March 3	र्व के लिए ear ended	31 मार्च 2 समाप्त वर्ष For the ye March 3	के लिए ar ended
Sr. No.	Particulars	घटनाओं की संख्या Number of Instances	राशि Amount	घटनाओं की संख्या Number of Instances	राशि Amount
1	अन्य देशी विनियामकों द्वारा लगाए गए दंड की कुल राशि Total amount of penalties levied by other domestic regulators	3	0.0055	-	

पारिश्रमिक पर प्रकटन / Disclosures on Remuneration

- गुणात्मक प्रकटन / Qualitative disclosures (1)
 - नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन एवं अधिदेश से संबंधित सूचना:
 - Information relating to the composition and mandate of the Nomination and Remuneration Committee: पारिश्रमिक का ध्यान रखनेवाली मुख्य निकाय का नाम, संरचना और उससे संबंधित अधिदेश:

Name, composition and mandate of the main body overseeing remuneration:

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) में छह सदस्य हैं. सभी गैर-कार्यपालक निदेशक हैं. इसके अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक, एक सरकारी नामिती निदेशक और अन्य सदस्यों के रूप में चार स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं. समिति, निदेशकों के उपयुक्त और माकुल स्थिति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, एलओडीआर विनियम के विनियम 19 और अनुसूची II के भाग डी, सेबी (शेेंयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियमन, 2021 तथा रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में प्रदत अधिदेशों/विचारार्थ विषयों को पूरा करती है जो निम्नानुसार हैं:

Nomination and Remuneration Committee (NRC) comprises of six members, all Non-Executive Directors with an Independent Director as its Chairman, one Government Nominee Director and four other Independent Directors as members The Committee fulfils the mandate / terms of reference provided under Section 178 of the Companies Act, 2013, Regulation 19 and Part D of Schedule II of the LODR Regulations, SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 and RBI guidelines in respect of fit and proper status of Directors

- एक निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशक मंडल को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना:
 - Formulation of the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommend to the Board of Directors a policy relating to remuneration of the directors, key managerial personnel and other employees;
- बोर्ड द्वारा, एनआरसी द्वारा अथवा स्वतंत्र वाह्य एजेंसी द्वारा बोर्ड, इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के कार्यीनेष्पादन के प्रभावी मृल्यांकन के लिए पद्धति विनिर्दिष्ट करना और इसके कार्यान्वयन एवं अनुपालन की समीक्षा करना;
 - To specify the manner for effective evaluation of performance of the Board, its Committees and individual directors, to be carried out either by the Board, by the NRC or by an independent external agency and review its implementation and compliance;

- स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के कार्यीनष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;
 - Formulation of criteria for evaluation of performance of Independent Directors and the Board of Directors;
- निदेशक मंडल में विविधता के लिए नीति तैयार करना:
 - Devising a policy on diversity of Board of Directors;
- ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, तथा निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना;
 - To identify persons who are qualified to become directors and who may be appointed in senior management with the criteria laid down, and recommend to the Board of Directors their appointment and removal;
- निदेशकों की नियुक्ति और मूल्यांकन नीति में निर्धारित मानदंडों के अनुसार बोर्ड को निदेशकों की नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना:
 - To recommend to the Board the appointment and removal of Directors in accordance with the criteria laid down in the Directors' Appointment and Evaluation Policy;
- स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी. स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति के पास ऐसे विवरण में तय की गई क्षमताएं होनी चाहिए. उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, समिति निम्न कार्य कर सकती है:

For every appointment of an independent director, the Nomination and Remuneration Committee shall evaluate the balance of skills, knowledge and experience on the Board and on the basis of such evaluation, prepare a description of the role and capabilities required of an independent director. The person recommended to the Board for appointment as an independent director shall have the capabilities identified in such description. For the purpose of identifying suitable candidates, the Committee may:

- क. यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग:
- a. Use the services of external agencies, if required;
- ख. विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पृष्ठभूमियों के उम्मीदवारों पर विचार करना; और
- b. Consider candidates from a wide range of backgrounds, having due regard to diversity; and
- ग. उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धताओं पर विचार करना
- Consider the time commitments of the candidates.
- योग्यता, विशेषज्ञता, पिछले कार्यनिष्पादन, सत्यिनष्ठा, 'उपयुक्त और माकूल' मानदंड, सकारात्मक गुणों और स्वतन्त्रता (यिद लागू हो) के आधार पर तथा स्वतंत्र निदेशकों सिहत निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड में निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति/ नियुक्ति को जारी रखने के लिए उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु समुचित सावधानी की प्रक्रिया अपनाना तथा उसके संबंध में मानदंड तैयार करना:

To undertake a process of due diligence to determine the suitability of any person for appointment / continuing to hold appointment as a director on the Board, based upon qualification, expertise, track record, integrity, 'fit and proper' criteria, positive attributes and independence (if applicable) and on the basis of the report of performance evaluation of directors including independent directors and formulate the criteria relating thereto;

- निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, आदि के लिए पारिश्रमिक नीति तैयार करना;
 - Formulation of Remuneration Policy for Directors, KMPs, etc.
- बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन को देय पारिश्रमिक, चाहे जिस रूप में हो, की सिफारिश करना;
 - Recommend to the Board, all remunerations, in whatever form, payable to the senior management;
- क्षितिपूर्ति और विवेकपूर्ण जोखिम उठाने के बीच प्रभावी सुसंगतीकरण के लिए जोखिम प्रबंधन सिमिति के साथ गहन समन्वय के साथ कार्य करना;
 - To work in close coordination with Risk Management Committee to achieve effective alignment between compensation and prudent risk-taking;
- क्षितिपूर्ति प्रणाली की रूपरेखा और परिचलनों का निरीक्षण करना तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रणाली अपेक्षानुसार कार्य करती है और यह वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए सिद्धांतों के अन्रूप भी है.
 - To oversee the compensation system's design and operations to ensure that the system operates as intended and is also consistent with the principles outlined by the Financial Stability Board;



- क्षतिपूर्ति नीति के निर्धारण, समीक्षा और कार्यान्वयन की निगरानी करना और मुख्य कार्यपालक अधिकारी/पूर्णकालिक निदेशकों/ महत्वपर्ण जोखिम उठाने वालों के साथ-साथ जोखिम नियंत्रण और अनुपालन स्टाफ (बोर्ड द्वारा अनुसमर्थन के लिए) के लिए वार्षिक पारिश्रमिक का निर्णय लेना.
 - To oversee framing, review and implementation of compensation policy and make annual remuneration decisions for Chief Executive Officer/Whole Time Directors/Material Risk Takers plus Risk Control and Compliance staff (for ratification by the Board);
- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का लागत-आय अनुपात, ठोस पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखते हुए मुआवजे में योगदान देता है. To ensure that the cost to income ratio of the Bank supports the compensation consistent with maintaining sound capital adequacy ratio;
- बैंक की क्षतिपुर्ति प्रथाओं और नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में पर्यवेक्षी निरीक्षण करना. बैंकिंग क्षेत्र और सामान्य रूप से उद्योग से संबंधित विभिन्न विधियों द्वारा निर्धारित सभी प्रकटीकरण मानदंडों का पूर्ण अनुपालन सनिश्चित करना.
 - To have supervisory oversight regarding implementation of compensation practices and policies of the Bank. To ensure complete compliance with all disclosure norms as prescribed by the various statutes relevant to the banking sector and industry in general;
- मैलस एंड क्लाबैक के लिए हर साल विशिष्ट मानदंडों की समीक्षा करना. To review specific criteria for Malus and Clawback every year;
- हर साल नकद आधारित प्रोत्साहनों और शेयर-संबद्ध प्रोत्साहनों के लिए कार्य-निष्पादन मानदंड और अंतिम भगतान तय करना. To fix performance parameters & final payout for Cash based incentives and share-based incentives every
- महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों (एमआरटी) की पहचान करना जिनके कार्यों का बैंक के जोखिम एक्सपोजर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है और जो गुणात्मक एवं मात्रात्मक मानदंडों को परा करते हैं.
 - To identify Material Risk Takers (MRTs) whose actions have a material impact on the risk exposure of the Bank, and who satisfy the qualitative and quantitative criteria;
- सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के विनियम 5 के तहत निर्धारित क्षतिपतिं समिति के रूप में कार्य करना. सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के तहत अधिदेशित कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना/कर्मचारी स्टॉक वृद्धि अधिकार (एसएआर) योजना का प्रबंध और पर्यवेक्षण करना तथा अन्य बातों के साथ-साथ उन कर्मचारियों के ग्रेडों को अनुमोदित करना जिन्हें विकल्प/एसएआर दिए जा सकते हैं और साथ ही विकल्प/एसएआर देने के लिए अपनाए जाने के लिए आवश्यक कार्यनिष्पादन स्तर और/ या कोई अन्य मानदंड निर्धारित करना.
 - To act as the Compensation Committee as prescribed under Regulation 5 of the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021. To administer and supervise the Employee Stock Option Scheme/Employee Stock Appreciation Rights (SAR) Scheme of the Bank as mandated under the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 and to inter-alia approve the grades of employees to whom options/SARs could be granted as well as determine the performance level and/or any other criteria required to be adopted for grant of options/SARs;
- बैंक की कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना/कर्मचारी स्टॉक वृद्धि अधिकार योजना को नियंत्रित करने वाली सभी शर्तों. उनमें किसी परिवर्तन सिहत, का निर्धारण करना और अंतिम रूप देना, जो विनियामक और/या अन्य लागू कानुनों के अंतर्गत आवश्यक अनुमोदन, यदि आवश्यक हो, की प्राप्ति के अधीन होगा.
 - To determine and finalize all the terms and conditions governing the Employee Stock Option Scheme/ Employee Stock Appreciation Rights Scheme of the Bank including any variation thereof subject to receipt of requisite approval, if required under regulatory and/or other applicable laws;
- किसी भी स्टॉक विकल्प योजना या एसएआर योजना में संशोधन का सुझाव देना, बशर्ते कि ऐसी योजनाओं में सभी संशोधन बोर्ड के विचार और अनुमोदन के अधीन होंगे.
 - To suggest amendments to any stock option plan or SAR scheme, provided that all amendments to such plans/schemes shall be subject to consideration and approval of the Board;
- हर साल क्षतिपुर्ति नीति की समीक्षा करना और जब कभी विनियामक दिशानिर्देशों/ अन्य कानुनों के तहत कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना/ कर्मचारी स्टॉक वृद्धि अधिकार योजना की समीक्षा करना आवश्यक हो, उसकी समीक्षा करना.
 - To review the Compensation Policy annually and to review the Employee Stock Option Scheme/Employee Stock Appreciation Rights Scheme of the Bank as and when required under regulatory guidelines/other laws;

• विनियामक/ सांविधिक दिशा-निर्देशों के तहत समय-समय पर तय किए अनुसार कोई भी अन्य भूमिका निभाना.

To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory / statutory guidelines from time-to-time

31 मार्च 2025 को एनआरसी के छह सदस्य थे जिसमें श्री दीपक सिंघल (स्वतंत्र निदेशक) इसके अध्यक्ष तथा श्री सुशील कुमार सिंह (सरकारी नामिती निदेशक) और श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी, श्री एन. जंबुनाथन, श्री टी. एन. मनोहरन एवं श्रीमती पी. वी. भारती (स्वतंत्र निदेशक) अन्य सदस्यों के रूप में शामिल थे.

As on March 31, 2025, the NRC comprised of six members with Shri Deepak Singhal (Independent Director) as its Chairman, Shri Sushil Kumar Singh (Government Nominee Director) and Shri Bhuwanchandra B Joshi, Shri N. Jambunathan, Shri T. N. Manoharan & Smt. P. V. Bharathi (Independent Directors) as other members.

(ख) पारिश्रमिक प्रक्रियाओं के ढांचे और संरचना से संबंधित जानकारी तथा पारिश्रमिक नीति की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्यः

(b) Information relating to the design and structure of remuneration processes and the key features and objectives of remuneration policy:

विदेश स्थित सहायक संस्थाओं और शाखाओं पर लागू सीमा सहित बैंक की पारिश्रमिक नीति के कार्यक्षेत्र के संबंध में विवरण: A description of the scope of the Bank's remuneration policy, including the extent to which it is applicable to foreign subsidiaries and branches:

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के 4 नवंबर 2019 के परिपत्र सं.डीओआर.एपीपीटी. बीसी.सं.23/29.67.001/ 2019-20 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अपनी क्षतिपूर्ति नीति तैयार की है. क्षतिपूर्ति नीति बैंक की घरेलू शाखाओं/ कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों के लिए लाग है. यह बैंक की सहायक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए लाग नहीं है.

The Bank has formulated its Compensation Policy based on the Reserve Bank of India guidelines issued vide Circular No.DOR.Appt.BC.No.23/29.67.001/2019-20 dated November 4, 2019. The Compensation Policy is applicable to employees appointed at Bank's domestic branches/offices. It is not applicable to employees of subsidiaries of the Bank.

इसमें शामिल कर्मचारियों के प्रकार का विवरण और ऐसे कर्मचारियों की संख्या:

A description of the type of employees covered and number of such employees:

श्रेणी 1 / Category 1

एमडी एवं सीईओ तथा अन्य डब्ल्युटीडीः / MD & CEO and Other WTDs:

इस श्रेणी में एमडी एवं सीईओ और दो उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) शामिल हैं. डब्ल्यूटीडी के लिए पारिश्रमिक संरचना में नियत व परिवर्ती वेतन शामिल है और परिवर्ती वेतन नियत वेतन के प्रतिशत के रूप में देय है और बैंक के कार्य-निष्पादन से सहबद्ध है. बैंक के एमडी और सीईओ तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) के लिए क्षितिपूर्ति संरचना एनआरसी / बोर्ड द्वारा तय की जाती है, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 बी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है. क्षितिपूर्ति के भुगतान के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35बी(1) के साथ पठित बैंक के संस्था-अंतर्नियम के खंड 119 के अनुसार बैंक के शेयरधारकों की महासभा में अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है.

This category includes MD & CEO and two Deputy Managing Directors (DMDs). The remuneration structure for WTDs comprises of fixed and variable pay and variable pay is payable as a percentage of fixed pay and is linked to the Bank's performance. The compensation structure for MD & CEO and other Whole Time Directors (WTDs) of the Bank is fixed by NRC / Board and is subject to approval of Reserve Bank of India in terms of Section 35 B of the Banking Regulation Act, 1949. The payment of compensation also requires approval of the shareholders of the Bank in the General Meeting pursuant to clause 119 of Articles of Association of the Bank read with Section 197 of the Companies Act, 2013 and Section 35B (1) of Banking Regulation Act 1949.



श्रेणी 2 / Category 2

महत्वपूर्ण जोखिम लेने वाले (एमआरटी) एवं नियंत्रक कार्य वाले स्टाफः

Material Risk Takers (MRTs) & Control Function Staff:

महत्वपर्ण जोखिम लेने वाले (एमआरटी) और नियंत्रक कार्य वाले स्टाफ के पद आईडीबीआई बैंक के कैडर अधिकारियों द्वारा धारित किए जाते हैं तथा उनकी नियत वेतन संरचना में आईडीबीआई बैंक द्वारा समानान्तर ग्रेड में अन्य अधिकारियों को ऑफर किया जा रहा वेतन और भत्तों के समतल्य वेतन एवं भत्ते शामिल हैं. एमआरटी के लिए परिवर्ती वेतन नियत वेतन के प्रतिशत के रूप में देय है तथा यह व्यक्तियों और बैंक के कार्य-निष्पादन से सहबद्ध है. नियंत्रक कार्य स्टाफ के लिए परिवर्ती वेतन उनके व्यक्तिगत कार्य-निष्पादन से सहबद्ध है; बैंक के समग्र कार्य-निष्पादन को प्राथमिक पात्रता तय करते समय ध्यान में रखा जाता है.

The positions of Material Risk Takers (MRTs) & Control Function Staff are held by cadre officers of IDBI Bank and their fixed pay structure comprising of pay and allowances is equivalent to the pay & allowances being offered by IDBI Bank to the other parallel grade officers Variable pay is payable as a percentage of fixed pay and is linked to individual and Bank performance for the MRTs. Variable Pay of Control Function Staff is linked to their individual performance; overall business performance of the Bank is reckoned only for ascertaining primary eligibility.

श्रेणी 3 / Category 3

अन्य अधिकारी और कर्मचारीः / Other Officers and Employees:

मौजुदा नीति के अनुसार अधीनस्थ कर्मचारियों, लिपिकीय कर्मचारियों और कार्यपालक निदेशक के ग्रेड तक के अधिकारियों की नियत भुगतान संरचना भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के वेतनमान और भत्तों के अनुसार तैयार की गई है तथा यह 5 वर्ष की अवधि के लिए उद्योग स्तरीय समझौते के साथ समाप्त होती है. इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए परिवर्ती वेतन नियत वेतन के प्रतिशत/ दिनों की संख्या के रूप में देय है तथा यह व्यक्तिगत और बैंक के कार्य-निष्पादन से सहबद्ध है.

As per the current policy, the fixed pay structure of subordinate staff, clerical staff and officer's upto the grade of Executive Director is drawn on the lines of the Indian Banks' Association (IBA) pay scales and allowances and runs co-terminus with the industry level settlements for a period of 5 years Variable Pay as a percentage/number of days of fixed pay is payable to this category of employees and is linked to the individual and Bank performance.

अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है / Count of Officers and employees is given below:

ग्रेड / Grade	संख्या / Count
अधिकारी (ग्रेड ओ से ईडी) / Officers (Gr O to ED)	16,920
एक्जीक्यूटिव* / Executives*	2,164
लिपिकीय / Clerical	312
अधीनस्थ / Subordinates	332
कुल योग / Grand Total	19,728

^{*} एक्जीक्युटिच परिवर्ती वेतन के लिए पात्र नहीं है. संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवर्ती वेतन संबंधित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार होगा तथा नियुक्ति के समय निर्धारित कुल सी.टी.सी. का हिस्सा है.

पारिश्रमिक नीति के उद्देश्य / Objectives of remuneration policy:

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफ़एसबी) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, हर समय, क्षतिपूर्ति की आंतरिक रूप से न्यायसंगत और बाहरी रूप से प्रतिस्पर्धी नीति का पालन करेगा. क्षतिपूर्ति के स्तर को इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि बैंक की व्यावसायिक योजनाओं को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिभा को आकर्षित किया जा सके व उन्हें रोके रखने में मदद मिल सके.

The Bank shall follow a compensation policy that is internally equitable and externally competitive, while complying, at all times, with the guidelines set forth by the Reserve Bank of India (RBI) and the Financial Stability Board (FSB). The compensation levels shall be designed to enable attraction & retention of the most suitable talent for delivering on the Bank's business plans.

^{*} Executives are not eligible for Variable Pay, For Employees on contract, variable pay shall be as per the respective terms and conditions and is part of the total CTC fixed at the time of appointment..

क्या पारिश्रमिक समिति ने पिछले वर्ष के दौरान बैंक की पारिश्रमिक नीति की समीक्षा की और यदि हां, तो किए गए परिवर्तनों का एक विहंगावलोकन

Whether the remuneration committee reviewed the Bank's remuneration policy during the past year and if so, an overview of any changes that were made.

वर्ष 2024-25 के दौरान क्षतिपूर्ति नीति की समीक्षा की गई थी. अन्य कर्मचारियों के मामले में निश्चित वेतन, विभिन्न परिदृश्यों जैसे कि त्यागपत्र/कार्यकाल की समाप्ति/किसी बाहरी परिस्थिति जो डब्ल्यूटीडी के नियंत्रण से परे हो आदि के तहत सेवा समाप्ति/कार्यालय छोड़ने की स्थिति में परिवर्ती वेतन की पात्रता, मालस और क्लॉबैक प्रावधान, अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को परिवर्ती वेतन का आनुपातिक भुगतान की समीक्षा की गई और राष्ट्रीयकृत बैंकों में उपलब्ध पेंशन लाभ के उद्देश्य से सेवा की निरंतरता के लाभ के लिए पात्रता के प्रावधान को हटा दिया गया.

The Compensation Policy was reviewed during the year 2024-25. The provisions regarding fixed pay in case of other employees, eligibility of variable pay in the event of cessation of service/demitting office under different scenarios viz., resignation/ end of term/ any external circumstances which are beyond the control of WTDs etc., malus and clawback provisions, pro-rata payment of variable pay to employees on deputation to other organizations were reviewed and the provision regarding eligibility for the benefit of continuity of service for the purpose of pensionary benefit, as available in Nationalised Banks was deleted.

बैंक यह कैसे सुनिश्चित करता है कि जोखिम और अनुपालन कर्मचारियों को उनके द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों से स्वतंत्र रूप से पारिश्रमिक दिया जाए, इस पर चर्चा.

A discussion of how the Bank ensures that risk and compliances employees are remunerated independently of the businesses they oversee.

कार्यपालक निदेशक-मुख्य जोखिम अधिकारी, कार्यपालक निदेशक-मुख्य अनुपालन अधिकारी, कार्यपालक निदेशक-लेखा परीक्षा, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समूह एवं आंतरिक लेखा परीक्षक और कार्यपालक निदेशक - मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद आईडीबीआई बैंक के कैडर अधिकारियों के पास हैं और उनके वेतनमान व भत्ते यानी नियत वेतन अन्य समानांतर ग्रेड अधिकारियों को दिये जा रहे वेतनमान और भत्तों के बराबर है तथा इसे बैंक द्वारा बोर्ड के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया गया है. हालांकि परिवर्ती वेतन उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है; बैंक के समग्र व्यावसायिक प्रदर्शन को केवल प्राथमिक पात्रता सुनिश्चित करने के लिए गिना जाता है.

The positions of Executive Director-Chief Risk Officer, Executive Director-Chief Compliance Officer, Executive Director-Audit, Fraud Risk Management Group & Internal Auditor and Executive Director-Chief Financial Officer are held by cadre officers of IDBI Bank and their pay scale and allowances i.e. fixed pay is equivalent to the pay scales and allowances being offered to other parallel grade officers and is finalized by the Bank with the approval of the Board. The Variable Pay is, however, linked to their individual performance and overall business performance of the Bank is reckoned only for ascertaining primary eligibility.

- (ग) पारिश्रमिक प्रक्रियाओं में वर्तमान और भविष्य के जोखिमों को शामिल करने के तरीकों का विवरण. इसमें इन जोखिमों का ध्यान रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपायों का स्वरूप और प्रकार शामिल है.
- (c) <u>Description of the ways in which current and future risks are taken into account in the remuneration processes. It includes the nature and type of the key measures used to take account of these risks.</u>

जोखिम और समय परिधि के साथ पारिश्रमिक को संरेखित करने के लिए जिसके तहत वे उभरते हैं, एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों सिहत विरिष्ठ प्रबंधन के बड़े भाग का पारिश्रमिक परिवर्ती वेतन व्यवस्था के अंतर्गत आता है. परिवर्ती पारिश्रमिक नकद और गैर - नकद* घटक के रूप में देय है तथा 3 वर्षों या उससे अधिक अविध के लिए आस्थिगत होता है. पारिश्रमिक समायोजनों का प्रभाव कर्मचारियों और/ या व्यापार इकाइयों द्वारा की गई कार्रवाई और बैंक द्वारा ली गई जोखिम के स्तर पर उनके प्रभाव के साथ संबद्ध है. उत्तरदायित्व के उच्च स्तर पर परिवर्ती वेतन का अनुपात उच्च है. वैंक के वित्तीय कार्यीनष्पादन के आधार पर परिवर्ती वेतन की राशि को शून्य तक भी घटाया जा सकता है. इसके अतिरिक्त, परिवर्ती वेतन बैंक की क्षित की क्षितपुर्ति नीति के मैलस और क्लाबैक प्रावधानों के अधीन है.

In order to align remuneration with the risk and the time horizons over which they could emerge, a substantial portion of the senior management remuneration including that of MD & CEO and Deputy Managing Directors is under variable pay arrangement. The variable compensation is payable in the form of cash and non-cash* components and is deferred over a period of 3 years or more. The impact of remuneration adjustments is linked to actions taken by employees and/or business units, and their impact on the level of risk taken on by the Bank. At higher level of responsibility, the proportion of variable pay is higher. The amount of variable pay can even be reduced to zero depending on the financial performance of the Bank. In addition, variable pay is subject to the malus and clawback provisions of the Compensation Policy of the Bank.



- (घ) उन तरीकों का विवरण जिसमें बैंक कार्यनिष्पादन माप अवधि के दौरान कार्यनिष्पादन को पारिश्रमिक के स्तरों के साथ जोड़ना
- Description of the ways in which the Bank seeks to link performance during a performance measurement (d) period with levels of remuneration:

परिवर्ती वेतन, कार्यीनष्पादन मापन अवधि के दौरान बैंक के कार्यीनष्पादन प्रबंध प्रणली द्वारा आकलन अनुसार देय है. लक्षित परिवर्ती वेतन नियत वेतन के प्रतिशत के रूप में या दिनों की संख्या के रूप में देय होगा. उत्तरदायित्व के उच्च स्तर पर परिवर्ती वेतन का अनुपात उच्च है. परिवर्ती वेतन के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखे गए कारक निम्न हैं,

Variable Pay shall be payable basis role assessed in the Bank's performance management system during the performance measurement period. The target Variable Pay shall be payable as a percentage or in terms of number of days of Fixed Pay. At higher level of responsibility, the proportion of variable pay is higher. The factors taken into account for the purpose of variable pay are:

- बैंक का कार्य-निष्पादन / The performance of the Bank
- कर्मचारी का व्यक्तिगत कार्य-निष्पादन/ ग्रेड/ भूमिका / Individual performance/grade/role of the employee
- अन्य जोखिम धारणाएं / Other risk perceptions.
- परिवर्ती पारिश्रमिक के आस्थगन और निहित करने के संबंध में बैंक की नीति पर चर्चा तथा निहित करने से पहले एवं करने के बाद में आस्थागित पारिश्रमिक का समायोजन करने के लिए बैंक की नीति और मापदंडों पर चर्चा.
- A discussion of the Bank's policy on deferral and vesting of variable remuneration and a discussion of the Bank's policy and criteria for adjusting deferred remuneration before vesting and after vesting:
 - (क) परिवर्ती वेतन के प्रयोजन हेत्, कर्मचारियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है.
 - (a) For the purpose of Variable pay, employees have been grouped into following categories.
 - प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और अन्य डबल्यूटीडी/ MD & CEO and other WTDs
 - महत्वपूर्ण जोखिम लेने वाले / Material Risk Takers ii)
 - नियंत्रण कार्य करने वाले स्टाफ / Control Function Staff iii)
 - अन्य अधिकारी / Other Employees
 - एमआरटी की पहचान के लिए मानदंड निम्नलिखित हैं:
 - The criteria for identification of MRTs are as under:

स्टाफ सदस्य जो गुणात्मक मानदंड और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मात्रात्मक मानदंडों में से किसी एक को पूरा करते हैं: The staff members who satisfy the qualitative criteria and any one of the quantitative criteria as detailed below:

- मानक गृणात्मक मानदंड: / Standard Qualitative Criteria: (1)
 - संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से, जोखिम एक्सपोजर आदि के लिए महत्वपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध प्राधिकार वाले स्टाफ सदस्यों (जैसे प्रबंधन निकाय के सदस्य) की भूमिका और निर्णय लेने की शक्ति से संबंधित हैं. Relate to the role and decision-making power of staff members (e.g. member of management body) having jointly or individually, the authority to commit significantly to risk exposures, etc.
- (II)मानक मात्रात्मक मानदंड: / Standard Quantitative Criteria:
 - उनका कुल पारिश्रमिक एक निश्चित सीमा से अधिक है (बोर्ड को अनुमोदन के लिए एनआरसी द्वारा अनुशंसित); जिसका निर्धारण बैंक द्वारा विवेकपूर्ण ढंग से किया जा सकता है, अथवा

Their total remuneration exceeds a certain threshold (to be recommended by NRC to the Board for approval); the determination of which may be done prudently by the bank,

वे बैंक में उच्चतम पारिश्रमिक वाले 0.3% स्टाफ में शामिल हैं, They are included among the 0.3% of staff with the highest remuneration in the bank,

अथवा / or

 उनका पारिश्रमिक वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य जोखिम लेने वालों के न्यूनतम पारिश्रमिक के बराबर या उससे अधिक है

Their remuneration is equal to or greater than the lowest remuneration of senior management and other risk-takers.

बोर्ड, एनआरसी की सिफारिश पर, महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों (एमआरटी) को निर्दिष्ट करेगा जिनके कार्यों का समय-समय पर बैंक के जोखिम एक्सपोजर पर महत्वपुर्ण प्रभाव पडता है.

The Board, on recommendation of NRC, shall specify Material Risk Takers (MRTs) whose actions have a material impact on the risk exposure of the bank from time-to-time.

- (ग) निम्नलिखित कार्यों में लगे कार्यपालक निदेशकों (ईडी) को नियंत्रण कार्य स्टाफ श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता हैं:
- (c) Executive Directors (ED) engaged in following functions are classified under Control Function Staff category.
 - i) मुख्य जोखिम अधिकारी / Chief Risk Officer
 - ii) मुख्य अनुपालन अधिकारी / Chief Compliance Officer
 - iii) मुख्य वित्तीय अधिकारी / Chief Financial Officer
 - iv) आंतरिक लेखा परीक्षक / Internal Auditor
 - परिवर्ती वेतन / Variable Pay

परिवर्ती वेतन रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए नकद और शेयर लिंक्ड घटकों के बीच उचित संतुलन के साथ नकद और शेयर- लिंक्ड लिखतों का मिश्रण होगा. शेयर आधारित एलटीआई का फोकस दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य निर्माण पर होगा. उक्त के मद्देनजर शेयर आधारित एलटीआई परिवर्ती वेतन के हिस्से के रूप में स्वीकृत होगा और इसका ब्लैक-श्लोल्स मॉडल या विनियामक(कों) द्वारा निर्देशित किसी अन्य मॉडल के उपयोग द्वारा स्वीकृति के दिन उचित मूल्यांकन किया जाएगा. केवल ऐसे मामलों में जहां शेयर लिंक्ड लिखतों के माध्यम से क्षतिपूर्ति, कानून/ विनियमनों द्वारा स्वीकृत नहीं है, सम्पूर्ण परिवर्ती वेतन नकद के रूप में हो सकता है.

The Variable Pay shall be a mix of cash and share-linked instruments with proper balance between cash and share linked components in keeping with the RBI guidelines. The focus of share-based LTI will be on long-term shareholder value creation. In view of the same, share-based LTI shall be granted as a part of Variable Pay and it shall be fair valued on the date of grant by using the Black-Scholes Model or any other model as may be directed by the Regulator(s). Only in cases where the compensation by way of share-linked instruments is not permitted by statute/regulations, the entire variable pay can be in the form of cash.

पूर्णकालिक निदेशकों के लिए परिवर्ती वेतन का निर्धारण बैंक-व्यापी प्रदर्शन मानदंडों की उपलब्धि पर आधारित है. महत्वपूर्ण जोखिम लेने वाले(एमआरटी) और अन्य कर्मचारियों के परिवर्ती वेतन का निर्धारण व्यक्तिगत एवं बैंक-व्यापी प्रदर्शन मानदंडों की उपलब्धि पर आधारित है. नियंत्रण कार्य स्टाफ के परिवर्ती वेतन का निर्धारण उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि से संबद्ध है; बैंक के समग्र कार्य-निष्पादन को प्राथमिक पात्रता तय करते समय ध्यान में रखा जाता है.

The assessment of variable pay is based on achievement of Bank-wide performance parameters for Whole Time Directors For Material Risk Takers (MRTs) and other employees the assessment of variable pay is based on achievement of individual as well as Bank-wide performance parameters For Control Function staff the assessment of variable pay is linked to their individual performance; overall business performance of the Bank is reckoned only for ascertaining primary eligibility.

- क. परिवर्ती वेतन की सीमा
- a. <u>Limit on Variable Pay:</u>
 - अ. एमडी एवं सीईओ और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों के लिए
 - A. For MD & CEO and Other Whole Time Directors
 - रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और अन्य नियमों एवं विनियमों के अनुपालन में कुल क्षितपूर्ति का न्यूनतम 50% परिवर्ती होगा और बैंक-व्यापी प्रदर्शन के आधार पर भुगतान किया जाएगा. कुल परिवर्ती वेतन नियत वेतन का अधिकतम 300% होगा.

In compliance to the RBI guidelines and other applicable rules and regulations atleast



50% of the total compensation shall be variable and paid on the basis of Bank-wide performance. The total variable pay shall be limited to a maximum of 300% of the fixed pay.

- ii. यदि परिवर्ती वेतन नियत वेतन के 200% तक है, तो परिवर्ती वेतन का न्यूनतम 50%; और यदि परिवर्ती वेतन 200% से अधिक है, तो परिवर्ती वेतन का न्यूनतम 67% गैर-नकद* लिखतों के रूप में होगा. In case variable pay is upto 200% of the fixed pay, a minimum of 50% of the variable pay; and in case variable pay is above 200%, a minimum of 67% of the variable pay shall be in the form of non-cash* instruments.
- iii. यदि किसी कार्यपालक को शेयर-लिंक्ड लिखतों की मंजूरी के लिए कानून या विनियमन द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है, तो उनका/ उनकी परिवर्ती वेतन न्यूनतम 50% से अधिकतम 150% के दायरे में होगा. In the event that an executive is barred by statute or regulation from grant of share-linked instruments, his/ her variable pay shall be in the range of minimum 50% to maximum 150%.
- iv. बैंक के वित्तीय कार्य निष्पादन के आधार पर परिवर्ती वेतन शून्य तक घटाया जा सकता है.

 The amount of variable pay can even be reduced to zero depending on the financial performance of the Bank.
- आ. महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों के लिए (एमआरटी)
- B. For Material Risk Takers (MRTs)
 - रिजर्व बैंक दिशा निर्देशों के अनुपालन में, सभी एमआरटी के कुल क्षितिपूर्ति का 50% परिवर्ती होगा और व्यक्तिगत एवं बैंक-व्यापी प्रदर्शन मानदंडों के आधार पर भुगतान किया जाएगा.
 In compliance to the RBI guidelines, 50% of total compensation for all MRTs shall be variable and paid on the basis of individual and Bank-wide performance parameters.
 - ii. परिवर्ती वेतन का न्यूनतम 50% गैर-नकदी* लिखत के रूप में होगा. Minimum 50% of the variable pay shall be in the form of non-cash* instruments.
 - iii. बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन के आधार पर परिवर्ती वेतन शून्य तक भी घटाया जा सकता है. The amount of variable pay can even be reduced to zero depending on the financial performance of the Bank.
 - iv. समय-समय पर बोर्ड महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों (एमआरटी) की पहचान करेगा. The Board shall from time-to-time identify the Material Risk Takers (MRTs).
- ख. परिवर्ती वेतन का आस्थगन
- b. <u>Deferral of Variable Pav</u>
 - (i) डबल्यूटीडी और एमआरटी हेतु कुल परिवर्ती वेतन का न्यूनतम 60% निरपवाद रूप से आस्थगित व्यवस्थाओं के अधीन होगा. इसके अतिरिक्त, यदि नकद घटक परिवर्ती वेतन का भाग है तो नकद घटक का न्यूनतम 50% भी आस्थगित होगा.
 - For WTDs and MRTs, a minimum of 60% of the total variable pay shall invariably be under deferral arrangements. Further, if cash component is part of variable pay, atleast 50% of the cash component shall also be deferred.
 - (ii) तथापि, ऐसे मामलों में जहां परिवर्ती वेतन का नकदी घटक ₹ 25 लाख से कम है, वहां आस्थगित अपेक्षा लागू नहीं है.
 - However, in cases where the cash component of variable pay is under $\ref{25}$ lakh, deferral requirement is not applicable.
- ग. आस्थगन व्यवस्था की अवधि
- c. <u>Period of Deferral Arrangement</u>
 - आस्थगन अवधि न्यूनतम 3 वर्ष की होगी. यह परिवर्ती वेतन के नकदी और गैर-नकदी* दोनों घटकों पर लागू होगा. The deferral period shall be a minimum of 3 years This would be applicable to both the cash and non-cash* components of the variable pay.

- घ. वेस्टिंग
- d. Vesting:

शेयर-आधारित दीर्घकालिक प्रोत्साहन मंजूरी की तारीख से 3 साल की अवधि के दौरान निहित किया जाएगा. (मंजूरी की तारीख से पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में क्रमश: 25%, 25% और 50%) और इसके प्रयोग की अवधि निहित किए जाने की तारीख से 5 वर्ष तक होगी. शेयर-आधारित एलटीआई बैंक की संबंधित योजना पर यथा लागू निबंधनों एवं शर्तों द्वारा अभिशासित होंगे.

Vesting of Share-based Long Term Incentive shall be over a period of 3 years from the grant date (25%, 25% & 50% at the end of 1st, 2nd & 3rd year from date of grant respectively) and exercise period shall be upto 5 years from the date of vesting. Share-based LTIs shall be governed by the terms & conditions of the respective scheme of the Bank, as applicable.

- यदि आस्थान अवधि 3 वर्ष है तो पहले वर्ष की समाप्ति पर कुल मंजूर किए गए शेयर-आधारित एलटीआई का 33.33% से अधिक निहित नहीं होगा. इसके अलावा, दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कुल मंजूर शेयर-आधारित एलटीआई का 33.33% से अधिक निहित नहीं होगा. इसी प्रकार यदि आस्थान व्यवस्था चार साल की है, तो पहले तीन वर्ष की समाप्ति पर कुल मंजूर शेयर-आधारित एलटीआई का 25% से अधिक निहित नहीं होंगे. इसके अलावा निहित किए जाने की प्रक्रिया वार्षिक आधार की आवधिकता से अधिक बार सम्पन्न नहीं होगी, तािक कार्योत्तर समायोजनों की प्रयोज्यता के पहले जोिखमों का उचित आकलन सुनिश्चित किया जा सके.
- If deferral period is 3 years, not more than 33.33 % of the total granted Share-based LTI shall vest at the end of first year. Further, not more than 33.33 % of total granted Share-based LTI shall vest at the end of second year. Similarly, in case deferral arrangement is four years, not more than 25% of total granted Share-based LTI shall vest in each of the first three years Additionally, vesting shall not take place more frequently than on a yearly basis to ensure a proper assessment of risks before the application of ex-post adjustments.

मैलस/ क्लाबैक / Malus/Clawback

परिवर्ती वेतन (नकद आधारित और शेयर आधारित एलटीआई) पर मैलस और क्लाबैक प्रावधान कुछ स्थितियों अर्थात् एनपीए के लिए बैंक के प्रावधान में विचलन, कमजोर या नकारात्मक वित्तीय कार्यीनष्पादन, कदाचार या एनआरसी द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य मापदंड में अनिहित अवार्ड को कम करने या रह करने और पहले भुगतान की गई क्षितिपूर्ति की वसूली करने में एनआरसी सक्षम होगी. मैलस को सभी परिस्थितियों में लागू किया किया जा सकता है और क्लाबैक को कदाचार अथवा एनआरसी द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य मानदंड के मामले में लागू किया जा सकता है. मैलस लागू किए जाने की प्रक्रिया में लागू ट्रिगर के ज्ञात होने की तारीख से आंशिक अथवा पूर्ण आस्थिगित वार्षिक नकद प्रोत्साहन और/ अथवा अनिहित एलटीआई अवार्डों का निरसन अंतर्निहित होगा. क्लाबैक व्यवस्था में लागू ट्रिगर के प्रारंभ होने की तारीख से पिछले पांच वर्षों में दिए गए वार्षिक नकद प्रोत्साहन और एलटीआई पुरस्कारों की वसूली अंतर्निहित होगी.

Malus & Clawback provisions on variable pay (cash based & share-based LTI) would enable the NRC to reduce or cancel unvested awards and recover previously paid compensation in certain situations viz. divergence in Bank's provisioning for NPAs, subdued or negative financial performance, misconduct or any other parameter deemed relevant by the NRC. Malus can be invoked in all the situations and clawback can be invoked in case of misconduct or any other parameter deemed relevant by the NRC. Invocation of Malus provisions would imply cancellation of partial or full deferred annual cash incentive and/or unvested LTI awards as on the date of discovery of applicable trigger. The clawback arrangement would imply recovery of annual cash incentives paid and LTI awards vested over the last five years from the date of discovery of the applicable trigger.

- (च) परिवर्ती पारिश्रमिक के विभिन्न प्रकार (जैसे नकद और शेयर संबद्ध लिखतों के प्रकार) जिन्हें बैंक प्रयोग करता है, के विवरण और इन विभिन्न प्रकारों के प्रयोग के लिए औचित्य:
- (f) Description of the different forms of variable remuneration (i.e. cash and types of share-linked instruments) that the Bank utilizes and the rationale for using these different forms:

परिवर्ती वेतन नकदी एवं शेयर आधारित दीर्घाविध प्रोत्साहन (एलटीआई)* का मिश्रण होगा. शेयर-आधारित एलटीआई को परिवर्ती वेतन के एक भाग के रूप में प्रदान किया जाएगा और इसे ब्लैक-स्कोल्स मॉडल या विनियामक (कों) द्वारा निर्देशित किसी अन्य मॉडल का उपयोग करके उचित मृल्यांकन किया जाएगा जैसाकि नियामक द्वारा निर्देशित किया जाये. शेयर-आधारित एलटीआई समय-समय पर यथा संशोधित



बैंक की लागु योजना के निबंधन और शर्तों द्वारा अभिशासित होगा. नियत वेतन के प्रतिशत/ दिनों की संख्या (विनियामक दिशा-निर्देशों के अधीन) के रूप में कर्मचारी-वार लक्ष्य परिवर्ती वेतन नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा की गई सिफ़ारिशों तथा बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार होगा.

The Variable Pay shall be a mix of Cash & Share-based Long Term Incentive (LTI)*. Share-based LTI shall be granted as a part of Variable Pay and it shall be fair valued on the date of grant by using the Black-Scholes Model or any other model as may be directed by the Regulator(s). Share-based LTI shall be governed by the terms & conditions of the applicable scheme of the Bank, as amended from time-to-time. The employee category-wise target Variable Pay as a percentage/number of days of Fixed Pay (subject to regulatory guidelines) shall be as recommended by the Nomination and Remuneration Committee and approved by the Board.

मात्रात्मक प्रकटन / Quantitative Disclosures: 2)

(मात्रात्मक प्रकटन में केवल पूर्णकालिक निदेशकों/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों की जानकारी शामिल हैं) (The quantitative disclosures includes only Whole Time Directors / Chief Executive Officer/ Material Risk Takers)

			वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24
(क)	आयो Num Com	य वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा जित बैठकों की संख्या aber of meetings held by the Nomination & Remuneration amittee (NRC) during the financial year	6	6
		सदस्यों को प्रदत्त पारिश्रमिक. (करोड़ में) uneration paid to its members. (in Crores)	0.21	0.17
(ख)	(i)	वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्ती पारिश्रमिक अवार्ड प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या Number of employees having received a variable remuneration award during the financial year. नोट- / Note – वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान एमडी एवं सीईओ, 2 डीएमडी और 24 महत्वपूर्ण जोखिम उठाने वालों को परिवर्ती पारिश्रमिक भुगतान करने की मंजूरी दी गई. Variable remuneration award was approved to MD & CEO, 2 DMDs and 24 Material Risk Takers during financial year 2024-25	27	26
	(ii)	वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान किए गए साइन ऑन/जॉइनिंग बोनस की संख्या और कुल राशि Number and total amount of sign-on/joining bonus made during the financial year.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	(iii)	उपचित लाभों के अतिरिक्त सेवा विच्छेद भुगतान, यदि कोई हो, का विवरण Details of severance pay, in addition to accrued benefits, if any.	शून्य / Nil	शून्य / Nil

			वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24
(刊)	(i)	नकद, शेयर और शेयर से जुड़े लिखत और अन्य प्रकारों में विभक्त बकाया आस्थिगित पारिश्रमिक की कुल राशि		
(c)		Total amount of outstanding deferred remuneration, split into cash, shares and share linked instruments and other forms.		
		नकद / Cash	1.67	1.04
		ईएसओपी के एवज में नकद* / Cash in lieu of ESOP*	16.40	10.87
	(ii)	वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि Total amount of deferred remuneration paid out in the financial year.	2.30	0.92
(घ)	वित्तीर Brea	न और परिवर्ती, आस्थगित और गैर-आस्थगित घटकों को दिखाने हेतु म वर्ष के लिए पारिश्रमिक अवार्ड राशि का विश्लेषण ^{\$} kdown of amount of remuneration awards for the financial to show fixed and variable, deferred and non-deferred ^{\$}		
	-	· / Fixed	15.90	13.59
		र्ती / Variable	16.50	13.25
		गित / Deferred	12.18	10.01
		भास्थगित / Non-Deferred	4.32	3.24
(룡)	(i)	पूर्व सुस्पष्ट और/ अथवा अस्पष्ट समायोजनों के प्रति बकाया आस्थगित पारिश्रमिक और धारित पारिश्रमिक की कुल राशि	18.07	12.06
		Total amount of outstanding deferred remuneration and retained remuneration exposed to ex post explicit and / or implicit adjustments.		
	(ii)	पूर्व सुस्पष्ट समायोजनों के प्रति वित्तीय वर्ष के दौरान की गई कटौतियों की कुल राशि	शून्य / Nil	शून्य / Nil
		Total amount of reductions during the financial year due to ex post explicit adjustments.		
	(iii)	पूर्व अस्पष्ट समायोजनों के प्रति वित्तीय वर्ष के दौरान की गई कटौतियों की कुल राशि	शून्य / Nil	शून्य / Nil
		Total amount of reductions during the financial year due to ex post implicit adjustments.	_	
(च) <u>(f)</u>	पहचा Num	न किए गए महत्वपूर्ण जोखिम उठाने वालों (एमआरटी) की संख्या ber of Material Risk Takers (MRTs) identified	23	24
(평) (g)	(i)	मामलों की संख्या जहां मैलस का प्रयोग किया गया है. Number of cases where malus has been exercised.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	(ii)	मामलों की संख्या जहां क्लाबैक का प्रयोग किया गया है. Number of cases where clawback has been exercised.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	(iii)	मामलों की संख्या जहां मैलस और क्लाबैक दोनों का प्रयोग किया गया है	शून्य / Nil	शून्य / Nil
		Number of cases where both malus and clawback have been exercised.		



			वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24
(ज) (h)	निम्नी The and	रूप में (सब-स्टाफ को छोड़कर) बैंक का माध्य (मीन) वेतन तथा लेखित डब्ल्यूटीडी के वेतन का माध्य से विचलनः(राशि करोड़ में) mean pay for the Bank as a whole (excluding sub-staff) the deviation of the pay of each of the following WTDs the mean pay: (Amount in Crores)	0.21	0.17
	(i)	एमडी एवं सीईओ / MD & CEO	2.86	1.94
	(ii)	डीएमडी (12 जून 2023 को कार्यग्रहण किया) DMD (Joined on12th June, 2023)	1.02	0.46
	(iii)	डीएमडी (15 जुलाई 2024 को कार्यग्रहण किया) DMD (Joined on 15th July 2024)	0.52	0.00
	(iv)	डीएमडी (14 जनवरी 2024 को कार्यमुक्त) DMD (Relieved on 14th January 2024)	0.00 0.00	0.87 0.17
	(v)	डीएमडी (5 अप्रैल 2023 को कार्यमुक्त) DMD (Relieved on 5th April 2023)		
	नोट	- / Note -		
	i)	वेतन में सकल वेतन (इसमें संपूर्ण बैंक के लिए बीमांकिक आधार पर निर्धारित ग्रेच्युटी और अवकाश लाभों के लिए प्रावधान शामिल नहीं है)+ एमआरटी को नवम्बर 2022 से मार्च 2024 की अविध की बकाया राशि + छुट्टी नकदीकरण + वर्ष के दौरान भुगतान किया गया परिवर्ती वेतन +आयकर अधिनयम 1961 के तहत गणना के अनुसार अनुलाभ मूल्य शामिल है. Pay includes Gross salary (excludes the provision for gratuity and leave benefits as determined on actuarial basis for the Bank as a whole) + arrears for the period from November 2022 to March 2024 for MRTs + leave encashment + Variable Pay paid during the year + perquisite value as calculated under the Income Tax Act, 1961.		

नोट- / Note –

^{*} रिजर्व बैंक के अनुमोदन से बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए परिवर्ती वेतन को नकद (3 वर्ष की आस्थगन अवधि) और ईएसओपी के एवज में नकद (4 वर्ष की आस्थगन अवधि) प्रस्तावित किया है.

^{*} Bank has proposed Variable pay in the form of Cash (deferral period of 3 years) and Cash in lieu of ESOPs (deferral period of 4 years) for FY 2024-25 with the approval of RBI.

[🎙] एमडी एवं सीईओ. डीएमडी और एमआरटी के नियत पारिश्रमिक में सकल वेतन, नवंबर 2022 से मार्च 2024 तक की अवधि के लिए एमआरटी को भुगतान की गई बकाया राशि, वार्षिक छुट्टी नकदीकरण और आयकर अधिनियम 1961 के तहत गणना की गई अनुलाभ राशि शामिल है. इसमें ग्रेच्युटी और छुटुटी लाभों के लिए प्रावधान शामिल नहीं है क्योंकि वे संपूर्ण बैंक के लिए बीमांकिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं. एमडी एवं सीईओ, डीएमडी और एमआरटी के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आस्थिगित और गैर आस्थिगित परिवर्ती वेतन में बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनसार लक्षित परिवर्ती वेतन शामिल हैं और डबल्यूटीडी के लिए यह रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है.

Fixed remuneration for MD & CEO, DMDs and MRTs includes, gross salary, arrears paid for the period from November 2022 to March 2024 to MRTs, annual leave encashment and perquisite value as calculated under the Income Tax Act 1961. It excludes the provision for gratuity and leave benefits as they are determined on actuarial basis for the Bank as a whole. The Variable Pay - Deferred and Non-deferred includes target variable pay for FY 2024-25 for MD & CEO, DMDs and MRTs as approved by Bank's Board and it is subject to RBI approval for WTDs.

14. अन्य प्रकटन / Other Disclosures

क) व्यवसाय अनुपात

a) Business ratios

क्रम. सं. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024
1	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय ^s Interest income as a percentage to working funds ^s	7.60%	7.73%
2	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय Non-interest income as a percentage to working funds	1.30%	1.06%
3	जमाओं की लागत / Cost of Deposits	4.68%	4.30%
4	निवल ब्याज मार्जिन^ / Net Interest Margin^	4.56%	4.93%
5	कोर निवल ब्याज मार्जिन^^ / Core Net Interest Margin^^	3.74%	3.90%
6	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ ^{\$} Operating profit as a percentage to working funds ^{\$}	2.91%	2.81%
7	आस्तियों पर प्रतिलाभ® / Return on assets®	1.98%	1.65%
8	आस्तियों पर कोर प्रतिलाभ [®] / Core Return on assets [®]	0.91%	0.63%
9	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम)# [₹ करोड़] Business (Deposits plus advances) per employee* [₹ crore]	25.65	23.50
10	प्रति कर्मचारी लाभ [₹ करोड़] / Profit per employee [₹ crore]	0.38	0.30

[§] कार्यशील निधियों की गणना वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अधीन फॉर्म X में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किए अनुसार कुल आस्तियों (संचित हानियों, यदि कोई हों, को छोड़कर) के औसत तथा विदेशी शाखाओं की कुल आस्तियों (संचित हानियों, यदि कोई हों, को छोड़कर) के औसत के रूप में की जाती है.

कोर निवल ब्याज आय= (ब्याज आय- आयकर रिफंड पर ब्याज- अनर्जक और तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों से ब्याज वसूली) -ब्याज व्यय

Core Net Interest Income= (Interest Income- Interest on Income Tax Refund- Interest Recovery from Non-performing & Technically Written offs accounts) - Interest Expenses

@ आस्तियों पर प्रतिलाभ औसत कार्यशील निधियों (अर्थात् संचित हानियों, यदि कोई हों, को छोडकर कुल आस्तियां) के संदर्भ में होगा.

@ Return on Assets would be with reference to average working funds (i.e., total of assets excluding accumulated losses, if any).

@ @ आस्तियों के मूल प्रतिफल की गणना आयकर रिफंड पर ब्याज, अनर्जक एवं तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों से ब्याज की वसूली और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गये खातों से मृलधन की नकदी वसूली को छोड़ कर की जाती है.

@@ Core Return of Asset is calculated by excluding Interest on Income tax Refund, Interest recovery from Non -performing & Technically Written offs accounts and Principal recovery in cash from Technically written offs accounts.

#प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमाराशियां एवं अग्रिम) की गणना करने के लिए अंतर-बैंक जमाराशियों को शामिल नहीं किया जाता है.

For the purpose of computation of business per employee (deposits plus advances), inter-bank deposits shall be excluded.

[§] Working funds are reckoned as average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X under Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949, during the 12 months of the financial year and average of total assets (excluding accumulated losses, if any) of overseas branches.

[^] निवल ब्याज आय / औसत ब्याज अर्जक आस्तियां निवल ब्याज आय= ब्याज आय - ब्याज व्यय.

[^] Net Interest Income/ Average Interest Earning Assets. Net Interest Income= Interest Income - Interest Expense

^{^^} कोर निवल ब्याज आय/ औसत ब्याज अर्जक आस्तियां.

^{^^} Core Net Interest Income/ Average Interest Earning Assets.



बैंकएश्योरेंस व्यवसाय

b) **Bancassurance Business**

बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और बैंकएश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में अर्जित शुल्कों/ ब्रोकरेज का विवरण निम्नानुसार है. The details of fees / brokerage earned in respect of insurance broking, agency and bancassurance business is as follows:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

		((4/(19)// ((01010)
विवरण Particulars	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
	For the year ended March 31, 2025	For the year ended March 31, 2024
एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. [®] Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd. [®]	29	23
भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India	84	75
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कं. लि. TATA AIG General Insurance Co. Ltd.	21	16
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी / New India Assurance Co.	8	5
मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस / Max Bupa Health Insurance	20	23
कुल / Total	162	142

^{@-} पूर्व में आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. के नाम से जानी जाती थी.

विपणन एवं वितरण

Marketing & Distribution

विपणन एवं वितरण कार्य (बैंकएश्योरेंस व्यवसाय को छोडकर) के संबंध में प्राप्त शुल्कों/ कमीशन का विवरण निम्नानुसार है:

Details of fees / commission received in respect of the marketing and distribution function (excluding bancassurance business) is as follows:

विवरण Particulars	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024
म्युच्युअल फंड / Mutual Fund	41	32
सरकारी बांड्स (एफआईएस) / Government Bonds (FIS)	1	1
सॉवरेन गोल्ड बांड (एसजीबी) / Sovereign Gold Bond (SGB)	0	2
एनपीएस / NPS	1	0.42
पूंजीगत अभिलाभ बांड (एनएचएआई, आरईसी एवं आईआरएफसी) Capital Gain Bond (NHAI, REC & IRFC)	1	1
कुल / Total	44	36.42

^{@ -} Earlier known as IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.

- घ) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटन
- d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान / During the year ended March 31, 2025

(₹ करोड़**)** / (₹ Crore)

पीएसएलसी श्रेणी PSLC Category	क्रय राशि Purchased Amount	बिक्री राशि Sold amount
पीएसएलसी-लघु एवं सीमांत कृषक (एसएफएमएफ) PSLC-Small & Marginal farmers (SFMF)	6,000	800
पीएसएलसी-कृषि / PSLC-Agriculture	1,944	0
पीएसएलसी-सामान्य / PSLC-General	0	0
पीएसएलसी-सूक्ष्म उद्यम / PSLC-Micro Enterprises	0	0
कुल / Total	7,944	800

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान/ During the year ended March 31, 2024

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

		(* * * * * *) / (* * * * * * * * * * * * * * * * * *
पीएसएलसी श्रेणी	क्रय राशि	बिक्री राशि
PSLC Category	Purchased Amount	Sold amount
पीएसएलसी-लघु एवं सीमांत कृषक (एसएफएमएफ) PSLC-Small & Marginal farmers (SFMF)	5,000	-
पीएसएलसी-कृषि / PSLC-Agriculture	-	-
पीएसएलसी-सामान्य / PSLC-General	-	-
पीएसएलसी-सूक्ष्म उद्यम / PSLC-Micro Enterprises	-	-
कुल / Total	5,000	-

ड़) प्रावधान तथा आकस्मिकताएं

(e) Provisions and Contingencies

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
Particulars	March 31, 2025	March 31, 2024
निवेशों के लिए प्रावधान ^ / Provision for Investments^	454	284
एनपीए के लिए प्रावधान ^ / Provision towards NPA^	(4,368)	(670)
करों के लिए किए गए प्रावधान - वर्तमान कर	137	0
Provision made towards Taxes - Current Tax		
- आस्थगित कर / Deferred Tax	2,916	2,561
अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं		
Other Provisions and Contingencies		
मानक आस्ति के प्रति प्रावधान	2,746	(161)
Provision towards Standard Asset		
पुनः संरचित आस्तियों(एफआईटीएल सहित) के लिए प्रावधान	(46)	(12)
Provision for Restructured Assets (including FITL)		
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / Bad debts written off	2,058	1,681
अन्य प्रावधान® / Other Provision®	(333)	275
कुल / Total	3,564	3,958

[®] अन्य प्रावधान में अन्य बातों के साथ-साथ ₹339 करोड़ के एनपीए मामलों की गैर-निधि आधारित सीमाओं के लिए प्रावधान (प्रावधान रिवर्सल) (पिछले वर्ष ₹ 153 करोड़ - प्रावधान सजन) शामिल है.

[®] Other Provision inter-alia includes provision on Non-fund based limits of NPA cases of ₹ 339 crore (Provision Reversal) (Previous year ₹153 crore -Provision creation).



^ निवेश के लिए प्रावधान में नई प्रतिभृति रसीदों के अधिग्रहण के विरूद्ध सुजित ₹ 1460 करोड (पिछले वर्ष ₹ 265 करोड) शामिल हैं और समतुल्य राशि का एनपीए के लिए प्रावधान में प्रतिलेखन किया गया है.

^ Provision for Investment includes ₹ 1460 crore (previous year - ₹ 265 crore) created against acquisition of new security receipts and equivalent amount is written back from provision towards NPA.

आईएफआरएस अभिमुख भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) का कार्यान्वयन च)

Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standard (Ind AS)

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने 16 फरवरी 2015 की अधिसचना के द्वारा आईएफआरएस अभिमुख भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) को अधिसचित किया था और वित्तीय वर्ष 2018-19 से बैंकों, बीमा कंपनियों और एनबीएफ़सी के लिए इंड एएस की प्रयोज्यता हेत रोड मैप (18 जनवरी 2016 की प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा) भी अधिसचित किया था.

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) had notified IFRS-converged Indian Accounting Standards (Ind AS) vide Notification dated February 16, 2015 and also notified (vide press release dated January 18, 2016) the roadmap for applicability of Ind AS for Banks, Insurance companies and NBFCs from FY 2018-19.

रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों के लिए इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु सूचित किया और इंड एएस में परिवर्तन के लिए समय सीमा निर्धारित की. इसके अनुसरण में, आईडीबीआई ने इंड एएस के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू की थी.

RBI advised all scheduled commercial banks to prepare financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards in accordance with Ind AS with a timeframe for transition towards Ind AS. Pursuant to this, IDBI had commenced the process of implementation of Ind AS.

इसके बाद रिजर्व बैंक ने दिनांक 22 मार्च 2019 के अपने परिपत्र सं.डीबीआर.बीपी.बीसी.सं. 29/21.07.001/2018-19 के द्वारा बैंकिंग उद्योग के लिए इंड एएस के कार्यान्वयन को अगली सुचना तक आस्थगित रखने का निर्णय किया. इस बीच, रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बैंक अर्धवार्षिक आधार पर रिजर्व बैंक को इंड एएस प्रो-फॉर्मा वित्तीय विवरण प्रस्तत कर रहा है. बैंक ने प्रो-फॉर्मा वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए इंड एएस के अनरूप विभिन्न अवधारणा कागजात भी तैयार कर लिये हैं.

Subsequently, RBI vide its Circular No. DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019 advised deferment of implementation of Ind AS for banking industry till further notice. Meanwhile, as directed by RBI, Bank is submitting Ind AS Pro-forma Financial Statements on half yearly basis to RBI. Bank has also prepared various concept papers in line with Ind AS, for preparation of Pro-forma Financials.

रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रारूप के साथ-साथ भारतीय लेखा मानक परिवेश के अंतर्गत नए दिशानिर्देश और स्पष्टीकरण अधिसुचित करना अभी बाकी है, उसी के आधार पर बैंक विभिन्न नीति दस्तावेजों (अर्थात जोखिम प्रबंधन, निवेश नीतियां आदि), परिचालन प्रक्रिया सेटअप और आईटी एकीकरण में लेखांकन मानक के नए सेट को शामिल करेगा, जिसे समय-समय पर निरंतर अद्यतन/आशोधित /विकसित किया जाएगा. बैंक के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के कार्यान्वयन के दौरान प्रमुख प्रभाव क्षेत्रों में प्रत्याशित ऋण हानि, प्रभावी ब्याज दर लेखांकन, उचित मुल्यांकन इनपुट, कार्यप्रणाली और धारणाएं, वित्तीय लिखतों में विशिष्ट मूल्यांकन संबंधी प्रतिफल, कर्मचारी लाभ और प्रौद्योगिकी प्रणालियों का कार्यान्वयन

RBI is yet to notify Financial Statements format as well as new guidelines and clarifications under Ind AS environment, based on the same the Bank would incorporate the new set of accounting standard in various policy papers (viz. Risk Management, Investments Policies etc.), operational process setup and IT integration, which will be continuously updated/modified/evolved from time to time. The key impact areas during implementation of Ind AS for the Bank include Expected Credit Loss, Effective Interest Rate accounting, fair valuation inputs, methodologies and assumptions, specific valuation considerations in financial instruments, employee benefits and implementation of technology systems.

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) ने वाणिज्यिक बैंकों के निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मुल्यांकन और परिचालन के बारे में मास्टर निर्देश (निर्देश), 2023 जारी किया. संशोधित मास्टर निर्देश निवेशों के वर्गीकरण और लेखांकन को भारतीय लेखा मानक के करीब लाता है. बैंक ने 1 अप्रैल 2024 से मास्टर निर्देश के अनुसार आवश्यक परिवर्तन लागू कर दिये हैं.

During FY2024, the Reserve Bank of India (RBI) issued master direction on classification, valuation and operation of investment portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023, which became effective from April 1, 2024. The revised master direction brings the classification and accounting of investments closer to Ind AS. The Bank has implemented the required changes as per the master direction with effect from April 1, 2024.

छ) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम की अदायगी

g) Payment of DICGC Insurance Premium

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान Payment of DICGC Insurance Premium	357	315
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान के लिए बकाया राशियां Arrears in payment of DICGC premium	-	-

ज) हरित जमाओं से जुटाई गई निधि के उपयोग पर संविभाग-स्तर की जानकारी

h) Portfolio-level information on the use of funds raised from green deposits

बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हरित जमा से कोई निधि नहीं जुटाई है. Bank has not raised any funds from green deposit during current financial year 2024-25 & previous financial year 2023-24.

15. विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएं / Prudential Exposure Limits

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended March 31, 2025

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक के एलईएफ़ दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक के एकल उधारकर्ताओं तथा संबद्ध प्रतिपक्षी समूह एक्सपोजरों के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं हुए हैं. एकल प्रतिपक्ष उधारकर्ता तथा संबद्ध प्रतिपक्षी समूहों के एक्सपोजर पात्र पूंजी आधार अर्थात् टियर I पूंजी की 20% और 25 % की विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं के अंदर थे.

During the year ended March 31, 2025, there were no breaches in respect of Single borrowers and Group of Connected Counterparties exposures of the Bank under LEF guidelines of RBI. Exposures to single counterparty borrower and group of connected counterparties were within the prudential exposure limits of 20% and 25% of eligible capital base i.e. Tier I Capital.

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended March 31, 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक के एलईएफ़ दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक के एकल उधारकर्ताओं तथा संबद्ध प्रतिपक्षी समूह एक्सपोजरों के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं हुए हैं. एकल प्रतिपक्ष उधारकर्ता तथा संबद्ध प्रतिपक्षी समूहों के एक्सपोजर पात्र पूंजी आधार अर्थात् टियर I पूंजी की 20% और 25% की विवेकपुर्ण एक्सपोजर सीमाओं के अंदर थे.

During the year ended March 31, 2024, there were no breaches in respect of Single borrowers and Group of Connected Counterparties exposures of the Bank under LEF guidelines of RBI. Exposures to single counterparty borrower and group of connected counterparties were within the prudential exposure limits of 20% and 25% of eligible capital base i.e. Tier I Capital.

16. भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटन) के निर्देश, 2021 के अनुसार प्रकटन - महत्वपूर्ण मदों का प्रकटन

Disclosure as per Reserve Bank of India (Financial Statements - Presentation and Disclosures) Directions, 2021 - Disclosure of material items

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended March 31, 2025

- अ. ''अनुसूची 14 अन्य आय'' शीर्षक के अंतर्गत उपशीर्षक ''विविध आय'' के तहत कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक की मदें शुन्य
- A. Item under the subhead "Miscellaneous Income" under the head "Schedule 14-Other Income" exceeding one percent of total income NIL.
- आ. ''अनुसूची 16 परिचालन व्यय'' शीर्षक के अंतर्गत उपशीर्षक ''अन्य'' के तहत कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक की मदें :
- B. Items under subhead "Others" under the head "Schedule 16 Operating Expenses" exceeding one percent of total income:



(₹ करोड़) / (₹ Crore))

विवर्ण Particulars	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	कुल आय का % % of Total Income	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended on March 31, 2024	कुल आय का % % of Total Income
कार्ड एवं एटीएम व्यय / Card & ATM expenses	354	1.05%	333	1.11%
बाह्यस्रोतीय व्यय / Outsourcing expenses	789	2.33%	705	2.35%
अन्य व्यय # / Other expenditure #	858	2.54%	694	2.31%

अन्य व्यय के अंतर्गत प्रमख मदों में निविध्टि टैक्स क्रेडिट का प्रतिवर्तन - ₹ 223 करोड (पिछले वर्ष ₹210 करोड). पीएसएलसी लेनदेन के लिए भृगतान किए गए प्रीमियम का व्यय - ₹ 132 करोड़ (पिछले वर्ष ₹111 करोड़), सीएसआर व्यय ₹103 करोड़ (पिछले वर्ष ₹73 करोड़) और लाभांश प्रबंधन व्यय - ₹ 96 करोड (पिछले वर्ष ₹ 68 करोड) शामिल है.

Major items under other expenditure include Reversal of Input Tax Credit - ₹ 223 crore (Previous year ₹ 210 crore), Expense for premium paid for PSLC transaction - ₹ 132 crore (Previous year ₹ 111 crore), CSR Expenditure ₹ 103 crore (Previous year ₹ 73 crore) and Dividend handling expense – ₹ 96 crore (Previous year ₹ 68 crore)...

- ''अनुसुची 5 अन्य देयताएं और प्रावधान'' के अंतर्गत उपशीर्षक ''अन्य प्रावधान'' के तहत कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक ग.
- C. Items under subhead "Other Provisions" under the "Schedule 5 - Other Liabilities and Provisions" exceeding one percent of total assets:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	कुल आस्तियों का % % to Total Assets	31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	कुल आस्तियों का % % to Total Assets
मानक आस्तियों के विरूद्ध विवेकपूर्ण प्रावधान Prudential provisions against standard assets	7,563	1.84%	4,817	1.32%
अन्य प्रावधान# / Other provisions #	5,358	1.30%	6,017	1.66%

''अन्य प्रावधान'' के अंतर्गत प्रमुख मदों में एनपीए एनएफ़बी के लिए प्रावधान - ₹ 1789 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2128 करोड़), कर्मचारी लाभ प्रावधान- ₹1742 करोड (पिछले वर्ष ₹ 2045 करोड) और गैर बैंकिंग आस्तियों के लिए प्रावधान - ₹711 करोड (पिछले वर्ष ₹ 747 करोड) शामिल है.

Major items under "Other provisions" include Provision for NPA NFB - ₹ 1,789 crore (Previous year ₹ 2,128 crore), Employee Benefit Provision - ₹ 1742 crore (Previous year ₹ 2,045 crore) and Provision for Non-Banking Assets -₹ 711 crore (Previous year ₹ 747 crore)

- घ. ''अनुसूची 11 अन्य आस्तियां'' के अंतर्गत उपशोर्षक ''अन्य'' के तहत कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक की मदेंः
- D. Items under subhead "Others" under the "Schedule 11 Other Assets" exceeding one percent of total assets:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

			,	., ., .
विवरण	31 मार्च 2025	कुल आस्तियों	31 मार्च 2024	कुल आस्तियों
Particulars	को	का %	को	का %
	As at	% to Total	As at	% to Total
	March 31,	Assets	March 31,	Assets
	2025		2024	
आस्थगित कर आस्ति (निवल) / Deferred Tax	5,982	1.45%	8,960	2.46%
Asset (net)				
বিবিध [#] / Miscellaneous [#]	5,520	1.34%	7,783	2.13%

[#] विविध के अंतर्गत प्रमुख मदों में नाबार्ड, एनएचबी, मुद्रा और सिडबी के पास ₹ 3344 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5355 करोड़) की पीएसएल जमाराशियां शामिल हैं.

17. गैर-कार्यपालक निदेशकों (एनईडी) को पारिश्रमिक

Remuneration to the Non-Executive Directors (NEDs)

बैंक गैर-कार्यपालक निदेशकों (एनईडी) को नियत पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता. सरकार द्वारा नामित निदेशकों के अलावा सभी गैर- कार्यपालक निदेशकों को केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है.

Bank does not pay fixed remuneration to the Non-Executive Directors (NEDs). All the Non-Executive Directors, except the Government Nominee Directors, are only paid sitting fees.

18. चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

Letters of Comfort (LoCs)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने अपनी सहायक कंपनियों को कोई चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी नहीं किया है. 5 सहायक कंपनियों के संबंध में बैंक द्वारा पूर्व में जारी किए गए और 31 मार्च 2025 तक बकाया एलओसी के तहत मूल्यांकित वित्तीय प्रभाव, साथ ही मूल्यांकित संचयी वित्तीय दायित्व शून्य है.

During FY 2024-25, Bank has not issued any Letters of Comfort (LoCs) to its subsidiaries. The assessed Financial impact, as also assessed cumulative financial obligations under the LoCs issued by the Bank in past and outstanding as on March 31, 2025 is, NiL with respect to 5 subsidiaries.

[#] Major items under Miscellaneous include PSL deposits amounting to ₹ 3,344 crore (Previous year ₹ 5,355 crore) held with NABARD, NHB, Mudra and SIDBI.



आ. लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं

DISCLOSURE REQUIREMENTS AS PER ACCOUNTING STANDARDS

- अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन (एएस-5) Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5)
 - 31 मार्च 2025 तथा 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पूर्व अवधि की आय/ व्यय की कोई महत्वपूर्ण मदें नहीं थीं. There were no material prior period income/ expenditure items for the year ended March 31, 2025 and March 31, 2024.
 - पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अपनाई गई लेखांकन नीतियों की तूलना में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में निवेश और डेरिवेटिव वर्गीकरण एवं आकलन के अलावा कोई परिवर्तन नहीं हैं. 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी, बैंक ने 12 सितंबर, 2023 को जारी रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश - निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मल्यांकन और परिचालन ('रिज़र्व बैंक के निवेश निर्देश 2023') में बताये गये संशोधित ढांचे को अपनाया है.

There is no change in significant accounting policies adopted during the year ended March 31, 2025 as compared to those followed in the previous financial year except for classification and measurement of investments and derivatives by the bank. With effect from April 1, 2024, the Bank has adopted the revised framework as detailed in RBI Master Direction on Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio issued on September 12, 2023 ('RBI Investment Directions 2023).

अचल आस्तियां (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण) (एएस-10) / Fixed Assets (Property, Plant & Equipment's) (AS-10) 2.

- वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान, बैंक ने स्वतंत्र मुल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मुल्यांकन के आधार पर पटटाधारित/ फ्रीहोल्ड भृमि और आवासीय/कार्यालय भवनों सहित अपने परिसर का पुनर्मूल्यांकन किया था जिसमें बट्टाकृत नकदी प्रवाह, लागत दृष्टिकोण विधि, तुलनीय बिक्री विधि जैसी पद्धतियों का
- During the FY 2025, the Bank had re-valued its Premises including leasehold / Freehold Lands & Residential/ Office a) buildings based on valuations made by Independent Valuer, using methodologies such as discounted cash flow, cost approach method, comparable sales method.
- पुनर्मूल्यांकन की प्रभावी तिथि 1 मार्च 2025 है और 31 मार्च 2025 को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में शेष राशि ₹ 10,512 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 7,933 ख)
- Effective date of the revaluation is 1st March 2025 and the balance in Revaluation Reserve as at March 31, 2025 is b) ₹ 10,512 Crores (Previous year ₹ 7,933 Crores).
- वर्ष के दौरान आवासीय/ कार्यालय भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री से हुई ₹ 2.31 करोड़ की निवल हानि (पिछले वर्षः ₹ 0.71 करोड़ की निवल 刊) हानि) की राशि को अनुसूची 14 - अन्य आय में शामिल किया गया है.
- Net loss amounting to ₹ 2.31 crore (Previous year: Net Loss ₹ 0.71 crore) on account of sale of residential / office C) buildings and other assets during the year is included in Schedule 14 - Other Income.
- लाभांशों के वितरण के लिए पुनर्मूल्यांकन रिजर्व उपलब्ध नहीं हैं. घ)
- Revaluation reserve is not available for distribution of dividends. d)
- 31 मार्च 2025 को बैंक ₹ 24 करोड़ के रखाव मूल्य वाली 7 संपत्तियों के संबंध में हक को नियमित करने की प्रक्रिया में है. तदनुसार, इन संपत्तियों के 룡) लिए, बहियों में पुनर्मृल्यांकन के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है.
- The Bank is in process of regularizing the title in respect of 7 properties having carrying value of ₹ 24 crore as on March e) 31, 2025. Accordingly, for these properties, the impact of revaluation is not considered in the books.
- 핍) उचित मूल्य पाने के लिए पुनर्मूल्यांकन पूर्णतः अवलोकनीय कीमतों के संदर्भ में किया गया था.
- The revaluation was done entirely by taking reference to the observable prices to arrive at the fair value. f)
- छ) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने अपनी अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है. पुनर्मूल्यांकन के कारण संपत्तियों के रखाव मूल्य में ₹ 2855 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसे सीधे पुनर्मृल्यांकन रिजर्व में जमा कर दिया गया है. इसी प्रकार, पहले अवमृल्यित कुछ आस्तियों के रखाव मृल्य में ₹6 करोड़ की वृद्धि को लाभ-हानि खाते में जमा कर दिया गया है.
- g) During FY 2024-25, the Bank has revalued its immovable properties. An increase of ₹ 2855 crore in carrying value of properties, arising on account of revaluation has been credited directly to the Revaluation Reserve. Similarly, an increase of ₹ 6 crore in the carrying value of certain properties earlier devalued has been credited to profit and loss account...

3. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित) / Employee Benefits (AS-15) (Revised)

i. निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं / Defined Contribution Schemes

क) भविष्य निधि / a) Provident Fund

बैंक के उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्होंने पेंशन विकल्प चुना है, 31 मार्च 2008 से पहले बैंक में सेवा आरंभ की है, उन्हें भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत कवर किया गया है. बैंक एक निर्दिष्ट अंशदान जो कि मूल वेतन के नियत प्रतिशत के रूप में होता है, पीएफएस में जमा करता है. भविष्य निधि योजना को आईडीबीआई बैंक कर्मचारियों भविष्य निधि ट्रस्ट (ट्रस्ट) के न्यासी बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है. आईडीबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) तथा आईडीबीआई गिल्ट्स लिमिटेड (आईजीएल) के कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि अंशदान मई 2011 तक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराया गया था और उसके बाद अंशदान ऊपर वर्णित निधि में जमा कराया गया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹ 6 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया है.

The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is managed by "The Board of Trustees of IDBI Bank Employees' Provident Fund Trust (Trust)". In respect of employees of IDBI Home Finance Limited (IHFL) and IDBI Gilts Limited (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made to the aforementioned Fund. During the FY 2024-25 ₹7 Crore (Previous FY 2023-24 ₹ 6 crore) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account.

ख) नई पेंशन योजना / b) New Pension Scheme

बैंक के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 1 अप्रैल 2008 के बाद कार्यग्रहण किया है, उन्हें आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की नई पेंशन योजना (आईबीएलएनपीएस) के तहत कवर किया गया है, जिसमें बैंक वेतन एवं महँगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप में निश्चित अंशदान देता है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आईबीएलएनपीएस में ₹ 228 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹ 199 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया है.

The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by IDBI Bank Ltd. New Pension Scheme (IBLNPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the FY 2024-25, ₹ 228 Crore (Previous FY 2023-24 ₹ 199 Crore) has been contributed to IBLNPS and charged to Profit and Loss Account.

ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाएं / Defined Benefit Schemes

- क) बैंक कर्मचारियों की ग्रेच्यूटी देयता के लिए 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्यूटी फंड ट्रस्ट' में अंशदान देता है.
- The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.
- ख) बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के लिए भी पात्र हैं, जिसका प्रबंध 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा किया जाता है.
- b) Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.
- ग) इन निर्दिष्ट लाभ देयताओं के वर्तमान मूल्य तथा संबंधित चालू सेवा लागत की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि द्वारा की जाती है.
- c) The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.



- आ. निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और 31 मार्च 2025 को बैंक के वित्तीय विवरण में दर्शायी गई राशियों की स्थिति को प्रस्तुत करती है जो एएस-15(आर) के अनुसार है.
- B. The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognised in the Bank's financial statements as at March 31, 2025 which is per AS-15(R).

				(₹_	करोड़) / (₹ Crore)
विवरा		पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी
Parti	culars	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
		31 मार्च 2025	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2024
		को / As at			
		March 31, 2025	March 31, 2025	March 31, 2024	March 31, 2024
क)	लाभ दायित्वों में परिवर्तनः				
a) ĺ	Change in benefit obligations:				
	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ संबंधी दायित्व	4,246	1,037	3,793	972
	Projected benefit obligation, beginning of the year				
	ब्याज लागत / Interest cost	307	75	285	73
	चालू सेवा लागत / Current Service cost	47	32	44	31
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान व्यय की गई पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-
	(निहित लाभ)				
	Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the				
	year due to increase in limit	(225)	(75)	(0.00)	(0.5)
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(265)	(75)	(226)	(85)
	जनसांख्यिकीय अवधारणाओं में हुए बदलाव के कारण बीमांकिक	10	32	-	-
	(लाभ)/ हानि				
	Actuarial (gain)/ loss due to change in Demographic assumptions				
	वित्तीय अवधारणाओं में हुए बदलाव के कारण- दायित्व पर बीमांकिक	89	41	124	27
	(लाभ) / हानि				
	Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change				
	in Financial Assumptions				
	अनुभव के कारण - दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	103	5	226	19
	Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to				
	Experience				
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ/दायित्व	4,537	1,147	4,246	1,037
	Projected benefit/ obligation, end of the year				

नोटः 31 मार्च 2025 को अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व में वर्ष के दौरान वेतन संशोधन का प्रभाव शामिल है, जिसके लिए बैंक ने 31 मार्च 2024 तक उपदान और पेंशन से संबंधित क्रमशः ₹57 करोड़ और ₹212 करोड़ का प्रावधान किया था.

Note: The closing Defined Benefit Obligation as at March 31, 2025 includes the impact of wage revision during the year for which Bank had made a provision of ₹ 57 Crores and ₹ 212 Crores pertaining to Gratuity and Pension respectively upto March 31, 2024.

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

				कराड़) / (र Grore)
π	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी
culars	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2024
	को / As at March 31, 2025	को / As at March 31, 2025	को / As at March 31, 2024	को / As at March 31, 2024
योजना आस्तियों में परिवर्तन : Change in plan assets:				
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year	4,083	1,067	3,900	1,067
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ Expected return on plan assets	296	77	293	80
नियोक्ता का अंशदान / Employer's contributions	422	53	26	1
प्रदत्त लाभ/ / Benefits paid	(265)	(75)	(226)	(85)
अनुभव के कारण- योजना आस्तियों के बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial gain / (loss) on plan assets- due to experience	76	13	90	4
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	4,612	1,134	4,083	1,067
	Change in plan assets: वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ Expected return on plan assets नियोक्ता का अंशदान / Employer's contributions प्रदत्त लाभ/ / Benefits paid अनुभव के कारण- योजना आस्तियों के बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial gain / (loss) on plan assets- due to experience वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	Pension31 मार्च 2025को / As at March 31, 2025योजना आस्तियों में परिवर्तन :Change in plan assets:वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्यFair value of plan assets, beginning of the yearयोजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभExpected return on plan assetsनियोक्ता का अंशदान / Employer's contributionsप्रदत्त लाभ/ / Benefits paidअनुभव के कारण- योजना आस्तियों के बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial gain / (loss) on plan assets- due to experienceवर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	Culars Pension Gratuity 31 मार्च 2025 को / As at March 31, 2025 योजना आस्तियों में परिवर्तन : Change in plan assets: वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य 4,083 1,067 Fair value of plan assets, beginning of the year 296 77 योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ 296 77 Expected return on plan assets 422 53 प्रदत्त लाभ/ / Benefits paid (265) (75) अनुभव के कारण- योजना आस्तियों के बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial gain / (loss) on plan assets- due to experience 76 13 वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य 4,612 1,134	प्राच्या प्राच्या प्रमुख्या प्रमुख्

नोटः वर्ष के लिए नियोक्ता के योगदान में वित्तीय वर्ष 2023-24 में किए गए ग्रेच्युटी और पेंशन से संबंधित क्रमशः ₹ 49 करोड़ और ₹190 करोड़ का अंशदान शामिल है. Note: Employer's Contribution for the year includes contribution amounting to ₹ 49 Crores and ₹ 190 Crores pertaining to Gratuity and Pension respectively made in FY 2023-24.

1 0110	ion respectively made in 1 1 2020 24.				
ग) c)	दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets				
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at the end of the year	4,537	1,147	4,246	1,037
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets at the end of the year	4,612	1,134	4,083	1,067
	तुलन पत्र में मान्य निवल (देयता)/ आस्ति Net (Liability)/ Asset Recognized in the Balance Sheet	75	(12)	(163)	30
घ) d)	लाभ एवं हानि खाते में मान्य व्यय Expenses Recognised in Profit &Loss Account				
	सेवा लागत / Service cost	47	32	44	31
	ब्याज लागत / Interest cost	12	75	285	73
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ Expected return on plan assets	-	(77)	(293)	(80)
	निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि / Net Actuarial (gain)/ loss	125	65	260	42
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान मान्य की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	-	-	-	-
	वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की वास्तविक लागत Actual cost to P & L for the year	184	94	296	66



				(4	कराड़) / (र Crore)
विवर	ण	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी
Part	iculars	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
		31 मार्च 2025	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2024
		को / As at			
		March 31,	March 31,	March 31,	March 31,
		2025	2025	2024	2024
ङ) e)	आस्तियों की श्रेणी Category of Assets				
	सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	682	-	549	-
	कॉरपोरेट बांड / Corporate Bonds	1,024	-	1,034	-
	विशेष जमा योजना / Special Deposits Scheme	-	-	-	-
	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां / Insurer Managed Funds	2,586	1,134	2,189	1,067
	नकद और नकदी के समतुल्य / Cash and Cash equivalents	-	-	-	-
	अन्य / Others	320	-	311	-
	কুল / Total	4,612	1,134	4,083	1,067
च) f)	अगले वर्ष में अपेक्षित अंशदान Expected contribution in next year	-	43	106	3
छ) g)	लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं Assumptions used in accounting:				
	बट्टा दर / Discount rate	7.05%	6.82%	7.24%	7.21%
	योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर Rate of return on plan assets	7.05%	6.82%	7.24%	7.21%
	वेतन बढ़ोतरी दर / Salary escalation rate	5.75%	5.75%	5.75%	5.75%
ज) h)	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ Actual Return on Plan Assets				
	योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिलाभ Expected return on Plan Asset	296	77	293	80
	अनुभव के कारण- योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि) Actuarial Gains/(Losses) on Plan Assets due to experience	77	13	90	4
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ Actual Return on Plan Assets	372	90	383	84

विवरण	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	
Particulars	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity	
	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2025 को/	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2024 को	
	As at	As at	As at	As at	
	March 31, 2025	March 31, 2025	March 31, 2024	March 31, 2024	
नौकरी छोड़ने की दर Attrition Rate	4 वर्ष और उससे कम सेवा के लिए 6.00% प्रति वर्ष. 5 वर्ष और उससे अधिक सेवा के लिए 3.00% प्रति वर्ष. For service 4 years and below 6.00% p.a. For service 5 years and above 3.00% p.a.	4 वर्ष और उससे कम सेवा के लिए 6.00% प्रति वर्ष. 5 वर्ष और उससे अधिक सेवा के लिए 3.00% प्रति वर्ष. For service 4 years and below 6.00% p.a. For service 5 years and above 3.00% p.a.	4 वर्ष और उससे कम सेवा के लिए 3.60% प्रति वर्ष. 5 वर्ष और उससे अधिक सेवा के लिए 2.49% प्रति वर्ष. For service 4 years and below 3.60% p.a. For service 5 years and above 2.49% p.a	4 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा तत्पश्चात 2.49%. 3.60% for service less than 4 years and 2.49% thereafter	
मृत्यु दर Mortality Rate	(रोजगार के दौरान) भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु 2012- 14 (शहरी) (रोजगार के बाद) भारतीय व्यक्तिगत एएमटी (2012-15) (During Employment) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban) (After Employment) Indian Individual AMT (2012-15)	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)	(रोजगार के दौरान) भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु 2012-14 (शहरी) (रोजगार के बाद) भारतीय व्यक्तिगत एएमटी (2012-15) (During Employment) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban) (After Employment) Indian Individual AMT (2012-15)	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)	

बीमांकिक मूल्यांकन में विचार किये जाने वाले भावी वेतन आय वृद्धि के अनुमानों में मुद्रास्फीति, विरिष्ठता, पदोन्नित और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है. The estimates of future salary income increases considered in the actuarial valuation takes into account inflation, seniority, promotion and other relevant factor.

सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त प्रतिफल वक्र के आधार पर योजनागत आस्तियों को बाजार भाव पर दर्शाया है. अतः प्रतिलाभ की अपेक्षित दर को छूट दर के समान ही रखा गया है

The Plan assets are marked to market on the basis of the yield curve derived from government securities. Hence, the expected rate of return has been kept the same as the discount rate.

अनुभव समायोजनः / Experience Adjustments:

(i) ग्रेच्युटी योजना / Gratuity Plan

विवर्ण Particulars	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021
परिभाषित लाभ दायित्व Defined benefit obligation	1,147	1,037	972	958	938
योजना आस्तियां / Plan assets	1,134	1,067	1,067	1,023	1,003
अधिशेष/(कमी) / Surplus/(deficit)	(13)	30	95	64	66



(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments On plan liabilities [Gain / (Loss)]	5	(19)	(16)	(22)	(13)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments on plan assets [Gain / (Loss)]	13	4	3	13	(0.06)

पेंशन योजना / Pension Plan

				(₹	करोड़) / (₹ Crore)
विवरण Particulars	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021
परिभाषित लाभ दायित्व Defined benefit obligation	4,537	4,246	3,793	3,619	3,190
योजना आस्तियां / Plan assets	4,612	4,083	3,900	3,821	3,092
अधिशेष/(कमी) / Surplus/(deficit)	75	(163)	107	201	(98)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments On plan liabilities [Gain / (Loss)]	103	(227)	171	(245)	15
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments on plan assets [Gain / (Loss)]	77	90	(43)	154	41

अन्य दीर्घावधि लाभ Other long term benefits

छुट्टी नकदीकरण / बीमारी छुट्टी / विशेष बीमारी छुट्टी/ Leave Encashment/Sick Leave/ Special Sick Leave (₹ करोड़) / (₹ Crore))

विवरण Particulars	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2024
कुल बीमांकित देयता / Total Actuarial Liability	1,393	913
धारणाएं / Assumptions		
बट्टा दर / Discount Rate	6.82%	7.21%
वेतन बढ़ोतरी दर / Salary Escalation Rate	5.75%	5.75%

2. स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना / Voluntary Health Scheme

(₹ करोड़) / (₹ Crore))

विवरण Particulars	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2024
कुल बीमांकित देयता / Total Actuarial Liability	65	61
धारणाएं / Assumptions		
बट्टा दर / Discount Rate	7.05%	7.24%

3. छुट्टो किराया रियायत / Leave Fare Concession

बैंक ने अप्रयुक्त छुट्टी किराया रियायत के लिए ₹ 4 करोड़ का प्रावधान किया था. प्रावधान का निर्धारण 6.54% की छूट दर और 4% की लागत वृद्धि दर का उपयोग करके बीमांकिक रूप से किया गया था.

The Bank had made a provision towards unutilised Leave Fare Concession amounting to ₹ 4 crore. The provision was determined actuarially using a Discount Rate of 6.54% and Cost Escalation Rate of 4%.

4. परिवर्ती वेतन / Variable Pay

परिवर्ती वेतन का भुगतान अर्थात नकद घटक (यदि 25 लाख रुपये से अधिक है) और ईएसओपी घटक के बदले नकद को स्थिगत कर दिया गया तथा क्रमशः 3 और 4 वर्षों की अविध में किस्तों का भगतान किया गया.

The payment of variable pay viz. cash component (if more than ₹ 25 lakh) and cash in lieu of ESOPs component deferred and paid in tranches over a period of 3 and 4 years respectively.

इस आस्थिगित भुगतान का 6.54% की छूट दर का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है और 31 मार्च 2025 को दायित्व का कुल मूल्य ₹ 81 करोड़ है.

This deferred payment is actuarially valued using a discount rate of 6.54% and the total value of the obligation as on March 31, 2025 is ₹81 crore.

5. बैंक के कर्मचारी अशक्तता सहायता के लिए पात्र हैं जिसे अशक्तता की घटना घटित होने पर बैंक द्वारा वहन किया जाता है. Employees of the Bank are eligible for disability assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.

6. भविष्य निधि / PROVIDENT FUND

एएस 15 कर्मचारी लाभ पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया है कि नियोक्ता द्वारा स्थापित भविष्य निधि, जहाँ ब्याज की गारंटी है, को परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में माना जाना चाहिए और देयता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए. भारतीय बीमांकिक संस्थान (आईएआई) ने छूट प्राप्त भविष्य निधियों पर गारंटीकृत ब्याज दर के मूल्यांकन पर एक मार्गदर्शन नोट जारी किया है. बीमांकक ने तदनुसार इसका मूल्यांकन किया है और बैंक ने गारंटीकृत ब्याज लाभ दायित्व के वर्तमान मल्य के लिए 31 मार्च 2025 (पिछले वर्ष शन्य) को शन्य राशि का प्रावधान रखा है.

The guidance note on AS15, Employee Benefits, states that Employer established Provident Funds, where interest is guaranteed are to be considered as defined benefit plans and the liability has to be valued. The Institute of Actuaries of India (IAI) has issued a guidance note on valuation of interest rate guaranteed on exempt provident funds. The actuary has accordingly valued the same and the Bank held provision of NIL as on March 31, 2025. [Previous year NIL], towards the present value of the guaranteed interest benefit obligation.

बीमांकक ने मार्गदर्शन नोट द्वारा निर्धारित नियतात्मक दृष्टिकोण का पालन किया है.

The actuary has followed the deterministic approach as prescribed by the guidance note.

विवरण Particulars	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024
बट्टाकृत दर (भारत सरकार प्रतिभूति प्रतिफल) Discount rate (Gol Security Yield)	6.82%	7.21%
प्रत्याशित गारंटीकृत ब्याज दर / Expected Guaranteed Interest Rate	8.25%	8.25%



खंड रिपोर्टिंग (एएस-17) / Segment Reporting (AS-17)

बैंक मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन कारोबारी खंडों में परिचालन करता है:

The Bank primarily operates in three business segments as under:

i)	ट्रेजरी Treasury	ट्रेजरी परिचालनों में सभी निवेश, मुद्रा बाजार परिचालन, डेरिवेटिव का सौदा, प्रोप्राइटरी खातों में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं. Treasury operations include all investments, money market operations, derivative trading, and foreign exchange operations on the proprietary account and for customers.
ii)	खुदरा बैंकिंग Retail Banking	खुदरा बैंकिंग में मोटे तौर पर ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो मुख्य रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार सिंहत व्यक्तित्यों और लघु कारोबार उन्मुख हैं. खुदरा बैंकिंग में भुगतान एवं वैकल्पिक चैनल जैसे एटीएम, पीओएस मशीनें, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रैवल/करेंसी कार्ड और ट्रांजेक्शन बैंकिंग सेवाएं भी शामिल हैं. Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented towards individuals & small business including Priority sector lending. Retail Banking also encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, internet Banking, mobile Banking, credit cards, debit cards, travel/currency cards and transaction Banking services
iii)	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking	इसमें खुदरा के अलावा जमा एवं ऋण कार्यकलापों को कवर करने वाले कॉरपोरेट संबंध शामिल हैं. इसमें कॉरपोरेट सलाहकारी / सिंडिकेशन, परियोजना मूल्यांकन भी शामिल हैं. कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग खंड में परिणाम, राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों से संबंधी नियोजित पूंजी शामिल की जाती है. Includes corporate relationship covering deposit & credit activities other than retail. It also covers corporate advisory / syndication, project appraisal. Results, revenue and capital employed of international operations are included in Corporate/Wholesale Banking segment.
iv)	अविनिधानित Unallocated	इसमें प्रावधान को घटाकर निवल अग्रिम प्रदत्त कर, आस्थगित कर और संस्था स्तर पर गणना किए गए प्रावधानों जैसी मदें शामिल हैं. Includes items such as tax paid in advance net of provision, deferred tax and provisions to the extent reckoned at the entity level.

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	समाप्त व Year End	• •
		31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024
क./a.	खंड राजस्व / Segment Revenue		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	8,695	8,405
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	34,369	30,507
	ट्रेजरी / Treasury	14,391	13,362
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	206	213
	अविनिधानित / Unallocated	819	87
	कुल / TOTAL	58,480	52,574
	घटाएं : अंतर खंड राजस्व / Less : Inter-segment revenue	24,654	22,537
	निवल खंड राजस्व / Net Segment Revenue	33,826	30,037

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	विवरण Particulars	समाप्त र Year End	
		31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024
ख. b.	खंड परिणाम- कर पूर्व लाभ / (हानि) Segment Results-Profit/(loss) before tax		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	2,165	3,368
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	5,125	2,408
	ट्रेजरी / Treasury	2,311	2,179
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	189	152
	अविनिधानित / Unallocated	778	88
	कर पूर्व लाभ / (हानि) / Profit/(Loss) before tax	10,568	8,195
	आय कर / Income taxes	3,053	2,561
	निवल लाभ / (हानि) / Net profit/(Loss)	7,515	5,634
π / c	खंड आस्तियां / Segment assets		
1.70.	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	65,711	50,533
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	1,66,330	1,40,654
	ट्रेजरी / Treasury	1,72,749	1,60,576
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	33	23
	अन्य बाक्रम पारपालन / Other banking operations अविनिधानित आस्तियां / Unallocated assets	6,838	11,792
		4,11,661	3,63,578
	कुल आस्तियां / Total assets	4,11,001	3,03,370
घ / d.	खंड देयताएं / Segment liabilities	20 506	06.664
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	38,506	26,664
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	2,81,850	2,65,935
	ट्रेजरी / Treasury	31,050	21,098
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	4	(1)
	अविनिधानित आस्तियां / Unallocated liabilities	-	-
	कुल देयताएं / Total liabilities	3,51,410	3,13,696
ङ e.	पूंजी नियोजित (खंड आस्तियां - खंड देयताएं) Capital employed (Segment assets-Segment liabilities)		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	27,206	23,870
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	(1,15,520)	(1,25,282)
	ट्रेजरी / Treasury	1,41,698	1,39,478
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	29	24
	अविनिधानित / Unallocated	6,838	11,792
	कुल / Total	60,251	49,882



- रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार और लागू लेखा मानक (एएस) 17, 'खंड रिपोर्टिंग' के अनुपालन में, रिपोर्ट करने योग्य खंडों को टेजरी. कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग. खदरा बैंकिंग और अन्य बैंकिंग परिचालनों के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है. संपर्ण निवेश पोर्टफोलियो और संबंधित आय/ व्यय को ट्रेजरी खंड के अंतर्गत पुन:समृहीकृत किया गया है.
 - As per extant RBI guidelines and in compliance with the applicable Accounting Standard (AS) 17, 'Segment Reporting', reportable segments are identified as Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and other banking operations. Entire investments portfolio and corresponding income/expenses have been regrouped under the Treasury Segment.
- योजनाओं एवं सेवाओं के स्वरूप और जोखिम प्रोफ़ाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफ़ाइल, संगठन संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद इन खंडों की पहचान उक्त लेखा मानक (एएस) के अनुरूप की गई है.
 - These segments have been identified in line with the said Accounting Standard (AS) after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.
- 'खंड परिणाम' निर्धारित करने में, बैंक द्वारा अपनाई गई निधि अंतरण मुल्य तंत्र का इस्तेमाल किया गया है. In determining 'Segment Results', the funds transfer price mechanism adopted by the Bank has been used.
- परिणाम, राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों में नियोजित पूंजी को कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग खंड में शामिल किया जाता है. Results, Revenue and Capital Employed of International operations are included in Corporate/Wholesale Banking
- व्यावसायिक खंडों की पहचान और रिपोर्टिंग लक्षित ग्राहक प्रोफ़ाइल, योजनाओं एवं सेवाओं की प्रकृति, विभिन्न जोखिमों और प्रतिलाभ, संगठन संरचना, आंतरिक व्यापार रिपोर्टिंग प्रणाली और रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए की गई है.
 - Business Segments have been identified and reported taking into account the target customer profile, the nature of products and services, the differing risks and returns, the organisation structure, the internal business reporting system and the guidelines prescribed by the RBI.
- 7 अप्रैल 2022 के रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, डिजिटल बैंकिंग को खुदरा बैंकिंग के भाग के रूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां अभी तक चालू नहीं हैं.
 - As per RBI circular dated April 7, 2022, Digital Banking to be reported as part of Retail Banking. Digital Banking Units are not yet operational in IDBI Bank Ltd.
- खंड राजस्व में बैंक द्वारा अनुसरण की गई निधि अंतरण कीमत निर्धारण प्रणाली के अनुसार संगणित अंतर-खंड राजस्व शामिल है.
 - The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per Fund Transfer Pricing system followed by the
- बैंक मुख्य रूप से भारत में परिचालन करता है, अतः बैंक ने माना है कि इसका परिचालन मुख्य रूप से देशी खंड में होते हैं और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.
 - The Bank primarily operates in India, hence the Bank has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18) / RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18) 5.

- ı. प्रवर्तक : / Promoter:
 - भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) / Life Insurance Corporation of India (LIC)
- II. सहायक संस्थाएं : / Subsidiaries:
 - आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड / IDBI Capital Markets & Securities Ltd.
 - आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड / IDBI Intech Ltd.
 - आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड / IDBI Mutual Fund Trustee Company Ltd.
 - आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड / IDBI Asset Management Ltd.
 - आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड / IDBI Trusteeship Services Ltd.

III. सहयोगी संस्थाएं / Associates:

- बायोटेक कॉन्सोर्शियम इंडिया लिमिटेड / Biotech Consortium India Ltd.
- नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड / National Securities Depository Ltd
- नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड / North Eastern Development Finance Corporation Ltd
- पोंडीचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीआईपीडीआईसीएल) /Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd. (PIPDICL)

IV. एलआईसी समूह कंपनियां / LIC Group Companies:

- एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सहयोगी / LIC Housing Finance Ltd Associate
- एलआईसी म्यचअल फंड एएमसी लिमिटेड सहयोगी / LIC Mutual Fund AMC Ltd. Associate
- एलआईसी म्यूच्अल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सहयोगी / LIC Mutual Fund Trustee Co. Pvt. Ltd. Associate
- एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड सहयोगी / LICHFL Asset Management Company Ltd. Associate
- एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड सहायक / LIC Pension Fund Ltd. Subsidiary
- एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड सहायक / LIC Card Services Ltd. Subsidiary
- एलआईसी (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड सहायक / LIC (Singapore) Pte Ltd. Subsidiary
- एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड सहायक / LIC (Nepal) Ltd. Subsidiary
- एलआईसी इंटरनेशनल बीएससी (सी) बहरीन सहायक / LIC INTERNATIONAL BSC (C) BAHRAIN Subsidiary
- एलआईसी (लंका) लिमिटेड सहायक / LIC (Lanka) Ltd. Subsidiary
- एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड सहायक / LIC Of BANGLADESH LTD. Subsidiary

V. बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक / Key management personnel of the Bank:

- श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ / Shri Rakesh Sharma, MD & CEO
- श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, उप प्रबंध निदेशक (5 अप्रैल 2023 तक)
 Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD (upto April 5, 2023)
- श्री सुरेश किशनचंद खटनहार, उप प्रबंध निदेशक (14 जनवरी 2024 तक)
 Shri Suresh Kishanchand Khatanhar, DMD (upto January 14, 2024)
- श्री जयकुमार एस. पिल्लै, उप प्रबंध निदेशक (12 जून 2023 से)
 Shri Jayakumar S. Pillai, DMD (From June 12, 2023)
- श्री सुमित फक्का, उप प्रबंध निदेशक (15 जुलाई 2024 से)
 Shri Sumit Phakka, DMD (From July 15,2024)
- श्रीमती स्मिता हरीश कुबेर, कार्यपालक निदेशक एवं सीएफओ
 Smt. Smita Harish Kuber, Executive Director & CFO
- श्रीमती ज्योति नायर, कंपनी सचिव / Smt. Jyothi Nair, Company Secretary

VI केएमपी के रिश्तेदार और उनकी हितबद्ध संस्थाएं / Relative of KMP & their interested entities:

. श्रीमती अनिता शर्मा, श्री हर्षवर्धन शर्मा, श्री पार्थ शर्मा, श्रीमती करुन्या पुली गद्दा, श्री राजेश कुमार लव, श्रीमती आशा गोस्वामी, श्रीमती निधि शर्मा, श्रीमती शैलजा कौशल, डॉ. मुथुलक्ष्मी रामास्वामी, श्री सैम्युअल जॉर्ज स्टीफन जेबराज, श्रीमती मैरी जेबराज, श्री गेब्रियल स्टीफन राम्याकुमार सैम्युअल, इवांगेलिन मैरी किरूबा सैम्युअल, जॉन अलेक्जेंडर जेबराज, शांति लावण्या पॉल, इवांगेलिन सिंधिया राजकुमार, श्रीमती विदिशा सुरेश खटनहार, श्री किशनचंद खटनहार, श्रीमती रजनी खटनहार, श्री लवेश खटनहार, श्री रमेश खटनहार, श्रीमती पूनम करणी, श्रीमती सीतालक्ष्मी आर, श्री जे सुब्रमण्यम पिल्लै, श्रीमती पद्मावती अम्मल, श्री अरिवंद जयन, कु. नंदना जयन, श्री पद्मकुमार एस, रानी पीएस, श्रीमती निमता फक्का, श्रीमती उर्मिला फक्का, सुश्री अनुष्का सूद, संगीता सूद, निमशा अरोड़ा, श्री हरीश विनायक कुबेर, श्री दत्तात्रेय जे. पाध्ये, श्रीमती शुभांगी डी. पाध्ये, विन्मयी एच. कुबेर, श्री जितेंद्र डी. पाध्ये, श्रीमती भावना एच. पापट, श्री बीजू नायर, श्री कुट्टी कृष्णन नायर, श्रीमती देवी के नायर, अदित्री नायर, प्रीति जावजी, रेति नायर.

Smt. Anita Sharma, Shri. Harshvardhan Sharma, Shri Parth Sharma, Smt. Karunya Puli Gadda, Shri.Rajesh Kumar Lav, Smt. Asha Goswami, Smt. Nidhi Sharma, Smt. Shailja Kaushal, Dr. Muthulakshmi Ramaswamy, Shri Samuel George Stephen Jebaraj, Smt. Mary Jebaraj, Shri Gabriel Stephen Ramyakumar Samuel, Evangeline Mary Kiruba Samuel, John Alexander Jebaraj, Shanthi Lavanya Paul, Evangeline Cynthia Rajkumar, Smt. Vidisha Suresh



Khatanhar, Shri Kishinchand Khatanhar, Smt. Rajni Khatanhar, Shri Lavesh Khatanhar, Shri Ramesh Khatanhar, Smt. Poonam Karani, Smt. Seethalekshmy R, Shri J Subramonia Pillai, Smt. Padmavathy Ammal, Shri Aravind Jayan , Kum. Nandana Jayan , Shri Padmakumar S , Rani PS , Smt. Namita Phakka, Smt. Urmila Phakka, Ms. Anushka Sood, Sangita Sood, Nimisha Arora, Shri Harish Vinayak Kuber, Shri Dattatraya J. Padhye, Smt. Shubhangi D. Padhye, Chinmayee H. Kuber, Shri Jitendra D. Padhye Smt. Bhavna H. Papat, Shri Biju Nair, Shri Kutty Krishnan Nair, Smt. Devi K Nair, Aditri Nair, Preethi Javaji, Rethi Nair.

संस्थाएं जिनमें केएमपी/केएमपी के रिश्तेदारों का हित है - एसआईआरएफ इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. एवं सोशल फुटप्रिंट प्रा. लि., कोजेंट मीडिया लैब्स, निको मीडिया स्टुडिओ एलएलपी एंड सीएसए सर्वाईवर फाउंडेशन Entities in which KMPs/Relatives of KMPs have Interest - SIRF Investment Pvt. Ltd. & Social Footprint Pvt. Ltd. Cogent Media Labs, Nico Media Studio LLP & CSA Survivor Foundation.

संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए लेन-देनों का विवरण अ.

- A. **Details of transactions with Related Parties**
 - 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के दौरान संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन/ शेषराशियां i. Transactions/ balances with related parties during the Period ended Mar 31, 2025

(₹ करोड़) / (₹ Crore) मुख्य प्रबंधकीय विवरण प्रवर्तक * संयुक्त उद्यम सहयोगी सहायक Particulars Promoter* Total कंपनियां # कार्मिक \$@ संस्थाएं .loint **Subsidiaries** Ventures Associates# Management Personnel^{\$@} वर्ष के दौरान बकाया उधार Borrowings Outstanding during the year वर्ष के दौरान बकाया उधार की अधिकतम राशि Maximum amount of borrowings Outstanding during the year जमाराशि का नियोजन Placement of deposit 8,187 319 104 8.610 31 मार्च 2025 को बकाया जमा राशियां Deposits Outstanding as on March 31, 2025 8,395 617 175 9.187 वर्ष के दौरान बकाया जमाराशियों की अधिकतम राशि Maximum amount of Deposits Outstanding during the year 0.03 29 29.03 31 मार्च 2025 को बकाया अन्य देयताएं Other Liabilities Outstanding as on March 31, 2025 वर्ष के दौरान अन्य बकाया देयताओं की अधिकतम राशि 0.09 79 79.09 Maximum amount of Other Liabilities Outstanding during the year 307 37 344 बकाया निवेश Investments Outstanding 307 37 344 बकाया अधिकतम निवेश Maximum investments Outstanding 950 950 31 मार्च 2025 को अग्रिम Advances as on March 31, 2025 995 950 45 वर्ष के दौरान अधिकतम अग्रिम Maximum Advances During the year

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

					(र करा	5) / (c Clole)
विवरण Particulars	प्रवर्तक * Promoter*	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी कंपनियां [#] Associates [#]	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक ^{\$@} Key Management Personnel ^{\$®}	कुल Total
31 मार्च 2025 को प्राप्य बकाया Receivable Outstanding as on March 31, 2025	12	2	-	-	-	14
वर्ष के दौरान प्राप्य बकाया की अधिकतम राशि Maximum amount of receivable Outstanding during the Year	13	10	-	-	-	23
जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	1	20	-	5	-	26
पारिश्रमिक Remunerations	-	-	-	-	12	12
से सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यय Expenses for receiving services from	8	107	-	1	-	116
को प्रदान की गई सेवाओं से आय Income from services rendered to	126	13	-	-	-	139
अग्रिमों पर ब्याज आय Interest Income on Advances	59	3	-	-	-	62
उधारों पर ब्याज व्यय Interest Expense on borrowings	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 को बकाया गैर-निधिक प्रतिबद्धताएं Non-Funded Commitments outstanding as on March 31, 2025	10	12	-	0.37		22
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधिक प्रतिबद्धताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Non-Funded Commitments outstanding during the year	10	14	<u>-</u>	0.37		24

[#] पीआईपीडीआईसीएल के संबंध में, बैंक को कंपनी से कोई वित्तीय विवरण और लेनदेन विवरण प्राप्त नहीं हुआ है. अतः उपर्युक्त में जानकारी समेकित नहीं है. बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में निवेश को बड़े खाते डालकर एक रुपया कर दिया है.

बैंक के पास नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 26.10% हिस्सा है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने 06 अक्तूबर 2023 के पत्र के माध्यम से, अधिक्य शेयरधारिता के वास्तिवक विनिवेश तक, एनएसडीएल में बैंक की 14.99% से अधिक शेयरधारिता के संबंध में वोटिंग अधिकार और सभी कॉर्पोरेट कार्रवाइयों को प्रतिबंधित कर दिया. तथापि, प्रचुर प्रकटीकरण के हित में और विधिक विशेषज्ञ की राय के आधार पर, बैंक ने बैंक द्वारा विभिन्न सांविधिक फाइलिंग के तहत एनएसडीएल को एक 'सहयोगी कंपनी' के रूप में मान्यता देना जारी रखने का निर्णय लिया है और नवीनतम उपलब्ध सीमित समीक्षा के वित्तीय विवरणों अर्थात् 31 दिसंबर 2024 को समाप्त नौ महीने की अविध के एनएसडीएल के वित्तीय परिणामों को समेकित किया है.

The Bank holds 26.10% of the paid-up equity share capital of National Securities Depository Ltd (NSDL). The Securities Exchange Board of India, vide letter dated October 06, 2023 restricted the voting rights and all corporate actions in respect of bank's shareholding in NSDL in excess of 14.99%, until the actual divestment of the excess shareholding. However, in the interest of abundant disclosure and based on a legal expert's opinion, the Bank has decided to continue to recognize NSDL as an 'associate company' under the various statutory filings by the Bank and has consolidated financial results of NSDL based on the latest available limited reviewed financial statements, i.e. as at and up to the period of nine months ended December 31, 2024.

^{*} In respect of PIPDICL, the Bank has not received any financial statements & transactions details from the company hence information not consolidated in above. The Bank has written down investment in PIPDICL to Rupee one..

^{\$} एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेनदेन को प्रकट नहीं किया गया है.

[§] In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.



- मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ एक समग्र पुल के हिस्से के रूप में अर्जित किए जाते हैं और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों पर आबंटित नहीं किए जाते हैं. Retiral Benefits for key managerial personnel are accrued as a part of an overall pool and are not allocated against key managerial personnel..
- पुर्णकालिक निदेशकों/ मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/ महत्वपुर्ण जोखिम लेने वालों और नियंत्रण कार्य करने वाले स्टाफ को क्षतिपुर्ति के बारे में दिनांक 4 नवंबर 2019 2) के रिजर्व बैंक परिपत्र आरबीआई/2019-20/89 डीओआर.एपीपीटी. बीसी.सं. 23/29.67.001/2019-20 के अनुसार. In accordance with RBI Circular RBI/2019-20/89 DOR.Appt.BC.No.23/29.67.001/2019-20 dated November 4, 2019 on Compensation of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers and Control Function staff

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए परिवर्ती वेतन (नकद घटक) हेतु कुल ₹ 2.04 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹ 1.16 करोड़) का भुगतान किया गया था. For the FY 2024-25, total amount of ₹ 2.04 Crore (previous year ₹ 1.16 crore) was paid for variable pay (cash component).

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन/ शेष राशियां Transactions/ balances with related parties during the year ended March 31, 2024

(₹ करोड़) / (₹ Crore) मुख्य प्रबंधकीय विवरण प्रवर्तक * सहायक संयक्त उद्यम सहयोगी **Particulars** Promoter* कार्मिक s@ Total संस्थाएं संस्थाएं# Joint Subsidiaries Associates Ventures Management Personnel \$@ 31 मार्च 2024 को बकाया उधार Borrowings Outstanding as on March 31, 2024 वर्ष के दौरान बकाया उधार की अधिकतम राशि Maximum amount of borrowings Outstanding during the year जमाराशि का नियोजन Placement of deposit 31 मार्च 2024 को बकाया जमाराशियां 4.696 292 61 5.049 Deposits Outstanding as on March 31, 2024 23,524 959 219 24,702 वर्ष के दौरान बकाया जमाराशियों की अधिकतम राशि Maximum amount of Deposits Outstanding during the year 31 मार्च 2024 को बकाया अन्य देयताएं 0.10 34 34 Other Liabilities Outstanding as on March 31, 2024 0.11 91 91 वर्ष के दौरान बकाया अन्य देयताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Other Liabilities Outstanding during the year 308 37 345 31 मार्च 2024 को बकाया निवेश Investments Outstanding as on March 31, 2024 37 345 बकाया अधिकतम निवेश 308 Maximum investments Outstanding 500 45 545 31 मार्च 2024 को अग्रिम Advances as on March 31, 2024 503 45 548 वर्ष के दौरान अधिकतम अग्रिम Maximum Advances During the year 14 1 15 31 मार्च 2024 को प्राप्य बकाया Receivable Outstanding as on March 31, 2024

^{*&#}x27;प्रवर्तक' में प्रवर्तक समह कंपनियां शामिल हैं

^{*&#}x27;Promoter' includes Promoter Group Companies

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

					(۲ 4	राड़) / (र Crore)
विवरण Particulars	प्रवर्तक * Promoter*	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी संस्थाएं [#] Associates [#]	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक ^{s@} Key Management Personnel ^{s®}	কুল Total
वर्ष के दौरान प्राप्य बकाया की अधिकतम राशि Maximum amount of receivable Outstanding during the Year	17	8	-	-	-	26
जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	1	14	-	36	-	51
पारिश्रमिक / Remunerations	-		-	-	10	10
से सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यय Expenses for receiving services from	7	92	-	1	-	101
को प्रदान की गई सेवाओं से आय Income from services rendered to	102	14	-	-	-	116
अग्रिमों पर ब्याज आय Interest Income on Advances	11	3	-	-	-	14
उधारों पर ब्याज व्यय Interest Expense on borrowings	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधिक प्रतिबद्धताएं Non-Funded Commitments outstanding during the year		12	-			12
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधिक प्रतिबद्धताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Non-Funded Commitments outstanding during the year	-	12	-	-		12

^{&#}x27;प्रवर्तक' में प्रवर्तक समूह की कंपनियां शामिल है.

बैंक के पास नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 26.10% हिस्सा है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने 06 अक्तूबर 2023 के पत्र के माध्यम से, आधिक्य शेयरधारिता के वास्तविक विनिवेश तक, एनएसडीएल में बैंक की 14.99% से अधिक शेयरधारिता के संबंध में वोटिंग अधिकार और सभी कॉरपोरेट कार्रवाइयों को प्रतिबंधित कर दिया. तथािप, प्रचुर प्रकटीकरण के हित में और विधिक विशोषज्ञ की राय के आधार पर, बैंक ने बैंक द्वारा विभिन्न सांविधिक फाइलिंग के तहत एनएसडीएल को एक 'सहयोगी कंपनी' के रूप में मान्यता देना जारी रखने का निर्णय लिया है और नवीनतम उपलब्ध सीमित समीक्षा के वित्तीय विवरणों अर्थात 31 दिसंबर 2023 को समाप्त नौ महीने की अविध के एनएसडीएल के वित्तीय परिणामों को समेकित किया है.

The Bank holds 26.10% of the paid-up equity share capital of National Securities Depository Ltd (NSDL). The Securities Exchange Board of India, vide letter dated October 06, 2023 restricted the voting rights and all corporate actions in respect of bank's shareholding in NSDL in excess of 14.99%, until the actual divestment of the excess shareholding. However, in the interest of abundant disclosure and based on a legal expert's opinion, the Bank has decided to continue to recognize NSDL as an 'associate company' under the various statutory filings by the Bank and has consolidated financial results of NSDL based on the latest available limited reviewed financial statements, i.e. as at and up to the period of nine months ended December 31, 2023.

^{*&}quot;Promoter' includes Promoter Group Companies

[#] पीआईपीडीआईसीएल के संबंध में बट्टे खाते डालकर,बैंक को कंपनी से कोई वित्तीय विवरण और लेनदेन विवरण प्राप्त नहीं हुआ है. अतः उपर्युक्त में जानकारी समेकित नहीं है. बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में निवेश को एक रुपया कर दिया है.

^{*} In respect of PIPDICL, the Bank has not received any financial statements & transactions details from the company hence information not consolidated in above. The Bank has written down investment in PIPDICL to Rupee one.

[®] एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेनदेन को प्रकट नहीं किया गया है.

[§] In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.



® 1) मुख्य प्रबंधकीय किए सेवानिवृत्ति लाभ एक समग्र पूल के हिस्से के रूप में अर्जित किए जाते हैं और प्रमुख प्रबंधकीय किपयों पर आबंटित नहीं किए जाते हैं. Retiral Benefits for key managerial personnel are accrued as a part of an overall pool and are not allocated against key managerial personnel.
2) पूर्णकालिक निदेशकों/ मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/ महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों और नियंत्रण कार्य करने वाले स्टाफ को क्षितपूर्ति के बारे में दिनांक 4 नवंबर 2019 के रिजर्व बैंक परिपत्र आरबीआई/2019-20/89 डीओआर.एपीपीटी. बीसी.सं. 23/29.67.001/2019-20 के अनुसार.

In accordance with RBI Circular RBI/2019-20/89 DOR.Appt.BC.No.23/29.67.001/2019-20 dated November 4, 2019 on Compensation of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers and Control Function staff

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए परिवर्ती वेतन (नकद घटक) हेतु कुल ₹ 1.16 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹ 1.48 करोड़) का भुगतान किया गया था.. For the FY 2023-24, total amount of ₹ 1.16 Crore (previous year ₹ 1.48 crore) was paid for variable pay (cash component).

ii. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक ₹ 12.24 करोड़ है.
Remuneration paid to Key Management Personnel during the Period ended March 31, 2025 is ₹ 12.24 crore.

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

			(* 1.49), (* 81818)	
क्र. सं. S. No.	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24	
1	श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ. Shri Rakesh Sharma, Managing Director & CEO	6.18	5.00	
2	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, उप प्रबंध निदेशक (5 अप्रैल 2023 तक). Shri Samuel Joseph Jebaraj, Deputy Managing Director (upto April 5, 2023)	l l		
3	श्री सुरेश किशनचंद खटनहार, उप प्रबंध निदेशक (14 जनवरी 2024 तक). Shri Suresh Kishanchand Khatanhar, Deputy Managing Director (upto January 14, 2024)	0.01	1.89	
4	श्री जयकुमार एस. पिल्लै, उप प्रबंध निदेशक (12 जून 2023 से) Shri Jaya kumar S Pillai, Deputy Managing Director (From June 12, 2023)	2.78	0.69	
5	श्री सुमित फक्का, उप प्रबंध निदेशक Shri Sumit Phakka, Deputy Managing Director (From July 15, 2024)	1.90	0.00	
6	श्रीमती स्मिता हरीश कुबेर, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Smt. Smita Harish Kuber, Executive Director & Chief Financial Officer	0.89	0.74	
7	श्रीमती ज्योति नायर, कंपनी सचिव Smt. Jyothi Nair, Company Secretary	0.48	0.41	
	कुल / Total	12.24	9.93	

नोटः वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए परिवर्ती वेतन ₹ 2.04 करोड़ का भुगतान किया गया और वित्तीय वर्ष 2024-25 के उनके पारिश्रिमिक में शामिल नहीं किया गया है.

Note: Variable pay for FY 2023-24 ₹ 2.04 crore paid to Key Management Personnel during the FY 2024-25 and is not included in their remuneration for FY 2024-25.

6. पट्टे (एएस-19) / Leases (AS-19)

- प्रकटीकरण पट्टेदार के रूप में पट्टे पर लिया गया परिसर Disclosure - As Lessee Premises taken on lease
 - क) पट्टा / किराए पर ली गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय/रद्द करने योग्य होती है.
 - a) The Properties taken on lease/rental basis are renewable/cancellable at the option of the Bank.
 - ख) बैंक द्वारा लिए गए लीज सहमत अवधि के लिए होते हैं जिसमें लीज अवधि के दौरान भी पारस्परिक रूप से सहमत कैलेंडर माह का लिखित नोटिस देकर लीज को समाप्त करने के विकल्प होता है.
 - b) The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed calendar month notice in writing.

- ग) नवीकरण और वृद्धि खंड की शर्तें वे हैं जो सामान्य रूप से ऐसे करारों में प्रचलित हैं. करारों में कोई अनुचित प्रतिबंध या दुर्वह खंड नहीं है.
- c) The terms of renewal and escalation clauses are those normally prevalent in similar agreements. There are no undue restrictions or onerous clauses in the agreements.
- घ) परिचालनगत पट्टे के लिए भुगतान किए गए पट्टा किराए को उस वर्ष में जिससे वह संबंधित है, लाभ -हानि खाते में दर्शाया जाता है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लाभ एवं हानि खाते में दर्ज लीज किराया ₹ 399 करोड़ (पिछले वर्षः ₹ 458 करोड़) है.
- d) Lease rent paid for operating leases are recognised in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognised in Profit & Loss account during the FY 2024-25 is ₹ 399 crore (Previous Year: ₹ 458 crore).

II. प्रकटीकरण - पट्टाकर्ता के रूप में: पट्टे पर दिए गए परिसरों के विवरण Disclosure - As Lessor: Details of Premises given on lease

पट्टा व्यवस्था का सामान्य विवरणः

General Description of the leasing arrangement:

- क) पटटे/किराये के आधार पर दी गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय/रद्द करने योग्य हैं.
- a) The Properties given on lease/rental basis are renewable/cancellable at the option of the Bank.
- ख) बैंक द्वारा किये गये पट्टा करार सहमति अवधि के लिए हैं, जिसमें लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत कैलेंडर माह का नोटिस देकर पट्टा अवधि के दौरान भी पट्टे को समाप्त करने का विकल्प है.
- b) The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed calendar month notice in writing.
- ग) नवीकरण और वृद्धि की शर्तें वहीं हैं जो ऐसे समान करारों में प्रचलित होती हैं. करारों में कोई अनुचित प्रतिबंध या दुर्वह खड नहीं हैं.
- c) The terms of renewal and escalation clauses are those normally prevalent in similar agreements. There are no undue restrictions or onerous clauses in the agreements.
- घ) पट्टे पर दिए गए परिसरों के विवरण नीचे दिए गए हैं:
- d) The details of premises given on lease as below:

(₹ करोड) / (₹ Crore)

विवर्ण Particulars	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
कुल लागत / Total Cost	133	115
अवलिखित मूल्य / Written Down Value	132	104
संचित मूल्यहास / Accumulated Depreciation	1	11
वर्ष के दौरान मूल्यहास / Depreciation during the year	6	5
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन / Revaluation during the year	33	-
31 मार्च को पुनर्मूल्यन रिजर्व Revaluation Reserve as on March 31 st	129	101

नोटः उपरोक्त आंकड़े पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के आधार पर आनुपातिक राशि दर्शाते हैं.

Note: The above figures reflect the proportionate amount on the basis of area given on lease.



प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)(एएस-20) अ) Earnings Per Share (EPS) (AS-20) (A)

विवर्ण Particulars	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ/ (हानि) (₹ करोड़) Net profit/ (loss) considered for EPS calculation (₹ crore)	7,515	5,634
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares outstanding at the end of the financial year	1075,24,02,175	1075,24,02,175
मूल ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Basic EPS	1075,24,02,175	1075,24,02,175
जोड़ें : मंजूर किए गए ईसॉप का न्यूनीकृत प्रभाव Add: Dilutive impact of ESOP granted	0	0
न्यूनीकृत ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	1075,24,02,175	1075,24,02,175
र्डपीएस(मूल) (₹) / EPS (Basic) (₹)	6.99	5.24
र्डपीएस (न्यूनीकृत) (₹) / EPS (Diluted) (₹)	6.99	5.24
प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹) / Face value per Equity share (₹)	10.00	10.00

7. (आ)/(B) লাभাঁয়া / Dividend

निदेशक मंडल ने 28 अप्रैल 2025 को संपन्न अपनी बैठक में ₹ 2.10 प्रति शेयर (पिछले वर्ष - ₹ 1.5 प्रति शेयर) का लाभांश प्रस्तावित किया, जो आगामी वार्षिक महासभा में सदस्यों के अनमोदन के अधीन है.

The Board of Directors at its meeting held on April 28, 2025, proposed a dividend of ₹ 2.10 per share (previous year - ₹ 1.5 per share), subject to approval of the members at the ensuing Annual General Meeting.

लेखा मानक (एएस)4 के अनुसार ''तुलन पत्र की तारीख के बाद घटित आकस्मिकताओं और घटनाओं'' के संदर्भ में बैंक ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते से ₹ 2258 करोड के प्रस्तावित लाभांश को विनियोजित नहीं किया है . तथापि 31 मार्च 2025 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना में पंजीगत निधयों के निर्धारण में प्रस्तावित लाभांश के प्रभाव की गणना की गई है.

In terms of Accounting Standard (AS) 4 "Contingencies and Events occurring after the Balance Sheet date" the Bank has not appropriated proposed dividend aggregating to ₹ 2258 crore from the Profit and Loss account for the year ended March 31, 2025. However, the effect of the proposed dividend has been reckoned in determining capital funds in the computation of Capital Adequacy Ratio as on March 31, 2025.

वर्ष के दौरान बैंक ने प्रति शेयर ₹ 1.5 का लाभांश दिया था जिसे 23 जुलाई 2024 को संपन्न वार्षिक महासभा में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था.

During the year, the Bank had paid dividend of ₹ 1.5 per share which was approved by the members at the Annual General Meeting held on July 23, 2024

8. आय पर करों के लिए लेखांकन(एएस-22) / Accounting for Taxes on Income (AS-22)

समय अंतराल के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियों एवं आस्थगित कर देयता के घटक निम्नानुसार हैं:

The components of Deferred Tax Asset and Deferred Tax Liability arising out of timing difference are as follows:

(₹ करोड) / (₹ Crore))

			(< कराड़) / (< Crore))
विवरण Particulars	मार्च 2025 को As at March 2025	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए घट-बढ़ Movement for the year ended March 31, 2025	मार्च 2024 को As at March 2024
आस्थगित कर आस्ति / Deferred Tax Asset			
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनर्जक आस्तियों से संबंधित अस्वीकृति तथा अन्य प्रावधानों की अनुमति नहीं है Disallowance related to NPA and other provisions not allowed under Income Tax Act, 1961	1,370	(508)	1,878
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी और 35डी के अधीन अस्वीकृति Disallowance u/s 43B and 35D of Income Tax Act, 1961	437	96	341
अनवशोषित मूल्यहास Unabsorbed depreciation	0	(75)	75
कारोबार में हानि / Business Loss	4,505	(2,451)	6,956
अचल आस्तियों पर मूल्यहास Depreciation on fixed assets	25	7	18
कुल (अ) / Total (A)	6,337	(2,930)	9,268
आस्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability			
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिजर्व Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	308	0	308
एएफएस रिजर्व में जमा किए गए निवेशों की निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यहास पर आस्थगित आय कर देयता (डीटीएल) Deferred Income Tax Liability (DTL) on net appreciation/depreciation of Investments credited to AFS Reserve	48	48	0
कुल (आ) / Total (B)	356	48	308
आस्थगित कर आस्ति /(देयता)/(निवल)(अ)-(आ) Deferred tax asset/ (liability) (net) (A) – (B)	5,982	(2,978)*	8,960

^{*} लाभ-हानि खाते में निवल नामे ₹2916 करोड़ है; तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नए निवेश दिशानिर्देशों में परिवर्तन के कर प्रभाव के कारण सामान्य रिजर्व में नामे ₹14 करोड़ है और एएफ़एस रिजर्व में नामें ₹48 करोड़ है.

बैंक कारोबार हानि सहित आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) को इसके रिवर्सल होने की आभाषी निश्चितता को ध्यान में रखते हुए दर्ज करता है.

Bank is recognizing deferred tax asset (DTA) including that on business loss keeping in view the virtual certainty of its reversal.

^{*} The net debit to Profit and loss account is ₹ 2916 crore; and debit to the general reserve ₹ 14 crore on account of tax impact on transition to new investment guidelines prescribed by Reserve Bank of India and debited to AFS Reserve is ₹ 48 crore.



कराधान के लिए प्रावधान / Provision of Taxation

(₹ करोड़) / (₹ Crore))

		(* 1. (19)7 (* 01010))
विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
Particulars	समाप्त वर्ष के लिए	समाप्त वर्ष के लिए
	Year ended	Year ended
	March 31, 2025	March 31, 2024
आयकर के लिए प्रावधान - वर्तमान कर/ Provision for Income Tax - Current Tax	137#	(O)##

आवास संपत्ति से आय पर ₹ 141 करोड का और अन्य स्नोतों से आय पर ₹858 करोड की आय का प्रावधान सुजन किया. जिसे ₹ 297 करोड के अनवशोषित मुल्यहास के विरूद्ध आंशिक रूप से समायोजित किया गया है. कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 4 करोड़ की आयकर वापसी प्राप्तियों के कारण प्रावधान को रिवर्स किया गया.

#Creation of provision of ₹ 141 crore on Income from House Property and Other sources amounting to ₹ 858 crore which is partially set off against carried forward unabsorbed depreciation of ₹ 297 crore. Reversal of provision on account of receipts of income Tax Refund ₹ 4 crore for AY 2016-17

वित्तीय वर्ष 2024 के लिए आयकर हेत कोई प्रावधान नहीं किया गया.

#No provision for Income Tax made for the FY 2024.

9. परिचालन बंद करना (एएस-24) / Discontinuing Operations (AS-24)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा का परिचालन बंद नहीं किया है, जिसके कारण देयता घटी है और आस्तियों की प्राप्ति हुई है और किसी भी परिचालन को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है जिससे उपर्युक्त पर प्रभाव पड़ेगा.

During the FY 2024-25, the Bank has not discontinued operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realisation of the assets and no decision has been finalised to discontinue an operation in its entirety which will have the above effect.

संयुक्त उद्यम (एएस-27) / Joint Ventures (AS-27)

एएस-27 की अपेक्षा के अनुसार, चाल वित्तीय वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम में बैंक की धारिता शन्य थी (पिछले वर्ष शन्य).

As required by AS-27, Banks' holding in joint venture during current FY was Nil (Previous Year Nil)

आस्ति का हास (एएस-28) / Impairment of Asset (AS-28) 11.

प्रबंधन की राय में चाल वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान आस्तियों में कोई हास नहीं हुआ है.

In the opinion of the Management, there is no impairment to the assets during the current year and previous year.

आकस्मिक देयताओं का विवरण (एएस-29) अ. 12.

Description of Contingent Liabilities (AS-29)

आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts	यह मद सामान्य कारोबार के अंतर्गत बैंक के प्रति विधिक मामलों में की गई कितपय मांगों तथा परिचालन मामलों व धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न ग्राहक के दावों को दर्शाती है. बैंक को ऐसी कोई आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाहों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल असर पड़ेगा. This item represents certain demands made in legal matters against the Bank in the normal course of business and customer claims arising in operational issues and fraud cases. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.

क्र. सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
II	आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	यह मद आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता की शेष अदत्त राशियों को दर्शाती है. इसमें उद्यम पूंजी निधियों के लिए अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं. This item represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments. This also includes undrawn commitments for Venture Capital Funds.
Ш	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of Outstanding forward exchange contracts	बैंक अपने सामान्य कारोबार के अंतर्गत मुद्राओं के भावी तारीख को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर विनिमय करने के लिए विदेशी मुद्रा संविदाएँ निष्पादित करता है. यह मद ऐसी ही संविदाओं जो डेरिवेटिव लिखत हैं, की आनुमानिक मूल राशि को दर्शाती है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृहद मूल्य सृजित होता है, जबिक इसका निवल बाजार जोखिम कम होता है. The Bank enters into foreign exchange contracts in its normal course of business, to exchange currencies at a pre-fixed price at a future date. This item represents the notional principal amount of such contracts, which are derivative instruments. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
IV	संघटकों की ओर से भारत में व भारत से बाहर दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents in India and outside India	अपने बैंकिंग कार्यकलापों के भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करता है. गारंटी सामान्यतः इस अप्रतिसंहरणीय आश्वासन को प्रवर्शित करती है कि ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर बैंक भुगतान करेगा. As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of customer failing to fulfill its financial or performance obligations.
V	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	यह मद ग्राहक की ऋण अवस्थिति में संवृद्धि को ध्यान में रखकर व्यापार वित्त बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से अन्य पक्षकारों के पक्ष में जारी दस्तावेजी ऋणों को प्रविशित करती है. इन लिखतों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के दायित्वों के लिए सीधे या ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर भुगतान की जिम्मेदारी लेता है. This item represents the documentary credits issued by the Bank in favour of third parties on behalf of its customers, as part of its trade finance banking activities with a view to augment the customers' credit standing. Through these instruments, the Bank undertakes to make payments for its customers' obligations, either directly or in case the customer fails to fulfil their financial or performance obligations.
VI	ब्याज दर एवं मुद्रा अदला-बदली तथा ऋण चूक अदला-बदली के संबंध में देयता. Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps.	यह मद विविध डेरिवेटिव लिखतों की किल्पत मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये योजनाएं उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर जोखिमों को अंतिरत करने, संशोधित करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. बैंक अपनी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा स्थितियों के प्रबंधन करने के लिए भी ये संविदाएं करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके पिरणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल किल्पत मूलधन का वृहद मूल्य उत्पन्न होता है, जबिक निवल बाजार जोखिम कम होता है.



	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
		This item represents the notional principal amount of various derivative instruments which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to transfer modify or reduce their foreign exchange and interest rate risks. The Bank also undertakes these contracts to manage its own interest rate and foreign exchange positions. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into offsetting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
		भारतीय कॉरपोरेट बॉण्डों से संबद्ध ऋण जोखिमों के प्रबंध के लिए बैंक ऋण चूक अदला-बदली (सीडीएस) की हामीवारी करता है. The Bank underwrites Credit Default Swap (CDS) transaction for managing credit risks associated with Indian Corporate Bonds.
VII	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other derivative contracts.	यह मद विविध मुद्रा विकल्पों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये योजनाएं उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यत: अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार उत्पन्न होते हैं, जबिक निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various currency options which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to reduce their foreign exchange risks. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, while the net market
VIII	विवादित कर, ब्याज कर, दंड एवं ब्याज मांग के कारण देयता Liability on account of disputed taxes, interest tax, penalty and Interest demands	risk is lower. बैंक विचाराधीन अपीलों संबंधी विविध कराधान मामलों में पक्षकार है. बैंक आशा करता है कि मामलों के तथ्यों और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों एवं लागू कानूनों के अनुसार अपील प्राधिकारियों द्वारा पिछले वर्षों में ऐसे मामलों में दिए गए निर्णयों, अनुकूल न्यायिक पूर्व निर्णयों के आधार पर इन अपीलों के भी निर्णय अनुकूल होंगे. The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. The Bank expects the outcome of the appeals to be favorable based on decisions on similar issues in the previous years by the appellate authorities, based on the facts of the case and the provisions of Income Tax Act, 1961 and applicable laws.
IX	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Others items for which the Bank is contingently liable	इस मद में निम्नलिखित शामिल हैं: This item represents the following क) सामान्य कारोबार कार्यकलाप के भाग के रूप में बैंक द्वारा स्वयं अपनी ओर से सांविधिक प्राधिकारियों तथा अन्य के पक्ष में जारी की गईं गारिटयां. a) guarantees issued by the Bank in favour of statutory authorities and others on its own behalf, as part of normal business activity. ख) जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निध (डोईएएफ) में अंतरित राशि - जमाकर्ता
		ख) जमाकता शिक्षण एवं जागरूकता निर्ध (डाइएएफ) में अतारत साश - जमाकता शिक्षण एवं जागरूकता निर्ध योजना 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार योजना में विनिर्दिष्ट अनुसार दस वर्षों या उससे अधिक समय से बैंक के निष्क्रिय खातों में पड़ी राशि और दावा न की गई शेष राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज को अगले महीने के अंतिम कार्य दिवस पर अंतरित करता है. यदि ग्राहक/ जमाकर्ता अपनी अदावी राशि/ जमा के लिए मांग करते हैं, जिसे बैंक ने डीईए निर्ध योजना के अनुसार, पहले ही रिजर्व बैंक को अंतरित कर दिया है, बैंक ग्राहक/ जमाकर्ता को ब्याज सिंहत, यदि लागू हो, भुगतान करता है और ग्राहक जमाकर्ता को भुगतान की गई राशि के समतुल्य राशि के लिए रिजर्व बैंक से वापसी के लिए दावा करता है.

क्र. सं. आकस्मिक देयता Sr. No. Contingent Liability		संक्षिप्त विवरण Brief description		
	b)	The amount transferred to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) - In terms of guidelines of Depositor Education and Awareness Fund Scheme 2014, the Bank transfers the proceeds of the inoperative accounts and the balances remaining unclaimed for ten years or more as specified in the scheme and the interest accrued thereon, on the last working day of the subsequent month. In case the customer / depositor(s) raises a demand for their unclaimed amount / deposit which the Bank has already transferred to RBI, as per DEA Fund Scheme, the Bank pays to the customer / depositor, along with interest, if applicable, and lodge a claim for refund from RBI for an equivalent amount paid to the customer / depositor.		
	ग)	पूंजी खाते में निष्पादित की जाने वाले संविदाओं की अनुमानित राशि और आंशिक ऋण वृद्धि सुविधाओं, प्रतिभूतियां जारी होने से लेकर प्रतिभूतियों के जारी होने तक, आदि के लिए प्रावधान नहीं किया गया है.		
	c)	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for, undrawn partial credit enhancement facilities, When		

आ. दीर्घावधि संविदाएं

B. Long term contracts

बैंक के पास एक प्रक्रिया है जिसमें आवधिक आधार पर डेरिवेटिव संविदाओं सिहत सभी दीर्घाविध संविदाओं का उल्लेखनीय पूर्वाभाषी हानियों के लिए मूल्यांकन किया जाता है. वर्ष के अंत में बैंक ने इसकी समीक्षा की तथा सुनिश्चित किया कि डेरिवेटिव संविदाओं सिहत ऐसे दीर्घाविध संविदाओं पर उल्लेखनीय पूर्वाभाषी हानि के लिए लेखा बहियों में किसी विधि / लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

Issued Securities till issue of securities etc.

The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law/accounting standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

इ. लंबित मुकदमें

C. Pending litigations

बैंक के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा बैंक के प्रति किए गए दावे और कर प्राधिकारियों के पास लंबित कार्यवाहियाँ शामिल हैं. बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की और जहां प्रावधान अपेक्षित है वहाँ पर्याप्त प्रावधान किए हैं तथा अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागु है वहाँ आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया है.

The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements.

मात्रात्मक प्रकटन के लिए अनुसूची-12 आकस्मिक देयताएं देखें.

Refer Schedule 12-Contingent Liabilities for quantitative disclosure.

आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधान में घट-बढ़

Movement of provision against Contingent Liabilities

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24
अ) / a)	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	241	178
आ)/b)	वर्ष के दौरान जोड़ /(रिवर्सल) / Addition/ (reversal) during the year	(69)*	63
इ) / c)	अंतिम शेष / Closing Balance	172	241

^{*} एनपीए मामले की एनएफबी सीमा से संबंधित प्रावधान का अंतरण अलग से रखा जाता है.

^{*}Transfer of provision pertaining to NFB limit of NPA case is held separately.



अन्य प्रकटन / OTHER DISCLOSURES

- वर्ष के दौरान कोई भी इक्विटी शेयर अधिमानी आधार पर आवंटित नहीं किया गया था. (पिछले वर्ष शन्य). During the year no Equity Shares were allotted on preferential basis (Previous year Nil).
- भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) / Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF)

31 मार्च 2024 को एसएएसएफ की शेष-राशि ₹ 673 करोड़ थी. भारत सरकार (जीओआई) ने परिपक्वता पर ₹ 673 करोड़ की प्रतिभतियों के लिए परी राशि विप्रेषित कर दी है. तद्नुसार, 31 मार्च 2025 को एसएएसएफ की शेष-राशि शुन्य है.

SASF balance as on March 31, 2024 was ₹ 673 crore. The Government of India (GOI) has remitted full amount towards securities of ₹ 673 crore on maturity. Accordingly, SASF balance as on March 31, 2025 is NIL.

- कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय / Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure
 - 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित गतिविधयों पर बैंक द्वारा खर्च की जाने वाली क) कुल राशि ₹ 103 करोड (पिछले वर्ष ₹ 74 करोड) थी.
 - a) The gross amount required to be spent by the Bank on Corporate Social Responsibility (CSR) related activities during the year ended March 31, 2025, was ₹ 103 crore (previous year ₹ 74 crore)
 - वर्ष के दौरान बैंक के बोर्ड द्वारा व्यय हेत् अनुमोदित राशि ₹ 103 करोड़ थी (पिछले वर्ष ₹ 74 करोड़). ख)
 - The amount approved by the Board of the Bank to be spent during the year was ₹ 103 crore (previous year ₹ 74 crore). b)
 - वर्ष के दौरान अलग सीएसआर अव्ययित खाते में खर्च/अंतरित की गई राशि नीचे दी गई है:
 - Amount spent/transferred to separate CSR unspent account during the year is given below:

निम्नलिखित तालिका में, दर्शाए गए वर्षों के लिए, बैंक द्वारा सीएसआर से संबंधित गतिविधियों पर खर्च की गई राशि दर्शाई गई है,

The following table sets forth, for the years indicated, the amount spent by the Bank on CSR related activities.

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

			वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25	5	f	वेत्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24	
क्र. सं. SI. No.	विवरण Particulars	वर्ष के दौरान किया गया खर्च Spent during the year	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में अंतरित Transferred to separate CSR unspent a/c	कुल Total	वर्ष के दौरान किया गया खर्च Spent during the year	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में अंतरित Transferred to separate CSR unspent a/c	कुल Total
1.	किसी आस्ति का निर्माण अधिग्रहण Construction acquisition of any asset	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
2.	उपरोक्त (1) के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए On purpose other than (1) above	70.13	32.87	103.00	39.24	25.62#	64.86*

^{*} इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित ₹1.62 करोड़ की समायोजित राशि शामिल नहीं है.

^{*} Excludes set off amount of ₹ 1.62 crore pertaining to FY 2022-23 and FY 2021-22.

इसमें 26 सितंबर 2024 को स्वीकार्य निधि में बाद में अंतरित की गई ₹7.61 करोड़ की अस्वीकृत राशि शामिल नहीं है. # Excludes unsanctioned amount of ₹ 7.61 crore subsequently transferred to admissible funds on September 26, 2024.

निम्नलिखित तालिका में चल रही परियोजनाओं से संबंधित अलग सीएसआर अव्ययित खाते में अंतरित की गई राशि का सारांश दिया गया है:

The following table sets forth the summary of amount pertaining to ongoing projects transferred to separate CSR unspent account:

(₹ करोड) / (₹ Crore)

वर्ष Year	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि Amount spent during the year		Amount spent during the year अलग सं		वर्ष के दौरान अलग सीएसआर	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में
	प्रारंभिक शेष Opening Balance in Separate CSR Unspent A/c	अपेक्षित राशि Amount required to be spent during the year	बैंक के खाते से From Bank's A/c	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से From Separate CSR Unspent A/c	अव्ययित खाते में अंतरित राशि Amount transferred to Separate CSR unspent A/c during the year	अंतिम शोष Closing Balance in Separate CSR Unspent A/c		
वि.व. 25 / FY 25	25.62	103.00	70.13	6.07	32.87*	52.42@		
वि.व. 24 / FY 24	शून्य / Nil	72.47	39.24	शून्य / Nil	25.62#	25.62		

^{*30} अप्रैल 2025 को या उससे पहले अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की जाने वाली राशि.

इसमें 26 सितंबर 2024 को स्वीकार्य निधि में बाद में अंतरित की गई ₹ 7.61 करोड़ की अस्वीकृत राशि शामिल नहीं है.

Excludes unsanctioned amount of ₹ 7.61 crore subsequently transferred to admissible funds on September 26, 2024.

@ इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित₹32.87 करोड़ स्पये और वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित₹19.55 करोड़ स्पये की राशि शामिल है. @ Includes an amount of ₹ 32.87 crore pertaining to FY 2024-25 and Rs.19.55 crore pertaining to FY 2023-24

निम्नलिखित तालिका, दर्शाए गए वर्षों के लिए, लेखांकन मानक (एएस)18 संबद्ध पक्षकार प्रकटीकरणों के अनुसार सीएसआर संबद्ध गतिविधियों से संबंधित पक्षकार लेनदेनों का विवरण प्रस्तुत करती है.

The following table sets forth, for the years indicated, the details of related party transactions pertaining to CSR related activities as per Accounting Standard (AS) 18, Related Party Disclosures.

SI.	संबंधित पक्ष	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
No.	Related Party	March 31, 2025	March 31, 2024
1	''रीवायटलाइजिंग इनोवेशन फॉर ससटेनेबल इंटरप्राइजेज (राइज)'' परियोजना के लिए भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) Entrepreneurship Development Institute of India (EDII) for project "Revitalizing Innovation for Sustainable Enterprises (RISE)'.	-	₹ 6.96 करोड़ (इसमें चालू परियोजनाओं के लिए 'वि.व. 2023-24 के लिए अव्ययित सीएसआर खाता' में अंतरित ₹ 4.18 करोड़ की राशि शामिल है) ₹ 6.96 crore (Includes an amount of ₹ 4.18 crore transferred to 'Unspent CSR Account for FY 2023-24' towards ongoing projects).

^{*} Amount to be transferred to unspent CSR account on or before April 30, 2025.



सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधान के अनुसरण में प्रकटीकरण. IV. Disclosure pursuant to the provision of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

<u>-</u>		
क्र. सं. Sl. No.	विवरण	₹ राशि Amount ₹
	Particulars Particulars	Amount
(i)	प्रत्येक लेखा-वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा नहीं की गई मूल राशि और उस पर देय ब्याज (अलग से दर्शाया जाये). the principal amount and the interest due thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier as at the end of each accounting year.	शून्य/Nil
(ii)	प्रत्येक लेखा-वर्ष के दौरान धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि तथा नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि the amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year	शून्य/Nil
(iii)	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय एवं भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका वर्ष के दौरान भुगतान कर दिया गया है लेकिन नियत दिन के बाद) लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना. The amount of interest due & payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under this Act.	शून्य/Nil
(iv)	प्रत्येक लेखा-वर्ष के अंत में उपचित और अदत्त ब्याज की राशि है; और आगामी वर्षों में भी ब्याज की राशि बकाया एवं देय बकाया रहती है उस तारीख तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज की देय राशि वास्तव में लघु उद्यम को धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए भुगतान नहीं कर दी जाती है; the amount of interest accrued end of each and remaining unpaid at the accounting year; and the amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23	शून्य/Nil

- समाधान संरचना 1.0 और समाधान संरचना 2.0 के बारे में रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, बैंक ने 31 मार्च 2025 को कुल ₹ 200 करोड़ के विनियामक प्रावधान को जारी रखा है. इसके अलावा 31 मार्च 2025 को, बैंक ने कोविड आरएफ़ 1, आरएफ़ 2 और एमएसएमईआर ओटीआर संरचना के तहत पुनर्गठित उधारकर्ताओं के लिए ₹ 1395 करोड़ का आकस्मिकता प्रावधान धारित किया है.
 - In terms of RBI's circular on Resolution Framework 1.0 and Resolution Framework 2.0, Bank continues to hold regulatory provision aggregating to ₹ 200 crore as on March 31, 2025. In addition, as on March 31, 2025, Bank held contingency provision of ₹ 1395 crore for borrowers restructured under COVID RF 1, RF 2 and MSMER OTR framework.
- बैंक के पास ₹ 400 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 400 करोड़) की निवल ओवरनाइट खुली स्थिति (एनओओपी) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा है. वर्ष (2024-25) के दौरान खुली स्थिति स्वीकृत सीमा के भीतर थी और औसत उपयोग ₹ 191 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 154 करोड़) था. वर्ष की दौरान अधिकतम उपयोग 06.01.2025 को ₹326 करोड़ (पिछले वर्ष 12.01.2024 का ₹ 255 करोड़) था.
 - The Bank has Board approved limit for Net Overnight Open Position (NOOP) fixed at ₹ 400 crore (Previous Year ₹ 400 crore). During the year (2024-25) the open position was within the approved limit and the average utilization was ₹ 191 crore (Previous Year ₹ 154 crore). The maximum utilization during the year was at ₹ 326 crore on 06.01.2025. (Previous Year ₹ 255 crore on
- 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, इस समझ से, लिखित या अन्य प्रकार से, बैंक द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, विदेशी संस्थाओं सहित('मध्यवर्ती) से/को कोई भी राशि अग्निम या ऋण या निवेश (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से जुटाई गई राशि से) के रूप कोई निधि प्रदान नहीं की गई है और यह कि मध्यवर्ती बैंक द्वारा या की ओर से निर्धारित पक्षकार को उधार देंगे या उनमें निवेश (अंतिम लाभार्थी) करेगी. इसके अतिरिक्त बैंक को किसी भी पक्षकार (निधीयन पक्षकार) से कोई भी निधि इस समझ के साथ प्राप्त नहीं हुई है कि बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक द्वारा या इसकी ओर से अभिनिर्धारित किसी व्यक्ति या संस्था ('अंतिम लाभार्थी) को उधार या उसमें निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थी की ओर से गारंटी, प्रतिभृति या इसी प्रकार कुछ और प्रदान करेगा.

During the year ended March 31, 2025, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Bank to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall lend or invest in

party identified by or on behalf of the Bank (Ultimate Beneficiaries). Further, The Bank has not received any fund from any parties (Funding Party) with the understanding that the Bank shall whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified by or on behalf of the Bank ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

- VIII. आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (आईएएमएल) की एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) को 29 जुलाई 2023 से ₹ 88 करोड़ के बिक्री प्रतिफल पर एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड को अंतरित कर दिया गया है. सेबी ने 13 मार्च 2025 के अपने पत्र के माध्यम से आईडीबीआई म्यूचुअल फंड के लाइसेंस को सरेंडर करने के लिए 30 सितंबर 2025 तक समय बढ़ाने को मंजरी दे दी है.
 - Asset Under Management (AUM) of IDBI Asset Management Ltd (IAML) has been transferred to LIC Mutual Fund Asset Management Ltd with effect from July 29, 2023 for a Sale Consideration of ₹ 88 crore. SEBI vide its letter dated February 13, 2025 has approved extension of time upto September 30, 2025 for surrender of license of IDBI Mutual Fund.
- IX. पिछले वर्ष के आंकड़े पुनर्समूहित/ पुनर्व्यवस्थित किये गए हैं ताकि इनकी संपुष्टि चालू वर्ष के लिए की गई प्रस्तुति के साथ की जा सके और साथ ही इसे 30 अगस्त 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक और द्वारा जारी 'वित्तीय परिणामों के बारे में मास्टर निर्देश-प्रस्तुति और प्रकटन' (1 अप्रैल 2025 को अद्यतित) यथा संशोधित की अपेक्षाओं के अनुसरण में और जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, संशोधित किया गया है.

(सुमित फक्का)

Figures of the previous year, are regrouped/ rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year and also pursuant to the requirement of Master Direction on financial results - Presentation and disclosure issued by Reserve Bank of India dated August 30, 2021 (updated as on April 01, 2025), as amended and wherever considered necessary.

लेखों की ·1· से ·18' अनुसूचियों के लिए इस्ताक्षर / Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma)

प्रबंध निर्शक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer डोआईएन/DIN: 06846594

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी For Chokshi & Chokshi LLP

सनदी लेखाकार/Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 101872W/W100045

राकेश जैन Rakesh Jain साझेदार/Partner स. सं./ M.No. 042364

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai

दिनांक : 28 अप्रैल 2025 / Date : April 28, 2025

(Jayakumar S. Pillai)) (Sumit Phakka) (Samaresh Parida) (Smita Kuber) (Jyothi Nair) उप प्रबंध निदेशक उप प्रबंध निदेशक निदेशक पुख्य वित्तीय अधिकारी कंपनी सचिव Dy. Managing Director Dy. Managing Director Director Chief Financial Officer Company Secretary डीआईएन/DIN: 10041362 डीआईएन/DIN: 08259618 डीआईएन/DIN: 01853823

(समरेश परिदा)

(स्मिता कुबेर)

(ज्योति नायर)

कृते सूरी एंड कंपनी For Suri & Co

(जयकुमार एस. पिल्लै)

सनदी लेखाकार/Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या /FRN-004283S

नटराजन वी Natarajan V साझेदार/Partner स. सं./M.No. 223118



एकल जकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए Standalone Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2025

(₹ '000 में / ₹ in '000)

				(₹ '000 4 / ₹ In '000)
विवरण Particulars		31.03.2025 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year ended 31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year ended 31.03.2024 (Audited)	
अ. A.	परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash flow from Operating Activities			
	(1)	कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ/(हानि) Net profit/(loss) before tax and extra-ordinary items	10568 21 33	8195 40 89
	(2)	समायोजन / Adjustments :		
		- अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets	2 31 20	71 49
		- मूल्यहास और पुनर्मूल्यन हानि Depreciation and revaluation loss	531 47 68	536 41 74
		- परिपक्वता तक धारित निवेशों पर प्रीमियम का परिशोधन Amortisation of premium on Held to Maturity investments	115 60 18	173 25 49
		- ऋणों/निवेशों के लिए प्रावधान/ बट्टे खाते डालना Provisions/ Write off of Loans/ Investments	(1856 36 36)	1294 19 29
		- मानक और पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रावधान Provisions for Standard and Restructured Assets	2699 72 07	(172 88 29)
		- अन्य प्रावधान / Other Provisions	(332 82 32)	275 48 34
		- निवेशों के पुनर्मूल्यन पर (लाभ)/हानि (Profit) / Loss on revaluation of Investments	87 23 71	(11 26 99)
		- उधार राशियों पर ब्याज (परिचालन गतिविधियों के अलावा) Interest on borrowings (other than operational activities)	591 51 71	707 14 92
		- सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगी संस्थाओं से प्राप्त लाभांश Dividend received from subsidiary companies/joint ventures/ Associates	(25 23 35)	(17 91 29)
		- व्युत्पन्न और विनिमय लेनदेनों के उचित मूल्य पर (लाभ)/ हानि (Gain)/loss on fair value of derivatives and exchange transactions	-	-
			12381 65 85	10980 55 57
	(3)	परिचालन आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी के लिए समायोजन Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:		
		- निवेश / Investments	(1639 91 06)	(15690 69 42)
		- अग्रिम / Advances	(27468 46 47)	(27062 86 83)
		- अन्य आस्तियां /Other Assets	951 49 93	2181 99 56

एकत जकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए Standalone Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2025

(₹ '000 में / ₹ in '000)

				(₹ 1000 4 / ₹ In 1000)
Parti	ग् culars		31.03.2025 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year ended 31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year endec 31.03.2024 (Audited)
	(4)	परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:		
		- उधार राशियां (पूंजीगत लिखतों के अलावा) Borrowings (Other than Capital Instruments)	7544 58 36	4444 94 58
		- जमाराशियां / Deposits	32636 32 83	22167 17 24
		- अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	(368 71 72)	2072 89 87
		ालन कार्यकलापों से कर पूर्व नकदी प्रवाह n Flow from Operating Activities before taxes	24036 97 72	(905 99 43)
		प्रत्यक्ष कर (रिफंड घटाकर) ct Taxes paid (Net of Refund)	1758 50 30	(282 21 86)
	परिच Net (ालन कार्यकलापों से/ (में प्रयुक्त) निवल नकदी प्रवाह Cash flow from / (used in) Operating activities	25795 48 02	(1188 21 29)
आ. B.	निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Investing activities			
	-	चालू कार्य सहित अचल आस्तियों की खरीद Purchase of fixed assets including work in progress	(342 63 66)	(302 11 17)
	-	अचल आस्तियों की बिक्री Sale of fixed assets	2 24 62	1 92 94
	-	सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों/ सहयोगी संस्थाओं से प्राप्त लाभांश Dividend received from subsidiary companies/joint ventures/Associates	25 23 35	17 91 29
		निवेश कार्यकलापों से/ (में प्रयुक्त) निवल नकदी प्रवाह Net cash flow from/ (used in) Investing activities	(315 15 69)	(282 26 94)
इ. C.	वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Financing activities			
	-	इक्विटी शेयर जारी करना / Issue of Equity Shares	-	-
	-	आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि Share application money pending allotment	-	-
	-	प्रदत्त लाभांश / Dividend paid	(1611 79 46)	(1074 66 11)
	-	उधार राशियों पर प्रदत्त ब्याज / Interest paid on borrowings	(645 49 78)	(707 25 68)
		टियर 1 बांडों का मोचन / Redemption of Tier I Bonds		
	-	बांडों का मोचन / Redemption of Bonds	(4745 00 00)	-
	-	बांडों के निर्गमन से प्राप्तराशियां / Proceeds from Issue of Bonds	-	-
	-	वित्तपोषण कार्यकलापों से /(में प्रयुक्त) निवल नकदी प्रवाह Net Cash flow from / (used in) Financing activities	(7002 29 24)	(1781 91 78)



एकल जकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए Standalone Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2025

(₹ '000 में / ₹ in '000)

(स्मिता कुबेर)

(Smita Kuber)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

(ज्योति नायर)

(Jyothi Nair)

कंपनी सचिव

Chief Financial Officer Company Secretary

(समरेश परिदा)

निदेशक

Director

(Samaresh Parida)

farmer .	21 02 2025 =	21 02 2024 =
विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
Particulars	समापा वर्ष (लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
	Year ended	Year ended
	31.03.2025	31.03.2024
	(Audited)	(Audited)
ई. ट्रांसलेसन रिज़र्व पर विनिमय के उतार-चढ़ाव का प्रभाव	5 27 27	4 53 11
D. Effect of exchange fluctuation on translation reserve		
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/ (कमी) (अ+आ+इ+ई)	18483 30 36	(3247 86 90)
NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS (A+B+C+D))	,
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	25932 88 52	29180 75 41
Cash & Cash Equivalents as at the beginning of the year		
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	44416 18 88	25932 88 52
Cash & Cash Equivalents as at the end of the year		
नकदी प्रवाह विवरण के बारे में टिप्पणियां		
Notes to Cash Flow Statement:		
 नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में तुलन पत्र की निम्निलिखत मदें शामिल हैं: 	ī	
Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:	9	
नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष/ Cash & Balances with Reserve Bank of India	21294 15 38	13990 95 92
बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय राशि	23122 03 50	11941 92 60
Balances with banks & money at call and short notice		
कुल / Total	44416 18 88	25932 88 52
2. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर की जाती है		
Cash Flow from Operating activities is reported by using Indirect method		

(सुमित फक्का)

(Sumit Phakka)

उप प्रबंध निदेशक

Dy. Managing Director

डीआईएन/DIN: 10041362 डीआईएन/DIN: 08259618 डीआईएन/DIN: 01853823

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां (अनुसूची 17 और 18)

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Schedule 17 and 18)

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं.

The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

(जयकुमार एस. पिल्लै)

(Jayakumar S. Pillai))

स. सं./M.No. 223118

Dy. Managing Director

उप प्रबंध निदेशक

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer डीआईएन/DIN: 06846594

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी For Chokshi & Chokshi LLP

सनदी लेखाकार/Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 101872W/W100045 फर्म पंजीयन संख्या /FRN-004283S

कृते सूरी एंड कंपनी For Suri & Co सनदी लेखाकार/Chartered Accountants

राकेश जैन नटराजन वी Rakesh Jain Natarajan V साझेदार/Partner साझेदार/Partner

स. सं./ M.No. 042364 स्थान : मुंबई / Place: Mumbai

दिनांक : 28 अप्रैल 2025 / Date : April 28, 2025

समेकित वित्तीय विवरण Consolidated Financial Statements



आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (इसमें इसके बाद 'बैंक' या 'धारक कंपनी' के रूप में संदर्भित किया गया), इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को सामृहिक रूप से 'समृह' के रूप में संदर्भित किया गया) एवं इसकी सहयोगी कंपनियों के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिनमें 31 मार्च 2025 का समेकित तुलन पत्र, उस समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ-हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां जिसमें इसके साथ संलग्न महत्वपर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसमें इसके बाद 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित किया गया), इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- दिनांक 28 अप्रैल 2025 की हमारी रिपोर्ट के माध्यम से हमारे द्वारा लेखापरीक्षित आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण.
- अन्य लेखापरीक्षकों के द्वारा लेखापरीक्षित, भारत में निगमित 5 घरेलू सहायक संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण.
- 4 सहयोगी कंपनियों के अलेखापरीक्षित लेखे

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं के पृथक वित्तीय विवरणों एवं अन्य वित्तीय जानकारी पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टी पर विचार करने के आधार पर, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 29 साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों. बैंकिंग कंपनियों से यथा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और कंपनी (लेखांकन मामनक) नियम 2021 प्रयोज्य सीमा तक यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निधारित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2025 को समह और इसकी सहयोगी संस्थाओं के कार्यों की समेकित स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित लाभ और समेकित नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति प्रस्तृत करते हैं.

अभिमत हेतु आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ('एसए') के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की है. उन मानकों के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के 'समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेत लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व' खंड में वर्णित है. हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार साथ ही अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत नियमों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार समृह और इसकी सहयोगी कंपनियों से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं एवं आचार संहिता के अनुरूप अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है. हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा नीचे 'अन्य मामले' अनुभाग में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

To the Members of IDBI Bank Limited

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of IDBI Bank Limited (hereinafter referred to as the 'Bank' or 'Holding Company') and its subsidiary companies (the Holding Company and its subsidiaries together referred to as 'the Group'), and its associate companies which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2025, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as the 'Consolidated Financial Statements') annexed thereto, in which the following are incorporated.

- Audited Financial Statements of IDBI Bank Limited, audited by us, vide our report dated April 28, 2025
- Audited Financial Statements of 5 domestic subsidiaries incorporated in India, audited by other auditors
- Unaudited accounts of 4 associate companies

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on the consideration of reports of the other auditors on separate financial statements and on the other financial information of the subsidiary and associates, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 as well as the Companies Act, 2013 (the 'Act') and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time, in the manner so required for banking companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act, read with Companies (Accounting Standards) Rules, 2021 as amended to the extent applicable, of the consolidated state of affairs of the Group and its associate companies as at March 31, 2025, and its consolidated profit, and its consolidated cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the Consolidated Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing ('SAs') specified under Section 143 (10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the 'Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements' section of our report. We are independent of the Group and its associate companies in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI') together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements under the provisions of the Act, and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us along with consideration of audit reports of the other auditors referred to in the 'Other Matters' section below is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the consolidated financial statements.

लेखापरीक्षा के मुख्य मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले (केएएम) हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में, तथा सहायक कम्पनियों के पृथक वित्तीय विवरणों और अन्य सूचनाओं पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के विचार के आधार पर, चालू वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे. इन मामलों का समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने में पर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं. हमने नीचे वर्णित मामलों को मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के रूप में अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित करने का निश्चय किया है:

लेखापरीक्षा के मुख्य मामले

हमारी लेखापरीक्षा में केएएम का समाधान कैसे किया गया

आस्थरित कर आस्ति का निर्धारण और मापन

बैंक ने 31 मार्च 2025 को ₹ 5988 हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में बैंक करोड़ की निवल आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण किया है, जो वर्ष के दौरान ₹ 2978 करोड़ के निवल रिवर्सल के बाद है. आस्थगित कर के निर्धारण में इन आस्तियों की वसुली की संभावना के बारे में निर्णय शामिल है, विशेष रूप से क्या भविष्य की अवधि में पर्याप्त कर योग्य लाभ होगा जो इन आस्तियों के निर्धारण का समर्थन करेगा. इन आस्थगित कर आस्तियों को वसली योग्य या अन्यथा मानने में शामिल निर्णय की डिग्री को देखते हुए, हम इसे एक मुख्य लेखापरीक्षा मामला मानते हैं.

पर लागू कर कानूनों और संबंधित विनियमों को समझना शामिल था. हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं:

- एएस 22 आय पर कर के लिए लेखांकन के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण और मापन के लिए अपनाई गई नीतियों का मल्यांकन:
- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त पूर्वानुमानों और अन्य मापदंडों के आधार पर लाभों की उपलब्धता की संभावना का मुल्यांकन किया गया, जिसमें से बैंक संदर्भित पूर्वानुमान के अनुसार भविष्य में इस आस्थगित कर आस्ति का उपयोग कर पायेगा, जैसा निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति ने नोट किया.
- लागू कर दरों के संदर्भ में आस्थिगित कर आस्ति का निर्धारण करने में अपनाई गई पद्धति का मूल्यांकन किया गया तथा अंकगणितीय परिश्द्धता का परीक्षण किया गया.

अग्रिमों से आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा विनियामक मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण

कृपया अनुसूची 9 का संदर्भ लें, जिसे हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में अग्रिमों अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के घट- से संबंधित आस्ति वर्गीकरण और बढ और संबंधित प्रावधानों के संबंध में प्रावधान के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों समेकित वित्तीय विवरणों और आस्ति एवं समृचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के

Key Audit Matters

Key audit matters (KAM) are those matters that, in our professional judgment, and based on the consideration of the reports of the other auditors on separate financial statements and other information of the subsidiaries, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters

How KAM was addressed in our audit

Recognition and Measurement of Deferred Tax Asset

The Bank has recognised a net Our audit procedures involved deferred tax asset of Rs.5,988 Crores as of March 31st, 2025, after a net reversal of Rs. 2.978 Crores during the year. The recognition of deferred tax involves judgement regarding the likelihood of realisation • of these assets, particularly whether there will be sufficient taxable profits in future periods that will support the recognition of these assets. Given the degree of judgement involved in considering these deferred tax assets as recoverable or otherwise, we consider this to be a Key Audit Matter.

gaining an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. Our audit procedures included:

- Evaluation of policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income;
- Assessment the probability of the availability of profits based on assumptions and other parameters used by the Management against which the Bank will be able to use this deferred tax asset in the future with reference to forecast as noted by the Audit Committee of the Board of Directors.
- Assessed the method determining Deferred Tax Asset with reference to applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy.

Income Recognition and Asset Classification of Advances (IRAC) and provisioning as per regulatory norms

Consolidated Financial effectiveness

Please Refer to Schedule 9, Our audit approach included read with relevant Notes to testing the design, and operating of Statements, and Asset Quality controls and substantive audit in respect of movement of procedures in respect of asset



गृणवत्ता की प्रासंगिक टिप्पणियों के साथ डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता

जैसा कि अग्रिमों से संबंधित आस्ति . वर्गीकरण एवं प्रावधान के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा जारी विवेकपुर्ण मानदंडों और रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों, अधिसूचनाओं और निर्देशों के तहत अपेक्षित है, जिन पर बैंक द्वारा 31 मार्च 2025 तक सामृहिक रूप से विचार किया गया, बैंक अग्रिमों को अर्जक एवं • अनर्जक अग्रिमों (एनपीए) में वर्गीकत करता है जिसमें मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानि श्रेणियां शामिल हैं और उचित पावधान करता है।

अग्रिमों का वर्गीकरण, प्रावधान और बट्टे खाते डालना एक मुख्य लेखापरीक्षा मामला है, क्योंकि बैंक के पास विभिन्न क्षेत्रों, उत्पादों, उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्रों के बड़ी संख्या में उधारकर्ताओं के प्रति महत्वपूर्ण ऋण जोखिम है. अग्रिम राशि की वसूली, लेन-देनों की प्रकृति और उस पर प्रावधानों का आकलन तथा बटटे खाते डाले जाने वाले खातों की पहचान में अत्यधिक जटिलता, अनिश्चितता और निर्णय का उच्च स्तर शामिल हैं. बैंक विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कारकों को लागु करता है.

लेन-देनों की प्रकृति, विनियामक आवश्यकताएं, मौजदा कारोबारी माहौल. उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति का आकलन करने में शामिल अनुमान/निर्णय के साथ-साथ प्रतिभूतियों के मुल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, हमने इसे मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है.

का परीक्षण शामिल था विशेषकर:

- अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और पावधान के संबंध में रिजर्व बैंक के पासंगिक दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मुल्यांकन किया;
 - आस्ति वर्गीकरण (मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानि) के संबंध में प्रयुक्त प्रमुख आईटी प्रणालियों/एप्लिकेशन उनकी डिजाइन और कार्यान्वयन साथ ही उनके प्रासंगिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया. उनके बीते देय दिनों (डीपीडी) की स्थिति के संदर्भ में (एनपीए के गैर-वित्तीय मापदंडों पर विचार, कार्यशील पूंजी ऋणों में क्रेडिट की पर्याप्तता, पुनर्गठन दिशानिर्देश, विनियामक पैकेज और समाधान ढांचा) और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान का परीक्षण किया:
- रिकॉर्ड की गई राशियों की वैधता, ऋण दस्तावेजीकरण, खातों के विवरण की जांच, हास के संकेतक, अनर्जक आस्तियों के लिए हास प्रावधान, और लाग रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों के संदर्भ में अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के अनुपालन के लिए अग्रिमों की जांच की गई;
- मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाते के विवरण और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा की.

Non-Performing Assets (NPAs) and related provisions.

As required under prudential norms issued by the Reserve Bank of India (RBI) in respect of asset classification and provisioning pertaining advances, and relevant circulars, notifications and directions issued by the RBI which were collectively considered by the Bank till March 31, 2025, the Bank classifies advances into performing and non-performing advances (NPA), which consists Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss categories makes appropriate provisions.

The Classification, Provisioning and Write off of Advances, is a Key Audit Matter as the Bank has significant credit risk exposure to a large number of borrowers across various sectors, products, industries and geographies. There is a high degree of complexity, uncertainty and judgment involved in recoverability of advances, the nature of transactions and estimation of provisions thereon and identification of accounts to be written off. The Bank applies both quantitative as well as qualitative factors prescribed by the regulations.

Considering the materiality involved, nature of the transactions. regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgment involved in assessing financial condition of borrowers as well as valuation of securities, we have determined this as Key Audit Matter.

classification and provisioning pertaining to advances. particular:

- Evaluated the Bank's internal control system in adhering to the relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances;
 - Tested key IT systems/ applications and their design and implementation as well as operational effectiveness relevant controls, in relation to asset classification (standard, sub-standard, doubtful and loss) with reference to their days-past-due (DPD) status (including consideration of nonfinancial parameters of NPA, sufficiency of credits in working capital restructuring loans. guidelines, the Regulatory Package and Resolution framework) and provisioning pertaining to advances:
 - Test checked advances to examine the validity of the recorded amounts, loan documentation, examined the statement of accounts, indicators of impairment, impairment provision for performing assets. and compliance with income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances in terms of applicable RBI guidelines;
- Reviewed account statements and other related information of the borrowers selected based on quantitative and qualitative risk factors.

- शाखाओं/ कार्यालयों का दौरा किया एवं दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों की जांच की.
- चयनित अनर्जक अग्निमों के लिए, हमने प्रबंधन के पूर्वानुमान और वसूली योग्य नकदी प्रवाह, उधारकर्ता के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, अंतर्निहित प्रतिभूतियों और संपार्श्विक के मूल्यांकन, चूक पर वसूली योग्य राशि का अनुमान और पुनर्भुगतान के अन्य स्रोतों के इनपुट का आकलन किया;
- रिजर्व बैंक विनियमों के अनुपालन के लिए अग्रिमों पर प्रावधान करने हेतु बैंक की प्रक्रियाओं और प्रावधान करने के लिए आंतरिक रूप से निर्धारित नीतियों का परीक्षण किया:
- स्वचालित ई-एनपीए प्रणाली को देखा और लेखापरीक्षा जगत पर विचार करते हुए चयनित नमूनों के लिए मुख्य कार्य का परीक्षण किया.
- आईआरएसी मानदंडों एवं विनियामक पैकेज के संदर्भ में सामूहिक प्रावधानों की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंडों को मान्य किया गया:
- रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार 31 मार्च 2025 को धोखाधड़ी वाले खातों के लिए किये गये प्रावधान का परीक्षण किया.
- हमारी मूलभूत लेखापरीक्षा
 प्रक्रियाओं के भाग के रूप
 में, खुदरा और कॉरपोरेट
 पोर्टफोलियों के नमूने के लिए
 प्रावधानों की गणना पुनः की
 गई, ताकि इसकी सटीकता का
 निर्धारण किया जा सके; (मानक
 पोर्टफोलियों के लिए सामूहिक
 और अनर्जक पोर्टफोलियों के
 लिए मामला विशिष्ट).

- Carried out visits to branches / offices and examination of documentation and other records.
- For the selected nonperforming advances, we assessed Management's forecast and inputs of recoverable cash flows, borrower's audited financial statements, valuation of underlying security and collaterals, estimation of recoverable amounts on default and other sources of repayment;
- Tested the Bank's processes for making provision on advances for compliance with RBI regulations and internally laid down policies for provisioning;
- Undertaken the walkthrough for the automated E-NPA system and tested the core functionality for selected samples considering the audit universe.
- Validated the parameters used to calculate collective provisions with reference to IRAC norms, and the Regulatory Package;
- Tested provision created for fraud accounts as at March 31, 2025 as per the RBI circular;
- Re-performed, for a sample of retail and corporate portfolios, as part of our substantive audit procedures the calculation of provisions, to determine the accuracy of the same; (Collective for standard portfolio and case specific for non performing portfolio)



- बैंक प्रबंधन के साथ उन क्षेत्रों पर चर्चा की गई जहां ऋण जोखिम की आशंका है और प्रबंधन द्वारा चिन्हित दबावग्रस्त क्षेत्रों से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की:
- रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन किया गया.

सचना प्रौद्योगिको (आईटी) प्रणालियां और वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण

बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग, आईआरएसी और ट्रेजरी समाधानों तथा अन्य सहायक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं. आईटी नियंत्रण तंत्र में किमयों के कारण वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन होने का जोखिम बना रहता है. इसलिए आईटी नियंत्रणों को यह स्निश्चित करना आवश्यक है कि एप्लिकेशन अपेक्षित रूप से डेटा को संसाधित करें और परिवर्तन उचित तरीके से किए जाएं. बैंक के आईटी नियंत्रण ढांचे में स्वचालित, अर्ध-स्वचालित और मैनुअल नियंत्रण शामिल हैं, जो पहचाने गए जोखिमों से निपटने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. आईटी नियंत्रणों को एंटिटी स्तर नियंत्रण (ईएलसी), आईटी सामान्य नियंत्रण (आईटीजीसी) और आईटी एप्लिकेशन नियंत्रण (आईटीएसी) में वर्णित किया गया है. इस तरह के नियंत्रण, त्रृटिपूर्ण आउटपुट डेटा के जोखिम को कम करने में योगदान देते हैं.

हमने आईटी नियंत्रण ढांचे को एक मख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में चिन्हित किया है, क्योंकि बैंक का कारोबार प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है. आईटी वातावरण जटिल है और आईटी नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर सीधा प्रभाव पडता है. इस तरह के नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न आईटी एप्लिकेशन के माध्यम से संसाधित डेटा की प्रामाणिकता और पूर्णता का आश्वासन देते हैं.

इस मामले के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: आईटी सामान्य नियंत्रण (आईटीजीसी), एप्लिकेशन नियंत्रण (आईटीएसी) और आईटी पर निर्भर मैनुअल नियंत्रण के परीक्षण के लिए:

- हमने बैंक की आईटी प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और नमृना जांच की योजना बनाई है, उन्हें डिजाइन एवं निष्पादित किया है.
- बैंक में कार्यान्वित आईटी एप्लिकेशन परिदश्य व्यापक समझ प्राप्त की. इसके बाद प्रक्रिया को समझना, उससे एप्लिकेशन को मैप करना तथा मानव-प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न वित्तीय जोखिमों को समझे.
 - मुख्य आईटी परीक्षण प्रक्रियाओं में पर्णता, वैधता, पहचान/ प्रमाणीकरण, प्राधिकरण, अखंडता और जवाबदेही जैसे विभिन्न मापदंड शामिल हैं. एप्लिकेशन से स्वचालित नियंत्रणों के परीक्षण फोकस यह था कि क्या नियंत्रण अनिधकृत लेनदेनों को रोकते हैं या उनका पता

- with Discussed the management of the Bank on sectors where there is perceived credit risk and the steps taken by management to mitigate the risks pertaining to identified stress sectors
- Assessed the adequacy of disclosures against the **RBI** Guidelines

Information Technology (IT) Systems and Controls over financial reporting

Bank's The key accounting and reporting processes are highly dependent For testing the IT general on Core Banking, IRAC, Treasury Solutions and other supporting software and hardware controls. There exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting records being materially misstated. Hence the IT controls are required to ensure that applications process data as expected and that changes are made in an appropriate manner. The Bank's IT control framework includes automated, semi-automated and manual controls designed to address identified risks. IT controls are stated in Entity Level Controls (ELC), IT General Controls (ITGC) and IT Application Controls (ITAC). Such controls contribute to risk mitigation of erroneous output data.

We have identified IT Controls Framework as a Key Audit Matter as the Bank's business is highly dependent on technology. The IT environment is complex and the design and operating effectiveness of IT controls have a direct impact on its financial reporting process. Such controls provide assurance on the integrity and completeness of data processed through various IT applications which are used for the preparation of financial reports.

financial Our Audit procedures with respect to this matter included: controls (ITGC), controls (ITAC) and IT dependent manual controls.

- have planned, designed and carried out the desired audit procedures and sample checks, taking into consideration the systems of the Bank.
- Obtained a comprehensive understanding ∩f applications landscape implemented at Bank. It was followed by process understanding, mapping of applications the same and understanding financial risks posed by peopleprocess and technology.
- IT Testing The key procedures includes various parameters such as Completeness, Validity, Identification/ Authentication, Authorization, Integrity and Accountability. Focus of testina automated controls from applications was whether the controls prevent or detect unauthorized transactions and support financial objectives

- लगाते हैं और लेनदेनों की पूर्णता, सटीकता, प्राधिकरण और वैधता सहित वित्तीय उद्देश्यों का समर्थन करते हैं.
- आईटीजीसी परीक्षण में, नमना आधार पर. हमने उपयोगकर्ता पहंच प्रबंधन जैसे नियंत्रण क्षेत्रों और आईटी परिचालन नियंत्रण के अन्य पहलुओं की समीक्षा की. इसमें यह परीक्षण शामिल है कि सिस्टम तक पहुंच के अनुरोध की समीक्षा की गई और उसे अधिकृत किया गया. हमने नमुना आधार पर लेखापरीक्षा परीक्षणों को रिकॉर्ड करने की प्रणाली की भी समीक्षा की है तथा महत्वपूर्ण एप्लिकेशन के लिए लेखापरीक्षा परीक्षण प्रणाली पर बैंक द्वारा प्राप्त रिपोर्टों की भी समीक्षा की है.
- आईटीएसी के लिए, हमने सिस्टम गणनाओं की सटीकता का आकलन करने के लिए नमूना आधार पर सिस्टम कार्यक्षमता के अनुपालन का परीक्षण किया.
- उपरोक्त के अतिरिक्त, कुछ स्वचालित नियंत्रणों के डिजाइन और पिरचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया, जिन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग पर मुख्य आंतरिक प्रणाली नियंत्रण माना गया था. जिसमें पूछताछ, दस्तावेजीकरण / रिकॉर्ड / रिपोर्ट की समीक्षा जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया गया.
- इसके अतिरिक्त हमने बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की गई आईएस लेखापरीक्षा पर भी भरोसा किया है.

- including completeness, accuracy, authorization and validity of transactions.
- In ITGC testing, sample basis, reviewed control areas such as User Access Management, and other aspect of IT operational controls. This includes testing that request for access to systems were reviewed and authorised. We have also reviewed system of recording the audit trials on a sample basis and also reviewed the reports obtained by the bank on the Audit trial system for critical applications.
- For ITAC, we carried out on sample basis, compliance tests of system functionality in order to assess the accuracy of system calculations.
- In addition to the above, the design and operating effectiveness of certain automated controls, that were considered as key internal system controls over financial reporting were tested. Using various techniques such as inquiry, review of documentation / record / reports
- In addition, we have also relied on IS audit conducted by internal audit department of the Bank



निवेश पोर्टफोलियो के लिए रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों का संक्रमण

कृपया निवेशों से संबंधित रिजर्व बैंक के नए परिपत्र में संक्रमण के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की प्रासंगिक टिप्पणी 18(1) के साथ पठित अनुसूची 8 का संदर्भ लें.

बैंक ने सरकारी प्रतिभृतियों, बांडों, डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभृति रसीदों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश किया है. 1 अप्रैल 2024 से बैंक ने निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण. मल्यांकन और परिचालन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों को अपनाया है और तदनुसार अपने निवेश पोर्टफोलियो को पुनः वर्गीकृत किया है.

निवेशों का मुल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधान महत्वपूर्ण कार्य हैं.

डेरिवेटिव का मुल्यांकन बाह्य इनपुट वाले मॉडलों के माध्यम से किया जाता है. बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में मुख्य रूप से ऐसे लेनदेन शामिल हैं जो इसके ग्राहकों की ओर से निष्पादित किए जाते हैं (तथा दुतरफा कवर किए जाते हैं) और बैंक की ब्याज दर एवं विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए किए गए लेनदेन शामिल हैं

बैंक ने अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को उचित मूल्य पदानुक्रम के आधार पर स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत किया है.

हमने निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मुल्यांकन और परिचालन के लिए रिजर्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों में संक्रमण तथा डेरिवेटिव को अत्यधिक जटिलता और निहित निर्णय को ध्यान में रखते हए मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है.

हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में रिजर्व बैंक के नये परिपत्र के अनुरूप संक्रमण के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को समझना शामिल था.

- हमने बोर्ड द्वारा विधिवत अनमोदित बैंक के आंतरिक नोट की समीक्षा की है, जिसमें रिजर्व बैंक के नये परिपत्र के अनुरूप संक्रमण के लिए दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है.
 - रिज़र्व बैंक के नये परिपत्र के अनुरूप संक्रमण के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को समझने के लिए प्रबंधन से पछताछ की.
- प्रतिभृतियों की प्रत्येक श्रेणी के वर्गीकरण के लिए विचारित औचित्य की समीक्षा.
 - निवेश से संबंधित मूल्यांकन, एनपीआई की पहचान, प्रावधान / मूल्यहास के संबंध में रिजर्व बैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और समझे;
- प्रासंगिक दस्तावेज / रिकॉर्ड / रिपोर्ट की समीक्षा:
- रिज़र्व बैंक के नये परिपत्र में संक्रमण के संबंध में बोर्ड और इसकी समिति की बैठकों के कार्यवृत्त का अवलोकन किया.
- रिजर्व बैंक के प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन की समीक्षा की;
- बैंक की लेखा नीति की समीक्षा की.
 - 31 मार्च 2025 को बैंक के निवेशों के मूल्यांकन का स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया.
 - बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन पद्धतियों की तर्कसंगतता को समझने के लिए डेरिवेटिव के मूल्यांकन के लिए विचार की गई कीमत की परीक्षण-जांच के आधार पर समीक्षा की:

Transition to Revised RBI Guidelines for Investment Portfolio

read with relevant Note 18(1) gaining an understanding of the to the Consolidated Financial approach adopted by the Bank Statements relating to transition for transition to the new RBI to new RBI Circular related to Investments

The Bank has made investments Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts, and other securities. approved effect from April 01, 2024, the Bank has adopted the revised guidelines issued by RBI for classification, valuation and operation of investment portfolio and accordingly, re-classified its investment portfolio.

Valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments are critical functions.

Derivatives are valued through models with external inputs. The derivatives portfolio of the Bank primarily includes transactions which are executed on behalf of its clients (and are covered on a back-to-back basis) and transactions to hedge the Bank's interest rate and foreign currency

The Bank has also classified its derivatives portfolio based on the fair value hierarchy as Level 1, Level 2 and Level 3.

We have identified the transition to the revised RBI Guidelines Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio and derivatives as the Key Audit Matter considering its high degree of complexity and judgements involved.

Please refer to Schedule 8 Our audit precedure involved Circular.

- We have reviewed the internal note of the Bank duly approved by the Board, describing the approach for transition to the new RBI Circular
 - Carried out inquiry with the management to understand the approach adopted by the Bank for transition to the new RBI Circular
- Reviewed the rationale considered classification of each category of the securities
- Evaluated understood the Bank's internal control system to comply with the relevant RBI guidelines regarding valuation. identification of NPIs, provisioning / depreciation related to investments;
- Review Ωf relevant document / records / reports:
- Perused minutes Board and its Committee meetings regarding transition to the new RBI Circular;
- Reviewed compliance with the relevant RBI Circulars:
- Reviewed the Accounting Policy of the Bank
- Independently valuation of investments of the Bank as on March 31, 2025.
- Reviewed, on test-check basis, price considered valuation derivatives to understand reasonableness of the valuation methodologies used by the Bank;

 रिजर्व बैंक के नये परिपत्र में संक्रमण के लिए वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन की उपयुक्तता का आकलन किया गया.

समेकित वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

अन्य जानकारी तैयार करने के लिए बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं. अन्य जानकारी में प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण, कारोबारी उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में निदेशकों की रिपोर्ट, कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट शामिल हैं, लेकिन इनमें एकल वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं. अन्य जानकारी इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की आशा है.

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और उस पर हम किसी तरह का आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमें उपलब्ध कराए जाने पर उक्त निर्दिष्ट अन्य जानकारी का अध्ययन करें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों से अथवा लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त की गई सूचना से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से मिथ्यावर्णन प्रतीत होती है.

जब हम अन्य जानकारी का अध्ययन करते हैं यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई तात्विक मिथ्यावर्णन है, तो हमारे लिए उस तथ्य को अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को उसकी सुचना देना आवश्यक है.

समेकित वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन एवं अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तृति के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो कंपनी (लेखा मानक) नियम 2021, यथासंशोधित, जहां तक वे बैंकों पर लागु होते हैं के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों में वर्णित निर्धारण एवं मापन सिद्धांतों के अनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिजर्व बैंक ('रिजर्व बैंक') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों. बैंकों पर यथा प्रयोज्य. समृह और इसकी सहयोगी संस्थाओं की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तत करते हैं. बैंक और समृह में शामिल सहायक कंपनियों और इसकी सहयोगी संस्थाओं का संबंधित निदेशक मंडल समृह और इसकी सहयोगी संस्थाओं की आस्तियों की सुरक्षा के लिए, धोखाधडी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों और रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखना ; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करनाः तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत निर्णय लेना और पूर्वानुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उन्हें बनाए रखना, जो लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित थे, सही एवं उचित स्थिति प्रस्तृत करने वाली धोखाधडी या गलती के कारण होने वाले महत्वपूर्ण मिथ्या कथन से मुक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार और Assessed the appropriateness of the related disclosures in the financial statements for transition to the new RBI Circular.

Information other than the consolidated financial statements and Auditor's Report thereon

The Bank's management and Board of Directors are responsible for preparation of Other Information. The other information comprises the Management Discussion and Analysis, Business Responsibility and Sustainability Report, Directors' Report forming part of the Annual Report, Corporate Governance Report but does not include the Standalone Financial Statements, Consolidated Financial Statements and our auditor's report thereon. The other information is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the Other Information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

The Bank's management and Board of Directors are responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Act with respect to the preparation and presentation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group, including its associates, in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Accounting Standards specified under Section 133 of the Act read with Companies (Accounting Standard) Rules 2021, as amended, in so far as they apply to banks, provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India ('RBI') from time to time, as applicable to the Bank. The respective Board of Directors of the Bank and the subsidiary companies included in the Group and its associate companies are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act and the RBI Guidelines, for safeguarding of the assets of the Group and its associates, for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a



प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो उपर्युक्तानुसार बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य के लिए उपयोग किये गये हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं में शामिल संबंधित कंपनियों के प्रबंधन और निदेशक मंडल समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं के कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने के लिए संबंधित कंपनियों की क्षमता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन की कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह हैं जब तक कि संबंधित निदेशक मंडल का इरादा समूह और इसके सहयोगी संस्थाओं में शामिल कंपनियों का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो या ऐसा न करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो.

समूह में शामिल कंपनियों और इसकी सहयोगी संस्थाओं के संबन्धित निदेशक मण्डल समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बात का आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी प्रकार के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो. उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एसए के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में पहले से मौजूद महत्वपूर्ण मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए. धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर हो सकता है और और इसे महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब इनकी अकेले या समग्र रूप से इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को उचित रूप से प्रभावित करने की संभावना हो सकती हो.

एसए के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं. हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिध्याकथन के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए हों, उन जोखिमों के अनुरूप लेखा प्रक्रियाएं तैयार करना और उन पर कार्रवाई करना हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो पर्याप्त और उचित हों. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिध्याकथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, कपट, जानबूझ कर छोड़ी गई त्रुटियां, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है.
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना जो उन परिस्थितियों के लिए उचित हों. अधिनियम की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों के पास समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था है तथा क्या इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है.
- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों का औचित्य एवं समेकित वित्तीय विवरणों में उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मृल्यांकन करना.

true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the consolidated financial statements, the Management and Board of Directors of the respective companies included in the Group and its associates are responsible for assessing the ability of the respective companies included in the Group and its associates to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless respective the Board of Directors either intends to liquidate the companies included in the Group and its associate companies or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the Companies included in the Group and of its associates are also responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and of its associates.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an Auditor's Report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Group and its associate companies have adequate internal financial controls with reference to consolidated financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures in the consolidated financial statements made by the Management and Board of Directors.

- प्रबंधन और निदेशक मंडल के लेखांकन के कार्यशील संस्था के रूप में उपयोग करने के उपयुक्तता पर अपना निष्कर्ष देना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इस बात का पता लगाना कि क्या उन घटनाओं या पिरस्थितियां से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चतता मौजूद है जिसमें सहयोगी कंपनियों सिहत समूह के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की सक्षमता पर सार्थक संदेह व्यक्त करती हो. यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चतता विद्यमान है तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं है तो हमें अपने अभिमत को संशोधित करना होगा. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर आधारित हैं. तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां सहयोगी कंपनियों सहित समूह के कार्यशील संस्था के रूप में बने न रहने का कारण बन सकती हैं.
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का मूल्यांकन करना तथा क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं का निरूपण इस ढंग से करते हैं कि वे निष्पक्ष प्रस्तुति कर सकें.
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों के भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायों हैं. हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं. इस संबंध में हमारी जिम्मेदारियों को इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 'अन्य मामले' शीर्षक खंड के पैरा (क) और (ख) में आगे विर्णत किया गया है.

हम बैंक में अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे, उसकी अवधि और लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण किमयों सिहत लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में अवगत कराते हैं.

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तितयों को वक्तव्य भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और साथ ही सभी संबंधों और उन मामलों की जो हमारी स्वतंत्रता को उचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं, और जहां भी लागू हो वहां उनसे संबंधित सावधानियों की भी जानकारी देते हैं.

अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को सूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो चालू वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे और इसलिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं. हम उन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन द्वारा इस मामले के प्रकटन के लिए या तो रोका न जाए या फिर अत्यंत विरल परिस्थितियों में जब हम यह निर्णय लें कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा संप्रेषण करने से लोक हित पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ने की आशंका है.

- Conclude on the appropriateness of the Management and Board of Director's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's, including its associate companies, ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our Auditor's Report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our Auditor's Report. However, future events or conditions may cause the Group, including its associate companies, to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group and its associate companies to express an opinion on the Consolidated Financial Statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the Consolidated Financial Statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion. Our responsibilities in this regard are further described in para (a) and (b) of the section titled 'Other Matters' in this audit report.

We communicate with those charged with governance of the Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current year and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Independent Auditors' Report

अन्य मामले

- हमने पांच सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है. क) जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2025 को कुल आस्तियां ₹ 1,185 करोड़, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए क्रमशः कुल राजस्व ₹ 399 करोड़ और कर पश्चात कल निवल लाभ ₹ 96 करोड़ दिखाया गया है; और समेकित वित्तीय विवरणों में निवल नकदी अंतर्वाह ₹ 11 करोड है, जिनकी लेखापरीक्षा उनके स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, इन सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक इन सहायक कंपनियों से संबंध में शामिल की गई राशियों और प्रकटीकरणों का संबंध है. सिर्फ ऐसे लेखापरीक्षकों की रिपोर्टी पर ही आधारित है और हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया उपर्युक्त पैराग्राफ में दी गई है.
- समेकित वित्तीय विवरण में एक सहयोगी कंपनी [बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड (27.93%)] के संबंध में समृह के हिस्सा का कर पश्चात निवल लाभ ₹ 0.01 करोड स्पये शामिल है. इस सहयोगी कंपनी के वित्तीय विवरणों का न तो हमारे द्वारा और न ही उनके संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा किया गया है. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस सहयोगी कंपनी के वित्तीय विवरण समृह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं. इन अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को उस सहयोगी कंपनी के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इस सहयोगी कंपनी के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है. सिर्फ ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी पर आधारित है.
- हम लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 18(10) की ओर **11**) ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कहा गया है कि समेकित वित्तीय विवरणों में उन तीन सहयोगी कंपनियों के वित्तीय जानकारी शामिल नहीं हैं जिनके 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इन तीन सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं. लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों में एक सहयोगी-एनएसडीएल (26.10%) के संबंध में 31 दिसंबर 2024 को समाप्त नौ महीनों का समृह का हिस्सा ₹ 67 करोड का कर-पश्चात निवल लाभ शामिल है. इन वित्तीय परिणामों की समीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है. जिनकी समीक्षा रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई है और लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा निष्कर्ष. जहां तक यह इस सहयोगी के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है. सिर्फ अन्य लेखा परीक्षक की समीक्षा रिपोर्टी और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं पर आधारित है. नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (25%) के संबंध में 31 मार्च 2024 तक के खातों को समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है. पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (21.14%) के मामले में, उक्त कंपनी में निवेश को 1 रुपये तक मूल्यहासित कर दिया गया है और उसे समेकित नहीं किया गया है.

Other Matters

- We did not audit the financial statements of five subsidiary companies, whose financial statements reflect total assets of Rs.1,185 crores as at March 31, 2025, total revenues of Rs.399 crores and total net profit after tax of Rs.96 crores for the year ended March 31, 2025 respectively, and net cash inflows of ₹ 11 crores as considered in the Consolidated Financial Statements, which have been audited by its independent auditors. The independent auditors' report on financial statements of these subsidiaries have been furnished to us by the management and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, is based solely on the reports of such auditors and the procedures performed by us as stated in paragraph
- The Consolidated Financial Statements include the Group's share of net profit after tax of Rs.0.01 crore in respect of an associate company [Biotech Consortium India Limited (27.93%)]. The financial statements of this associate company have neither been audited by us nor by their respective auditors. According to the information and explanations given to us by the Management, the financial statements of this associate is not material to the Group. This unaudited financial statements have been approved by the Management of that associate company and furnished to us by the Management and our opinion on the Consolidated Financial Statements in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this associate company, is solely based on such unaudited financial statements / financial information.
- We draw attention to Note 18(10) of the Audited Consolidated Financial Statements which states that the Consolidated Financial Statements does not include the financial information in respect of three associate companies for which financial statements for the year ended March 31, 2025 have not been received. According to the information and explanations given to us by the Management, the financial statements of these three associate companies are not material to the Group. The Audited Consolidated Financial Statements include the Group's share of net profit after tax of Rs.67 crore nine months ended December 31, 2024 in respect of one associate-NSDL (26.10%). These financial results have been reviewed by other auditors, whose review report has been furnished to us by the Management and our conclusion on the Audited Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this associate is based solely on the review reports of the other auditor and the procedures performed by us. In respect North Eastern Development Finance Corporation Limited (25%), accounts up to March 31, 2024 have been included in the Consolidated Financial Statements. In case of Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited (21.14%), the investment in the said company has been written down to Re.1 and not consolidated.

घ) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पूर्ववर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी 4 मई 2024 की रिपोर्ट में अपरिवर्तित राय व्यक्त की गई थी. उपरोक्त रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के उद्देश्य से हमने इस पर भरोसा किया है.

उपरोक्त मामलों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय संशोधित नहीं की गई है.

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ-हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों, अधिनियम की धारा 133 तथा साथ में पठित कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021, यथा संशोधित, इसके तहत जारी किए गए नियमों, के अनुसार तैयार किए गए हैं.
- उत्तरा के अधिनयम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित/समीक्षित ऐसी सहायक कंपिनयों की अन्य वित्तीय जानकारियों पर विचार के आधार पर, जैसा कि 'अन्य मामले' पैराग्राफ में उल्लिखित किया गया है हम, जहां तक लागू हो, रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगे एवं प्राप्त किये हैं जो उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणें की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सम्पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे.
 - (ख) हमारी राय में, बैंक द्वारा उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियों को रखा गया है, जैसा कि उन बहियों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी जांच से प्रतीत होता है:
 - (ग) इस रिपोर्ट में विचार किए गए समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजनार्थ रखी गई सुसंगत बहियों के अनुरूप हैं.
 - (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा मानक) नियम 2021, यथा संशोधित, के साथ पठित, अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों को पूरा करते हैं जहां तक वे रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं
 - (ङ) 31 मार्च 2025 को बैंक के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिये जाने के आधार पर और इसकी सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, समूह के किसी भी निदेशक को 31 मार्च 2025 को अधिनियम की धारा 164(2) के निबंधनों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है; और

The Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2024 have been audited by the predecessor auditors whose report dated May 4, 2024, had expressed an unmodified opinion. The above report has been furnished to us by the management and which has been relied upon by us for the purpose of our audit of the Consolidated Financial Statements.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements is not modified in respect of above matters.

Report on other legal and regulatory requirements

- The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and Section 133 of the Act and read with Companies (Accounting Standard) Rules, 2021, as amended, issued thereunder.
- As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit and on the consideration of report of the other auditors on separate financial statements and the other financial information of such subsidiary companies as were audited / reviewed by other auditors, as noted in the 'Other Matters' paragraph, we report, to the extent applicable, that:
 - (a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid Consolidated Financial Statements;
 - (b) in our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid Consolidated Financial Statements have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and the reports of the other auditors;
 - (c) the consolidated balance sheet, the consolidated profit and loss account, and the consolidated cash flow statement dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements;
 - (d) in our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Companies (Accounting Standard) Rules, 2021, as amended, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;
 - (e) on the basis of the written representations received from the directors of the Bank as on March 31, 2025, taken on record by the Board of Directors of the Bank and the report of the statutory auditors of its subsidiary companies, none of the directors of the Group is disqualified as on March 31, 2025, from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act; and



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Independent Auditors' Report

(च) समृह और इसकी सहयोगी संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावकारिता के संबंध में 'अनुबंध अ' में अलग से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें.

उपर्युक्त 'अन्य मामले' पैराग्राफ में उल्लिखित चार सहयोगी संस्थाओं के संबंध में. जिनके वित्तीय विवरणों/जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की गई है. अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत ऐसी संस्थाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्टिंग के अभाव में हम उक्त संस्थाओं के लिए ऐसे अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं.

- कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014, यथा संसोधित, के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा और सहायक तथा सहयोगी कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टी पर विचार के आधार पर जैसा कि 'अन्य मामले' पैरागाफ में नोट किया गया:
 - (क) समृह और इसकी सहयोगी कंपनियों ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी समेकित वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च 2025 को लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है. समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 18(13) (ए) (सी) देखें.
 - (ख) 31 मार्च 2025 के समेकित वित्तीय विवरणों में डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों, यदि कोई हों, के लिए लागू विधिक या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान किए हैं - समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 18(13) (ए)(बी) देखें.
 - (ग) 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक, भारत में निगमित इसकी सहायक और सहयोगी कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को अंतरित करने में कोई देरी नहीं की गई है.
 - बैंक और उसकी संबंधित सहायक कंपनियों के प्रबंधन ने (ঘ) (i) यह निरुपित किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखा टिप्पणियों (टिप्पणी 18 (14) (vii) का संदर्भ लें) में प्रकटन के अलावा, बैंक या इसकी सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों को या किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं), विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित किसी से कोई धनराशि अग्रिम या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) इस समझ के साथ

with respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements of the Group and its associates and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in 'Annexure A'.

In respect of four associate companies as referred to in 'Other Matter' paragraph above, whose financial statements / information have not been audited. In absence of reporting by statutory auditors of such entities under section 143(3) of the Act, we are unable to comment on such compliance for the said entities.

- With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our knowledge and belief and according to the information and explanations given to us and based on our audit and the consideration of the reports of the other auditors on separate financial statements of the subsidiary companies and associate companies as noted in the 'Other Matters' paragraph:
 - the Consolidated Financial Statements disclose the impact of pending litigations as at March 31, 2025 on the consolidated financial position of the Group and its associates - Refer Note No. 18(13) (a)(C) to the Consolidated Financial Statements:
 - provision has been made in the Consolidated Financial (b) Statements as at March 31, 2025, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts - Refer Note No.18(13) (a)(B) to the Consolidated Financial Statements;
 - there has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund during the year ended March 31, 2025 by the Bank, its subsidiary companies and associate companies incorporated in India
 - (d) The management of the Bank and its respective subsidiary companies have represented that, to the best of their knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to accounts, (Refer Note No. 18(14)(vii)) no funds (which are material either individually or in aggregate) have been advanced or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Bank or its subsidiary companies and associate companies to or in any other person(s) or entity(ies),

नहीं ली गई है (जो एकल रूप में या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण है), जो लिखित अथवा अन्यथा रूप में है कि मध्यस्थ, बैंक या इसकी सहयोगी कंपनियों या सहायक कंपनियों द्वारा या की ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभृति आदि प्रदान करेगा.

- (ii) बैंक और उसकी संबंधित सहायक कंपनियों के प्रबंधन ने यह निरूपित किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखा टिप्पणियों (टिप्पणी 18 (14) (vii) का संदर्भ लें) में प्रकटन के अलावा, बैंक या समृह की सहयोगी कंपनियों और सहायक कंपनियों से किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं), विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टी") सिहत किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि इस समझ के साथ प्राप्त नहीं हुई है (जो एकल रूप में या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण है), जो लिखित अथवा अन्यथा रूप में है कि बैंक या उसकी सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों की ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभृति आदि प्रदान करेगा.
- (iii) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उपर्युक्त उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन है.
- (iv) उपर्युक्त 'अन्य मामले' के पैराग्राफ में संदर्भित चार सहयोगी संस्थाओं के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरणों/ जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की गई है के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्टिंग के अभाव में कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों) नियमावली, 2014 के नियम 11(ई) के अंतर्गत हम उक्त संस्थाओं के लिए ऐसे अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं.

(ङ) लाभांश के संबंध में

 वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतिम लाभांश अधिनयम की धारा 123 के अनुपालन में है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 18(7)(बी) में निर्दिष्ट हैं. including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Bank or its subsidiary companies or its associate companies ('Ultimate Beneficiaries') or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

- The management of the Bank and its respective subsidiary companies have represented that, to the best of their knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to accounts (Refer Note No. 18(14)(vii)) no funds (which are material either individually or in aggregate) have been received by the Bank or its subsidiary companies or associate companies from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, the Bank or its subsidiary companies or associate companies shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ('Ultimate Beneficiaries') or provide any quarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries,; and
- (iii) Based on such audit procedures that were considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) above contain any material misstatement.
- (iv) In respect of for four associate companies as referred to in 'Other Matter' paragraph above, whose financial statements / information have not been audited, in absence of reporting by statutory auditors of such entities under Rule 11(e) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, we are unable to comment on such compliance for the said entities.
- (e) With respect to the dividend:
 - During the year, the final dividend declared and paid by the Bank is in compliance with section 123 of the Act as specified in Note 18(7)(B) to the Consolidated Financial Statements.



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Independent Auditors' Report

- समृह में 2 सहायक कंपनियों ने पिछले वर्ष प्रस्तावित लाभांश का भुगतान किया है जो अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है. समृह की अन्य सहायक संस्थाओं ने पिछले वर्ष किसी प्रकार के लाभांश का प्रस्ताव नहीं रखा है.
- समृह में 3 सहायक कंपनियों ने चालु वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश का भगतान किया है.
- इसके अलावा, जैसा कि ऊपर 'अन्य मामले' के पैराग्राफ में संदर्भित है, चार सहयोगी संस्थाओं के, जिनके वित्तीय विवरणों/ जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की गई है, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 (एफ) के तहत ऐसी संस्थाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्टिंग के अभाव में हम उपर्युक्त संस्थाओं के लिए इस तरह के अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ
- हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच शामिल है जो सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई. भारत में निगमित कंपनियां जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा की गई है. बैंक और भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी संबन्धित लेखा बहियों के रखरखाव के लिए लेखांकन साफ्टवेयर का उपयोग किया है. जिसमें लेखापरीक्षा टेल (एडिट लॉग) रिकार्डिंग करने की सविधा है और साफ्टवेयर में सभी लेनदेनों को रिकॉर्ड करने के लिए उसे परे वर्ष परिचालित किया है. इसके अलावा, लेखापरीक्षा के दौरान, हमें और अन्य लेखापरीक्षकों जिनकी रिपोर्ट बैंक प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई है को लेखा परीक्षा टेल के साथ हस्तक्षेप का कोई उदाहरण नहीं मिला. इसके अतिरिक्त. बैंक और भारत में निगमित सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षा टेल को रिकार्ड रखने की सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षित किया गया है.

इसके अलावा. जैसा कि ऊपर 'अन्य मामले' के पैराग्राफ में संदर्भित है, चार सहयोगी संस्थाओं के लिए, जिनके वित्तीय विवरणों/ जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की गई है. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11(जी) के तहत लेखापरीक्षा टेल पर रिपोर्टिंग के संबंध में ऐसी संस्थाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्टिंग के अभाव में उपर्युक्त वर्णित नियम 11(जी) के अंतर्गत हमारे द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट के संबंध में हम उक्त संस्थाओं के लिए ऐसे अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं.

अधिनियम की धारा 197(16) के तहत लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल 4. किए जाने वाले मामले के संबंध में. बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत परिभाषित एक बैंकिंग कंपनी है. तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 197 के तहत निर्धारित आवश्यकताएं बैंककारी

- 2 subsidiaries in the Group have paid the dividend proposed in the previous year which is in accordance with section 123 of the Act. Other subsidiaries of the Group have not proposed any dividend in the previous year.
- 3 subsidiaries in the Group have paid the interim dividend during the current year.
- Further, for four associate companies as referred to in 'Other Matter' paragraph above, whose financial statements / information have not been audited, in absence of reporting by statutory auditors of such entities under Rule 11(f) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, we are unable to comment on such compliance for the said entities.
- Based on our examination, which included test checks. and that performed by the auditors of the subsidiary companies which are the companies incorporated in India, whose financial statements have been audited under the Act, the Bank and its subsidiary companies incorporated in India have used accounting software for maintaining their respective books of account for the year ended March 31, 2025 which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. Further, during the course of audit, we and other auditors, whose reports have been furnished to us by the Management of the Bank, have not come across any instance of the audit trail feature being tampered with. Additionally, the audit trail has been preserved by the Bank and its subsidiary companies incorporated in India as per the statutory requirements for record retention.

Further, for four associate companies as referred to in 'Other Matter' paragraph above, whose financial statements / information have not been audited, in absence of reporting by statutory auditors of such entities with respect to reporting on audit trail under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 during the year ended March 31, 2025, we are unable to comment on such compliance for such entities as required to be reported by us under Rule 11(g) mentioned above.

With respect to the matter to be included in the Auditors' Report under section 197(16) of the Act. the Bank is a banking company as defined under Banking Regulation Act, 1949. Accordingly, the requirements prescribed under Section 197 of the

विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी(2ए) के आधार पर लागू नहीं होती हैं.

जिन सहायक कम्पनियों की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी, उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, सहायक कम्पनियों द्वारा अपने निदेशकों को चालू वर्ष के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है. सहायक कंपनी द्वारा किसी भी निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है.

इसके अलावा, ऊपर 'अन्य मामले' पैराग्राफ में संदर्भित चार सहयोगी कंपनियों के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरण / सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की गई है, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान धारा 197 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में ऐसी संस्थाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्टिंग के अभाव में, हम उपर्युक्त संस्थाओं के लिए ऐसे अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं, जैसा कि अधिनियम की धारा 197 (16) के तहत हमारे द्वारा रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है.

कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी For Chokshi & Chokshi LLP

सनदी लेखाकार/Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 101872W / W100045)

राकेश जैन Rakesh Jain साझेदार/Partner

स. सं./M.No. 042364 राहीआईएन/ IDIN: 25042

यूडीआईएन/ UDIN: 25042364BM0IQX5297

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai

दिनांक : 28 अप्रैल 2025 / Date : April 28, 2025

Companies Act, 2013 (the 'act') do not apply by virtue of Section 35B(2A) of the Banking Regulation Act, 1949.

Based on the reports of the statutory auditors of the subsidiary companies which were not audited by us, the remuneration paid during the current year by the subsidiary companies to its directors are in accordance with the provisions of Section 197 of the Act. The remuneration paid to any director by the subsidiary company is not in excess of the limit laid down under Section 197 of the Act.

Further, in respect of four associate companies as referred to in 'Other Matter' paragraph above, whose financial statements / information have not been audited, in absence of reporting by statutory auditors of such entities with respect to compliance of the provisions of section 197 during the year ended March 31, 2025, we are unable to comment on such compliance for the said entities as required to be reported by us under section 197(16) of the Act.

कृते सूरी एंड कंपनी For Suri & Co. सनदी लेखाकार/Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/(FRN – 004283S)

नटराजन वी. Natarajan V. साम्रेचर/Partner स. सं./M.No. 223118 यूडीआईएन/ UDIN: 25223118BMJLEB9003



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Independent Auditors' Report

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की सम दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध अ

(31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों को सम दिनांकित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 2(एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ("बैंक"), इसकी सहायक कंपनियों (बैंक और इसकी सहायक कंपनियों को सामहिक रूप से 'समृह' के रूप में संदर्भित किया गया है) और सहयोगी कंपनियों, जो कि 31 मार्च, 2025 को भारत में निगमित कंपनियां हैं, के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में सम दिनांकित को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

संबंधित कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट ('मार्गदर्शी नोट') में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक और संबंधित कंपनी द्वारा स्थापित समेकित वित्तीय विवरणों के मानदंडों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं. इन जिम्मेदारियों में संबंधित कंपनी की नीतियों के अनुपालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, इसकी आस्तियों की स्रक्षा, धोखाधड़ियों और त्रृटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्डी की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समयबद्ध रूप से तैयार करना शामिल है.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी बैंक, इसकी सहायक और सहयोगी कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, के समेकित वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर राय अभिव्यक्त करने की है. हमने आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट और अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों ('मानकों') के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लाग सीमा तक अपनी लेखापरीक्षा की. उन मानकों और मार्गदर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और निष्पादित करें कि

Annexure A to the Independent Auditor's Report of even date on the Consolidated Financial Statements of IDBI Bank Limited for the year ended March 31, 2025

(Referred to in paragraph 2(f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' in the Independent Auditor's Report of even date to the members of IDBI Bank Limited on the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2025)

Report on the Internal Financial Controls with reference to the aforesaid consolidated financial statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls with reference to consolidated financial statements of IDBI Bank Limited ("the Bank"), its subsidiary companies (The Bank and its subsidiary companies together to be referred to as 'the Group') and associate companies, which are companies incorporated in India as of March 31, 2025, in conjunction with our audit of the consolidated financial statements of the Bank for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The respective company's management and Board of Directors are responsible for establishing and maintaining internal financial controls with reference to consolidated financial statements criteria established by the Bank and respective companies considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('the Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('the ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the respective Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ("the Act").

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls with reference to consolidated financial statements of the Bank, its subsidiary companies and associate companies, which are companies incorporated in India, based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note issued by the ICAI and the Standards on Auditing ('the Standards'), prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls with reference to consolidated financial statements. Those Standards and the Guidance Note require that इस आशय के लिए समुचित आश्वासन मिल सके कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए हैं और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किए गए हैं.

हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालनीय प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएँ शामिल हैं. समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करना, ऐसी जोखिमों का आकलन करना जहां तात्विक कमी विद्यमान है, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण तैयार करना और परिचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है. चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिनमें समेकित वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक मिथ्या कथन की जोखिम का आकलन शामिल है

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा अन्य मामले पैराग्राफ में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, बैंक, इसकी सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य प्रयोजनों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई गई है. समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो:

- (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो यथोचित ब्योरे, पिरशुद्धता और बैंक की आस्तियों के संव्यवहारों और निपटानों को उचित रूप से दर्शाते हैं:;
- (2) इस आशय के लिए यथोचित आश्वासन देते हैं कि संव्यहार सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमत अपेक्षा के साथ दर्ज किए जाते हैं और यह भी कि बैंक की प्राप्तियाँ और व्यय बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं: और

we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to consolidated financial statements were established and maintained and whether such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to consolidated financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to consolidated financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to consolidated financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their report referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls with reference to consolidated financial statements of the Bank, its subsidiary companies and associate companies, which are companies incorporated in India.

Meaning of Internal Financial Controls with Reference to Consolidated Financial Statements

A Bank's internal financial controls with reference to consolidated financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of consolidated financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial control with reference to consolidated financial statement includes those policies and procedures that

- pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank;
- provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of consolidated financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Independent Auditors' Report

बैंक की आस्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम या समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन देते हैं, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड सकता था.

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं. जिनमें नियंत्रणों के टकराव अथवा असंगत प्रबंधन से अधिव्यापन की संभावना शामिल है, के कारण त्रृटि अथवा धोखाधडी की वजह से तात्विक मिथ्याकथन की घटना हो सकती है और उनका पता न लगाया जा सके. साथ ही, भावी अवधियों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मृल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में आने वाली गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं.

अभिमत

हमारी राय में. और समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टी के विचार के आधार पर, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंक, इसकी सहायक और सहयोगी कंपनियां में, जो भारत में निगमित हैं, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक, इसकी सहायक और सहयोगी कंपनियों द्वारा स्थापित समेकित वित्तीय विवरणों के मानदंड के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2025 को प्रभावी रूप से काम कर रहे थे.

अन्य मामले

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालनगत प्रभावकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट का जहां तक निम्न तथ्यों से संबंध है:

- भारत में निगमित चार सहायक कंपनियों की उन कंपनियों के संबंधित लेखा परीक्षकों की तद्नुरूपी रिपोर्ट पर आधारित हैं;
- भारत में निगमित एक सहायक कंपनी. जिसके विशिष्ट उद्देश्य के लिए वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण उसके स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा किया गया है. ने अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है. समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय प्रभावित नहीं होती है. क्योंकि इन समेकित वित्तीय विवरणों में इस

provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the consolidated financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with Reference to Consolidated Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to consolidated financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to consolidated financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to consolidated financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and based on the consideration of the reports of the other auditors on internal financial controls with reference to consolidated financial statements, to the best of our information and according to explanations given to us, the Bank, its subsidiary companies and associate companies, which are incorporated in India, have, in all material respects, an adequate internal financial controls with reference to consolidated financial statements and such internal financial controls were operating effectively as at March 31, 2025, based on internal control with reference to consolidated financial statements criteria established by the Bank, its subsidiary companies and associate companies considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note.

Other Matters

Our aforesaid reports under Section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls with reference to consolidated financial statements in so far as it relates to:

- Four subsidiary companies, incorporated in India, are based on the corresponding report of the respective auditors of those companies.
- One subsidiary company, incorporated in India, whose special purpose financial statements has been audited by it's independent auditor has not furnished a report under section 143(3)(i) of the Act. Our opinion on the Internal Financial Controls with reference to consolidated financial statements is not affected as the net profit /loss and disclosures included

सहायक कंपनी के संबंध में शामिल निवल लाभ/हानि और प्रकटीकरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.

भारत में निगमित चार सहयोगी कंपनियों, जिनके वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी का लेखा परीक्षण नहीं किया गया है, के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय प्रभावित नहीं है क्योंकि समेकित वित्तीय विवरणों में इन सहयोगी कंपनियों के संबंध में शामिल निवल लाभ / हानि और प्रकटीकरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.

इन मामलों के संबंध में हमारे मत को संशोधित नहीं किया गया है Our opinion is not modified in respect of these matters.

कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी For Chokshi & Chokshi LLP

सनदी लेखाकार/Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 101872W / W100045)

राकेश जैन Rakesh Jain

साझेदार/Partner स. सं./M.No. 042364 यूडीआईएन/ UDIN: 25042364BMOIQX5297

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai

दिनांक : 28 अप्रैल 2025 / Date : April 28, 2025

in respect of this subsidiary in these consolidated financial statements are not material to the Group.

Four associate companies, incorporated in India whose financial statements / financial information are unaudited, our opinion on the Internal Financial Controls with reference to consolidated financial statements is not affected as the share of net profit / loss and disclosures included in respect of these associate companies in the consolidated financial statements are not material to the Group.

कृते सूरी एंड कंपनी For Suri & Co.

सनदी लेखाकार/Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/(FRN – 004283S)

नटराजन वी. Natarajan V.

साझेदार/Partner स. सं./M.No. 223118 यूडीआईएन/ UDIN: 25223118BMJLEB9003



समेकित तुलन-पत्र 31 मार्च 2025 को Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2025

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			(1 000 4 / 111 000)
	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
पूंजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	10752 40 22	10752 40 22
रिजर्व और अधिशेष / Reserves and surplus	2	50867 64 93	40320 65 69
अल्पसंख्यक हित / Minority Interest	2A	164 83 16	152 85 74
जमाराशियां / Deposits	3	309975 04 07	277365 51 49
उधार राशियां / Borrowings	4	19931 99 42	17082 69 58
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	21269 97 74	18985 07 49
कुल / TOTAL		412961 89 54	364659 20 21
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष			
Cash and balances with Reserve Bank of India	6	21294 23 76	13990 99 92
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि			
Balances with banks and money at call and short notice	7	23182 34 35	12018 47 70
निवेश / Investments	8	118452 80 38	115718 59 53
अग्रिम / Advances	9	218399 15 56	188575 61 69
अचल आस्तियां / Fixed Assets	10	12200 01 61	9542 29 77
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	19433 33 88	24813 21 60
कुल / TOTAL		412961 89 54	364659 20 21
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	12	323028 65 33	197055 57 70
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		12757 55 78	12363 89 59
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां समेकित तुलन पत्र के अभिन्न भाग के रूप में है The Schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Balance Sheet			

(समित फक्का)

(Sumit Phakka)

उप प्रबंध निदेशक

Dy. Managing Director

डीआईएन/DIN: 10041362 डीआईएन/DIN: 08259618 डीआईएन/DIN: 01853823

(समरेश परिदा)

निदेशक

Director

(Samaresh Parida)

(स्मिता कुबेर)

(Smita Kuber)

मुख्य वित्तीय अधिकारी कंपनी सचिव

Chief Financial Officer Company Secretary

(ज्योति नायर)

(Jyothi Nair)

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer डीआईएन/DIN: 06846594

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी For Chokshi & Chokshi LLP

फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 101872W/W100045 फर्म पंजीयन संख्या /FRN-004283S

कृते सूरी एंड कंपनी For Suri & Co सनदी लेखाकार/Chartered Accountants सनदी लेखाकार/Chartered Accountants

> नटराजन वी Natarajan V साझेदार/Partner स. सं./M.No. 223118

(जयकमार एस. पिल्लै)

(Jayakumar S. Pillai))

Dy. Managing Director

उप प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai

दिनांक : 28 अप्रैल 2025 / Date : April 28, 2025

राकेश जैन

Rakesh Jain

साझेदार/Partner

स. सं./ M.No. 042364

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2025

				(2 000 4 / 2 111 000)
		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024
ı	आय/ INCOME			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	28917 06 50	26445 65 27
	अन्य आय / Other Income	14	5141 68 04	3924 76 02
	कुल / TOTAL		34058 74 54	30370 41 29
II	व्यय / EXPENDITURE			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	14256 54 98	12226 35 92
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	8619 01 61	8370 39 27
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies		3594 19 16	4010 25 06
	कुल / TOTAL		26469 75 75	24607 00 25
III	लाभ / PROFIT			
	सहयोगी संस्थाओं में अर्जन/(हानि) का हिस्सा Share of Earnings/(loss) in Associates		67 33 31	50 68 95
	अल्पसंख्यक हित की कटौती से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ/(हानि) Consolidated Net profit/(loss) for the year before deducting Minorities' Interest		7656 32 10	5814 09 99
	घटाएं: अल्पसंख्यकों का हित / Less: Minorities' Interest		25 63 83	25 98 82
	समूह से वर्ष का समेकित लाभ/(हानि) Consolidated profit/(loss) for the year attributable to the group		7630 68 27	5788 11 17
	जोड़ें: समूह से आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि) Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		7685 80 63	4577 92 21
	कुल / TOTAL		15316 48 90	10366 03 38
IV	विनियोजन / APPROPRIATIONS			
	सांविधिक रिजर्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		1878 79 43	1408 52 35
	पूंजीगत रिजर्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		119 81 63	41 33 02



समिकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2025

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		'	
	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024
सामान्य रिजर्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		-	3 13 81
अंतरिम/अंतिम लाभांश Interim/Final Dividend		1612 86 03	1075 24 02
निवेश घट-बढ़ रिजर्व (आईएफआर) में अंतरण Transfer to Investment Fluctuation Reserve (IFR)		-	151 99 55
शेष राशि समेकित तुलनपत्र में ले जाई गई Balance carried over to Consolidated balance sheet		11705 01 81	7685 80 63
कुल / TOTAL		15316 48 90	10366 03 38
प्रति शेयर अर्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) Earnings per Share (₹) (Face Value ₹ 10 per Share)	18 (7a)	7.10	5.38
न्यूनीकृत / Diluted		7.10	5.38
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां समेकित लाभ-हानि खाते के अभिन्न अंग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Profit and Loss Account			

(समित फक्का)

(Sumit Phakka)

उप प्रबंध निदेशक

डीआईएन/DIN: 10041362 डीआईएन/DIN: 08259618 डीआईएन/DIN: 01853823

(समरेश परिदा)

निदेशक

Director

(Samaresh Parida)

(स्मिता कुबेर)

(Smita Kuber)

मुख्य वित्तीय अधिकारी कंपनी सचिव

Chief Financial Officer Company Secretary

(ज्योति नायर)

(Jyothi Nair)

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer डीआईएन/DIN: 06846594

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी For Chokshi & Chokshi LLP

सनदी लेखाकार/Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 101872W/W100045 फर्म पंजीयन संख्या /FRN-004283S

कृते सूरी एंड कंपनी For Suri & Co

(जयकमार एस. पिल्लै)

(Jayakumar S. Pillai))

उप प्रबंध निदेशक

सनदी लेखाकार/Chartered Accountants

Dy. Managing Director Dy. Managing Director

राकेश जैन नटराजन वी Rakesh Jain Natarajan V साझेदार/Partner साझेदार/Partner स. सं./ M.No. 042364 स. सं./M.No. 223118

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai

दिनांक : 28 अप्रैल 2025 / Date : April 28, 2025

अनुसूची 1 - पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
प्रत्येक ₹ 10 के 2100 00 00 000 इक्विटी शेयर 2100 00 00 000 Equity Shares of ₹ 10 each	21000 00 00	21000 00 00
	21000 00 00	21000 00 00
निर्गमित, अभिदत्त और चुकता पूंजी / Issued, Subscribed & Paid up Capital		
प्रत्येक ₹ 10 के 1075 24 02 175 (1075 24 02 175) पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर 1075 24 02 175 (1075 24 02 175) Equity Shares of ₹10 each fully paid up (अनुसूची 18 टिप्पणी 14 (l) देखें) / (Refer Schedule 18 Note 14 (l))	10752 40 22	10752 40 22
कुल / TOTAL	10752 40 22	10752 40 22

अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

			<u>₹ '000 में / ₹ in '000)</u>
		यथा 31 मार्च 2025 को	यथा 31 मार्च 2024 को
		As at	As at
		March 31, 2025	March 31, 2024
I	सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	5744 22 78	4335 70 43
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	1878 79 43	1408 52 35
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		7623 02 21	5744 22 78
II	विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजार्व/ Foreign Currency Translation Reserves		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	18 21 88	13 68 77
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	5 27 27	4 53 11
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		23 49 15	18 21 88
Ш	पूंजी रिज़र्व / Capital Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	3228 03 23	3186 70 21
	वर्ष के दौरान परिवर्धन#/ Additions during the year#	119 83 51	41 33 02
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		3347 86 74	3228 03 23
V	समेकन पर पूंजी रिज़र्व / Capital Reserve on Consolidation		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	381 92 52	345 51 27
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	104 97 79	36 41 25
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		486 90 31	381 92 52
V	पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	7933 45 36	8200 97 55
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	2854 62 37	-
	सामान्य रिजर्व में अंतरण / Transfer to General Reserve	276 43 99	267 52 19
		10511 63 74	7933 45 36



			यथा 31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
VI		ग्रीमियम / Share Premium		
		ह शेष* / Opening Balance*	5323 56 46	5323 52 07
	वर्ष के	दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	
	वर्ष के	दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	
VII	गासम्ब	और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserve	5323 56 46	5323 52 07
VII		सामान्य रिजर्व General Reserve		
		प्रारंभिक शेष / Opening balance	7540 13 01	7269 47 01
		वर्ष के दौरान परिवर्धन (समेकित समायोजनों को छोडकर)		
		Additions during the year (Net of Consolidation Adjustments) पुनर्मूल्यन रिजर्व से अंतरित	1029 78 76	3 13 81
		Transferred from Revaluation Reserve	276 43 99	267 52 19
		वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
			8846 35 76	7540 13 01
	(竱) (b)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
		प्रारंभिक शेष / Opening balance	6 35 04	6 35 04
		वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	
		वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	(c)	आयकर अधिनियम, 1961 को धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व Special Reserve created & maintained under Section 36(1)(viii) of	6 35 04	6 35 04
		the Income Tax Act, 1961	1566 00 00	1566 00 00
		प्रारंभिक शेष / Opening balance वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	- 1000 00 00	- 1000 00 00
		वर्ष के पोरान पारवधन / Additions during the year वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	_	
		यप के पारान कटातिया / Deductions during the year	1566 00 00	1566 00 00
	(घ) (d)	निवेश घट-बढ़ रिज़र्व Investment Fluctuation Reserves	1,000,00	
		प्रारंभिक शेष / Opening balance	892 99 17	740 99 62
		वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	151 99 55
		वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
			892 99 17	892 99 17
	(ङ) (e)	एएफ़एस रिज़र्व AFS Reserve		
		प्रारंभिक शेष / Opening balance		
		वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	534 44 54	
		वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year		
VIII	त्याणा व	हानि लेखे में शेष राशि / Balance in Profit and Loss Account	534 44 54 11705 01 81	7685 80 63

[#] एएफ़एस के अंतर्गत नामित इक्विटी लिखतों की बिक्री से ₹1 88 हजार का लाभ शामिल है

[#] includes gain of ₹1 88 Thousand on sale of equity instruments designated under AFS

^{*} सहायक संस्थाओं के आंकड़ों को हटाने के बाद

^{*} After eliminations of subsidiaries figures.

अनुसूची 2 अ - अल्पसंख्यक हित / SCHEDULE 2A - MINORITY INTEREST

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
मूल-सहायक संबंध अस्तित्व में आने की तिथि को अल्पसंख्यक हित Minority interest at the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	29 84 39	29 84 39
बाद में वृद्धि/(कमी) / Subsequent increase/(decrease)	134 98 77	123 01 35
तुलन पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक हित / Minority interest on the date of balance sheet	164 83 16	152 85 74

अनुसूची 3 - जमाराशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
अ. / A.			
I.	मांग जमाराशियां / Demand Deposits		
	(i) बैंकों से / From banks	13176 48 20	11774 13 82
	(ii) अन्य से / From others	48782 52 82	37081 62 39
	कुल (i तथा ii) / TOTAL (i and ii)	61959 01 02	48855 76 21
II.	बचत बैंक जमाराशियां / Savings Bank Deposits	82371 63 72	91013 24 14
III.	मीयादी जमाराशियां / Term Deposits		
	(i) बैंकों से / From banks	9303 01 18	7619 31 63
	(ii) अन्य से / From others	156341 38 15	129877 19 51
	कुल (i तथा ii) / TOTAL (i and ii)	165644 39 33	137496 51 14
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	309975 04 07	277365 51 49
आ. / B.			
	(i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां / Deposits of branches in India	309809 48 73	277363 72 41
	(ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	165 55 34	1 79 08
	कुल (i तथा ii) / TOTAL (i and ii)	309975 04 07	277365 51 49

टिप्पणीः जिन जमाराशियों पर धारणाधिकार अंकित किया गया है उनकी राशि ₹ 23485 01 45 हजार है (गत वर्ष ₹ 20823 94 73 हजार) Note: The amount of Deposits against which lien is marked is ₹ 23485 01 45 Thousand (Previous Year ₹ 20823 94 73 Thousand)



अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
l.	भारत में उधार राशियां / Borrowings in India		
	(i) भारतीय रिजर्व बैंक / Reserve Bank of India	-	2400 00 00
	(ii) अन्य बैंक / Other banks	382 30 00	376 30 00
	(iii) टियर 1 (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत) Tier I (Innovative Perpetual Debt Instrument)	-	-
	(iv) अपर टियर II बांड / Upper Tier II bonds	-	-
	(V) अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टियर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier Il Capital)	302 00 00	302 00 00
	(vi) बासेल III ओम्नी टियर 2 बांड / Basel III Omni Tier 2 Bond	1900 00 00	2645 00 00
	(vii) अन्य / Others	9577 02 44	9920 01 23
	कुल (I)/ TOTAL (I)	12161 32 44	15643 31 23
II.	भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India	7770 66 98	1439 38 35
	कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	19931 99 42	17082 69 58

टिप्पणीः उपर्युक्त I तथा II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां ₹8522 30 97 हजार (पिछले वर्ष ₹7315 01 23 हजार) Note: Secured borrowings included in I and II above ₹8522 30 97 Thousand (Previous Year ₹7315 01 23 Thousand)

अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

				(₹ '000 म / ₹ in '000)
			यथा 31 मार्च 2025 को	यथा 31 मार्च 2024 को
			As at	As at
			March 31, 2025	March 31, 2024
l.	देय बि	त्र / Bills Payable	1896 86 55	2634 82 96
II.	अंतर व	र्हार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	-
III.	उपचित	ब्याज / Interest accrued	374 88 85	747 35 75
IV.	अन्य (प्रावधान सहित) / Others (Including Provision)		
	(क)	मानक आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान		
	(a)	Prudential provisions against standard assets	7562 70 87	4816 55 64
	(碅)	प्राप्त अग्रिम भुगतान		
	(b)	Advance payments received	673 81 80	726 01 05
	(刊)	देय लाभांश तथा लाभांश कर		
	(c)	Dividend and dividend tax payable	-	
	(ঘ)	विविध लेनदार		
	(d)	Sundry Creditors	119 99 73	128 95 79
	(량)	देय सेवा कर/टीडीएस/अन्य कर		
	(e)	Service tax/TDS/Other taxes payable	177 44 83	237 50 59
	(च)	विविध जमाराशियां		
	(f)	Sundry Deposits	15 71 32	15 48 06
	(छ)	अन्य व्युत्पन्न देयताएं		
	(g)	Other Derivative Liabilities	1496 02 33	387 70 05
	(ज़)	अन्य प्रावधान		
	(h)	Other provisions	5373 54 58	6030 47 62
	(朝)	विविध		
	(i)	Miscellaneous	3578 96 88	3260 19 98
		कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	21269 97 74	18985 07 49

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	ाथा 31 मार्च 2024 को As at
As at March 31, 2025	March 31, 2024
I.हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)Cash in hand (including foreign currency notes)1390 00 91	1772 62 42
II. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India	
(i) चालू खातों में / in Current Accounts 12468 22 85	11898 37 50
(ii) अन्य खातों में / in Other Accounts 7436 00 00	320 00 00
कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II) 21294 23 76	13990 99 92

अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

		यथा 31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
I	भारत में / In India		
	(i) बैंकों के पास शेष / Balance with banks		
	(क) चालू खातों में (a) in Current Accounts	39 17 97	70 51 28
	(ख) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	6797 61 18	3693 12 73
	(ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notic	ce	
	(क) बैंकों के पास (a) with banks	14512 08 01	7919 93 88
	(ख) अन्य संस्थाओं के पास (b) with other Institutions	-	-
	कुल (i तथा ii) / TOTAL (i and ii)	21348 87 16	11683 57 89
II	भारत से बाहर / Outside India		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	1401 39 57	234 05 31
	(ii) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	393 84 32	41 70 25
	(iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notic	ce 38 23 30	59 14 25
	कुल (i, ii तथा iii) / Total (i, ii and iii)	1833 47 19	334 89 81
	कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	23182 34 35	12018 47 70



अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

			यथा 31 मार्च 2025 को	यथा 31 मार्च 2024 को
			As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
ı	भारत	ा में निम्न में निवेश / Investments in India in		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(i)	सरकारी प्रतिभृतियां® / Government Securities®	99300 62 27	98380 55 58
	(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-
	(iii)	शेयर / Shares	1585 23 27	404 27 97
	(iv)	डिबेंचर और बांड / Debentures and Bonds	3844 65 45	5882 40 94
	(v)	सहयोगी संस्थाएं/Associates	885 29 03	712 93 56
	(vi)	अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी,वीसीएफ़, सीडी) Others (CPs, Units in MFs, SRs,PTCs,VCFs, CDs)	12149 09 70	9923 52 09
		कुल (i से vi) / TOTAL (i to vi)	117764 89 72	115303 70 14
Ш	भारत के बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in			
	(i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	687 45 50	414 89 39
	(ii)	सहयोगी संस्थाएं/Associates	-	-
	(iii)	अन्य निवेश (शेयर) / Other investments (Shares)	45 16	-
		कुल (i से iii) / TOTAL (i to iii)	687 90 66	414 89 39
		कुल योग (I तथा II)/ Grand Total (I and II)	118452 80 38	115718 59 53
Ш	भारत	। में निवेश / Investments in India		
	निवेश	ों का सकल मूल्य / Gross value of investments	123198 99 04	120637 96 22
	घटाएं	ः मूल्यहास के लिए कुल प्रावधान / Less: Aggregate provision for depreciation	5434 09 32	5334 26 08
		न निवेश / Net investments	117764 89 72	115303 70 14
IV	भारत	ा से बाहर निवेश / Investments Outside India		
	निवेश	ों का सकल मूल्य / Gross value of investments	687 90 66	414 89 39
	घटाएं	: मूल्यहास के लिए कुल प्रावधान / Less: Aggregate provision for depreciation	-	-
	निवर	न निवेश / Net investments	687 90 66	414 89 39

[®] इसमें गैर-एसएलआर एचटीएम प्रतिभृतियों के रूप में वर्गीकृत ₹ 12438 00 00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 12438 00 00 हजार) की भारत सरकार की विशेष प्रतिभृतियां

[®] Includes Special GOI Securities of ₹ 12438 00 00 Thousand (Previous Year ₹ 12438 00 00 Thousand) classified as Non-SLR-HTM Securities.

अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES

			(000 4 / 111 000)
		यथा 31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
T/A			
(i)	खरीदे और भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted	12326 91 52	8898 33 96
(ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	44466 36 84	37794 94 86
(iii)	मीयादी ऋण® / Term loans®	161605 87 20	141882 32 87
	कुल (i, ii तथा iii) / TOTAL (i, ii and iii)	218399 15 56	188575 61 69
π/в			
(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत® / Secured by tangible assets®	170606 29 85	155576 09 13
(ii)	बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित®®®		
	Covered by Bank / Government Guarantees®®®	12088 71 39	8706 23 27
(iii)	अप्रतिभूत / Unsecured	35704 14 32	24293 29 29
	कुल (i, ii तथा iii)/ TOTAL (i, ii and iii)	218399 15 56	188575 61 69
/ C			
भार	त में अग्रिम / Advances in India		
(i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	63909 25 80	63537 23 65
(ii)	सरकारी क्षेत्र / Public sector	7997 28 00	6190 70 06
(iii)	बैंक / Banks	187 01 94	1307 34 82
(iv)	अन्य / Others	132877 71 26	108035 98 08
	कुल (i, ii, iii तथा iv) / TOTAL (i, ii ,iii & iv)	204971 27 00	179071 26 61
भार	त के बाहर अग्रिम / Advances Outside India		
(i)	बैंकों से देय / Due from banks	-	-
(ii)	अन्य से देय / Due from others:	-	-
	(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	_	-
	(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated loans	_	-
	(ग) अन्य (c) Others	13427 88 56	9504 35 08
	कुल (i और ii)/TOTAL (i and ii)	13427 88 56	9504 35 08
	कुल योग (इ.I. तथा इ.II.)/ GRAND TOTAL (C.I. and C.II.)	218399 15 56	188575 61 69

[®] ₹ 6251 00 000 हजार (पिछले वर्ष : ₹ 6000 00 00 हजार) के अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (निवल) शामिल है.

[®] Includes Inter Bank Participatory Certificate (Net) ₹ 6251 00 00 Thousand (Previous Year: ₹ 6000 00 00 Thousand)

^{@ @} बही ऋणों पर अग्रिम शामिल है.

^{@ @} Includes advances against book debts

^{@ @ @} बैंकों द्वारा जारी साख-पत्रों पर अग्रिम शामिल है.

^{@ @ @} Includes advances against letter of credit issued by banks.



अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

			(000 4 / C III 000)
		यथा 31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
	स्सर (अनुसूची 18 टिप्पणी (2) देखें) emises (Refer Schedule) 18 Note (2))		
	वर्ती वर्ष के 31 मार्च को लागत पर Cost as on 31st March of the preceeding year	9309 79 24	8973 76 52
वर्ष	के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	117 52 06	336 12 82
	के दौरान किया गया पुनर्मूल्यन valuation made during the year	2003 71 93	-
वर्ष	के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	10 10
आ	ज की तारीख तक मूल्यहास / Depreciation to date	43 42 64	600 71 96
कुर	ल/ TOTAL	11387 60 59	8709 07 28
	य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्स्चर सहित) her fixed assets (including Furniture & Fixtures)		
	वर्ती वर्ष के 31 मार्च को लागत पर Cost as on 31st March of the preceeding year	2909 00 75	2600 69 03
वर्ष	के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	250 40 89	376 81 20
वर्ष	के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	139 84 72	68 49 48
आ	ज की तारीख तक मूल्यहास / Depreciation to date	2287 49 92	2183 50 06
कुर	ल/ TOTAL	732 07 00	725 50 69
III पट्	टाकृत आस्ति/Leased Asset		
	वर्ती वर्ष के 31 मार्च को लागत पर Cost as on 31st March of the preceeding year	601 81 79	601 81 79
वर्ष	के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	-	-
वर्ष	के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
आ	ज की तारीख तक मूल्यहास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
अन	र्जिक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing assets	1 76 52	1 76 52
	ल/ TOTAL	-	-
IV चा	लू पूंजीगत कार्य / Capital Work-in-Progress	80 34 02	107 71 80
कुर	ल/ TOTAL	80 34 02	107 71 80
क	ल योग (I से IV)/ GRAND TOTAL (I to IV)	12200 01 61	9542 29 77

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

		यथा 31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	-
II	उपचित ब्याज / Interest accrued	3308 95 28	3068 70 43
III	अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर की कटौती (निवल) Tax paid in advance /tax deducted at source (net)	946 25 84	2846 88 12
IV	लेखन सामग्री और स्टांप / Stationery and stamps	48 14	1 18 05
V	दावों की तुष्टि में अधिगृहीत गैर-बैंकिंग आस्तियां (लागत पर) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims (at cost)	710 53 75	736 90 93
VI	अन्य / Others		
(क/a)	आस्थिगित कर आस्ति (निवल) / Deferred Tax Asset (net)	5988 06 22	8965 05 12
(ख/b)	आबंटन के लिए लंबित शेयर/बॉण्ड/ Shares / Bonds Pending allotment	118 89 88	-
(刊/c)	विविध जमाराशियां व अग्रिम / Sundry deposit and advances	701 93 86	743 07 56
(घ/d)	प्राप्य दावे / Claims receivable	275 11 55	213 81 59
(롱/e)	अन्य डेरिवेटिव आस्ति Other Derivative Asset	1691 57 88	356 06 50
(च/f)	বিবিঘ® / Miscellaneous®	5691 51 48	7881 53 30
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	19433 33 88	24813 21 60

[®] प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की जमाराशियों में ₹3547 90 06 हजार (पिछले वर्ष ₹ 5916 86 69 हजार) का निवेश शामिल है.

[®] Includes Investment in Priority sector deposit ₹ 3547 90 06 Thousand (Previous Year ₹ 5916 86 69 Thousand)



अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं / SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			(₹ 000 H / ₹ III 000)
		यथा 31 मार्च 2025 को	यथा 31 मार्च 2024 को
		As at	As at
		March 31, 2025	March 31, 2024
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया		
	Claims against the bank not acknowledged as debts	232 84 98	246 01 77
II	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयता		
	Liability for partly paid investments	74 83	74 83
Ш	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता		
	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	214461 75 35	70750 33 56
IV	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां		
	Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) - भारत में		
	(a) - in India	47962 94 23	43349 40 02
	(ख) - भारत से बाहर		
	(b) - outside India	567 45 72	445 42 50
V	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व		
	Acceptances, endorsements and other obligations	16861 25 45	15778 19 98
VI	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		
	Other items for which the bank is contingently liable		
	क) ब्याज दर और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप के संबंध में देयता		
	a) Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit defau		0.1.00 == 10
	swaps	40362 80 72	61482 77 48
	ख) अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता		
	b) Liability in respect of other Derivative contracts	1372 29 48	3105 84 63
	ग) विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के कारण		
	c) On account of disputed Income tax, Interest tax, penalty and interest	407.00.70	001 50 00
	demands	437 92 70	861 50 03
	घ) अन्य /		
	d) Others	768 61 87	1035 32 90
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	323028 65 33	197055 57 70

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024
I	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा / Interest/discount on advances/bills	19223 52 49	17967 80 74
II	निवेशों से आय / Income on investments	8273 87 61	7755 05 53
III	रिजर्व बैंक के पास जमा शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	413 69 48	334 88 45
IV	अन्य / Others	1005 96 92	387 90 55
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	28917 06 50	26445 65 27

अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024
1	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	2178 80 95	2038 54 95
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of investments (net)	912 59 28	727 69 60
III	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (net)	(87 23 71)	2 64 20
IV	भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	(2 33 54)	83 25 24
V	विनिमय लेन-देन/ डेरिवेटिव पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	493 24 47	353 64 64
VI	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	1444 34 89	508 31 79
VII	विविध आय / Miscellaneous Income	202 25 70	210 65 60
	कुल (I से VII) / TOTAL (I to VII)	5141 68 04	3924 76 02

अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज / SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024
Ι	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	12728 87 61	10587 67 73
II	रिजर्व बैंक/ अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज / Interest on RBI / inter bank borrowings	497 79 90	764 21 85
III	अन्य / Others	1029 87 47	874 46 34
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	14256 54 98	12226 35 92



अनुसूची 16 - परिचालन व्यय / SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024
Ι	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान / Payments to and provisions for employees	4235 78 79	4417 00 96
II	किराया, कर और बिजली / Rent, taxes and lighting	567 54 26	543 01 75
III	मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	43 18 71	44 40 12
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	60 89 11	48 89 94
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास / Depreciation on bank's property	538 11 81	543 30 89
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Director's fees, allowances and expenses	4 07 46	3 67 84
VII	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय / Auditor's fees and expenses	3 93 91	3 18 60
VIII	विधि प्रभार / Law charges	33 85 72	31 43 37
IX	डाक खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	143 30 69	128 41 67
X	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	122 24 52	128 05 55
XI	बीमा / Insurance	337 00 78	303 09 30
XII	अन्य व्यय / Other Expenditure :		
	(क) बैंकिंग व्यय (a) Banking expenses	239 68 05	204 00 27
	(ख) कार्ड एवं एटीएम व्यय (b) Card & ATM expenses	354 29 63	333 40 58
	(ग) परामर्श व्यय(c) Consultancy expenses	23 58 48	28 58 83
	(घ) बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय (d) Expenses for recovery of write off cases	9 84 97	9 43 27
	(ङ) आउटसोर्सिंग व्यय (e) Outsourcing expenses	795 93 34	712 20 68
	(च) आईटी व्यय (f) IT expenses	148 14 51	112 61 06
	(ন্ত) स्टाफ प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय (g) Staff training & other expenses	22 03 33	21 22 56

44 32 73	38 92 19
6 66 62	5 06 33
12 15 37	
872 38 82	710 43 51
8619 01 61	8370 39 27
	6 66 62 12 15 37 872 38 82



अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण समेकित लेखा नीतियां

SCHEDULE 17 - CONSOLIDATED SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

समूह के वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां अर्थात् विशिष्ट लेखांकन नीतियां और इन सिद्धांतों को लागू करने के तरीके निम्नलिखित हैं

Following are the significant accounting policies i.e., the specific accounting policies and methods of applying these principles in the preparation and presentation of the financial statements of the Group.

1 पृष्ठभूमि / Background

मुंबई, भारत में निगमित आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('आईडीबीआई बैंक' या 'बैंक') एक बैंकिंग कंपनी है जो खुदरा बैंकिंग, थोक बैंकिंग और ट्रेजरी परिचालनों सिंहत कई प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती है. बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अधिशासित होता है. बैंक की अपतटीय बैंकिंग इकाई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफ़एससी), गिफ्ट सिटी, भारत में स्थित है. बैंक विविध वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने वाली एक संस्था है जो पूरे भारत में कॉरपोरेट और खुदरा ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है. बैंक अपनी 2128 बैंकिंग आउटलेट (2104 भौतिक शाखाओं और 24 निश्चित बीसी बैंकिंग आउटलेटों) 3,120 एटीएम और 58 ई-लाउंज के नेटवर्क के माध्यम से पूरे भारत में अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है.

IDBI Bank Limited ('IDBI Bank' or 'the Bank'), incorporated in Mumbai, India is a banking company engaged in providing a range of banking and financial services including retail banking, wholesale banking and treasury operations. The Bank is governed by the Banking Regulation Act, 1949 and the Companies Act, 2013. The Bank has Offshore Banking Unit at International Financial Service Centre (IFSC), GIFT City, India. The Bank is a diversified financial services entity offering a wide range of banking and financial services to corporate and retail customers throughout India. The Bank provides a wide array of services to its customers across India through its network of 2128 Banking Outlets (2104 Brick –and- Morter branches and 24 Fixed BC Banking Outlets) 3,120 ATMs and 58 e-lounges.

2 तैयार करने का आधार / Basis of Preparation

वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और स्पष्टीकरणों, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 और कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2021 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक (एएस), जहां तक वे बैंकों पर लागू होते हैं, अधिनियम के प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्यतः प्रचलित पद्धितियों के अनुरूप हैं. बैंक लेखांकन की उपचय पद्धित तथा परंपरागत लागत पद्धित, जहां अन्यथा उिल्लिखित किया गया हो को छोड़कर, का अनुसरण करता है.

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines and clarifications issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time, the Accounting Standards (AS) notified under Section 133 of Companies Act, 2013 ('Act') read with the companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021, in so far as they apply to banks, provisions of the Act and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Bank follows the accrual method of accounting and historical cost convention, except where otherwise stated.

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियां, जहां अन्यथा उल्लिखित किया गया हो को छोड़कर, पिछले वर्ष की तरह ही जारी रखी गई हैं.

The accounting policies adopted in the preparation of financial statements are consistent with those followed in the previous year except as otherwise stated.

3 समेकन का आधार / Basis of Consolidation:

समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन मानक एएस-21 'समेकित वित्तीय विवरण', एएस-23 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन' और एएस 27 'संयुक्त उद्यमों में हित के बारे में वित्तीय रिपोर्टिंग' में परिभाषित किए अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. (मूल कंपनी - ''बैंक'') और इसकी सभी सहायक / सहयोगी संस्थाओं / संयक्त उद्यम के लेखे शामिल हैं.

The consolidated financial statements include the accounts of IDBI Bank Limited (parent company – "the Bank") and all its Subsidiaries/ Associates/Joint Venture as defined in Accounting Standard AS-21 'Consolidated Financial Statements', AS-23 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements' and AS-27 'Financial Reporting of Interests in Joint Ventures'.

समेकन में प्रयुक्त सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किए गए हैं जिस तारीख तक बैंक के तैयार किए गए हैं अर्थात् 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एवं अनुसूची 18(10) में उल्लिखित चार सहयोगियों को छोड़कर जिनके रिपोर्टिंग तिथि के वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं हैं, के आधार पर तैयार किया गया है. इनको नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित किया गया है. समूह महत्वपूर्ण राशियों के लिए असमान लेखा नीतियों को समायोजित करता है.

The financial statements of the subsidiaries/associates/joint venture used in the consolidation are drawn up to the same reporting date as that of the Bank i.e. year ended March 31, 2025 and have been prepared on the basis of except for four associates as mentioned in Schedule 18(10), for which financial statements as on reporting date are not available. These have been consolidated based on latest available financial statements. The group makes adjustments for non-uniform accounting policies for material amounts.

बैंक के वित्तीय विवरणों को निम्न के साथ मिलाया गया है: (क) इसकी सहायक संस्थाओं की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर जोड़कर, (ख) इसके संयुक्त उद्यम की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के आनुपातिक बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर समेकित कर. विलोपन हिस्सेदारी के समतुल्य आनुपातिक आधार पर किया गया है. (ग) एएस-23 की इक्विटी विधि के अनुसार इसकी सहयोगी संस्थाओं को समेकित कर, अन्तः समूह संव्यवहारों और शेष राशियों को समेकन पर समाप्त कर दिया गया है. सहायक संस्थाओं में मूल संस्था के निवेश की लागत तथा सहायक संस्थाओं सहयोगी संस्थाओं की इक्विटी में मूल संस्था के हिस्से के अंतर को वित्तीय विवरण-पत्रों में साख/पूंजी रिजर्व के रूप में दर्शाया गया है. समेकित सहायक संस्थाओं की निवल आस्तियों में अल्पसंख्यक हित के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:

The financial statements of the Bank have been combined with: (a) its subsidiaries on a line by line basis by adding the book values of like items of assets, liabilities, income & expenses, (b) its joint venture on a line by line basis by consolidating the proportionate book values of like items of assets, liabilities, income and expenses. The elimination has been considered on proportionate basis equivalent to the stake. c) Its associates by consolidating as per Equity method as per AS-23. Intra Group transactions and balances have been eliminated on Consolidation. The difference between cost to the parent of its investment in the subsidiaries and the parent's portion of the equity of the subsidiaries/associates is recognized in the financial statements as goodwill/ Capital Reserve Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

- (क) सहायक संस्था में निवेश की तारीख को अल्पसंख्यकों से संबंधित इक्विटी की राशि: तथा
- (a) The amount of equity attributable to the minorities at the date on which investment in a subsidiary is made; and
- (ख) मल संस्था-सहायक संस्था के संबंधों के अस्तित्व में आने के बाद से इक्विटी में अल्पसंख्यक के हिस्से में घट-बढ.
- (b) The minorities' share of movements in equity since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई संस्थाएं निम्नलिखित हैं :

The entities considered in the consolidated financial statements are:

क्र.सं. s.	कंपनी का नाम Name of the company	निगमन देश Country of	निम्न तारीख को स्वामित्व हित का % % of ownership interest as at	
No.		Incorporation	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024
अ) A)	वित्तीय सहायक संस्थाएं: Financial Subsidiary Companies:			
1)	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. IDBI Capital Markets & Securities Limited	भारत India	100	100
2)	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड IDBI Asset Management Limited	भारत India	66.67	66.67
आ) B)	गैर-वित्तीय सहायक संस्थाएं: Non-Financial Subsidiary Companies:			
1)	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Limited.	भारत India	100	100
2)	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Limited	भारत India	100	100
3)	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Limited	भारत India	54.70	54.70
ま) C)	सहयोगी कंपनियां ^{# @@} Associate Companies ^{# @@}			
1)	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. ^६ National Securities Depository Limited. ^६	भारत India	26.10	26.10



क्र.सं. S.	कंपनी का नाम Name of the company	निगमन देश Country of Incorporation	निम्न तारीख को स्वामित्व हित का % % of ownership interest as at	
No.			31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024
2)	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि.* Biotech Consortium India Limited *	———— भारत India	27.93	27.93
3)	नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.* North Eastern Development Finance Corporation Limited *	भारत India	25	25
4)	पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल) Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited (PIPDICL)	भारत India	21.14	21.14

पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉपीरेशन लि. (21.14%) को बट्टे खाते डालकर एक रुपया कर दिया गया है, अतः समेकन नहीं किया गया है.

- @@ समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं के वित्तीय परिणामों का प्रभाव महत्वपूर्ण होने की उम्मीद नहीं है.
- @@ Impact of financial results of associates on the consolidated financial results is expected to be not material.
- \$ नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में बैंक की धारिता 26.10% है. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड ने 6 अक्तूबर 2023 के अपने पत्र द्वारा एनएसडीएल में बैंक की शेयरधारिता के 14.99 % से अधिक के संबंध में मताधिकार और सभी कॉरपोरेट कार्रवाइयों को तब तक प्रतिबंधित कर दिया है जब तक आधिक्य शेयरधारिता का विनिवेश न कर दिया जाये. तथापि, विधि विशेषज्ञ की राय के अनुसार बैंक द्वारा विभिन्न सांविधिक विवरणियों के अंतर्गत एनएसडीएल को 'सहयोगी कंपनी' के रूप में मानना जारी रखने का निर्णय लिया गया है और दिसम्बर 2024 के नवीनतम उपलब्ध अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर एनएसडीएल के वित्तीय परिणामों का समेकन किया है.
- \$ The Bank holds 26.10% of the paid-up equity share capital of National Securities Depository Ltd (NSDL). The Securities and Exchange Board of India, vide its letter dated October 06, 2023 restricted the voting rights and all corporate actions in respect of the Bank's shareholding in NSDL in excess of 14.99%, until the actual divestment of the excess shareholding. However, based on a legal expert's opinion, the Bank has decided to continue to recognize NSDL as an 'associate company' under the various statutory filings by the Bank and has consolidated financial results of NSDL based on the latest available unaudited financial statement as at December 2024.
- * 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लाभ के हिस्से को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पुंजी रिजर्व में जमा कर दिया गया है.
- * The share of profits for the year ended March 31, 2024 has been credited to capital reserve during the FY 2024-25.

4 अनुमानों का उपयोग / Use of Estimates

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान एवं धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय राशियों और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करें. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान एवं धारणाएं तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं. तथािप, वास्तिवक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में किसी भी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अविधयों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that may affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

5 राजस्व निर्धारण / Revenue Recognition

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में

A. In case of IDBI Bank Limited

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा तक किया जाता है कि बैंक को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा राजस्व का विश्वसनीय रूप से आकलन किया जा सकता है.

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Bank and the revenue can be reliably measured.

[#] Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited (21.14%)has been written down to rupee one, hence not consolidated.

- (i) ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, अनर्जक आस्तियों को छोड़कर, जिनकी गणना रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसुली पर की जाती है.
 - Interest income is recognized on accrual basis except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization as per the prudential norms of the RBI.
- (ii) नियम के उल्लंघन पर दंडस्वरूप प्रभार को इसकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है. Penal charges for covenant breach are recognized upon certainty of its realization.
- (iii) साख पत्र (एलसी) / बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/बैंक गारंटी की अवधि के दौरान आय के रूप में उपचित होता है. Commissions on Letter of Credit (LC)/ Bank Guarantee (BG) are accrued as income over the period of LC/ BG.
- (iv) शुल्क और कमीशन आय को आय के रूप में मान्यता तब दी जाती है जब देय हो और वसूली का उचित अधिकार स्थापित हो जाता है तथा इसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है. सिंडिकेशन / अरेंजर शुल्क को आय के रूप में मान्यता तब दी जाती है जब कोई महत्वपूर्ण कार्य / तय सीमा तक पुरा हो जाता है.
 - Fees and commission income is recognized as income when due and reasonable right of recovery is established and can be reliably measured. Syndication / Arranger fee is recognized as income when a significant act / milestone is completed.
- (v) बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि में दर्शाया जाता है. Income on discounted instruments is recognized over the tenure of the instrument on a constant yield basis.
- (vi) सूचीबद्ध इिक्वटी निवेशों के मामले में लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर उपचय आधार पर इसे हिसाब में लिया जाता है. असूचीबद्ध इिक्वटी निवेशों के मामले (रणनीतिक पोर्टफोलियो के अंतर्गत धारित निवेशों सिहत) में लाभांश को प्राप्त आधार पर बुक किया जाता है.
 In case of listed equity investments, Dividend is booked on accrual basis when the right to receive is established. In case of unlisted equity investments (including investments held under Strategic portfolio), dividend is booked on receipt basis.
- (vii) अनर्जक अग्रिमों (एनपीए)/तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गये (टीडब्ल्युओ) खातों के मामले में वसूली का विनियोजन निम्नलिखित ढंग से किया जाता है:

The appropriation of recoveries in case of Non-Performing Advances (NPA)/ Technically Written-off (TWO) accounts is done in the following manner:

- क. एनसीएलटी/ मध्यस्थता या विधिक कार्यवाही के तहत उधारकर्ताओं के संबंध में, वसूली को एनसीएलटी/मध्यस्थ/न्यायालय के सुसंगत आदेश के अनुसार विनियोजन किया जाता है और विशिष्ट मामले या मामलों के समूह के संबंध में सांविधिक/विनियामक निर्देशों, यदि कोई जारी किये गये हो, के अनुसार किया जाता है.
- a) In respect of borrowers under NCLT/Arbitration or Legal Proceedings, the recovery is apportioned in terms of relevant order of NCLT/ Arbitrator/ Court of Law and in accordance with statutory /regulatory directives if any issued in respect of a specific case or group of cases.
- ख. ऐसे मामलों में जहां वसूली ऋण खातों के अंतिम खाताबंदी (गारंटर/अन्य पक्षों, यदि कोई हो, सहित ऋणदाता/ उधारकर्ता संबंध का विच्छेद) की ओर उन्मुख हो [एकमुश्त निपटान/बातचीत के जरिए निपटान/ दबावग्रस्त ऋण एक्सपोजर के अंतरण/आईबीसी के माध्यम से वसूली (समाधान रीति/परिसमापन रीति के तहत) लेकिन वसूली के किसी अन्य तरीके के तहत कोई और विधिक वसूली-प्राधिकार उपलब्ध या प्रस्तावित न हो] को नीचे वर्णित अनुसार विनियोजित किया जाएगाः
- b) In cases where recovery is leading to final closure (severance of lender /borrower relationship including with guarantors /third parties, if any) of loan accounts [by way of One time settlement /Negotiated settlement /transfer of Stressed Loan Exposure/Recovery through IBC (under resolution mode/liquidation mode) but no further legal recourse is available or proposed through any other mode of recovery] shall be appropriated as mentioned below:
 - (i) मूलधन Principal
 - (ii) अदत्त व्यय / पहले से ही उपगत/प्रदत्त व्यय Unpaid Expenses/Expenses already incurred /paid.
 - (iii) ब्याज /दंडात्मक ब्याज (31 मार्च 2024 तक पहले ही नामे किया गया है लेकिन वसूल नहीं हुआ). Interest /penal Interest (already debited upto March 31, 2024, but not recovered).
 - (iv) दंडस्वरूप प्रभार और उस पर जीएसटी Penal Charges and GST thereon.
 - (v) प्रभार (बकाया शुल्क/ बीजी कमीशन) और उस पर जीएसटी Charges (Fees/BG commission outstanding) and GST thereon.



- ग. ऐसे मामलों में जहां वसूली के परिणामस्वरूप खातों को अंतिम रूप से बंद नहीं किया जाता है, संविदा की शर्तों के अनुसार विनियोजित किया जाएगा. जहां एनपीए में वसूली के विनियोजन के प्रयोजन के लिए बैंक और उधारकर्ता के बीच कोई स्पष्ट समझौता नहीं है, उसे नीचे बताए अनुसार विनियोजित किया जाएगा:
- c) In cases where recovery not resulting in final closure of accounts, it shall be appropriated as per contractual terms. In absence of any clear agreement between bank and borrower for the purpose of appropriation of recoveries in NPAs, the same would be appropriated as mentioned below:
 - (i) अदत्त व्यय/ पहले से ही उपगत/प्रदत्त व्यय Unpaid Expenses/Expenses already incurred /paid.
 - (ii) ब्याज /दंडात्मक ब्याज (31 मार्च 2024 तक पहले ही नामे किया गया है लेकिन वसूल नहीं हुआ). Interest /penal Interest (already debited upto March 31, 2024, but not recovered).
 - (iii) दंडस्वरूप प्रभार और उस पर जीएसटी Penal Charges and GST thereon.
 - (iv) प्रभार (बकाया शुल्क/बीजी कमीशन) और उस पर जीएसटी Charges (Fees/BG commission outstanding) and GST thereon.
 - (v) मूलधन Principal
- घ) बट्टे खाते में डाले गए ऋणों से वसुल की गई संपूर्ण राशि को लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में दर्शाया जाता है.
- d) Entire amounts recovered against debts written off are recognized as income in the Statement of Profit & Loss.
- ड.) एनपीए के लिए प्रावधानों को लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.
- e) Provisions for NPA are recognized as an expense in the Statement of Profit & Loss.
- च) ऋणों की बिक्री से हुए लाभ/हानि को रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार दर्शाया जाता है.
- f) Gain/loss on sell down the loans is recognised in line with the extant RBI Guidelines.

आ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के मामले में

B. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

- (i) कूपन वाली ऋण प्रतिभूतियों की एकमुश्त आधार पर खरीद अथवा बिक्री पर प्रदत्त अथवा प्राप्त कुल प्रतिफल को मूलधन प्रतिफल और उपचित ब्याज के रूप में अलग से निर्धारित किया जाता है. ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद पर उपचित ब्याज के रूप में प्रदत्त राशि तथा बिक्री पर प्राप्त राशि की निवल आधार पर गणना की जाती है और उसे ब्याज के रूप में व्यय अथवा आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.
 - Total consideration paid or received on purchase or sale, on outright basis, of coupon-bearing debt securities is identified separately as principal consideration and accrued interest. Amount paid as accrued interest on purchase, and received on sale, of such securities is netted and reckoned as expense or income by way of interest.
- (ii) तुलन-पत्र की तारीख को धारित नियत कूपन वाली ऋण प्रतिभूतियों/ सावधि जमाओं पर ब्याज, खंडित अवधि के लिए कूपन दर/जमा दर पर उपचित होता है. अस्थिर दर वाली प्रतिभृतियों पर ब्याज निर्गम की शर्तों के अनुसार निर्धारित दरों पर उपचित होता है.
 - Interest on fixed coupon debt securities / fixed deposits, held as on the Balance Sheet date, is accrued for the broken period at the coupon rate / deposit rate. Interest on floating rate securities is accrued at rates determined as per the terms of the issue.
- (iii) निवेशों की बिक्री पर लाभ का निर्धारण निपटान की तारीख को होता है. यह अर्जन लागत पर बिक्री / मोचन आय का आधिक्य दर्शाता है. लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है. निवेशों की बिक्री पर लाभ की गणना निवेशों की बिक्री पर हुई हानि को समायोजित कर की जाती है. Profit on Sale of Investments is recognized on the settlement date. It represents the excess of Sale / Redemption proceeds over the acquisition cost. Cost is determined on a weighted average basis. Profit on sale of Investments is netted with loss on sale of Investments.
- (iv) कंपनी द्वारा हामीदारी दिए गए निर्गमों के संदर्भ में इक्विटी शेयरों के न्यागमन को निवेश माना जाता है. इन निर्गमों पर हामीदारी आय को लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है और इन्हें निवेशों के मृल्य में से समायोजित नहीं किया जाता.
 - Devolvement of equity shares in respect of issues underwritten by the company are treated as investments. Underwriting income on these issues are credited to profit and loss account and not netted against the value of investments.

- (v) सेकंडरी मार्केट परिचालनों से अर्जित दलाली और कमीशन को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. ऑनलाइन पोर्टल परिचालनों पर दलाली को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. निर्गम की मार्केटिंग और संसाधन संग्रहण के संबंध में दलाली और कमीशन, सचना की उपलब्धता की सीमा तक उपचित होता है.
 - Brokerage and commission earned on secondary market operations is recognized on the basis of trade dates. Brokerage on online portal operations is recognized on the basis of trade dates. Brokerage and commission in respect of issue marketing and resource mobilization are accrued to the extent of availability of information.
- <ui>(vi) मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग ऋणों के संबंध में ग्राहकों को प्रदान किए गए ऋणों के मामले में ब्याज का निर्धारण ग्राहकों से बकाया राशि और प्रयोज्य दर पर विचार करते हुए समय अनुपात आधार पर विलंबित भगतान के रूप में किया जाता है.
 - Interest is recognised on delayed payments from customers on a time proportion basis in relation to the loans relating to the Margin Trading Funding provided to customers taking into account the amount outstanding from customers and the rates applicable.
- (vii) डिपॉजिटरी, पोर्टफोलियो प्रबंधन, टर्मिनल शुल्क और अन्य शुल्कों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है.
 - Depository, Portfolio Management, terminal charges and other fees are accounted for on accrual basis.
- (viii) निर्गम प्रबंधन, ऋण समूहन तथा वित्तीय सलाहकारी सेवाओं से प्राप्त राजस्व की गणना ग्राहक के साथ किए गए करार की शर्तों के आधार पर की जाती है
 - Revenue from issue management, loan syndication and financial advisory services is recognised as per terms of agreement with the client.
- (ix) लाभांश का निर्धारण तब किया जाता है जब तुलन-पत्र की तारीख को कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है.
 - Dividend is recognized when the company's right to receive payment is established by the balance sheet date.
- (x) किराये की आय को उपचय आधार पर निर्धारित किया जाता है.
 - Rent income is recognized on accrual basis.
- (xi) राजस्व में सेवा कर/जीएसटी, जहां भी वसुल किया गया है, शामिल नहीं है.
 - Revenue excludes Service Tax/GST, wherever recovered.

इ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में

C. In case of IDBI Asset Management Limited

(i) निवेश प्रबंधन शुल्कः

Investment Management fees

निवेश प्रबंधन शुल्क का निर्धारण आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर जीएसटी को घटाकर इस प्रकार किया जाता है कि यह यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 ('विनियमन') द्वारा विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न हो.

Investment Management fees are recognized net-off GST on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') as amended.

(ii) अन्य आयः

Other income

- क) ब्याज आय को अवधि अनुपात आधार पर हिसाब में लिया जाता है. ब्याजयुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज कूपन दर पर उपचित होता है. ऐसे निवेशों की खरीद पर, अंतिम ब्याज देय होने की तारीख से खरीद की तारीख तक की अवधि के लिए ब्याज के भुगतान को खरीद की लागत नहीं माना जाता है बल्कि इसे वसूली योग्य ब्याज माना जाता है. इसी प्रकार बिक्री के समय अंतिम ब्याज देय तारीख से बिक्री की तारीख तक की अवधि के लिए प्राप्त ब्याज को बिक्री मृल्य का भाग नहीं माना जाता है बल्कि इसे वसूला गया ब्याज माना जाता है.
- a) Interest income is accounted for on period proportion basis. Interest on interest bearing securities is accrued on the coupon rate. On purchase of such investments, interest paid for the period from the last interest due date up to the date of purchase is not treated as a cost of purchase but is treated as interest recoverable. Similarly, interest received at the time of sale for the period from the last interest due date up to the date of sale is not treated as part of sale value but is treated as interest recovered.



- ख) खरीद लागत निकालने के लिए फीफ़ो पद्धित का प्रयोग करते हुए क्रय-विक्रय की तारीख को निवेशों के विक्रय पर लाभ/हानि का निर्धारण लाभ-हानि विवरण में किया जाता है.
- b) The profit/loss on the sale of investments is recognized in the statement of Profit and Loss on the trade date using the FIFO method for arriving at purchase cost.
- ग) लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है.
- c) Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established.
- घ) सेवा शुल्क को सहमत शर्तों के अनुसार उपचय आधार पर गणना में लिया जाता है.
- d) Service charges are accounted for on accrual basis as per the agreed terms.

ई. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में

D. In case of IDBI MF Trustee Company Limited

- (i) ट्रस्टीशिप शुल्कः ट्रस्टीशिप शुल्क का निर्धारण आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर इस प्रकार किया जाता है कि यह भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 ('विनियमन') तथा अन्य कोई संशोधन अथवा संबंधित योजनाओं के ऑफर डॉक्युमेंट में विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न होने पाए.
 - Trusteeship fees: Trusteeship fees is recognized on accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') and any other amendments or offer document of the respective schemes.
- (ii) अन्य आयः निवेशों से आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है. लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है. खरीद लागत निकालने के लिए फीफ़ो पद्धित का प्रयोग करते हुए क्रय-विक्रय की तारीख को निवेशों के क्रय-विक्रय पर लाभ/ हानि का निर्धारण लाभ-हानि विवरण में किया जाता है.
 - Other income: Income from Investments is accounted on accrual basis. Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established. Profit / loss on the sale of investments is recognized in the statement of Profit and Loss on the trade date using the FIFO method for arriving at purchase cost.

उ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में

E. In case of IDBI Intech Limited

- (i) राजस्व मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर विकास और संबंधित सेवाओं तथा सॉफ्टवेयर उत्पादों के लाइसेंस से प्राप्त होता है. कंपनी कॉल सेंटर सेवाओं से भी राजस्व अर्जित करती है.
 - Revenue is primarily derived from software development and related services and from the licensing of the software products. The Company also generates revenue from call center services.
- (ii) सॉफ्टवेयर विकास और संबंधित सेवाओं के लिए ग्राहकों के साथ व्यवस्था या तो एक निश्चित मूल्य पर, या निश्चित समय सीमा या समय और सामग्री के आधार पर होती है.
 - Arrangement with customers for software development and related services are either on a fixed price, fixed-timeframe or on a time-and-material basis.
- (iii) समय और सामग्री संविदाओं पर राजस्व तभी निर्धारित किया जाता है जब संबंधित सेवाओं को निष्पादित कर दिया जाता है. Revenues on time and material contracts are recognised when the related services are performed.
- (iv) निश्चित मूल्य और निश्चित समयबद्ध संविदाओं के मामले में, जहां माप या प्रतिफल की सामूहिकता के बारे में कोई अनिश्चितता नहीं है, वहाँ इन्हें संविदा के मूल्य और सेवा पूरी होने की पूर्णता पद्धित के प्रतिशत के आधार पर निकाला जाता है. जब माप या अंतिम सामूहिकता के बारे में अनिश्चितता होती है, वहाँ ऐसी अनिश्चितता का समाधान होने तक राजस्व आकलन स्थगित कर दिया जाता है.
 - In case of fixed price and fixed time framed contracts, where there is no uncertainty as to measurement or collectivity of consideration, are recognized using percentages of completion method of value of the contract and completed service. When there is uncertainty to the measurement or ultimate collectivity, revenue recognition is postpone until such uncertainty is resolved.
- (v) सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन और उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को माल की प्रॉपर्टी के हस्तांतरण अथवा प्रमुख लक्ष्य की प्राप्ति पर हिसाब में लिया जाता है.
 - Revenue from sale of software applications and products are recognized on transfer of property of goods or on achievement of milestone.

- (vi) वार्षिक तकनीकी सेवाओं (एटीएस) से प्राप्त राजस्व को उस अवधि के अनुपात में मान्यता दी जाती है जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं.

 Revenue from Annual Technical Services (ATS) are recognized proportionately over the period in which services are rendered.
- (vii) प्राहक प्रशिक्षण, सॉफ़्टवेयर उत्पादों की बिक्री के कारण उत्पन्न होने वाली सहायता और अन्य सेवाओं से प्राप्त राजस्व को संबंधित सेवाओं के निष्पादन होने पर मान्यता दी जाती है.
 - Revenue from client training, support and other services arising due to the sale of software products is recognised as the related services are performed.
- (viii) अपूर्ण संविदाओं से अनुमानित नुकसान, यदि कोई हो, का प्रावधान उस अवधि में दर्ज किया जाता है जिसमें वर्तमान अनुमान के आधार पर ऐसे नुकसान संभावित होते हैं.
 - Provision for estimated losses, if any, from the incomplete contracts are recorded in the period in which such losses become probable based on the current estimate.
- (ix) पूर्ण किए गए कार्य के प्रतिशत के संविदा मूल्य में किसी भी संशोधन का प्रभाव उस वर्ष में परिलक्षित होता है जिसमें परिवर्तन ज्ञात होता है. निष्पादित सेवाओं के लिए अग्रिम में प्राप्त या बिल की गई राशि को अनर्जित राजस्व के रूप में दर्ज किया जाता है. अन्य चालू आस्तियों में शामिल बिल न की गई सेवाएं संविदा की शर्तों के अनुसार बिलिंग से पहले की गई सेवाओं के आधार पर मानी जाती हैं. राजस्व को छूट/प्रोत्साहन घटाने के बाद रिपोर्ट किया जाता है.
 - The impact of any revision in contract value of the percentage of work completed is reflected in the year in which the change becomes known. Amount received or billed in advance of services performed are recorded as unearned revenue. Unbilled services included in other current assets represents amount recognized based on services performed in advance of billing in accordance with contract terms. Revenue is reported net of discount / incentive.
- (x) कॉल सेंटर से प्राप्त राजस्व इकाई कीमत वाली संविदाओं, समय आधारित संविदाओं, लागत आधारित परियोजनाओं और वचनबद्ध सेवाओं से प्राप्त होती है. ऐसे राजस्व को संबंधित सेवाओं की पूर्ति पर हिसाब में लिया जाता है और इसे ग्राहक के साथ हुई संविदा की निर्धारित शर्तों के अनुसार बिल में शामिल किया जाता है.
 - Revenue from call centre arises from unit priced contracts, time based contracts, cost based projects and engagement services. Such revenue is recognised on completion of the related services and is billed in accordance with the specific terms of the contract with the client.
- (xi) ब्याज आय को समय-आनुपातिक आधार पर दर्शाया जाता है.Interest Income is recognised on time proportion basis.

ऊ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में

F. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

- (i) कंपनी अपना राजस्व स्वीकृति शुल्कों, सेवा प्रभारों, दस्तावेजीकरण प्रभारों, लॉकर के किराए, बैंक सावधि जमाराशियों एवं म्यूचुअल फंडों में निवेश से आय के रूप में प्राप्त करती है जिनकी गणना उपचय आधार पर की जाती है.
 - The company derives its revenue from Acceptance Fees, Service Charges, Documentation Charges, Locker Rentals and Income from investments in Bank Fixed Deposit and Mutual Funds, which are accounted for on accrual basis.
- (ii) यदि कोई बकाया देय राशियां अगले दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक वसूल नहीं की जाती हैं, तो समनुदेशनों को अनियमित समनुदेशनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. इस प्रकार के अनियमित समनुदेशनों से आय को प्राप्ति के वर्ष में ही गणना में लिया जाता है. ऐसे अनियमित समनुदेशनों के प्रति पिछले वर्ष / वर्षों में बकाया किसी भी राशि को ऐसे निर्धारण वर्ष में अशोध्य ऋण के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है.
 - Assignments are to be classified as irregular assignments if any outstanding dues are not recovered till the end of next two financial years. Income in respect of such irregular assignments is accounted for in the year of receipt. Any previous year/s amounts outstanding against such irregular assignments are written off as bad debt in year of such determination.
- (iii) जब अंतिम वसूली अनिश्चित हो, तो अन्य ऋणों को अशोध्य माना जाता है व बट्टे खाते में डाल दिया जाता है. Other Debts are considered as bad and written off when ultimate realisation is uncertain.
- (iv) वर्ष के अंत में अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान की गणना निम्नानुसार तब की जाती है जब यह निश्चित हो जाए कि बकाया राशि की वसूली संदिग्ध है: A bad debt provision is recognized at the year-end where it is ascertain that the outstanding dues are doubtful of recovery as under:
 - क) 18 माह से अधिक के देनदार 75%
 - a) Debtors over 18 months 75%
 - ख) जहां वसूली की संभावना नगण्य हो वहाँ मामला-दर-मामला आधार पर अतिरिक्त प्रावधानः 100%
 - b) Additional provision on case to case basis where chances of recovery is negligible 100%



(v) निवेश पर ब्याज आय को बकाया राशि तथा लागू ब्याज दर को हिसाब में लेते हुए समयानुपातिक आधार पर दर्शाया जाता है. इसे अन्य आय में शामिल किया जाता है.

Interest income on investment recognized on a time proportion basis taking into account amount outstanding and the applicable interest rate. It is included in other income.

6 अग्रिम और प्रावधान / Advances and Provisions

- (i) अग्निमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. अग्निमों को अनर्जक अग्निमों के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधानों, ब्याज उचंत, जारी अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र, प्रत्यक्ष समनुदेशन और पुनः भुनाये गये बिल को घटाकर दिखाया जाता है. विदेशी शाखाओं के संबंध में, ऋणों और अग्निमों का वर्गीकरण तथा एनपीए के लिए प्रावधान स्थानीय नियमों के अनुसार या रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार, जो भी अधिक विवेकपुर्ण हो, के अनुसार किए जाते हैं.
 - Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by the RBI. Advances are stated net of specific provisions towards non-performing advances, interest suspense, inter-bank participation certificate issued, direct assignment and bill rediscounted. In respect of foreign branches, the classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per norms of the RBI, whichever is more prudent
- (ii) नकदी प्रवाह के प्रत्यक्ष समनुदेशन के जरिये अंतरित आस्तियों को तुलनपत्र से तब हटाया जाता है जब उन्हें बेच दिया जाता है (सही बिक्री का मानदंड पूरी तरह से पुरा किया जाता है) और बैंक को प्रतिफल प्राप्त हो जाता है.
 - Assets transferred through direct assignments of cash flows are de-recognised in the Balance Sheet when they are sold (true sale criteria being fully met with) and consideration is received by the Bank.
- (iii) जहाँ मूर्त प्रतिभूति (बही ऋण सहित) पर अग्रिमों को विनिर्दिष्ट किया जाता है, वहाँ अग्रिमों को 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. जहां ऐसी प्रतिभूति विनिर्दिष्ट नहीं है, अग्रिमों को 'प्रतिभूति रहित' रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभृति को 'मृत' नहीं माना जाता है.
 - Advances wherein a tangible security (including book debts) is stipulated are classified as 'Secured by Tangible Assets'. Where such security is not stipulated, advances are classified as 'Unsecured'. Any Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc. are not considered as Tangible.
- (iv) बैंक एक पुनर्संरचित खाते को एक ऐसा खाता मानता है, जहां बैंक, उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक या विधिक कारणों से, उधारकर्ता को ऐसी रियायतें देता है, जिन पर बैंक अन्यथा विचार नहीं करता. पुनर्संरचना में आम तौर पर अग्रिम/प्रतिभूतियों की शर्तों में संशोधन शामिल होता है, जिसमें आम तौर पर अन्य के साथ-साथ, चुकौती अविध / चुकौती राशि / किस्तों की राशि / ब्याज दर में परिवर्तन शामिल होता है (प्रतिस्पर्धी कारणों के अलावा अन्य कारणों से). पुनर्सरचना पैकेज के अनुमोदन और कार्यान्वयन पर ही बैंक द्वारा पुनर्सरचित खातों को वर्गीकृत किया जाता है.
 - The Bank considers a restructured account as one where the Bank, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants to the borrower concessions that the Bank would not otherwise consider. Restructuring would normally involve modification of terms of the advance / securities, which would generally include, among others, alteration of repayment period / repayable amount / the amount of instalments / rate of interest (due to reasons other than competitive reasons). Restructured accounts are classified as such by the Bank only upon approval and implementation of the restructuring package.
- बैंक रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे मामलों के लिए चूक की तारीख से अितरिक्त प्रावधान करता है जिनमें व्यवहार्य समाधान योजना रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू नहीं की गई है. इन अितरिक्त प्रावधानों का रिजर्व बैंक के रिवर्सल संबंधी दिशानिर्देशों की शर्तों को पूरा करने पर प्रतिलेखन किया जाता है.
 - The Bank makes additional provisions as per RBI guidelines for the cases where viable resolution plan has not been implemented within timelines prescribed by RBI, from the date of default. These additional provisions are written back on satisfying the conditions for reversal as per RBI guidelines.
- (vi) एनपीए के लिए प्रावधान प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किए जाते हैं जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक प्रावधानों से अधिक होते हैं. Provisions are made for NPAs as per the rates determined by the management which are higher than the minimum regulatory provisions stipulated by the RBI.
- (vii) विशिष्ट मामलों/परिस्थितियों में प्रबंधन द्वारा एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जाते हैं.
 Additional provisions on NPAs are made by the management in specific cases/circumstances.
- (viii) ब्याज दर और विदेशी मुद्रा डेरेवेटिव संविदाओं को वर्तमान बाजार मूल्यों पर अंकित करने के लिए गणित ऋण एक्सपोजर के लिए प्रावधान सहित मानक आस्तियों के लिए भी सामान्य प्रावधान किये जाते हैं. सामान्य प्रावधान में निर्दिष्ट उधारकर्ता को बैंक के निधिक एक्सपोजर के अनुपात में निर्दिष्ट उधारकर्ता को बैंकिंग प्रणाली द्वारा सामान्यतया अनुमत उधार सीमा (एनपीएलएल) से अधिक के लिए वृद्धिशील एक्सपोजर हेतु प्रावधान भी शामिल है. ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 में ''अन्य देयताएं और प्रावधान अन्य'' शीर्ष के तहत परिलक्षित होते हैं और निवल एनपीए निर्धारित करने के लिए इस पर विचार नहीं किया जाता है.

General provisions are also made for standard assets, including provision for credit exposures computed as per the current marked to market values of interest rate and foreign exchange derivative contracts. The General provision also includes provision for incremental exposure of the banking system to a specified borrower beyond Normally Permitted Lending Limit (NPLL) in proportion to the Bank's funded exposure to a specified borrower. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at the Net NPAs.

- (iX) बैंक चिन्हित दबावग्रस्त क्षेत्रों की मानक आस्तियों पर विनियामक न्यूनतम प्रावधान से अधिक दरों पर जोखिम मूल्यांकन के आधार पर दबावग्रस्त क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त पावधान भी कर रहा है
 - Bank is also making additional provisions on stressed sectors based on risk assessment at rates higher than the regulatory minimum provision on standard assets of identified stressed sectors.
- (x) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे और कोविड-19 से संबद्ध दबाव के लिए समाधान ढांचों के बारे में रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार बैंक ने पात्र उधारकर्ताओं के लिए समाधान योजनाएं लागू की हैं. आस्ति वर्गीकरण और उनके लिए आवश्यक प्रावधानीकरण रिजर्व बैंक के उपर्यक्त दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है.
 - In accordance with the RBI guidelines on the prudential framework for resolution of stressed assets and the resolution frameworks for COVID-19 related stress and its Board approved policy, the Bank has implemented resolution plans for eligible borrowers. The asset classification and necessary provisioning thereon has been carried out in accordance with the said RBI guidelines.
- (xi) असहयोगी और इरादतन चूककर्ताओं के रूप में उधारकर्ताओं के वर्गीकरण के संबंध में रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक त्विरत प्रावधान करता है. धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किये गये ऋणों को हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और प्रतिभूति के मूल्य पर विचार किये बिना तत्काल पूर्ण पावधान किया जाता है
 - In respect of borrowers classified as non-cooperative and wilful defaulters, the Bank makes accelerated provisions as per the extant RBI guidelines. Loans reported as fraud are classified as loss assets, and fully provided immediately without considering the value of security.
- (xii) रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षानुसार किसी उपचित एवं देय ब्याज को ऋण (अर्थात् निधिक ब्याज मीयादी ऋण) में बदला जाता है तो ऐसी आय को रिवर्स किया जाता है और नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है.
 - As per requirement of RBI guideline, any interest accrued and due if converted into a loan (i.e. Funded Interest Term Loan), then such income is reversed and recognized on cash basis

(Xiii) देश संबंधी एक्सपोजर के लिए प्रावधान:

Provision for Country Exposure

आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार धारित विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, अलग-अलग देशों (गृह देश के अलावा) के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कंट्री एक्सपोजर के लिए भी प्रावधान किए गए हैं. देशों को सात जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्, महत्वहीन, निम्न, मध्यम, उच्च, बहुत उच्च, प्रतिबंधित और ऑफ-क्रेडिट तथा प्रावधान रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. यदि प्रत्येक देश के संबंध में बैंक का निवल निधिक एक्सपोजर कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे कंट्री एक्सपोजर पर कोई प्रावधान नहीं किया जाता है. यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 में ''अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य'' शीर्ष के तहत दिखाया जाता है.

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual direct as well as indirect country exposures (other than the home country). Countries are categorized into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit and provisioning is made as per extant RBI guidelines. If the net funded exposure of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of its total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others"

(xiv) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर:

Unhedged Foreign Currency Exposure

बैंक त्रैमासिक आधार पर रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएचएफसीई) वाली संस्थाओं के लिए वृद्धिशील पूंजी और प्रावधान रख रहा है. बैंक ने अपने उधारकर्ताओं के लिए विदेशी मुद्रा प्रेरित ऋण जीखिम के प्रबंधन के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है जो बैंक की ऋण नीति में शामिल है.

The Bank is holding incremental capital and provisions for entities with un-hedged foreign currency exposure (UHFCE), in line with the RBI guidelines, on quarterly basis. Bank has a laid down process for managing foreign currency induced credit risk for its borrowers which is covered in Bank's Credit Policy



7 निवेश / Investments

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में

A. In case of IDBI Bank Limited

रिजर्व बैंक के संशोधित मास्टर निर्देश 2023 के संक्रमण काल के समय बैंक ने उपर्युक्त मास्टर निर्देशों के अध्याय XIV में बताये अनुसार संक्रमण एवं निरसन प्रावधानों का अनुसरण किया था. इसके अलावा, 31 मार्च 2024 को अर्जक निवेशों (पीआई) के मूल्यहास के लिए प्रावधान में शेष को राजस्व/सामान्य रिजर्व में रिवर्स किया था. तथापि, एनपीआई के लिए प्रावधानों को आईआरसीएपी मानदंडों के अनुसार रखा गया था.

At the time of transition to revised RBI Master Direction 2023, the Bank had followed Transition and Repeal Provisions as provided in Chapter XIV of the said Master Directions. Further, the balance in provision for depreciation for Performing Investments (PI), as at March 31, 2024, was reversed into the Revenue/ General Reserve. However, provisions for NPI was maintained as per IRCAP norms

क) वर्गीकरण

a) Classification

12 सितम्बर 2023 को जारी वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन से संबंधित रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश 2023 के अनुसार बैंक के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है

In terms of RBI's Master Direction 2023 on Classification, Valuation and Operations of Investment Portfolio of Commercial Banks issued on September 12, 2023, the entire investment portfolio of the Bank is classified as

- (i) परिपक्वता तक धारित Held To Maturity,
- (ii) बिक्री के लिए उपलब्ध तथा Available For Sale and
- (iii) लाभ एवं हानि के जरिये उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) ट्रेडिंग के लिए धारित (एफवीटीपीएल-एचएफटी) एवं एफवीटीपीएल गैर एचएफटी सहित. एफवीटीपीएलसी-एचएफटी श्रेणी के अलावा बैंक के अन्य एफवीटीपीएल पोर्टफोलियो को एफवीटीपीएल गैर एचएफटी के रूप में निर्धारित किया जाता है.

Fair Value through Profit & Loss (FVTPL) [including Held For Trading (FVTPL-HFT) & FVTPL Non HFT. FVTPL portfolio of the Bank other than FVTPLC-HFT category is designated as FVTPL Non-HFT.

(iv) सहायक, सहयोगी संस्था और संयुक्त उद्यम (एसजेए). Subsidiary, Associates and Joint Venture (SJA)

> प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को तुलनपत्र में अनुसूची-8 निवेशों के अंतर्गत निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है: Investments under each category is presented in the Balance Sheet under Schedule 8-Investments as under:

- (i) सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities
- (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities
- (iii) शेयर Shares
- (iv) डिबेंचर तथा बांड Debentures & Bonds
- (v) सहायक संस्थाएं और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and / or Joint Ventures
- अन्य (वाणिज्यक पत्र, जमा प्रमाणपत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें, उद्यम पूंजी निधियां, पास थ्रू प्रमाणपत्र)
 Others (Commercial Paper, Certificate of Deposits, Mutual Fund Units, Security Receipts, Venture capital funds, Pass through Certificate).

ख) वर्गीकरण का आधार:

b) Basis of Classification

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)* / Held till Maturity (HTM)*

- क) निम्नलिखित शर्तों को पुरा करने वाली प्रतिभृतियों को एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जायेगाः
- (a) Securities that fulfil the following conditions shall be classified under HTM:
 - (i) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित किए जाने के उद्देश्य से किये गये निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है; और
 - Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'; and
 - (ii) प्रतिभूति की संविदात्मक शर्ते ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं जिनमें निर्दिष्ट तारीखों को मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज ('एसपीपीआई मानदंड') का ही भगतान किया जाता है.
 - The contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal outstanding ('SPPI criterion') on specified dates.
- (ख) निम्नलिखित प्रतिभूतियों को जिस भी इरादे से अधिगृहीत किया गया है उसके बावजूद वे एसपीपीआई मानदंड को पूरा नहीं करती हैं तो वे एचटीएम या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किये जाने की पात्र नहीं होंगी:
- (b) Notwithstanding the intent with which the following securities are acquired, they are not meeting the SPPI criteria and therefore shall not be eligible for classification either as HTM or AFS:
 - अनिवार्यत:, ऐच्छिक या आकस्मिक रूप से परिवर्तनीय विशेषताओं वाले लिखत.
 Instruments with compulsorily, optionally or contingently convertible features.
 - (ii) संविदात्मक हानि अवशोषक विशेषताओं वाले लिखत जैसे बासेल-III पूंजी विनियमनों के अंतर्गत अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 योग्यता वाले लिखत.
 - Instruments with contractual loss absorbency features such as those qualifying for Additional Tier 1 and Tier 2 under Basel III Capital Regulations.
 - (iii) ऐसे लिखत जिनके कूपन ब्याज के स्वरूप वाले नहीं हैं. मूलधन एवं ब्याज मानदंड के एकमात्र भुगतान ('एसपीपीआई') के अंतर्गत पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए ब्याज में विशिष्ट समयावधि के दौरान बकाया मूलधन राशि से संबद्ध ऋण जोखिम के लिए धन के लिए समय मूल्य के प्रतिफल और अन्य मूलभूत उधार जोखिमें एवं लागत, साथ ही लाभ मार्जिन शामिल है.
 - Instruments whose coupons are not in the nature of Interest. For the purposes of determining eligibility under the solely payments of principal and interest ('SPPI') criteria, interest consists of consideration for the time value of money, for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs, as well as a profit margin.
 - (iv) अधिमानी शेयर (ऐसे अधिमानी शेयरों के अलावा जो शोधनीय हैं, गैर-विवेकाधिकार लाभांश मिलता है, परिपक्वता पर प्रतिफल निर्गमकर्ता के लिए उधार की बाजार दर के नजदीक है और लाभांश के आस्थगित भुगतान पर क्षतिपूर्ति प्रदान करता है) और इक्विटी शेयर (ऐसे इक्विटी शेयरों के अलावा जो ट्रेडिंग के उद्देश्य के लिए धारित नहीं हैं).
 - Preference shares (other than a preference share which is redeemable, carries a non-discretionary dividend, with a yield to maturity close to the market rate of borrowing for that issuer and provides for compensation on deferred payment of dividend) and Equity shares (other than the equity instruments that is not held with the objective of trading).
- (c) Investments in the securitization notes, other than the equity tranche, shall be considered to meet the SPPI criteria if the tranche in which the investment is made meets all the following conditions:
 - (i) वर्गीकरण के लिए मूल्यांकन किये जा रहे ट्रांच (वित्तीय लिखतों के अंतर्निहित पूल को देखे बिना) की संविदात्मक शर्तें ऐसी नकदी प्रवाह को उत्पन्न करती हैं जिसमें केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज का भुगतान हो.
 - The contractual terms of the tranche being assessed for classification (without looking through to the underlying pool of financial instruments) give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
 - (ii) वित्तीय लिखतों का अंतर्निहित पूल एसपीपीआई मानदंड को पूरा करता है.

 The underlying pool of financial instruments meet the SPPI criteria.



(iii) ट्रांच की ऋण जोखिम आस्तियों के मिश्रित अंतर्निहित पूल की ऋण जोखिम के बराबर या कम है.

The credit risk of the tranche is equal to or lower than the credit risk of the combined underlying pool of assets.

* अन्य शर्तें 12 सितम्बर 2023 के रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अनुसार.

*Other stipulation as per RBI Master Direction dated September 12, 2023.

बिक्रो के लिए उपलब्ध (एएफएस) / Available for Sale (AFS)

- (क) निम्नलिखित शर्तें पूरी करने वाली प्रतिभूतियां एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत की जायेंगी:
- (a) Securities that meet the following conditions shall be classified under AFS:

प्रतिभूति ऐसे उद्देश्य के साथ अधिगृहीत की गई है जो संविदात्मक नकदी प्रवाहों को एकत्रित करने और बिक्री प्रतिभूतियों, दोनों को पूरा करती है और

The security is acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities; and

(ii) प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें 'एसपीपीआई मापदंड' को पूरा करती हैं अर्थात् प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें ऐसी नकदी प्रवाह को उत्पन्न करती हैं जिसमें निर्दिष्ट तारीखों को केवल मुलधन और बकाया मुलधन पर ब्याज का भुगतान हो.

The contractual terms of the security meet the 'SPPI criterion' i.e. the contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal outstanding on specified dates.

बशर्ते प्रारंभिक निर्धारण पर बैंक ऐसे इक्विटी लिखत को वर्गीकृत करने के लिए अविकल्पी चयन करे जिसे एएफएस के अंतर्गत ट्रेडिंग (अर्थात् 12 सितम्बर 2023 के रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश में सूचीबद्ध उद्देश्यों में से किसी के लिए भी धारित नहीं) के उद्देश्य के लिए धारित न किया हो.

Provided that on initial recognition, a bank may make an irrevocable election to classify an equity instrument that is not held with the objective of trading (i.e., not held for any of the purposes listed in RBI Master Direction dated September 12, 2023) under AFS.

- (ख) एएफएस प्रतिभूतियों में अन्य के अलावा आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) के उद्देश्य के लिए धारित ऐसी ऋण प्रतिभूतियां शामिल हैं जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं जिसमें बैंक का इरादा परिपक्वता तक धारित या परिपक्वता से पहले बिक्री के संबंध में लचीला है.
- (b) AFS securities shall inter-alia include debt securities held for asset liability management (ALM) purposes that meet the SPPI criterion where the bank's intent is flexible with respect to holding to maturity or selling before maturity.

लाभ एवं हानि के जरिये उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) / Fair Value through Profit & Loss (FVTPL)

- क) ऐसी प्रतिभूतियों को एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जायेगा जो एचटीएम या एएफएस में शामिल करने के योग्य नहीं हैं. इनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगीः
- Securities that do not qualify for inclusion in HTM or AFS shall be classified under FVTPL. These shall inter-alia include:
 - (i) (क) सहायक, सहयोगी संस्थाओं या संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों और (ख) ऐसे इक्विटी शेयर जिनके प्रारंभिक निर्धारण पर एएफएस के रूप में वर्गीकृत करने का अविकल्पी चयन का उपयोग किया गया है को ळोडकर इक्विटी शेयर

Equity shares, other than (a) equity shares of subsidiaries, associates or joint ventures and (b) equity shares where, at initial recognition, the irrevocable option to classify at AFS has been exercised.

- (ii) म्यूच्युल फंडों, वैकल्पिक निवेश फंडों, स्थावर संपदा निवेश ट्रस्टों, बुनियादी संरचना निवेश ट्रस्टों, आदि में निवेश
 - Investments in Mutual Funds, Alternative Investment Funds, Real Estate Investment Trusts, Infrastructure Investment Trusts, etc.
- (iii) ऐसे प्रतिभूतिकृत नोटों में निवेश जो प्रतिभूतिकरण लेनदेन के इक्विटी ट्रांच का निरूपण करते हैं. अधिमानी एवं अन्य गौण ट्रांचों में निवेश को एसपीपीआई मानदंड के संबंध में उनके अनुपालन की समीक्षा करने की जरूरत होगी.

Investment in securitisation notes which represent the equity tranche of a securitisation transaction. Investments in senior and other subordinate tranches shall need to be reviewed for their compliance with SPPI criterion.

- (iv) बांड, डिबेंचर आदि जिनका भुगतान ब्याज दर बेंचमार्क की बजाय विशिष्ट सूचकांक जैसे इक्विटी सूचकांक में घट-बढ से जडा होता है.
 - Bonds, debentures, etc. where the payment is linked to the movement in a particular index such as an equity index rather than an interest rate benchmark.
- (v) उपर्युक्त आ (ख) में वर्णित प्रतिभूतियां, उपर्युक्त खंड में वर्णित इक्विटी अपवाद के अधीन. Securities referred to in Point B (b) above, subject to the exception for equity referred to in the same Clause.

ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) / Held for Trading (HFT)

बैंक ने एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी के नाम से अलग उप-श्रेणी बनाई है. ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी), जो लाभ एवं हानि के जरिये उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) की उप-श्रेणी हैं में ऐसे सभी लिखत शामिल होंगे जो 12 सितम्बर 2023 के रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अनुसार एचएफटी के विशेष विवरणों को पुरा करते हैं.

Banks has created a separate sub-category called HFT within FVTPL. Held for Trading (HFT), which is a sub-category of Fair Value through Profit and Loss (FVTPL) shall consist of all instruments that meet the specifications for HFT as per RBI Master Direction dated September 12, 2023.

सहायक, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों (एसजेए) में निवेश Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures (SJA)

सहायक, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेशों को एक विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है. ऐसे निवेश अन्य निवेश श्रेणियों (अर्थात एचटीएम. एएफएस और एफवीटीपीएल) से अलग होते हैं.

All investments in subsidiaries, associates and joint ventures are held in a distinct category for such investments separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL).

ग) अधिग्रहण लागत

c) Acquisition Cost

- (i) निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारण करने में: In determining the acquisition cost of an investment:
 - क) सेकंडरी बाजार से खरीदे गए इक्विटी लिखतों के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अधिग्रहण लागत में शामिल किया जाता है जबिक ट्रेजरी निवेशों सिहत अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.
 - a) Brokerage, commission, stamp duty, and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.
 - ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त ब्याज / प्राप्त ब्याज को अधिग्रहण लागत/ बिक्री में से घटाया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है.
 - b) Broken period interest paid/ received is excluded from the cost of acquisition/ sale and treated as interest expense/ income.
 - ग) एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर किसी बट्टे या प्रीमियम जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करते हैं, को लिखत की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है.
 - c) Any discount or premium on the acquisition of debt securities under HTM, AFS & FVTPL which pass SPPI criterion is amortised over the remaining life of the instrument.
 - घ) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.
 - d) Cost is determined on the weighted average cost method.

घ) प्रारंभिक निर्धारण

d) Initial Recognition

सभी निवेशों को प्रारंभिक निर्धारण पर उचित मूल्य पर आंका जाता है. जब तक तथ्य और परिस्थितियां सुझाव नहीं देती कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से काफी भिन्न है, तो यह माना जाता है कि अधिग्रहण लागत उचित मूल्य है. जिन स्थितियों में अनुमान की जांच की जाती है, उसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

All investments are measured at fair value on initial recognition. Unless fact sand circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, it is presumed that the acquisition cost is the fair value. Situations where the presumption is tested include:



- क) लेनदेन संबद्ध पक्षकारों (एनडीएस-ओएम पर किये गये लेनदेनों को छोड़कर) के बीच किया गया है.
- a) The transaction is between related parties (excluding transactions carried out on NDS-OM).
- ख) लेनदेन दबाव के अंतर्गत किया गया है जिसमें एक पक्षकार को लेनदेन का मृल्य स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया है.
- b) The transaction is taking place under duress where one party is forced to accept the price in the transaction.
- ग) लेनदेन प्रतिभृति को श्रेणी के मृल बाजार के बाहर किया गया है.
- c) The transaction is done outside the principal market for that class of securities.
- घ) अन्य स्थितियां जिनमें वरिष्ठ,तथ्य और परिस्थितियां अनुमान की जांच को न्यायसंगत ठहराती हैं.
- d) Other situations, where in the opinion of the supervisor, facts and circumstances warrant testing of the presumption.

नीलामी (डिवाल्वमेंट सिहत) के जिरये अधिगृहीत सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में, रिजर्व बैंक द्वारा संचालित (एनडीएस-ओएम पर किये गये लेनदेनों को छोड़कर) स्विच परिचालन और खुला बाजार परिचालन (ओएमओ), में जिस मूल्य पर प्रतिभूति आबंटित की जाती है, उसे प्रारंभिक निर्धारण के उद्देश्य के लिए उचित मुल्य समझा जाता है.

In respect of government securities acquired through auction (including devolvement), switch operations and open market operations (OMO) conducted (Excludes transactions on NDS-OM.) by the RBI, the price at which the security is allotted is considered as the fair value for initial recognition purposes.

जहां प्रतिभूतियां उद्भृत की जाती हैं या बाजार से सुस्पष्ट इन्पुट (जैसे प्रतिफल वक्र, ऋण स्प्रैड, आदि) के आधार पर उचित मूल्य निर्धारित किया जा सकता है, उसे किसी भी दिन 1 के लाभ/हानि को अनुसूची 14: 'अन्य आय', 'निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ' या 'निवेशों के पुनर्मुल्यन पर हानि', जैसी भी स्थिति हो, के उप-शोर्षक के भीतर लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है.

Where the securities are quoted or the fair value can be determined based on market observable inputs (such as yield curve, credit spread, etc.) any Day 1 gain/ loss is recognised in the Profit and Loss Account, under Schedule 14: 'Other Income' within the sub-head 'Profit on revaluation of investments' or 'Loss on revaluation of investments', as the case may be.

- क) लेवल 3 के निवेशों से उत्पन्न किसी दिन 1 की हानि को तत्काल दर्शाया जाता है.
- a) Any Day 1 loss arising from Level 3 investments recognised immediately.
- ख) लेवल 3 के निवेशों से उत्पन्न किसी दिन 1 के लाभ को स्थिगित कर दिया जाता है. ऋण लिखतों के मामले में दिन 1 के लाभ को परिपक्वता की तारीख (शाश्वत लिखतों के लिए सबसे पहली परिपक्वता पूर्व मोचन की तारीख) पर सीधी रेखा पद्धित से परिशोधित कर दिया जाता है, जबिक अनुद्धृत इक्विटी लिखतों के लाभ को तब तक देयता के रूप में अलग रखा जायेगा जब तक प्रतिभूति सचीबद्ध या अमान्य न हो जाये.
- b) Any Day 1 gains arising from Level 3 investments is deferred. In the case of debt instruments, the Day 1 gain is amortized on a straight-line basis up to the maturity date (or earliest call date for perpetual instruments), while for unquoted equity instruments, the gain shall be aside as a liability until the security is listed or de-recognised.

ङ) परवर्ती आकलन

e) Subsequent Measurement

- (i) एचटीएम के लिए धारित प्रतिभूतियों को उनके लागत पर दिखाया जाता है और प्रारंभिक निर्धारण के बाद बाजार मूल्य पर अंकित करने (एमटीएम) के अधीन नहीं होती हैं. एचटीएम के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर किसी बट्टे/ प्रीमियम को लिखत की शेष बची अवधि में परिशोधित किया जाता है.
 - Securities held in HTM are carried at cost and not subjected to be marked to market (MTM) after initial recognition. Any discount / premium on the securities under HTM are amortised over the remaining life of the instrument.
- ii) एएफएस के अंतर्गत धारित सभी अर्जक ट्रेजरी निवेशों का दैनिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, निवल वृद्धि या कमी को लाभ-हानि खाते के जिरये रूट किये बिना सीधे एएफएस रिजर्व में जमा या नामे किया जाता है. एएफएस में गैर-ट्रेजरी गैर एसएलआर प्रतिभूतियों का मासिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और निवल वृद्धि या कमी को सीधे एएफएस रिजर्व में जमा या नामे किया जाता है. एएफएस श्रेणी में ऋण लिखतों की बिक्री या परिपक्वता पर एएफएस रिजर्व में उस प्रतिभूति के संचित लाभ/हानि को एएफएस रिजर्व में अंतरित कर दिया जाता है और लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है. तथािप, एक बारगी अविकलपी चयन का उपयोग कर एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत इक्विटी निवेशों के मामले में बिक्री पर लाभ को लाभ-हानि खाते के जिरये रूट किये बिना सीधे पूंजी रिजर्व में जमा कर दिया जाता है. एएफएस रिजर्व को सामान्य इक्विटी टियर (सीईटी) 1 पूंजी माना जाता है. एएफएस रिजर्व को सामान्य हिक्या जाता है एवं सामान्य इक्टिटी टियर (सीईटी) 1 पूंजी माना जाता है.

All performing treasury investments held under AFS is valued on daily basis, the net appreciation or depreciation is directly credited or debited to AFS reserve without routing through the Profit & Loss Account. Non-Treasury - Non-SLR securities in AFS are valued on monthly basis and the net appreciation or depreciation is directly credited or debited to AFS reserve. Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated

gain/ loss for that security in the AFS-Reserve is transferred from the AFS Reserve and recognized in the Profit and Loss Account. However, in case of Equity investments classified under AFS using one-time irrevocable selection, the profit on sale are directly credited to Capital Reserve account without routing the same through P & L Account. AFS Reserve is reckoned Common Equity Tier (CET) 1 Capital. The unrealised Level 3 gains transferred to AFS Reserve are not considered for any distribution such as dividend & Common Equity Tier (CET) 1 Capital.

- (iii) एफवीटीपीएल में धारित प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे मूल्यांकन से हुए निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ-हानि खाते में जमा या नामे किया जाता है. खरीद से अधिक बिक्री सहित एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी उप श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत ऐसी प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और बाजार मूल्य पर आंकने के कारण हुए लाभ/हानि को एचएफटी पोर्टफोलियो को बाजार मुल्य पर आंकने से संबद्ध दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है.
 - The securities held in FVTPL are fair valued and the net gain or loss arising on such valuation is directly credited or debited to the Profit and Loss Account. Securities classified under the HFT sub-category within FVTPL, including the short position, are valued on a daily basis and account for the resultant mark to market gain/losses in to Profit & Loss account as per the relevant guidelines for marking to market of the HFT portfolio.
- (iv) एफवीटीपीएल (गैर-एचएफटी) के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का एमटीएम मूल्यांकन मासिक आधार पर किया जाता है और निवल एमटीएम लाभ/हानि को लाभ-हानि खाते में जमा/नामे किया जाता है.
 - MTM Valuation of Investments classified under FVTPL (Non-HFT) are valued on monthly basis and net MTM gain/loss is credited/debited in Profit & Loss accounts.
- (v) ऐसे निवेशों जिन्हें 'अनर्जक निवेशों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, के संबंध में प्रावधान को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों में हुई वृद्धि से समायोजित नहीं किया जाता है और मूल्यहास या आईआरएसी प्रावधान, जो भी अधिक हो, का प्रावधान किया जाता है.
 In respect of investments which are classified as 'Non-Performing' investments, the provision for provision is not set off against the appreciation in respect of other performing securities and Provision maintained for Depreciation or IRAC Provision whichever is higher.
- (vi) सहायक, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेशों (ऋण एवं इक्विटी सहित) को अधिग्रहण लागत पर दर्शाया जाता है. ऋण प्रतिभूतियों (जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं) के अधिग्रहण पर बट्टे और प्रीमियम को लिखतों की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है.

All investments (including debt and equity) in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held at acquisition cost. Any discount and premium on the acquisition of the debt securities (that meet SPPI criterion) are amortised over the remaining life of the instruments.

ऐसे मामलों में जहां संस्था में पहले ही निवेश किया हुआ है जो सहायक, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम नहीं है और बाद में निवेशित संस्था सहायक, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम बन जाती है तो ऐसी संस्था के सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनने की तारीख से संशोधित रखाव मुल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:

In cases where there is already an investment in an entity which is not a subsidiary, associate or joint venture, and subsequently the investee entity becomes a subsidiary, associates or joint venture, the revised carrying value as at the date of such entity becoming a subsidiary, associate or joint venture are determined as under:

- क) जहां निवेश एचटीएम के अंतर्गत रखा हुआ था, रखाव मूल्य में से स्थायी अनर्जकता को घटाकर संशोधित रखाव मूल्य माना जाता है.
- Where an investment was held under HTM, the carrying value less any permanent impairment is considered as revised carrying value.
- ख) जहां निवेश एएफएस के अंतर्गत रखा हुआ था, एएफएस रिजर्व में पूर्व में दर्शाये गये संचयी लाभ और हानियों को रिवर्स किया जाता है और संशोधित रखाव मूल्य निर्धारित करने के लिए निवेश के मूल्य में स्थायी कमी के साथ निवेश के रखाव मूल्य को समायोजित किया जाता है
- b) Where an investment was held under AFS, the cumulative gains and losses previously recognised in AFS Reserve are reversed and adjusted to the carrying value of the investment along with any permanent diminution in the value of the investment to arrive at the revised carrying value.
- ग) जहां निवेश एफवीटीपीएल के अंतर्गत रखा हुआ था, निवेशित संस्था के सहायक, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम बनने की तारीख को उचित मृल्य के रखाव मृल्य के रूप में लिया जाता है.
- c) Where an investment was held under FVTPL, the fair value as on the date of the investee becoming subsidiary, associate or joint venture is taken as the carrying value.



(vii) जब निवेशित संस्था सहायक, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम नहीं रहती है तो निवेशों को संबंधित श्रेणियों में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

When an investee ceases to be a subsidiary, associate or joint venture, the investments are classified to the respective categories as under:

- क) जहां निवेश को एचटीएम में पुनः वर्गीकृत किया जाता है, वहां रखाव मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसके कारण कोई लेखांकन समायोजन नहीं किया जाता है.
- a) Where the investment is reclassified into HTM, there shall be no change in the carrying value and consequently no accounting adjustment is made.
- ख) जहां निवेश को एएफएस या एफवीटीपीएल में पुनः वर्गीकृत किया जाता है, वहां ऐसे पुनःवर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य को संशोधित रखाव मूल्य माना जाता है. संशोधित और पूर्ववर्ती रखाव मूल्य के बीच अंतर को क्रमशः एएफएस और एफवीटीपीएल में पुनः वर्गीकरण के मामले में एएफएस रिजर्व और लाभ-हानि खाते में अंतरित कर दिया जाता है.
- b) Where the investment is reclassified into AFS or FVTPL, the fair value on the date of such reclassification is considered as the revised carrying value. The difference between the revised and previous carrying value is transferred to AFS-Reserve and Profit and Loss Account in case of reclassification into AFS and FVTPL respectively.
- viii) सहायक, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम के पुनःवर्गीकरण या निवेश की बिक्री से हुए लाभ /हानि को पहले लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है और उसके बाद लाभ-हानि खाते से पूंजी रिजर्व खाते में (कर एवं सांविधिक रिजर्व में अंतरण को घटाकर) विनियोजित किया जाता है.

 Any gain / profit arising on the reclassification / sale of an investment in a subsidiary, associate or joint venture is first recognised in the Profit and Loss account and then appropriated below the line (net of taxes and transfer to statutory reserves) from the Profit and Loss Account to the Capital Reserve Account.

च) मूल्यांकन कार्य-प्रणाली

Valuation Methodologies

- (i) मूल्यांकन के सिद्धांत Valuation Principles
 - (i) बट्टाकृत लिखत होने के नाते ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है. Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost,
 - (ii) ट्रेड/ उद्धृत इक्विटी निवेशों के संबंध में बाजार मान्यता प्राप्त मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध ट्रेड/ भाव-सूची से लिया जाता है. In respect of traded/ quoted equity investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the recognised stock exchanges.
 - (iii) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर तथा अनुद्धृत /ट्रेड न की गई सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफआईएमएमडीए/फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित मूल्यों के आधार पर किया जाता है. Quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted/non-traded government securities are valued at prices declared by FIMMDA/ Financial Benchmark India Pvt Ltd (FBIL).
 - (iv) कॉरपोरेट वर्टिकल द्वारा अधिगृहीत सभी मौजूदा एलसीबी/जेडसीबी (जहां उधारकर्ता ऋण शोधन निधि बनाने में असफल रहा है) का मूल्यांकन रिजर्व बैंक के संबंधित मास्टर निर्देश के अनुसार 1 रूपये पर किया जाता है. Valuation of all existing LCB/ZCB (where the borrower fails to build up the sinking fund) acquired by Corporate vertical is carried out at Re.1 as per the relevant RBI Master Direction.
 - v) अश्रेणीकृत बांड के मार्क-अप के मूल्यांकन के लिए मार्क-अप समान परिपक्वता वाले श्रेणीकृत डिबेंचरों या बांडों पर लागू मार्क-अप से कम नहीं होता है ताकि बैंक द्वारा वहन ऋण जोखिम को प्रदर्शित किया जा सके. For valuing the unrated bonds mark-up not less than the mark-up applicable to rated debentures or bonds of equivalent maturity applied so as to reflect the credit risk borne by the Bank.
 - (vi) अनुद्धृत इक्विटी शेयर अर्थात् ऐसे इक्विटी शेयर जिनकी वर्तमान क्वोटेशन उपलब्ध नहीं हैं या जिनके भाव एक्सचेंज पर उपलब्ध न हो, उनका मूल्यांकन अलग-अलग मूल्य (''पुनार्मूल्यांकन रिजर्व '', यदि कोई हो, पर विचार किये बिना), जो कंपनी के नवीनतम तुलन पत्र से प्राप्त होगा, के आधार पर किया जाता है. नवीनतम तुलन-पत्र के बनाने की तारीख से मूल्यांकन की तारीख 18 महीने से पहले की नहीं होनी चाहिए. यदि नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र उपलब्ध न हो तो शेयरों का मूल्यांकन रिजर्व बैंक के संबंधित मास्टर निर्देश के अनुसार एक रुपया प्रति कंपनी पर किया जाएगा.
 - The unquoted equity shares i.e., equity shares for which current quotations are not available or where the shares are not quoted on the exchanges, are valued at break-up value (without considering 'revaluation reserves', if any) which is to be ascertained from the company's latest audited balance sheet. The date

as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months. In case the latest audited balance sheet is not available, the shares are valued at Re.1 per company, as per the relevant RBI master direction.

- (vii) अनुद्धृत एमएफ़ यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक योजना के संदर्भ में एमएफ़ द्वारा हाल में घोषित किए गए पुनर्खरीद मूल्य के आधार पर किया जाता है. ऐसी निधियाँ जो लॉक-इन अवधि के साथ हों या कोई अन्य फ़ंड जिसका पुनर्खरीद मूल्य/बाज़ार भाव उपलब्ध न हो, ऐसी यूनिटों का मूल्यांकन योजना के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर किया जाता है. यदि एनएवी उपलब्ध नहीं हो तो इनका मूल्यांकन लॉक-इन अवधि की समाप्ति तक लागत के शिक्ष पर किया जाता है.
 - Investment in un-quoted MF units are valued on the basis of the latest re-purchase price declared by the MF in respect of each scheme. In case of funds with a lock-in period or any other fund, where repurchase price/ market quote is not available, units are valued at Net Asset Value (NAV) of the scheme. If NAV is not available, these are valued at cost, till the end of the lock-in period.
- (viii) नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभृतियों (सरकारी प्रतिभृतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभृतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे कीमत-लागत अंतर एवं प्रयुक्त वाईटीएम दरें एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों के अनुसार होती हैं.
 Unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by FBIL.
- (x) एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी/अन्य प्रतिभूतियों में बैंक के निवेश को ऐसे लिखतों के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना कर आवधिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है. Investments by the Bank in SRs / PTCs / other securities issued by ARCs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.
 - बशर्ते कि बैंक द्वारा एआरसी को अंतरित दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी में बैंक निवेश करता है तो बैंक निवेश तब तक सतत आधार पर बहियों में दिखाता है जब तक उपर्युक्त एनएवी के आधार पर एसआर का शोधन मूल्य और अंतरण के समय अंतरित दबावग्रस्त ऋण की एनबीवी में जो कम हो पर अंतरण या वसुली नहीं हो जाती है.
 - Provided that when the Bank invests in the SRs/PTCs issued by ARCs in respect of the stressed loans transferred by it to the ARC, the Bank carries the investment in their books on an ongoing basis, until its transfer or realization, at lower of the redemption value of SRs arrived based on the NAV as above, and the NBV of the transferred stressed loan at the time of transfer.
- (x) यिद अंतरणकर्ता द्वारा अंतरित ऋणों के बदले जारी एसआर में अंतरणकर्ता द्वारा निवेश अंतरित आस्ति के बदले जारी सभी एसआर के 10 प्रतिशत से अधिक है तब एसआर का मूल्यांकन निम्नलिखित में से कम पर विचार किया जाता है: If the investment by the transferor in SRs issued against loans transferred by it is more than 10 percent of all SRs issued against the transferred asset, then the valuation of the SRs is considered as the lower of the following:
 - i) खंड (i) के अनुसार निकाला गया मूल्य; और Value arrived at in terms of clause (i); and
 - ii) यदि ऋण अंतरणकर्ता की बहियों में जारी रहते हैं तो एसआर के अंकित मूल्य में लागू आनुमानिक प्रावधान दर घटाकर. Face value of the SRs reduced by the notional provisioning rate applicable if the loans had continued on the books of the transferor.
- (xi) उद्धृत अधिमानी शेयरों को बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / ट्रेड न किये जाने वाले अधिमानी शेयरों को रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अनिधक परिपक्वता पर उपयुक्त प्रतिफल के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है. Quoted Preference shares are valued at market rates and unquoted/non-traded preference shares are valued at appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per the RBI guidelines.
- (xii) अनुद्धृत उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ़)/वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेश का वर्गीकरण रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एफवीटीपीएल गैर-एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत बैंक के विवेक पर किया जाता है और वीसीएफ द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई एनएवी पर मूल्यांकन किया जाता है. वर्ष में कम से कम एक बार, इन यूनिटों का मूल्यांकन वीसीएफ़ के हाल के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, यदि उपलब्ध हो, के आधार पर या रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एक रूपया प्रति वीसीएफ़ की दर से किया जाता है.

Investments in unquoted Venture Capital Fund (VCF)/Alternate Investments Funds (AIFs) are categorised, at the discretion of the Bank, under FVTPL Non-HFT category in accordance with the RBI guidelines and valued at NAV shown by the VCF in its financial statements. At least once a year, the units are valued based on the latest audited financials of the VCF if available or at Re 1 per VCF as per the RBI guidelines.



- (xiii) पीटीसी निवेश वर्तमान में केवल एचटीएम श्रेणी में धारित किए जाते हैं तथा लागत पर दर्शाये जाते हैं.
 PTC investments are presently held only under HTM category and are carried at Cost.
- (ii) नये ढांचे में परिवर्तन (1 अप्रैल 2024) के बाद बैंकों को निदेशक मंडल की अनुमित के बिना निवेशों की श्रेणियों (अर्थात् एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) के बीच पुनःवर्गीकरण की अनुमित नहीं है. इसके अलावा, ऐसे वर्गीकरण के लिए पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस), रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन की भी जरूरत है.

After transition (April 01, 2024) to new framework, banks are not allowed to reclassify investments between categories (viz. HTM, AFS and FVTPL) without the approval of Board of Directors. Further, such reclassification also requires the prior approval of the Department of Supervision (DoS), RBI.

उत्तरवर्ती पुनः वर्गीकरण के लिए बैंक को 12 सितम्बर 2023 के वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देशों), 2023 के बारे में रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अध्याय VI में निर्दिष्ट पुनःवर्गीकरण लेखांकन का पालन करना होगा.

For subsequent reclassification, Bank shall follow reclassification accounting stipulated under Chapter VI of RBI Master Direction on Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 dated September 12, 2023.

अनर्जक निवेश / Non-Performing Investments

अनर्जक निवेशों की पहचान की जाती है तथा उन पर रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है. ऐसे अनर्जक निवेश के मूल्यहास/ प्रावधान को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों की मूल्यवृद्धि से समायोजित नहीं किया जाता है. जब तक अनर्जक निवेशों पर ब्याज/आय प्राप्त नहीं होती तब तक लाभ-हानि लेखे में दर्शाया नहीं जाता है.

Non-performing investments are identified and depreciation provisions are made thereon based on the RBI guidelines. The depreciation / provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest / income on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss Account until it is received.

अधिविक्रय / Short Sale

रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में अधिविक्रय करता है. अधिविक्रय स्थितियों को एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकत किया जाता है.

The Bank undertakes short sale transaction in Central Government dated securities in accordance with the RBI guidelines. The short positions are categorised under HFT category.

छ) रेपो एवं रिवर्स रेपो लेन-देन

g) Repo and reverse repo transactions

रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (चलिनधि समायोजन सुविधा ('एलएएफ') व सीमांत आपाती सुविधा ('एमएसएफ') के तहत रिजर्व बैंक से किए गए लेन-देनों सिहत) में रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमशः उधार लेने व उधार देने वाले लेन-देनों के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

In accordance with the RBI guidelines, repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (including transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with the RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में

B. In case of IDBI Assets Management Limited

ऐसे निवेश जो तत्काल वसूली योग्य हैं और ऐसे निवेश करने की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए धारित नहीं किए जाने हैं, उन्हें चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. अन्य सभी निवेशों को दीर्घाविध निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. चालू निवेशों को लागत या उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है. दीर्घाविध निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है. तथािप, निवेशों के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़कर, के संबंध में हास के लिए प्रावधान कमी को निर्धारित करने के लिए किया जाता है. ऐसे कमी का निर्धारण प्रत्येक निवेश के लिए किया जाता है. बांड की खरीद के दौरान भुगतान किए गए प्रीमियम को बांड की अविध के दौरान परिशोधित नहीं किया जाता है और इसे खरीद की लागत के रूप में माना जाता है.

Investments which are readily realizable and are intended to be held for not more than one year from the date, on which such investments are made, are classified as current investments. All other investments are classified as long term investments. Current investments are carried at cost or fair value, whichever is lower. Long-term investments are carried at cost. However, provision for diminution is made to recognize a decline, other than temporary, in the value of the investments, such reduction being determined and made for each investment individually premium paid during purchase of bonds is not amortized during the tenure of bond and same is considered as cost of purchase.

इ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड के मामले में

C. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

ऐसे निवेश जो लंबे समय से धारित हैं, उन्हें गैर-चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. दीर्घावधि निवेश लागत पर दर्शाए जाते है. दीर्घावधि निवेश के मूल्य में अस्थायी स्वरूप से भिन्न कमी को दर्शाया जाता है. तरल निवेश को चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और लागत पर दर्शाया जाता है. Investments which are held for long term, same are classified as Non Current Investments. Long term investments are stated at cost. Decline in value of long term investment is recognised, if considered other than temporary. Liquid investments are classified as a current investment and are stated at cost.

ई. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में

D. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

- (i) निवेशों को गैर-चालू और चालू निवेशों के रूप वर्गीकृत किया जाता है. लाभांश तथा ब्याज के रूप में आय अर्जित करने के लिए तथा पूंजीगत मूल्यवृद्धि के प्रयोजनार्थ अधिगृहीत तथा धारित प्रतिभृतियों और अन्य वित्तीय आस्तियों को गैर चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनका मूल्यांकन उनकी अधिग्रहण लागत पर किया जाता है. उनके मूल्य में अस्थायी गिरावट से भिन्न गिरावट, यदि कोई हो, का निर्धारण किया जाता है. चालू निवेश को बाजार/उचित मूल्य पर दिखाया जाता है. मार्केट मेकर के रूप में बाजार निर्माण प्रक्रिया में अर्जित प्रतिभूतियों को चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.
 - Investments are classified into non-current and current investments. Securities and other financial assets acquired and held for earning income by way of dividend and interest and for the purpose of capital appreciation are classified as non-current investments and are valued at their cost of acquisition. Decline in their value other than temporary, if any, is recognized. Current investments are carried at market/ fair value. Securities acquired in the market making process as market maker are classified as Current Investments.
- (ii) अल्पाविध धारिता और ट्रेडिंग के उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूतियों को विक्रेय माल समझा जाता है और उसे चालू आस्तियों के रूप में माना जाता है. Securities acquired with the intention of short-term holding and trading are considered as stock-in-trade and regarded as current assets.
- (iii) विक्रेय माल श्रेणीवार के रूप में धारित प्रतिभूतियों को बाजार/ उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है. बाजार मूल्य को वास्तविक क्रय-विक्रय के लिए बाजार भावों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और जहां ऐसे भाव उपलब्ध नहीं हैं वहाँ उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है, ऋण प्रतिभूतियों के मामले में, समान परिपक्वता और साख स्थिति की प्रतिभूतियों पर आय-प्राप्ति के संदर्भ में और इक्विटी के मामले में उपलब्ध अंतिम तुलन-पत्र के अनुसार ब्रेक-अप मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है. प्रत्येक प्रतिभूति को अलग-अलग मूल्यांकित किया जाता है. प्रत्येक प्रतिभूति के लिए मूल्यहास/वृद्धि, यदि कोई हो, का प्रावधान/विचार किया जाता है.

 Securities held as stock-in-trade category wise are valued at market/fair value.. Market value is determined based on market quotes for actual trades and where such quotes are not available, fair value is determined, in the case of debt securities, with reference to yields on securities of similar maturity and credit standing, and in the case of equities, with reference to the break-up value as per the last available balance sheet. Each security is valued individually. The depreciation / appreciation , if any, for each security is provided /
- (iv) निवेश के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रदत्त प्रीमियम को लिखत की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है. Premium paid on government securities held as investment is amortized over the tenor of the instrument.

उ. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में

E. In case of IDBI MF Trustee Company Limited

निवेश: / Investments

considered.

निवेशों को गैर-चालू और चालू निवेशों में वर्गीकृत किया जाता है. लाभांश और ब्याज के रूप में आय अर्जित करने तथा पूंजी मूल्यवृद्धि के प्रयोजन के लिए अर्जित और धारित प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय आस्तियों को गैर-चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और अधिग्रहण की उनकी लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. अस्थायी के अलावा उनके मूल्य में गिरावट, यदि कोई हो, को निर्धारित किया जाता है. चालू निवेश को लागत या बाजार मूल्य से कमतर पर दर्शाया जाता है.

Investments are classified into non-current and current investments. Securities and other financial assets acquired and held for earning income by way of dividend and interest: and for the purpose of capital appreciation are classified as non-current investments and are valued at their cost of acquisition. Decline in their value other than temporary, if any, is recognized. Current investments are carried at lower of cost or market value.



8 डेरिवेटिव लेनदेन / Derivative Transactions

डेरिवेटिव लेन-देनों में वायदा संविदाएँ, स्वैप और विकल्प शामिल हैं जिनका प्रकटन आकस्मिक देयताओं के रूप में किया जाता है. वायदा, स्वैप और विकल्पों को ट्रेडिंग या हेज लेन-देन, जैसे भी स्थिति हो, के रूप में वर्गीकत किया जाता है.

Derivative transactions comprise of forward contracts, swaps and options which are disclosed as contingent liabilities. The forwards, swaps and options are categorized as trading or hedge transactions, as the case may be.

बैंक विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के बारे में लेखांकन मानक 11 के सिद्धांत का अनुसरण करता है.

Bank follows the principle of Accounting Standard 11 on The Effects of Change in Foreign Exchange Rates.

बैंक भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी डेरेवेटिव संविदाओं के लिए लेखांकन के बारे में निर्देशन नोट (संशोधित 2021), उक्त निर्देशन नोट के अनुच्छेद 63 को छोड़कर, की अपेक्षाओं का भी अनुपालन करता है. बैंक 12 सितम्बर 2023 के वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देशों), 2023 के बारे में रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश, 2023 के पैरा 39 के अनुसार अपनी डेरेवेटिव आस्ति एवं देयताओं को क्रमशः अनुसची 11: 'अन्य आस्तियां' और अनुसूची 5: 'अन्य देयताएं' के अंतर्गत अलग मद के रूप में दर्शाता है. बैंक उक्त निर्देशन नोट की हेज लेखांकन अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए अपने निवेशों के रखाव मल्य में समायोजन करता है.

Bank also complies with the requirements of the Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts (revised 2021) issued by the Institute of Chartered Accountants of India except for paragraph 63 of the said Guidance Note. Banks presents its derivative asset and liabilities as separate line items under Schedule 11: 'Other Assets' and Schedule 5: 'Other Liabilities' respectively in accordance with para 39 of the RBI Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 dated September 12, 2023. Bank makes adjustments to the carrying value of its investments in compliance with the hedge accounting requirements of the said Guidance Note.

'हेज' के रूप में नामित लेनदेनों में In Transactions designated as 'Hedge'

बैंक का 31 मार्च 2025 को कोई सक्रिय हेज लेनदेन नहीं है. Bank has no active Hedge trade as on March 31, 2025.

'ट्रेडिंग' के रूप में नामित लेन-देनों में:

In Transactions designated as 'Trading':

- क) '्रेडिंग' के रूप में नामित बकाया डेरिवेटिव लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ-हानि खाते में शामिल किया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि खाते में अंतरित कर दिया जाता है.
- a) Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.
- ख) एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ) खंडों में ट्रेडिंग के रूप में नामित डेरिवेटिव लेन-देनों में मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शन्स और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है और नकदी निपटान टी+1 आधार पर किया जाता है. इन लेन-देनों से हुए लाभ/हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित की गई माह के अंत में निपटान की तारीख को लाभ- हानि खाते में अंतरित किया जाता है.
- b) Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit and Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.
- ग) ''ट्रेडिंग'' के रूप में नामित रुपया डेरिवेटिव पर आय को वसूली आधार पर लाभ-हानि खाते में दिखाया जाता है.
- c) Income on Rupee Derivatives designated as "Trading" is recognised in the Profit and Loss Account on realisation basis.
- घ) डेरिवेटिव संविदाओं के अंतर्गत किसी भी प्राप्य राशि, जो 90 दिन से अधिक के लिए अतिदेय रहती है, को लाभ-हानि खाते के जिरये 'उचंत खाता निश्चित प्राप्यराशियों' में रिवर्स किया जाता है.
- d) Any receivable under derivative contracts, which remain overdue for more than 90 days, are reversed through Profit and Loss Account to "Suspense Account Crystallised Receivables".

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में: In case of IDBI Capital Market & Securities Limited

भावी संविदाओं और विकल्पों में लेनदेन

Transactions in Futures and Options

- (i) भावी संविदा / विकल्पों की बिक्री करते समय देय प्रारंभिक मार्जिन को सावधि जमा, नकद जमा और प्रतिभूतियों के रूप में एक्सचेंजों के पास जमा के साथ समायोजित किया जाता है.
 - Initial Margin payable at the time of entering into futures contract / sale of options is adjusted against the deposits with the exchanges in the form of fixed deposits, cash deposits and securities.
- (ii) भावी संविदाओं में लेन-देनों को संविदा के किल्पत व्यापार मूल्य पर खरीद और बिक्री के रूप में हिसाब में लिया जाता है. तुलन पत्र की तिथि को फ्यूचर्स में खुली संविदा को इसके किल्पत मुल्य से घटाया जाता है.
 - Transactions in Future contracts are accounted as Purchase and Sales at the notional trade value of the contract. The open interest in futures as at the Balance Sheet date is netted by its notional value.
- (iii) पिछले दिन के निपटान मूल्य या एक्सचेंज क्लोजिंग मूल्य और बाद के दिन के एक्सचेंज क्लोजिंग मूल्य में एक्सचेंज को किए गए या प्राप्त भुगतान अंतर को मार्क टू मार्केट मार्जिन के रूप में माना जाता है. मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट में शेष, तुलन पत्र की तारीख तक भावी संविदाओं में खुली संविदा की कीमतों में बदलाव के आधार पर भुगतान या प्राप्त की गई निवल राशि को दर्शाता है. मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट में निवल नामे शेष को राजस्व से प्रभारित किया जाता है जबकि निवल जमा शेष को चालू देयताओं के अंतर्गत दिखाया जाता है.
 - The difference in the settlement price or exchange closing price of the previous day and exchange closing price of the subsequent day, paid to or received from the exchange is treated as Mark to Market Margin. The balance in the Mark to Market Margin Account represents the net amount paid or received on the basis of movement in the prices of open interest in futures contracts till the balance sheet date. Net debit balance in the Mark to Market Margin Account is charged off to revenue whereas net credit balance is shown under current liabilities.
- (iv) विकल्पों की खरीद और बिक्री पर भुगतान या प्राप्त प्रीमियम और विकल्पों के प्रयोग पर भुगतान या प्राप्त अंतर को खरीद या बिक्री के रूप में गिना जाता है. तुलन पत्र की तारीख को बेचे गए विकल्पों में खुली संविदा के मामले में, उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके द्वारा तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित प्रीमियम उन विकल्पों के लिए प्राप्त प्रीमियम से अधिक हो जाता है. तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित प्रीमियम से अधिक प्राप्त प्रीमियम को मान्यता नहीं दी जाती है. इसी तरह, खरीदे गए विकल्पों के मामले में, उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके द्वारा विकल्प के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित प्रीमियम से अधिक हो जाता है और भुगतान किए गए प्रीमियम पर तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित प्रीमियम की अधिकता को उपेक्षित कर दिया जाता है. कई खुली स्थितियों के मामले में, खरीद और बिक्री की स्थितियों में शेष राशि को घटाने के बाद प्रावधान किया जाता है या अतिरिक्त प्रीमियम को उपेक्षित कर दिया जाता है.
 - Premium paid or received on purchase and sale of options and the difference paid or received on exercise of options is accounted as Purchases or Sales. In case of open interest in options sold as on the balance sheet date, provision is made for the amount by which premium prevailing on the Balance Sheet date exceeds the premium received for those options. The excess of premium received over the premium prevailing on the Balance Sheet date is not recognised. Similarly, in case of options bought, provision is made for the amount by which the premium paid for the option exceeds the premium prevailing on the Balance Sheet date and the excess of premium prevailing on the Balance Sheet date over the premium paid is ignored. In case of multiple open positions, provision is made or excess premiums are ignored after netting off the balances in buy as well as sell positions.

ब्याज दर स्वैप Interest Rate Swaps

आस्ति और देयताओं में प्राथमिक डीलरशिप संचालन से संबंधित बंद किए गए परिचालनों के ब्याज दर स्वैप की किल्पत मूल राशि को घटाया जाता है. ब्याज दर स्वैप पर लाभ या हानि की संविदा की शर्तों के अनुसार नियत तारीखों पर गणना की जाती है.

Assets and Liabilities in respect of notional principal amount of Interest Rate Swaps of the discontinued operations pertaining to Primary Dealership operations are netted. Gain or loss on Interest Rate Swaps is accounted for on due dates as per the terms of the contract.

टर्नओवर Turnover

विक्रेय माल के स्वरूप वाली दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों और अन्य प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को लाभ-हानि खाते में कंपनी की निधियों के टर्नओवर को इंगित करने की दृष्टि से प्रकट किया जाता है और केवल प्रत्यक्ष लेनदेन शामिल किये जाते हैं. इस उद्देश्य के लिए जब इन प्रतिभूतियों को कंपनी द्वारा परिपक्वता की तारीख तक धारित किया जाता है तो बिक्री, यदि कोई हो, में मोचन से प्राप्त राशियां शामिल होती हैं.

Purchases and sales of dated government securities, treasury bills and other securities in the nature of stock in trade are disclosed in the Profit and Loss Account, with a view to indicate the turnover of funds of the company and include only outright transactions. For this purpose sales also include redemption proceeds, if any, when these securities are held by the company till the date of maturity.



9 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण प्रमाण पत्र / Priority Sector Lending Certificates

बैंक प्राथमिकता - प्राप्त क्षेत्र को उधार के प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी) के क्रय या विक्रय के लेन-देन करता है. बिक्री लेन-देन के मामले में, बैंक रिजर्व बैंक ट्रेडिंग प्लैटफ़ार्म पर प्राथमिकता - प्राप्त क्षेत्र को उधार दायित्वों को पूरा करने की बिक्री करता है और खरीद लेनदेन के मामले में, बैंक प्राथमिकता - प्राप्त क्षेत्र को उधार दायित्वों को पूरा करने का क्रय करता है. जोखिम या ऋण आस्तियों का कोई अंतरण नहीं होता है. पीएसएलसी की बिक्री से प्राप्त शुल्क को विविध आय के रूप में दर्शाया जाता है और पीएसएलसी की खरीद के लिए अदा किए गए शुल्क को अन्य व्यय के रूप में लाभ-हानि खाते में रिकॉर्ड किया जाता है. इनको प्रमाण पत्र की अविध के दौरान परिशोधित किया जाता है.

The Bank enters into transactions for the sale or purchase of Priority Sector Lending Certificates (PSLCs). In the case of a sale transaction, the Bank sells the fulfilment of priority sector obligation and in the case of a purchase transaction the Bank buys the fulfilment of priority sector obligation through the RBI trading platform. There is no transfer of risks or loan assets. The fee received for the sale of PSLCs is recorded as miscellaneous income and the fee paid for purchase of the PSLCs is recorded as other expenditure in Profit and Loss Account. These are amortised over the period of the Certificate.

10 अचल आस्तियां एवं मूल्यहास (संपत्ति संयंत्र और उपकरण): Fixed Assets and Depreciation (Property Plant and Equipment)

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में

A. In case of IDBI Bank Limited

- (i) अचल आस्तियों, परिसर को छोड़कर, को संचित मूल्यहास घटाकर लागत पर दिखाया जाता है. परिसर का पुनर्मूल्यांकन बैंक की नीति तथा रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और उसे संचित मूल्यहास घटाकर पुनर्मूल्यित राशि पर दिखाया जाता है. Fixed assets other than Premises are stated at cost less accumulated depreciation. Premises are revalued in accordance with the Bank's policy and the RBI guidelines and the same are stated at revalued amount less accumulated depreciation.
- (ii) पट्टाधारित परिसरों में सुधार में किए गए व्यय को पट्टे की बची हुई प्राथमिक अविध के दौरान विलोपित किया जाता है. Improvements to lease hold premises are charged off over the remaining primary period of lease.
- (iii) आस्ति की लागत में क्रय लागत और उपयोग में लाने से पूर्व आस्ति पर उपगत सभी व्यय शामिल होते हैं. उपयोग में लाये जाने पर आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब वह ऐसी आस्तियों से भावी लाभ या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है.

 Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets which have been put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- (iv) पुनर्मूल्यन पर मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को पुनर्मूल्यन रिजर्व में जमा किया जाता है. The appreciation on revaluation, if any, is credited to Revaluation Reserve.
- (v) अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यहास की गणना लागत या पुनर्मूल्यित आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यित राशि पर सीधी रेखा पद्धति द्वारा की जाती है
 - Depreciation in respect of fixed assets is calculated on Straight Line Method with reference to cost or revalued amounts, in case of assets revalued.
- पुनर्मूल्यित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यहास को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यन रिजर्व से सामान्य रिजर्व में अंतरित किया जाता है.
 - In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from revaluation reserve to general reserve in the balance sheet.
- (vii) ₹ 5000 से कम लागत की एकल अचल आस्तियों को पहले पूंजीकृत किया जाता है और फिर उनके परिवर्धन के वर्ष में ही पूर्णतः मूल्यहासित किया जाता है क्योंकि बैंक इन तमाम वर्षों में आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं करता है.
 - Fixed assets individually costing less than ₹ 5,000/- are first capitalized and then fully depreciated in the year of addition as the bank do not expect economic benefit over the period of years.
- (viii) मूर्त आस्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के अंतर्गत निर्धारित रूप में आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के दौरान विनिधानित किया जाता है. उपयोगी जीवनकाल तथा अविशष्ट मूल्य की आविधक रूप से समीक्षा की जाती है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार, किसी अचल आस्ति को अर्जित करते समय उस अचल आस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यहास की ऊंची दर लगायी जाती है.

 Depreciation on tangible assets is allocated over useful life of the asset as prescribed under Part C of Schedule II of the

- (ix) वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यह्रास आस्तियों को वास्तव में धारित करने की अविध के लिए लगाया जाता है.

 Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets are actually held.
- अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:
 The useful lives of Fixed assets are as follows:

आस्ति Asset	उपयोगी जीवनकाल (वर्षों में) Useful Life (in Years)
स्वामित्व वाले परिसर / Owned Premises	60
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture and fixtures	10
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी / Electrical installation and machinery	10
मोटर वाहन / Motor vehicles	8
कंप्यूटर / Computers	3
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	8
वी-सैट उपकरण / VSAT equipment	6
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer durables with employ	/ees
क) फर्नीचर और फिक्सचर्स a) Furniture and fixtures	10
ख) पर्सनल कंप्यूटर b) Personal Computers	3

(xi) पट्टाधृत भूमि को पट्टे की अविध में पिरशोधित किया जाता है. पट्टेधृत सुधार को उसी आस्ति श्रेणी में पूंजी में पूंजीकृत तथा पट्टे की अविध के दौरान पिरशोधित किया जाता है.

Leasehold land is amortized over the period of lease. Leasehold improvements are capitalized in the same asset category and amortized over period of lease.

(xii) ₹ 2.50 लाख से अधिक राशि वाले प्रत्येक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत किया जाता है और 6 वर्ष से अनिधक अविध में इसके उपयोगी जीवनकाल में मृल्यहासित किया जाता है.

Computer Software individually costing more than ₹ 2.50 lacs is capitalized and depreciated over its useful life, not exceeding 6 years.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में

B. In case of IDBI Assets Management Limited

- (i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को संचित मूल्यहास और हासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर अर्जन/स्थापना लागत पर दर्शाया जाता है. लागत में खरीद मूल्य, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर उधार लेने की लागत और इच्छित उपयोग के लिए आस्ति को उसकी कार्यशील स्थिति में लाने की प्रत्यक्ष लागत शामिल है. प्रयोग में लाई जा रही आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इन आस्तियों से भावी लाभ/ कार्य निष्पादन क्षमता में वृद्धि हो. मौजूदा आस्तियों की मरम्मत एवं रखरखाव और कलपुर्जी के बदलाव की लागत सहित कुल खर्च को जिस अवधि में वे उपगत होते हैं उस अवधि में राजस्व के रूप में प्रभारित किया जाता है.
 - Property, plant and equipment are stated at cost of acquisition / installation and less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Cost comprises purchase price, borrowing costs if capitalisation criteria are met and directly attributable cost of bringing the asset to its working condition for the intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefit/functioning capability from/of such assets. All expenses on existing assets, including repairs and maintenance and cost of replacement of parts are charged as revenue in the period in which they are incurred
- (ii) मूल्यहास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित रूप में सीधी रेखा पद्धित (एसएलएम) द्वारा किया जाता है. आस्तियों के मूल्यहास की दरें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार आस्ति के उपयोगी जीवनकाल को ध्यान में रख कर तय की गई हैं. प्रबंधन के अनुमान के अनुसार यदि आस्तियों के अर्जन के समय अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल या इसके बाद की जाने वाली समीक्षा के आधार पर शेष उपयोगी जीवनकाल कम है तो मूल्यहास का निर्धारण उपयोगी जीवनकाल/ शेष जीवनकाल पर प्रबंधन के अनुमान के आधार पर उच्च दर पर किया जाता है. इस नीति के अनुसरण में निम्नलिखित दरों के अनुसार मूल्यहास का प्रावधान किया गया है:



Depreciation is provided on Straight Line Method (SLM) as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013. The rates of depreciation of assets have been arrived at after considering the useful life of the asset as per schedule II of the Companies Act 2013. If the management's estimate of the useful life of a fixed asset, at the time of acquisition of the asset or of the remaining useful life on a subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimates of the useful life/remaining useful life. Pursuant to this policy, depreciation has been provided using the following rates:

विवर्ण Description	उपयोगी जीवनकाल (वर्षों में) Useful life (in years)	अवशिष्ट मूल्य को छोड़कर मूल्यहास का प्रतिशत (%) Percentage of depreciation excluding salvage value (%)
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture & Fixtures	10.00	9.50
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	5.00	19.00
कंप्यूटर हार्डवेयर / Computer Hardware	3.00	33.33
संचार उपकरण Communication Equipment	3.00	33.33

- एकल रूप से ₹ 2.50 लाख से अधिक की लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत किया जाता है और 5 वर्ष की अवधि में मृल्यहासित किया जाता है, एकल रूप से ₹ 2.50 लाख से कम की लागत वाले केम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को क्रय/अर्जन के वर्ष में पूर्णतः मूल्यहासित किया जाता है. Computer software individually costing more than ₹ 2.50 lakhs is capitalized and depreciated over a period of 5 years, Computer software individually costing less than ₹ 2.50 lakhs is fully depreciated in the year of purchase/acquisition.
- कंपनी आस्ति के उपयोग में लाये जाने की तारीख से तथा बेची गई किसी आस्ति के लिए उसकी बिक्री तारीख तक आनुपातिक आधार पर मृल्यहास का प्रावधान करती है.
 - The Company provides pro-rata depreciation from the date the asset is put to use and for any asset sold until the date
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, सॉफ्टवेयर के अलावा, एकल रूप से ₹ 5,000 या उससे कम लागत को खरीद/अधिग्रहण के वर्ष में पूरी तरह से मृल्यहासित किया जाता है.
 - Property, plant and equipment, other than software, individually costing ₹ 5,000 or less are fully depreciated in the year of purchase / acquisition.

आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में इ.

In case of IDBI Intech Limited

- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उनके संचित मुल्यहास/ परिशोधन और हासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर अधिग्रहण की लागत पर दर्शाया जाता है. लागत में अभीष्ट उपयोग के लिए कार्यशील परिस्थितियों में लाने हेतु आस्ति के अधिग्रहण में हुए सभी व्यय शामिल होते हैं.
 - Property, Plant and Equipment's are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation/ amortisation and impairment loss, if any. Cost includes all expenses incurred for acquisition of assets to bring them to working conditions for intended use.
- जो अचल आस्तियां रिपोर्टिंग तिथि को उनके इच्छित उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं, उनकी लागत को पूंजीगत चालु कार्य के रूप में दिखाया
 - The cost of the fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date are shown as capital work-
- अचल आस्तियों पर मुल्यहास और परिशोधन विशेषज्ञ तकनीकी सलाह/अधिनियम की अनुसुची II की शर्तों के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी-रेखा पद्धति पर किया जाता है. एकल रूप से ₹ 5,000/- से कम लागत वाली आस्तियों को खरीद के वर्ष में पूरी तरह से मृल्यहासित किया जाता है. वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई आस्तियों पर मृल्यहास आनुपातिक रूप से प्रभारित किया

Depreciation and amortisation on fixed assets is provided on straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as determined by the management based on the expert technical advice/stipulations of schedule II to the Act. Assets individually costing less than ₹ 5,000/- are fully depreciated in the year of addition. Depreciation on assets purchased / disposed of during a period is proportionately charged.

- (iv) निर्माण और स्थापना कार्य पूर्ण होने तक तथा आस्ति के अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने तक पूंजीगत चालू कार्य पर मूल्यहास दर्ज नहीं किया जाता है.
 - Depreciation is not recorded on capital work-in-progress until construction and installation are complete and the asset is ready for its intended use.
- (v) मूल्यहास या परिशोधन विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में आविधक रूप से की जाती है.

 Depreciation or amortisation methods, useful lives and residual values are reviewed periodically at each year end.

आस्ति वर्ग Asset class	अनुमानित उपयोगी जीवनकाल Estimated useful life
कंप्यूटर एवं सहायक उपकरण / Computer & accessories	
सर्वर एवं नेटवर्क / Servers & networks	6 वर्ष / 6 years
डेस्कटॉप एवं लैपटॉप / Desktops & laptops	3 वर्ष / 3 years
कार्यालय उपकरण / Office equipment's	
मोबाइल हैंडसेट / Mobile handsets	3 वर्ष / 3 years
अन्य उपकरण / Other equipment's	5 वर्ष / 5 years
बिजली उपकरण / Power equipment's	10 वर्ष / 10 years
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture & fixtures	10 वर्ष / 10 years
मोटर कार / Motor car	8 वर्ष / 8 years
विद्युत संस्थापनाएँ / Electrical installations	10 वर्ष / 10 years
अमूर्त आस्तियां / Intangible assets	5 वर्ष / 5 years

ई. आईडीबीआई ट्स्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड के मामले में

D. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

अचल आस्तियों को अर्जन की मूल लागत तथा उनके अर्जन के संबंध में उपगत संस्थापना प्रभार पर दर्शाया जाता है. लागत में खरीद मूल्य और आस्तियों को उनके अभीष्ट उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने से संबंधित लागत शामिल है. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार मूल्यहास निर्धारित दर पर अविलिखत मूल्य आधार पर प्रभारित किया जाता है. आस्ति के परिवर्धन पर मूल्यहास का प्रावधान ऐसे परिवर्धन की तारीख से और निपटान के लिए ऐसे निपटानों की तारीख तक किया जाता है. कम लागत वाली एकल आस्तियों (₹ 5000/- से कम राशि में अर्जित) को उनके अर्जन के वर्ष में मूल्यहासित किया जाता है.

Fixed assets are stated at original cost of acquisition plus installation charges incurred in connection with the acquisition. Cost comprises of purchase price and attributable cost of bringing the assets to its working condition for its intended use. The depreciation is charged on Written down Value basis as prescribed in schedule II of the Companies Act 2013. The depreciation on the addition of the asset is provided from the date of such addition and for disposals up to the date of such disposals. Individual low cost assets (acquired for less than ₹ 5,000/-) are depreciated in the year of acquisition.

उ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के मामले में

E. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

- (i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मदों को आरंभ में लागत पर दर्शाया जाता है और तत्पश्चात संचित मूल्यहास तथा संचित हासित हानि को घटाकर लागत पर दिखाया जाता है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मदों के मूल्यहास की गणना कंपनी अधिनियम की अनुसूची II में निर्दिष्ट किए अनुसार उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में उनकी मुल्य हासित राशि पर सीधी रेखा पद्धति के द्वारा निम्नानुसार की जाती है:
 - Items of property, plant and equipment are initially recognised at cost and subsequently carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Depreciation on items of property, plant and equipment is calculated



using the straight-line method to allocate their depreciable amounts over their estimated useful lives as specified in Schedule II to the Companies Act as follows:

आस्ति वर्ग Asset class	वर्षों में अनुमानित
Asset class	उपयोगी जीवनकाल Estimated useful life in years
भवन / Buildings	60 वर्ष / 60 years
कम्प्यूटर / Computers	3 वर्ष / 3 years
सर्वर्स एवं नेटर्वक / Servers & Networks	5 वर्ष / 5 years
फर्नीचर एवं फिक्सचर / Furniture & Fixtures	10 वर्ष / 10 years
कार्यालय उपकरण / Office Equipment's	5 वर्ष / 5 years
वाहन / Vehicles	5 वर्ष / 5 years

- सभी मृर्त आस्तियों, जिनका एकल मृल्य ₹ 5,000 से कम है, को आस्तियों खरीद वाले वर्ष में ही तथा सक्रिय रूप से उपयोग से निवृत्त आस्तियों को पूर्णतः मुल्यहासित कर दिया जाता है.
 - All Tangible Assets having individual value of less than ₹ 5,000, in the year of acquisition and assets retired from active use are fully depreciated.
- ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को खरीद / अधिग्रहण वाले वर्ष में पर्णतः मल्यहासित कर दिया जाता है जिनका एकल मुल्य ₹ 5000 या इससे (iii)
 - Property, Plant and Equipment, individually costing ₹ 5,000/ or less are fully depreciated in the year of purchase/
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अवशिष्ट मल्यों और अनुमानित जीवनकाल की समीक्षा और समायोजन यथा उपयक्त रूप से प्रत्येक तलन-पत्र की तारीख को किया जाता है. किसी भी संशोधन के प्रभाव को परिवर्तन होने पर लाभ या हानि में दिखाया जाता है.
 - The residual values and estimated useful lives of property, plant and equipment are reviewed, and adjusted as appropriate, at each balance sheet date. The effects of any revision are recognised in profit or loss when the changes arise.

आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में

In case of IDBI Mutual Fund Trustee Company Limited

स्वामित्व वाली आस्ति / Owned Asset

स्वयं के उपयोग के लिए रखी गई आस्तियों को उनके संचित मूल्यहास और हासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर मूल लागत पर दर्शाया जाता है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में क्रय मृल्य, शुल्क, कर और आस्तियों को उनके अभीष्ट उपयोग के लिए कार्य करने की स्थिति में लाने से संबंधित अन्य प्रत्यक्ष

Assets held for own uses are stated at original cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Cost of Property, plant and equipment comprises Purchase price, duties, levies and any directly attributable costs of bringing the assets to its working condition of the intended use.

आस्ति हेत् मृल्यहास राशि आस्ति की लागत या लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि में से अनुमानित अवशिष्ट मृल्य घटाकर होती है.

Depreciable amount for asset is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its estimated residual value.

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल, नीचे वर्णित को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुरूप है और मुल्यहास की पद्धति नीचे बताई गई है:

The estimated useful life of Property, plant and equipment which except as stated hereunder is in line with schedule II to the Companies Act 2013 and the method of depreciation is set out here in below:

मोबाइल फोन के लिए कंपनी अधिनयम, 2013 के अंतर्गत 5 साल का उपयोगी जीवन निर्धारित है, जबकि कंपनी द्वारा आंतरिक रूप से प्राप्त तकनीकी सलाह के आधार पर इसे 3 साल की अवधि में मूल्यहासित किया जाता है.

For mobile phone the useful life is prescribed of 5 years under Companies Act, 2013, whereas it is depreciated for a period of 3 years based on the technical advice internally obtained by the company

आस्तियां Assets	उपयोगी जीवनकाल Useful Life	मूल्यहास की पद्धति Method of Depreciation
संयंत्र एवं उपकरण / Plant & Equipment's	15 वर्ष / 15 years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
फर्नीचर एवं फिटिंग्स / Furniture & Fittings	10 वर्ष / 10 years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
विद्युत उपकरण / Electrical Equipment's	10 वर्ष / 10 years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
वाहन / Vehicles	8 वर्ष / 8 years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
कार्यालय उपकरण / Office Equipment's	5 वर्ष / 5 years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
कम्प्यूटर / Computers	3 वर्ष / 3 years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
मोबाइल फोन / Mobile Phones	3 वर्ष / 3 years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method

11 प्रतिभूतीकरण लेनदेन / Securitization Transactions

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतिकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं (एसपीवी) को बिक्री होती है, जो इसके बदले निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत आस्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता है. बैंक, बिक्री के समय ही होने वाली हानि को तुरंत हिसाब में लेता है और बिक्री के परिणामस्वरूप हुए लाभ/प्रीमियम को उस एसपीवी द्वारा, जिसे आस्तियां बेची गई हैं, जारी की जाने वाली अथवा जारी की गई प्रतिभतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.

Securitization of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognized when the control over the contractual rights in the securitized assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortized over the life of the securities issued/ to be issued by the SPV to which the assets are sold

12 प्रतिभूतीकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री Sale of financial assets to Securitization Companies/Reconstruction Companies

प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्संरचना कंपनियों (एसआरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्राप्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के मोचन मृल्य और वित्तीय आस्ति के निवल बही मृल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है.

Sale of financial assets to Securitization Companies (SCs) / Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset.

आस्तियों की बिक्री, जिसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है तथा तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाला गया है, के मामलों में प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की गणना बैंक की निवेश बही में एक रुपया मान कर की जाती है.

In case of sale of assets which are fully provided and Technically Written off, the Security Receipts (SRs) are reckoned at Rupee one in the investment book of the Bank.

जब एक दबावग्रस्त ऋण एआरसी को अंतरण के समय निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम मूल्य पर अंतरित किया जाता है तो बैंक कमी की राशि को लाभ-हानि खाते में उस वर्ष में नामे करता है जिसमें अंतरण किया जाता है. जब अंतरण एनबीवी से कम मूल्य पर किया जाता है तो बैंक को दबावग्रस्त ऋण के अंतरण में कमी को पूरा करने के लिए प्रतिचक्रीय या अस्थिर प्रावधानों का उपयोग करने की अनुमति है.

When the stressed loan is transferred to ARC at a price below the Net Book Value (NBV) at the time of transfer, the bank debits the shortfall to the profit and loss account for the year in which the transfer has taken place. Bank is permitted to use countercyclical or floating provisions for meeting any shortfall on transfer of stressed loan when the transfer is at a price below the NBV.

जब एक दबावग्रस्त ऋण एआरसी को अंतरण के समय निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य पर अंतरित किया जाता है तो बैंक अंतरण पर आधिक्य प्रावधान को लाभ-हानि खाते में उस वर्ष में रिवर्स करता है जिसमें राशियां प्राप्त होती हैं और ऐसा तब किया जाता है जब प्रारंभिक प्रतिफल और/या मोचन या प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/पास थ्रू प्रमाणपत्रों (पीटीसी)/एआरसी द्वारा जारी अन्य प्रतिभूतियों के रूप में प्राप्त नकदी का योग अंतरण के समय एनबीवी से अधिक हो. इसके अलावा, ऐसा रिवर्सल उस सीमा तक सीमित रहता है जितना अंतरण के समय प्राप्त नकदी ऋण की एनबीवी से अधिक है.

When the stressed loan is transferred to an ARC for a value higher than the NBV at the time of transfer, Bank reverses the excess provision on transfer to the profit and loss account in the year in which the amounts are received and only when the sum of cash received by way of initial consideration and / or redemption or transfer of Security Receipts (SR) / Pass Through Certificates (PTCs)/ other securities issued by ARCs is higher than the NBV of the loan at the time of transfer. Further, such reversal is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the loan at the time of transfer.



आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के अलावा अन्य अंतरिती को वित्तीय आस्तियों की बिक्री Sale of financial assets to transferee other than Asset Reconstruction Companies (ARCs)

संपूर्ण अंतरण प्रतिफल ऋण अंतरण के समय ही प्राप्त किया जायेगा और ऋण को बैंक की बही से संपूर्ण अंतरण प्रतिफल प्राप्त होने पर ही हटाया जा सकता है.

The entire transfer consideration will be received not later than at the time of transfer of loans, and the loan can be taken out of the books of the Bank only on receipt of the entire transfer consideration.

यदि एआरसी के अलावा अन्य किसी अंतरिती को ऋण का अंतरण, अंतरण के समय निवल एनबीवी से कम मृल्य पर किया जाता है तो कमी को लाभ-हानि खाते में उस वर्ष नामे किया जाता है जिस वर्ष अंतरण किया जाता है.

In case of loan transfer to transferee(s) other than ARCs is at a price below the net NBV at the time of transfer, the shortfall is debited to the profit and loss account of the year in which transfer has taken place.

यदि अंतरण प्रतिफल अंतरण के समय एनबीवी से अधिक है तो अधिक्य प्रावधान को रिवर्स किया जाये.

If the transfer consideration is for a value higher than the NBV at the time of transfer, the excess provisions may be reversed.

विदेशी मुद्रा लेनदेन / Foreign Currency Transactions

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में

In case of IDBI Bank Limited

- विदेशी मद्रा लेन-देनों को आरंभिक अभिनिर्धारण पर लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक विदेशी मद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि खातें में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.
 - Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they
- ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं. जो टेडिंग के लिए नहीं की गई हैं. की शरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बटटे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य वायदा विनिमय संविदाओं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है.
 - Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortized as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognized.
- ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं हैं, का फेडाई की बंद दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है. अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का मुल्य निर्धारण फेडाई द्वारा विनिदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. परिणामी लाभ/हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है.
 - Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are valued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profits/ losses are recognized in the Profit and Loss Account.
- वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों. साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या छट, यदि कोई हो, को समाप्ति की (iv) तारीख पर लाभ और हानि विवरण में दिखाया जाता है.
 - Profits/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, are recognized in the statement of profit & loss on the date of termination.
- बकाया वायदा विनमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पुष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की बंद दरों पर की जाती है.
 - Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts are calculated at the contracted rates of exchange and those in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the
- विदेशी शाखा के परिचालनों को 'गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है. मौद्रिक और गैर-मौद्रिक, गैर-एकीकृत विदेशी परिचालनों की दोनों विदेशी मुद्रा आस्तियों और देनदारियों को तुलन-पत्र की तारीख को एफईडीएआई द्वारा अधिसुचित बंद विनिमय दरों पर रूपांतरित किया जाता है. आय और व्यय मदों को त्रैमासिक औसत दरों पर रूपान्तरित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप विनिमय अंतरों से उत्पन्न लाभ/ हानि को गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के निपटान तक विदेशी मुद्रा रूपांतर खाते में संचित किया जाता है.

Operations of foreign branch are classified as `Non-Integral Foreign Operations'. Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the Balance Sheet date, Income and Expenditure items are translated at quarterly average rates and the resulting profit / loss arising from exchange differences are accumulated in the Foreign Currency Translation Account until disposal of the non-integral foreign operations.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मामले में

B. In case of IDBI Assets Management Limited

विदेशी मुद्रा लेनदेनों को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. वर्ष के दौरान निपटान किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेनों के कारण होने वाले विनिमय अंतर, यदि कोई हो, को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transactions. Exchange difference, if any, arising out of the foreign exchange transactions settled during the year are recognized in the statement of Profit and Loss.

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में

C. In case of IDBI Capital Market & Securities Limited

विदेशी मुद्रा लेनदेनों को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है. वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग अंतिम विनिमय दर का प्रयोग करते हुए की जाती है. उन पर उत्पन्न होने वाले तथा विदेशी मुद्रा की वसूली/भुगतान पर होने वाले विनिमय अंतर को संबंधित वर्ष में आय या व्यय के रूप में दिखाया जाता है.

Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transaction. At the year end, monetary items denominated in foreign currency are reported using the closing rate of exchange. Exchange difference arising thereon and on realization / payments of foreign exchange are accounted as income or expenses in the relevant year.

र्ड. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में

D. In case of IDBI Intech Limited

विदेशी मुद्रा में लेनदेनों को लेनदेन के समय प्रभावी विनिमय की मूल दर पर दर्ज किया जाता है. विदेशी मुद्रा लेनदेनों के निपटान से उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण में दिखाया जाता है. विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों को तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग कर पुनः वर्णित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप होने वाले निवल विनिमय अंतर को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

Transactions in foreign currency are recorded at the original rate of exchange in force at the time transactions are effected. Exchange differences arising on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Statement of Profit and Loss. Monetary items denominated in foreign currency are restated using the exchange rate prevailing at the date of the Balance Sheet and the resulting net exchange difference is recognized in the Statement of Profit and Loss.

मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली अस्थिरता को कम करने की दृष्टि से, कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं निष्पादित करती है. वायदा विनिमय संविदाएं और अन्य ऐसे लिखत, जो पूर्वानुमानित लेनदेनों के संबंध में नहीं हैं, उन्हें लेखांकन मानक ('एएस') 11 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' में दिये गये दिशानिर्देशों का उपयोग करते हुए लेखांकित किया जात है. इन वायदा विनिमय संविदाओं और एएस-11 द्वारा कवर किए गए अन्य ऐसे लिखतों के संबंध में संविदा की प्रकृति और उद्देश्य के आधार पर या तो संविदाओं को रिपोर्टिंग तिथि पर वायदा दर/उचित मूल्य के आधार पर दर्ज किया जाता है, या रिपोर्टिंग तिथि पर स्पॉट विनिमय दर के आधार पर दर्ज किया जाता है.

With a view to minimize the volatility arising from fluctuations in currency rates, the Company enters into foreign exchange forward contracts. Forward exchange contracts and other similar instruments that are not in respect of forecasted transactions are accounted for using the guidance in Accounting Standard ('AS') 11, 'The effects of changes in foreign exchange rates'. For such forward exchange contracts and other similar instruments covered by AS-11, based on the nature and purpose of the contract, either the contracts are recorded based on the forward rate/fair value at the reporting date, or based on the spot exchange rate on the reporting date.

उ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड के मामले में

E. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

विदेशी मुद्राओं में लेनदेनों को लेनदेन की तारीख़ को प्रचलित विनिमय दरों को लागू कर बहियों में दर्ज किया जाता है. विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं में मूल्यवर्गित सभी मौद्रिक मदों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर पुनः दर्शाया जाता है. निपटान या लेनदेन पर विनिमय अंतर के कारण आय या व्यय को लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है.

Transactions in foreign currencies are recorded in the books by applying the exchange rates prevailing on the date of the transaction. All monetary items denominated in foreign currency assets and liabilities are restated at the exchange rate prevailing at the year end. Any income or expense on account of the exchange difference either on settlement or on transaction is recognized in the profit & loss account.



ऊ. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में

F. In case of IDBI MF Trustee Company Limited

विदेशी मुद्राओं में लेन-देनों को लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर पुनः दर्शाया जाता है. विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाले सभी लाभ और हानियों को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है

Transactions in foreign currencies are accounted for at the prevailing rates of exchange on the date of transaction. Foreign currency monetary items are restated at the prevailing rates of exchange as at the Balance Sheet date. All gains and losses arising out of fluctuations in exchange rates are accounted for in the Statement of Profit and Loss.

15. कर्मचारी लाभ / Employee Benefits

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में

A. In case of IDBI Bank Limited

(i) पेंशन / Pension

परिभाषित लाभ योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों के समूह को देय पेंशन के संबंध में, बैंक अपने द्वारा स्थापित और न्यासी बोर्ड द्वारा प्रशासित पेंशन फंड ट्रस्ट को वेतन का 10% अंशदान देता है. बैंक प्रत्येक तुलन पत्र तारीख पर पेंशन देयता के एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता की कमी के लिए अतिरिक्त राशि का अंशदान देता है, जिसकी गणना जनसांख्यिकी, वेतन वृद्धि, नौकरी छोड़ने की दर, मृत्यु दर और छूट दर के बारे में कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है. प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके देयता/ परिभाषित लाभ निर्धारित किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में उस अविध में दिखाया जाता है जिसमें वे होते हैं.

In respect of Pension payable to the group of employees who are eligible for Pension under Defined Benefit Scheme, Bank contributes 10% of pay to Pension Fund Trust set up by the Bank and administered by the Board of Trustees. Bank further contributes for an additional amount towards the liability shortfall, based on an independent Actuarial valuation of Pension liability at each Balance Sheet date which is calculated based on certain assumptions about demographics, salary increase, attrition rate, mortality rate and discounting rate. The liability / defined benefit is determined using the Projected Unit Credit Method. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

(ii) नई पेंशन योजना (एनपीएस) / New Pension Scheme (NPS)

नई पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल कर्मचारियों के संबंध में, बैंक परिभाषित अंशादान योजना में कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते का 14% परिभाषित योजना में अंशदान देता है, जिसे पेंशन फंड कंपनियों द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किया जाता है. बैंक का इसमें अंशदान के अलावा कोई दायित्व नहीं है और इस तरह के अंशदान को वर्ष में किया गया खर्च माना जाता है.

In respect of the employees covered under New Pension Scheme (NPS), Bank contributes 14% of the Pay plus Dearness Allowance of employees to the defined scheme, a defined contribution plan, which is managed and administered by Pension Fund companies. Bank has no liability other than its contribution and recognizes such contribution as an expense in the year of incurrence.

(iii) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ / Compensated Absences

बैंक के कर्मचारी विभिन्न क्षतिपूरित अनुपस्थितियों के हकदार हैं. कर्मचारी अप्रयुक्त उपार्जित क्षतिपूरित अनुपस्थित के एक हिस्से को आगे ले जा सकते है और इसका उपयोग भविष्य की अविध में कर सकते है या निर्दिष्ट दिनों तक कुछ प्रकार के अप्रयुक्त उपार्जित क्षतिपूरित अनुपस्थिति के लिए सेवानिवृत्ति या सेवा की समाप्ति पर नकद प्राप्त कर सकते है. एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा तुलन-पत्र की तारीख को किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर बैंक क्षतिपूरित अनुपस्थिति के लिए देयता उपार्जित करता है, जिसमें जनसांख्यिकी, समयपूर्व सेवानिवृत्ति, वेतन वृद्धि, ब्याज दर और छुट्टी का उपयोग करना शामिल है. बैंक के दायित्व के निवल वर्तमान मूल्य का निर्धारण तुलन-पत्र की तारीख को प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके किया जाता है. बीमांकिक लाभों/ हानियों को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है, जिस वर्ष वे उत्पन्न होते हैं.

The employees of the Bank are entitled to various compensated absences. The employees can carry forward a portion of the unutilized accrued compensated absence and utilize it in future periods or receive cash compensation at retirement or termination of employment for certain types of unutilized accrued compensated absence upto specified number of days. The Bank accrues the liability for compensated absences based on the actuarial valuation as at the Balance Sheet date conducted by an independent actuary which includes assumptions about demographics, early retirement, salary increases, interest rates and leave utilization. The net present value of the Banks' obligation is determined using the Projected Unit Credit Method as at the Balance Sheet date. Actuarial gains / losses are recognized in the Profit and Loss Account in the year in which they arise.

(iv) स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना (वीएचएस) / Voluntary Health Scheme (VHS)

बैंक की एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना (वीएचएस) है जो कर्मचारियों की विभिन्न ग्रेड के लिए निर्धारित सीमा (घरेलू और अस्पताल में भर्ती) के अनुसार कर्मचारियों और उनके पित या पत्नी और आश्रित बच्चों (जैसा लागू हो) की, सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करती है. यह योजना वैकल्पिक थी और सदस्यता के लिए बंद कर दी गई है. इसके अलावा, बैंक तुलन पत्र की तारीख को इस योजना के लिए एक स्वतंत्र बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर कमी राशि के लिए एक अतिरिक्त राशि के लिए अंशदान देता है, जिसकी गणना अवधि मे फंड के वास्तविक उपयोग और उन लोगों के लिए शेष सीमा के आधार पर की जाती है जिन्होंने योजना में अंशदान किया है.

The Bank has a Voluntary Health Scheme (VHS) which caters to the post-retirement medical needs of the employees and their spouse & dependent children (as applicable) as per the limits (domiciliary and hospitalization) set for various Grades of employees. This scheme was optional and has been closed for subscription. Further, Bank contributes for an additional amount towards the shortfall amount based on an independent actuarial valuation for this scheme as on Balance Sheet date which is calculated based on the actual utilization of the fund for the period and the balance limits for those who have subscribed to the scheme.

(v) ग्रेच्युटी / Gratuity

ग्रेच्युटी के रूप में बैंक का एक दायित्व है जो एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जिसमें सभी पात्र कर्मचारियों को इस्तीफा, सेवानिवृत्ति, रोजगार के दौरान मृत्यु या रोजगार की समाप्ति पर दिया जाता है. बैंक आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट में अंशदान देता है, जिसे ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित किया जाता है. जिन कर्मचारियों ने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है लेकिन 10 साल से कम हो, उन्हें ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है. ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए ग्रेच्युटी अधिनियम के नियमों के अलावा बैंक के पास ग्रेच्युटी नियम, 2004 का एक अलग सेट है. ग्रेच्युटी नियम, 2004 उन कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिन्होंने 10 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है और उनके लिए ग्रेच्युटी की गणना के लिए एक अलग पद्धित है. ऐसे कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की गणना ग्रेच्युटी अधिनियम और ग्रेच्युटी नियम दोनों के अनुसार की जाती है और जो भी कर्मचारी के लिए फायदेमंद हो, उसका भृगतान किया जाता है.

The bank has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering all eligible employees on resignation, retirement, death while in employment or on termination of employment. The Bank makes contributions to IDBI Bank Employees' Gratuity Fund Trust, administered by the Trustees. The employees who have completed 5 years of service but less than 10 years, Gratuity is paid as per Gratuity Act. Bank has a separate set of Gratuity Rules, 2004 apart from the rules as per Gratuity Act for payment of Gratuity. The Gratuity Rules, 2004 are applicable to those employees who have completed 10 years of service period and has a separate methodology for calculation of Gratuity. For such employees gratuity is calculated as per both Gratuity Act and Gratuity Rules and are paid the amount whichever is beneficial to employee.

बैंक त्रैमासिक आधार पर ग्रेच्युटी देयता के एक स्वतंत्र बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर देयता में कमी के लिए अंशदान देता है, जिसकी गणना जनसांख्यिकी, वेतन वृद्धि, छोड़ने की, मृत्यु दर और छूट दर के बारे में कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है. प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके देयता/ परिभाषित लाभ निर्धारित किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस वर्ष लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है जिसमें वे होते हैं.

Bank contributes towards the liability shortfall, based on an independent Actuarial Valuation of Gratuity liability on a quarterly basis which is calculated based on certain assumptions about demographics, salary increase, attrition rate, mortality rate and discounting rate. The liability / defined benefit is determined using the Projected Unit Credit Method. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

(vi) भविष्य निधि / Provident Fund

बैंक एक अलग ट्रस्ट (आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट) को वेतन का 10 प्रतिशत अदा करता है जो निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है. वर्ष में निधि में अंशदान को खर्च माना जाता है और लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. बैंक का दायित्व ऐसा नियत अंशदान करना और सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिलाभ दर (ईपीएफओ दरों) सुनिश्चित करना है. ईपीएफओ की प्रतिलाभ दर की तुलना में निधि की आस्तियों में कमी, यदि कोई हो, जो स्वतंत्र बीमांकक के मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती है, तो उसकी पूर्ति बैंक द्वारा की जाती है और उसे लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

The Bank pays 10% of Pay to a separate trust (IDBI Bank Employees Provident Fund Trust), which invests the funds in permitted securities. The contributions to the fund for the year are recognized as expense and are charged to the Profit and Loss Account. The obligation of the Bank is to make such fixed contributions and to ensure a minimum rate of return to the members as specified by the Government of India (EPFO rates). Shortfall in the fund assets to match EPFO rate of return, if any, determined based on the independent actuarial valuation, is made good by the bank and charged to the Profit and Loss Account.



(vii) अन्य दोर्घकालिक लाभ/ Other Long Term Benefits

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में छुट्टी किराया रियायत (एलएफसी) और दीर्घकालिक प्रोत्साहन योजनाएं जैसे ईएसओपी के बदले नकदी शामिल हैं. बैंक की देयता उपचित होती है और रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग कर बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है. बीमांकक पूर्वानुमानों में परिवर्तन के प्रभाव के कारण बीमांकिक लाभ या हानि, यदि कोई हो, को उनके उत्पन्न होने की अवधि में लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है.

Other long term employee benefits include Leave Fare Concession (LFC) and long term incentive plans like cash in-lieu of ESOPs. The Bank's liability is accrued and provided for on the basis of an actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method at the end of the reporting period. Actuarial gains or losses, if any, due to the effects of changes in actuarial assumptions are accounted for in the Profit and Loss Account, as the case may be, in the period in which they arise.

आ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्यरिटीज लिमिटेड के मामले में

B. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

परिभाषित अंशदान योजनाएं / Defined contribution plans

कंपनी की भारत में भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि के रूप में रोजगार के बाद के लाभों के लिए परिभाषित अंशवान योजनाएं हैं जो भारत सरकार और/या भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रशासित हैं. अंशवान को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है जब संबंधित निधियों में अंशवान देय होता है.

The Company has defined contribution plans for post-employment benefits in the form of provident fund and superannuation fund in India which are administered through Government of India and/or Life Insurance Corporation of India (LIC). Contributions are charged to the Profit & Loss Account of the year when the contributions to the respective funds are due.

परिभाषित लाभ योजनाएं / Defined benefit plans

(i) ग्रेच्युटी / Gratuity

कंपनी की भारत में अपने कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी के रूप में रोजगार के बाद के लाभों के लिए परिभाषित लाभ योजनाएं हैं. कंपनी की ग्रेच्युटी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रशासित है. तुलनपत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए देयता का प्रावधान किया जाता है. देयता को मापने के लिए स्वतंत्र बीमांकक द्वारा उपयोग की जाने वाली बीमांकिक मूल्यांकन पद्धित प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड है. बीमांकिक लाभ / हानि को तुरंत लाभ और हानि खाते में ले जाया जाता है और आस्थिगित नहीं किया जाता है.

The Company has defined benefit plans for post-employment benefits in the form of gratuity for its employees in India. The gratuity scheme of the Company is administered through Life Insurance Corporation of India (LIC). Liability for defined benefit plans is provided on the basis of actuarial valuations, as at the Balance Sheet date, carried out by an independent actuary. The actuarial valuation method used by independent actuary for measuring the liability is the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the profit and loss account and are not deferred.

(ii) क्षतिपूरित अनुपस्थितियां / Compensated absences

कंपनी के कर्मचारी कंपनी की नीति के अनुसार क्षतिपूरित अनुपस्थितियों के रूप में अन्य दीर्घकालिक लाभ के भी हकदार हैं. कंपनी की नीति के अनुसार ऊपरी सीमा से अधिक अवकाश शेष के लिए वार्षिक आधार पर कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण दिया जाता है. सेवानिवृत्ति के समय, रोजगार के दौरान मृत्यु या रोजगार की समाप्ति पर अवकाश नकदीकरण कंपनी की नीति के अनुसार एक ऊपरी सीमा के अधीन संचित अवकाश शेष के दिनों की संख्या के लिए देय वेतन के बराबर निहित है. इस तरह के लाभ के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है, जिसका निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किया जाता है. कंपनी की छुट्टी नकदीकरण योजना को जीवन बीमां कंपनी (एलआईसी) के माध्यम से प्रशासित किया जाता है. देयता को मापने के लिए स्वतंत्र बीमांकक द्वारा उपयोग की जाने वाली बीमांकिक मूल्यांकन पद्धित प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड है. बीमांकिक लाभ / हानि को तुरंत लाभ और हानि खाते में ले जाया जाता है और आस्थिगित नहीं किया जाता है.

The employees of the Company are also entitled for other long-term benefit in the form of compensated absences as per the policy of the Company. Leave encashment vests to employees on an annual basis for leave balance above the upper limit as per the Company's policy. At the time of retirement, death while in employment or on termination of employment leave encashment vests equivalent to salary payable for number of days of accumulated leave balance subject to an upper limit as per the Company's policy. Liability for such benefit is provided on the basis of actuarial valuations, as at the Balance Sheet date, carried out by an independent actuary. The leave encashment scheme of the company is administered through Life Insurance Company (LIC). The actuarial valuation method used by independent actuary for measuring the liability is the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the profit and loss account and are not deferred.

(iii) अल्पकालिक कर्मचारी दायित्वः / Short Term Employee Obligations

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है जिसमें कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं. Short-term employee benefits are recognized as an expense in the statement of profit & loss of the year in which the employee rendered the services.

इ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में

C. In case of IDBI Intech Limited

क) रोजगार के बाद के लाभ

a) Post-employment benefits

कंपनी विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं में भाग लेती है. पेंशन और रोजगार के बाद के अन्य लाभों को परिभाषित अंशदान योजनाओं या परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

The Company participates in various employee benefit plans. Pensions and other post-employment benefits are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans.

परिभाषित अंशदान योजना के तहत, कंपनी का एकमात्र दायित्व निश्चित राशि का भुगतान करना है तथा यदि फंड में सभी कर्मचारी लाभों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त आस्तियां नहीं है तो आगे अंशदान का भुगतान करने की कोई बाध्यता नहीं है. संबंधित बीमांकिक और निवेश जोखिम कर्मचारी द्वारा वहन किए जाते हैं. परिभाषित अंशदान योजनाओं के व्यय को उस अविध के दौरान व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी सेवा प्रदान करता है

Under a defined contribution plan, the Company's only obligation is to pay a fixed amount with no obligation to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employee benefits. The related actuarial and investment risks are borne by the employee. The expenditure for defined contribution plans is recognized as an expense during the period when the employee provides service.

परिभाषित लाभ योजना के तहत, कर्मचारियों को सहमत लाभ प्रदान करने का कंपनी का दायित्व है. संबंधित बीमांकिक और निवेश जोखिम कंपनी द्वारा वहन किए जाते हैं. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य की गणना एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके की जाती है. बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में पूर्ण रूप से दर्शाया जाता है जिसमें वे होते हैं.

Under a defined benefit plan, it is the Company's obligation to provide agreed benefits to the employees. The related actuarial and investment risks are borne by the Company. The present value of the defined benefit obligations is calculated by an independent actuary using the projected unit credit method. Actuarial gains and losses are recognized in full in the Statement of Profit and Loss for the period in which they occur.

पिछली सेवा लागत को तुरंत उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस तक लाभ पहले से ही निहित हैं, और अन्यथा एक सीधी रेखा के आधार पर औसत अवधि में परिशोधन किया जाता है जब तक कि लाभ निहित नहीं हो जाते.

Past service cost is recognized immediately to the extent that the benefits are already vested, and otherwise is amortized on a straight line basis over the average period until the benefits become vested.

तुलन पत्र में सेवानिवृत्ति लाभ देयता परिभाषित लाभ दायत्व के वर्तमान मूल्य को दर्शाती है तथा इसे योजना की आस्तियों के उचित मूल्य से घटा कर गैर-मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत से समायोजित किया जाता है. इस गणना के परिणामस्वरूप होने वाली कोई भी आस्ति परिभाषित लाभ देयता के रूप में निर्धारित राशि और उपलब्ध रिफंड के वर्तमान मूल्य और / या योजना में भविष्य के अंशदान में कमी, जो भी कम हो, तक सीमित है

The retirement benefit liability recognized in the balance sheet represents the present value of the defined benefit obligation as adjusted for unrecognized past service cost, as reduced by the fair value of scheme assets. Any asset resulting from this calculation is limited to the lower of the amount determined as the defined benefit liability and the present value of available refunds and /or reduction in future contributions to the scheme.

ख) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

b) Short term employee benefits

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले भुगतान की जाने वाली अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस वर्ष के दौरान व्यय के रूप में दर्शाया जाता है जब कर्मचारी उन सेवाओं को प्रदान करता है. इन लाभों में क्षतिपूरित अनुपस्थितियां जैसे एक वर्ष के भीतर ली जाने वाली छुट्टी और देय बोनस शामिल हैं. अल्पकालिक नकद बोनस या लाभ-साझाकरण योजनाओं के तहत भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के लिए एक देयता को उस स्थिति में मान्यता दी जाती है, जब कंपनी का कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के कारण इस राशि का भुगतान करने के लिए वर्तमान में विधिक या रचनात्मक दायित्व है तथा इस दायित्व का विश्वासपूर्वक अनुमान लगाया जा सकता है.

The undiscounted amount of short term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized as an expense during the year when the employee renders those services. These benefits include compensated absences such as leave expected to be availed within a year and bonus payable. A liability is



recognized for the amount expected to be paid under short-term cash bonus or profit-sharing plans, if the Company has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably.

ग) लाभ योजना

c) Benefit plans

कंपनी की निम्नलिखित कर्मचारी लाभ योजनाएं हैं:

The Company has the following employee benefit plans:

(i) भविष्य निधि

Provident fund

कर्मचारी भविष्य निधि से लाभ प्राप्त करते हैं, जो एक परिभाषित लाभ योजना है. नियोक्ता और कर्मचारी प्रत्येक कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर भविष्य निधि योजना में मासिक अंशदान करते हैं. अंशदान का एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ('ईपीएफ़ओ') को दिया जाता है और शेष अंशदान सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन कोष में किया जाता है:

Employees receive benefits from a provident fund, which is a defined benefit plan. The employer and employees each make monthly contributions to the Provident Fund Plan equal to a specified percentage of the covered employee's salary. A portion of the contribution is made to the Employees' Provident Fund Organisation ('EPFO') and the remainder of the contribution is made to the government administered pension fund.

(ii) ग्रेच्युटी

Gratuity

भारतीय कंपनियों के लिए लागू ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, कंपनी अंतिम आहरित वेतन और कंपनी के साथ रोजगार के वर्षों के आधार पर पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान करती है. ग्रेच्युटी फंड का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम ('एलआईसी') द्वारा किया जाता है.

In accordance with the Payment of Gratuity Act, 1972, applicable for Indian companies, the Company provides for a lump sum payment to eligible employees, at retirement or termination of employment based on the last drawn salary and years of employment with the Company. The gratuity fund is managed by Life Insurance Corporation of India ('LIC').

(iii) राष्ट्रीय पेंशन योजना / National Pension Scheme

कर्मचारी, अपने विकल्प के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से लाभ प्राप्त करते हैं, जो एक परिभाषित लाभ योजना है. निधि के लिए भुगतान/देय अंशदान उस वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते के विवरण में प्रभारित किया जाता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा को बिना छुट के आधार पर प्रदान करता है.

Employees, at their option receive benefits from national pension scheme (NPS), which is a defined benefit plan. The contributions paid/payable towards the fund are charged to the statement of profit & loss account during the year in which the employee renders the related service on an undiscounted basis.

(iv) क्षतिपूरित अनुपस्थितियां / Compensated absences

कंपनी के कर्मचारी क्षतिपूरित अनुपस्थितियों के हकदार हैं. कर्मचारी अप्रयुक्त संचित क्षतिपूरित अनुपस्थितियों के एक हिस्से को आगे ले जा सकते हैं और भविष्य की अविध में इसका उपयोग कर सकते हैं या सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति पर नकद प्राप्त कर सकते हैं. कंपनी उस अविध में क्षतिपूरित अनुपस्थितियों के लिए एक दायित्व दर्ज करती है जिसमें कर्मचारी इस पात्रता को बढ़ाने वाली सेवाएं प्रदान करता है. कंपनी क्षतिपूरित अनुपस्थितियों की अपेक्षित लागत को अतिरिक्त राशि के रूप में मापती है जो कंपनी रिपोर्टिंग अविध के अंत में संचित अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान करने की अपेक्षा करती है. कंपनी प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति को उस अविध में पहचाना जाता है जिसमें अनुपस्थितियां होती है. कंपनी एलआईसी द्वारा प्रशासित समूह छुट्टी नकदीकरण योजना (जीएलईएस) में वार्षिक अंशदान करती है.

The employees of the Company are entitled to compensated absences. The employees can carry forward a portion of the unutilized accumulating compensated absences and utilize it in future periods or receive cash at retirement or termination of employment. The Company records an obligation for compensated absences in the period in which the employee renders the services that increases this entitlement. The Company measures the expected cost of compensated absences as the additional amount that the Company expects to pay as a result of the unused entitlement that has accumulated at the end of the reporting period. The Company recognizes accumulated compensated absences based on actuarial valuation using the projected unit credit method. Non-accumulating compensated absences are recognized in the period in which the absences occur. The Company makes annual contribution to the Group Leave Encashment Scheme (GLES), administered by LIC

र्ड. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में

D. In case of IDBI Asset Management Limited

(i) ग्रेच्युटी / Gratuity

ग्रेच्युटी देयता एक परिभाषित लाभ दायित्व है और इसे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित और प्रबंधित ग्रेच्युटी फंड के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है. कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर भविष्य के ग्रेच्युटी लाभों के लिए देयता का हिसाब रखती है.

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is funded through a Gratuity Fund administered and managed by the Life Insurance Corporation of India. The Company accounts for liability for future gratuity benefits based on the actuarial valuation using Projected Unit Credit Method carried out as at the end of each financial year

(ii) भविष्य निधि / Provident fund

कंपनी एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अंशदान करती है. अंशदानों की गणना उपचय आधार पर की जाती है और उन्हें लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है

The Company contributes to a recognized provident fund. The contributions are accounted for on an accrual basis and are recognized as an expense in the statement of profit and loss.

(iii) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ / Short term employee benefits

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में दिखाया जाता है जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं.

Short term employee benefits are recognized as an expense in the statement of profit and loss of the year in which the services are rendered

(iv) क्षतिपूरित अनुपस्थितियां / Compensated absences

कंपनी कुछ नियमों के अधीन विशेषाधिकार छुट्टी नकदीकरण प्रदान करती है. कर्मचारी भविष्य में नकदीकरण और छुट्टी लेने के लिए कुछ सीमाओं के अधीन छुट्टी जमा करने के हकदार हैं. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में एक स्वतंत्र बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को अप्रयुक्त छुट्टी के दिनों की संख्या के आधार पर देयता का प्रावधान किया जाता है.

The Company provides for Privilege Leave Encashment subject to certain rules. The employees are entitled to accumulate leave subject to certain limits for future encashment as well as availment. The liability is provided based on the number of days of unutilized leave at each balance sheet date on the basis of an independent actuarial valuation carried out as at the end of each financial year

उ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विस लिमिटेड के मामले में

E. In case of IDBI Trusteeship Service Limited

रोजगार की शर्तों के अनुसार वर्तमान और पिछली सेवाओं के लिए देय कर्मचारी लाभ, अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों देयताओं को "इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई)" द्वारा जारी किए गए लेखा मानक - 15 (संशोधित 2005) "कर्मचारी लाभ" के अनुसार रिकॉर्ड किया जाता है.

Liability for employee benefits, both short and long term, for present and past services which are due as per the terms of employment are recorded in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised 2005) "Employee Benefits" issued by the "Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)".

परिभाषित अंशदान योजनाएं / Defined Contribution Schemes

क) भविष्य निधि

a) Provident Fund

कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों और उसके तहत बनाई गई योजनाओं के तहत पंजीकृत है. तद्नुसार, अधिनियम के तहत स्थापित निधियों/योजनाओं में सरकारी प्राधिकारियों को कंपनी कर्मचारियों के न्यूनतम अंशदान के बराबर अंशदान कर रही है. पात्र कर्मचारियों को सरकारी प्राधिकारियों से लाभ मिलता है. वर्ष के लिए देय अंशदान लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

The Company is registered under the provisions of Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and schemes framed there under. Accordingly, the Company is contributing, in equal share of minimum contribution as those of employees, to the funds/ schemes established under the Act to Government Authorities. The eligible employees receive benefits from Government Authorities. The contribution due for the year is charged to profit and loss account.



ख) ग्रेच्युटी

b) Gratuity

कंपनी वर्ष के अंत में वार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ''दि ट्रस्टीज आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी योजना" के रूप में ज्ञात ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान करती है. कंपनी को वार्षिक प्रीमियम अंशदान का भुगतान करना आवश्यक है. वर्ष के लिए इस प्रकार भगतान/देय प्रीमियम को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है.

The Company provides for gratuity, known as "The Trustees IDBI Trusteeship Services Ltd Employee's Group Gratuity Scheme" based on annual actuarial valuation as on year end. The Company is required to pay annual premium contributions. The premium so paid / payable for the year is recognised in profit and loss account.

ग) छुट्टी नकदीकरण

c) Leave Encashment

वार्षिक छुट्टी नकदीकरण के लिए आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 15 (संशोधित 2005) "कर्मचारी लाभ" के अनुसार वर्ष के अंत में वार्षिक बीमांकिक मुल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है.

Annual Leave encashment is accounted on based on annual actuarial valuation as on year end as per Accounting Standard – 15 (Revised 2005) "Employee Benefits" issued by the ICAI.

ऊ. आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लि. के मामले में

F. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Co. Ltd.

प्रदान की गई सेवाओं के लिए कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति की गणना कर्मचारी लाभ संबंधी लेखा मानक 15 के अनुसार की जाती है.

Compensation to employees for services rendered is accounted for in accordance with Accounting Standard 15 on Employee Benefits

16 खंड रिपोर्टिंग / Segment Reporting

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में

A. In case of IDBI Bank Limited

बैंक तीन खंडों अर्थात कॉरपोरेट/होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और ट्रेजरी सेवाओं में परिचालन करता है. इन खंडों का निर्धारण रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा योजनाओं व सेवाओं की प्रकृति और जोखिम रूपरेखा पर विचार करने के बाद खंड रिपोर्टिंग के बारे में लेखा मानक-17, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया है.

The Bank operates in three segments corporate/wholesale banking, retail banking and treasury operations. These segments have been identified in line with extant RBI guidelines and AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

खंड राजस्व, परिणाम, आस्तियों एवं देयताओं में प्रबंधन द्वारा अनुमानित प्रत्येक खंड हेतु पहचानने योग्य राशियां और आबंटित राशि शामिल है. जो आस्तियां एवं देयताएं ज्ञात खंडों में आबंटित नहीं की जा सकती हैं, उन्हें अनाबंटित आस्तियों व देयताओं के रूप में समूहित किया जाता है.

Segment revenue, results, assets, and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में

B. In case of IDBI Asset Management Limited

कंपनी म्यूचुअल फंड को निवेश प्रबंधन सेवा प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है और परिचालन से संपूर्ण राजस्व भारत में प्रदान की गई उपरोक्त सेवा से है. इसलिए कंपनी के पास कोई अन्य रिपोर्ट करने योग्य व्यवसाय या भौगोलिक खंड नहीं है.

The company is in the business of providing Investment management service to the mutual fund, and the entire revenue from operations is from the above service rendered in India. Hence the company has no other reportable business or geographical segment.

इ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में

C. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

कंपनी मुख्य रूप से ट्रस्टीशिप व्यवसाय का कार्य करती है और इसका व्यवसाय परिचालन भारत में केन्द्रित है. तदनुसार, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-17 खंड रिपोर्टिंग के अनुसार कोई भी अलग व्यवसाय खंड एवं भौगोलिक क्षेत्र नहीं है.

The company is engaged primarily in the trusteeship business and its business operations are concentrated in India. Accordingly there are no separate business segments and geographical segments as per AS-17- Segment reporting issued by Institute of Chartered accountants of India.

ई. आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में

D. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Co. Limited

कंपनी मुख्य रूप से एकल क्षेत्र में अर्थात ट्रस्टीशिप के व्यवसाय में है. कंपनी प्रमुख स्रोत, प्रकृति और रिटर्न, आंतरिक संगठन एवं प्रबंधन संरचना के आधार पर प्राथमिक खंडों की पहचान करती है.

The Company is primarily in a single segment i.e. in the business of Trusteeship. The Company identifies primary segments based on the dominant source, nature and returns, the internal organization and management structure.

17 आय कर / Income Tax

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में

A. In case of IDBI Bank Limited

- (i) कर व्यय में वर्तमान एवं आस्थगित कर शामिल हैं. Tax expense comprises of current and deferred tax.
 - वर्तमान कर आयकर की वह निर्धारित राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 तथा आय संगणना एवं प्रकटन मानक (आईसीडीएस) के प्रावधानों के अनसार परिकलित अवधि के लिए कर योग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसली योग्य) है.
 - Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).
- (ii) वर्ष के बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को उन कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है जो तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये हों. समय अंतरालों से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों को इनकी भविष्य में वसूली की पर्याप्त निश्चितता की सीमा तक हिसाब में लिया जाता है.
 - Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.
- (iii) अनवशोषित मूल्यहास/ हानियों के मामले में आस्थिगित कर आस्तियां तभी हिसाब में ली जाती हैं जब यह आभासी रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थिगित कर आस्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसुल की जा सकती हैं.
 - Deferred tax assets in case of unabsorbed depreciation/ losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.
- (iv) आस्थिगित कर आस्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को की जाती है और उचित / आभाषी रूप से वसूल होने वाली राशि को समुचित रूप से समायोजित किया जाता है.
 - Deferred tax assets are reviewed at each Balance Sheet date and appropriately adjusted to reflect the amount that is reasonably / virtually certain to be realized.

आ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में

B. In case of IDBI Intech Limited

आय पर कर / Taxes on income

आयकर की गणना "आय पर करों के लिए लेखांकन" के बारे में लेखा मानक (एएस 22) के अनुसार की जाती है. कर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं. वर्तमान कर को लागू कर दरों का उपयोग करके कर अधिकारियों से भुगतान या वसूल किए जाने वाली अपेक्षित राशि से आंका जाता है. आस्थगित करों को भविष्य के कर परिणाम के लिए मान्यता दी जाती है, जो कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय के अंतर के कारण होता है, जिसे प्रासंगिक अधिनियमित / मुल रूप से अधिनियमित कर दरों पर आंका जाता है.

Income Taxes are accounted for in accordance with Accounting Standard (AS 22) on "Accounting for Taxes on Income". Tax expense comprises of current tax and deferred tax. Current tax is measured at the amount expected to be paid or recovered from the tax authorities using the applicable tax rates. Deferred taxes are recognised for future tax consequence attributable to timing difference between taxable income and accounting income, measured at relevant enacted / substantively enacted tax rates.



अनवशोषित मुल्यहास और आगे ले जाने वाली हानियों की स्थिति में, आस्थिगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जो इस बात के पुख्ता सबुतों द्वारा आभासी रूप से यह सुनिश्चित करती हैं कि ऐसी आस्तियों से वसुली के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी. अन्य स्थितियों में, आस्थींगत कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां उचित निश्चितता हो कि इन आस्तियों की वसुली के लिए भविष्य में पर्याप्त कर

In the event of unabsorbed depreciation and carry forward losses, deferred tax assets are recognised only to the extent that there is virtual certainty supported by convincing evidence that sufficient future taxable income will be available to realise such assets. In other situations, deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available to realise these assets.

न्युनतम वैकल्पिक कर ('एमएटी') क्रेडिट पात्रता को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी "आयकर अधिनियम, 1961 के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में उपलब्ध क्रेडिट के लिए लेखांकन" मार्गदर्शन नोट के अनुसार मान्यता दी जाती है. एमएटी क्रेडिट को एक आस्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब इस हद तक इस बात के पुख्ता सबत हों कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर से समायोजन करने में सक्षम होगी. प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को, कंपनी एमएटी क्रेडिट ओस्तियों का पुनर्मुल्यांकन करती है और जहां आवश्यक हो, उसे समायोजित

Minimum Alternate Tax ('MAT') credit entitlement is recognized in accordance with the Guidance Note on "Accounting for credit available in respect of Minimum Alternate Tax under the Income Tax Act, 1961" issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). MAT credit is recognised as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the Company will be able to adjust against the normal income tax during the specified period. At each balance sheet date, the Company reassesses MAT credit assets and adjusts the same, where required.

इ. आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में

In case of IDBI Asset Management Limited

कराधान / Taxation

आयकर व्यय में वर्तमान कर (अर्थात आयकर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर की राशि), आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (अवधि के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के कर प्रभाव को दर्शाता है) शामिल हैं.

Income tax expense comprises current tax (i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income-tax law), deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period).

वर्तमान कर / Current taxes

वर्तमान आयकर के प्रावधान को भारतीय आयकर अधिनयम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मान्यता दी जाती है और कर छूट एवं कर-मुक्ति के लिए क्रेडिट लेने के बाद कर देयता के आधार पर इसे वार्षिक बनाया जाता है. वित्तीय वर्ष 2021-22 से कंपनी ने आयकर अधिनयम, 196Î की धारा 115 बीएए के अंतर्गत कर चुकाने का विकल्प चुना है, अतः आईएएमएल पर एमएटी लागु नहीं है.

Provision for current income-tax is recognized in accordance with the provisions of Indian Income-tax Act, 1961 and is made annually based on the tax liability after taking credit for tax allowances and exemptions. From FY 2021-22 the Company has opted to pay tax U/s 115BAA of the Income Tax Act, 1961, hence MAT is not applicable on IAML.

आस्थगित कर / Deferred taxes

आस्थिगित कर आस्तियों एवं देयताओं को समय के अंतर के कारण भविष्य के कर परिणामों के लिए मान्यता दी जाती है. जिसके परिणामस्वरूप आय करों के लिए पेश किए गए लाभ और वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ के बीच अंतर होता है. आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके आंका जाता है जिन्हें तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है. आस्थिगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर दरों में बदलाव के प्रभाव को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अधिनयमन तिथि शामिल है. आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां उचित निश्चितता हो कि भविष्य में आस्तियों की वसली की जा सकती है. हालांकि, जहां कराधान कानूनों के तहत अनवशोषित मृल्यहास या अग्रेषित हानि होती है, आस्थिगित कर आस्तियों को तभी मान्यता दी जाती है जब ऐसी आस्तियों की वसूली की आभासी निश्चितता हो. आस्थिगित कर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को उनके संबंधित रखाव मूल्यों की उपयुक्तता के लिए किया

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to timing differences that result between the profits offered for income taxes and the profits as per the financial statements. Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. The effect of a change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the period that includes the enactment date. Deferred tax assets are recognized only to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in the future. However, where there is unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets. Deferred tax assets are reassessed for the appropriateness of their respective carrying values at each balance sheet date.

ई. आईडीबीआई म्युचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में

D. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Co. Ltd.

कराधान / Taxation

आयकर व्यय में वर्तमान कर (अर्थात् आयकर कानून के अनुसार अवधि के लिए निर्धारित कर की राशि), आस्थिगित कर प्रभार या क्रेडिट (अवधि के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के कर प्रभाव को दर्शाता है) शामिल हैं.

Income tax expense comprises current tax (i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income-tax law), deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period).

वर्तमान कर / Current taxes

वर्तमान आयकर के प्रावधान को भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मान्यता दी जाती है और कर छूट एवं कर-मुक्ति के लिए क्रेडिट लेने के बाद कर देयता के आधार पर इसे वार्षिक बनाया जाता है. वित्तीय वर्ष 2021-22 से कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के अंतर्गत कर चुकाने का विकल्प चुना है, अतः कंपनी पर एमएटी लागु नहीं है.

Provision for current income-tax is recognized in accordance with the provisions of Indian Income-tax Act, 1961 and is made annually based on the tax liability after taking credit for tax allowances and exemptions. From FY 2021-22 the Company has opted to pay tax U/s 115BAA of the Income Tax Act, 1961, hence MAT is not applicable to the company.

आस्थगित / Deferred taxes

आस्थिगत कर आस्तियों एवं देयताओं को समय के अंतर के कारण भिवष्य के कर परिणामों के लिए मान्यता दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप आय करों के लिए पेश किए गए लाभ और वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ के बीच अंतर होता है. आस्थिगित कर आस्तियों एवं देयताओं को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें तुलन पत्र की तारीख को अधिनयमित या वास्तिवक रूप से अधिनयमित किया गया है. आस्थिगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर दरों में बदलाव के प्रभाव को उस अविध में मान्यता दी जाती है जिसमें अधिनयमन तिथि शामिल है. आस्थिगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां उचित निश्चितता हो कि भविष्य में आस्तियों की वसूली की जा सकती है. हालांकि, जहां कराधान कानूनों के तहत अनवशोषित मूल्यहास या अग्रेषित हानि होती है, आस्थिगित कर आस्तियों को तभी मान्यता दी जाती है जब ऐसी आस्तियों की वसूली की आभासी निश्चितता हो. आस्थिगित कर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को उनके संबंधित रखाव मूल्यों की उपयुक्तता के लिए किया जाता है.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to timing differences that result between the profits offered for income taxes and the profits as per the financial statements. Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. The effect of a change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the period that includes the enactment date. Deferred tax assets are recognized only to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in the future. However, where there is unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets. Deferred tax assets are reassessed for the appropriateness of their respective carrying values at each balance sheet date.

उ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में

E. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd

चालू वर्ष का कर, वर्तमान कर नियमों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और चालू वर्ष की कर योग्य आय के संबंध में देय कर की राशि लाभ एवं हानि खाते में दर्शाई जाती है.

Current year's tax is determined based on current tax laws and the amount of tax payable in respect of taxable income of the current year is provided in profit and loss account.

आस्थिगित कर की पहचान समय अंतराल के कारण की जाती है; कर योग्य आय और लेखा आय के बीच का अंतर होना जो एक अवधि में आरंभ होता है और एक अथवा अधिक परवर्ती अवधि में रिवर्स करने में सक्षम होता है. आस्थिगित कर आस्ति को मान्यता दी जाती है और केवल उस सीमा तक आगे ले जाया जाता है जहां एक आभासी निश्चितता होती है कि आस्ति की भविष्य में वसूली हो जाएगी. ऐसे मामलों में जहां आभासी निश्चितता कोई ठोस साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है. वहां आस्थिगित कर आस्तियों को लेखा बहियों में उपचित नहीं किया जाता है.

Deferred tax is recognised on account of timing difference; being the difference between taxable incomes and accounting income that originate in one period and is capable of reversal of one or more subsequent periods. Deferred tax asset is recognised and carried forward only to the extent that there is a virtual certainty that the asset will be realised in future. In cases where there is no virtual certainty supported by convincing evidence, the deferred tax assets is not accrued in books of Accounts.



आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एवं सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में

In case of IDBI Capital Markets and Securities Limited

- वर्तमान कर को आय कर अधिनियम के अनुसार, कर प्राधिकारियों को भुगतान / वसुली योग्य अनुमानित राशि के आधार पर आंका जाता है. Current tax is measured at the amount expected to be paid/ recovered from the tax authorities, in accordance with the Income Tax Act.
- कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच होने वाले समय अंतर का कर प्रभाव और एक या अधिक परवर्ती अवधियों में रिवर्स किये जाने के योग्य है, को आस्थगित कर आस्ति या आस्थगित कर देयता के रूप में दर्ज किया जाता है. आस्थगित कर आस्ति और देयताओं को भविष्य के कर परिणामों के स्रोतजन्य समय अंतरालों के लिए पहचाना जाता है. उन्हें तुलन पत्र की तारीख में अधिनियमित या मुल रूप में अधिनियमित कर दरों और कर विनियमों का उपयोग कर आंका जाता है.
 - The tax effect of the timing differences that result between taxable income and accounting income and are capable of reversal in one or more subsequent periods are recorded as a deferred tax asset or deferred tax liability. Deferred tax assets and liabilities are recognized for future tax consequences attributable to timing differences. They are measured using the enacted or substantively enacted tax rates and tax regulations as at the balance sheet date.
- आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है और आगे ले जाई जाती हैं जहां पर्याप्त निश्चितता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरूद्ध आस्थगित कर आस्तियों की वसुली जा सकती है; हालांकि जहां अनवशोषित मृल्यहास है और हानियाँ आगे लाई गई हैं, आस्थिगित कर आस्ति केवल तभी सुजित की जाती हैं जब आस्ति की वसूली की आभासी निश्चितता हो.
 - Deferred tax assets are recognised and carried forward only to the extent there is reasonable certainty that sufficient taxable income will be available in future, against which the deferred tax assets can be realized; however where there is unabsorbed depreciation and carried forward losses, deferred tax assets is created only if there is virtual certainty of realization of assets.
- प्रत्येक तलन पत्र की तारीख पर आस्थिगत कर आस्तियों को आगे ले जाने की राशि को उस सीमा तक कम किया जाता है जिस तक यह यथोचित रूप से निश्चित नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरूद्ध आस्थगित कर आस्ति की वसली की जा सकती है.

The carrying amount of deferred tax assets at each balance sheet date is reduced to the extent that it is no longer reasonably certain that sufficient future taxable income will be available against which the deferred tax asset can be

न्यूनतम वैकल्पिक कर / Minimum Alternate Tax

वर्ष में भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) वर्तमान कर के रूप में लाभ और हानि के विवरण पर दिखाया जाता है. कंपनी एमएटी क्रेडिट को एक आस्ति के रूप में तभी मान्यता देती है, जब इस बात के पुख्ता सबूत हों कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी, अर्थात वह अवधि जिसके लिए एमएटी क्रेडिट को आगे ले जाने की अनुमति है. जिस वर्ष कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में उपलब्ध क्रेडिट के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार एमएटी क्रेडिट को एक आस्ति के रूप में मान्यता दी है, उस वर्ष उक्त आस्ति को लाभ-हानि विवरण में जमा करते हुए "एमएटी क्रेडिट पात्रता" के रूप में दिखाया जाता है. कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर ''मैट क्रेडिट पात्रता'' आस्ति की समीक्षा करती है और आस्ति को उस सीमा तक अपलिखत करती है, जिस तक कंपनी के पास इस बात के पुख्ता सबूत नहीं हैं कि वह पर्याप्त अवधि के दौरान सामान्य कर का भूगतान करेगी.

Minimum Alternate Tax (MAT) paid in a year is charged to the Statement of Profit and Loss as current tax. The company recognizes MAT credit available as an asset only to the extent there is convincing evidence that the company will pay normal income tax during the specified period, i.e., the period for which MAT Credit is allowed to be carried forward. In the year in which the Company recognizes MAT Credit as an asset in accordance with the Guidance Note on Accounting for Credit Available in respect of Minimum Alternate Tax under the Income Tax Act, 1961, the said asset is created by way of credit to the statement of Profit and Loss and shown as "MAT Credit Entitlement." The Company reviews the "MAT Credit Entitlement" asset at each reporting date and writes down the asset to the extent the company does not have convincing evidence that it will pay normal tax during the sufficient period.

18 पट्टे / Leases

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में

In case of IDBI Bank Limited

- पट्टे/ किराए के आधार पर ली गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय/ निरसनीय हैं. The properties taken on lease/ rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank.
- बैंक के द्वारा किए गए पट्टे करार सहमत अवधि के लिए होते हैं जिनमें लीज अवधि के दौरान आपसी सहमति वाला नोटिस देकर समाप्त करने का (ii) विकल्प होता है.

The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed notice in writing.

- (iii) परिचालन पट्टे के लिए अदा किये गये पट्टे किराये को उसी वर्ष के लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है जिससे यह संबंधित है. Lease rent paid for operating leases are recognised as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates.
- (iv) परिचालन पट्टे के संबंध में प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत जैसे विधिक लागत, दलाली लागत, आदि को तत्काल खर्च के रूप में लाभ-हानि खाते में दिखाया जाता है

Initial direct costs in respect of operating leases such as legal costs, brokerage costs, etc. are recognized as expense immediately in the Profit and Loss Account

आ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में

B. In case of IDBI Intech Limited

क) वित्त पट्टा

a) Finance lease

वित्त पट्टे पर ली गई आस्तियों को न्यूनतम पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य और उचित मूल्य में से कम पर अचल आस्तियों के रूप में दर्शाया जाता है और समतृल्य राशि के लिए देयता मानी जाती है. लीज भुगतानों को वित्त प्रभार और बकाया देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है.

Assets taken on finance lease are accounted for as fixed assets at lower of present value of the minimum lease payments and the fair value and a liability is recognised for an equivalent amount. Lease payments are apportioned between finance charge and reduction in outstanding liability.

ख) परिचालन पटटा

b) Operating leases

पट्टे पर ली गई आस्तियों जिसके तहत पट्टेवार द्वारा स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को प्रभावी रूप से प्रतिधारित किया जाता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. परिचालन पट्टों के तहत पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है.

Assets taken on lease under which all risks and rewards of ownership are effectively retained by the lessor are classified as operating lease. Lease payments under operating leases are recognised as expenses on straight line basis over the lease term.

इ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में

C. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

परिचालन पट्टे / Operating Leases

जिन पट्टों में पट्टेवार प्रभावी रूप से पट्टे की अवधि में स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी ढंग से प्रतिधारित करता है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. परिचालन पट्टे के भुगतान को लीज अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर 'किराया दर और कर' के तहत लाभ और हानि खाते में एक व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.

Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased term, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the Profit and Loss account under 'Rent Rates and Taxes' on a Straight Line Basis over the lease term.

ई. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के मामले में

D. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

परिचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टा भृगतान को पट्टा करार की शर्तों के अनुसार लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.

Lease payment under an operating lease is recognised as expenses in the statement of Profit and loss account as per terms of lease agreement.

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में

E. In case of IDBI Asset Management Limited

परिचालन पट्टा / Operating Leases

पट्टे पर ली गई आस्तियां जिसके अंतर्गत पट्टेदार द्वारा स्वामित्व के सभी जोखिम और पुरस्कारों को प्रभावी रूप से प्रतिधारित किया जाता है, को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. परिचालन पट्टों के तहत पट्टे के भुगतान/ राजस्व को पट्टों से संबंधित करारों की शर्तों के अनुसार उपचय आधार पर व्यय/ आय के रूप में दर्शाया जाता है.



Lease of assets under which all the risk and rewards of ownership are effectively retained by the lessor are classified as operating leases. Lease payments/ revenue under operating leases are recognized as expense/ income on accrual basis in accordance with the terms of respective lease agreements.

19 प्रति शेयर अर्जन / Earnings Per Share

- (i) बैंक लेखामानक 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर उपार्जन की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.
 - The Bank reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.
- (ii) प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाती है जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या इक्विटी शेयरों में परिवर्तन करने पर हो सकता है. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या, जहां परिणाम न्यूनीकृत विरोधी हों के सिवाय, से भाग देकर की जाती है. Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted to equity shares during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year except where the results are anti-dilutive.

20 आस्तियों की अनर्जकता / Impairment of Assets

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में

A. In case of IDBI Bank Limited

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन इस बात का संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि वसूली योग्य नहीं रही तो अचल आस्तियों के हासित होने की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता का आकलन अनुमानित वर्तमान वसूली योग्य मूल्य और उपयोग में मूल्य की आस्ति की रखाव राशि से तुलना द्वारा किया जाता है. यदि ऐसी आस्तियों हासित मानी गई हों तो उस हास को उस आस्ति की रखाव लागत से उसके अनुमानित वर्तमान वसूली योग्य मूल्य या उपयोग में मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है. दावों के निपटान से प्राप्त गैर-बैंकिंग आस्तियों के हास की समीक्षा केवल तब की जाती हैं जब हास के संकेत स्पष्ट दिखें.

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use. Non-banking assets acquired in settlement of claims are reviewed for impairment only when the indications of impairment are evident.

आ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में

B. In case of IDBI Intech Limited

प्रबंधन बाहरी और आंतरिक स्रोतों का उपयोग करते हुए समय-समय पर मूल्यांकन करता है कि क्या कोई संकेत है कि एक आस्ति हासित हो सकती है. हासित हानि को तब मान्यता दी जाती है जब किसी आस्ति का रखाव मूल्य वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाता है. वसूली योग्य राशि आस्ति के निवल बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य से अधिक है, जिसका अर्थ है कि भविष्य के नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य आस्ति के निरंतर उपयोग और इसके अंतिम निपटान से उत्पन्न होने की उम्मीद है.

The Management periodically assesses, using external and internal sources whether there is an indication that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised where ever the carrying value of an asset exceeds the recoverable amount. The recoverable amount is the higher of asset's net selling price and value in use, which means the present value of the future cash flows expected to arise from the continuing use of the asset and its eventual disposal.

एक आस्ति की हासित हानि को केवल उस स्थिति में रिवर्स किया जाता है जब यह रिवर्सल हासित हानि की पहचान के बाद घटित घटना से तटस्थ रूप से संबद्ध हो. एक आस्ति की रखाव राशि को उसकी संशोधित वसूली योग्य राशि तक बढ़ा दिया जाता है, बशर्ते कि यह राशि निर्धारित रखाव राशि से अधिक न हो (किसी संचित परिशोधन या मूल्यहास को घटाकर) तथा पिछले वर्षों में आस्ति के लिए कोई हासित हानि की पहचान नहीं की गई थी.

An impairment loss for an asset is reversed if, and only if, the reversal can be related objectively to an event occurring after the impairment loss was recognized. The carrying amount of an asset is increased to its revised recoverable amount, provided that this amount does not exceed the carrying amount that would have been determined (net of any accumulated amortization or depreciation) had no impairment loss been recognised for the asset in prior years.

ई. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में

C. In case of IDBI Capital Market and Securities Limited

- (i) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या हास का कोई संकेत है, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आस्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है. यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो आस्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है.
 - The carrying amount of assets, is reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, recoverable amount of the assets is estimated.
- (ii) जब भी किसी आस्ति या उसकी नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई की रखाव राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तब ह्रासित हानि की पहचान की जाती है. वसूली योग्य राशि आस्ति के निवल बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य से अधिक है, जिसे उनके वर्तमान मूल्यों पर बट्टाकृत अनुमानित भावी नकदी प्रवाह के आधार पर निर्धारित किया जाता है. सभी ह्रासित हानियों को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है.
 - An Impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset or its cash generating unit exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the asset's net selling price and value in the use, which is determined, based on the estimated future cash flows discounted to their present values. All impairment losses are recognized in the profit and loss account.
- (iii) यदि वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन होता है तो हासित हानि को रिसर्व कर दिया जाता है और इसे लाभ-हानि खाते में दिखाया जाता है.
 - An impairment loss is reversed if there is a change in the estimates used to determine the recoverable amount and is recognized in the profit and loss account.

इ. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में

D. In case of IDBI MF Trustee Company Limited

एक आस्ति को आस्तियों की हास के बारे में लेखा मानक 28 के अनुसार तब हासित माना जाता है, जब तुलन पत्र की तारीख को हास के संकेत होते हैं और आस्ति की रखाव राशि या जहां नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई जिससे आस्ति संबंधित होती है, उसकी वसूली योग्य राशि (अर्थात आस्ति के निवल बिक्री मूल्य और उपयोग मूल्य में से जो अधिक हो) से अधिक राशि होती है. रखाव राशि को वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है और कमी को लाभ और हानि के विवरण में हासित हानि के रूप में दर्शाया जाता है.

An asset is considered as impaired in accordance with Accounting Standard 28 on Impairment of Assets when at the balance sheet date there are indications of impairment and the carrying amount of asset, or where applicable the cash generating unit to which the asset belongs, exceeds its recoverable amount (i.e. the higher of the asset's net selling price and value in use). The carrying amount is reduced to the recoverable amount and the reduction is recognized as an impairment loss in the Statement of Profit and Loss.

जब यह संकेत मिलता है कि पहले की लेखा अवधियों में किसी आस्ति (पुनर्मूल्यांकन आस्ति के अलावा) के लिए मानी गई ह्रासित हानि मौजूद नहीं है या कम हो सकती है, तो ह्रासित हानि के इस तरह के रिवर्सल को लाभ और हानि के विवरण में उस सीमा तक दर्शाया जाता है, जितनी राशि पहले लाभ और हानि के विवरण से प्रभारित की गई थी. पुनर्मृल्यांकित आस्तियों के मामले में ऐसे रिवर्सल को मान्यता नहीं दी जाती है.-

When there is indication that an impairment loss recognized for an asset (other than a revalued asset) in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognized in the Statement of Profit and Loss, to the extent the amount was previously charged to the Statement of Profit and Loss. In case of revalued assets such reversal is not recognized.

उ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में

E. In case of IDBI Asset Management Limited

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि आस्ति हास हो सकता है. यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी आस्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है. यदि ऐसी आस्ति की वसूली योग्य राशि इसकी रखाव राशि से कम है तो रखाव राशि को इसके वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है. कमी को हासित हानि माना जाता है और लाभ एवं हानि खाते में दिखाया जाता है. यदि तुलन पत्र की तारीख को यह संकेत मिलता है कि पूर्व में मूल्यांकित हासित हानि मौजूद नहीं है तो वसूली योग्य राशि का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और आस्ति को वसूली योग्य राशि पर अधिकतम अवक्षयी परंपरागत लागत के अधीन दिखाया जाता है. हास के बाद, मूल्यहास आस्ति के शेष उपयोगी जीवन काल में संशोधित रखाव राशि पर प्रदान किया जाता है.

The Company assesses at each Balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of the asset. If such recoverable amount of the asset is less than its carrying amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount. The reduction is treated as an impairment



loss and is recognized in the profit and loss account. If at the balance sheet date there is an indication that a previously assessed impairment loss no longer exists, the recoverable amount is reassessed and the asset is reflected at the recoverable amount subject to a maximum of depreciable historical cost. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the asset over its remaining useful life.

ऊ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में

F. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर आस्तियों की रखाव राशि में हास की प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है. किसी आस्ति को तब हासित माना जाता है जब आस्ति की रखाव लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है. हासित हानि, यदि कोई हो, को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है जिसमें आस्ति के हास की पहचान की जाती है. पिछले वर्षों में निर्धारित हासित हानि का रिवर्सल तब रिकॉर्ड किया जाता है जब यह संकेत मिलता है कि आस्तियों के लिए हासित हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो गई है.

The carrying amounts of the assets are reviewed at each Balance Sheet date for impairment based on internal / external factors. An asset is treated as impaired when the carrying cost of the asset exceed its recoverable value. An impairment loss, if any, is charged to Profit and Loss Account in the year in which an asset is identified as impaired. Reversal of impairment loss recognised in prior years is recorded when there is an indication that the impairment losses recognised for the assets no longer exists or has decreased.

21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में

A. In case of IDBI bank Limited

- (i) लेखा मानक 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के मामले में प्रावधानों को तभी हिसाब में लिया जाता है जब बैंक यह मानता है कि पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती है और इस बात की संभावना हो कि उक्त देयता के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके लिए दायित्व का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.
 - In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.
- (ii) प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता है और उनका निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.
 - Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.
- (iii) किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह आभाषी रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.
 - Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.
- (iv) आकस्मिक आस्तियों को न तो हिसाब में लिया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed.
- (v) आकस्मिक देयता का प्रकटन निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है: A disclosure of contingent liability is made when there is:
 - जब संभाव्य दायित्व हो जिसके संबंध में संसाधनों का बहिर्वाह होने की संभावना बहुत कम न हो, या a possible obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is not remote; or
 - किसी विगत घटना से वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हो रहा है जिसे माना नहीं गया है क्योंकि इस बात की संभाव्यता नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत होगी या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता.

 a present obligation arising from a past event which is not recognized as it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made.

- जब कोई संभाव्य दायित्व या वर्तमान दायित्व हो जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, तो कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है.
 - When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.
- (vi) जहां यह संभावना हो कि विवादित करों के संबंध में वर्तमान दायित्व मौजूद है तो प्रावधान किया जाता है. जहां यह संभावना नहीं है कि वर्तमान दायित्व मौजूद है, बैंक तब तक आकस्मिक देयता का प्रकटन करता है जब तक गत कर निर्धारण के संबंध में अभिमत/विभिन्न न्यायिक निर्णयों, मामले की योग्यता/तथ्यों, लागू कर कानूनों के प्रावधानों और अन्य संबद्ध न्यायिक निर्णयों के आधार पर संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है.
 - Where it is probable that a present obligation exists in respect of disputed taxes, a provision is made. Where it is not probable that such a present obligation exists, the bank discloses a contingent liability, unless the possibility of an outflow of resources is remote, based on opinions/ various judicial decisions in respect of past assessment, merits/facts of the case, the provisions of applicable Tax Laws and other relevant judicial decisions, where in no provision or disclosure is made.
- (vii) दुर्वह संविदाओं के लिए प्रावधान तब किये जाते हैं जब संविदा से बैंक को होने वाले संभावित लाभ संविदा के अंतर्गत भावी दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागतों से कमतर हों. प्रावधान का आकलन संविदा को समाप्त करने पर संभावित लागत और संविदा को जारी करने की संभावित निवल लागत के वर्तमान मूल्य में से कमतर पर किया जाता है. प्रावधान का निर्धारण करने से पहले बैंक उस संविदा से संबद्ध आस्तियों की किसी हासित हानि की पहचान करता है.
 - Provisions for onerous contracts are recognised when the expected benefits to be derived by the Bank from a contract are lower than the unavoidable costs of meeting the future obligations under the contract. The provision is measured at the present value of the lower of the expected cost of terminating the contract and the expected net cost of continuing with the contract. Before a provision is established, the Bank recognises any impairment loss on the assets associated with that contract

आ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में B. In case of IDBI Capital Markets and Securities Limited

प्रावधान / Provisions

- (i) प्रावधान तब किया जाता है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में दायित्व होता है. यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है. इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दशनि के लिए समायोजन किया जाता है.
 - A provision is recognized when there is a present obligation as a result of past event. It is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and in respect of which a reliable estimate can be made. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.
- (ii) एक आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब एक संभावित दायित्व हो या एक ऐसा वर्तमान दायित्व हो जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो या संभवतः न भी हो. जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना कम होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है. आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की जाती है
 - A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made. Contingent Assets are not recognized.
- (iii) सभी बकाया ऋणों की मामला-दर-मामला समीक्षा करने के बाद अशोध्य और संदिग्ध आस्तियों की पहचान की जाती है. संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान प्रबंधन द्वारा उनकी वसूली-योग्यता के मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं. यदि किसी भी संदिग्ध ऋण में वसूली की संभावना मौजूद नहीं है, तो उसे पूरी तरह से बट्टे खाते में डाल दिया जाता है.
 - Bad and doubtful assets are identified after carrying out a case by case review of all outstanding debts. Provisions are made on doubtful debts on management's evaluation of their realisability. In case the chances of recovery do not exist in any of the doubtful debts, the same is written off fully.



आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में ड.

In case of IDBI Asset Management Limited

कंपनी उस स्थिति में प्रावधान सजित करती है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना हो और दायित्व की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है. एक आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण तब किया जाता है जब एक संभावित दायित्व या एक वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी. जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम होती है. तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया

The Company creates a provision when there is a present obligation as a result of a past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

प्रावधानों को उनके वर्तमान मुल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता है और तुलन पत्र की तारीख को दायित्व को निपटाने के लिए उन्हें आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

Provisions are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date.

प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र में समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है. यदि यह संभावना नहीं हो कि दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, तो प्रावधान को रिवर्स कर दिया जाता है.

Provisions are reviewed at each balance sheet and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that the outflow of resources would be required to settle the obligation, the provision is reversed.

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है. हालांकि, आकस्मिक आस्तियों का लगातार मुल्यांकन किया जाता है और यदि आभाषी रूप से यह निश्चित हो कि एक आर्थिक लाभ उत्पन्न होगा, तो आस्ति और संबंधित आय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिवर्तन हुआ था.

Contingent assets are not recognized in the financial statements. However, contingent assets are assessed continually and if it is virtually certain that an economic benefit will arise, the asset and related income are recognized in the period in which the change occurred.

आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में

In case of IDBI Intech Limited

एक प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कंपनी की कोई वर्तमान देयता बनती हो और जो तर्कसंगत रूप से अनुमानित हो तथा इस बात की संभावना हो कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी. प्रावधानों का निर्धारण रिपोर्टिंग तारीख को दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह के सर्वोत्तम अनुमान द्वारा किया जाता है. जहां विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता वहां आकस्मिक दायित्व के रूप में प्रकटीकरण किया जाता है. आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है किंतु इसे टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है. एक आकस्मिक दायित्व के लिए प्रकटीकरण तब भी किया जाता है जब एक संभावित दायित्व हो या एक ऐसा वर्तमान दायित्व हो जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो या संभवतः न भी हो. जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना कम होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है.

A provision is recognised if, as a result of past event, the company has a present legal obligation that is reasonably estimable and it is probable that an outflow of economic benefits required to settle the obligation. Provisions are determined by the best estimate of the outflow of economic benefits required to settle the obligation at the reporting date. Where no reliable estimate can be made, a disclosure is made as contingent liability. Contingent liabilities are not recognised but disclosed in the notes. A disclosure for a contingent liability is also made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. Where there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के मामले में ਤ.

In case of IDBI Trusteeship Services Limited

माप में अनुमानित पर्याप्त मात्रा वाले प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी. आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है किंतु इसे टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है, आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है,

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognised when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation. Contingent liabilities are not recognised, but are disclosed in the notes. Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

ऊ. आईडीबीआई म्यूच्अल फ़ंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में

F. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Co. Ltd

कंपनी उस स्थिति में प्रावधान सृजित करती है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संभावतः संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होती है और दायित्व की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है. एक आकिस्मक दायित्व का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब एक संभावित दायित्व या एक वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी. जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है. The Company creates a provision when there is a present obligation as a result of a past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है. यदि यह संभावना नहीं हो कि दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, तो प्रावधान को रिवर्स कर दिया जाता है.

Provisions are reviewed at each balance sheet and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that: the outflow of resources would be required to settle the obligation, the provision is reversed.

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है. हालांकि, आकस्मिक आस्तियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और यदि आभाषी रूप से यह निश्चित हो कि एक आर्थिक लाभ उत्पन्न होगा, तो आस्ति और संबंधित आय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिवर्तन हुआ हो.

Contingent assets are not recognized in the financial statements. However, contingent assets are assessed continually and if it is virtually certain that an economic benefit will arise, the asset and related income are recognized in the period in which the change occurs.

22 लाभांश के लिए लेखांकन Accounting for Dividend

लेखांकन मानक (एएस) 4 ''तुलनपत्र की तारीख के बाद होने वाली आकस्मिकताएं एवं घटनाएं'' के अनुसार, बैंक प्रस्तावित लाभांश या तुलनपत्र की तारीख के बाद घोषित लाभांश को चालू वर्ष के तुलनपत्र में लाभ और हानि खाते से विनियोजन के जिरये देयता के रूप में नहीं दिखाता है. इसे लेखों पर टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है. इसे शेयरधारकों के अनुमोदन वाले वर्ष में दिखाया जाता है. तथापि, पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के लिए पूंजी निधियों के निर्धारण में प्रस्तावित लाभांश को बैंक हिसाब में लेता है.

In terms of Accounting Standard (AS) 4 "Contingencies and Events occurring after the Balance sheet date" the Bank does not account for proposed dividend or Dividend declared after balance sheet date as a liability through appropriation from profit and loss account in current year balance sheet. This is disclosed in the notes to accounts. The same is recognized in the year of approval of shareholders. However, the Bank reckons proposed dividend in determining capital funds in computing the capital adequacy ratio

23 अमूर्त आस्तियां / Intangible assets

अ. आईडीबीआई एमएफ ट्स्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में

A. In case of IDBI MF Trustee Company Limited

अमूर्त आस्तियों को अधिग्रहण की लागत में संचित परिशोधन और हासित हानियों को घटाने के बाद दिखाया जाता है. अमूर्त आस्ति को उस स्थिति में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि आस्ति के कारण भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम को प्रवाहित होंगे और जब इसकी लागत को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है. अमूर्त आस्तियों की परिशोधन योग्य राशि को उसके उपयोगी जीवनकाल के सर्वोत्तम अनुमान पर सीधी रेखा आधार पर आबंटित किया जाता है. Intangible Assets are stated at cost of acquisition less accumulated amortization and impairment losses, an intangible asset is recognized, where it is probable that the future economic benefits attributable to the asset will flow to the enterprise and where its cost can be reliably measured. The amortizable amount of intangible assets is allocated over the best estimate of its useful life on a straight-line basis



आ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में

B. In case of IDBI Capital Markets and Securities Limited

अधिगृहीत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइसेंस शुरू में उस लागत पर पूंजीकृत किये जाते हैं, जिसमें खरीद मूल्य (किसी डिस्काउंट और छूट को घटाकर) तथा आस्ति को इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने की अन्य सीधी लागत शामिल होती है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कार्य निष्पादन को इसके विनर्देशों से बेहतर करने, जिसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय को सॉफ्टवेयर की मूल लागत में जोड़ा जाता है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रखरखाव से जुड़ी लागतों को खर्च के रूप में तब दिखाया जाता है जब व्यय किया जाता है.

Acquired computer software licenses are initially capitalised at cost, which includes the purchase price (net of any discounts and rebates) and other directly attributable cost of preparing the asset for its intended use. Direct expenditure which enhances or extends the performance of computer software beyond its specifications and which can be reliably measured, is added to the original cost of the software. Costs associated with maintaining the computer software are recognised as an expense when incurred.

पूंजीकरण के लिए पात्र सॉफ्टवेयर विकास पर व्यय को विकासाधीन अमूर्त आस्ति के रूप में दिखाया जाता है जहां ऐसी आस्तियां अभी तक उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं.

Expenditure on software development eligible for capitalisation are carried as Intangible assets under development where such assets are not yet ready for their intended use.

अमूर्त आस्तियों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है. परिशोधन के लिए प्रयुक्त अमूर्त आस्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार हैं:

Intangible assets are amortized on a straight line basis over their estimated useful lives. The estimated useful lives of intangible assets used for amortization are:

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर -3 वर्ष / Computer Software - 3 years

वेब ट्रेडिंग पोर्टल - 3 वर्ष / Web Trading Portal - 3 years

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कार्ड - 21 वर्ष / Bombay Stock Exchange Card - 21 years

प्रबंधन उपयोग में मृल्य के आधार पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग राइट्स के आर्थिक मृल्य का अनुमान लगाता है.

Management estimates the economic value of Bombay Stock Exchange Trading Rights based on the value in use.

5000 रपये से कम के एकल मूल्य वाली सभी अमूर्त आस्तियों को अधिग्रहण के वर्ष में और सक्रिय उपयोग से बाहर कर दी गई आस्तियों को पूर्णतः मूल्यहासित किया जाता है.

All Intangible Assets having individual value of less than Rs.5000, in the year of acquisition and assets retired from active use are fully depreciated.

इ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में

C. In case of IDBI Intech Limited

सॉफ्टवेयर जैसी अमूर्त आस्तियों, जिस पर कंपनी के पास मालिकाना अधिकार जारी रहता है, को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है. अनुसंधान लागत व्यय के रूप में खर्च की जाती है. सॉफ़्टवेयर उत्पाद विकास लागतों को तब तक व्यय के रूप में खर्च किया जाता है जब तक कि परियोजना की तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहार्यता का प्रदर्शन न हो, भविष्य के आर्थिक लाभ संभावित हों, कंपनी के पास सॉफ़्टवेयर को पूरा करने और उपयोग करने या बेचने का इरादा और क्षमता हो और लागतों को विश्वसनीयता से मापा जा सकता हो. जिन लागतों को पूंजीकृत किया जा सकता है, उनमें सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष मानव-शक्ति और उपरी लागत शामिल हैं जो आस्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं.

The intangible assets like software's, on which propriety rights continue with the company, are capitalized at costs. Research costs are expensed as incurred. Software product development costs are expensed as incurred unless technical and commercial feasibility of the project is demonstrated, future economic benefits are probable, the Company has an intention and ability to complete and use or sell the software, and the costs can be measured reliably. The costs which can be capitalized include the cost of material, direct man-power and overhead costs that are directly attributable to preparing the asset for its intended use.

ई. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के मामले में

D. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

लेखांकन मानक एएस-26 के अनुसार, अमूर्त आस्तियों को अधिग्रहण की लागत में संचित परिशोधन को घटाने के बाद दिखाया जाता है. अमूर्त आस्तियों का परिशोधन आस्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अवलिखित मृल्य पद्धित द्वारा किया जाता है.

In accordance with accounting standard AS-26, Intangible assets are stated at cost of acquisition less accumulated amortization. Amortization of Intangible assets is provided on written down value method on the basis of estimated useful life of the asset.

उ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में

E. In case of IDBI Asset Management Limited

अमूर्त आस्तियों की पहचान लागत पर उस वर्ष में की जाती है जब इसे उपयोग में लाया जाता है. अमूर्त आस्तियों को संचित परिशोधन और हासित हानि, यदि कोई हो. को घटाकर लागत पर दिखाया जाता है.

Intangible assets are recognised in the year it is put to use at cost. Intangible assets are carried at cost less accumulated amortization and impairment loss, if any.

24 उधार लेने की लागत / Borrowing Costs

अ. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में

A. In case of IDBI MF Trustee Company Limited

उधार लागतों के बारे में लेखा मानक 16 में यथा परिभाषित अर्हकारी आस्तियों के अधिग्रहण या निर्माण के लिए उधार लेने की लागत को आस्ति की लागत के हिस्से के रूप में उस तारीख तक पूंजीकृत किया जाता है जिस तारीख को आस्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है. अन्य उधार लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च की जाती हैं.

Borrowing costs that are attributable to the acquisition or construction of qualifying assets, as defined in Accounting Standard 16 on Borrowing Costs, are capitalized as part of the cost of the asset up to the date when the asset is ready for its intended use. Other borrowing costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

आ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में

B. In case of IDBI Intech Limited

अईकारी आस्तियों के अधिग्रहण या निर्माण से संबंधित उधार की लागतों को ऐसी आस्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है. अईकारी आस्ति वह है जो अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है. अन्य सभी उधार लागतें राजस्व के रूप में प्रभारित की जाती हैं.

Borrowing costs attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalised as part of the cost of such assets. A qualifying asset is one that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. All other borrowing costs are charged to revenue.

इ. आईडीबीआई असेट मैनजमेंट लिमिटेड के मामले में

C. In case of IDBI Asset Management Limited

अर्हकारी आस्तियों के अधिग्रहण या निर्माण से संबंधित उधार लागत को जब तक ऐसी आस्तियां अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार होती है तब तक आस्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है. अन्य सभी उधार लागतों का व्यय के रूप में उस अवधि में किया जाता है, जिसमें वे

Borrowing costs attributable to the acquisition or construction of qualifying assets, till the time such assets are ready for intended use are capitalised as part of cost of Assets. All other borrowing cost are expensed in the period they occur.

ई. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में

D. In case of IDBI Capital Markets and Securities Limited

उधार लागत में ब्याज शामिल है. ब्याज व्यय बकाया मूलधन के संदर्भ में और लागू ब्याज दर द्वारा समय के आधार पर उपचित होते हैं. ब्याज को सुसंगत अवधि में व्यय के रूप में परिशोधित किया जाता है.

Borrowing cost includes interest. Interest expenses are accrued on a time basis, by a reference to the principal outstanding and at the interest rate applicable. The interest is amortised as an expense over the relevant period.

25 नकद और नकदी समतुल्य / Cash & Cash equivalents

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में

A. In case of IDBI bank Limited

नकद और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, रिजर्व बैंक के पास शेष, अन्य बैंकों के साथ शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल हैं. Cash and cash equivalents include cash in hand, balances with the RBI, balances with other banks and money at call and short notice.



आ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में

B. In case of IDBI Intech Limited

कंपनी सभी अत्यधिक तरल वित्तीय लिखतों को शामिल करती है, जो नकदी की ज्ञात राशि में तत्काल परिवर्तनीय हैं और मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन है और समापन की तारीख से बारह महीने के भीतर परिपक्व होने वाली जमाराशियों को नकदी समतुल्य माना जाता है. नकद और नकदी समतुल्यों में बैंकों में शेष राशि शामिल है, जो आहरण और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है.

The company considers all highly liquid financial instruments, which are readily convertible in to known amounts of cash that are subject to an insignificant risk of change in value and the deposits maturing within Twelve Months from the closing date are considered to be Cash equivalents. Cash and Cash equivalents consists of balances with banks, which are unrestricted for withdrawal and usage.

इ. आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कं. लि. के मामले में

C. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Co. Limited

नकद में हाथ में नकदी और बैंकों में मांग जमाराशियां शामिल हैं. नकदी समतुल्य अल्पावधि शेष हैं (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल जमाराशियां जो तत्काल नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तित हो जाती हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन होती हैं.

Cash comprises cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short term balances (with an Original Maturity of Three months or less from the date of acquisition), Highly liquid deposits that are readily converted in to known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

ई. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में

D. In case of IDBI Asset Management Limited

नकद और नकदी समतुल्य में नकद और बैंकों में चालू खातों में शेष शामिल हैं. कंपनी तीन महीने या उससे कम की खरीद की तारीख को शेष परिपक्वता वाले सभी अत्यधिक तरल निवेशों को शामिल करती है और जो नकदी समतुल्य होने के लिए तत्काल नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तित हो जाते हैं.

Cash and Cash equivalents comprises of cash and current account balances with banks. The company considers all highly liquid investments with a remaining maturity at the date of purchase of Three months or less and that are readily converted in to known amounts of cash to be cash equivalents

26 कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व / Corporate Social Responsibility

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए किये गये व्यय को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है.

Expenditure towards corporate social responsibility, in accordance with Companies Act, 2013, is recognized in the Profit and Loss Account.

27 नकदो प्रवाह विवरण / Cash Flow Statement

अ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में

A. In case of IDBI Capital Markets and Securities Limited

नकदी प्रवाह विवरण, नकदी प्रवाह विवरणों से संबंधित लेखांकन मानक 3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि द्वारा तैयार किया जाता है और यह कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों द्वारा नकदी प्रवाह को प्रस्तृत करता है.

The Cash Flow Statement is prepared by the indirect method set out in Accounting Standard 3 on Cash Flow Statements and presents the cash flows by operating, investing and financing activities of the Company.

नकदी प्रवाह विवरण में दर्शाये गए नकद और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी और बैंकों में मांग जमाराशियां शामिल हैं.

Cash and Cash equivalents presented in the Cash Flow Statement consist of cash on hand and demand deposits with banks.

आ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में

B. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

नकदी प्रवाह विवरण (एएस-3) से संबंधित लेखांकन मानक में वर्णित "अप्रत्यक्ष पद्धति" के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण तैयार किए जाते हैं. कंपनी के नियमित राजस्व सुजन, वित्तपोषण और निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह को अलग-अलग किया जाता है.

Cash flow statements are prepared in accordance with "Indirect method" as explained in accounting standard on Cash flow statement (AS-3). The cash flows from regular revenue generating, financing and investing activities of the company are segregated.

इ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले

C. In case of IDBI Asset Management Limited

नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष विधि के प्रयोग द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं, जिससे गैर नकदी प्रकृति के लेनदेनों के प्रभाव, नकदी प्राप्ति या भुगतान के भूत या भविष्य में परिचालित किसी आस्थगन या उपचय और निवेश या वित्तीय नकद प्रवाहों से जुड़े आय या व्ययों के मद के लिए कर पूर्व निवल लाभ को समायोजित किया जाता है. कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह को अलग-अलग किया जाता है.

Cash Flows are reported using indirect method whereby net profits before tax is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature, any deferrals or accruals of past or future operating cash receipts or payments and item of income or expenses associated with investing or financing cash flows. The cash flows from operating, investing and financing activities of the company are segregated.

ई. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में

D. In case of IDBI MF Trustee Company Limited

नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष विधि के प्रयोग द्वारा रिपोर्ट किये जाते हैं, जिससे गैर नकदी प्रकृति के लेनदेनों के प्रभाव और नकदी प्राप्ति या भुगतान के भूत या भविष्य के किसी आस्थगन या उपचय के लिए असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि) को समायोजित किया जाता है. कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह को उपलब्ध सचना के आधार पर अलग-अलग किया जाता है.

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit/ (loss) before extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.



अनुसूची 18 - समेकित लेखा टिप्पणियां SCHEDULE 18 - NOTES TO CONSOLIDATED ACCOUNTS

- 1. अवधि के लिए निवल लाभ अथवा हानि, पूर्वाविध मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन (एएस-5)
 Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5)
 - 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि आय/ व्यय मदें नहीं थी. .
 - There were no material prior period income/ expenditure items for the year ended March 31, 2025 and March 31, 2024.
 - बैंक द्वारा निवेश और डेरिवेटिव के वर्गीकरण और मापन को छोड़कर, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. बैंक ने निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के बारे में 12 सितंबर 2023 को जारी रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश ('रिजर्व बैंक निवेश निर्देश 2023') में दिये गये विवरण के अनुसार 1 अप्रैल 2024 से संशोधित ढांचे को अपनाया है.
 - There is no change in significant accounting policies adopted during the year ended March 31, 2025 as compared to those followed in the previous financial year except for classification and measurement of investments and derivatives by the bank. With effect from April 1, 2024, the Bank has adopted the revised framework as detailed in RBI Master Direction on Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio issued on September 12, 2023 ('RBI Investment Directions 2023).
- 2. अचल आस्तियां (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण) (एएस-10) Fixed Assets (Property, Plant & Equipments) (AS-10)
 - (i) वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान बैंक ने स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर लीजहोल्ड/फ्रीहोल्ड भूमि और आवासीय/कार्यालय भवनों सहित अपने परिसर का पुनर्मूल्यांकन किया था, जिसमें बट्टाकृत नकदी प्रवाह, लागत दृष्टिकोण विधि, तुलनीय बिक्री विधि जैसी पद्धतियों का उपयोग किया गया था.
 - During the FY 2025, the Bank had re-valued its Premises including leasehold / Freehold Lands & Residential/ Office buildings based on valuations made by Independent Valuer, using methodologies such as discounted cash flow, cost approach method, comparable sales method.
 - (ii) पुनर्मूल्यांकन की प्रभावी तारीख 1 मार्च 2025 है और 31 मार्च 2025 को पूनर्मूल्यन रिजर्व में शेष ₹ 10,512 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7,933 करोड़) है. Effective date of the revaluation is 1st March 2025 and the balance in Revaluation Reserve as at March 31, 2025 is ₹ 10,512 Crore (Previous year ₹ 7,933 Crore).
 - (iii) वर्ष के दौरान आवासीय / कार्यालय भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री के कारण ₹ 2 करोड़ (पिछले वर्षः निवल लाभ ₹ 83 करोड़) की निवल हानि हुई है जिसे अनुसुची 14 - अन्य आय में शामिल किया गया है.
 - Net loss amounting to ₹ 2 Crore (Previous year: Net Profit ₹ 83 crore) on account of sale of residential / office buildings and other assets during the year is included in Schedule 14 Other Income.
 - (iv) पुनर्मूल्यन रिजर्व लाभांश के वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है. Revaluation reserve is not available for distribution of dividends.
 - (v) बैंक 31 मार्च 2025 को ₹ 24 करोड़ के रखाव मूल्य वाली 7 संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व को नियमित करने की प्रक्रिया में है. तदनुसार, इन संपत्तियों के लिए, बहियों में पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है.
 - The Bank is in process of regularizing the title in respect of 7 properties having carrying value of ₹ 24 crore as on March 31, 2025. Accordingly, for these properties, the impact of revaluation is not considered in the books.
 - (vi) उचित मूल्य की गणना के लिए पुनर्मूल्यांकन पूर्णतः अवलोकनीय कीमतों के आधार पर किया गया था.

 The revaluation was done entirely by taking reference to the observable prices to arrive at the fair value.
 - (vii) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने अपनी अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है. पुनर्मूल्यांकन के कारण संपत्तियों के रखाव मूल्य में ₹ 2855 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसे सीधे पुनर्मूल्यन रिजर्व में जमा कर दिया गया है. इसी प्रकार, पहले अवमूल्यित कुछ संपत्तियों के रखाव मूल्य में ₹ 6 करोड़ की वृद्धि को लाभ और हानि खाते में जमा किया गया है.
 - During FY 2024-25, the Bank has revalued its immovable properties. An increase of ₹ 2855 crore in carrying value of properties, arising on account of revaluation has been credited directly to the Revaluation Reserve. Similarly, a increase of ₹ 6 crore in the carrying value of certain properties earlier devalued has been credited to profit and loss account.

3. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित) / EMPLOYEE BENEFITS (AS-15) (REVISED)

कर्मचारी लाभ योजना Employee Benefit Schemes

।. निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं / Defined Contribution Schemes

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लाभ-हानि खाते में भविष्य निधि में अंशदान के लिए निर्धारित और शामिल राशि The amount recognized and included for Contribution to Provident Fund in Profit and Loss Account in FY 24-25

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

संस्था	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
Entity	FY 2024-25	FY 2023-24
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड / IDBI Bank Ltd	7.00	6.00
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड / IDBI Asset Management Limited	0.02	0.14
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड	1.00	1.00
IDBI Capital Market & Securities Limited		
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड / IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.35	0.31
आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड / IDBI Intech Limited	5.00	6.00

क) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में :

a) In case of IDBI Bank Limited:

(i) भविष्य निधि

Provident Fund

31 मार्च 2008 से पूर्व बैंक में सेवा ग्रहण करने वाले कर्मचारियों, पेंशन का विकल्प चुनने वाले को छोड़कर, को भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत कवर किया गया है. बैंक मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भविष्य निधि योजना में निर्दिष्ट अंशदान करता है. भविष्य निधि योजना का प्रबंधन आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि न्यास (न्यास) के ट्रस्टी बोर्ड द्वारा किया जाता है. आईडीबीआई होम फ़ाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) और आईडीबीआई गिल्टस लिमिटेड (आईजीएल) के कर्मचारियों के संदर्भ में मई 2011 तक भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किया गया था और इसके बाद अंशदान उक्त उल्लिखित निधि में किया गया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹ 6 करोड़) पीएफएस में अंशदान किया गया है और लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है. .

The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is managed by "The Board of Trustees of IDBI Bank Employees' Provident Fund Trust (Trust)". In respect of employees of IDBI Home Finance Limited (IHFL) and IDBI Gilts Limited (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made to the aforementioned Fund. During the FY 2024-25 ₹ 7 crore (Previous FY 2023-24 ₹ 6 crore) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account.

(ii) नई पेंशन योजना

New Pension Scheme

1 अप्रैल 2008 के बाद बैंक में नियुक्त कर्मचारियों को आईडीबीआई बैंक लि. की नई पेंशन योजना (आईबीएलएनपीएस) के अंतर्गत कवर किया गया है जिसमें बैंक वेतन और महंगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप मे अंशदान करता है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आईबीएलएनपीएस में ₹ 228 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹ 199 करोड़) का अंशदान किया गया है और लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by IDBI Bank Ltd. New Pension Scheme (IBLNPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the FY 2024-25, ₹ 228 crore (Previous FY 2023-24 ₹199 crore) has been contributed to IBLNPS and charged to Profit and Loss Account.



ख) आईडीबीआई ट्स्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के मामले में:

b) In case of IDBI Trusteeship Services Ltd:

स्थानीय विनियमनों के अनुसार कंपनी सार्वजनिक रूप से प्रशासित भविष्य निधियों में भविष्य निधि के अंशदान का भुगतान करती है. एक बार अंशदान का भुगतान कर दिए जाने के बाद कंपनी का और कोई भुगतान दायित्व नहीं है. अंशदानों को निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं के रूप में माना जाता है और अंशदानों को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में दिखाया जाता है जब वे उपगत किए जाते हैं. प्रीपेड अंशदान को उस सीमा तक आस्ति के रूप में माना जाता है, जहां तक नकद वापसी या भविष्य के भुगतानों में कमी उपलब्ध है. वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 0.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.31 करोड़) भविष्य निधि में अंशदान के लिए व्यय की पहचान की है.

The Company pays provident fund contributions to publicly administered provident funds as per local regulations. The Company has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions are accounted for as defined contribution plans and the contributions are recognized as employee benefit expenses when they are incurred. Prepaid contributions are recognized as an asset to the extent that a cash refund or a reduction in the future payments is available. During the year, the company has recognized expense towards contributions to provident fund for ₹ 0.35 Crore (Previous year ₹ 0.31 Crore).

ग) आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में

c) In case of IDBI Intech Limited

कर्मचारी और कंपनी दोनों ही योजना में शामिल कर्मचारियों के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर राशि भविष्य निधि योजना में मासिक आधार पर अंशदान करते हैं. कंपनी के उन कर्मचारियों के मामले में जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ़ओ) के पास पंजीकृत हैं और जिनके पास यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरपीवाई) के दिशानिर्देशों के अधीन नए कर्मचारियों के संबंध में भारत सरकार ने ईपीएफ़ और ईपीएस दोनों में नियोक्ता के पूर्ण अंशदान का भुगतान किया है. शेष कर्मचारियों के लिए और सभी कर्मचारियों के संबंध में सम्पूर्ण अंशदान सरकार द्वारा अभिशासित कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि में किया जाता है. लाभार्थियों को प्रति वर्ष देय ब्याज के बारे में सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है. वर्ष के दौरान, कंपनी ने भविष्य निधि में अंशदान के लिए ₹ 5 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6 करोड़) का व्यय निर्धारित किया है. Both the employees and the Company make monthly contributions to the Provident Fund Plan equal to a specified percentage of the covered employee's salary. In case of Company's employees enrolled with the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) having Universal Account Number (UAN), the Government of India had paid the full employer's contribution to both EPF and EPS in respect of new employees under the guidelines of Pradhan Mantri Rojgar Yojana (PMRPY). For the remaining employees and the entire contribution in respect of all employees is contributed to the Government administered Employee Provident and Pension Fund. The interest rate payable to the beneficiaries every year is being notified by the Government. During the year, the Company has recognized expenses towards contributions to provident fund for ₹ 5 Crore, (Previous year ₹ 6 Crore).

घ) आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स और सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में

d) In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

कंपनी की भारत में भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि के रूप में रोजगार के बाद के लाभों के लिए निर्दिध्ट अंशदान योजनाएं हैं जो भारत सरकार और/या भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रशासित होती हैं. अंशदान उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है जब संबंधित निधियों में अंशदान देय होता है. वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 1 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1 करोड़) के भविष्य निधि में अंशदान के लिए व्यय निर्धारित किया है.

The Company has defined contribution plans for post-employment benefits in the form of provident fund and superannuation fund in India which are administered through Government of India and/or Life Insurance Corporation of India (LIC). Contributions are charged to the Profit & Loss Account of the year when the contributions to the respective funds are due. During the year, the company has recognized expense towards contributions to provident fund for ₹ 1 Crore (Previous year ₹ 1 Crore).

ङ) आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में

e) In case of IDBI Asset Management Limited

वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 0.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.14 करोड़) के भविष्य निधि में योगदान के लिए व्यय निर्धारित किया है. . During the year, the company has recognized expense towards contributions to provident fund for ₹ 0.02 Crore (Previous year ₹ 0.14 Crore).

II. निर्दिष्ट लाभ योजनाएं / Defined Benefit Schemes

क) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में

a) In case of IDBI Bank Limited

- (i) बैंक 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट' में कर्मचारियों के ग्रेच्युटी दायित्व के लिए अंशदान करता है. The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'
- (ii) बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के लिए भी पात्र हैं जो 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा संचालित होती है. Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'
- (iii) इन निर्दिष्ट लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागतों की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करते हुए की जाती है. The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.

ख) आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में

b) In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

कंपनी की एक निर्दिष्ट लाभ ग्रेच्युटी योजना है. प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या इससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, उसे सेवा-मुक्त होते समय सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (अंतिम आहरित वेतन) की ग्रेच्युटी मिलती है जो अधिकतम ₹ 0.20 करोड़ के अधीन है.

The Company has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has completed five years or more of service gets a gratuity on departure at 15 days salary (last drawn salary) for each completed year of service subject to a maximum of ₹ 0.20 crore.

ग) आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में

c) In case of IDBI Asset Management Limited

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार कंपनी सभी कर्मचारियों को कवर करने वाली निर्दिष्ट लाभ सेवानिवृत्ति योजना के रूप में ग्रेच्युटी का प्रावधान करती है. संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी में उसके नियोजन के वर्षों के आधार पर निहित कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या सेवा समापन पर एकमश्त राशि दी जाती है.

In accordance with Payment of Gratuity Act, 1972, the Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering all employees. The plan provides a lump sum payment to vested employees at retirement or termination of employment based on the respective employee's salary and the years of employment with the Company.

ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियंत्रित तथा प्रबंधित ग्रेच्युटी निधि के जरिए प्रदान किया जाता है. इन निधियों में वार्षिक अंशदान तथा प्रावधान बीमांकिक मुल्यांकन के आधार पर किया जाता है.

The gratuity and leave encashment benefit are provided through a Gratuity Fund administrated and managed by the Life Insurance Corporation of India. The annual contributions to these funds and provision is made on the basis of actuarial valuation done.

घ) आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले

d) In case of IDBI Intech Limited

कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा प्रशासित कर्मचारी समूह उपदान बीमा योजना में वार्षिक अंशदान करती है जो अर्हताप्राप्त कर्मचारियों के लिए एक निधिक निर्दिष्ट लाभ योजना है. इस योजना में पूरे किए गए सेवा वर्षों या छह माह से अधिक के हिस्से के लिए निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, रोजगार के दौरान मृत्यु या सेवा की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान करने का प्रावधान है. निहित लाभ पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने पर मिलता है.

The company makes annual contribution to the Employee's Group Gratuity Assurance Scheme, administered by the Life Insurance Corporation of India (LIC), a funded defined benefit plan for qualifying employees. The scheme provides for lump sum payment to vested employees at retirement, death while in employment or on termination of employment based on completed years of service or part thereof in excess of six months. Vesting occurs on completion of five years of continuous service.



ङ) आईडीबीआई टस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में

e) In case of IDBI Trusteeship Services Limited

निर्दिष्ट लाभ ग्रेच्युटी योजनाओं के संबंध में तुलन पत्र में देयता या आस्ति, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्दिष्ट लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में से योजना की आस्तियों का उचित मूल्य घटा कर दिखाई जाती है. प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके बीमांककों द्वारा निर्दिष्ट लाभ दायित्व की गणना वार्षिक रूप से की जाती है.

The liability or asset recognised in the balance sheet in respect of defined benefit gratuity plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of the plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by actuaries using projected unit credit method.

भारतीय स्पये में मूल्यवर्गित निर्दिष्ट लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह की भुनाई कर निर्धारित किया जाता है, जिसकी शर्तें संबंद्ध दायित्व की शर्तों के लगभग अनुरूप हैं.

The present value of the defined benefit obligation denominated in INR is determined by discounting the estimated future cash outflows by reference to market yields at the end of the reporting period on government bonds that have terms approximating to the terms of the related obligation.

निवल ब्याज लागत की गणना निर्दिष्ट लाभ दायित्व के निवल शेष तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य पर बट्टा दर लागू करके की जाती है. यह लागत लाभ और हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल की जाती है.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expenses in the statement of profit and loss.

योजना में संशोधन या कटौती के परिणामस्वरूप निर्दिष्ट लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को पिछली सेवा लागत के रूप में तत्काल लाभ या हानि के रूप में दर्शाया जाता है.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognized immediately in profit or loss as past service cost.

निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और 31 मार्च 2025 को समूह के वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशियों की स्थिति प्रस्तुत करती है जो एएस - 15 (संशोधित) के अनुसार है.

The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognized in the Group's financial statements as at March 31, 2025 which is as per AS-15 (Revised).

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

					9 177 (1 0.0.0)	
	विवरण Particulars	पेंशन यथा Pension As at	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at	पेंशन यथा Pension As at	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at	
		31 मार्च 2025 March 31, 2025			31 मार्च 2024 March 31, 2024	
क) a)	लाभ दायित्वों में परिवर्तन: Change in benefit obligations:					
	वर्ष के प्रारम्भ में अनुमानित लाभ दायित्व # Projected benefit obligation beginning of the year #	4,246	1,050	3,793	985	
	ब्याज लागत / Interest cost	307	76	285	74	
	चालू सेवा लागत / Current Service cost	47	34	44	33	
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान हुई पिछली सेवा में उपगत लागत (निहत लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	-	-	-	-	
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(265)	(76)	(226)	(88)	

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

				(१ फरा	5 H)/(K In Crore)
	विवरण Portionless	पेंशन यथा Pension As at	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at	पेंशन यथा Pension As at	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at
Particulars		31 माच	\$\frac{1}{2025}\$ \$1, 2025	31 मार	र्ज 2024 31, 2024
	जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (gain)/ loss due to change in Demographic assumptions	10	32	-	-
	वित्तीय अवधारणाओं में बदलाव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions	89	41	124	28
	अनुभव के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience	103	5	226	18
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ / दायित्व Projected benefit/obligation, end of the year	4,537	1,162	4,246	1,050
ख) b)	योजना आस्तियों में परिवर्तन : Change in plan assets:				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य # Fair value of plan assets, beginning of the year #	4,083	1,078	3,900	1,079
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ Expected return on plan assets	296	78	293	81
	नियोक्ता का अंशदान Employer's contributions	422	56	26	3
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(265)	(76)	(226)	(88)
	बीमांकिक लाभ / (हानि) / Actuarial gain / (loss)	76	12	90	3
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	4,612	1,148	4,083	1,078



(₹	करोड़	में)	/ (₹	in	Crore)

					9 177 (1 11 01010)
	विवरण Particulars	पेंशन यथा Pension As at	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at	पेंशन यथा Pension As at	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at
			र्च 2025 31, 2025		र्च 2024 31, 2024
ग) c)	दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets				
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at the end of the year	4,537	1,162	4,246	1,050
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets at end of the year	4,612	1,148	4,083	1,078
	तुलन-पत्र में दर्शाई गई निवल (देयता)/ आस्ति Net (Liability)/Asset Recognized in the Balance Sheet	75	(14)	(163)	28
घ) d)	लाभ और हानि खाते में दर्शाए गए व्यय Expenses Recognised in Profit &Loss Account				
	सेवा लागत / Service cost	47	34	44	33
	ब्याज लागत / Interest cost	12	76	285	74
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ Expected return on plan assets	-	(77)	(293)	(80)
	निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि Net Actuarial (gain)/ loss	125	65	260	43
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान स्वीकार की गई पिछली सेवा में उपगत लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	-	-	-	-
	वर्ष के लिए लाभ-हानि की वास्तविक लागत Actual cost to P & L for the year	184	98	296	70

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

			(र कराड़ म) / (र in Cro		
	विवरण Particulars	पेंशन यथा Pension As at	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at	पेंशन यथा Pension As at	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at
			र्च 2025 31, 2025	31 मार March 3	
ङ) e)	आस्तियों की श्रेणी Category of Assets				
	सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	682	-	549	-
	कॉरपोरेट बांड/ Corporate Bonds	1,024	-	1,034	-
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां Insurer Managed Funds	2,586	1,148	2,189	1,021
	नकद और नकदी समतुल्य Cash and Cash equivalents	-	-	_	
	अन्य / Others	320	-	311	58
	कुल / Total	4,612	1,148	4,083	1,078
च) f)	अगले वर्ष में प्रत्याशित अंशदान Expected contribution in next year	-	45	106	5
छ) g)	लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं Assumptions used in accounting				
	बट्टा दर / Discount rate	7.05%	6.54% से 7.07% तक From 6.54 % to 7.07%	7.24%	7.14 % से 7.22% तक From 7.14 % to 7.22%
	योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर Rate of return on plan assets	7.05%	6.54 % से 7.07% तक From 6.54 % to 7.07%	7.24%	7.17 % से 7.22% तक From 7.17 % to 7.22%
	वेतन वृद्धि दर Salary escalation rate	5.75%	5% से 10% तक From 5% to 10%	5.75%	5% से 10% तक From 5% to 10%



(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी
	यथा	यथा	यथा	यथा
विवरण	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Particulars	As at	As at	As at	As at
	31 माच	f 2025	31 मार्च	f 2024
	March 3	31, 2025	March 3	31, 2024
नौकरी छोड़ने की दर	4 वर्ष और उससे	4 वर्ष से कम सेवा	4 वर्ष और उससे	5 वर्ष से कम सेवा
Attrition Rate	कम सेवा के लिए	के लिए 3.60%	कम सेवा के लिए	के लिए 3.60%
	6.00% प्रति वर्ष.	तथा उसके बाद	3.60% प्रतिवर्ष	तथा उसके बाद
	5 वर्ष और उससे	2.49%	तथा उसके बाद	2.49%
	अधिक सेवा के लिए	3.60% for	2.49%	3.60% for
	3.00% प्रतिवर्ष	service less	3.60% p.a.	service less
	For service	than 4 years and 2.49%	for 4 years and	than 5 years and 2.49%
	4 years and	thereafter	below service and 2.49%	thereafter
	below 6.00% p.a. For service	11.0.04.10.	thereafter	1101001101
	5 years and			
	above 3.00%			
	p.a			
	भारतीय आश्वासित	रोजगार के दौरान	भारतीय आश्वासित	भारतीय आश्वासित
Mortality Rate	जीवन मृत्यु दर	भारतीय आश्वासित	जीवन मृत्यु दर	जीवन मृत्यु दर
	2012-14	जीवन मृत्यु	2012-14	2012-14
	(शहरी) रोजगार	दर 2012-14	(शहरी)	(शहरी)
	के बाद भारतीय	(शहरी) रोजगार	Indian Assured	Indian Assured
	व्यक्तिगत एएमटी	के बाद भारतीय	Lives Mortality	Lives Mortality
	(2012-15)	व्यक्तिगत एएमटी	2012-14 (Urban).	2012-14 (Urban)
	Indian Assured	(2012-15)	(Orbari).	(Orbari)
	Lives Mortality	During		
	2012-14 (Urban)After	Employment		
	Employment	Indian Assured Lives Mortality		
	Indian	2012-14		
	Individual AMT	(Urban) After		
	(2012-15)	Employment		
		Indian		
		Individual AMT		
		(2012-15)		

विवरण	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन	
Particulars	यथा	यथा	यथा	यथा
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2024
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
	As at March 31, 2025	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024	As at March 31, 2024
 नौकरी छोडने	4 वर्ष और उससे कम सेवा के	4 वर्ष और उससे कम सेवा के		4 वर्ष से कम सेवा के लिए
नापारा छाङ्ग की दर	लिए 6.00% प्रति वर्ष. 5 वर्ष	लिए 6.00% प्रति वर्ष. 5 वर्ष	लिए 3.60% प्रति वर्ष. 5 वर्ष	3.60% तथा उसके बाद
Attrition Rate	और उससे अधिक की सेवा के	और उससे अधिक की सेवा के		2.49%
	लिए 3.00% प्रतिवर्ष	लिए 3.00% प्रतिवर्ष	लिए 2.49% प्रतिवर्ष	3.60% for service less
	For service 4 years and	For service 4 years and		than 4 years and 2.49% thereafter
	below 6.00% p.a. For service 5 years and	below 6.00% p.a. For service 5 years and	below 3.60% p.a. For service 5 years and	lilerealter
	above 3.00% p.a	above 3.00% p.a	above 2.49% p.a	
मृत्यु दर	रोजगार के दौरान भारतीय	भारतीय आश्वासित जीवन	रोजगार के दौरान भारतीय	भारतीय आश्वासित जीवन
Mortality Rate	आश्वासित जीवन मृत्यु दर	मृत्यु दर 2012-14 (शहरी)	आश्वासित जीवन मृत्यु दर	मृत्यु दर 2012-14 (शहरी)
	2012-14 (शहरी) रोजगार	Indian Assured Lives Mortality 2012-14	2012-14 (शहरी) रोजगार	Indian Assured Lives Mortality 2012-14
	के बाद भारतीय व्यक्तिगत	Mortality 2012-14 (Urban)	के बाद भारतीय व्यक्तिगत	Mortality 2012-14 (Urban)
	एएमटी (2012-15)	(Orban)	एएमटी (2012-15)	(Orbari)
	During Employment Indian Assured Lives		During Employment Indian Assured Lives	
	Mortality 2012-		Mortality 2012-	
	14 (Urban) After		14 (Urban) After	
	Employment Indian		Employment Indian	
	Individual AMT (2012- 15)		Individual AMT (2012- 15)	

बीमांकिक मूल्यांकन में भावी वेतन आय वृद्धि के आकलन में मुद्रास्फीति, विरष्ठता, पदोन्नित और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है. The estimates of future salary income increases considered in the actuarial valuation takes into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors.

योजना आस्तियों को सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त प्रतिफल वक्र के आधार पर बाजार मूल्य पर चिन्हित किया जाता है. अतः प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर को छट दर के समान रखा गया है.

The Plan assets are marked to market on the basis of the yield curve derived from government securities. Hence, the expected rate of return has been kept the same as the discount rate.

अनुभव समायोजन / Experience Adjustments

i. ग्रीच्युटी योजना / Gratuity Plan

(₹ करोड में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021
निर्दिष्ट लाभ दायित्व Defined benefit obligation	1,162	1,050	985	973	952
योजना आस्तियां / Plan assets	1,148	1,078	1,079	1,038	1,017
अधिशेष/(घाटा) / Surplus/(deficit)	(14)	28	94	64	65



विवरण Particulars	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments On plan liabilities [Gain / (Loss)]	5	(18)	(16)	(23)	(14)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments On plan assets [Gain / (Loss)]	13	3	3	13	(0.18)

पेंशन योजना / Pension Plan

(₹ करोड में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021
निर्दिष्ट लाभ दायित्व Defined benefit obligation	4,537	4,246	3,793	3,619	3,190
योजना आस्तियां / Plan assets	4,612	4,083	3,900	3,821	3,092
अधिशेष/(घाटा) / Surplus/(deficit)	75	(163)	107	201	(98)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments On plan liabilities [Gain / (Loss)]	103	(227)	171	(245)	15
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन [लाभ/हानि] Experience adjustments On plan assets [Gain / (Loss)]	77	90	(43)	154	41

अन्य दीर्घावधि लाभ

Other Long Term benefits

छुट्टी नकदीकरण/ बीमारी छुट्टी/विशेष बीमारी छुट्टी / Leave Encashment/Sick Leave/Special Sick Leave

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
Particulars	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
	Year ended	Year ended
	March 31, 2025	March 31, 2024
कुल बीमांकिक देयता / Total Actuarial Liability	1,396	915
धारणाएं / Assumptions		
छूट की दर / Discount Rate	6.54% से 7.07% तक	7.14% से 7.22% तक
of the Constitution	From 6.54% to	From 7.14% to
	7.07%	7.22%
वेतन वृद्धि दर / Salary Escalation Rate	5% से 10% तक	<u>5% से 10% तक</u>
The state of the s	From 5% to 10%	From 5% to 10%

2. स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना / Voluntary Health Scheme

(₹ करोड में) / (₹ in Crore)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
Particulars	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
	Year ended	Year ended
	March 31, 2025	March 31, 2024
कुल बीमांकिक देयता / Total Actuarial Liability	65	61
धारणाएं / Assumptions		
छूट की दर / Discount Rate	7.05%	7.24%

3. छुट्टी किराया रियायत

Leave Fare Concession

बैंक ने अप्रयुक्त छुट्टी किराया रियायत के लिए ₹ 4 करोड़ का प्रावधान किया था. प्रावधान का निर्धारण 6.54% की छूट दर और 4% की लागत वृद्धि दर का उपयोग करके बीमांकिक रूप से किया गया था.

The Bank had made a provision towards unutilised Leave Fare Concession amounting to ₹ 4 Crores. The provision was determined actuarially using a Discount Rate of 6.54% and Cost Escalation Rate of 4%.

4. परिवर्ती वेतन

Variable Pay

परिवर्ती वेतन का भुगतान अर्थात नकद घटक (यदि ₹ 25 लाख से अधिक है) और ईएसओपी घटक के बदले नकद भुगतान को क्रमशः 3 और 4 वर्षों की अविध में स्थिगित और किस्तों में भुगतान किया जाता है.

The payment of variable pay viz. cash component (if more than ₹ 25 lakh) and cash in lieu of ESOPs component deffered and paid in tranches over a period of 3 and 4 years respectively.

इस आस्थिगित भुगतान का 6.54% की छूट दर का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है और 31 मार्च 2025 को दायित्व का कुल मूल्य ₹ 81 करोड़ है.

This deferred payment is actuarially valued using a discount rate of 6.54% and the total value of the obligation as on March 31, 2025 is ₹81 crore.

5. बैंक के कर्मचारी विकलांगता सहायता के लिए पात्र हैं जो कि दिव्यांगता की घटना होने पर बैंक द्वारा वहन की जाती है. Employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.

6. भविष्य निधि

Provident Fund

एएस15, कर्मचारी लाभ पर मार्गदर्शन नोट में वर्णन किया गया है कि नियोक्ता द्वारा स्थापित भविष्य निधि, जहां ब्याज की गारंटी है, को निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के रूप में माना जाये और दायित्व का मूल्यांकन किया जाये. इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया (आईएआई) ने छूट प्राप्त भविष्य निधियों पर गारंटीकृत ब्याज दर के मूल्यांकन पर एक मार्गदर्शन नोट जारी किया है. बीमांकक ने तदनुसार इसका मूल्यांकन किया है और बैंक ने गारंटीकृत ब्याज लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के लिए 31 मार्च 2025 को शून्य [पिछले वर्ष शून्य] का प्रावधान रखा है. बीमांकक ने मार्गदर्शन नोट द्वारा निर्धारित नियतात्मक दृष्टिकोण का पालन किया है.

The guidance note on AS15, Employee Benefits, states that Employer established Provident Funds, where interest is guaranteed are to be considered as defined benefit plans and the liability has to be valued. The Institute of Actuaries of India (IAI) has issued a guidance note on valuation of interest rate guaranteed on exempt provident funds. The actuary has accordingly valued the same and the Bank held provision of NIL as on March 31, 2025. [Previous year NIL], towards the present value of the guaranteed interest benefit obligation. The actuary has followed the deterministic approach as prescribed by the guidance note.

(₹ करोड में) / (₹ in Crore)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
Particulars	March 31, 2025	March 31, 2024
छूट की दर (भारत सरकार की प्रतिभूति से प्रतिफल)	6.82%	7.21%
Discount rate (GoI Security Yield)		
अपेक्षित गारंटीकृत ब्याज दर	8.25%	8.25%
Expected Guaranteed Interest Rate		



4. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17) / SEGMENT REPORTING (AS-17)

बैंक मुख्यतः निम्नलिखित तीन कारोबारी खंडों में परिचालन करता है : The Bank primarily operates in three business segments as under:

i)	ट्रेजरी / Treasury	ट्रेजरी परिचालन में सभी निवेश, मुद्रा बाजार परिचालन, डेरिवेटिव सौदे, प्रोप्राइटरी खातों में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं. Treasury operations include all investments, money market operations, derivative trading, and foreign exchange operations on the proprietary account and for customers.
ii)	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	खुदरा बैंकिंग में मोटे तौर पर ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो मुख्य रूप से वैयक्तिक और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार सिहत लघु कारोबार उन्मुख हैं. खुदरा बैंकिंग में भुगतान एवं वैकित्पिक चैनल जैसे एटीएम, पीओएस मशीनें, इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रावेल/ करेंसी कार्ड और लेनदेन बैंकिंग सेवाएं भी शामिल हैं. Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented towards individuals & small business including Priority sector lending. Retail Banking also encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, internet Banking, mobile Banking, credit cards, debit cards, travel/currency cards, and transaction Banking services.
iii)	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking	इसमें खुदरा के अलावा जमा एवं ऋण कार्यकलाप सिंहत कॉरपोरेट संबंध शामिल हैं. इसमें कॉरपोरेट सलाहकारी/ समूहन, परियोजना मूल्यांकन भी शामिल हैं. कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग खंड में परिणाम, राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों संबंधी नियोजित पूंजी शामिल की जाती हैं. Includes corporate relationship covering deposit & credit activities other than retail. It also covers corporate advisory / syndication, project appraisal. Results, revenue and capital employed of international operations are included in Corporate/Wholesale Banking segment.
iv)	अविनिधानित / Unallocated	इसमें प्रावधान घटाकर अग्रिम प्रदत्त कर, आस्थिगित कर और संस्था स्तर पर गणना किये गये प्रावधानों जैसी मदें शामिल हैं. Includes items such as tax paid in advance net of provision, deferred tax and provisions to the extent reckoned at the entity level.

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समे	कित खंड सूचना	
	Consolidated Segment Information for the ye		
क .	विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सं.	Particulars	March 31, 2025	March 31, 2024
Sr.			
No.			
क.	खंड राजस्व		
a.	Segment Revenue		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	8,659	8,364
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	34,368	30,507
	ट्रेजरी / Treasury	14,391	13,362
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	474	587
	अविनिधानित / Unallocated	819	88
	कुल / Total	58,711	52,908
	घटाएं :- अंतर-खंड राजस्व / Less :- Inter-segment revenue	24,653	22,537
	निवल खंड राजस्व / Net Segment Revenue	34,058	30,371
ख.	खंड परिणाम - कर पूर्व लाभ/ (हानि)		
b.	Segment Results -Profit/(loss) before tax		

			करोड़ में) / (₹ in Crore)
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स	मेकित खंड सूचना	
	Consolidated Segment Information for the y	<u> </u>	
क्र.	विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सं.	Particulars	March 31, 2025	March 31, 2024
Sr. No.			
NO.	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	2,255	3.428
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	5,126	2,411
	ट्रेजरी / Treasury	2,311	2,179
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	201	286
	अविनिधानित / Unallocated	819	88
	कर पूर्व लाभ/ (हानि) / Profit/(Loss) before tax	10,712	8,392
	आय कर / Income taxes	3,081	2,604
	निवल लाभ/ (हानि) / Net profit/(Loss)	7,631	5,788
ग.	खंड आस्तियां		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
c.	Segment assets		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	65,710	50,487
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	166,330	140,654
	ट्रेजरी / Treasury	173,280	160,978
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	772	710
	अविनिधानित आस्तियां / Unallocated assets	6,870	11,830
	कुल आस्तियां / Total assets	412,962	364,659
घ.	खंड देयताएं		
d.	Segment liabilities		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	38,159	26,338
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	281,849	265,936
	ट्रेजरी / Treasury	31,051	21,098
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	283	214
	अविनिधानित देयताएं / Unallocated liabilities	_	-
	कुल देयताएं / Total liabilities	351,342	313,586
ड़.	पुंजी नियोजन (खंड आस्तियां- खंड देयताएं)	55 %	,
э. e.	Capital employed (Segment assets-Segment liabilities)		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	27,551	24,149
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	(115,520)	(125,281)
	ट्रेजरी / Treasury	142,230	139,879
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	489	496
	अविनिधानित / Unallocated	6,870	11,830
		61,620	51,073
	कुल / TOTAL	01,020	51,073

रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार और लागू लेखा मानक (एएस) - 17, 'खंड रिपोर्टिंग' के अनुपालन में, रिपोर्ट करने योग्य खंडों को ट्रेजरी, कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और अन्य बैंकिंग परिचालनों के रूप में पहचाना जाता है. संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और संबंधित आय/व्यय को ट्रेजरी खंड के अंतर्गत पुनः समृहित किया गया है.

As per extant RBI guidelines and in compliance with the applicable Accounting Standard (AS) - 17, 'Segment Reporting', reportable segments are identified as Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and other banking operations. Entire investments portfolio and corresponding income/expenses have been regrouped under the Treasury Segment.



- योजनाओं और सेवाओं के स्वरूप और जोखिम प्रोफ़ाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफ़ाइल, संगठन संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद इन खंडों की पहचान उक्त लेखा मानक (एएस) के अनरूप की गई है.
 - These segments have been identified in line with the said Accounting Standard (AS) after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.
- 'खंड परिणाम' निर्धारित करने में, बैंक द्वारा अपनाई गई निधि अंतरण मूल्य प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है.
 In determining 'Segment Results', the funds transfer price mechanism adopted by the Bank has been used.
- परिणाम, राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के लिए नियोजित पूंजी को कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग खंड में शामिल किया गया है.
 Results, Revenue and Capital Employed of International operations are included in Corporate/Wholesale Banking segment.
- लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, योजनाओं और सेवाओं की प्रकृति, विभिन्न जोखिमों और प्रतिलाभों, संगठन संरचना, आंतिरक व्यापार रिपोर्टिंग प्रणाली और रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए व्यापार खंडों की पहचान और रिपोर्ट की गई है.
- Business Segments have been identified and reported taking into account the target customer profile, the nature of products
 and services, the differing risks and returns, the organisation structure, the internal business reporting system and the guidelines
 prescribed by the RBI.
- 7 अप्रैल 2022 के रिजर्व बैंक के परिपन्न के अनुसार, डिजिटल बैंकिंग को खुदरा बैंकिंग के हिस्से के रूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ अभी चालू नहीं हुई हैं.
 - As per RBI circular dated April 7, 2022, Digital Banking to be reported as part of Retail Banking. Digital Banking Units are not yet operational in IDBI Bank Ltd.
- खंड राजस्व में बैंक द्वारा अनुसरण की गई निधि अंतरण कीमत निर्धारण प्रणाली के अनुसार संगणित अंतर-खंड राजस्व शामिल है.
 The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per Fund Transfer Pricing system followed by the Bank.
- बैंक मुख्य रूप से भारत में परिचालन करता है, अतः बैंक ने यह माना है कि इसके परिचालन मुख्य रूप से देशी खंड में होते हैं और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.
 - The Bank primarily operates in India, hence the Bank has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

5. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18) / RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)

- अ. एएस-18 के अनुसार संबद्ध पक्षकार की सूची
- A. List of related party as per AS-18
 - I. प्रवर्तक / Promoter
 - भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) / Life Insurance Corporation of India (LIC)
 - ॥. सहयोगी संस्थाएं / Associates
 - बायोटेक कॉन्सोर्टियम इंडिया लि. / Biotech Consortium India Ltd.
 - नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. / National Securities Depository Ltd.
 - नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फ़ाइनेंस कार्पोरेशन लि. / North Eastern Development Finance Corporation Ltd.
 - पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल)
 Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd. (PIPDICL)
 - III. एलआईसी की समृह कंपनियाँ / LIC Group Companies
 - एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सहयोगी LIC Housing Finance Ltd Associate
 - एलआईसी म्यूचुअल फंड एएमसी लिमिटेड सहयोगी LIC Mutual Fund AMC Ltd. Associate

- एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सहयोगी LIC Mutual Fund Trustee Co. Pvt. Ltd. Associate
- एलआईसीएचएफ़एल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड सहयोगी LICHFL Asset Management Company Ltd. Associate
- एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड सहायक LIC Pension Fund Ltd. Subsidiary
- एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड सहायक LIC Card Services Ltd. Subsidiary
- एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई लि. सहायक LIC (Singapore) Pte Ltd. Subsidiary
- एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड सहायक LIC (Nepal) Ltd. Subsidiary
- एलआईसी इंटरनेशनल बीएससी (सी) बहरीन सहायक
 LIC INTERNATIONAL BSC (C) BAHRAIN Subsidiary
- एलआईसी (लंका) लिमिटेड सहायक LIC (Lanka) Ltd. Subsidiary
- एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड सहायक LIC Of BANGLADESH LTD. Subsidiary

IV. बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक / Key management personnel of the Bank

- श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ / Shri Rakesh Sharma, MD & CEO
- श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी (5 अप्रैल 2023 तक) / Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD (upto April 5, 2023)
- श्री सुरेश किशनचंद खटनहार, डीएमडी (14 जनवरी 2024 तक)/ Shri Suresh Kishanchand Khatanhar, DMD (upto January 14, 2024)
- श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी (12 जून 2023 से) / Shri Jayakumar S. Pillai, DMD (From June 12, 2023)
- श्री सुमित फक्का, डीएमडी (15 जुलाई 2024 से) / Shri Sumit Phakka, DMD (From July 15, 2024)
- श्रीमती स्मिता हरीश कुबेर, सीएफओ / Smt. Smita Harish Kuber, CFO
- श्रीमती ज्योति नायर, कंपनी सचिव / Smt. Jyothi Nair, Company Secretary

V. केएमपी के रिश्तेदार और उनको हितबद्ध संस्थाएं / Relative of KMP & their Interested entities

• श्रीमती अनिता शर्मा, श्री हर्षवर्धन शर्मा, श्री पार्थ शर्मा, श्रीमती करुन्या पुली गड्डा, श्री राजेश कुमार लव, श्रीमती आशा गोस्वामी, श्रीमती निधि शर्मा, श्रीमती शैलजा कौशल, डॉ. मुथुलक्ष्मी रामास्वामी, श्री सैम्युअल जॉर्ज स्टीफन जेबराज, श्रीमती मैरी जेबराज, श्री गेब्रियल स्टीफन राम्याकुमार सैम्युअल, इवांगेलिन मैरी किरूबा सैम्युअल, जॉन अलेक्जेंडर जेबराज, शांति लावण्या पॉल, इवांगेलिन सिंधिया राजकुमार, श्रीमती विदिशा सुरेश खटनहार, श्री किशनचंद खटनहार, श्रीमती रजनी खटनहार, श्री लवेश खटनहार, श्री रमेश खटनहार, श्रीमती पूनम करणी, श्रीमती सीतालक्ष्मी आर, श्री जे सुब्रमण्यम पिल्लै, श्रीमती पद्मावती अम्मल, श्री अरविंद जयन, कु. नंदना जयन, श्री पद्मकुमार एस, रानी पीएस, श्रीमती निमता फक्का, श्रीमती उर्मिला फक्का,सुश्री अनुष्का सूद,संगीता सूद,निमशा अरोड़ा, श्री हरीश विनायक कुबेर, श्री दत्तात्रेय जे. पाध्ये, श्रीमती शुभांगी डी. पाध्ये, चिन्मयी एच. कुबेर, श्री जितेंद्र डी. पाध्ये, श्रीमती भावना एच. पापट, श्री बीजू नायर, श्री कुट्टी कृष्णन नायर, श्रीमती देवी के नायर, अदित्री नायर, प्रीति जावजी, रेति नायर.

Smt. Anita Sharma, Shri. Harshvardhan Sharma, Shri Parth Sharma, Smt. Karunya Puli Gadda, Shri.Rajesh Kumar



Lav, Smt. Asha Goswami, Smt. Nidhi Sharma, Smt. Shailja Kaushal, Dr. Muthulakshmi Ramaswamy, Shri Samuel George Stephen Jebaraj, Smt. Mary Jebaraj, Shri Gabriel Stephen Ramyakumar Samuel, Evangeline Mary Kiruba Samuel, John Alexander Jebaraj, Shanthi Lavanya Paul, Evangeline Cynthia Rajkumar, Smt. Vidisha Suresh Khatanhar, Shri Kishinchand Khatanhar, Smt. Rajni Khatanhar, Shri Lavesh Khatanhar, Shri Ramesh Khatanhar, Smt. Poonam Karani, Smt. Seethalekshmy R, Shri J Subramonia Pillai, Smt. Padmavathy Ammal, Shri Aravind Jayan, Kum. Nandana Jayan, Shri Padmakumar S, Rani PS, Smt. Namita Phakka, Smt. Urmila Phakka, Ms. Anushka Sood, Sangita Sood, Nimisha Arora, Shri Harish Vinayak Kuber, Shri Dattatraya J. Padhye, Smt. Shubhangi D. Padhye, Chinmayee H. Kuber, Shri Jitendra D. Padhye Smt. Bhavna H. Papat, Shri Biju Nair, Shri Kutty Krishnan Nair, Smt. Devi K Nair, Aditri Nair, Preethi Javaji, Rethi Nair.

संस्थाएं जिनमें केएमपी का हित है - एसआईआरएफ इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. और सोशियल फूटप्रिंट प्रा. लि. कोगेंट मीडिया लैब्स, निको मीडिया स्टूडियो एलएलपी और सीएसए सर्वाइवर फाउंडेशन
Entities in which KMPs have Interest - SIRF Investment Pvt. Ltd., Social Footprint Pvt. Ltd. Cogent Media Labs, Nico Media Studio LLP & CSA Survivor Foundation.

आ. समूह के साथ संबद्ध पक्षकारों के लेनदेन का विवरण

B. Details of Transactions with Related Parties to the Group

(i) 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान संबद्ध पक्षकारों के साथ लेनदेन /शेष राशियां Transactions/ balances with related parties during the year ended March 31, 2025

				(₹ करोड़ में) /	(₹ in Crore)
विवरण Particulars	प्रवर्तक* Promoter*	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी [#] Associates [#]	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक ^{s ®} Key Management Personnel ^{s ®}	कुल Total
वर्ष के दौरान बकाया उधार Borrowings Outstanding during the year	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान बकाया उधार की अधिकतम राशि Maximum amount of borrowings Outstanding during the year	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 को बकाया जमाराशियां Deposits Outstanding as on March 31, 2025	8,187	-	104	-	8,292
वर्ष के दौरान बकाया जमाराशियों की अधिकतम राशि Maximum amount of Deposits Outstanding during the year	8,395	-	175	-	8,570
31 मार्च 2025 को बकाया अन्य देयताएं Other Liabilities Outstanding as on March 31, 2025	1	-	-	-	1
वर्ष के दौरान बकाया अन्य देयताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Other Liabilities Outstanding during the year	3	-	-	-	3
बकाया निवेश Investments Outstanding	-	-	37	-	37
बकाया अधिकतम निवेश Maximum investments Outstanding	-	-	37	-	37
31 मार्च 2025 को अग्रिम Advances as on March 31, 2025	950	-	-	-	950
वर्ष के दौरान अधिकतम अग्रिम Maximum Advances During the year	950	-	-	-	950
31 मार्च 2025 को बकाया प्राप्य राशियां Receivable Outstanding as on March 31, 2025	15	-	-	-	15

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

				((4)(19,11))	(t iii Ciore)
विवरण Particulars	प्रवर्तक* Promoter*	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी [#] Associates [#]	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक ^{६ ©} Key Management Personnel ^{§ ©}	कुल Total
वर्ष के दौरान बकाया प्राप्यराशियों की अधिकतम राशि Maximum amount of receivable Outstanding during the Year	20	-	-	-	20
जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	1	-	5	-	6
पारिश्रमिक Remunerations	-	-	-	12	12
से सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यय Expenses for receiving services from	13	-	3	-	16
को प्रदान की गई सेवाओं से आय Income from services rendered to	135	-	-	-	135
अग्रिमों पर ब्याज आय Interest Income on Advances	59	-	-	-	59
उधार राशियों पर ब्याज व्यय Interest Expense on borrowings	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधिक प्रतिबद्धताएं Non-Funded Commitments outstanding during the year	10	-	0.37	-	10
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधिक प्रतिबद्धताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Non-Funded Commitments outstanding during the year	10	-	0.37	-	10

पीआईपीडीआईसीएल के संबंध में बैंक को कंपनी से कोई वित्तीय विवरण और लेनदेन विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, अतः उपर्युक्त में जानकारी समेकित नहीं है. बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में निवेश को एक रुपये तक अवलिखित कर दिया है.

In respect of PIPDICL, the Bank has not received any financial statements & transactions details from the company hence information not consolidated in above. The Bank has written down investment in PIPDICL to Rupee one.

बैंक के पास नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 26.10% हिस्सा है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने 06 अक्तूबर 2023 के पत्र के माध्यम से एनएसडीएल में 14.99% से अधिक बैंक की शेयरधारिता के संबंध में मतदान के अधिकार और सभी कॉपोरेट कार्रवाईयों को आधिक्य शेयरधारिता के वास्तिवक विनिवेश तक प्रतिबंधित कर दिया. हालाँकि, प्रचुर प्रकटीकरण के हित में और कानूनी विशेषज्ञ की राय के आधार पर, बैंक ने बैंक द्वारा विभिन्न सांविधिक फाइलिंग के तहत एनएसडीएल को एक 'सहयोगी कंपनी' के रूप में मान्यता देना जारी रखने का निर्णय लिया है और नवीनतम उपलब्ध सीमित समीक्षा के वित्तीय विवरणों अर्थात् 31 दिसंबर 2024 को समाप्त नौ महीने की अविध के एनएसडीएल के वित्तीय परिणामों को समेकित किया है.

The Bank holds 26.10% of the paid-up equity share capital of National Securities Depository Ltd (NSDL). The Securities Exchange Board of India, vide letter dated October 06, 2023 restricted the voting rights and all corporate actions in respect of bank's shareholding in NSDL in excess of 14.99%, until the actual divestment of the excess shareholding. However, in the interest of abundant disclosure and based on a legal expert's opinion, the Bank has decided to continue to recognize NSDL as an 'associate company' under the various statutory filings by the Bank and has consolidated financial results of NSDL based on the latest available limited reviewed financial statements, i.e. as at and up to the period of nine months ended December 31, 2024.

\$ एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेवारों के संबंध में बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेनदेनों को प्रकट नहीं

\$ In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.



- @ 1) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ एक समग्र पूल के हिस्से के रूप में उपचित होते हैं और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के प्रति आबंटित नहीं किया जाता है
- @ 1) Retiral Benefits for key managerial personnel are accrued as a part of an overall pool and are not allocated against key managerial personnel.
 - 2) पूर्णकालिक निदेशकों,मुख्य कार्यपालक अधिकारियों,महत्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण कार्य करने वाले स्टाफ को क्षतिपूर्ति के बारे में दिनांक 4 नवंबर 2019 के रिजर्व बैंक के परिपन्न आरबीआई/2019-20/89 डीओआर. एपीपीटी. बीसी. सं.23/29.67.001/2019-20 के अनुसार In accordance with RBI Circular RBI/2019-20/89 DOR.Appt.BC.No.23/29.67.001/2019-20 dated November 4, 2019 on Compensation of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers and Control Function staff
 - वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए परिवर्ती वेतन (नकद घटक) के लिए कुल ₹ 2.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.16 करोड़) का भुगतान किया गया था. For the FY 2024-25, total amount of ₹ 2.04 Crore (previous year ₹ 1.16 crore) was paid for variable pay (cash component).

ii. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान संबद्ध पक्षकारों के साथ लेनदेन/ शेष राशियां: Transactions/ balances with related parties during the year ended March 31, 2024:

				(₹ करोड़ में) /	(₹ in Crore)
विवरण Particulars	प्रवर्तक* Promoter*	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी [#] Associates [#]	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक ^{६ ©} Key Management Personnel ^{६ ©}	कुल Total
वर्ष के दौरान बकाया उधार Borrowings Outstanding during the year	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान बकाया उधार की अधिकतम राशि Maximum amount of borrowings Outstanding during the year	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 को बकाया जमाराशियां Deposits Outstanding as on March 31, 2024	4,696	-	61	-	4,757
वर्ष के दौरान बकाया जमाराशियों की अधिकतम राशि Maximum amount of Deposits Outstanding during the year	23,524	-	219	-	23,743
31 मार्च 2024 को बकाया अन्य देयताएं Other Liabilities Outstanding as on March 31, 2024	1	-	-	-	1
वर्ष के दौरान बकाया अन्य देयताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Other Liabilities Outstanding during the year	1	-	-	-	1
बकाया निवेश Investments Outstanding	-	-	37	-	37
अधिकतम बकाया निवेश Maximum investments Outstanding	-	-	37	-	37
31 मार्च 2024 को अग्रिम Advances as on March 31, 2024	500	-	-	-	500
वर्ष के दौरान अधिकतम अग्रिम Maximum Advances During the year	503	-	-	-	503
31 मार्च 2024 को बकाया प्राप्यराशि Receivable Outstanding as on March 31, 2024	16	-	-	-	16
वर्ष के दौरान बकाया प्राप्यराशि की अधिकतम राशि Maximum amount of receivable Outstanding during the Year	20	-	-	-	20

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

					,
विवरण Particulars	प्रवर्तक* Promoter*	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी [#] Associates [#]	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक ^{s ®} Key Management Personnel ^{s ®}	कुल Total
जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	1	-	36	-	37
पारिश्रमिक Remunerations	-	-	-	10	10
से सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यय Expenses for receiving services from	10	-	1	-	11
को प्रदान की गई सेवाओं से आय Income from services rendered to	110	-	-	-	110
अग्रिमों पर ब्याज आय Interest Income on Advances	11	-	-	-	11
आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के एयूएम को एलआईसी म्यूचुअल फंड में अंतरित करने से बिक्री प्रतिफल Sale consideration from transfer of AUM of IDBI Asset Management Company Limited to LIC Mutual Fund	89	-	-	-	89
उधार राशियों पर ब्याज व्यय Interest Expense on borrowings	-		-	-	-
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधिक प्रतिबद्धताएं Non-Funded Commitments outstanding during the year	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधिक प्रतिबद्धताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Non-Funded Commitments outstanding during the year	-	-	-	-	-

पीआईपीडीआईसीएल के संबंध में, बैंक को कंपनी से कोई वित्तीय विवरण और लेनदेन विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, अतः उपर्युक्त में जानकारी समेकित नहीं है. बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में निवेश को एक रुपये तक अवलिखित कर दिया है.

In respect of PIPDICL, the Bank has not received any financial statements & transactions details from the company hence information not consolidated in above. The Bank has written down investment in PIPDICL to Rupee one.

बैंक के पास नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 26.10% हिस्सा है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने 06 अक्तूबर 2023 के पत्र के माध्यम से एनएसडीएल में 14.99% से अधिक बैंक की शेयरधारिता के संबंध में मतदान के अधिकार और सभी कॉर्पोरेट कार्रवाईयों को आधिक्य शेयरधारिता के वास्तिवक विनिवेश तक प्रतिबंधित कर दिया. हालाँकि, प्रचुर प्रकटीकरण के हित में और कानूनी विशेषज्ञ की राय के आधार पर, बैंक ने बैंक द्वारा विभिन्न सांविधिक फाइलिंग के तहत एनएसडीएल को एक 'सहयोगी कंपनी' के रूप में मान्यता देना जारी रखने का निर्णय लिया है और नवीनतम उपलब्ध सीमित समीक्षा के वित्तीय विवरणों अर्थात् 31 दिसंबर 2023 को समाप्त नौ महीने की अवधि के एनएसडीएल के वित्तीय परिणामों को समेकित किया है.

The Bank holds 26.10% of the paid-up equity share capital of National Securities Depository Ltd (NSDL). The Securities Exchange Board of India, vide letter dated October 06, 2023 restricted the voting rights and all corporate actions in respect of bank's shareholding in NSDL in excess of 14.99%, until the actual divestment of the excess shareholding. However, in the interest of abundant disclosure and based on a legal expert's opinion, the Bank has decided to continue to recognize NSDL as an 'associate company' under the various statutory filings by the Bank and has consolidated financial results of NSDL based on the latest available limited reviewed financial statements, i.e. as at and up to the period of nine months ended December 31, 2023.

\$ एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेनदेनों को प्रकट नहीं किया गया है

\$ In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.



- @ 1) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ एक समग्र पूल के हिस्से के रूप में उपचित होते हैं और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के प्रति आवंटित नहीं किया जाता है
 - Retiral Benefits for key managerial personnel are accrued as a part of an overall pool and are not allocated against key managerial personnel.
 - 2) पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/महत्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण कार्य करने वाले स्टाफ को क्षतिपूर्ति के बारे में दिनांक 4 नवंबर 2019 के रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2019-20/89 डीओआर.एपीपीटी.बीसी.सं.23/29.67.001/2019-20 के अनुसार
 - In accordance with RBI Circular RBI/2019-20/89 DOR.Appt.BC.No.23/29.67.001/2019-20 dated November 4, 2019 on Compensation of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers and Control Function stafff
 - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए परिवर्ती वेतन (नकद घटक) के लिए कुल ₹ 1.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.48 करोड़) का भुगतान किया गया था. For the FY 2023-24, total amount of ₹ 1.16 Crore (previous year ₹ 1.48 crore) was paid for variable pay (cash component).
 - *वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 'प्रवर्तक' में प्रवर्तक समृह की कंपनियां शामिल हैं.
 - *For FY 2024-25 and FY 2023-24, 'Promoter' includes Promoter Group Companies.
- iii. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक ₹ 12.24 करोड़ है. Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ended March 31, 2025 is ₹ 12.24 crore.

(₹ करोड में) / (₹ in Crore))

क्रं. सं. Sr No.	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24
1	श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri Rakesh Sharma, Managing Director & CEO	6.18	5.00
2	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, उप प्रबंध निदेशक (5 अप्रैल 2023 तक) Shri Samuel Joseph Jebaraj, Deputy Managing Director (upto April 5, 2023)	-	1.20
3	श्री सुरेश किशनचंद खटनहार, उप प्रबंध निदेशक (14 जनवरी 2024 तक) Shri Suresh Kishanchand Khatanhar, Deputy Managing Director (upto January 14, 2024)	0.01	1.89
4	श्री जयकुमार एस. पिल्लै, उप प्रबंध निदेशक (12 जून 2023 से) Shri Jaya kumar S Pillai, Deputy Managing Director (From June 12, 2023)	2.78	0.69
5	श्री सुमित फक्का, उप प्रबंध निदेशक (15 जुलाई 2024 से) Shri Sumit Phakka, DMD (From July 15, 2024)	1.90	-
6	श्रीमती स्मिता हरीश कुबेर, मुख्य वित्तीय अधिकारी Smt. Smita Harish Kuber, Chief Financial Officer	0.89	0.74
7	श्रीमती ज्योति नायर, कंपनी सचिव Smt. Jyothi Nair, Company Secretary	0.48	0.41
	कुल / Total	12.24	9.93

नोटः मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 2.04 करोड़ का परिवर्ती वेतन वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भुगतान किया गया, उसे वित्तीय वर्ष 2024-25 के उनके पारिश्रमिक में शामिल नहीं किया गया है.

Note: Variable pay for FY 2023-24 ₹ 2.04 crore paid to Key Management Personnel during the FY 2024-25, is not included in their remuneration for FY 2024-25.

6. पट्टे (एएस-19) / Leases (AS-19)

- क. पटटा /िकराए पर ली गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय/रद्द करने योग्य होती है.
- a. The properties taken on lease/ rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank.
- ख. बैंक द्वारा लिए गए लीज सहमत अवधि के लिए होते हैं जिसमें लीज अवधि के दौरान भी पारस्परिक रूप से सहमत कैलेंडर माह का लिखित नोटिस देकर लीज को समाप्त करने का विकल्प होता है.

- b. The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed calendar month notice in writing.
- ग. नवीकरण और वृद्धि खंड की शर्तें वे हैं जो सामान्य रूप से ऐसे करारों में प्रचलित हैं. करारों में कोई अनुचित प्रतिबंध या दुर्वह खंड नहीं है.
- c. The terms of renewal and escalation clauses are those normally prevalent in similar agreements. There are no undue restrictions or onerous clauses in the agreements.
- घ. परिचालनगत पट्टे के लिए भुगतान किए गए पट्टा किराए को उस वर्ष में जिससे वह संबंधित है, लाभ -हानि खाते में दर्शाया जाता है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निर्धारित लीज किराया ₹ 400 करोड (पिछले वर्ष: ₹ 461 करोड) है.
- d. Lease rent paid for operating leases are recognised as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognised during the FY 2024-25 is ₹ 400 Crore (Previous Year: ₹ 461 Crore)
- ङ. तुलन-पत्र की तारीख को गैर-निरसनीय परिचालन पट्टों के संबंध में सहायक संस्थाओं के लिए भावी न्युनतम पट्टा भगतानों का सारांश निम्नानुसार है:
- e. The future minimum lease payments for subsidiaries in respect of non-cancellable operating leases as at Balance Sheet date are summarized as under:

(₹ करोड में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024
एक वर्ष के बाद नहीं / Not Later than One year	2	1
एक वर्ष के बाद लेकिन पांच वर्ष के बाद नहीं Later than one year but not later than five years	7	8
5 वर्ष के बाद / Later than 5 Years	5	6

7. क) प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (एएस-20)

a) EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

(₹ करोड में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2025 As at March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 As at March 31, 2024
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया समेकित निवल लाभ/(हानि) (₹ करोड़) Consolidated Net profit/ (loss) considered for EPS calculation (₹ Crore)	7631	5788
वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares outstanding at the end of the financial year	1075,24,02,175	1075,24,02,175
मूल ईपीएस के लिए शामिल किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Basic EPS	1075,24,02,175	1075,24,02,175
जोड़ें: मंजूर ईएसओपी का न्यून प्रभाव Add: Dilutive impact of ESOP granted	-	-
न्यूनीकृत ईपीएस गणना के लिए हिसाब में लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	1075,24,02,175	1075,24,02,175
ईपीएस (मूल) (₹) / EPS (Basic) (₹)	7.10	5.38
ईपीएस(न्यूनीकृत) (₹) / EPS (Diluted) (₹)	7.10	5.38
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹) / Face value per Equity share (₹)	10.00	10.00



ख) लाभांशः

b) Dividend:

निदेशक मंडल ने 28 अप्रैल 2025 को संपन्न अपनी बैठक में ₹ 2.1 प्रति शेयर (पिछले वर्ष - ₹ 1.5 प्रति शेयर) के लाभांश का प्रस्ताव रखा, जो आगामी वार्षिक महासभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है.

The Board of Directors at is meeting held on April 28, 2025, proposed a dividend of ₹ 2.1 per share (previous year - ₹ 1.5 per share), subject to approval of the members at the ensuing Annual General Meeting.

लेखा मानक (एएस) 4 के अनुसार ''तुलन-पत्र की तारीख के बाद घटित आकस्मिकताओं और घटनाओं'' के संदर्भ में बैंक ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते से ₹ 2258 करोड़ के प्रस्तावित लाभांश को विनियोजित नहीं किया है. तथापि, 31 मार्च 2025 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना में पुंजीगत निधियों के निर्धारण में प्रस्तावित लाभांश के प्रभाव की गणना की गई है.

In terms of Accounting Standard (AS) 4 "Contingencies and Events occurring after the Balance Sheet date" the Bank has not appropriated proposed dividend aggregating to ₹2258 crore from the Profit and Loss account for the year ended March 31, 2025. However, the effect of the proposed dividend has been reckoned in determining capital funds in the computation of Capital Adequacy Ratio as on March 31, 2025.

वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 1.5 प्रति शेयर के लाभांश का भुगतान किया है जिसे 23 जुलाई 2024 को संपन्न वार्षिक महासभा में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था

During the year, the Bank has paid dividend of ₹1.5 per share which was approved by the members at the Annual General Meeting held on July 23, 2024.

8. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22) / Accounting for Taxes on Income (AS-22)

समय-अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थिगत कर आस्ति एवं आस्थिगित कर देयता के घटक निम्नानुसार हैं:

The component of Deferred Tax Asset & Deferred Tax Liability arising out of timing difference is as follows:

(₹ करोड में) / (₹ in Crore)

विवरण Particular	यथा 31 मार्च 2025 As at March 31, 2025	वित्तीय वर्ष के दौरान घट-बढ़ 2024-25 Movement during the financial year 2024-25	यथा 31 मार्च 2024 As at March 31, 2024
आस्थगित कर आस्ति / Deferred Tax Asset			
अचल आस्तियों पर मूल्यहास Depreciation on fixed assets	26	8	18
आयकर अधिनियम,1961 के अंतर्गत अनर्जक आस्तियों से संबंधित अस्वीकृति तथा अन्य प्रावधानों की अनुमति नहीं है Disallowance related to provision for NPA and for other provisions not allowed under Income tax Act, 1961	1,371	(508)	1,879
आयकर अधिनियम,1961 की धारा 43 बी और 35 डी के अनुसार अनुमित नहीं है Disallowance u/s 43B and 35D of Income Tax Act, 1961	438	96	342
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful advances	4	1	3
ग्रेच्युटी / पेंशन / Gratuity/Pension	0.45	(0.30)	0.75
छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment	(0.12)	0.09	(0.03)
कारोबार हानि / Business Loss	4,505	(2,451)	6,956
अनवशोषित मूल्यहास / Unabsorbed depreciation	-	(75)	75
কুল (अ) / Total (A)	6,344	(2,930)	9,274

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

			(र कराड़ म) / (र In Crore)
विवरण Particular	यथा 31 मार्च 2025 As at March 31, 2025	वित्तीय वर्ष के दौरान घट-बढ़ 2024-25 Movement during the financial year 2024-25	चथा 31 मार्च 2024 As at March 31, 2024
आस्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability			
अचल आस्तियों पर मूल्यहास Depreciation on fixed assets	0.70	(0.06)	0.76
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष रिजर्व Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961	308	-	308
एएफएस रिजर्व में जमा निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यहास पर आस्थगित आयकर देयता (डीटीएल) Deferred Income Tax Liability (DTL) on net appreciation/ depreciation credited to AFS Reserve	48	48	-
छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment	(0.49)	(0.60)	0.11
कुल (आ) / Total (B)	356	47	309
आस्थगित कर (देयता)/आस्ति (निवल) (अ) - (आ) Deferred tax (Liability)/ Asset (net) (A) - (B)	5,988	(2,977)*	8,965

^{*} लाभ और हानि खाते में निवल नामे ₹ 2916 करोड़ है; और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नए निवेश दिशानिर्देशों में परिवर्तन पर कर प्रभाव के कारण सामान्य रिजर्व में नामे ₹ 14 करोड़ है और एएफएस रिजर्व में ₹ 48 करोड़ नामे किया गया है.

बैंक कारोबार हानि सहित आस्थिगित कर आस्ति (डीटीए) को इसके रिवर्सल होने की आभाषी निश्चितता को ध्यान में रखते हुए दर्ज करता है. Bank is recognizing deferred tax asset (DTA) including that on business loss keeping in view the virtual certainty of its reversal.

9. कराधान हेतु प्रावधान / PROVISION FOR TAXATION

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024
आयकर के लिए प्रावधान - वर्तमान कर Provision for Income Tax - Current Tax	166#	42##

गृह संपत्ति पर आय के लिए ₹141.19 करोड़ का प्रावधान सृजित किया गया और अन्य स्नोतों से आय के लिए ₹ 858.22 करोड़, जिसे ₹297.21 करोड़ के अनवशोषित मूल्यह्नास के प्रति आंशिक रूप से समायोजित किया गया है. कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए ₹4.25 करोड़ आयकर रिफंड की प्राप्ति के कारण प्रावधान को रिवर्स किया गया.

Creation of provision of ₹ 141.19 cr on Income from House Property and Other sources amounting to ₹ 858.22 cr which is partially set off against carried forward unabsorbed depreciation of ₹ 297.21 cr. Reversal of provision on account of receipts of income Tax Refund ₹ 4.25 cr for AY 2016-17

वित्तीय वर्ष 2024 के लिए आयकर हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया.

No provision for Income Tax made for the FY 2024.

^{*} The net debit to Profit and loss account is ₹ 2916 crore; and debit to the general reserve ₹ 14 crore on account of tax impact on transition to new investment guidelines prescribed by Reserve Bank of India and debited to AFS Reserve is ₹ 48 crore.



10. 31 मार्च 2025 को कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था की सारांशीकृत वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है: Summarized financial information of Subsidiary Companies, Associate Companies & Jointly Controlled Entity as per requirement of the Companies Act, 2013 as at March 31, 2025 are as under:

(₹ करोड में) / (₹ in Crore) निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर लाभ या हानि का हिस्सा Share of profit or loss Net Assets i.e. total assets minus total liabilities संस्था का नाम समेकित निवल समेकित लाभ Name of the Entity आस्तियों के % या हानि % के के रूप में राशि रूप में राशि As % of **Amount** As % of Amount consolidated consolidated net assets profit or loss 97.52% 60,251 98.49% 7,515 मुल संस्था : आईडीबीआई बैंक लि. Parent : IDBI Bank Ltd. सहायक संस्थाएं: / Subsidiaries: भारतीय : / Indian : आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स सिक्युरिटीज लि. 0.58% 361 0.31% 24 IDBI Capital Markets & Securities Ltd. 0.20% 124 0.08% 6 आईडीबीआई इंटेक लि. / IDBI Intech Ltd. 2. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. 0.35% 219 0.11% 9 3. IDBI Asset Management Ltd. 0.00% 0.01% 0.52 आईडीबीआई एमएफ टस्टी कंपनी लि. 2 4. IDBI MF Trustee Co. Ltd. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. 0.59% 364 0.74% 57 IDBI Trusteeship Services Ltd. लागू नहीं / NA लागू नहीं / NA लागू नहीं / NA लागू नहीं / NA विदेशी: / Foreign: 0.27% 165 0.34% 26 सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हित Minority Interest in all subsidiaries सहयोगी संस्थाएं (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)# Associates (Investment as per the equity method) # भारतीय / Indian बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड 0.0001% 0.01 लागु नहीं / NA लागु नहीं / NA Biotech consortium India Limited 0.88% 67 नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. लागु नहीं / NA लागु नहीं / NA National securities Depository Ltd. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. लागू नहीं / NA लागू नहीं / NA North Eastern Development Finance Corporation Ltd.

(₹ करोड में) / (₹ in Crore)

			(₹ कराड़	में) / (₹ in Crore)
	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		लाभ या हानि का हिस्सा Share of profit or loss	
संस्था का नाम Name of the Entity	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में As % of consolidated net assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि % के रूप में As % of consolidated profit or loss	राशि Amount
4. पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल) Pondicherry Industrial Promotion Development & Investment Corporation Ltd.(PIPDICL)	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
विदेशी: / Foreign :	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
संयुक्त उद्यम / Joint Ventures (इक्विटी पद्धति के अनुसार आनुपातिक समेकन/निवेश के अनुसार) (as per proportionate consolidation / investment as per the equity method)				
भारतीय / Indian	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
विदेशी / Foreign	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
कुल / Total	99.52%	61,486	100.29%	7,653
विलोपन / Elimination	0.48%	300	-0.29%	-22
निवल कुल / Net Total	100.00%	61,786	100.00%	7,631

नोट: उपर्युक्त सहायक संस्थाओं की कोई सहायक संस्था नहीं है. Note: None of the above subsidiaries have any subsidiary.

दो सहायक संस्थाओं अर्थात् पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. (25%) और पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (21.14%) से वित्तीय वर्ष 2025 के वित्तीय विवरण प्राप्त न होने के कारण समेकन के लिए हिसाब में नहीं लिया गया है और 2 सहयोगी संस्थाओं अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (26.10%) और बायोटेक कंसोशियम इंडिया लिमिटेड (27.93%) के मामले में वित्तीय विवरण क्रमशः दिसंबर 2024 तथा मार्च 2025 तक लिये गये हैं, जिसका समेकित वित्तीय विवरणों पर उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है. सहयोगी संस्था पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामले में बैंक को कंपनी से वित्तीय विवरण तथा लेनदेन विवरण प्राप्त न होने के कारण उक्त में जानकारी को समेकित नहीं किया गया है. उक्त कंपनी में निवेश को अवलेखित कर एक स्पर्य कर दिया गया है.

The Financials of two associates Viz., North Eastern Development Finance Corporation Limited (25%) and Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited (21.14%) are not considered for consolidation on account of non-receipt of Financial Statements for FY 2025 & in case of 2 associates National Securities Depository Limited (26.10%) and Biotech Consortium India Limited (27.93%) the financials has been taken up to December 2024 and March 2025 respectively, impact of which on the Consolidated Financial Statements is not material. In case of an associate Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited, the bank has not received any financial statements & transactions details from the company hence information not consolidated in above. The investment in the said company has been written down to Rupee One.

11. परिचालन बंद करना (एएस-24) / DISCONTINUING OPERATIONS (AS-24)

- क) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में:
- a) In case of IDBI Bank Limited

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा का परिचालन बंद नहीं किया है, जिसके कारण देयता घटी है और आस्तियों से प्राप्ति हुई है और किसी भी परिचालन को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है जिससे उपर्यक्त पर प्रभाव पड़ेगा.

During the FY 2024-25, the Bank has not discontinued operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety which will have the above effect.



आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में

b) In case of IDBI Asset Management Limited

29 दिसंबर 2022 को आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड (कंपनी) और आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड के अनुमोदन के बाद, कंपनी ने एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (एलआईसी एमएफ एएमसी) के साथ एलआईसी एमएफ एएमसी को आईडीबीआई म्युनुअल फंड योजनाओं के संपूर्ण अंतरण के लिए स्कीम ट्रांसफर एग्रीमेंट (एसटीए) किया था. कंपनी आईडीबीआई एमएफ की योजनाओं के प्रबंध से प्रबंधन शुल्क अर्जित करती है, जो एएस 17, खंड रिपोर्टिंग के अनुसार कंपनी के लिए एकमात्र खंड है. उपर्युक्त निपटान सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम 1996 के प्रावधानों के तहत विनियामक आवश्यकताओं में से एक के अनुपालन में है. विलय की प्रक्रिया 29 जुलाई 2023 को पुरी हो गई थी. स्कीम टांसफर एग्रीमेंट के अनुसार, कंपनी को अभी अपना म्यूचुअल फंड पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंपना बाकी है, जिसे सेबी ने पिछली बार 30 सितंबर 2025 तक बढा दिया था.

On December 29, 2022, subsequent to approval of the Board of IDBI Asset Management Ltd (The Company) and IDBI MF Trustee Company Ltd, the company had entered into Scheme Transfer Agreement (STA) with LIC MF Asset Management Ltd (LIC MF AMC) for transfer of entire IDBI Mutual Fund Schemes to LIC MF AMC. The company earns management fee from management of the schemes of IDBI MF, which is the only segment for the company as per AS 17, Segment Reporting. The disposal is in compliance with one of the Regulatory requirements under the provisions of SEBI (Mutual Fund) Regulations 1996. The process of merger was completed on July 29, 2023. As required by the Scheme Transfer Agreement, the company is yet to surrender its Mutual Fund certificate of Registration, which SEBI has last extended till September 30, 2025.

31 मार्च 2025 को एएस 24 के अनुसार अन्य विवरण निम्नानुसार है:

The other details as per AS 24 are as at March 31, 2025 are as under:

क्र सं. Sr. No.	एएस 24 प्रकटीकरण अपेक्षाएं AS 24 Disclosure Requirements	वित्तीय वर्ष 2025 के लिए प्रकटीकरण Disclosure for FY 2025
क) a)	बंद संचालन (नों) का विवरण A description of the discontinuing operation(s);	आईडीबीआई म्युचुअल फंड योजनाओं का प्रबंधन, जिससे प्रबंधन शुल्क अर्जित होता है जो एएमसी के लिए नियमित आय का एकमात्र स्रोत है. इस घटक में आईडीबीआई म्युच्युल फंड योजनाओं में निवेशित प्रारंभिक पूंजी (लागत ₹ 987 लाख) के अतिरिक्त, आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. (आईएएमएल) के तुलनपत्र में कोई संबद्ध आस्तियां और देयताएं नहीं हैं, प्रारंभिक पूंजी को आईडीबीआई एमएफ योजनाओं का एलआईसी म्यूच्युअल फंड में विलय के बाद वित्तीय वर्ष 2024 में मोचन कर दिया गया. इसके अतिरिक्त, आईडीबीआई म्यूचुअल फंड योजना प्रबंधन व्यवसाय का अनुमानित मूल्य है, जिसके लिए आईएएमएल को 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान एलआईसी एमएफ एएमसी से कुल ₹ 88.81 करोड़ प्राप्त हुए हैं. The management of IDBI Mutual Fund Schemes, which earns management fee which is the only source of regular income for AMC. This component has not associated assets and liabilities on the balance sheet of IDBI Asset Management Ltd (IAML) except amount invested in IDBI Mutual Fund Schemes as Seed Capital (the cost is ₹ 987 Lakh) which was redeemed during FY 2024 subsequent to merger of IDBI MF schemes with LIC Mutual Fund. Further, IDBI Mutual Fund scheme management business having notional value, for which IAML has received total consideration of ₹ 88.81 crore from LIC MF AMC during the year ended March 31, 2024.
ख) b)	कारोबार या भौगोलिक खंड(डों) जिसमें एएस 17, खंड रिपोर्टिंग के अनुसार इसकी रिपोर्ट की जाती है the business or geographical segment(s) in which it is reported as per AS 17, Segment Reporting;	म्यूचुअल फंड योजना प्रबंध Mutual Fund Scheme Management

	T	
क्र	एएस 24 प्रकटीकरण अपेक्षाएं	वित्तीय वर्ष 2025 के लिए प्रकटीकरण
सं.	AS 24 Disclosure Requirements	Disclosure for FY 2025
Sr.		
No.		
ग) c)	प्रारंभिक प्रकटीकरण घटना की तारीख और प्रकृति; the date and nature of the initial disclosure event;	कंपनी और एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (एलआईसी एएमसी) के बीच 29 दिसंबर 2022 को स्कीम अंतरण करार हुआ था. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय नोटों में आवश्यक प्रकटीकरण किया गया था. The Scheme Transfer Agreement was executed on December 29, 2022 between the company and LIC MF Asset Management Ltd (LIC AMC). The necessary disclosure were given in notes to financials for the year ended March 31, 2023.
घ) d)	वह दिनांक या अवधि जब बंद होने का कार्य पूरा होने की उम्मीद है, यदि ज्ञात या निर्धारणयोग्य हो the date or period in which the discontinuance is expected to be completed if known or determinable;	आईडीबीआई म्यूचुअल फंड योजनाओं का अंतरण 29 जुलाई 2023 को पूरा हो गया. Transfer of IDBI Mutual Fund Schemes was completed on July 29, 2023.
ङ) e)	तुलनपत्र की तारीख को रखाव राशि, निपटान की जाने वाली कुल आस्तियों और भुगतान की जाने वाली कुल देयताएं; the carrying amounts, as of the balance sheet date, of the total assets to be disposed of and the total liabilities to be settled;	अंतरित/निपटान किये जाने वाले घटक के साथ कोई भौतिक आस्ति संबद्ध नहीं थी सिवाय आईडीबीआई एएमसी का एएमसी रेपो क्लीयरिंग एंड एमएफ यूटिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में ₹ 26 लाख के रणनीतिक इक्विटी निवेश के, जिसका सेबी के अनुमोदन के अधीन नियत समय पर निपटान कर दिया जायेगा. There was no physical asset associated with the component transferred/ to be disposed off. except IDBI AMC has strategic equity investments in AMC Repo Clearing and MF Utility India Private Limited aggregating ₹ 26 lakh, which shall be disposed off in due course subject to approval of the SEBI.

iii. परिचालन बंद करने से संबंधित म्यूचुअल फंड योजना प्रबंधन व्यवसाय की आस्तियों की रखाव राशि ₹ 0.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.26 करोड़) और देयताएं ₹ 0.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.03 करोड़) थी. विवरण निम्नानुसार है:

The carrying amount of the assets of the Mutual Fund Scheme management business related to discontinuing operations was ₹ 0.26 cr (previous year ₹ 0.26 cr) and liabilities of ₹ 0.02 cr (previous year ₹ 0.03 cr). The details are as under:

(₹ करोड में) / (₹ in Crore)

					((4)(1)	4)/((110006)
	परिचालन चालू रखना Continuing operations		परिचालन बंद करना Discontinuing operations		কুল Total	
विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
Particulars	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	FY 2025	FY 2024	FY 2025	FY 2024	FY 2025	FY 2024
आस्तियां / Assets						
आस्थगित कर आस्तियां Deferred Tax Assets	-	-	-	-	-	-
अचल आस्तियां / Fixed Assets	1	1	-	-	1	1
गैर-चालू निवेश Non-Current Investments	64	89	0.26	0.26	65	89
अन्य गैर-चालू आस्तियां Other Non-Current Assets	0.46	0.44	-	-	0.46	0.44
चालू आस्तियां / Current Assets	154	125	-	-	154	125
कुल आस्तियां / Total Assets	219	215	0.26	0.26	219	215



विवरण Particulars	परिचालन Continuing वित्तीय वर्ष 2025 FY 2025	चालू रखना operations वित्तीय वर्ष 2024 FY 2024		ा बंद करना ag operations वित्तीय वर्ष 2024 FY 2024		त्म tal वित्तीय वर्ष 2024 FY 2024
	112020	11 2024	11 2020	112024	112020	112024
पूंजी और रिजर्व Capital and Reserves	219	215	-	-	219	215
गैर चालू देयताएं Non-Current Liabilities	-	0.01	-	-	0.01	0.01
चालू देयताएं Current liabilities	0.41	0.24	0.02	0.03	0.43	0.27
कुल देयताएं Total Liabilities	219	215	0.02	0.03	219	215

निम्नलिखित विवरण परिचालन जारी रखने और बंद करने के राजस्व और व्यय को दर्शाता है:

The following statement shows the revenue and expenses of continuing and discontinuing operations:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	परिचालन चालू रखना Continuing operations		परिचालन बंद करना Discontinuing operations		কুল Total	
	वित्तीय वर्ष 2025 FY 2025	वित्तीय वर्ष 2024 FY 2024	वित्तीय वर्ष 2025 FY 2025	वित्तीय वर्ष 2024 FY 2024	वित्तीय वर्ष 2025 FY 2025	वित्तीय वर्ष 2024 FY 2024
प्रबंधन शुल्क Management Fee	-	-	-	9	-	9
अन्य आय Other Income	14	22	0.15	0.14	14	22
कुल कारोबार Total Turnover	14	22	0.15	9	14	31
कर्मचारी लाभ Employee Benefits	1	2	-	3	1	5
वित्तीय प्रभार Financial Charges	-	-	-	-	-	-
मूल्यहास Depreciation	-	0.04	-	-	-	0.04
अन्य परिचालन व्यय Other Operating Expenses	1	3	0.07	4	1	7
परिचालन व्यय Operating Expenses	2	5	0.07	7	2	12
पूर्व अवधि के व्यय Prior Period Expenses	-	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

						1) / ((111 01010)
	परिचालन चालू रखना Continuing operations		परिचालन बंद करना Discontinuing operations		कुल Total	
विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2025 FY 2025	वित्तीय वर्ष 2024 FY 2024	वित्तीय वर्ष 2025 FY 2025	वित्तीय वर्ष 2024 FY 2024	वित्तीय वर्ष 2025 FY 2025	वित्तीय वर्ष 2024 FY 2024
असाधारण मदें Exceptional Items	-	-	-	-	-	-
ह्रासित हानि Impairment Losses	-	-	-	-	-	-
परिचालन गतिविधियों से पूर्व कर Pre-tax from Operating Activities	12	17	0.08	2	12	19
आस्तियों की बिक्री /व्यवसाय बंद करने से लाभ Profit from sale of assets/ discontinue Business	-	-	-	1	-	1
आयकर व्यय Income Tax Expenses	(3)	(2)	(0.02)	(19)	(3)	(21)
वर्तमान वर्ष- वर्तमान कर Current Year-Current tax	(3)	(2)	(0.02)	(19)	(3)	(21)
पूर्ववर्ती कर(कम/अधिक) Earlier tax (Short/Excess)	(0.00)	(0.14)	-	-	(0.00)	(0.14)
एमएटी क्रेडिट/ बट्टे खाते में डालना MAT Credit/ Write off	-	-	-	-	-	-
आस्थिगत कर व्यय Deferred tax expense	(0.00)	(0.03)	-	(0.5)	(0.00)	(0.53)
करों की परिचालन गतिविधियों से लाभ / (हानि) Profit / (Loss) from Operating activities from Taxes	9	15	0.06	(17)	9	(2)

12. आस्ति का ह्रास (एएस-28) / IMPAIRMENT OF ASSET (AS-28)

प्रबंधन की राय में चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान आस्तियों में कोई हास नहीं हुआ है. In the opinion of the Management, there is no impairment to the assets during the current year and previous year.

13. आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITY

(क) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में / (a) In case of IDBI Bank Limited



अ. आकस्मिक देयताओं का विवरण (एएस-29)®

DESCRIPTION OF CONTINGENT LIABILITIES (AS-29)®

क्रम सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है Claims against the Bank not acknowledged as debts	यह मद सामान्य कारोबार के अंतर्गत बैंक के प्रति विधिक मामलों में की गई कितपय मांगों तथा परिचालन मामलों व धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न ग्राहक के दावों को दर्शाती है. बैंक को ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाहों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. This item represents certain demands made in legal matters against the Bank in the normal course of business and customer claims arising in operational issues and fraud cases. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.
II	आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	यह मद आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता की शेष अदत्त राशियों को दर्शाती है. इसमें उद्यम पूंजी निधियों के लिए अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं. This item represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments. This also includes undrawn commitments for Venture Capital Funds.
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of Outstanding forward exchange contracts	बैंक अपने सामान्य कारोबार के अंतर्गत मुद्राओं के भावी तारीख को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर विनिमय करने के लिए विदेशी मुद्रा संविदाएँ निष्पादित करता है. यह मद ऐसी ही संविदाओं जो डेरिवेटिव लिखत हैं, की आनुमानिक मूल राशि को दर्शाती है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृह्द मूल्य सृजित होता है, जबिक इसका निवल बाजार जोखिम कम होता है. The Bank enters into foreign exchange contracts in its normal course of business, to exchange currencies at a pre-fixed price at a future date. This item represents the notional principal amount of such contracts, which are derivative instruments. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
IV	संघटकों की ओर से भारत में व भारत से बाहर दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents in India and outside India	अपने बैंकिंग कार्यकलापों के भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करता है. गारंटी सामान्यतः इस अप्रतिसंहरणीय आश्वासन को प्रदर्शित करती है कि ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यीनष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर बैंक भुगतान करेगा. As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of customer failing to fulfill its financial or performance obligations.

क्रम सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
V	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	यह मद ग्राहक की ऋण अवस्थित में संवृद्धि को ध्यान में रखकर व्यापार वित्त बैंकिंग गितविधियों के भाग के रूप में, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से अन्य पक्षकारों के पक्ष में जारी दस्तावेजी ऋणों को प्रदर्शित करती है. इन लिखतों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के दियत्वों के लिए सीधे या ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दियत्वों को पूरा करने में असफल होने पर भुगतान की जिम्मेदारी लेता है. This item represents the documentary credits issued by the Bank in favour of third parties on behalf of its customers, as part of its trade finance banking activities with a view to augment the customers' credit standing. Through these instruments, the Bank undertakes to make payments for its customers' obligations, either directly or in case the customer fails to fulfil their financial or performance obligations.
VI	ब्याज दर एवं मुद्रा अदला-बदली तथा ऋण चूक अदला-बदली के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps.	यह मद विविध डेरिवेटिव लिखतों की कित्पत मूल राशि को दर्शाती है जिसका दियत्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये योजनाएं उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर जोखिमों को अंतरित करने, संशोधित करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. बैंक अपनी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा स्थितियों के प्रबंधन करने के लिए भी ये संविदाएं करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कित्यत मूलधन का वृहद मूल्य उत्पन्न होता है, जबिक निवल बाजार जोखिम कम होता है.
		This item represents the notional principal amount of various derivative instruments which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to transfer modify or reduce their foreign exchange and interest rate risks. The Bank also undertakes these contracts to manage its own interest rate and foreign exchange positions. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
		बैंक भारतीय कॉरपोरेट बांड से जुड़े ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की हामीदारी करता है. The Bank underwrites Credit Default Swap (CDS) transaction for managing credit risks associated with Indian Corporate Bonds.
VII	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other derivative contracts.	यह मद विविध मुद्रा विकल्पों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये योजनाएं उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार उत्पन्न होता है, जबिक निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various currency options which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to reduce their foreign exchange risks. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, while the net market risk is lower.



क्रम सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description		
VIII	विवादित कर, ब्याज कर, दंड एवं ब्याज मांग के कारण देयता Liability on account of disputed taxes, interest tax, penalty and Interest demands	बैंक विचाराधीन अपीलों संबंधी विविध कराधान मामलों में पक्षकार है. बैंक आशा करता है वि मामलों के तथ्यों और आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों एवं लागू कानूनों के अनुसा अपील प्राधिकारियों द्वारा पिछले वर्षों में ऐसे मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर इ अपीलों के भी निर्णय अनुकूल होंगे. The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeal are pending. The Bank expects the outcome of the appeals to be favorable based on decisions on similar issues in the previous years by the appellate authorities, based on the facts of the case and the provisions of Income Ta Act, 1961 and applicable laws.		
IX	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है		द में निम्नलिखित शामिल हैं item represents the following	
	Others items for which the Bank is contingently liable	क) a)	सामान्य कारोबार कार्यकलाप के भाग के रूप में बैंक द्वारा स्वयं अपनी ओर से सांविधिक प्राधिकारियों तथा अन्य के पक्ष में जारी की गईं गारंटियां. Guarantees issued by the Bank in favour of statutory authorities and others on its own behalf, as part of normal business activity	
		ন্ত্ৰ)	जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरित राशि - जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि योजना 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार योजना में विनिर्दिष्ट अनुसार दस वर्षों या उससे अधिक समय से बैंक के निष्क्रिय खातों में पड़ी राशि और दावा न की गई शेष राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज को अगले महीने के अंतिम कार्य दिवस पर अंतरित करता है. यदि ग्राहक/ जमाकर्ता(ओं) अपनी अदावी राशि/ जमा के लिए मांग करते हैं, जिसे बैंक ने डीईए निधि योजना के अनुसार, पहले ही रिजर्व बैंक को अंतरित कर दिया है, बैंक ग्राहक/ जमाकर्ता को ब्याज सिहत, यदि लागू हो, भुगतान करता है और ग्राहक / जमाकर्ता को गई राशि के समतुल्य राशि के लिए रिजर्व बैंक से वापसी के लिए दावा करता है.	
		b)	The amount transferred to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) - In terms of guidelines of Depositor Education and Awareness Fund Scheme 2014, the Bank transfers the proceeds of the inoperative accounts and the balances remaining unclaimed for ten years or more as specified in the scheme and the interest accrued thereon, on the last working day of the subsequent month. In case the customer / depositor(s) raises a demand for their unclaimed amount / deposit which the Bank has already transferred to RBI, as per DEA Fund Scheme, the Bank pays to the customer/depositor, along with interest, if applicable, and lodge a claim for refund from RBI for an equivalent amount paid to the customer / depositor.	
		ग) c)	पूंजी खाते में निष्पादित की जाने वाले संविदाओं की अनुमानित राशि और आंशिक ऋण वृद्धि सुविधाओं, प्रतिभूतियां जारी होने से लेकर प्रतिभूतियों के जारी होने तक, आदि के लिए प्रावधान नहीं किया गया है Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for, undrawn partial credit enhancement facilities, When Issued Securities till issue of securities etc.	

आ. दीर्घावधि संविदाएं

B. Long term contracts

बैंक के पास एक प्रक्रिया है जिसमें आवधिक आधार पर डेरिवेटिव संविदाओं सहित सभी दीर्घाविध संविदाओं का उल्लेखनीय पूर्वाभाषी हानियों के लिए मूल्यांकन किया जाता है. वर्ष के अंत में बैंक ने इसकी समीक्षा की तथा सुनिश्चित किया कि डेरिवेटिव संविदाओं सहित ऐसे दीर्घाविध संविदाओं पर उल्लेखनीय पूर्वाभाषी हानि के लिए लेखा बहियों में किसी विधि / लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law/accounting standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

इ. लंबित मुकदमें

C. Pending litigations

बैंक के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा बैंक के प्रति किए गए दावे और आय कर प्राधिकारियों के पास लंबित कार्यवाहियाँ शामिल हैं. बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की और जहां प्रावधान अपेक्षित है वहाँ पर्याप्त प्रावधान किए हैं तथा अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागु है वहाँ आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया है.

The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Income Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements.

मात्रात्मक प्रकटन के लिए अनुसूची-12 आकस्मिक देयताएँ देखें.

Refer Schedule-12- Contingent Liabilities for quantitative disclosure.

र्ड. आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधान में घट-बढ

D. Movement of provision against Contingent Liabilities

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24
क/a)	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	241	178
ख/b)	वर्ष के दौरान परिवर्धन / (रिवर्सल) / Addition/ (reversal) during the year	(69)*	63
ग/c)	अंतिम शेष / Closing Balance	172	241

^{*} एनपीए मामलों की एनएफबी सीमा से संबंधित प्रावधान का अंतरण अलग से धारित किया जाता है.

(ख) आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में

(b) In case of IDBI Asset Management Limited

i) कर-निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए आयकर विभाग ने धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 26-12-2017 के अपने कर-निर्धारण आदेश के जिरए कुल ₹ 1.93 करोड़ के कुछ व्ययों की अनुमित नहीं दी थी जिससे आगे ले जाए गए घाटे को ₹ 22 करोड़ से घटाकर ₹ 20 करोड़ कर दिया गया और आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही शुरू की. कंपनी ने उपरोक्त के जवाब में दिनांक 12 जनवरी 2018 के अपने पत्र के माध्यम से विभाग से दांडिक कार्रवाई न करने का अनुरोध किया और 25 जनवरी 2018 को उक्त कर-निर्धारण आदेश (कुल ₹ 2 करोड़, ₹ 37 करोड़ के व्यय में से)के विरुद्ध अपील भी दायर की है. अभी तक कोई मांग नहीं की गई है. हमारे कर सलाहकार से चर्चा के अनुसार, अपील का अभी तक निपटान नहीं हुआ है और इस मामले पर विभाग जांच कर रहा है. इस स्तर पर प्रावधान शून्य है (पिछले वर्ष शून्य).

For the AY 2015-16 the Income Tax Department vide its assessment order under section 143(3) dated 26-12-2017 disallowed certain expenditures aggregating ₹ 1.93 Cr. thereby reducing the losses carried forward from ₹ 22 cr to ₹ 20 cr and initiated penalty proceedings under section 271(1)(c) of the Income Tax Act. The company, in response to

^{*} Transfer of provision pertaining to NFB limit of NPA cases are held separately.



the above, vide its letter dated January 12, 2018, requested the department to drop the penalty proceedings and also filed an appeal against the said assessment order (for ₹ 37 cr expenditure out of total ₹ 2 cr) on January 25, 2018. No demand has been raised so far. As discussed with our tax consultant, the appeal is still not disposed-off and the matter is being perused with department. Provision held: Nil at this stage (Previous year Nil).

ii) कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 (सुधार) के लिए आयकर निर्धारण के संबंध में यद्यिप आदेश आय में शून्य वृद्धि के साथ पारित किया गया है, पर धनवापसी पर आधिक्य ब्याज का अनुमान लगाते हुए ₹ 0.24 करोड़ की मांग प्राप्त हुई थी. कंपनी ने आयकर विभाग के पास सुधार के लिए आवेदन किया है, क्योंकि धन वापसी पर ब्याज की गणना हेतु विभाग द्वारा गलत तारीख पर विचार किया गया था. इस बीच, विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए टीडीएस वापसी में से आदेश राशि को समायोजित कर लिया. आईडीबीआई एएमसी ने 06 अक्टूबर 2022 और 15 फरवरी 2023 को अनुरोध के लिए एक अनुवर्ती पत्र दायर किया है. सुनवाई की सूचना और आदेश का इंतजार है. संबंधित अधिकारी के साथ अंतिम चर्चा के अनुसार, सुधार स्वतः किया जाएगा, जिसका इंतजार है.

In connection with income Tax Assessment for AY 2018-19 (Rectification), though order passed with Zero Addition to the income, demand for ₹ 0.24 cr received on account of presumption of excess interest on refund. The company has filed rectification with Income Tax Department as wrong date was considered by the department for calculation of Interest of Refund. In the meantime, the Department adjusted the order amount against TDS refund for AY 2021-22. IDBI AMC has filed a follow up letters for the request on October 06, 2022 and February 15, 2023. Notice for hearing & order is awaited. As per last discussion with the concerned officer, the rectification will be carried out suomoto, which is awaited.

इस संबंध में खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है. ₹ 0.24 करोड़ की आकस्मिक देयता (पिछले वर्ष ₹ 0.24 करोड़) No provision has been made in the accounts. contingent liability of ₹ 0.24 cr (Previous Year period ₹ 0.24 cr.

iii) बिक्री कर के उप-आयुक्त (वस्तु एवं बिक्री कर अधिनियम) DY. Commissioner of Sales Tax. (Goods and Services Tax Act)

जीएसटी संवीक्षा निर्धारण वित्तीय वर्ष 2017-18. GST Scrutiny Assessment FY 2017-18.

एक आदेश पारित किया गया जिसमें विभाग (2ए बेमेल) द्वारा ₹ 0.36 करोड़ की देयता निर्धारित की गई है. इस राशि पर 30 मई 2022 तक ब्याज लगाया गया है.

An order has been passed in which a liability of ₹ 0.36 Crore has determined by Department (2A Mismatch). In this Amount, Interest has been charged upto 30th May, 2022.

आईडीबीआई एएमसी ने विवाद के अधीन ₹ 0.36 करोड़ की संपूर्ण देयताओं का भुगतान कर दिया और अगस्त 2022 में बिक्री कर के उप आयुक्त के दिनांक 30 मई 2022 के आदेश के विरुद्ध माननीय आयुक्त जीएसटी (अपील), मुंबई में अपील दायर की है. उक्त मामले पर अभी सुनवाई होना बाकी है. इस बीच, सरकार ने जीएसटी एमनेस्टी योजना के अनुसार ब्याज और जुर्माने में छूट का प्रस्ताव दिया है. हालांकि, वित्त अधिनियम 2024 के अनुसार हाल ही में किए गए संशोधन और हमारे कर सलाहकार के मत के अनुसार, कंपनी के अपील पक्ष में आने की बेहतर संभावना है.

IDBI AMC has paid entire liability of ₹ 0.36 Crore under dispute and in August 2022 has filed an appeal to HON'BLE Commissioner GST (Appeals), Mumbai against order dated May 30, 2022 of DY. Commissioner of Sales Tax. The matter is yet to come for hearing. In the meantime, the Government, as per GST Amnesty Scheme, has proposed waiver of interest and penalty. However, as per recent amendment as per the Finance Act 2024 and as per the view of our tax consultant, the company has better chance of getting appealed in our favour.

[चुंकि जमा की गई राशि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया नहीं गया है, ₹ 0.36 करोड़ की आकस्मिक देयता मानी गई है].

[As the amount deposited is not recognized in Profit & Loss account, contingent liability is kept to the extent of ₹ 0.36 Crore]

(ग) आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. के मामले में / (c) In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

- i) अन्य मदें जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से दायी है -
 - Other items for which the Company is contingently liable-
 - कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे ₹ 2 करोड़ (पिछली अविध में ₹ 2 करोड़) है जिसमें 18% की दर से ₹ 0.41 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.24 करोड़) का ब्याज शामिल है.

Claims against the company not acknowledged as debt ₹2 Crore (Previous period ₹2 Crore) including interest @ 18% amounting to ₹ 0.41 Crore (Previous year ₹0.24 Crore).

क) विवादित आयकर मामले

a) Disputed Income Tax Matters

(₹ करोड में) / (₹ in Crore)

कर-निर्धारण वर्ष	विवादित कर राशि / Disputed Tax Amount			
assessment Year	यथा 31 मार्च 2025 As on March 31, 2025			
2022-23	5.44	5.44		
कुल / Total	5.44	5.44		

उपर्युक्त विवादित आयकर के मामले विभिन्न अपील प्राधिकारियों के समक्ष लंबित है. कंपनी को इसके विधिक परामर्शदाता द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि कंपनी के विरुद्ध कर की मांग असमर्थनीय है और मांग को मान्य ठहराए जाने की संभावना कम है. तद्नुसार इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

Disputed Income Tax matters as above are pending before various Appellate Authorities. The Company has also been advised by its legal counsel that the tax demand against the company is untenable and likelihood of demand being upheld is low. Accordingly no provision in respect thereof has been made.

कर-निर्धारण वर्ष 2012-13 (वित्तीय वर्ष 2011-12) के संबंध में विभाग ने आईटीएटी आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील की है. 31 मार्च 2024 को यह अपील उच्च न्यायालय में स्वीकारण हेतु विचाराधीन है और कंपनी ने अपने बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं.

In respect of Assessment Year 2012-13 (Financial Year 2011-12) Dept. has filed an appeal in High Court against the order of ITAT. This appeal before the High Court is pending for admission as on March 31, 2024 and Company has taken necessary steps to defend its position.

ख) विवादित सेवा कर के मामले में

b) Disputed Service Tax Matters

विभाग द्वारा की गई सेवा कर लेखापरीक्षा के दौरान पाये गए निष्कर्ष के आधार पर निम्नलिखित वित्तीय वर्षों के लिए सेवा कर विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं.

Show cause notices have been raised by the Service Tax Dept. for following financial years based on the findings during the Service Tax Audit conducted by the Department.

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

	विवादित सेवा कर राशि Disputed Service Tax Amount			
वित्तीय वर्ष Financial Year	यथा 31 मार्च 2025 As on March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 As on March 31, 2024		
2010-11	0.006	0.006		
2011-12	2	2		
2012-13	1	1		
2013-14	2	2		



2-2-2	विवादित सेवा कर राशि Disputed Service Tax Amount			
वित्तीय वर्ष Financial Year	यथा 31 मार्च 2025 As on March 31, 2025	यथा 31 मार्च 2024 As on March 31, 2024		
2014-15	2	2		
2015-16	1	1		
2016-17	0.003	0.004		
2017-18	0.001	1		
2018-19	0.004	4		
2019-20	2	3		
2020-21	-	0.015		
2021-22	0.023	0.023		
कुल / TOTAL	10	16		

कंपनी द्वारा सभी कारण बताओ नोटिसों और माँगों का प्रतिवाद किया गया है और ये संबन्धित प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन हैं. All the show cause notices and demand raised have been contested by the Company and are pending before the respective authorities.

जुलाई 2022 माह में कंपनी के रिटेल ब्रोकिंग कारोबार में धोखाधडी की एक घटना का पता चला. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता के नाम पर शिकायतकर्ता की सहमति के बिना धोखाधडी और दस्तावेजों में हेराफेरी कर एक टेडिंग खाता खोला गया है. उक्त टेडिंग खाते को आईडीबीआई बैंक के पास शिकायतकर्ता के मौजदा डीमैट खाते से जोडा गया है और उक्त डीमैट खाते के शेयरों को शिकायतकर्ता की सहमति के बिना अवैध रूप से बेच दिया गया. बिक्री की आय को बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके बारे में शिकायतकर्ता का दावा है कि वह शिकायतकर्ता से संबंधित नहीं है. (अंतरित राशि का मुल्य ₹ 0.75 करोड था). कंपनी द्वारा आर्थिक अपराध शाखा (मुंबई) को सौंपी गई शिकायत स्वीकार कर ली गई हैं और मामले की जांच अपराध शाखा (मुंबई) द्वारा की जा रही है. इसके अलावा शिकायतकर्ता ने कंपनी और अन्य के विरुद्ध बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की है. जिसमें शिकायतकर्ता की सहमति के बिना बेचे गए शेयरों की बहाली की मांग की गई है. मामले की सनवाई बंबई उच्च न्यायालय में लंबित है.

An incident of fraud was detected in the Retail Broking Business of the Company in the month of July 2022. The Complainant has alleged that a Trading Account has been opened by the Company in the name of the Complainant without the Complainant's consent using fraudulent and manipulated documents. The said Trading account has been mapped to an existing Demat Account of the Complainant with IDBI Bank and the shares in the said demat account have been illegally sold without the consent of the Complainant. The proceeds of the sale have been transferred to Bank Accounts which the Complainant claims do not belong to the Complainant. (Value of proceeds transferred was Rs. 0.75 Crore). The complaint submitted by the Company to the Economic Offences Wing (Mumbai) has been accepted and the matter is under investigation by the Crime Branch (Mumbai). Further the Complainant has filed a Writ Petition before the High Court of Bombay against the Company and Others inter alia seeking reinstatement of the shares which have sold without the consent of the Complainant. The matter is pending hearing at the High Court of Bombay.

आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में

- In case of IDBI Intech Limited
 - कंपनी ने अपनी आईटी परियोजनाओं के लिए ग्राहकों को ₹ 10 करोड़ की बैंक गारंटी जारी की है. 31 मार्च 2025 को इन गारंटियों के अंतर्गत आकस्मिक देयताएं ₹ 10 करोड (पिछले वर्ष ₹ 12 करोड) रही.
 - The Company has provided bank guarantee of ₹ 10 Crore to customers for its IT Projects as at 31st March 2025, the contingent liabilities under these guarantees amounted to ₹ 10 Crore (previous year ₹ 12 Crore)
 - पुर्ववर्ती ओबीएसटी वर्टिकल के एक पूर्व कर्मचारी को ₹ 0.04 करोड (पिछले वर्ष ₹ 0.04 करोड) की प्रतिकर राशि अदा करने के लिए जयपुर उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कंपनी ने प्रतिवाद किया है और उच्च पीठ में अपील दायर की है तथा अनुकल निर्णय की आशा की है. कंपनी ने

अनुमानित सांविधिक बकायों सिहत अनुमानित आधार पर प्रावधान किया है. तथापि, उक्त ओबीएसटी वर्टिकल के दूसरे पूर्व-कर्मचारियों को किसी अन्य मुआवजे का भुगतान करने के परिणाम का पता नहीं लगाया जा सकता है और इसलिए सेवानिवृत्ति लाभों को छोड़कर कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है.

The company has contested and has appealed at higher bench against an order passed by the Jaipur High Court for a claim to pay compensation amounting to ₹ 0.04 Crore (previous year ₹ 0.04 Crore) to one of the ex-employees of the erstwhile OBST vertical and expects favorable outcome. The company has made provision on estimated basis including the possible statutory dues. However the outcome to pay any further compensation to other ex-employees of the said OBST vertical cannot be ascertained and hence no separate provision, except the retiring benefits, has been made.

iii. ईएसआईसी के वसूली विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय तेलंगाना ने शाखा प्रबंधक, मेसर्स आईडीबीआई बैंक, गच्चिबौली शाखा, तेलंगाना को कंपनी द्वारा ओबीएसटी वर्टिकल के लिए प्राप्त ईएसआईसी पंजीकरण के संबंध में अक्तूबर 2010 से जून 2011 की अविध के लिए ईएसआईसी अंशदान/ब्याज/ हर्जीने के लिए ₹ 0.13 करोड़ का भुगतान करने का आदेश जारी किया था और इसके बाद कंपनी के खाते से सीधे आईडीबीआई बैंक, तेलंगाना शाखा के माध्यम से उक्त राशि वसूल की गई थी. कंपनी का मानना है कि उक्त राशि ईएसआईसी द्वारा गलत तरीके से वसूल की गई है क्योंकि उक्त अविध के लिए वास्तविक राशि पहले ही नियत तारीख के भीतर भेज दी गई थी. सलाहकार की सलाह के अनुसार कंपनी ने ईएसआईसी अदालत में उक्त राशि की वापसी के लिए अपील दायर करने के लिए कानूनी सलाह ली हैं. उक्त राशि को टिप्पणी 12(डी) के अंतर्गत 'अन्य गैर चालू आस्ति' के अंतर्गत दर्शाया गया है.

The Recovery Department of ESIC, Regional Office Telangana had issued an order to the Branch Manager, M/s IDBI Bank, Gachibowli Branch, Telangana, to make payment of ₹ 0.13 crore on account of ESI Contribution/ Interest/ Damages for the period from October 2010 to June 2011 with respect to ESIC registration obtained by the company for the OBST vertical and subsequently recover the said amount directly from the company's account through IDBI Bank, Telangana Branch. The company believe that the said amount has been wrongly recovered by ESIC, as the actual amount for the said period were already remitted within due date. The company, as per the advice of the consultant, has taken legal advice for filing an appeal for the refund of the said amount to the ESIC court. The said amount has been reflected under Note 12(d) under 'other non current asset'.

iv. आय पर करों के लिए दावे : Claims for taxes on income:

जहाँ कंपनी अपील की प्रक्रिया में है :

- Where the Company is in appeal:
- क) सेवा कर प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2017-18 की अविध के संबंध सेवा कर लेखा परीक्षा के दौरान, कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए कुछ सीईएनवीएटी क्रेडिट को अस्वीकार करते हुए ब्याज तथा दंड सिहत ₹ 0.84 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.84 करोड़) की मांग की है. केंद्रीय कर आयुक्त (अपील) ने इस मांग को घटाकर ₹ 0.78 करोड़ कर दिया था. कंपनी ने उक्त आदेशों के खिलाफ सीईएसटीएटी को अपील की है जहां लगाए गए जुर्माने की राशि को अलग करके अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था, जिससे मांग घटकर ₹ 0.51 करोड़ रह गई. कंपनी ने कर विशेषज्ञ द्वारा दी गई सलाह पर अधिक राहत पाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील वायर की है. हालांकि, माननीय उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया क्योंकि अपील निर्धारित समय के बाद, मामले की योग्यता की जांच किए बिना दायर की गई थी. इसके अलावा, कंपनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है, जिसमें अनुकूल परिणाम की उम्मीद है. अतः ऐसी मांग के लिए किसी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है. तथािप कंपनी ने ₹ 0.51 करोड़ सिवरोध भुगतान कर दिया है जिसे अन्य गैर-चालू आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है. (इसमें पिछली अवधि की राशि से कोई परिवर्तन नहीं है)
- a) Service tax authority put a demand of ₹ 0.84 Crore (previous year ₹ 0.84 Crore) including interest and penalty by disallowing certain CENVAT credit availed by the Company during the Service tax audit in respect of period from FY 2012-13 to FY 2017-18. This demand was reduced to ₹ 0.78 Crore by the Commissioner of Central Tax (Appeal). The company has appealed to CESTAT against the Orders where the appeal had been partially allowed by setting aside the penalty amount imposed, thereby reducing the demand to ₹ 0.51 Cr. The Company had filed an appeal before the Hon. High Court for further relief, based on the advise given by the tax expert. However, the appeal was rejected by Hon. High Court as the appeal was filed after the prescribed time, without examining the merit of the case. Further, the Company has filed an appeal before the Hon. Supreme Court expecting a favorable outcome. Hence, no provision against such demand is considered necessary. However the company had paid ₹ 0.51 Crore under protest, which is reflected under other non-current assets. (There is no change from the corresponding previous period amount.).



14. अन्य प्रकटन / OTHER DISCLOSURES

- i. वर्ष के दौरान अधिमानी आधार पर कोई इक्विटी शेयर आबंटित नहीं किये गये (पिछले वर्ष शून्य). During the year no Equity Shares were allotted on preferential basis (Previous year NIL)
- ii. भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ़) / Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)
 - 31 मार्च 2024 को एसएएसएफ़ शेष ₹ 673 करोड़ था. भारत सरकार ने परिपक्वता पर ₹ 673 करोड़ की प्रतिभूतियों के लिए पूरी राशि भेज दी है. तदनुसार, 31 मार्च 2025 को एसएएसएफ़ शेष शुन्य है.
 - SASF balance as on March 31, 2024 was ₹ 673 crore. The Government of India (GOI) has remitted full amount towards securities of ₹ 673 crore on maturity. Accordingly, SASF balance as on March 31, 2025 is NIL.
- iii. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय / Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure
 - क. वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली सकल राशिः ₹ 105 करोड (पिछले वर्षः ₹ 75 करोड)
 - a. Gross amount required to be spent during the year: ₹ 105 Crore (Previous Year: ₹ 75 Crore)
 - ख. वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:
 - b. Amount spent during the year:

(₹ करोड में) / (₹ in Crore)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
नकद / In cash	72	41
नकद भुगतान किया जाना शेष है / Yet to be paid in cash	33	34
कुल / Total	105	75

iv. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसरण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में कुछ प्रकटीकरण करना आवश्यक है. बैंक उक्त अधिनियम के अधीन कवर की जाने वाली सम्बद्ध जानकारियों को आपूर्तिकर्ताओं से लेकर समेकित करने की प्रक्रिया में है. प्रबंधन की दृष्टि में, ब्याज का प्रभाव, यदि कोई हो, जो इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार देय हो सकता है, को महत्वपूर्ण होने की उम्मीद नहीं है.

Pursuant to the provisions of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, certain disclosures are required to be made relating to micro, small & medium enterprise. The Bank is in the process of compiling relevant information from its suppliers about their coverage under the said Act. In view of the management, the impact of interest, if any, that may be payable in accordance with the provisions of this Act is not expected to be material.

समाधान संरचना 1.0 और समाधान संरचना 2.0 के बारे में रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार बैंक ने 31 मार्च 2025 को कुल ₹ 200 करोड़ के विनियामक प्रावधान को जारी रखा है. इसके अलावा, 31 मार्च 2025 को बैंक ने कोविड आरएफ़ 1, आरएफ़ 2 और एमएसएमईआर ओटीआर संरचना के तहत प्नर्सरिचत उधारकर्ताओं के लिए ₹ 1395 करोड का आकस्मिक प्रावधान किया है.

In terms of RBI's circular on Resolution Framework 1.0 and Resolution Framework 2.0, Bank continues to hold regulatory provision aggregating to ₹ 200 crore as on March 31, 2025. In addition, as on March 31, 2025, Bank held contingency provision of ₹ 1395 crore for borrowers restructured under COVID RF 1, RF 2 and MSMER OTR framework.

- v. बैंक के पास ₹ 400 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 400 करोड़) की निवल ओवरनाइट खुली स्थिति (एनओओपी) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा है. वर्ष के दौरान (2024-25) खुली स्थिति स्वीकृत सीमा के भीतर थी और औसत उपयोग ₹ 191 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 154 करोड़) था. वर्ष के दौरान अधिकतम उपयोग 06.01.2025 को ₹ 326 करोड़ था (पिछले वर्ष 12.01.2024 को ₹ 255 करोड़).
 - The Bank has Board approved limit for Net Overnight Open Position (NOOP) fixed at ₹400 crore (Previous Year ₹400 crore). During the year (2024-25) the open position was within the approved limit and the average utilization was ₹191 crore (Previous Year ₹154 crore). The maximum utilization during the year was at ₹326 crore on 06.01.2025. (Previous Year ₹255 crore on 12.01.2024).
- vi. बैंक के पास नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 26.10% हिस्सा है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने 06 अक्तूबर 2023 के पत्र के द्वारा एनएसडीएल में 14.99% से अधिक बैंक की शेयरधारिता के संबंध में मतदान के अधिकार और सभी कॉर्पोरेट कार्रवाईयों को आधिक्य शेयरधारिता के वास्तविक विनिवेश तक प्रतिबंधित कर दिया. हालांकि प्रचुर प्रकटीकरण के हित में और कानूनी विशेषज्ञ की राय के आधार पर, बैंक द्वारा विभिन्न सांविधिक फाइलिंग के तहत एनएसडीएल को एक 'सहयोगी कंपनी' के रूप में मान्यता देना जारी रखने का निर्णय लिया है और नवीनतम उपलब्ध सीमित समीक्षा किए गए वित्तीय विवरण 31 दिसंबर 2024 को समाप्त नौ महीने की अविध के एनएसडीएल के वित्तीय परिणामों को समेकित किया गया है.

The Bank holds 26.10% of the paid-up equity share capital of National Securities Depository Ltd (NSDL). The Securities Exchange Board of India, vide letter dated October 06, 2023 restricted the voting rights and all corporate actions in respect

of bank's shareholding in NSDL in excess of 14.99%, until the actual divestment of the excess shareholding. However, in the interest of abundant disclosure and based on a legal expert's opinion, the Bank has decided to continue to recognize NSDL as an 'associate company' under the various statutory filings by the Bank and has consolidated financial results of NSDL based on the latest available limited reviewed financial statements, i.e. as at and up to the period of nine months ended December 31, 2024.

- 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, इस समझ से, लिखित या अन्य प्रकार से, बैंक द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, विदेशी संस्था सहित vii. (''मध्यवर्ती'') से/को कोई भी राशि अग्निम या निवेश (उधार ली गई निध या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्नोत या प्रकार से जुटाई गई राशि से) के रूप कोई निधि प्रदान नहीं की गई है और यह कि मध्यवर्ती बैंक द्वारा या की ओर से निर्धारित पक्षकार को उधार दे पाएंगे या उनमें निवेश करेगी, इसके अतिरिक्त बैंक और सहायक संस्थाओं को किसी भी पक्षकार (निधीयन पक्षकार) से कोई भी निधि इस समझ के साथ प्राप्त नहीं हुई है कि बैंक या सहायक संस्थाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक द्वारा या इसकी ओर से अभिनिर्धारित किसी व्यक्ति या संस्था (''अंतिम लाभार्थी'') को उधार या उसमें निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से गारंटी, प्रतिभृति या इसी प्रकार कुछ और प्रदान करेंगे.
 - During the year ended March 31, 2025, no funds have been advanced or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Bank and Subsidiaries to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall lend or invest in party identified by or on behalf of the Bank (Ultimate Beneficiaries). Further, The Bank and Subsidiaries has not received any fund from any parties (Funding Party) with the understanding that the Bank and Subsidiaries shall whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified by or on behalf of the Bank and Subsidiaries ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- 29 जुलाई 2023 से आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (आईएएमएल) के एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयुएम) को ₹ 89 करोड़ के बिक्री प्रतिफल पर एलआईसी म्यचअल फ़ंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया है. सेबी ने 13 फरवरी 2025 के अपने पत्र के द्वारा आईडीबीआई म्यचअल फ़ंड के लाइसेंस को सरेंडर करने के लिए 30 सितंबर 2025 तक समय बढ़ाने की मंजरी दे दी हैं.
 - Asset Under Management (AUM) of IDBI Asset Management Ltd (IAML) has been transferred to LIC Mutual Fund Asset Management Ltd with effect from July 29, 2023 for a Sale Consideration of ₹ 89 crore. SEBI vide its letter dated February 13, 2025 has approved extension of time upto September 30, 2025 for surrender of license of IDBI Mutual Fund.
- पिछले वर्ष के आंकडों को पुनर्समहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि इनकी संपुष्टि चाल वर्ष के लिए की गई प्रस्तति के साथ की जा सके और साथ ही इसे ix) 30 अगस्त 2021(1 अप्रैल 2025 को अद्यतित) को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय परिणाम - प्रस्तृति और प्रकटन के बारे में मास्टर निर्देश, यथा संशोधित की अपेक्षाओं के अनुसरण में आवश्यकतानुसार संशोधित किया गया है.
 - Figures of the previous year, are regrouped/ rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year and also pursuant to the requirement of Master Direction on financial results - Presentation and disclosure issued by Reserve Bank of India dated August 30, 2021 (updated as on April 01, 2025), as amended and wherever considered necessary.

'1' से '18' लेखा अनुसचियों के लिए हस्ताक्षर Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer डीआईएन/DIN: 06846594

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date कते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी

For Chokshi & Chokshi LLP सनदी लेखाकार/Chartered Accountants

फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 101872W/W100045 फर्म पंजीयन संख्या /FRN-004283S राकेश जैन

(जयकुमार एस. पिल्लै) (सुमित फक्का) (Jayakumar S. Pillai)) उप प्रबंध निदेशक

(Sumit Phakka) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director Dy. Managing Director डीआईएन/DIN: 10041362 डीआईएन/DIN: 08259618 डीआईएन/DIN: 01853823

(समरेश परिदा) (Samaresh Parida) निदेशक Director

(स्मिता कुबेर) (Smita Kuber) मुख्य वित्तीय अधिकारी

(ज्योति नायर) (Jyothi Nair) कंपनी सचिव

Chief Financial Officer Company Secretary

कृते सुरी एंड कंपनी For Suri & Co.

सनदी लेखाकार/Chartered Accountants

नटराजन वी Rakesh Jain Nataraian V साझेदार/Partner साझेदार/Partner स. सं./ M.No. 042364 स. सं./M.No. 223118

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai

दिनांक : 28 अप्रैल 2025 / Date : April 28, 2025



समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2025

			()	र '000 में / (₹ in '000s)
			31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year ended	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year ended
अ.	गरिन	ालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	31-03-2025	31-03-2024
Э. А.		n flow from Operating Activities		
Λ.		कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ / (हानि)	10670 46 41	8367 45 53
	(1)	Net Profit/ (Loss) before tax and extra-ordinary items	10070 40 41	0307 43 33
	(2)	समायोजन		
	(2)	Adjustments:		
		- अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि	2 33 54	-83 25 24
		(Profit) / Loss on sale of Fixed Assets	2 00 04	-00 20 24
		- मूल्यहास और पुनर्मृल्यन वृद्धि	538 11 81	543 30 89
		Depreciation and revaluation gain	000 11 01	0-10-00-00
		- परिपक्वता तक धारित निवेशों पर प्रीमियम का परिशोधन	115 60 18	173 25 49
		Amortisation of premium on Held to Maturity investments		
		- ऋणों/ निवेशों के लिए प्रावधान/ बट्टे खाते डालना	-1855 81 64	1295 73 93
		Provisions/ Write off of Loans/ Investments		
		- मानक और पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रावधान	2699 72 07	-172 88 29
		Provisions for Standard and restructured assets		
		- अन्य प्रावधान / Other Provisions	-331 04 48	283 50 15
		- निवेशों के पुनर्मूल्यन पर (लाभ)/हानि	87 23 71	-2 64 20
		(Profit) / Loss on revaluation of Investments		
		- उधार राशियों पर ब्याज (परिचालन गतिविधियों के अलावा)	591 51 71	707 14 92
		Interest on borrowings (other than operational activities)		
			12518 13 31	11111 63 17
	(3)	परिचालन आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी के लिए समायोजन		
		Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:	1700.00.00	45700 00 07
		- निवेश / Investments	-1736 88 62	-15702 28 07
		- अग्रिम / Advances	-27514 00 94	-27042 64 39
		- अन्य आस्तियां / Other Assets	950 95 88	2149 42 70
	(4)	परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन		
		Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:		
		- उधार राशियां (पूंजीगत लिखतों के अलावा)	7594 29 83	4444 94 58
		Borrowings (Other than Capital Instruments)	20000 50 50	00050 04 00
		- जमाराशियां / Deposits	32609 52 58	22052 24 98
		- अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	-361 79 71	2068 52 16
		- परिचालन कार्यकलापों से कर पूर्व नकदी प्रवाह	24060 22 33	-918 14 87
		Cash Flow from Operating Activities before taxes		
		- प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड घटाकर) / Direct Taxes paid (Net of Refund)	1735 47 48	-334 34 45
		परिचालन कार्यकलापों से / (में प्रयुक्त) निवल नकदी प्रवाह		
		Net Cash flow from / (used in) Operating activities	25795 69 81	-1252 49 31
आ.	निवेश	ा कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
B.		n Flow from Investing activities		
	-	अचल आस्तियों की खरीद	-349 66 87	-312 01 51
		Purchase of fixed assets		
	-	अचल आस्तियों की बिक्री / Sale of fixed assets	6 12 04	90 06 55
	निवेश	ा कार्यकलापों से/(में प्रयुक्त) निवल नकदी प्रवाह	-343 54 83	-221 94 96
	Net (Cash flow from / (used in) Investing activities	-040 04 00	-221 34 30
इ.	ਰਿਜ਼ਾ	ोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
۶. C.		n Flow from Financing activities		
J.	- Casi	उधार राशियों पर चुकाया गया ब्याज/ Interest paid on borrowings	-645 49 78	-707 25 68
		प्रदत्त लाभांश / Dividend Paid	-1611 79 46	-1074 66 11
		बांडों का मोचन (पूंजीगत लिखत) / Redemption of Bonds (Capital Instruments)	-4745 00 00	
		The straint of a straint of the stra		

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2025

			(₹ '000 में / (₹ in '000s)
		31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
		समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
		Year ended	Year ended
		31-03-2025	31-03-2024
	- अल्पसंख्यकों को प्रद्त्त लाभांश/ Dividend paid to minority	-13 66 38	-11 61 46
	- अल्पसंख्यक हित में वृद्धि / Increase in minority interest	25 63 83	25 98 83
	वित्तपोषण कार्यकलापों से / (में प्रयुक्त)निवल नकदी प्रवाह	-6990 31 79	-1767 54 42
	Net Cash flow from / (used in) Financing activities		
ई.	ट्रांसलेसन रिज़र्व पर विनिमय के उतार-चढाव का प्रभाव		
Ď.	Effect of exchange fluctuation to translation reserve	527 27	453 17
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (अ+आ+इ+ई)	18467 10 47	-3237 45 52
	Net increase/ (decrease) in cash & cash Equivalents (A+B+C+D)		
	Net increase/ (decrease) in cash & cash Equivalents (A+B+C+D) वर्ष के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	26009 47 62	29246 93 14
	Cash & Cash Equivalents as at the beginning of the year		
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	44476 58 10	26009 47 62
	Cash & Cash Equivalents as at the end of the year		
	नकटी प्रवाह विवरण के बारे में टिप्पणी / Note to Cash Flow Statement:		
1.	नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में तुलन पत्र की निम्नलिखित मदें शामिल हैं:		
	Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the		
	following Balance Sheet items:		
	नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	21294 23 76	13990 99 92
	Cash & Balances with Reserve Bank of India		
	बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रति देय राशि	23182 34 34	12018 47 70
	Balances with banks & money at call and short notice		
	कुल / Total	44476 58 10	26009 47 62
2.	परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर की जाती है Cash Flow from Operating activities is reported by using Indirect		

(समित फक्का)

(Sumit Phakka)

उप प्रबंध निदेशक

Dy. Managing Director

डीआईएन/DIN: 10041362 डीआईएन/DIN: 08259618 डीआईएन/DIN: 01853823

(समरेश परिदा)

निदेशक

Director

(Samaresh Parida)

(स्मिता कुबेर)

(Smita Kuber)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां (अनुसूची 17 और 18)

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Schedule 17 & 18)

उपर्यक्त संदर्भित अनुसचियाँ वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं.

The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Managing Director & Chief Executive Officer डीआईएन/DIN: 06846594

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी

कृते सुरी एंड कंपनी For Suri & Co

(जयकमार एस. पिल्लै)

(Jayakumar S. Pillai))

Dy. Managing Director

उप प्रबंध निदेशक

For Chokshi & Chokshi LLP सनदी लेखाकार/Chartered Accountants सनदी लेखाकार/Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 101872W/W100045 फर्म पंजीयन संख्या /FRN-004283S

राकेश जैन

नटराजन वी Rakesh Jain Natarajan V साझेदार/Partner साझेदार/Partner स. सं./ M.No. 042364 स. सं./M.No. 223118

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai

दिनांक : 28 अप्रैल 2025 / Date : April 28, 2025

(ज्योति नायर)

(Jyothi Nair)

कंपनी सचिव

Chief Financial Officer Company Secretary



कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १२९ के अनुसरण में विवरण Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

सहायक/ सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित विवरण STATEMENT CONTAINING SAILENT FEATURES OF THE FINANCIAL STATEMENT OF SUBSIDIARIES/ASSOCIATE COMPANIES/JOINT VENTURES

> भाग ''अ'': सहायक कंपनियां Part "A": Subsidiaries

> > (₹ '000 में) / (₹ in '000s)

विवरण Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सर्विसेज लि. IDBI Capital Markets & Securities Ltd.	आईडीबीआई ट्रस्टोशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	आईडोबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडोबोआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.
सहायक संस्था की रिपोर्टिंग अवधि यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period			लागू नहीं Not Applicable		
विदेशी सहायक संस्थाओं के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विनिमय दर Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign subsidiaries.			लागू नहीं Not Applicable		
शेयर पूंजी Share capital	128 10 00	6 03 28	200 00 00	20 00	15 55 15
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष Reserves & surplus	233 03 76	357 83 30	18 93 98	1 56 13	108 17 49
कुल आस्तियां Total assets	457 41 47	371 89 11	219 38 09	1 77 71	134 37 54
कुल देयताएं (पूंजी और आरक्षित निधियों के अलावा) Total Liabilities (excluding capital and reserves)	96 27 71	8 02 54	44 11	1 58	10 64 90
निवेश Investments	200 55 46	218 91 07	101 00 99	14 21	0
कुल कारोबार Turnover	132 06 57	101 67 22	14 25 02	79 59	150 67 92

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

(₹ '000 में) / (₹ in '000s)

विवर्ण Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सर्विसेज लि. IDBI Capital Markets & Securities Ltd.	आईडीबीआई ट्रस्टोशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.
कराधान से पूर्व लाभ Profit before taxation	31 06 08	72 99 83	11 66 21	58 87	7 84 07
कराधान के लिए प्रावधान Provision for taxation	7 36 93	16 40 16	2 94 02	6 72	1 66 19
कराधान के बाद लाभ Profit after taxation	23 69 15	56 59 67	8 72 19	52 15	6 17 89
प्रस्तावित अंतरिम लाभांश (कॉरपोरेट लाभांश कर सहित) Proposed/ Interim Dividend (including corporate dividend tax)	शून्य / Nil	30 16 38	5 00 00	40 00	शून्य / Nil
शेयरधारिता का % % of shareholding	100%	54.70%	*66.67%	100%	100.00%

^{*} शेष 33.33% धारिता आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. के पास है

टिप्पणियां / Notes:

- कुल कारोबार से तात्पर्य प्रत्येक संस्था द्वारा उनके वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की गई कुल आय से है.
 Turnover is the total income reported by each of the entities in their financial statements.
- 2. सहायक संस्थाओं के नाम जिन्होंने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है: कोई नहीं Names of subsidiaries which are yet to commence operations: None
- सहायक संस्थाओं के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या बेचा गया हो: कोई नहीं Names of subsidiaries which have been liquidated or sold during the year: None

^{*} Balance holding of 33.33% is held by IDBI Capital Markets & Securities Ltd.



कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १२९ के अनुसरण में विवरण Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

भाग ''आ'': सहयोगी कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम Part "B": Associates and Joint Ventures

				(₹ '000 में) / (₹ in '000s)
क्रम सं. Sr. No.	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम Name of Associates/Joint Ventures	बायोटेक कंसॉर्शियम इंडिया लिमिटेड Biotech Consortium India Limited	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड National Securities Depository Limited	नॉर्थ इस्टर्न डेवलपमेंट फाइनैंस कॉरपोरेशन लिमिटेड North Eastern Development Finance Corporation Limited
1.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तारीख Latest audited Balance Sheet Date	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2024 को
2.	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के धारित शेयर Shares of Associate/Joint Ventures held by the company on the year end	March 31, 2024	March 31, 2024	March 31, 2024
	इक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	150 00 04	1044 00 00	2500 00 02
	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यम में निवेश राशि Amount of Investment in Associates/Joint Venture	1 50 00	10 44 00	25 00 00
	धारिता का % Extend of Holding%	27.93%	26.10%	25.00%
3.	पर्याप्त प्रभाव होने के कारणों का विवरण Description of how there is significant influence	बायोटेक कंसॉर्शियम इंडिया लिमिटेड में 27.93% की धारिता को एएस-23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in Biotech Consortium India Ltd being 27.93%, considered as an Associate as per AS-23	एनएसडीएल में 26.10% की धारिता को एएस-23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in NSDL being 26.10 %, considered as an Associate as per AS-23	नॉर्थ इस्टर्न डेवलपमेंट फाइनैंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में 25% की धारिता को एएस-23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in North Eastern Development Finance Corporation Ltd being 25%, considered as an Associate as per
4.	सहयोगी कंपनी/ संयुक्त उद्यम के समेकित नहीं करने के कारण Reason why the associate/joint venture is not Consolidated	लागू नहीं/ N.A.	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं/ N.A.
5. 6.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता स्रोतजन्य निवल मालियत Networth attributable to Shareholding as per latest audited Balance Sheet 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/ हानि Profit / Loss for the year ended	8 28 40	439 54 94	302 77 99
	March 31, 2025 i. समेकन में शामिल (टिप्पणी 3 देखें) Considered in Consolidation (Refer note 3) ii. समेकन में शामिल नहीं Not Considered in Consolidation	1 09	67 31 66	

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

टिप्पणियां / Notes:

- उन सहयोगी कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू नहीं हुआ है: कोई नहीं 1. Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations: None
- उन सहयोगी कंपनियों अथवा संयक्त उद्यमों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त अथवा बेचा गया है: कोई नहीं 2. Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year: None
- नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. का समेकन एएस-23 के अनसार 31 दिसंबर 2024 के गैर-लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित है और बॉयोटेक कंसॉर्शियम 3. इंडिया लिमिटेड का समेकन एएस-23 के अनुसार 31 मार्च 2025 के गैर-लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित है. National Securities Depository Ltd has been consolidated in accordance with AS-23 based on unaudited results as at December 31, 2024 and Biotech Consortium India Limited has been consolidated in accordance with AS-23 based on unaudited results as at March 31, 2025
- पांडिचेरी इंडस्टियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. के वित्तीय विवरणों का समेकन वित्तीय विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण नहीं किया गया है. सहयोगी संस्था में निवेश को बटटे खाते डालकर एक स्पया कर दिया गया है.
 - The financials of Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd. have not been consolidated on account of non receipt of financial statements/annual report. The investment in the Associate is written down to rupee one.
- बॉयोटेक कंसॉर्शियम इंडिया लि., नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. और नॉर्थ इस्टर्न डेवलपमेंट फाइनैंस कॉरपोरेशन लिमिटेड से वांछित जानकारी प्राप्त न होने के कारण निवल मालियत वित्तीय वर्ष 2024 के अनुसार ली गई है.
 - The Networth of Biotech Consortium India Limited, National Securities Depository Ltd and North Eastern Development Finance Corporaton Limited taken as per FY 2024 due to non availability of the desired information.

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer Dy. Managing Director डीआईएन/DIN: 06846594

(जयकमार एस. पिल्लै) (Javakumar S. Pillai)

उप प्रबंध निदेशक

(सुमित फक्का) (Sumit Phakka)

निदेशक Dy.Managing Director (समरेश परिदा) (Samaresh Parida)

(स्मिता कुबेर) (ज्योति नायर) (Jyothi Nair) (Smita Kuber) मुख्य वित्तीय अधिकारी कंपनी सचिव Chief Financial Officer Company Secretary

डीआईएन/DIN: 10041362 डीआईएन/DIN: 08259618 डीआईएन/DIN: 01853823

निदेशक

Director

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai


दिनांक: 28 अप्रैल 2025 / Date: April 28, 2025

समेकित पिलर III प्रकटन Consolidated Pillar III Disclosures

समेकित पितर III प्रकटन (31 मार्च 2025) Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2025)

भारतीय रिज़र्व बैंक के बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2025 को पिलर III प्रकटन, तिमाही प्रकटनों के साथ बैंक की वेबसाइट पर 'Regulatory Disclosures Section' >> FY 2024-25 (Basel III) के अंतर्गत अलग से प्रकट किए गए हैं.

Pillar III disclosures at March 31, 2025 along with quarterly disclosures, as per Basel III guidelines of RBI have been disclosed separately on the Bank's website under 'Regulatory Disclosures Section' >> FY 2024-25 (Basel III).





आइडीबीआइ बक लिमिटड पंजीकृत कार्यालयः आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई – 400005 टोल फ्री नं : 1800-209-4324 / 1800-22-1070. गैर-टोल फ्री नं :: 022-67719100.

सीआईएन - L65190MH2004GOI148838

IDBI Bank Limited
Regd. Office:
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai - 400005
Toll Free Nos.: 1800-209-4324 / 1800-22-1070.
Non-Toll Free Nos.: 022-67719100.

CIN - L65190MH2004GOI148838

www.idbibank.in

2 @idbi_bank

f/IDBIBank

@idbibankofficial

► YouTube/idbibank

in /idbibank



CIN L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई- 400 005 फोन-(022) 66553336/ 3147

ईमेलः idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइटः www.idbibank.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों की 21वीं वार्षिक महासभा मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के जिरये आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगी:

सामान्य कारोबार

- 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट तथा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के बैंक के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना:
- 2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना:
- 3. श्री मनोज सहाय (डीआईएन: 08711612), सरकार के नामित निदेशक को आवर्ती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करना, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है:
- 4. श्री सुशील कुमार सिंह (डीआईएन: 09584577), सरकार के नामित निदेशक को आवर्ती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करना, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है;

विशेष कारोबार

5 सचिवीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना और उनका पारिश्रमिक तय करना तथा इसके लिए निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाये तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :-

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 एवं लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हों, के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रिमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 24ए एवं लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हों, वर्तमान में लागू कोई भी सांविधिक संशोधन (नों) या पुनः अधिनियमन(नों) सिहत, के अनुसरण में बैंक के सदस्य एतद्द्वारा मेसर्स पारिख एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सिचव (फर्म पंजीकरण संख्याः P1988MH009800) को बैंक के सिचवीय लेखा परीक्षक के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 से शुरू होकर वित्तीय वर्ष 2029-30 तक की पांच (5) वर्षों की लेखा परीक्षा अवधि के लिए बैंक के निदेशक मंडल और उक्त फर्म के बीच समय-समय पर आपसी सहमित से तय शुल्क पर नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं.''



CIN L65190MH2004GOI148838

Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005, Phone-(022) 66553336 / 3147

E-mail: idbiequity@idbi.co.in, Website: www.idbibank.in

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 21st Annual General Meeting of the Members of IDBI Bank Limited will be held on Tuesday, July 22, 2025 at 11:00 a.m. exclusively through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM), to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

- 1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Bank for the year ended March 31, 2025 and the Reports of the Board of Directors & Auditors thereon and the Audited Consolidated Financial Statements of the Bank and the report of the Auditors thereon for the year ended March 31, 2025;
- To declare dividend on equity shares of the Bank for the financial year 2024-25;
- To re-appoint Shri Manoj Sahay (DIN: 08711612), Government Nominee Director as Rotational Director who retires by rotation and, being eligible, offers himself for reappointment;
- To re-appoint Shri Sushil Kumar Singh (DIN: 09584577), Government Nominee Director as Rotational Director who retires by rotation and, being eligible, offers himself for reappointment;

SPECIAL BUSINESS

5. To appoint Secretarial Auditors and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, pass the following resolution as an **Ordinary Resolution:**-

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 204 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, Regulation 24A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, the Members of the Bank do hereby approve the appointment of M/s Parikh & Associates, Practising Company Secretaries (Firm registration number: P1988MH009800) as Secretarial Auditor of the Bank for audit period of five (5) years commencing from FY 2025-26 up to and including FY 2029-30 at a fee as may be mutually agreed from time to time, between the Board of Directors of the Bank and the said firm."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के कंपनी सचिव को ऐसे सभी करारों, दस्तावेजों, लिखतों और विलेखों को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाये और एतद्द्वारा किया जाता है, जिन्हें आवश्यक समझा जाए, सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों को अपेक्षित फॉर्म या आवेदन प्रस्तुत करने और ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करने के लिए जिन्हें इस प्रस्ताव को प्रभावीं करने के लिए आवश्यक और उचित समझा जाये."

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो इसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभित और विनिमय बोर्ड (सचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम"), कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 तथा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित अन्य लागु प्रावधानों तथा विधि के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों (जिसमें वर्तमान में लाग कोई संशोधन(नों), सांविधिक आशोधन(नों), या उनका पनः अधिनियमन शामिल हैं) के अनुसरण में बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके बाद "बोर्ड" कहा गया है जिसमें बोर्ड द्वारा इस संकल्प के द्वारा दी गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों के उपयोग के लिए गठित/ गठन की जाने वाली कोई भी समिति (यां) शामिल मानी जायेंगी) को बैंक के एक संबद्ध पक्षकार होने के नाते भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ संविदाएं/करार/लेनदेन करने और/या जारी रखने (एकल लेनदेन अथवा लेनदेनों का समूह या लेनदेनों की श्रृंखला अथवा अन्यथा) को पहले की व्यवस्थाओं/ लेनदेनों की निरंतरता (ओं) या नवीनीकरण (णों) या विस्तार (रों) या आशोधन (नों) के रूप में या नए और स्वतंत्र लेनदेन (नों) के रूप में अथवा अन्यथा रूप में निम्नानुसार करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं:

- तागू विधियों और बैंक की संबंधित नीतियों के अंतर्गत यथा अनुमत राशि और शर्तों (ब्याज दर, प्रतिभूति, अविधि, आदि सिंहत) पर एलआईसी को किसी भी प्रकार का ऋण या अग्रिम, ऋण सुविधाएं या किसी भी प्रकार की निधि-आधारित सुविधाएं और/या गारंटियां, साख पत्र अथवा किसी भी प्रकार की गैर-निधि आधारित सुविधाएं मंजुर करना;
- एलआईसी को बैंक की ऋण प्रतिभूतियां जारी करना, ब्याज का भुगतान और उसकी मोचन राशि;
- बीमा योजनाओं और अन्य संबद्ध व्यवसाय के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन;
- 4) मुद्रा बाजार लिखत / सावधि उधार देने / सावधि ऋण लेने (रेपो / रिवर्स रेपो सहित):
- एलआईसी के साथ सहमत प्रतिफल पर अथवा समय-समय पर हुई सहमित के अनुसार तथा/ अथवा बैंक/ इसकी सहायक कंपिनयों द्वारा निम्न कार्यों के लिए अन्य लेन-देन और/या व्यवस्थाएं और/या संसाधनों/ सेवाओं का एलआईसी से/ को अंतरणः (i) प्रतिभूतियों का क्रय/ विक्रय, फॉरेक्स और डेरिवेटिव संविदाओं से संबंधित लेनदेन, शुल्क, प्रभार, राजस्व, कमीशन, प्रीमियम, ब्रोकरेज या कस्टडी/ डिपॉजिटरी सेवाओं, सलाहकारी सेवाओं, बीमा सेवाओं, आस्ति प्रबंधन शुल्क, करार शुल्क जारी करने व भुगतान करने, साझा सेवाएं, संग्रहण और भुगतान सेवाएं, प्रतिभूतियां जारी करने जैसे कार्यों से अन्य आय प्राप्त करने के लिए तथा/ अथवा (ii) खर्च उठाना, जो बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियों में प्रकट किये गये हैं. इस

"RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary of the Bank be and is hereby authorized to execute all such agreements, documents, instruments and writings as deemed necessary, to file requisite forms or applications with statutory/regulatory authorities and to do all such acts, deeds, matters and things as may be considered necessary and appropriate to give effect to this Resolution."

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Section 188 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and other applicable provisions of the Act read with rules made thereunder and any other relevant provisions of law, (including any amendment(s), statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Members of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the "Board", which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this resolution), for carrying out and /or continuing with contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), with Life Insurance Corporation of India (LIC), being a related party of the Bank, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

- Granting of any loans or advances, credit facilities, or any other form of Fund-based facilities, and/ or guarantees, letters of credit, or any other form of Non-Fund based facilities to LIC, sanctioned up to an amount and on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure etc.) as permissible under applicable laws and the relevant policies of the Bank;
- 2) Issue of debt securities of the Bank to LIC, payment of interest and redemption amount thereof;
- 3) Fees/commission for distribution of insurance products and other related business;
- 4) Money market instruments / term borrowing / term lending (including repo/ reverse repo);
- 5) Other transactions and / or arrangements with and / or transfer of resources / services from/ to LIC, against the consideration agreed upon or as may be agreed from time to time and/ or where the Bank/ its subsidiaries would (i) purchase/ sell securities, transactions pertaining to forex and derivative contracts, receive fees, charges, revenue, commission, premium, brokerage or any other income, such as for custody / depository services, advisory services, insurance services, asset management fees, Issuing and Paying Agreement fees, shared services, collection and payment services, issue of securities and / or (ii) incur expenses, as may be disclosed in the notes forming part of the consolidated financial statements of the Bank; not withstanding the fact that such

तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष के दौरान इस तरह की संविदाओं/ व्यवस्थाओं / लेनदेनों, चाहे एकल रूप में तथा/ अथवा समग्र रूप में ₹1,000 करोड़ अथवा बैंक के गत लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार के 10%, इनमें से जो भी कम हो, अथवा समय-समय पर विधि/ विनियमनों के अंतर्गत लागू अन्य तात्विक सीमा, जिसमें जमा व उस पर ब्याज ऐसे लेनदेन मूल्य का पर्याप्त हिस्सा होंगी, से अधिक हो सकते हैं; बशर्ते उक्त संविदाएं/ व्यवस्थाएं/ लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार सिद्धांत के आधार पर और बैंक के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किये जायेंगे."

''यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बोर्ड (इस पद के अंतर्गत ऐसी कोई भी समिति शामिल है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा गठित की गई है या इसके बाद गठित की जाती है और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक शिक्तयों का प्रत्यायोजन किया जाता है) द्वारा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करने और अपेक्षित कोई करार, दस्तावेज तथा लिखावट निष्पादित करने के लिए, जो उनके एकल विवेकाधिकार के अंतर्गत उचित समझे जाएं तथा बैंक के किसी भी निदेशक (कों) तथा/ अथवा अधिकारी(रियों) को संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ लेनदेनों के निष्पादन के लिए और इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए सभी या किसी भी अपनी शिक्त का प्रत्यायोजन करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं.''

7. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सुचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सचीबद्धता विनियम"), कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 तथा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित अन्य लागु प्रावधानों तथा विधि के अन्य किसी प्रासंगिक प्रावधानों (जिसमें वर्तमान में लाग कोई संशोधन(नों), सांविधिक आशोधन(नों), या उनका पुनः अधिनियमन शामिल हैं) के अनुसरण में बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके बाद "बोर्ड" कहा गया है जिसमें बोर्ड द्वारा इस संकल्प में दी गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों के उपयोग के लिए गठित/ गठन की जाने वाली कोई भी समिति (यां) शामिल हैं) को बैंक के एक संबद्ध पक्षकार होने के नाते एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. के साथ संविदाएं/करार/लेनदेन करने और/या जारी रखने (एकल लेनदेन अथवा लेनदेनों का समृह या लेनदेनों की श्रृंखला अथवा अन्यथा) को पहले की व्यवस्थाओं/ लेनदेनों की निरंतरता (ओं) या नवीनीकरण (णों) या विस्तार (रों) या आशोधन (नों) के माध्यम से या नए और स्वतंत्र लेनदेन (नों) के रूप में अथवा अन्यथा रूप में निम्नानुसार करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं:

गण्या विधियों और बैंक की संबंधित नीतियों के अंतर्गत यथा अनुमत राशि और शर्तों (ब्याज दर, प्रतिभृति, अविध, आदि सिहत) पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को या उसकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम, ऋण सुविधाएं, या किसी अन्य प्रकार की निधि-आधारित सुविधाएं, और / या गारंटियां, साख पत्र, या किसी अन्य प्रकार की गैर-निधि आधारित सुविधाएं मंजूर करना; contracts/arrangements/transactions during a Financial Year, whether individually and/or in the aggregate, may exceed ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time wherein Deposits and interest thereon would form a substantial portion of such transaction value; provided however, that the said contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the members of the Bank do hereby accord approval to the Board (which term shall include any Committee, which the Board of Directors of the Bank may have constituted or may hereafter constitute and delegated with the powers necessary for the purpose), to do all such acts, deeds, matters and things and to execute any agreements, documents and writings as may be required, in its sole discretion deem fit and to delegate all or any of its powers conferred herein to any Director(s) and/or Officer(s) of the Bank for execution of contracts/arrangements/transactions and to give effect to this Resolution."

 To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Section 188 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and other applicable provisions of the Act read with rules made thereunder and any other relevant provisions of law, (including any amendment(s), statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Members of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the "Board", which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this resolution), for carrying out and /or continuing with contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), with LIC Housing Finance Limited being a related party of the Bank, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

 Granting of any loans or advances, credit facilities, or any other form of fund-based facilities, and / or guarantees, letters of credit, or any other form of nonfund based facilities to or on behalf of LIC Housing Finance Limited, sanctioned up to such amounts and on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure etc.) as permissible under applicable laws and the relevant policies of the Bank;

2) ऋण प्रतिभूतीकरण का समनुदेशन

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष के दौरान इस तरह की संविदाओं/ व्यवस्थाओं / लेनदेनों, चाहे एकल रूप में तथा/ अथवा समग्र रूप में ₹ 1,000 करोड़ अथवा बैंक के गत लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार के 10%, इनमें से जो भी कम हो, अथवा समय-समय पर विधि/विनियमनों के अंतर्गत लागू अन्य तात्विक सीमा से अधिक हो सकते हैं; बशर्ते उक्त संविदाएं/ व्यवस्थाएं/ लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार सिद्धांत के आधार पर और बैंक के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किये जायेंगे."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बोर्ड (इस पद के अंतर्गत ऐसी कोई भी समिति शामिल है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा गठित की गई है या इसके बाद गठित की जाती है और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक शिक्तयों का प्रत्यायोजन किया जाता है) द्वारा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करने और आवश्यक कोई करार, दस्तावेज तथा लिखावट निष्पादित करने के लिए, जो उनके एकल विवेकाधिकार के अंतर्गत उचित समझे जाएं या बैंक के किसी भी निदेशक (कों) तथा/ अथवा अधिकारी(रियों) को संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ लेनदेनों के निष्पादन के लिए और इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए सभी या किसी भी अपनी शिक्त का प्रत्यायोजन करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं."

बोर्ड के आदेश से कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

> राकेश शर्मा एमडी एवं सीईओ डीआईएन: 06846594

पंजीकृत कार्यालय:

आईडीबीआई बैंक लि. आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड.

मुंबई - 400005 दिनांक: 18 जून 2025

टिप्पणियां :

- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अंतर्गत प्रत्येक विशेष कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.
- 2. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 19 सितंबर 2024 के परिपत्र संख्या 09/2024, जारी सभी पूर्व परिपत्रों के साथ पठित तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिनांक 03 अक्तूबर 2024 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133, जारी सभी पूर्व परिपत्रों के साथ पठित के अनुसार, सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ही आगामी एजीएम में शामिल एवं सहभागिता कर सकते हैं. एजीएम के लिए बैंक का पंजीकृत कार्यालय स्थान माना जाएगा. इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते शुक्रवार, 20 जून 2025 तक

2) Assignment of Loan Securitization

notwithstanding the fact that such contracts/ arrangements/transactions during a Financial Year, whether individually and/or in the aggregate, may exceed ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time; provided however, that the said contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the members of the Bank do hereby accord approval to the Board (which term shall include any Committee, which the Board of Directors of the Bank may have constituted or may hereafter constitute and delegated with the powers necessary for the purpose), to do all such acts, deeds, matters and things and to execute any agreements, documents and writings as may be required, in its sole discretion deem fit and to delegate all or any of its powers conferred herein to any Director(s) and/or Officer(s) of the Bank for execution of contracts/arrangements/transactions and to give effect to this Resolution."

By Order of the Board For IDBI Bank Limited

Rakesh Sharma MD & CEO DIN: 06846594

Registered Office:

IDBI Bank Limited IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade,

Mumbai-400 005 Dated: June 18, 2025

NOTES:

- 1. Explanatory Statements in respect of each Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013 are annexed herewith.
- 2. In terms of Circular no. 09/2024 dated September 19, 2024 read with all earlier Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 read with all earlier Circulars issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI), members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only. The Registered office of the Bank shall be deemed to be the venue for AGM. Further, the Notice of AGM along with Annual Report for FY 2024-25 is being sent by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are

केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड (बैंक का आरटीए)/नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) के पास पंजीकृत हैं.

- 3. बैंक ने उन शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट के संपूर्ण विवरण तक पहुँचने के लिए सटीक पथ के साथ वेब लिंक वाला एक पत्र भेजा है, जिनका ईमेल पता बैंक के आरटीए या डीपी के साथ पंजीकृत नहीं है. वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियाँ केवल उन शेयरधारकों को भेजी जाएँगी जो इसके लिए अनुरोध करेंगे. जो सदस्य वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे कंपनी की ई-मेल आईडी अर्थात् idbiequity@idbi.co.in पर अनुरोध भेजें, जिसमें उनके फ़ोलियो नंबर/ डीपी आईडी और ग्राहक आईडी का स्पष्ट उल्लेख हो.
- 4. एमसीए के दिनांक 19 सितंबर 2024 के परिपत्र सं. 09/2024, इसके द्वारा जारी पूर्व परिपत्रों के साथ पठित के अनुसरण में, इस एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए सदस्यों को प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है. तथापि, कॉरपोरेट निकाय वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने, सहभागिता करने और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने के हकटार हैं
- 5. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक आरंभ होने के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभागिता करने की सुविधा 1000 सदस्यों को पहले आएं पहले पाएं आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें बड़े शेयरधारक (2% या इससे अधिक की शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और स्टेकधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं हैं) जिन्हें पहले आएं पहले पाएं आधार संबंधी प्रतिबंध के बिना एजीएम में भाग लेने की अनुमित है.
- 6. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभागिता करने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम का निर्धारण करने के प्रयोजन हेतु की जाएगी.
- 7. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी महासभाओं पर सचिवीय मानक (एसएस-2) तथा सेबी सूचीबद्धता विनियम (यथा संशोधित) के विनियम 44 और एमसीए द्वारा जारी 05 मई 2022, 13 जनवरी 2021, 05 मई 2020, 13 अप्रैल 2020 और 8 अप्रैल 2020 के साथ पठित 19 सितंबर 2024, 25 सितंबर 2023, 28 दिसम्बर 2022 के परिपत्रों के अनुसरण में बैंक एजीएम में संपन्न किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है. बैंक ने इस प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जिए वोटिंग की सुविधा प्रवान करने हेतु प्राधिकृत एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्युरिटीज डिगॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ करार किया है. सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर मतदान करने की सुविधा और साथ ही एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.

- registered with KFin Technologies Limited (RTA of the Bank)/ National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services India Limited (CDSL) as on Friday, June 20, 2025.
- 3. Bank has sent, a letter containing the web link, along with the exact path to access the complete details of the Annual Report to shareholders whose email address is not registered with the Bank's RTA or DP. The physical copies of Annual Report and Notice of AGM will be dispatched only to those shareholders who request for the same. Members who are desirous of obtaining hard copy of the Annual Report should send a request to the Company's e-mail id viz., idbiequity@idbi.co.in clearly mentioning their Folio number / DP ID and Client ID.
- 4. Pursuant to the Circular No 09/2024 dated September 19, 2024 read with earlier Circulars, issued by the MCA, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, the Body Corporates are entitled to appoint Authorized Representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate and cast their votes through e-Voting.
- 5. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc) who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.
- The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
- 7. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations (as amended) and the Circulars issued by the MCA dated September 19, 2024, September 25, 2023, December 28, 2022 read with May 05, 2022, January 13, 2021, May 05, 2020, April 13, 2020 and April 08, 2020, the Bank is providing facility of remote e-Voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well as e-voting on the date of the AGM will be provided by NSDL.

- 8. एमसीए के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 17/2020 के साथ पठित 19 सितंबर 2024 के परिपत्र सं. 09/2024 के अनुरूप एजीएम के आयोजन का नोटिस बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर अपलोड किया गया है. एजीएम का यह नोटिस स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com और एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करानेवाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी देखा जा सकता है.
- 9. अनुच्छेद 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में दिये अनुसार वार्षिक महासभा के लिए कोरम सभा में तीस सदस्यों (एलआईसी के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के वीसी के जरिए बैठक में उपस्थित होने पर परा होगा.
- 10. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, इकाई: आईडीबीआई बैंक, प्लॉट सं. 31-32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना 500 032 [टोल फ्री नं. 1800-309-4001, ईमेल: einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, पंजीकृत कार्यालय की 22वीं मंजिल, 'बी' विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 [टेली. नं. (022) 66553336/3062/2806/3147, 6619-4172, ईमेल: idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.
- 11. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार एजीएम के दौरान निरीक्षण के लिए रिजस्टर एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली https://www.evoting.nsdl.com/ पर लॉगिन करने पर उपलब्ध रहेंगे.
- 12. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली), के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) यथा संशोधित की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार:
 - i) एजीएम की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है.
 - ii) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दे चुके सदस्य वीसी/ ओएवीएम के जरिए एजीएम में भी भाग ले सकते हैं परंतु वे एजीएम में दुबारा अपना वोट देने के हकदार नहीं होंगे.
 - iii) लॉगिन आईडी का ब्योरा इस नोटिस में नीचे दिया गया है.
- 13. सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ बुधवार, 16 जुलाई 2025 से मंगलवार, 22 जुलाई 2025 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी. नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर कार्रवाई उन शेयरधारकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान देकर की जा सकती है जिनके नाम बहियों में सदस्यों या शेयरों के हिताधिकारी स्वामियों के रूप में मंगलवार, 15 जुलाई 2025 (दिनांत), वह तारीख जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार का निर्धारण करने हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में तय की गई है, को दर्ज होंगे.

- 8. In line with the MCA Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 read with Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.idbibank.in. The AGM Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com.
- The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the LIC) present in the meeting through VC.
- 10. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., KFin Technologies Limited at their address at Selenium Tower B, Unit: IDBI Bank, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi, Telangana 500 032 [Toll Free No.1800-309-4001, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank Ltd. at its Registered Office at 22nd floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400 005 [Tel. No.(022) 66553336/3062/2806/3147, 6619-4172, E-mail: idbiequity@idbi.co.in] with regard to any share related matter.
- 11. Registers as per Companies Act, 2013 shall be available for inspection during the AGM upon login at NSDL e-voting system at https://www.evoting.nsdl.com/
- 12. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended:
 - The Items of Business given in the AGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.
 - ii) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM through VC/ OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.
 - ii) Details of login id are given below in this Notice.
 - The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Wednesday, July 16, 2025 to Tuesday, July 22, 2025 (both days inclusive). In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules, the items of Business given in AGM Notice may be transacted through electronic voting system by casting of votes by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on Tuesday, July 15, 2025 (End of Day), being the Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised by remote e-voting.

- 14. 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश, यदि आगामी एजीएम में अनुमोदित होता है, के लिए सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करने हेतु नियत "रिकॉर्ड तिथि" मंगलवार, 15 जुलाई 2025 है.
- 15. सेबी के दिनांक 07 मई 2024 के मास्टर परिपन्न संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/37 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक जिनके फोलियो में स्थायी खाता संख्या ("पैन"), नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर अद्यतन नहीं हैं, ऐसे फोलियो के संबंध में लाभांश के भुगतान के लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को उपरोक्त सभी विवरण संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने पर पात्र होंगे.
- 16. तद्नुसार सदस्यों से अनुरोध है कि वे विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित संबंधित आईएसआर फॉर्म के साथ सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करके सेवा अनुरोध करें, जिसका प्रारूप बैंक की वेबसाइट https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिनटेक), अर्थात् बैंक के आरटीए www.kfintech.com पर उपलब्ध है. यह नोट किया जाये कि किसी भी सेवा अनुरोध पर तभी कार्रवाई की जायेगी जब फोलियों केवाईसी अनुपालक है.

रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि गुरुवार, 17 जुलाई 2025 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) शुरू होगी और सोमवार, 21 जुलाई 2025 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) समाप्त होगी. उक्त समयावधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा. जिन सदस्यों के नाम सदस्यों/ हिताधिकारी स्वामियों के रिजस्टर में रिकॉर्ड की तारीख (कट-ऑफ तारीख) अर्थात् मंगलवार,15 जुलाई 2025 को दर्ज होंगे, वे अपना वोट इलेक्ट्रोनिक पद्धित से दे सकेंगे. शेयरधारकों का मताधिकार निर्दिष्ट तारीख अर्थात् मंगलवार, 15 जुलाई 2025 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा.

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से किस प्रकार मतदान करूं?

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में नीचे निर्दिष्ट किए अनुसार ''दो चरण'' शामिल हैं:

चरण 1 : एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली में एक्सेस करना

अ) डीमैट रूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग के लिए लॉगिन पद्धित तथा वर्चुअल बैठक में शामिल होना

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सुविधा के बारे में दिनांक 9 दिसंबर 2020 के सेबी के परिपन्न के अनुसार, डीमैट रूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरियों और डिपॉजिटरी सहभागियों के पास खोले गए डीमैट खातों के माध्यम से वोट करने की अनुमति दी गई है. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन करें.

- 14. The "Record Date" fixed for determining entitlement of members to final dividend for the Financial Year ended March 31, 2025 if approved at ensuing AGM is Tuesday, July 15. 2025
- 15. Pursuant to the SEBI master circular no. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024, the shareholders holding shares in physical form whose folio(s) do not have Permanent Account Number ("PAN"), Choice of Nomination, Contact Details, Mobile Number, Bank Account Details, Specimen Signature updated, shall be eligible for payment of dividend, in respect of such folio(s), only through electronic mode upon their furnishing all the aforesaid details in entirety to KFin Technologies Limited, Registrar and Transfer Agent.
- 16. Accordingly, Members are requested to make service requests by submitting supporting documents duly filled and signed with relevant ISR forms, the formats of which are available at Bank's website https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx and that of KFin Technologies Limited (KFintech), viz. RTA of the Bank at www.kfintech.com. It may be noted that any service request can be processed only after the folio is KYC compliant.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:-

The remote e-voting period begins on and from Thursday, July 17, 2025 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Monday, July 21, 2025 at 5.00 p.m (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. Tuesday, July 15, 2025, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Bank as on the cut-off date, being Tuesday, July 15, 2025.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

डीमैट रूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति नीचे दी गई है :

Login meth	od for	Individual	shareholders	holding
securities in demat mode is given below:				

शेयरधारकों का प्रकार लॉगिन पद्धति	Type of	Login Method	
सेवस्तक शेयरधारक जो प्रप्तपडीएल के पास डॉमेंट रूप में प्रतिभूति रखते हैं 1. ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices.nsdl.com/ SecureWeb/evoting/evotinglogin. isp. पर क्लिक कर सकते हैं. आपको अपभी 8 अंकों की अपभी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा. पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें. सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रि-डायरेक्ट किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने वा वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे. 2. मौजूदा आईडीईएएस यूजर व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल से एनएसडीएल की ई-सिवेसेस वेबसाइट : https://eservices.nsdl.com पर जाएं. ई-सेविसेस होम पेज पर ''Login'' के अंतर्गत ''Beneficial Owner'' आइकॉन पर क्लिक करें जो ''IDeAS'' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. यह आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करने के लिए कहेगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, वोटिंग सर्विसेस के अंतर्गत उपलब्ध है. यह आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करने के लिए कहेगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत इ-वोटिंग सर्विसेस के अंतर्गत ''Access to e-Voting'' पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग की अविध के दौरान मतदान करने और आप ई-वोटिंग की अविध के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे.	Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	1. For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID, 8-digit Client Id, PAN No, Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2. Existing IDeAS user can visit the e-Services website of NSDL viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section, this will prompt you to enter yourexisting User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on Bank name or e-Voting page. Click on Bank name or e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.	

- यदि यूजर आईडीईएएस ई-सिविसेस के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो https://eservices. nsdl.com पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है. "Register Online for IDeAS Portal" सिलेक्ट करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें.
- एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जायें. अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर युआरएलः https://www.evoting. nsdl.com/ टाइपकरते हुएवेब ब्राउजर खोलें. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलते ही "Login" आइकॉन पर क्लिक करें जो 'Shareholder/Member' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के पास सोलह अंकों का आपका डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार एक सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप एनएसडीएल की डिपोजिटॉरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं. बैंक के नाम या e-Voting service provider i.e. NSDL पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे.
- 5. शेयरधारक/ सदस्य निर्बाध वोटिंग अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल एप "NSDL Speede" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं

- 3. If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS Portal" or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/ldeasDirectReg.jsp
- Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting. nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on Bank name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
- Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App "NSDL Speede" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.

NSDL Mobile App is available on









NSDL Mobile App is available on









वैयक्तिक शेयरधारक जो सीडीएसएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूति रखते हैं

- . मौजूदा यूजर जिन्होंने सीडीएसएल ईजी/ इजीएस्ट सुविधा का चयन किया है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं. बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के ई-वोटिंग पेज पर जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा. ईजी/इजीएस्ट पर लॉगिन करने हेतु उपयोगकर्ता से अनुरोध है कि सीडीएसएल वेबसाइट <u>www.cdslindia.</u> <u>com</u> पर जायें और लॉगिन आइकॉन तथा इसके बाद New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और अपना मौजूदा ईजी उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें.
- 2. सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद ईजी/इजीएस्ट यूजर पात्र कंपनियों का ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे, जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग जारी है. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, यूजर रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा. इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुँचने के लिए लिंक भी प्रदान किए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें.
- 3. यदि यूजर ईजी/इजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो सीडीएसएल वेबसाइट <u>www.</u> <u>cdslindia.com</u> पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है. लॉगिन और New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और उसके बाद पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें
- 4. विकल्प के तौर पर, यूजर <u>www.</u>
 cdslindia.com के होम पेज में उपलब्ध ईवोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन
 नंबर डाल कर सीधे ई-वोटिंग पेज पर एक्सेस
 कर सकते हैं. सिस्टम, डीमैट खाते में रिकॉर्ड
 पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेज
 कर यूजर का सत्यापन करेगा. सफलतापूर्वक
 सत्यापन के बाद, यूजर ई-वोटिंग का विकल्प
 देख सकेंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है और
 सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सीधे सिस्टम
 में एक्सैस कर सकेंगे.

Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL

- Existing users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then use your existing my easi username & password.
- 2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there are also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.
- If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option.
- 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Provider.

वैयक्तिक शेयरधारक (जो डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखते हैं) जो अपने डिपॉजिटरी सहभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं

ई-वोटिंग आप सविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकत अपने डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेड़ेंशियल का प्रयोग करते हुए भी लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते ही सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद आप एनएसडीएल/सीडीएसएल की डिपॉजिटरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग फीचर देख सकते हैं. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्च्अल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे.

महत्वपूर्ण सूचना: जो सदस्य अपना यूजर आईडी/ पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हों वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध Forget User ID और Forget Password विकल्प का उपयोग करें.

डीमैट स्वरूप में प्रतिभृतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन करने में आने वाली किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए हेल्पडेस्क.

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी
सीडीएसएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	पर कॉल कर सकते हैं. लॉगिन में किसी भी तकनीकी

आ) डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों और भौतिक स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन कैसे करें ?

- एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जायें. अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्निलिखत यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोलें.
- 2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पृष्ठ एक बार खुल जाने पर "Login" आइकॉन पर क्लिक करें जो "Shareholders/ Member" खंड के अंतर्गत उपलब्ध है.
- एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाया गया सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा

विकल्प के तौर पर, यदि आप एनएसडीएल ईसेवाओं, अर्थात् आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएएस लॉगिन से https://eservices.nsdl.com/ पर लॉगिन कर सकते हैं. अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए एनएसडीएल ईसेवाओं पर लॉगिन हो जाने पर, e-Voting पर क्लिक कर आप चरण 2, अर्थात् Cast your vote electronically की तरफ बढ़ सकते हैं.

Individual
Shareholders
(holding securities
in demat mode)
login through
their depository
participants

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/ CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forgot User ID and Forgot Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details	
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl. com or call at toll free no.: 022-4886-7000	
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk. evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800-21-09911	

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

- Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
- 2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
- 3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. आपका यूजर आईडी संबंधी विवरण नीचे दिया गया है :

शेयर धारण करने का ढंग, अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक		आपका यूजर आईडी है :		
क)	उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर एनएसडीएल में डीमैट खाते में हैं.	8 करेक्टर का डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी. उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** और ग्राहक आईडी 12***** है तो आपका यूजर आईडी IN300***12***** होगा.		
ন্ত্ৰ)	उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर सीडीएसएल में डीमैट खाते में हैं.	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 1 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
ग)	उन सदस्यों के लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं.	EVEN संख्या और उसके बाद बैंक के पास पंजीकृत फोलियो संख्या. उदाहरण के लिए, यदि फोलियो संख्या 001*** है और EVEN संख्या 101456 है तो यूजर		
		संख्या. उदाहरण के लिए, यदि फोलिंग संख्या 001*** है और EVE!		

- 5. वैयक्तिक शेयरधारकों से इतर शेयरधारकों का पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:
 - क) यदि आप ई-वोटिंग के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं, तो आप अपना वर्तमान पासवर्ड लॉगिन के लिए प्रयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं.
 - ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो आपको भेजे गए 'प्रारंभिक पासवर्ड' को रिट्रीव करने की आवश्यकता होगी. अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' रिट्रीव करने पर, आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्रविष्ट करना होगा और इसके बाद प्रणाली आपको अनिवार्यतः पासवर्ड बदलने के लिए निर्देश देगी.
- ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे रिटीव करें ?
 - (i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या बैंक के पास पंजीकृत है तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी पर भेजा जाता है. अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को खोजें. ईमेल को खोलें और अटैचमेंट, अर्थात् पीडीएफ फाइल को खोलें. पीडीएफ फाइल खोलने के लिए पासवर्ड, एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलिओ संख्या है. पीडीएफ फाइल में आपके 'यूजर आईडी' और 'प्रारंभिक पासवर्ड' होंगे.
 - (ii) यदि आपका ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया आप नीचे उन शेयरधारकों संबंधी प्रक्रियाओं में उल्लिखित चरणों का पालन करें जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं.

4. Your User ID details are given below:

Manner of holding		Your User ID is:	
shares i.e. Demat (NSDL			
or CDSL) or Physical			
a)	For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.	
b)	For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12************************************	
c)	For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the bank. For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***	

- 5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:
 - a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
 - b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
 - c) How to retrieve your 'initial password'?
 - (i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
 - (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process for those shareholders whose email ids are not registered.

- 6. यदि आप पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं या आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो:
 - www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password?" पर क्लिक करें (यदि आपके शेयर एनएसडील या सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में हैं).
 - ख) www.evoting.nsdl.com पर ''Physical UserReset Password?'' विकल्प उपलब्ध है (यदि आपके शेयर भौतिक रूप में हैं).
 - ग) यदि उपर्युक्त दोनों विकल्पों से भी आपको पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, अपना पैन, नाम और पंजीकृत पते, आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.com पर अपना अन्रोध भेज सकते हैं.
 - घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी प्रयोग कर सकते हैं.
- 7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करते हुए सहमति के लिए ''Terms and Conditions'' पर टिक करें.
- 8. अब आपको "Login" बटन पर क्लिक करना होगा.
- 9. ''Login'' बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पृष्ठ खलेगा.

चरण 2 : एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली से अपना वोट इलेक्टोनिक रूप से करें और महासभा में शामिल हों :

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान कैसे करें और महासभा में कैसे शामिल हों?

- चरण 1 के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप उन सभी कंपनियों के "EVEN" देख पाएंगे, जिनके आपने शेयर धारित कर रखे हैं तथा जिनका वोटिंग चक्र और महासभा सक्रिय स्थिति में हैं.
- 2. आप उस बैंक का "EVEN" चुनें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अविध के दौरान मतदान करना चाहते हैं तथा महासभा के दौरान मतदान करना चाहते हैं. वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए आपको "Join General Meeting" के अंतर्गत "VC/ OAVM" लिंक को क्लिक करना होगा.
- 3. अब वोटिंग पष्ठ खलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं.
- 4. उपयुक्त विकल्प, अर्थात् Assent या Dissent (सहमत या असहमत) का चयन करते हुए अपना मतदान करें. आप जिन शेयरों के लिए अपना मतदान करना चाहते हैं उनकी संख्या सत्यापित/संशोधित करें तथा "Submit" पर क्लिक करें और साथ ही प्रॉम्प्ट किए जाने पर "Confirm" पर क्लिक करें.
- 5. पुष्टिकरण के बाद, "Vote Cast Successfully" संदेश प्रदर्शित होगा.
- 6. आप पुष्टिकरण पृष्ठ पर Print विकल्प पर क्लिक कर अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.
- 7. संकल्प पर अपने मतदान की पुष्टि करने के बाद आप अपने मतदान में संशोधन नहीं कर सकेंगे.

- 6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:
 - a) Click on "Forgot User Details/Password?"
 (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - b) **"Physical User Reset Password?"** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com
 - c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at <u>evoting@nsdl.com</u> mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
 - d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL
- After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
- 8. Now, you will have to click on "Login" button.
- After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

- After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
- Select "EVEN" of Bank for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join General Meeting".
- Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
- 4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
- 5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
- 6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
- 7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

- 1 संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से इतर) से अपेक्षा है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर, जिसे मतदान के लिए अधिकृत किया गया है, के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ, जेपीजी फॉर्मेट में) को scrutinizer@snaco. net के जिरये संवीक्षक को भेजें और उसकी प्रति evoting@nsdl. com को भेजें. संस्थागत शेयरधारक अपने लॉगिन में ''e-Voting'' टैब के अंतर्गत प्रदर्शित ''Upload Board Resolution/Authority Letter'' पर क्लिक करके भी बोर्ड का संकल्प/मुख्तारनामा/प्राधिकार पत्र आदि अपलोड कर सकते हैं.
- इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें. सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयासों के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए आपको www.evoting.nsdl.com साइट पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" या "Physical User Reset Password?" के विकल्प पर जाना होगा.
- 3. किसी भी जानकारी के लिए आप <u>www.evoting.nsdl.com</u> के डाउनलोड खंड में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं अथवा टेलीफोन नं. 022 4886 7000 पर कॉल करें अथवा <u>evoting@nsdl.com</u> पर श्री संजीव यादव, सुश्री पल्लवी म्हान्ने और श्री अमित विशाल को अन्रोध मेल भेज सकते हैं.

इस नोटिस में निर्दिष्ट संकल्पों के लिए ई-वोटिंग करने हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने तथा ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरियों के पास पंजीकृत नहीं हैं:

- 1. यदि शेयर भौतिक स्वरूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (मुखपृष्ट और पृष्ठ भाग), पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in भेजें.
- 2 यदि शेयर डीमैट स्वरूप में धारित हैं तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकीय डीपीआईडी + सीएलआईडी अथवा 16 अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर अथवा समेकित लेखा विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) idbiequity@idbi.co.in पर भेजें. यदि आप डीमैट स्वरूप में प्रतिभृतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं तो आप चरण 1 (अ) में बताई गई लॉगिन पद्धित अर्थात् डीमैट स्वरूप में प्रतिभृति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धित देखें.
- 3. विकल्प के तौर पर शेयरधारक/सदस्य ऊपर उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए <u>evoting@</u> nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं.
- 4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में सेबी के दिनांक 9 दिसंबर 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी व डिपॉजिटरी सहभागी के पास खोले गए डीमैट खाते के माध्यम से ई-वोटिंग करने की अनुमित दी गई है. इस ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को सही तरीके से अद्यतन करना होगा.

General Guidelines for shareholders

- Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.com. Institutional shareholders can also upload their Board Resolution/Power of Attorney/Authority Letter, etc by clicking on "Upload Board Resolution/Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.
- 2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
- In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 or send a request to Mr. Sanjeev Yadav, Ms. Pallavi Mhatre and Mr. Amit Vishal at evoting@nsdl.com

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of email ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

- In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) by email to idbiequity@idbi.co.in
- 2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) to idbiequity@idbi.co.in. If you are an Individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at step 1 (A) i.e. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.
- Alternatively shareholder/members may send a request to <u>evoting@nsdl.com</u> for procuring User ID and Password by providing above mentioned documents.
- In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email id correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

- एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए अनुदेशों जैसी है.
- 2. केवल वे सदस्य/शेयरधारक जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर मतदान नहीं किए हैं तथा जो अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, वे एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान करने के लिए पात्र होंगे.
- जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जिरए मतदान किया है वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे. तथापि, वे एजीएम में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे.
- 4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का विवरण वही रहेगा जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लेख किया गया है.

वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

- 1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जिरए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के लिए एक्सेस संबंधी उपर्युक्तानुसार बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए एक्सेस कर सकते हैं. सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप बैंक के नाम के सामने ''Join Meeting'' मेनू के अंतर्गत ''VC/OAVM'' लिंक देखेंगे. आपसे अनुरोध है कि ''Join Meeting'' मेनू के अंतर्गत VC/OAVM लिंक पर क्लिक करें. वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी की ईवीईएन प्रदर्शित की जाएगी. कृपया नोट करें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे नोटिस में उल्लेख किए अनुसार रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करते हुए इन्हें पुन: प्राप्त (रिट्रीव) कर लें तािक अंतिम समय में होने वाली भीड़ से बचा जा सके.
- 2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्य लैपटॉप के जरिए बैठक में भाग लें.
- 3. इसके अलावा, सदस्यों को कैमरे की अनुमित देनी होगी और अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करना होगा ताकि बैठक के दौरान किसी प्रकार की रुकावट को टाला जा सके.
- 4. कृपया नोट करें कि मोबाइल उपकरणों अथवा टैबलेट अथवा मोबाइल हॉटस्पॉट के जिरए जुड़े लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले सहभागियों को उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ सकता है. अतः स्थिर वाई-फ़ाई अथवा लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है ताकि ऊपर उल्लेख की गई समस्याओं को कम किया जा सके.
- 5. ऐसे सदस्य जो एजीएम के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक हैं, वे एनएसडीएल ई-वोटिंग प्लेटफ़ार्म पर लॉगिन करके और "Speaker Registration" टैंब पर क्लिक करके तथा अपनी पंजीकृत ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर और शहर का उल्लेख करते हुए गुस्वार, 17 जुलाई 2025 की सुबह 9.00 बजे से रविवार, 20 जुलाई 2025 की शाम 5.00 बजे की अविध तक अपना नाम वक्ता के रूप में पंजीकृत कराना होगा.
- 6. अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक अपने नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रश्नों को अग्रिम रूप से सोमवार, 14 जुलाई 2024 की सुबह 9.00 बजे से 16 जुलाई 2024 की शाम 5.00 बजे तक ई-मेल idbiequity@idbi.co.in पर भेज सकते हैं. बैंक द्वारा उनके प्रश्नों के समृचित रूप से उत्तर दिए जाएंगे.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE AGM ARE AS UNDER:-

- 1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
- Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
- Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
- The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

- Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned above for Access to NSDL e-Voting system. After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under "Join meeting" menu against Bank name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
- 2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
- Further, Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- 4. Please note that Participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- 5. Members who would like to express their views or ask questions during AGM will have to register themselves as Speaker by logging into NSDL's e-Voting platform and clicking on the tab "Speaker Registration" and mentioning their registered e-mail id, mobile number and city during the period starting from Thursday, July 17, 2025 at 9.00 a.m. up to Sunday, July 20, 2025 at 5.00 p.m.
- 6. Shareholders who would like to express their views/ have questions may send their questions in advance mentioning their name, demat account no/folio no, email id, mobile number at <u>idbiequity@idbi.co.in</u> from 9.00 a.m. on Monday, July 14, 2025 till 5.00 p.m. on July 16, 2025. The same will be replied by the Bank suitably.

- 7. बैंक एजीएम के समुचित रूप से संचालन के लिए यथोचित समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को प्रतिबंधित करने का अधिकार रखता है. जिन शेयरधारकों ने वक्ता के रूप में अपना पंजीकरण कराया है, केवल उन्हीं को बैठक के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने की अनुमित दी जाएगी.
- एजीएम से पहले या इसके दौरान वीसी/ओएवीएम के संबंध में किसी भी सहायता के लिए सदस्यगण एनएसडीएल से 022-4886-7000 पर संपर्क करें अथवा श्री संजीव यादव को sanjeevy@nsdl.com पर ईमेल भेजें.

ऐसे व्यक्तियों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के लिए निर्दिष्ट तारीख के बाद अर्थात् 20 जून 2025 के बाद और 15 जुलाई 2025 तक (जो शेयरधारकों के मताधिकार तय करने के लिए निर्दिष्ट कट-ऑफ तारीख है) बैंक के सदस्य बने हैं

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 20 जून 2025 (एजीएम की सूचना के प्रेषण के लिए निर्दिष्ट तारीख) से 15 जुलाई 2025 तक (सदस्यों का मताधिकार तय करने के लिए निर्दिष्ट तारीख) की अवधि के दौरान शेयर अर्जित किए हैं और 15 जुलाई 2025 की उक्त निर्दिष्ट तारीख तक सदस्य बने हुए हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसे सदस्य अपनी शेयरधारिता का विवरण अर्थात् नाम, धारित शेयर, फोलियो संख्या या डीपी आईडी/ क्लाइंट आईडी संख्या आदि देते हुए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ''Forgot User Details/Password?'' अथवा ''Physical User Reset Password?'' विकल्प का प्रयोग कर उसे रीसेट कर सकते हैं.

कृपया नोट करें कि:

- सदस्यों के मताधिकार 15 जुलाई 2025 की निर्दिष्ट तारीख को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12(2) के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिबंधित वोटिंग सीमा के अधीन होगा.
- सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जिरए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, किन्तु उन्हें एजीएम के दौरान द्वारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी.
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयासों के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध ''Forgot User Details/Password?'' अथवा ''Physical User Reset Password?'' विकल्प पर जाना होगा.
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है जिनके आप शेयरधारक हैं.
- इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें.
- सदस्य कृपया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सोमवार,
 21 जुलाई 2025 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) से बंद कर दी जाएगी.
- ऐसे व्यक्ति, जो 15 जुलाई 2025 अर्थात् इस प्रयोजन के लिए नियत निर्दिष्ट तारीख को बैंक के सदस्य नहीं हैं, वे इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझेंगे.

- 7. The Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time as appropriate for smooth conduct of AGM. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
- 8. Members who need assistance regarding VC/OAVM before or during the AGM, can contact NSDL on 022-4886-7000 or email to Mr. Sanjeev Yadav at sanjeevy@nsdl.com.

Instructions in respect of e-voting to persons, who have become members of the Bank after the cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice, i.e., June 20, 2025 and up to July 15, 2025 (being the cut-off date reckoned for voting rights of shareholders)

Persons who have acquired shares during the period from June 20, 2025 (cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice) till July 15, 2025 (cut-off date for reckoning voting rights of members) and are continuing to be Members as on the said cut-off date of July 15, 2025, can exercise their voting right through remote e-voting. Such Members may obtain the login ID and password from NSDL by sending a request to evoting@nsdl.com by giving their shareholding details, viz., Name, Shares held, Folio No. or DP ID / Client ID No., etc. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset the same by using "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting. nsdl.com.

Please note that:

- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of July 15, 2025 subject to Voting Cap restrictions provided by RBI in terms of Section 12(2) of the B.R. Act, 1949.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolutions placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that, the remote e-voting facility shall be blocked forthwith on Monday, July 21, 2025 at 5.00 p.m. (IST).
- The persons, who are not Members of the Bank as on July 15, 2025, i.e., Cut-off date fixed for the purpose, shall treat this Notice for information only.

इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के आरटीए केफिन टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड (इकाई-आईडीबीआई बैंक लि.), प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, रंगारेड्डी, तेलंगाना, हैदराबाद - 500 032 [टोल फ्री नं. - 1800-309-4001, ईमेल: einward. ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के इक्विटी कक्ष, बोर्ड विभाग, 22वीं मंजिल, बी विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 (022- 66553336/3062/2806/3147 66194172) अथवा एनएसडीएल - टोल फ्री नं. 022-4886-7000 पर संपर्क करें.

- 9. बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया संचालित करने के लिए कंपनी सेक्रेटरीज मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी की साझेदार सुश्री अपर्णा गाडिंगल अथवा उनके न रहने की स्थिति में श्री एस.एन. विश्वनाथन को संवीक्षक के रूप में नियक्त किया है.
- 10. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम दिनांक 24 जुलाई 2025 को या उससे पहले बैंक की वेबसाइट <u>www.idbibank.in</u> तथा एनएसडीएल की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर प्रदर्शित किए जाएंगे. ई-वोटिंग के परिणाम उसी दिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. तथा बीएसई लि. को भी सूचित किए जाएंगे.

तत्काल ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

- 01. कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित कंपनी अिधनियम, 2013 की धारा 20 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 की शार्तों के अनुसार, उन सभी सदस्यों से, जिन्होंने अपने ईमेल आईडी (यों) को बैंक के पास पंजीकृत/ अद्यतन नहीं करवाया है, अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त विवरण भेजें तािक वे आईडीबीआई बैंक से इलेक्ट्रॉनिक रूप में महासभा की सूचना/पोस्टल बैलेट/ ई-वोटिंग में सहभागिता, वािषक रिपोर्ट और/या अन्य सूचनाएँ प्राप्त कर सकें.
- 02. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियां शेयरधारकों को लाभांश सिंहत निवेशकों को सभी भुगतान रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक रूप के माध्यम से करेंगी, इसलिए हम उन सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं जिन्होंने आज तक अपने बैंक खाते का विवरण पंजीकृत नहीं किया है, वे इसे पंजीकृत / अद्यतित करें, क्योंकि इससे आपके बैंक खाते में सीधे लाभांश प्राप्त करने की सुविधा होगी.
- 73. लाभांश पर टीडीएसः वित्त अधिनियम, 2020 यथा संशोधित द्वारा और के साथ पठित आय कर अधिनियम, 1961 (''अधिनियम'') के प्रावधानों के अनुसार, बैंक द्वारा घोषित और भुगतान किया गया लाभांश शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य है. इसीलिए बैंक को लागू दरों पर लाभांश आय के वितरण पर स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की आवश्यकता होती है. वैध पैन की उपलब्धता, आवासीय स्थिति, शेयरधारक की श्रेणी आदि के आधार पर टीडीएस दर भिन्न हो सकती है और यह बैंक द्वारा प्राप्त अपेक्षित दस्तावेजों/ घोषणाओं के प्रावधान के अधीन है. कृपया ध्यान दें कि लागू टीडीएस का अनुपालन करने/ कर प्रावधानों को विथहोल्ड करने के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर में

For any further details in this regard, you may contact KFin Technologies Limited (Unit-IDBI Bank Ltd.), RTA of the Bank located at Plot No. 31-32, Gachibowli, District. Nanakramguda, Serilingampally. Rangareddy, Telangana, Hyderabad- 500 032 [Toll Free No.1800-309-4001, E-mail: einward.ris@kfintech. coml or IDBI Bank Ltd.. Equity Cell, Department, 22nd Floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400 005 (022-66553336/3062/2806/3147, 66194172) or NSDL -Toll Free No. 022-4886-7000.

- The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil or failing her Mr. S. N. Viswanathan, Partners of M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.
- 10. The result of e-voting along with Scrutinizer's Report will be announced on or before July 24, 2025 by displaying the same on Bank's Website <u>www.idbibank.in</u> and NSDL's website <u>www.evoting.nsdl.com</u>. The result of e-voting will also be disclosed to National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Ltd. on the same day.

IMPORTANT NOTES FOR URGENT ATTENTION:

- 01. In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Members, who have not registered / updated their e-mail id(s) with the Bank are requested, to kindly provide the said details in order to receive Notices of General Meetings/Postal Ballot, participate in e-Voting, receive Annual Report and / or other communications from IDBI Bank in electronic form.
- 02. In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed companies shall make all payments to investors including dividend to Shareholders, through RBI approved Electronic mode of payment, hence we request all Shareholders who have till date not registered their bank account details, to register / update the same, as this will facilitate receipt of dividend directly into your bank account.
- 03. TDS on Dividend: In accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 ("the Act"), as amended by and read with provisions of the Finance Act, 2020, the dividends declared and paid by a Bank are taxable in the hands of the shareholders. Therefore, the Bank is required to deduct Tax at Source (TDS) on the distribution of dividend income at applicable rates. The TDS rate may vary depending upon the availability of valid PAN, residential status, category of shareholder, etc. and is subject to provision of requisite documents / declarations received by the Bank. Please note that these details as available on record date in the Register of Members will be relied upon by the Bank, for the purpose of complying with the applicable TDS / withholding tax provisions. The detailed information on

रिकार्ड तारीख को उपलब्ध इन विवरणों पर बैंक द्वारा भरोसा किया जाएगा. विभिन्न श्रेणियों के लिए टीडीएस की दर/ विथहोल्ड कर प्रावधान, अपेक्षित दस्तावेजों के साथ छूट की प्रयोज्यता (यदि कोई हो) की विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट https://www.idbibank.in/ पर होस्ट की गई है.

24 आपके मामले में लागू अपेक्षित दस्तावेज (जैसे फॉर्म 15जी/15एच, टीआरसी, फॉर्म 10एफ, स्व-प्रमाणित घोषणा, आदि) 15 जुलाई 2025 को या उससे पहले https://ris.kfintech.com/form15/ पर अपलोड किए जा सकते हैं. लागू कर की कटौती के लिए उपर्युक्त कट-ऑफ तिथि के बाद प्राप्त किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा. जहां दस्तावेजों की प्रतियां अपेक्षित हैं, ऐसी प्रतियां शेयरधारक या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्व-प्रमाणित की जानी चाहिए.

भौतिक शेयरधारक जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-2023 और वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए घोषित लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx पर उपलब्ध केवाईसी दस्तावेज जैसे फॉर्म आईएसआर-1, फॉर्म आईएसआर-2, फॉर्म एसएच-13, फॉर्म आईएसआर-3 भर कर नीचे दिए गए पते पर आरटीए को भेजें:

केफिन टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड (केफिनटेक), इकाई-आईडीबीआई बैंक लि., सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्टिक्ट, नानकरामगुडा,

हैदराबाद - 500 032

[टोल फ्री नं. 1800 309 4001, ईमेलः <u>einward.ris@kfintech.</u> <u>com</u>]

बैंक के रजिस्ट्रार को उपर्युक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद, कृपया लाभांश जारी करने के लिए बैंक को इसकी ईमेल आईडी - idbiequity@idbi.co.in पर सूचित करें.

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-2023 और वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए घोषित लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे ऊपर उल्लिखित पते पर आरटीए को अद्यतन क्लाइंट मास्टर सुची प्रस्तुत करें.

06 भौतिक शेयरों से संबंधित सभी जोखिमों को दूर करने और डीमैट धारिता के विविध लाभ उठाने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने द्वारा भौतिक रूप में धारित शेयरों को इलेक्ट्रोनिक रूप में धारित करें. शेयरधारक अपने नजदीकी आईडीबीआई शाखा में डीमैट खाता खोल सकते हैं और इलेक्टोनिक रूप में धारित शेयरों का लाभ उठा सकते हैं.

एजीएम की सूचना में विशेष कारोबार की मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

सूचना की मद सं. 5 के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) ('एलओडीआर') विनियम, 2015 के विनियमन 24ए के अनुसार, बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति बोर्ड की सिफारिश पर बैंक के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित की जाएगी.

तद्नुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 से शुरू होकर वित्तीय वर्ष 2029-30 तक पांच (5) वर्षों की लेखा परीक्षा अवधि के लिए 2,25,000/- रुपये प्रति वर्ष (प्लस लागू कर) के शुल्क और वास्तविक फुटकर खर्च तथा शेष चार वर्षों के लिए समय-समय पर बैंक के निदेशक मंडल और फर्म के बीच आपसी सहमित से जैसे तय हो, पर बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, समकक्ष समीक्षा फर्म मेसर्स पारिख एंड एसोसिएट्स की नियुक्ति की सिफारिश की है.

the rate of TDS/withholding tax provisions, applicability of exemption (if any) along with required documents for various category is hosted on Bank website at https://www.idbibank.in/

- The requisite documents (such as Form 15G/15H, TRC, Form 10F, Self-Attested Declaration, etc.) as applicable in your case can be uploaded at https://ris.kfintech.com/form15/ on or before July 15, 2025. Any communication received after the above mentioned cut-off date will not be considered, for deduction of applicable tax. Where copies of the documents are required, such copies should be self-attested by the shareholder or its authorized signatory.
- Physical Shareholders who have not claimed dividend declared for FY 2022-2023 and FY 2023-2024 are requested to submit the KYC documents viz Form ISR-1, Form ISR-2, Form SH-13, Form ISR -3 available at https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx to the RTA at the address provided below:

KFin Technologies Limited (KFintech), Unit IDBI Bank Ltd, Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad- 500032 [Toll Free No. 1800 309 4001, Email: einward.ris@kfintech.

After submission of above documents to the Registrar of the Bank, kindly intimate the same to the Bank at its email id- idbiequity@idbi.co.in for release of dividend.

Shareholders holding shares in demat mode who have not claimed dividend declared for FY 2022-2023 and FY 2023-2024 are requested to submit the updated Client Master list to the RTA at the address mentioned above.

To eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of demat holding, shareholders are requested to dematerialize the shares held by them in physical form. Shareholders can open demat account with the nearest IDBI branch and avail the benefits of holding shares in electronic form.

Explanatory Statements in respect of items of Special Business in the AGM Notice

 Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 5 of the Notice

In terms of Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) ('LODR') Regulations, 2015, the appointment of Secretarial Auditor of the Bank shall be approved by the Shareholders of the Bank on recommendation of the Board.

Accordingly, the Board of Directors of the Bank has recommended the appointment of M/s Parikh & Associates, Practicing Company Secretaries, a peer reviewed firm as Secretarial Auditor of the Bank for Audit period of five (5) years commencing from FY 2025-26 up to and including FY 2029-30 at a fee of ₹ 2,25,000/- per annum (plus applicable taxes) and out of pocket expenses at actuals and for the remaining four years, as may be mutually agreed from time to time, between Board of Directors of the Bank and the firm, for the approval of shareholders.

मेसर्स पारिख एंड एसोसिएट्स 1987 में स्थापित प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज की एक फर्म है. यह फर्म कॉरपोरेट कानून, सेबी विनियमन, फेमा विनियमन के क्षेत्र में पेशेवर सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें सिचवीय लेखापरीक्षा, समुचित सावधानी लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है. इस फर्म की भारतीय कंपनी सिचव संस्थान द्वारा समकक्ष समीक्षा और गुणवत्ता समीक्षा की गई है. फर्म में दस भागीदारों सिहत पैंतीस सदस्य हैं; ग्यारह योग्य पेशेवर और चौदह अन्य सहयोगी और प्रशिक्ष हैं.

मेसर्स पारिख एंड एसोसिएट्स ने 22 अप्रैल 2025 की अपनी सहमित के माध्यम से पुष्टि की कि फर्म कोई अयोग्यता वहन नहीं करती है और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24 (1 ए) के अनुसार बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने योग्य है. सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने योग्य है. सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स पारिख एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं दिनांक 31 दिसंबर 2024 के सेबी परिपन्न संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/सीआईआर/पी/2024/185 के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24 (1 बी) के दायरे में हैं.

निदेशक मंडल एजीएम की सूचना की मद सं. 5 में दिये गए सामान्य संकल्प पारित करने की सिफारिश करता है. कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, इस संकल्प को पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं.

2. सूचना की मद संख्या 6 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 188 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में संबद्ध पक्षकारों के साथ किए जाने वाले संव्यवहारों के मामले में शेयरधारकों से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की अनिवार्यता से छूट प्राप्त हैं. तथापि यदि ऐसे संव्यवहार तात्विक प्रकृति के हों तो उनके लिए सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 23(4) के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुसार सामान्य संकल्प के रूप में शेयरधारकों का पूर्वानुमोदन अनिवार्य होगा, भले ही ऐसे संव्यवहार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किए गए हों.

1 अप्रैल 2022 से प्रभावी सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 23(1) के परंतुक के साथ पठित विनियम 2(1) के खंड (जेडसी) में किए गए संशोधनों के अनुसार एक ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी कोई सहायक कंपनी तथा दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबद्ध पक्ष के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों के हस्तांतरण से जुड़े लेनदेनों को ''संबद्ध पक्ष लेनदेन'' समझा जाएगा तथा वित्तीय वर्ष में पृथक रूप से किए गए लेनदेन अथवा पिछले लेनदेनों को मिलाकर लेनदेन की राशि ₹ 1000 करोड़ अथवा सूचीबद्ध इकाई के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार उस सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10%, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक होने पर उस लेनदेन को "तात्विक संबद्ध पक्ष लेनदेन" माना जाएगा.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने एलआईसी के साथ किए जाने वाले तात्विक आरपीटी के लिए 23 जुलाई 2024 को संपन्न 20वीं वार्षिक महासभा में शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया था, जो 21वीं एजीएम तक वैध रहेगा. इसलिए, बैंक को तात्विक आरपीटी के लिए शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है. M/s Parikh & Associates is a firm of Practicing Company Secretaries founded in 1987. The firm provides professional services in the field of Corporate Laws, SEBI Regulations, FEMA Regulations including carrying out Secretarial Audits, Due Diligence Audits and Compliance Audits. The firm is Peer Reviewed and Quality Reviewed by the Institute of the Company Secretaries of India. The firm has thirty-five members including ten partners; eleven qualified professionals and fourteen other associates and trainees.

M/s Parikh & Associates vide their consent dated April 22, 2025 confirmed that the firm has not incurred any disqualification and are eligible to be appointed as Secretarial Auditor of the Bank in terms of Regulation 24 (1A) of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The services to be rendered by M/s Parikh & Associates as Secretarial Auditor are within the purview of Regulation 24 (1B) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/CIR/P/2024/185 dated December 31, 2024.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No. 5 of the AGM Notice. None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, are whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise in the passing of this resolution.

Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 6 of the Notice

As per the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013 (the "Act"), transactions with related parties which are on an arm's length basis and in the ordinary course of business, are exempted from the obligation of obtaining prior approval of shareholders. However, such transactions, if material, require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business, as per the requirements of the provisions of Regulation 23(4) of the SEBI Listing Regulations.

As per the amendments to clause (zc) of Regulation 2(1) read with the proviso to Regulation 23(1) of the SEBI Listing Regulations, which is effective from April 1, 2022, transactions involving transfer of resources, services or obligations between a listed entity or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the listed entity or any of its subsidiaries on the other hand will be considered as "related party transactions", and as "material related party transactions", if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of above, the Bank obtained prior approval from shareholders for material RPTs with LIC at the Banks' 20th Annual General Meeting (AGM) held on July 23, 2024 which will be valid till the 21st AGM. Thus the Bank requires to obtain fresh approval from the shareholders for material RPTs.

बैंक कारोबार के सामान्य अनुक्रम में बैंक की संबद्ध पक्षकार होने के नाते एलआईसी से स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर अपनी व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविदाएँ/व्यवस्थाएँ/संव्यवहार (चाहे वे एकल संव्यवहार के रूप में हों अथवा कई संव्यवहारों के सिम्मिलत रूप में हों अथवा संव्यहारों की शृंखला के रूप में हों अथवा अन्य रूप में हों करता है. एलआईसी के साथ प्रस्तावित संव्यवहारों का विवरण निम्नानुसार है:

1) निधिक और गैर-निधिक सुविधाएं

बैंक द्वारा अपने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के हिस्से के रूप में एलआईसी सहित सभी ग्राहकों को एक समान प्रक्रियाओं के आधार पर निधिक और गैर-निधिक सविधाएं प्रदान की जाती हैं. सविधा का प्रकार, शर्तें, अंतिम उपयोग और लेन-देन की अवधि, प्रत्येक मामले में, सामान्य अनक्रम में बैंक के ग्राहक के रूप में एलआईसी की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है. मंजरी के लिए सविधाओं पर विचार रिजर्व बैंक के लाग मानदंडों के अंतर्गत अनुमत और बैंक की प्रासंगिक नीतियों के तहत ऐसी निबंधन एवं शर्तों (ब्याज दर, प्रतिभृति, अवधि, आदि सिंहत) पर किया जाता है, जो सभी ग्राहकों के लिए समान रूप से लाग होती हैं. लेनदेन बैंक के सामान्य बैंकिंग लेनदेन का भाग होते हैं. मृल्य, बैंक की उधार नीतियों और ऋण अनमोदन प्रक्रिया पर निर्भर करता है और इसलिए लेनदेन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है. यह रिजर्व बैंक और बैंक की आंतरिक नीतियों द्वारा निर्धारित एकल और समृह उधारकर्ता एक्सपोजर / अंतः-समृह मानदंडों के अनुसार अधिकतम अनुमेय सीमा के अधीन होता है. सम्बद्ध पक्षों के लिए इन सविधाओं का मुल्य निर्धारण प्रचलित बाजार दर पर आधारित होता है अथवा बाह्य बैंचमार्क से जडा होता है. जिसे सभी ग्राहकों (संबद्ध पक्षों सहित) को समान रूप से प्रस्तावित किया जाता है और यह स्वतंत्र संव्यवहार पर आधारित होता है. सविधाओं का अवधि ग्राहकों की आवश्यकता (संबद्ध/असंबद्ध पक्षों) पर निर्भर करता है जो विनियामक दिशानिर्देशों और बैंक की आंतरिक नीतियों के अधीन होता है तथा जो सभी ग्राहकों पर समान रूप से लागू होता है. लेन-देन बैंक के बैंकिंग व्यवसाय को अग्रसित करने के लिए होते हैं और बैंक द्वारा सामान्य अनुक्रम (ऋण मूल्यांकन, मंजूरी और अनुमोदन प्रक्रिया सहित) में पालन किए जानेवाले निर्धारित मानदंडों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाते हैं और इसलिए ये बैंक के हित में हैं.

2) ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन

बैंक अपने व्यवसाय के लिए धन जुटाने के लिए आमतौर पर निवेशकों (एलआईसी सिहत) द्वारा सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्लेटफॉर्म पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जैसी ऋण प्रतिभूतियां जारी कर सकता है, जिसके प्रतिफलस्वरूप प्रयोज्य कानूनों और प्रस्ताव पत्र के अनुसार इच्छुक निवेशकों को प्रतिभूतियां आबंटित कर दी जाती हैं तथा ऐसी प्रतिभूतियों पर सभी निवेशकों को समान रूप से ब्याज का भुगतान किया जाता है. प्रस्तावित लेनदेनों के मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बैंक द्वारा जारी की जाने वाली प्रस्तावित ऋण प्रतिभूतियों के लिए एलआईसी की बोली के अधीन है. लेन-देनों की अवधि बैंक द्वारा जारी प्रतिभूतियों को अनुसार होगी जो लागू कानूनों के अनुपालन में होगी. यह बैंक की व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए है और इसलिए बैंक के हित में है.

The Bank in the ordinary course of business engages in contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise) with LIC being a related party of the Bank, on an arms' length basis, to meet its business requirement. Details of the proposed transactions with LIC are as follows:

1) Funded and Non-funded facilities

Funded and Non-funded facilities are provided by the Bank as a part of its normal banking business to all customers on the basis of uniform procedures. including to LIC. Type of facility, terms, end-use and tenure of the transaction, in each case, depends on the requirements of LIC as a customer of the Bank in the ordinary course. The facilities are considered for sanction, on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure, etc.) as may be permitted under applicable RBI norms and relevant policies of the Bank which are uniformly applicable to all the customers. The transaction forms part of the normal banking transactions of the Bank. The value is dependent upon the lending policies and credit approval process of the Bank and hence the value of the transaction cannot be determined. This is also subject to maximum permissible limit as per the single and group borrower exposure/intra-group norms as prescribed by RBI and Bank's internal policies. The pricing of these facilities to related parties is based on prevailing market rate or linked to external benchmark which is uniformly offered to all customers (including related parties) and it is based on arm's length basis. Tenure of facilities is dependent on customers' requirement (related/ unrelated parties) subject to regulatory guidelines and Bank's internal policies which are uniformly applicable to all the customers. The transactions are in furtherance of banking business of the Bank and are undertaken in accordance with laid down norms, policies and procedures as followed by the Bank in ordinary course (including credit appraisal, sanction and approval process) and therefore, in the interest of the Bank.

2) Issuance of debt securities

The Bank may issue debt securities like Non-Convertible Debentures, for raising funds for business of the Bank, on platforms commonly accessed by investors (including LIC), pursuant to which the securities are allotted to interested investors in accordance with the provisions of the applicable laws and offer letter; and payment of interest on such securities uniformly to all investors. The value of transactions proposed cannot be ascertained as it is subject to LIC bidding for the debt securities proposed to be issued by the Bank. The tenure of the transaction will be as per the terms of the securities issued by the Bank that will be in compliance of the applicable laws. This is in furtherance of the business activities of the Bank and therefore, is in the interest of the Bank.

बीमा योजनाओं और अन्य संबंधित व्यवसाय के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन

बैंक ने आईडीबीआई बैंक की शाखाओं के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री के लिए एलआईसी के साथ कॉरपोरेट एजेंसी करार किया है. विनियामक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईआरडीएआई से उचित अनुमोदन/को सूचना दी गई है. बैंक आईआरडीएआई द्वारा अनुमत दरों के अनुसार बीमा योजनाओं के वितरण के लिए शुल्क/ कमीशन अर्जित करता है. एलआईसी के साथ करार, करार की शर्तों और विनियामकों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार नवीकरण के अधीन है. अर्जित शुल्क का स्तर विभिन्न कारकों जैसे व्यवसाय की मात्रा, बैंक की रणनीति, विनियामक दिशानिर्देश और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करता है. इस प्रकार, लेनदेनों का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है. बैंक अपनी व्यावसायिक रणनीति के एक भाग के रूप में एलआईसी की बीमा योजनाएं ऑफर करता है और करार की शर्तों के अनुसार शुल्क/ कमीशन अर्जित करता है और इसलिए यह बैंक के हित में है.

4) मुद्रा बाजार लिखत /सावधि उधार देने/ मीयादी उधार लेने (रेपो/रिवर्स रेपो सहित)

बैंक को रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आवश्यक विनियामक अनुपातों के लिए चलनिधि की स्थिति और रखरखाव के प्रबंधन हेत् मुद्रा बाजार परिचालन करने की आवश्यकता होती है. लेन-देन का मृल्य बैंक की निधीयन/ चलनिधि आवश्यकताओं पर निर्भर करता है और व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम से उत्पन्न होता है. लेन-देन का मुल्य बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है. हालांकि, यह विनियामक मानदंडों और बैंक की आंतरिक नीतियों के अनुसार अधिकतम अनुमत सीमा के अधीन है. लेन-देनों की शर्तें बाजार प्रथाओं के अनुरूप या बैंक और संबद्ध पक्षों की आवश्यकता के आधार पर होंगी. ये बैंकिंग व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में ग्राहकों/ प्रति पक्षकारों (संबंद्ध/असंबद्ध) को और रिज़र्व बैंक के लाग विनियमों/ निर्देशों के अनुसार ऑफर किए जाते हैं. संबद्ध पक्षों के साथ इस तरह के लेन-देनों के लिए बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋणग्रस्तता वहन नहीं करेगा. ये लेन-देन विभिन्न प्रति पक्षकारों (संबद्ध/असंबद्ध) के साथ व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम के दौरान प्रचलित बाजार दरों पर किए जाते हैं और संबंधित पक्षों की निधीयन/ चलनिधि आवश्यकताओं का प्रबंधन करने के लिए किए जाते हैं. इसलिए. यह बैंक के हित में है.

5) अन्य लेनदेन

मुद्रा बाजार लेनदेनों में अन्य सामान्य बाजार सहभागियों/प्रतिपक्षकारों के समान बाजार आधारित लेनदेन, विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव अनुबंधों में लेनदेन, सरकारी प्रतिभूतियों/ कॉरपोरेट बॉण्डों और मुद्रा बाजार लिखतों की द्वितीयक बाजार में खरीद/बिक्री, बॉण्डों में निवेश, निधयों में निवेश, कोई अन्य आय/व्यय अथवा बैंक के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में निक्षेपागार सहभागी, कस्टोडियन सेवाओं, निवेश बैंकिंग, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव लेनदेनों आदि के अनुसरण में की गई अन्य गतिविधियां.

बैंक अपने नियमित कारोबार में अपने द्वारा ऋण/अग्रिम या निवेश करने से संबंधित कोई लेनदेन करने के लिए कोई विशिष्ट वित्तीय ऋणग्रस्तता

Fees/commission for distribution of insurance products and other related business

The Bank has entered into Corporate Agency Agreement with LIC for sale of Life Insurance Policies through IDBI Bank Branches. Due approval/ intimation to IRDAI has been done as per the process laid down by the Regulator. The Bank earns fees/ commission for distribution of insurance products as per the rates allowed by IRDAI. The agreement with LIC is subject to renewal as per the terms of agreement and norms prescribed by regulators. The level of fees earned is dependent on various factors i.e. business volume, Bank's strategy, regulatory guidelines and other external factors. Thus, value of transactions cannot be determined. The Bank offers insurance products of LIC as a part of its business strategy and earns fees/commission as per the terms of agreement and therefore it is in the interest of the Bank.

4) Money Market Instruments/term Borrowing/term Lending (including repo/reverse repo)

The Bank is required to conduct money market operations to manage liquidity position and maintenance of required regulatory ratios prescribed by RBI. The value of the transaction depends on funding/liquidity requirements of the Bank and arise from the ordinary course of business. The value of the transaction cannot be determined by the Bank. However, it is subject to maximum permitted limit as per the regulatory norms and Bank's internal policies. The terms of transactions would be in line with market practices or based on requirement of the Bank and related parties. These are offered to customers/ counter parties (related/unrelated) in the ordinary course of banking business and in accordance with applicable RBI regulations/ directions. The Bank will not incur any specific financial indebtedness in order to undertake such transactions with the related parties. These transactions are done at prevailing market rates in the ordinary course of business with various counter parties (related/unrelated) and to manage funding/liquidity requirements of respective parties. Therefore, it is in the interest of the Bank.

5) Other transactions

Market based transactions in the manner similar with other general market participants / counterparties in Money market transactions, Transactions in Forex and Derivative contracts, Secondary Market Buying / Selling of Govt. Securities / Corporate Bonds and money market instruments, investments in Bonds, Investment in funds, any other income/expense or other activities undertaken in pursuance of depository participant, custodian services, investment banking, foreign exchange and derivative transactions, etc, in the ordinary course of Bank's business.

The Bank, in its regular course of business, does not incur any specific financial indebtedness in order to undertake any transactions relating to granting of loans / advances or investment by the Bank. The

नहीं लेता है. उपरोक्त लेनदेनों में संबद्ध पक्ष के सरोकार /हित की प्रकृति वित्तीय है.

उपरोक्त सभी लेनदेन बैंक द्वारा धारित विशिष्ट अनुमोदन/ पंजीकरण/लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने तथा लागू कानूनों के अनुसार होते हैं और इसलिए बैंक के हित में हैं.

वित्तीय वर्ष में ऊपर बताए गए लेनदेन, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के तहत "तात्विक संबद्ध पक्ष लेनदेन" की सीमा अर्थात् ₹ 1,000 करोड़ अथवा बैंक के पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार के 10%, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक हो सकते हैं. सभी लेन-देन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक और/या इसके संबद्ध पक्षों के व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में किए जाएंगे. सदस्यों से मांगा जा रहा अनुमोदन बैंक की अगली वार्षिक महासभा तक वैध रहेगा.

सूचना की मद सं. 7 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 188 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में संबद्ध पक्षों से किए जाने वाले संव्यवहारों के मामले में शेयरधारकों से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की अनिवार्यता से छूट प्राप्त हैं. तथािप यदि ऐसे संव्यवहार तात्विक प्रकृति के हों तो उनके लिए सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 23(4) के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुसार सामान्य संकल्प के रूप में शेयरधारकों का पूर्वानुमोदन अनिवार्य होगा, भले ही ऐसे संव्यवहार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किए गए हों.

1 अप्रैल 2022 से प्रभावी सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 23(1) के परंतुक के साथ पिठत विनियम 2(1) के खंड (जेडसी) में किए गए संशोधनों के अनुसार एक ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी कोई सहायक कंपनी तथा दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों के हस्तांतरण से जुड़े लेनदेनों को "संबद्ध पक्ष लेनदेन" समझा जाएगा तथा वित्तीय वर्ष में पृथक रूप से किए गए लेनदेन अथवा पिछले लेनदेनों को मिलाकर लेनदेन की राशि ₹ 1000 करोड़ अथवा सूचीबद्ध इकाई के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार उस सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10%, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक होने पर उस लेनदेन को "तात्विक संबद्ध पक्ष लेनदेन" माना जाएगा.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने एलआईसीएचएफ़एल के साथ किए जाने वाले तात्विक आरपीटी के लिए 23 जुलाई 2024 को संपन्न 20वीं वार्षिक महासभा (एजीएम) में शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया था, जो 21वीं एजीएम तक वैध रहेगा. इसलिए, बैंक को तात्विक आरपीटी के लिए शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है.

बैंक कारोबार के सामान्य अनुक्रम में बैंक की संबद्ध पक्षकार होने के नाते एलआईसीएचएफ़एल से स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर अपनी व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविदाएँ/व्यवस्थाएँ/संव्यवहार (चाहे वे एकल संव्यवहार के रूप में हों अथवा कई संव्यवहारों के सिम्मिलित रूप में हों अथवा संव्यवहारों की श्रृंखला के रूप में हों अथवा अन्य

nature of concern/interest of the related party in the above transactions is financial.

All the aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/ licenses held by the Bank and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Bank.

The transactions as mentioned above, in a financial year may exceed the threshold of "material related party transactions" under the SEBI Listing Regulations i.e ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank, as per the last audited financial statement of the Bank, whichever is lower. All the transactions will be entered on arm's length basis and in the ordinary course of the business of the Bank and/or its related parties. The approval being sought from the Members shall be valid till the next Annual General Meeting of the Bank.

Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 7 of the Notice

As per the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013 (the "Act"), transactions with related parties which are on an arm's length basis and in the ordinary course of business, are exempted from the obligation of obtaining prior approval of shareholders. However, such transactions, if material, require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business, as per the requirements of the provisions of Regulation 23(4) of the SEBI Listing Regulations.

As per the amendments to clause (zc) of Regulation 2(1) read with the proviso to Regulation 23(1) of the SEBI Listing Regulations, which is effective from April 1, 2022, transactions involving transfer of resources, services or obligations between a listed entity or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the listed entity or any of its subsidiaries on the other hand will be considered as "related party transactions", and as "material related party transactions", if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of above, the Bank obtained prior approval from shareholders for material RPTs with LICHFL at the Banks' 20^{th} Annual General Meeting (AGM) held on July 23, 2024 which will be valid till the 21^{st} AGM. Thus the Bank requires to obtain fresh approval from the shareholders for material RPTs.

The Bank in the ordinary course of business engages in contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise) with LICHFL being a related party of the Bank, on an arms' length basis, to meet its

रूप में हों) करता है. एलआईसीएचएफ़एल के साथ प्रस्तावित संव्यवहारों का विवरण निम्नानुसार है:

1) निधिक और गैर-निधिक सुविधाएं

बैंक द्वारा अपने सामान्य बैंकिंग कारोबार के हिस्से के रूप में एलआईसीएचएफ़एल सहित सभी ग्राहकों को एक समान प्रक्रियाओं के आधार पर निधिक और गैर-निधिक सविधाएं प्रदान की जाती हैं. सविधा का प्रकार, शर्तें, अंतिम उपयोग और लेन-देन की अवधि, प्रत्येक मामले में, सामान्य अनुक्रम में बैंक के ग्राहक के रूप में एलआईसीएचएफ़एल की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है. मंजरी के लिए सुविधाओं पर विचार भारतीय रिजर्व बैंक (''रिजर्व बैंक'') के लागु मानदंडों के अंतर्गत अनुमत और बैंक की प्रासंगिक नीतियों के तहत ऐसी शर्तों (ब्याज दर, प्रतिभृति, अवधि, आदि सहित्) पर किया जाता है, जो सभी ग्राहकों के लिए समान रूप से लागू होती हैं. लेनदेन बैंक के सामान्य बैंकिंग लेनदेन का भाग होते हैं. मुल्य बैंक की उधार नीतियों और ऋण अनुमोदन प्रक्रिया पर निर्भर करता है और इसलिए लेनदेन का मुल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है. यह रिजर्व बैंक और बैंक की आंतरिक नीतियों द्वारा निर्धारित एकल और समृह उधारकर्ता एक्सपोजर / अंत:-समूह मानदंडों के अनुसार अधिकतम अनुमेय सीमा के अधीन होता है. ब्याज और शुल्क आय ऋण, गारंटी, नकद ऋण आदि के रूप में मुल लेनदेन से निकलने वाले परिणामी लेनदेन हैं. इसलिए, लेनदेन मूल्य (ब्याज / वित्तपोषण लागत) की मात्रा निहित मूल राशि के मूल्य पर निर्भर करती है. लेनदेन निर्धारित मानदंडों, नीतियों और प्रक्रियाओं (ऋण मृल्यांकन, मंजुरी और अनुमोदन प्रक्रिया सहित) के अनुसार किए जाते हैं, जैसा कि बैंक अपने सामान्य अनुक्रम में अपनाता है. साथ ही, ये लेनदेन बैंकिंग कारोबार को आगे बढाने के लिए हैं और इसलिए, बैंक के हित में हैं.

2) ऋण प्रतिभूतीकरण का समनुदेशन

बैंक समय-समय पर विभिन्न मूलकर्ताओं के साथ आस्ति समर्थित / बंधक-समर्थित प्रतिभूतीकरण / ऋण समनुदेशन लेनदेन करता है तािक मुख्य रूप से अपने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण ("पीएसएल") दाियत्वों को पूरा किया जा सके. इस संबंध में, बैंक एलआईसीएचएफएल के साथ प्रतिभूतीकरण / ऋण समनुदेशन लेनदेन और अन्य ऐसे ही लेनदेन करने का प्रस्ताव कर सकता है. मूल्य बैंक के पीएसएल लक्ष्य और लक्ष्य को पूरा करने के लिए बैंक की नीतियों पर निर्भर है और इसलिए लेनदेन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है. यह भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक की आंतरिक नीतियों द्वारा निर्धारित एकल और समूह उधारकर्ता जोखिम / अंतर-समूह मानदंडों के अनुसार अधिकतम स्वीकार्य सीमा के अधीन भी है. बैंक अपनी बहियों पर अतिरिक्त खुदरा ऋण पोर्टफोलियों के अधिग्रहण और भारतीय रिजर्व बैंक ("रिजर्व बैंक") द्वारा निर्धारित पीएसएल के लिए अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिभूतीकरण / ऋण समनुदेशन लेनदेन से लाभान्वित होता है और इसलिए ऐसे लेनदेन बैंक के हित में हैं.

बैंक अपने नियमित कारोबार में अपने द्वारा ऋण/अग्रिम या निवेश करने से संबंधित कोई लेनदेन करने के लिए कोई विशिष्ट वित्तीय ऋणग्रस्तता नहीं business requirement. Details of the proposed transactions with LICHFL are as follows:

1) Funded and Non-funded facilities

The funded and non-funded facilities are provided by the Bank as a part of its normal banking business to all customers on the basis of uniform procedures, including LICHFL. Type of facility, terms, enduse and tenure of the transaction, in each case, depends on the requirements of LICHFL as a customer of the Bank in the ordinary course. The facilities are considered for sanction, on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure etc.) as may be permitted under applicable Reserve Bank of India ("RBI") norms and relevant policies of the Bank which are uniformly applicable to all the customers. The transactions form part of the normal banking transactions of the Bank. The value is dependent upon the lending policies and credit approval process of the Bank and hence the value of the transaction cannot be determined. This is also subject to maximum permissible limit as per the single and group borrower exposure/ intra-group norms as prescribed by RBI and Bank's internal policies. The interest and fee income are consequential transactions flowing out of principal transactions in the form of loan, guarantees, cash credit etc. Therefore, the quantum of the transaction value (interest / financing cost) depends on the value of the principal amounts involved. The transactions are undertaken in accordance with laid down norms. policies and procedures (including credit appraisal, sanction and approval process) as followed by the Bank in its ordinary course. Also, these transactions are in furtherance of banking business and therefore, are in the interest of the Bank.

2) Assignment of Loan Securitization

The Bank periodically undertakes asset backed / mortgage-backed securitization / loan assignment transactions with various originators to mainly fulfil its Priority Sector Lending ("PSL") obligations. In this regard, the Bank may propose to undertake securitization / loan assignment transactions and other similar transactions with LICHFL. The value is dependent upon the Bank's PSL target and the Bank's Policies to fulfill the target and hence the value of the transaction cannot be determined. This is also subject to maximum permissible limit as per the single and group borrower exposure/intra-group norms as prescribed by Reserve Bank of India and Bank's internal policies. The Bank benefits from the securitization / loan assignment transactions by acquisition of additional retail loan portfolio on its books and for meeting its targets for PSL as stipulated by the Reserve Bank of India ("RBI") and such transactions are therefore, in the interest of the Bank.

The Bank, in its regular course of business, does not incur any specific financial indebtedness in order to undertake any transactions relating to granting of loans / advances or investment by the Bank. The

लेता है. उपरोक्त लेनदेन में संबद्ध पक्ष के सरोकार / हित की प्रकृति वित्तीय है.

उपरोक्त सभी लेनदेन बैंक द्वारा धारित विशिष्ट अनुमोदन/ पंजीकरण/लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने तथा लागू कानूनों के अनुसार होते हैं और इसलिए बैंक के हित में हैं.

एक वित्तीय वर्ष में ऊपर बताए गए लेनदेन सेबी सूचीबद्धता विनियमों के तहत ''तात्विक संबद्ध पक्ष लेनदेन'' की सीमा अर्थात् ₹ 1,000 करोड़ अथवा बैंक के पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक समेकित कारोबार के 10%, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक हो सकते हैं. सभी लेन-देन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक और/या इसके संबद्ध पक्षों के व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में किए जाएंगे. सदस्यों से मांगा जा रहा अनुमोदन बैंक की अगली वार्षिक महासभा तक वैध रहेगा.

बोर्ड के आदेश से कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

राकेश शर्मा एमडी एवं सीईओ

डीआईएनः 06846594

पंजीकृत कार्यालय:

आईडीबीआई बैंक लि. आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005

दिनांक: 18 जून 2025

nature of concern/interest of the related party in the above transactions is financial.

All the aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/ licenses held by the Bank and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Bank.

The transactions as mentioned above, in a financial year may exceed the threshold of "material related party transactions" under the SEBI Listing Regulations i.e ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank, as per the last audited financial statement of the Bank, whichever is lower. All the transactions will be entered on arm's length basis and in the ordinary course of the business of the Bank and/or its related parties. The approval being sought from the Members shall be valid till the next Annual General Meeting of the Bank.

By Order of the Board For IDBI Bank Limited

Rakesh Sharma MD & CEO DIN: 06846594

Registered Office:

IDBI Bank Limited IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400 005

Dated: June 18, 2025